Punjab Vidhan Sabha Debates

27th February, 1958

VOL. I—NO. 11

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Thursday, the 27th February, 1958

CHANDIGARH:
Printed by the Controller, Printing and Stationery, Punjab,
1959.

Price Re: 2.60 nP.

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATE VOL. I NO. 11
DATED THE 27TH FEBRUARY, 1958.

Read	*for*	*on Page*	*line*
Public	ublic	(11)1	7
permits	perm	(11)5	2nd in col. 2.
Government	Governm	(11)9	12
'I' before the word	'would'	(11)10	11
the	h e	(11)38	2
क़र्ज़	कज़	(11)51	25
केन्द्रों	केन्द्र	(11)57	7
यत्न	य न	(11)58	5

PUNJAB VIDHAN SABHA

Thursday, the 27th February, 1958

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh Capital at 9 a.m. of the clock. Mr. Speaker, (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

ROAD BETWEEN CHANDIGARH AND CHUNNI KALAN, DISTRICT AMBALA

***1550. Sardar Naranjan Singh Talib :** Will the Minister for ublic Works be pleased to state : —

(a) whether it is a fact that survey of the road between Chandigarh and Chunni Kalan tehsil Kharar, district Ambala, has been done and earth work in it completed by the residents of the villages concerned ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the date by which the said road is likely to be constructed ?

Rao Birendar Singh : (a) Yes. Approximately two-third of earth work was completed by the villagers.

(b) It is likely to be constructed in the 3rd Plan.

CONSTRUCTION OF MUBARAKPUR—HAMIRPUR AND UNA-JAHU ROADS

***1636. Shrimati Sarla Devi Sharma :** Will the Minister for Public Works be pleased to state : —

(a) whether the schemes for metalling the Una-Jahu road and Hoshiarpur —Hamirpur Road (from Mubarakpur to Hamirpur) have been included in the Second Five-Year Plan ;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, whether any time limit for the purpose has been fixed, if so, what ?

Rao Birendar Singh : (a) Yes.

(b) No. The work is proposed to be completed during the 2nd Five-Year Plan period subject to the availability of funds.

श्रीमती सरला देवी शर्मा : यह सड़क हमीरपुर तहसील तक की सड़क को मिलाती है । क्या गवर्नमैंट का इरादा इस को पक्का बनाने का है ?

मन्त्री : जी हां ।

श्री मती सरला देवी शर्मा : कब तक ?

मन्त्री : एक सड़क पर जल्दी काम शुरू हो जायगा और दूसरी सड़क का झगड़ा चल रहा हैं । पहला जो estimate था वह अब बहुत बढ़ गया है और भाखड़ा के नीचे सड़क का कुछ हिस्सा आ जायेगा इसलिए alignment में कुछ change की जा रही है । अब काफी खर्च बढ़ जाता है और हम कोशिश कर रहे है कि Bhakra Control Board से फालतू रक्म जो खर्च होगी वसूल की जाय ।

श्रीमती सरला देवी शर्मा : दूसरी सड़क के लिए कब तक tenders call किये जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : सवाल में तो यह पूछा गया है कि कब तक यह सड़क complete हो जायेगी । (It has been asked in the question as to when the road is likely to be completed.)

श्रीमती सरला देवी शर्मा : वह इस सड़क के साथ सम्बंधित है । Tenders तो अभी तक call नहीं हुए । गवर्नमैंट कब तक tenders call करने का इरादा रखती है ?

अध्यक्ष महोदय : आप ने tenders के बारे में तो पूछा नहीं । (The hon. Lady member has not asked about the tenders.)

श्रीमती सरला देवी शर्मा : जब सड़क के मुतअल्लिक कहा जाता है कि जल्दी बनेगी तो इस में tenders का सवाल आ जाता है।

मन्त्री : जब बजट पास हो जायगा तो इस के मुताबिक फैसला कर के tenders call किये जायेंगे ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸੜਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਇਹ ਸੜਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ?

मन्त्री : दूसरी पांच साला योजना के आखीर तक खत्म हो सकती है ।

श्री प्रबोध चन्द्र : Part (b) का जवाब देते हुए उन्हों ने बताया है कि यह सड़क second Five-Year Plan में 'complete हो जायेगी लेकिन पहले इन्हों ने बताया है Subject to availability of funds. I would like to know which part of the reply is correct. Suppos-ing funds are not available then...

मन्त्री : तो फिर Third Five-Year Plan में चली जायेगी ।

Mr. Speaker : No more supplementaries, please.

ALLOTMENT OF HOUSES CONSTRUCTED AT AMRITSAR, UNDER SUBSIDISED HOUSING SCHEME

***1432. Sardar Sarup Singh :** Will the Minister for Public Work be pleased to state: —

(a) whether it is a fact that more than one hundred houses were built by Government in Amritsar under the Subsidised Housing Scheme more than four months ago ;

(b) if reply to part (a) above be in the affirmative whether the said houses have so far been allotted, if not, the reasons therefor and the loss to Government in rent ?

Rao Birendar Singh : (a) No. Only one hundred houses were built by the Government in Amritsar (Islamabad) in 1957 under the Subsidised Industrial Housing Scheme.

(b) The said houses have not so far been allotted as the same have neither yet been fitted with electricity nor provided with drainage system and water. The P.W.D. authorities have been moved to do the needful at the earliest.

The applications of workers have however been received and the allotment will be made soon after the houses are equipped with water and electricity.

STATION SUPERVISORS UNDER PUNJAB ROADWAYS

***855. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Minister for Public Works be pleased to state: —

(a) the total number of station Supervisors of Punjab Roadways posted in the Delhi State at present ;

(b) the qualifications prescribed for the post of a station Supervisor in the Punjab Roadways ;

(c) the qualifications possessed by each of the Station Supervisors employed in the Punjab Roadways.

Rao Birendar Singh : (a) One.

(b) Intermediate Examination of a recognised University or its equivalent, a sound knowledge of the provisions of the Motor Vehicles Act, 1939 and Rules framed thereunder and at least three years experience in a Government office or reputed firm engaged in the business of motor transport. Educational qualifications are relaxable in the case of Government servants.

[Minister for Public Works]

(c) (1) Shri Lal Singh .. Matric. About 12 years experience as Inspector and Chief Inspector.

(2) Shri Lahori Lal .. Under Matric. About 12 years experience as Checker, Inspector and Chief Inspector.

(3) Shri Jagdish Chander.. M.A., More than 9 years experience as Chief Inspector.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : Under matric का लफ्ज़ बड़ा vague सा है। क्या वह चौथी जमात पास है ?

मन्त्री : Under matric का मतलब matric पास नहीं से है यानी matric से कम qualification है। नौवीं जमात पास भी under matric कहलाता है।

Shri Prabodh Chandra · Sir, he is giving wrong interpretation of the word 'under-matric." Under matric means who has passed the middle examination.

Mr. Speaker : No question of interpretations, please.

Shri Prabodh Chandra : On a point of order, Sir. The Minister for Public Works is giving a wrong interpretation of the word 'Under Matric The word 'Under Matric' means Middle pass.

Mr. Speaker : There is no question of interpretation and meaning of the word 'Under Matric'. That cannot be the subject of a supplementary question.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या लाहौरी राम मिडल पास है या नहीं ?

मन्त्री : इस के मुतअल्लिक information मैं नहीं दे सकता। अगर आप चाहें तो दरियाफत कर के बताई जा सकती है।

TRUCK PERMITS

***1488. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Minister for Public Works be pleased to state :—

(a) the total number of truck permits districtwise in the erstwhile States of Punjab and Pepsu immediately before 1st November, 1956 ;

(b) the total number of such permits districtwise after the integration of Punjab and Pepsu and also after the last General Elections separately ?

Rao Birendar Singh : A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) The total number of truck permits districtwise in the erstwhile States of Punjab and Pepsu immediately before 1st November, 1956 :—

Name of the District	Number of perm
ERSTWHILE PUNJAB STATE	
Ambala ..	220
Karnal ..	148
Rohtak ..	172
Gurgaon ..	82
Hissar ..	154
Simla ..	16
Ludhiana ..	282
Jullundur ..	409
Amritsar ..	274
Ferozepur ..	147
Gurdaspur ..	121
Hoshiarpur ..	160
Kangra ..	31
ERSTWHILE PEPSU STATE	
Patiala ..	622
Sangrur ..	83
Kapurthala ..	31
Bhatinda ..	201
Mahendragarh ..	28

(b) Statement showing the Number of Public Carrier permits districtwise after the integration of Punjab and Pepsu and also after the last General Elections :—

Name of the District	Number of permits after integration	Number of permits after General Elections
Ambala ..	220	223
Karnal ..	148	150
Rohtak ..	172	177
Gurgaon ..	82	82
Hissar ..	154	155

[Minister for Public Works]

Name of the District	Number of permits after integration	Number of permits after General Elections
Simla ..	16	16
Ludhiana ..	282	300
Jullundur ..	409	450
Amritsar ..	274	310
Ferozepur ..	147	164
Gurdaspur ..	121	129
Hoshiarpur ..	160	176
Kangra ..	31	37
Patiala ..	632	655
Sangrur ..	84	87
Kapurthala ..	31	31
Bhatinda ..	204	210
Mahendragarh ..	35	36

OIL MILLS AT NUH, DISTRICT GURGAON

***846. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Minister for Consolidation and Health be pleased to state the steps, if any, so far taken by Government for the completion of the Co-operative Oil Mills, Nuh, together with the date by which the said Mills are expected to be completed ?

Chaudhri Suraj Mal : A statement is laid on the Table.

STATEMENT

(i) A co-operative society, namely, the Nuh Co-operative Marketing-cum-processing (OIL MILL) has been registered under the Punjab Co-operative Societies Act, 1954 on 11th August, 1956 in order to establish an oil mill at Nuh.

(ii) Rs. 1,25,500 including Rs 25,000 as Government contribution have been collected on account of share capital.

(iii) 17 Bighas of land have been purchased and action to acquire three Bighas and 11 Viswas under section 4 of the Land Acquisition Act is being taken.

(iv) A reference to the Secretary, Indian Central Oil Seeds Committee, Hyderabad through the Co-operation Advisor, Ministry of Food and Agriculture to Government of India has been made in order to obtain expert advice in the matter of Oil Industry.

(v) It is difficult to indicate the date by which the oil mill is expected to be completed at this stage, because it is primarily a matter for the Board of the Directors of the Mill to decide.

CO-OPERATIVE SOCIETIES OF WOMEN

*937. **Shri Ram Chandra Comrade :** Will the Minister for Consolidation and Health be pleased to state :—

(a) whether any Co-operative societies of women have recently been formed in the State ; if so, their number and the names of places where these have been formed ;

(b) the craft in which each society is engaged ;

(c) the nature of help given to these societies by Government ?

Chaudhri Suraj Mal : (a) Yes. A statement is laid on the Table of the House.

(b) Handicrafts, like sewing, embroidery.

(c) Government have recently sanctioned a sum of Rs 36,300 as grant which is still to be distributed to these societies.

List of Women Co-operative Industrial Societies formed in Punjab State

Serial No.	Name of society	District
1	*The Nagina Mahila Industrial : Society Nagina ..	Gurgaon
2	*The Farukh Nagar Mahila Industrial Society Farukh Nagar	Do
3	*The Sherpur Ladies Industrial Society, Sherpur ..	Jullundur
4	*The Chima Kalan Industrial Society, Chima Kalan	Do
5	*The Meharu Women Industrial Society, Meharu ..	Kapurthala
6	*The Uchapind Women Industrial Society , Uchapind. ..	Do
7	*The Jahangirpur Haryana Women Industrial Society Jahangirpur ..	Rohtak
8	*The Dhesian Sang Women Industrial Society Dhesian Sang ..	Jullundur
9	*The Mahila Industrial Society Bahmani Khera ..	Gurgaon
10	*The Mahila Industrial Society Sihi ..	Gurgaon
11	*The Sulkha Mahila Industrial Society, Sulkha ..	Gurgaon
12	*The Bahu Jholri Industrial Society, Bahu Jholri ..	Rohtak
13	*The Dulhra Women Industrial Society, Dulhra ..	Do
14	*The Ugra Kheri Women Industrial Society Ugra Kheri ..	Karnal
15	*The Madhlanda Women Industrial Society, Madhalanda ..	Do
16	*The Biaspind Zanana Industrial Society Biaspind ..	Jullundur
17	*The Patar kalan Women Industrial Society, Patarkalan ..	Jullundur

*Shows Societies registered.

[Minister for Consolidation and Health]

Serial No.	Name of soc ety	District
18	*The Sachkhand Women Industrial Society Shankar ..	Jullundur
19	The Virk Women Industrial Society, Virk	Jullundur
20	The Kharia Women Indusrtrial Society, Kharia ..	Hissar
21	The Bilasmand Women Industrial Society Bilasmand ..	Hissar
22	The Tarpur Women Industrial Society Tarpur ..	Karnal
23	The Rupana Women Industrial Society, Rupana ..	Ferozepur
24	The Mehraj Women Society, Mehraj ..	Ferozepur
25	The Gholia Kalan Women Industrial Society, Gholia Kalan	Ferozepur
26	The Gholia Khurd Women Industrial Society Gholia Khurd	Ferozepur
27	The Chabewal Women Industrial Society, Chabewal ..	Hoshiarpur
28	The Meihna Women Industrial Society , Meihna ..	Hoshiarpur
29	The Panam Women Industrial Society, Panam ..	Hoshiarpur
30	The Dhadial Women Industrial Society, Dhadial ..	Hoshiarpur
31	The Raipur Rani Women Industrial Society, Raipur Rani	Ambala
32	The Kherabad Women Industrial Society, Kherabad ..	Ambala
33	The Mansua Women Industrial Society, Mansua ..	Ambala
34	The Gill Women Industrial Co-operative Society, Gill	Ludhiana
35	The Sweddikhurd Women Industrial Co-operative Society Sweddikhurd ..	Ludhiana
36	The Akhara Women Industrial Society, Akhara ..	Ludhiana
37	The Sidhwan Women Industrial Society, Sidhwan ..	Ludhiana
38	The Nurpur Women Industrial Society, Nurpur ..	Kangra
39	The Belat Women Industrial Society, Balath ..	Kangra
40	The Adarsh Feundi Women Industrial Society, Adarsh Feundi ..	Kangra
41	The Ghot Pokari Women Industrial Society, Ghot Pokari	Gurdapspur
42	The Kathunangal Women Industrial Society, Kathunangal	Amritsar
43	The Shahpur Women Industrial Society, Shahpur ..	Amritsar
44	The Gurdas Nangal Women Industrial Society, Gurdas Nangal ..	Gurdaspur

*Shows Societies registered.

COMPLAINTS AGAINST CO-OPERATIVE BANK, BHADSON, TEHSIL NABHA, DISTRICT PATIALA

***1413. Comrade Jangir Singh :** Will the Minister for Consolidation and Health be pleased to state :—

(a) whether the Government has recently received any complaint regarding malpractices in the Co-operative Bank at Bhadson tehsil Nabha, district Patiala ;

(b) whether it is a fact that deputation of the respectable persons of the *ilaqa* also met the Assistant Registrar Co-operative Society recently in this connection ;

(c) if the replies to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the steps taken or proposed to be taken by the Governme . o remove the grievances of the public ?

Chaudhri Suraj Mal : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) The Manager and the Store Keeper of the Rural Co-operative Banks Bhadson have been suspended by the Managing Committee of the Bank, and the amounts recoverable from these persons have been recovered almost in full.

—4—

HINDI AND PUNJABI REGIONS

***961. Shri Ram Chandra Comrade :** Will the Chief M nister e pleased to state :—

(a) the basis on which the demarcation of the Hindi un a Regions in the State has been made ;

(b) whether he has recently received any representation asking for a change in the said demarcations; if so, the action if any, taken thereon ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) The demarcation has been made on the basis of the Hindi speaking and Punjabi speaking regions in the State.

(i) Yes.

(ii) No action has been considered necessary on these representations.

ਸ੍ਰੀ ਪਰਬੋਧ ਚੰਦਰ : ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ basis ਦੇ ਉਤੇ Sachar Formula ਦੇ ਬਿਨਾ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ regions ਨੂੰ demarcate ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ basic principle ਇਹ ਸੀ ਕਿ—

Before demarcation the committee of experts would be appointed . . . .

Mr. Speaker : It is not a Supplementary question. Please put a Straight question.

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि हिन्दी पंजाबी regions को demarcate करने से पहले यह condition थी कि इस काम के लिए एक committee of experts बनाई जाएगी ?

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੋ ਕੁਝ hon. Member ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦਰ ਅਸਲ ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਧੀਨ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਹੈ ਉਹ Re-organisation of States ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਹੈ ।

Shri Prabodh Chandra : Sir, according to the Reorganization of the States, a Committee of Experts was to be appointed. would like to know whether that procedure was adopted before the demarcation was made ?

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ । ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਏਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ Home Ministry ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ Unanimous ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗੜਾ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ?

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਕਾਂਗੜਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ; ਬੋਲੀ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ।

श्री इंदर सिंह : क्या Chief Minister साहिब बताएंगे कि चण्डीगढ़ के सिलसिले में इस basis पर कोई representation हुई है या नहीं ?

Mr. Speaker : The Chief Minister has said that no action has been considered necessary on these representations.

Shri Inder Singh : Sir, it has been asked in the Question part (a) :

> the basis on which the demarcation of the Hindi and Punjabi Regions in the State has been made.

तो मैं उसमें यह पूछ रहा हूं कि चंडीगढ़ के लिए कौन सा basis apply किया गया है ? किस basis पर उसे अलग रखा गया है ?

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਨੂੰ ਅਲਗ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲਗ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ population grow ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।

श्री इन्दर सिंह : Chief Minister साहिब ने फरमाया है कि चंडीगढ़ के इर्द गिर्द Punjabi speaking area है लेकिन आबादी नहीं बढ़ी इस लिए इसे अलग रखा है । क्या यह ठीक है कि इस के इर्द गिर्द काफी आबादी Hindi speaking area की भी है ?

Mr. Speaker : This is a question of opinion.

Shri Inder Singh : Sir, this is not a question of opinion. The opinion has already been expressed by the hon. Chief Minister.

Mr. Speaker : It does not mean that the opinion should be kept on moving in the form of supplementary questions.

ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਵਿਚ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ?

Mr. Speaker It is not a supplementary question

CREATION OF PAHARI REGION IN THE STATE

***962. Shri Ram Chandra Comrade :** Will the Chief Minister be pleased to state whether Government have received any representations from the District Congress Committee, Kangra, for the creation of a Pahari Region in the State, if so, the action ; if any, taken thereon ?

Sardar Partap Singh Kairon : Yes. No action is proposed to be taken.

DEMANDS MADE BY THE SIKH EDUCATIONAL CONFERENCE HELD AT JULLUNDUR

***1236. Sardar Atma Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether the demands made at the 40th Sikh Educational Conference held at Jullundur on 25th, 26th and 27th October, 1957, have come to his notice ; if so, the details thereof and the action, if any, taken thereon ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister for Education) : (a) Yes. Copies of resolution Nos. 14 and 16 only have been received through the Honorary Secretary, Sikh Educational Committee (Chief Khalsa Diwan), Amritsar.

(b) Resolution No. 16 is meant for the promotion of Punjabi Language by raising the status of Punjabi Teachers. The Punjabi Teachers are already allowed a higher start of Rs. 72 in the revised grade of Rs. 60—4—80/5/100/5—120,meant for language teachers.

Resolution No. 14 relates to the shifting of Arts and Crafts School, Simla to Jullundur or Ludhiana. It concerns Industries Department, Punjab. There is , however no proposal to shift it from Simla for the present.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਜੋ ਦੋ ਮਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ notice ਵਿਚ Honorary Secretary ਵਲੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆਇਆ ?

ਉਪ ਮੰਤ੍ਰੀ : Honorary Secretary ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਤੇ notice ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੋ ਮਤੇ ਭੇਜੇ । ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤਾ ਵੀ ਹੈ ?

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । (It has already been replied to please.)

CONSTITUTION OF PRESS ADVISORY COMMITTEE

*1237. **Sardar Atma Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) whether any Press Advisory Committee was constituted in the State, if so, when and the names of the members of this Committee ;

(b) whether any persons who resigned their membership of the previous Committee, have been re-nominated as members of the Committee referred to in part (a) above, if so, their names and the reasons therefor ;

(c) whether any journalists from Delhi have been appointed to the said Committee, if so, their names and the reasons for giving representation to those residing outside the State ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Yes. on 3rd January, 1958, with the following members :—

(1) Shri J. Natarajan, Editor, The Tribune, Ambala Cantt.

(2) Shri D. R. Mankekar, Editor, The Times of India, Delhi.

(3) Shri Ranbir, Editor, The Milap, Delhi.

(4) Shri Jang Bahadur Singh, Editor, The Sher-i-Punjab, Delhi.

(5) Shri Dina Nath Atish, Managing Editor, The Vir Bharat, Jullundur.

(6) Shri Sadhu Singh Hamdard, Editor, The Ajit Patrika, Jullundur.

(7) Shri Amar Singh Dosanjh of the Akali Patrika, Jullundur.

(8) Shri Virendra, Editor, The Pratap, Jullundur.

(9) Shri Gurditt Singh, M.L.C., Editor, The Parkash, Chandigarh.

(b) Sarvshri Dina Nath Atish, Sadhu Singh Hamdard and Virendra who resigned from the previous Committee have been re-nominated to the present Committee. Their resignation was received on the date on which the Committee was abolished. They were re-nominated as their names were forwarded by the convener of the Committee.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ Part (b) ਵਿਚ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ 'reasons' ਕੀ ਨੇ । ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ?

Mr. Speaker : The Chief Minister says that they were re-nominated as their names were forwarded by the convener of the Committee. The supplementary question does not arise out of the main question.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : Part (b) ਵਿਚ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ?

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਉਹ disqualify ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ; ਇਹ ਕਿਹੜੀ Election ਹੈ, nomination ਹੀ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ Advisory Committee ਬਨਾਉਣ ਵੇਲੇ Press Commission ਦੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ?

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਨਹੀਂ ਜੀ ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Press Commission ਦੀਆਂ Advisory Committee ਬਾਬਤ ਕੀ recommendations ਹਨ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਛ ਸਕਦੇ । (The hon. Member cannot ask this supplementary.)

Besides the hon. Minister cannot be expected to give answers off hand.

MINISTERS AND GAUHATI CONGRESS SESSION

***1614. Shri Prabodh Chandra :** Will the Chief Minister be pleased to state: —

(a) whether any of the Ministers attended the recent congress Session at Gauhati ;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative whether the expenses of the said Minister/Ministers on travelling etc. were borne by Government ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Yes. Only Finance Minister attended the Gauhati Congress Session.

(b) No.

Shri Prabodh Chandra : Sir, is it a fact that the expenses of the Finance Minister were borne by the Government ?

Chief Minister : No.

Mr. Speaker : He says 'no'.

COMPLAINT AGAINST STATION HOUSE OFFICER, TAURO, DISTRICT GURGAON

***856. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Chief Minister be plea sed to state: —

(a) whether he received any complaint against Station House Officer, Police Station Tauro, district Gurgaon, two or three months ago and whether he ordered an enquiry into the matter ;

(b) if the answer to the latter part of (a) above be in the affirmative the name of the person who was deputed to hold the enquiry and the date when the enquiry was held ;

(c) whether any arrest was made as a result of the said enquiry ;

(d) the names of the Police Officers who were present at the time of the enquiry and the reasons for their presence ;

(e) the details of the findings in the report of the enquiry ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Yes. Two complaints were received. One from Jodha, son of Nur Khan , village Rai Hari and the other from Pran Sukh, village Sabras. Inquiry was held in the former case only. The subject matter of the latter was sub-judice, and therefore, enquiry could not be conducted.

(b) (1) Shri Birendar Singh, Public Works Minister , Punjab.
2 .Shri Banar Singh D. S. P.

(c) No.

(d) 1. The S. H. O. and S. P., Gurgaon. The S. H. O. was called to produce the relevant police record , and the S. P. attended to assist in the investigation.

2. In case of Shri Banar Singh no Police Officer was present.

(e) As for Shri Jodha's complaint, preliminary enquiry indicated misconduct on the part of the S. H. O.

ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ : ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਸ Inquiry ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ Public Works Minister ਵੀ ਸਨ ।

How far is it advisable to depute one of the Ministers to be a member of the enquiry Committee ? Ordinarily, this is not the policy of the Government to depute Ministers on the enquiry Committee. I would like to know why a departure has been made in this case. ਇਹ departure ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ?

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ Inquiry ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ । ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਉ ।

Mr. Speaker : He says that the Minister for Public Works was deputed to enquire into it. Any Minister can be asked to enquire into.....

Shri Prabodh Chandra : Sir, the independence of the Enquiry Committee is not maintained if the Minister is entrusted with the enquiry.

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : Will the Chief Minister be pleased to state whether any report was made by the Minister ?

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਹਾਂ, ਹਾਂ ।

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : Will the Chief Minister be pleased to lay that report on the Table of the House.

Chief Minister : Yes, I can do it, if the hon. Speaker and the other hon. Members of the House wish it.

Mr. Speaker : Such documents are not of public importance.

मौलवी अब्दुल गनी डार : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जो रिपोर्ट Enquiry Committee ने दी उस पर क्या action लिया गया ?

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : S.H.O. ਦਾ misconduct ਸੀ । ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ action ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਰ ਕੇ ਦਸ ਦੇਵਾਂਗਾ । Action ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ ।

REPRESENTATION FROM DISTRICT DEHATI MAZDOOR SABHA, MUKTSAR, DISTRICT FEROZEPORE

***1437. Pandit Ram Kishen Bharolian :** Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) whether Government received a representation dated 30th October, 1957, from the District Dehati Mazdoor Sabha, Muktsar, District Ferozepore, regarding the deteriorating situation of law and order in the *Illaqa* Muktsar and its effect on Harijans ;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative whether any enquiry was held into the matter, if so, with what result and the measures taken by the Government to ease the situation ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Yes.

(b) Yes. The enquiries made into the allegations contained in the representation of the District Dehati Mazdoor Sabha, Muktsar, show that they are incorrect. The law and order situation in Muktsar *Illaqa* is well under control and offenders in each of the cases have been arrested and dealt with suitably.

[Chief Minister]
with the exception of one case which remained untraced despite the best efforts of the police. Shri Daya Singh Prem petitioner seems to be out to exploit the sentiments of the depressed classes.

ENQUIRY AGAINST STATION HOUSE OFFICER, POLICE STATION, JALALABAD, TEHSIL FAZILKA, DISTRICT FEROZEPUR

*1457. **Dr. Bhag Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether Government received a copy of the resolution passed by the village Panchayat, Kathgarh police station Jalalabad, tehsil Fazilka, on 30th September, 1957, demanding an enquiry against the Station House Officer, if so, the contents thereof ;

(b) whether any enquiry has been held into the matter, if so, with what result ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Yes; a statement on the contents of the resolution passed by the village Panchayat Khatgarh is laid on the Table.

(b) Yes ; the allegations against the behaviour of Station House Officer Jalalabad were found to be false.

A statement on the contents of the resolution passed by the Village Panchayat, Kathgarh, Police Station Jalalabad, Tehsil Fazilka, District Ferozepur.

On 30th September, 1957, the Village Panchayat, Kathgarh, police station Jalalabad, tehsil Fazilka, assembled and passed the following resolution. Sarpanch Gehna Singh and members Karam Singh, Shankar Singh, Thakar Singh and Narain Singh were present.

On 29th September, 1957, Puran Singh, Mistary requested the village panchayat to accompany him to police station in connection with molestation of his wife by Nagar Singh and Bishan Singh. In order to extend due help to mistary Puran Singh and to state the correct facts before the Station House Officer, the village panchayat reached police station. When Puran Singh was still narrating the facts, the Station House Officer began to abuse Puran Singh and his father Hukam Chand and warned him that he was telling a lie. After that Station House Officer abused the village panchayat and told that they, too, were telling a lie. He particularly rebucked Gehna Singh and accused him that he was responsible for all the mischief that happen in the village. Then he turned the village panchayat out of the police station and detained Puran Singh there.

The village Panchayat of Kathgarh feels much distressed on the conduct of the Station House Officer, Jalalabad in putting off the agrieved person who -so-ever goes to him with his grievances. The panchayat therefore demands that the explanation of the Sub-Inspector should be called for insulting the village panchayat by abusing them, and further he may be called upon to prove the allegations levelled against the sarpanch. His explanation should also be called for his assertion that so long he is in police station, Jalalabad, he would not hear the village panchayat.

The resolution was signed by sarpanch Gehna Singh, Narain Singh, Thakar Singh and thumb-impressions were affixed by Karam Singh, Shankar Singh, members and Karam Singh, Chowkidar.

APPLICATION FROM ONE SARDAR CHANAN SINGH OF VILLAGE MATHADA KALAN, TEHSIL PHILLAUR, DISTRICT JULLUNDUR

*1468. **Comrade Jangir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether one Sardar Chanan Singh, son of Labh Singh of village Mathada Kalan, tehsil Phillaur, district Jullundur, sent any application to Superintendent, Police, Jullundur, on November 11, 1957 ;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative the demand made by the applicant in this application ;

(c) the action if any taken on the said application together with the results thereof ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Yes.

(b) The demand was that he should not be entangled in any false case.

(c) No action was taken on his application as his apprehensions in that regard were immaginary.

PERSONS CHALLANED UNDER SECTION 107/150 CR. P.C., AT JULLUNDUR

***1571. Shri Lal Chand :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any applications under section 107 Cr. P.C. were received in the office of the Superintendent of Police, Jullundur, during the year 1957, if so, their number ;

(b) whether the applications referred to above were sent to various police stations for report or necessary action ;

(c) the total number of persons sent up for trial under section 107/151 Cr. P.C. and 107/150 Cr. P.C. by the Police of Jullundur, to the courts during the year, 1957 ;

(d) whether any of the persons referred to in part (c) above had injuries on their person, if so, their number ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Yes. Two thousand and seventy-one applications were received in the office of the Superintendent of Police, Jullundur, during the year 1957, for action under section 107 Cr. P.C.

(b) Yes.

(c) One thousand, five hundred and sixty-five persons were sent up for trial under section 107/151 Cr. P.C., and 549 persons were sent up for trial under section 107/150 Cr. P.C., during the year 1957, by the Police in Jullundur District.

(d) Seventy-one persons.

Mr. Speaker : Starred Question No. 1573 is postponed till tomorrow, the 28th February, 1958.

EXPENDITURE INCURRED ON COTTAGE INDUSTRIES IN LUDHIANA DISTRICT

***1605. Sardar Ramdayal Singh :** Will the Minister for Planning and Community Projects be pleased to state—

(a) the total amount spent on cottage industries in the rural areas of Ludhiana District, during the years 1955-56, and 1956-57, respectively ;

[Sardar Ramdayal Singh]

(b) the names of places where such industries have been started and the nature of each one of them ?

Dr. Gopi Chand Bhargava :

(a) 1955-56 .. Rs 18,532
1956-57 .. Rs 31,965

(b) (i) Cotton Spinning and Weaving Centre, Raikot.

(ii) Cotton Spinning and Weaving Centre, Bassian. In these centres cotton is supplied to the spinners for spinning into various counts of yarn. The yarn is converted into cloth in the Government Spinning and Weaving Centres.

STATISTICS OF AVERAGE EARNING OF PEOPLE UNDER THE COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCKS

***1238. Sardar Atma Singh :** will the Minister for Planning and Community Projects be pleased to state—

(a) whether Government have taken statistics of the average earning of the people covered under the National Extension Service and Community Development Blocks in the State and in areas not so covered ;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, the details of the said statistics ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (a) No.

(b) Question does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲੂਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ blocks ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ covered ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ areas ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰੇ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ ?

अध्यक्ष महोदय : आप ने पहला सवाल ही दुहरा दिया है । (The hon. Member has repeated his first question.)

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਕਢਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਲੂਮ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ?

Mr. Speaker : No please. This does not arise.

NATIONAL EXTENSION SERVICE BLOCKS IN THE STATE

***1509. Shri Prabodh Chandra :** Will the Minister for Planning and Community Projects be pleased to state the names of places where the national Extension service Blocks have been opened in the State during the year 1957-58 ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : The following 37 blocks have so far been opened during the year 1957-58 :—

Hansi II, Hissar II, Jhajjar, Hodal, Hathin, Ferozepur Jhirka, Shahabad, Chamkaur Sahib, Indora, Mahilpur, Nurpur Bedi, Goraya, Nurmahal, Sidhwan Bet, Baghapurana, Chola Sahib, Khadur Sahib, Dhariwal, Gurdaspur, Faridkot, Longowal, Narwana Kalayat, Dadri II, Pinjore, Kapurthala, Tohana, Barwala, Pataudi, Gharaunda, Moga II, Dharamkot, Patti, Bhikhiwind, Amb, Barsar, Bassi Pathanan and Kalanaur.

ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਵਿਚ Block Development Officer ਮੁਕੱਰਰ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल पैदा नहीं होता । (This supplementary does not arise.)

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਦਸਣਗੇ ਕਿ Development Blocks ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

मंत्री : इस सम्बन्ध में तीन बातों का ख्याल रखा जाता है । पंजाब में दो तरह के इलाके हैं । एक जहां consolidation होती है दूसरे जहां पर consolidation नहीं होती है । जैसे कांगड़ा ज़िला । कांगड़ा ज़िला backward भी है और वहां consolidation भी नहीं होती । इस लिए कांगड़े को चुना गया । उसके बाद जहां पर consolidation हुई हो उस को चुना जाता है क्योंकि consolidation के बाद ही development की जानी होती है । कुछ backward इलाके हैं जहां consolidation नहीं होती उनके लिए ज़रूरी है कि उन की backwardness को दूर करने के लिए उन को चुना जाय ।

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ consolidation ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਥੇ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ? ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ Blocks ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ?

मन्त्री : यह बात नहीं है । कई बार किसी तहसील का इलाका Block में भी आ सकता है और कई बार किसी तहसील में कोई Block भी नहीं खोला जाता । कोई सौ सवा सौ के करीब गांव एक बलाक के अन्दर लिए जाते हैं । इस में तहसील का कोई विचार नहीं रखा जाता ।

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ Blocks ਖੋਲੇ ਗਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਖੇ ਹੋਏ staff ਉਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

श्री देव दत्त पुरी : मैं पूछना चाहता हूं कि कलानौर पंजाब में एक से ज़्यादा जगह पर हैं, यह कलानौर किस तहसील में वाक्या है ?

मन्त्री : मेरा इतना हाफिज़ा तो नहीं है कि यह बता सकूं . कस तहसील में कलानौर वाक्या है लेकिन यह कलानौर रोहतक के ज़िले में वाक्या है ।

ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ Development Officers ਮੁਕਰੱਰ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ ?

मंत्री : अब तक 120 थे । उन में से चार जगहें खाली हैं । बाकी सब जगह B.D.Os. मौजूद हैं ।

श्री राम प्यारा : वज़ीर साहिब ने बताया है कि जो backward इलाके हैं उन को priority दी जाती है । तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि जो backward इलाके बाकी रह गए हैं और जिन में consolidation भी हो चुकी है उन्हें कोई top-priority मिलेगी ?

मंत्री : इस साल के अन्दर सात नए ब्लाक खोलने हैं—उन के लिए अ ी जगहों का चुनाव करना है । जहां जहां ज़्यादा ज़रूरी होगा वहां पर ज़रूर खोले जाएंगे ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ B.D.Os. ਮੁਕਰੱਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ : ਉਥੇ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਮੁਕਰੱਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । (ਹਾਸਾ)

मंत्री : सभी blocks में Block Development Officers मुकरर कर दिए गए थे । उन में से चार के खिलाफ कुछ action लिया गया । इस लिए वह जगहें खाली हैं । उन के लिए अब recruitments होनी हैं ।

श्रीमती सरला देवी शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि कितनी आबादी के लिए एक ब्लाक खोला जाता है ?

मन्त्री : मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ number होता है । लेकिन कोशिश की जाती है कि आबादी 66,000 से कम न हो ।

श्रीमती सरला देवी शर्मा : कांगड़े जैसे ज़िले में कम से कम कितनी आबादी का होना ज़रूरी है ।

मन्त्री : मैंने अर्ज़ किया है कि अन्दाज़न इतनी आबादी देखी जाती है । जहां इलाका ज़्यादा हो और आबादी कम हो तो उस में कमी करने की कोशिश की जाती है । कांगड़ा ज़िला के लिए 16 से 18 blocks तक थे जिन में से 13 खुल चुके हैं ।

WORK CENTRES IN THE STATE

***1491. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Minister for Finance be pleased to state —

(a) whether any work centres started by the Government were recently put to auction or sold ; if so, to whom and the price that each of them fetched ;

(b) the expenditure incurred by Government on each of the centres referred to above ?

Shri Mohan Lal : (a) Yes. Eight Work Centres were sold by inviting tenders. A statement giving details of the Work Centres sold, their sale prices and names of the Purchasers, is laid on the Table of the House.

(b) It is not possible to give accuıate figures in respect of the expenditure incurred on these centres as the accounts of the various Work Centres in the State have not been wound up so far. Book values of the assets of the above referred Centres are, however, given in the statement laid on the Table.

Statement showing Sale price and Book Value of the Work Centres sold.

Serial No.	Name of the Work Centre	Name of the Purchaser	Book Value			Sale Price		
			Rs	A.	P.	Rs	A.	P.
1	Bone Meal Work Centre, Jullundur	Messrs New Engineering Works, Jullundur	18,078	12	9	13,378	0	0
2	Shoe and Leather Goods Work Centre, Jullundur	Shri Harikishan Lal Bhalla, Nakodar Road Jullundur	2,07,514	5	6	1,37,360	12	4
3	Metallic Fittings Work Centre, Yamuna Nagar	Messrs Puri and Co., New Delhi	4,48,154	4	9	2,99,937	0	0
4	Utensil Making Work Centre, Yamuna Nagar	Messrs Prem Paul-Shambhu Nath Chadha, New Delhi	4,13,141	3	3	3,44,370	7	9
5	General Engineering and Foundry Work Centre, Panipat	Messrs Panchshila Industrial Co-operative Society, Faridabad	5,47,836	6	6	5,09,578	6	6
6	Kata Grinding Work Centre, Sonepat	Messrs Steel and General Mills, Ltd., Delhi-8	The evaluation of the property taken over from the Custodian has not been done so far			63,111	1	6
7	Pottery Work Centre, Sonepat	Messrs Bharat Porcelain, Sonepat	3,56,116	8	0	2,23,642	0	0
8	Button Making Work Centre, Panipat	Messrs H.L. Jain and Brothers, Delhi Gate, Delhi	2,30,313	0	0	1,63,520	0	0

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या यह अमरे वाक्या नहीं कि पानीपत का centre auction के ज़रिए नहीं दिया गया था ?

Mr. Speaker : This is altogether a separate question.

श्री प्रबोध चन्द्र : वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि work centres by auction दिए गए हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या यह अमरे वाक्या नहीं है कि जो पानीपत का work centre है वह by auction नहीं दिया गया ?

मन्त्री : मेरा ख्याल है कि by negotiations ही दिया गया है।

श्री प्रबोध चन्द्र : जब वज़ीर साहिब ने यह फरमाया कि सभी work centres by auction दिय गए तो क्या वजूहात थी कि जिन की बजह से इसे by negotiations allot किया गया ?

मन्त्री : इसके मुताल्लिक details तो इस वक्त नहीं अर्ज़ कर सकता, separate notice की ज़रूरत होगी लेकिन जहां तक मुझे याद है पहली offer इतनी नहीं थी जितनी कि by negotiations हुई।

Shri Prabodh Chandra : Sir, it is wastage of the time of the House. I want a definite reply. इन्हों ने कहा कि by auction दिए गए। मैंने एक sepcific instance quote किया है कि पानीपत में by auction क्यों नहीं दिया गया ?

मन्त्री : शायद मेम्बर साहिब ने तवज्जुह नहीं दी. . . .

Shri Prabodh Chandra : Sir, I again request that the Minister should be asked to give a definite reply. I don't want 'अगर' 'मगर'

मन्त्री : मैं अर्ज़ करने लगा था कि शायद मेंम्बर साहिब ने अच्छी तरह से नहीं सुना होगा। मैंने जवाब में अर्ज़ किया है—

"Eight work centres were sold by inviting tenders."

Tenders का इसमें हवाला दिया गया है।

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि जो centres by negotiations फरोख्त किए गए हैं उन में जो सामान था, क्या उनकी कोई inventory भी बनाई गई थी ?

अध्यक्ष महोदय : इससे यह सवाल पैदा नहीं होता (This question does not arise out of it).

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या यह अमरे वाक्या नहीं कि जिस price पर पानीपत का centre दिया गया उससे दो लाख रुपया ज़्यादा की भी किसी और party ने offer दी थी ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल पैदा नहीं होता । (This question does not arise).

डा० परमानन्द : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि पानीपत के centre को auction की बजाए by negotiations देने की क्या वजूहात थीं ?

मन्त्री : इस के लिए separate notice की ज़रूरत है। तमाम reasons मैं ज़बानी नहीं बतला सकता ।

SENDING OF DELEGATION TO JAPAN TO STUDY SMALL-SCALE INDUSTRIES

***1615. Shri Prabodh Chandra** : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to send a delegation in the near future to Japan to study small-scale Industries there ;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, whether the personnel of the said delegation has been decided upon, together with their names and qualifications ?

Shri Mohan Lal : (a) Yes.

(b) No.

ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ : ਕੀ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ delegation ਦੇ Members ਨੂੰ select ਕਰਨ ਦਾ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਕੀ criteria ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ?

मन्त्री : मैं ने part 'b' के जवाब में पहले ही अर्ज़ कर दिया है कि इस के मुताल्लिक अभी तक कोई विचार नहीं किया गया ।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या भेजने से पहले delegation के Members के लिए कोई minimum qualifications सामने रखी जाएंगी ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बता तो दिया है कि अभी इस पर विचार नहीं किया गया । (He has already stated that this matter has not yet been considered).

श्री प्रबोध चन्द्र : जनाब delegation भेजना है। बेशक नामों के बारे में कोई विचार नहीं किया लेकिन गवर्नमैंण्ट ने इस बात का तो फैसला किया है या नहीं कि जो Members delegation में include किए जाएंगे उनकी qualifications क्या होनी चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय : यह चीज़ इससे पैदा ही नहीं होती । (It does not arise out of it.)

मौलवी अब्दुल गनी डार : ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲਗਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ।

श्री प्रबोध चन्द्र : इन्होंने फरमाया है कि कोई delegation मुकर्रर नहीं हुआ। क्या यह अमरे वाक्या है कि गवर्नमेण्ट की तरफ़ से एक note issue किया गया कि अप्रैल के बीच एक delegation जापान जाएगा और Finance Minister बतौर Industries Minister उसको head करेंगे। क्या यह ठीक है या नहीं ?

मन्त्री : जहां तक delegation को head करने का सवाल है इसके मुताल्लिक तो गवर्नमेण्ट का विचार है कि Finance Minister जाएंगे और Joint Director जाएंगे। बाकी personnel पर अभी कोई विचार नहीं किया गया।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या जो head and joint head हैं वे delegation के Members नहीं होते ?

अध्यक्ष महोदय : यह opinion का सवाल है। (This is a question of opinion.)

SETTING UP OF FACTORIES IN THE STATE

***1686. Sardar Dhanna Singh Gulshan** : Will the Minister for Finance be pleased to state —

(a) the names of places where new factories were established during the years 1955, 1956 and 1957, in the State together with the number of those established in rural and urban areas separately ;

(b) the amount of financial aid, if any, given by Government to the managements of the said Mills or factories in each case ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : (a) A Statement is laid on the Table.

(b) The time and trouble involved in collecting the information will not commensurate with possible benefit to be obtained.

Part (*a*) Name of places and numb er of Factories registered at each place during the calendar years, 1955-56 and 1957, under the Factories A ct 1948—

YEAR 1955

Serial No.	Name of place		Number of Factories
		DISTRICT HISSAR	
		Urban Areas	
1	Hansi	..	2
2	Hissar	..	5
3	Mandi Dabwali	..	1
		Rural Areas	
1	Narnaud	..	1
2	Ding	..	1

Serial No.	Name of place	Number of Factories
	DISTRICT ROHTAK	
	Urban Areas	
1	Rohtak ..	2
2	Sonepat ..	3
3	Bhadurgarh ..	2
	Rural Areas	
	Nil	
	DISTRICT GURGAON	
	Urban Areas	
1	Faridabad ..	5
2	Gurgaon ..	1
3	Ballabgarh ..	1
	Rural Areas	
	Nil	
	DISTRICT KARNAL	
	Urban Areas	
1	Karnal ..	5
2	Thanesar ..	1
3	Panipat ..	3
4	Ladwa ..	1
	Rural Areas	
	Nil	
	DISTRICT AMBALA	
	Urban Areas	
1	Yamna Nagar ..	4
2	Ambala Cantt. ..	6
3	Jagadhri ..	4
4	Chandigarh ..	1
5	Ambala City ..	1
	Rural Areas	
	Nil	
	DISTRICT SIMLA	
	Urban Areas	
1	Simla ..	3
	Rural Areas	
	Nil	

[Minister for Education and Labour]

Serial No.	Name of place	Number of Factories
	DISTRICT HOSHIARPUR	
	Urdan Areas	
1	Hoshiarpur ..	4
	Rural Areas	
1	Neilla Bhakra ..	1
	DISTRICT KANGRA	
	Urban Areas	
1	Yol Camp ..	1
2	Pathiar ..	1
3	Tika Dargaha ..	1
	DISTRICT JULLUNDUR	
	Urban Areas	
1	Nakodar ..	1
2	Jullundur City ..	23
3	Kartarpur ..	1
4	Phillaur ..	1
	Rural Areas	
1	Rurka Kalan ..	1
2	Bopa Rai ..	1
3	Goraya ..	1
	DISTRICT LUDHIANA	
	Urban Areas	
1	Ludhiana ..	34
2	Jagraon ..	3
3	Khanna ..	1
	Rural Areas	
1	Mullanpur ..	1
2	Village Jobodi ..	1
	DISTRICT AMRITSAR	
	Urban Areas	
1	Amritsar ..	97
2	Chhehrata ..	2
3	Tarn Taran ..	3
	Rural Areas	
1	Sangrana Sahib ..	2

Serial No.	Name of place	Number of Factories
	DISTRICT FEROZEPUR	
	Urban Areas	
1	Guru Harsahai ..	1
2	Moga ..	3
3	Muktsar ..	1
4	Ferozepur Cantt. ..	1
5	Fazilka ..	1
6	Abohar ..	2
7	Malout Mandi ..	1
	Rural Areas	
	Nil	
	Urban Areas	
1	Kapurthala ..	4
2	Phagwara ..	11
3	Mansa ..	1
4	Faridkot ..	3
5	Ahmedgarh ..	1
6	Sirhind ..	3
7	Rajpura ..	2
8	Narnaul ..	1
9	Dhuri ..	1
10	Hamira ..	1
	ERSTWHILE STATE OF PEPSU	
	Rural Areas	
1	Baretta ..	2
2	Paman ..	1
3	Guda ..	1
4	Rajcharri ..	1
5	Chappar ..	1
6	Boya	1
7	Salimgarh ..	1
	DISTRICT GURDASPUR	
	Urban Areas	
1	Pathankot	5
2	Fatehgarh ..	2
3	Batala ..	4
4	Sujanpur ..	1
	YEAR 1956	
	DISTRICT HISSAR	
	Urban Areas	
1	Hansi ..	2
2	Hissar	3
3	Bhiwani ..	1
4	Sirsa ..	10
	Rural Areas	
	Nil	

[Minister or Education and Labour]

Serial No.	Name of Place	Number of Factories
	DISTRICT ROHTAK	
	Urban Areas	
1	Rohtak ..	2
2	Sonepat ..	1
3	Bahadur Garh ..	2
	Rural Areas	
	Nil	
	DISTRICT GURGAON	
	Urban Areas	
1	Faridabad ..	8
2	Gurgaon ..	5
3	Rewari ..	1
	Rural Areas	
	Nil	
	DISTRICT KARNAL	
	Urban Areas	
1	Panipat ..	2
	Rural Areas	
	Nil	
	DISTRICT AMBALA	
	Urban Areas	
1	Yamna Nagar ..	6
2	Ambala Cantt. ..	5
3	Jagadhri ..	6
4	Kalka ..	1
5	Ambala City ..	1
6	Chandigarh ..	1
	Rural Areas	
1	Kurali ..	1
	DISTRICT SIMLA	
	Urban Areas	
	Nil	
	Rural Areas	
	Nil	

Serial No.	Name of place	Number of Factories
	DISTRICT HOSHIARPUR	
	Urban Areas	
	Nil	
	Rural Areas	
	Nil	
	DISTRICT JULLUNDUR	
	Urban Areas	
1	Jullundur ..	38
2	Banga ..	1
3	Kartarpur ..	1
	Rural Areas	
1	Lurka Kalan ..	1
2	Goraya ..	1
	DISTRICT LUDHIANA	
	Urban Areas	
1	Ludhiana ..	45
2	Khanna ..	1
	Rural Areas	
	Nil	
	DISTRICT AMRITSAR	
	Urban Areas	
1	Amritsar ..	109
2	Chheharta ..	3
	Rural Areas	
	Nil	
	DISTRICT GURDASPUR	
	Urban Areas	
1	Batala ..	6
2	Dina Nagar ..	1
3	Gurdaspur ..	1
4	Pathankot ..	1
	Rural Areas	
	Nil	

[Minister for Education and Labour]

Serial No.	Name of place	Number of Factories
	DISTRICT FEROZEPUR	
	Urban Areas	
1	Ferozepur City ..	1
2	Ferozepur Cantt. ..	1
3	Moga ..	3
4	Fazilka ..	1
5	Muktsar ..	1
	Rural Areas	
	Nil	
	ERSTWHILE STATE OF PEPSU	
	Urban	
1	Phagwara ..	4
2	Gobindgarh ..	6
3	Patiala ..	2
4	Narnaul ..	1
	Rural	
1	Majholi ..	1
2	Barnala ..	1
	YEAR 1957	
	DISTRICT HISSAR	
	Urban	
1	Sirsa ...	1
2	Hissar ...	2
3	Jhakal ...	1
4	Bhiwani ...	1
	Rural	
	DISTRICT ROHTAK	
	Urban	
1	Rohtak ...	5
2	Bahadurgarh ...	2
	Rural	
	Nil	
	DISTRICT GURGAON	
	Urban	
1	Faridabad ...	7
2	Rewari ...	2
	Rural	
	Nil	

Serial No.	Name of place		No. of factories
	DISTRICT KARNAL		
	Urban		
1	Panipat	...	4
2	Kaithal	...	1
	Rural		
1	Samalkha	...	1
	DISTRICT AMBALA		
	Urban		
1	Yamuna Nagar	...	6
2	Chandigarh	...	2
3	Ambala Cantt.	...	3
4	Ambala City	...	3
5	Jagadhri	...	18
	Rural		
1	Kurali	...	1
2	Maronda	...	1
	DISTRICT SIMLA		
	Urban		
1	Simla	...	1
	Rural Nil		
	DISTRICT HOSHIARPUR		
	Urban		
1	Hoshiarpur	...	1
	Rural		
1	Bhakra	...	2
2	Oel	...	1
	DISTRICT JULLUNDUR		
	Urban		
1	Nakodar	...	2
2	Jullundur	...	29
3	Jullundur Cantt	...	1
	Rural		
1	Rurka Kalan	...	1
2	Goraya	...	2
3	Bhogpur	...	1
	DISTRICT LUDHIANA		
	Urban		
1	Ludhiana	...	60
	Rural Nil		

[Minister for Education and Labour]

Serial No.	Name of place	No. of Factories
	DISTRICT AMRITSAR	
	Urban	
1	Amritsar ...	77
2	Patti ...	1
	Rural	
1	Jhirka ...	1
	GURDASPUR DISTRICT	
	Urban	
1	Batala ...	6
2	Dalhousie ...	1
	Rural	
	Nil	
	DISTRICT FEROZEPUR	
	Urban	
1	Ferozepur	1
2	Abohar ...	1
3	Bhuchomandi ...	2
	Rural	
	Nil	
	DISTRICT PATIALA	
	Urban	
1	Patiala ...	3
2	Rajpura ...	3
3	Gobindgarh ...	1
4	Dhuri ...	1
	Rural	
1	Bassi ...	3
	DISTRICT SANGRUR	
	Urban	
1	Safidon ...	1
	Rural	
	Nil	
	DISTRICT KAPURTHALA	
	Urban	
1	Phagwara ...	9
	Rural	
	Nil	
	DISTRICT BHATINDA	
	Urban	
1	Raman Mandi ...	1
2	Bhatinda ...	1
3	Budlada ...	1
4	Baretta ...	2
	DISTRICT KANGRA	
1	Kulu ...	1

IMPORT AND EXPORT OF FOODGRAIN

*1685. **Sardar Dhanna Singh Gulshan :** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether any rice or other foodgrain was exported by Government from the State during the year 1957; if so, the quantity thereof in each case;

(b) whether any profit accrued to the Government as a result of the export referred to above; if so, the amount thereof;

(c) whether Government also imported any foodgrains from outside during the period mentioned in part (a) above; if so, the quantity thereof in each case ?

Shri Benarsi Das Gupta (Deputy Minister) : (a) Yes, 31065 tons of rice on Government of India account during October to December, 1957.

(b) Does not arise.

(c) 36,944 tons of wheat and 481 tons of rice were imported by Government in the early months of 1957 for distribution through Fair Price Shops.

श्री प्रबोध चन्द्र : जनाब सवाल के पहले पार्ट के जवाब में यह बताया गया है कि 31 हज़ार ton चावल गवर्नमेंट of India को भेजा गया है और दूसरे पार्ट के जवाब में बताया गया है कि profit का सवाल ही पैदा नहीं होता तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि कया यह अमर वाक्या नहीं है कि जिस कीमत पर हमारी गवर्नमेंट ने चावल खरीदा था उस से ज़्यादा कीमत पर यह गवर्नमेंट of India को भेजा गया है ?

उप मंत्री : यह अमर वाक्या नहीं है ।

Sardar Bhupinder Singh Mann : May I know whether it is a fact that the price of rice in Punjab is much lower than the price of rice in the adjoining area of U.P.?

उप मंत्री : हां बिल्कुल ठीक है। जब किसी चीज़ पर कहीं control होता है तो उसी चीज़ की कीमत बराबर के इलाकों में ज़्यादा होती है ।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा जवाब देते देते फंस जायेंगे इस लिये वित्त मंत्री को जवाब देने दें। (The Deputy Minister is likely to be cornered while replying to the supplementaries. Let the Minister for Finance, therefore reply.)

Sardar Bhupinder Singh Mann : May I know from the Finance Minister or his deputy if they have calculated the loss they have caused to the Punjab State by this Order?

Minister for Finance : No calculation has been made.

Shri Dev Datt Puri : Will the honourable the Finance Minister please state the disparity between the prices in the U.P. and the prices in the border areas in the Punjab and, also, whether satisfactory arrangements for the purchase of rice from the border areas have been made?

Minister for Finance : So far as the question of disparity in prices is concerned, I will have to ascertain the prices in the contiguous territory. At present, I have no official information in this connection. As regards the procurement from the border areas, adequate arrangements were made.

श्री प्रबोध चन्द्र : जनाब मैं ने सवाल किया था कि क्या यह अमर वाक्या नहीं है कि पंजाब गवर्नमेंट की चावल की procurement price उस price से कम थी जो कि Government of India से ली गई है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि ऐसा होते हुए भी मुनाफा न होने की क्या वजह है ?

वित्त मंत्री : Question के जवाब में अर्ज़ कर दिया गया है कि चावल Government of India को उसी कीमत पर दिया गया है जिस पर कि यह procure किया गया था। यह तो उस के लिये उसी के रुपये से खरीदा गया था । इस लिये मुनाफे का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

श्री राम प्यारा : क्या यह हकीकत नहीं है कि जितना चावल पंजाब में गवर्नमेंट ने procure किया है उस से ज़्यादा चावल पंजाब से smuggle हो कर वैसे बाहर चला गया है ?

मुख्य मंत्री : मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल गलत है ।

मौलवी अब्दुल गनी डार : क्या यह हकीकत नहीं है कि तकरीबन एक करोड़ रुपए का घाटा पंजाब को चावल के यहां कम भाव होने की वजह से हुआ है ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਪਿਛਲਿਆਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਥੇ ਧਾਨ ਦੀ ਜੋ price ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਘਟ price ਤੇ procure ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ co-relations ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਚਾਵਲ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ procure ਕਰ ਲਏ ਹਨ । ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲਿਆਂ ਪੰਜਾਂ ਛਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ loss ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਥੇ ਚਾਵਲ ਦਾ ਭਾਉ ਘੱਟ ਹੈ । ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਇਥੇ ਚਾਵਲਾਂ ਉਤੇ control ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੇ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਸਾਂ Government of India ਕੋਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਇਥੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵਧਾ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਅਸਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੀ Second Five Year Plan ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਕੀਮਤ ਤੇ ਚਾਵਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਹੈ ਜਿਸ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਹ ਇਥੇ procure ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਥੇ ਦਸ ਰੁਪਏ ਤੇ ਵਿਕਿਆ ਹੈ, 11 ਅਤੇ ਪੌਣੇ ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਗੋਂ ਅਸਾਂ ਉਥੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਕੀਮਤ ਲਈ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ : ਕੀ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਚਾਵਲ Central Government ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਉਸ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਾ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੈ ?

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਚਾਵਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਨਾਸਬ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ : ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਥੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ procurement ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਇਥੇ ਦੀ markets ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ markets ਵਿਚ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ procurement ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ rice eating ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਰਾਲਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਉ ਉਹ ਭਾਵੇਂ rice growing ਸੂਬਾ ਹੈ ਪਰ rice eating State ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਥੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਭਾਉ ਇਥੋਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਹੈ।

श्री राम प्यारा : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि क्या Central Government की तरफ से इस किस्म की हिदायात आई हैं कि deficit सूबे चावलों को export करें और surplus सूबे इन को export न करें ?

अध्यक्ष महोदय : काफी सवाल इस बारे में पूछे गये हैं। (A sufficient number of suplementaries has been put on this question.)

The honourable Minister need not answer this question.

Shri Dev Datt Puri : Sir, it has been stated that adequate arrangements for the procurement of rice were made in the border areas. Will the honourable Minister please state if any procurement has been made at all in the border tehsils of Jagadhari and Thanesar ?

Minister for Finance : Well, I require a separate notice for this. But so far as I know—and the honourable Member also knows—that adequate arrangements were made. It is to his knowledge also.

Mr. Speaker : Now question No. 1308, please.

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲ ਲਈ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਏ।

Mr. Speaker : Yes, it is postponed.

ASSESSMENT OF BETTERMENT CHARGES IN VILLAGE BOGHIPURA DISTRICT FEROZEPORE

***1438. Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether he is aware of the fact that village Boghipura Tehsil Moga District Ferozepore is in the area which was recently affected by floods;

(b) whether it is a fact that the areas of the village referred to in part (a) above, is neither irrigated by canal nor by any other means;

(c) whether it is also a fact that the revenue authorities have assessed Betterment Charges on the said village; if so, the reasons therefor;

(d) whether any representation has been received by Government from the Kisan Sabha for exemption of this village from the levy of Betterment Charges; if so, the action taken thereon ?

Giani Kartar Singh : (a) Yes.

(b) The area of the village referred to above in the question is included in the Irrigation boundary of Kokri Distributary of Abohar Branch.

(c) Yes. The Betterment charges are being assessed since the Kokri Distributary is being changed from non-perennial to perennial and there would be improvement in the Irrigation.

(d) No such representation has been received so far.

RELIEF TO FLOOD-AFFECTED PERSONS IN DISTRICT SANGRUR

***1466. Comrade Jangir Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the estimated value of the damage caused to crops and property etc., and the number of lives lost by floods in 1957 in District Sangrur;

(b) whether any relief was given by Government to the persons affected by the floods, referred to above this ; if so, the particulars of the relief given togetherwith the total amount expended for the purpose?

Giani Kartar Singh : (a) (*i*) Rs. 23,61,710
(*ii*) No life was lost.

(b) A sum of Rs 3,00,000 has been placed at the disposal of Deputy Commissioner Sangrur for advancing Taccavi Loans to the flood-affected persons. The loan is being distributed.

AIR CONDITIONING OF KIRAN CINEMA CHANDIGARH

*1553. **Sardar Niranjan Singh Talib :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether the plan for the building of the Kiran Cinema at Chandigarh was sanctioned; if so, when;

(b) whether the license for the said Cinema contained any stipulation which the licensee had to fulfil; if so, what;

(c) whether it is a fact that the licensee had to air-condition the Cinema Hall, but has not so far done so; if so; the action, if any taken against him;

(d) the number of instalments of the price of the land which have so far been paid by the licensee of the said Cinema to the Capital Project authorities ?

Giani Kartar Singh : The desired information is as under :—

(a) The plans of the building of Kiran Cinema were supplied by Government. These were submitted for formal sanction of the Chief Administrator on the 9th February, 1957, but as these required certain corrections, the same were returned on the 21st March, 1957. The revised plans now submitted on the 23rd January, 1958, are under scrutiny.

(b) Except the general conditions prescribed under the Punjab Cinemas (Regulation) Act, and the Rules framed thereunder, the cinema license granted by the District Magistrate, Ambala, for the Kiran Cinema, Chandigarh, contained no stipulation which the licensee had to fulfil.

(c) The air-conditioning of the Cinema Hall was one of the conditions of the sale of cinema site and the licensee has since installed the air-conditioning plant which is ready for work and is awaiting electric connection to be given. No action is, at present, therefore called for against the licensee.

[Minister for Revenue]

(d) The licensee has paid Rs 1,14,980.14 in cash towards the price of the site and the balance of Rs. 35,239.00 is being recovered by adjustment of the amount of claims for which they had submitted verified claims.

ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਰਨ ਸਿਨਮਾ ਕਦ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ? Plan ਹੁਣ 1958 ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਮੰਜ਼ੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਲਈ notice ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ : Capital ਦੇ Rules ਜੋ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ Plan sanction ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ building ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ । ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ building ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਪਰ ਪੱਕੀ position ਦਰਿਆਫ਼ਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਸਿਨਮਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ...... (ਹਾਸਾ)

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । (ਹਾਸਾ)

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, the honourable Minister has stated that the air-conditioning plant has been installed and they are awaiting the supply of the current. May I know whether in view of the shortage of electricity in Punjab, they have fixed any priorities?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਲਈ notice ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਮਹਿਕਮਾ Electricity ਤੋਂ ਦਰਿਆਫ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ।

Sardar Bhupinder Singh Mann : In view of the joint responsibility of the Cabinet, is it open to the Minister-in-charge to avoid the answer of the question in this way?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ evade ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਮੈਂ ਤਾਂ joint responsibility ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਫ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ।

KIRAN CINEMA AT CHANDIGARH

***1554. Sardar Niranjan Singh Talib :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the number of sites for Cinemas provided in the plan of the Capital Project at Chandigarh;

(b) the number of sites so far sold out;

(c) whether he is aware of the fact that the Proprietors of the Kiran Cinema at Chandigarh are treating the said Cinema as monopoly; if so, the steps Government propose to take to end that monopoly and thereby enlarge and improve the scope for entertainment of the inhabitants of Chandigarh?

Giani Kartar Singh : (a) One cinema site in Sector 22-D and three in Sector 17 (City Centre).

(b) One.

(c) Kiran Cinema is the only Cinema in Chandigarh at present. A Cinema site in Sector 17 will be put to public auction to be held on the 23rd February 1958.

ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? (ਹਾਸਾ)

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ । (ਹਾਸਾ)

ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ 17 Sector ਦਾ ਜੋ Cinema ਦਾ plot ਹੈ ਉਸ ਦੀ reserve price ਕੀ ਰਖੀ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਲਈ notice ਦਿਉ ।

ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ : ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਚੀ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ?

Mr. Speaker : This is not a supplementary question.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ 23 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਤਾਰੀਖ ਵਾਰ ਵਾਕਫੀਅਤ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

खान अब्दुल गफार खां : जनाबेआली वज़ीर साहिब ने फरमाया था कि जब यह जवाब तैयार हुआ था तो 23 तारीख नहीं हुई थी । तो जनाब मैं आप की वसातत से इन से दरियाफ्त करना चाहता हूं कि क्या यह मक्खी पर मक्खी ही मारते हैं या अपनी तरफ से कुछ सोच समझ कर भी जवाब दिया करते हैं ? (हंसी)

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ । (ਹਾਸਾ)

CONSTRUCTION OF SIDHARTHAR CANAL

***960. Comrade Ram Chandra :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether the construction of Sidharthar Canal has been taken in hand by Government; if so, the progress so far made in this behalf together with the time by which it is expected to be completed;

(b) the estimates originally framed for the construction of the said Canal;

(c) whether the estimates referred to in part (b) above have recently been revised; if so, the amount of the revised estimates?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) Yes. About 70 per cent of the work has been completed. The Sidharthar Canal is expected to be completed by the end of May, 1958.

(b) Original estimate amounted to Rs. 11,57,600.

(c) The estimate was revised in the year 1954 to Rs. 26,38,523.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

MUAFI LAND IN VILLAGE MANSURWAL, TEHSIL KAPURTHALA

829. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether any land in village Mansurwal, tahsil Kapurthala is a muafi land for the common good of the public; if so, the area thereof;

(b) the year when it was declared muafi and reserved for the said purpose;

(c) the manner in which the land referred to above is being managed and the manner in which its income is being utilised at present ?

Giani Kartar Singh : (a) Yes Sir. 65 ordinary acres.

(b) In the year 1922 BK.

(c) The muafidars get the whole of the income and spend it on the maintenance of the public places of worship—a mandir, Gurdwara and a Mosque and wells for drinking water.

10 A.M.

PRESENTATION OF BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 1958-59

Mr. Speaker : The Question hour is over. Now the hon. Minister for Finance will present the Budget Estimate for the year 1958-59.

वित्त मंत्री (श्री मोहन लाल) : श्रीमन, मैं आप से साल १६५८-५६ का बजट (Budget) पेश करने की इजाजत चाहता हूं।

२. यह ठीक है कि साल १६५७ के दौरान उस से पिछले साल के मुकाबिले में चीज़ों के भाव कुल मिला कर ज्यादा रहे, लेकिन करंसी के फैलाव के कारण पहली पांच-साला योजना के आख़िरी साल में जो भाव बढ़ने शुरु हो गए थे और जिन के कारण बड़ी चिंता फैल रही थी, वे अगस्त, १६५७ में बढ़ने से रोके ही नहीं गए बल्कि वे घटने भी शुरु हो गए। इस के कई एक कारण हैं। एक तो साल १६५६-५७ के दौरान खेती की पैदावार में खास बढ़ती हुई। दूसरे, अनाज की आवाजाई पर इलाकाई बंदिशें लगा दी गईं, सरकारी ज़खीरों से ज़्यादा अनाज दिया गया, भारत सरकार ने अनाज के ज़खीरों को प्राप्त करने के लिए और ज्यादा अधिकार हाथ में ले लिए और सट्टे की रोक-थाम के लिए बैंकों से मिलने वाले कर्ज़ों पर भी रोक लगा दी गई।

आर्थिक हालात

साल १६५२-५३ के थोक दरों के अखिल भारतीय सूचक आंकड़ों (All-India Index Number) को १०० मानने पर साल १६५७ में ये आंकड़े १०८.७ थे हालांकि साल १६५६ में ये आंकड़े सिर्फ़ १०२.६ थे। लेकिन दिसम्बर, १६५७ में ये आंकड़े फिर उसी सतह पर आ गए जहां कि ये दिसम्बर, १६५६ में थे। कीमतों के ये सूचक आंकड़े जो दिसम्बर, १६५६ में १०७.६ थे, बढ़ते बढ़ते अगस्त, १६५७ में ११२.० हो गए थे, पर फिर ये धीरे धीरे कम होकर दिसम्बर, १६५७ में १०७.५ रह गए। इसी अरसे में जीवन-यापन सम्बन्धी अखिल भारतीय सूचक आंकड़ों (All-India Cost of Living Index) की हालत भी लगभग इसी तरह रही। साल १६५२-५३ को आधार मानने पर खुराक की चीज़ों के अखिल भारतीय सूचक आंकड़ों की हालत भी ऐसी ही थी हालांकि इस में घटाबढ़ी ज़रा ज़्यादा स्पष्ट थी। दिसम्बर, १६५६ में ये आंकड़े जो १०४.८ थे, अगस्त, १६५७ में बढ़ते बढ़ते ११२.१ हो गए थे, पर फिर दिसम्बर, १६५७ में ये घट कर १०४.६ रह गए।

पंजाब राज्य के ये सूचक आंकड़े भी इस अरसे में अखिल भारतीय आंकड़ों की तरह ही घटते बढ़ते रहे। अक्तूबर-दिसम्बर, १६४६ के थोक दरों के सूचक आंकड़ों को आधार मानने पर दिसम्बर, १६५६ में ये आंकड़े ६६.४ थे। फिर अगस्त, १६५७ में यह बढ़ कर १०३.५ हो गए पर फिर दिसम्बर, १६५७ में घट कर ये आंकड़े ६६.० रह गए। लुधियाना के लिए खपतकारों सम्बन्धी दरों के सूचक आंकड़े (Consumer Price Index) जो साल १६४६ में १०० थे, दिसम्बर, १६५६ में ६६ थे। फिर ये लगातार बढ़ कर अप्रैल, १६५७ में ६८ हो गए पर फिर नवम्बर, १६५७ में धीरे धीरे कम हो कर ६५ रह गए।

खेतीबाड़ी ही पंजाब के लोगों का बड़ा सहारा है। इस दिशा में साल १६५६-५७ में काफ़ी तरक्की हुई। अक्तूबर, १६५६ में बारिशों और मार्च, १६५७ में ओले पड़ने से कुछ इलाकों में फसलों को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा था, लेकिन इस के बावजूद साल १६५६-५७ में (जो कि दूसरी पांच-साला योजना का पहला साल था) पैदावार के आख़री अनुमान (Final Forecast) के अनुसार अनाज की पैदावार ५,५५० हज़ार टन थी जब कि इस से पिछले साल में यह पैदावार ४,४३६ हज़ार टन थी। साल १६५६-५७ में ईख (देसी खांड की शकल में) और तिलहन की पैदावार क्रमशः ५३६ और १५६ हज़ार टन थी जब कि

मंत्री]

इस से पिछले साल यह क्रमशः ५५६ और १४९ हज़ार टन थी। कपास की पैदावार जो वर्ष १९५५-५६ में ७३५ हज़ार गांठें थी, साल १९५६-५७ में बढ़ कर ८२५ हज़ार गांठें हो गई। साल १९५७-५८ में भी काफ़ी अच्छी फसल होने की आशा है।

इस राज्य में पिछले दो सालों की तरह ही इस साल भी भारी बाढ़ें आईं। बाढ़-पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के लिये जो भी साधन मौजूद थे, उन्हें इस काम में झोंक दिया गया। लेकिन इस के बावजूद १,५४८ गांवों में २ लाख एकड़ धरती को नुकसान पहुंचा। खुराक, कम्बल और कपड़ों के लिए २ लाख रुपए की सरकारी सहायता दी गई और तकावी कर्ज़ों के रूप में १९ लाख रुपए बांटे गए। राज्य सरकार हर साल आने वाली इस मुसीबत की हमेशा के लिए रोक-थाम करने की ज़रूरत को अच्छी तरह महसूस करती है। दूसरी पांच-साला योजना में बाढ़ों को रोकने के बांधों और पानी के निकास की नालियों की तामीर के लिए ४ करोड़ रुपए के खर्च की तजवीज़ है। पहाड़ी नालों के पानी को निकालने के लिए नालियों, और नदियों के किनारे बाढ़ रोकने वाले बांधों को बनाने के लिए इस चालू साल में १ करोड़ २४ लाख रुपए की योजनाओं पर काम होगा। अगले वर्ष में इस काम के लिए १.६८ करोड़ रुपए का प्रबन्ध किया गया है। आशा है कि नदियों के किनारों पर जो बांध बनाए जाने हैं, उन में से अकसर अगली मौन-सून से पहले मुकम्मल कर लिए जाएंगे।

कुदरती मुसीबतों से राज्य के खज़ाने पर जो अचानक बोझ पड़ जाते हैं, उनकी ओर फाइनैंस कमीशन (Finance Commission) का विशेष ध्यान गया। इसलिए कमीशन ने यह सुझाव दिया कि राज्य सरकारें इन कामों के लिए धन का अलग प्रबंध करें और इस फण्ड के लिए हर साल निश्चित रकमें जमा की जाएं। हमें इस काम के लिए ४० लाख रुपए प्रतिवर्ष अलग रखने को कहा गया है। हमने इस सुझाव को मान लिया है और साल १९५८-५९ में इस काम के लिए ३४ लाख रुपए का प्रबन्ध किया है ताकि अकाल सहायता कोश (Famine Relief Fund) में ४० लाख रुपए पूरे हो जाएं।

देश की माली हालत का एक और चिंताजनक पहलू विदेशी मुद्रा (Foreign Exchange) की भारी कमी है। अदायगियों के शेष (Balance of Payments) की हालत इस साल लगातार खराब होती चली गई। इसका कारण आयात के बढ़ते हुए बिल हैं जिन का सम्बन्ध अनाज से लेकर भारी मशीनों (Capital Goods) सभी से है। भारत सरकार को आयात नीति (Import Policy) और कड़ी करने के लिए कदम उठाने पड़े। इन पगों से सनअती मशीनों की आयात पर भी प्रभाव पड़ा है और इस के कारण सनअतों के विस्तार की रफ्तार कुछ हद तक कम हो गई है। देश के यातायात ढांचे की भार ढोने की शक्ति पर पहले ही ज़रूरत से ज्यादा बोझ है और यह बात देश की आर्थिक तरक्की के रास्ते में एक और रुकावट है। सनअती तरक्की के बारे में दूसरी पांच-साला योजना में जो लक्ष्य रखे गए हैं उनको तभी पूरा किया जा सकता है अगर इन रुकावटों पर काबू पा लिया जाए। भारत सरकार आगे ही इस सिलसिले में मज़बूत कदम उठा चुकी है और राज्य सरकार भी इस दिशा में ज़रूरी सहायक कदम उठा रही है।

पंजाब में इस अरसे में सनअती तरक्की की रफ्तार मोटे तौर पर कायम रखी गई है। इस का एक कारण तो यह है कि पिछले कुछ सालों में जो तरक्की की गई थी वह जारी रही और दूसरे यह कि मैंने यहां जिन आर्थिक कठिनाइयों को गिनाया है, उन का अभी पूरा असर महसूस होना शुरु नहीं हुआ। आशा है कि हालत को सुधारने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन की मदद से न केवल इस तरक्की की रफ्तार जारी रहेगी बल्कि यह आगे से भी तेज़ हो जाएगी। दर असल साल १९५७ में पैदावार की मात्रा में काफ़ी बढ़ती हुई और राज्य के कई अहम उद्योगों का विस्तार हुआ। इन में कपड़ा, खांड, कागज़, सीमेंट, बाइसिकल, सिलाई की मशीनें, मशीनी औज़ार और खेतीबाड़ी सम्बन्धी औज़ार बनाने, बर्तन बनाने और बिजली का सामान तैयार करने वाली सनअतें काबले ज़िकर हैं। इस समय राज्य में सूती कपड़े की मिलों की तादाद छः हो गई है। इन में एक मिल तो पटियाला डिवीज़न की है और दूसरे अमृतसर की एक बन्द हुई मिल फिरसे चालू हो गई है। इन कारखानों में एक लाख से ऊपर तकले और १,३८३ करघे हैं। राज्य में इस समय २१६ लाख पौंड सूत और ६८३ लाख गज़ कपड़ा तय्यार होता है जब कि पिछले वर्ष इन की पैदावार क्रमशः १४५ लाख पौंड और ३९८ लाख गज़ थी। खांड के उद्योग के लिहाज़ से यह वर्ष बहुत अहम रहा। सरस्वती शूगर मिल में २८,४५० टन खांड तय्यार की गई जो पिछले वर्ष के आंकड़ों से ७४.५ फ़ीसदी अधिक है। इस के इलावा पटियाला डिवीज़न की तीन मिलों में १८,५०० टन चीनी तय्यार हुई। तीन नई सहकारी खांड की मिलें कामयाबी से कायम कर ली गई हैं। इन में से हर मिल १,००० से १,२०० टन खांड तय्यार कर सकेगी। पिछली फसल के मौके पर इन मिलों के देरी से चालू होने के कारण मामूली मात्रा में ही खांड तय्यार हो सकी लेकिन इस से हमें कीमती तजर्बा मिला और आशा है कि वर्तमान फसल के मौके परपैदावार संतोषजनक होगी। कागज़ की मिक़दार में लगभग १६ फ़ीसदी की और सीमेंट के उत्पादन में २८ फ़ीसदी की बढ़ती हुई। साइकल और साइकल के पुर्ज़ों की सनअत में भी वर्ष भर लगातार प्रगति होती रही। तय्यार होने वाले साइकलों की संख्या में ५,७०० की बढ़ती हुई और १२ लाख रुपए से अधिक मूल्य के साइकल के पुर्ज़े पहले की निसबत ज़्यादा तय्यार किए गए। सिलाई की मशीनों के उद्योग की पैदावार में ४०० फ़ीसदी का इज़ाफ़ा हुआ और कुल ७०,००० मशीनें तय्यार हुईं। मशीनी औज़ारों और खेतीबाड़ी सम्बन्धी औज़ारों के उद्योगों में भी शानदार इज़ाफ़ा हुआ और पैदावार की मालीयत १.६ करोड़ रुपए से बढ़ कर २.६७ करोड़ रुपए हो गई। लोहे को छोड़ कर दूसरा धातुओं के उद्योग ने पिछले वर्ष की निसबत १२.५ फ़ीसदी ज़्यादा सामान तय्यार किया। बिजली का समान तय्यार करने की सनअत में पंजाब अभी तक पिछड़ा हुआ था परन्तु अब इस में तरक्की हो रही है। बिजली के पंखों के उद्योग की तरक्की के साथ साथ बिजली की मोटरों, ए० सी० एस० आर० कंडकटर (A. C. S. R. Conductor), धातु के खोलवाले स्विच (Switch), स्विच फियूज़ यूनिटों (Switch Fuse Units) और एयर-ब्रेक सर्किटों (Air-break Circuits) का निर्माण भी अभी अभी शुरु हुआ है। इस साल में १ और १० हार्स पावर के बीच की लगभग १,१०० मोटरें, ६७ लाख गज़ ए० सी० एस० आर० कंडकटर (A. C. S.R. Conductors) और लगभग ९०,००० गज़ वी० आई० केबल (V.I. Cables) तय्यार हुए। इस के इलावा लाईट स्टील स्ट्रकचरल्ज़ (Light Steel

[वित्त मंत्री]

Structurals), एयर कण्डीशनर्ज़ (Air-Conditioners), साइकलों की तारें और फ्री ह्वील (Free-wheels), पलास्टिक का सामान, मोटरों के पुर्ज़े, मैलीएबल कास्टिंग (Malleable Castings) आदि के लिए नए उद्योग शुरु किए गए ।

सारांश यह कि हमने खेतीबाड़ी और उद्योग दोनों में सब तरह से तरक्की की है ।

सामान्य (General)

३. बजट पेश करते समय नए बजट प्रस्तावों के साथ २ चालू वर्ष और बीते वर्ष की माली हालत पर रौशनी डालने का रिवाज है । जैसे कि मैंने अपने पिछले वर्ष के बजट भाषण में कहा था कि साल १९५६-५७ में राज्य पुनर्गठन कानून, १९५६ (States Reorganisation Act, 1956) के अधीन पंजाब और पैप्सू का एकीकरण हुआ । साल १९५६-५७ के लिए पहले के पंजाब और पैप्सू राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा पास की गई अनुदानों (ग्राण्टों) की मांगें ३१ अक्तूबर, १९५६ को समाप्त (Lapsed) हो गईं और १ नवम्बर, १९५६ के बाद के बाकी ५ महीनों के लिए पंजाब के राज्यपाल महोदय ने नए राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ज़रूरी खर्चों की मंज़ूरी दी जिस में वे रकमें भी शामिल थीं जो पहले मंज़ूरशुदा खर्चों से अधिक थीं । इन वैधानिक तबदीलियों के कारण उस साल के लिए दोहराए गए अनुमान (Revised Estimates) तैयार नहीं किए गए थे ।

१९५६-५७ का लेखा

४. साल १९५६-५७ का लेखा प्राप्त हो गया है और कुल मिला कर हालत यह है कि वर्ष के शुरु में २०,४४ लाख रुपए का कुल बकाया (Balance) था । यह बकाया साल की समाप्ति पर २१,८४ लाख रुपए था और इस में १४० लाख की वृद्धि हुई । यह बढ़ती लेखे के इन अहम मदों में लेन-देन (transactions) के कारण हुई है :—

		(लाख रुपयों में)
आगम खाता (Revenue Account)	..	+३,९६
पूंजी व्यय (ठोस) [Capital Expenditure (net)]	..	—२१,७०
सरकार द्वारा दिए गए कर्ज़े और पेशगियां (ठोस) [State Loans and Advances (net)]	..	—१,१४
सरकार पर कर्ज़ा (ठोस) [Public Debt (net)]	..	+२३,०४
आकस्मिक खाता (Contingency Fund)	..	—५०
किसी मद में न आने वाला कर्ज़ा (Unfunded Debt)	..	+४४
जमा रकमों और चुकती रकमों के लेन-देन, जिस में लगाई गई पूंजी शामिल नहीं (Deposits and Remittance Transactions excluding Investments)		—२,७०
जोड़	..	+१,४०

लगाई गई पूंजी की रकम साल के आख़ीर में १६,८८ लाख रुपए हो गई ।

वर्ष १९५७-५८

५. विधान मंडल के सामने पेश किए गए वर्ष १९५७-५८ के बजट अनुमान में ४०,४६ लाख रुपए की रकम आगम प्राप्तियों के रूप में और ४३,२६ लाख रुपए की रकम आगम खर्च के रूप में दिखाई गई थी जिस से २८० लाख रुपए का घाटा ज़ाहिर होता था। इसलिए और कर लगाने की तजवीज़ की गई थी जिस से १०६ लाख रुपए की आमदनी का अनुमान था। उस समय इस बात का भी इशारा किया गया था कि कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को सहायता देने से सरकारी खज़ाने पर १५ लाख रुपए का ज़ायद खर्च पड़ जाएगा। इस तरह कुल आगम घाटा १८९ लाख रुपए आंका गया। व्यापारिक फसलों पर उपकर (Cess) और ज़मीन के लगान पर स्पैशल सरचार्ज (Special Surcharge) लगाने के सिवाए बाकी सभी कर लगाए जा चुके हैं। व्यापारिक फसलों पर उपकर (Cess) लगाने का विचार छोड़ दिया गया था। ज़मीन के लगान पर स्पैशल सरचार्ज की तजवीज़ को इस हाऊस ने स्वीकार कर लिया है और अब इस पर विधान परिषद् (Legislative Council) में विचार होना है। इस लिए यह घाटा बढ़ जाना चाहिए था लेकिन दुहारए गए अनुमानों से घाटे की बजाए २५८ लाख रुपए की बढ़ती हुई है। इस अनुमान के अनुसार आगम प्राप्तियों की रक़म ४२,२३ लाख रुपए है और आगम खर्चे की रक़म ३९,६५ लाख रुपए। इस हालत में यह फ़र्क इसलिए हुआ कि फाइनैंस कमीशन की सिफारिशों के अनुसार, जिन्हें भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है, पंजाब सरकार को केन्द्रीय सरकार से टैक्सों और सहायता अनुदानों के ज़ायद हिस्से के रूप में २६३ लाख रुपए की रक़म १९५७-५८ के बजट में दिखाए गए आंकड़ों से ज़्यादा मिली है। इस के इलावा अनुमानित घाटे को कम करने के लिए विशेष वेतन और और जहां कहीं संभव हो सका ग़ैरज़रूरी खर्च को कम करने के साथ साथ आकस्मिक ख़र्च (Contingencies) की मद में १५ फ़ीसदी और सफ़र भत्ते की रकम में ५ फ़ीसदी की कटौती करके बचतें अमल में लाई गईं। अनुमान है कि इस से आगम ख़र्चे में १०० लाख रुपए की बचत हो गई है।

आगम लेखा (Revenue Account)

आगम प्राप्तियों और आगम ख़र्चे की अहम घटाबढ़ियां (Variations) ये हैं :—

आगम प्राप्तियां—		(लाख रुपयों में)	आगम खर्चे—		(लाख रुपयों में)
दूसरे टैक्स और ड्यूटियां	..	+६६	भूमि का लगान	..	−१५
ब्याज	..	+५	राज्य एक्साइज़ ड्यूटी (State Excise Duty)	..	−२८
शिक्षा		+९१	नागरिक प्रशासन (Civil Administration)		−९
असाधारण प्राप्तियां (Extraordinary Receipts)	..	−९९			

[वित्त मंत्री]

शिक्षा	..	–६५
चिकित्सा (Medical)	..	–२५
कृषि	..	–२८
उद्योग	..	–६४
बहुमुखी नदी योजनाएं (Multi-purpose River Schemes)	..	–३७

६. दुहराए गए अनुमानों के अनुसार पूंजीगत खर्च ३४,२५ लाख रुपए है जब कि मूल बजट में यह पूंजीगत खर्च २९,९२ लाख रुपए था। इस खर्च में ४३३ लाख रुपए की जो बढ़ती हुई है उसका कारण सिंचाई सम्बन्धी निर्माण कार्यों के लेखे की १९४ लाख रुपए की वह रकम है जो अमृतसर के सैंट्रल वर्कशाप को बेचने से उत्तर रेलवे (Northern Railway) से हमने लेनी थी और जिसका बड़ा हिस्सा हमें प्राप्त नहीं हुआ। यह रकम शुरू में खर्च में कमी के रूप में दिखाई गई थी। इसके इलावा इसमें भाकड़ा-नंगल प्राजैक्ट पर होने वाला २७२ लाख रुपए का वह खर्च भी शामिल है जिस के प्राजैक्ट की बिजली सम्बन्धी योजनाओं पर खर्च होने की सम्भावना थी।

पूंजी लेखा (Capital Account)

कर्ज़ों और पेशगियों की दशा में मूल बजट में पेशगियों के लिए ६९१ लाख रुपए की रकम रखी गई थी और ४९८ लाख रुपए की वसूलियों का अनुमान था। इस तरह मूल बजट की इस मद में १९३ लाख रुपए का ठोस घाटा ज़ाहिर होता था। संशोधित अनुमानों के अनुसार पेशगियों की रक़म ५११ लाख रुपए है और वसूलियों की रक़म ४३० लाख रुपए है जिस से अब केवल ८१ लाख रुपए का ठोस घाटा दिखाई देता है। पूंजी की दिशा में यह जो सुधार हुआ है उसका कारण यह है कि विलायती खाद के सिलसिले में एक तो कम कर्ज़े दिए गए और दूसरे इस सम्बंध में वसूलियां भी हुईं।

मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि दूसरी तफ़सीलों के लिए वे फाइनैंस सैक्रेट्री (Finance Secretary) के मैमोरैण्डम (Memorandum) को देखने का कष्ट करें।

वर्ष १९५८-५९

७. अब मैं साल १९५८-५९ के बजट प्रस्तावों की तरफ आता हूं। साल १९५७-५८ के दुहराए गए अनुमान के साथ तुलना करते हुए अगले माली साल का बजट इस तरह है :—

बजट प्रस्ताव

			दुहराये गए अनुमान १९५७-५८	बजट १९५८-५९
			(लाख रुपयों में)	
(i)	साल के शुरू में बक़ाया (Opening Book Balance)	..	४,९६	५,२८

(ii) आगम लेखा—

(Revenue Account) (लाख रुपयों में)

(क) आगम प्राप्तियां (Revenue Receipts)	..	४२,२३	४७,८१
(ख) आगम खर्च (Revenue Expenditure)	..	३९,६५	४९,८९
(ग) { बढ़ती (+) / खसारा (—) }	..	+२,५८	—२,०८
(iii) पूंजी खर्च (Capital Expenditure)	..	३४,२५	२९,६५
(iv) कर्ज़े और पेशगियां—			
(क) वसूलियां	..	४,३०	४,३३
(ख) पेशगियां	..	५,११	६,३६
(ग) ठोस	..	—८१	—२,०३
(v) कर्ज़े की मदें—			
(क) चुकते कर्ज़े/उठाए गए कर्ज़े (ठोस) [Debt discharged/incurred (net)]	..	+३०,१४	+२३,४६
(ख) किसी मद में न आने वाला कर्ज़ा (ठोस) [Unfunded Debt (net)]	..	+२३	+३८
जोड़	..	+३०,३७	+२३,८४
(vi) आकस्मिक (Contingency) खाता	..	+५०	..
(vii) जमा और पेशगियां (ठोस)	..	+१,९३	+५,४१
(viii) खाता बन्द करने का बकाया (Closing Book Balance)	..	+५,२८	+७७
(ix) लगाई गई पूंजी (Investments)	..	१६,४८	१३,१५

आगम खाते में आगम प्राप्तियों की रक़म ४७,८१ लाख रुपए और आगम खर्च की रक़म ४९,८९ लाख रुपए है। इस तरह इस में २०८ लाख रुपए का घाटा है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि दोहराए गए अनुमानों के मुकाबले में प्राप्ति और खर्च दोनों तरफ काफ़ी बढ़ती हुई है। आगम प्राप्तियों में ५५८ लाख रुपए की बढ़ती हुई है। इस में ठीक ७५ लाख रुपए की रक़म केन्द्रीय करों में से हमें मिली है। इन करों को केन्द्र और राज्यों में बांटा जाता है।

[वित मंत्री]

इस साल इन करों से मिलने वाला हमारा हिस्सा फाईनैंस कमीशन की सिफारिशों के परिणाम-स्वरूप बढ़ा दिया गया है । लगभग १६५ लाख रुपए वे हैं जिन के अगले साल भारत सरकार से अधिक मिलने की आशा है । बाकी बढ़ौतियां इस प्रकार हैं :—

(लाख रुपयों में)

(i)	बहुमुखी (Multi-purpose) नदी योजनाएं ..	१,३१
(ii)	शिक्षा ..	७३
(iii)	असाधारण प्राप्तियां (Extraordinary Receipts) ..	४६
(iv)	ज़मीन का लगान ..	४१
(v)	सिविल वर्क्स (Civil works) ..	२२

आगम खर्चे में १०,२४ लाख रुपए की बढ़ती मोटे तौर पर इस प्रकार है :—

(i)	लोक-हितकारी (Beneficent) विभाग ..	४,७८
(ii)	बहुमुखी (Multi-purpose) नदी योजनाएं ..	१,६१
(iii)	सिविल वर्क्स (Civil works) ..	८१
(iv)	आम प्रशासन (Civil Administration) ..	७१
(v)	सामुदायिक विकास (Community Development) तथा कौमी विस्तार सेवा (N.E.S.)	३७
(vi)	फुटकर ..	३१
(vii)	अकाल ..	३१
(viii)	ज़मीन का लगान ..	२६
(ix)	विभाजन से पहले की अदायगियां ..	१०
(x)	वन ..	८
(xi)	ट्रांस्पोर्ट ..	८
(xii)	स्टेशनरी और प्रिंटिंग ..	६

इन सब घटाबढ़ियों का फाईनैंस सैक्रेट्री के मैमोरैंडम में तफ़सील से ज़िक्र किया गया है और मैं और ब्यौरा देकर माननीय सदस्यों का समय नष्ट नहीं करना चाहता । इस समय मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि यह खर्च लोकलबाडियों के स्कूलों को सरकारी प्रबन्ध में लेने और राज्य में छठी जमात तक तालीम को मुफ्त कर देने से ही बढ़ा है । इनके अलावा दूसरी पांच-साला योजना की स्कीमों पर खर्च के बढ़ जाने और सफर-भत्तों और आकस्मिक खर्चों पर लगाई गई उस कटौती की बहाली से भी खर्च में बढ़ौती हुई है जोकि खसारे को पूरा करने के लिए इस साल लगाई गई थी । यह तो साफ़ ज़ाहिर है कि ऐसी कटौतियां हर साल जारी नहीं रखी जा सकतीं ।

८. पूंजीगत खर्च के लिए १३,४७ लाख रुपए की वसूलियों के अलावा जिन्हें कमी या खर्च के रूप में दिखाया गया है, २६,६५ लाख रुपए की व्यवस्था है । लगभग सारा पूंजीगत खर्च योजना स्कीमों का है । इसका बड़ा हिस्सा अर्थात् १८,४१ लाख रुपए भाखड़ा-नंगल प्राजैक्ट पर, १६३ लाख रुपए चंडीगढ़ राजधानी प्राजैक्ट पर, ४५७ लाख रुपए माधोपुर-ब्यास लिंक, सरहन्द फीडर, गुड़गांव नहर प्राजैक्ट जैसे सिंचाई कार्यों पर, ५० लाख रुपए बिजली पर, ३७। लाख रुपए सिविल वर्क्स पर और ५३ लाख रुपए सनअती विकास पर खर्च होना है ।

पूंजीगत खाता (Capital Account)

अगले साल पेशगियां देने के लिए ६३६ लाख रुपए की रक़म की तजवीज़ है । इस के मुकाबले में अनुमान है कि ४३३ लाख रुपए की वसूलियां होंगी ।

पेशगियों की बड़ी बड़ी रक़में इन मदों से सम्बन्धित हैं । काश्तकारों के लिए पेशगियां ३८४ लाख रुपए, मकान बनाने के लिए पेशगियां जिस में थोड़ी आमदनी वाले लोगों को मकान बनाने के लिए मिलने वाली पेशगियां भी शामिल हैं, ९४ लाख रुपए, पानी सप्लाई और सफाई योजनाओं (National Water-supply and Sanitation Schemes) के लिए पेशगियां ५० लाख रुपए, उद्योगों को राज्य सहायता कानून के अनुसार पेशगियां ४० लाख रुपए, पुनर्वास कर्ज़े १७ लाख रुपए, और हथ-करघों को मशीनी करघों में बदलने के लिए पेशगियां १८ लाख रुपए ।

९. मैंने खातों के ज़रूरी ज़रूरी हिस्सों के अधीन अगले साल के बजट की मोटे तौर पर रूपरेखा दे दी है । अब मेरा विचार योजना की स्कीमों का एक खुलासा देने का है जिस के अन्तर्गत महकमों की सभी ज़रूरी कार्यवाहियां आ जाती हैं । दूसरी पांच-साला योजना पहली योजना की सफलताओं को सामने रख कर बनाई गई थी ताकि राज्य के शहरी और देहाती दोनों क्षेत्रों की संतुलित आर्थिक उन्नति में यकीनी तौर पर ताल मेल पैदा किया जा सके । पैप्सू और पंजाब के मिल जाने के बाद नए राज्य की इकट्ठी योजना में १६३ करोड़ रुपए के खर्च की व्यवस्था थी । राज्य सरकार के निवेदन करने पर प्लानिंग कमीशन हथ-करघों को मशीनी करघों में बदलने के लिए, तथा अम्बर चरखे और दूसरे ग्राम उद्योगों के प्रोग्रामों के लिए ३ करोड़ रुपए और देने के लिए राज़ी हो गया । अब कुल योजना १६६ करोड़ रुपए की है ।

योजनागत स्कीमें (Plan Schemes)

योजना के पहले साल (१९५६-५७) के दौरान विकास की कई योजनाओं पर कुल लागत दुहरा कर ३१.४८ करोड़ रुपए कर दी गई थी ; पर १९५६-५७ के दौरान हुआ असली खर्च २४.१२ करोड़ रुपए ही था जो कि दुहराए गए अनुमानों का लगभग ७६ फ़ीसदी बैठता है । इस साल के दौरान जो इकट्ठी योजना बनाई गई है उस के सिलसिले में इकट्ठा होने (Integration) से पहिले के पंजाब और पैप्सू के राज्यों की विकास योजनाओं को दुहराने, उन के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने और उन्हें लागू करने का काम किया गया । इस से योजनाओं (Schemes) को अमली शकल देने की रफ्तार धीमी पड़ गई । इस सिलसिले में काम की रफ्तार धीमी होने का कारण यह भी था कि महकमे पंजाब पैप्सू के इकट्ठा होने (Integration) सम्बन्धी मामलों को सुलझाने में लगे हुए थे ।

[वित्त मंत्री]

साल १९५७-५८ के लिए ३४.८ करोड़ रुपए की एक योजना मंजूर की गई थी। उमीद है कि लगभग यह सारी रक़म ख़ासकर जो भाकड़ा-नंगल, सिंचाई, बिजली और सड़कों पर खर्च होनी है, इस्तेमाल कर ली जाएगी।

साल १९५८-५९ के लिये राज्य सरकार ने योजना पर ४३.३८ करोड़ रुपये ख़र्च करने का विचार किया था, पर साधनों की कमी और देश के माली ढांचे में करंसी के फैलाव के रुझानों के कारण प्लानिंग कमीशन ने राज्य की योजना को घटा कर ३३.७९ करोड़ रुपए कर दिया। यह खर्च केन्द्रीय सरकार से १६ करोड़ रुपए के कर्जे और ग्रांटें लेकर और बाकी का १७,७९ करोड़ राज्य के अपने साधनों से निकाल कर पूरा किया जाएगा। राज्य के लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना मुश्किल होगा और जैसा कि प्लानिंग कमीशन के साथ फैसला हुआ है, हम विकास ख़र्च के अपने हिस्से के कुछ भाग कुछ हुंडियां (Securities) बेच कर पूरा करेंगे।

अब जब कि मैं दूसरी पांच-साला योजना के सम्बन्ध में उस के आरंभ से लेकर अब तक का खुलासा दे चुका हूं, मैं अलग अलग महकमों की बड़ी बड़ी सरगर्मियों का ज़िक्र करना चाहूंगा।

खेतीबाड़ी और पशु पालन

१०. खेतीबाड़ी की पैदावार बढ़ाने पर ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है, और जैसा कि मैं ने पिछले साल कहा था, हमारी दूसरी पांच साला योजना की कामयाबी ख़ास तौर पर खेती-बाड़ी की पैदावार बढ़ाने पर ही आधारित है। ऐसा करके ही हम कीमतों को बढ़ने से रोकने में कामयाब हो सकेंगे और तभी हम अपनी विदेशी मुद्रा (Foreign Exchange) के उन बहुत बड़े हिस्सों को, जो अन्न को बाहर से मंगवाने पर खर्च होते हैं, बचा सकेंगे। दूसरी बड़ी बड़ी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें इस विदेशी मुद्रा की बहुत आवश्यकता है। इसलिए खेतीबाड़ी को ज़रूर ही सब से ज़्यादा तरजीह मिलनी चाहिए। प्लानिंग कमीशन ने दूसरी पांच-साला योजना के दौरान अन्न की पैदावार ४४.३६ से ५८.७६ लाख टन तक, कपास की पैदावार ७.३५ से १२.५० लाख गांठों तक, गन्ने की पैदावार ५५.७७ से ७८.०० लाख टन तक और तिलहन की पैदावार १.४९ से १.८५ टन तक बढ़ाने की ज़िम्मेवारी हम पर डाली है और हम इस को पूरा करने का वायदा दे चुके हैं। १९५६-५७ के दौरान अन्न की पैदावार ११.१४ लाख टन, कपास की पैदावार ९०,००० गांठें और तिलहन की पैदावार १०,००० टन बढ़ गई। गन्ने की पैदावार कुछ कम हुई जिस से गुड़ १९५५-५६ में ५.५६ लाख टन के मुकाबले में १९५६-५७ के दौरान ५.३९ लाख टन हुआ। यह कमी गन्ने की कीड़ी (Top-borer) के भारी हमले के कारण ही हुई। फिर भी १९५७-५८ के दौरान हम ६.८२ लाख टन तक पैदावार बढ़ा लेंगे। १९५७-५८ में १.९१ लाख टन अन्न की, ८,००० टन तिलहन की और एक लाख गांठें कपास की और अधिक पैदावार बढ़ाने की भी हम आशा करते हैं। अनाज की पैदावार में जो बढ़ती हुई है उसकी वजह से अब हम अपनी ज़रूरतों से १० लाख टन से भी ज़्यादा अनाज पैदा कर रहे हैं। इस में से काफ़ी बड़ा हिस्सा हम देश के दूसरे कमी वाले राज्यों को भेजते हैं।

खेतीबाड़ी के महकमे ने विकास का जो प्रोग्राम बनाया है उस के अधीन सिंचाई की ज़्यादा सहूलतें जुटाई जाएंगी, बढ़िया किस्म के बीज सप्लाई किए जाएंगे और बड़े पैमाने पर खाद

बांटी जाएगी। परती ज़मीन का सुधार किया जाएगा, पौधों की हिफ़ाज़त और खेतीबाड़ी के उन्नत तरीकों को लोकप्रिय बनाने की कोशिशें की जाएंगी। साल १९५७-५८ में ५९४ नए कुएं, १०८ पम्पिंग सैट और २५ ट्यूबवैल लगाए जाने की उमीद है। इन्हें लगाने के लिए सरकार किसानों को माली मदद देती है। अगले साल ८५० कुओं को बनाने, ८० पंपिंग सैट तथा ६७ ट्यूबवैल लगाने का प्रोग्राम है। इस मक़सद के लिए कुल २४ लाख रुपए के कर्ज़े दिए जाएंगे। ट्रैक्टरों को खरीदने के लिए कर्ज़े देने के वास्ते १६ लाख रुपए की रक़म रखी गई है। चालू साल के दौरान बढ़िया बीज की सप्लाई के सिलसिले में १,००० मन मक्की का बीज, (Hybrid Maize Seed) ७१,००० मन गेहूं का बीज तथा १.४२ लाख मन कपास का बीज किसानों में बांटा गया। १९५८-५९ के लिए १ लाख मन गेहूं का बीज तथा १.४७ लाख मन कपास का बीज तकसीम करने का निशाना है। मक्की का बढ़िया (Hybrid) बीज पैदा करने के लिए नारायणगढ़ में ४०० एकड़ का एक बड़ा फ़ार्म खोला गया है। महकमे ने अपने सामने यह निशाना रखा हुआ है कि दूसरी पांच-साला योजना के अन्त तक हर एक कौमी विस्तार सेवा खंड (N. E. S. Block) में एक बीज फ़ार्म कायम किया जाए। २८ बीज फ़ार्म पहले ही कायम किए जा चुके हैं तथा अगले साल में ५२ और बीज फ़ार्म खोलने की तजवीज़ है। चालू साल में ४०,००० टन नाइट्रोजन की खाद बांटी जाएगी और १९५८-५९ में ६५,००० टन यही खाद तकसीम करने की आशा है। चालू साल में एक लाख एकड़ ज़मीन को हरी खाद दी गई और अगले साल में २ लाख एकड़ रकबे में हरी खाद डाली जाने की तजवीज़ है। कौमी विस्तार सेवा तथा सामुदायिक विकास ब्लाकों में खास अमला लगाया गया है जो स्थानीय तौर पर खाद के साधनों को बढ़ाने की ओर ध्यान देगा। अगले साल में ८,००० एकड़ भूमि के सुधारने का विचार है। खेतीबाड़ी का महकमा फ़सलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों की रोकथाम के बारे में अपनी योजना का विस्तार भी कर रहा है तथा इस मक़सद के लिए किसानों, सहकारी समितियों और पंचायतों को जो साज़-सामान दिया जाएगा उस के खर्च का एक हिस्सा सरकार भी उठाएगी।

बाग़बानी की तरक्की की दिशा में भी पहले की तरह ही ध्यान दिया जाएगा और इस काम के लिए अगले साल में ११ लाख रुपए की रक़म रखी गई है। इस रक़म से सरकारी कर्ज़ देकर ३,००० एकड़ ज़मीन में फलों के बाग़ लगाए जाएंगे।

लुधियाना में ज़रायती कालेज (Agricultural College) की इमारत मुकम्मल होने वाली है। अगले साल कालेज के साथ एक रिसर्च विंग (Research Wing) खोल दिया जायेगा। इस विंग पर, जिस की बहुत दिनों से ज़रूरत महसूस की जा रही थी, ४.५० लाख रुपए खर्च होंगे। कालेज में ऊंची शिक्षा (Post-graduate Studies) के प्रबन्ध का विस्तार किया जाएगा और एक ग्राम-समाज शास्त्र तथा कृषि-अर्थ शास्त्र (Rural Sociology and Agricultural Economics) शाखा भी खोली जाएगी।

हिसार में पशु-चिकित्सा के कालेज (Veterinary College) की इमारतें बनाने का काम ठीक रफ़्तार से चल रहा है। चंडीगढ़ में दूध सप्लाई यूनियन के लिए ज़मीन प्राप्त कर ली गई है। अमृतसर में २० लाख रुपए की लागत से एक कारखाना (composite milk processing plant) लगाया जा रहा है जिस में दूध से बनने

[वित्त मंत्री]

वाली कई तरह की चीजें तय्यार होंगी। इस के इलावा जो और नई स्कीमें शुरू की जाएंगी उन में पशुओं के लिए ताक़तवर खुराक की कमी की जांच-पड़ताल, पशुओं के वाह या मोक रोग के लिए वैक्सीन (Freeze Dried Rinderpest Vaccine) का उत्पादन और पटियाला डिवीजन में पशुओं के इलाज के लिए हस्पताल की इमारतें बनाने वग़ैरा की योजनाएं अहम हैं।

चकबंदी

११. ऐसे राज्य में जिस का माली ढांचा बड़े रूप से खेतीबाड़ी पर निर्भर हो और जहां के खेत छोटे छोटे और बिखरे हुए हों, और जहां पर विरासत सम्बन्धी कानून सदियों से इस मसले को और भी मुश्किल बना रहे हों, चकबन्दी की ज़रूरत बहुत ज्यादा होती है। इस बात के बावजूद और अपनी पूरी कोशिशों के बाद भी हम चकबन्दी के काम को उस तेज़ी से नहीं कर पा रहे जिस का कि निशाना हमने अपने सामने रखा हुआ था। इस बारे में जो रुकावटें आईं, वे बहुत कुछ हमारे बस के बाहर थीं। साल १९५६-५७ में हम केवल १६ लाख एकड़ ज़मीन की चकबन्दी ही कर सके जबकि हमने २९ लाख एकड़ ज़मीन की चकबन्दी का निशाना रखा था। चालू साल में तो इस काम की रफ्तार और भी धीमी रही है। इस दिशा में चालू साल के लिए जबकि हमने ३१ लाख एकड़ ज़मीन की दोबारा बांट का अनुमान लगाया हुआ था हम दिसम्बर, १९५७ तक सिर्फ़ ९ लाख एकड़ की **ही** दोबारा बांट कर सके हैं। राज्य भर में हो रही पटवारियों की हड़ताल की वजह से अब हालत और भी खराब हो गई है। इस काम में जो धीमी रफ्तार रही है सरकार उसके कारणों की जांच कर रही है और आशा है कि अगले साल के लिए हमने ३० लाख एकड़ का जो निशाना अपने सामने रखा है उसे पूरा कर लिया जाएगा।

सहकारिता

१२. दूसरी पांच-साला योजना के लिए देश ने जो कौमी नीति अपनाई है, उस में सहकारिता की सरगर्मियों को तेज़ और मज़बूत बनाने का काम एक बुनियादी हैसीयत रखता है। इसलिए हम पंजाब में सहकारिता के विकास के लिए बनाए गए सामूहिक प्रोग्राम को बड़ी मज़बूती के साथ चला रहे हैं। इस प्रोग्राम के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में—जैसे कि उधार देने, सामान की बिक्री, कच्चे माल से दीगर चीज़ें तय्यार करने (Processing), ज़खीरा करने और खेती तथा घरेलू सनअतों में तालमेल पैदा करके तरक्की की जाएगी। ऐसी तरक्की के लिए कई किस्मों की सहकारी संस्थाओं को सरकार और रिज़र्व बैंक दोनों की तरफ से ही मुनासिब माली मदद दी जा रही है।

चालू माली साल में सभी तरीकों की जो नई सोसाइटियां रजिस्टर हुईं, उन की तादाद २,००० के लगभग है। इस तरह अब पंजाब में इन सोसाइटियों की कुल तादाद २४,००० से ज्यादा हो गई है। इन सोसाइटियों से राज्य के ७० फ़ीसदी से ज्यादा गांव और राज्य की ४० फ़ीसदी से ज्यादा आबादी फ़ायदा उठा रही है। सहकारिता से लाभ उठाने वाली आबादी के बारे में यह अखिल भारतीय आंकड़े केवल २१ फ़ीसदी ही हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि पंजाब सहकारिता के क्षेत्र में समूचे तौर पर बाकी देश से बहुत आगे है।

इस समय जो बड़े प्रोग्राम चालू हैं उनमें सहकारी आधार पर दिए जाने वाले कर्ज़ों के विस्तार का काम प्रमुख है। इस काम के लिए इससे सम्बन्धित कई एक दिशाओं में एक साथ

ही कई एक कदम उठाए गए हैं । साल १९५७-५८ में लगभग १,००० नई छोटी उधार सोसाइटियां (Small Credit Societies) कायम की गई हैं, इतनी ही दूसरी सोसाइटियों को मज़बूत बनाया गया है । इसके इलावा १८० बड़ी कृषि-उधार सोसाइटियां कायम की गई हैं । सरकार ने सैंट्रल सहकारी बैंकों और एपैक्स को-आपरेटिव बैंक की शेयर पूंजी में धन लगा कर उन्हें काफ़ी मज़बूत बनाया है । इन कोशिशों की वजह से देहाती इलाकों में सहकारी संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली उधार की सहूलतों में काफ़ी बढ़ती हुई है । चालू साल में इन सोसाइटियों ने ४.५ करोड़ से अधिक के छोटे अर्से के और २ करोड़ रुपए के दरम्याने अर्से के कर्जे दिए । सहकारी आधार पर लम्बे अर्से के कर्जे देने के सिलसिले में ज़मीन रहन बैंकों (Land Mortgage Banks) की स्थापना के लिए एक खास कानून बनाने के लिए कार्यवाही की गई है । राज्य भूमि रहन बैंक (State Land Mortgage Bank) हाल ही में रजिस्टर किया गया है और यह बैंक जल्दी ही चालू हो जाएगा ।

उधार की सहूलतें जुटाने के साथ साथ सहकारी तरीके से खेती की पैदावार की बिक्री और उस से दीगर सामान तय्यार करने (Processing) के काम को एक बड़ी पहल दी जा रही है । दूसरी पांच-सला योजना के दौरान हर बड़ी मंडी में खेती की पैदावार की बिक्री के लिए एक एक सहकारी संस्था कायम करने की तजवीज़ है । इस निशाने को पूरा करने के सिलसिले में ही चालू साल में ४० नई सोसाइटियां कायम की जा रही हैं । इन सहकारी सोसाइटियों के काम में तालमेल पैदा करने और उसे सहल बनाने के लिए एक राज्य सहकारी सप्लाई और बिक्री संघ (State Co-operative Supply and Marketing Federation) को भी कायम किया गया है । इस संस्था ने राज्य भर में विलायती खादों की बांट की ज़िम्मेदारी ले ली है । सहकारी आधार पर खेती की पैदावार की बिक्री और उस का ज़खीरा करने के काम में मदद देने के लिए हाल ही में एक खास कानून बनाया गया है । इस कानून के अनुसार गोदामों के काम की ठीक तरह से देख भाल की जाएगी और उन के लिए लाइसैंस दिए जाएंगे । एक राज्य गोदाम कार्पोरेशन (State Warehousing Corporation) कायम करने के लिए भी पग उठाए गए हैं । यह कार्पोरेशन केन्द्रीय गोदाम कार्पोरेशन (Central Warehousing Corporation) की मदद से प्रमुख मंडियों में गोदाम बनाने के लिए ज़रूरी कदम उठाएगी ।

पहिली योजना के अर्से में भोगपुर, पानीपत और रोहतक में खांड की तीन सहकारी मिलों की स्थापना की गई थी । साल १९५६-५७ में बटाला और मोरिण्डा की दो नई सोसाइटियों को खांड की मिलें लगाने के लिए लाइसैंस दिए गए थे । इस साल के दौरान यह सोसाइटियां मशीनरी की ख़रीद के लिए कोशिशें करती रही हैं, लेकिन विदेशी मुद्रा (Foreign Exchange) की कमी के कारण वह कोई सौदा तय नहीं कर सकीं । साल १९५७-५८ में जो और खास सफ़लता सहकारिता के क्षेत्र में मिली है, वह यह है कि सांझीखेतीबाड़ी सम्बन्धी लगभग ७० नई सहकारी संस्थाएं रजिस्टर हुईं और इस तरह राज्य में काम करने वाली ऐसी कुल सोसाइटियों की तादाद ६०० से भी बढ़ गई । इसी तरह इस साल के दौरान श्रम और निर्माण संबंधी सहकारी संस्थाओं की तादाद ७०० के करीब पहुंच गई है । इन संस्थाओं के सदस्यों की तादाद ७०,००० से भी ज़्यादा है । जहां तक सनअती सोसाइटियों का सम्बन्ध है, इन की स्थापना

[वित्त .मंत्री]
भी बड़ी तादाद में हुई है, खास कर चमड़े और हथखड्डी की सनग्रतों की। इस सिलसिले में चालू साल के आखीर तक इन सनग्रती सोसाइटियों की तादाद लगभग १,६०० हो जाएगी। इस दिशा में हम बाकी देश के किसी भी राज्य से अच्छी तरह मुकाबिला कर सकते हैं। इस के इलावा औरतों की सहकारी संस्थाओं के क्षेत्र में भी बड़ी कामयाबी मिली है। चालू साल में औरतों की ५३ सनग्रती सोसाइटियां और कई एक बचत सोसाइटियां कायम हुई हैं और इस से राज्य में औरतों की चालू सहकारी सोसाइटियों की तादाद ६०० के करीब पहुंच गई है। औरतों की ये सोसाइटियां पंजाब के सहकारी आंदोलन की एक खास विशेषता हैं।

साल १९५८-५९ में सहकारिता के सामूहिक विकास के लिए काम जारी रहेगा। १,००० छोटी उधार सोसाइटियों को मज़बूत बनाया जाएगा और १०० बड़ी उधार सोसाइटियां कायम की जाएंगी। सैंट्रल को-आपरेटिव बैंकों, एपैक्स बैंक (Apex Bank) और राज्य ज़मीन रहन बैंक की शेयर पूंजी में सरकार और धन लगाएगी। साल १९५८-५९ के लिए सहकारी संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले कर्ज़ों का जो निशाना हम ने रखा है उस के मुताबिक ६०० लाख रुपए के छोटे अर्से के, और ४०० लाख रुपए के दरम्याने अर्से के कर्ज़े दिए जाएंगे। माल की बिक्री और उस से दीगर सामान तय्यार करने (Processing) की दिशा में २२ सोसाइटियां कायम की जाएंगी। इन में से १२ सोसाइटियां बिक्री के साथ साथ प्रोसैसिंग (Processing) का काम भी करेंगी। खेतीबाड़ी की सहकारी सोसाइटियां और श्रम और निर्माण सम्बन्धी सहकारी सोसाइटियां कायम करने की दिशा में हम ने जो निशाना रखा है उस के अनुसार क्रमशः ७८ और ६० ऐसी सोसाइटियां कायम की जाएंगी। राज्य गोदाम कार्पोरेशन (State Warehousing Corporation) कई एक बड़ी मंडियों में गोदाम बनाने और उन्हें हासिल करने का विचार रखती है। साल के दौरान कार्पोरेशन को शेयर पूंजी के तौर पर ७.८० लाख रुपए और दिए जाएंगे। सनग्रती सहकारी सोसाइटियों और खास कर औरतों की दस्तकारियों और हथखड्डी सम्बन्धी सोसाइटियों के विकास के लिए खास ध्यान दिया जाएगा।

सिंचाई और आबादकारी

१३. भाखड़ा के महान् प्राजैक्ट पर प्रोग्राम के अनुसार तरक्की हुई। अगले माली साल के दौरान, यहां पर आंशिक रूप से जमा होने वाले पानी से कुछ एक नहरों को, जो बन कर तय्यार हो चुकी हैं, बारामासी पानी मिलना शुरू होगा। माधोपुर ब्यास लिंक, सरहंद फ़ीडर, पश्चिमी जमना नहर का सुधार और दादरी सिंचाई योजना जैसे बड़े बड़े दूसरे प्राजैक्ट या तो बन कर तय्यार हो चुके हैं या उन पर तामीर का काम बहुत आगे बढ़ चुका है। अगले साल पश्चिमी जमना नहर से लिफ्ट की मदद से बरसाती पानी द्वारा रिवाड़ी और दूसरे इलाकों को सिंचाई देने का और गुड़गांव नहर प्राजैक्ट का काम शुरू किया जाएगा। दूसरी पांच-साला योजना में इन सिंचाई के कामों के लिए ४०.७५ करोड़ रुपए की रक़म रखी गई है। इस में से १२ करोड़ रुपए की रक़म सितम्बर, १९५७ तक पहले ही खर्च की जा चुकी है। दूसरी पांच-साला योजना के आखीर में राज्य में सालाना सिंचाई के मातहत रकबा बढ़ कर ९२ लाख एकड़ हो जाएगा, जबकि पंजाब के बटवारे के वक्त सिंचाई का रकबा सिर्फ़ ३९ लाख एकड़ था।

हाऊस को इस बात का पता है कि राज्य में पिछले पांच सालों के दौरान बहुत से ट्यूबवैल (Tube-wells) लगाए गए हैं। फिर भी ये ट्यूबवैल अभी पूरी तरह नहीं चल रहे क्योंकि २३ नए पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली का दर महंगा है। तजरबे के लिए सरकार ने फैसला किया है कि यह दर घटा कर १२ नए पैसे प्रति यूनिट कर दिया जाए। बिजली के दर में इस कमी का देहाती जनता ने स्वागत किया है और सरकार को आशा है कि खुराक की पैदावार बढ़ाने के लिए इन ट्यूबवैलों से पूरा पूरा फ़ायदा उठाया जाएगा। १९५८-५९ में ७५ नए ट्यूबवैल लगाए जाएंगे।

भाकड़ा बांध में अब कुछ हद तक पानी जमा होने और उससे दायमी सिंचाई मिलने से मंडियों के विकास की समस्या पहले की निस्बत ज्यादा ज़रूरी हो गई है । इस सिलसिले में कुल ३६ मंडियां कायम की जाएंगी जिन में से ९ के विकास का काम १९५७-५८ में शुरू कर दिया गया। प्लाटों का नीलाम सिरसा, फतहबाद, कलांवाली, भवानी खेड़ा, भट्टू तथा कैथल में कायम होने वाली मंडियों में किया गया। यदि हम चाहें कि इन मंडियों का विकास हमारी सिंचाई सहूलतों के विकास के साथ साथ ही हो तो सारे काम की रफ्तार को तेज़ करना पड़ेगा। सरकार इन इलाकों के विकास से सम्बन्धित दूसरी समस्याओं के बारे में भी सजग है। इन समस्याओं में नए बैंक खोल कर उधार की सहूलतें जुटाने, सहकारी समितियों को कायम करने, और तकावी कर्ज़े देने आदि के काम शामिल हैं। इस सिलसिले में सभी महकमों के अफ़सरों की एक कमेटी बनाई गई है जो कि एक सांझी योजना बनाएगी।

बिजली

१४. आज के मशीनी युग में बिजली की सप्लाई और खपत खेतीबाड़ी तथा उद्योग की तरक्की के लिए ज़रूरी शर्तें हैं। ऐसे राज्य में जिसका माली ढांचा ज्यादातर खेतीबाड़ी पर निर्भर है, यह ज़रूरी हो गया है कि हम बिजली द्वारा किसान को ज़मीन से पानी निकालने में मदद दें। सभी प्रकार के छोटे, बड़े और दरमियाने उद्योगों का विकास बिजली के बिना नामुमकिन है। इस तरह शहरी और देहाती इलाकों में जीवन के मयार को ऊंचा उठाने के लिए बिजली एक ज़रूरी साधन है। इन सब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमने पहले से अधिक बिजली पैदा की है और अब तो बिजली की मांग उत्पादन से भी बढ़ गई है। बिजली के और विकास का काम भी योजना के मुताबिक चल रहा है। भाकड़ा के बाईं ओर के बिजली घर में ९०,००० किलोवाट बिजली पैदा करने वाला पहला यूनिट दिसम्बर, १९५९ के दौरान चालू किया जाएगा, और इतनी ही बिजली पैदा कर सकने वाले बाकी सैट हरेक तीन महीने के वकफ़े के बाद चालू किये जाएंगे। २६-२६ हज़ार किलोवाट बिजली पैदा करने वाले और यूनिट गंगूवाल तथा कोटला में क्रमश: अक्तूबर, १९५९ तथा अप्रैल, १९६० में चालू किए जाएंगे। इन यूनिटों के लग जाने पर हम शहरी तथा देहाती इलाकों में बिजली पहुंचाने के काम को और तेज़ कर सकेंगे तथा उद्योग और खेतीबाड़ी के लिए और बिजली दे सकेंगे। इस वक्त जो बिजली हमारे पास है उस से चालू साल के दौरान ३५० और शहरों तथा गांवों में बिजली पहुंचा दी गई है और इसके इलावा ३६,००० आम कनैकशन, कारखानों के लिए १,२०० कनैकशन तथा खेतीबाड़ी के लिए १,३०० कनैकशन दिए गए हैं। नए ग्रिड सबस्टेशन (Grid Sub-stations)

[वित्त मंत्री]

बनाए गए हैं। मीलों लम्बी के. वी. (K.V.) लाईनें तय्यार की गई हैं और बिजली की खपत करने वालों की संख्या उहल नदी सिस्टम पर ६२ हज़ार से बढ़कर १.१६ लाख हो गई और नंगल सिस्टम पर ८६ हज़ार से बढ़ कर १.३५ लाख हो गई है।

१५. राज्य में सनअतों की बढ़ती हुई रफ्तार के कारण सनअती अदारों ने, उद्योग विभाग से सहायता के लिए ज़्यादा मांग की। यह सहायता की मांग सनअती कर्ज़ों, टैक्निकल

उद्योग तथा श्रम

ट्रेनिंग, आयात सुविधाओं, कंट्रोल वाले कच्चे माल की सप्लाई, मयार के मुताबिक सामान तय्यार करने (Standardization) तथा उस की बिक्री की सुविधाओं के बारे में थी। राज्य की बढ़ती हुई सनअती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए महकमे ने ज़रूरी प्रबन्ध कर लिए हैं। इस राज्य में उद्योगों के विकास की रफ्तार बहुत हद तक सनअती पूंजी के प्रबन्ध पर निर्भर है। इस दिशा में विभाग ने उद्योगों के लिये राज्य सहायता कानून (State Aid to Industries Act) के अधीन माली सहायता के रूप में पहले से अधिक धन देने का यत्न किया है। इस कानून के अधीन दिए गए कर्ज़ों की रकम १९५५-५६ में ३३ लाख रुपए थी जो कि १९५६-५७ में बढ़ कर ६३ लाख रुपए के लगभग हो गई। १९५७-५८ के दौरान इस काम के लिए जो ३६ लाख रुपए रखे गए थे, उनको पूरा बांट देने पर भी सारी मांग पूरी नहीं हो सकेगी। साल १९५८-५९ में कर्ज़ों के लिए रखी गई रकम बढ़ा कर ४० लाख कर दी गई है।

पंजाब फाइनैंशल कार्पोरेशन (Punjab Financial Corporation) की अदा-शुदा (Paid-up) पूंजी १ करोड़ रुपए है और इस के बनने के बाद पिछले पांच सालों में इस कार्पोरेशन ने १.०९ करोड़ रुपए के कर्ज़े मंजूर किए हालांकि इस में से केवल ८३ लाख रुपए के कर्ज़े बांटे गए। इस लिए यह आवश्यक हो गया था कि कार्पोरेशन की पूंजी को बढ़ाया जाए, ख़ास कर इस लिए कि दिल्ली राज्य प्रशासन के साथ इस बात का करार किया गया था कि कार्पोरेशन अपने कार्यक्षेत्र में दिल्ली राज्य को भी शामिल कर लेगी। रिज़र्व बैंक तथा केन्द्रीय सरकार की मंज़ूरी से, कार्पोरेशन ने चालू साल में एक करोड़ रुपए की रकम के १०-साला बांड (Bond) जारी किए। इन बांडों की वापिसी के समय पर ४.९७ फीसदी मुनाफ़ा (Redemption Yield) दिया जाएगा। मुझे हाऊस को इस बात की रिपोर्ट देते हुए खुशी है कि यह बांड हमारी आशा से भी जल्दी बिक गए और जनता इन की मांग करती रही। अब कार्पोरेशन की हालत पहले से अच्छी होगी और यह पंजाब तथा दिल्ली के दरमियाने तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को ज़्यादा कर्ज़े दे सकेगी। यह कर्ज़ा उद्योगों के लिए राज्य सहायता कानून (State Aid to Industries Act) के अधीन दी गई मदद के इलावा होगा। बड़े पैमाने के उद्योगों की मदद के लिए, बैंक आफ़ पटियाला एक अहम ज़रूरत पूरी कर रहा है। यह बैंक राज्य प्रबन्ध में है।

इस साल के दौरान उद्योगों को आम सहूलतें जुटाने तथा तय्यार माल को एक मयार पर लाने के काम में काफ़ी तरक्की हुई। लुधियाना में एक गवर्नमैंट फिनिशिंग तथा टैस्टिंग सैंटर (Finishing and Testing Centre) की स्थापना की गई है जो कि बाईसिकल के पुर्ज़ों,

सिलाई की मशीन के पुर्जों तथा छोटे पैमाने के अन्य इंजीनियरिंग के कामों में आने वाली उन टैकनीकल क्रियाओं (Operations) की व्यवस्था करेगा जिन पर बहुत खर्च उठ जाता है। इन क्रियाओं में आंच देने (Heat Treatment), बिजली से मुलम्मा चढ़ाने (Electroplating), अनैमल (Enamelling) करने, फ़िनिशिंग और टैस्टिंग इत्यादि शामिल हैं। इस महकमे द्वारा होज़री के सामान के लिए लुधियाना में तथा खेतीबाड़ी के औज़ारों के लिए बटाला में स्टैण्डर्डाइज़ेशन (Standardization) के जो केन्द्र खुले हुए हैं वे बाकायदा काम कर रहे हैं। इन केन्द्र में ३१ दिसम्बर, १९५७ तक क्रमश: २३ लाख रुपए और ४ लाख रुपए की मालीयत के सामान पर "क्वालिटी माल" की मुहर लगाई गई। इस के इलावा खेलों के सामान, सजावट के बढ़िया कपड़े, साइंस के सामान, बर्तन-साज़ी, सूती कपड़े, और रंगाई और कपड़े की छपाई पर मयार सम्बन्धी चिह्न (Quality Marking) लगाने के लिए छ: और केन्द्र भी कायम किए जा रहे हैं। ये केन्द्र जल्द ही पूरी तरह चालू हो जाएंगे।

लुधियाना में एक सनअती बस्ती (Industrial Estate) की स्थापना के लिए, २७.३ एकड़ ज़मीन ४ लाख रुपए की लागत से प्राप्त की गई है। यहां जल्दी ही कारखाने लगाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। बटाला और मालेरकोटला में भी सनअती बस्तियों को कायम करने का विचार है। इस स्कीम के लिए पांच-साला योजना में कुल ७७.९७ लाख रुपए की रकम रखी गई है। तजवीज़ यह है कि उन्हें कारखानों के लिए न केवल मुनासिब दामों पर ज़मीन दी जाए बल्कि बिजली, पानी, सड़कों आदि की तथा कुछ दूसरी ज़रूरी सुविधाएं भी दी जाएं।

हथकरघा सनअत के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम मशीनी करघों को लागू करना है। भारत सरकार ने साल १९५७-५८ में इस राज्य के लिए ५०० मशीनी करघे (Powerlooms) अलाट किए। इन में से ३८० करघे लगाने की मंज़ूरियां पहले ही दी जा चुकी हैं। इस काम के लिए ५.५० लाख रुपए के कर्जे दिए गए हैं। तजवीज़ है कि अगले साल के दौरान ८०० मशीनी करघे बांटे जाएंगे और इस मकसद के लिए २० लाख रुपए की माली सहायता दी जाएगी। कांगड़ा के पिछड़े ज़िले में लोगों की माली हालत को सुधारने के लिए कुछ कशमीरी दस्तकारियां जारी की जा रही हैं जैसे कि कालीन बनाना, कसीदाकारी (Chain-stitch embroidery), पशमीने की बुनाई, धुस्से (Hooked-rug) और नमदे आदि बनाना। इस महकमे ने काशमीर से एक माहिर कारीगर (Technical Expert) की सेवाएं प्राप्त कर ली हैं और इन दस्तकारियों की सिखलाई के लिए केन्द्र खोले हैं। इन केन्द्रों में इस वक्त ७५ छात्र ट्रेनिंग ले रहे हैं।

योजना के अनुसार १.६ करोड़ रुपए की रकम बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए, ४.३६ करोड़ रुपए की रकम छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए और ३.१२ करोड़ रुपए की रकम हथ-करघा, खादी तथा ग्राम उद्योगों के लिए रखी गई है। बड़े पैमाने के उद्योगों के क्षेत्र में जिन अहम कामों के करने का विचार है, वे हैं खांड की नई मिलें, एक कपड़े की मिल तथा पुरानी रूई की

[वित्त मंत्री]
कताई (Shoddy Spinning) के एक कारखाने की स्थापना। इन उद्योगों का विकास कारखानादारों (Private Enterprise) के सहयोग से किया जाएगा। छोटे उद्योगों के विकास के लिए जो प्रोग्राम बनाया गया है उस के अनुसार औद्योगिक बस्तियां कायम की जाएंगी, अहम सनअतों के माल को नए मशीनी तरीकों (Rationalisation) की मदद से तय्यार करने और उसे मुनासिब मयार पर लाने के यत्न किए जाएंगे, सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया जाएगा और उन्हें उदारता से माली मदद दी जाएगी। खादी तथा देहाती सनअतों का विकास अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन के द्वारा बताए गए तरीके के अनुसार किया जाएगा। इस बारे में कमीशन की नीति के अनुसार राज्य की खादी तथा ग्रामोद्योग योजनाओं को अमल में लाने के लिए एक खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (Statutory Khadi and Village Industries Board) बनाया गया है।

इस साल मज़दूरों और मालिकों के दरमियान कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ और बहुत हद तक उन के सम्बन्ध अच्छे बने रहे। इसी कारण औद्योगिक पैदावार बढ़ गई है। मज़दूर कल्याण योजनाएं भी तरक्की करती रही हैं। सनअती मज़दूरों के लिए मकान बनाने की योजना (Industrial Housing Scheme) के अधीन ६१८ मकान पहले ही बनाए जा चुके हैं और ६६० बन रहे हैं। चार और मज़दूर कल्याण केंद्र फगवाड़ा, गोबिन्दगढ़, हिसार तथा पठानकोट में खोले गए हैं। मज़दूरों की सरकारी बीमा योजना जो पहले सात सनअती नगरों में चालू की गई थी, दूसरी योजना के दौरान और भी नगरों में लागू की जाएगी। लगभग ३०,००० मज़दूर २५ उद्योगों में लागू की गई प्राविडैंट फंड स्कीम (Employees' Provident Fund Scheme) से लाभ उठा रहे हैं। राज्य में इस समय २६ रोज़गार-दिलाऊ दफ़्तर (Employment Exchanges) खुले हुए हैं जिन से लगभग ४१,००० व्यक्तियों की रोज़गार सम्बन्धी ज़रूरतें पूरी होती हैं।

सड़कें तथा ट्रांसपोर्ट

१६. सड़कों की उन्नति की ओर लगातार ध्यान दिया जाता रहा। १६५६-५७ में तसल्लीबख्श तरक्की हुई और १६५ मील सड़कें मुकम्मल की गईं। चालू साल के अन्त तक ३३५ मील और सड़कें तैयार हो जाएंगी जिस से पक्की सड़कों की कुल लम्बाई ३,६०० मील हो जाएगी। अगले साल के लिए सड़कों पर २.८४ करोड़ रुपए खर्च करने का विचार है जब कि चालू साल के दौरान में २.६५ करोड़ रुपए खर्च किए जाने का अनुमान है। बरसात के मौसम में यातायात चालू रखने के लिए, जालन्धर के निकट बेंई पर जो पुल बनाया जा रहा था, वह तय्यार हो चुका है। कालका-अम्बाला सड़क पर घग्गर नदी का पुल मुकम्मल होने वाला है। इस पुल के बन जाने से राजपुरा के रास्ते ट्रैफ़िक को बदलने की ज़रूरत नहीं रहेगी।

जनता को सफ़र की और अच्छी सहूलतें जुटाने के लिए सरकारी ट्रांसपोर्ट सर्विस बहुत बढ़िया काम कर रही है। लुधियाना में एक बस स्टैंड के लिए ज़मीन हासिल कर ली गई है जब कि दिल्ली, अम्बाला और करनाल में बस स्टैंडों के लिए ज़मीनें प्राप्त की जा रही हैं। फिरोज़पुर, पठानकोट, जालन्धर और अमृतसर के बस स्टैंड तय्यार हो चुके हैं और चंडीगढ़

में एक ऐसा बस स्टैंड बनाने का काम जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा, जिस में सभी सहूलतें मौजूद होंगी। माल ढोने का काम बढ़ जाने से ३८५ और ट्रकों (Public Carriers) के परमिट मंज़ूर किए गए हैं।

चंडीगढ़ राजधानी

१७. पंजाब और पैप्सू राज्यों के इकट्ठा हो जाने से राजधानी प्राजैक्ट के कुछ निर्माण-कार्यों को बढ़ाना ज़रूरी हो गया, इस लिए प्लानिंग कमीशन ने दूसरी पांच-साला योजना में चंडीगढ़ राजधानी प्राजैक्ट के अनुमानित खर्च को ११,६२ लाख रुपए से बढ़ा कर १३,२० लाख कर दिया है। लेकिन इन बढ़ाई गई योजनाओं को पूरा करने के लिए शायद कर्ज़ा देना प्लानिंग कमीशन ने अभी मंज़ूर नहीं किया। हम यह ज़रूरी समझते हैं कि यह रुपया हमें मिले, क्योंकि हमारी कुछ ज़रूरतें दोनों राज्यों के मिल जाने से बढ़ गई हैं। यह एक ऐसी बात है जिसका अन्दाज़ा राजधानी प्राजैक्ट के अनुमान तय्यार करते समय शुरू में नहीं लगाया जा सकता था। हाईकोर्ट की इमारत को बढ़ाना होगा। कर्मचारियों को शिमला से चंडीगढ़ लाने के लिए हमें २,५०० और रिहायशी मकान चाहिएं और प्रादेशिक कमेटियों (Regional Committees) को स्थान जुटाने के लिए विधान सभा की इमारत को भी बढ़ाना पड़ेगा। हमारी ये ज़रूरतें कितनी वास्तविक हैं, प्लानिंग कमीशन को इस बात का यकीन दिलाने के लिए कोशिशें जारी हैं। इन कठिनाइयों के बावजूद बाकी दफ्तरों को अगले साल में शिमला से चंडीगढ़ लाने के लिए सरकार ने पक्का इरादा किया हुआ है। इस काम के लिए और रिहायशी मकानों की ज़रूरत होगी। इस लिए फ़ैसला किया गया है कि एक हज़ार और मकान बनाने का काम फ़ौरन ही शुरू कर दिया जाए। विधान सभा की इमारत बनाने का काम शुरू करने की भी तजवीज़ है, हालांकि इसके एक हिस्से को धन की कमी के कारण फिलहाल रोकना पड़ जाएगा। राज्यपाल महोदय की अपनी इच्छा पर नए राजभवन की तामीर का काम मुल्तवी कर दिया गया है। मौजूदा सरकट हाऊस को और बढ़ा कर और उस में ज़रूरी तबदीलियां करके उसे ही राजभवन में बदल दिया जाएगा।

चंडीगढ़ में प्राइवेट क्षेत्र में भी बराबर तरक्की हो रही है। एक हज़ार मकान पहले ही बन कर तय्यार हो चुके हैं तथा २५० बन रहे हैं। अब तक यहां १,२६५ व्यापारिक प्लाट बनाए गए हैं जिन में से ६४६ प्लाट बिक चुके हैं। चालू साल में प्राइवेट इमारतों की तामीर के कामों को बढ़ावा देने के लिए ४० लाख रुपए के इमदादी कर्ज़ों का इन्तज़ाम किया गया। अगले साल के लिए भी इस काम के लिए इतनी ही रकम रखी गई है।

चंडीगढ़ में सनअतों की तरक्की के लिए सरकार ने राजधानी चंडीगढ़ को एक सनअती क्षेत्र करार दिया है जहां १५४ सनअती प्लाट होंगे। जिन लोगों को ये प्लाट अलाट किए जाएंगे, उन्हें सनअतों की सरकारी मदद के कानून (State Aid to Industries Act) के मातहत ५० हज़ार रुपए तक के कर्ज़े मिल सकेंगे। जो कारखानादार चंडीगढ़ में जल्दी ही कारखाने लगाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ एक प्लाट रिज़र्व रखे गए हैं। इन प्लाटों को उन्हें आपसी बातचीत से तय की गई कीमत पर बेचा जाएगा। जो फौंडरियां सरकार को सरकारी

[वित्त मंत्री]

आर्डर पर माल सप्लाई करेंगी, उन्हें लोहे और कोयले (Coke) का फालतू कोटा दिया जाएगा। जो कोटाहोल्डर प्लाटों की खरीद के छः महीने के अन्दर अन्दर चंडीगढ़ में अपने कारखाने ले आयेंगे, उन्हें लोहे और इस्पात का २५ फ़ीसदी फालतू कोटा मिलेगा। चंडीगढ़ के कारखानों को इस बात की भी रियायत दी गई है कि वे महकमा स्टोर पर्चेज (Stores Purchase Department) की आधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिये कम से कम टैंडर देने वाले को कीमतों पर सामान सप्लाई कर सकते हैं। मज़दूरों के लिए मकान बनाने की जो योजना बनाई गई है, उस के मातहत ३०० मकान पहले ही तय्यार हो चुके हैं।

सामुदायिक विकास

१८. सामुदायिक विकास प्रोग्राम जारी होने से राज्य के देहाती इलाकों में एक नया सामाजिक और आर्थिक ढांचा पनप रहा है। अब देहाती जीवन का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा होगा जिस में तेज़ी से तबदीली नहीं आ रही। देहाती जनता पक्की गलियों, साफ़ पानी, अच्छी शिक्षा, डाक्टरी चिकित्सा और उचित खुराक तथा मकानों इत्यादि की सुविधाओं की अहमीयत को समझने और पसन्द करने लग पड़ी है। इन सभी सहूलतों को आम लोगों तक आसानी से पहुंचाने के इलावा सामुदायिक विकास कार्य खेतीबाड़ी के विकास को सब से ज़्यादा महत्व देता है। तजवीज़ है कि इस प्रोग्राम के मातहत इलाकों में खेतीबाड़ी की पैदावार को ४० फ़ीसदी तक बढ़ाया जाए। राज्य भर के लिए जो निशाने रखे गए हैं उन के सम्बन्ध में जिला और ब्लाकों (Blocks) के लिए भी निशाने निश्चित कर दिए गए हैं और पैदावार की ग्रामवार योजनाएं तय्यार की गई हैं। केवल सितम्बर, १९५७ तक १०.८७ लाख मन विलायती खादें बांटी गईं, २.६ लाख एकड़ बंजर भूमि में हल चलाया गया और ३ लाख एकड़ ज़मीन में सिंचाई की सुविधाएं पहुंचाई गईं। साल १९५७ के पहले छः महीनों में गांव वालों ने अपनी तरफ से जो मदद दी उस की मालीयत ५८१ लाख रुपए बैठती है जबकि सरकार ने इस काम के लिए अपनी ओर से ५६२ लाख रुपये खर्च किए।

इस वक्त राज्य में १२० विकास खंड (Development Blocks) काम कर रहे हैं, इन से १६,१३१ गांवों की ८४.५० लाख आबादी लाभ उठा रही है। चालू साल में ३७ नए कौमी विस्तार सेवा खंड (N.E.S. Blocks) जारी किए गए और भरपूर विकास के लिए ८ एन० ई० एस० खंडों को सामुदायिक विकास खंडों में तबदील किया गया। अगले साल २६ ब्लाक खोले जाएंगे और ११ मौजूदा ब्लाकों को सामुदायिक विकास ब्लाकों में तबदील किया जाएगा। तजवीज़ है कि दूसरी पांच-साला योजना के आखीर तक सारे राज्य में कौमी विस्तार सेवा खंड (N.E.S. Blocks) कायम कर दिये जाएंगे।

11 a.m.

सेहत

१९. राज्य में डाक्टरी सहूलतों और सेहत सम्बन्धी प्रोग्राम बढ़ाने की दिशा में तरक्की जारी है। स्वास्थ्य यूनिटों (Health Units) और ग्राम स्वास्थ्य केन्द्रों (Rural Health Centres) की तादाद बढ़ गई है, ६ और सिविल डिस्पैंसरियों को सरकारी इंतज़ाम में ले लिया गया है और दांतों सम्बन्धी इलाज के प्रबन्ध का काम तरक्की पर है। मलेरिया, कोढ़, तपेदिक और चेचक की रोकथाम के लिए मुनासिब कदम उठाए गए हैं। असल में मलेरिया-विरोधी कार्यक्रम अगले साल तक

सारे राज्य में लागू हो जाएगा । परिवार-नियोजन क्लीनिक (Family Planning Clinic) कायम करने की दिशा में अभी काम शुरू ही हुआ है और इस काम को अगले साल और बढ़ाया जाएगा ।

पानी सप्लाई की जो २७ योजनाएं हैं उन में से १० मुकम्मल हो चुकी हैं और दूसरी दस में निर्माण का काम काफ़ी आगे बढ़ गया है । निकास नालियां तैयार करने की २२ योजनाओं में से ६ में काम बहुत आगे बढ़ चुका है । पंजौर और राजपुरा के नज़दीक के देहात की सफ़ाई स्कीमें (Rural Sanitation Schemes) मुकम्मल हो चुकी हैं किन्तु ऐसी दूसरी देहाती योजनाओं पर बहुत तरक्की नहीं हो सकी । अब फैसला किया गया है कि देहाती आबादी खर्च के २५ फीसदी के बजाए अब केवल १२ फ़ीसदी हिस्सा नकदी और जिन्स की शकल में दे और बाकी रुपया केन्द्र और राज्य से सहायता के रूप में मिले । इस तबदीली से आशा है कि देहाती इलाकों में और योजानाएं जारी हो सकेंगी और मुकम्मल की जा सकेंगी । अगले साल पानी सप्लाई और पानी के निकास की योजनाओं पर खर्च करने के लिए ६४ लाख रुपए रखे जा रहे हैं ।

आयुर्वैदिक चिकित्सा को पहले की तरह ही बढ़ावा दिया जा रहा है । पटियाला के आयुर्वेदिक कालेज में दाखला बढ़ा दिया गया है और अगले साल में ५० नई आयुर्वैदिक डिस्पैंसरियां खोली जाएंगी । चालू साल में भी ५० ऐसी डिस्पैंसरियां खोली गई थीं ।

२०. चालू माली साल में पंजाब सरकार ने दो अहम फैसले किए जिनसे शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्ति आ जाएगी । इस में से पहला फैसला राज्य की स्थानीय संस्थाओं (Local Bodies) के स्कूलों को सरकारी इंतज़ाम में लेने के बारे में था । इस

तालीम

हाऊस के माननीय सदस्य जानते हैं कि स्थानीय संस्थाओं के अध्यापकों को नौकरी की शर्तों को अच्छा बनाने के सवाल पर सरकार पिछले कुछ सालों से ध्यान दे रही है । ये अध्यापक कम तनख़ाह मिलने के बारे में आन्दोलन भी करते रहे हैं और एक या दो मौकों पर इस आंदोलन ने भीषण रूप धारण कर लिया था । चूंकि अध्यापकों की इन मांगों को पूरा करने में सबसे बड़ी रुकावट यह थी कि संबन्धित स्थानीय संस्थाओं को सहायतानुदानों (Grants-in-Aid) के रूप में भारी रकम देनी पड़ती थी, इस लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया कि इस राज्य के हित में यह अच्छा रहेगा कि इन्हें सहायतानुदान देने की बजाए, इन के स्कूलों को ही सरकारी इंतज़ाम में ले लिया जाए । इस कार्यवाही का सीधा नतीजा यह निकलेगा कि अपनी तनख्वाहों के स्केल के बारे में स्थानीय संस्थाओं के अध्यापकों को कोई शिकायत नहीं होगी । यह भी मानना पड़ेगा कि स्थानीय संस्थाओं के अकसर स्कूलों में न तो पूरा सामान था न अच्छी इमारतें । उनके सारे अध्यापक भी पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं होते थे । इस तबदीली से १०,००० से ज्यादा स्कूलों, २८,००० अध्यापकों, ४०० क्लर्कों और चौथे दर्जे के ३,००० कर्मचारियों को लाभ पहुंचा है ।

दूसरा फैसला और भी अहम है जिसके मुताबिक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में प्राइमरी स्टैंडर्ड तक शिक्षा मुफ्त कर दी गई है । कांगड़ा और महिन्दरगढ़ ज़िलों के पिछड़े

[वित्त मंत्री]

इलाकों में मिडल तक की पढ़ाई की फीस नहीं ली जाएगी । अमृतसर और गुरदासपुर ज़िलों के बाढ़-पीड़ित लोगों की सहायता के लिए हाई स्टैंडर्ड तक शिक्षा मुफ्त करने का भी फैसला किया गया है। मुफ्त शिक्षा देने का हमने जो निशाना रखा हुआ है, उसे पूरा करने के सिलसिले में हाऊस को यह जान कर खुशी होगी कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में अगले साल से छठी जमात तक मुफ्त शिक्षा की रियायत देने का फैसला कर लिया गया है।

माली ज़िम्मेदारियों के इलावा, इन दोनों योजनाओं से आगे चल कर कई अहम और कठिन मसले पैदा हो जाएंगे, जिन्हें हल करने के लिए हमें बहुत कुशलता और धीरज से काम करना पड़ेगा।

इस चालू साल में शिक्षा योजना के अधीन दूसरी स्कीमों पर ११७ लाख रुपए खर्च किये जा रहे हैं और अगले साल के लिए १३० लाख रुपए रखे गये हैं। लड़कियों की शिक्षा की ओर खास ध्यान दिया गया है। लड़कियों के चार प्राइमरी स्कूलों को मिडल स्कूलों और ६ मिडल स्कूलों को हाई स्कूलों में बदल दिया गया है। इनके इलावा चंडीगढ़ और जालन्धर में लड़कियों के लिए दो नए स्कूल कायम किए गए हैं। गुड़गांव और रोहतक में लड़कियों के दो कालेज और कुरुक्षेत्र में एक नया पोस्ट-ग्रेजुएट बेसिक ट्रेनिंग कालेज कायम करने की तजवीज़ है।

मौजूदा युग में देश की हर तरह की तरक्की में टैकनीकल शिक्षा का अहम स्थान है। दूसरी पांच-साला योजना तय्यार करते समय प्लानिंग कमीशन ने इंजीनियरों की जो कमेटी (Engineering Personnel Committee) बनाई थी उस ने इस बात की भारी आवश्यकता पर ज़ोर दिया कि नई संस्थाएं खोल कर और मौजूदा संस्थाओं को बढ़ा कर टैकनीकल शिक्षा की सहूलतों को फ़ौरन ही बढ़ाया जाए। इस बात के मद्देनज़र पंजाब सरकार ने टैकनीकल शिक्षा के लिए एक बोर्ड (State Board for Technical Education) कायम किया। राज्य में टैकनीकल शिक्षा और टैकनीकल प्रोग्राम को ठीक तरह से चलाने के लिए इस बोर्ड के साथ एक टैकनीकल शिक्षा डायरैक्टोरेट (Technical Education Directorate) होगा जो इस बोर्ड की कार्यकारिणी एजैंसी (Executive Agency) के तौर पर काम करेगा। आशा है कि इस से राज्य में टैकनीकल शिक्षा का मयार ऊंचा हो जाएगा।

दूसरी पांच-साला योजना में जो अहम योजनाएं शामिल की गई हैं उन के मुताबिक चंडीगढ़ के इंजीनियरिंग कालेज (Punjab Engineering College) को इतना बढ़ा दिया जाएगा कि उस में डिग्री कोर्स के लिए हर साल २४० छात्र और हाईवे इंजीनियरिंग (Highway Engineering) के पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्स के लिए १० छात्र दाखिल किए जा सकें। नीलोखेड़ी के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग स्कूल और पालीटैक्निक (Polytechnic) को इकट्ठा कर दिया जाएगा। एक पालीटैक्निक संस्था चंडीगढ़ में और दूसरी हरियाना के इलाके में कायम की जाएगी।

इसके इलावा अम्बाला के सरकारी टैकनीकल इंस्टिच्यूट को विकसित किया जाएगा । अगले साल में इन संस्थाओं के विकास के लिए ९७ लाख रुपए रखे गए हैं । इन योजनाओं के इलावा पटियाला की थापर इन्स्टिच्यूट आफ इंजीनियरिंग एंड टैक्नालोजी (Thapar Institute of Engineering and Technology), लुधियाना का गुरुनानक इंजीनियरिंग कालेज, फगवाड़ा को विश्वकर्मा पोलीटैक्निक, बैजनाथ की तारा-कर्ण एस० डी० इन्स्टिच्यूट, होशियारपुर की टैकनीकल इन्स्टिच्यूट और जालन्धर की मेहरचन्द टैकनीकल इन्स्टिच्यूट जैसी प्राइवेट संस्थाओं को भी सरकार द्वारा मदद दी जा रही है ।

अनुसूचित इलाके और पिछड़ी जातियां

२१. अनुसूचित कबीलों की तरक्की के कल्याण और लाहौल तथा सपीति के अनुसूचित इलाकों के लिए खेतीबाड़ी, सिचाई, पशुपालन, शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, वन और सड़कों सम्बन्धी महकमों ने अपनी सरगर्मियां जारी रखीं । इस काम पर दूसरी पांच-साला योजना के दौरान राज्य योजना (State Plan) में से २१.५८ लाख रुपए और केंद्रीय प्लान (Central Plan) में से ८८.२६ लाख रुपए खर्च किए जाएंगे ।

अनुसूचित जातियों और पिछड़ी श्रेणियों की भलाई के काम की देखभाल एक अलग महकमा करता है । मैं ने पिछले भाषण में जिन रियायतों का ज़िक्र किया था, वे अब भी इन्हें दी जा रही हैं । अनुसूचित जातियों (Scheduled Castes) और विमुक्त जातियों को ज़मीन खरीदने के लिए माली मदद देने की एक योजना मंजूर की गई है । यह योजना केन्द्र की ओर से शुरू की गई है । ३२० परिवारों को आबाद करने के लिए १६ लाख रुपए की ज़मीन खरीदी जा रही है। इस काम के लिए केन्द्रीय सरकार की तरफ से ७ लाख रुपए और राज्य सरकार की ओर से २ लाख रुपए पहले ही खर्च हो चुके हैं।

राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं की मदद

२२. कौमी वर्करों की मदद के लिए जो फण्ड जारी किया गया है उस में से सियासी पीड़ितों को पहले की तरह ही मदद मिलती रही है । साल १९५८-५९ में इस काम के लिए १६ लाख रुपए की रकम रखी गई है ।

सिविल और रेविन्यू सम्बन्धी शासन-प्रबंध

२३. साल १९५७-५८ में प्रशासन क विकेन्द्रीकरण (Decentralization) का काम जारी रहा और ३ नई सब-डिवीज़नें खोली गईं । इस साल भ्ष्टाचार विरोधी विभाग (Anti-Corruption Department) ने अपने पांव अच्छी तरह जमा लिए और अब रिश्वतखोर कर्मचारियों के खिलाफ जांच और छान-बीन का काम बड़ी तेज़ी से पूरी किया जा रहा है ।

खज़ानों (Treasuries) और उप-खज़ानों (Sub-Treasuries) क काम में और सुधार लाने के लिए पूरा-वक्त काम करने वाले ६ सब-ट्रेयरी अफ़सर लगाए गए । उमीद है कि जल्दी ही ऐसे १८ और अफसर लगाए जाएंगे ।

[वित्त मंत्री]

पिछले साल राज्य की पुलिस पर बड़ा दबाव और बोझ पड़ा। हिन्दी समिति एजीटेशन ने राज्य के फ़िरकों में आपसी तनाव और कशीदगी पैदा कर दी थी, किन्तु इस आन्दोलन का बड़ी होशियारी और धीरज के साथ सामना किया गया। पुलिस ने इस सारे आन्दोलन के दौरान समय समय पर दिलाई जाने वाली भारी उत्तेजना के बावजूद फर्ज़शनाशी का शानदार सबूत दिया। हालांकि इन हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस का काम बहुत बढ़ गया था फिर भी उस ने अपराधी तत्वों को ख़त्म करने के लिए अपनी मज़बूत और सरगर्म कोशिशें जारी रखी हैं। और उन में किसी तरह की ढील नहीं आने दी है। इन कोशिशों की वजह से डाकों, लूट, सेन्ध, चोरियों और अग़वा आदि सभी तरह की वारदातों में कमी हुई। कई एक हथियार-बंद डाकुओं से मुकाबिले हुए और इन की वजह से खतरनाक किस्म के ७ मुजरिम मारे गए और २१ गिरफ्तार हुए।

पंजाब आर्म्ड पुलिस (Punjab Armed Police) देश की सीमाओं की बड़ी सावधानी से चौकसी करती रही। उसकी वजह से सरहद पर रहने वाले लोगों के हौसले बुलन्द हैं। चोरी-छुपे माल ले जाने की वारदातों को रोकने के लिए की जा रही कार्रवाइयों की रफ्तार तेज़ कर दी गई और इन के नतीजे के तौर पर चोरी-छुपे माल ले जाने वाले ९६१ आदमी गिरफ्तार किए गए और १८ लाख रुपए का सामान ज़ब्त किया गया।

हमारी जेलों में इस वक्त जितने कैदी हैं और उन के लिए वहां अधिकृत रूप से जितनी जगह चाहिए उस का अंतर अब नई जेल इमारतों की तामीर से बहुत हद तक कम हो गया है। कई एक हवालातों (Judicial Lock-ups) को सहायक जेलों में बदल दिया गया है। कैदियों को कई एक और सहूलतें दी गई हैं और जेल उद्योग तसल्लीबख्श तौर पर तरक्की कर रहे हैं।

माननीय सदस्य जानते ही हैं कि पंजाब में ज़मीन के पट्टे की सुरक्षा (संशोधन) सम्बन्धी कानून, १९५७ [Punjab Security of Land Tenures (Amendment) Act, 1957] के मंजूर हो जाने से अब सरकार राज्य में फाल्तू ज़मीनों के बारे में ठीक ठीक जानकारी इकट्ठी कर रही है। उमीद है कि ज़मींदार इस दिशा में अब हमें ज़्यादा सहयोग देंगे और हमें अगले माली साल के दौरान फाल्तू ज़मीन के बारे में ठीक ठीक जानकारी मिल जाएगी। खेतिहरों के बारे में जो सुधार लागू किए गए हैं उन्हें अमली जामा पहनाने में आने वाली सभी तरह की देरियों को दूर करने के लिए एक अलहदा महकमा खोलने का फैसला किया गया है। यह महकमा एक एडीशनल सैक्रेट्री (Additional Secretary) के मातहत होगा।

२४. आप जानते ही हैं कि पिछले साल सरकार ने वेतन पड़ताल समिति (Pay Revision Committee) की सिफारिशों को पूरी तरह मंजूर कर लिया था। यह कमेटी जून, १९५६ में कायम की गई थी। इस की सिफारिशों के मंजूर होने से पटवारी, कानूनगो, अध्यापक, फुटकांस्टेबल, हैड कांस्टेबल, असिस्टैंट सब-इंस्पैक्टर पुलिस आदि कम वेतन पाने वाले बहुत से कर्मचारियों, और चौथे दर्जे के सरकारी मुलाज़िमों को मदद मिली थी। सरकारी कर्मचारियों को और फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमने जो नीति अपनाई हुई है उसके मुताबिक सरकार ने अब यह फैसला किया है कि पहिले के पंजाब और पैप्सू के कर्मचारियों के लिए आरज़ी और महंगाई भत्तों को एक जैसा कर दिया जाए। पंजाब के जो कर्मचारी १०० रुपए से २५० रुपए तक वेतन लेते हैं उन्हें दो सालाना तरक्कियां (Increments) मिलती हैं और जिनका वेतन २५१ रुपए से ४०० रुपए के दरमियान है उन्हें कुछ शर्तों और सम्बन्धित कर्मचारियों के हितों को देखते हुए कुछ ज़रूरी घटाबढ़ियों (Marginal Adjustments) के साथ एक सालाना तरक्की (Increment) मिलती है। यह रियायत अब पहिले के पैप्सू के ऐसे कर्मचारियों को भी मिलने लगेगी। इस से हमें ८ लाख रुपए का अतिरिक्त सालाना खर्च बढ़ाना पड़ेगा। पूर्ववर्ती पैप्सू के जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन ७५० रुपए तक है उन्हें अपने महंगाई भत्ते का ५० फ़ीसदी महंगाई वेतन के तौर पर मिलता है। यह रियायत अब इतना वेतन पाने वाले पंजाब के कर्मचारियों को भी मिलने लगेगी। इस तरह पैंशन देने के बारे में सरकार की ज़िम्मेदारी में ९ लाख रुपए की बढ़ती हो जाएगी। अनुमान है कि नई दर्जाबंदी से सफर भत्तों, किराया मकान आदि के रूप में २५,००० रुपए का आवर्तक (Recurring) सालाना खर्च बढ़ जाएगा।

सरकारी मुलाज़िमों को रियायतें

२५. राष्ट्रपति ने जो दूसरा फाइनैंस कमीशन बनाया था उस ने चालू वर्ष के दौरान अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। इस कमीशन ने आयकर (Income-tax), केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (Union Excise Duties), सम्पत्ति शुल्क (Estate Duty) और रेलवे के भाड़े पर लगे टैक्सों से होने वाली ठोस आमदनी के केन्द्रीय सरकार (Union Government) और राज्यों के बीच बटवारे के बारे में सिफारिशें की हैं। इन की तफसील फाइनैंस सक्रेटरी (Finance Secretary) के मैमोरैण्डम (Memorandum) में दी गई है। आम सहायतानुदानों (General Grants-in-aid) के सिलसिले में पंजाब के लिए १२५ लाख रुपए की जो रकम निश्चित की गई थी उसे बढ़ा कर २२५ लाख रुपए सालाना कर दिया गया है। यह बढ़ती पंजाब की उन खास समस्याओं को सामने रखकर की गई है जो एक सरहद्दी राज्य होने और अभी तक बटवारे के घावों के पूरी तरह न भरने के कारण हमें

फाइनैंस कमीशन (Finance Commission)

[वित्त मंत्री]

पेश आ रही हैं। जबकि फाइनैंस कमीशन ने सहायतानुदान को बढ़ा कर २२५ लाख रुपया सालाना कर दिया है उस ने उन कदमों की भी तसदीक कर दी है जो कि पंजाब सरकार ने पहली पांच-साला योजना के दौरान ज़रूरी टैक्स इकट्ठे करने के लिए उठाए। ५ करोड़ रुपए का जो निशाना रखा गया था उस में से पंजाब ४.५ करोड़ रुपए इकट्ठे करने में कामयाब हुआ और इस तरह ९० फ़ीसदी निशाना पूरा कर लिया गया।

इन सिफ़ारिशों का एक आम नतीजा यह निकला है कि हमारी आमदनी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई है। साल १९५७-५८ के बजट में इन साधनों से जहां ५२१ लाख रुपए की प्राप्ति हुई थी वहां १९५८-५९ में यह बढ़ कर ८१४ लाख रुपए हो जाएगी। कमीशन ने हमारी ज़रूरतों को जिस खूबी से समझा है उस के लिए मैं और मेरे साथ आप सब सदस्य भी कमीशन के सभापति तथा उस के दूसरे सदस्यों के शुक्रगुज़ार होंगे। हमारा यह फर्ज़ है कि कमीशन ने हम से जो आशाएं बांधी हैं, हम उन्हें पूरा करें। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के आखरी पैराग्राफ (Paragraph) में इन आशाओं का जो खुलासा दिया है उस का ज़िकर मैं यहां करना चाहूंगा :

> "इस वक्त इस बात की सब से बड़ी ज़रूरत है कि राज्य अपने जो आगम (Revenue) बजट बनाएं वे घाटे के न हों। उन्हें इस योग्य बनाने के लिए हमने केन्द्रीय टैक्सों को बांटने की यह नई योजना (Scheme of Devolution) बनाई है। जब तरक्की और विकास की बड़ी बड़ी योजनाओं पर अमल हो रहा हो तो राज्य के बजट में घाटे का भारी अंदेशा बना रहता है और इस तरह करंसी के फैलाव की संभावनाओं (Inflationary Potential) के बढ़ जाने से देश के माली ढांचे को ही खतरा पड़ जाता है। अब जब कि स्थायी सम्पत्ति (Permanent Assets) पर होने वाला सारा खर्च पूंजीगत खर्च (Capital Outlay) माना जाने लगा है, चालू खातों के घाटों को उधार लेकर पूरा करना हमारी पीढ़ी के लिए एक ऐसा नामुनासिब कदम होगा जो हम बोझ के रूप में आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाएंगे। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम विकास खर्च को अपने साधनों से ही पूरा करें और राज्य सरकारें इस खर्च को पूरा करने के लिए भी आगम (Revenue) में घाटा न पड़ने दें। हम पूरी उमीद रखते हैं कि वे अपनी माली नीतियां तैयार करते वक्त इस बात को ध्यान में रखेंगी।"

अपने बजट को संतुलित बनाने के लिए जो कदम उठाने ज़रूरी हैं उन की तरफ आप का ध्यान दिलाने से पहले मैं उन सिफ़ारिशों का ज़िक्र करना चाहूंगा जो कि राज्यों द्वारा केंद्र (Union) के कर्ज़ों को लौटाने के सिलसिले में फाइनैंस कमीशन ने की हैं। इन सिफ़ारिशों की तफ़सील फाइनैंस सैक्रेट्री (Finance Secretary) के मैमोरैण्डम (Memorandum) में दी गई है। इन से पता

चलता है कि राज्यों का बोझ अब मुनासिब हद तक कम हो गया है । भारत सरकार ने इन सिफ़ारिशों को अगर्चे मंज़ूर कर लिया है फिर भी हमें कहा गया है कि हम पुराने आधार पर ही अपना बजट तैयार करें और हम ने ऐसा ही किया है । फिर भी मैं केंद्रीय सरकार से मांग करूंगा कि वे इस दिशा में भी फाइनैंस कमीशन (Finance Commission) की सिफ़ारिशों पर अमल करे । मैं पुनर्वास सम्बन्धी कर्ज़ों को लौटाने के बारे में खासतौर से उत्सुक हूं । हम ने फाइनैंस कमीशन (Finance Commission) से निवेदन किया कि केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को पुनर्वास योजनाओं के लिए दिये जाने वाले कर्ज़े की शर्तों के अनुसार पश्चिमी पाकिस्तान से १ जनवरी, १९५० से पहिले आने वाले बेघर लोगों को और इस तारीख या इस के बाद पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले बेघर लोगों को कर्ज़ा देने का तरीका अलग अलग है । पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले लोगों को दिए जाने वाले कर्ज़ों के मामले में नुकसान की सारी ज़िम्मेदारी केन्द्रीय सरकार ने ली जबकि पश्चिमी पाकिस्तान से आए बेघर लोगों को दिये जाने वाले कर्ज़ों के मामले में नुकसान राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार में ५० : ५० की निस्बत से बांटा जाना था । इस प्रकार का भेदभाव वाजिब नहीं था । क्योंकि पंजाब में ज्यादातर कर्ज़े १ जनवरी, १९५० से पहिले ही दिए गए थे, इसलिए हमने मांग की कि बेघर लोगों के पुनर्वास के कर्ज़ों को लौटाने में इस तरह का भेदभाव दूर किया जाए ।

फाइनैंस कमीशन ने यह मान लिया कि हमारी मांग जायज़ है और उन्होंने सिफ़ारिश की है कि १ अप्रैल , १९५७ से राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को वसूल किया हुआ मूलधन और उस का व्याज ही अदा करे जिस में इन तारीखों को बची रहने वाली बकाया रकम की वसूली भी शामिल है । फाइनैंस कमीशन ने इस बात का अंदेशा ज़ाहिर नहीं किया कि इस प्रकार राज्य सरकार के इन कर्ज़ों की वसूली के प्रयत्नों में किसी प्रकार की ढील आ जाएगी बल्कि उन्हें पूरा विश्वास था कि राज्य सरकार इस मामले में अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी तरह महसूस करती है । राज्य सरकार के लिए यह बात बड़ी अहम है कि केन्द्रीय सरकार फाइनैंस कमीशन के इस सुझाव को मान ले और मौजूदा भेदभाव को दूर करे ।

बिजली बोर्ड (Electricity Board)

२६ . पिछले साल मैं ने हाऊस को बताया था कि बिजली सप्लाई कानून, १९४८ (Electricity Supply Act, 1948) के मातहत पंजाब में एक राज्य बिजली बोर्ड (State Electricity Board) कायम किया जाएगा । यह बोर्ड अब पहली अप्रैल, १९५८ से बनाया जा रहा है । यह एक स्वतंत्र संस्था (Autonomous Body) होगी । पंजाब सरकार की बिजली की योजनाओं के सारे लेन देन इन के ही ज़िम्मे होंगे ।

बिजली सप्लाई कानून, १९४८, की धारा ६१ के अनुसार बोर्ड हर साल फरवरी में राज्य सरकार को अगले साल के लिए पूंजी और आगम की अनुमानित आमदनी

[वित्त मंत्री]
और खर्च की तफ़सील निर्धारित तरीके से पेश करेगा। यह तफ़सील बहस के लिए राज्य विधान मंडल के सामने पेश होगी। लेकिन इसे विधान मंडल की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होगी। पहली अप्रैल, १६५८ से बोर्ड के बन जाने से हमारे बजट अनुमानों में, जहां तक बिजली की मदों का सम्बन्ध है, ब्योरेवार मांगें शामिल नहीं होनी चाहिएं, पर चूंकि इस समय तक बोर्ड कायम नहीं हुआ, इसलिए बजट अनुमान अलग अलग नहीं किए जा सकते। इसलिए अभी बजट उसी तरह तय्यार किया गया है जिस तरह आज तक होता रहा है।

अनुमान है कि साल १६५७-५८ के आखीर तक उहल नदी योजना और नंगल बिजली प्राजैक्ट पर क्रमश: १३,१४ लाख रुपए और ३५,५७ लाख रुपए की कुल पूंजी लगाई जा चुकी होगी। यह रकम बोर्ड के ज़िम्मे कर्ज़े के रूप में समझी जाएगी और इस कर्ज़े पर बोर्ड को इस तरह के कर्ज़ों के लिए निश्चित दरों पर सूद देना पड़ेगा। अनुमान है कि सूद के मौजूदा दरों के आधार पर बोर्ड को उहल नदी योजना पर लगी पूंजी के लिए ४८ लाख रुपए और नंगल बिजली प्राजैक्ट पर लगी पूंजी के लिए १७८ लाख रुपए हर साल सूद के तौर पर देने होंगे। यही रकम है जो सरकार बोर्ड से वसूल किया करेगी। इस के मुकाबले में १६५८-५६ के बजट अनुमानों के अनुसार सरकार की आमदनी उहल नदी योजना के सिलसिले में ६६ लाख रुपए और नंगल बिजली प्राजैक्ट के सिलसिले में १११ लाख रुपए कम हो जाएगी। आमदनी में यह कमी उहल नदी योजना के सिलसिले में चालू खर्चों, मशीनरी की घिसाई और दूसरे प्रबंध-सम्बन्धी खर्चों को और नंगल बिजली प्राजैक्ट के सिलसिले में प्रबंध-सम्बन्धी खर्चों को पूरा करने के बाद आंकी गई है। इस तरह जहां तक नंगल का सम्बन्ध है बोर्ड के बनने से इस वक्त राज्य सरकार को कोई घाटा नहीं है क्योंकि अगर बिजली से कुछ ज़्यादा आमदनी भी होती तो वह पूंजीगत सूद सम्बन्धी खर्चों की अदायगी में ही चुक जाती। लेकिन जहां तक उहल नदी योजना का सम्बन्ध है इस समय उस से राज्य को १८ लाख रुपए की ठोस आमदनी है और बोर्ड कायम हो जाने के बाद यह बंद हो जाएगी। इसलिए इस से साल १६५८-५६ के बजट में जो आगम घाटा पहले ही दिखाया जा चुका है, वह और बढ़ जाएगा।

साधन और छंटनी तथा काडर कमेटियां (Resources and Retrenchment and Cadre Committees)

२७. अपने पिछले साल के बजट भाषण में मैंने इस बात की तरफ़ इशारा किया था कि अलग अलग महकमों द्वारा जो खर्च किया जा रहा है, उस की छान-बीन करने के लिए कमेटियां कायम की जाएंगी। खास तौर पर इस खर्च का सम्बन्ध सफ़र भत्तों, आकस्मिक खर्चों (Contingencies) और कर्मचारी वर्ग (Staff) से है। इस सिलसिले में १६ जून, १६५७ को साधन और छंटनी कमेटी की स्थापना की गई। कमेटी की अभी तक छ: बैठकें हुई हैं तथा उसने सरकार से कुछ सिफ़ारिशें की हैं जोकि सरकार के विचाराधीन हैं। कमेटी चालू वर्ष के अन्त तक अन्तरिम रिपोर्ट पेश करने की आशा रखती है।

जून, १९५७ में एक काडर कमेटी (Cadre Committee) भी बनाई गई थी। सरकार को आशा है कि इस कमेटी की रिपोर्ट कुछ महीनों में इसे मिल जाएगी।

२८. बजट में दिखाई गई प्राप्तियों और खर्च के मुताबिक आगम में २०८ लाख रुपए का घाटा है और चूंकि बिजली बोर्ड (Electricity Board) के बन जाने से १८ लाख रुपए की हमारी ठोस आमदनी कम हो जाएगी, इसलिए इस घाटे के २३४ लाख रुपए तक हो जाने की उमीद है। इस के अलावा हम ने सरकारी कर्मचारियों को सहायता के रूप में लगभग ८ लाख रुपए सालाना देने की और जिम्मेदारी भी ले ली है। यह घाटा इस कारण भी अजीब लगता है कि आगम प्राप्तियों में फाईनैंस कमीशन की सिफारिशों के नतीजे के तौर पर हमें मिलने वाली रकम भी शामिल कर ली गई है। जहां तक आगम खर्च का सम्बन्ध है, तालीमी मकसदों के लिए स्थानीय संस्थाओं को दी जाने वाली ग्रांटें आगम खर्च के खाते में शामिल नहीं की गई हैं क्योंकि इन स्कूलों को सरकार अपने प्रबन्ध में ले चुकी है। इस लिए वैसे तो कोई घाटा नहीं होना चाहिए था और न ही ज्यादा टैक्स लगाने का सवाल ही उठना चाहिए था पर हाउस के माननीय सदस्यों को मानना पड़ेगा कि बड़ी बड़ी विकास की योजनाओं के साथ-साथ, स्थानीय संस्थाओं के स्कूलों को सरकारी प्रबन्ध में लेने तथा छठी जमात तक मुफ्त तालीम शुरू करने से खज़ाने (Exchequer) पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा। इस खर्च को पूरा करने के लिए हमें और साधनों का सहारा लेना ही होगा। क्योंकि जैसा कि फाईनैंस कमीशन का विचार है, कर्ज़ा लेकर या अपने रिज़र्व फंड से चालू आगम घाटे को पूरा करना ख़तरे से खाली नहीं है।

आगम के घाटे को पूरा करने के नए साधन

ज़मीन के लगान पर स्पैशल सरचार्ज लगाने के बारे में जो बिल इस हाऊस में पास हुआ था अब वह कौंसिल के विचाराधीन है और जब वह लागू हो जाएगा तो उमीद है कि इस से १५ लाख रुपए की ज़ायद आमदनी होगी। लेकिन इस के बाद भी हमें २१९ लाख रुपए के बाकी घाटे को पूरा करना होगा। इस मकसद के लिए हम ने सेल्ज़-टैक्स कानून, १९४८ (General Sales Tax Act, 1948) के अधीन कपास, बिनौलों, खली, कच्ची खालों (raw hides) और बिना कमाए हुए चमड़ों (raw skins), बिना तैयार की हुई ऊन (raw wool) पर भी बिक्री-कर लगाने का फैसला कर लिया है। पहले इस कानून के मातहत इन चीज़ों को टैक्स से छूट मिली हुई थी। इस के साथ ही कारखानेदार जिस कच्चे माल को खरीदते हैं, उस पर भी दो नए पैसे फ़ी रुपया के हिसाब से टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। सामान्य बिक्री-टैक्स (General Sales Tax) के २ पुराने पैसे फी रुपया के दर को भी बढ़ा कर ४ नए पैसे कर दिया जाएगा। इस से फीसदी के हिसाब से इस टैक्स की मिकदार ३.१३ से बढ़ कर ४ हो जाएगी। इस के इलावा हमने यह तजवीज़ भी की है कि असलह (Arms) के लाइसैंसों को

[वित्त मंत्री]

जारी करने की फीस तथा इन लाइसैंसों की सालाना फ़ीस को भी दोगुना कर दिया जाए। इन टैक्सों से हमें १२७ लाख रुपए की ग्रामदनी होगी। फिर भी खसारे की जो खाई बच रहेगी वह काफी बड़ी है, ग्रौर उसे हमें पाटना ही होगा। इसलिए हम ने फैसला किया है कि तालीमी उपकर (Education Cess) लगाया जाए। यह उपकर एक तो बिजली ड्यूटी (Electricity Duty) की शक्ल में होगा ग्रौर दूसरे ग्रनाज पर बिक्री टैक्स की शक्ल में। बिजली ड्यूटी घरेलू ग्रौर व्यापारिक खपतकारों की पहली सीढ़ी (Slab) की खपत के मौजूदा दरों पर १० फीसदी के हिसाब से ग्रौर बाकी श्रेणियों के खपतकारों की खपत के मौजूदा दरों पर २५ फीसदी के हिसाब से लगाई जाएगी। इस से ६२ लाख रुपया सालाना की ज़ायद ग्रामदनी होगी। दालों समेत सभी ग्रनाजों पर ७५ नए पैसे फी सौ रुपया के हिसाब से बिक्री-टैक्स लगाया जाएगा। इस से हर साल ४० लाख रुपए सालाना की ज़ायद ग्रामदनी होगी। इस तरह जिन नए टैक्सों के लगाने की तजवीज़ है, उन से कुल २२९ लाख रुपए की ग्रामदनी होगी। इस के साथ ग्रगर ज़मीन के लगान पर लगाए गए स्पैशल सरचार्ज की रकम भी शामिल कर ली जाए तो इस से न सिर्फ २३४ लाख रुपए का खसारा पूरा हो जाएगा बल्कि हमें १० लाख रुपए की थोड़ी सी बचत भी होगी।

इस हाउस के सामने ज़ायद टैक्स लगाने की तजवीज़ें रखते हुए मैं उमीद करता हूं कि ग्राप इन पर बेलाग होकर ग़ौर करेंगे। मैं दूसरी पांच-साला योजना के दौरान ग्रपने सामने रखे हुए निशानों ग्रौर उन के सिलसिले में मिली कामयाबी का जो खुलासा ग्राप के सामने रख चुका हूं उस से यह बात साफ़ ज़ाहिर होती है कि हम तरक्की के रास्ते पर ग्रागे बढ़ रहे हैं। तालीम के क्षेत्र में विकास की कई बड़ी योजनाएं हाथ में ली गई हैं ग्रौर उन पर नुमायां तरक्की हुई है। लेकिन फिर भी ग्राने वाले ज़माने में हमारे सामने बड़ी कठिनाइयां हैं ग्रौर ग्रगर हमने ग्रपने इस कटे-बंटे राज्य को फिर से ग्रपने पैरों पर खड़ा करने के ग्रपने शानदार निशाने पर पहुंचना है तो इन कठिनाइयों का मुकाबला करने के लिए सभी पार्टियों ग्रौर उन के नुमाइंदों को एक सांझा मोर्चा बनाना होगा। इस काम के लिए ग्रापसी तनाव ग्रौर तलखी को हमें ग्रापसी विश्वास ग्रौर शान्ति में बदल देना है ग्रौर इस राज्य के सभी निवासियों को कंधे से कंधा मिला कर ग्रागे बढ़ना है। चाहे सियासी तौर पर हमारे कितने ही मतभेद क्यों न हों, इस निशाने को हासिल करना हमारा एक पवित्र कर्त्तव्य है ग्रौर इस बारे में सभी एक मत होंगे कि इस राज्य के विकास के लिए हम सब को ग्रपने विचारों, इरादों ग्रौर कामों में एकता लाकर इकट्ठे ग्रागे बढ़ना है। इसलिए मैं इस महान् हाउस के सभी माननीय सदस्यों से ग्रपनी सारी सचाई ग्रौर साफ़दिली के साथ यह ग्रपील करूंगा कि जो मसले हमारे सामने हैं उन को हल करने के लिए सांझे यत्न करें। केवल यही एक तरीका है जिस को ग्रपना कर हम ग्रागे ग्राने वाले कठिन दिनों में तरक्की के रास्ते पर ग्रागे बढ़ सकते हैं। मैं सरकार की तरफ से सभी

माननीय सदस्यों को यह यकीन दिलाता हूं कि उन की तरफ़ से जो भी तामीरी नुक्ता-चीनी की जाएगी या सुझाव दिए जाएंगे, हम न सिर्फ़ उन का स्वागत करेंगे बल्कि उन पर पूरी तरह से सोच-विचार भी करेंगे।

२६. मैं फाइनैंस डिपार्टमैंट के अफसरों और कर्मचारियों के काम की सराहना करता हूं जिन्होंने बजट के ये बड़े-बड़े दस्तावेज़ बड़ी मेहनत से तैयार करके हाउस के आगे रखने की ज़िम्मेदारी को बड़ी खुशी खुशी निभाया है। पिछले साल के दस्तूर के उलट में एक अफसर का ज़िकर करना चहता हूं, जो अगले माली साल के दौरान फाइनैंस डिपार्टमैंट से रिटायर हो रहे हैं। श्री बद्रीनाथ चोपड़ा फाइनैंस डिपार्टमैंट में ३७ साल तक सराहना योग्य काम करने के बाद जून, १६५८ में छुट्टी पर जा रहे हैं। छुट्टी के बाद वे रिटायर हो जाएंगे। मैं सरकार की तरफ से इन की सराहना करता हूं।

धन्यवाद

मैं अकाउंटेंट-जनरल तथा कंट्रोलर, प्रिंटिंग और स्टेशनरी, की भी सरकार की तरफ से सराहना करता हूं। प्रैस को इस बार खासतौर पर पहले से ज्यादा मेहनत से काम करना पड़ा।

अब मैं आप की इजाज़त से १६५८-५६ का बजट आप के सामने पेश करता हूं। (*Cheers*)

The Sabha then adjourned till 9-00 A. M. on Friday, the 28th February, 1958.

611PVS—344—4-3-59—CP., and S., Punjab, Chandigarh

237

Punjab Vidhan Sabha Debates

28th February, 1958

Volume I. No. 12

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Friday, 28th February, 1958

CHANDIGARH:

Printed by the Controller of Printing and Stationery, punjab

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATE VOL. I, NO. 12, DATED THE 28TH FEBRUARY, 1958

Read	*For*	*On page*	*Line*
Court	Cou t	(12)8	2
Phul	Phui	(12)8	16
completed	comple ed	(12)9	2 in column 4.
completed	com leted	(12)9	26 in column 3.
widening	widen ng	(12)9	31 in column 2.
which	whi h	(12)10	30
financial	finanicial	(12)12	29
temporary	tempoary	(12)19	15
which	whi h	(12)35	23
complaint	com lanit	(12)35	24
routes	routs	(12)35	30
Transport	ransport	(12)36	23
implemented	implement d	(12)37	2
conditions	condi ions	(12)38	10
फूल	पूल	(12)39	11
opened	open d	(12)39	21
they	thay	(12)39	22
applicants	applications	(12)41	4
of	ot	(12)50	14th from below.
Jullundur	Juliundur	(12)50	13th from below.
District	D strict	(12)57	6th from below.
District	D strict	(12)58	12
Nazir	Naz r	(12)58	12
Bridge	B idge	(12)58	3rd from below.
helping	helplng	(12)59	7
matter	ma ter	(12)59	9th from below.
administrated	admin strated	(12)59	7th from below.
discussed	d scussed	(12)60	2

Read	*For*	*On page*	*Line*
discussion	d seussion	(12)60	2
opened	opend	(12)60	9th from below.
तरक्की	तरक्क	(12)63	12
sales	sa es	(12)68	9
producers	p oducers	(12)69	6
THE	HE	(12)71	3 of Heading
ਵਲੋਂ	ਵਲ	(12)88	last
को	से	(12)93	16th from below.
रकम	जमानत	(12)94	13
देहाती	देहात	(12)95	2nd from below.
HOUSES	HOUSE	(12)97	14
ਅਯੋਗ	ਯੋਗ	(12)98	last
ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ	ਮੁਾਹਰਿਆਂ	(12)104	14
resolution	esolution	(12)104	30
passed	placed	Annexure	6th from below.
Samiti	S miti	Annexure	11th from below.
whether	wheather	Annexure	8th from below.
Government	Governmnt	Annexure	6th from below.

PUNJAB VIDHAN SABHA

Friday, 28th February, 1958.

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh Capital at 9 a.m. of the clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

QUESTION HOUR

Mr. Speaker : There are three starred questions, 1573, 1308 and 1371, which were promised to be answered today Now we will take up these questions.

(*Question No. 1573* was not put.*)

APPOINTMENTS TO THE POSTS OF NAIB-TEHSILDARS IN THE STATE.

***1308. Shri Ram Piara.** : Will the Minister for Revenue be pleased to state —

(a) the qualifications, if any, prescribed for the posts of Naib-Tehsildars in the State ; and their scale of pay ;

(b) whether fresh appointees are required to undergo any special course of training before they are assigned the duties of Naib-Tehsildars.

Giani Kartar Singh : The information could be had easily from the Punjab Tehsildars Rules and Standing Order No. 12. However, for the convenience of the Member it is stated —

(a) (i) There are two classes of Naib-Tehsildars 'A' and 'B'. In the case of Class 'A' Naib-Tehsildar Candidate, a person should have passed the first examination of a recognized University in Arts or Science; or the Diploma Examination of the Aitchison College, Lahore, or the Senior Oxford or Senior Cambridge Local Examination. He should not be more than 25 years of age ; provided that Financial Commissioner may, in special circumstances, sanction the appointment of a person exceeding 25 years of age:

In the case of Class 'B' Naib Tehsildar Candidate, a person should have passed the Anglo Vernacular Entrance test and such examinations as are recognised by the Punjab University to its Matriculation Examination or other higher standard of an Indian Univers ty, or the Diploma Examination of the Aitchison College, Lahore or should have been in Government service for not less than five years of

[Minister for Revenue]

which not less than two should have been spent in the duties of a field Kanugo or unless, being a permanent or officiating district Kanugo, or district Revenue Accountant, he passes the Naib-Tehsildar's examination.

(ii) The scale of both categories of Naib-Tehsildars is Rs.125—5—160/10—230/10—300.

(b) Yes. They shall ordinarily serve for a term of not less than one year and not more than two years in the revenue establishment of a district to be named by the Commissioner. If the candidate has already some experience with revenue work, the Commissioner may fix a shorter period, not less than six months.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਸਵਾਲ ਨੰ: 1573 ਵੀ ਅੱਜ ਲਈ ਸੀ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ call ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪਰ ਇਹ put ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ । (I had called that question before the present one. But it was not put.) Now question No 1371 please.

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ question ਜੀ, ਮੈਨੂੰ address ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਪਰ ਇਹ I.P.M. ਨੂੰ transfer ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ ।

Minister for Irrigation and Power : I have not received it as yet.

Mr. Speaker : It will be put on Monday.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਤਾਂ Revenue Department ਨੂੰ concern ਕਰਦਾ ਹੈ ।

Mr. Speaker : This question has been transferred to the I.P.M.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਤਾਂ forms ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਹੈ । ਇਹ Revenue ਨਾਲ concern ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕੀ Revenue Minister ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ?

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ । (This question will be put again on Monday.) It will not be reprinted in the list but will be replied and come for supplementaries again.

FUNCTIONING OF TUB-WELLS IN AMBALA AND KARNAL DISTRICTS.

***1307. Shri Ram Piara**: Will the Minister For Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether any of the tube-wells installed by Government for irrigation purposes, in the districts of Ambala and Karnal, are not functioning at present, if so, their number in each of these districts, together with the reasons therefor and the time by which these are expected to start working;

(b) whether it is a fact that operators for the tube-wells referred to in part (a) abovewere appointed even when these tube-wells were not working ; if so, the amount paid to them by way of salary, etc., for such period?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) Yes.

Karnal .. 21

Ambala .. 18

Due to non-completion of water courses and lack of demand from zamindars.

(b) No.

सरदार रामदयाल सिंह : क्या जिन tube-wells के water courses नहीं बनें हैं उन में से कुछ नहीं चल रहे या सारे नहीं चल रहे हैं ?

मंत्री : जिन के water courses नहीं बने वह नहीं चल रहे । मैंने पहले भी house में जवाब दिया था कि कच्चे water courses बना कर चालू कर दिए जाएं ।

LIFT IRRIGATION SCHEME IN TEHSIL REWARI AND JHAJJAR.

***1490. Pandit Shri Ram Sharma** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to introduce lift irrigation Scheme in the tehsils of Rewari and Jhajjar in the State together with the time by which it is expected to be implemented and its likely duration ?

Sardar Gian Singh Rarewala : Yes. The estimate is under sanction with the Planning Commission. The work is expected to be completed within 2 years after the estimate is sanctioned.

चौधरी लहरी सिंह : Minister साहिब ने जवाब दिया है कि दो साल तक झज्जर की scheme की sanction हो जाएगी । क्या Central Government से गुड़गांव के लिए भी sanction हो जाएगी ?

मन्त्री : Planning Commission स अभी रिवाड़ी के लिए sanction नहीं हुई है ।

Mr. Speaker : The estimate is under sanction with the Planning Commission. The answer is like that.

TUBE-WELLS IN THE STATE.

***1552. Sardar Niranjan Singh Talib :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state :—

(a) the total number of Tube-wells installed during the first and the second Five-Year Plan separately in the State, together with the total expenditure incurred thereon;

(b) whether it is a fact that certain tube-wells referred to in part (a) above have not so far been put to use; if so, their number and the reasons therefor ?

Sardar Gian Singh Rarewala :

	Total No. of tube-wells installed	*Total expenditure incurred thereon*
(a) First Five-Year Plan period ..	1121	603.26 lacs
Second Five-Year Plan Period ..	301	131.73 lacs.

(b) Yes.

(i) 225 tubewells.

(ii) Partly due to:—

(i) non-availability of Power;

(ii) Lack of demand by the cultivators ;

(iii) non-completion of water courses.

ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ Power ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ tube-wells ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ। ਹੁਣ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ : ਇਕ operator ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ tube-wells ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜਾਂ ਤਕ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ tube-wells ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ plan ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫਾਜ਼ਲ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ food ਦੀ shortage ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਵਿਚ tube-well's ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਵਰਨਾ ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ plan ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ: ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਲਦੀ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਬਿਨਾ plan ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ: ਨਹੀਂ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ: ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ tube-wells ਬੇਕਾਰ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੰਤ੍ਰੀ: ਖਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ: ਇਨ੍ਹਾਂ tube-wells ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਗ ਜਾਏਗੀ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ: ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਹਰ ਇਕ tubewells ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ।

मौलवी अब्दुल गनी डार : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि यह हाई रेट क्यों रखा गया था जिस की वजह से लोगों ने बिजली नहीं ली।

ਮੰਤ੍ਰੀ: ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹ No profit no loss basis ਤੇ ਹੈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਆਨੇ ਰੇਟ ਹੈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ food production ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੇਟ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

मौलवी अब्दुल गनी डार : कितनी देर के बाद यह बात सरकार ने महसूस की है ?

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ: ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ 25 ਫੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ electricity aid ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ tube-wells ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ?

Mr. Speaker : This question does not arise.

ਬਾਵਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ: ਕੀ tube-wells area ਵਿਚ ਜਿਥੇ tube-wells ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲਗੇ ਉਥੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ?

Mr. Speaker : This is a new question. It does not arise out of the main question.

श्री प्रबोध चन्द्र : वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि पहला रेट जो था वह no profit no loss basis पर था। तो क्या सरकार जो बिजली industrialists को बहुत कम रेट पर दे रही है उस में नुकसान उठा रही है ?

Mr. Speaker : This question does not arise.

मौलवी अब्दुल गनी डार : क्या वज़ीर साहिब फरमाएंगे कि Industrialists को क्यों कम रेट पर बिजली दी जा रही है और गांव वालों से क्यों ज़्यादा रेट मांगा जा रहा है ?

BUILDING FOR GOVERNMENT COLLEGE AT MUKTSAR, DISTRICT FEROZEPORE

***1650. Sardar Gurmit Singh 'Mit'** : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) the date on which the Governmemt College at Muktsar, district Ferozepur, was started ;

(b) the amount spent on the construction of the building for the said college so far ;

(c) if no building has been constructed so far, the reasons therefor ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : (a) June 1951.

(b) Nil.

(c) The question of the construction of new building for Government College, Muktsar, will be considered as soon as the position in regard to funds improves.

श्री प्रबोध चन्द्र : इस की वजूहात क्या है कि वहां पर ज़मीन भी available है और funds भी थे तो अभी तक building नहीं बनाई गई ?

उपमन्त्री : पोज़ीशन यह है कि funds के अलावा 25 acres ज़मीन भी society की तरफ से दी गई थी । लेकिन बाद में पता लगा कि society अकेली मालिक नहीं है बल्कि उस ज़मीन के अलग अलग मालिक हैं जब तक वे लोग ज़मीन college के नाम transfer नहीं करते उस वक्त तक building नहीं बनाई जा सकती ।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या सरकार की यह पालिसी नहीं है कि जब कोई offer वह accept करती है तो उस की सारी legal implications को देख कर उस को accept करे ?

उपमन्त्री : Legal implications देखने के कारण ही तो यह ज़मीन transfer नहीं हो सकी ।

श्री प्रबोध चन्द्र : The offer was given before the work was started. After five years of the starting of the colony, the Government comes with an explanation that there is some difficulty about the transfer of land. मेरा सवाल यह है कि किसी offer को accept करने से पहले क्या उस की legal implications को verify नहीं करती ?

उपमन्त्री : जब गार्डन सोसाइटी की तरफ से offer पहुंची तो enquiry की गई, transfer deed मुकम्मल होने चला था तो मालूम हुआ कि दरअसल सोसाइटी मालिक नहीं है बल्कि अलहदा अलहदा मालिकान हैं उन को कहा गया कि उन की तरफ से transfer deed होना चाहिये । चूंकि अभी तक वह deed मुकम्मल नहीं हुआ इस लिये देर हो रही है ।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਲੋਕ ਅਲਹਿਦਾ ਅਲਹਿਦਾ offer ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ?

उपमन्त्री : डिप्टी कमिश्नर उन को persuade कर रहा है ।

श्री प्रबोध चन्द्र : Does the Government propose to take any legal action against the co-operative society ?

Minister : That is a suggestion for action.

PENDING INDUSTRIAL DISPUTES.

***1435. Sardar Sarup Singh :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) the number of industrial disputes which have been pending adjudication for (i) over three years, (ii) over two years, and iii) over one year ; separately ; together with the reasons therefor in each case ;

(b) the steps, if any, taken or proposed to be taken by Government for the expeditious adjudication of the industrial disputes in future ?

Shri Amar Nath Vidyalankar :

(a) (i) 3 ..	Proceedings stayed by the Supreme Court and the High Court.
(ii) 1 ...	Final orders by the Tribunal stayed by the Punjab High Court.
33 complaints and applications under section 33 and 33-A of the Industrial Disputes Act, 1947	Stayed by the Punjab High Court with the main reference above.
(iii) 12 ..	Stayed by High Court. Proceedings are continuing in accordance with the modified orders of the Punjab High Court, but final award has been stayed and cannot be given.
10 Complaints and applications under section 33 and 33-A of the Act.	Stayed by the Punjab High Court with the main reference.

(b) In view of the stay orders by the Supreme Court/High Court in all the above-mentioned cases, no action is feasible unless the stay orders are vacated.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?

अध्यक्ष महोदय : हाईकोर्ट सरकार के मातहत नहीं हैं। (The High Cou t is not under the executive control of the Government.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਹੈ....

Mr. Speaker : order please.

CHARTER OF DEMANDS FOR GENERAL SECRETARY, PUNJAB LIVE-STOCK ASSISTANTS UNION (REGISTERED), NAWANSHAHR, DISTRICT JULLUNDUR.

***1467. Comrade Jangir Singh** : Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state whether any charter of demands has recently been received by Government from one Gyani Chanan Singh Saine, General Secretary, Punjab Live-stock Assistants Union (Registered), Nawanshahr, district Jullundur ; if so, comments thereof, together with the action, if any, taken or proposed to be taken thereon ?

Sardar Gurbanta Singh : Yes. The matter is under consideration.

CONSTRUCTION OF NEW ROADS IN KANGRA DISTRICT

***1203. Shri Rup Singh Phui :** Will the Minister for Public Works be pleased to state whether the Government have recently got rough estimates prepared for the construction of new roads in Kangra District ; if so, the names of such roads, the respective dates for the commencement of construction work on each of the said roads and the target dates, if any, fixed for their completion ?

Rao Birendar Singh : Yes. The statement giving other information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Serial No.	Name of work	Likely date of commencement of work	Likely date of completion
1	2	3	4
1	Nadaun-Jawalamukhi Road	These works were started in 1956-57	Expected to be completed during the next Plan period.
2	Luri-Aut Road, Aut-Banjor Section		Ditto
3	Haison-Manali Left Bank Road		Ditto
4	Bhuntar-Manikaran Road		1960-61.
5	Dadh Kalan Road		1960-61
6	Constructing Gramphoo-Kanzun Pass Road	Already commenced since 1953-54	Work expected to be completed during 1958-59.
7	Constructing Koksar-Zing Zing Bar included Bridge over Darcha Nullah	Ditto	Most of the work will be completed during 2nd Plan period. The remaining will be executed early in next Plan period.

Serial No.	Name of work	Likely date of commencement of work	Likely date of completed
1	2	3	4
8	Constructing Rohtang Pass-Koksar Road.	Work commenced in 1957-58	Work expected to be completed in next Plan period.
9	Construction of Manali-Rohtang Pass Road.	Work undertaken on Manali - Koti Section in 1957-58	Ditto
10	Improving Mandi-Kulu-Manali Road.	Commenced in 1954-55	1958-59.
11	Una-Agar Mandi Road in Kangra District.	The matter is under consideration of Government as it is not possible to construct the whole length in Kangra District with in 29.129 lakhs.	Work expected to be completed during next Plan period.
12	Improving and widening Luri-Aut Road (Luri-Aut Section).	The work is likely to be started in 1957-58 after preliminaries are completed.	In 3rd Plan period.
13	Sujanpur-Bhagera Road (Unmetalled).	The works are not provided in the budget for 1957-58 though they are included in the Plan. They will be taken up when funds for them are made available and public contribution is forthcoming.	It is too early to indicate the target dates of completion in view of the position explained in the preceding column.
14	Jeepable Road to Vashist (Hot Water Spring).		
15	Improving Hamirpur-Sujanpur Tira Road.		
16	Improving and widening road connecting Upper Dharmsala with Dellaki.		
17	Improving and widening Thakurdawar-Thural Road.		
18	Improvement and widening of Dharamsala-Chambi Road.		
19	Providing pedestrian crossing on Nigal Khad.		
20	Improving Holta-Chadiar Road including metalling and tarring the first two miles.		
21	Improving Daulat pur-Samloti Road.		
22	Improving and widening Una-Nadaun Road (Section Chauki Minar to Nadaun).		
23	Construction of Inter-Village Paths in scheduled areas.	Work will be commenced during 2nd Plan period when funds are provided by Government	Work expected to be completed in next Plan period

श्रीमती सरला देवी शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि कौनसी नई सड़कें हैं जो खोली जा रही हैं ?

मंत्री : लिस्ट में सारी information supply कर दी गई है।

राजा रघुबीर सिंह : क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि जो estimates बनाए गए हैं, इस साल के बजट में उन के लिए कोई allotment भी हुई है या नहीं और उन पर कोई काम actually शुरु होगा या नहीं।

मंत्री : सारी information list में भेज दी गई है कि कब तक सड़कें बनेंगी, कितना काम हुआ है और अगले साल के लिए क्या कुछ मुहैय्या किया गया है।

Shri Rup Singh Phul : May I know the names of those roads?

Minister: That information is given in the statement which has been laid on the Table of the House.

REALISATION OF DEVELOPMENT CHARGES FROM PLOT HOLDERS AT MODEL TOWN, LUDHIANA.

*1518. **Shri Harbhagwan Maudgil**: Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the rates at which development charges were realised from the purchasers of plots in Model Town, Ludhiana and the total amount so realised;

(b) the total amount spent by Government on the said Town before this area was transferred to the Municipal Committee, Ludhiana;

(c) Whether the balance of the amount referred to in para (a) above was transferred to the Municipal Committee at the time when the area referred to in para (b) above was transferred to the Municipal Committee?

Rao Birendar Singh:

(a) The rate at which the sites were sold is Rs. 1353/- per Kanal which includes all development charges including the cost of land. Information regarding realization is not readily available.

(b) The total amount spent on development by the Government on said township before its transfer to the Municipality is Rs. 13,70,077 which is exclusive of the cost of permanent water supply works costing Rs. 3,80,000/ approximately.

(c) No amount has been transferred to the Municipal Committee.

श्री हरभगवान मोदगिल : क्या मिनिसटर साहब बताएंगे कि जो development charges की रकम बकाया है, आया गवर्नमेण्ट वह रकम Municipal Committee को transfer करने का इरादा रखती है ?

मंत्री : फिल्हाल तो यही जवाब दे सकता हूं कि Municipal Committee को कोई रकम transfer करने का इरादा नहीं है।

ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਭਗਵਾਨ ਮੋਦਗਿਲ : ਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਰਕਮ ਨਾ transfer ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ?

मंत्री : तकलीफें बताएं कि कौनसी हैं। फिर बाद में ही दूर करने की बाबत बता सकता हूं।

ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਭਗਵਾਨ ਮੋਦਗਿਲ : ਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਔਰ street lights ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕੀ ਸਾਧਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?

मंत्री : ये तीनों चीज़ें तो Municipal Committee के under हैं। उसको चाहिए कि उन के लिए schemes बनाए।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਰੁਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜੋ Municipal Committee ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

मंत्री : जो रुपया इकट्ठा किया गया है वह जमीन के developmental cost के बतौर इकट्ठा किया गया है। वह रुपया लोगों को कैसे वापस किया जा सकता है।

ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਭਗਵਾਨ ਮੋਦਗਿਲ : ਇਹ ਰੁਪਿਆ Municipal Committee ਨੂੰ transfer ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਾ ਕੀ ਅਧੀਕਾਰ ਹੈ ?

Mr. Speaker: It is a question of opinion.

Shri Harbhagwan Maudgil: It is not a question of opinion, I respectfully beg to submit...

Mr. Speaker: I am sorry.

श्री प्रबोध चन्द्र : मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि एक हज़ार फी कनाल development charges के तौर पर वसूल किए गए हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि यह 'no profit no loss basis,' पर calculate किया गया या कि सिर्फ profit के basis पर ?

मन्त्री : इस के लिए तो detailed information की ज़रूरत होगी। इस के लिए separate notice चाहिए।

ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ : ਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋ development charges ਔਰ actual charges ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੁਪਿਆ Municipal Committee ਨੂੰ transfer ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ amenities ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ?

Mr. Speaker : The quest on does not arise.

ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਭਗਵਾਨ ਮੋਦਗਿਲ : ਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰੁਪਿਆ Municipality ਨੂੰ transfer ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ?

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਸ ਚੁਕੇ ਹਨ [He has already replied to it].

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ: ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ information ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ supply ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਟਾਈਮ ਵਿਚ supply ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਸਕੀਮ Rehabilitation ਦੀ ਸੀ। ਜੋ charges collect ਕਰਨੇ ਹਨ ਇਹ Rehabilitation Department ਦੀ ਤਰਫੋਂ D.Cs. ਦੇ ਜਰੀਏ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ information ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

METALLING OF DIALPUR-PHUL ETC. ROADS

*1687. **Sardar Dhanna Singh Gulshan:** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether any pucca road was constructed by Government in Bhatinda District during the year 1957; if so, its length;

(b) whether he is aware of the fact that the erstwhile Pepsu Government had provided funds in its budget for the year 1956-57 for the metalling of Dialpura-Phul, Bhatinda-Dabhwali and Bhatinda-Malot Roads during the year 1956-57 ; if so whether these have been metalled, if not the reasons therefor together, with the time by which these are likely to be metalled;

(c) whether the alignments of the said roads already surveyed have been changed?

Rao Birendar Singh: (a) Yes. 27.46 miles.

(b) Yes. No, due to non-collection of road making materials. These roads are expected to be metalled during the next finanicial year subject to availability of funds.

(c) (i) Dyalpur Phul Road — No.

(ii) Bhatinda Malot Road — Yes

(iii) Bhatinda Dabwali Road — Yes.

ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਆਲਪੁਰ-ਫੂਲ ਰੋਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਦਿਆਲਪੁਰ ਜਾਕੇ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ?

मंत्री : नहीं, इस में कोई तबदीली नहीं की गई।

ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ : ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਆਲਪੁਰਾ-ਭੂਲ ਰੋਡ ਰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦਿਆਲਪੁਰੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ enquiry ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸੜਕ ਦਿਆਲਪੁਰੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ?

मंत्री : मुझे इस वक्त यह बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि इस सड़क को बिल्कुल तबदील नहीं किया गया—जो alignment पहले थे, वही अब है। सड़क के नाम से जरूरी नहीं कि वह उस गांव में जाए जिस का नाम इस के साथ associate किया गया हो।

ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ : ਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ survey ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁਦਾ survey ਕੀਤਾ ਗਿਆ ? ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦਿਆਲਪੁਰੇ ਨੂੰ ਕਢ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ? ਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੀ enquiry ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ?

Mr. Speaker : The hon. Minister has already stated that the alignment has not been changed.

ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ : ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ survey ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ enquiry ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ?

मंत्री : मैं अर्ज़ करूं कि survey कोई definite चीज़ नहीं होती। survey एक के बाद दूसरा भी हो सकता है लेकिन alignment में तबदीली नहीं होती। Survey तो कई बार किया जा सकता है।

ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸੜਕ ਉਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਸੜਕ ਉਸ ਵਿਚ ਜਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਉਤੇ ਉਸ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ?

मन्त्री : क्योंकि उस गांव के लोग उस सड़क पर चलते हैं—उन के नज़दीक पहुंचती है।

ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਦਮੀ ਉਸ ਸੜਕ ਉਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੁਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਬਾਲ ਦੀ ਖਾਲ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ [What is the use of this hair splitting].

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਦੀ alignment change ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਦਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੜਕਾਂ ਦੀ alignment change ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ?

मन्त्री : जहां तक मुझ ख्याल है, बठिण्डा-डबवाली सड़क की alignment public की representation पर बदली गई थी। यह मण्डी संगत के पास तब्दील की गई थी क्योंकि मण्डी संगत एक अच्छा कस्बा है और यह सड़क की पहली alignment के मुताबिक सड़क से दूर रह जाता था। इस लिये इसे change कर के इस के पास से गुज़ारा गया था।

दूसरी बठिण्डा मलोट road की alignment राई के नज़दीक change की गई थी और इस के बदलने की ज़रूरत भी public की representation पर ही पड़ी थी।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸੜਕ ਦੀ alignment ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੀ ਉਸ ਦੀ re-survey ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ?

Mr. Speaker : The question does not arise.

ROUTE PERMITS

*857 **Maulvi Abdul Ghani Dar** : Will the Minister for Public Works be pleased to state.—

(a) the total number of kacha and pacca route permits for taxis, station wagons and public carriers issued in the State during the years 1956-57 and 1957-58 respectively.

(b) the names of persons who made use of the said permits and those whose permits were rendered useless ?

Rao Birendra Singh :

(a)

Year	Taxis	Station Wagons	Public Carriers.
1956-57	19	13	214
1957-58	11	7	170

(b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement showing the permits for Taxi-Station Wagon/Public Carriers issued during the years 1956-57 *and* 1957-58

1. Shri Budh Dev Sharma, Ghora Jyotshi, Kaithal.
2. Shri Dhan Parkash Jyotshi Adopted son of Amolak Ram Jyotshi, Karnal.
3. Shri Balak Ram, son of L. Pars Ram, Taxi Car care of Tilak Optical Factory, Karan Gate, Karnal.
4. Shri Kailash Chand, son of L, Banarsi Dass, Purani Mandi, Karnal.
5. Shri Charn Singh Kharbanda.
6. Shri Bir Singh, care of Sutlej Transport Co.
7. Shri Inder Singh, son of Waryam Singh., Shri Jagat Ram, son of Jaimal Singh (Scheduled caste).
8. M/s Om Parkash-Isher Singh.
9. Shri Bant Singh, son of Chanan Singh.
10. Shri Pritam Singh, son of Banta Singh.
11. Shri Kundan Lal, son of Lal Chand.
12. Shri Dharam Chand, son of Narain Dass, Batala.
13. S. Darshan Singh, son of Lachhman Singh, S. Kartar Singh, son of Ganda Singh.
14. Shri Chanan Singh, son of Waryam Singh, Shri Ghansham Dass, son of Mahesh Dass.
15. Shri Beant Singh, son of Bishan Singh.
16. Shri Teja Singh, son of Narain Singh.
17. Shri Bakshish Singh, son of Udham Singh.
18. Punjab Roadways , Jullundur.
19. Punjab Roadways, Jullundur.
20. Shri Jagdish Singh Mehandru.
21. Shri Shanti Lal, son of Ram Chand.
    Shri Jawand Singh, Shri Tirath Singh, son of Ajaib Singh.
22. Shri Ram Singh, son of Harnam Singh.
23. Shri Malok Singh, son of Sher Singh.
24. Shri Prithi Chand, son of Narain Dass Malout Mandi.
25. Pandit Paras Ram, son of Bali Ram, Manager, Shiwalk Transport Co.
26. Pandit Roshan Lal, son of Dev Raj.
27. Shri Sewa Singh, son of Partap Singh, S. Kartar Singh, son of Nagina Singh.
28. The Hoshiarpur Co-operative Transport Workers Thirift and Credit Society.
29. Shri Ishar Singh, Patiala.
30. Asiatic Bus Service, Patiala.
31. Ranjodh Singh, Patiala.
32. Shri Damodar Singh and Co., Patiala.
33. Ranjodh Singh, Nabha.
34. Gian Singh, Patiala.
35. Babu Ram, Amloh, (Station Wagon).
36. Shri Paras Singh, Phagwara.
37. Shri Tarlok Chand, son of Shri Raghunath Dass, House No. 237, B. C. Bazaar Ambala Cantt..
38. Shri Babu Lal Goal, son of Shri Mathra Parshad, 117 B/2 Elexandra Road, Ambala Cantt.
39. M/s Chandan Singh-Daulat Singh, village and post office, Moranda, tehsil Kharar, district Ambala.
40. Ambala Ex-Servicemen Transport Co-operative Society, Ltd., Ambala City.
41. Shri Bachan Singh Bala, son of S. Inder Singh, village Khrapara, post office Moranda, tehsil Rupar.
42. Shri Bachan Singh Bala, son of S. Inder Singh, Rupar.
43. Shri Pritam Singh, son of Shri Maghar Singh, Taxi Stand, Bajwara, Chandigarh.
44. Ambala Taxi Service, Chandigarh.
45. Shri Harnam Singh, son of Shri Amir Singh, care of Gurdwara Sector 22, Chandigarh.
46. Shri Sadhu Singh , Retired Inspector of Schools, care of Head mistress, Dev Samaj Girls High School, Chandigarh.
47. Shri S. L. Arora, son of Shri Charan Dass, Sector 22, Chandigarh.
48. Shri Ram Nath Jaiswal, son of Shri Shungan Chand, Wine Contractors, Sector 22-C, Chandigarh.

[Minister for Public Works]

49. Shri Kartar Singh, son Kirpa Singh , House No. 761 , Rupar.
50. Shri Pritam Singh, Cloth Palace, Shopping Centre, Sector 22-A, Chandigarh.

Public Carrier, 1956-57

1. Harkaran Lal-Jaswant Rai, Kotkapura.
2. Hazura Singh, Bassi.
3. Dewan Singh, Nabha.
4. Balwant Singh-Avtar Singh, Patiala.
5. Arjan Singh, Patiala.
6. Bhag Singh, Sirhind.
7. Thana Singh, Kotkapura.
8. Karam Chand, Patiala.
9. East West Trading Corporation, New Delhi.
10. Ditto
11. Pepsu Goods Co-operative Society, Gobindgarh.
12. Amrik Singh, Patiala.
13. Sat Pal Kohsla, Patiala.
14. Amar Singh-Gopal Singh, Takhipur.
15. Sadhu Singh-Santokh Singh, Patiala.
16. Sohan Singh, Tripuri.
17. Balwant Singh, Patiala.
18. Brahm Sarup, Rajpura.
19. Kapur Singh-Baljit Singh, Jind.
20. Sunder Singh , Rajpura.
21. Bhagwan Singh-Mana Singh, Patiala.
22. Harbans Lal, Nalagarh.
23. Oshnak Singh-Charanjit Singh, Faridkot.
24. Tarlochan Singh-Sant Singh, Baroli.
25. Chanan Ram, Badlada.
26. Harinder Singh-Kartar Singh, Gondhara.
27. Siri Chand, Patiala.
28. Sham Lal, Dhanaula.
29. Dhani Ram-Gora Lal, Samana.
30. Devi Dayal, Ram Rai.
31. Amar Singh-Nika Singh, Bhoglan.
32. Harbajhan Singh-Brij Lal, Jida.
33. Pepsu Goods Transport Society, Gobindgarh.
34. Chanan Singh, Kotkapura.
35. Amar Singh, Patiala.
36. Ditto
37. Supinder Singh, Madhopur.
38. Laiq Ram, Barnala.
39. Hari Chand, Patiala.
40. Des Raj-Sham Lal, Barnala.
41. Nanak Singh, Patiala.
42. Kartar Singh, Dhanaula.
43. Hans Raj, Phagwara.
44. Harinder Singh-Balbinder Singh, Gondhara.
45. Gurcharan Singh, Patiala.
46. Mihan Ram-Ishar Singh, Patiala.
47. Mehar Singh-Piara Singh, Sirhind.
48. Madan Lal-Darbari Lal, Samana.
49. Om Parkash-Sohan Lal, Samana Mandi.
50. Dalip Chand, Bhadaur.
51. Bachittar Singh, Barnala.
52. Hukam Singh, Patiala.
53. Gainda Mal Handa and Sons, Phagwara.
54. Kartar Singh, Phagwara.
55. Jaswant Singh, Patiala.
56. Jagir Singh, Sangrur.
57. Bhagwan Dass, Narwana.
58. Lt. Hira Singh, Dadri.
59. Dev Raj-Jagan Nath, Sohna.
60. Charanji Lal-Mohan Lal, Kot Phatta.
61. Lal Chand-Gurdial Singh, Kotkapura.

62. Chanan Singh-Surmukh Singh, Kotkapura.
63. Harnam Singh-Narian Singh, Patiala.
64. Rameshwar Dass-Baldev Krishan, Samana.
65. Sohan Singh, Phagwara.
66. Avtar Singh, Patiala.
67. Chanan Singh, Phagwara.
68. Lal Chand, Patiala.
69. Mehar Singh-Mehma Singh, Phagwara.
70. Surjit Singh, Rampura Phul.
71. Santa Singh, Phagwara.
72. Bishan Singh-Bihar Singh, Sultanpur.
73. Dalip Singh, Phagwara.
74. Shivnath Singh-Kartar Singh-Amar Nath, Rajpura.
75. Amar Nath-Sadhu Ram, Rajpura.
76. Jagat Singh-Teja Singh, Rajpura.
77. Arjan Dev, Dadri.
78. D. R. Chowdhri-M.S. Chowdhri, Patiala.
79. Ditto
80. Ditto
81. Bhupinder Singh-Sat Pal, Patiala.
82. Man Singh, Dhaula.
83. Rup Chand, Kotkapura.
84. Ganpat Rai, Rajpura.
85. Ramji Lal-Harphol Singh, Dadri.
86. Bhajan Singh-Ram Singh, Doraha.
87. Pritam Singh, Phagwara.
88. Naranjan Dass, Kotkapura.
89. Raj Kumar, Kotkapura.
90. Harnam Singh-Narain Singh, Ajraur.
91. Balwant Singh-Mangat Singh, Bhatinda.
92. Inder Singh, Patiala.
93. Joginder Singh-Kartar Singh, Samana.
94. Dharam Pal-Karam Chand, Kotkapura.
95. Suraj Singh-Khan Chand, Sardulgarh.
96. Santa Singh-Phangan Singh, Phagwara.
97. Tek Chand, Phagwara.
98. Manohar Singh, Patiala.
99. Tek Chand, Mataur.
100. Gurdas Ram-Jagat Ram, Phagwara.
101. Hargopal Nath-Amar Nath, Dharampur.
102. Om Parkash, Phagwara.
103. Hara Singh, Patiala.
104. Shrimati Rai Kaur-Joginder Kaur, Sangrur.
105. Sarwan Singh, Bhaindi.
106. Gurbux Singh-Bhajan Singh, Faridkot.
107. Ajit Kumar, Jind.
108. Khan Chand, Kumar Hatti.
109. Babu Ram-Walaiti Ram, Mansa.
110. Nand Ram, Notana.
111. Prem Sagar, Jind.
112. Rattan Chand, Nabha.
113. Harjit Singh, Patiala.
114. Kala Ram, Patiala
115. Bhagirath, Moonak.
116. Gurmukh Singh-Gopal Singh, Kotkapura.
117. Har Chand, Fatehgarh.
118. Karam Chand-Karan Dewan, Patiala.
119. Ram Saran, Patiala.
120. Chet Singh-Balbir Singh, Patiala.
121. Sardara Singh, Bassi.
122. Chet Singh-Balbir Singh, Patiala.
123. Sadhu Singh, Patiala.
124. Mohan Lal-Kundan Singh, Patiala.
125. Harnam Singh, Patiala.
126. Sada Ram-Kishan Lal, Kotkapura.
127. Bishambar Dass, Patiala.
128. Balwant Singh, Patiala.
129. Megh Raj, Jind.
130. Sher Singh, Patiala.

[Minister for Public Works]

131. Nand Lal, Jind.
132. Ganesh Dass, Jind.
133. Makhan Singh, Patiala.
134. M. S. Bedi-Jagdish Mittar, Patiala.
135. Gurdial Singh-Des Raj, Basidke.
136. Pritam Singh-Sampuran Singh, Barnala.
137. Bhagwan Singh-Gurbax Singh, Safidon.
138. Amar Nath, Safidon.
139. Bharpur Singh, Patiala.
140. Sant Lal-Hari Dass, Jind.
141. Sham Lal-Babu Ram, Dhanaula.
142. Hira Singh, Dadri.
143. Sarwan Singh, Barsana.
144. Gopal Singh, Paintawas.
145. Het Ram-Lachhman Singh, Dadri.
146. Moti Ram, Dadri.
147. Jagdish Rai Dalmia, Dadri.
148. Aya Singh-Tarick Singh, Goniana.
149. Pirthi Singh-Ram Sarup, Kakroli Sardara.
150. Rao Surat Singh, Barsana.
151. Randhir Singh, Khatiawas.
152. Katar Singh, Kakroli.
153. Hans Raj-Puran Dass, Kotkapura.
154. Ravi Parkash, Safidon.
155. Amar Singh, Bhatinda.
156. Gau Shala Baba Phulan, Uchana.
157. Gursaran Singh, Madhopur.
158. Arjan Singh, Patiala.
159. Sher Singh, Mansa.
160. Jalwant Singh, Faridkot.
161. Ram Kishan Singh-Baldev Singh, New Patiala.
162. Dhera Singh, Patiala.
163. Prehlad Singh, Patiala.
164. Surjit Singh-Surrender Singh, Kotkapura.
165. Kashmiri Lal, Phulan.
166. Saghar Singh, Kotkapura.
167. Tarlochan Singh, Bagowal.
168. Hazara Singh, Amloh.
169. Sikandar Singh, Patiala.
170. Jai Singh, Doraha.
171. Gurcharan Singh, Lehal.
172. Har Mohinder Singh, Jind.
173. Chuni Lal -Sewa Singh, Jind.
174. Kartar Singh, Jind
175. Sarwinder Singh-Kewal Singh, Rampur.
176. Pritam Singh, Kotkapura.
177. Pritam Singh, Sangrur.
178. Jagirdass, Kotkapura.
179. Tulsi Ram, Sangrur
180. Rajinder Singh, Rajpura.
181. Tej Ram, Patiala
182. Joginder Singh, Sangrur
183. Inderjit Singh-Nirmal Singh, Patiala.
184. Gurbax Singh, Kapurthala.
185. Hari Chand, Patiala.
186. Ishar Singh, Phagwara.
187. Tarlochan Singh, Patiala.
188. Narinder Singh, Patiala.
189. Chander Singh, Dadri.
190. Ditto
191. Kanti Chander-Ganga Ram, Jind.
192. Sunder Singh, Dadri.
193. Tarnbir Singh-Tarlok Singh, Rajpura.
194. Naranjan Singh, Patiala.
195. Jagjit Singh, Patiala.
196. Sohan Lal, Patiala.
197. Chaman Singh, Kotkapura.

198. Tahsil Labour and Construction Co-operative Society.
199. Milkha Singh, Bhatinda.
200. Parkash Chand, Kandaghat.
201. Surat Singh, Dadri.
202. Raghbir Singh, Dadri.
203. Katar Singh and Co., Dadri.
204. Balbir Singh, Jind.
205. Roshan Lal, Sanawar.
206. Manjit Singh-Avtar Singh, Patiala.
207. Kohistan Transport Co-operative Society, Tootu.
208. Tarnbir Singh, Patiala.
209. Shri Tyab Hussain, son of Mohd. Yasin Khan, M.L.A., Gurgaon.
210. Shri Thakar Singh, son of Bhag Singh, Ambala Cantt.
211. to 214. Shri Khawaja Mohd. Akram (Four permits).

Statement showing the names of the persons sanctioned tempoary truck permits, in 1957-58, by State Transport Commissioner, Punjab

Serial No.	Name
1	Shri Harchand Singh, son of S. Arjan Singh, 65, Jhok Road, Ferozepur Cantt.
2	Shri Chanan Singh, son of S. Labh Singh, Mamdot,, district Ferozepore.
3	Shri Jaswant Singh, son of S. Amar Singh, Mamdot, Jaloke, district Ferozepore.
4	Shri Lachhman Dass Narang, Munuicipal Committee, Khanna, district Ludhiana.
5	Shri Bhagat Gurdass, Balmik Nagar, Hoshiarpur.
6	Shri Harnam Singh, M.L.A., village and post office Begowal, district Kapurthala.
7	Shri Des Raj, son of Shri Hans Raj, care of Shri Ram Nath Azad, Moga.
8	Shri Mukhtiar Singh, Ex-M.L.A., Dharamkot, tehsil Zira, district Ferozepur.
9	Shri Pritam Singh Karak, son of S. Isher Singh, President, Congress Committee, Dasuya.
10	Shri Gurbax Singh Bhatia, House No. Box No. 804, Dholawala Mohalla, Ludhiana.
11	Shri Kartar Singh Babar, son of S. Machhi Singh, E. O. 102, Mohalla Saydan, Jullundur City.
12	Shri Satinder Kumar, son of Shri Sunam Rai, M. A., Fazilka, district Ferozepur.
13	Shri Dewarka Dass, son of Pandit Nemo Nath, Mohalla Dhandhirian, Teli Gate, Batala.
14	Chitra Multipurposes Co-operative Society, Jugiana Ltd., (Two permits).
15	Shri Hari Chand Pehlwan, son of Sohani Shaw, Dhangu, Railway Road, Pathankot.
16	Shri Mohinder Singh, care of Shri Isher Singh Majhail, Chowk Baba Sahib, Amritsar.
17	Shri Kesar Singh, son of Gurdit Singh, Kesar Hind, Patiala.
18	Shri Varinder Kumar care of L. Shanti Sarup, Advocate, Amritsar.
19	Shri Sat Pal Mittal, son of Amar Nath, B. V. 923, Gowshala Road, Ludhiana,
20	Shri Parkash Chand Dutt, Ex-Subedar Major, care of Shri I. C. Dutta, Bar-at-Law, Committee Ganj, Hoshiarpur.
21	Shri Harwant Singh Sehgal, son of S. Shiban Singh Sehgal, U. S. 48, Basti Sheikh, Jullundur City.
22	Shri Kishan Singh, son of S. Jimana Singh, Mazbi Sikh (Scheduled Caste), village Harnampura, post office Jaspal Bangar, district Ludhiana.
23	Shri Onkar Singh, son of S. Assa Singh, village and post office Daroli Kalan, district Jullundur.
24	Shri Parbhati Ram, son of Lalita Ram Dhanik, Gowshala Street, Muktsar, district Ferozepur.

[Minister for Public Works]

Serial No.	Name
25	Pensioner Subedar Shri Jagat Singh, son of S. Waryam Singh, village Alipore, post Office Mithepore, tehsil and district Jullundur.
26	Shri Daya Kishan, son of Rasila Ram, 112, Dayanand Nagar, Amritsar.
27	Shri Parma Nand -Kidar Nath, Jullundur City.
28	Shri Ajit Singh, Ex-M. L. A., Hoshiarpur.
29	Shri Sunder Singh, son of S. Sham Singh, care of S. Ram Singh Gumbar Phagwara Gate, Jullundur.
30	Shri Ram Krishan Nanda, son of Shri Sita Ram Nanda, of Hamirpur, district Kangra.
31	Shri Sunam Rai, M. A., son of Kaushi Ram, President, City Congress Committee, Fazilka.
32	Shri Jetha Singh, son of S. Binda Singh, caste Harijan, village Bughipura, at present, care of Singapore Cloth Store, Main Bazar, Moga, district Ferozepore,
33	Shri Charanji Lal, son of Kirpa Ram, Brahmin of Sidhwan Kalan, Ludhiana.
34	Shri Nant Ram Malhotra, House No. 600/12, Purani Kanak Mandi, Katra Chanian, Amritsar.
35	Shri Gurdev Singh and Jaswant, son of Midho Singh, Mazbhi Sikh, village Mukandsinghwala, tehsil Muktsar, district Ferozepur.
36	Shri Harnam Singh, son of S. Gurmukh Singh, village and post office Machhiwara, Ludhiana.
37	Shri Mubarik Singh, President, District Congress Committee, Urban Sharifpura, Amritsar.
38	Shri Mukhtiar Singh-Malkiat Singh, Kewal Singh-Bhag Singh, Dharamkot, district Ferozepur.
39	Shri Gurcharan Singh-Wadhwa Singh Dugri, tehsil Tarn Taran.
40	Shri Dalip Singh Gill and Harbans Singh Machike, post office Valtoha, district Amritsar.
41	Shri Basant Singh, son of Narain Singh, village Kot Data, post office Sarhali, district Amritsar.
42	Shri Samuel Akhtar, care of Indian Christian Teacher Mission, High School, Palampur, extended for Kangra and Hoshiarpur Hill roads.
43	Shri Mehar Chand, son of Shri Kesar Ram, Harijan, Ward No. 2, Muktsar, district Ferozepur.
44	Shri Harbans Lal, village Sarai Narga, post office Bariwala, tehsil Muktsar, district Ferozepur.
45	Gurdaspur Harijan Co-operative Transport Society, Ltd., care of New United Transport Private, Ltd., Pathankot.
46	Shri Ram Saroop, District Congress Committee, Dasuya.
47	Shrimati Janki Devi, w/o Thtu Ram, village Bakaron, tehsil Dehra, district Kangra.
48	Shri Udham Singh, son of Bundha Singh, village and post office Margindpura, Amritsar.
49	Shri S. R. Dhir, Dhir Building, Fatehpur, Jullundur City.
50	Shri Amar Singh, son of Waryam Singh, Mazbi Sikh, village and post office Pandori, Takhat Mal, tehsil Tarn Taran, district Amritsar.
51	Shri Chanan Singh, President, Congress Committee, Patti.
52	Radha Krishen. Office Secretary, Mandal Congress Committee, Hamirpur, district Kangra.
53	Shri Gurdit Singh, son of S. Hari Singh, Shahbajpur, post office Malikpur, tehsil Rupar, district Ambala.
54	Shri Kidar Nath Sharma, son of Pandit Lakshmi Dass, inside Saidan Gate, Jullundur City.
55	Shri Madan Lal Singh Sethi, village, and post office Khalra, district Amritsar.
56	Shri Joginder Singh, son of S. Gopal Singh Qaumi, 163-G. T. Road, Jullundur.
57	Shri Tikka Tirlochan Singh, son of Sant Nadhan Singh Alam, BV/63, Ihata Sher Jung, Ludhiana.
58	Shrimati Bhagwanti, w/o Maharaj Mal, care of L. Shanti Sarup, Advocate, Amritsar.
59	Shri Dharam Paul, Shori, village, and post office Rahoni, tehsil Navanshahar,
60	Shri Bhagwan Singh, son of Shri Hem Singh, House No. EE-328, Bhag Karam Baksh, Panjpeer, Jullundur City.
61	Shri Om Parkash, Member P. P. C. C., Kartarpur.

Serial No.	Name
62	Shri Parma Nand Narang, son of Shri Karam Chand Narang, EQ-36, Pala Bagh, Jullundur City.
63	Shri Amar Kumar, son of Shri Suraj Ram, Malout Mandi.
64	Shri Karnail Singh, son of Wazir Singh, Jat, village and post office Munda Pind, police station Sirhali Kalan, district Amritsar.
65	Shri Jai Inder Singh, son of Sohan Singh, Chowk Baba Sahib, Amritsar.
66	Shri Shyam Singh, son of Late Thakar Jhunna Singh, 538/L, Dehra Dun.
67	Shri Balwant Singh, Amritsar, Model Co-operative Farmnig Society, Amritsar.
68	Shri Inder Singh Jathedar, son of S. Jawala Singh, village and post officer Gagohuha, district Amritsar.
69	Dr. Parduman Singh, Ludhiana.
70	Parbhat Roadways Co-operative Transport Society, Hoshiarpur (10 permits).
71	Shri Gian Singh, son of Ganga Singh Kohli, Gill Lodge, Putlighar, Amritsar.
72	S. Jagir Singh, National Transport Co., Ludhiana.
73	Shri Dilbagh Singh Bagi, village, and post office Masit Palkot, Via Urmar, Hoshiarpur.
74	Shrimati Parmeshari Devi (Refugee) care of Shri Sant Ram Dhody, Refugee, Railway Quarters, Jullundur.
75	Shri Nanak Chand Bakhshi 509-A Model Town, Panipat, district Karnal
76	Shri Sucha Singh, son of S. Partap Singh, village Muthapur, tehsil and district Jullundur.
77	Shri Narinder Nath Kaushal, son of Mahant Kirpa Nath, Rang Mahal, Gurdaspur.
78	Shri Jasbir Singh, son of Waryam Singh, village and post office Bhagowal, tehsil Patiala.
79	Shri M. G. Daniels, Sister Incharge, Francis Newton Hospital, Ferozepur Cantt.
80	Shri Om Parkash Bansel, son of Kundan Lal Aggarwal, Joint Secretary, Socialist Party, district Ferozepur, Branch Bikaneri Road, Fazilka.
81	Shri Gurdip Singh, son of Chada Singh, village Lidhar, post office Rayya. Amritsar.
82	Shri Mohan Singh, son of S. Suba Singh, care of National Motor Transport Co., Near Queens Statue, Gurdwara Saragarhi, Amritsar.
83	S. Kishan Singh Hiqa, Ludhiana
84	Shri Nachatar Singh, I. N. A., son of S. Thakar Singh, village Sangatpura, post office, Baghapurana, tehsil Moga, district Ferozepur.
85	Shri Khairati Ram, son of L. Ram Lal, care of District Congress Committee, Jullundur.
86	Harijan Balmike Friends Co-operative Transport Society, Ltd., Mandi Dabwali district Hissar (2 permits).
87	Shri Darbara Singh, son of Shri Bhagwan Singh, Naraingarh, district Ambala
88	Shri Kirpal Singh Randhwa, Sant villa, G. T. Road, Amritsar.
89	Shri Chanan Singh, village and post office Kairon, tehsil Tarn Taran, (Amritsar).
90	Shri Shankar Singh, son of Natha Singh, village Sangat Pura, tehsil Tarn Taran.
91	Shri Bal Krishan, son of Amar Nath Sood, Mohalla Marneshan, Hoshiarpur.
92	S. Rajinder Singh, village Dhaundran, tehsil Samrala
93	Shri Gurnam Singh Khushdil, son of S. Charan Singh, 13-249, Model Town, Karnal.
94	Shri Manohar Lal of Kulu.
95	Shri Prem Lal Gupta, opposite Arya Samaj, Ambala Cantt.
96	Shri Bishambar Dass, care of Punjab Gram Udyog Samiti, Naraingarh.
97	Shri Kashmira Singh, son Waryam Singh, District Congress Committee, Jullundur.
98	Shri Ram Singh Jat, Ranjit Hotel Sector 23 , Chandigarh.
99	Shri Mehar Singh, son of Gujjar Singh, village and post office Kairon, tehsil Tarn Taran , district Amritsar.
100	Shri Tanu Ram Gupta, Congress Worker, Shahbad.

[Minister for Public Works]

Serial No.	Name
101	Shri Gurbux, Singh, son of Shri Goma Singh, President, District Balmik Union Rohtak.
102	Shri Manga Ram, village Butana, tehsil Gohana, district Rohtak.
103	Shri Gurmakh Singh, son of Ram Singh, President, Rickshaw Union, Rohtak.
104	Shri Ram Parkash Comrade, son of Sajjan Mal, House No. BVI-814, Rohtak-8.
105	Shri Ujagar Singh, A/S S. Wasawa Singh, village and post office Chabhal, district Amritsar.
106	Shri Pritpal Singh Sodhi, son of Sodhi Darbara Singh, Katra Jallianwala, Akhara Bellar, Amritsar.
107	Shri Kashmira Singh, son of S. Jashmer Singh, Gills Park, Moga, district Ferozepur.
108	Shri Kabul Singh Master, Gobindpuri, Chief Editor, Punjabi Janta, Hoshiarpur Road, Jullundur (two permits).
109	Shrimati Sarla, Care of S. Lal Singh, Model Town, Jullundur.
110	Shri Surat Singh, Ex-Sepoy, No. 40, Harijan, Village and Post office Singhwakhasa, tehsil Hansi.
111	Shrimati Sushila Tair, Batala.
112	Shri Gurdial Singh, son of Ranjit Singh, village Katani Kalan, district Ludhiana.
113	Shri M. C. Rosha, son of Shri Anant Ram, Congress Worker, Thanesar.
114	Shri Raj Kumar, care of Hem Raj Marwaha, Dhangu Road, Pathankot.
115	Shri Balwant Singh, Amritsar Model Co-operative Farming Society, Amritsar.
116	Shri S. N. Jacob, son of Lal Chand, care of Mrs. M. Jacob, Staff Nurse, Hoshiarpur.
117	Shri Piara Singh-Ajit Singh, sons of S. Dharam Singh, district Amritsar.
118	Shri Dhana Singh, son of Pirdan Singh, village and post office Baland, tehsil Rohtak.
119	Ram Rattan Sharma, son of Shri Chet Ram, Batala.
120	Shri Satya Nand Dhri, care of Delhi Cloth Mills, Store, Sector No. 22, Chandigarh
121	Shri Jagan Nath, President, Congress Committee, Kartarpur.
122	Shri Gurdial Singh, village Golra (sub-tehsil Mukerian).
123	Shri Jagdish Singh, village Rehmanpur, Jullundur.
124	Shri Muni Lal, son of Shri Salig Ram Seth, Prop., Bharat Woollen and Silk Mills, G. T. Road, opposite Narain Cold Storage, Amritsar.
125	Shri Surinder Nath, son of Milkhi Raj, village and post office Santokhgarh, district Hoshiarpur.
126	Shri Ujagar Singh, son of Shri Basant Singh, Behran, Jullundur.
127	M/s. Joginder Singh-Jagmohan Singh, Karnal (now stands in the name of Jagmohan Sinah, son of Hukam Singh).
128	Punjab Roadways, Ambala.
129	Shri Ram Chand, son of Mewa Ram, Rohtak.
130	Shri Hitablashi, son of Thakar Dass, Gurgaon.
131	Shri Amar Chand, son of Sis Ram, Ladwa (Karnal).
132	Shri Chet Singh Anand, Nahan.
133	Shri Dharam Singh, son of Brij Lal, village and post office Roh (Rohtak).
134	Shri Mehar Singh Giani, Kurukshetra.
135	Shri Ram Krishan, village Rajpur Jaswan, now at Chandigarh.
136	Shri Om Kumar, son of Sarna Mall, Chutala (Hissar).
137	Dhanwant Singh, Samania Gate, Patiala.
138	Burmah Shell, New Delhi.
139	Bhupindra Flour Mills, Bhatinda.
140	Ditto
141	Pathan Kot Bazri and Steel Co., Pathankot.
142	Jaggan Nath-Hem Raj, Dhuri.
143	K. S. Walia, Sampuran Lodge, Patiala.
144	Caltex India, Ltd., Delhi.
145	Pepsu Road Transport Corporation, Patiala.
146	Hargopal Nath-Amar Nath, Dharampur.
147	Bant Ram-Banarsi Dass, Nalagarh.
148	Surrindra Transport Co., Kalka.
149	Hari Chand, son of Banarsi Das, Patiala.

Serial No.	Name
150	Shri Mangal Mall, son of Kishna Mall, Patiala.
151	Gurbachan Singh-Sohan Singh, Nalagarh.
152	Harbans Lal, Nalagarh.
153	Pepsu Goods Transport Co-operative Society, Gobindgarh.
154	Banta Mall-Hukam Chand, Moonak.
155	Tilok Ram-Ram Bax, Lehra Gagga.
156	Hari Kishan Lal Khilanda Ram, Rupar.
157	Ditto
158	Mehar Sinah, Care of Northern India Goods Transport Co., Ambala City.
159	Amir Singh, village Mehim (Rohtak).
160	Parmeshwari Devi, care of Sampuran Building, Lehal, Patiala.
161	Ram Swroop, son of Ram Nath, village Ram Rai, Rajinder Mohan Jand Gali Patiala.
162	Lal Singh, son of Kesar Singh, Moti Bagh, Patiala.
163	Garja Singh, son of Atma Singh, Khamtarpur, post office malikpore.
164	Labh Singh, village Ajrawar , tehsil Rajpura.
165	Harbans Singh Karnana, care of Kartar Singh, watch maker, Adalat Bazar, Patiala.
166	Raja Ram and Sons, Dharampore.
167	Sumer Singh, ex-M.L.A. Care of Inder Singh Malik, Jind.
168	Partap Singh Care of Fateh Chand, 14, Yadvindra Colony, Patiala.
169	Harinder Paul Singh, Samania Gate, Patiala.
170	Master Kabul Sinah, Gobindpuri, Jullundur.

Note : No permit was rendered useless.

अध्यक्ष महोदय : हालांकि इस सवाल पर उस दिन बड़े supplementaries किये गये थे फिर भी कई मैम्बर साहिबान थोड़े से फर्क के साथ इस सवाल को फिर भेज देते हैं । [Although lot of supplementaries had been put on this question the other day, yet I find that some hon. Members give notice of the same question with slight modifications therein.]

श्री प्रबोध चन्द्र : स्पीकर साहिब, यह सवाल इतना आसान नहीं जितना कि इस को समझा जाता है । I would request the Chair to allow half-an-hour's discussion on this question.

अध्यक्ष महोदय : आप मौलवी साहिब की दाद दें जो उन्होंने दोबारा इस question को admit करवा लिया है। (The hon. Member may give credit to Maulvi Sahib, for getting this question admitted again.)

लोककार्य मंत्री : एक और सवाल भी बिल्कुल ऐसा ही admit हो गया हुआ है।

श्री प्रबोध चन्द्र : मैं समझता हूं कि इस तरह से इस सवाल का जवाब बार बार न पूछ कर हाऊस का वक्त जाया होने से बचाया जा सकता है अगर इस का जवाब एक ही बार ठीक तरह से दे दिया जाये।

[प्रबोध चन्द्र]

अब मैं पूछना चाहता हूं कि यह जो permits दिये गये हैं यह किस basis पर और किस criteria पर दिये गये हैं ?

मंत्री : यह सवाल पहले कई बार, कई बार ही नहीं बल्कि दर्जनों बार पूछा जा चुका है । इस का जवाब यह है कि इन में से बहुत सारे permits Regional Transport Authorities ने कुछ contractors को और कुछ दूसरी private agencies को या कई private firms को दिये हैं और कुछ permits State Transport Commissioner ने दिये हैं और वह इस बात को ज़रूरत को महसूस करते हुए दिये हैं कि goods traffic बढ़ गया है और जो कुछ आदमियों की इस चीज़ में monopoly सी बन गई हुई है उन की उस monopoly को खत्म किया जाये और इस को खत्म करने के लिये permits freely दिये जायें । इस के साथ साथ उस ने इन permits में चल रही black market को मद्दे नज़र रखते हुए यह permits दिये हैं । इस के लिये कुछ categories से दरखास्तें मांगी गई थीं । उन में से बहुत सी दरखास्तें political sufferers की भी आई और उन की political sufferings को देखते हुए 385 दरखास्तें मंजूर की गईं और गवर्नमेंट ने उन को permits sanction किये लेकिन उन 385 permits में से जो उन को दिये गये हैं अब तक सिर्फ 170 permits avail किये गये हैं । गवर्नमेंट चाहती है कि यह permits freely दिये जायें । यह सवाल जो बार बार पूछा जाता है दरअसल इस की तह में . . .

Shri Prabodh Chandra : On a point of Order, Sir. No insinuations please.

अध्यक्ष महोदय : आखरी शब्द तो उन्हों ने कहे ही नहीं आप ने यह कैसे presume कर लिया है । (He has not uttered the concluding words. How has the hon. Member presumed them.)

श्री प्रबोध चन्द्र : उन्हों ने कहा है कि इस की तह में motive . . .

अध्यक्ष महोदय : उन्हों ने आखरी शब्द कहे भी नहीं । (He has not yet uttered the last words.)

मंत्री : अगर मुअज़्ज़िज़ मैम्बर मेरे ऐसा कहने से घबराते हैं तो मैं और कुछ नहीं कहता ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि यह जो permits Transport Commissioner साहिब ने दिये हैं यह उन्हों ने कब दिये हैं ?

मंत्री : इन में से कुछ permits 1956-57 में और कुछ 1957-58 में दिये गये थे ।

मौलवी अब्दुल गनी डार : मैं ने तो यह पूछा था कि यह जो permits Regional Transport authorities ने दिये हैं या Transport Commissioner ने दिये हैं वह कितने दिये गये हैं और क्यों दिये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप ने पूछा है कि यह permits कब दिये गये । इस का जवाब उन्हों ने दे दिया है । (The hon. Member has enquired as to when these permits were issued and the Minister has replied to it .)

डाक्टर परमानन्द : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि यह permits Co-operative Societies को कितने दिये गये हैं ?

मंत्री : इस के लिये notice चाहिये क्योंकि यह अलहदा सवाल है ।

श्री जगत नारायण चोपड़ा : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि अम्बाला Third Division में कितने permits दिये गये हैं ?

मंत्री : इस के लिये भी अलग सवाल करें, मैं जवाब दे दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : जब आप कहते हैं कि इस के लिये अलग सवाल कर तो वह और सवाल इस पर कर देंगे । यह तो आप मुझ पर छोड़ दिया करें । यह देखना मेरा काम है । (When the hon. Minister himself wants the hon. Member to give a fresh notice the latter would put a question on this subject. He should leave this thing to me. It is my business to look to this matter.) This question does not arise.

ਖਾਨ ਅਬਦੁਲ ਗ਼ਫਾਰ ਖਾਂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ black-market ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ?

मंत्री : गवर्नमेंट की तरफ से black market को खत्म करने की इन्तहाई कोशिश की जा रही है और बहुत हद तक इसे इस में कामयाबी भी हुई है । जहां पहले एक permit की black market में सौ रुपये तक कीमत थी वह अब कम हो कर 50 रुपये तक आ गई है । पहले कई लोग एक permit हासिल कर के उसे 500 रुपये माहवार पर किराये पर दे दिया करते थे ।

Mr. Speaker : Next question please.

PERMITS FOR PUBLIC CARRIERS

***1384. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Minister for Public Works be pleased to state the total number of permits for public carriers issued in the State during the years 1956-57 and 1957-58 separately together with the names of persons to whom and the rules under which these permits were issued ?

Rao Birendar Singh : Total number af public carrier permits issued during the year 1956-57 and 1957-58 is 214 and 170, respectively. A statement showing names of persons whom these permits were issued is laid on the Table of the House. In the Patiala Region these permits were issued by the erstwhile State Transport Authority, Pepsu, during the year 1956-57 under section 44 of the M.V. Act, 1939 and the rest by the State Transport Commissioner, by virtue of the powers vested in him under section 10 of the M.V. (East Punjab Amendment) Act, 1948.

Public Carrier, 1956-57

1. Harkaran Lal Jaswant Rai, Kotkapura.
2. Hazura Singh, Bassi.
3. Dewan Singh, Nabha.
4. Balwant Singh Avtar Singh, Patiala.
5. Arjan Singh, Patiala.
6. Bhag Singh, Sirhind.
7. Thana Singh, Kotkapura.
8. Karam Chand, Patiala.
9. East West Trading Corporation, New Delhi.
10. Ditto Ditto
11. Pepsu Goods Co-operative Society, Gobindgarh.
12. Amrik Singh, Patiala.
13. Sat Pal Khosla, Patiala.
14. Amar Singh Gopal Singh, Takhipur.
15. Sadhu Singh Santokh Singh, Patiala.
16. Sohan Singh, Tripuri.
17. Balwant Singh, Patiala.
18. Brahm Sarup, Rajpura.
19. Kapur Singh Baljit Singh, Jind.
20. Sunder Singh , Rajpura.
21. Bhagwan Singh Mana Singh, Patiala.
22. Harbans Lal, Nalagarh.
23. Oshnak Singh Charanjit Singh, Faridkot.
24. Tarlochan Singh Sant Singh, Baroli.
25. Chanan Ram, Badlada.
26. Harinder Singh Kartar Singh, Gondhara.
27. Siri Chand, Patiala.
28. Sham Lal, Dhanaula.
29. Dhani Ram Gora Lal, Samana.
30. Devi Dayal Ram Rai.
31. Amar Singh Nika Singh, Bhoglan.
32. Harbajan Singh Brij Lal, Jida.
33. Pepsu Goods Transport Society, Gobindgarh.
34. Chanan Singh, Kotkapura.
35. Amar Singh, Patiala.
36. Amar Singh, Patiala.
37. Supinder Singh, Madhopur.
38. Laiq Ram, Barnala.
39. Hari Chand, Patiala.
40. Des Raj Sham Lal, Barnala.
41. Nanak Singh, Patiala.
42. Kartar Singh, Dhanaula.
43. Hans Raj, Phagwara.
44. Harinder Singh Balbinder Singh, Gondhara.
45. Gurcharan Singh, Patiala.
46. Mihan Ram Ishar Singh, Patiala.

47. Mehar Singh Piara Singh, Sirhind.
48. Madan Lal Darbari Lal, Samana.
49. Om Parkash Sohan Lal, Samana Mandi.
50. Dalip Chand, Bhadaur.
51. Bachittar Singh, Barnala.
52. Hukan Singh, Patiala.
53. Gainda Mal Handa & Sons, Bhagwara.
54. Kartar Singh, Phagwara.
55. Jaswant Singh, Patiala.
56. Jagir Singh, Sangrur.
57. Bhagwan Dass, Narwana.
58. Lt. Hira Singh, Dadri.
59. Dev Raj Jagan Nath, Sohna.
60. Charanji Lal Mohan Lal, Kot Phatta.
61. Lal Chand Gurdial Singh, Kotkapura.
62. Chanan Singh Surmukh Singh, Kotkapura.
63. Harnam Singh Narian Singh, Patiala.
64. Rameshwar Dass Baldev Krishan, Samana.
65. Sohan Singh, Phagwara.
66. Avtar Singh, Patiala.
67. Chanan Singh, Phagwara.
68. Lal Chand, Patiala.
69. Mehar Singh Mehma Singh, Phagwara.
70. Surjit Singh, Rampura Phul.
71. Santa Singh, Phagwara.
72. Bishan Singh Bihar Singh, Sultanpur.
73. Dalip Singh, Phagwara.
74. Shivnath Singh Kartar Singh Amar Nath, Rajpura.
75. Amar Nath Sadhu Ram, Rajpura.
76. Jagat Singh Teja Singh, Rajpura.
77. Arjan Dev, Dadri.
78. D. R. Chowdhri-M.S. Choudhri, Patiala.
79. Ditto
80. Ditto
81. Bhupinder Singh Sat Pal, Patiala.
82. Man Singh, Dhaula.
83. Rup Chand, Kotkapura.
84. Ganpat Rai, Rajpura.
85. Ramji Lal Harphol Singh, Dadri.
86. Bhajan Singh Ram Singh, Doraha.
87. Pritam Singh, Phagwara.
88. Naranjan Dass, Kotkapura.
89. Raj Kumar, Kotkapura.
90. Harnam Singh Narain Singh, Ajraur.
91. Balwant Singh Mangat Singh, Bhatinda.
92. Inder Singh, Patiala.
93. Joginder Singh Kartar Singh, Samana.
94. Dharam Pal Karam Chand, Kotkapura.
95. Suraj Singh Khan Chand, Sardulgarh.
96. Santa Singh Phangan Singh, Phagwara.
97. Tek Chand, Phagwara.
98. Manohar Singh, Patiala.
99. Tek Chand, Mataur.
100. Gurdas Ram Jagat Ram, Phagwara.
101. Hargopal Nath Amar Nath, Dharampur.
102. Om Parkash, Phagwara.
103. Hara Singh, Patiala.
104. Shrimati Rai Kaur Joginder Kaur, Sangrur.
105. Sarwan Singh, Bhaindi.
106. Gurbux Singh Bhajan Singh, Faridkot.
107. Ajit Kumar, Jind.
108. Khan Chand, Kumar Hatti.
109. Babu Ram Walaiti Ram, Mansa.
110. Nand Ram, Notana.
111. Prem Sagar, Jind.
112. Rattan Chand, Nabha.
113. Harjit Singh, Patiala.
114. Kala Ram, Patiala.
115. Bhagirath, Moonak.

[Minister for Public Works]

116. Gurmukh Singh Gopal Singh, Kotkapura.
117. Hari Chand, Fatehgarh.
118. Karam Chand Karan Dewan, Patiala.
119. Ram Saran, Patiala.
120. Chet Singh Balbir Singh, Patiala.
121. Sardara Singh, Bassi.
122. Chet Singh Balbir Singh, Patiala.
123. Sadhu Singh, Patiala.
124. Mohan Lal Kundan Singh, Patiala.
125. Harnam Singh, Patiala.
126. Sada Ram Kishan Lal, Kotkapura.
127. Bishambar Dass, Patiala.
128. Balwant Singh, Patiala.
129. Megh Raj, Jind.
130. Sher Singh, Patiala.
131. Nand Lal, Jind.
132. Ganesh Dass, Jind.
133. Makhan Singh, Patiala.
134. M. S. Bedi Jagdish Mittar, Patiala.
135. Gurdial Singh Des Raj, Basidke.
136. Pritam Singh Sampuran Singh, Barnala.
137. Bhagwan Singh Gurbax Singh, Safidon.
138. Amar Nath, Safidon.
139. Bharpur Singh, Patiala.
140. Sant Lal Hari Dass, Jind.
141. Sham Lal Babu Ram, Dhanaula.
142. Hira Singh, Dadri.
143. Sarwan Singh, Barsana.
144. Gopal Singh, Paintawas.
145. Het Ram Lachhman Singh, Dadri.
146. Moti Ram, Dadri.
147. Jagdish Rai, Dalmia Dadri.
148. Aya Singh Tarick Singh, Goniana.
149. Pirthi Singh Ram Sarup, Kakroli Sardara.
150. Rao Surat Singh, Barsana.
151. Randhir Singh, Khatiawas.
152. Kartar Singh, Kakroli.
153. Hans Raj Puran Dass, Kotkapura.
154. Ravi Parkash, Safidon.
155. Amar Singh, Bhatinda.
156. Gau Shalababaphulan, Uchana.
157. Gursaran Singh, Madhopur.
158. Arjan Singh, Patiala.
159. Sher Singh, Mansa.
160. Jalwant Singh, Faridkot.
161. Ram Kishan Singh Baldev Singh, New Patiala.
162. Dhera Singh, Patiala.
163. Prehlad Singh, Patiala.
164. Surjit Singh Surrender Singh, Kotkapura.
165. Kashmiri Lal, Phulan.
166. Saghar Singh, Kotkapura.
167. Tarlochan Singh, Bagowal.
168. Hazara Singh, Amloh.
169. Sikandar Singh, Patiala.
170. Jai Singh, Doraha.
171. Gurcharan Dass, Lehal.
172. Har Mohinder Singh, Jind.
173. Chuni Lal Sewa Singh, Jind.
174. Kartar Singh, Jind.
175. Sarwinder Singh Kewal Singh, Rampur.
176. Pritam Singh, Kotkapura
177. Pritam Singh , Sangrur.
178. Jagirdass, Kotkapura.
179. Tulsi Ram, Sangrur.
180. Rajinder Singh, Rajpura.
181. Tej Ram, Patiala.
182. Joginder Singh, Sangrur.

183. Inderjit Singh Nirmal Singh, Patiala.
184. Gurbax Singh, Kapurthala.
185. Hari Chand, Patiala.
186. Ishar Singh, Phagwara.
187. Tarlochan Singh, Patiala.
188. Narinder Singh, Patiala.
189. Chander Singh, Dadri.
190. Ditto
191. Kanti Chander Ganga Ram, Jind.
192. Sunder Singh, Dadri.
193. Tarnbir Singh Tarlok Singh, Rajpura.
194. Naranjan Singh, Patiala.
195. Jagjit Singh, Patiala.
196. Sohan Lal, Patiala.
197. Chaman Singh, Kotkapura.
198. Tahsil Labour and Construction Co-operative Society.
199. Milkha Singh, Bhatinda.
200. Parkash Chand, Kandaghat.
201. Surat Singh, Dadri.
202. Raghbir Singh, Dadri.
203. Katar Singh & Co., Dadri.
204. Balbir Singh, Jind.
205. Roshan Lal, Sanawar.
206. Manjit Singh Avtar Singh, Patiala.
207. Kohistan Transport Co-operative Society, Tootu.
208. Tarnbir Singh, Patiala.
209. Shri Tyab Hussain, son of Mohd. Yasin Khan, M.L.A., Gurgaon.
210. Shri Thakar Singh, son of Bhag Singh, Ambala Cantt.
211. to 214.—Shri Khawaja Mohd. Akram (Four permits).

Statement showing the names of the persons sanctioned temporary truck permits in 1957-58 by State Transport Commissioner, Punjab.

Serial No.	Name
1	Shri Harchand Singh, son of S. Arjan Singh, 65, Jhok Road, Ferozepur Cantt.
2	Shri Chanan Singh, son of S. Labh Singh, Mamdot, district Ferozepore.
3	Shri Jaswant Singh, son of S. Amar Singh, Mamdot, Jaloke, district Ferozepore.
4	Shri Lachhman Dass Narang, Municipal Committee Khanna, district Ludhiana.
5	Shri Bhagat Gurdass, Balmik Nagar, Hoshiarpur.
6	Shri Harnam Singh, M.L.A., village and post office Begowal, district Kapurthala.
7	Shri Des Raj, son of Shri Hans Raj, care of Shri Ram Nath Azad, Moga.
8	Shri Mukhtiar Singh, ex-M.L.A., Dharamkot, tehsil Zira, district Ferozepur.
9	Shri Pritam Singh Karak, son of S. Isher Singh, President, Congress Committee, Dasuya.
10	Shri Gurbax Singh Bhatia, H. No. Box No. 804, Dholawala Mohalla, Ludhiana.
11	Shri Kartar Singh Babar, son of S. Machhi Singh, E. O. 102, Mohalla Saydan, Jullundur City.
12	Shri Satinder Kumar, son of Shri Sunam Rai, M. A., Fazilka, district Ferozepur.
13	Shri Dewarka Dass, son of Pandit Nemo Nath, Mohalla Dhandhirian, Teli Gate, Batala.
14	Chitra Multipurposes Co-operative Society, Jugiana, Ltd. (two permits)

[Minister for Public Works]

Serial No.	Name
15	Shri Hari Chand Pehlwan, son of Sohani Shaw, Dhangu, Railway Road, Pathankot.
16	Shri Mohinder Singh, care of Shri Isher Singh Majhail, Chowk Baba Sahib, Amritsar.
17	Shri Kesar Singh, son of Gurdit Singh, Kesar Hind, Patiala.
18	Shri Varinder Kumar, care of L. Shanti Sarup, Advocate, Amritsar.
19	Shri Sat Pal Mittal, son of Amar Nath, B. V. 923, Gowshala Road, Ludhiana.
20	Shri Parkash Chand Dutt, ex Subedar Major, care of Shri I. C. Dutta, Bar-at-Law, Committee Ganj, Hoshiarpur.
21	Shri Harwant Singh Sehgal, son of S. Shiban Singh Sehgal, U. S. 48, Basti Sheikh, Jullundur City.
22	Shri Kishan Singh, son of S. Jimana Singh, Mazbi Sikh, (Scheduled Caste) village Harnampura, post office Jaspal Bangar, district Ludhiana.
23	Shri Onkar Singh, son of S. Assa Singh, village and post office Daroli Kalan, district Jullundur.
24	Shri Parbhati Ram, son of Lalita Ram, Dhanik, Gowshala Street, Muktsar, district Ferozepur.
25	Shri Pensioner Subedar Shri Jagat Singh, son of S. Waryam Singh, village Alipore, post office Mithepore, tehsil and district Jullundur.
26	Shri Daya Kishan, son of Rasila Ram, 112, Dayanand Nagar, Amritsar.
27	Shri Parma Nand Kidar Nath, Jullundur City.
28	Shri Ajit Singh, ex M. L. A., Hoshiarpur.
29	Shri Sunder Singh, son of S. Sham Singh, care of S. Ram Singh Gumbar, Phagwara Gate, Jullundur.
30	Shri Ram Krishan Nanda, son Shri Sita Ram Nanda, of Hamirpur, district Kangra.
31	Shri Sunam Rai, M. A., son of Kaushi Ram, President, City Congress Committee, Fazilka.
32	Shri Jetha Singh, son of S. Binda Singh, caste Harijan, village Bughipura, at present care of Singapore Cloth Store, Main Bazar, Moga, district Ferozepore.
33	Shri Charanji Lal, son of Kirpa Ram, Brahmin of Sidhwan Kalan, Ludhiana.
34	Shri Nant Ram Malhotra, House No. 600/12, Purani Kanak Mandi, Katra Chanian, Amritsar.
35	Shri Gurdev Singh and Jaswant, sons of Midho Singh, Mazbhi Sikh, village Mukand Singhwala, tehsil Muktsar, district Ferozepur.
36	Shri Harnam Singh, son of S. Gurmukh Singh, village & post office Machhiwara, Ludhiana.
37	Shri Mubarik Singh, President, District Congress Committee, Urban Sharifpura, Amritsar.
38	Shri Mukhtiar Singh, Malkiat Singh, Kewal Singh, Bhag Singh, Dharamkot, district Ferozepur.
39	Shri Gurcharan Singh Wadhwa Singh Dugri, tehsil Tarn Taran
40	Shri Dalip Singh Gill and Harbans Singh Machike, post office Valtoha, district Amritsar.
41	Shri Basant Singh, son of Narain Singh, village Kot Data, post office Sarhali, district Amritsar.
42	Shri Samuel Akhtar, care of Indian Christian, Teacher Mission High School, Palampur, extended for Kangra and Hoshiarpur Hill Roads.
43	Shri Mehar Chand, son of Shri Kesar Ram, Harijan, Ward No. 2, Muktsar, district Ferozepur.
44	Shri Harbans Lal, village Sarai Narga, post office Bariwala, tehsil Muktsar, district Ferozepur.
45	Gurdaspur Harijan Co-operative Transport Society, Ltd., care of New United Transport Private, Ltd., Pathankot.
46	Shri Ram Saroop, District Congress Committee, Dasuya.
47	Shrimati Janki Devi, w/o Thtu Ram, village Bakaron, tehsil Dehra, district Kangra.
48	Shri Udham Singh, son of Bundha Singh, village and post office Margindpura, Amritsar.
49	Shri S. R. Dhir, Dhir Building, Fatehpur, Jullundur City.
50	Shri Amar Singh, son of S. Waryam Singh, Mazbi Sikh, village and post office Pandori Takhat Mal, tehsil Tarn Taran, district Amritsar.
51	Shri Chanan Singh, President, Congress Committee, Patti.

Serial No.	Name
52	Radha Krishen, Office Secretary, Mandal Congress Committee, Hamirpur, district Kangra.
53	Shri Gurdit Singh, son of S. Hari Singh, Shahbajpur, post office Malikpur, tehsil Rupar, district Ambala.
54	Shri Kidar Nath Sharma, son of Pandit Lakshmi Dass, inside Saidan Gate, Jullundurl City.
55	Shri Madan Lal Singh Sethi, village and post office Khalra, district Amritsar.
56	Shri Joginder Singh, son of S. Gopal Singh Caumi, 163-G. T. Road, Jullundur.
57	Shri Tikka Tirlochan Singh, son of Sant Nadhan Singh Alam, BV/63, Ihata Sher Jung, Ludhiana.
58	Shrimati Bhagwanti, w/o Maharaj Mal, care of L. Shanti Sarup, Advocate, Amritsar.
59	Shri Dharam Paul, Shori, village and post office Rahoni, tehsil Navanshahar.
60	Shri Bhagwan Singh, son of Shri Hem Singh, House No. EE-328, Bhag Karam Baksh Panjpeer, Jullundur City.
61	Shri Om Parkash, Member, P. P. C. C., Kartarpur.
62	Shri Parma Nand Narang, son of Shri Karam Chand Narang, EQ-36, Pala Bagh, Jullundur City.
63	Shri Amar Kumar, son of Shri Suraj Ram, Malout Mandi.
64	Shri Karnail Singh, son of Wazir Singh, Jat, village and post office Munda Pind, police station Sirhali Kalan, district Amritsar.
65	Shri Jai Inder Singh, son of Sohan Singh, Chowk Baba Sahib, Amritsar.
66	Shri Shyam Singh, son of Late Thakar Jhunna Singh, 538/L, Dehra Dun.
67	Shri Balwant Singh, Amritsar Model Farming Co-operative Society, Amritsar.
68	Shri Inder Singh Jathedar, son of S. Jawala Singh, village and post office Gagohuha, district Amritsar.
69	Dr. Parduman Singh, Ludhiana.
70	Parbhat Roadways Co-operative Transport Society, Hoshiarpur (10 permits).
71	Shri Gian Singh, son of Ganga Singh Kohli, Gill Lodge, Putlighar, Amritsar.
72	S. Jagir Singh, National Transport Co., Ludhiana.
73	Shri Dilbagh Singh Bagi, village and post office Masit Palkot, Via Unmar, Hoshiarpur.
74	Shrimati Parmeshari Devi (Refugee) care of Shri Sant Ram Dhody, Refugee, Railway Quarters, Jullundur.
75	Shri Nanak Chand Bakhshi, 509-A, Model Town, Panipat, district Karnal
76	Shri Sucha Singh, son of S. Partap Singh, village Muthapur, tehsil and district Jullundur.
77	Shri Narinder Nath Kaushal, son of Mahant Kirpa Nath, Rang Mahal, Gurdaspur.
78	Shri Jasbir Singh, son of Waryam Singh, village and post office Bhagowal, tehsil Patiala.
79	Shri M. G. Daniels, Sister Incharge, Francis Newton Hospital, Ferozepur Cantt.
80	Shri Om Parkash Bansel, son of Kundan Lal Aggarwal, Joint Secretary, Socialist Party, district Ferozepur Branch, Bikaneri Road, Fazilka.
81	Shri Gurdip Singh, son of Chada Singh, village Lidhar, post office Rayya, Amritsar.
82	Shri Mohan Singh, son of S. Suba Singh, care of National Motor Transport Co. near Queens Statue, Gurdwara Saragarhi, Amritsar.
83	S. Kishan Singh Hiqa, Ludhiana.
84	Shri Nachatar Singh, I. N. A., son of S. Thakar Singh, village Sangatpura, post office Baghapurana, tehsil Moga, district Ferozepur.
85	Shri Khairati Ram, son of L. Ram Lal, care of District Congress Committee, Jullundur.
86	Harijan Balmike Friends Co-operative Transport Society, Ltd., Mandi Dabwali, district Hissar (2 permits).
87	Shri Darbara Singh, son of Shri Bhagwan Singh, Naraingarh, district Ambala.
88	Shri Kirpal Singh Randhwa, Santvilla, G. T. Road, Amritsar.
89	Shri Chanan Singh, village and post office Kairon, tehsil Tarn Taran (Amritsar).
90	Shri Shankar Singh, son of Natha Singh, village Sangat Pura, tehsil Tarn Taran.

[Minister for Public Works]

Serial No.	Name
91	Shri Bal Krishan, son of Amar Nath Sood, Mohalla Marneshan, Hoshiarpur.
92	S. Rajinder Singh, village Dhaundran, tehsil Samrala.
93	Shri Gurnam Singh Khushdil, son of S. Charan Singh, 13-249, Model Town, Karnal.
94	Shri Manohar Lal of Kulu.
95	Shri Prem Lal Gupta, Opp. Arya Samaj, Ambala Cantt.
96	Shri Bishambar Dass, care of Punjab Gram Udyog Samiti, Naraingarh.
97	Shri Kashmira Singh, son Waryam Singh, District Congress Committee, Jullundur.
98	Shri Ram Singh Jat, Ranjit Hotel, Sector 23, Chandigarh.
99	Shri Mehar Singh, son of Gujjar Singh, village and post office Kairon, tehsil Tarn Taran, district Amritsar.
100	Shri Tanu Ram Gupta, Congress Worker, Shahbad.
101	Shri Gurbux Singh, son of Shri Goma Singh, President, District Balmik Union, Rohtak.
102	Shri Manga Ram, village Butana, tehsil Gohana, district Rohtak.
103	Shri Gurmukh Singh, son of Ram Singh, President, Rickshaw Union, Rohtak.
104	Shri Ram Parkash Comrade, son of Sajjan Mal, House No. BVI-814, Rohtak-8.
105	Shri Ujagar Singh A/S S. Wasawa Singh, village and post office Chabhal, district Amritsar.
106	Shri Pritpal Singh Sodhi, son of Sodhi Darbara Singh, Katra Jallianwala, Akhara Bellar, Amritsar.
107	Shri Kashmira Singh, son of S. Jashmer Singh, Gills Park, Moga, district Ferozepur.
108	Shri Kabul Singh Master, Gobindpuri, Chief Editor, Punjabi Janta, Hoshiarpur Road, Jullundur (Two permits).
109	Shrimati Sarla c/o S. Lal Singh, Model Town, Jullundur.
110	Shri Surat Singh, Ex Sepoy No. 40, Harijan, V. & P.O. Singhwakhasa, tehsil Hansi.
111	Shrimati Sushila Tair, Batala.
112	Shri Gurdial Singh, son of Ranjit Singh, village Katani Kalan, district Ludhiana.
113	Shri M. C. Rosha, son of Shri Anant Ram, Congress Worker, Thanesar.
114	Shri Raj Kumar, c/o Hem Raj Marwaha, Dhangu Road, Pathankot.
115	Shri Balwant Singh, Amritsar Model Co-operative Farming Society, Amritsar.
116	Shri S. N. Jacob, son of Lal Chand, c/o Mrs. M. Jacob, Staff Nurse, Hoshiarpur.
117	Shri Piara Singh-Ajit Singh, son of S. Dharam Singh, district Amritsar.
118	Shri Dhana Singh, son of Pirdan Singh, V.&P.O. Baland, tehsil Rohtak.
119	Ram Rattan Sharma, son of Shri Chet Ram, Batala.
120	Shri Satya Nand Dhri, c/o Delhi Cloth Mills Store, Sector No. 22, Chandigarh.
121	Shri Jagan Nath, President, Congress Committee, Kartarpur.
122	Shri Gurdial Singh, village Golra (Sub-tehsil Mukerian).
123	Shri Jagdish Singh, village Rehmanpur, Jullundur.
124	Shri Muni Lal, son of Shri Salig Ram Seth, Prop. Bharat Woollen and Silk Mills, G. T. Road, opposite Narain Cold Storage, Amritsar.
125	Shri Surinder Nath, son of Milkhi Raj, V.&P.O. Santokhgarh, district Hoshiarpur.
126	Shri Ujagar Singh, son of Shri Basant Singh, Behran, Jullundur.
127	M/s Joginder Singh Jagmohan Singh, Karnal (now stands in the name of Jagmohan Singh, son of Hukam Singh).
128	Punjab Roads, Ambala.
129	Shri Ram Chand, son of Mewa Ram, Rohtak.
130	Shri Hitablashi, son of Thakar Dass, Gurgaon.
131	Shri Amar Chand, son of Sis Ram, Ladwa (Karnal).
132	Shri Chet Singh Anand, Nahan.
133	Shri Dharam Singh, son of Brij Lal, V.&P.O. Roh (Rohtak).
134	Shri Mehar Singh Giani, Kurukshetra.
135	Shri Ram Krishan, village Rajpur Jaswan, now at Chandigarh.
136	Shri Om Kumar, son of Sarna Mall, Chutala (Hissar).

Serial No.	Name
137	Dhanwant Singh, Samania Gate, Patiala.
138	Burmah Shell, New Delhi.
139	Bhupindra Flour Mills, Bhatinda.
140	Ditto
141	Pathan Kot Bazri and Steel Co., Pathankot.
142	Jaggan Nath Hem Raj, Dhuri.
143	K. S. Walia, Sampuran Lodge, Patiala.
144	Caltex India, Ltd., Delhi.
145	Pepsu Road Transport Corporation, Patiala.
146	Hargopal Nath Amar Nath, Dharampur.
147	Bant Ram Banarsi Dass, Nalagarh.
148	Surrindra Transport Co., Kalka.
149	Hari Chand, son of Banarsi Das, Patiala.
150	Shri Mangal Mall, son of Kishna Mall, Patiala.
151	Gurbachan Singh Sohan Singh, Nalagarh.
152	Harbans Lal, Nalagarh.
153	Pepsu Goods Transport Co-operative Society, Gobindgarh.
154	Banta Mall Hukam Chand, Moonak.
155	Tilok Ram Ram Bax, Lehra Gaga.
156	Hari Kishan Lal, Khilanda Ram, Rupar.
157	Ditto ditto
158	Mehar Sinah, c/o Northern India Goods Transport Co., Ambala City.
159	Amir Singh, village Mehim (Rohtak).
160	Parmeshwari Devi c/o Sampuran Building, Lehal, Patiala.
161	Ram Swroop, son of Ram Nath, village Ram Rai, Rajinder Mohan Jand Gali, Patiala.
162	Lal Singh, son of Kesar Singh, Moti Bagh, Patiala.
163	Garja Singh, son of Atma Singh, Khamtarpur, P.O. Malikpore.
164	Labh Singh, village Ajrawar , tehsil Rajpura
165	Harbans Singh Karnana c/o Kartar Singh, Watch Maker, Adalat Bazar, Patiala.
166	Raja Ram and Sons, Dharampore.
167	Sumer Singh, Ex M.L.A. c/o Inder Singh Malik, Jind.
168	Partap Singh c/o Fateh Chand, 14, Yadvindra Colony, Patiala.
169	Harinder Paul Singh, Samania Gate, Patiala.
170	Master Kabul Singh, Gobindpuri, Jullundur.

श्री प्रबोध चंद्र : मैं वज़ीर साहिब से यह जानना चाहता हूं कि यह जो Transport Commissoner है इस की post कब create की गई ?

अध्यक्ष महोदय : इस में Transport Commissioner की post का तो ज़िक्र नहीं। (There is no mention of the post of Transport Commissioner in this question.)

श्री प्रबोध चन्द्र : Transport Commissioner की जो post है वह बहुत बाद में कायम की गई और यह permits उस के नाम से पहले जारी किए गए।

Mr. Speaker : The hon. Member should not make a speech. He should put a direct question.

मंत्री : यह आम इल्म की बात है कि पंजाब में Provincial Transport Commissioner की post बहुत अर्से से कायम है। मैं इस सवाल को नहीं

[मंत्री]

समझ सका । अगर तारीख मालूम करना चाहें तो नोटिस दें । (इस वक्त पंडित श्री राम शर्मा supplementary question करने के लिए खड़े हुए)

अध्यक्ष महोदय : इस पर काफी वक्त लग चुका है अगर कोई खास बात पूछनी हो तो पूछ लें। (Sufficient time has already been devoted to this question. However, if the hon. Member has something special to enquire, only then he may ask about it.) (Interruption by Maulvi Abdul Ghani Dar and Shri Prabodh Chandra)

पंडित श्री राम शर्मा : वज़ीर साहिब ने बताया है......(The hon. Minister for P.W.D. said something inaudible without rising in his seat. At this there were numerous interruptions.)

अध्यक्ष महोदय : Disturbance न करें। वह बोल रहे हैं, सुना नहीं जाता । Order please. (Let there be no disturbance please. I cannot hear what the hon. Member is saying. Order please.)

श्री प्रबोध चन्द्र : On a point of order, Sir. वज़ीर साहिब ने अभी फरमाया है और Transporters के सम्बन्ध में insinuation की है....

Mr. Speaker : He did not address the Chair.

श्री राम चन्द्र कामरेड : On a point of order, Sir. उन्हों ने कहा है कि ऐसे सवाल Transporters के कहने पर हो रहे हैं । हम इसे insult समझते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आपस में बड़े प्यार की बातें हो रही हैं, मुझे क्या पता है । (विघ्न) आप disturbance न करें । शर्मा जी दो दफा उठ कर बैठ गए हैं । (विघ्न) (They are having a nice colloquy what do I know about it ?) (*interruptions*) (The hon. Members should not disturb the House. Mr. Sharma has resumed his seat after rising twice with an intention to speak.) (*interruptions*)

पंडित श्री राम शर्मा : अभी वज़ीर साहिब ने कुछ figures बताई हैं कि इतने permits issue किए । मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट यह permits issue करने के बाद इस बात का अन्दाज़ा करती है कि किन २ लोगों ने public carriers खरीद लिए हैं । और जो नहीं खरीदते उनसे क्या सलूक करती है ?

अध्यक्ष महोदय : इस का जवाब दे दिया है कि 385 permits issue किए गए और 170 ने उन से फायदा उठाया । (Reply to this question has already been given that 385 permits were issued and 170 have been availed of them.)

पंडित श्री राम शर्मा : मैं यह पूछना चाहता हूं कि गवर्नमैंट ने क्या कायदा बना रखा है कि जो public carrier नहीं खरीदते उन के permits कितने असे बाद cancel कर दिए जाएं या क्या permits issue करते वक्त गवर्नमैंट अपने आप को satisfy करती है कि यह public carrier खरीदने के काबिल भी है ?

मंत्री : मुझे उम्मीद है कि पंडित जी ने गवर्नमैंट की तरफ से issue किए permits के मुतअल्लिक सवाल किया है।

पंडित श्री राम शर्मा : हां, हां ।

मंत्री : जो permits sanction हुए थे उन में एक साल की मयाद थी । जो एक साल तक truck produce नहीं करेंगे उन के permits cancel हो जाएंगे।

PUBLIC HILL MOTOR TRANSPORT COMPANY HOSHIARPUR

***1439. Pandit Ram Kishan Bharolian** : Will the Minister for Public Works be pleased to state :—

(a) the total number of route permits sanctioned in the name of the Public Hill Motor Transport Company, Hoshiarpur, for the Jaho and Bhareri routes ;

(b) whether buses are being run by the said company on the routes referred to above according to the number allowed to them by the authorities ;

(c) whether any arrangements have been made by Government for the checking of overloading of buses on the said routes and the periods after which checking is done ;

(d) whether any general complaint against the said company for overloading, plying less buses and abuse of their permit privileges has come to the notice of Government; if so, the action, if any, taken ;

(e) whether there is any plan under the consideration of Government to nationalise the said routes; if so, the time by which these routs are expected to be nationalised ?

Rao Birendar Singh :

(a) Victory Public Hills Motor Transport Company has the following routes :—

(i) Hoshiarpur-Jaho ... 4

(ii) Hoshiarpur-Bhareri .. 2

(b) There were complaints that the buses were not being run according to the time-table.

[Minister for Public Works]

(c) Yes. Checking is done by the enforcement staff every now and then.

(d) Yes. Some complaints were received against this Company for deficient fleet, irregular operation of services, etc. Action under Section 60 of Motor Vehicles Act for cancellation/suspension of permits is being taken by the Regional Transport Authority.

(e) Yes. The routes have been included in the 50:50 scheme which is awaiting approval.

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि जो complaints हैं वह गवर्नमैंट के नोटिस में कब से आई हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझ नहीं सका । (I have not followed.)

श्री प्रबोध चन्द्र : उन्हों ने जवाब में फरमाया है कि there were certain complaints. मेरा supplemantry यह है कि when did these complaints come to the notice of the Government ?

मंत्री : इस वक्त मैं तारीख नहीं बता सकता, नोटिस दें ।

Shri Prabodh Chandra : Sir, is it a fact that the complaints were brought to the notice of Government in the last two or three years ?

Minister : I cannot say anything off hand.

श्री प्रबोध चन्द्र : मैं यह पूछना चाहता हूं कि complaint क आने में और उस पर action लेने में कितना अरसा लगता है ?

Minister : As soon as complaints are received by the Government, these are forwarded to the Regional ransport Authority concerned and it is for that authority to take action and proceed against the defaulters.

Shri Prabodh Chandra : Sir, I would like to know when the complaints were received by Government.

Mr. Speaker : It does not arise.

PLYING OF OMNIBUS AT LUDHIANA CITY.

***1517 Shri Harbhagwan Moudgil :** Will the Minister for Public Works be pleased to state whether Government has any scheme under its consideration to run an Omnibus in the Ludhiana City, Model Town and Miller Ganj areas of Ludhiana; if so, since when and the time by which the scheme is expected to be implemented ?

Rao Birendar Singh : Yes. The scheme will be implemented as soon as it is finalised.

श्री हरभगवान मौदगिल : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि scheme के कब तक finalise होने की उम्मीद है ?

Mr. Speaker : The Minister for Public Works has stated in his reply that the scheme will be implemented as soon as it is finalised.

श्री हरभगवान मौदगिल : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि यह स्कीम गवर्नमैंट के कब से ज़ेरेगौर है ?

मन्त्री : यह definitely नहीं कहा जा सकता कि यह कितने दिन स ज़ेरगौर है । यह proposal गवर्नमैंट की consideration में है कि लुध्याना शहर में गवर्नमैंट की बसें चलाई जाएं मगर उस को चलाने से पहले यह ज़रूरी समझा जा रहा है कि यह पता किया जाए कि यह scheme commercially sound होगी या नहीं । इस के लिए कुछ data इकट्ठा किया जा रहा है और ज्यों ही इस तरफ से तसल्ली हो जाएगी तो यह स्कीम अपना ली जाएगी ।

श्री हरभगवान मौदगिल : क्या अब तक कोई data इकट्ठा किया जा चुका है ?

मन्त्री : अभी तो कहा नहीं जा सकता कि कितना data इकट्ठा हुआ । अगर इकट्ठा हुआ है तो गवर्नमैंट के पास नहीं आया ।

श्री हरभगवान मौदगिल : इस सवाल का पूरा जवाब कब तक दिया जाएगा ?

Mr. Speaker : This does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਜੋ Omnibus ਚਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ commercial soundness.......

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਇਹ relevant ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਹੋਵੇ । (The question is about Ludhiana. The hon. Member's question could have been relevant if this omnibus service had run on Jullundur-Ludhiana route.)

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਚਲਾਈ ਗਈ ਉਥੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ commercially sound ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

Mr. Speaker : This question does not arise.

श्री हरभगवान मौदगिल : क्या मेरे सवाल के जवाब में सिवाय 'yes' के और कोई detail देनी भी ज़रूरी है ? (हंसी)

Mr. Speaker : It is not a supplementary question.

ANTI-RAT CAMPAIGN

***1204. Shri Rup Singh Phul** : Will the Minister for Consolidation and Health be pleased to state whether Government is aware of the fact that despite the 'Anti-rat Campaign' the number of rats and the damage

[Shri Rup Singh Phul]
caused by them to crops is increasing; if so, whether any fresh measures are proposed to be adopted in order to check the rat menace in the State together with details thereof ?

Sardar Gurbanta Singh : The Government is aware of the field rat menace to crops and all possible efforts are being made by the Government to remove the same. Baiting campaigns against field rats aim at reducing their population to as low a level as possible. Complete eradication is an Utopian ideal but difficult to attain as the field rats are prolific breeders and a pair of rats is capable of multiplying in 1200 rats during the course of a year, under ideal conditions for breedings. The cost of baiting all the cultivated, uncultivated and waste lands with a view to secure complete eradication is likely to be out of proportion to the loss which is caused by this pest.

2. Large scale baiting campaigns are regularly organised in each distirct by the plant protection staff of the State Agriculture Department. The allocation of rodenticides for free supply for baiting the field rats is made districtwise. The heavily infested areas, however, receive priority for necessary operations. The State Government have provided Rs. 1,24,000/- under this plan scheme for the year 1957-58. Market Committees, District Boards and Panchayats are also being requested to provide some funds to meet the cost of baiting so that maximum possible results could be achieved.

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਲਾ ਦੇਵੀ ਸ਼ਟਮਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੂਹੇ ਮਾਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀ efforts ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਕਦੋਂ ਦੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ? She cannot ask question from another Member's seat. (He has already replied to this question. But since when the lady Member's seat has been changed ? She cannot ask question from another Member's seat.)

ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਚੂਹੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜੋ ਦਵਾਈ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਹਨ ?

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ : ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਜਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜੀ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ।

Mr. Speaker : The hon. Members are not serious on this question.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਚੂਹੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਲੋਂ ਕੀ definite steps ਲਏ ਗਏ ਹਨ ?

ਮੰਤਰੀ : ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ marketing committees ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਚੂਹੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੂਹੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਰਕਮ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

ਮੰਤਰੀ : ਜੀ ਨਹੀਂ ।

NEW DISPENSARIES IN TEHSIL HAMIRPUR, DISTRICT KANGRA

* **1205. Shri Rup Singh Phul :** Will the Minister for Consolidation and Health be pleased to state whether Government have opened any new dispensaries in Hamirpur Tehsil, district Kangra during the current financial year up to 31st December, 1957 ; if so, their number and the places where they are located ?

Chaudhri Suraj Mal : No.

श्री रूप सिंह फूल : क्या वजीर साहिब बताएंगे कि हमीरपुर की पसमान्दगी के मद्देनज़र वहां कोई dispensary नहीं खोली जा रही है ?

मन्त्री : जैसे जैसे तहसीलों से डिप्टी कमिशनरों से और वहां के Civil Surgeons और D.M.O.H. से list आती है वैसे वैसे dispensaries खोल दी जाती हैं । इस ज़िला के अन्दर दो और जगहों पर पहले ही dispensaries कायम हैं । इस दफा जब dispensaries खोली जाएंगी तो हमीरपुर का ख्याल रखा जाएगा ।

HOLIDAY HOMES

* **1369. Sardar Rajinder Singh :** Will the Minister for Consolidation and Health be pleased to state whether any 'Holiday Homes, for the poor children have been opened by Government in the State ; if so, their number together with the names of places where thay are located ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : Yes. The State Government (in the Directorate of Social welfare) have opened two Holiday Homes—one in the building belonging to the Bharat Scouts and Guides Association at Taradevi (Simla Hills) and the other in the Anand Bhavan, located near Kandaghat—to cater to the needs of poor children in the age-group of 11-16 to help promote, spirit of adventure, comradeship, sense of dignity of labour and learning through first hand knowledge.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ holiday homes ਬਣਾਣ ਲਗਿਆਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਮੰਤਰੀ : ਵਖ ਵਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੜਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋ weeks ਲਈ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ holiday homes ਲਈ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ?

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : complete ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁਛੋ। (The hon. Member may please ask a comprehensive question)

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮਜ਼ ਬਣਾਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ : ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ selection ਤਾਂ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੁਛਦੇ ਹਨ ਕਿ holiday homes ਚੁਣਨ ਲਗਿਆਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (The hon. Member wants to know the criteria kept in view while making the selection of sites for holiday homes.)

मन्त्री : जगहों की तो selection हो चुकी है। यह दो जगहों पर बनाए गए हैं— एक Boys Scouts and Guides Taradevi की Building में और दूसरे महाराजा पटियाला की ओर से दिए गए आनन्द भवन चेहल में।

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਬਾਰੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ holiday homes ਲਈ ਥਾਂ ਚੁਣਨ ਲਗਿਆਂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, accommodation ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜੋ ਆਮ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਥਾਂ beautiful ਹੋਵੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਪਾਣੀ, ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ facilities ਹੋਣ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕਿਹੜੇ students ਦੀ categories ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਮਜ਼ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗਾਲਬਨ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਤਨਖਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਮਜ਼ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

GRANT OF RELIEF TO RESIDENTS OF TAHSIL HAMIRPUR, DISTRICT KANGRA.

*1207. **Shri Rup Singh Phul** : Will the Chief Ministsr be pleased to State :—

(a) Whether any applications for the grant of relief were received by Government from the residents of tahsil Hamirpur, district

Kangra whose houses were damaged by fire etc., during the period from Ist January, 1956 to the 31st December, 1957; if so, their number;

(b) the number of applications referred to above who were given relief during the said period together with the total amount of relief given to them?

Giani Kartar Singh :

(a) Yes—ten

(b) Five applicants were given Rs. 285 as gratuitous relief.

श्री रूप सिंह फूल : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि जिन पांच आदमियों को relief दिया गया है वह किन तारीखों पर दिया गया है ।

मन्त्री : तारीखें कहां याद रह सकती हैं ।

OFFICES OF DISTRICT PUBLIC RELATIONS OFFICERS

*1241 **Sardar Atma Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the names of places in the State where rented buildings are being used for housing the offices of the District Public Relations Officers with the amount of the rent per month in each case;

(b) the steps, if any, being taken for housing the said offices in Government buildings as measure of economy in the State;

(c) the time by which the said offices will be shifted to Government buildings ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Except at Patiala, Bhatinda, and Sangrur, all the offices of the District Public Relations Officers are located in hired buildings at the following monthly rents:—

1.	Jullundur (also includes offices of Radio and Press Liaison Officer and Drama party)	Rs. 500.00
2.	Amritsar	Rs. 23.00
3.	Hoshiarpur	Rs. 119.31
4.	Ferozepure	Rs. 27.50
5.	Gurdaspur	Rs. 42.50
6.	Dharamsala	Rs. 75.00
7.	Kulu	Rs. 25.00
8.	Ludhiana	Rs. 185.00
9.	Ambala	Rs. 140.00
10.	Karnal	Rs. 95.50
11.	Hissar	Rs. 47.00
12.	Rohtak	Rs. 67.00
13.	Gurgaon	Rs. 110.00
14.	Kapurthala	Rs. 49.50
15.	Narnaul	Rs. 60.00

(b) and (c) : At present no Government building is available. Action is being taken to provide funds. It is not possible to give a definite date by which the offices will be shifted to Government buildings but as the financial position permits Government buildings will be constructed and the offices shifted.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

COMPLAINT AGAINST MILK AND BUTTER SUPPLIED TO PRISONERS IN DISTRICT JAIL JULLUNDUR

838. **Chaudhri Chander Bhan** : Will the Minister for Planning and Community Projects be pleased to state whether the District Jail Authorities of Jullundur have received any complaint against the milk and butter supplied to prisoners during the period 1st January, 1956 to 31st January, 1958; if so, the action taken thereon?

Dr. Gopi Chand Bhargava : No, Sir.

INCOME AND EXPENDITURE OF PUNJAB ROADWAYS AND PEPSU ROAD TRANSPORT CORPORATION

839. **Sardar Atma Singh** : Will the Minister for Public Works be pleased to State :—

(a) the total income and expenditure of the Punjab Roadways as on 31st January, 1958;

(b) the total number of new buses added to the fleet of the said Roadways during the current year;

(c) the details of new routes taken over by Government during the current year?

Rao Birendar Singh :

(a)

Income (from 1-4-57 to 31-1-58)	Expenditure
Rs. 1, 19, 64, 547	Rs. 75, 60, 793

(b) 14 buses.

(c) The names of the new routes and the extent to which operation has been undertaken thereon is given below :—

Serial No.	Name of route	Length of route.	No. of return trips of which operation undertaken.
1.	Ambala-City Ismailabad	20 miles	11
2.	Chandigarh-Una	73 miles	1
3.	Delhi-Pillani	135 miles	2
4.	Karnal-Gharaunda	21 miles	6
5.	Karnal-Pipli	35 miles	3
6.	Nangal-Hoshiarpur	28 miles	2
7.	Delhi-Sonepat	30 miles	2
8.	Jullundur-Beas-Batala	49 miles	6
9.	Chandigarh-Pathankot	164 miles	1
10.	Tarn Taran-Chandigarh Via Moga-Patti	157 miles	1

ROUTE PERMIT HOLDERS IN JULLUNDUR DISTRICT.

840. Shri Lal Chand : Will the Minister for Public Works be pleased to state :—

(a) the names of firms, companies, Co-operative Societies and individuals of Jullundur District who at present hold route permits for goods carriers and passenger carriages;

(b) the names of the partners of the firms and of Directors of the Co-operative Societies and of public or private limited companies referred to in part (a) above ?

Rao Birendar Singh : (a) and (b) A statement is enclosed.

List of persons who hold public carrier permits from this office and are residents of Jullundur District

Serial No.	Name of permit holder	Permit No.
1	M/s Roshan Singh-Partap Singh, Prem Nagar, Jullundur ..	2-C/16
2	M/s Mehtab Singh-Nand Singh, Banga, district Jullundur ..	5-C/65
3	Sardar Prem Singh, son of Sunder Singh, Jullundur ..	24-C/15J
4	M/s Chaman Singh-Bishan Singh-Balwant Singh, care of New Bar Goods Transport Co., Jullundur ..	32-C/13
5	Sardar Mehanga Singh, son of Jhanda Singh, village Dholival, district Jullundur ..	37-C/15
6	Sardar Ram Singh, son of Asa Ram, No. 120, Kot Pakshian, Jullundur ..	50-C/412-S
7	Sardar Mehander Singh, son of Hari Singh, village Nangal Sharman, district Jullundur ..	53-C/17
8	Sardar Lachhman Singh-Sham Singh, Navanshar, district Jullundur ..	54-C/125-S
9	M/s Arjan Dass-Basak Singh, village Baparai, district Jullundur .	60-C/15
10	M/s Arjan Dass-Des Raj, Jullundur ..	63-C/47
11	Sardar Ishar Singh, son of Asa Singh, Mohalla Said Kalan, Jullundur City, House No. 91 ..	77-C/914
12	Shri Prem Chand, son of Nathu Ram, Premnagar, Jullundur ..	116-C/66-S
13	M/s Kartar Singh-Karm Singh, village Bhagpur, district Jullundur ..	123-C/299
14	Sardar Bishan Singh, son of Munshi Singh, village and post office Bagga, district Jullundur ..	124-C/3-A
15	The Punjab Finance and Industries Ltd., Jullundur ..	165-C/1A
16	M/s Waryam Singh-Randhir Singh, 78, Model Town, Jullundur ..	170-C/46
17	The Punjab Finance Industries Ltd., Jullundur ..	187-C/270
18	Kartar Goods Carrier (P) Ltd., Jullundur ..	197-C/21
19	S. Raghubir Singh, son of Singh, General Motor Stand, Jullundur , ..	212-C/41A
20	Shri T. N. Sahai, Managing Director, Northern India Finance Corporation, Ltd., Jullundur ..	220-C/73
21	S. Swarn Singh, son of Nand Singh, Banga, district Jullundur ..	223-C/49R
22	Giani Shankar Singh, care of Jullundur Transport Co-operative Society, Jullundur ..	225-C/19A
23	S. Jevan Singh, son of Jassa Ram, Petrol Pump, Jullundur ..	227-C/176S
24	M/s Jai Narain-Prem Singh, 2nd Infantary Brigade, Jullundur	231-C/261
25	M/s Amar Singh-Budh Singh, village Harjara, district Jullundur ..	237-C/6R
26	M/s Joginder Singh-Gurdev Singh, Gunacham, district Jullundur	266-C/21S

[Minister for Public Works]

Serial No.	Name of permit holder	Permit No.
27	M/s Ram Kishan-Brahma Nand, Ladowali Road, Jullundur ..	248-C/46
28	S. Kartar Singh, son of Jai Singh, Jullundur ..	544-C
29	Shri Nand Lal, son of Bansi Ram, Basti Guzan, Jullundur ..	545-C
30	S. Prem Singh, son of Sehal Singh, Basti Sheikhan, Jullundur ..	563-C
31	S. Mahinder Singh, son of Santa Singh, village Chandpur, district Jullundur ..	569-C
32	Shri Bal Kishan, son of Mangal Dass, Islam Ganj, Jullundur ..	477-C/S/135
33	S. Mohinder Singh, son of Santa Singh, village Chandpur, district Jullundur ..	570-C
34	Shri Pishori Lal Sahny, son of Sohni Shah, Railway Road, Jullundur ..	571-C
35	M/s Harbans Singh-Daulat Singh, Nawanshahr, district Jullundur ..	534-C
36	M/s Bharat Lal-Sunder Singh, Adda Kapurthala, Jullundur ..	173-C
37	S. Harbans Singh, son of Ganga Singh, Gopal Nagar, Jullundur ..	576-C
38	M/s Jagat Singh-Jaswant Rai, Jullundur ..	578-C
39	Shri Hari Chand Sahny, Railway Road, Jullundur ..	582-C
40	Shri Madan Lal Chopra, son of Chajju Ram, Mohalla Thapran, Jullundur ..	585-C
41	S. Natha Singh, son of Pyara Singh, Mohalla No. 32, Jullundur Cantt. ..	587-C
42	M/s Balwant Singh-Chaman Singh, son of Sarup Singh, village Mahawal, district Jullundur ..	592-C
43	M/s Kishan Chand-Lachhman Singh, Shahkot, district Jullundur	596-C
44	Shri Amar Nath, son of Kanshi Ram, Sabzi Mandi, Jullundur ..	599-C
45	M/s Ujaggar Singh,-Parkash Singh, village Bangha, district Jullundur ..	605-C
46	Lakhmi Singh, son of Harnam Singh, Kucha Zangha, Jullundur	608-C
47	M/s Mohan Singh-Pritam Singh-Hardial Singh, Ladowali Road, Jullundur ..	609-C
48	Shri Hari Chand Sahni, Railway Road, Jullundur ..	617-C
49	The Motor Finance and Industries Ltd., Jullundur ..	621-C
50	Seth Hari Chand, son of Sunder Dass, Madan Flour Mills, Jullundur ..	23/90
51	S. Partap Singh, son of Roda Singh, Prem Nagar, Jullundur ..	50/83
52	S. Hukam Singh, son of Banta Singh, village Bahivala, district Jullundur ..	52-85
53	Th. Nasib Singh, son of Chandu Ram, Jullundur ..	90/92
54	M/s Ujagar Singh-Gurbachan Singh, Neel Mohalla, Jullundur ..	105/34
55	M/s Munshi Ram-Pishori Lal, Railway Road, Jullundur ..	145/80
56	Th. Nasib Singh, son of Chandu Ram, General Motor Stand, Jullundur ..	166/9A
57	Jullundur Ex-servicemen Transport Co-operative Society, Ltd., Jullundur ..	167/182
58	Ditto ..	168/182
59	Ditto ..	169/182
60	Ditto ..	170/182
61	Ditto ..	171/182
62	Ditto ..	176/186
63	Ditto ..	177/187
64	Ditto ..	178/188
65	Ditto ..	179/189
66	Ditto ..	180/190
67	Ditto ..	181/191
68	Ditto ..	182/192
69	Ditto ..	183/193
70	Ditto ..	184/194
71	Ditto ..	185/195

Serial No.	Name of permit-holder	Permit No.
72	Jullundur Ex-servicem Transport Co-operative Society Ltd. Jullundur ..	186/196
73	Ditto ..	187/197
74	Ditto ..	188/198
75	Ditto ..	189/199
76	Ditto ..	190/200
77	S. Kartar Singh, son of Waryam Singh C/o Northern India Goods Transport Company, Jullundur ..	263-C/61
78	Punjab Finance Industries, Ltd., Jullundur ..	266-C/53
79	S. Gurbachan Singh, son of Harnam Singh, Adda Kapurthala, Jullundur ..	271/-C/S/41
80	Shri Mangal Dass, son of Gurdit Singh C/o New Bar Goods Transport, Jullundur ..	275-C/209
81	S. Arjan Singh, son of Achar Singh, Prem Nagar, Jullundur	293-C/128
82	S. Charan Singh, son of Bhag Singh, Adda Kapurthala, .. Jullundur ..	295-C/S/3
83	M/s Sakhi Chand Bajaj-Kesar Singh, Ladowali Road, Jullundur..	296-C/S/3
84	S. Avtar Singh, son of Bhag Singh, Adda Kapurthala, Jullundur	305-C
85	The Unique Finance (P) Ltd., Kapurthala Road, Jullundur ..	314-C/69-G
86	Shri Pala Ram, son of Devi Ditta Ram, Street No. 9, Jullundur Cantonment ..	315-C/21-Pb
87	Gurbachan Singh, son of Waryam Singh, Railway Road, Banga, district Jullundur ..	327-C/282/
88	Kartar Singh, son of Jawala Singh, Banga, district Jullundur ..	350-C/383/S
89	S. Karm Singh, son of Narain Singh C/o Jagat Singh, Managing Director, Nakodar Bus Service, Jullundur ..	359-C/615
90	M/s Uttam Singh-Balwant Raj, Jullundur ..	362-C/68-D
91	Shri T. N. Sahai Bahri, Civil Lines, Jullundur ..	368-C
92	M/s Gurbax Singh-Hardyal Singh, Neela Mahal, Jullundur ..	372-C/8A
93	S. Gurdev Singh, son of Mansa Singh C/o Northern India Goods Transport Company, Jullundur ..	382-C/27
94	M/s Harbans Singh, Charn Singh and Nank Singh, Ali Mohalla, Jullundur ..	388-C/184
95	Shri Hari Chand, son of Sohne Shah, Jullundur ..	390-C/63A
96	M/s Nasib Singh-Jagrider Singh, village Gumantali, district Jullundur. ..	391-C/63
97	S. Pakhar Singh, son of Dewan Singh , village Burka Kalan, district Jullundur ..	399-C/46A
98	M/s Gurnam Singh-Rattan Singh, Jullundur ..	442-C/55
99	S. Lakhbir Singh, son of Harnam Singh, Railway Road, Banga, district Jullundur ..	453-C/206 S
100	M/s Inder Singh-Mohinder Singh C/o New Bar Goods Transport Company, Jullundur ..	454-C/20 S
101	S. Massa Singh, son of Mehar Singh, Rainak Bazar, Jullundur ..	461-C
102	Shri Lal Chand, son of Gopal Chand, Jullundur ..	462-C/4
103	M/s Harbans Lal-Brij Lal, Ali Mohalla, Jullundur ..	469-C/2A
104	S. Joginder Singh, S/o Lal Singh Avtar Singh, Ali Mohalla, Jullundur ..	483-C/15R
105	Shri Brahm Parkash Syal, son of Amin Chand, Kapurthala Road, Jullundur ..	484-C/3/S/240
106	Shri Dewan Chand, son of Gian Chand, Pacca Bagh, Jullundur	489-C/38D
107	S. Balwant Singh, son of Sarup Singh, village Mahanwal, district Jullundur ..	496-C/38P
108	M/s Kundan Lal-Brij Lal, Sabzi Mandi, Jullundur ..	503-C/65C
109	S. Bhupinder Singh, son of Ganga Singh, Goraya Mandi, district Jullundur ..	511-C
110	S. Sampuran Singh, son of Bhag Singh, C/o New Bar Goods Transport Company, Jullundur ..	512-C/11A
111	S. Hardit Singh, son of Mahan Singh, Adda Kapurthala, Jullundur ..	522-C/169
112	M/s Ram Labhaya Hind Rattan, Basti Sheikhan, Jullundur ..	524-C/A-3

[Minister for Public Works]

Serial No.	Name of permit holder	Permit No.
113	Seth Hari Chand, son of Sunder Dass, Madan Flour Mills, Jullundur ..	531-C/206
114	Shri Ram Labhaya, son of Attar Chand, C/o Northern India Goods Transport, Company, Jullundur ..	532-C
115	S. Dewan Singh, son of Dalip Singh, village Manko, district Jullundur ..	537-C-160
116	S. Hari Singh, son of Devi Dyal, 409, Model Town, Jullundur ..	7/161
117	M/s Babu Singh-Harbans Singh, Govindgarh, Jullundur ..	12/234
118	Shri Mehtab Singh, son of Kirpa Singh, Banga, district Jullundur	27/60
119	S. Mehar Singh, son of Jai Singh, Jullundur ..	29/178
120	Shri Shankar Dass, son of Rakha Ram, Nurmahal, district Jullundur ..	42/123
121	Shri Bindra Ban, son of Sunder Dass, Basti Guzan, Jullundur ..	53/194
122	Shri Amrit Lal, son of Jawand Lal Kapur, Qilla Mohalla, Jullundur ..	60/149
123	S. Ishar Singh, son of Mahan Singh, Mohalla Harnam Dass, Jullundur ..	62/207
124	Mrs. Mehar Singh, Jullundur ..	67/180
125	Ditto ..	68/180
126	Shri Madan Gopal, son of Hari Chand, Madan Flour Mills, Jullundur ..	71/142
127	S. Joginder Singh, son of Harnam Singh, village Ganachaur, district Jullundur ..	76/174
128	M/s Darshan Singh-Jarnail Singh, C/o Northern India Goods Transport Company, Jullundur ..	81/35
129	S. Mehtab Singh and others, Basti Sheikh, Jullundur ..	83/175
130	Shri Tara Chand, son of Ram Lubhaya, Jullundur ..	85/268
131	S. Pritam Singh-Balwant Singh, Mohalla Gobindgarh, Jullundur	86/17
132	S. Swarn Singh, son of Ishar Singh, 122, Ali Mohalla, Jullundur	90/84
133	M/s Mohan Singh-Natha Singh, Jullundur Cantt. ..	96/250
134	M/s Nank Chand-Mala Ram, Mohalla Karan Khan, Jullundur ..	99/128
135	Shri Lal Chand, son of Gokal Chand, C/o Satnam Transport Company, Jullundur ..	100/277
136	S. Labh Singh, son of Ishar Singh, Basti Guzan, Jullundur ..	110/166
137	M/s Govind Ram-Ram Nath of Doaba New Railway Station, Jullundur ..	115/81
138	M/s Ajit Singh-Shangara Singh, village Bandiana, P.O. Jando Singha, Jullundur ..	12/158
139	S. Mehar Singh, son of Boota Singh, G. T. Road, Goraya, district Jullundur ..	123/226
140	M/s Bharat Lal-Tikkan Lal, Chakar Bagh, Jullundur ..	125/117
141	S. Dalip Singh, son of Amar Singh, Jullundur ..	126/53
142	The Unique Finance (P) Kapurthala Road, Jullundur ..	131/266
143	S. Gulab Singh, son of Wazir Singh, Jullundur ..	148/87
144	S. Ishar Singh, son of Asa Singh, Jullundur ..	150/231
145	Giani Pritam Singh, son of Ram Singh, Mohalla Mukandpur, Jullundur ..	160/96
146	Shri Hari Chand, son of Sohne Shah, Jullundur ..	165/138
147	Shri Hans Raj, son of Banarsi Dass, Phagwara ..	167/116
148	S. Bur Singh, son of Lakha Singh, Kucha Jailghar, Jullundur ..	172/98
149	M/s Rattan Singh, Anant Ram, Tarlochan Singh, Goraya, district Jullundur ..	179-183
150	Sain Dass, son of Babu Ram, C/o Northern India Goods Transport Company, Jullundur ..	181/125
151	S. Ajaib Singh Prem Singh, S/o Sobha Singh, Basti Sheikh, Jullundur ..	201-124
152	S. Manmohan Singh, son of Sobha Singh, Basti Sheikh, Jullundur	203/124
153	Shri Jagan Nath, son of Kalu Ram, Ram Nagar, Jullundur Cantonment ..	211/215

Serial No.	Name of permit holder	Permit No.
154	S. Narayan Singh, son of Inder Singh, V.&.P.O. Rahana Jattan, tehsil Phagwara, district Jullundur ..	84/1
155	S. Sant Singh and Sons, Jullundur ..	193/241
156	S. Gurmukh Singh, son of Hakim Singh, 181/R, Model Town, Jullundur ..	117/57
157	S. Karm Singh, son of Prem Singh, Jullundur ..	166/116
158	S. Mihan Singh, son of Amar Singh, village Sansarpur, district Jullundur ..	1-B/160
159	Shri Amar Nath-Shankar Dass, C/o Kartar Bus Service, Jullundur ..	24-B/64
160	M/s Northern India Goods Transport Company, Jullundur ..	10-B/23
161	S. Kehar Singh, C/o Dewa Singh, Banga ..	26-B/330
162	S. Mehtab Singh, son of Sopail Singh, Jullundur ..	33-B/411
163	M/s Banta Singh-Raj Singh, C/o Northern India Goods Transport Company, Limited, Jullundur ..	49-B/659
164	S. Kishan Singh, son of Harnam Singh, C/o Northern India Goods Transport Company, Jullundur ..	50-B/602
165	S. Gurbax Singh-Lahori Lal, near Metro Hotel, Jullundur ..	51-B/41
166	M/s Jagat Singh-Didar Singh, Adda Nakodar, Jullundur ..	54-B/58
167	Shri Telu Ram Jain, Government Contractor, Jullundur ..	62-B/481
168	M/s Mehar Singh, Puran Singh-Lachhman Singh, village Subhanana, district Jullundur ..	63-B/590
169	M/s Ajit Singh-Anup Chand, General Lorry Stand, Jullundur	66-B/667
170	M/s Jagat Singh-Dalip Singh, village Goddawali, district Jullundur ..	68-B/621
171	M/s Jagat Singh-Dalip Singh, village Goddawali, district Jullundur ..	7 4-B/492
172	M/s Karnail Singh-Yagya Pal, Phagwara ..	78-B/489
173	S. Banta Singh, son of Buta Singh, Julluhdur ..	86-B/622
174	S. Sarwan Singh, son of Thakar Singh, Mohalla Govindgarh, Jullundur ..	93-B/267
175	Ch. Harbans Lal, son of R. S. L. Ram, Madan Flour Mills, Jullundur ..	95-B/524
176	M/s Sohan Singh-Charn Singh, Phagwara ..	97-B/646
177	Doaba Transport Co-operative Society, Nawanshar ..	101-B/509
178	Shri Kashmiri Lal, son of Ram Lal, Kartarpur ..	107-B/258
179	S. Didar Singh, son of Arjun Singh, Jullundur ..	109-B/172
180	M/s Bishan Singh-Mangal Dass, Jullundur ..	112-B/652
181	M/s Jaimal Singh-Gurbax Singh, Adda Nakodar, Jullundur ..	117-B/591
182	S. Santa Singh, son of Hari Singh, Phagwara ..	120-B/570
183	The New Jolly Goods Transport Co., Jullundur ..	123-B/666
184	S. Kartar Singh, son of Basant Singh, Gobindgarh, Jullundur ..	134-B/568
185	S. Ganga Singh, son of Surjan Singh, Kapurthala Road, Jullundur ..	152-B/162
186	M/s Avtar Singh-Arjun Singh, care of Jullundur Goods Transport .Co., Jullundur ..	164-B/547
187	Gurbachan Singh, son of Natha Singh, village Behuwal, district Jullundur ..	165-B/300
188	S. Makhan Singh, son of Arur Singh, Jullundur ..	183-B/102
189	M/s Tarlochan Singh-Parkash Singh-Gurbachan Singh, care of New Sutlej Transport Co., Jullundur ..	184-B/102
190	S. Gurbux Singh-Kartar Nath, Jullundur ..	196-B/307
191	M/s Dalip Singh-Balbir Singh, Railway Road, Phagwara ..	202-B/453
192	Shri Ramji Dass, son of Neku Ram, Basti Sheikh, Jullundur ..	208-B/358
193	M/s Sarwan Singh-Kartar Singh, care of Onkar Bus Service, Ltd., Jullundur ..	209-B/336
194	S. Bishan Singh, son of Sunder Singh, care of New Bar Goods Transport Co., Jullundur ..	214-B/78
195	S. Sohan Singh, son of Gopal Singh, village Jamsher, district Jullundur ..	219-B/
196	Shri Yagya Pal Duggal, son of Chandu Lal, Phagwara ..	223-B/349

[Minister for Public Works]

Serial No.	Name of permit holder	Permit No.
197	S. Mohan Singh, son of Santa Singh, village Chandpur, district Jullundur ..	225-B/585
198	S. Karm Singh, son of Ganda Singh, Jullundur Cantt. ..	228-B/451
199	S. Partap Singh, son of Dewan Singh, Jullundur ..	234-B/105
200	M/s Munsha Singh-Datar Singh, care of Azad Nakodar Bus Service, Jullundur ..	236-B
201	Doaba Finance, Ltd., Jullundur ..	237-B/355
202	The Banga Transport Co-operative Society, Ltd., Banga ..	242-B/295
203	Sunder Singh-Takhat Singh, Basti Sheikhan, Jullundur ..	244-B/110
204	M/s Hans Raj-Hazara Singh, Phagwara ..	252-B/243
205	S. Tara Singh-Gurdas Singh, care of Northern India Goods Transport Co. ..	253-B/157
206	S. Bhagat Singh-Mela Singh, Phagwara ..	261-B/474
207	Shri Prem Chand, son of Nathu Ram, Prem Nagar, Jullundur ..	263-B/474
208	S. Raghubir Singh, son of Swaran Singh, Goraya ..	274-B/503
209	M/s Chanan Singh-Gurdit Singh, village Khanpur, district Jullundur ..	278-B/561
210	Punjab Finance, Ltd., Jullundur ..	279-B/211
211	Shrimati Harnam Kaur, w/o Bishan Singh, Jullundur ..	282-B/18
212	Shri Balraj, son of Chandu Lal, Phagwara ..	284-B/519
213	S. Chaman Singh, son of Milkha Singh, village Pandori Nizran, district Jullundur ..	285-B/635
214	S. Malkiat Singh, son of Chajju Ram, district Jullundur ..	295-B/448
215	M/s Gurbachan Singh-Jagat Singh, Jullundur	304-B/197
216	Motor Finance and Industries, Ltd., Jullundur ..	315-B/493
217	M/s Bishan Singh-Mangal Dass, Jullundur ..	317-B/356
218	Shri T. N. Sahai, Managing Director, Northern India Corporation, Ltd., Jullundur ..	318-B/26A
219	Lachhman Singh, son of Munshi Singh and Lachhman Singh, son of Isher Singh, Shahkot, district Jullundur ..	321-B/92
220	M/s Mehar Singh-Pritam Singh-Hardyal Singh, Ladowali Road, Jullundur ..	330-B/228
221	Shri Kulwant Rai, son of Amin Chand, Kapurthala Road, Jullundur ..	334-B/228
222	S. Bur Singh, son of Lakha Singh, Kucha Jailghar, Jullundur ..	335-B/391
223	Shri Balmukand, son of Hardial Mal, Jullundur ..	340-B/74
224	S. Mohinder Singh, son of Man Singh, Jullundur ..	341-B/2-B
225	Amar Nath, son of Kanshi Ram, Jullundur ..	360-B/348
226	S. Kehar Singh, son of Chandu Lal, General Lorry Stand, Jullundur ..	364-B
227	M/s Doaba Finance (P) Ltd., Jullundur ..	372-D/230
228	M/s. Sadhu Singh-Bishan Singh-Balwant Singh, c/o New Bar Goods Transport Co., Jullundur ..	374-B/230
229	M/s. Mehar Singh-Jhadman Singh, Bundate, Tehsil Phillaur district Jullundur ..	376-B/38
230	S. Sohan Singh, son of Dilbagh Singh, 121/1, Kucha Jailghar, Jullundur ..	380-B/15
231	S. Kishan Singh, son of Ram Ditta, Village Laroi, tehsil and district Jullundur ..	396-B/133
232	Shri Hari Chand, son of Sunder Dass, c/o Madan Flour Mills, Jullundur ..	398-B/239
233	S. Darshan Singh, son of Dewan Singh, Empress Garden, Jullundur	399-B/249
234	M/s. Mehar Singh-Ram Singh, Nurmahal, District Jullundur ..	410-B/151
235	S. Harbans Singh, son of Udham Singh, Gobindgarh, Jullundur	413-B/337
236	S. Atma Singh, son of Ganda Singh, G. T. Road, Jullundur ..	362-B/
237	S. Jagat Singh, son of Ganesha Singh, c/o Lahore Transport Co., Jullundur ..	169-B/153
238	Transport Finance Ltd., Jullundur ..	20/Essl.
239	Kartar Bus Service Ltd., Jullundur ..	597

Serial No.	Name of permit holder	Permit No.
240	Jullundur Transport Co-operative Society, Jullundur ..	554
241	Kartar Bus Service, Jullundur ..	609
242	Jullundur Transport Co-operative Society, Jullundur ..	624
243	Th. Ajit Singh, C/o Transport Finance, Jullundur ..	2/GOH
244	Ch. Duman Ram, son of Bhola, village Gohavan, district Jullundur ..	8/8CHL
245	M/s. Mehtab Singh-Chanchal Singh, Banga ..	10/8ch
246	S. Kartar Singh, son of Milkhi Singh, Jullundur ..	11/100/Gen.
247	Shri Hari Chand, son of Sohne Shah, Jullundur ..	16/62/Genl.
248	.. Ditto Ditto ..	20/62/Gen.
249	Shri Mohan Lal Harijan, son of Ganda Ram, Jullundur ..	22/18/11/57
250	Shri Harnam Singh Sehgal, son of Sulkhan Singh, Jullundur	24/68/PS
251	S. Onkar Singh, son of Asa Singh,Dareli Kalan,district Jullundur	26/88/Gen.
252	Sub. Jagat Singh, son of Waryam Singh, village Alipura , district Jullundur ..	28/14/Ex-service
253	M/s. Parma Nand-Kidar Nath, Jullundur ..	30/17/PS
254	S. Sunder Singh, son of Sham Singh, Jullundur ..	32/96/G
255	Didar Singh, son of Mastan Singh, Jullundur ..	37/37/11/57
256	Shri S. R. Dhir, son of K. L. Dhir, Dhir Building, Jullundur ..	52/18/Gen.
257	Shri Kidar Nath Sharma, son of Pt. Lakshmi Dass, Jullundur ..	58/15/PS
258	S. Joginder Singh, son of Gopal Singh, Jullundur ..	60/65/PS
259	Shri Dharm Pal, son of Harish Chander, Nawanshehr ..	63/3/Gen,
260	Shri Bhagwan Singh, son of Hem Singh, Jullundur ..	64/66/PS
261	Shri Parma Nand, son of Karm Chand, Jullundur ..	66/16/PS
262	Shri Om Parkash, son of Nethu Ram, Kartarpur ..	65/66/PS
263	S. Santa Singh, son of Sawan Singh, Jullundur ..	72/36/2 list
264	S. Sham Singh, son of District Jullundur ..	73/110/Gen.
265	Harijan Transport Co., (P), Jullundur ..	74/20/11 list
266	Ditto ..	75/20/11 list
267	Ditto ..	79/20/11 list
268	Shri Prem Mohan, C/o. Ajit Singh Man Chand, Jullundur ..	86/32/11 list
269	Baldev Mittar, son of Ram Rattan, Pacca Bagh, Jullundur ..	88/1/11 list
270	Shrimati Parmeshwari Devi, W/o Sant Ram, Jullundur ..	89/90/G.
271	S. Sucha Singh, son of Partap Singh, village Mehatpur, district Jullundur ..	91/5/Ex-service
272	Shri Jagan Nath, President, Congress Committee Kartarpur ..	94/55/PS
273	Shri Baldev Mittar, son of Ram Rattan, Jullundur ..	96/1/11 list
274	Shri Kharaiti Ram, son of Ram Lal, C/o District Congress Committee, Jullundur ..	104/58
275	Shri Kashmira Singh, son of Waryam Singh, District Congress, Committee, Jullundur ..	120/57/Pol.
276	Shri Lehk Raj, son of Dewan Chand, C/o Lakshmi Palace, Jullundur ..	122/15/11 list
277	S. Gurbax Singh, son of Goma Singh, President, District Balmik Union, Rohtak, at present Jullundur ..	128/24/8c
278	Shri Manga Ram, C/o Comrade Ram Krishan, Jullundur ..	129/19/ Backward
279	S. Gurmukh Singh, son of Ram Singh, C/o Comrade Ram Krishan, Jullundur ..	130/1/Pol.
280	Ram Parkash Comrade, son of Sujan Mal, C/o Comrade Ram Krishan, Jullundur ..	131/49/PS
281	S. Kehar Singh, son of Ralla Singh, Jullundur ..	135/11/PS
282	Shrimati Sarla, W/o Jhhona Singh, C/o Lal Singh, Model Town, Jullundur ..	136/108/Gen.
283	Maha Lakshmi Transport Co-operative Society, Jullundur ..	138/21/II list
284	S. M. Jacob, son of Lal Chand, Jullundur ..	145/22/SC
285	S. Thana Singh, son of Pirdhu Singh, C/o Comrade Ram Krishan, Jullundur ..	147/39/PS

[Minister for Public Works]

Serial No.	Name of permit holder	Permit No.
286	S. Jagdish Singh, village Rehmanpur, district Jullundur. ..	152/109/Gen.
287	S. Ujagar Singh, son of Basant Singh, village Behram, district Jullundur. ..	156/14/Gen.
288	S. Sant Singh Harijan, S/o Mistri Lal, C/o Shudar Ram, Jullundur.	163/24/BG
289	Shri Pritam Shah, son of Ram Lal, C/o Malhotra Boot House, Phillaur. ..	171/8/Backward
290	S. Harbans Singh, son of Gurbax Singh, Basti Naw, Jullundur. ..	171/11/58
291	Shri Tirath Ram, C/o Jaswant Singh, Jullundur. ..	176/47/Pol.
292	S. Banta Singh, son of Bhagwan Singh, Adampur, district Jullundur. ..	177/10/Ex.
293	S. Kehar Singh, son of Ralla Singh, Jullundur. ..	178/11/Pol.

Statement showing the names of firms, companies, Co-operative societies of Jullundur District who at present hold route permits for passenger carriages.

1. Onkar Bus Service, Ltd., Jullundur.
2. Pritam Bus Service (P), Ltd., Jullundur.
3. Satnam Transport Co., Ltd., Jullundur (Its Headquarters is at Rohtak.)
4. New Sutlej Transport Co., Ltd., Jullundur.
5. Kartar Bus Service, Ltd., Jullundur.
6. Jullundur Transport Co-operative Society, Jullundur.
7. Azad Nakodar Bus Service, Ltd., Jullundur.

Note.—There is no individual holder of Stage carriage permit in Jullundur District.

Statement showing the names ot Passengers Transport Companies/Co-operative Societies and Goods Transport Companies/Co-operative Societies in Jullundur District with the names of their Directors

ONKAR BUS SERVICE LTD, JULLUNDUR

1. Shri Asa Ram, Jullundur.
2. S. Jagat Singh, V. Birag, District Jullundur.
3. Pt. Gujjar Mal, Municipal Commissioner, Nawanshahar .
4. Dr. Asa Nand , Municipal Commissioner, Nawanshahar .
5. Pt. Mangat Ram Banga, District Jullundur.
6. S. Chanchal Singh, Banga , District Jullundur .
7. S. Gurdit Singh, Khanpur , Post Office Mukandpur , Jullundur.
8. S. Charn Singh, Khanpur , district Jullundur.
9. S. Naranjan Singh , Kutt, Post Office Behran , Jullundur.
10. S. Boota Singh, Chamiana, District Jullundur.

11. S. Thakar Singh, V. Cham iana, District Jullundur.
12. S. Gurbachan Singh Baluwal, district Jullundur.
13. S. Chanan Singh Talib, Central Town, Jullundur.
14. Shri Ram Naranjan, C/o Arjan Mal Jagan Nath, Fentengunj, Jullundur
15. L. Harbans Lal, care of Punjab Finance and Industries Ltd., Jullundur.

PRITAM BUS SERVICE (P) LTD JULLUNDUR

1. Shri Asa Ram, Jullundur.
2. S. Jagat Singh V. Birag, District Jullundur.
3. Pt. Gujjar Mal, Municipal Commissioner, Nawanshahr.
4. S. Gurbachan Singh V. Boluwal,, District Jullundur.
5. S. Amar Singh Bhatia, Garhshankar, District Hoshiarpur.
6. Shri Harbans Lal, C/o Punjab Finance and Industries, Ltd., Jullundur.

SATNAM TRANSPORT CO., LTD. JULLUNDUR

Its Head-quarter is at Rohtak .

NEW SUTLEJ TRANSPORT CO. LTD, JULLUNDUR

1. S. Bir Singh, Managing Director, V. Jandiala, District Jullundur.
2. S. Jagat Singh, Chairman, V. Baring, District Jullundur.
3. S. Bakshish Singh, Director, Jamsher, District Jullundur.
4. S. Avtar Singh, Director, Jamsher, District Jullundur
5. S. Bawa Singh, Director, Jandiala.
6. S . Kehar Singh, Director, Dulhwal, District Kapurthala.
7. S. Mehar Singh, Director, Goraya.
8. S. Ganga Singh, Director, Dholata, District Jullundur.
9. S. Atma Singh, Director, Raikot.
10. S. Mehanga Singh, Director, Bhogala.
11. S. Gurbax Singh, Director, Dhesian, District Jullundur.

KARTAR BUS SERVICE LTD., JULLUNDUR

1. Th. Ajit Singh, Jullundur.
2. S. Chanchal Singh, V. Leheli Kalan, District Hoshiarpur.
3. Th. Kehar Singh, C/o Transport Finance Private Ltd.
4. Ch. Sita Ram Village Leheli Kalan, District Hoshiarpur.
5. S Chanchal Singh, Village Bhari Kalan.
6. L. Lakshman Dass, c/o Vidya Dhar and Co., Amritsar.
7. L. Amar Chand, 14-L Model Town, Hoshiarpur.
8. S. Kartar Singh, Village Lehali Kalan, District Hoshiarpur.
9. Ch. Mula Singh, Village and Post Office Varka District Amritsar.

[Minister for Public Works]

10. S. Karnail Singh, c/o Himalaya Transport Co. Batala.

11. S. Bikram, Singh, c/o Maulpur Co-operative Union, Maulpur.

12. S. Karam Singh, village Kalya Bal Pathu, post office Huketpur, District Hoshiarpur.

JULLUNDUR TRANSFORT CO-OPERATIVE SOCIETY LTD

1. Giani Shankar Singh, President.

2. S. Budh Singh, vice-President.

3. S. Mohinder Singh, Director.

4. S. Bhagat Singh, Director.

5. Shri Amar Nath, Director.

AZAD NAKODAR BUS SERVICE LTD. JULLUNDUR

1. Shri Sham Lal, Nurmahal.

2. Shri Harnam Dass, Nurmahal.

3. Shri Mohan Lal, Nakodar.

4. Shri Bhan Singh, Nakodar.

5. Shri Sher Singh, Nakodar.

6. Shri Des Raj, Jullundur.

7. Shri Jagat Singh, Managing Director, Jullundur.

JULLUNDUR EX-SERVICEMEN MOTOR TRANFORT. CO-OP. SOCIETY.

1. Ch. Sher Karan Singh, Assistant Registrar, Co-operative Society, Jullundur, Nominee of the Registrar Co-operative Society. (*ex-officio*)

2. S. Ujagar Singh, Secretary, Regional Transport Authority, Nominee of the Provincial Transport Controller (*Ex-officio*).

3. Ch. Harbans Singh.
4. S. Thakar Singh.
5. S. Kesar Singh.
6. Th. Kanshi Ram.
7. Shri S. C. Bajaj.

THE DOABA CO-OPERATIVE TRANSFORT SOCIETY, NAWANSHEHAR.

1. S. Mohinder Singh , President of Pali Chiki.

2. S. Balwant Singh, Vice-President of Pali Chiki.

3. S. Bhakhish Singh, Khazanchi of Laliani.

4. S. Bakhshish Singh, Mozara Navabad.

5. S. Mohan Singh, Sengal Sohal.

6. S. Tailu Singh, Secretary.

MAHA LAKSHMI TRANSPORT CO-OP. SOCIETY, JULLUNDUR

2. Shri Wazir Chand Sikka.

2. Shri Bahadar Chand.
3. Shri Chaudhri Ram.
4. Shri Jai Ram Dass.
5. Shri Wishwa Mittar.
6. Shri Des Raj.

HARIJAN TRANSPORT CO. (P). LTD., JULLUNDUR

1. Shri Sohan Lal, Jullundur.
2. Smt. Nihal Kaur, Jullundur.
3. Shri Neurata Ram, Ludhiana.
4. Ch. Atma Ram, Ambala.
5. Shri Sant Singh, Patiala.

IRON QUOTA HOLDERS IN JULLLUNDUR DISTRICT

841. Shri Lal Chand : Will the Minister for Finance be pleased to state the names of firms and individuals in Jullundur District who are allotted provincial and central quotas of iron for industrial purposes and for making agricultural implements, separately; together with the quantity thereof in each case?

Shri Mohan Lal: Since the period for which information is required has not been specified, it is not possible to give the requisite details.

QUOTA OF COAL FOR INDUSTRIAL PURPOSES AND FOR BRICK-KILNS

842. Shri Lal Chand : Will the Minister for Finance be pleased to to state the names of firms and individuals in Jullundur District who are getting quotas of coal for industrial purposes and for brick-kilns, separately along with the quantity thereof in each case?

Shri Mohan Lal : A statement showing the names of brick-kilns licensees (firms and individuals) in Jullundur District who are getting quotas of slack coal for brick-kilns is enclosed herewith.

The information in respect of coal for industrial purposes cannot be furnished as the period for which the said information is required has not been specified.

Serial No.	Name of the Licensee	Place of business	Licence
1	2	3	4
	JULLUNDUR TEHSIL		
1	M/S. Hind Paul Bhupinder Kumar	Sadal Road, Jullundur	1/J
2	M/s. Khem Chand Raj Kumar	Near Kanya Mahavidyala, Jullundur	2/J
3	Harbans Lal & Co.	Lamapind	3/J
4	Shri Wadhawal Ram	Basti Sheikh	4/J
5	Shri Hans Raj	Kurla Kingra	6/J
6	Shri Mohar Singh	Kishan Pur	7/J
7	Shri Lahmir Singh	Ditto	10/J

[Minister for Finance]

Serial No.	Name of the Licensee	Place of business	Licence
1	2	3	4
8	M/s. Hind Paul-Bhupinder Kumar	Tanda Road, Jullundur ..	11/J
9	M/s. Sud & Co.	Hoshiarpur Road, Jullundur	12/J
10	M/s. Kashmiri Lal & Son.	Basti Sheikh	14/J
11	M/s. Uttam Singh Rakha Ram	Salempur Nangal	16/J
12	Shri Ram Labhaya	Basti Sheikh	17/J
13	Shri Tejmohan Singh	Ditto	18/J
14	Shri Roshan Lal Sharma	Model Town	20/J
15	M/s. Capt. H.C. Sharma Vidya Parkash	Mustafapur Chakrala	21/J
16	M/s. Chanan Ram Sohan Singh	Jandu Sangha	22/J
17	Shri Amar Chand Chadda	Udesian	24/J
18	Shri Jai Gopal	Patara	25/J
19	Shri Ram Labhaya Mehra	Kalwan	26/J
20	Shri Jugal Singh	Lalb Ladhewali	27/J
21	Shri Jugal Singh	Jamsher	31/J
22	M/s. Chuhar Singh Suchet Singh	Chitti	32/J
23	Shri Gian Singh	Chomon	33/J
24	M/s. Behari Lal Pritam Chand	Adampur	34/J
25	M/s. Dwarka Das Prem Nath	Lohar	35/J
26	Shri Pritam Singh	Bhataura	36/J
27	M/s. Malawa Ram & Sons	Chomon	37/J
28	Shri Dev Barat	Kuthar	38/J
29	M/s. Kishori Lal Ved Parkash	Larll	39/J
30	M/s. Kishori Lal Baldev Krishan	Abalura	40/J
31	Shri Sukh Dial	Ghillar	41/J
32	Shri Balwant Singh	Dolike	42/J
33	Shri Harpal Singh	Karra	43/J
34	Shri Hari Singh	Rauwali, Jullundur City	50/J
35	M/s. Durga Dass Amar Nath	Gagan Wal	51/J
36	M/s. Jagir Singh Sukhdev Singh	Beas Pind	52/J
37	Subedar Bhagat Singh & Co.	Ghurial	54/J
38	M/s. Faqir Chand Ved Parkash	Beas Pind	55/J
39	Shri Pritam Singh	Dakoha	58/J
40	Shri Harpal Singh	Bhordinpur	59/J
41	Shri Surat Singh	Dhandoor	60/J
42	M/s. Rattan Singh Amar Singh	Raipur Pharala	61/J
43	M/s. Hind Paul Ujagar Singh	Chitti	62/J
44	Shri Charan Dass	Dito Nangal	65/J
45	Shri Pritam Singh	Jarda Sarai 1.	67/J
46	Shri Vishwa Mitter Mohindru	Basti Baba Khel	69/J
47	Shri Kartar Chand	Jamsher	69/J
48	Shri Hari Singh	Chak Kalnen	71/J
49	M/s. Sardari Lal Sachdev & Sons.	Jullundur Cantt.	74/J
50	M/s. Tejmohan Singh·Surinder Singh	Badlapur	75/J
51	M/s. Mela Ram Ram Sarup	Kartarpur	76/J
52	M/s. Waryam Singh Ramdjor Singh	Zindan Nijran	77/J
53	M/s. Behari Lal & sons	Pandori Nijran	79/J
54	M/s. Hari Singh & Co.	Khusropur	80/J
55	Shri Mehnga Singh	Balan	81/J
56	M/s. Lahori Lal Gurbux Singh	Rampur	84/J
57	M/s. Bhagat Ram Baldev Krishan	Batran City	85/J
58	Shri Roshan Singh	Jullundur City	86/J
59	Shri Joginder Singh	Paragpur	87/J
60	M/s. Munshi Ram Amar Nath & Co.	Jullundur City	89/J
61	M/s. Phumand Singh Pritam Singh	Paragpur	90/J
62	Shri Surat Singh	Nauli	91/J
63	M/s. Hind Paul Bhupinder Kumar	Model Town	92/J
64	Shri Achhar Singh	Subhana	93/J
65	Shri Har Dyal	Dhada Sanaura	94/J

Serial No.	Name of the licencees	Place of business	Licence No.
	JULLUNDUR TEHSIL—CONCLD		
66	Shri Mehnga Singh	Biring	95/J
67	Shri Ram Singh Kapur	Jullundur City	96/J
68	Shri Barkat Ram Proprietor, M/s. Malhotra Bros.	Malko	97/J
69	Shri Ramesh Paul	Shaowal	98/J
70	M/s. Randhir Singh	Chok Kalan	99/J
71	M/s. Ved Kumar Baldev Kishan	Kala Bakra	101/J
72	Shri Bhim Sain Bhalla	Gazipur	102/J
73	Shri Mehar Singh	Vadabal	104/J
74	M/s. Bhim Sain Randhir Singh	Garden Colony Nakodar Road, Jullundur	113/J
75	M/s. Bishan Dass Sansar Chand	Jullundur	126/J
76	Shri Kanshi Nand Gill	Biring	124/J
77	M/s. Mehar Singh	Sachi Paul	125/J
78	Shri Darshan Singh	Jullundur	
79	M/s. Hari Singh Sham Singh	Arjan wal	
	NAWANSHAHR TEHSIL		
1	M/s. Prem Krishan Jagan Nath	Rahon	2/ND
2	M/s. Mool Chand & Sons.	Mahilgebla	3/ND
3	M/s. Shive Singh Pritam Singh	Nawan shahr	5/ND
4	M/s. Hazara Ram & Co.	Sandhwan	6/ND
5	M/s. Dhirt Ram Goverdhan Das	Mukandpur	8/ND
6	Shri Gurbachan Singh Qlian Gian Singh	Raipur Dabba	9/ND
7	Shri Lachi Ram	Bisil	11/ND
8	M/s. Beant Singh Surrinder Mohan	Jandah	12/ND
9	M/s. Ram Sahai Kishan Chander	Nawanshahr	16/ND
10	M/s. Gurdit Singh Chaman Singh Sarhal Singh	Qazian	17/ND
11	M/s. Baru Ram & Sons.	Bharo Mazara	18/ND
12	M/s. Charanjit Lal Amolak Rattan	Nawanshahr	25/ND
13	Shri Nand Lal Kirpal	Ditto	26/ND
14	M/s. Gopal Singh Gian Chand	Mehrampur	32/ND
15	Shri Kartar Singh Dyal Puria	Cheidupur	23/ND
16	M/s. Gobind Singh & Sons.	Khema	34/ND
17	Shri Chaman Lal	Banga	36/ND
18	Shri Karnail Singh	Jindowal	38/ND
19	M/s. Nand Lal Surrinder Mohan Lal	Mubarakpur	39/ND
20	Pt. Mohan Bhargwa Rahon & Sons.	Rohna	42/ND
21	Ch. Chaju Ram	Nura	43/ND
22	M/s. Gurbachan Singh	Mazara	45/ND
23	M/s Sohan Singh Harbans Singh	Hoshiarpur	50/ND
24	M/s Ram Parkash Kharati Ram	Ferozepur	53/ND
25	Shri Sohan Lal Aggarwal	Mozari	54/ND
26	M/s Munshi Ram Gian Chand	Mahal Khurd	57/ND
27	Shri Gian Singh alias Gurbachan Singh	Qaddi Makwali	58/ND
28	M/s Pritam Singh Bhulla Singh Mohan Lal	Ghumman	61/ND
29	The Banga Kiln Syndicate	Banga	62/ND
30	Shri Gurdit Singh	Karana	63/ND
31	Shri Narinjan Singh	Ramraipur	64/ND
32	M/s Beant Singh Surrinder Mohan	Behram	65/ND
33	M/s. Shive Darshan Singh Shive Dev Darshan Singh	Bhoot	105/ND

[Minister for Finance]

Serial No.	Name of the Licencee	Place of business	Licence No.
1	2	3	4
	PHILLAUR TEHSIL		
1	Shri Satya Nand	Phillaur	1/P
2	Shri Harnam Singh	Mutfalu	2/P
3	M/s Charan Singh & Sons	Rurka Kalan	3/P
4	Shri Amar Singh Koonu	Bundala	5/P
5	Shri Partal Chand	Chhokran	7/P
6	M/s Partal Chand Vishan Mittar	Lasara	8/P
7	M/s Jagat Singh & Sons	Chima Khurd	10/P
8	Shri Gurdas Ram Sharma & Sons	Bilga	13/P
9	M/s Chhaju Ram Sharma/Sons	Mahal	21/P
10	M/s Ram Kishan Tara Singh	Thalla	24/P
11	Shri Partap Singh	..	26/P
12	Shri Labhu Ram	Panadhra	27/P
13	Shri Hari Singh	Jaitowal	29/P
14	M/s Lachhman Das-Manohar Lal	Kandla Kalan	32/P
15	M/s Jagan Nath Kabal Singh	Samrai	33/P
16	Shri Har Narain	Jandiala	34/P
17	Shri Gurdit Singh	Partapura	35/P
18	Shri Didar Singh	Shahpur	41/P
19	Shri Bishan Singh	Goraya	42/P
20	M/s Amar Singh Parkash Singh	Bhandal	43/P
21	Shri Battan Singh	Bilga	46/P
22	M/s Jagan Nath Kabal Singh & Co.	Dhanipind	50/P
23	M/s Tara Singh Karam Singh	Khurd	49/P
24	M/s Amar Nath Prem Nath	Mahal	51/P
25	Shri Gurdas Ram	Rurka Kalan	52/P
26	M/s Labhu Ram Didar Singh	Dhabta	53/P
27	Shri Shadi Ram Sharma	Rurka Kalan	54/P
28	Shri Mehar Singh	Mathada Khurd	55/P
29	M/s Chanan Singh Joginder Singh	Anjala	56/P
30	M/s Amritsarya Ram Harcharan Dass	Chan Dhotar	57/P
31	Shri Mohan Lall Sharma	Nawanshahr	58/P
32	Shri Labhu Ram	Anjala	59/P
33	M/s Chhaju Ram Sharma & Sons	Barapind	60/P
34	Shri Uma Chand	Phillaur	65/P
35	Shri Lachhman Dass	Nurmahal	..
36	Shri Parkash Singh	Dusanj Kalan	66/P
37	The Multi-Co-operative Society Ltd.	..	
	NAKODAR TEHSIL		
1	M/s Nand Lal & Sons	Shanker	1/N
2	Shri Pritam Singh	Do	2/N
3	Shri Durga Dass	Lohian Khas	4/N
4	M/s Dalip Singh Bhagat Ram	Kular	8/N
5	M/s Mohan Lal Fateh Chand	Salih wagon Malian	9/N
6	Shri Jugal Singh	Dhaliwal	12/N
7	Shri Dina Nath Dev Parkash	Nakodar	14/N
8	M/s Harbans Lal Bhagat Ram	Lassuri	16/N
9	Captain Partap Singh	Sinder	17/N
10	Mehnga Singh	Malian Khurd	22/N
11	M/s Mohan Lal Fateh Chand	Pandori	24/N
12	M/s Sudershan Kumar Shiv Kumar	Talwandi Madho	25/N
13	M/s Har Parshad Ishar Dass	Nakodar	27/N
14	M/s Arjan Dass Bishan Dass	Nurpur	29/N
15	M/s Chaju Ram Durga Dass	Shahkot	30/N
16	M/s Kewal Krishan Prem Nath	Do	31/N
17	M/s Pritam Singh/Sons	Thablke	32/N

Serial No.	Name of the Licencee	Place of business	Licence No.
1	2	3	4
18	M/s Pritam Singh Nand Lal	Chanjan	33/N
19	M/s Kuldip Rai Surrinder Kumar	Shahkot	34/N
20	M/s Hari Chand Fateh Chand	Mehatpur	35/N
21	M/s Bishan Das Ghansham Dass	Shahkot	36/N
22	Shri Jugal Singh	Chak Kalan	38/N
23	Shri Mehar Singh	Shanker	39/N
24	M/s Partap Singh Mohinder Singh	Do	40/N
25	M/s Nagar Singh Santokh Singh	Nurmahal	41/N
26	M/s Nathu Ram Dalip Singh	..	..

TERMINATION OF SERVICES OF CLERKS

843. Bawa Harnam Singh : Will the Minister for Revenue be pleased to state whether it is a fact that the services of eight clerks of the office of the Director, Elections, Local Bodies. have recently been terminated, if so, the reasons therefor?

Giani Kartar Singh : *Part (I)*.—Yes.

Part (II).—These clerks were engaged temporarily for elections and their services were terminated when no longer required.

BAILIFFS AND NAZIRS, ETC., IN THE PUNJAB

846. Shri Harbhagwan Maudgil : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of Process Servers, Bailiffs and Nazirs separately, in the State at present, together with their scales of pay;

(b) the total number of District Nazirs in the State at present with their pay scales;

(c) whether there is any difference in the pay scales of Civil Nazirs and District Nazirs; if so, the reasons therefor?

Dr. Gopi Chand Bhargava :

(*a*)

Post	*Total number in Punjab*	*Scale of Pay*
Process Servers	949	Rs 35—1—50
Bailiffs	106	Rs 45—1—60
Nazirs	15	Rs 60—4—80/5—120/5—175

[Minister for Planning]

(Besides, there are 13 Civil Nazirs in the grade of Rs 80—5—110/5—150 and 188 Naib-Nazirs and Madad Nazirs in the grade of Rs 60—4—80/5—120/5—175)

(b) Post	Total number in Punjab	Scale of Pay
District Nazirs	18	Rs 116—8—180/10—250 (Out of these the five District Nazirs in the Patiala Division are in grade of Rs 60—4—80/5—120/5—175.)

(c) The scale of pay of the post of Civil Nazir is Rs 80—5—110/5—150 while that of District Nazir is Rs 116—8—180/10—250. The difference in the scale of pay is due to the duties and responsibilities assigned to each post.

SPEED LIMIT FOR GOVERNMENT TRANSPORT BUSES

847. Shri Harbhagwan Maudgil : Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether any speed limit has been fixed for Government Transport Buses; if so, what;

(b) whether Government has taken any steps to impose the same speed limit on the privately-owned buses; if not, the reasons therefor?

Rao Birendar Singh : (a) Yes. Clause I-C of the Eighth Schedule to Moter Vehicle Act, prescribes a speed limit of 30 miles for heavy public service vehicles, whether Government-owned or private ones.

(b) Yes. No discrimination is made by the Traffic Enforcement Staff, between Government and private-owned transport vehicles, in implementing provisions of the M. V. Act and Rules.

APPROACH ROAD FROM KHARD CHO TO KHARAR BRIDGE ON RUPAR-KALKA ROAD

848. Shri Harbhagwan Maudgil : Will the Minister for Public Works be pleased to state the time by which the approach road from Khard Cho to the Kharar Bridge on the Rupar-Kalka Road will be completed?

Rao Birendar Singh : The approach road from Khard Cho to the Kharar Bridge on Rupar-Kalka Road is expected to be completed by the end of March, 1958.

Mr. Speaker : Question hour is over now.

Replies to unstarred questions Nos. 844 and 845 are printed as annexure to this debate.

ADJOURNMENT MOTIONS

10 a.m.

अध्यक्ष महोदय : Adjournment Motions जो आज आई हैं इन में से एक श्री प्रबोध चन्दर जी की तरफ़ से है–

"to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, viz, the active participation of Government servants in sponsoring and actively helping variety entertainments in the State during the mourning period."

दूसरी Adjournment Motion श्री जगत नारायन की तरफ़ से आई है। यह है—

"to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, viz, the third degree method torture administrated to Shri Rajinder Pal Jagyasu, B.A., B.T. Teacher, D.A.V. High School, Qadian, in police custody at Amritsar as revealed by him in his recent release on bail......"

ऐसी adjourment motions के नोटिस पहले भी आए हैं और मैं ऐसा ही रूलिंग दे चुका हूं। आप को पता है कि यह बजट सैशन है। गवर्नमेंट की तरफ़ से अगर कोई ऐसी बात होती है और आप इसे गवर्नमेंट के नोटिस में लाना चाहते हैं तो बजट की डिस्कशन के दौरान में इस के लिए आप को काफ़ी मौके मिलेंगे। बजट पर जनरल डिस्कशन करते समय इन पर बहस हो सकती है। और इस लिए यह adjournment motions admit नहीं की जा सकती और मैं इन्हें out of order declare करता हूं।

(Out the of adjournment motions notices of which have been received to-day, one is from Shri Prabodh Chandra :

"to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, viz, the active participation of Government servants in sponsoring and actively helping variety entertainments in the State during the mourning period."

The other adjournment motion has been given notice of by Shri Jagat Narain, which is :

"to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, viz, the third degree method torture administered to Shri Rajinder Pal Jagyasu, B.A., B.T., Teacher, D.A.V. High School, Qadian, in police custody at Amritsar as revealed by him in his recent release on bail..... ..."

Notices of such adjourment motions were received before, and I gave a similar ruling on them. The hon. Members already know that this is the Budget Session during which they will have ample

[Mr. Speaker]
opportunities to bring any lapses on the part of the Government, to their notice. These can be discussed on various occasions during the discussion of the Budget. These adjourment motions cannot, therefore, be admitted and accordingly I rule them out of order.

Shri Prabodh Chandra : Sir, even in the Parliament and in the House of Commons, Adjournment Motions come in the Budget Session.

Mr. Speaker : I have given my ruling on the basis of the practice of this House as also the practice obtaining in other Legislatures of India.

Shri. Prabodh Chandra : Sir, is this House guided by the........

Mr. Speaker : Please resume your seat.

पन्डित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. जनाब मेरा point of order यह है कि आज Session 9 बजे हो रहा है और दफ्तर शायद 8 बजे खुला होगा । अगर कोई इस से पहले adjournment motion देने की ज़रूरत पड़े तो क्या किया जाय ?

अध्यक्ष महोदय : यह बात आप की ठीक है । आज जब सवेरे 6½ बजे के करीब मैं गुसलखाने में था तो इस adjournment motion के आने की खबर मिली । और जब मैं नहा कर बाहर निकला तो यह लेनी पड़ी । इस लिये आज हम ने यह फ़ैसला किया है कि दो बक्स लगा दिये जायें एक मेरे दफ्तर के कमरे के सामने हो और दूसरा सैक्रेटरी साहिब के कमरे के आगे हो । वह 1½ घंटा पहले खोल लिए जाया करेंगे । मैं Chief Minister साहिब से कहूंगा कि वह इस इन्तज़ाम पर special नज़र रखें। (Hon. Member is right. Today at about 6.30 a.m. when I was in the bath-room, I was informed of the notice of this adjournment motion. After taking bath when I came out of the bath-room, I got it. Today we have, therefore, decided that two boxes should be placed. One before my room in the office and the other before the Secretary's room. These will be opend 1½ hours before the commencement of the meeting. I will request the Chief Minister to bear this arrangement in mind.)

पंडित श्री राम शर्मा : जनाब Chief Minister साहिब को क्या ज़रूरत है ? यह तो आप अपनी तरफ़ से ही कोई इन्तज़ाम करें ।

अध्यक्ष महोदय : कागज़ों के लाने लेजाने के सिलसिले का जो arrangement है वह ही करवायेंगे । यानी अगर House 9 बजे होगा तो ये बक्स 1½ घंटा पहले खुलेंगे और अगर 9½ बजे होगा तो 1 घंटा पहले Box खुलेंगे । इस के अलावा House 2 बजे हो तो यह 1½ घंटा पहले खोले जायेंगे ।

इस तरह का arrangement है जो हम ने इस दिक्कत को देखते हुए किया है। (Only the arrangement regarding sending and bringing of papers will be got done. That is if the House meets at 9 a.m. these boxes will be opened 1½ hours earlier and if the Session starts at 9-30 a.m. the boxes will be opened one hour before that. Besides this, if the Session commences at 2 p.m., the papers will be taken out of the boxes 1½ hours earlier. This is the arrangement which we have made in view of this difficulty.)

श्री प्रबोध चन्द्र : जनाब आप को खबर होनी चाहिये, कि कल परसों से जो entertainments हो रही हैं, और जो अफसर इस के ज़िम्मेदार हैं इन पर जल्द action लेना चाहिये। इस लिये मैं ने यह adjourment motion दी है।

अध्यक्ष महोदय : इस motion का जो purpose है वह मैं समझ गया हूं। इसी लिये मैं ने इस को House में पढ़ दिया है अब Government का काम है कि वह देखें कि इस पर क्या हो। (I have understood the purpose of this adjournment motion. That is why I have stated it in the House. Now it is up to Government to see as to what action should be taken on it.)

BILL (LEAVE TO INTRODUCE)

THE PUNJAB PRE-EMPTION (AMENDMENT) BILL, 1958

Sh. Harbhagwan Maudgil (Ludhiana, North) : Sir, I beg to ask for leave to introduce the Punjab Pre-emption (Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Motion moved—

That leave be granted to introduce the Punjab Pre-emption (Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Question is—

That leave be granted to introduce the Punjab Pre-emption (Amendment) Bill.

The leave was granted.

Sh. Harbhagwan Maudgil : Sir, I Introduce the Punjab Pre-emption (Admendment) Bill.

RESUMPTION OF DISCUSSION ON THE RESOLUTION *re.* THE EXCLUSION OF ALL AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING AREAS FROM THE OCTROI LIMITS IN THE STATE

(At this stage Mr. Deputy Speaker occupied the Chair.)

योजना मन्त्री (डा० गोपी चन्द भार्गवा) : जनाब Deputy Speaker साहिब, पिछले दिन मैं इस Resolution पर जो श्री बाजवा जी ने पेश किया था, कुछ अर्ज़ कर रहा था। इस के मुतअल्लिक जो position होगी वह तो

[योजना मंत्री]

Minister incharge ही कहेंगे क्योंकि वह यहां तशरीफ रखते हैं । लेकिन इस Resolution के मुतअल्लिक जिस पर कि मैं उस दिन बोल रहा था कुछ और अर्ज़ करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

मैं ने उस दिन अर्ज़ किया था कि इस प्रस्ताव को पढ़ कर आदमी बड़ी आसानी से समझ सकता है कि इस का मुद्दा क्या है । लेकिन जो तकरीरें की गई हैं अगर उन से इस का मुद्दा निकालने की कोशिश की जाय तो जो mover साहिब ने तजवीज़ किया है यह तकरीरें उस के बरखिलाफ हो जाती हैं । जो चीजें कही गई हैं वह मुद्दा के बिल्कुल उल्ट है । इसके अलावा यह एक convention है और यह हम से उम्मीद भी की जाती है कि जब House के मैम्बर चुन लिये जाते हैं वह तमाम पंजाब की representation करते हैं किसी खास इलाके की नहीं । अगर मेम्बर साहिबान किसी खास इलाके की बात करने लगें तब हम किसी फ़ैसला पर नहीं पहुंच सकते और ऐसी हालत में कोई भी काम नहीं किया जा सकता । इस प्रस्ताव पर बोलते हुये कहने वालों ने तो यहां तक भी कहा कि राष्ट्र पिता भी ऐसा ग्राम राज्य चाहते थे जिस से यह कहा जाये कि देहातियों पर Tax लगा दिये जायें । मगर मैं समझता हूं कि ऐसी दलीलें पेश करने के लिये, दरमियान में राष्ट्र पिता का नाम लेना, मैं समझता हूं कि कोई खास उचित नहीं है । अगर वह ग्राम राज्य का यही मतलब समझते हैं जैसे कि और कोई नहीं समझता तो मैं यह कहूंगा कि ग्राम राज्य में यह कहीं नहीं लिखा कि गांव वालों में और शहर वालों में नफरत की बातें की जायें । ग्राम राज्य के माने यह हैं कि गांव में हिन्दुस्तानी ज्यादा रहते हैं इस लिये उन की तरक्की में ही हिन्दुस्तान की तरक्की है । इस के मायने यह नहीं हैं कि आपस में लोगों की यह दलीलें हों और यह कहें कि एक के लिये हम करना चाहते हैं और दूसरे के लिये हम करना नहीं चाहते । ग्राम राज्य के यह मायने नहीं हैं । वह किसानों का नाम ले कर ऐसी बातें करते हैं जो कि जनता के नुमायन्दों की तरफ़ से होनी नहीं चाहियें । देहातियों का नाम लेकर हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपीलें की जाती हैं । गांव वालों के नाम पर, ज़्यादातर किसानों का नाम लेकर जो अपनी position बनाना चाहते हैं मैं समझता हूं कि यह तरीका दूर होना चाहिये । इस सिलसिले में कई मायनी बेमायनी दलीलें भी दी जाती हैं । एक भाई ने तो यहां तक भी कहा है, किसानों की बातें करते हुये कि जो किसान नहीं हैं लेकिन गांव के अन्दर रहते हैं उनकी बेहतरी के मुतअल्लिक सोचा जाये । इस किस्म की बातें करना मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं हैं । हमें चाहिये कि एक दूसरे की बेहतरी की बात कहें ना कि उन में काश्तकार या गैर-काश्तकार का भी फर्क डाल दें । जब किसी वकील के पास हम कोई फ़ौजदारी मुकदमा लेकर जाते हैं तो क्या उस वक्त हम यह सवाल करते हैं कि गांव वाले से कम फ़ीस ली जाए और शहरियों से ज़्यादा फ़ीस ली जाए । हम गांव वालों की क्योंकि

नुमांयदगी करते हैं इस लिये हमें चाहिये कि गांव वालों का नाम लेकर हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहियें। और न ही कोई ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहियें।

यह देखना है कि हमारे हरेक काम गांव की तरक्की के लियें होते हैं। अगर हम ऐसे काम करें जिनसे वाकई गांव वालों को लाभ हो सके तो हम ग्राम राज्य की तरफ चलेंगे।

अगर सिर्फ प्रस्ताव ही लाये जाते रहें और उनसे असली मानों में लाभ कोई न हो इनसे हमारे प्रांत की तरक्की नहीं हो सकती।

अगर हम प्रस्ताव ला कर गवर्नमैंट से कहें कि फलां कानून बना दिया जावे तो सरकार तमाम प्रदेश और प्रदेश को भी देश के अन्दर रख कर लोगों की तरक्की के लिये काम करेगी। तभी तरक्की हो सकती है, क्योंकि नफरत फैलाने से तरक्की नहीं होती। इस लिये ऐसी बातों से लाभ नहीं होता।

मैं जानता हूं कि बापू ने गवर्नमैंट आफ इन्डिया से नमक टैक्स के लिये लड़ाई लड़ी थी और आखिर में उन की जीत हुई। वैसे नमक जैसा मामला थोड़ी सी बात थी पर दरअसल वह टैक्स हर एक पर लगता था जो कि मुनासिब नहीं था।

यहां पर कहा गया है कि सिर्फ गांव वालों पर यह टैक्स या Octroi लगता है मगर क्या यह देखा कि इसका असर तो सभी पर होता है। जो लोग शहर में रहते हैं और agriculture produce खरीदते हैं तो Octroi के लगाने से जो कीमत बढ़ जाती है उस से वह लोग भी affected होते हैं।

यह भी कहा गया कि agriculture produce पर यह octroi न लगाई जाए। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या आप यह चाहते हैं जो तम्बाकू या पोपी वग़ैरह की produce है उस पर भी आप octroi नहीं लगाना चाहते? यह चीज़ें सिर्फ़ पैसे कमाने के लिये पैदा की जाती हैं, अगर इन पर टैक्स लगाया जाता है तो उस में मैं समझता हूं कि कोई एतराज नहीं होना चाहिये।

यह जो Octroi से पैसा इकट्ठा हो जाता है यह उन बातों के लिये खर्च होता ह जिनसे गांव वालों को मुनाफ़ा दिया जाता है।

शहरों की म्यूनिस्पैलिटियों को चलाने के लिये टैक्स लगाना ही पड़ेगा चाहे octroi टैक्स हो या और दूसरा कोई टैक्स हो। यह तो मानी हुई बात है कि बग़ैर पैसे के कोई काम नहीं चलता। और अगर marketing committees को बाहर कर भी दिया जाए तो क्या फिर उस कमेटी में पानी के लिये, रोशनी के लिये कुछ न कुछ खर्च ना करना होगा? वह तो होगा ही,

[योजना मंत्री]
और जो व्यापार वहां होता है उसी से वह खर्च निकाला जायेगा । इसलिये यह octroi टैक्स लगाया जाता है और यह बात मद्देनज़र रखी जाती है कि बोझ उतना ही पड़े जिसे कि किसान बरदाशत कर लें ।

इसलिये मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर आपस में कोई खलीज पैदा करके कोई फ़ैसला आपकी मर्ज़ी के मुताबिक भी हो जाए तो उस का नतीजा ग़लत होगा और तरक्की नहीं हो सकती ।

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ : (ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ) ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ resolution ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਿਆ । ਹੁਣ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦਾ resolution ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸਦੇ ਅਸਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ।

ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁੰਗੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟੈਕਸ ਚਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ municipalities ਨੂੰ ਜੋ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮਦਨ 2 ਕਰੋੜ ਔਰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ । ਇਹ ਉਹ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ municipalities ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਰੀ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਜੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ municipalities ਇਕ ਬੜੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਮਲੀ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਜੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਇਕ ਦਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ municipalities ਇਕ ਦਮ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਤੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਗੇਗਾ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਾਲੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ adjustment ਹੋ ਸਕੇ । ਜੇ ਇਸ resolution ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਕ ਕਬਾਹਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ।

ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ figures ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸਨ ਤਾਕਿ ਚੁੰਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੁੰਗੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ । ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ।

ਇਸ ਵਕਤ position ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਚੁੰਗੀ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ 81,12,575 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ agriculture produce ਤੋਂ ਜੋ ਆਮਦਨ ਚੁੰਗੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 26,65,015 ਰੁਪਏ । ਜਲੰਧਰ ਡੀਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਇਕ ਕਰੋੜ ਅਠਾਰਾਂ ਲੱਖ (1,18,00,00) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 227 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ । ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਕੁਲ ਚੁੰਗੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਹੈ । ਔਰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਚੁੰਗੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ 1493 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ । ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਚੁੰਗੀ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਚੁੰਗੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ।

ਜਦ ਮੈਂ resolution ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੰਡੀ ਦੀ limit ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪਰੋਡਿਊਸ ਦਾ ਜੋ ਮਾਰਕਿਟ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਗੀ ਦੀ ਹਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਇਸ ਰੇਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਏਸੇ ਹੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਦਿੱਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਗਰੀ-ਕਲਚਰਲ ਪਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਪਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸੂਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਉਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਜੋ ਚੁੰਗੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜੋ ਚੁੰਗੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਗ਼ੱਲਾ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਉਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਸੂਲ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋ-ਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮਿਉਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਸੂਲ ਹਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਤਕੜੀ ਸੱਟ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਰਖਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਉਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪਰੋਡੀਊਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਉਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਉਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਮਸੂਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਅਜ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਜੋ ਜ਼ਿਲਾ ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ ਹੈ, ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਔਕਟਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਥੇ ਮਸੂਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸੂਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੀਆਂ ਜੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸੂਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ੇਂਪਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਮੁਫੀਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਮੰਡੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਉਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਉਣ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਸੂਲ ਤਾਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਸੂਲ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦਿਹਾਤੀ ਰਕਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਅਪਰੋਚ ਰੋਡਜ਼ (approach roads) ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਟੋਟਲ ਚੁੰਗੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਤਨੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਵਸੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅੱਛਾ ਤਕੜਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ

[ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ]

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਮਗਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਮਿਉਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਕ ਦਮ ਸੱਟ ਲਗੇਗੀ । ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕੇਗਾ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਕੇ ਇਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਜੋ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਰੋਡਿਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦੇਰੀਨਾ ਜੋ ਚੁੰਗੀ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖ ਕੇ ਚੁੰਗੀ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿਚ ਲਾਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਸੂਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਰਕਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਲ ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਨੇ ਲੋਕਲ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਿਉਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪਰੋਡਿਉਸ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਹਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਆ ਲਭ ਲੈਣ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯਕਾਯਕ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਟਾਪ (stop) ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਸਕੀਏ । ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਪਰੋਡੀਊਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਰੇਦਸਤ ਮੈਂ ਏਨੀ ਹੀ ਬਾਤ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਵਿਊ (point of view) ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਏਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਕਸਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗ਼ਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਛੇੜ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਫਰੱਕਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਮੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ-ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕਤਅਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਤਫ਼ੱਰਕਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਉਨਿਸਪਲ ਟੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ । ਮੈਂ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਏਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮ (consume) ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਪਟ (exempt) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਗ਼ੱਲਾ ਮੰਡੀ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਥੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਉਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਜਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ।

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ consume ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮਹਿਸੂਲ ਚੁੰਗੀ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਲ ਚੁੰਗੀ ਤੋਂ ਮੁਸਤਸਨਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ produce ਲੈਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਚੁੰਗੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਮਹਿਸੂਲ ਚੁੰਗੀ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਸਕਦੇ । ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਹਿਸੂਲ ਚੁੰਗੀ ਦਾ ਭਾਰ ਤਾਂ ਅਗੇ consumers ਤੇ ਘਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਦਾ ਭਾਉ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਸਕੇ । ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ produce ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨ ਲਗੇ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਾਦ ਉਠਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣ । ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੋ ਆਪਣੀ produce ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਨੇ municipal area ਵਿਚ ਵੇਚਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਹਦੂਦ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਤਅਨ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਫ਼ੱਰਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਲਫਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ]

ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤਫੱਰਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇ । ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਾਂਗੇ । ਮੈਂ ਵੀ ਵਧੇਰਾ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਮਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ । ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਲੈਕੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਛੱਡ ਦਿਤੇ ਜਾਣ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ foodgrains ਤੇ sales tax ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ producers ਦੀ ਬਹਿਬੂਦੀ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਕਤਅਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਉਠਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਬੂਦੀ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੀਲ ਸੜਕਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੇਂ ਪਾ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਥੇ ਜੋ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੀਲ ਤਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਕੋਈ Municipal Committee ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਿਥੇ ਸੜਕ ਪੱਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਮਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਸ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਗੇ ਤੋਰ ਦੇਵੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੁਦ ਉਸ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਭਾਰ ਨੂੰ ਅਗੇ consumers ਤੇ ਘਲ ਸਕੇ । ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ relief ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ । ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮਿਉਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਰਕਮ ਬਾਹਰ ਕਢ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਗੌਰਮਿੰਟ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਢ ਲਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ finances ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਵੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਉਥੇ ਮਾਲ ਲਿਆਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਅੱਲਕ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭਾਰ ਸਿਰਫ਼ producer ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਉਪਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਭਾਰ ਨੂੰ ਅਗੇ ਤੋਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਉਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਟਾਣ ਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਲੈਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿਉਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਰੁਪਿਆ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਖ਼ੈਰ ਜੇਕਰ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ bodies

ਦੇ ਜੋ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ funds ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਰਚ ਕਰਨ, ਉਸਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ complications ਤੇ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਕਮ ਬਾਹਰ ਕਢੋਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ੱਲਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆ ਜੋ ਹਦੂਦ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ outside the octroi limits of the towns ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਉ ਤਾਕਿ producers ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਨ ਲਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਉਥੋਂ ਮਿਉਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਤੇ ਬੇਸ਼ਕ ਟੈਕਸ ਲਗੇ ਤੇ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰ ਅਗੇ ਵੀ ਤੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚ ਕੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਅਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਸਤੇ ਇਹ ਭਾਰ ਕਿਉਂ ਪਵੇ। ਫੇਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਉਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਸਕਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ Municipal Act ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਹੱਨ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਉਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਫ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਰਕਮ ਮਖਸੂਸ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਾਹਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੁਛਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ nominal ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਭਜਦੇ ਫਿਰਨ। ਮਗਰ ਜੇਕਰ ਇਹ area ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ octroi limits ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਸ area ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਗ਼ੱਲਾ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਉ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗ਼ੱਲਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਦੂਜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਝਿਉਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰੋਟੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਠਾਈ ਤੇ ਦੁਧ ਲੱਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗ਼ੱਲਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ octroi ਵਸੂਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ negligible ਮਹਿਸੂਲ ਹੈ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ]
ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ । ਜੇਕਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ :

"ਖਾਏ ਨੱਥੂ ਤੇ ਦੀ ਖੈਰਾ" । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ? ਆਖਰ ਸੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜੇਕਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ heart burning ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਨਾਜਾਇਜ ਬੋਝ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ resolution ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਹਾਊਸ ਵਲੋਂ ਇਕ recommendation ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਸੋਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਸ resolution ਦੇ ਲਿਆਣ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ballot ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਫੇਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਇਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਫੱਰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਫੱਰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ।

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ । ਮਸਲਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ । ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ : ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ announce ਕਰ ਦਿਉ ।

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ announce ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ : ਮਨਿਸਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ assurance ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ withdraw ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

Mr. Deputy Speaker : Is it the pleasure of the House that this Resolution be withdrawn ?

(*Voices* : Yes).

The Resolution was, by leave, withdrawn.

RESOLUTION *re.* SETTING UP OF SMALL WORKSHOPS IN RURAL AREAS AT GOVERNMENT EXPENSE TO PROVIDE EMPLOYMENT TO THE UNEMPLOYED POOR PEOPLE

Sardar Dhanna Singh Gulshan : (Pakka Kalan, 'Reserve') Sir, I beg to move—

> This Assembly recommends to the Government that keeping in view the welfare of the unemployed poor people, it should set up small workshops and factories at Government expense in rural areas of the State to provide work for them.

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜੋ ਮਤਾ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਣ । ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਸੀਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰੋਜ਼ਗਾਰਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਡੇ ਵਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਨ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਡੀ ਵਡੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ । ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਵਾਏ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਕਈ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾਰੀ ਪੈ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੱਕੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਵਧੇਰਾ ਦੁਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੇਮ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ । ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਡੇ ਵਡੇ ਕਸਬੇ ਹਨ । ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਹਰ ਇਕ ਤਬਕੇ ਦੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਯਾ ਸੇਮ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਯਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੇਥੋਏਂ ਪਛੜੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਹੀ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਕਿਰਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ

[ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ].

ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਖ ਨੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰੀਜਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਵਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਲਾਏ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਦ ਤਕ ਆਰਥਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ :

"ਪੇਟ ਨਾ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸਭੇ ਗਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ"

ਜਦ ਤਕ ਪੇਟ ਵਿਚ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁੱਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ ਤਾਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਣ । ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਧੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕਮ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਮੁਕੱਰਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮੁਕੱਰਰ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੁਕੱਰਰ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਡੇ ਵਡੇ ਕਸਬੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਸ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗ ਭਗ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਯਾਂ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁਰਗੀ ਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਪਾਹ ਵੇਲਣ ਔਰ ਰੂੰ ਪਿੰਜਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਕਦਮ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਜਿਥੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ । ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਉਹ ਅਧਾ ਪੈਸਾ ਆਪ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਧਾ ਗੌਰਮਿੰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਾ ਸਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਦਮੀ ਸਾਲ ਵਿਚੋਂ ਅਠ ਮਹੀਨੇ ਵਿਹਲਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ । ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦੁਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਸਿਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਕ

ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਹਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ । ਉਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਚਲਿਆ ਹੋਵੇ । ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ co-operative society ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਹਿਸੇ ਤੇ shares ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ—ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵਡੇ ਕਸਬੇ ਵਿਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ farms, factories ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕੇ । ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ । ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਵਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੇ ਲਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਗ ਜਾਣਗੇ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ । ਆਬਾਦੀ ਦੇ 80, 85 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ । ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਐਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਜੇ ਉਹ ਓਥੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਠਨਾਈ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਔਕੜ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ।

ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੱਥ-ਖੱਡੀਆਂ, ਚਮੜਾ ਰੰਗਣ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ society ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ-ਖੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਚਾਰ ਟੱਬਰ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਉਦਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਏਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਕਬੰਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ । ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 40—200 ਏਕੜ ਤਕ ਛਡ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ

[ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ]

ਤੇ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ । ਜਿਹੜੀਆਂ farms ਜਾਂ Dairy farms ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਿਹਾਤ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ Transport ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬੜੇ ਪਿਛੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਯੱਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਉਹ ਆਦਮੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੌਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ society ਦੇ useful ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਸਕਣ । ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Transport ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ........

Mr. Deputy Speaker : Order, please. It is out side the scope of this resolution.

ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ : ਜਨਾਬਆਲੀ, ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ । ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਥੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਓਥੋਂ supply ਹੋ ਸਕਣ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਣਗੇ । ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਉਠਾਣ ਦੀ ਪਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦਏ । ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਹਾਤ ਦਿਆਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਹੋ ਸਕੇ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ । ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਕਿ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਰਖਿਆ ਜਾਏ । ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਦਨ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਗੇ ।

Mr. Deputy Speaker. Motion moved—

> This Assembly recommends to the Government that keeping in view the welfare of the unemployed poor people, it should set up small workshops and factories at Government expense in rural areas of the State to provide work for them.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ' ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵਕਤ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਏਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਐਟਮ ਜੁਗ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਐਟਮ ਜੁਗ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ (centralise) ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ । ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ (decentralisation of industry) ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਕ ਨਾਅਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਡੀਸੈਂਟਰਾਲਾਈਜ਼ (decentralise) ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਟਮ ਜੁਗ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਜੇ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਬ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ । ਕਪੜੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ । ਜੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਾਂ ਬੰਬਈ ਤੇ ਬੰਬ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਪੜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ (shortage) ਹੋ ਜਾਏਗੀ । ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਏਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡੇਸਟਰੱਕਟਿਵ ਵੈਪਨਜ਼ (destructive weapons) ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੌ ਸੌ ਮੀਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸਾਨੂੰ ਏਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ (decentralisation of industry) ਹੋਵੇ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਏਥੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਹ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦਿਹਾਤ ਖੁਦ ਸੈਲਫ-ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ (self-sufficient) ਹੋਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਿਆਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦ ਬਣਾ ਸਕਣ । ਸਾਡਾ ਪਰਜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿਰਫ ਏਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਏਸ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ । ਅਗਰ ਦਿਹਾਤਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਏਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗੇ । ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ । ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ (decentralise) ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ । ਦਿਹਾਤ ਦਿਹਾਤ ਵਿਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਜ਼ਰੂਰਿਆਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਜਾਏ । ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ-ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ (self-sufficient) ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ । ਦਿਹਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ (self-sufficient) ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ

11 a. m.

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]
ਜ਼ਰੂਰਿਆਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਓਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਓਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ । ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ । ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਐਪਲਾਈ ਕੀਤਾ । ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ । ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁੰਡੇ ਇਕਲੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਆਏ । ਬੇਕਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ । ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਏਨੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ । ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਲ-ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਵੈਲਪ (develop) ਕਰੀਏ ਤਾਕਿ ਏਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇ । ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੇਕਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ । ਇਹ ਬੇਕਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਬੇਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਏਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਵੱਜੋਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਵੈਲਪ (develop) ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਏਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੇਕਾਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਏਸ ਸਿਲਸਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਰੇ ਲਗਾ ਸਕਣ । ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਕੇਲ ਤੇ ਆਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ । ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਗੱਡੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰੇ ਚਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਕਾਲੀਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਏਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਏਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਅਨਾਜ ਦੇ ਡੱਬੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਟਿਨਡ ਫਰੂਟਸ (tinned fruits) ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰਨੀ ਲਈ ਅਤੇ ਕਸਟਰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਸਾਡਾ ਅਨਾਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਸ ਅਨਾਜ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਡੱਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਚਾਉਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਬਣ ਸਕੇ ਯਾ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਸਕਣ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੱਥ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਏਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ

ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਾਈਡਰ ਸਕੋਪ (wider scope) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਅਚਾਰ ਅਤੇ ਮੁਰੱਬਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਏਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉਪਰ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਥੇ ਏਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਏਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਅਗਰ ਏਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋਹ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਮਰਕੂਜ਼ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਏਸ ਤਵੱਜੋਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜੋ ਬੇਕਾਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪੋਲਟਰੀ, ਬੀ ਕੀਪਿੰਗ (poultry, bee keeping) ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਏਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ । ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡੱਬੇ, ਬੋਤਲਾਂ, ਟਿਨ ਡੱਬੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ । ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਡੱਬੇ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਇਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੇਕਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਵੈਲਪ (develop) ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ (energy) ਵਧ ਜਾਏਗੀ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਕੋ ਥਾਂ ਡੀਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਜੇ ਜੁਰਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਨੈਣਾਂ, ਜੁਰਾਬਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਵੈਟਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ । ਏਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਏਸ ਵਕਤ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ । ਔਰ ਜੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੂਵਰ ਆਫ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ (mover of the resolution) ਨੇ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂੰ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲੈਣ ਕਿਉਂ ਜੋ ਏਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦੱਸਣੇ ਨੇ । ਮੈਂ ਮੂਵਰ (mover) ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣ । ਮੂਵ (move) ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਅੰਡਰ ਹੈਂਡ ਮੀਨਜ਼ (under-hand means) ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ........(ਵਿਘਨ)

वित्त मंत्री : On a point of order, Sir. किसी मेम्बर के लिए under-hand means के शब्द इस्तेमाल करना parliamentary नहीं । He should withdraw it.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਅੰਡਰ ਹੈਂਡ ਮੀਨਜ਼ (under-hand means) ਦੇ ਲਫਜ਼ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਵੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ।

Minister for Finance : On a point of order, Sir. He may be asked to withdraw the words he has uttered now.

Mr. Deputy Speaker. Please withdraw those words.

चौधरी बलबीर सिंह : मैं ने मेंम्बर के reference में नहीं कहा। मैं ने यह बात resolution के बारे में कही है कि यह बड़ा अहम resolution है इस के साथ कोई हेरा फेरी न हो जाए।

Minister for Finance : I again rise on a point of order, Sir.

Mr. Deputy Speaker. Order please.

Minister for Finance : Sir, the hon. Member has not withdrawn those words. I repeat my request that he may be required to withdraw those words before he proceeds further.

Mr. Deputy Speaker. He says that he has not used those words with reference to any hon. Member.

Minister for Finance : This is not the case. You may kindly refer to the record here. He has definitely said and meant it. He should unconditionally withdraw those words.

Chaudhri Dharam Singh Rathi. No criticism of the ruling of the Chair please.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਫਜ਼ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਿਕਰੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ pinch ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ resolution ਨੂੰ discuss ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਦਾ ਐਨਾਂ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਅਹਿਮ resolution ਹੈ.................. (*Interruptions*)

Mr. Deputy Speaker You cannot impute motives.

Chaudhri Balbir Singh : Sir, I am not imputing motives. ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਹਤਕ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ...............

(*At this stage, Mr. Deputy Speaker consulted the Official Record.*)

Mr. Deputy Speaker : I have consulted the Official Record and I find that the hon. Member uttered those words with reference to that Member. He should, therefore, withdraw those words.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ sense ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ sense ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ sense ਵਿਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ......... (*interruptions*) ਜੇਕਰ.............. (no conditions) ਮੈਂ already ਕਹਿ ਚੁਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਸੀ.................

Mr. Deputy Speaker : Please withdraw those words.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ withdraw ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ..............

ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਬੜਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਤਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁਝ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ।

Mr. Deputy Speaker : It is not relevant please.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ, ਇਹ resolution ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। Resolution ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ Resolution ਫੇਰ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ Resolution ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ resolution ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

श्री हंस राज शर्मा (फगवाड़ा) : डिप्टी स्पीकर साहिब, यह रेज़ोल्यूशन बड़ा अहम रेज़ोल्यूशन है जो कि श्री धन्ना सिंह जी गुलशन ने पेश किया है। क्योंकि प्लैनिंग कमिशन ने भी बेरोज़गारी को दूर करने के लिये काटेज और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ पर बड़ा ज़ोर दिया है। सैकंड फाइव ईयर प्लान में उन्होंने स्टेट् गवर्नमैंट्स को यह हिदायात भी की हैं कि अनएम्पलायमैंट को दूर करने के लिये काफी रुपया देहातों और गांवों में छोटे छोटे उद्योगधंधों को खोलने के लिये खर्च किया जाए। यहां हमारे पंजाब में बहुत से देहात ऐसे हैं जहां कि बिजली पहुंच चुकी है और सड़कें भी वहां पर पक्की बन चुकी हैं। लेकिन अगर हम देखें तो उन देहातों में जो बिजली पहुंच चुकी है वह या तो घरों में ही जलाने वगैरह के काम में खर्च की जाती है और या कहीं कहीं खेतों को पानी देने के लिये ट्यूब वैल्ज़ को चलाने के लिये इस्तेमाल की जाती है। वह बिजली अभी तक किसी भी गांव में स्माल स्केल इंडस्ट्री या काटेज इंडस्ट्री में खर्च नहीं हुई। इस का कारण यह है कि हमारे देहातों में ज़्यादातर ग़रीब आदमी बसते हैं जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है उन में से ज़्यादातर हरिजन भाई हैं। न तो उन के पास पैसा ही है और न ही उन के पास छोटी छोटी इंडस्ट्री को चालू करने का टैक्नीकल नॉलेज ही है। लेबर ज़रूर है। वे लोग मेहनत कर सकते हैं। लेकिन पैसा और टैक्नीकल ना हुऊ (technical know-how) उन के पास नहीं है। हमारे फाइनैंस मिनिस्टर साहिब की बजट स्पीच में थोड़ा सा इस के बारे में ज़िक्र है पर रुपया बहुत थोड़ा रखा गया है जो देहातों में छोटे छोटे कारखाने खोलने पर सर्फ होगा। ज़रूरत इस बात की थी कि गवर्नमेंट कम से कम एक गांव में या कुछ गांवों को मिला कर एक सैंटर में एक सरकारी वर्कशाप खोलती। उन वर्कशापों में से एक तो उन ग़रीब लोगों को ट्रेनिंग दी जाती और दूसरे उन वर्कशापों में से उन लोगों को रा मैटीरियल मुहैया किया जाना चाहिये जोकि दूसरी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को

[श्री हंस राज शर्मा]

खोलने में इस्तेमाल किया जा सके । इस का फायदा यह होगा कि देहात के वे भाई जो कि बिल्कुल गरीब हैं, जिन को कि एक वर्ष में कुल तीन चार महीने खेती बाड़ी में मजदूरी का काम मिलता है वे अपने ही गांव में काम सीख कर काम कर सकेंगे, जिस से कि उन को रोटी मिल सकेगी और वे अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकेंगे । इस सम्बन्ध में मैं यह समझता हूं कि गवर्नमेंट का को-आप्रेटिव महकमा काफी मददगार साबित हो सकता है । कुछ लोग जो कि मेहनत कर सकते हैं उन का इक्ट्ठा कर के कोआप्रेटिव बैंक से पैसा दें और कुछ टैक्नीकल आदमी उन में दाखिल कर के देहात में इंडस्ट्रियल कोआप्रेटिव सोसायटी बनाई जा सकती है जो कि उन चीजों को वहां पर बनाना शुरू कर दे जो कि उस देहात में आसानी से बनाई जा सकती हैं और जिन के लिये रा मैटीरियल भी वहीं पर मिल सकता है । गांधी जी ने खादी पर बड़ा जोर दिया था । मैं भी यह समझता हूं कि देहात का इकनौमिक स्ट्रक्चर अगर हम खादी के इर्द गिर्द ही बना दें तो खादी का अच्छा और छोटा छोटा काम तैयार किया जा सकता है । जिस तरह जापान में अगर कहीं पर साईकल इंडस्ट्री है तो वहां पर हर घर में हर एक छोटा छोटा पुरजा अलहदा अलहदा तैयार कर के फिर इक्ट्ठा किया जाता है, असैम्बल किया जाता है । मैं समझता हूं कि यहां भी इसी तरह से छोटे छोटे पुरज़े अलहदा अलहदा लोगों को बनाने के लिये दे दिये जाने चाहियें और बाद में वे गवर्नमेंट वर्कशाप में असैम्बल कर लिये जाने चाहियें । जिन गांवों में बिजली जा चुकी है यह एक्सपेरीमेंट उन गांवों में हो सकता है । पंजाब के चार पांच सौ ऐसे गांव जहां कि बिजली जा चुकी है, लेकिन उस का इस्तेमाल इस सम्बन्ध में नहीं किया जा रहा, उन में यह ऐक्सपैरीमेंट पहले किया जाना चाहिये । हमारे देश की economy को set करने के लिए इस का बहुत भारी असर होगा । यहां जब इस किस्म का कोई मसला खड़ा होता है तो House के अन्दर शहरी और देहाती का सवाल पैदा किया जाता है । शहरों में जो unemployment है वह तो educated class की है । शहर में जो गरीब तबका है उस को employment हासिल करने के कई साधन मिल ही जाते हैं— बड़ी २ factories में रोजगार मिल जाता है । लेकिन देहात में लोगों के लिए सिवाय जमीन के और कोई साधन नहीं । वहां से चन्द एक आदमी जो शहरों में आते हैं उन्हें बेशक factories और कारखानों में काम मिल जाता है लेकिन बाकी के तमाम लोग वहां पर बेरोजगार ही रहते हैं । देहात की इस तरह की economy को पायदार footing पर लाने के लिए यही एक चीज है जो हम कर सकते हैं । बेशक आप tenancy की problem को हल कर लें ; land को distribute करने की आप बेहतरीन से बेहतरीन reforms भी क्यों न ले आएं फिर भी आप देखेंगे कि आप सभी लोगों को ज़मीन नहीं दे पाएंगे, सभी लोगों को ज़मीन पर काम नहीं दे पाएंगें । आखिर में ज़रूरत इस बात की होगी

कि उन को रोजगार मुहय्या करने के लिए छोटी २ industries शुरु की जाएं यही एक ऐसा कदम होगा जो हमें असली मायनां में co-operative commonwealth और socialistic pattern of society के निशाने के तरफ ले जा सकेगा। अगर ऐसा न किया गया तो मैं समझता हूं कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा तबका, जिस में हिन्दुस्तान के अन्दर कोई दस बारह करोड़ आदमी होंगे और हमारे पंजाब में भी बड़ी अकसरियत में है; हमेशा के लिए down trodden रहेगा-- दबा रहेगा। उनके लिए न आप बड़े २ कारखाने खोल सकते हैं, न ज़मीन मुरब्बा कर सकते हैं और न हीं उन्हें किसी business या commerce में provide कर सकते हैं। ज़रूरी है कि आप को उनके लिए cottage और small scale industries की ओर revert करना पड़ेगा। इस तबके में हरिजन भी हैं, वह ज़मींदार भी हैं जो landless हैं और इसके अलावा वे लोग भी शामिल हैं जिन के पास ज़मीन तो है लेकिन उनके खानदान इतने बढ़ गए हैं कि सिर्फ एक दो आदमी ज़मीन पर काम करते हैं और बाकी के चार पांच unemployed हैं। छोटी छोटी दस्तकारियों को रायज करके आप unemployment और under-employment दोनों पर काबू पा सकते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे industries के मन्त्री इस तरफ़ ज़रूर तवज्जुह देंगे। जिस तरह irrigation और electricity का प्रबंध ज़मीन की पैदावार को बढ़ाने के लिए निहायत ज़रूरी है इसी तरह ज़मीन पर काम करने वालों की मुश्किलात माली मुश्किलात को दूर करने के लिए छोटे छोटे कारखाने लगाने भी इतने ही ज़रूरी हैं। उन की निर्धता को दूर करने और उनको employment देने का यही एक साधन है।

राओ गजराज सिंह (गुड़गांव) : श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा non-controversial सा resolution है जिस पर गवर्नमैण्ट खुद अपनी policy के आधार पर committed है और opposition की तमाम पार्टियां भी इस असूल पर committed हैं। इस में बुनियादी चीज़ क्या है? कौन सा मसला है जो आज हमारे सामने है? वह है बेकारी को दूर करने का। वैसे मामूली तौर पर यह समझा जाता है कि यह एक बहुत छोटी सी चीज़ है। सवाल यह है कि हमारे देश में आधे से ज़्यादा आबादी का ऐसा तबका है जिस की जिन्दगी गांव में दस्तकारी या agriculture से मिली हुई दस्तकारी पर निर्भर है। हमारे पंजाब में गांव के अन्दर ऐसे कामों में लगे हुए लोगों की अकसरियत उन मुसलमानों की थी जो कि partition के बाद पाकिस्तान को migrate कर गए। उन के जाने से देहातों के अन्दर एक खिला पैदा हो गया जो आज तक पूरा नहीं हो सका। क्यों? इसलिए कि दूसरे लोगों को अभी तक वे सहूलतें नहीं बहम पहुंचाई गईं कि वे उन कामों को सीख सकें और village economy को ठीक standard पर ला सकें। Block Development Schemes और Community Project में भी इस चीज़

[राम्रो गजराज सिंह]

की ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। मेरा ख्याल है कि मेम्बर साहब जो उन इलाकों में रहते हैं मुकम्मल तौर पर जानते होंगे कि block developments में इस मामले में सिफ़र रहे हैं सिवाय इस के कि नुमाइश के लिए एक दो गांव को बना दिया हुआ है कि जब बड़े बड़े आदमी आएं तो उन को वहां ले जाएं और दिखा दें कि हमने यह यह काम किया है। इस से ज़्यादा block development के काम में और कुछ नहीं किया गया।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਮੀਤ' : On a point of order, Sir. ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

अध्यक्ष महोदय : कोरम पूरा है। [The quorum is there.]

राम्रो गजराज सिंह : मेरे कहने का मतलब यह है कि यह सिर्फ Industries Minister का काम नहीं, Community Projects Minister, Agricultu re Minister और Minister for Co-operative Societies वगैरह सब में इस काम के लिए Co-ordination की जरूरत है। आप के पास workshops हैं—अमृतसर में workshop है, नंगल में आप के पास workshop है। मैं अभी अभी नंगल गया था। मैंने देखा है कि वहां पर एक बहुत बड़ी workshop है जहां हज़ारों आदमियों को छोटे छोटे काम सिखाए जा सकते हैं। हर एक इलाके से एक एक दो दो गांव को चुन कर उन्हें मुख्तलिफ किस्म के काम सिखाए जा सकते हैं ताकि किसी तरह की overlapping भी न हो और हर एक गांव के लोग किसी न किसी industry में लगे रहें। लेकिन इस वक्त जो इस काम के लिए provision रखा गया है वह बहुत थोड़ा है। यह बहुत थोड़ी रकम है। इसके लिए मैं यह अर्ज़ करूंगा कि block development के काम में एक साल के लिए यही हुक्म दे दिया जाए कि सारे का सारा emphasis cottage और small-scale industries के फैलाव के लिए दिया जाएगा। एक साल का सारे का सारा रुपया इसी काम पर लगा दिया जाए। अगर block ने तीन या चार साल तक रहना है तो एक साल इसी काम को top-priority दी जाए। आज गांव के अन्दर क्या हाल है ? अगर किसी का हल खराब हो गया है, या ट्रैक्टर या और कोई mechanical instrument खराब हो गया है तो किसान को उसे अपने गड्डे या सिर पर उठा कर ग्यारह ग्यारह बारह बारह मील दूर तक ले जाना पड़ता है और वहां उसके तीन चार दिन जाया हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि गरीब देहातियों की economic uplift के लिए सरकार की तरफ से फौरी तौर पर इकदाम उठाने चाहिएं। इस चीज़ के लिए गुलशन जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है, इस से अच्छी चीज़ और कोई नहीं हो सकती। इस की बुनियाद में वह चीज़ है जिस को हिन्दुस्तान की reconstruction के लिए तमाम बड़े बड़े thinkers और आला से आला leaders advocate करते हैं। जब तक इस बुनियादी सवाल पर सही

तरीके से, और सही पैमाने पर विचार नहीं किया जाएगा उस वक्त तक चाहे Planning Commission की schemes हों और चाहे बड़ी से बड़ी reforms, उन को अमली जामा नहीं पहनाया जा सकेगा। जबानी हमदर्दी करने से या प्रचार से ही यह बड़ा सवाल हल नहीं हो सकेगा। "भूखा मरता क्या न करता"—उन की हालत ऐसी है आप जिस काम के लिए उन्हें सहूलत देंगे वे उसी की training में जुट जाएंगे। भूखा कोई नहीं मरना चाहता। आप के पास साधन मौजूद हैं। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया नंगल में आप की workshop है। मैंने खुद देखा है कि अभी वहां पर इतना ज़्यादा काम नहीं होता। Engineers दिन में काफ़ी वक्त खाली बैठे रहते हैं। अगर आप इन देहाती लोगों को वज़ीफ़े देकर वहां उन लोगों को training दें तो यकीनन हमारी national wealth में अज़ाफ़ा होगा।

मैं फिर अर्ज़ करूंगा कि यह चीज़ हिन्दुस्तान की reconstruction के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस लिए इस resolution पर खास तौर से ध्यान दिया जाना चाहिए। आज कल जिस तरीके से काम किया जा रहा है उस से तो रुपया waste हो रहा है। Cycle के parts तो बम्बई में बनते हैं लेकिन लोन लेकर लोग अपने मकान पर बोर्ड लगा कर यह कह देते हैं कि यहां पर cycle parts की industry चल रही है। मैंने गुड़गांव खुद देखा है। लोग घरों में co-operatives बनाकर इस तरह के loans ले लेते हैं। मैं चाहता हूं कि सारी चीज़ को examine किया जाए कि ये जो इस तरह की agencies हैं उन को discourage करके गांव के अन्दर small-scale और cottage industries चलाने पर emphasis lay किया जाए। इस के अलावा जैसा कि मैंने पहले suggest किया है Block Development के काम में एक साल की सारी रकम cottage industries पर लगाई जाए। उस के बाद चाहे एक साल agriculture पर, एक साल नुमाइश पर लगा दी जाए। इस तरह से यह चीज पायाएतकमील तक पहुंच सकती है। इस से गवर्नमेण्ट पर भी कोई खास financial ज़िम्मेदारी नहीं आती।

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : डिप्टी स्पीकर साहिब, जो प्रस्ताव गुलशन साहिब ने इस सदन के सामने रखा है मैं उस की ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उन्हों ने एक ऐसी चीज़ हमारे सामने रखी है, अगर गवर्नमेंट इस resolution को मान ले तो वह तमाम मसले जो देहात के हैं या देश के हमारे सामने बने हुए हैं वह बड़ी आसानी से हल हो जायेंगे। हम देखते हैं कि हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता हैं या हमारे जो वज़ीर हैं, जिन की यहां इस वक्त हकूमत बनी हुई है, वह रोज़ाना socialistic pattern of society का नारा लगाते हैं और कहते हैं कि इस के बगैर देश में तरक्की नहीं हो सकती। तो मैं गवर्नमेंट से कहता हूं और उस महकमा के incharge वज़ीर से खास तौर पर कहना चाहता हूं जिस से यह resolution ताल्लुक रखता है, कि यही एक तरीका है जिस से हम सही तौर पर

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

इस देश में socialistic pattern of society का नमूना ला सकते हैं और जब तक देहात को आगे नहीं लाया जायेगा उस वक्त तक हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। आज अगर देहात के हालात को देखा जाये तो पता चलेगा कि बहुत से लोग वहां ऐसे हैं जिन के पास कोई रोजगार नहीं और जिन के पास कोई खाने पीने का इंतज़ाम भी नहीं। इस किस्म के हालात इस वक्त देहात में हैं कि वहां के बेचारे लोग चाहते हैं कि वे रोजगार करें लेकिन उन को रोज़गार भी नहीं मिलता। आप देखें वहां बहुत सी कौमें ऐसी हैं जैसे बढ़ई, खाती, लोहार, नाई वगैरह वगैरह जिन को पहले तो कुछ काम करने को मिल जाया करता था लेकिन अब उन्हें वह भी न मिलने की वजह से उन के लिये रोटी का मसला एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। जब तक किसी कौम का या किसी इलाके के लोगों का रोटी का मसला हल नहीं किया जाता तब तक वह कौम या वह इलाका तरक्की नहीं कर सकता। हमारी गवर्नमेंट इस बात का एलान करती है कि वह अपनी स्कीमों से हर साल 25 फी सदी बेरोज़गार लोगों को रोज़गार दिलायेगी और हम भी कहते रहते हैं कि उन की unemployment को दूर किया जाना चाहिये। पिछली बार भी मैं ने यहां यह बात सुनी थी कि unemployment को दूर किया जायेगा, लेकिन, डिप्टी स्पीकर साहिब, असलियत यह है कि यह दूर नहीं हो रही। यह सब कागज़ात पर ही दूर की जाती है। यह चीज़ Employment Exchange की figures को देख कर कह दी जाती है कि इतने फी सदी unemployment को दूर किया गया लेकिन मैं बताता हूं कि Employment Exchange की figures सही नहीं होतीं। वह जब एक आदमी को मुलाज़मत दिलाती है तो वहां लिख दिया जाता है कि एक आदमी को employment दिलाई गई चाहे अगले ही दिन उस को वहां से निकाल दिया जाये। उस का निकाला जाना उस के record पर नहीं आता। इसलिये मैं गवर्नमैंट से प्रार्थना करता हूं कि वह सही तौर पर unemployment को दूर करने के लिये कोशिश करे और उस का यह एक तरीका है जो इस resolution में दिया गया है। मगर अभी बाज़ मैम्बर साहिबान या वज़ीर साहिबान शायद यह कहेंगे कि यह देहाती और शहरी लोगों में इमत्याज़ पैदा करने के लिये कहा गया है। जब कभी कहीं देहाती का नाम आ जाता है तो पता नहीं हमारे कांग्रेसी दोस्तों को क्या हो जाता है, वह पता नहीं क्या सोचने लग जाते हैं। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि यह ठीक है कि हम देहाती और शहरी में तमीज़ पैदा करना नहीं चाहते बल्कि उन के सामने एक सही तजवीज़ रखना चाहते हैं कि किस तरह से लोगों को रोजगार दिलाया जा सकता है उन्हें देहाती और शहरी का नाम लेकर हमारे जज़बात को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। उन्हें यह चीज़ें कह कर हमारा ध्यान देहातियों की बेरोज़गारी के मसले से नहीं हटाना चाहिये बल्कि उन की रोटी का इंतज़ाम करना चाहिये और उस का एक ही तरीका है कि इस resolution को मंज़ूर करें और इस पर अमल करें। कांग्रेस के जो नेता हैं और जो कांग्रेस पार्टी के मैम्बर साहिबान हैं मैं उन्हें

याद दहानी कराना चाहता हूं कि elections के दिनों में वे बार बार कहते रहे थे कि जिन हरिजन काश्तकारों के पास ज़मीन नहीं है उन को वे ज़मीन दिलायेंगे लेकिन वे अपना वादा अभी तक पूरा नहीं कर सके और न ही उन्होंने उसे पूरा करने की कोशिश की है । जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं थी उन को तो यह मिली नहीं बल्कि यह उन बड़ों बड़ों को मिल गई है जिन के पास पहले ही थी । मैं इस को साबत करने के लिये कई मिसालें पेश कर सकता हूं । मुझे डर है कि इन का यह जो कहना है कि हम बेरोज़गारी को दूर करेंगे और बेरोजगारों को रोज़गार दिलायेंगे, यह भी उसी तरह से न हो जिस तरह बे ज़मीनों को ज़मीन देने के सिलसिला में किया गया है । मेरे कहने का मतलब यह है कि अब भी कहीं ऐसी बात न हो जाये कि कारखाने वगैरह लगाने में एक तबका को या एक हलका को छोड़ही दिया जाये । मुझे यह apprehensions हैं और मुझे यह दिखाई देता है कि ऐसा करने में एक हलके को छोड़ दिया जायेगा । (एक आवाज़– यह पहले हो तो लेने दें) मुझे पता है कि मिनिस्टर साहिब, यह कहेंगे कि यह नहीं होना चाहिये, वह नहीं होना चाहिये, अब इन की बात नहीं है, हम तो पहले ही कर रहे हैं, वगैरह वगैरह ।

डिप्टी स्पीकर साहिब, इस प्रस्ताव में बात यही दी गई है कि गवर्नमेंट के खर्च पर देहातों के अन्दर कारखाने लगाये जायें और गवर्नमेंट के expenses पर छोटे छोटे उद्योग-धंधे चलाए जायें । ऐसा करने से ही लोगों की बेरोज़गारी का मसला हल होगा । यह मसला लोगों को इस मतलब के लिये loans देने से हल न होगा । इस मसला को हल करने के लिये यही तरीका हो सकता है कि loans देने की बजाय कुछ सालों के लिये पांच, सात या दस सालों के लिए एक स्कीम बना दी जाये । इस तरह से उस पर जो रुपया हम ज्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं वह लगाया जाये तो यह मसला हल होगा और यह ज़बानी बातें करने से या ज़बानी lectures करने से हल न होगा । सिर्फ यह कह देने से कि हम ने एक कमेटी बना दी है और वह कमेटी सारा मसला हल कर देगी, मैं कहता हूं कि इन चीज़ों से यह मसला हल न होगा । इस मसले को हल करने के लिए यह तरीका है कि इस हाऊस के अन्दर एलान कर दिया जाये कि हम देहात के अन्दर कुछ रुपया cottage industries को चलाने के लिये लगायेंगे । अगर ऐसा किया जाये तब तो यह मसला हल हो सकेगा । जब तक यह मसला हल नहीं होता तब तक देश का और कोई भी मसला हल नहीं हो सकता ।

मैं ज़्यादा न कहता हुआ सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ऐसा न हो कि इस किस्म की बात बन जाए कि अकेले कांग्रेसियों ही कांग्रेसियों के लिये ही कारखाने खोल दिये जायें । (*Interruptions*) मुझे यह अंदेशा है कि जो गैर कांग्रेसी हैं जिन की सूबे में बहुत बड़ी तादाद है, कभी उन को छोड़ दिया जाए । इस किस्म की बात नहीं होनी चाहिये । इतना कहते हुए मैं अपने मोहतरिम दोस्त गुलशन साहिब को मुबारिकबाद देता

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

हूं जो उन्होंने ऐसी चीज हाउस के अन्दर लाई है जिस की देश के देहाती इलाकों को बहुत ज़रूरत है । इसलिये मैं Opposition की तरफ से यह कहना चाहता हूं कि Opposition, इस प्रस्ताव, जो गुलशन साहिब ने पेश किया है, के एक एक लफ़्ज़ की ताईद करती है और उन्हें इस के लाने के लिये धन्यवाद करती है । (Opposition की तरफ से तालियां) ।

डाक्टर परमानन्द (पानीपत) : डिप्टी स्पीकर साहिब, आज जो यहां वर्कशाप्स और इन्डस्ट्री के बारे में सरदार धन्ना सिंह गुलशन जी की तरफ से रेज़ोल्यूशन पेश किया गया है मैं इस के लिए उन को मुबारिकबाद पेश करता हूँ । इस रेज़ोल्यूशन की आज नहीं आज से पहले भी ज़रूरत थी और इस को आज से पहले असैम्बली में आना चाहिए था । आज हालत यह है कि शहर या देहात के अन्दर जो कोई मैट्रिक या मिडल पास कर लेता है वह दौड़ता है सरकारी दफ्तरों की तरफ। मुख्तलिफ अदारों और डिपार्टमैंटों में जाता है और खास कर अपने हलके के जो नुमाइंदे रहते हैं उन के पास जाता है । मगर वह काम नहीं दिला सकते या दे सकते क्योंकि तालीम इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि लाखों की तादाद के अन्दर लड़के हर साल Matric पास करते हैं । सरकार के पास इतनी नौकरियां कहां और वह एम. एल. ए. हज़ारों लोगों को कैसे नौकरी दिला सकते हैं। यह बेरोज़गारी का बहुत बड़ा मसला है और आज ज़रूरत है कि किसी तरह से हम इन बेरोज़गार लड़कों को, इन्सानों को नौकरी दिला सकें । इस के लिए ज़रूरी है कि हम स्कूलों के अन्दर ही उन को पढ़ने लिखने के साथ साथ टैक्नीकल ट्रेनिंग भी दिलाएं। हमें गांव के अन्दर दो चीज़ों का ख्याल रखना होगा । एक तो वह चीजें जो गांव में खप्त होती हैं और दूसरी वह जो वहां पैदा होती हैं । इन चीज़ों को ध्यान में रख कर हमें देखना है कि देहात के अन्दर हम ने स्माल स्केल या काटेज बगैरह कौन सी इन्डस्ट्री को चालू करना है । एक भाई ने एक बात कही और वह मुझे बहुत पसन्द है कि जब देहात के अन्दर ग्रो-मोर-फूड के लिए अगर ट्रैक्टर चलते हैं या और ज़रायत के इन्स्टूमैंट्स हैं तो उन को ठीक कराने के लिए या लेने के लिए क्यों शहर के अन्दर वर्कशाप में आना पड़े, यह चीजें देहात के अन्दर ही हो जानी चाहिएं । हमें यह चीजें स्माल स्केल या काटेज इन्डस्ट्री के ज़रिए देहात में ही पैदा कर देनी चाहिएं । सरकार यह चाहती तो है और बिजली देकर कोशिश करती है कि देहात के अन्दर बिजली देकर इन्डस्ट्री को डीवैल्प किया जाए, काटेज इन्डस्ट्री को पैदा किया जाए मगर यह कहां से हो । देहातियों के पास पैसे कहां हैं कि वह हज़ार दो हज़ार रुपए लगा कर काटेज इन्डस्ट्री वगैरह जारी कर सकें । इस लिए यह ज़रूरी है कि सरकार अपने पैसे से, अपने खज़ाने से पैसा लगा कर इन्डस्ट्रीज़ की डीवैलपमैंट करे ताकि देहात की पैदावार का इन में इस्तेमाल हो सके । आज कौन सा ऐसा गांव है जहां गेहूँ पैदा नहीं होता या जहां चना पैदा नहीं होता जहां बारले, जौ बगैरह पैदा नहीं होता । आज हम इंगलिस्तान से बारले बिस्कुट या

डबल रोटियां वगैरह मंगा कर खाते हैं । अगर देहात के अन्दर काटेज इन्डस्ट्री चालू हो जाए तो वहां पर यह सब चीजें बन सकती हैं । इस के अलावा मैं समझता हूँ कि हमारे देहात की सब से ज्यादा पैदावार दूध है। इस से देहात में मिल्क पाउडर या बटर वगैरह बन सकता है। आज यह सारा दूध शहरों को भेजा जाता है मगर इस का फायदा गांव में भी छोटी इण्डस्ट्री को डीवैल्प कर के उठाया जा सकता है । इसी तरह गांव में कई किस्म का घास वगैरह भी होता है जिस से बान बनाने की मशीनें चल सकती हैं। फिर काटन देहात के अन्दर पैदा होती है मगर इसे शहरों में ले जा कर वहां खड्डियां वगैरह या अम्बर चर्खे चलाए जाते हैं तो यह चीजें देहात के अन्दर ही क्यों न चलाई जाएं। बाकी जो बेरोजगारी का मसला है यह सारे देश का मसला है। कई लोगों को यह वहम हो गया है कि जितनी बेरोज़गारी है यह ज्यादातर देहात के अन्दर ही है और शहरों के अन्दर नहीं है। मगर इस सिलसिले में अगर आज भी हमारी सरकार सर्वे कराए तो पता चलेगा कि शहरों के अन्दर 80 फीसदी लोग बेरोजगार हैं और चार चार पैसे के लिए मारे मारे फिरते हैं एक एक रुपए के केले या मूंगफली रख कर बैठे रहते हैं रात को भूख के मारे नींद नहीं आती, दूकानों के बाहर फरश पर पड़ कर रात गुज़ारते हैं खाने को कुछ नहीं और पहनने को कपड़ा नहीं। यह हालत शहरों में भी है। इसलिए गरीबी और बेरोज़गारी सभी जगह ही है। आज अगर हम छोटी छोटी दस्तकारियां लगाकर इस बेरोज़गारी को दूर कर दें तो यह जो बड़े बड़े लीडर हमारे सामने आते हैं और फिरकाप्रस्ती की बातें करते हैं और देहातियों और शहरियों के सामने हिन्दी आंदोलन, हिंदी और पंजाबी में प्यार और मुहब्बत की बातें करते हैं...... (विघ्न)

श्री धर्म सिंह राठी : अपने अकाली दोस्तों को समझाओ जो आप के पास बैठे हैं ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ ਮਿਸਰ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ।

डाक्टर परमानन्द : यह लोग बड़ी बड़ी बातें कहते हैं । मैं इमानदारी से कहता हूं कि अगर हम यहां की बेरोजगारी को दूर कर पाएं और छोटी छोटी दस्तकारियां कायम कर सकें तो यह जो फिरकाप्रस्त लोग हैं यह तबाह हो जाएंगे । क्यों ? मैं एक मिसाल सुनाता हूं । हमारे शहर के नजदीक एक गांव से एक लड़का आया । मैं ने उस को कहा कि तू क्यों हिंदी सम्मेलन में हिस्सा लेता है तो उस ने कहा कि पेट के लिए लेता हूं.......(विघ्न)

श्री धर्म सिंह राठी : उस लड़के का नाम बता दें..... (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर प्लीज़ ।

चौधरी धर्म सिंह राठी : हिंदी समिति ने कोई ऐसा आदमी नहीं भेजा अगर ऐसा होगा तो कांग्रेसी होगा । (आपोजीशन की तरफ से तालियां)

(कुछ आवाजें : किराए पर।)

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर प्लीज ।

(श्री राम प्यारा की तरफ से विघ्न)

Mr. Deputy Speaker : No interruptions please.

डाक्टर परमानन्द : डिप्टी स्पीकर साहिब, मेरे भाई को क्यों वहम हो गया है। अगर चौधरी धर्म सिंह राठी कोई फिगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। (विघ्न)

Chaudhri Dharam Singh Rathi : Sir, he is attributing motives.

Mr. Deputy Speaker : Please confine yourself to the resolution.

डाक्टर परमानन्द : आज इस बात को जरूरत है कि हम देहात के अन्दर छोटी छोटी इण्डस्ट्री लगाएं। अगर हम ऐसा कर सकें तो न सिर्फ हम लोगों को काम ही दिलाएंगे बल्कि उन को इन्सानों के तौर पर चलने में मदद भी देंगे क्योंकि मेरे ख्याल में आज जितनी बेचैनी है, जितने दुख और तक्लीफें हैं वह सिर्फ इसी बेरोजगारी की वजह से है। इस के मुतअल्लिक ज़्यादा मैं फिर बताऊंगा कि यह लोग किस तरह नई नई सुसाइटियां बनाते हैं, नए नए लीडर बनाते हैं और किस तरह ऐसी बातें क्रियेट करते हैं कि जिन से गवर्नमैंट के काम में उलझनें आती हैं। तो मैं यह चाहता हूं कि यह जो रैज़ोल्यूशन सरदार धन्ना सिंह गुलशन ने पेश किया है इस को मन्जूर किया जाए और देहातियों को यकीन दिलाना चाहिए कि सरकार आप लोगों के लिए अपने खजाने से खर्च करके काम देगी और तुम इन फिरकाप्रस्तों के हाथों में मत आओ।

Mr. Deputy Speaker : Sardar Sohan Singh, Jalal-usman.

Sardar Gurmit Singh 'Mit' : Sir, I propose that the question be now put.

Mr. Deputy Speaker : I have already called the hon. Member to speak.

ਜਥੇਦਾਰ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਉਸਮਾਨ (ਬਿਆਸ): ਮੀਤ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਮਤਾ ਅਜ ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਅਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਛੋਟੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਡੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਸਗੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਵਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਧੂ ਮਖੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ, ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪਾਲੇ ਜਾਣ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਲੋਕੀਂ ਵੇਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਛੋਟੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਕੇਵਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਰਖਾਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਛਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ/ਆਪ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਖਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕੁਝ ਹਦ ਤਕ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੀਤ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਈ ਟੱਬਰ ਪਲਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਦਾਤ੍ਰੀ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਲਈ ਲੁਹਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਤਰਖਾਣ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 10-12 ਟੱਬਰ ਪਲਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਜੋਂ ਟੱਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਥੇ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਉਥੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ 10-12 ਜਵਾਨ ਚੌਕ ਵਿਚ ਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ

[ਜਥੇਦਾਰ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਉਸਮਾਨ]

ਹੋਣ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਦੇਕੇ ਚਲਵਾਏ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਕ ਨਿੱਗਰ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਆਸਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਵਿਚ ਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਕੜੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਬਿਨੇ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਪਤ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੇਹਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਧਨ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੇਹਲਾ ਨਾ ਰਹੇ । ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕੇ । ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ।

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ । ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਲਗਾਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ । ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਲਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਥੇ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਇਮਦਾਦ ਨਾ ਦੇਵੇ ਪਰ ਇਸ ਇਮਦਾਦ ਬਾਰੇ ਮੁਕਾਮੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜ਼ਿਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਕਈ ਵੇਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਮੀਤ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਛੋਟੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪਾਸੋਂ ਜਾਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿਸ ਮਾਲ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਛੋਟੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਲਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਰਨ

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁਕਿਆ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਨਵੀਆਂ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੇਹਲਿਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੀਡਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਮੇਰੇ ਇਕ ਵੀਰ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਕਿ ਲੋਕੀਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਮੰਤਵ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਵਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਗ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਪਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ : On a point of order, Sir. ਜਨਾਬ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ amendment ਭੇਜੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ information ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ stage ਤੇ ਹੈ।

Mr. Deputy Speaker : Your amendment has been disallowed.

Sardar Atma Singh : Sir, I beg to move that the question be now put.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the question be now put.

(After ascertaining the votes of the Members present in the House, by voices, Mr. Deputy Speaker said, "I think the Ayes have it. This opinion was challenged. The bells were then sounded. After ascertaining the votes of the Members by voices again, Mr. Deputy Speaker declared that the motion was carried.)

The motion was declared carried.

वित्त मन्त्री (श्री मोहन लाल) : Deputy Speaker साहिब, जिस जजबे से यह Resolution गुलशन जी ने मूव किया है, मैं उस जजबे की इन को दाद देता हूं । और यह ठीक बात है । दर हकीकत उन के नजरिये मे और Government के नजरिये में कोई मतभेद नहीं है ।

12 noon

उपाध्यक्ष महोदय : आप तो चोधरी धर्म सिंह राठी की हिमायत कर रहे हैं । (The hon. Minister is supporting Chaudhri Dharam Singh Rathi.)

वित्त मन्त्री : उन की भी मैं इस बात की दाद देता हूं । (हंसी) जहां तक इस Resolution का सवाल है अगर यह आम शक्ल का होता तो यह ठीक था । मगर अब हम देखते हैं कि इस में जो सवाल देहातियों और शहरियों का उठाया गया है यह किस हद तक नामुनासिब है । क्योंकि इस में खास किस्म की मांगें की गई है । नज़रिये में फर्क हो सकता है जो उन्हों ने तजवीज़ किया है । आया इस शक्ल में देहातों में industries ले जाना जरूरी है या किसी और शक्ल में । लेकिन इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि जहां तक देश की economy का ताल्लुक है इस की काफी अहमियत है । क्योंकि देश की 85 या 86 फी सदी आबादी देहातों में आबाद है । इस से अगर आर्थिक ecomony में कोई उन्नति हो सकती है तो इस से Government नावाकिफ नहीं है । हम इस बात को मानते हैं और इस में इन्कार करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता । Government इस बात को मानती है और महसूस करती है कि अगर देहातियों को इमदाद ही करनी है तो इसके लिये पहले small scale industries खोली जायें । देहातों में छोटी २ घरेलू industries को ले जाना एक जरूरी चीज है । सिर्फ इस बात पर इखतलाफ हो सकता है कि जो तरीका इस्तेमाल किया गया है इस में से कौन सा बेहतर हो सकता है । आया देहातों को industrialise करने से या देहातों में cottage industry या small scale industry को develop करने से कौन सा तरीका बेहतर हो सकता है । हम इस पर किस तरह से अमल कर सकते हैं इस नजरिये से मैं चाहता हूं

कि मैंबर साहिबान इस को देखें । इस Resolution के जरिये से जो मांग की गई है इस से जो Government का इस पर खर्च होना है, जैसे कि factories का Establish करना यह सब public sector की ही चीजें हैं । मगर यह Government की policy है कि Heavy Industry जिस पर कि बहुत ज्यादा खर्च होता है, क्योंकि यह एक public sector की चीज है, इसलिये यह देहातों में नहीं ले जाई जा सकती । इस पर बड़ी Heavy investment होती है और इस पर public sector का ही दखल होता है । यह आप भी जानते हैं कि जो Co-operative Sugar Mills लगती हैं उन पर Government की कितनी investment होती है मगर यह सब public sector में ही लिया जाता है क्योंकि यह एक heavy industry है । इस तरह दूसरी small scale industry या cottage industry को जो private sector की चीज है public sector में लिया जाना मुमकिन नहीं है । यह एक आर्थिक ढांचे को कायम रखने की बात है ।

दूसरी बात जो मैं अर्ज करनी चाहता हूं वह यह है कि public sector की चीज या small scale industry को देहातों में ले जाना यह देहातियों के हाथ की बात नहीं है । अगर public sector से देहाती भाइयों के लिये कोई industry लगाई जाये तो इस में देहाती सिर्फ मजदूर के तौर पर ही काम करेंगे । अगर हम public sector का पैसा देहातों में खर्च करें तो इस से देहातियों के हाथ कुछ नहीं आता । इस लिये उनको फायदा इसी में है कि देहातों में छोटी २ industries ही लगाई जायें । अगर cottage industry को हम ने फरोग देना है, जैसा कि मेरे भाइयों ने मिसालें दी हैं तो यह public sector से जुदा चीज है । Small scale industry जो है यह public sector में नहीं आती । अगर cottage industry को हम ने फरोग देना है, जैसे कि देहातों में मेरे भाइयों ने छोटी छोटी industry लगाई होती है, उन को Government भी aid देती है और इस से देहाती फायदा उठाते हैं । मगर factories को हाथ में लेना यह देहातियों के हाथ की बात नहीं है ।

तीसरी बात यह है कि हमारे देश की जो आर्थिक हालत है उस को देखते हुए हम देहातों में कोई heavy industry नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे सूबे में 16 हजार के करीब गांव हैं और public sector से इतनी रकम नहीं लगाई जा सकती । हम तमाम देहातों में इस से finance नहीं कर सकते । यह बात मैं मैंबर साहिबान पर छोड़ता हूं । वह भी खुद सोच लें कि यह बात कहां तक मुमकिन है । यह बात सभी मानते हैं कि small scale और cottage industry देहातों में ही है उन को चलाने की जिम्मेवारी Government पर है क्योंकि Government उन को हर किसम की मदद देती है । यह सब इसलिये होता है क्योंकि यह private sector की चीज़ है । Government इस बात से

[वित मन्त्री]

अच्छी तरह से वाकफ है और उनका मनशा ही यह नहीं है बल्कि यह अमली तौर पर किया जा रहा है। देहातों में small scale industry और cottage industry को फरोग देने के लिये जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है वह यह है कि हम financial aid दें।

(*Cheers from the Treasury Benches.*)

और मैम्बर साहिबान देखेंगे कि Industrialisation करने के लिए जिस में small scale और cottage industries शामिल हैं, उसी साल के provision में 40 लाख की रकम रखी हुई है। अब हम लगभग 35, 40 लाख की Provision हर साल करते हैं और सन 1955-56 में तो हमने 62 लाख रुपये का provision किया था।

हम मानते हैं कि देहातों के लिये financial aid देंगे (*cheers*)। हमारे देहाती भाई कर्ज़े के वक्त ज़मानत देने की दिक्कत महसूस करते थे इसलिये यह फैसला किया गया है कि 1,000 तक की ज़मानत पर उनकी शख्सी ज़मानत नहीं लेंगे बल्कि ज़ाती मुचल्लका लेकर ही वह रकम दे दी जाएगी। और हम 5 हज़ार रुपये तक की रकम पर दो शख्सी ज़मानतों पर कर्ज़ा दे देंगे। और यह कर्ज़ा हम बहुत easy terms पर देते हैं। Co-operative Societies से $2\frac{1}{2}\%$ सूद लेते हैं और individual से 3% लेते हैं।

मैं मैम्बर साहिबान को भी यह appeal करूंगा कि अगर किसी भाई को उस बात की दिक्कत महसूस हो कि cottage industries के लिये करज़े कैसे मिलेंगे तो हमारे मैम्बर साहिबान उन्हें बेशक यह समझा दें कि उन्हें करज़ा लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी और देहाती areas के लिये गवर्नमैंट खास तवज्जुह देगी। (*cheers*)

मैंने instructions भी जारी करवाई थीं कि loan की distribution में खास तौर पर देहातों के लिये allocation की जाए ताकि देहाती भाइयों की ज़रूरत को feed किया जा सके। इसलिये मैं अर्ज़ करता हूं कि देहातों के लिये लोन के वास्ते गवर्नमैंट की तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी।

अब मैं मैम्बर साहिबान की तवज्जुह small scale और cottage industries की स्कीमों की तरफ दिलाऊंगा जिनका कि बजट में provision किया गया है। यह बहुत लम्बी चौड़ी तफसील है इसलिये इसका मैम्बर साहिबान मुलाहज़ा कर लें तो बहुत अच्छा होगा और मुझ से भी वह अपनी knowledge के लिये ले सकते हैं क्योंकि मैंने सारी चीज़ें consolidate करके रखी हुइ हैं।

देहातों में cottage industries या small-scale industries को set up करने के सिलसिले में गवर्नमैंट training के सिलसिले में भी facilities देगी। गवर्नमैंट के कुछ common centres हैं जहां पर implements वगैरह के

मुतअल्लिक तालीम दी जाती है। टैनिंग, कारपैंटरी, सिलाई-मशीन पार्टस, ब्लैकस्मिथी, वगैरह के सिलसिले में मुख्तलिफ जगहों पर common centres हैं जिन के लिये बजट में 5.88 लाख रुपए की provision की गई हैं।

राव साहब ने फरमाया था कि Block developments पर खर्चा कम करके small-scale industries पर खर्च किया जाये। उनको यह पता होगा कि Block developments पर 60,000 रखा गया है और Pilot areas के सिलसिले में इस रकम को मखसूस किया गया है। और मैं समझता हूं कि राव साहब यह भी जानते होंगे कि Pilot areas में कुछ थोड़ी तादाद में villages को select करके small scale industries या cottage industries की intensive industrialisation की जाये। इस गर्ज़ के लिये 33 villages को चुना है ताकि वहां के लोगों को तालीम दी जाये और उन को माडल विलेजिज़ बनाया जाए और एक मिसाल कायम की जाए ताकि दूसरे लोग भी यत्न करें कि वह काटेज industries में अपने आप को राग़िब करें।

इस सिलसिले में 7 स्कीमें हमने कांगड़े के लिये जारी कीं। जिनमें नमदा कारपेट वगैरह की भी सकीमें शामिल हैं और 1·58 की provision रखी है।

इसके बाद demonstration parties हैं जो कि देहातों में जाती हैं और वूल स्पिनिंग, कैलीको, ग्लू और लैदर वर्कस वगैरह के सिलसिले में लोगों को सिखाती हैं। इसी तरह सैरीकल्चर industry है जिस के बारे में मैंबर सहिबान जानते हैं। उस के लिये हम अच्छे बीज देते हैं। मलबरी के सिलसिले में भी हमने provision की है और इसी साल में 2·5 लाख का बन्दोबस्त किया है।

Handloom Industries के सिलसिले में भी ज़िक्र किया गया था। यह बहुत important industry है। इससे और भी ज़्यादा इसकी अहमियत हो जाती है कि हमारे लोगों को employment मिलती है। इसके लिये weavers को facilities दी जाती हैं और उसके बाद marketing facilities भी provide की जाती हैं और इस के लिये लगभग 17 Depots खोले हुए हैं। एक mobile van है जो कि देहातों में लेजाई जाती है और publicity की जाती है ताकि लोगों को इन facilities के बारे में जानकारी हो सके। इस सिलसिले में 5·5 लाख रुपया इस साल के बजट में रखा है और hand-loom को power loom में convert करने के लिये 20 लाख की रकम बजट में रखी है इसका बजट स्पीच में भी मैंने हवाला दिया था और कहा था कि 1957-58 में भारत सरकार ने इस State के लिये 500 power-looms allot किये हैं इन में से 380 करघे लगाने की sanction दी जा चुकी है। और यह तजवीज़ है कि अगले साल के दौरान में 800 power-looms और दिये जाएंगे। इस के लिये हम देहाती भाइयों को और Co-operative Societies को भी facilities देते हैं और और देंगे।

[वित मन्त्री]

एक और चीज़ जिसका आपको पता ही है, वह है खादी और विलेज इंडस्ट्री बोर्ड जोकि All-India Khadi and Village Industries commission की policy के मुताबिक कायम किया गया है जिससे village schemes को aid मिलेगी। इस के तहत match industry, bee-keeping industry, गुड़ और खंडसारी का काम शुरू किया गया है। इन के मुतअल्लिक इस वक्त हमारे जो खादी village industry board हैं वह काफी प्रचार कर रहे हैं। इस साल हम ने इस purpose के लिए 23 लाख रुपये का provision किया हुआ है। मैं अर्ज़ करूंगा कि गुलशन जी ने जो resolution पेश किया है मुझे उस की कदर है। उन्हों ने देहातों में लोगों की बेकारी को दूर करने के लिए गवर्नमैंट के सामने एक तजवीज़ पेश की है। मैं उन की सेवा में अर्ज़ करना चाहता हूं कि Government इस मसले की तरफ पहले से ही ध्यान दे रही है और इस सम्बंध में इन्तज़ाम कर रही है। यह जो बात कही गई है कि public sector में Government, factories लगा कर लोगों की unemployment को दूर करे मुझे इस के साथ मत भेद है क्योंकि उस से न तो देहातियों को कुछ फायदा हो सकता है और न ही यह चीज़ मौजूदा हालात में मुमकिन हो सकती है। मैं उन को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि Government इसकी तरफ से पहले ही वाकफ है और महसूस करती है कि देहातियों की बेरोज़गारी को जलदी से जल्दी दूर किया जाए। मैं उनको विशवास दिलाना चाहता हूं कि Government देहातों में cottage industry लगाने के लिए जितना ज़्यादा से ज्यादा यत्न हो सकेगा करेगी ताकि देहातियों को रोज़गार मिल सके। यह कहने के बाद मैं उमीद करता हूं कि गुलशन साहिब को तसल्ली हो गई होगी कि Government की तरफ से सब कुछ हो रहा है। इस लिए मैं उम्मीद करता हूं कि वह अपने resolution को वापिस लेने की कृपा करेंगे।

ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ (ਪੱਕਾਂ ਕਲਾਂ, ਰਿਜ਼ਰਵਡ): ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ ਮਤਾ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਮਗਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਦਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਤਰਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮਤਾ ਏਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਊਸ ਦੇ ਸੱਤਾਂ ਅੱਠਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੌਧਰੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ : ਪਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ : ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ

ਚਾਹੁਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਏ । ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ।

Mr. Deputy Speaker: Is it the pleasure of the House that this Resolution be withdrawn.

(**Some Members :** No, no.)

Mr. Deputy Speaker: Question is—

> This Assembly recommends to the Government that keeping in view the welfare of the unemployed poor people, it should set up small workshops and factories at Government expense in rural areas of the State to provide work for them.

The motion was, by leave, withdrawn.

RESOLUTION REGARDING CONFERRING OF RIGHT OF PURCHASE ON TENANTS OCCUPYING HOUSE IN URBAN AREAS FOR FIVE YEARS OR MORE AND MAKING OF PAYMENT IN EASY INSTALMENTS

Giani Bakhtawar Singh Rai (Guru Har Sahai) : Sir, I beg to move—

> This Assembly recommends to the Government to take steps so that tenants who have been occupying houses in urban areas for period of five years or more are given the right to purchase these houses and pay the price thereof in easy instalments.

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਤਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ । ਮੇਰਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨਾਂ ਔਰ ਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਝਗੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਏ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਹ ਮਤਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਔਰ ਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝਗੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ । ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ 30 ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੁਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ. ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਥੇ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਹੈ ਓਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਔਰ ਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ

[ਗਿਆਨੀ ਬਖ਼ਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ]

ਕਦਮ ਚੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਔਰ ਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਾਏਨਾਮੇਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਇਆ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਾਏਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਗਿਰਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਰਾਏਦਾਰ ਚੁਪ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਕੇ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਾਏਦਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਜ਼ਤਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਕਰਾਏਦਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਿਠੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

चौधरी धर्म सिंह राठी : जनाब डिपटी स्पीकर साहिब, मैं कई बार अर्ज़ कर चुका हूं कि बोलते वक्त कई मैंबर साहिबान हाऊस की floor को cross कर जाते हैं।

Mr. Deputy Speaker: This should be stopped.

ਗਿਆਨੀ ਬਖ਼ਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਾਏਦਾਰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਫੌਰਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਢੰਗ ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਰੁਪਿਆ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਏ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਏਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਮਸਲਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਾਲੰਧਰ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਹਨ ਉਥੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬਤੌਰ ਕਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਜ਼ਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਜੇਕਰ ਮਾਲਿਕ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆਦਾਰ ਦੋਵੇਂ ਇਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ invest ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਣਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਮਕਾਨ ਉਸਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਯੋਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ

ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ, ਪਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਛਡ ਦਿਉ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਉ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਪਿਆ ਵੀ safe ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਮੁਸਤਕਿਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ industrial ਯੁਗ ਵਿਚ ਜਦੋਂ industrial revolution ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਨੂੰ ਛਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ industries ਵਿਚ ਸਰਮਾਇਆ invest ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਰੁਪਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ co-operative ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਤਕਿਲ ਆਮਦਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਲਿਕ ਮਕਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਉਸਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਮਕਾਨ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਉਸ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਦ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦਾ ਜਿਸਤੇ ਉਸਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ 50 ਰੁਪਏ ਤਕ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ investment ਤੇ 50 ਜਾਂ 40 ਰੁਪਏ ਸੂਦ ਦੇ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋ ਰੁਪਏ ਸੈਂਕੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਰ ਸੂਦ ਨਿਕਾਲੋ। ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦਾ ਦਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਸਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਟਾਂ ਵੀ ਹਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ 15 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਰੇਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਲਾ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ 40 ਜਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਮਾਹਵਾਰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਤੇ 107/157 ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਜ਼ਤ ਬਚਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁਪ ਚੁਪੀਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨ ਕੁਝ ਦੇਕੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਤੰਗ ਹੋਕੇ ਮਕਾਨ ਛਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਫੇਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਫੌਰਨ ਸੱਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ notice ਬੇਦਖਲੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਲੀ ਸੱਮਨ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਮਕਾਨ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਕੇ ਉਸਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੱਮਨ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ

[ਗਿਆਨੀ ਬਖ਼ਤਾਵਰ ਸਿੰਘ]

ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਨਾਲ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪੁਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਦਫਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਵਾਰੰਟ ਬਿਲਾ-ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਚੂੰਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਸਮਣ ਵੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਬਿਲਾ-ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇਜ਼ੱਤਦਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੜਫਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਰੁਪਿਆ ਜਮਾਂ ਕਰ ਦਿਉ। ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੁਫਲ ਦੀ ਚਾਬੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਤੱਲਕਾ authority ਉਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਪਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਇਜ਼ੱਤਦਾਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਿਲਾ-ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਉਸ ਨੇ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਮਾਰੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਜੋ Magistrate ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਛੁਟੀ ਉਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ੱਤਦਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਕੜੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਇਕ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, time waste ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ੱਤਦਾਰ ਆਦਮੀ ਬੇਇਜ਼ੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਿਕ ਮਕਾਨ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਲਾਕੇ ਸਾਲਹਾ ਸਾਲ ਤਕ ਉਸ ਦੀ return ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਢਣ ਦੇ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਾਲਿਕ ਮਕਾਨ ਉਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਲ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਸੁਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਕਾਨ ਛਡਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਥਾਮ ਲਈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮਤਾ ਹਾਊਸ ਅਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 20 ਜਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ 20 ਜਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਮਕਾਨ ਮੁਫਤ ਹੀ ਦੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੁਝ percentage ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਤੌਰ

ਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ fourth class ਦਾ ਚਪੜਾਸੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਹਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ industry ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਪਰ ਲਗਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੁਫਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਸਾਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸਨਅਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। (Thumping of benches.)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

Mr. Deputy Speaker: Motion moved—

That this Assembly recommends to the Government to take steps so that tenants who have been occupying houses in urban areas for periods of 5 years or more are given the right to purchase these houses and pay the price thereof in easy instalments.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ (ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ): ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨੀ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਮਤਾ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ.........

ਇਕ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ: ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ?

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ: ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸਾ ਮਤਾ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਖਬਰ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇਕ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਮਕਾਨ ਤੇ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿਚ ਰਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ

[ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ]
ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ agrarian reforms ਲਿਆ ਕੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਡੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਡੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਕਾਇਮ ਰਖਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਗੜੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ sense ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਲੋਗਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ...

Chaudhri Dharam Singh Rathi : On a point of order, Sir. The quorum in the House is not complete.

Mr. Deputy Speaker : There is quorum in the House. There are sixteen Members in the House.

Chaudhri Dharam Singh Rathi : Sir, there are only fifteen Members in the House.

(*Counting was done.*)

Mr. Deputy Speaker : There are sixteen Members and so there is quorum in the House.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦੋਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ level ਤੇ ਹੀ treat ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਸਾ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ sense ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਮੀਤ' (ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਜਨਰਲ) **:** ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਜੋ ਮਤਾ ਗਿਆਨੀ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੇ ਸਨ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭੁਖ ਔਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਹਾਲੀ ਸਾਡੇ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ

ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਹੁਣ ਭੁਖ ਔਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ; ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੁਬਾਰਕ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਰਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 'ਸੀਲਿੰਗ' ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਲੇਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਲੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਫੀ ਬਿਘਾ ਮੁਲ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Low-income Group Housing Schemes ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਪਰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ਼ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਕੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਗੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਕਰ—sense of insecurity ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਕੇ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਦੋਂ ਥੱਕਾ ਟੁੱਟਾ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਦੀ ਬੇਗਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਭੁਖ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ security ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਕਾਨ ਵਿਚੋਂ ਕਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕੋਲ ਦਰਜਨਾਂ ਮਕਾਨ ਹਨ। ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੋਗ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ wing ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ Capitalists ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਭੀ ਇਕ ਇਕ ਕੋਲ ਕਈ ਕਈ ਮਕਾਨ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ slums ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਿਲ ਇਸੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੀ ਤਾਈਂ ਯਕੀਨ ਵੀ ਇਹੋ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਸਾ ਬਿਲ ਲਿਆਏਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਯਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ "ਮੀਤ"]
ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ੩੦ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੋੜਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੱਲੀ ਜਾਂ ਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਕਰਨ ਵਲ ਇਕ ਕੱਦਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਦੇਕੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ security ਸੰਬੰਧੀ ਧਰਵਾਸ ਆ ਸਕੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਤਰਲੇ ਨਾ ਕਢਣੇ ਪੈਣ, ਪਗੜੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣ ਬੇਗਾਰ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕ ਯਕੀਨ ਵੀ ਇਹੋ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਅਸੂਲ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਨਾਲ, ਹਰੀਜਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ । ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਸਭ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ discrimination (ਵਿਤਕਰਾ) ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਾਇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਰਾਇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁੱਰਤ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਦੇਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖਰਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ resolution ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਇਕ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰਾਇਆਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ।

चौधरी धर्म सिंह राठी (संभालका) : डिप्टी स्पीकर साहिब, मेरे माननीय मित्र ज्ञानी बख्तावर सिंह ने जो प्रस्ताव इस सभा के सामने पेश किया है उस के मुतअल्लिक मैं कहूंगा कि ऐसा प्रस्ताव इस से पहले कभी असैम्बली के सामने पेश नहीं हुआ। (Hear, hear) उधर से hear, hear की आवाज़ें आ रही हैं लेकिन बाद में जब अमल का वक्त आयगा तो यही मैम्बर साहिब इस resolution की बुरी दुर्गति बनाएंगे। अमल का वक्त आने वाला है कोई दूर नहीं । मुझे डर है कि इस resolution का भी वही हशर न हो जो पिछले resolution का हुआ था ।

Mr. Deputy Speaker : Please do not make mention of the last esolution.

माल मन्त्री : On a point of information, Sir. अमल के वक्त के मायने पंजाबी में अफीम, शराब, भंग पीने को कहते हैं । माननीय मैम्बर की अमल से क्या मुराद है ? (*Laughter*)

चौधरी धर्म सिंह राठी : डिप्टी स्पीकर साहिब, अमल से मेरा मकसद यह है कि इस resolution को मंज़ूर किया जाये । ज्ञानी जी इस बात को बखूबी समझते हैं । मैं असूली तौर पर इस resolution की ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि यह resolution उन गरीब लोगों को आराम और सहूलियत बख्शेगा जो मालिक मकानों की अज़ीयतों का शिकार बने हुए हैं । इस से मेरा हरगिज़ यह मतलब नहीं कि मालिक मकानों की मुखालिफत की जाए या शहरियों और देहातियों में तमीज़ पैदा की जाए बल्कि इस resolution का यह मकसद है कि देहात में ज़मीन पर बसने वाले लोगों को और शहर के बसनीकों को at par यानी एक ही सतह पर लाया जाये । एक तरफ तो देहात में Security of Land Tenure Act बना हुआ है । उस के मुताबिक ज़मीन के छ : साल के मुज़ारे को इजाज़त दी गई है कि वह ज़मीन खरीद कर सकता है उस कीमत पर जो Collector मुकर्रर करें और कीमत की रकम instalment में दे सकता है । हम कोई नई चीज़ नहीं चाहते हैं हम तो चाहते हैं कि शहर के मालिक मकान और देहात में मालिक ज़मीन को एक ही level पर लाया जाये ताकि शहर का गरीब तबका भी इस से मुस्तफीद हो सके । कुछ भाई शायद इस के बारे मैं कहेंगे कि अगर इस असूल को अपनाया गया तो शहरों में मकान बनने बंद हो जायेंगे । यह बात नहीं है—यह महज़ डराने और propaganda करने की बात हैं । असल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस से मालिकान मकान और tenants के झगड़े बिल्कुल खत्म हो जायेंगे । मैं बतौर वकील होने के कह सकता हूं कि आधे मुकदमे अदालतों के अन्दर ऐसे हैं जो tenants और मालिकान मकान के हैं । अगर यह प्रस्ताव मान लिया जाये तो अदालतों के अन्दर मालिकान मकान और किरायेदारों के झगड़े खत्म हो जायेंगे । देहात के अन्दर जो position मुज़ारों की है वही position शहर के किरायेदारों को हासिल होनी चाहिये । असल में मैं शहरी और दहाती में जो तमीज़ है उसे हटाने के लिये इस resolution की ताईद कर रहा हूं । मैं नहीं चाहता कि इस किस्म की तमीज़ रहे । मौजूदा हालात में शहर के अन्दर किरायेदारों को वह हकूक हासिल नहीं हैं जो देहात में ज़मीन के मुज़ारों को हैं । मैं ज्ञानी बख्तावर सिंह जी को मुबारिकबाद देता हूं कि उन्हों ने ऐसा कदम उठाया है जिस से देहातों और शहरी में तमीज़ दूर हो जाये । मैं ज्ञानी जी से कहूंगा कि इस resolution का वह हशर न होने पाए जो पहले resolution का हुआ है । वह इसे withdraw न करें यह बात उन के अख्तियार में है । इस के अलावा उन मैम्बरों का भी इम्तिहान हो जायेगा जो कहते हैं कि हम इस resolution को support करेंगे । अभी माननीय माल मन्त्री ने अमल की बात कही । मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि अकेले अमल से बात नहीं बनेगी बल्कि इस चीज़ से बनेगी कि वह इस सम्बन्ध में एक बिल पेश करें । महज़ ज़बानी बातों से काम नहीं चलेगा । वह दरअसल हालात से मजबूर हैं । जब वह बाहर मुझ से बात करते हैं तो कहते हैं "चौधरी साहिब बात तो आप

[चौधरी धर्म सिंह राठी]
ठीक कहते हैं लेकिन कई बातों की मजबूरियां होती हैं" । यह resolution जरूर पास होना चाहिये ताकि शहरों में आबाद गरीब तबका के लोग सरमायादारों का शिकार न बन सकें । इस सिलसिले में मुझे एक बात याद आई जो मैं हाऊस के मैम्बर साहिबान को सुनाना चाहता हूं । एक बेचारे गरीब आदमी के 6,7 बच्चे थे और उस का कोई खास रोज़गार नहीं था । उस के मालिक मकान ने उसे नोटिस दिया कि वह मकान से निकल जाये । शहरी आबादी होने के बाइस वह Rent Restriction Act के तहत मकान से बेदखल नहीं हो सकता था । मालिक मकान ने कहा कि चूंकि उस ने मकान खुद इस्तेमाल करना है और नया बनवाना है इसलिये उस बेचारे को मजबूरन उस मकान से निकलना पड़ा । डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं ने देखा कि दो महीने तक वह आसमान के नीचे सर्दियों में अपने दिन काटता रहा ।

The Sabha then adjourned till 2 p.m. on Monday the 3rd March, 1958.

719 PVS—344—21-1-59—CP&S, Pb, Chandigarh

ANNEXURE

(*See* page 58 of this debate.)

ARREARS OF SALARIES OF GOVERNMENT HIGH SCHOOL, DHAMTAN SAHIB, DISTRICT SANGRUR

844. Sardar Harbans Singh : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state:—

(a) the names of teachers of the Government High School Dhamtan Sahib, district Sangrur, if any, whose salaries are in arrears at present, together with the dates since when these have been in arrears and the amount thereof in each case;

(b) the steps, if any, taken to clear the said arrears?

Shri Amar Nath Vidyalankar :

(a) Name of the Teacher	Period for which arrear is due	Amount
1. Shri Jodh Singh	March, 1950, February, 1953	Rs. 10 Rs. 84-6-0
2. Shri Amrik Singh	Bill for August, 1953	Rs. 752-10-0

(b) The District Inspector of Schools, Sangrur, has been asked to get the arrear bills placed at an early date.

GOVERNMENT SERVANTS WOUNDED OR KILLED DUE TO CLASH WITH HINDI SAMITI AGITATORS.

845 Sardar Atma Singh : Will the Chief Minister be pleased to state:

(a) whether any Government servants were wounded or killed as a result of clash with the Hindi Samiti Agitators in the State *during the current year;* if so, the action, if any, taken against the culprits ;

(b) wheather any compensation was paid to the families of the deceased, if any?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Yes. 153 Governmnt servants were injured during the Hindi Raksha Samiti Agitation. Cases were registered against the culprits in various districts of the State but were ultimately withdrawn on the suspension of the Agitation.

(b) As none of the injured Government servants died the question does not arise.

Punjab Vidhan Sabha Debates

3rd March, 1958

Vol. I—No. 13

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Monday, 3rd March, 1958

CHANDIGARH
Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab
1959

Price: Rs. 4.50 nP.

PAGES

Demands for Supplementary Grants—

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATE VOL. I, NO.13

Dated the 3rd March, 1958

Read	*For*	*On page*	*Line*
Textiles	Taxtiles	Title	15
deal	d al	(13)5	10
असें	असे	(13)5	30
अपने	अपे	(13)5	27
अन्दर	इन्दर	(13)10	16
Surinder	Su inder	(13)17	Serial No. 4
recommending	recommend ng	(13)27	29
indiscriminate	ind s riminate	(13)46	9th from below
importance	impottance	(13)46	4th from below
नहीं	नहां	(13)58	6
निहायत	निहायन	(13)59	26
दूसरी	दूसरौ	(13)60	4
indicating	indicinatg	(13)61	1
अध्यक्ष	अध्यज्ञ	(13)61	3
श्री शेर सिंह	श्री सिंह	(13)62	2
Member	Membeer	(13)67	7
वैद्य	वैध्य	(13)73	14
ही	हा	(13)73	21
सिपाही	सिपाई	(13)74	6th from below
चलेगी	चलेजी	(13)75	9th from below
तहत	तहर	(13)76	15
होगा	हागा	(13)76	5th from below
imposed	inposed	(13)78	16th from below
Governor	Governo	(13)79	16 th from below
1958	195	(13)82	Heading
1958	195	(13)84	Heading
जो	जा	(13)84	9th from below
officers	officer	(13)86	5
mportance	impo tan e	(13)86	11

PUNJAB VIDHAN SABHA

Monday, 3rd March, 1958

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, *Chandigarh Capital, at 2·00 p.m. of the Clock. Mr. Speaker. (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.*

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

SUPPLEMENTARIES TO STARRED QUESTION NO. 1241

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਦਫਤਰ ਲਈ buildings available ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Deputy Commissioners ਨੂੰ letter ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਦਫਤਰ ਲਈ building ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 185 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 23 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਉਪਰ building ਲਈ ਹੈ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਸਾਰੀਆਂ buildings ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ । ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਰਾਏ ਉਪਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ economy drive ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ house ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ?

Mr. Speaker : No please.

ਸ੍ਰੀ ਪਰਬੋਧ ਚੰਦਰ : ਕੀ ਮੈਂ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ buildings ਵਿਚ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਲਾਵਾ Public Relations Department ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ off hand ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ।

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, is the Government aware that many unoccupied and suitable buildings are lying vacant in erstwhile Princely States for housing the offices of the District Public Relations Officers ?

Mr. Speaker : This supplementary question cannot arise out of the main question.

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, what I want to know is whether the Government is aware that some unoccupied buildings.....

Mr. Speaker : It is altogether a separate question.

आप suggest करना चाहते हैं कि कुछ buildings हैं उन को occupy किया जाना चाहिये । (The hon. Member wants to suggest that there are some buildings which should be occupied.) It is not a supplementary question. It is a suggestive question.

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, I wanted to know whether they are aware.

Mr. Speaker : It is indirectly the same. This question does not arise.

Shri Prabodh Chandra : Sir, the Chief Minister has stated that he cannot say off hand. The information has already been asked for in the first part of the question. I would like to know whether the buildings are used for housing the offices alone or for the residence of the District Public Relations Officers also?

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ, ਮੇਰਾ 18 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਇਕ ਸਵਾਲ ਹੈ........

Mr. Speaker : I am not aware of that. I will enquire into it please.

RECOMMENDATIONS OF RESOURCES AND RETRENCHMENT COMMITTEE

***1441. Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Resources and Retrenchment Committee have made any interim recommendations to the Government; if so, what, and the decision of the Government thereon;

(b) the time by which the said Committee is likely to submit its final report ?

Shri Mohan Lal : (a) Yes. The recommendations are still under consideration of Government.

(b) It is difficult to state the date by which the final report would be submitted. An interim report would, however, be submitted by the end of the current financial year.

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ Communist Party ਨੇ ਕੋਈ memorandum ਦਿੱਤਾ ਹੈ ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल कैसे उठता है ? (How does this supplementary question arise ?)

Note.—The Starred Question No. 1241 along with its reply appears in the debate, dated 28th February, 1958.

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ memorandum ਦਿੱਤਾ ਹੈ ?

Mr. Speaker : This supplementary question cannot arise out of the main question. The hon. Member has asked "whether the Resources and Retrenchment Committee have made any interim recommendations....

STOPPAGE OF PENSION TO SHRIMATI MAN KAUR WIFE OF LATE SHRI BALI SINGH OF VILLAGE SAIDO-POST OFFICE PATTI, DISTRICT AMRITSAR

***1458. Dr. Bhag Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that one Shrimati Man Kaur , wife of late Shri Bali Singh, village Saido, post office Patti, district Amritsar, had been in receipt of a pension of Rs 30 per month from the Political Sufferers Relief Fund,—*vide* Chief Secretary's letter No. 15433-WG-78163, dated Simla-2,26th October, 1956, which was during his life time paid to her husband ;

(b) whether the grant of pension to the said widow has been stopped; if so, the reasons therefor ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Yes.

(b) No. It was temporarily suspended for want of an affidavit, on receipt of which orders for release of financial assistance for the year 1957-58, were issued on 14th December, 1957.

GRANT OF TWO MONTHS ADVANCE OF PAY TO EMPLOYEES OF ERSTWHILE PEPSU ON TRANSFER

***1469. Comrade Jangir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that Government gave two months' advance of pay to the employees of erstwhile Pepsu State who were transferred after the merger ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, whether the employees of the Ayurvedic Department of erstwhile Pepsu Government availed of the concession offered by the Government; if so, their names ;

(c) whether the persons referred to in part (b) above have repaid the said advance ; if not, the reasons therefor ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Yes.

(b) Since firstly it was decided to shift the Ayurveda Department from Patiala to Kasuali, the amount of advance of two months' pay for payment to the office staff of Ayurveda Department was drawn from treasury. It was, however, not paid to the staff as their transfers to Kasauli were cancelled as a result of a subsequent decision by Government to keep the Ayurveda Department at Patiala. The amount was, therefore, refunded. Shri Kanti Narain, Director of Ayurveda, Punjab, had, however drawn the advance, which was subsequently deposited in the Treasury.

(c) Yes.

Shri Rup Singh 'Phul' : Sir, may I know the reasons for giving two month's advance pay ?

(No reply).

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे आप के सवाल की समझ नहीं आई। (I have not followed the supplementary question asked by the hon. Member.)

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ?

Mr. Speaker : This question does not arise out of the present one.

ALLOTMENT OF LAND TO POLITICAL SUFFERERS NOW SETTLED IN KARNAL

***1535. Shri Ram Piara :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any displaced persons from West Pakistan now settled in Karnal Town have been allotted any land as Political Sufferers ; if so, their names, the area of land allotted to each, and the names of the districts where it has been allotted ?

Sardar Partap Singh Kairon : Sir, I have applied for extension in time.

INVESTIGATION OF CASES OF SMUGGLING

***1386. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any Gazetted Officer in the State investigated cases of smuggling during the years 1956-57 and 1957-58 ; if so, their names ;

(b) the names of officers who finally disposed of the said cases entrusted to them together with the number of cases disposed of by each;

(c) whether any of the officers out of those referred to in part (a) above were given special grades; if so, their names ;

(d) whether any officers were later on superseded by the recipients of special grades referred to in part (c) above ; if so, their names ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Gazetted Officers are supervising officers and they generally supervise investigations by the officers junior to them. Investigation of smuggling cases was all done by subordinate officers in all the three border districts. The Gazetted Officers generally supervised, and in some odd cases may have written a few case diaries also. Thus no Gazetted Officer could be said to have investigated any smuggling case.

(b) The final decisions to send the cases for trial, or to keep them as untraced are given by gazetted officers supervising the work in the police stations in their jurisdiction.

(c) Does not arise.

(d) Does not arise.

POLICE GUARD ON EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF ROHTAK

***1494 Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the educational institutions of Rohtak had sought the help of the police to deal with the students' strike in sympathy with the Save Hindi Movement; if not, whether Government had itself made arrangements for guarding the premises of these institutions ;

(b) the total number of students arrested and apprehended, respectively, during the said strike ;

(c) the number of times when the police help was rendered in the different educational institutions of Rohtak in connection with the said strike ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) No educational institution at Rohtak was ever on strike in connection with the Hindi Agitation except for one day on 27th September, 1957. The educational institutions never sought the help of police to deal with students' strike and there was no occasion for the police for guarding the premises of these institutions.

(b) Nil. 35 students were arrested for taking part in the Hindi Agitation on 27th September, 1957, but 34 of them tendered apologies and were let off. The case against the remaining one was withdrawn by Government when the Agitation was suspended.

(c) Nil.

पंडित श्री राम शर्मा : जैसा कि मन्त्री जी ने कहा कि इस मामले में न उन्होंने बुलाया और न ही पुलिस खुद उन तालीमी अदारों में गई तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस तमाम अर्से में पुलिस ने किसी कालेज या स्कूल में जाकर कोई कार्रवाई नहीं की ? क्या उन्होंने लड़कों या स्टाफ की मदद नहीं की ? क्या ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं ?

मुख्य मंत्री : जो इतलाह मेरे पास है वह यह है कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि अगर कोई बुलाए तो हम भेजते हैं, ऐसे ही नहीं भेजते।

श्री शेर सिंह : क्या मुख्य मन्त्री बताएंगे कि आया इस बात में कोई सचाई है कि नहीं कि जाट कालेज के चारों तरफ एक महीने तक पुलिस खड़ी रही ?

Mr. Speaker : This is not a supplementary question please.

ARRESTS IN CONNECTION WITH HINDI AGITATION

***1574. Shri Lal Chand** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of persons arrested in the State under section 188, Indian Penal Code, in connection with the Save Hindi Agitation;

(b) the number of persons arrested under sections 186, 332, 353, 307, 308, 149, 148, 143. Indian Penal Code and under sections 107/151, 107/150, Criminal Procedure Code, in connection with the said Agitation ;

(c) the number of persons out of those referred to above kept in A and B classes in the Jails ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) 5,243.

(b) Number of persons arrested under sections 186, 332, 353, 307, 308, 149, 148, 143, Indian Penal Code, etc. .. 4,090

Number of persons arrested under sections 107/151 and 107/150, Criminal Procedure Code .. 1,150

(c) Number of persons kept in 'A' class .. 5

Number of persons kept in 'B' class .. 161

BLOCK DEVELOPMENT OFFICERS IN THE STATE

***1206. Shri Rup Singh 'Phul'** : Will the Minister for Planning and Community Projects be pleased to state—

(a) the total number of Block Development Officers employed in the State at present together with the number among them of those who belong to (i) Kangra District excluding Kulu Sub-Division and (ii) Scheduled Castes ;

(b) the qualifications prescribed for the post of Block Development Officers.

Dr. Gopi Chand Bhargava : The statement giving the reply to the question is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) *First Part*—119.

Second Part— (i)Four.

(ii) Eleven

(b) I. Qualifications for 75 per cent posts to be filled in through the Punjab Public Service Commission—

(a) Graduate of a recognized University.

(b) Training
(c) Experience } At least 4 years experience in rural development work as Sarpanch or Panch of a village Panchayat or President or Secretary of a Co-operative Society or in Cottage and Village Industries, with any institution recognised by All-India Khadi and Village Industries Board.

OR

Four years experience in a Development Department i.e. Agriculture or Forest or Animal Husbandry or Co-operative or Panchayats or Village and Cottage Industries or Education or Social Education or Community Development/N. E. S. Organization or in Revenue Department including Consolidation.

(d) Candidate with rural outlook and practical knowledge of rural life, village economy and culture will be preferred.

(e) Age 25—35 years, but relaxable up to 40 years in case of Government servants.

(f) Qualifications at a, b, c, and d, are compulsory.

(g) Regarding documentary proof about the experience and rural development work in case of non-officials only Deputy Commissioners in the districts will be competent to issue testimonials to this effect.

II. Qualifications for non-officials to be appointed against 12½ per cent posts excluded from the purview of the Punjab Public Service Commission.

(i) Graduate of a recognised University.

(ii) Persons who have done outstanding work in the cause of national movement and have practical knowledge of rurual life, economy, culture and problems and possess a good personality.

OR

Those whose parents suffered in the national movement and who have a practical knowledge of rural life, economy, culture and possess a good personality and have four years experience in rural development work.

OR

Who have four years experience in rural development work as Sarpanch or Panch of a village panchayat or President or Secretary of a Co-operative Society or in Cottage and Village Industries with any institution recognised by All-India Khadi and Village Industries Board and have practical knowledge of rural life, economy, culture and possess a good personality.

(iii) Age 25—35 years relaxable upto 40 years in deserving cases; provided upto 31st December, 1958 the age limit in the case of candidates who have rendered national service (as already defined by Government) before independence, for appointment as Block Development Officers may be relaxed upto and including the age of 45 years.

(iv) Regarding documentary proof about the experience of rural development work only Deputy Commissioners in the districts will be competent to issue testimonials to this effect.

III. Qualifications for Government servants to be taken against 12½ per cent posts excluded from the purview of the Punjab Public Service Commission—

(i) Graduate of a recognized University.

(ii) Four years experience under the Community Development/National Extension Service Organisation.

(iii) Candidates with rural outlook and practical knowledge of rural life, village economy and culture will be preferred.

(iv) Age 25—35 years relaxable upto 40 years in deserving cases.

श्री रूप सिंह 'फूल' : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि कुल्लू को छोड़ कर ज़िला कांगड़ा में से जो कम B. D.Os. मुकर्रर किए गए हैं, इसका क्या कारण है ?

योजना मंत्री : जिस वक्त recruitments की जाती हैं तो उस वक्त ज़िलेवार या इलाकेवार नहीं की जातीं । यह Constitution के खिलाफ़ है और अगर हम ऐसा करें तो हम Constitution के खिलाफ़-वर्ज़ी करेंगे । B. D.Os. के recruitment तमाम पंजाब में से की जाती हैं और हो सकता है कि Public Service Commission ने जब मुकर्रर किए हों तो उस वक्त पंजाब से बाहर हिन्दुस्तान के बाकी इलाकों से भी लोगों ने apply किया हो और उन में से भी लिए गए और मुकर्रर किए गए हों ।

श्री रूप सिंह 'फूल' : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो इलाके पसमांदा करार दिए हैं, B. D.Os. की recruitment करते वक्त वहां के उम्मीदवारों को रियायत वगैरह दी जाती है या नहीं ?

मन्त्री : इस में रियायत देने की कोई बात नहीं । अगर कोई एक खास इलाके का रहने वाला हो तो आम तौर पर उस Government servant को उस इलाके में काम पर नहीं लगाया जाता क्योंकि उन पर रिश्तेदारों का ज़ोर पड़ता है और फिर वे अपने घर पर रहते हैं ।

श्री शेर सिंह : सवाल तो भर्ती करने का है ।

मंत्री : Appoint करते वक्त किसी भी जगह का ख्याल नहीं रखा जाता ।

श्री रूप सिंह 'फूल' : मेरा तो सवाल ही दूसरा है ।

अध्यक्ष महोदय : शायद मनिस्टर साहिब ने follow नहीं किया । मैं उन को बता देता हूं । इन्होंने पूछा है कि जो पसमान्दा इलाके declare किए गए हैं, वहां से आए हुए उम्मीदवारों को कोई खास रियायत दी जाती हैं या नहीं । (Perhaps the Minister has not followed. I will tell him. He has enquired whether any special concession is given to those candidates who hail from areas which have been declared backward.)

श्री शेर सिंह : Qualifications की या किसी और चीज़ की ।

मन्त्री : मैं ने पहले ही जवाब में अर्ज़ किया है कि जिस वक्त recruitment होती है तो यह नहीं देखा जाता कि कोई किस इलाके से आया है या किसी को कोई रियायत दी जाए । किसी को कोई preference दी जाए, ऐसा नहीं होता ।

श्री रूप सिंह 'फूल' : क्या मनिस्टर साहिब फरमाएंगे कि पहाड़ी इलाकों के खास हालात को मद्देनजर रखते हुए, वहीं के आदमी (बजाए इस के कि वे और इलाकों से लिए जाएं) ज्यादा मुफीद साबत हो सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल बनता नहीं है। (This is not a supplementary question.)

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मन्त्री जी बता सकते हैं कि जो Block Development Officers की posts Government ने Public Service Commission के purview से निकाल ली हैं, उन के लिए भर्ती करते वक्त क्या यह गवर्नमेण्ट की policy नहीं है कि backward areas के लोगों का उन में कुछ खास ख्याल रखा जाए या कोशिश की जाए ?

मंत्री : जो Public Service Commission के purview से निकाली गई हैं, उन में दो किस्म के लोग लिए जाते हैं। एक वे जो गवर्नमेण्ट के किसी department में—खास तौर पर Agriculture, Animal Husbandry या Co-operative वगैरह के departments से लिए जाएं। और दूसरे वे हैं जिन्हों ने कोई social service या political काम किया हो, वे खुद हों या उन के लड़के—उन में से लिए जाते हैं। इस में यह सवाल नहीं कि पसमान्दा इलाके का लिया जाए या न लिया जाए। हां, जब दो आदमियों की काबलियत बराबर हो और लेना एक हो तो उस वक्त यह सोचा जा सकता है। लेकिन आम तौर पर यह सवाल पैदा नहीं होता।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मन्त्री जी बता सकते हैं कि इस वक्त गवर्नमेण्ट की कोई ऐसी policy है कि जो backward इलाके हैं और जहां से services में बहुत कम लोग हैं उन का ऐसी सूरत में खास ख्याल रखा जाए ?

मंत्री : मैं ने पहले ही बताया है कि qualifications में कमी नहीं कर सकते। Qualifications बराबर होने की सूरत में यह सोचा जा सकत है कि backward area से आए हुए candidate को तरजोह दी जाए।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या इस मामले में मैं यह पूछ सकता हूं कि गवर्नमेंट अप` आप को इस बात पर satisfy कर चुकी है कि कांगड़ा के backward इलाके के लोग इसी वजह से नहीं लिए जा सके कि वे दूसरों के साथ बराबरी के level पर नहीं आते ?

अध्यक्ष महोदय : पंडित जी, यह तो इस सवाल से पैदा नहीं होता। (Well, Pandit ji, this supplementary does not arise out of this question).

श्री मती सरला देवी शर्मा : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कांगड़ा ज़िला से कितने B. D. O.s Public Service Commission ने recommend करके भेजे थे ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो बिल्कुल अलहदा सवाल है । इसके लिए आप अलग सवाल करें । (This is altogether a different question. The hon. Lady Member should ask a separate question for that.)

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, may I know whether the recruitment of Block Development Officers is made *in toto* by direct recruitment or a percentage of it is also done through promotion ?

Mr. Speaker : It has already been answered by the Minister.

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, there is confusion about the recuritment. I would like to know whether it is made through the Public Service Commission or directly by promotion.

मंत्री : Direct recruitment की जाती है। और अगर Government Departments के इन्दर यानी Development Departments या Community Projects Department में required qualifications रखने वाला आदमी हो तो वह भी recruitment के लिये apply कर सकता है । वैसे promotions का कोई सवाल नहीं है ।

चौधरी बलबीर सिंह : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि जैसे scheduled castes के लिए reservation की जाती है, इसी तरह backward areas के लिए भी कोई seats reserve रखी जातीं हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो पहले ही बताया जा चुका है । (This has already been answered.)

श्री राम प्यारा : क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि political sufferers की सूरत में qualifications को relax किया जा सकता है ?

मन्त्री : Qualifications तो जो मुकरर हों वही देखी जाती हैं ।

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 119 ਲਗਾਏ ਗਏ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 11 Scheduled Castes ਦੇ ਹਨ । ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ reserved percentage ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ?

ਸ੍ਰੀ ਸੀਪਕਰ : ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਥੇ relevant ਨਹੀਂ । (This question is not relevant here.)

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ B.D. Os. ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ qualification ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਇੰਨਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ B.D.O. ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

मन्त्री : Agriculture के Inspectors भी B. D. O.s बने ।

GIVING UP OF PROJECTS AND DEVELOPMENT SCHEMES UNDER THE SECOND FIVE-YEAR PLAN

***1442. Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Planning and Community Projects be pleased to state whether the Planning Commission in order to cut down expenditure on the Second Five-Year Plan have decided to cut out any Projects or Development Schemes for this State ; if so, the details thereof ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : No. The Planning Commission have not yet reduced the size of the Punjab Second Five Year Plan. Only due to financial stringency in the country and to control inflationary tendencies, the allotment for the next year as proposed by the State Government has been reduced.

श्री इन्द्र सिंह : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि उस में कितने रुपये की कमी की गई है ?

योजना मन्त्री : आप इस के लिये notice दे दें तो बतला सकूंगा ।

श्री इन्द्र सिंह : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि पंजाब की Plan के लिये जो कमी की सिफारिशात Planning Commission ने की हैं उन का इन स्कीमों पर कितना असर पड़ा है ?

मन्त्री : उस के मुताल्लिक आप बजट में से देख सकते हैं जो कि आप के सामने पेश हो चुका है ।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ ਇਹ ਸਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ bridges ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल तो पैदा ही नहीं होता । (This question does not arise.)

श्री शेर सिंह : क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि हर महकमे के लिये हर साल के लिये जो काम पहले से निश्चित कर दिये गये थे कि इतना इतना काम इस इस साल में करना है क्या उस पर इन सिफारिशात का कोई असर पड़ा है ?

मन्त्री : यह असल सवाल में से तो उठता नहीं । इस के लिये बजट आप के सामने है आप उस में से इसे देख सकते हैं ।

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, the hon. Minister has been pleased to give certain reasons for the scaling down of the financial assistance to the State. May I know, Sir, whether it is a fact that certain Projects have been curtailed because of failure to utilize the funds ?

Mr. Speaker : This supplementary question does not aris e.It is onlya suggestion.

PERMITS FOR COAL DEPOTS AND BRICK KILNS

***1385. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Finance Minister be pleased to state—

(a) the total number of permits for Coal Depots and of those for Brick Kilns issued in the State during the years 1956-57 and 1957-58, separately together with the names of those to whom issued ;

(b) the criteria kept in view while issuing the said permits ?

Shri Mohan Lal :

(a) (i) 1956-57 .. Coal Depots 38, Brick Kilns 121.

(ii) 1957-58 .. Coal Depots 8, Brick Kilns 77.

A statement showing all parties concerned is laid on the Table of the House.

(b) The selection is made out of political sufferers, co-operative societies, Harijans, former depot-holders/licensees, etc., without any *inter-se* priority in order to serve the best interests of the area and the public. In the case of brick kilns, new licences in Community Project and N. E. S. Block areas are given on the recommendation of the B. D. Os. concerned. New licences are also granted to departmental kilns for execution of Government works as and when necessary. In the areas of erstwhile Pepsu State, regular coal depots/brick kilns have been granted after Integration to the parties already carrying on the respective trade.

LIST OF COAL DEPOTS ALLOTTED DURING 1956-57

Serial No.	*Name of the Party*
1.	Shri Amar Singh, Patiala.
2.	Messrs Tara Chand-Dev Raj, Patiala.
3.	Messrs. Joginder Singh-Surrinder Singh, Patiala.
4.	Messrs Gita Ram-Brij Lal, Patiala.
5.	Shri Banwari Lal, Dharmpur, District Patiala.
6.	Shri Sat Paul Sood, Patiala.
7.	Messrs Chanan Ram-Amrik Singh, Patiala.
8.	Shri Gopal Singh Bassi, Patiala.
9.	Shri Som Nath Shukla, Bassi, District Patiala.
10.	Shri Sada Nand, Kasauli, District Patiala.
11.	Shri Om Parkash Tuli, Nabha, District Patiala.
12.	Messrs Ram Lal Bhalla and Sons, Nabha, District Patiala.
13.	Messrs Ajudhia Parkash-Ved Parkash, Doraha, District Patiala.

Serial No. *Name of the Party*

14. Shri Prem Parkash Khanna, Doraha, District Patiala.
15. Shri Brij Lal Gupta, Samana, District Patiala.
16. Shri Mohan Lal Jain, Samana, District Patiala.
17. Messrs Sat Pal-Gian Chand, Patiala.
18. Shri Gurditta Mull, Bhatinda.
19. Messrs Santosh Kumar and Sons, Narnaul.
20. Shri Vinodi Ram, Mohindergarh.
21. Shri Bishemer Dayal, Charkhi Dadri.
22. Shri Gopal Singh, Jullundur.
23. Shri Kundan Lal Malik, Jullundur
24. Shri Chaman Lal, Jullundur.
25. Shri Sat Paul Mittal, Ludhiana.
26. Messrs Nand Lal-Satish Chander, Makhu, District Ferozepur
27. Messrs Kanshi Ram-Suresh Chander, District Ferozepur.
28. Shri Uttam Singh, Amritsar.
29. Master Puran Anand, Amritsar.
30. Shri Mohan Lal, Fatehgarh Churian, District Gurdaspur.
31. Shri Manohar Lal, Dera Baba Nanak, District Gurdaspur.
32. Shri Gurdial, Dhariwal, District Gurdaspur.
33. Shrimati Kaushalya Devi, Dinanagar, District Gurdaspur.
34. Messrs Darshan Lal-Jagan Nath, Gharaunda, Karnal.
35. Messrs Nilokheri Consumers Co-operative Stores, Ltd., Nilokheri, Karnal.
36. Shri Isher Dass, Hodal, Gurgaon.
37. Shri Parmeshwari Dass, Hissar
38. Shri Basheshar Dass, Simla.

LIST OF NEW BRICK KILN LICENCES GRANTED DURING 1956-57

1. Shri Hqiq Singh, B. K. O. Haipur, District Patiala.
2. Shri Hqiq Singh, B. K. O., Patiala, District Patiala.
3. Shri Hqiq Singh, B. K. O., Patiala, District Patiala.
4. Shri Miham Ram, son of Udhan Ram, B. K. O. Patiala, District Patiala.
5. Messrs Aunkar Singh, Surjit Singh, B. K. O., Paitala, District Patiala.
6. Messrs Atma Singh, B. K. O., Mahmadpur, District Patiala.

[Minister for F nance]

Serial No. *Name of the Party*

7. Messrs Hira Singh, B. K. O., Patiala, District Patiala.
8. Messrs Amar Singh and Company, B. K. O., Sular, District Patiala.
9. Messrs Adarsh Brick Manufacturing, B. K. O., Kakrala, District Patiala.
10. Shri Ram Narain , B. K. O., Kakral, District Patiala.
11. Shri Banta Mall-Lal Chand, B. K. O., Bhutna, District Patiala.
12. Shri Banu Ram, B. K. O, Patran, District Patiala.
13. Shri Gita Ram, son of L. Diwan Chand, B. K. O., Chagga, District Patiala.
14. Messrs Chhajhu Ram-Kishori Lal, B. K. O., Nanhera, District Patiala.
15. Shri Mohinder Singh, B. K. O., Kahanagarh, District Patiala.
16. Messrs Hazari Lal and Sons, B. K. O., Chuharpur Jattan, District Patiala.
17. Shri Jagan Nath, B. K. O.. Kakala, District Patiala.
18. Shri Amar Nath, Baldev Krishan, B. K. O., Bhunerheri, District Patiala.
19. Shri Ram Dhan, B. K. O., Shutrana, District Patiala.
20. Shri Bannu Ram, B. K. O., Kulgurchan, District Patiala.
21. Mssers Mohan Lal-Gurnam Singh, B. K. O., Brass, District Patiala.
22. Shri Gora Lal, Inderpura, District Patiala.
23. Messrs Thakar Singh-Manjit Singh, Thuhi Bridge, Nabha, District Patiala.
24. Messrs Manohar Lal-Fateh Chand, Nabha, Distrcit Patiala.
25. Shri Sooti Ram, Ramgarh District Patiala.
26. Messrs Ramjidas-Bhanna Ram, Nabha, District Patiala.
27. Messrs Hardyal Singh-Charanjit Lal, Tunga, District Patiala.
28. Captain Teja Singh, Mehtabgarh, District Patiala.
29. Shri Amar Nath, Ram Nagar, District Patiala.
30. Messrs Sadhu Ram-Amar Nath, Ram Nagar, District Patiala.
31. Shri Puran Singh, son of Lehna Singh, Charolian, District Patiala.
32. Messrs Nanak Chand-Jaswant Singh, Dharamgarh, District Patiala.
33. Messrs Telu Ram-Jit Ram, Machbli Khurd, District Patiala.
34. Messrs Gopal Singh-Balwant Singh, Surajgarh, District Patiala.
35. Messrs Gopal Singh-Balwant Singh, Bhagwanpur, District Patiala.
36. Zinindara Multipurpose Co-operative Society, Ltd., Handesra, Patiala.
37. Zinindara Multipurpose Co-operative Society, Ltd., Jharmari, District Patiala.
38. Shri S. P. Mahajan Sood, Lohgarh, District Patiala.
39. Shri Ram Narain, Shugalpura, District Patiala.

Serial No. — *Name of the Party*

40. Shri Vishwa Chander Sood, Jhugina, District Patiala.
41. Messrs Rajkumar-Sant Ram, Mardanpur, District Patiala.
42. Shri Bhanna Ram, Rajpura, District Patiala.
43. Janta Multipurpose Society, Rajpura, District Patiala.
44. Messrs Sat Paul-Romesh Chand, Majholi, District Patiala.
45. Messrs Baldev Ram-Dina Nath, Rajpura, District Patiala.
46. Shri Shakti Parshad, son of Pandit Atma Ram, Bartana, District Patiala.
47. Messrs Harbhajjan Singh, Gurdial Singh, Salana, District Patiala.
48. Shri Harinder Paul Singh, Deep Nagar, District Patiala.
49. Messrs Chhaja Singh-Jaswant Singh, Shahidgarh, District Patiala.
50. Shri Telu Ram, son of Ganga Ram, Shholta Kalan, District Patiala.
51. Messrs Dina Nath and Sons, Gharangan, District Patiala.
52. Shri Fateh Chand Kaushal, Ghaloti, District Patiala.
53. Lt. Hira Singh, Ghundani Ghaloti, District Patiala.
54. Lt. Hira Singh, Nasrali, District Patiala.
55. Messrs Mela Ram and Company, Nandpur Kalaur, District Patiala.
56. S. Sadhu Singh, son of Pirthi Singh, Bassi Pathana, District Patiala.
57. Shri Bikram Jit Sikri, B. K. O., Shamaspur, District Patiala.
58. Shri Kewal Krishan Tandon, Nilikhurd, District Patiala.
59. Shri Harkaran Dass for Bricks Supply, Balahari, District Patiala.
60. Messrs Rakha Singh-Balwant Singh, Musewal, District Patiala.
61. Messrs Harkaran Dass and Sons, Bazidpur, District Patiala.
62. Shri Rabinder Singh for Ravi Deepak Brick Corporation, Malaheri, District Patiala.
63. Messrs Rur Sihgh-Surjit Singh, Lohari Kalan, District Patiala.
64. Shri Abnash Chander, son of Shakti Parshad, Patiala, District Patiala.
65. Messrs Surinder Singh-Daljit Singh, Jarg, District Patiala.
66. Shri Jagan Nath Sharma, Mughal Majra, District Patiala.
67. S. Bachan Singh, son of Ganga Ram, Fatehpur Jattan, District Patiala.
68. Messrs Rakha Singh-Balwant Singh, Barson, District Patiala.
69. Messrs Sardar and Comapny, Samrala Road, Ludhiana (Village Barewal).
70. Messrs Balwant Singh-Ranjit Singh, Village Barewal, District Ludhiana.
71. Shri Todar Mal, Muktsar, District Ferozepore.
72. The Abohar Jawahar Nagar Brick Kiln Society, Ltd., Abohar, District Ferozepore,

[Minister for Finance]

Serial No.	*Name of the party*
73.	Messrs Prem Nath-Basheshar Nath, Abohar, District Ferozepore.
74.	Messrs Navjiwan Industries, Bula Chak, District Amritsar.
75.	Messrs Kuj Lal Aggarwal and Company, Dode, District Amritsar.
76.	Shri Sudarshan Kumar, Mudhal, District Amritsar.
77.	Messrs Arjan Devi-Kuldip Chand, District Amrtisar.
78.	Shri Munshi Ram, son of Nihal Chand, Village Jitpur, District Hoshiarpur.
79.	Messrs Kasturi Lal-Buwa Ditta, Dasuya, District Hoshiarpur.
80.	Shri Mela Ram Sharma, District Hoshiarpur.
81.	Messrs Hans Raj-Shanti Lal, Village Thana, District Hoshiaprur.
82.	Shri Y. R. Sarin, Garhshankar, District Hoshiarpur.
83.	Shri Ranbir Singh, Garhshankar, District Hoshiarpur.
84.	Messrs Avtar Singh-Tarlochan Singh, Todarpur, District Hoshiarpur.
85.	Shri Narain Chand, Village Raisari, District Hoshiarpur.
86.	Shri Harbans Singh, Kungrat, District Hoshiarpur.
87.	Shri Daulat Ram Badsali, District Hoshiarpur.
88.	Shri Kishan Chand Menon, Una, District Hoshiarpur.
89.	Shri Lachhman Das, Nangal Township, District Hoshiarpur.
90.	Shri Munshi Ram, Village Satnaur, District Hoshiarpur.
91.	Shri Shiv Lal, Village Nanyola , Tehsil Ambala.
92.	Shri Lila Ram, Village Dhanaura, Tehsil Naraingarh, District Ambala.
93.	Shri Hazura Singh, President, Co-operative Society, Mankian , District Ambala.
94.	Messrs Manga Ram-Sita Ram, Village Marva Kalan, District Ambala.
95.	Messrs Dyal Singh-Puran Singh, Village Khajuri, District Ambala.
96.	Messrs Hans Raj, son of Atma Ram, Village Alipur, Tehsil Rupar, District Ambala.
97.	Shri Angad Singh, son of Kishan Singh, Village Batwal, Tehsil Naraingarh, District Ambala.
98.	Messrs Mehar Singh, Village Salahpur Bet, Tehsil Rupar, District Ambala.
99.	Shri Lorinda Ram, Rohtak.
100.	Messrs Sita Ram-Ram Narain, Village Rohana, District Rohtak.
101.	Messrs Ganga Sahai and Company, Sirsa, District Rohtak.
102	Shri Rial Singh, Mangal Kalan, Distirct Rohtak.
103.	Shri Vas Dev, Isapur Khesi, District Rohtak.
104.	Messrs Ram Dhan-Sukhbir Singh, Village Wizampur, District Rohtak.
105.	Shri Net Ram, Village Chichrana, District Rohtak.

Serial No.	Name of the party
106.	Th. Chaman Lal, Gurgaon.
107.	Rama Ajronda B. K. Co-operative Society, Nimka (Gurgaon).
108.	Salaheri B. K. Co-operative Society, Salaheri (Gurgaon).
109.	Tehna Depalpur B. K. Co-operative Soc iety, Tehna (Gurgaon).
110.	Shri Zabar Singh B.K. Owner, Gurgaon.
111.	Shri Satish Chander and Company, Badshahpur (Gurgaon).
112.	Shri Kanshi Ram and Company, Bawal (Gurgaon).
113.	Subedar Major Kala Singh, Mewla Maharajpur (Gurgaon).
114.	Baldev Raj and Company, Palwal (Gurgaon).
115.	Bhagal Chand and Company, Hodal (Gurgaon).
116.	Malapura M. P. Co-operative Society, Malpura (Gurgaon).
117.	Shri Rattan Singh, Arjonda (Gurgaon).
118.	The Rakhi Khas Bhagwan Co-operative Brick Kiln Society, Rakhi Khas, District Hissar.
119.	Shri Atma Ram, son of Shri Hari Ram Bhawani Khera, District Hissar.
120.	Shri Huna Mull, son of Shri Dhani Ram, Jotipura , District Hissar.
121.	The Rohtak Multipurpose Co-operative Society, Ltd., Sonepat Road, Rohtak B. K. at Kapro (Tehsil Hansi).

LIST OF COAL DEPOTS ALLOTTED DURING 1957-58

1. Anand Co-operative Multipurpose Society, Ltd., Rajpura Township, Rajpura, District Patiala.
2. Shri Avtar Singh, Jullundur.
3. Shri Manohar Lal, Gurdaspur.
4. Shri Su; inder Singh, Sector 19-D, Chandigarh, District Ambala.
5. Messrrs Delhi Coal Company, Sector 22-D, Chandigarh, District Ambala.
6. Shri D. R. Verma, Sector 9, Chandigarh, District Ambala.
7. Tohana Co-operative Multipurpose Society, Ltd., Tohana, District Hissar.
8. Shri Thandi Ram , Uklana, District Hissar.

LIST OF NEW BRICK KILN LICENCES GRANTED DURING 1957-58

1. Messrs Siri Ram-Jai Kishan Sood, Masingan, Patiala District.
2. Shri Lachhman Dass, Dedma, Patiala Distirct.
3. Shri Hans Raj, Bahmans, Patiala District.

[Minister for Finance]

Serial No. *Name of the Party*

4. Messrs Radha Kishan and Company, Samana, Patiala District.
5. Janta Bhatfa Co-operative Society, Ltd., Dera Bassi, Patiala District.
6. Shri Des Raj, Bhukri, Patiala District.
7. Shri Kundan Lal, Rajpura, Patiala District.
8. Shri Kanshi Ram Mohindru, Dera Bassi, Patiala District.
9. Shri Kesho Dass, Rajpura, Patiala District.
10. Messrs Kehar Singh-Prem Singh, Lapran, Patiala District.
11. S. Sapuran Singh, Chanarthal Kalan, Patiala District.
12. Messrs Om Parkash -Narain Dass, Amloh, Patiala District.
13. Shri Benarsi Dass, Thablan, Patiala, District.
14. S. Piara Singh, Rampur Nadyali, Patiala District.
15. Dr. Ishwar Singh, Bishanpura, Patiala District.
16. S. Karnail Singh, Varmalipur, Patiala District.
17. Shri Kundal Lal, Unchi Bhimarsi, Patiala District.
18. Messrs Malkiat Singh-Harinder Paul Singh, Ajnaud, Patiala District.
19. Dr. Ishwar Singh Malhipur, Patiala District.
20. S. Karnail Singh, Gobindpur, Patiala District.
21. The Multipurpose Co-operative Society, Dadri at Village Ranila, Mohindergarh District.
22. Shri Kanshi Ram Village Hindol, District Mohindergarh.
23. Popular Brick Kiln Suppliers, Village Bholani (Palwal, District Gurgaon).
24. Shri Bula Singh of Village Chandu (Gurgaon).
25. The Krishna Faridabad Co-operative Brick Kiln Society, Faridabad.
26. Brick Kiln Co-operative Society, Hatheen (Gurgaon).
27. Messrs Ami Chand -Siri Chand, Gurgaon.
28. Messrs Bhagola Chuna Manufacturing Company, Gurgaon.
29. The National Co-operative Bhatta Society, Ltd., Kapurthala.
30. Messrs Bishan Dass-Sansar Chand, Jullundur.
31. Messrs Mohar Singh-Avtar Singh, Jullundur.
32. Messrs Samrai Maultipurpose Co-operative Society, Ltd., Samrai (Jullundur).
33. Shri Kanshi Ram Gill, Jullundur.
34. Shri Des Raj-Harji Dass, Raikot, Ludhiana.
35. The Managing Committee, Nankana Sahib, Trust Ludhiana (Gill Park).
36. Shri Hernek Singh, son of Sarwan Singh, Village Hiran (Ludhiana).

Serial No. *Name of the Party*

37. Shri Kewal Krishan Tandan, Doraha , Ludhiana.
38. Messrs Kali Ram-Ved Parkash, Ferozepore Cantt.
39. Shri Harcharan Singh, M. L. A., Sarai Naga, Ferozepur.
40. Tanel Co-operative Labour and Construction Society, Ltd., Village Nagoki, Amritsar.
41. Messrs Gajinder Singh-Randhir Singh, Dhapai, Amritsar.
42. Longo Mahal Co-operative Society, Ltd., Longo Mahal, Amritsar.
43. Shri Mohan Lal, F. G. Churian, District Gurdaspur.
44. Shri Manohar Lal, D. B. Nanak, District Gurdaspur.
45. Shri Gurdial , Dhariwal, District Gurdaspur.
46. Shrimati Kaushalia Devi, Dinanagar, District Gurdaspur.
47. Shri Manohar Lal, Gurdaspur, District Gurdaspur.
48. Shri Labhu Ram, son of Wazira Ram, Village Rathewal District Hoshiarpur.
49. Shri Hari Chand-Hans Raj, District Hoshiarpur.
50. Shri Mangal Sain Bahal, Village and Post Office Sadhaura, District Hoshiarpur.
51. Mesrs Awtar Singh-Tirlochan Singh, Village and Post Office Jodarpur, District Hoshiarpur.
52. Messrs Ram Chand-Sukhdev Singh, Village Garikammogaon, District Hoshiarpur.
53. Shri Mehnga Singh, Village Haroli, District Hoshiarpur.
54. Shri Behari Lal Batra, Rohtak.
55. Shri Harbans Lal, Village Chandi, District Rohtak.
56. Shri Kunj Lal, son of Tikha Ram Mahajan, Village Balsmand, District Hissar.
57. Messrs Ram Sarup-Dewan Chand, Village Gharai, District Hissar.
58. Shri Rattan Singh, son of Man Singh, Village Khanda Kheri, District Hissar.
59. Shri Lal Chand, son of Shri Saudagar Mal, Kurri, District Hissar.
60. Shri Naring, son of Hira Singh, Kalanwali, District Hissar.
61. Shri Arjan Singh, son of Ujala Jat, Village Badchhapper, District Hissar.
62. Messrs Punjab Singh-Sheo Narain, Village Pabra, District Hissar.
63. Shri Aidan , son of Shri Phool Chand, Village Jmal, District Hissar.
64. Shri Lakhmi Chand, c/o Mans a Ram Agarwal, Village Dhani Chuhar, District Hissar.
65. Shri Ram Gopal, son of Amir Chand Arora, Village Bhuna, District Hissar.
66. Shri Jograj Singh, son of Siri Ram, Village Barsola, District Hissar.
67. Messrs Snikar Chand-Prem Chand, Licence for Fatehabad, District Hissar.
68. Messrs Budh Ram-Pir Chand at Hissar, District Hissar.

[Minister for Finance]

Serial No.	*Name of the Party*
69.	Shri Bhagwan Dass Khanna for Rania, District Hissar.
70.	Messrs Brij Behari Lal-Parkash Chander, Sirsa, District Hissar.
71.	Messrs Gulab Singh-Tirlochan Singh, District Hissar.
72.	Shri Brij Bushan Jain, son of Balwant Singh Jain, Village Rohnath, District Hissar.
73.	The Jai Bharat Ex-Servicemen Co-operative Brick Klin Society, Ltd., Bhiwani, District Hissar.
74.	The Bhiwani Khera Co-operative Brick Kiln Society, Ltd., Bhiwani Khera, District Hissar
75.	Shri Duli Chand, son of Khem Chand Banasal, Village Muklan, District Hissar.
76.	Messrs Bhag Singh and Mangal Datt Brothers, Village Rawalwas Khurd, District Hissar.
77.	Messrs Jiwan Ra Khetu Ram, Village Odhan, District Hissar.

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ statement ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ licence ਦਸੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ licences ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ licensee ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ?

वित्त मन्त्री : अगर माननीय मैम्बर का इशारा 1956-57 म दिय गये licences की तरफ है तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि उस साल पटिआला गवर्नमेंट ने temporary basis पर जो licences दिये हुए थे, उन को ही पका किया गया था । जहां तक लुधियाना का ताल्लुक है वह जिस किसी को नया licence देने की justification हुई उस को वह दे दिया गया है ।

श्री मनी राम गोदड़ा : क्या मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि इन licenses के देने के लिये क्या उन की financial position का भी ख्याल रखा जाता है ?

मंत्री : यह बात भी देखी जाती है । वैसे तो उन के इस सवाल का जवाब original सवाल के पार्ट 'बी' के जवाब में पहले बता दिया गया है ।

श्री बलराम दास टंडन : सवाल के 'बी' भाग का जो जवाब उप-मंत्री जी ने दिया है वह clear नहीं हुआ, आप मंत्री जी से कहें कि वह फिर इसे clear कर दें ।

अध्यक्ष महोदय : क्या जवाब अंग्रेज़ी में clear नहीं हुआ या उस का translation clear नहीं हुआ ? (Was the reply in English not clear to the hon. Member or its translation ?)

श्री बलराम दास टण्डन : जनाब, जवाब clear नहीं हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अगर जवाब clear नहीं दिया गया था तो आप को चाहिये था कि उसी वक्त कहते । (If the reply was not clear, the hon. Member should have pointed out this fact there and then.)

श्री बलराम दास टण्डन : मैं तो उस वक्त खड़ा हुआ था लेकिन आपने किसी दूसरे मैम्बर को call कर दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : (Addressing the Minister for Finance) आप इस जवाब को फिर दुहरा दें । (The hon. Minister may please repeat the reply.)

मंत्री : अगर माननीय मैम्बर हिन्दी में चाहें तो इस का जवाब हिन्दी में दे देता हूं और अगर अंग्रेजी में चाहें तो अंग्रेजी में पढ़ देता हूं ।

श्री बलराम दास टंडन : किसी भी भाषा में आप बता दें ।

Minister: (b) The selection is made out of political sufferers, co-operative societies Harijans, former depot holders/licensees, etc., without any *inter se* priority in order to serve the best interests of the area and the public. In the case of brick kilns new licenses in Community Project and N. E. S. Block areas are given on the recommendation of the B. D. Os concerned. New licences are also granted to departmental kilns for execution of Government works as and when necessary. In the areas of erstwhile Pepsu State regular coal depots/brick kilns have been granted after Integration to the parties already carrying on the respective trade.

श्री बलराम दास टंडन : क्या मंत्री जी बताएंगे कि जो लोग हरिजन नहीं हैं political sufferers भी नहीं हैं या इस के लिए सरकार ने जो दो या तीन, और categories बनाइ हुई हैं वे उन में भी नहीं आते तो क्या उन लोगों के लिये भी कोई और साधन ऐसा रह जाता है जिस की वजह से उन को coal depots या भट्ठे लगाने के लिये licenses मिल सकें ?

मंत्री : मैं ने तो illustration के तौर पर यह चार बातें कही हैं, जहां यह दिया गया है कि वह या political sufferers हों, हरिजन हों, कोई co-operative society बनाई हो, वहां उस के साथ etc. का लफज़ भी दिया हुआ है । इस लिये अगर किसी आदमी के लिये कोई खास justification हो तो उस पर भी विचार किया जाता है ।

श्री मनी राम गोदड़ा : स्पीकर साहिब, मैं ने एक supplementary पूछा था उस का जवाब clear नहीं आया । मैं ने यह पूछा था कि अगर कोई आदमी political sufferer हो या उस ने कोई co-operative society बना रखी हो या वह हरिजन हो तो उस को कोई coal depot allot करने से पहले क्या उस की financial position का भी खयाल रखा जाता है ?

मंत्री : मैं ने अर्ज़ किया था कि सब हालतों पर जिन में financial position भी शामल है, विचार किया जाता है।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अभी पंजाब राज्य के अन्दर हिन्दी के सम्बन्ध में जो आन्दोलन हुआ था और उस में जिन लोगों ने भाग लिया था और उन्हें इस कारण suffer करना पड़ा था जैसे फिरोज़पुर जेल में लाठी चारज हुआ था. . . . .

Mr. Speaker : This is not a supplementary question.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : मेरा यह सवाल है कि आया वे लोग political sufferers की list में आते हैं या नही ? (Not replied.)

श्री राम चन्द्र कामरेड : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि यह जो चार categories बताई गई हैं क्या इन की आपस की कोई proportion भी मुकरर्र की हुई है कि इतने political sufferers को देंगे या इतने हरिजनों को देंगे वगैरह ?

मंत्री : कोई proportion मुकरर्र नहीं ।

पंडित श्री राम शर्मा : वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि किसी को coal depot या brick kiln देते वक्त उस की माली हालत पर भी विचार किया जाता है । तो मैं पूछना चाहता हूं कि किसी की माली हालत देखने के लिये उन्हों ने या उन के दफतर ने क्या कोई तरीका मुकरर्र कर रखा है या सिर्फ उस से ही पूछ लिया जाता है कि उस की माली हालत कैसी है ?

मंत्री : हर बात में चाहे वह coal depot हो या brick kiln हो उस के लिये यह देखा जाता है कि उस की माली हालत ऐसी है कि उस से वह उसे या तो खुद चला सकता है या इस के लिये funds raise कर सकता है । इस का मतलब यह नहीं कि यह ज़रूरी है कि उस की अपनी ही माली हालत ऐसी हो कि जिस से वह उसे चला सके। अगर वह finances raise कर सकता है तो कोई वजह नहीं कि उस को depot न दिया जाये।

पंडित श्री राम शर्मा : सवाल यह था कि गवर्नमैंट किस तरीके से यह satisfy करती है कि जिन को permit दिया जा रहा है वह इस के लिए fit हैं, यह जानने के लिए method क्या है ?

मंत्री : Local Officers enquiry करके permits देते हैं ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या local अफसरों के enquiry करने का कोई तरीका मुकरर्र है या नहीं या यह जैसे चाहें तसल्ली कर लें ?

मंत्री : इस का तरीका कोई specified नहीं है जिस तरह से बाकी enquiries होती हैं उसी तरह यह भी होती है कोई खास line नहीं है कि यह इस तरह ही हो ।

श्री राम प्यारा : वज़ीर साहिब ने बताया है कि permit देने के लिए चार categories हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जिन आदमियों को permits दिये गए हैं वह इन में cover हो जाते हैं या कोई etc. में भी आता है।

Mr. Speaker : It does not arise.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि permits district level पर दिये गए या वज़ीर साहिब ने भी चंडीगढ़ से दिए ?

मंत्री : District level पर दिए गए और आम तौर पर वहीं से दिए जाते हैं। अगर एक आध कोई case हो जिस में वज़ीर साहिब ने ऐसा किया हो तो कह नहीं सकता।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੱਠੇ ਦਾ license ਦਿਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ coal depot ਦਾ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ?

मंत्री : इस का नोटिस दें तो बता सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप जब सवाल करें तो ऐसा करें कि कुछ जचता हो। (*Addressing Chaudhri Balbir Singh*)(When the hon. Member puts a question he should see that it is apt and proper.) (*Interruption.*)

Mr. Speaker : Order please. I am not asking for any explanation. Please put a question of which notice is not needed.

श्री बलराम दास टन्डन : वज़ीर साहिब ने चार categories etc. बताया है। तो क्या वह etc. की वज़ाहत करेंगे ?

मंत्री : जो और कोई deserving हो।

चौधरी चम्बेल सिंह : मन्त्री जी ने बताया है कि कुछ भट्ठों के permit B.D.Os द्वारा दिये जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि यह permit कितने अरसे के लिए दिए जाते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इस के लिए अलग सवाल करें। (The hon. Member may please give a separate notice for this information.)

चौधरी चम्बेल सिंह: इन्होंने जवाब में बताया है . . . .

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, अगर वह तैयार हों, मगर इस तरह off hand जवाब देना मुश्किल होता है। (Alright, he may give a reply if he is prepared to do so. It is rather difficult to reply off hand)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि जितने coal depots दिए गए क्या वह सारी files वज़ारत के सामने आईं ?

मंत्री : नहीं आईं ।

श्री बलराम दास टण्डन : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि जो इन्हों ने deserving कहा है इस से इन का क्या मतलब है ?

मंत्री : जो मुस्तहिक हो । (हंसी)

श्री बलराम दास टण्डन : इन्होंने जो translation कर के बताया है वह तो सभी जानते हैं कि इस का मतलब मुस्तहिक होता है, मगर इस में कौन कौन से लोग आते हैं ? Dr. Baldev Parkash : He means the qualifications of the 'deserving'.

मंत्री : कोई qualifications मकर्रर नहीं । देखा जाता है कि case deserving है या नहीं, उस का हक बनता है या नहीं ।

(आवाज़ें : मतलब सिफारिशी ।)

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ licences ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ applications invite ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ?

मंत्री : Applications होती है, उन को consider करके licences दिये जाते है ।

श्री बलराम दास टण्डन : स्पीकर साहिब, मैं एक दरखास्त करना चाहता हूं । बड़ी हैरानगी की बात है कि एक बार, दो बार, तीन बार एक supplementary किया जाता है और यह हर बार मतलब निकाल कर बता देते हैं । पहले deserving कहा, फिर मुस्तहिक और फिर हकदार । सवाल यह है कि क्या criteria है, कौन लोग मुस्तहिक हैं, उन की qualification क्या हैं ? इस का तो यह मतलब हुआ कि . . . .

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल ऐसा करते ह कि तकरीर बन जाती है । (The hon. Member puts a supplementary in such a way that it becomes a speech.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि इन तमाम files पर Deputy Minister और Director के दरम्यान आपस में काफी देर तक discussion रहो ?

Mr. Speaker : This does not arise.

मौलवी अब्दुल गनी डार : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि यह licence किसी Minister के चहेते को दिए गए ?

Mr. Speaker: This is not a Supplementary question.

मंत्री : यह बिल्कुल बे-बुनियाद insinuation है ।

चौधरी इन्द्र सिंह : क्या मौलवी अब्दुल गनी डार को permit मिला है या नहीं ? (हंसी)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ : ਕੀ ਇਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ Minister ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ Deputy Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਲਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ? (ਹਾਸਾ)

Mr. Speaker : No please. This question is not in good taste.

मन्त्री : वह इन के लिए रखा है ।

HANDLOOM WEEK AT SONEPAT, DISTRICT ROHTAK

***1401. Shri Ram Piara** : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether any Handloom Week from 5th to 11th May, 1957, was celebrated in Sonepat , District Rohtak ;

(b) whether some handloom products manufactured by certain co-operative societies of Panipat were displayed during the Handloom Week at Sonepat ; if so, the quantity together with the cost thereof ;

(c) the names of the Co-operative Societies together with the total sale of their products referred to in part (b) above ;

(d) whether it is a fact that the man who sold the products during the Handloom Week mentioned in part (a) above has been dismissed; if so, the reasons therefor ;

(e) whether any enquiry was made by the Officer in the Industries Department at Rohtak against the person referred to in part (d) above ; if so, his findings together with the action, if any, taken by the Government thereon ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (a) and (b) There was no officially authorised celebration of the Handloom Week from the 5th to 11th May, 1957, at Sonepat, in Rohtak District. However, it is understood that the local salesman of the Handloom Weavers Co-operative Society did organise sales of handloom products during the week at Sonepat, and goods worth Rs 33,681 are reported to have been sold during the week.

(c) The Handloom Depot was under the control of the Handloom Weavers Apex Co-operative Society Limited who do not have a full record of the transactions.

(d) The salesman concerned was not dismissed ; but he tendered his resignation and has been relieved of his duties recently by the Apex Society concerned.

(e) Does not arise.

श्री राम प्यारा : वज़ीर साहिब ने बताया है कि वह regularly Government supported नहीं थी । मैं पूछना चाहता हूं कि जिस का उद्घाटन वज़ीर साहिब करें वह गवर्नमैंट की तरफ से होती है या नहीं ? (हंसी)

योजना मंत्री : यह तो Apex Society के salesman ने organise की थी ।

श्री राम प्यारा : क्या वह salesman जिस के मुताल्लिक कहा गया कि इस्तीफा दे गया, गवर्नमैंट servant नहीं था ?

मंत्री : उस Co-operative Society का था ।

श्री राम प्यारा : क्या उस माल पर जो उस Co-operative Society की मारफत तक्सीम हो गवर्नमैंट rebate देती है ?

मंत्री : यह इस से arise तो नहीं होता मगर मैं बता देता हूं कि rebate दी जाती है ।

DEVELOPMENT OF HOME INDUSTRY IN LUDHIANA DISTRICT

***1534. Shri Harbhagwan Maudgil** : Will the Minister for Finance be pleased to state whether there is any scheme under the consideration of Government for the development of home industry in Ludhiana District; if so, the details thereof and the names of villages in which it is proposed to be implemented ?

Shri Mohan Lal : There is no specific scheme for the development of "Home Industry" as such in Ludhiana District, as the term "home industry" is not specific enough. There are numerous schemes for the development of small-scale and cottage industries in urban and rural areas throughout the State from which benefit is derived by Ludhiana District also.

IMPORT LICENCES

***1616. Shri Prabodh Chandra** : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether any industries in the State were recommended by the Government for the grant of import licences during the period from 1954 to 1957; if so, their names together with the value of the goods recommended for import in each case ;

(b) whether the industries referred to above were granted the import licences ; if so, the details of the goods imported by each during each of the years mentioned in part (a) above ?

Shri Mohan Lal : (a) A considerable number of industries using imported raw materials were recommended by Government for the grant of import licences during the period 1954—57. Chief among them were art silk, and shoddy yarn textiles, bicycles, sewing machines, sports goods, chemicals, ferrous and non-ferrous engineering. Information regarding the goods

recommended for import in each case is not readily available and the time and labour involved in collection of the information required would not be commensurate with the benefit derived therefrom because the period to which the question relates is a long one and the industries and parties are numerous.

(b) A considerable number of industries mentioned above were granted import licences. It will be voluminous task to reproduce it. The details regarding licences granted are published in the Weekly Bulletin of Import and Export Trade Control issued by the Ministry of Commerce and Industry to which a reference is invited.

ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ordinary procedure ਜੋ ਸੀ ਕਿ Director of Industry ਦੇ through recommendations ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਨੂੰ avoid ਕਰਕੇ direct recommendations ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ?

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ information ਨਹੀਂ । ਜੇਕਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ specific case ਦਸਣ ਤਾਂ enquire ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

Shri Prabodh Chandra : Sir, I wanted to know the names of the persons who have been allowed these licences. This information has not been supplied to me and in the absence of this information I cannot put any supplementary question. Sir, the reply is not as simple as it looks. I wanted to know the names of the industrialists.

Mr. Speaker : I have not been able to follow you.

श्री प्रबोध चन्द्र : मैं ने पूछा था कि कौन से industrialists हैं जिन्हें import licences दिए गए हैं लेकिन इसका जवाब नहीं दिया गया । He has taken shelter under the word "industries".

Mr. Speaker : But the question asked for by the hon. Member was a broad based question.

Shri Prabodh Chandra : I wanted to know the procedure adopted for recommending these licences.

तो मेरा सवाल यह है कि क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि recommendations के लिए क्या procedure lay down किया गया है ?

मंत्री : Procedure यह है कि applications को पहले District Industry Officer scrutiny करता है, फिर वह Director of Industries के पास जाती हैं और फिर उस की recommendations के बाद Government of India के पास भेजी जाती हैं ।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या मैं पूछ सकता हूं कि पंजाब गवर्नमैंट सिर्फ post office का काम करती है या नीचे से की गई recommendations में तब्दीली भी करती है ?

मंत्री : पंजाब सरकार के officers देखते हैं कि जो recommendations नीचे से की गई हैं वह ज़रूरी हैं या नहीं और उन में क्या justifications हैं। और इस की तसल्ली के बाद नाम recommend करके Ministry of Commerce को भेजे जाते हैं।

श्री प्रबोध चन्द्र : जनाब, मैं यह पूछना चाहता था कि आपने जो procedure बताया है कि पहले District Industry Officer recommend करता है और फिर Director of Industries recommend कर के भेजता है तो क्या Director of Industries और Commerce Ministry, Government of India, के दर्मियान कोई intermediary authority और भी है जो scrutiny करती है या नहीं और यह देखती है कि नीचे से जो recommendations आई हैं वह ठीक हैं या गलत हैं ?

मंत्री : Normal procedure के मुताबिक recommendations आती हैं। एक Yarn Advisory Committee मुकर्रर की गई है जो Amritsar में है वह भी recommendations को देखती है।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या यह अमरे वाका नहीं है कि बटाला की कुछ firms के नाम, जिनकी recommendations Director of Industries ने नहीं की थीं, directly Ministry of Commerce को भेज दिए गए?

Mr. Speaker : This question does not arise.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मन्त्री जी बतलाएंगे कि जो procedure उन्हों ने बतलाया है इस में कुछ exceptions भी होती हैं या नहीं?

मंत्री : यह procedure के मुताबिक कार्रवाई की जाती है, कोई exception नहीं होती।

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, may I know the understanding between the Commerce Ministry, Government of India, and Industries Ministry, Punjab Government, that all the cases which are to be granted import licences are granted only after they are referred by the Punjab Government or is it permissible to apply direct to the Commerce Ministry, Government of India ?

Minister : So far as the State Government is concerned, all the applications are properly scrutinized in accordance with the directions and the rules of the Commerce Ministry, Government of India, and they are forwarded. The ultimate authority is the Commerce Ministry itself. It is not to the knowledge of the State Ministry whether licences are granted direct by the Commerce Ministry or not.

ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗ਼ਨੀ ਡਾਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ import licences ਬਲੈਕ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ?

Mr. Speaker : This is not a supplementary question. The hon. Member can refer to such matters at some other occasion.

SMALL SAVINGS DRIVE IN THE STATE

***1239. Sardar Atma Singh** : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether any steps have been taken by Government to intensify the Small Savings drive in the State ; if so, what and the results achieved from it so far ;

(b) the total amount spent on the salaries, Travelling Allowance and Dearness Allowance, etc., of the staff employed for this purpose during the year 1956-57 and the current year separately ?

Shri Mohan Lal : Sir, I have applied for extension as the information is being collected.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਦਾ session ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ information is being collected. ਕੀ ਆਪ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦਸੋਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ ? ਕੀ ਕੋਈ steps ਲਏ ਜਾਣਗੇ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ steps ਲਏ ਜਾਣਗੇ । (Steps will be taken in this respect specially.)

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. क्या सवालों के जवाबों के सिलसिले में Assurances Committee का दखल होगा या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा ख्याल है दखल होना चाहिए । (I think this Committee have the right to interfere in the matter.)

HONORARY SUB-REGISTRARS

***1240. Sardar Atma Singh** : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total number of Honorary Sub-Registrars now working in the State ;

(b) the total amount of Commission, etc., paid to them, district-wise, during the years 1955-56 and 1956-57 and the current year separately;

(c) whether there is any proposal under the consideration of Government to entrust this work to the Tahsildars and Naib-Tahsildars as an economy measure as is being done in the Patiala Division ?

Giani Kartar Singh : (a) 32.

(b) Detailed statement is laid on the Table.

(c) No.

[Minister for Revenue]

Statement Showing the amount of commission paid to the Honorary Sub-Registrars during the year 1955-56, 1956-57 and 1957-58.

Serial No.	Name of the District	AMOUNT PAID TO THE HONORARY SUB-REGISTRARS		
		1955-56	1956-57	1957-58
		Rs	Rs	Rs
1	Hissar ..	..	4,502.75	1,921.25
2	Rohtak ..	97.05	8,161.89	11,686.55
3	Karnal ..	..	2,955	7,644
4	Ambala ..	..	4,524	7,895
5	Jullundur ..	..	19,470.00	19,178.00
6	Ludhiana ..	404.00	11,537.56	8,155.35
7	Amritsar ..	..	4,565.88	11,048.26
8	Hoshiarpur ..	413.83	13,028.00	14,183.92
9	Gurdaspur ..	..	5,227.19	7,867.57
10	Ferozepur ..	..	4,653.33	Not received

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ Honorary Sub-Registrars ਰਖਣ ਲਈ ਕੋਈ qualifications fixed ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ sweet will ਤੇ ਇਹ ਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ?

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : Registrars Manual ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ qualifications ਦਰਜ ਹਨ ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰਾਂ ਲਈ service ਵਿਚ ਕੋਈ upper age limit fixed ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਮੰਤਰੀ : Sixty ਸਾਲ ਦੀ upper age limit ਮੁਕੱਰਰ ਹੈ ।

Sardar Bhupinder Singh Mann : May I know whether there is any proposal before the Government to appoint Sub-Registrars in the Patiala Division so as to bring Punjab and Pepsu on the same level ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ provision ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਰਖੇ ਜਾਣਗੇ ।

Sardar Bhupinder Singh Mann : May I know whether it is a fact, or not that the appointment of Sub-Registrars for doing this work is a costly affair and the arrangement of entrusting this work to the Tehsildars and Naib-Tehsildars, already in position, is a cheaper affair ?

Mr. Speaker : This is an expression of opinion. It is not a supplementary question.

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, it is a financial question. I want to know whether that system is expensive or not.

Mr. Speaker : The hon. Member is asking the Minister to give his opinion whether that system is expensive or not.

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, I think the figures defy the opinion already given by him.

ਮੰਤਰੀ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ economical measure ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬ-ਰਜਿਟ੍ਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਤਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਨਾਇਬ-ਤਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਥੇ ਆਮਦਨ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ economy measure ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਥੇ ਨਾਇਬ-ਤਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਤਸੀਲਦਾਰ ਹਨ ਉਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਥੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਥੇ ਵਧ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਨਾਇਬ-ਤਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਤਸੀਲਦਾਰ ਸਨ ਉਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬਰਸਾਂ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਹਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ।

श्री रूप सिंह फूल : क्या वज़ीर साहिब यह बतायेंगे कि कोई हरिजन भी इस वक्त as Sub-Registrar काम कर रहा है?

मंत्री : यह दो दिन हुए हाउस में सवाल आया था और उस का जवाब दे दिया गया था।

मौलवी अब्दुल गनी डार : क्या वज़ीर साहब यह बतायेंगे कि जब यह Sub-Registrars appoint किये थे तो क्या उस वक्त इनके लिये कोई provision वगैरह नहीं रखी हुई थी।

मन्त्री : उस वक्त कोई रकम रखी हुई नहीं थी। यह इस साल बजट में रखी गई है।

पंडित श्री राम शर्मा : एक Honorary Sub-Registrar appoint करने के लिये final authority कौन सी है और इस को कहां तक का इख्तियार दिया जाता है ?

मंत्री : Deputy Commissioner की इस के मुताल्लिक पहले रिपोर्ट मांगी जाती है और फिर इस को Government appoint करती है ।

श्रीमती सरला देवी शर्मा : क्या ज़िला कांगड़ा के अंदर भी Sub-Registrar appoint किये जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल तो, बहन जी, पैप्सू का है । कांगड़े का सवाल इस में से कैसे पैदा हो गया ? (This question relates to Pepsu. How does the question regarding Kangra arise out of it ?)

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਲਾ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਮਾ : ਜਦੋਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂਗੜੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਕਾਂਗੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅਲਹਿਦਾ ਕਰਨਾ । ਏਥੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਹੈ । (Now the question is about Patiala Division and about Kangra she may put a separate question.)

ਮੰਤਰੀ : ਅਗੋਂ ਲਈ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ।

STRIKE OF PATWARIS

***1440. Pandit Ram Kishan Bharolian** : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the number of Patwaris so far suspended, dismissed and arrested, separately, district-wise, in connection with their strike

(b) the total number of Patwaris still on trike and the number of those who have returned to work ;

(c) the details of the demands of the Patwaris ;

(d) whether Government has considered these demands; if so, with what result ?

Chaudhri Suraj Mal : (a) A statement giving the requisite information is placed on the Table (Annexure 'A').

(b) 4,942 Patwaris and Kanungos were on strike on 5th February, 1957. Out of the total number of 7,336 Patwaris and Kanungos who went on strike on 12th December, 1957, 2,644 apologised and joined duty.

(c) and (d) A detailed report giving the necessary information is laid on the Table as Annexure 'B'.

ANNEXURE 'A'

District-wise statement showing the number of Patwaris and Officiating Patwari Kanungos suspended, dismissed and arrested uptil 5th February, 1958

District		Suspended	Dismissed	Arrested
Amritsar	..	159	168	278
Gurdaspur	..	483	..	22
Ferozepur	..	10	304	216
Hoshiarpur	..	246	304	207
Ludhiana	..	13	1	67
Jullundur	..	95	38	9
Kangra	..	167	174	249
Ambala	..	44	181	192
Rohtak	..	98	66	210
Karnal	..	332	9	..
Hissar	..	138	200	215
Gurgaon	..	301	32	251
Simla	..	..	..	..
Patiala	..	105	1	76
Sangrur	..	161	14	55
Mohindrgarh	..	118	..	..
Bhatinda	..	486	..	117
Kapurthala	..	36	7	32
Total	..	2,992	1,499	2,192 At district Headquarter and 1,225 at Chandigarh
				3,417

ANNEXURE 'B'

Serial No.	Demands	Decision of Government
1	The present pay of the Patwaris is quite insufficient. It should, therefore, be increased to Rs 100—4—140/5—200 per mensem just to provide them a living wage.	There was no case for increase in the pay scales, which had been given effect from the 1st May, 1957.

[Minister for Consolidation and Health]

Serial No.	Demands	Decision of Government
2	The Punjab and Delhi Patwaris and Kanungos should be given at least Rs 50 per mensem for the land consolidation and land reform work.	Government is considering to increase special pay of Consolidation Patwaris from Rs 5 to Rs 10 per mensem.
3	The pension period should be counted from the date of appointment in the case of Patwaris and Kanungos as is already done in Patiala Division and not from 1st August, 1949, as proposed by the Government.	This demand could not be acceded to in view of the very considerable financial implications involved not only in respect of Revenue and Consolidation Services but also other services. However, the matter is under consideration.
4	The house rent of Rs 6 per mensem is quite insufficient in view of the present high cost of living. It should be raised at least to Rs 10 per mensem.	Rs 6 as house-rent is sufficient.
5	The arrears of pay and T. A. Bills of the Punjab Patwaris which run into lakhs of rupees and which in spite of repeated requests have not been paid so far should be paid immediately.	Additional staff has been sanctioned at the rate of 1½ clerk per tehsil to clear of the arrear claims of the Patwaris. Deputy Commissioners are being powered to investigate the claims which are over 3 years old.
6	Like the other Patwaris of the Punjab, the Patwaris of Delhi and the Patiala Division should be paid house-rent, Basta and Stationery Allowance and Mutation fee.	Erstwhile Pepsu Patwaris have been allowed to draw all allowances admissible to Punjab Patwaris if they forego the concession of the merger of 50 per cent dearness allowance into pay sanctioned by the erstwhile Pepsu Government. The Patwaris of erstwhile Pepsu State have to exercise their option in the matter within six months from the 3rd February, 1958.
7	The highest limit of consolidation work should be fixed at 400 acres per Patwari per annum.	This demand could not be met keeping in view the fixed target of Consolidation of Holdings Operations in the State.
8	The Patwaris of the Punjab working at Land Acquisition Assessment and Betterment Levy are being transferred without any reasonable allowance. They should be paid at least Rs 50 per mensem to maintain expenses.	The matter is under consideration.
9	The Revenue and Consolidation Patwaris snd Kanungos should be confirmed at the most on the completion of three years of service and those who are not confirmed so far should be confirmed without further delay.	The proposal of increasing the percentage of permanent posts in the Consolidation Department is under consideration.
10	The Children of the Patwaris should be provided free education and all other facilities.	Free education is allowed upto primary classes to all school going children of all the communities. No special concession can be given to the children of the Patwaris.

Serial No.	Demands	Decision of Government
11	The terminal prize meant for the old Patwaris should be revised in accordance with the increased high cost of living. It is proposed that it should be equal to two years pay.	This demand is under consideration of Government.
12	Every Patwari should be given privilege and earned leave and a leave reserve staff be engaged for this purpose.	Patwaris are granted such leave since their posts have been declared as pensionable.
13	Special Allowance should be given to the Patwaris for the work done for the District Board etc. as it is not part of their duty.	The demand could not be met.
14	The representative of the Patwaris according to their number being over ten thousand should be taken in the Legislative Council.	This demand could not be met.

पंडित राम किशन भड़ोलियां : क्या वज़ीर साहिब यह बतायेंगे कि इस agitation से पहले से अब तक कुल रकम जो इकट्ठी होनी थी वह हो गई है? अगर हो गई है तो इस का कुल total क्या है ?

Minister for Consolidation and Health : I require a notice for that.

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ।

Mr. Speaker : One Minister has stated that he wants notice to give this information and immediately after that another Minister has furnished it. Such things should be avoided in future.

Sardar Bhupinder Singh Mann : May I know, Sir, what is the policy of the Government with regard to those Patwaris who have returned to work and who are willing to return to their work ?

Minister : The question is still under consideration.

Sardar Bhupinder Singh Mann : May I know whether the Patwaris who have returned to work have been awarded any punishment or the punishment has been waived off in their case ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : This is again a hypothetical question. ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਮੁਹਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ suspend ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, duty ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ । ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ cases still under consideration ਹਨ ।

पंडित राम किशन भड़ोलियां : क्या वजीर साहिब यह बतायेंगे कि और cases में जो इस agitation से पहले मुअत्तल किये गये थे क्या उन को काम पर लगाया जा रहा है या अभी उनके cases pending हैं ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

Mr. Speaker : Such questions cannot be answered off hand.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वजीर साहिब बतलायेंगे कि पटवारियों के जो मुतालबात हैं क्या Government उन पर गौर कर रही है और इस वक्त उन की क्या position है ?

मुख्य मंत्री : इन को उस वक्त तक consider नहीं किया जा सकता जब तक यह सारा मुआमला खत्म न हो जाये ?

पंडित श्री राम शर्मा : इस सारे मुआमले से आप की क्या मुराद है ?

मुख्य मंत्री : जब तक यह strike खत्म नहीं हो जाती और वे काम पर नहीं आते, जब तक इन सारी बातों का फैसला नहीं हो जाता यह मुतालबात consider नहीं किये जायेंगे ।

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, may I know what steps are being taken by the Government to fill the gap created by the absence of these Patwaris ?

मुख्य मंत्री : जहां तक retired पटवारी मिलते हैं उन को लगाया गया है । और कुछ untrained को भी लिया गया है जिन को 3-4 महीने के अंदर अंदर training दे कर काम पर लगाया जायेगा । पटवारी इस लिहाज से भर्ती किये गये हैं कि एक एक आदमी एक एक गांव को संभाल ले ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇ ਪਟਵਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਜਦੋਂ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ।

पंडित श्री राम शर्मा : जो पटवारी इस लिए strike पर हैं और काम पर हाजिर नहीं हैं क्योंकि उन की कुछ demands हैं क्या Government उन की डीमांड्ज पर गौर करेगी ?

Chief Minister : This is again a hypothetical question.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ representatives ਦਾ ਕੋਈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ? ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਬਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ?

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । (This question does not arise.)

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

Mr. Speaker. This question does not arise.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

RATE OF HOUSE TAX IMPOSED BY MUNICIPALITIES IN AMBALA AND KARNAL DISTRICTS

849. Pandit Shri Ram Sharma : Will the Minister for Revenue be pleased to state the names of Municipal Committees in Ambala and Karnal Districts in the areas of which there is a population of more than ten thousand and the rate of House-Tax imposed by each Committee, respectively ?

Giani Kartar Singh : The required information is given below :—

1	2	3
Serial No.	Name of the Municipal Committee	Percentage rate of House Tax on the annual rental value of buildings
	AMBALA DISTRICT	Rs
1	Ambala City ..	10
2	Rupar ..	12½
3	Kalka ..	10
4	Yamunanagar ..	10
5	Jagadhri ..	6¼
	KARNAL DISTRICT	
1	Karnal ..	6¼
2	Kaithal	6¼
3	Panipat ..	7-13-0 less 20 per cent rebate if the payment is made within ten days of the issue of the bill.

COMPLAINT AGAINST REGISTRATION BOARD OF AYURVEDIC AND UNANI SYSTEM OF MEDICINES, PUNJAB, AMRITSAR

850. Pandit Shri Ram Sharma : Will the Minister for Consolidation and Health be pleased to state whether any complaint from one Shri L. D. Jagota, addressed to the Director, Health Services, Punjab, was received by him in September, 1956, about the registration of unqualified persons as Vaids and Hakims in the State; if so, the action, if any, taken thereon ?

Chaudhri Suraj Mal : The main point of the complaint of Shri L. D. Jagota was about the registration of one Om Parkash Bassesi allegedly on the basis of wrong affidavit. The matter is being examined.

COMPENSATION FOR LAND ACQUIRED FOR CONSTRUCTION OF SEM NALLAH IN VILLAGE KAMALPUR, TEHSIL PATTI, DISTRICT AMRITSAR

851. Maulvi Abdul Ghani Dar : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the extent of the area, if any, so far acquired by Government for the construction of a Sem Nallah in village Kamalpur, tehsil Patti, district Amritsar ;

(b) whether the price of the area referred to in part (a) above has been assessed and paid to the land owners concerned ; if so, the total price assessed and the total so far paid, separately ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) Nil.

(b) Does not arise.

COMPENSATION FOR THE LAND ACQUIRED FOR THE CONSTRUCTION OF ROAD IN VILLAGE KAMALPUR, TEHSIL PATTI, DISTRICT AMRITSAR

852. Maulvi Abdul Ghani Dar : Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether any road has been constructed or is proposed to be constructed through the area of village Kamalpur, tehsil Patti, district Amritsar ;

(b) whether any land has been acquired or is proposed to be acquired for the construction of the said road; if so, the total area thereof;

(c) the price, if any, assessed or paid for the area referred to in part (b) above ?

Rao Birendar Singh : (a) No.

(b) and (c) Question does not arise.

BEDS IN AYURVEDIC HOSPITAL, PATIALA

853. Shri Harbhagwan Maudgil : Will the Minister for Consolidation and Health be pleased to state—

(a) the total number of beds provided for indoor patients in the Ayurvedic Hospital, Patiala ;

(b) whether there is any arrangement for outdoor patients in the said hospital; if not, the reasons therefor ?

Chaudhri Suraj Mal : (a) 50 beds.

(b) Yes.

TEACHERS IN GOVERNMENT AYURVEDIC COLLEGE , PATIALA

854. Shri Harbhagwan Maudgil : Will the Minister for Consolidation and Health be pleased to state—

(a) the scale of pay of Vaids employed as teachers in the Government Ayurvedic College, Patiala ;

(b) whether Government have any proposal under their consideration to bring the grade of teachers referred to in part (a) above at part with that of the lecturers in Arts Colleges in the State ?

Chaudhri Suraj Mal : (a) There is teaching staff of the following category n the Government Ayurvedic College, Patiala, in pay scales mentioned agains each :—

		Rs
(1) Professors	..	200—20—400/25—600
(2) Assistant Professors	..	150—10—250
(3) Senior Lecturers	..	150—10—300
(4) Junior Lecturers	..	150—10—250
(5) Demonstrators	..	80—5—105/5—135/7—170

(b) No.

PAYMENT OF SALARIES OF CHAPRASIS ETC., AFTER PROVINCIALIZATION OF LOCAL BODIES SCHOOLS

855. Shri Harbhagwan Maudgil : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state whether he is aware of the fact that since the provincialisation of Local Bodies Schools in the State, the salaries of some chaprasis and other members of the menial staff have not been paid; if so, the reasons therefor and the steps, if any, taken to expedite the payments ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : Yes. Some of the posts of Class IV servants could not be included in the sanction relating to the Provincialisation of Local Body Schools as particulars of such posts were not made available to the Department. These posts are, however, being included in the "Supplementary" sanction which is under issue. The affected persons will be paid their salaries with effect from the 1st October, 1957, in the near future.

Note:—For unstarred Question No. 856 and its reply please see annexure A printed at the end of this debate.

CONTRACT AGREEMENTS EXECUTED BY CAPITAL PROJECT ADMINISTRATION

857. Sardar Sarup Singh : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total number of contract agreements for the construction of buildings at Chandigarh executed by the Capital Project Administration up to 31st March, 1957;

(b) the number of contracts referred to in part (a) above in which time-limit as stipulated in the agreement was extended alongwith the extent thereof ;

(c) the number of cases in which the time-limit was extended from two to seven times the period originally provided in agreement in each case, together with the reasons for the extensions ?

Giani Kartar Singh : (a) 261.

(b) 136.

The periods of extensions are detailed below :—

Number of cases	*Period of extension*
16	.. 1 month
30	.. 2 months
21	.. 3 months
10	.. 4 months
10	.. 5 months
15	.. 6 months
7	.. 7 months
7	.. 8 months
8	.. 9 months
4	.. 10 months
4	.. 11 months
3	.. 12 months
1	.. 14 months

(c) 21, as per statement laid on the Table of the House. These 21 cases are inclusive of 136 contracts mentioned against (b) above.

Statement showing the agreements entered into upto 31-3-1957 in which the time limit was extended from two to seven times the period originally provided in the Agreement.

Serial No.	Name of work	Original time limit	Extension granted	Reasons for Extension
1	Constructing Junior Secondary School in Sector 8-B at Chandigarh (Joinery work)	4 months	1 year	The Construction work was not completed by the main building contractor whose contract was rescinded and penalty imposed. The remaining work was got completed through another agency and extension for journey work had to be given.

Note—For unstarred Question No. 856 and its reply please see annexture 'A' printed at the end of this debate.

Serial No.	Name of work	Original time limit	Extension granted	Reasons for extension
			M. D.	
2	20 numbers small shops in Sector 22	1 Month 22 Days	7 15	The extension was granted due to late supply of design
3	8 numbers Cheap Booths in Sector No. 9	2 months	9 0	The extension was granted due to late supply of design. The lay out of block was given after two months after the work of 8 booths was started.
4	38 numbers type 13-JB Houses in Sector 23	2 months	9 0	The extension was granted due to late completion of P. H. works
5	42 numbers type 13-JB Houses in Sector 23	2 months	9 15	Ditto
6	Junior Secondary School in Sector 21	4 months	6 15	The extension was granted due to change of design. Late supply of Sitapur shutters for windows and doors and paints and also due to non-completion of P. H. work
7	16 numbers 11-F Houses in Sector 23	4 months	8 0	The extension was granted due to late completion of P.H. work.
8	8 numbers 11-F Houses in Sector 23	3 months	9 0	The extension was granted due to shortage of bricks and steel and non-completion of P. H. work
9	19 numbers 11-F Houses in Sector 23	4 months	8 0	Ditto
10	Constructing 12-D and 12-J houses in Sector 23	6 months	11 0	The extension was granted due to the following reasons :— (a) Shortage of bricks, slack coals, steel, etc. (b) non-completion of P. H. work
11	Constructing 16 numbers 11-F houses in Sector 23	4 months	8 0	The extension was granted due to late completion of P.H. work
12	Constructing 19 Nos., 11-F houses in Sector 23	4 months	8 0	Ditto
13	Precast reinforced cement concrete battens of Block C, D and E of provisional Secretariat Building	1 month, 15 datys	4 0	(i) Late supply of R. S. Joists. (ii) Late supply of steel for R. C. battens
14	Constructing staff quarters for Mount View Hotel in Sector No. 10	2 months	7 11	Delay in execution of electrical and sanitary work

[Minister for Revenue]

Serial No.	Name of work	Original time limit	Extension granted	Reasons for extension
			M. D.	
15	Constructing 8 numbers Additional quarters (servants) and Dhobi Ghat in Mount View Hotel in Sector 10.	3 months	7 0	Delay in execution of electrical and sanitary work.
16	Constructing Arcon Shed to be used as Laboratory Building	1 month	2 15	Some alterations in the scope of work were made
17	Constructing 2 Nos., 9-J Houses in Sector No. 11	2 Months 15 Days	8 0	The extent of the work was increased. Flooring work was let out on quotation and was done separately. Its completion delayed completion of main work
18	Constructing temporary Office accommodation (Fourth phase) at Capital Site	2 months	5 0	The site was not clear as there were some trees which were to be retained. It took some time for decision.
19	Construction of Nursery School in Sector No. 16	3 months	7 15	Due to change of site
20	Construction of Matron's quarters attached to General Hospital	2 months	7 15	R. S. joists were not availabel in stores. One house was occupied by N. C. C., Officer for one month while incomplete
21	Construction of 10 houses type 5-J in Sector 16	2 Months 10 Days	8 0	On account of irregularities in ground levels there was delay in giving nishans and fixing of plinth level. There was shortage of bricks and interruption in water supply. One of the houses was being used as cement godown. Hence extension in time limit had to be granted.

PAYMENTS MADE TO CONTRACTORS BY CAPITAL PROJECT ADMINISTRATION

858. Sardar Sarup Singh : Will the Minister for Revenue be pleased to state —

(a) whether there are any cases in which running payments were made by the Capital Project Administration to the contractors up to 31st March, 1957, without contract agreements having been executed; if so, the extent of running payments so made togetherwith the reasons therefor and the loss, if any, sustained by Government in this connection;

(b) whether any person responsible for the irregularity referred to in part (a) above was punished ?

Giani Kartar Singh : (a) Yes ; the Chief Accounts Officer, Capital Project, has held under objection payments amounting to Rs 95,66,903/— for want of contract agreements. No loss has been sustained by the Government for the specific reason of the agreements having not been signed.

(b) No; as delay in execution of formal agreements was un-avoidable.

PENSION CASES OF GAZETTED AND NON-GAZETTED RETIRED PERSONNEL

859. Sardar Sarup Singh : Will the Minister for Finance be pleased to state —

(a) the number of pension cases of Gazetted and Non-Gazetted retired personnel of the State which are pending with the Finance Department for :—

(i) over five years ;

(ii) over three years ; and

(iii) between one and three years together with the reasons therefor in each case;

(b) whether Government are aware of the hardships of the retired personnel due to non-finalisation of their pension cases; if so, the action proposed to be taken to finalise the cases referred to in part (a) above at an early date.

Shri Mohan Lal : (a) None.

(b) Does not arise.

NEW SECRETARIAT BUILDING AT CHANDIGARH

860. Sardar Sarup Singh : Will the Chief Minister be pleased to state the time by which the new Secretariat building is proposed to be fully occupied by the offices of the Government ?

Sardar Partap Singh Kairon : It is expected that the New Secretariat Building would be fully occupied by the offices of the Government by the end of current year or the beginning of the next year.

CADRE COMMITTEE

861. Sardar Sarup Singh : Will the Chief Minister be pleased to state whether the Cadre Committee appointed by Government last year has started functioning; if so, the total number of meetings held by it so far and the recommendations, if any, made by it to Government ?

Sardar Partap Singh Kairon : *Part* (*i*) Yes.

Part (*ii*) One.

Part (*iii*) No recommendations so far. A good deal of time was required to collect information about the work load of various Departments and their sub-offices. That is now pouring in, and meetings are being called to finalize recommendations, which will be forwarded to Government as they are ready for each Department.

Mr. Speaker : The question hour is Over.

3.00 p.m.

ENTRY OF NON MEMBERS INTO THE LOBBIES

पंडित श्री राम शर्मा (सोनीपत) : On a point of order, Sir. स्पीकर साहिब, मैं एक अहम मसला आप के नोटिस में लाना चाहता हूं । जहां तक House की lobbies का ताल्लुक है यह हर जगह देखने में आता है कि सिवाय मैम्बरान के और कोई साहबान lobbies में नहीं आते हैं लेकिन मैं यह देख रहा हूं कि हमारी lobbies एक thoroughfare बनी हुई है और कोई भी आदमी जो मैम्बर के साथ आना चाहे वह थोड़ी सी जुरंत करने पर आ सकता है । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि क्या इस के लिये हाऊस की इजाजत है या कि यह एक convention बनाई जा रही है ? मैं यह नहीं कहता कि ऐसा आपके आफिस की तरफ से होता है बल्कि मैं यह बतलाना चाहता हूं कि Parliamentary तरीके को observe करते हुए यह House की dignity का सवाल बन जाता है ।

मुख्य मंत्री : हाउस की तरफ से कोई इजाजत नहीं लेकिन बदकिस्मती से जब मैम्बर साहबान अपने साथ बाहरी लोगों को अन्दर ले आते हैं तो हमारे watch and ward वाले जो वहां होते हैं उन्हें देख कर जरा झिझक जाते हैं लेकिन मैं समझता हूं कि किसी non-member को हाउस की lobbies में नहीं आना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं Leader of the Opposition और Chief Minister का बड़ा मशकूर हूं कि वह एक अहम मसला मेरे इल्म में लाए हैं । मैं खुद यह महसूस करता हूं क्योंकि जब कभी दरवाजा खुल जाता है तो मुझे lobbies में strangers नजर आते हैं ।

इस के बारे में पहिली बात तो यह है कि कोई भी मैंबर अपने साथ non-member को ना लाए और अगर यह मुमकिन नहीं तो इसका दूसरा इलाज यह है कि watch and ward को strict हिदायत कर दी जाये कि वह किसी non-Member को न आने दे क्योंकि strangers के होते हुये lobbies में अगर हाऊस के Members कुछ सलाह करना चाहते हैं तो उन्हें दिक्कत होती है ।

एक बात जो बाहर के देशों के बारे म पाई जाती है वह यह है कि वहां lobbies की तो कौन कहे House में भी आ जाते हैं । और किसी दूसरी Legislature के मैम्बर्ज या M. Ps. lobbies में आ सकते हैं । मैं ने सुना है, देखा नहीं, कि वह House में भी बैठ सकते हैं; ऐसा U. S. A. में है । मेरी समझ में दूसरी Legislatures के मैम्बर्स और M.P.s को lobbies में आने दिया जाए, बाकी जो non-members हैं उन्हें बन्द कर दिया जाय ।

(I am very grateful to the Chief Minister and the Leader of the Opposition for having brought an important matter to my notice. I myself feel about it because whenever the door is opened, strangers are seen sitting in the lobbies.

I am of the view that no Member should bring with him any stranger and if it is not possible then the other alternative is that strict instructions may be issued to the watch and ward staff not to allow non-members to enter the lobbies because in the presence of strangers the Members of the House find it difficult to hold consultations there amongst themselves if they want to do so.

One thing found in the foreign countries is that what to talk of lobbies the strangers enter the House even. However, members of other Legislatures or of Parliament can visit the lobbies. I have heard but not seen that they can sit in the House also. This practice is prevalent in the Legislatures of the U.S.A. I, therefore, think that except Members of other Legislatures and the M.P.S. non-members should not be allowed to come in the lobbies.)

Sardar Bhupinder Singh Mann : In the Parliament, Sir, the ex-Members are permitted to use the lobbies even today.

अध्यक्ष महोदय : इस के लिये ज़रूर strict होना पड़ेगा। (Strictness will have to be observed for this.)

ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਨਾਬ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ?

अध्यक्ष महोदय : अगर आपने strictly follow करना है तो आप बतला दें। (If the hon. Members wish to observe this practice strictly, then let them speak.)

Minister for Education and Labour : Sir, in the Parliament the accredited journalists can, with permission, go into the lobbies.

Mr. Speaker : Whose permission ?

Minister for Education : Speaker's or Secretary's.

अध्यक्ष महोदय : मैं तो समझता हूं कि वह permission ले लें और जिनके पास permission न हो वह न आएं। (I think journalists should obtain the permission for entering into the lobbies but those who do not possess it, should not be allowed to enter the lobbies.)

मुख्य मंत्री : जो non-members हैं उनको न आने दिया जाए और बाकी जो किसी Legislatures के मैम्बर्स हों वह या M.P.s को आने दिया जाये, इसमें किसी को एतराज़ न होगा।

अध्यक्ष महोदय : दोनों तरफ से यही तय हुआ कि जो non-members हैं वह न आएें लेकिन जो किसी Legislature का मैम्बर हो या M.P. हो उसको

[अध्यक्ष महोदय]
आने दिया जाये। (It is now agreed to by both sides that non-members should not be allowed to enter the lobbies but there is to be no restriction for the M. P.s and the Members of other Legislatures.)

पंडित श्री राम शर्मा : यह पता कैसे लगेगा ?

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ lobbies ਵਿਚ correspondents ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਏਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

अध्यक्ष महोदय : Order, order. दोनों तरफ से यही agree हुआ है। (This has been agreed to by both the sides.)

ADJOURNMENT MOTION.

अध्यक्ष महोदय : अब जो *Adjournment motions श्री राम किशन भड़ोलियां और श्री इन्दर सिंह जी की तरफ से आये हैं इनके लिये यही रूलिंग है कि जब बजट चल रहा हो तो हाऊस का बिज़निस बन्द नहीं हो सकता। (Now regarding the Adjournment motions given notice of by Sarv-shri Ram Kishan Bharolian and Inder Singh, the ruling is that when the discussion on the Budget is in full swing the business of the House cannot be suspended for discussion on the Adjournment motions).

PAPERS LAID ON THE TABLE

Minister for Finance (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to re-lay on the Table the amendments made in the Punjab Motor Vehicles Rules, 1940, as required under Section 133(3) of the Motor Vehicles Act, 1939.

BILLS (INTRODUCED)

The Punjab Textiles and Sugar (Existing Stocks) Purchase Tax and Miscellaneous Provisions Bill, 1958.

Minister For Planning (Dr. Gopi Chand Bhargava) : Sir, I beg to move for leave to introduce the Punjab Textiles and sugar (Existing Stocks) Purchase tax and Miscellaneous Provisions Bill.

*Note.—Shri Inder Singh, M.L.A., to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, indiscriminate imposition and immediate recovery of punitive police cost worth lakhs on villages Udepur, Kalwa, Nagra, Danoda Kalan, Mehrara, Kanina and Baroda of District Sangrur.

Shri Ram Kishan Bharolian, M.L.A., to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public impottance, namely, up rooting of thousands of residents in Nangal Fertilizer Factory Area by requiring three thousand acres of land without award and compensation, destroying gram and wheat crops worth lakhs and making no arrangements for the rehabilitation of the affected persons and poor families.

Mr. Speaker : Motion moved—

That leave be granted to introduce the Punjab Textiles and Sugar (Existing Stocks) Purchase Tax and Miscellaneous Provisions Bill.

Mr. Speaker Question is—

That leave be granted to introduce the Punjab Textiles and Sugar (Existing Stocks) Purchase Tax and Miscellaneous Provisions Bill.

The leave was granted.

Minister for Planning : Sir I beg to introduce the Punjab Textiles and Sugar (Existing Stocks) Purchase Tax and Miscellaneous Provisions Bill.

THE PUNJAB PASSENGERS AND GOODS TAXATION (AMENDMENT) BILL, 1958

Minister for Planning (Dr. Gopi Chand Bhargava) : Sir I beg to move for leave to introduce the Punjab Passengers and Goods Taxation (Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Motion moved—

That leave be granted to introduce the Punjab Passengers and Goods Taxation (Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Question is—

That leave be granted to introduce the Punjab Passengers and Goods Taxation (Amendment) Bill.

The leave was granted

Minister for Planning : Sir, I beg to introduce the Punjab Passengers and Goods Taxation (Amendment) Bill.

THE PUNJAB BETTERMENT CHARGES AND ACREAGE RATES (AMENDMENT) BILL, 1958

Minster For Irrigation And Power (Sardar Gian Singh Rarewala) : Sir, I beg to move for leave to introduce the Punjab Betterment Charges and Acreage Rates (Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Motion moved.

That leave be granted to introduce the Punjab Betterment Charges and Acreage Rates (Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Question is—

That leave be granted to introduce the Punjab Betterment Charges and Acreage Rates (Amendment) Bill.

The leave was granted.

Minister for Irrigation and Power : Sir, I beg to introduce the Punjab Betterment Charges and Acreage Rates (Amendment) Bill.

POINT OF ORDER REGARDING TRANSLATION OF THE REPLY TO STARRED QUESTIONS.

योजना मंत्री : On a point of order, Sir. एक बात यह है कि जब हाऊस में question hour के वक्त यह कहा जाये कि जवाब हिन्दी में दो या पंजाबी में दो तो तरजुमा करने में तकलीफ होती है और यह भी मुमकिन है कि गलती भी हो जाए इस लिये अगर मैम्बर साहिबान पहले से यह बतला दें कि वह reply किस ज़बान में चाहते हैं तो बहुत अच्छा हो क्योंकि वैसा इन्तज़ाम किया जा सकता है।

पंडित श्री राम शर्मा : पहिले से कब?

मुख्य मंत्री : जब सवाल भेजा जाता है तब लिख दिया करें कि किस जबान में reply चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप जब question भेजते हैं तब अगर लिख दिया करें कि answer हिन्दी, पंजाबी या English में दिया जाये तो ठीक है। (When the hon. Members give notices of questions, they should indicate the language—English, Hindi or Punjabi—of the reply. This would be proper.)

श्री शेर सिंह (Jhajjar) : यह जो ज़बान का प्रश्न है, उसका ऐसा इन्तज़ाम नहीं हो सकता कि जिस ज़बान में प्रश्न हो उसी ज़बान में उसका उत्तर हो ?

अध्यक्ष महोदय : अभी तो हमारे पास ऐसा इंतज़ाम नहीं है। आप अभी इंतज़ार कीजिये; हमारे यहां कलासिज चल रही हैं, languages सिखाई जा रही हैं। (At present we have no such arrangement, they should wait for this. Now the classes for teaching the Hindi and Punjabi languages are being held.)

पंडित भागीरथ लाल शास्त्री : यह जो प्रश्न होते हैं अगर इनका जवाब हिन्दी, पंजाबी में न दिया जा कर अंग्रेज़ी में आयेगा तो वह समझ में कैसे आयेगा ?

अध्यक्ष महोदय : अगर indication हो जाएगी तो यह मसला हल हो जाएगा। (If there is an indication of the language, then this difficulty will be resolved.)

SUPPLEMENTARY ESTIMATES (SECOND INSTALMENT) 1957-58.

अध्यक्ष महोदय : अगर कोई साहिब charged expenditure के estimate पर बहिस करना चाहे तो वह तकरीर कर सकता है। (If any hon. member wishes to discuss the estimates of the expenditure charged on the consolidated fund of the State he may do so.)

(*No member rose to discuss charged item included in the Supplementary Estimates.*)

Mr. Speaker : The House will now proceed with the next item on the Agenda, namely, Voting of Demands for Supplementary Grants.

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS

(DEMAND NO.1)

STAMPS

Minister for Finance (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move—

That a supplementary sum not exceeding Rs 1,39,650 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1958, in respect of 9-Stamps.

Mr. Speaker : Motion moved—

That a supplementary sum not exceeding Rs 1,39,650 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1958, in respect of 9-Stamps.

Shri Sumer Singh : Sir , I have given notice of a cut motion in respect of this demand.

Mr. Speaker : Yes, the hon. Member may move it.

आज जो discussion होगी rules के मुताबिक इस के लिये 45 minutes का गिलोटीन period है । इस को बजाए अगर गिलोटीन हाऊस adjourn होने से आधा घंटा पहिले apply कर दिया जाये तो आप साहिबान को 15 minutes discussion के लिए और ज्यादा मिल जाएंगे । अगर हाऊस को कोई इतराज़ न हो तो मैं ऐसा कर दूं ।

(According to rules guillotine period is 45 minutes for today's discussion. If guillotine is applied only half an hour before the adjournment of the House, then the hon. Members shall have fifteen minutes more for discussion. May I do so with the permission of the House.

बहुत से माननीय मेंम्बर : हां जी ठीक है ।

Shri Sumer Singh (Hasanpur) : Sir, I beg to move—

That the demand be reduced by Rs. 10/-

अध्यक्ष महोदय मैं आपके through गवर्नमैंट का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि पिछले 2-3 महीनों से गुड़गांवां ज़िले में एक आने वाला काग़ज़ नहीं मिलता । यह बात तो वैसे मामूली है इस के न मिलने से जो नुकसान होता है वह बहुत बड़ा है । यह जो एक आने वाला कागज़ होता है यह अदालतों के record में रहता है और बहुत देर तक खराब नहीं हो सकता । आज कल वहां पर अदालतों में मामूली कागज़ पर लिख कर देना पड़ता है । चूंकि

[Shri Sumer Singh]

अदालत के record की life बहुत लम्बी होती है इस लिए मामूली कागज़ों के खराब हो जाने का अंदेशा रहता है और उन की life जल्दी खत्म हो जाती है। मैं यह कहता कि हूं जिन अफसरान की नाअहलियत की वजह से वहां पर एक आने वाले कागज़ नहीं पहुंचे गवर्नमैंट को उन्हें दुरुस्त करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : Supplementary Demands पर बोलते समय general discussion नहीं आती। आप ने तो main demand पर बहस करनी शुरू कर दी है आप किसी तरह इस को relevant करें। (while speaking on the supplementary demands, general discussion does not come in. The hon. Member has started discussion on the main demand. He should make it relevant somehow or other.)

श्री सुमेर सिंह : स्पीकर साहिब, नासिक के मुताल्लिक यह चीज़ आई है। इस लिए मैं यह कहता हूं कि एक आने वाले जो कागज़ हैं वह नासिक से तैयार हो कर आते हैं। इन कागज़ों के न मिलने से गुड़गांवा में लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। बाज़ वक्त वहां पर एक आने वाले कागज black market में चार चार आने और आठ आठ आने में बिकते हैं। मैं गवर्नमैंट का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप relevant बोलें। (The hon. Member should speak relevant.)

श्री सुमेर सिंह : स्पीकर साहिब, नासिक वाले वहां से कागज़ नहीं भेजते इस की वजह से लोगों को बड़ी तकलीफ होती है।

पंडित श्री राम शर्मा : स्पीकर साहिब, इस पर discussion item-wise होगी या general discussion होगी ?

Mr. Speaker : The discussion should be confined to the items included in the Demand.

श्री सुमेर सिंह : जनाब मैं यह दरखास्त करता हूं कि नासिक के Manager को यह हिदायत की जाये कि जब उस के पास demand जाए वह वक्त पर कागज़ भेज दिया करे ताकि लोगों को इस किस्म की तकलीफ न हो।

Mr. Speaker : Motion moved —

That the demand be reduced by Rs. 10/-

वित्त मंत्री (श्री मोहन लाल) : श्री सुमेर सिंह जी ने जिस बात की तरफ Government का ध्यान दिलाया है मुझे उस पर कोई इतराज नहीं। मैं अर्ज़

करूंगा कि उन को जो तकलीफ हुई है हम कोशिश करेंगे कि दोबारा वह न हो ।

अध्यक्ष महोदय : राओ साहिब आप अपनी amendment को वापिस लेना चाहते हैं या इस पर वोट कराना चाहते हैं । (Does Rao Sahib want to withdraw his amendment or should it be put to the vote of the House.)

श्री सुमेर सिंह : अध्यक्ष महोदय मैं अपनी amendment को वापिस लेता हूं क्योंकि वज़ीर साहिब ने assurance दी है कि वह हमारी तकलीफ को, जिसका मैं ने ज़िक्र किया है, दूर करेंगे ।

Mr. Speaker : Question is —

That the demand be reduced by Rs. 10/-

The motion was by leave withdrawn

Mr. Speaker: Question is -

That a supplementary sum not exceeding Rs 1,39,650 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1958, in respect of 9—Stamps.

The motion was carried.

FORESTS

Minister for Finance (Shri Mohan Lal) Sir, I beg to move—

That a supplementary sum not exceeding Rs 1,21,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1958, in respect of 10—Forests.

Mr. Speaker : Motion moved—

That a supplementary sum not exceeding Rs 1,21,00 0 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1958, in respect of 10—Forests.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs 1,21,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1958 in respect of 10—Forests.

The motion was carried.

OTHER TAXES AND DUTIES

Minister For Finance (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move—

That a supplementary sum not exceeding Rs 1,40,170 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1958, in respect of 13—Other Taxes and Duties.

Mr. Speaker : Motion moved—

That asupplementary sum not exceeding Rs 1,40,170 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1958 in respect of 13— Other Taxes and Duties.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs 1,40,170 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1958 in respect of 13—Other Taxes and Duties.

The motion was carried.

POLICE

Minister for Finance (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move—

That a supplementary sum not exceeding Rs 59,89,200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1958 in respect of 29-Police.

Mr. Speaker : Motion moved—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 59,89,200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1958 in respect of 29-Police.

श्री बलराम दास टंडन (अमृतसर शहर, पश्चिम) : स्पीकर साहिब, यह जो demand No. 4 पुलिस के heading के नीचे आती है और जिसे हमारे वित मंत्री महोदय ने हाउस के सामने रखा है मैं उसकी मुखालिफत करने के लिए खड़ा हूं। वैसे तो साधारणतय Police Department पर जो खर्च किया जाता है उसके बारे में दूसरे मुल्कों के अन्दर कोई एतराज की बात नहीं उठती है क्योंकि यह समझा जाता है कि कानून को बेहतर रखने के लिए, law and order को ठीक तरीका से चालू रखने के लिए, corruption को खत्म करने के लिए और दूसरे ऐसे जरायम को दूर करने के लिए police department को मजबूत बनाना चाहिए और इसी नजरिया से उस पर बगैर किसी एतराज के खर्च किया जाता है। लेकिन सपीकर साहिब यहां पर जितना भी इस पुलिस पर खर्च किया जाता है वह इस दृष्टिकोण से नहीं किया जाता है बल्कि यहां पंजाब के अन्दर एक अजीब किस्म की धान्दली चल रही है और पुलिस पर जो खंच किया गया है और किया जा रहा है वह उस धान्दली के सिलसिले में ही खंच किया जा रहा है। आज पंजाब के अन्दर वह हालात नहीं हैं जिनको साधारण हालात कहा जाता है बल्कि इस से बिल्कुल भिन्न हैं..............

Mr. Speaker : The hon. Member should try to be relevent.

Shri Balram Das Tandon : I will be relevant.

Mr. Speaker : He should confine his speech to the items included in the demand.

Minister for Finance : Sir, some Members do not know the scope of discussion so far as the supplementary demands are concerned.

श्री बलराम दास टंडन : मुझे इस बात का पता नहीं लग रहा है कि यह interruptions क्यों की जा रही है और....,

अध्यक्ष महोदय : आप देखें कि यह जो पुलिस की demand है इस पर बजट की general discussion की तरह debate नहीं होगी । इसमें जो items mentioned हैं आप उन पर ही बोलें । (The hon. Member may please note that a general debate on this demand regarding the police cannot be raised just as it is done during the general discussion of the Budget. He should speak only on those items which are mentioned in the demand under discussion.)

श्री बलराम दास टंडन : मैं जनाब उन मदों पर ही बोल रहा हूं जो इस demand में दर्ज हैं । मैं जिस बात की तरफ आप का ध्यान दिलाने जा रहा था वह इस पुलिस की demand के heading के नीचे ही आती है यहां इस में पिछली Hindi agitation के बारे में जिक्र किया गया है और उसके ऊपर किए गए खर्च की मद रखी गई है । तो मैं कह रहा था कि आज पंजाब में जो हालात हैं वह साधारण नहीं कहे जा सकते । मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस agitation की आड़ लेकर जो कुछ पिछले दिनों पंजाब के अन्दर हुआ है जिसे पंजाब के तमाम लोगों ने देखा और सुना है और जो जो ज़्यादतियाँ पुलिस ने लोगों पर की हैं वह एक ऐसा position हमारे सामने रखती हैं जिन से यही प्रतीत होता है कि सरकार की तरफ से जो पुलिस force पर खर्च किया जाता है वह इस नाते से खर्च नहीं किया जाता कि कानून ठीक हो, corruption दूर हो और पुलिस कानून के मातहत रह कर काम करे बल्कि उसका प्रयोग ज्यादातर इस लिए किया गया कि जो सरकार के political opponents हैं, विरोधी धड़े के लोग हैं उनको किस तरह खत्म किया जाए । यह सारा रुपया खर्च करके पुलिस का प्रयोग सरकार ने अपने political opponents और विरोधी पक्ष को कुचलने के लिए किया है और जो बात न भी हो सकती है उसको भी करने का प्रयत्न किया है । जो कुछ भी यह इस तरह की बातें हुई हैं वह तमाम लोगों ने देखी और सुनी हैं । यहां पर गवर्नर साहिब के address पर बहस हुई है । जहां Hindi agitation की बातें भी हुई और उसके अन्दर जो वाकियात हुए और खास तौर पर इस हाउस के एक माननीय मैम्बर डाकटर मंगल सैन जी के बारे भी यहां बातें आई हैं और चीफ मिनिस्टर साहिब ने इस बहस का और इन बातों का खास तौर पर जो जवाब दिया है उस से हरेक को बड़ी हैरानी हुई है कि किस तरह उन्होंने इन सारी बातों की defence की है । बड़े दुख और अफसोस की बात है कि जिस नज़रिया से वह बात मुख्य मंत्री जी के सामने रखी थी उसका जवाब उसी नज़रिया से नहीं दिया गया है । स्पीकर साहिब अमूमन होता यही है कि मुख्य मंत्री जी हर बात के लिए defence बना कर खड़े हो जाते हैं और जो नाजायज़ बातें होती हैं उन के लिए भी खड़े होकर justify करने की कोशिश करते हैं । इस नाजायज़ defence का नतीजा यह होता है कि जिन लोगों के हाथों में ताकत होती है और जिन लोगों के हाथों में जनता का पैसा खर्च करके जो ताकत दी जाती है उस

[श्री बलराम दास टंडन]

का इतने बुरे तरीके से दुरुपयोग होता है कि उसका जितना ज़िकर किया जाए इतना थोड़ा है । यही चीज हमारे हाउस के एक hon. member के साथ की गई है लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि चीफ मिनिस्टर साहिब ने उन सारी बातों के जवाब में बड़ी लम्बी चौड़ी मन घड़त कहानी हाउस के सामने रख दी कि किस तरह श्री मंगल सैन वहां आए, किस तरह उन्होंने agitation के दौरान में एलान करके demonstration की और फिर किस तरह वह आंखों से ओझल हो गए और फिर किस तरह लोगों ने उनको सुभाष बाबू कहा और यह हुआ वह हुआ वगैरह वगैरह । लेकिन जिस बात की तरफ opposition के लोगों ने सरकार का ध्यान दिलाने की कोशिश की थी उसके बारे में एक भी शब्द कहना मुख्य मंत्री जी ने ठीक न समझा । उन्हों ने सिर्फ यही उचित समझा है कि डाक्टर मंगल सैन के बारे में एक लम्बी चौड़ी कहानी बना कर हाउस के सामने रख दी जाए लेकिन जिस बात की तरफ ध्यान दिलाया गया था कि उस hon. member को बहुत बुरी तरह पीटा गया बेइज्जती की गई और वहां सरकारी अफसरान ने अपने हकूक और अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया उस के लिए एक शब्द भी मुख्य मंत्री जी के मुंह से नहीं निकला मैं कहना चाहता हूं कि यह लोग जो आज treasury benches पर बैठे हुए हैं और अपने मुखालफों को कुचलने के यत्न कर रहे हैं कल वह भी इस सदन की दूसरी तरफ बैठ सकते हैं । क्या वह चाहते हैं कि उनके साथ भी ऐसी बातें हों ? क्या वह चाहेंगे कि उनके साथ भी यह पुलिस ऐसा ही सलूक करे ? जब मैम्बरों को इस तरीके से पीटा जाता है तो आम जनता की क्या हालत होगी ? मगर मुख्य मंत्री महोदय ने इन बातों की तरफ एक शब्द भी न कह कर सारी बनी बनाई कहानी ब्यान कर दी फिर उन में बाहू अक्बर के वाकिया का भी जबाब देने की कोशिश की और सारी कहानी बताई कि कैसे ट्रक चले हैं, कैसे बसें चलीं हैं और वहां लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की है यह सारी कहानी ब्यान करके सिर्फ एक शब्द में कहा जाता है कि वहां कुछ नहीं हुआ है हालांकि सारे हालात अखबारों के अन्दर छपे हुए हैं और तमाम जनता ने पढ़ा है, सुना है और देखा है कि वहां कितने जुल्म हुए हैं । लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि चीफ मिनिस्टर ने सारी कहानी सुना कर जो कि बिल्कुल irrelevant थी एक शब्द में बात खत्म कर दी कि वहां कुछ नहीं हुआ है । मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है मगर मैं चाहता हूं कि जो उसी agitation के दौरान मेरे साथ बीती है उसे भी इस हाउस के सामने रख दूं । मैं चाहूंगा कि मिनिस्टर साहिब इन सारी बातों की तहकीकात करके हमारे यहां हाउस के सामने रखें । होता यह है कि उसी agitation के दौरान मेरी property की attachment के orders निकलते हैं और ऐसे orders निकलते हैं जो आज तक किसी ने न सुने हैं और न देखे हैं कि फौरन attachment कर लो । Attachment जिस की property की होनी होती है

उस को 30 दिन का नोटिस दिया जाता है लेकिन मेरे बारे में इसकी जरूरत न समझी गई। फिर अजीब बात यह है कि जो S. S. P. जेरे दफा 3 noted smugglers को बजरिया तमाम अखबारात 20 दिन का notice देता है कि आप हाज़िर हो जाएं नहीं तो property attach हो जाएगी वही S.S.P. मेरे लिए orders pass करता है कि फौरन property attach कर लो और पुलिस बिना notice आ कर मेरे घर को घेर लेती है और कहती है कि हम आपकी property attach करना चाहते हैं यह बातें इस हाउस के मैम्बरों के साथ हो रही हैं। क्या यह कानून के मुताबिक था ? नहीं। बल्कि यह एक मिसाल है कि किस तरीके से यह अपने political opponents को कुचलना चाहते हैं। इस तरह की अनेकों बातें आज हो रही हैं। मुझे खदशा है कि जिस तरह हम ने यहां पर security of land Tenures Act बनाया है अगर ऐसे ही वाकियात होते रहे तो हमें यहां पर एक security of the members of the opposition और leader of the opposition Bill न बनाना पड़े। मैं इन मंत्री गणों से पूछना चाहता हूं कि क्या S. S. P. और D. S. P. को मेरे साथ कोई अदावत थी? क्या उनके साथ मेरा कोई ज़मीन जायदाद का झगड़ा था या मैंने उनको गालियां निकाली थीं? नहीं, मेरे साथ उनकी कोई अदावत नहीं थी। कोई झगड़ा नहीं था और न मैंने किसी को गाली निकाली थी। दरअसल बात यह है कि यह जो सरकारी बेंचों पर आज ताकत के नशे में बैठे हुए हैं और पंजाब के अन्दर जो एक आदमी अपनी dictatorship कायम किए बैठा हुआ है उसी के इशारे पर सारी बातें होती हैं। सिवाए इस के और कोई बात नहीं हैं। जो S.S.P. या D.S.P. लगे हैं वह आज आते हैं कल चले जाते हैं। मेरी किसी के साथ अदावत नहीं है जो वह इस तरह की बातें करें। वह कुछ नहीं करते मगर यह अपने विरोधी धड़े वालों को कुचलने के लिए करवाते हैं।

इन बातों के इलावा मुझे एक मसले का जिक्र करना है जो आज पंजाब के अन्दर चल रहा है। जहां पुलिस की पिछले दिनों यह सारी कार्यवाहीं हुई वहां उसी agitation के दौरान एक मसला यह भी खड़ा हुआ है और वह है गुरुद्वारों की अपवित्रता। मैं समझता हूं कि कौन ऐसा पंजाबी हो सकता है जिसका सिर शर्म से न झुकता हो और...

अध्यक्ष महोदय : अगर आप हाउस का time fix कर लें तो अच्छा होगा मेरे पास सिर्फ $2\frac{1}{2}$ घंटे हैं (I think it would be better if the time-limit for speeches is fixed because I have only $2\frac{1}{2}$ hours at my disposal.)

श्री बलराम दास टंडन : मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं थोड़े ही समय के अन्दर यह सारी बातें समाप्त करता हूं। यह बड़ी अहम हैं...

अध्यक्ष महोदय : यह तो आप कर लें लेकिन मैं हाउस की sense लेना चाहता हूं कि time-limit fix करना चाहते हैं या नहीं? (The hon.

[अध्यक्ष महोदय]

member may do so but I want to take sense of the House whether or not the hon. members want to fix some time-limit in making speeches.)

श्री बलराम दास टंडन : Time limit तो नहीं होना चाहिए ......

अध्यक्ष महोदय : आप का मतलब है कि आप के लिए नहीं होनी चाहिए ? (हंसी) Does the hon. member mean to say that there should be no time-limit for him to make speech?) (laughter)

श्री बलराम दास टंडन : तो स्पीकर साहब, जो हालत हमारे पंजाब की हुई वह इतनी अजीब थी कि उस से हरेक को दुःख होता है । जैसा कि मैंने पहले कहा उन हालात को देख कर न सिर्फ पंजाबी का सिर शर्म से झुक जाता है बल्कि मैं समझता हूं हिन्दुस्तान के हरेक बाशिन्दे के लिए यह बड़े दुःख की बात है । मैं इस बात के पक्ष में हूं कि उन व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो पंजाब के अन्दर साम्प्रदायिक भिन्नता तथा विद्वेष फैला रहे हैं और इस प्रकार प्रान्त के वायुमण्डल को खराब कर रहे हैं । जब इस प्रकार के हालात हमारी आंखों के सामने हों कि पंजाब की पुलिस या पंजाब की सरकार द्वारा इस प्रकार की ज्यादतियां हों तो उन्हें देख कर बहुत दुःख होता है । एक व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है और बे इन्तहा प्रकार की सजाएं उसे दी जाती है, सख्तियां की जाती हैं । पिछले दिनों श्री वरियाम चन्द म्युनिसिपल कमिश्नर को पकड़ा गया, इसी तरह कादियां के 9th class student श्री ओम प्रकाश को पकड़ा गया । वे स्पष्ट रूप में कहते हैं कि हमारा ऐजीटेशन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है लेकिन उन्हें तरह तरह की सजाएं दी जाती हैं ताकि वे किसी तरह से अपने मुंह से ये अलफाज़ कह दें कि फलां फलां शख्सों का इस में हाथ है । इसी प्रकार श्री राजन्दर जिज्ञासु को पुलिस द्वारा पीटा गया । सारी सारी रात उन्हें सोने नहीं दिया गया, सर्दियों की रातों में ठंडा पानी उन पर डाला गया, एक एक दिन तक उन के मुंह पर गन्दगी बान्ध कर रखा गया और उन्हें मजबूर किया गया कि वे बताएं कि कौन कौन से व्यक्ति उन के साथ हैं और किस तरह उन की मदद करते हैं। श्री वरियाम चन्द म्युनिसिपल कमिश्नर क्योंकि हरीजन थे । इस लिए उन्हें लालच दिया गया कि आप को बीस हज़ार रुपया दिया जायेगा जिस से गरीबी दूर हो सकती है और उन्हें यह लालच देकर यह बयान देने पर मजबूर किया गया कि वह किसी तरह से यह कह दें कि इस काम में बलराम दास, डाक्टर बलदेव प्रकाश और कृष्ण लाल का हाथ है और बड़े बड़े नेताओं ने सिगरेट टिन दिए हैं । इस लिए मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि सरकार की मशीनरी के ज़रिये इस प्रकार का ज़हर फैलाया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : इस वक्त हाउस में relevancy की बहुत बारीक सी लाइन है । आप रूल्ज़ में जो lacuna है उस का नाजायज़ फायदा न उठाएं। आप जनरल

तौर पर बहस करें । इन बातों को आप हाउस में क्यों लाते हैं ? (Relevancy is conspicuous by its absence in debate at this stage. The hon. Member should not take undue advantage of the flaw lacuna in the rules in this respect. He should discuss things in a general way. Why does he bring such matters in the House ?)

श्री बलराम दास टंडन : स्पीकर साहिब, मैं जेनरल तौर पर ही बहस कर रहा हूं । मैं यह अर्ज़ कर रहा हूं कि इस ऐजीटेशन के अन्दर जो जो बातें हमारी समझ में आई हैं वे यह हैं कि पंजाब के अन्दर बड़े से बड़े शहरी safe नहीं है।

डाक्टर बलदेव प्रकाश (अमृतसर शहर East) : On a point of order Sir पुलिस के लिए आप ने सात लाख रुपये की डिमांड रखी है । तो इस पर बहस करते वक्त क्या यह नहीं बताया जा सकता कि वे किस तरह ज्यादतियां करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए । आप इस तरह की बातें इस स्टेज पर न करें । जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर बहस होगी उस वक्त कर लें (The hon. Member may resume his seat. He should not refer to these matters at this stage. He can do so at the time of discussion on General Administration.)

श्री बलराम दास टंडन : ये बातें पुलिस में आ जाती हैं । मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि आज पंजाब की हालत यह है कि यहां बड़े से बड़े शहरी की जिन्दगी भी safe नहीं । मैं समझता हूं कि पंजाब के अन्दर साम्प्रदायिक झगड़े को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और सरकारी बैंचिज़ पर बैठने वाले कुछ जिम्मेदार लोग भी साम्प्रदायिकता फैलाने के उत्तरदायी हैं और उनका प्रयत्न यह है कि लोग आपस में मिल कर न बैठ सकें । स्पीकर साहिब, दुर्ग्याना सरोवर के बारे में भी कहा गया। इस विषय में मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि आज इस तरीके से कार्य हो रहा है कि जिस से हम मिल कर ना बैठ सकें (घंटी) ।

स्पीकर साहिब, मैं सिर्फ एक दो ज़रूरी बातें और कहना चाहता हूं ।

Mr. Speaker : So many demands are to be discussed and only 2½ hours are available for that purpose. The hon. Member has already taken half an hour.

श्री बलराम दास टण्डन : स्पीकर साहिब, काफी देर तो lobbies वाला सिलसिला चलता रहा है । मुझे दो मिनट और दे दें ।

अध्यक्ष महोदय : तो आप दो से एक पर आ जाइए। (Then let it be one minute instead of two minutes.)

श्री बलराम दास टण्डन : स्पीकर साहिब, यह बात दुख के साथ कहनी पड़ती है कि महन्दा गांव, थाना ब्यास, जिला अमृतसर के लोगों को बाहर निकाल दिया गया....

Minister For Finance : How is it relevant ?

Mr. Speaker : I am really at a loss to understand how it is relevant to the demand under discussion at present.

श्री बलराम दास टण्डन : तो स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि गांव महन्ता, थाना ब्यास के बारे में डी. सी. और एस. एस. पी. के नोटिस में लाया गया लेकिन किसी तरह का कोई ऐक्शन नहीं लिया गया।

आखिर में मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जिस ढंग से आज हमारे देश का प्रशासन चल रहा है और पंजाब के अन्दर आज जो माहौल पैदा किया जा रहा है उसे देख कर हमें निहायत अफसोस होता है। पंजाब के अन्दर पिछले छः मास से निहायत अफसोसनाक हालात चले आ रहे हैं लेकिन यह सब कुछ होने के बावजूद भी जो ऐसे हालात पैदा करने के ज़िम्मेदार थे उन्हें किसी किस्म की सज़ा नहीं दी गई और उन हालात का सही जायज़ा लेने के लिए एनक्वायरी नहीं कराई गई। जो एनक्वायरियां हुई भी हैं उन का जो हश्र हुआ वह हमारे सामने है और लोग इस दृश्य से भली भान्ति परिचित हैं कि किसी को किसी प्रकार की सज़ा मिलने वाली नहीं। इन हालात से यह सिद्ध होता है कि मुख्य मन्त्री इस गद्दी के योग्य नहीं थे और उन्हें इस गद्दी पर न हो कर हथकड़ी लगा कर जेल की आहनी सलाखों के पीछे दिखाई देना चाहिए था। (घंटी की आवाज़)

अध्यक्ष महोदय : अब किसी मेम्बर को दस मिनट से ज्यादा समय नहीं दिया जायगा। (Now onwards no hon. Member will get more than ten minutes.)

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ (ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ merger ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਦੀਆਂ services ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ services ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਿਹਾਇਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ training ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ merger ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ test ਦਿਓ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸਾਤਿਤ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਤਕਰਾ ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ services ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਕ ਸਟੇਟ ਬਣ ਚੁਕੀ ਹੈ ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੜੀ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ । ਹਿੰਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਧਾਵੇ ਬੋਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਰਮਾਈ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਵਾਮੀ ਆਤਮਾ ਨੰਦ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ Youth Congress ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ । ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ

ਸਵਾਮੀ ਆਤਮਾ ਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਵਾਮੀ ਆਤਮਾ ਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। (voices : गलत, बिल्कुल गलत।)

Mr. Speaker : Order, please.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਉਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੇ 31 cases ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

मौलवी अब्दुल गनी डार (नूह) : जनाब स्पीकर साहिब, इस डिमाण्ड में करीबन दस लाख रुपया anti-smuggling staff के सिलसिले में मांगा गया है। पिछले दिनों यह बताया गया था कि जो करोड़ों रुपये की smuggling हुई उस में से 18 लाख रुपया का माल काबू आया यानी सोना, अफयून, नोट वगैरह जो ऐसी चीज़ें smuggle हुई। Smuggling के रोकने के सिलसिले में जो डिमाण्ड पेश की गई है उस के मुतअल्लिक, स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ करूंगा कि smuggling दिन-ब-दिन ज़्यादा हो रही है। इस smuggling के सिलसिले में यह बात कही जाती है कि असल smugglers को छोड़ने के लिये पुलिस वाले बीसियों नहीं सैंकड़ों झूटे मुकदमे बनाते हैं और कुछ पूछ ताछ कर के उन को छोड़ देते हैं। स्पीकर साहिब, अगर कोई आदमी बेगुनाह है तो उसे छोड़ देना दुरुस्त बात है लेकिन जब गवर्नमैंट अपनी आमदन के ज़राए बढ़ाने के लिये ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लोगों पर लगा रही है तो उसे इस वसूल-शुदा रुपये को ज़्यादा हिफ़ाज़त के साथ, समझ के साथ और एहतियात के साथ खर्च करना चाहिये। इस में शक नहीं कि गवर्नमैण्ट को हिन्दी ऐजीटेशन के सम्बन्ध में पुलिस पर ज़्यादा रुपया खर्च करना पड़ा, यह बात तो समझ में आ सकती है लेकिन smuggling के सिलसिले में, स्पीकर साहिब, जो अंधेर गर्दी हुई और जिस तरह से smugglers को पनाह दी जाती है और गुनाहगारों को माफ कर दिया जाता है यह निहायत अफसोस का मुकाम है। क्या यह गवर्नमैण्ट को ज़ेब देता है कि ऐसा सटाफ रखा जाये जो मुजरिमों को पनाह दे। हमारे पंजाब की पुलिस काम और बंदोबस्त करने में मशहूर है लेकिन मुझे हैरानी होती है कि एक बड़े मज़बूत Inspector-General, Police और Senior Superintendent Police के होते हुए करोड़ों रुपये की smuggling हो। मैं गवर्नमैण्ट से दरियाफत करना चाहता हूं कि आखिर यह रुपया किस लिये हाउस से मंज़ूर कराया जाता है। स्पीकर साहिब, मुझे हैरत होती है कि हमें smuggling के मामले में काफी शरमिंदगी उठानी पड़ रही है। अभी तीन चार रोज़ की बात है कि एक smuggling का case चल रहा है जिस में हमारे बड़े मिनिस्टर के साहिब ज़ादे involved हैं।

Mr. Speaker : No such references, please.

मौलवी अब्दुल गनी डार : स्पीकर साहिब, मेरे कहने का मुदा यह है कि एक तरफ तो सरकार smuggling को रोकने के लिये लाखों रुपये मांगती है और दूसरी तरफ smuggling करने वालों को पनाह देती है और इस सिलसिले में साहिब जादे ने जाली मैडीकल सर्टिफीकेट पुलिस के जरिए हासिल किया है।

Mr. Speaker : The hon. Member should be relevant.

मौलवी अब्दुल गनी डार : जनाब आली, अब तो मैं यह नहीं कह रहा कि बड़े मिनिस्टर साहिब का साहिब जादा. . . .

अध्यक्ष महोदय : आप पांच मिनिट और बात कर लीजिए।

(There are five minutes more at the disposal of hon. Member.)

मौलवी अब्दुल गनी डार : आखिर इस मद पर दस लाख रुपये की रकम खर्च हो रही है। यह ज़रूरी है कि अपनी स्टेट को smuggling से बचाया जाये। जो अखबार में खबर छपी है कि एक smuggler किसी मिनिस्टर साहिब के घर से पकड़ा गया यह खबर ठीक है या नहीं इस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। Smuggling बढ़ रही है और smugglers की जुरर्त होती है कि वे मिनिस्ट्रों के घरों में आ जायें और यहां आ कर गिरफ्तार हो जायें (interruptions) सरदार जोगिंदर सिंह ने तो मुल्क के लिए तकलीफ उठाई लेकिन smugglers को पनाह देना और smuggling के नाम पर रुपया नाजायज़ खर्च करना सरदार जोगिंदर सिंह की हुकूमत के शायाने शान नहीं।

अध्यक्ष महोदय : देखिए आप किधर चले गये। (The hon. Member may please listen. He has digressed from the real point.)

मौलवी अब्दुल गनी डार : इस लिए जवाब दिया था, स्पीकर साहिब, कि आखिर. . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां बैठा हूं देखने के लिये कि debate relevant है या नहीं। इसका scope limited है। (I am here to judge whether the debate is relevant or not. Its scope is limited.)

मौलवी अब्दुल गनी डार : जैसे आप इर्शाद फरमाएंगे वैसे अमल करूंगा। इस में दो items हैं—एक smuggling की और दूसरी C. I. D. की। C.I.D. पुलिस, executive पुलिस और फौज से बढ़ कर सूबे की महाफ़ज़ है लेकिन स्पीकर साहिब, आज क्या हालत है। C. I. D. के सिपाही आज M. L. A.s Hostel और मिनिस्टरों की कोठियों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। Telephone के दफ्तरों और तार घरों में बैठे हैं। क्या C. I. D. का यही काम है?

[Mr. Speaker at this time rang the bell indicinatg the hon. Member's time was over].

श्री शेर सिंह (झज्जर) : अध्यक्ष महोदय, इस अनुपूरक मांग में जिस पर बहस हो रही है तीन चार items विशेष हैं जिन की तरफ मैं गवर्नमेंट का ध्यान दिलाना चाहता हूं । इस में नई vehicles खरीद किये जाने का ज़िक्र है इस लिये कि आंदोलन का मुकाबला करने के लिये ज्यादा force रखी गई । कुछ anti-Smuggling के बारे में जिक्र है । जहां तक vehicles का सम्बन्ध है, अगर हम इस सिलसिले में पिछले छः सात महीने का काम देखें तो पता चलेगा कि police vehicles का दुरुपयोग किया गया है । इन vehicles में लोगों को बिठा कर बरसात के मौसम में जंगलों के अंदर छोड़ा गया । State के बाहर भी यह vehicles इस्तेमाल किये गए और अंदोलन करने वालों को हरिद्वार, देहली और उत्तर प्रदेश में ले जा कर छोड़ दिया गया । अध्यक्ष महोदय, आप अंदाजा लगाएं कि पुलिस बरसात के मौसम में 10/11 आदमियों को इन vehicles में सवार कर के जंगलों में छोड़ आये जहां फसलें खड़ी हों, घास उगा हो, सांप घूमते हों, और अंधेरी रात हो, आखिर यह गाड़ी रोकने का काम बहुअकबरपुर में लोगों को मजबूर हो कर करना पड़ा । कई लोगों ने पुलिस को हाथ जोड़ कर निवेदन किया कि इन सत्याग्रहियों को जंगलों में न छोड़ें ता कि उन्हें रोटी खिलाई जा सके और दूध पिलाया जा सके। आखिर इन लोगों ने सत्याग्रह किया था—कोई जुल्म तो नहीं किया । उन्हों ने कोई इखलाकी जुर्म तो नहीं किया । यह अधिकार हर आदमी को है । पुलिस का फर्ज है कि अगर वह किसी आदमी को गिरफ्तार करती है तो वक्त पर रोटी तो दे और उन्हें जंगल में तो न छोड़ आये । जब इन अधिकारों पर police छापा डालती थी और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करती थी तब जनता ने कोई गुनाह नहीं कर दिया अगर वे अपने भाइयों को रोटी खिला दें, उन्हें पानी पिला दें या दूध पिला दें । इसको रोकने के लिये जो अत्याचार हुए उसके दोहरान की जरूरत नहीं । Police ने अपनी शक्ति का और उन vehicles का दुरुपयोग किया, लोगों को तंग किया । ज़िला रोहतक में पुलिस के 1,000 सिपाही चार पांच महीने तक गांव के अंदर घूमते रहे । एक Police State बन गई थी । Police के S.H.O.s, Havildars और सिपाही गांव में जा कर नंबरदारों के ज़रिये प्रचार करते थे लोगों में कि वे इस अंदोलन में हिस्सा न लें । पुलिस के इतिहास में मैं ने यह बात पहले कभी नहीं सुनी कि रात के वक्त एक एक गांव में तीन तीन सिपाही भेजना, लोगों को धमकियां देना और उन को पकड़ना, जैसा कि इस समय में किया गया । अगर कोई आदमी कानून को तोड़ते हैं तो उन को पकड़ा जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं । मगर यह नहीं सुना कि पुलिस के सिपाही गांव में बैठ कर यह प्रचार करें कि तुम हमारे जाट भाई जो हो, थोड़ी सी गुरमुखी सीख लो ; ऐसा प्रचार करना इन पुलिस वालों का काम रहा है। यह बात मैं ने पुलिस के इतिहास में पहले कभी नहीं सुनी ।....... (विघ्न)

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਗਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

श्री शेर सिंह : आप दुःखी क्यों होते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : No interruptions, please. आप उन्हें बोलने क्यों नहीं देते ? (No interruptions, please. Why does not the hon. member allow the speaker to speak uninterruptedly ?) (interruption by Sardar Harchand Singh.)

श्री शेर सिंह : अगर आप के साथ police ऐसा दुर्व्यवहार करे तो आपको पता लगे । इस प्रांत में उन लोगों की बेइज़्ज़ती हुई जिन के साथ दुर्व्यवहार हुआ उनके प्रति आपके दिल से यह आवाज़ निकलनी चाहिए ? (एक माननीय सदस्य : यह बात झूठ है) आप interfere न करें । अपने दिमाग से फिरकापरस्ती निकाल दें । हमारी पुलिस के सिपाही, जो किसी खास मज़हब से ताल्लुक रखते हैं, वे वहां लगाए गए । वे हकूमत के आदमी हैं । उन्होंने लोगों से कहा कि तुम इस तरफ क्यों आते हो । उनके ऊपर गलत मुकदमें चला कर यह कोशिश करते थे कि वे यह काम न करें । ज़िला रोहतक में police के 1,000 आदमी इसी काम के लिए लगाए गए । उनका काम था लोगों में प्रचार करना, झूठे मुकदमें चलाना कोई मिल जाए तो ज़बरदस्ती अंगूठा लगवा लेना; आठ आठ आदमी पकड़ कर सफैद कागज पर अंगूठा लगवा लेना और उसके बाद यह कहना कि मैंने और उन्हों ने माफी मांग ली है । जो पुलिस कानून की मुहाफिज़ समझी जाती है, रक्षा करने वाली समझी जाती है, आज वह उस कानून को तोड़ती है । जो कानून यहां पुलिस को apply करता है वह उसी कानून को तोड़ती है । उस लाकानूनी को पुलिस ने तीन चार महीने अपने हाथ से चलाया परन्तु सब अत्याचार करने पर भी ठीक बात कहने से लोगों को नहीं रोक सकी । तो इस समय में पुलिस ने जो काम किया उसकी जितनी निंदा करें थोड़ी है । यह बड़े दुःख की बात है कि पुलिस के छोटे से छोटे कर्मचारी से ले कर बड़े से बड़े अफसर तक ने यह चीज़ की है और उन्हों ने third degree methods का प्रयोग किया । यह कितनी दुर्भाग्य की बात है । यही नहीं एक D.I.G. तक ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया । यह बड़े अफसोस की बात है । एक सिपाही गलती कर सकता है, किसी को जूते भी मार सकता है, कई और चीज़ें भी कर सकता है लेकिन हमने पुलिस के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं सुना कि एक D.I.G., जिस के हाथ में एक Range हो, वह भी अपने सामने सिपाहियों से लोगों को पिटवाये और जूता मारने का उदाहरण पेश करे । और उस समय में यह चीज़ हुई । (स्वास्थ्य तथा चकबन्दी मन्त्री : ऐसी बात नहीं हुई है, क्या आप ने खुद देखा है?)

अध्यक्ष महोदय : Interruption न करें। (No interruption, please.)

श्री शेर सिंह : आप वहां जा भी नहीं सके । 65 साल का बूढ़ा हो गया है ; तमीज़ नहीं आई है । (स्वास्थ्य तथा मुरब्बा बंदी मन्त्री : तमीज़ सिखाने वाले आप ही

हैं ।) अब सीखी है अपने घर में मेरे साथ होते तो सीखते ।) मैं तो यही निवेदन कर रहा था कि बड़े से बड़े अफसर ने भी इस मामला में दुर्व्यवहार किया है । आप का फर्ज था, आप public के नुमायंदे यहां बैठे हैं, आप की जिम्मेदारी है कि अगर कोई बड़ा अफसर ऐसा काम करे तो उस गलत काम की आप निंदा करें । गलत बात की हिमायत करना किसी के लिए शोभा की बात नहीं । मैं तो निवेदन कर रहा था कि police की ओर से दुर्व्यवहार हुआ, police के सामान का दुर्व्यवहार हुआ शक्ति का दुर्व्यवहार हुआ ।

जहां तक smuggling का काम है इसमें भी हमारी police अछूती नहीं रही। Border पर smuggling के काम का जहां तक सम्बंध है हम नहीं कह सकते कि हमारी police अछूती रही है । जो reports आ रहीं हैं उनसे पता चलता है कि पिछले दिनों में police के बड़े से बड़े अफसर ने भी उस में शामिल हो कर हिस्सा लिया यह कहां तक ठीक है यह कहना कठिन है परन्तु हम police के काम की प्रशंसा नहीं कर सकते । हम लोगों से वादा करते हैं, पंजाब में नहीं बाहर भी वादा करते है सारे देश में कि हम police का व्यवहार अच्छा करेंगे । आज और Staff रखने की और vehicles के लिए पैसे की मांग की जा रही है । मैं आप से निवेदन करता हूं कि police ने अपनी vehicles और शक्ति का दुरुपयोग किया है । Police ने अच्छा काम नहीं किया । इस लिए मैं इस demand का विरोध करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब काफी नहीं है ? चौधरी सूरज मल जी, अब कह लें, जो कहना है। (Is that not enough ? Now Chaudhry Suraj Mal may say whatever he wants to say.)

(*Minister for Consolidation and Health rose to speak.*)

अध्यक्ष महोदय : Interruption नहीं करनी चाहिये, जब अपनी बारी आए कहें । The hon. Members should not interrupt. They should speak at their own turn.)

स्वास्थ्य तथा चकबंदी मंत्री (चौधरी सूरज मल) : साहिबे सदर, इस वक्त जो मसला ज़ेरे बहस है उसके बारे मे मैं कुछ कहना चाहता हूं । Opposition के मेम्बर साहिबान में से एक दो ने Police के रवैया के बारे में, Police की अपनी powers के misuse के बारे और vehicles के misuse के बार में कुछ कहा है। साहिबे सदर, मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि जो anti-Punjabi या anti-Hindi agitation शुरू हुई था ; मेरा मतलब है कि anti-Punjabi और pro-Hindi agitation जो शुरू हुई थी उसके लिए मैं समझता हूं कि जो साहिबान यहा थे, अगर वे अपनी सिदक दिलो से ; सच्चे दिल मे, जो बातें हुई वह देख कर कहें तो मै कह सकता हूं कि जो रवैया सत्याग्रहियों का होना चाहिए था वह रवैया हमारी Police का हुआ । मैं ने अपनी

[स्वास्थ्य तथा चकबन्दी मन्त्री]

आंखों से देखा है। लोग उनके ऊपर ईंटें फैंकते थे, पत्थर फेंकते थे और अत्याचार करते थे और वे उनके सामने हाथ जोड़ते थे और बड़ी नम्रता से उनके साथ बर्ताव करते थे। जो लोग इस किस्म की बातें करते हैं, दूसरे लोगों को बरगलाते हैं, पीछे भागते हैं और छुपते फिरते हैं उनके लिये यह ठीक नहीं है। वे दूसरों को बरगला कर ऐसी बात कहें यह ठीक नहीं। मैं अपनी आंखों देखा वाका बयान करता हूं। Secretariat के सामने जो पुलिस के आदमी थे जो कोई उन्हें देखता, उसको सराहना किए बगैर नहीं रह सकता। जिस आदमी ने देखा वह जानता है कि Police वाले किस हद तक नम्रता भाव वाले कहलाते हैं।

पानी-रोटी का ज़िक्र किया। बहुत से भाइयों ने कहा कि उन्हें दूध पिलाते थे, रोटी खिलाते थे। रोहतक के चारों तरफ सड़कें हैं। उन्हों ने वह रोकीं; उन्होंने law-lessness create की और यह कहना कि दूसरी कौम के जो आदमी हैं उन को मारो, पीटो

4.00 p.m

और उनकी बेइज़्ज़ती करो, अगर इस किसम के हालात आप रोहतक के ज़िले के अंदर पैदा करना चाहते हैं वहां पर लाऐसनैस पैदा करना चाहते हैं तो कोई भी गवर्नमैंट यह बात बरदाश्त नहीं कर सकती। आप ने अपने मुंह से माना है कि रोहतक ज़िले में पुलिस का रवैया निहायत नम्रता का रहा है और इस के बावजूद जो बात आप ने डी. आई. जी. के बारे में कही उस से साफ ज़ाहिर होता है कि आप का माइंड प्रेजूडिस है। किसी अफसर की ग़ैर हाज़री में ऐसी बात कहना ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि आप यह बात बाहर निकल कर कहें तो आप को पता लग जाए। (आवाज़ें : हम ने ओपनली कहा है।) आप का मामला ज़ेरे गौर है। (विघ्न)

साहिबे सदर, मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग खुद शीशे के मकान में बैठे हों वे दूसरों पर पत्थर फैंकने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। उन को अपने आप को संभालना चाहिये, उन को पहले अपने गिरेबान में मुंह डाल कर देखना चाहिये और बाद में उपदेश देना चाहिये। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मुझे जब बहू अकबरपुर में जाने का मौका मिलेगा तो जरूर जाऊंगा, मैं अब वहां जा सकता हूं। ग़लत बातें कहने का कोई फायदा नहीं है। जिन भाइयों ने उस वक्त वहां पर फिसादात करने की कोशिश की, उत्पात करने का यत्न किया अगर वहां पर किसी किसम का फसाद हो जाता, कुछ और खतरनाक बात हो जाती तो जैसा कि चीफ मिनिस्टर साहिब ने कहा है उस के जिम्मेदार मेरे सामने बैठे भाई खुद होते। हमारी पुलिस का रवैया इस ऐजीटेशन में बहुत अच्छा रहा है। उन को सिखाया गया था कि वे लोगों के साथ निहायत नम्रता का व्यवहार करें, किसी के साथ भी ज़्यादती न करें। चुनांचि उन्हों ने निहायत बुरदबारी के साथ अपने आप को संभाला और बड़े हौसले से काम

लिया है उन का सलूक बहुत ही नम्रता का रहा है । अगर आप लोग भी पुलिस की तरह का सलूक करें, पुलिस की तरह ही नम्रता का सबक आप भी सीखें तो हमारा सूबा आसानी से तरक्की कर सकता है । सर्विसज को डिमोरेलाईज करने से और अफसरों को खामखाह बुरा भला कहने से हमारा सूबा तरक्की नहीं कर सकता । इस से सूबे को कुछ फायदा नहीं है । साहिबे सदर, इन लफजों के साथ में कहना चाहता हूं कि यह डिमांड निहायत जरूरी है और निहायत माकूल है, इस को जल्दी ही पास करना चाहिये ।

श्री कुन्दन लाल (फिरोजपुर) : प्रधान जी, आपोज़ीशन के मैम्बरों की तरफ से इस बहस के दौरान में पुलिस का जिक्र बड़े जोरों शोरों से किया गया है । मैं समझता हूं कि ऐसी बातें करना उन की तरफ से निहायत ज्यादती करना है । जिन पुलिस अफसरों ने हिन्दी ऐजीटेशन में काम किया है और जिस बुरदबारी से उन्हों ने काम कर के दिखाया है वह निहायत ही काबले तारीफ है। जहां तक फिरोज़पुर का ताल्लुक है वहां पर बहुत गलत बातें हुई । अगर उस समय वहां के पुलिस अफसर और दूसरे अफसरान धैर्य से और सब्र से काम न लेते तो मैं कहता हूं कि आज फिरोज़पुर का नक्शा ही और होता । स्पीकर साहिब मुझे यह कहते हुए फखर महसूस होता है कि हमारे ऐजीटेशन के लीडरों की तरफ से हालांकि कई किसम की गलत बातें करने की कोशिश की गई, फिरोज़पुर में ये लोग हालांकि फसादात करवाना चाहते थे लेकिन इस के बावजूद भी हमारी पुलिस के अफरों ने और दूसरे अफसरों ने निहायत हौसले और बुरदबारी से काम लिया और किसी किस्म की शिकायत ज़बान पर वे न लाए। इस के बावजूद डी. आई. जी. की जीप पर और अफसरों की जीपों पर पथराओ किया गया, उन को पीटा गया और यहां तक कि जेल की चार दीवारी तोड़ दी गई लेकिन फिर भी पुलिस अफसरों ने किसी किस्म का जबर नहीं किया और किसी पर हाथ नहीं उठाया । इस लिये यह कहना कि पुलिस वालों ने इस ऐज़ीटेशन के दौरान में ज्यादती की है ठीक नहीं है । दूसरी जगहों की बात तो मैं नहीं कहता लेकिन जहां तक मेरे अपने इलाके का ताल्लुक है पुलिस वालों ने निहायत दानिशमन्दी से, सबर से और शान्ति से काम लिया है। तो आज यह कहना कि पुलिस ने यह कर दिया, वह कर दिया ठीक नही है । हकीकत यह है कि पुलिस वालों ने फिरोजपुर के अन्दर और उस के गिरदो निवाह के इलाके में इस ऐजीटेशन के दौरान में जिस को कि सत्याग्रह का नाम दिया गया था और जिस को सत्याग्रह का नाम देना निहायत गलत था, जिस में सच्चाई नाम को भी नहीं थी ज्यादती बिल्कुल नहीं की बल्कि निहायत अक्लमंदी और सबर से काम लिया है ।

यह बात मैं खुद नहीं कहता बल्कि हिन्दुस्तान का एक बहुत बड़ा आदमी कह चुका है कि इस ऐजीटेशन में सच्चाई नाम को भी नहीं थी । अगर पुलिस अपना रवैया तबदील न करती और उसी तरह का सलूक ऐजीटेशन वालों से करती

[श्री कुन्दन लाल]

जो कि वह अंग्रेज़ों के ज़माने में किया करती थी, जो हरकतें वह उस सरकार के वक्त में किया करती थी तो इस समय फिरोजपुर का नक्शा ही और होता। मेरे दोस्त यह कहते हैं कि पुलिस ने लोगों पर जबर किया और उस ने लोगों पर झूठे मुकद्दमें चलाये, इस सिलसिले में मैं आप के ज़रिये यह कहना चाहता हूं कि अगर पुलिस ऐसा काम करती तो आज जिन डिपोहोल्डरों, लायसैंस होल्डरों ने और परमिट वालों ने इस ऐजीटेशन वालों के साथ हमदर्दी दिखाई थी उन सब के डिपो, लायसैंस और परमिट ज़बत कर लिये जाते। पुलिस वालों ने उन लोगों पर मुकद्दमें नहीं बनाये। मेरा कहने का मतलब यह है कि यह कहना कि पुलिस वालों ने इस ऐजीटेशन के दौरान में लोगों के साथ ज़्यादती की है सरासर गलत बात है। पंजाब के किसी और हिस्से में पुलिस ने चाहे कुछ किया हो तो उस का ज्ञान मुझे नहीं है लेकिन जालन्धर डिविज़न और खास कर मुझे फिरोज़पुर ज़िले का पता है, मैं ने अपनी आंखों देखा है कि किस तरह पुलिस वालों ने शांति और बुरदबारी के साथ इस मसले पर काबू पाया है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कि देहाती और शहरी का सवाल पैदा करते हैं लेकिन यह सच्चाई है कि इन भाइयों ने जो कि इस ऐजीटेशन के लीडर थे सिखों की मसनूई शक्ल बना कर सिख नौजवानों को भड़काने की कोशिश की (आवाजें : शेम, शेम) (विघ्न)

अध्यक्ष महोदय : आप वाईंड अप करें।

श्री कुन्दन लाल : स्पीकर साहिब, आज इन बातों से मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। मेरे भाई जो ऐसे तरीके अख़्तियार करते रहे हैं इन्हों ने धर्म को बचाने की बात नहीं की बल्कि धर्म को डिग्रेड करने की हरकतें की हैं। इन लफज़ों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक फिरोज़पुर का ताल्लुक है वहां पर पुलिस के अफसरान ने डी. आई. जी, ऐस. पी और दूसरे अफसरान ने निहायत ही बुरदबारी से काम लिया और फिरोज़पुर के इलाके को बचाने का यतन किया।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ (ਊਨਾ) : ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ demand ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਰੁਪਿਆ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹਰਕਤਾਂ ਹਨ। 21 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲਾ ਰਾਮ ਵਲਦ ਸੁਖੀ ਰਾਮ ਬੱਲਬਗੜ੍ਹ, ਜ਼ਿਲਾ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ..........

अध्यक्ष महोदय : आप इस को कहां जोड़ने वाले हैं ? (Where is the hon. Member going to connect it with the demand ?)

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ........

अध्यक्ष महोदय : इस demand में यह किस तरह relevant है ? (How is it relevant with the demand under discussion ?)

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ..........

अध्यक्ष महोदय : जिन खर्चों के लिये डिमांड हैं आप उनको ही डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें बजट की general discussion पर बोलें (The hon. Membeer can discuss only those items which are included in the demand. He may discuss other things at the time of general discussion of the Budget.)

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤਕ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਇਹ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲੁਕ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਹਵਾ ਮਿਲੀ ਇਥੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ......

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ Save Hindi Agitation ਬਾਰੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ demand ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਲੁੱਕ ਰਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਸੋ ਕਿ ਇਸ ਉਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? (The only thing which I want to enquire from the hon. Member is this whether whatever he wants to speak in any way connected with the demand on police requisitioned in connection with the Save Hindi Agitation. He should let me know whether he wants to speak on this item or not.)

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : स्पीकर साहिब, अभी २ वज़ीरे Health साहब ने इस House के अन्दर ऐसा नकशा खैंचा जिस से ज़ाहिर होता था कि पंजाब की पुलिस पुलिस नहीं रही बल्कि देवता बन गई है। असल में तो वज़ीर साहिब अपनी कोठी में या बंगले में रहते हैं। उन्हों ने, जो कुछ पुलिस ने पिछले सात महीनों में पंजाब के अंदर किया है, खुद जाकर न देखा है और न देखने की कोशिश की है। उन्हों ने तो बल्कि इस किसम की ऐनक लगाई हुई है कि जिस से उन्हों ने पुलिस को और ही तरीके से देखने की कोशिश की है, अपनी वज़ारत को कायम रखने के नज़रिए से देखने की कोशिश की है, अपनी गवर्नमेंट के पक्ष के नजरिए से देखने की कोशिश की है। जो कुछ पंजाब के अन्दर पिछले सात महीनों के अन्दर हुआ उसकी जो असलियत है, जो हकीकत है उसकी तरफ से इन्हों ने अपनी आंख को बिल्कुल बन्द रखा है। मैं आप को

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

बताता हूं, स्पीकर साहिब, कि पंजाब में खास तौर पर ज़िला करनाल के अन्दर, ज़िला रोहतक के अन्दर, पानीपत में कोई आर्य समाज का मन्दिर ऐसा न था जिस को कि पुलिस ने घेरे न रखा हो। मैं ने अपनी आंखों से देखा है, लोगों को आर्य समाज मंदिरों के अन्दर जाने नहीं दिया जाता था। जिस D.I.G. की वज़ीर साहिब ने तारीफ की है वह D.I.G. दयानन्द मठ रोहतक के अन्दर जूतों समेत चला गया। मन्दिर के अन्दर एक ब्रह्मचारी था। उसने उनको कहा, "चौधरी साहब, जूते लेकर मन्दिर में मत आइए, यहां यह हवन कुण्ड है"। उन्हों ने जवाब दिया, "जा रे! ऐसे कई हवन कुण्ड मेरे पैरों के नीचे पड़े रहते हैं"। आप हैरान होंगे....

अध्यक्ष महोदय : जो अफसर House के अन्दर मौजूद न हो और जो अपने आप को defend न कर सकता हो, उस पर allegations लगाना ठीक नहीं। (It is not desirable to make allegations against an officer who is not present in the House to defend himself.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : अगर मिनिस्टर साहिब उसकी तारीफ न करते तो मैं भी उसके मुतालिक कोई ज़िक्र न करता। लेकिन जब उन्हों ने तारीफ की है तो जरूरी है कि असलियत को बयान किया जाए। उसी पुलिस के अफसर के बारे में 80, 90 हज़ार लोगों ने राम सिंह D. I. G. (*Interruptions*) व चौधरी रणवीर सिंह M. P. और प्रताप सिंह तौलेता M. P. का पुलिस के ज़ुलम कराने की वजह से बाइकाट किया हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : Rule यह है कि तारीफ तो हो सकती है लेकिन उसके conduct को बहस में नहीं लाया जा सकता। (According to the rule officers can be praised but their conduct cannot be discussed.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैं इस को अब discuss नहीं करता। आपका हुक्म सिर माथे पर।

अब मैं जनाब की खिदमत में अर्ज़ करता हूं कि इस पुलिस ने लड़कों को पीटा, स्कूल के बच्चों को पीटा। हरियाना के अन्दर कोई शहर या कसबा ऐसा नहीं जिसके अन्दर police ने बच्चों को, छोटे २ बच्चों को न पीटा हो। इसके बारे में अभी अभी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक सवाल का जवाब देते हुए बताया है। मैंने, स्पीकर साहब, अपनी आंखों से देखा है कि जाट कालेज रोहतक में चार सौ, पांच सौ सिपाही तैनात हुए थे। कई दफा इस से भी ज्यादा तादाद वहां पहुंच गई थी। (*Interruptions*).

इसके इलावा, स्पीकर साहब, जो कुछ बहुअकबरपुर में हुआ और दूसरी जगहों पर हुआ बार बार दुहराना भी बड़ा अजीब सा मालूम होता है कि ऐसा

मालूम होता था गोया कि उन दिनों पंजाब के अन्दर पुलिस का ही राज हो। जम्हूरियत या प्रजातन्त्र का तो बिल्कुल नामोनिशान ही नहीं था। यहां चण्डीगढ़ में क्या हुआ ? गवर्नमेन्ट की नाक के नीचे, चीफ मिनिस्टर की नाक के नीचे जो कुछ यहां के आर्य समाज मन्दिर में हुआ पुलिस की तारीफ करने के लिए यही वाक्या काफी है। इसके अलावा हमारी इस गवर्नमैंट के मिनिस्टर को, जो कुछ चंडीगढ़ में हुआ उसके बारे डाक्टर गोपीचन्द को मुआफी मांगनी पड़ी, यह चीज गवर्नमैंट को शरमसार करने के लिए क्या काफी नहीं ? यह सब कुछ किस की वजह से हुआ ? हमारी इस पुलिस की वजह से जिस के लिए यह रुपया मांगा जा रहा है और जिसकी तारीफ हमारे Health Minister साहिब ने की है। स्पीकर साहब, जो जो कारनामे, जो जुल्म इस पुलिस ने इस agitation के दौरान किए अगर उन सारे के सारे जुल्मों का यहां पर ज़िक्र किया जाए तो हमारे "राव बहादुर साहब" को पता लग जाए कि यह पुलिस तो ऐसी है कि जिसके लिए इसको तनखाह भी नहीं दी जानी चाहिए (*Interruptions*). मैं राव बहादुर साहब को क्या अर्ज़ करूं।

अध्यक्ष महोदय : यह राव बहादुर साहब कौन हैं ? (Who is this Rao Bahadur Sahib ?).

चौधरी धर्म सिंह राठी : चौधरी सूरज मल। अभी इन्होंने 'राव बहादुर' का खिताब छोड़ा नहीं। (*Interruptions—An observation from the chair was drowned in the interruptions*) मैंने उन के ऊपर बहुत भारी ऐहसान किए हैं। एक दफा राव बहादुर साहब फंस रहे थे, मैंने उन को बचाया था (*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : बाहर तो आप उन को चाचा कहते हैं।
(The hon. Member addresses him "Chacha" outside the Chamber).

चौधरी धर्म सिंह राठी : जनाब, मैंने इन पर बड़े ऐहसान किए हैं (*Interruptions*) और अब कहते हैं कि मुझे याद नहीं।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन आप इन ज़ाती मामलों को क्यों यहां पर लाते हैं। उन्हें मत discuss करें। (But why does the hon. Member introduce such personal matters into the debate ? He should not discuss them).

चौधरी धर्म सिंह राठी : खैर, मैं दूसरी बातें अर्ज़ करता हूं। तो मैं यह कह रहा था कि पंजाब के अन्दर इन सात महीनों के अन्दर इतने अत्याचार हुए कि जितन किसी भी तारीख को ढूंढने से नहीं मिलते। मैंने बहुत सी तारीखें पढ़ी है, मैंने चंगेज़खां की तारीख पढ़ी है, औरंगज़ेब के ज़माने को पढ़ा है, अंग्रेज़ों की, हलाकू की, नाज़ियों की हकूमत को, रूस के ज़ार की तारीख में जुल्मों की कहानियों को पढ़ा है लेकिन

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

जो अत्याचार इन सात महीनों के अन्दर लोगों पर हुए, हमारे कैरों साहब के राज में हुए ऐसे अत्याचार किसी दूसरी हकूमत के अहद में न सुने हैं, न पढ़े हैं और न देखे हैं । इस कैरों की सरकार ने हलाकु और चंगेज़ को भी मात कर दिया है। जो कुछ पुलिस ने किया वह सब कुछ चीफ मिनिस्टर के कहने पर हुआ, इन्होंने कराया । इस बारे में जब मैंने कहा था कि उन पर मुकहमा चलना चाहिए तो उन्होंने फरमाया कि राठी के ऊपर मुकद्दमा चलना चाहिए । वह भी इन्होंने चला कर देख लिया । जो Supreme Court ने फैसला दिया उससे इन को शर्म आनी चाहिए । अगर ......

अध्यक्ष महोदय : यह सब कुछ इस demand में कैसे आता है ? आप मेहरबानी करके इस के ऊपर ही बोलें। (How is all this relevant to the Demand under discussion ? He may please confine himself to the Demand only).

चौधरी धर्म सिंह राठी : पुलिस की रिपोर्टों पर ही ये सब गिरफ्तारियां हुई । जो police के कर्मचारी इस तरह की झूठी रिपोर्टें करें उन के लिए हरगिज़ यह Demand मंजूर नहीं होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : अब wind up करें । (please wind up now.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैं एक दो वाक्यात बता कर बैठ जाऊंगा । एक पुलिस के अफसर ने एक आदमी के बारे में यह रिपोर्ट की कि उसने 31 जून को lecture दिया जिसकी बिना पर वह पकड़ा गया । वह Rohtak ज़िले में detenu था । उस पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने 31 जून को lecture दिया । जब कि स्पीकर साहब, आप खुद जानते हैं कि जून के महीने के 31 दिन होते ही नहीं । इसी तरह शाम सुन्दर एक detenu है जिसको इसी पुलिस ने गिरफतार किया । इसको इस बिना पर पकड़ा गया कि 9 अगस्त को उसने एक गांव में लैक्चर दिया । जनाब, सात तारीख को तो पुलिस ने उसे गिरफतार कर लिया था तो 9 तारीख को वह गांव में लैक्चर कैसे दे सकता था जब कि वह 9 तारीख को जेल में था ? इन अलफाज़ के साथ मैं इस Demand की जो कि agitation के सम्बन्ध में दी गई है, मुखालिफत करता हूं । यह बिल्कुल नजायज़ तौर पर इस्तेमाल की गई है, लोगों की आज़ादी को सलब किया गया है, इसलिए यह पास नहीं की जानी चाहिए ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ-ਦੱਖਣ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ demands ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਕ ਤੇ ਇਹੋ ਹੈ demand ਨੰਬਰ 4 ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਾਬਤ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਸ ਡੀਮਾਂਡ ਦਾ ਤਾਲੁੱਕ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ items ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ Save Hindi Agitation ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਮੰਗਣਾ ਪਿਆ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਸ agitation ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ,

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਇਸ ਲਈ ਚਲਦੀ ਰਹੀ—ਇਸ ਕਾਰਨ linger on ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ lenient ਰਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ lenient ਰਹੀ—over lenient ਰਹੀ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ lenient ਨਾ ਹੁੰਦੀ ; ਜ਼ਰਾ ਵੀ strongly action ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ agitation ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ linger on ਨਾ ਹੁੰਦੀ । ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਬਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ । ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਬਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ ਉਤਨੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਵਧੀ । ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ prestige ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਹੀ ਪੁਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ demoralise ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ leniency ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਾਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਦੋ deaths ਵੀ ਹੋਈਆਂ । ਪੁਲਿਸ ਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਸ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ । ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਸਤਿਆਗਰਹੀ ਸਨ—ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਚਿਹਰੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਛਡਿਆ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛਡਿਆ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਵਰਗਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਵਜੂਦ serious provocation ਦੇ ਕੋਈ action ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ actually public ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ feeling ਹੈ ਕਿ ਇਸ case ਵਿਚ ਬੜੀ discrimination ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ movement ਚਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਕਾਲੀ movement ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਾ ਜਾ ਕੇ hunt ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਐਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜੋ ਇਤਨੀ ਗਲਤ agitation ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈ ਹੁਲ੍ਹੜਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਲ੍ਹੜਬਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਲ੍ਹੜਬਾਜ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ leader ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੁਲਸ ਕੋਲੋਂ ਸਖਤੀ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਵਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਬੜੀ leniency ਵਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਨਰਮੀ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਪੁਲਸ ਤੇ ਇਤਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ।

ਹੁਣ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੁਝ smuggling ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। Anti-smuggling drive ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਲਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ competent ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ smuggling altogether ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਦ ਤਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ

[ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ]
right ups ਦਾ ਹਕ ਹੈ ਇਹ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਇਥੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ allegations ਲਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਖਰਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਭਰਾ allegation ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕੇ।

श्री बलराम दास टण्डन : On a point of information, Sir. आप ने lobbies में गैर आदमियों का आना बन्द किया है, क्या इस में Press Men जो कि पहले वहां आने के entitled थे और वहां पर आ सकते थे उन्हें भी क्या अब..........

अध्यक्ष महोदय : वह बात तो अब ख़त्म हो चुकी है। (This matter has already been decided.)

श्री बलराम दास टण्डन : वे जब Press Gallery में बैठ सकते हैं तो उन का इन lobbies में आना क्यों ममनूह करार दिया गया है। यह तो........

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी भी सुनेंगे या अपनी ही कहे जायेंगे। इस बारे में जैसा लोक सभा में procedure होगा उसी पर यहां चला जायेगा। (Will the hon. Member please listen to me or go on harping his own tune ? In this connection the same procedure which is in vogue in the Lok Sabha will be adopted.)

श्री जगत नारायण चोपड़ा : आप को पता है कि आप........

श्री बलराम दास टण्डन : जब वे press gallery में बैठ सकते हैं तो... (डाक्टर बलदेव प्रकाश भी कुछ बोलने लगे)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप तीनों यकलख्त बोलें तो मेरी समझ में कैसे कुछ आ सकता है ? (If all the three hon. Members begin to speak at a time, how is it possible for me to understand them.)

श्री बलराम दास टण्डन : अध्यक्ष महोदय, दरअसल इस में कुछ मुग़ालता खड़ा हो गया है। जब वे press gallery में बैठते हैं और वे lobby में आने के भी entitled थे क्यों कि यह एक convention है........

अध्यक्ष महोदय : Convention तो ऐसे ही बन गई है। (It is not a sound convention.)

श्री बलराम दास टण्डन : उन का वहां पर आना किसी भी position में हो, जो चीज़ पहले है उस को........

अध्यक्ष महोदय : आप ने ठीक कहा है। इस पर मैं सोचूंगा। (At this Shri Jagat Narain Chopra wanted to rise) आप बैठिये और demands पर हो रही discussion को interrupt न कीजिये (The hon. Member has rightly said. I will consider it. (Addressing Shri Jagat Narain Chopra) He may please resume his seat, and should not interrupt the discussion.)

श्री जगत नारायण चोपड़ा : सिर्फ एक मिनट के लिये।

वहां Parliament में यह तरीका है कि वहां वह हो press के representatives बैठते हैं जिन को कि पास मिले होते हैं। वे lobbies में भी चले जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस को मैं देखूंगा। (I shall look to it.)

श्री श्री कृष्ण शास्त्री वैद्य (सफीदों) : स्पीकर साहिब, इस demand पर काफी चर्चा हुई है और इस में Opposition के जितने भी लीडर हैं, लाला जगत नारायण और दूसरे, उन सब ने हिन्दी agitation का नाम ले ले कर पुलिस के बारे में बहुत कुछ कहा है लेकिन मैं ने तो ऐसी कोई चीज़ होती देखी नहीं। पुलिस के बारे में यह जो चीजें कहते रहे हैं ऐसी कोई चीज़ मेरी नजर में तो आई नहीं। यह लोग जो सूबे के बड़े भक्त बनते हैं उन्हें सोचना चाहिये कि जिन लोगों ने इस सूबे के अन्दर इस agitation को चलाया है और इस movement को ज़ोर दिया है उन्हों ने ही इस चीज़ का बीज बोया था। अब उस की मुखालिफत करना गलत बात है। मैं ने पिछले सात आठ सालों से जो कुछ पढ़ा है और देखा है और जो मैं इन लोगों से मिलता रहा हूं उस से तो मुझे यही पता लगता है कि इस सारी चीज का बीज़ हो इन्हों ने बोया था। उस वक्त उन्हों ने इस का समर्थन किया था और कहा था कि यह फारमूला अच्छा है और यह फारमूला यहां........

Chaudhri Dharam Singh Rathi : On a point of order, Sir. Is the hon. Member relevant?

अध्यक्ष महोदय : जब आप हलाकू और चंगेज़ खां का जिक्र कर रहे थे तब अगर आप relevant थे तो अब यह कहने में भी relevant हैं। (When the hon. Member referred to Halakoo and Changhez Khan and it was considered to be relevant now reference of this by the hon. Member is also relevant.)

श्री श्री कृष्ण शास्त्री वैद्य : स्पीकर साहिब, यहां तो यह चीज़ देखी गई है कि जो चीज़ यह खुद करते रहे हैं वह यह दूसरों पर थोप रहे हैं। मेरे भाई

[श्री श्री कृष्ण शास्त्री बैद्य]
राठी साहिब ने बहुत बातें की हैं । यह उन दिनों पानीपत और करनाल में गये तो जा भी न सके और मेरे हलके में तो इन की हिम्मत नहीं हुई जाने की। स्पीकर साहिब, वहां कोई हिन्दी और गुरमुखी का सवाल नहीं था । वहां तो हिन्दू और सिख का सवाल पैदा किया गया था । जब लाला जगत नारायण अपना जत्था ले कर वहां आये तो वहां जो नारे लाये गये उन के बारे में मुझे यहां कुछ कहते हुए भी शरम आती है । अफसोस की बात तो यह है कि इन चीज़ों के होते हुए भी हर सरकारी अफसर के काम की यहां नुक्ताचीनी की जाती है । क्या इन की ज़मीर नहीं है ? क्या इन की ज़िम्मेदारी नहीं है ?

पुलिस के बारे में मैं यहां कुछ हालात बतलाता हूं कि कैसे हालात में उसे काम करना पड़ा था । जीन्द का मुझे पता है कि कैसे वहां जलूस निकाला गया और कैसे पुतले बनाकर फूंके गये और हिन्दुओं न सिखों को जूते मारे और वहां जो Magistrate था वह अन्दर चला गया । वहां हालत इतनी खराब हो गई थी कि बड़ी मुश्किल से D. I. G. Police ने उस को काबू किया । मैं ने ज्यादा तर ऐसे २ हालात देखे हैं जिन को बयान भी नहीं किया जा सकता । मैं तो यह कहूंगा कि पुलिस को ऐसी चीज़ों को ज्यादा सख्ती के साथ रोकना चाहिये था । यदि वह कुत्ते लगवा कर उन लोगों को मरवा देती तो भी कोई बुरी बात न होती (हंसी), अगर इन को रोकने के लिये पुलिस न होती तो हालात और भी बुरे होते । मैं यह नहीं कहता कि पुलिस बुराइयों से बिल्कुल साफ हो गई है । यह अभी corruption करती होगी लेकिन जहां तक इस का इस agitation से ताल्लुक है इस ने बड़ी अच्छी तरह से काम किया है । हिसार में D. I. G. Police की तरफ से की गई सख्ती के बारे में जो कहा गया है, मैं कहूंगा कि जहां तक उस शख्स का ताल्लुक है उस ने वहां कोई सख्ती नहीं की । स्पीकर साहिब, यह तो बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे जब किसी के मर जाने पर औरतें रोने के लिये इकट्ठी होती हैं तो वे सब अपनों २ को ही पीटती हैं। (हंसी) स्पीकर साहिब, मैं फिर कहता हूं कि पुलिस के जो सिपाही हैं वे इतना काम करते हैं, सुबह से ले कर शाम तक अपनी duty देते हैं कि अगर इस demand में मांगा गया सारा रुपया उन को ही दे दिया जाये तो इस में कोई बुरी बात न होगी । पुलिस के थानेदार और दूसरे बड़े अफसर भी काम करते हैं, पर police के सिपाई बहुत duty देते हैं इस लिये उन को पैसे देने ही चाहियें ।

अभी प्रोफैसर शेर सिंह ने इस की मुखालिफत की है । मुझे याद है कि यही प्रोफैसर साहिब जब वज़ीर थे तो कहा करते थे कि यह फारमूला बड़ा अच्छा है, इसे चलाओ और अब यह इस के खिलाफ डण्डा लेकर खड़े हो गये हैं

स्पीकर साहिब, मेरी constituency सफीदों में और रोहतक

में क्या हुआ (विघ्न) मज़ाहरे किए गए। ऐसी २ बातें की गईं कि जिन को छोटे २ आदमी सहन नहीं कर सकते मगर चीफ मिनिस्टर साहिब ने कहा कि कोई बात नहीं है। यह लोग बहकाए गए हैं। कोई अफसोस नहीं है, कोई डर की बात नहीं है। जो आदमी गलत होता है वह गलती करता है। (चौधरी धर्म सिंह राठी की तरफ से विघ्न) मेरे भाई राठी जी क्या बातें करते हैं। भले आदमी मैंने तेरे लैक्चर सुन रखे हैं। हिंदी का नाम ले २ कर रोना, प्रताप सिंह क्यों आ गए, चौधरी सूरज मल क्यों आ गए (सरकारी बैंचों की तरफ से तालियां) (श्री राठी की तरफ से विघ्न)

अध्यक्ष महोदय : राठी साहिब, आप ने कई कुछ कहा। तब किसी ने इन्टरप्शन नहीं की। तो अगर कोई दूसरा कुछ कहता है तो सुन लें। नो इन्टरप्शन प्लीज़। (Mr. Rathi, you have had your say. Then nobody interrupted you. Now you should have the patience to listen to others.)

श्री श्री कृष्ण शास्त्री वैद्य : इस हाऊस में सारे मैंम्बर साहिबान ही जनता की तरफ से आए हैं। इन लोगों ने बड़े २ वादे किए। इन लोगों ने राठी जी को कहा कि श्री क्रिष्ण कुछ नहीं करता। मगर कोई दयानतदारी की भी बात की होती। (हंसी)। हमें तो कम से कम जो यहां बैठते हैं ज़िम्मेदारी से बात करनी चाहिए। अगर हम में से कोई गलत बात कहे तो लोगों में क्या impression होगा। जो भी बात हो ज़िम्मेदारी से हो, बिना अर्थ के बात नहीं होनी चाहिए। निरर्थक बात निरर्थक लोग किया करते हैं। (सरकारी बैंचों की ओर से तालियां और हंसी) (घंटी)। तो मैं कहूंगा कि सरकार को और पैसा पुलिस के सिपाहियों को देना चाहिए।

वित्त मंत्री (श्री मोहन लाल) : स्पीकर साहिब, इस मांग पर दोनों पहलुओं से इतना कुछ कहा गया है कि मेरे कहने के लिए शायद बहुत कम छोड़ा गया है। आप के सामने पुलिस को ज़ालिम बतलाने की कोशिश की गई और कहा गया कि बहुत ज़्यादतियां हुईं। दूसरा पहलू भी आप ने सुना कि पुलिस ने कमज़ोरी दिखाई। यह पहलू भी बताया गया कि पुलिस ने वही किया जो हकीकी तौर पर उस का फर्ज़ था और इस सत्याग्रह में जो बराए नाम सत्याग्रह कहलाता था, अपने आपको पेश किया। जिन दो तीन वाकों पर गवर्नर के भाषण पर discussion हुई उन को दुहराया गया और बजट की बहस में यह फिर दुहराए जांएगे और आखीर सैशन तक यही बात चलेगी। मगर मैं अपने Opposition के भाइयों से भी यह तवक्कुह रखता था कि जहां इन्हों ने कुछ वाके बयान किए थे वहां Chief Minister साहिब ने भी गवर्नर के भाषण पर discussion का जवाब देते हुए कुछ ऐसे वाके बयान किए थे जिन का यह जवाब देते। यह वह वाके थे जो हिन्दी रक्षा समिति के नाम पर आंदोलन करने वालों ने किए थे। इन में से जितने भाई बोले क्या उन्हों ने उन का ज़िक्र भी किया? Secretariat का जो वाका उन्हों ने तफसील से बताया, Deputy Commissioner रोहतक के घर जो वाका हुआ, Women Police की जो बेइज्ज़ती हुई, क्या इन के मुताल्लिक उन्हों ने एक लफज़ भी कहा कि इन की क्या justification थी, या क्या इन्हें condemn किया अगर इन की ज़मीर कहती

[वित्त मन्त्री]
है कि नाजायज़ वाक्यात हुए ? दरअसल जो बातें यहां कही जाती हैं वह इन की अपने मन की prejudice है। यह बार बार इन बातों को दुहराते हैं और दुहराते ही चले जाएंगे । इन में जो वज़न है वह आप देख सकते हैं।

एक नई बात श्री बलराम दास टंडन जी ने कही । वह इस वक्त यहां नहीं हैं। मगर अच्छा होता अगर वह अपनी मिसाल न देते । आप ने कहा कि मेरी जायदाद की कुर्की के warrants निकले, जो कुर्की हुई उसका procedure ठीक नहीं था, नोटिस नहीं दिया गया या दूसरी formalities observe नहीं की गई। इन्होंने जो बातें की हैं काफी हौसले की की हैं । यह इस बात को कबूल करते हैं कि यह मफरूर थे । इन्हों ने जुर्म किया, कानून इन्हें गरिफतार करना चाहता था, मगर यह इस August House के hon. Member होते हुए और इतने जिम्मेदार होते हुए भागे भागे फिरे, मफरूर रहे । अखबारों में निकलता था, वहां नमूदार होंगे, वहां जाएंगे, वहां गरिफतारी के लिए पेश होंगे। यह सारी बातें आपने अखबार में देखी होंगी मगर यह सारी बातें एक hon. Member की शान के शायां नहीं। आप इस तरह कानून से भागे २ फिरते रहे और शिकायत है कि मेरे खिलाफ दफा 87 और 88 के तहत कार्यवाही क्यों की गई, कुर्की क्यों की गई, मुझे पहले confidence में क्यों नहीं लिया । यह अमर वाका है कि इनको पता था कि पुलिस इन्हें गरिफतार करना चाहती है और वह दीदा दानिस्ता मफरूर रहे। यह बात इन्हें कैसे शोभा देती है? अच्छा होता अगर वह यह बात न करते । मैम्बर साहिबान कभी कभी ऐसी बातें करते हैं जो उन की ज़ात से ताल्लुक रखती हैं। मैं उन से अपील करूंगा कि वह अपनी कहानी यहां न बयान किया करें। इस तरह वह अपने आपको embarrassment से बचाएंगे और हमें भी ।

एक बात का और हवाला दिया कि किसी Municipal Commissioner और teacher के बयानात निकले । मुझे समझ नहीं आती कि उन बैचिज़ और इस Party की तरफसे जो बयानात निकले हों उन पर इतना ज़ोर दिया जा रहा है। आप ने देखा होगा कि कितने कितने ज़िम्मेदार आदमियों ने किस ढंग से बयानात निकाले और फिर कह दिया कि मुझे तो मालूम नहीं यह चीज़ कैसे शाया हुई, यह बयान तो मैंने नहीं दिया, मेरी मर्ज़ी से नहीं छपा । इस तरह से यह अपने को उन बयानात से disassociate करते हैं। जब इतने इतने ज़िम्मेदार आदमी अखबारों में निकले अपने बयानों को गलत कह देते हैं, तो बेचारे एक teacher या Municipal Commissioner की औकात ही क्या है। पता नहीं किस ने बयान दिया होगा । किस ने यह बयान मन से घड़ा होगा और यह बात किस के दिमाग से निकली होगी और झूठ अखबारों में दे दी होगी। और वह अखबारें जिन में ऐसे बयानात छपते हैं उनका भी fertile brain है और जिस की वजह से ऐसे बयानात निकल जाते हैं तो इन पर ऐसा ज़ोर नहीं देना चाहिए और मैं कहूंगा कि इन की सदाकत पर यकीन नहीं है ।

मौलवी साहिब ने एक बात का ज़िक्र किया है । मुझे उन की बात सुन कर अफसोस हुआ । वह बड़े देर के Parliamentarian हैं । मैं उनकी दिल से कद्र करता हूं । उन्हों ने ज़िन्दगी कौम की सेवा में गुज़ारी है । वह बड़े intelligent हैं । उनका दिमाग बहुत fertile है ।

उन्हें भी खूब सूझती हैं और मेरा ख्याल है कि जितनी इन्हें सूझती है पंजाब के बाकी Politicians को कम सूझती होगी । मैं ज़ाती तौर पर उनकी दिल से कद्र करता हूं लेकिन मैं उनसे यह अपील ज़रूर करूंगा कि वह ज़ाती मुआमलात को इतनी दूर तक न ले जाया करें कि जहां से निचली जगह तक पहुंच जाएं । इस बात का हवाला मैं समझता हूं नहीं देना चाहिए जिस का इशारतन २ उन्हों ने हवाला दिया है । हम में से सभी कभी मुखालिफ भी रहे हैं और फिर इकट्ठे भी । मुखालिफ भी हो जाते हैं और हक में भी पर आपसी बातों को एक ऐसी सतह तक रहने देना चाहिए कि हाउस की शान कम न हो और फिर ऐसी बातें करने से अपनी भी शान कम होती है । तो मैं ऐसी बातों का क्या जवाब दूं । मौलवी साहिब के साथी भी शानदार हैं । पांच चार इकट्ठे हैं । इनका दिमाग fertile है । मौलवी साहिब ने कुछ ऐसे साथी भी इकट्ठे कर लिए हुए हैं जो अखबारों के मालिक हैं और जो वह कहानियां बना बना कर अखबारों में निकाल देते हैं । वह अजीब मनघड़त बेबुनियाद और बेहूदा हो सकती हैं और इस पर हमें कहा जाए कि हम नोटिस लें ? मैं इसे नहीं मानता कि ऐसी खबरों में इनका हाथ हो सकता है, मुझे इस बात का यकीन है ।

जो बातें इन्हों ने वज़ीर साहिबान के बारे में कहीं मैं उनके बारे में ज़ोर से कह सकता हूं कि वह सब बेबुनियाद मनघड़ंत और शरारत आमेज़ हैं और fertile दिमाग की बातें हैं । इस लिए मैं कहूंगा कि ज़ाती बातों का ज़िक्र इस हाउस के अन्दर इस तफसील के साथ करना मुनासिब नहीं । (*Interruption*)

ਸ੍ਰੀ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਚੋਪੜਾ : ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਛਪੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ।

Mr. Speaker : Order, order.

वित्त मन्त्री : तो मैं अर्ज़ करना चाहता था कि ज़ाती बातों को यहां पर नोटिस में लाना अच्छा नहीं और मैं ने यह बातें तरदीद के तौर पर कहीं हैं ।

इस लिए मैं अर्ज़ करूंगा कि जो बातें इस demand के बारे में कहीं गई हैं वह मैम्बर साहिबान ने अपने मन की कैफियत से कही हैं, कोई वाक्यात की बिना पर नहीं । पुलिस ने अपना फर्ज़ अदा किया है इस लिए इस demand को इसी शक्ल में मन्ज़ूर कर लिया जाए ।

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding Rs 58,89,200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1958, in respect of 29-Police.

After ascertaining the votes of the House by Voices Mr. Speaker said " I think the Ayes have it". This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speaker, after calling upon those Members who challenged the decision and supported the claim for a division, to rise in their places declared that the division was unnecessarily claimed.

The motion was declared carried.

अध्यक्ष महोदय : इस से पहले कि आप demand No. 5 पर बहस शुरु करें आज हम ने जो फैसला Lobbies के इस्तेमाल के सिलसिले में किया है उस के बारे में मैं आप को बताना चाहता हूं कि Press Gallery Committee के चेयरमैन श्री बाली ने मुझे लिख कर भेजा है कि जो हमारे Reporters हैं Press के उन पर यह पाबन्दी आयद नहीं होनी चाहिए । इस के बारे में मैं ने अर्ज किया है कि जो procedure Parliament में होगा उस को हम follow करेंगे । मैं खुद भी उन का साथी हूं और कभी मुझे भी Press Gallery में बैठने का मौका मिले तो आप मुझे भी Lobby में न आने देंगे । इस लिए मैं समझता हूं कि Press के लिए जो हमारे accredited press representatives हैं, हमें इस decision में थोड़ी जगह रखनी चाहिए । इस लिए अगर हाउस की खाहिश हो तो जब तक Parliament के procedure का पता नहीं आ जाता Press को lobbies में जाने की इजाज़ात दी जाए ।

(Before the hon. Members take up Demand No. 5 for discussion I want to say something about the decision which has been taken earlier by the House regarding the use of the lobbies. I want to tell the House that I have received a communication from Shri A.C. Bali, Chairman, Press Gallery Committee. He has requested that no restrictions should be inposed on the Pressmen and Reporters. I have informed them that the procedure followed in this respect in the Parliament will be adopted here. I am myself one of their colleagues and if ever I get an opportunity to sit in the Press Gallery, then I will also not be permitted to enter the lobbies. I, therefore, feel that some accommodation should be provided to the accredited Press representatives in the decision taken earlier by the House. I want to take the sense of the House as to whether it agrees that till the information regarding the procedure obtaining in the Parliament in this respect is received, the press representatives be allowed to use the lobbies.)

वित्त मन्त्री (श्री मोहन लाल) : मैं गवर्नमेंट की तरफ से अर्ज करना चाहता हूं कि हमें इस बात पर कोई एतराज नहीं है कि Press वालों को lobbies में आने की इजाजत दी जाए ।

पंडित श्री राम शर्मा : और अपोजीशन वालों को भी एतराज नहीं है ।

श्री इन्द्र सिंह : वजीर तालीम ने फरमाया था कि Parliament में ऐसा procedure है और Leader of Opposition भी इसे अब मानने लगे हैं ।

इस लिए मेरी गुज़ारिश है कि Press को lobbies में जाने की इजाज़त होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने पहले ही कहा है कि जो rules Parliament में Press के बारे में होंगे वहां यहां पर adopt किए जाएंगे । (I have already told the House that the rules on the subject, followed in the Parliament will be adopted here.)

श्री इन्द्र सिंह : मेरी गुज़ारिश यह थी कि इस बात की light में कि जब तक Parliament से वजाहत न ले ली जाए तब तक इस बात का फैसला नहीं होगा, क्या Press वालों पर भी पाबन्दी रहेगी ? वह पाबन्दी मेरे ख्याल में नहीं रहनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : जैसा मैं ने पहले कहा है कि present practice जारी रहेगी जब तक Parliament के procedure का पता नहीं कर लिया जाता और press representatives (*status quo*) lobbies को use कर सकेंगे । (As I have already told the House the present practice will continue until the information about the practice obtaining in the Parliament is received. Till then *status quo* will be maintained and the press representatives allowed to use the lobbies.)

DEMAND No. 5

Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes.

Minister For Finance : Sir, I beg to move—

That a Supplementary sum not exceeding Rs 66,66,900 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1958, in respect of 51-B-Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose river schemes.

Mr. Speaker : Motion moved—

That a Supplementary sum not exceeding Rs 66,66,900 be granted to the Governo to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1958, in respect of 51-B-Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding Rs 66,66,900 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1958, in respect of 51-B-Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes.

The motion was carried.

DEMAND No. 6

Electricity Schemes—Working Expenses.

Minister For Finance : Sir , I beg to move—

That a Supplementary sum not exceeding Rs 4,51,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1958, in respect of XLI-Electricity Schemes—Working Expenses.

Mr. Speaker : Motion moved—

That a Supplementary sum not exceeding Rs 4,51,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1958, in respect of XLI-Electricity Schemes—Working Expenses.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding Rs 4,51,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1958, in respect of XLI-Electricity Schemes—Working Expenses.

The motion was carried.

DEMAND NO. 7.

Capital outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research.

Minister for Finance : Sir, I beg to move—

That a Supplementary sum not exceeding Rs 18,700 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1958, in respect of 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research.

Mr. Speaker : Motion moved—

That a Supplementary sum not exceeding Rs 18,700 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1958, in respect of 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research.

ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ (ਮਾਨਸਾ 'ਰਿਜ਼ਰਵਡ'): ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ demand factories ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, supplementary ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ criticise ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ grants ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ Central Government ਨੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ Government ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਜੇ ਇਸ ਦਾ ਸੂਦ 4¼% ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ Punjab Government ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜੇ ਤਕ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਦ 4¼% ਦੀ ਬਜਾਏ 5¼% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ 1% ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜੋ ਰਕਮ Centre ਦੇਵੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸੂਦ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਿਥੋਂ ਤੀਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਲਈ ਰੁਪਏ ਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਵਲ ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ......

अध्यक्ष महोदय : आप देखें कि इस Demand में कोई बात ऐसी नहीं आती। (The hon. Member should note that no such thing is included in this Demand.)

ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ : ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ tractors ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ........

अध्यक्ष महोदय : इस में तो 2 ही बातें हैं—एक तो seed farm के सिलसले में दूसरी workshop बनाने के लिये। इस पर आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कहें। (There are only two main items in this demand. One is with regard to the seed farm and the other is in connection with the erection of workshop. If the hon. Member wants to speak on this he may do so.)

ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ : ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ tractors ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਆਮ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਰਕਮ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ tractors ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦੇ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਏਥੇ ਤਾਂ ਬੀਜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ tractors ਕਿਥੋਂ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ study ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (Here the Demand relates to seeds and the workshop. How has he brought in the tractors ? He ought to speak after thoroughly studying the whole Demand.)

श्री मुलतान सिंह (घरौंडा): स्पीकर साहिब, यह जो Demand है इस में जो agricultural implements के research की जो मांग है, इस के मुतालिक म कह सकता हूं कि जहां तक हमारी research का ताल्लुक है seeds के बारे में जैसे कि मक्की के बीज हैं जिन के मुतालिक research हुई, इन बीजों की अगर ज़रूरत पड़े तो यह Ministers की कोठियों के सिवाये और कहीं नहीं मिल सकता। बजाये इस के कि इस से यह फायदा उठाया जाये कि हमारी food production में तरक्की हो यह वज़ीरों की कोठियों तक ही रह जाता है। आप कहते हैं कि पिछले सालों से हमारी production में तरक्की हुई है। मैं कहता हूं कि यह जो production बढ़ी है यह irrigational facilities की वजह से बढ़ी है, न कि agriculture के महकमा की वजह से बढ़ी है। अगर इस महकमा पर खर्च करने की बजाये हम दूसरे तरीके से इन को facilities दें तो हम production और भी बढ़ा सकते हैं। Research किये हुये seeds को जब तक लोगों तक पहुंचाया नहीं जाता इस का कोई फायदा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस demand पर ही बोलें। (The hon. Member should confine himself to the demand only.)

श्री मुलतान सिंह : Research के इलावा दूसरी बात workshop के मुतालिक है। एक workshop अब लुधिआना में बनाई जा कर centralise की जा रही है। Workshop तो करनाल को अंदर भी थी मगर लुधिआना में Agricultural

[श्री मुलतान सिंह]
College भी है। इस के लिए वहां 25,000 रु० और दिये जा रहे हैं। यह सब कुछ लुधियाने में ही किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह सब कुछ आप कहां से ले आये हैं। यह तो demand में नहीं है। (How has he brought in this matter? It is no longer included in the Demand.)

श्री मुलतान सिंह : जनाब, करनाल से लाया हूं। (हंसी)

5 p.m.

अध्यक्ष महोदय : आप demand No. 7 को देख लें तब बोलें। (Please see Demand No. 7 and then speak.)

श्री मुलतान सिंह : Workshop के मुताल्लिक मैं जिक्र कर रहा था।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो चाहता हूं कि करें लेकिन करते नहीं हैं। (I wish the hon. Member to refer to this subject but he does not do so.)

श्री मुलतान सिंह : जनाब, साथ के साथ कुछ कहना भी पड़ता है। तो, जनाब, मेरी समझ में नहीं आया कि इतनी बड़ी रकम को उठा कर उस रीजन में ले जाया गया।

अध्यक्ष महोदय : इस में तो सिर्फ 4,000 है। (This is only a sum of Rs 4,000.)

श्री मुलतान सिंह : रकम तो मैं मानता हूं कि थोड़ी है लेकिन बात यह है कि यह महकमा कुछ नहीं कर रहा है। अगर इस की तरफ गौर किया जाये तो ज्यादा बेहतर है।

Mr. Speaker : Question is—

> That a Supplementary sum not exceeding Rs 18,700 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1958, in respect of 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research.

The motion was carried.

DEMAND NO. 8.

Capital Outlay on Multipurpose River Schemes

Minister for Finance : Sir, I beg to move—

> That a Supplementary sum not exceeding Rs 1,26,77,200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1958, in respect of 80-A-Capital Outlay on Multipurpose River Schemes.

Mr. Speaker : Motion moved—

That a Supplementary sum not exceeding Rs 1,26,77,200/- be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1958, in respect of 80-A-Capital Outlay on Multipurpose River Schemes.

श्री सुमेर सिंह (हसनपुर) : स्पीकर साहिब, मैं इस के मुताल्लिक यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि सिर्फ मार्च का एक महीना बाकी है और यह डिमांड 1,26,00,000 के करीब है। मैं समझता हूं कि साल के आखिर में इतनी बड़ी रकम का पास कराया जाना ठीक नहीं क्योंकि इसको जल्दी में खर्च किया जाएगा इसलिये इसका ठीक से इस्तेमाल नहीं होगा। एक करोड़ की रकम का इतनी जल्दी खर्च किया जाना ठीक नहीं।

मौलवी अब्दुल गनी डार (नूह) : स्पीकर साहब, यह जो करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है उसके मुताल्लिक मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह एक नेक काम के लिये खर्च किया जा रहा है। लेकिन इसका क्या जवाब है कि पिछले आठ नौ बरसों से जो estimates बनाए गए उनकी न तो किसी मुनासिब authority ने मंज़ूरी दी और न ही हमारी सरकार ने कोई मंज़ूरी दी और वह रुपया बरसों तक लटकता रहा, उसको कोई पूछने वाला नहीं।

अब जब सिर्फ एक महीना बाकी है और इतनी बड़ी रकम की मंज़ूरी ली जा रही है मैं समझता हूं कि हमारी गवर्नमेंट की इस के लिये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि इस मामले में गौर से देखें कि क्या साल के आखिर में इतनी बड़ी रकम ठीक से खर्च की जाएगी।

अगर, स्पीकर साहब, पार्लियामैंट में श्री फीरोज़ गांधी सही criticism कर सकते हैं और उन पर कोई खफा नहीं हुआ। हालांकि उस बात से पंडित जवाहर लाल जी के साथी श्री टी. टी. कृष्णमचारी को अपना बिसतर गोल करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी पर धब्बा आता था, लेकिन पंडित नेहरू ने उस criticism को मान कर उस पर पूरा action लिया। तो क्या वजह है कि जब मैं यहां right criticism करता हूं तो हमारे Finance Minister साहब आपे से बाहर हो जाते हैं और कहते हैं कि यह कुल चार पांच हैं और इनका brain बड़ा fertile है। मैं तो कहता हूं कि चार पांच ही सही, अगर वह हमारी ताक़त देखना चाहते हैं तो अज़मा कर देख लें, पता चल जाएगा कि अक्सरियत किस के साथ है।

अध्यक्ष महोदय : यह आप का multipurpose है। (How is it relevant to the demand under discussion ?)

मौलवी अब्दुल गनी डार: जनाब, उन्हों ने कहा था कि चार पांच हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बड़े बेताब हैं। (You seem to be very restless).

मौलवी अब्दुल गनी डार : जनाब, उस वक्त तो आप ने कुछ फरमाया नहीं था अब आप मुझे कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब आप मेरी सुनिए । (Please listen to me.)

जो बहस पुलिस पर उस वक्त चल रही थी ; आप ने कुछ बातें कहीं और उन्हों ने जवाब दिया लेकिन अब वह बातें मलटीपरपज़ स्कीम में कैसे आ सकती हैं ? (हंसी) (The hon. Member had said something during the course of the discussion on the Police demand to which the hon. Minister had replied but now how is all that relevant to this demand of multipurpose schemes.) (*Laughter*)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : मैं यह अर्ज़ कर रहा था, जनाब, कि करोड़हा रुपया खर्च किया जाये और उसकी sanction न हो तो वह बड़ी गौर तलब बात है। मैं आपके जरिये मुहतरम मिनिस्टर साहब के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि जब एक महीना रह गया इस साल को पूरा होने में इस वक्त इतनी बड़ी रक़म की मंज़ूरी लेना मैं समझता हूं ठीक नहीं। (*interruptions*) मैं तो कहता हूं कि अगर गवर्नमेंट में कोई ऐब है तो उसको वह सुनने से परेशान न हो और मैं आपकी गालियों से परेशान न होऊंगा । सरदार अजमेर सिंह ने कहा था कि नहरें चांदी के पहियों पर चलती हैं । आज मैं क्या कहूं ?

Mr. Speaker: Try to be relevant, please.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि वैसे तो Bhakra Dam दुनिया में अपनी मिसाल आप होगा और इससे State का बड़ा फायदा होगा लेकिन इतनी बड़ी रक़म की बरसों के बाद मंज़ूरी लेना कहां तक ठीक है ?

अध्यक्ष महोदय : आप relevant बोलिये (The hon. Member may speak relevant.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : मैं यही कह रहा हूं कि भाखड़ा डैम तो मुकम्मल होना चाहिये पर इन बड़ी बड़ी रक़मों की मंज़ूरी वक्त से ली जाये तो बेहतर होगा ।

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला) : जनाब स्पीकर साहिब, इस डिमांड की मुखालफत करते हुए जब मैंने House के एक Senior मेम्बर को सुना तो मुझे मालूम हुआ कि जो कुछ इन्हों ने कहा वह बिल्कुल irrelevant था और बे-बुनियाद था, यह सुनकर मुझे अफसोस हुआ ।

पहिले साल मैंने बजट में यह मद्दात रखी थीं और यह अखराजात रखे थे लेकिन Planning Commission ने उस में काट छांट कर दी थी ।

यहां पर एक बड़े शद्दोमद से एतराज़ किया गया है कि एक महीना रह गया है । उनको शायद पता नहीं कि वहां काम चल रहा है, Electricity की distribution हो रही है और Power-House बन रहा है और यह सारा खर्च हो रहा है । चल रहा है यह सिलसिला।

मौलवी अब्दुल गनी डार : लेकिन बगैर मन्ज़ूरी के ।

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री : यह एक continued process है और वह चल रहा है । मैं अर्ज़ करता हूं कि जो कुछ उन की तरफ से कहा गया है मैं समझता हूं उस में कोई वज़न नहीं है । हमारे जो दो power houses हैं, एक गंगूवाल में, दूसरा कोटला में, उन में हम और extension कर रहे हैं ताकि ज़्यादा बिजली पैदा हो सके । इस के इलावा कुछ और payments थीं जो कि अदा नहीं हुईं इसी तरह रोहतक, करनाल, होशियारपुर, फिरोज़पुर, लुधियाना और अम्बाला वगैरह में power line बनाई जा रही है । (*interruption*)

Mr. Speaker : Order, please.

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री : यह जो ख्याल था, यह जो hon. Member ने कहा है कि एक महीने में यह रकम कैसे खर्च हो जाएगी मैंने जहां तक note किया है महज़ यही एक एतराज़ है जो किया गया है । मैं ने जैसे पहले quote किया है, यह गलत है, बेबुनयाद है । इस लिए मैं हाऊस को दरखास्त करूंगा कि यह Demand पास की जाए ।

Mr. Speaker : Question is— .

That a Supplementary sum not exceeding Rs 1,26,77,200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1958, in respect of 80-A-Capital Outlay on Multipurpose River Schemes.

The motion was carried.

DEMAND NO. 9.

Capital outlay on Electricity Schemes etc.

Minister for Finance : Sir, I beg to move—

That a Supplementary sum not exceeding Rs 29,90,800 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1958, in respect of 81-A-Capital Outlay on Electricity Schemes (Outside the Revenue Account).

Mr. Speaker : Motion moved—

That a Supplementary sum not exceeding Rs 29,90,800 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1958, in respect of 81-A-Capital Outlay on Electricity Schemes (Outside the Revenue Account).

Sardar Bhupinder Singh Mann (Samana 'General') : Mr. Speaker, Sir, these items for which the money is being asked undoubtedly relate to a very important aspect of our State i.e., for developmental activities such as electricity schemes. The Irrigation and Power Minister in his explanation in asking for these large sums of money as Supplementary Grants has only given us silver smiles but not weighty reasons. Mr. Speaker, Sir, I rise to say that this sort of budgeting should be put stop to.

[Sardar Bhupinder Singh Mann]

Sir, what I learn is that Projects are taken in hand and later on it is stated that the provision made in the first instance was inadequate and that Supplementary Grants are needed for the completion of the Projects. Sir, here are items for which money is needed in lacs and crores. The I.P.M. says that certain officer committed irregularities and that they have been taken to task. Sir, this is bad budgeting.

Mr. Speaker, Sir, it is again said that the Demands have been approved by the Estimates Committee. This House is a greater authority than the Estimates Committee. We have got to see that proper opportunity should be given to this House so that we may look into these items which are of very great impo tance at the proper time. Such large sums of money should be asked for through regular Budgets. But here such large sums of money are asked for through Supplementary Demands which are rushed through. Sir, I object to this method.

Three Demands relating to electricity schemes have already been voted and including the demand, under discussion, the House is going to vote about 2 crores of rupees in five minutes time. Sir, I object to this Demand.

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ (ਨਕੋਦਰ 'ਜਨਰਲ') : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਇਸ ਡੀਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਖਰਚ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਕ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਰਾਂਟ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਕੁੱਲੂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਮਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਤੇਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ, ਸਰਹਾਲੀ, ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, ਲੋਪੋਕੀ ਔਰ ਕੈਰੋਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਖਾਸ ਕਰ ਬੇਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ । ਉਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਨੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੈ । ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਤਰਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਹੈ ਔਰ ਉਥੇ ਮੀਲ ਮੀਲ ਦੀ ਜਾਂ ਡੇਢ ਮੀਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੋਹੀਆਂ ਡੇਢ ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਗਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ । ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਕਈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ ਮਗਰ ਉਥੇ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ । ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ

ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding Rs 29,90,800 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1958, in respect of 80-A-Capital Outlay on Electricity Schemes (Outside the Revenue Account).

The motion was carried.

DEMAND NO. 10

Irrigation Working Expenses.

Minister for Finance : Sir, I beg to move—

That a Supplementary sum not exceeding Rs 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March 1958, in respect of XVII-Irrigation Working Expenses.

Mr. Speaker : Motion moved—

That a Supplementary sum not exceeding Rs 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1958, in respect of XVII-Irrigation Working Expenses

ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ (ਧਾਰੀਵਾਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੁਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਏਸ ਡੀਮਾਂਡ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੁਲ ਨੂੰ ਏਨੇ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿਚ ਇਤਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਉਥੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਦੀਨਾ ਜੀ ਸੁਪਰੰਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਪੁਲ ਥਲਿਉਂ ਪਾਣੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਹਕਦਾਰ ਹਨ । ਮਗਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੈ । ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਗਰ ਉਸ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਛੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉਤੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ (opening ceremony) ਹੋਣੀ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਉਂ ਦੀ ਚੋਖਾ ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਰੀਆਂ ਔਰ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟਰੋਲ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ । ਸੱਤ ਅੱਠ ਦਿਨ ਪੁਲ ਨੂੰ ਡੱਕੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਥੇ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਲਈ ਜਲਸਾ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਚਾਹ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ । ਇਤਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸ ਪੁਲ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸਰੇਮਨੀ (opening ceremony) ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ

[ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ]

ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਮਗਰ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਉਸ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ (available) ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਹਮਖਾਹ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਜ਼ੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨੋਟਸ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਫੇਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤਕਲੀਫ ਵਿਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਦਘਾਟਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

पंडित भगीरथ लाल शास्त्री (पठानकोट) : स्पीकर महोदय, यह जो धारीवाल पुल के संबंध में मांग की जा रही है इस के बारे में मैं दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। यह ठीक है कि जिन लोगों ने काम किया है उन्हों ने बड़ी मेहनत से काम किया है लेकिन मैं एक बात आप के द्वारा मंत्री महोदय के notice में लाना चाहता हूं कि धारीवाल पुल का design कई बार बदला है। पहले एक design बनाया गया जिस पर अगर मैं गलती नहीं करता हज़ारों रुपए खर्च किए गए हैं। खर्च के इलावा पुल के चालू करने में भी देरी हो गई। मैं अर्ज़ करता हूं कि ऐसे कामों के लिए पब्लिक tax देने के लिये तैयार है मगर इसके साथ ही वह यह भी जानना चाहती है कि जो वह tax देते हैं उसका रुपया ठीक तौर पर खर्च भी हो रहा है या नहीं। जो रुपया वह मेहनत से कमा कर देते हैं वह देखते हैं कि वह कहीं इधर उधर व्यर्थ तो खर्च नहीं किया जा रहा है। तो मैं अर्ज़ करूंगा कि उसका जो पहला design था उस पर हज़ारों रुपए खर्च हुए। वहां सीमिंट की बनी कड़ियां पड़ी हैं, पता नहीं वह कहां पर खर्च होंगी। और कहीं इस्तेमाल होंगी भी या नहीं। Design जो होता है वह पहले ही बन कर पास हो जाना चाहिए और उसके पास हो जाने पर उसके मुताबिक काम होना शुरू हो जाना चाहिए लेकिन वहां पर ऐसा नहीं हुआ। पहले एक design बना और उस पर गवर्नमैंट का रुपया खर्च हुआ और दूसरी बार

फिर बना । इसका मतलब यह हुआ कि पब्लिक का रुपया जो वह taxes की शकल में देती है खाह मखाह नाजायज़ खर्च किया गया । जहां यह नाजायज़ खर्च हुआ वहां पुल बनने में भी देरी हो गई । हम लोग जो वहां रहते हैं जानते हैं कि वहां पुल न होने को वजह से आने जाने में कितनी तकलीफ होती थी । यह ठीक है कि पुल उमदा बना है मगर यह design वाली बात मैं आप के notice में लाना चाहता था । जो design बनाते हुए सामान वहां पड़ा है उसके बारे में तो मंत्री महोदय ही बता सकते हैं कि वह कैसे और कहां लगेगा मगर मैं यह जरूर कहूंगा कि ऐसी गल्ती design के बारे में नहीं होनी चाहिये । आखिर में मैं कहूंगा कि पुल बनाने वालों ने वाकई बड़ी मेहनित की है और वह हमारे धन्यवाद के पात्र हैं ।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : (सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला) स्पीकर साहिब, यह धारीवाल का जो पुल था बहुत मुद्दत का बना हुआ था और बड़ा बोसीदा था जो टूट गया । Running Canal पर यह पुल था और यह सड़क भी जो था वह बहुत ही important थी । यह सड़क काशमीर को इस खित्ते से मिलाती है । फिर जो यह पुल का काम हुआ है उस को मेरे यह नुक़्ताचीन दोस्त भी मानते हैं और तसलीम करते हैं कि यह काम बहुत उमदा और अच्छा हुआ है । अभी मेरे एक दोस्त ने इस की opening ceremony के बारे में तज़करा किया है और इस सिलसिले में दो चार बातें कही हैं । कम से कम यह बात मेरे knowledge में नहीं है कि वहां कोई official तौर पर opening ceremony हुई है । वहां यह नहीं हुई है..............(**ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ।**) दरअसल कोई opening ceremony नहीं की है । उसको हमने turn down किया था । यहां पर ऐसे बहुत काम हो रहे हैं, जैसे धुस्सी बांध बन रहा है । उनकी ceremonies के लिए कहा गया है लेकिन मैं ने turn down किया है कि इन रसमों की कोई ज़रूरत नहीं है । यहां जो कुछ इस बारे में कहा गया है मैं उसकी पुरज़ोर तरदीद करता हूं । जहां तक design का सवाल है यह ठीक है कि एक design office में बैठ कर जो बना और मौका पर शायद उस में कोई गल्ती मालूम हो गई तो उसको वापिस भेज कर दरुस्त करवा कर ठीक तौर पर काम ठीक किया है । मैं तो कहूंगा कि यह बात काबले तहसीन है कि वक्त पर गल्ती पकड़ कर दरुस्त काम किया है । अगर इस तरह गलत पुल बन जाता और बाद में गिर जाता और फिर भारी नुकसान होता तो यह बात अच्छी थी या यह बात अच्छी हुई कि design को ठीक करके उसका नुक्स रफा करके पुल को तैयार किया और वह भी record time में तैयार किया ? बड़ी मेहनत से और निहायत तेज़ रफ्तार में काम किया है क्योंकि एक तो running canal का पुल था उस को रोका नहीं जा सकता था और पानी भी नहीं रोका जा सकता था । फिर यह सड़क भी जैसा मैंने बताया है बड़ी अहम है । यह अर्ज़ तो मैंने धारीवाल

[सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री]

bridge के बारे में की । दूसरे bridge के बारे म कुछ कहा ही नहीं गया । इस लिए मैं हाउस से इल्तजा करूंगा कि वह इस मद को पास कर दें ।

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding Rs 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1958, in respect of XVII-Irrigation Working Expenses.

The motion was carried.

DEMAND NO. 11

Medical and Public Health.

Minister for Finance : Sir, I beg to move—

That a Supplementary sum not exceeding Rs 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1958, in respect of 38-Medical and 39-Public Health.

Mr. Speaker : Motion moved—

That a supplementary sum not exceeding Rs 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1958, in respect of 38-Medical and 39-Public Health.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ (ਸੁਲਤਾਨ ਪੁਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ model town ਵਿਚ ਇਕ dispensary ਬਨਾਉਣ ਲਈ 1,690 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਲਈ dispensary ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਥੇ ਮੀਲਾਂ ਤਕ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ ? ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 20,20 ਦਿਨ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਥੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ । ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ Health Minister ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਥੇ ਕਿਤਨੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ । ਖੈਰ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਦਸਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ । ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਬ ਨੇ Patiala Model Town ਲਈ dispensary ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਹੈ ਉਥੇ ਕਿਆ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ State ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ, ਜਿਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ dispensary—ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਪਰ ਮੈ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਹਨ, Press ਹੈ ਤੇ platform ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ Press ਹੈ ਤੇ ਨਾ platform ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਥੇ 2, 2 dispensaries ਇਕੋ ਥਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ—ਇਕ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦੀ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਥੋਂ ਇਕ dispensary ਨੂੰ shift ਕਰਕੇ ਬੇਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿਉ ਜਿਥੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ । ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਸੁਰਖਪੁਰ ਤੇ ਫਤੂਵੀਂਗਾ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ।

अध्यक्ष महोदय : आप पटियाला का नाम ले कर State की सारी जगहें चले गए हैं । This is not relevant. (The hon. Member has brought all the places in the State under discussion under pretext of Patiala. This is not relevant.)

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਨਹੀਂ, ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ notice ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ........

अध्यक्ष महोदय : मैं समझा था कि आप बैठ गए हैं (हंसी) (I thought the hon. member had resumed his seat.) (*Laughter*)

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਫੇਰ, ਜਨਾਬ, ਇਸੇ ਮਦ ਵਿਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਮੇਲੇ ਲਈ provide ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਮਦ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ District Board ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜਿਤਨਾ ਰੁਪਿਆ ਵਧ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਸ ਮਦ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ State ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੇਲੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ provision ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ? ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਲਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਥੇ ਮੇਲੇ ਲਈ ਕੋਈ sanitation ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰੋ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ Municipality ਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰੁਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਾਸਤੇ provision ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ provision ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

श्री सुमेर सिंह (हस्सनपुर) : स्पीकर साहिब, जहां दूसरे इलाकों के लिए मुतालबा पेश किया गया है वहां पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माडल टाउन पलवल में भी हस्पताल बनाया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : पलवल को बीच में कैसे ले आए ? (How does Palwal come under this demand ?)

श्री सुमेर सिंह : स्पीकर साहिब, मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां माडल टाउन पटियाला के लिए प्रोवीज़न की जा रही है वही पालिसी माडल टाउन पलवल के लिए होनी चाहिए और वहां भी हस्पताल बनना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए । (Please resume your seat.)

ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਸ਼ਾਂਤ' (ਮਾਨਸਾ 'ਰਿਜ਼ਰਵਡ') : ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹਾਂ ਕਿ medical ਲਈ ਜੋ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ dispensaries ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ । ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਉਥੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲੇ dispensaries ਨਹੀਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦਾ ਸਾਮੁਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਸਾ ਤਕ ਇਕ dispensary ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਲ ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਮੁਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

Mr. Speaker: This is not relevant, please. You can speak about it at some other occasion.

ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਸ਼ਾਂਤ': ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਬੇਸ਼ਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ ਉਥੇ ਪਹਿਲਾਂ dispensaries ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ । ਇਸ ਡੀਮਾਂਡ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੀ dispensary ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 12, 12, 15, 15 ਮੀਲ ਤਕ ਕੋਈ ਯੋਗ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਕਮ ਬੇਸ਼ਕ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉ ਪਰ ਖਰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰੋ ਜਿਥੇ ਇਸ ਦੀ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ।

चकबंदी तथा स्वास्थ्य मन्त्री (चौधरी सूरज मल) : स्पीकर साहिब, इस के बारे में कुछ जवाब देने की ज़रूरत तो नहीं थी क्योंकि आम तौर पर जो ख्यालात ज़ाहर किए गए वे irrelevant थे लेकिन फिर भी जो मुग़ालता मेम्बर साहिबान के दिमाग में है वह दूर होना चाहिए । वह यह है कि माडल टाउन, पटियाला के तहत

1,860 रुपए की बहुत छोटी सी रकम तलब की गई है । वह यह है कि वहां पर हस्पताल बन रहा है जिस में से थोड़ा सा काम बाकी है जिस के लिए कुछ रुपये की जरूरत है जहां तक माडल टाउन के हस्पताल की बाबत मेम्बर साहिबान ने कहा है मैं उन्हें अर्ज कर दूं कि पैप्सू की गवर्नमेंट काम शुरू कर चुकी थी और हस्पताल बनाना शुरू कर दिया था । Merger के बाद हमारा फर्ज़ है कि जो काम अधूरा रह गया था उसे पूरा किया जाये । इस के साथ ही मैं यह भी यकीन दिलाता हूं कि जहां तक हो सका हम देहात के अन्दर इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि तिब्बी इमदाद बहम पहुंचाई जाये । मैं हमेशा देहात के लिए आवाज उठाता रहा हूं और आयंदा भी जहां देहात का सवाल आयेगा मैं इस बात का यकीन दिलाता हूं कि देहात के लिए ज्यादा से ज्यादा रकम देने की कोशिश की जायेगी ।

दूसरा सवाल मेले के मुताल्लिक सरदार आत्मा सिंह जी ने उठाया । उन को शायद पता नहीं कि यह मेला सारे हिन्दुस्तान का मेला है और लाखों की तादाद में लोग इस मेले में शरीक होते हैं । इस मेले के लिए आज यह कोई नई provision नहीं की गई । बल्कि हरेक हकूमत के वक्त में उस मेले के लिए काफी रुपया रखा जाता रहा है । इस के लिए 50,000 रुपया की provision 31 मार्च तक खत्म होने वाले साल के लिए की है । बाकी दो लाख अगले साल के लिए और करेंगे । जैसे कि मैंने अर्ज़ किया है इस मेले में दूर दूर से लोग आते हैं तो वहां पर ज़रूरी हो जाता है कि medical का और सफ़ाई वग़ैरह का इन्तज़ाम किया जाये वरना वहां पर cholera वग़ैरह बीमारियां फैल सकती हैं । इसलिए ज़रूरी है कि वहां पर इन्तज़ाम किया जाय । उन्होंने दूसरे मेलों के मुताल्लिक ज़िक्र किया कि उन की भी इमदाद की जाये । यह सवाल अलहदा है । जब कभी यह सवाल सामने आयेगा तो इस के मुताल्लिक ग़ौर कर लिया जायेगा ।

इसलिए मैं दरखास्त करूंगा कि यह 1,680 रुपये को और 50,000 रुपये की मेले की मांग को मंज़ूर किया जाय ।

Mr. Speaker: Question is—

> That a supplementary sum not exceeding Rs 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1958, in respect of 38-Medical and 39-Public Health.

The motion was carried.

CIVIL WORKS

Minister for Finance (Shri Mohan Lal): Sir, I beg to move—

> That a supplementary sum not exceeding Rs 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March 1958 in respect of 50-Civil Works.

Mr. Speaker : Motion moved—

That a supplementary sum not exceeding Rs 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1958 in respect of 50-Civil Works.

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ (ਰਾਏਕੋਟ 'ਰਿਜ਼ਰਵਡ') : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਕਮ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਨਿਹਾਇਤ serious ਮਸਲੇ ਵਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ provision ਰਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ....

अध्यक्ष महोदय : आप डिमांड पर बहस करें । (Please speak on the Demand under discussion.)

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਤਰਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ।

राजा रघुवीर सिंह (कुल्लू 'जनरल') : अध्यक्ष महोदय, पहला जो एक आइटम पांच लाख रुपये की खर्च की जा रही है ....

एक माननीय सदस्य : यह कौन सी है ? *(Laughter)*

राजा रघुवीर सिंह : क्या यह मांग न० 14 नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं, आप उस वक्त बोल लेना । आप, मेरा ख्याल है, घर से फैसला उसी पर बोलने का कर के आये हैं । (It does not matter, he can speak when the relevant Demand is under discussion. It appears that he had made up his mind at home to speak on this particular Demand.)

श्री मनी राम गोदाड़ा (फतह आबाद) : स्पीकर साहिब, मैं मिनिस्टर साहिब की तवज्जुह, 69,000 रुपये की रकम जो Block of ten rooms in the Chief Electoral Officer's Camp Office, Ambala City, की तामीर के सिलसिले में मांगी गई है, की तरफ दिलाना चाहता हूं । जब बहुत सी buildings नाभा में खाली हैं तो camp office की construction के लिये इतनी रकम का खर्च कर देना सरकार की दूरअंदेशी ज़ाहिर नहीं करता । पंजाब और पटियाला के merger के बाद पटियाला उजड़ गया है और वहां offices की buildings काफी खाली पड़ी हैं । एक तरफ तो वहां के लोग गवर्नमेंट से यह मांग करते हैं कि सरकारी दफतर वहां भेज दिये जायें लेकिन दूसरी तरफ नई buildings पर 69,000 रुपये खर्च कर देना किसी तरह से सरकार की दूर-अंदेशी को ज़ाहिर नहीं करता । एक तरफ तो सरकार लोगों पर टैक्स लगा रही है

और दूसरी तरफ अगर इस तरह के नाजायज़ खर्च किये जायें तो हमें मुखालिफत करनी पड़ती है। मैं मिनिस्टर साहिब से अर्ज़ करूंगा कि वह वाज़ह तौर पर बयान करें कि जब यह रुपया और कई ज़रूरी कामों पर खर्च किया जा सकता था तो वह Chief Electoral Officer's Camp Office, Ambala City पर क्यों खर्च किया गया ?

लोक-कार्य विभाग मन्त्री (राओ बीरेन्द्र सिंह) : स्पीकर साहिब, यह Chief Electoral Officer के दफतर के लिये 69,000 रुपये की रकम 1956-57 साल के integrated State के बजट में sanction हो चुकी है। किसी वजह से यह काम साल 1956-57 में पूरा न हो सका। मैं माननीय मैम्बर का यह एतराज़ समझ नहीं सका कि पटियाला में buildings खाली होने की वजह से अम्बाला में कोई building नहीं बननी चाहिये। जिस building की ज़रूरत अम्बाला में है वह अम्बाला में ही बननी चाहिये और जिस building की ज़रूरत चण्डीगढ़ में है वह चण्डीगढ़ में ही बननी चाहिये। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि पटियाला में कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं है जिसे खाली कहा जा सके। इस में कोई शक नहीं कि यह गवर्नमैंट की पालिसी है कि पटियाला की importance कायम रखी जाये लेकिन हर शहर के दफतर पटियाला में मुन्तकिल नहीं किये जा सकते। यह काम पूरा हो चुका है, बिल्डिंग तामीर हो चुकी है, इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि यह डिमांड पास की जाएगी।

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1958, in respect of 50-Civil Works.

After ascertaining the votes of the Members present in the House by voices Mr. Speaker said "I think the Ayes have it". This opinion of the Speaker was challenged whereupon bells were sounded. After ascertaining the votes of the Members on both the sides by voices again, Mr. Speaker declared that the division was unnecessarily claimed.

The motion was declared carried.

CONSTRUCTION OF IRRIGATION WORKS

Minister for Finance (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move—

That a supplementary sum not exceeding Rs 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1958, in respect of 68-Construction of Irrigation Works.

Mr. Speaker : Motion moved—

That a supplementary sum not exceeding Rs 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1958, in respect of 68-Construction of Irrigation Works.

श्री हरि भगवान मोदगिल (लुधियाना, उत्तर) : स्पीकर साहिब, मैं इस डिमांड के मुतअल्लिक यह अर्ज करना चाहता हूं कि लुधियाना में बुड्ढा नाला में एक अलमनाक हादसा हुआ जब सुबह को पता लगा कि एक पुल जो इलाके को शहर की आबादी से connect करता था एक ट्रक के गुज़रने से गिर पड़ा है जिस की वजह से दो मौतें हुई और 5, 6 आदमी मजरूह हुए। आज तक इस पुल के मुतअल्लिक झगड़ा चल रहा है कि आया वह पुल डिस्ट्रिक बोर्ड का है या P.W.D. ने बनाना है। स्पीकर साहिब, इस बात का आज तक फैसला नहीं हो सका और एक महीने से ज़ायद हो गया है कि construction की तैयारी नहीं हुई। मैं, स्पीकर साहिब, आप की विसातत से गवर्नमैंट से प्रार्थना करूंगा कि उस पुल को बनवाने की जल्दी से जल्दी कोशिश की जाये ताकि उस इलाके के लोग शहर में आ सकें और अपना काम-काज कर सकें।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ (ਧਾਰੀ ਵਾਲ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜੇ supplementary Estimate ਦੇ ਸਫਾ 23 ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤੇ ਬੜਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਤੇਗੜ੍ਹ ਨਾਲੇ ਦੀ construction ਵਾਸਤੇ 10,000 ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ Finance Minister ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਥਾਨਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਵਿਚ ਬਾਰਸ਼ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ; ਇਕ ਆਦਮੀ ਮਰ ਗਿਆ, 15, 20 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਸਾਲ ਭਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਬਰੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ Hansli ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ Bijuman Drain ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਟਿਆ ਜਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ Supplementary Estimates ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ Grow-more-Food ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੁਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ Dhussi Bund ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਨ।

***श्री मुल्तान सिंह** (घरौंडा) : स्पीकर साहिब, Demand No. 13 जो पहले बजट में पढ़ी तो ज़्यादा तर रकम रावी दरिया के मुताल्लिक मालूम हुई जहां कि floods ज़्यादा हैं। उसके मुताल्लिक जो रकम थी वह 59 लाख के करीब है। इस Demand में 5 लाख ही मांगा गया है। लेकिन जो सारी रकम है

वह 59 lacs है या उस से भी ज़्यादा है। आपको याद होगा कि और जगह भी floods आते हैं, हमारे हां जमुना का flood आता है। उसके साथ यह कुंज पुरा बांध है। उसके लिये कोई रकम नहीं मांगी गई; हालांकि बार २ Irrigation Minister और दूसरे Ministers साहिबान से कहा गया। कुंज पुरा बांध के लिए बड़ी भारी ज़रूरत है। हमें तो डर है कि कहीं हमारा आधा ज़िला ही न कट जाए क्योंकि दरिया जमुना दूसरी तरफ रुख कर रहा है। मैं House की तवज्जुह दिलाना चाहता हूं कि मौका पर जा कर देखें कहीं G. T. Road भी न कट जाए। जहां इतना खतरा हो, जहां सारा ज़िला इस की ज़द में आता है, उसके लिए कोई रकम नहीं मांगी गई। हमारे Chief Minister ने कहा था कि इसके लिए काफी रकम दी जाए। सारे Hindi Region के अन्दर तीन Divisions हैं। करनाल में एक ही Division हुआ। Drainage का सवाल है। दादरी के इलाका में हांसी की झील में और गुड़गांव और पलवल की झील में 50,000 एकड़ ज़मीन ज़ेरे-आब रहती है। वहां के लिए एक Division खोलने की ज़रूरत है। जलंधर Division के अंदर X.E.N. का Division खोलते हैं। जहां रोटी खाई जाती हो, उसे टुकड़ा तो दे ही दिया जाए। मैं कोई मुखालिफ नहीं हूं; मैं चाहता हूं कि सब जगह drainage की ज़रूरत है, जो मन्ज़ूर किया जाए; जहां दूसरे इलाके हैं, backward इलाके हैं, जिन की Press और public के अन्दर कोई सुनवाई नहीं होती, उनकी भी सुनवाई हो जाए। कम से कम हमारी बात भी सुनें। मैं C.M. और I.P.M. साहिब से दरखास्त करूंगा कि पांच सात लाख रुपया जो drainage के लिए खर्च किया गया है, अगर उसको मन्ज़ूर न किया गया तो Drain No. 1 और Drain No. 2, जिसके लिए इसके अंदर रकम दी है, वह तमाम का तमाम तबाह और बरबाद हो जाएगा; drainage system का नुकसान हो होगा। C.M. ने भी उसे देखा है। मौका देख कर रकम मंज़ूर की जाए।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਨਾ, ਦੱਖਣ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਨੇ ਵਿਚ ਜੱਸੋ ਵਾਲ ਡਰੇਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਸ ਡਰੇਨ ਵਾਸਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਸ ਡਰੇਨ ਦਾ ਕੁਲ ਐਸਟੀਮੇਟ ਖਰਚ 9 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਹੈ। ਏਸ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ (next year) ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਰੇਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਈ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਲੁਧਿਆਨੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਰੇਨਜ਼ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਨੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਇਤਨਾ ਫਲੱਡ ਅਫੈਕਟਿਡ ਏਰੀਆ (flood affected area) ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇ ਲੁਧਿਆਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਅੱਗੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਸ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਜਨਰਲ') : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਏਸ ਡੀਮਾਂਡ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਨਸਰਾਲਾ ਚੋ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਵੱਜੁਹ ਏਸ ਪਾਸੇ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸਰਾਲਾ ਚੋ ਦਾ ਯਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸਿਰਫ ਉਸ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਬਨਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਏਸ ਚੋ ਨਾਲ ਜਿਤਨੇ ਕਨੈਕਟਡ (connected) ਨਾਲੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਸਰਾਲਾ ਚੋ ਨੂੰ ਚੈਨੇਲਾਈਜ਼ (channelise) ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨੇਲਾਈਜ਼ (channelise) ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਾਲੇ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਸ ਚੋ ਨੂੰ ਚੈਨੇਲਾਈਜ਼ (channelise) ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਾਲੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਏਸ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਵੱਜੁਹ ਦਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸਰਾਲਾ ਚੋ ਨੂੰ ਚੈਨੇਲਾਈਜ਼ (channelise) ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸਰਾਲਾ ਚੋ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਜੋ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜ਼ਾਇਆ ਹੀ ਜਾਏਗ।

ਬਾਵਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ (ਕਪੂਰਥਲਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਮਾਂਡ ਨਸਰਾਲਾ ਚੋ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਾਲੀ ਬੇਈਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਬੇਈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸੱਜੇ, ਖੱਬੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਚੋ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਏਸ ਬੇਈਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਬੱਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਬੈਡ (bed) ਹੈ ਉਹ ਉਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਬੇਈਂ ਵੱਲ ਦਾ ਬੈਡ (bed) ਹੈ ਉਹ 20 ਫੁਟ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋ ਇਸ ਬਲੈਕ ਬੇਈਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਧੁੱਸੀ ਟੁਟ ਜਾਏ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਬੇਈਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਸਰਾਲਾ ਚੋ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਚੋ ਪਿਛੋਂ ਆਉਣੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਲੈਕ ਬੇਈਂ ਵਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਏਸ ਡੀਮਾਂਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਸ. ਡੀ. ਓ. ਉਥੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੁਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਫਲੱਡ

ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਵਰਡ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤਵੱਜੁਹ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।

राजा रघुबीर सिंह (कुल्लू 'जनरल') : यह Demand जो Irrigation के लिए रखी गई है उसके लिए मैं पंजाब सरकार का हार्दिक धन्यवाद करता हूं । Chief Minister ने वह मौका देखा है । और इसके लिए अब 40,000 रुपया मन्जूर किया जा रहा है । यह 55,000 रुपये की तो scheme है । एक महीने से पहले २ यह खर्च हो जाना है । लेकिन बाकी रुपये के मुतल्लिक यह प्रार्थना है, अध्यक्ष महोदय, आप द्वारा कि अगर बाकी रुपया ज्यादा से ज्यादा खर्च न किया जाए यानी बांध का काम अगर मुकम्मल न होगा तो इस का नतीजा यह होगा कि वहां इस साल बांध नहीं बांधा जा सकेगा । अगले साल रकम lapse हो जाएगी । जहां मैं Chief Minister का धन्यवाद करता हूं वहां उनके personal notice में यह बात भी लाना चाहता हूं कि बाकी रुपया मई से पहले २ खर्च हो जाना चाहिए, जिस मकसद के लिए यह रखा गया है, वरना 55,000 रुपया, जो रकम अप्रैल से पहले २ खर्च करना है, जाया हो जाएगा ।

6 P.M.

(Some of the hon. Members rose to speak.)

अध्यक्ष महोदय : अब तो छः बज चुके हैं । आप ने procedure नहीं देखा? (Now it is 6 p.m. Have the hon. Members not studied the Rules of Procedure ?)

The relevant rule says "The Speaker shall......"So, there is no option left with me.

Question is—

That a Supplementary sum not exceeding Rs 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1958, in respect of 68-Construction of Irrigation Works.

The motion was carried.

CAPITAL ACCOUNT OF CIVIL WORKS OUTSIDE THE REVENUE ACCOUNT

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for year ending the 31st March, 1958 in respect of 81-Capital Account of Civil Works Outside the Revenue Account.

The motion was carried.

CAPITAL ACCOUNT OF OTHER STATE WORKS ETC.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1958 in respect of 82-Capital Account of Other State works outside the Revenue Account.

The motion was carried.

LOANS TO LOCAL FUNDS ETC.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1958 in respect of Loans to Local Funds etc.

The motion was carried.

(*The Assembly then adjourned till* 9 *a.m. on Tuesday, the* 4*th March*, 1958).

ANNEXURE

(Please see page (13) 39 of this debate)

GOVERNMENT INVESTMENT IN PRIVATE CONCERNS.

856. Sardar Sarup Singh : Will the Minister for Finance be pleased to state —

(a) the total amount of investment in private concerns made by State Government during the period from 1st April, 1952 to 31st March, 1957 ;

(b) whether the shares of the Government in the concern referred to in part (a) above were fully paid up ;

(c) whether Government are getting any dividends on the investments referred to in part (a) above, if so, the extent thereof ;

(d) whether Government sustained any losses on the said investment, if so, the extent thereof in each financial year referred to in part (a) above?

Shri Mohan Lal :

(a) Rs. 1,48,90,700 (Shares Rs. 1,18,90,700) (Debentures Rs. 30,00,00)

(b) No

(c) No

(d) Rs. 28,000 in the case of one concern during the year 1957-58.

661 PVS—344—5-2-59—C., P. anp S., Punjab, Chandigarh

Punjab Vidhan Sabha Debates

4th March, 1958

Volume I. No. 14

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Tuesday, 4th March, 1958

CHANDIGARH:

Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab

1959

Price : Rs. 2.95 nP.

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATE, VOL. I, NO. 14,
DATED THE 4TH MARCH, 1958

Read	*for*	*on page*	*line*
question	questio	(14)14	3
2nd	nd2	(14)26	Serial No. 14 in column 2
1st	1s	(14)26	Serial No. 15 line 2 in column 2
Government	Gove nment	(14)28	7
करता	अरता	(14)35	9
मारे	मा `	(14)37	2
किनारे	किना `	(14)37	25
deficit	deficient	(14)57	8th from below.
dignity	diginty	(14)63	6th from below.
विदेशी	वि शी	(14)66	13
यह	या	(14)68	6
offices	offces	(14)68	7

PUNJAB VIDHAN SABHA

Tuesday, 4*th March*, 1958

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, *Chandigarh Capital, at* 9 *a.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.*

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

FLOOD CONTROL SCHEME

***1493. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether any scheme for the control of floods in the State has been formulated; if so, the steps, if any, so far taken to implement the same ;

(b) whether any contribution for the said scheme has been made by the Union Government ; if so, the amount thereof ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) Yes. Based on Punjab Plan of anti-flood measures a large number of schemes have been prepared and the remaining will be completed by the end of this financial year. A copy of the plan** is placed on the Table. The plan is estimated to cost Rs 823.52 lacs. A sum of Rs 126 lacs has been earmarked for implementation of these schemes for the year 1957-58.

(b) Yes. A loan assistance of Rs 4 crores during the 2nd Five-Year Plan period has been earmarked for these schemes by the Central Government.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मिनिस्टर साहिब फरमाएंगे कि गवर्नमेंट को इस बात का कोई अन्दाज़ा है कि ये तमाम anti-flood schemes कब तक पूरी हो जाएंगी ?

मन्त्री : Off hand कहना तो मुश्किल है। इसलिए अलग नोटिस दें। लेकिन जो इस साल की ऐसी schemes हैं—एक करोड़ 26 लाख की—मेरा ख्याल है कि उन को इसी साल में पूरा कर देंगे।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या कोई मुख्तसिर सा खाका दिया जा सकता है कि इस साल की जो schemes हैं उन के मुताबिक गवर्नमेंट क्या २ करेगी ?

मन्त्री : इस वक्त तो information मेरे पास नहीं है। दी जा सकती है।

श्री शेर सिंह : मेज़ पर रख देना।

मन्त्री : Later on मेज़ पर रख दी जाएगी।

INSTRUCTIONS TO LOCAL BODIES REGARDING PRESENTATION OF ADDRESSES AT OPENING CEREMONIES

***1495. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether it is a fact that Government has issued

** Copy of the plan is placed in the Library.

[Pandit Shri Ram Sharma]
certain instructions to the Local Bodies in the State about the presentation of addresses at opening ceremonies ; if so, a copy thereof be laid on the Table ?

Giani Kartar Singh : (a) Yes.

(b) A copy of the said instructions has been laid on the table of the house.

Government,—*vide* their letter No. 11478-C-5 2411-36572, dated the 2nd January, 1953, had issued the following instructions :—

> "Expenditure on the celebration of opening ceremonies should, as for as possible be avoided. If for any reason it becomes necessary to do so, in no case should any expenditure be incurred without obtaining the prior approval of Government."

पंडित श्री राम शर्मा : जो हिदायत मेज़ पर रखी गई है उन में गवर्नमेंट ने ऐसा Circular किया है कि अव्वल तो ख़र्च न हो करें और अगर opening ceremonies पर ख़र्च करना हो तो गवर्नमेंट से पहले मंज़ूरी ले ली जाए। क्या बताया जा सकता है कि जब वज़ीर साहिबान के दौरे हों और उन को address पेश किया जाना हो तो उस के लिए भी गवर्नमेंट से पहले मंज़ूरी लेनी पड़ेगी या नहीं ?

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਅਗਰ ਕੁਝ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ।

TRANSFERS OF EMPLOYEES OF ERSTWHILE PEPSU TO CHANDIGARH

***1576. Comrade Jangir Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total number of employees of erstwhile Pepsu State who were transferred to Chandigarh, together with the number of those amongst them who are married ;

(b) the total number of quarters so far allotted to the employees referred to in part (a) above at Chandigarh;

(c) whether it is a fact that married employees of Pepsu have been allotted half a quarter each while the Punjab employees who are married are occupying full quarter each ; if so, the reasons therefor ?

Giani Kartar Singh : (a) The total number of employees of erstwhile Pepsu State who were transferred on 1st November, 1956 is 1,075. Complete information regarding the number of married and unmarried personnel is not readily available.

(b) So far 726 officials have been allotted full houses and 325 officials have been provided with shared accommodation. Arrangements are required to be made for 24 class IV employees who are yet without houses.

(c) No. The policy of House Allotment Committee before Integration was to allot full houses to married officials. After integration, there being acute shortage of houses, the policy was changed

and shared accommodation was allotted to all officials, in the first instance whether they belonged to erstwhile States of Pepsu or Punjab, This uniform policy is still being followed in case of lower category of houses.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 325 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ shared accommodation ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ information Pepsu ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ shared accommodation ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

अध्यक्ष महोदय : अगर facts and figures पूछने हों तो उसके लिए अलग सवाल का नोटिस दिया करें (The hon. Member should give a separate notice of a question in case he intends to know about the facts and figures.)

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਕੁਆਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ?

Mr. Speaker : This supplementary question does not arise out of it.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ shared accommodation ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੋਏ ਮਕਾਨ allot ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ programme ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ?

SINKING OF GROUNDS OF CERTAIN BUILDINGS AT CHANDIGARH

***1577. Comrade Jangir Singh** : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the ground under the buildings of Cheap Houses in Sector 16, Women's College, and Circuit House at Chandigarh has sunk and as a result thereof the walls and floors of the building of the Women's College have cracked ;

(b) whether it is also a fact that the foundations of the Bank Building in Sector 17 were filled with water during the recent rains and the walls of 10-F Houses in Sector 27 collapsed as a result of which the contractor has preferred a claim against the Government amounting to Rs 14,000 ;

(c) if the replies to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the name of the contracort through whom the said works were got executed, together with the action taken against him ;

[Comrade Jangir Singh]

(d) whether it is also a fact that the contractor who executed these works was black- listed on account of his selling Government cement at Hoshiarpur ; if so, the reasons for giving him contract at Chandigarh, together with the name of the officer who gave it ?

Giani Kartar Singh : (a) There are no Cheap Houses in Sector 16 These are in Sector 15 but the ground under them has not given way. In the case of College for Women (in Sector 11), soil under the foundations considerably lost its bearing capacity resulting in slight settlement of some walls and upheaval of some floors. In the case of Circuit House, soil under one pillar of the porch yielded slightly due to the penetration of moisture.

(b) Due to very heavy rains in September, 1957, the basement of the Bank Building in Sector 17 got slightly flooded without any appreciable damage. During the same rains, some walls constructed with Bricks in Mud mortar in case of 10-F Houses in Sector 27, which were under construction and had not been roofed, got damaged. The Contractor has put in a claim for Rs 14,300-11-0.

(c) The work on College for Women was got executed through R. B. Seth Ram Rattan, and that on 10-F Houses in Sector 27 through Messrs Har Bilas-Baldev Raj. As the damage was due to causes beyond the control of Contractors, no action has been taken against them.

(d) Exact information regarding the black-listing of the abovementioned contractors for selling Government cement at Hoshiarpur is not available. It is, however, understood that a partner of the firm of M/s Har Bilas-Baldev Raj was involved in the case of selling of Government cement at Hoshiarpur and was black-listed. This firm being a registered one in Capital Project, has been working satisfactorily since 1955. In case of houses in Sector 27 they were allotted work being the lowest tenderers. The work was allotted by Superintending Engineer, Capital Project, Chandigarh, with the approval of the Chief Engineer.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਕ ਆਦਮੀ ਜੇ ਇਕ ਜਗਾਹ blacklisted ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਗਾਹ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗਾਹ ਤੇ black-list ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ case ਦੀ reference ਆਈ ਹੈ ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ black-list ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਚੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ black-listed ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ black-list ਕਰ ਦਿਉ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ Women College ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਜਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ engineers ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ Moisture ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਨੀਂਹ ਬਹਿ ਗਈ ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ moisture ਹੋਣ ਦੀ ਵਜਾਹ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨੀਹਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਜ਼ਨ ਪੈਣ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ moisture ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ building ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ, ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਿਚ ਨਕਸ਼ੇ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ? ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਨਕਸ਼ਾ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀ action ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ?

Mr. Speaker : No please. This question need not be answered.

श्रीमती सरला देवी : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि बारिशों से यह जो buildings खराब हुई हैं उन के लिये ठेकेदार को सिर्फ black-list ही किया गया है या उस के खिलाफ कोई और action भी लिया गया है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ buildings ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਂ ਛਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ against ਕੋਈ action ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਐਸੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ moisture ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਐਸੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ notice ਦਿਉ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ Women College ਦੀ building ਜਿਹੜੀ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ construction ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਲਈ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ building ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਲਈ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ।

श्री इन्द्र सिंह : क्या मिनिसटर साहिब बतायेंगे कि इस building के बैठ जाने की वजह सिर्फ moisture ही है या कि इस की और भी कोई वजह है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੇਰੀ ਇਤਲਾਹ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਵਜਾਹ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ।

TANK OR LAKE IRRIGATION IN TEHSIL NURPUR, DISTRICT KANGRA

*964. **Shri Ram Chandra Comrade** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether Government have conducted any experiments to explore the possibility of tank or lake Irrigation around Raja Talab, Tehsil Nurpur, district Kangra; if so, the result thereof ?

Sardar Gian Singh Rarewala : No experiments have been made.

ANTI-WATER-LOGGING MEASURES IN TEHSILS SANGRUR AND BARNALA

*1372. **Sardar Rajinder Singh** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the total area of water-logged land in tehsils Sangrur and Barnala, at present ;

(b) the details of the anti-water-logging measures, if any, so far taken in the said tehsils ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) The area of water-logged land in tehsils Sangrur and Barnala is not readily available.

(b) As an anti-water-logging measure, the construction of 12 drainage schemes, at an estimated cost of Rs 73.00 lacs is proposed to be undertaken in the Sangrur and Barnala tehsils. During the current financial year it is proposed to incur an expenditure of Rs 7.5 lacs on the construction of these drains.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ?

मंत्री : काम शुरू हो चुका है और कोशिश है कि इस rainy season से पहले पहले ख़त्म कर दिया जाये ।

IRRIGATION IN DISTRICT GURGAON

*1387. **Maulvi Abdul Ghani Dar** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) the amount spent on various Irrigation Schemes separately in Gurgaon District during the year 1957-58 to date ;

(b) the details of schemes proposed to be implemented by Government for providing facilities for Irrigation in Gurgaon District ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) Rs 1,453.34 spent on Gurgaon Tunnel Scheme.

(b) (i) *Gurgaon Canal Project (under sanction with Government of India.)—*

CC Area to be irrigated	.. 160,698 acres South of Okhla. and West of Agra Canal.
Cost	.. 105.87 lacs

(ii) *Providing irrigation to areas in Jhajjar and Gurgaon Tehsil—(under sanction with Government of India).—*

Cost	.. Rs 43 lacs
Area	.. nearly 40,000 acres in Jhajjar Tehsil and 8,000 acres in Gurgaon Tehsil

(iii) *Gurgaon Tunnel Scheme (under investigation).—*

Area	nearly 150,000 acres.

मौलवी अब्दुल गनी डार : स्पीकर साहिब, सवाल के पार्ट 'ए' का जो जवाब दिया गया है वह सुना नहीं गया ।

Minister :

(a) Rs. 1453· 34 spent on Gurgaon Tunnel Schemes.

मौलवी अब्दुल गनी डार : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि गुड़गावां tunnel स्कीम के लिये जो इस वक्त Government of India के ज़ेरग़ौर है ज़मीन ले ली गई है या कि नहीं ? क्योंकि वहां मकानात बड़ी तेज़ी के साथ बन रहे हैं क्या उस के लिए कोई प्रबन्ध किया गया है या कि नहीं ?

मन्त्री : उस के लिये दिल्ली गवर्नमेंट को लिखा गया है कि वह इस के मुताल्लिक notification कर दे ।

श्री सुमेर सिंह : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि इस के बारे में दिल्ली गवर्नमेंट को कब लिखा गया था ?

मन्त्री : मैं इस के बारे में दरियाफ्त कर के बता सकता हूं ।

PROVINCIALISATION OF LOCAL BODIES SCHOOLS

***965. Comrade Ram Chandra :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the Government have taken over all the Primary, Middle and High Schools which were run by local bodies in the State as from October, 1957 ;

[Comrade Ram Chandra]

(b) if so, the number of schools taken over and the extent of liability which has fallen on the Government as a result thereof ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : (a) Yes ; the Government have taken over all the Primary, Middle and High Schools which were run by District Boards and Municipal Committees in Ambala and Jullundur Divisions with effect from 1st October, 1957.

(b) The total number of Schools taken over is as follows :—

(i) High	..	323
(ii) Middle	..	780
(iii) Primary	..	9,126
(iv) Special (Training)	..	1
Total	..	10,230

The additional expenditure which the Government will have to meet every year will be about Rs 2.40 crores.

श्री बलराम दास टंडन : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि पैप्सू के सारे स्कूलों को ले लिया गया है या कि उन्हें नहीं लिया गया ?

उप-मंत्री : मैं ने सवाल के जवाब में पहले ही बताया है कि सिर्फ अम्बाला Division और जालंधर Division के स्कूलों को लिया गया है और पटियाला Division का कोई स्कूल नहीं लिया गया ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ local bodies ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ teachers ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੋਈ arrears ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ? ਜੇ ਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ liability ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ?

अध्यक्ष महोदय : इस supplementary में नई information मांगी गई है । (Quite a new information has been asked for in this supplementary).

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਨਹੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਸ ਵਿਚ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ liabilities ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

अध्यक्ष महोदय : हां इस में यह दिया हुआ है "the extent of liability which has fallen on the Government".
(Yes, it is given in it "the extent of liability which has fallen on the Government").

उप-मंत्री : वह तो District Boards और Local Bodies की liability है न कि गवर्नमेंट की है ।

श्री इन्द्र सिंह : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि पटियाला Division के जो local bodies के स्कूल हैं उन्हें क्यों नहीं लिया गया ?

उप-मंत्री : उन का मामला अभी ज़ेर गौर है ।

Shri D. D. Puri : Have any instructions been issued to the local bodies that the amount they used to spend on education formerly should now be paid to the Government ?

उप-मंत्री : स्पीकर साहिब, इस का जवाब किस language में दूं ? हिन्दी में दूं, अंग्रेज़ी में दूं या पंजाबी में दूं ?

अध्यक्ष महोदय : जिस ज़बान में वह बोले हैं उसी में जवाब देना चाहिये । (It is proper to reply in the same language in which the hon. Member has put his supplementary.)

Deputy Minister : The question may kindly be repeated.

Shri D. D. Puri : Have any instructions been issued to the local bodies that the amount of money they used to spend on education formerly should now be paid to the Government as a part of the expenditure that Government have undertaken ?

Deputy Minister : The Local Bodies whose schools have been taken over by the Government will be required to pay the amount which they used to spend before to the Government. It is over Rs 1 crore.

Shri D. D. Puri : My question is whether any instructions have been issued........

Chief Minister : Not yet. They have just been informed in the form of a circular letter. If there will be any difficulty, we will bring forward a Bill for taking away that money from the local bodies.

श्री हरभगवान मोदगिल : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि उन स्कूलों के जो चपड़ासी हैं उन की तनखाहों के देने की जिम्मेवारी भी क्या गवर्नमेंट ने ले ली है या नहीं ?

उप-मंत्री : School staff में चपड़ासी भी शामिल हैं ।

श्री हर भगवान मोदगिल : क्या इन के नोटिस में यह बात आई कि स्कूलों के चपड़ासियों को आज तक तन्खाह नहीं दी गई ?

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਪੈਪਸੂ ਦੇ Local Bodies Schools ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ?

श्रम तथा शिक्षा मन्त्री : पैप्सू के स्कूल पहले ही गवर्नमेंट के कब्जे में थे । (विघ्न) ! उसके लिए इन्तज़ाम हो रहा है । बाकी तमाम पैप्सू के जो Primary Schools थे वह पहले से ही गवर्नमेंट के कब्जे में थे ।

चौधरी इन्द्र सिंह : On a point of order, Sir. दो वज़ीर साहिबान खड़े हैं, कौन से जवाब दे रहे हैं ?

श्रम मंत्री : जो बोल रहे हों।

अध्यक्ष महोदय : जब कोई Minister जवाब देने के लिए खड़े हों तो सवाल करने वाले मैम्बर खड़े न रहें। मोदगिल साहिब आप खड़े थे। (When any Minister rises to give a reply, the member putting the question should resume his seat. The hon. Member Shri Moudgil kept standing.)

श्री बल राम दास टंडन : वज़ीर साहिब ने बताया है कि पैप्सू के जो बाकी स्कूल हैं वह पहले ही गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं। लेकिन क्या उन्हें पता है कि इन के इलावा भी बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिन्हे अभी भी municipalities run कर रही हैं ?

श्रम मन्त्री : मेरी इत्तलाह में उन के अलावा ऐसा कोई स्कूल नहीं है। अगर मेम्बर साहिब नोटिस में लाएंगे तो देखा जाएगा।

श्री बल राम दास टंडन : गोबिन्दगढ़ मंडी में Girls High School है जो अभी तक सरकार ने नहीं लिया। इस के न लेने के क्या कारण हैं ?

मन्त्री : इस को examine किया जाएगा। अगर आप बतलाएंगे तो देखा जाएगा।

BUILDING OF THE GOVERNMENT COLLEGE FOR WOMEN, SANGRUR

*1373. **Sardar Rajinder Singh** : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state whether he is aware of the fact that a part of the building of the Government College for Women, Sangrur has been in a badly damaged state for the last two years ; if so, the steps, if any, taken or proposed to be taken by Government to repair it ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : (a) Yes.

Tenders for the execution of the work for carrying out necessary repairs have already invited and accepted and the work taken in hand by the Public Works Department.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਇਸ building ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਦ ਤਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ?

ਉਪ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ: ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੈ ?

ਉਪ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਜਵਾਬ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖੀ ਸੀ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਰ ਜਾਵੇਗੀ ? (ਹਾਸਾ)

Mr. Speaker : This is not a supplementary question.

VISITS TO INSPECT THE CONDITIONS OF LABOUR AT INDUSTRIAL CENTRES

***1459. Dr. Bhag Singh** : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state the number of visits paid by him since his resumption of office to inspect the conditions of labour at Gobindgarh Mandi, and other Industrial Centres in the State, together with the names of places visited ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : No visit was paid to Mandi Gobindgarh. Number of visits paid to the other industrial towns in the State are as follows :—

Ambala Cantt	.. 1
Phagwara	.. 3
Bhiwani	.. 1
Jullundur	.. 5
Panipat	.. 1
Amritsar	.. 7
Batala	.. 1
Chheharta	.. 1
Dhariwal	.. 1
Ludhiana	.. 1
Ferozepore	.. 1
Kalka	.. 3
Pathankot	.. 2
Yamuna Nagar	.. 8
Hissar	.. 1
Madhopur	.. 1
Surajpur	.. 2
Sonepat	.. 2
Nangal	.. 6
Hoshiarpur	.. 1

VISIT BY LABOUR MINISTER TO GOBINDGARH MANDI

***1460. Dr. Bhag Singh :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to State whether he was invited by the Labour Union at Gobindgarh to pay a visit to Gobindgarh ; if so, when and whether he went there?

Shri Amar Nath Vidyalankar : I remember to have been invited only once, but I could not go, as I was to go to Geneva in order to participate in the I. L. O. Session in June, 1957.

SEED AND MANURE TO CULTIVATORS

***1689. Sardar Dhanna Singh Gulshan :** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state whether any new seeds and manure have been given by Government to the cultivators on credit in the State during the year 1957; if so, the quantity thereof, together with the number of those to whom it was given ?

Sardar Gurbanta Singh : No seed was supplied to cultivators on credit during the year 1956-57.

23,097 tons of fertilizers were given to cultivators on credit during the year 1957. The number of cultivators to whom the fertilizers were given on credit is being ascertained.

श्री सुमेर सिंह : इस में से कितना black-market में बिका है ?

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल भी black-market की तरह न कर दिया करें। (हंसी) (The hon. Member should also not put questions on the black market level.) (*Laughter*)

CONSOLIDATION OF LAND IN VILLAGE JHUNDLA, DISTRICT KARNAL

***1536. Shri Ram Piara :** Will the Minister for Health and Consolidation be pleased to state whether Government has decided to consolidate land in village Jhundla (Zail Jhundla) in district Karnal; if so, the approximate month in which work in this respect is likely to start ?

Chaudhri Suraj Mal : *First part.*—No, as there is a garden colony.

Second part.—Government are considering the desirability of commencing consolidation operations in this village, if the area of the land other than the land included in the garden colony is enough for the purpose.

श्री राम प्यारा : क्या और देहात में भी इस्तमाल नहीं हुआ जहां garden colonies हैं ?

मन्त्री : जहां भी जमीन फालतू है वहां किया जा रहा है और इस में भी अगर जमीन फालतू हुई तो इस्तमाल कर दिया जाएगा।

श्री राम प्यारा : यह इस्तमाल कब तक कर दिया जाएगा ।

मन्त्री : यह बताना तो मुश्किल है । जब बारी होगी कर दिया जाएगा ।

चौधरी धर्म सिंह राठी : यह बताएं, एक साल में, दो साल में या 6 महीने में हो जाएगा?

मन्त्री : यह नहीं बताया जा सकता, जत्थेदार साहिब ।

CO-OPERATIVE SUGAR MILLS IN THE STATE

***1633. Shri Prabodh Chandra** : Will the Minister for Consolidation and Health be pleased to state —

(a) the names of co-operative sugar Mills in the State, if any, and the dates when they started working ;

(b) the names of the firms with whom the orders for the supply of machinery for the said sugar mills were placed ;

(c) the profit or loss account of the said Mills during the first year of their working ;

(d) whether any more Co-operative Sugar Mills are proposed to be started in the State ?

Chaudhri Suraj Mal : (a) and (b) A statement* is laid on the table.

(c) The profit and loss account of the Mills will be available after their accounts have been audited.

(d) Yes, provision for establishing 4 more Co-operative Sugar Mills has been made in the Second Five-Year Plan.

श्री राम प्यारा : क्या उन मिलों के लिए जगह चुन ली गई है जो Second Five-Year Plan में खोली जानी हैं ?

मन्त्री : चार जगहें हैं । मोरिन्डा, बटाला, नवां शहर और शाहाबाद ।

श्री हर भगवान मोदगिल : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि मोरिन्डा वाली जो मिल है उस को चला रहे हैं या बन्द करने का इरादा है ?

मन्त्री : अभी तो शुरू ही नहीं हुई । (हंसी) ।

श्री हर भगवान मोदगिल : वह शुरू होनी भी है या नहीं ?

मन्त्री : होनी है । इस के लिए कोशिश की जा रही है ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੰਗਾਉਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ Co-operative mills ਲਈ ਰੁਪਿਆ ਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ arise ਹੋਵੇਗਾ ।

---

*Kept in the library.

श्री धर्म सिंह राठी : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि पानीपत Sugar Mills का कितना मुनाफा और कितना खूर्च वगैरह है ? (विघन)

(No reply)

Minister : This is a separate questio and I require notice for that.

श्री राम प्यारा : क्या मैं पूछ सकता हूं कि इन मिलों को चलाने के लिए co-operative societies register हो चुकी हैं ?

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਬਣਾਉਣ ਲਈ ।

(The Speaker asked the hon. member to repeat his question as the minister had not heard him. Shri Ram Piara then repeated his question).

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਮਿਲ ਬਟਾਲੇ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਕਿਤਨਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਤਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਮਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੋ delay ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ?

मंत्री : इस के लिए मुझे नोटिस की ज़रूरत है ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बतलाएंगे कि जो जवाब उन्होंने ने part C में दिया है, उस के बारे में पहले साल का हिसाब-किताब पानीपत आदि की शूगर मिलों के बारे में कब तक तैयार हो जाएगा; और कब तक सरकार को पता चल सकेगा कि नफा या नुकसान कितना हुआ है ?

मन्त्री : दो जगहों के हिसाब audit हो कर आ चुके हैं और तीन जगहों के audit होने शुरू हुए हैं ।

पंडित श्री राम शर्मा : मन्त्री महोदय का क्या अन्दाज़ा है कि कितने वक्त में report बन जाएगी और पता लग सकेगा कि कितना नफा या नुकसान हुआ है ?

मन्त्री : मेरा ख्याल है इसी महीने के अन्दर-अन्दर पता लग जाएगा और हिसाब तैयार हो जाएंगे ।

HOSPITALS IN THE BET AREA OF JULLUNDUR DISTRICT

***1657. Sardar Achhar Singh Chhina** : Will the Minister for Consolidation and Health, be pleased to state —

(a) the total number of Hospitals within the bet area Nurmahal to Aur in Jullundur District ;

(b) the estimated population of the said area ;

(c) the total number of beds in the Government Hospital at Phillaur, district Jullundur ;

(d) whether there is any proposal under the consideration of Government to increase the number of beds in the Hospital referred to in part (c) above ;

(e) the total number of rooms in the building of the Hospital referred to in part (c) above ; and whether any representation has been received for its extension and for the construction of a compound wall around it ;

(f) if the answer to the part (e) above be in the affirmative, action taken or proposed to be taken thereon ?

Chaudhri Suraj Mal : (a) Six.

(a) Talwan.

(b) Bilga.

(c) Apra.

(d) Goraya

(e) Aur.

(f) Lassara.

(b) 15,000.

(c) Twenty beds (Twelve for men and eight for women.)

(d) No.

(e) The number of rooms in the building of this Hospital is eight. No representation for its extension and construction of a compound wall around it has been received.

(f) Does not arise in view of the reply to (e) above.

श्री इन्द्र सिंह : सवाल 1657, ज़रा हिन्दी में जवाब दें ।

मन्त्री : अच्छा आप अब हिन्दी में जवाब चाहते हैं तो आप हिन्दी में ही सवाल पूछें ।

श्री इन्द्र सिंह : आप कैसी बात करते हैं, बता दो ।

मन्त्री : आपको तमीज़ नहीं है, बात करने की ।

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir, वज़ीर साहिब ने अभी कहा है कि आपको बोलने की तमीज़ नहीं तो क्या वज़ीर किसी मैम्बर साहिब को इस तरह address कर सकते हैं या यह 'आप' शब्द Chair पर तो कहीं apply नहीं होता ।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्होंने यह कहा है कि आप को तमीज़ नहीं है । (Has the hon. Minister said these words, "Aap ko tameez nahin hai.")

पंडित श्री राम शर्मा : जी हां । मेरा तो point of order यह है कि यह जो इलफाज़ कहे गए हैं यह आप को address किए गए हैं या मैम्बर साहिब को ?

मन्त्री : महाराज सुनिए तो ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह भी मुझे address किया गया है ।

मन्त्री : जनाब महाराज तो ब्रह्मण होते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप देखिए उन्होंने यह कहा है कि आपने यह इलफाज़ कहे हैं कि "आपको तमीज़ नहीं है" क्या यह ठीक बात है । (The hon. Minister may please listen The member has stated that the hon. Minister has said these words, "Aap ko tameez nahin hai." May I know if this is correct ?)

मन्त्री : जनाब across the table बात हो रही थी तो इन्होंने कुछ कहा तो मैं ने भी उसी तरह जवाब दे दिया ।

श्री इन्द्र सिंह : जनाब वज़ीर साहिब के बार बार कहने से कुछ नहीं होगा । मेरी गुज़ारिश यह है कि इन्हें पहले सीख लेना चाहिए यह तो पुराने वक्त के, Unionist वज़ारत के वक्त से मैम्बर चले आ रहे हैं और इन्हें बात करने का पता नहीं । इन्हें अब तो अपने तौरो अतवार ठीक कर लेने चाहिएं ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप भी बराबर हो गए यह बात कह कर । (By saying this, the hon. Member has equated himself with the Minister.)

श्री इन्द्र सिंह : जनाब इस तरह से बात नहीं बनेगी ।

चौधरी धर्म सिंह राठी : जनाब तौर अतवार तो parliamentary लफज़ है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है कि आप की parliamentary language की vocabulary बहुत वसीह है ।

[I know the hon. Member's vocabulary of parliamentary language is very vast.]

चौधरी धर्म सिंह राठी : जनाब तौर अतवार लफज़ कहने में कोई बुरी बात नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक parliamentary language का ताल्लुक है आप शायद authority हों :

[So far as the Parliamentary language is concerned the hon. member might perhaps be an authority on the subject.]

मंत्री : इस बात को मैं मानने को तैयार हूं अगर यह भी मानें कि इन्होंने गलती की है ।

श्री इन्द्र सिंह : मैं ने कोई गलती नहीं की है ।

मंत्री : मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि मैं ने इन्हें बा तमीज़ रहने को कहा ।

श्री इन्द्र सिंह : मेरी जनाबेवाला यह गुज़ारिश है कि जो इलफाज़ इन्होंने कहे हैं उन्हें वापस लिया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से request करता हूं कि आप यह इलफाज़ वापस ले लें । (I would request the hon. Minister to withdraw these words.)

मंत्री : मैं इन अलफाज़ को वापस लेता हूं लेकिन इन से दरखास्त करूंगा कि वह भी मोहतात रहा करें ।

CASES OF CORRUPTION AGAINST GOVERNMENT SERVANTS IN SANGRUR DISTRICT

***1376. Sardar Rajinder Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of cases of corruption, if any, registered against Gazetted, Non-gazetted and Class IV Government, servants, posted in district Sangrur, during the year 1954-55 1955-56, 1956-57 and during April, 1957 to December, 1957, respectively ;

(b) the number of cases out of these referred to above, which were sent up to the Courts and the number in which sentences were awarded, respectively ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) No cases of corruption were registered in district Sangrur against Gazetted or Class IV Government servants during the years in question. The number of cases registered against non-gazetted Government servants during the years 1954-55, 1955-56, 1956-57 and during April, 1957 to December, 1957, is 3, 8, 2, and 4, respectively.

(b) Fifteen out of these 17 cases were sent up to courts for trial. In seven cases sentences have been awarded by the courts.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 1372 ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ । ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਸ ਤਾਰੀਖ ਵਾਸਤੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

(This question has already been postponed to the 10th March, 1958.)

INTEGRATION DEPARTMENT

***1243. Sardar Atma Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the total number of clerks and officers at present posted in the Integration Department of the Government belonging to erstwhile Pepsu and erstwhile Punjab, respectively ;

(b) the total number of clerks and officers in the different departments of the Government dealing exclusively with the Integration problems of their departments belonging respectively to the erstwhile States of Punjab and Pepsu ;

(c) the total number of appeals pending with the Integration Committee and the Integration Council, respectively ;

(d) the steps, if any, being taken for the speedy disposal of the appeals referred to above ?

Sardar Partap Singh Kairon :

(a)

Officers				*Clerks*			
Punjab	.. 3	Pepsu	.. 1	Punjab	.. 14	Pepsu	.. 6

Note.—(i) Clerks include Assistants also.

(ii) Officers include Superintendents also.

(b) The following information is laid on the Table :—

Officers				*Clerks*			
Punjab	.. 2	Pepsu	.. ..	Punjab	.. 16	Pepsu	.. 8

(c) By appeals, Government in the Integration Department takes appeals for the Advisory Committee. Nine such appeals have so far been received, and are being examined at present. In addition to these, comments on the joint seniority lists were called for from employees, with a view to correct factual errors etc., 221, such comments are pending with the Integration Committee and 574 with the Integration Council at present.

(d) Meetings of the Integration Committee/Council are being held in quick succession to expedite disposal.

DISPOSAL OF CASES IN COURTS

***1497. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any steps have been taken by Government for the speedy disposal of cases in the criminal and Revenue Courts in the State, if so, the details thereof and with what results ?

Sardar Partap Singh Kairon : Instructions are issued from time to time to all criminal courts to ensure speedy disposal of cases. Periodical meetings of the magistrates are convened by District Magistrates and Sessions Judges as the case may be and in these meetings cause leading to delay are discussed and remedies devised. Monthly statements are called for from each criminal court and duly scrutinized.

In revenue cases also, instructions are issued from time to time to ensure speedy disposal of cases. A monthly statement at each level has been introduced recently. A whole-time Additional Financial Commissioner has been appointed to clear arrears in appellate revenue work.

On account of circumstances beyond control or due to the pre-occupation of Presiding Officers concerned in other work, delay in the disposal of cases sometimes becomes unavoidable. Results of the measures taken by Government to ensure speedy disposal of cases are, however, not satisfactory.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मुख्य मंत्री साहिब यह बतायेंगे कि यह जो आपने कहा है जो steps Government ने उठाये हैं और जैसा कि ख्याल है कि इस का नतीजा satisfactory नहीं निकला तो अब इस सिलसिले में Government क्या करना चाहती है ?

मुख्य मंत्री : अब आयंदा को और सख्ती करेंगे और जो Government को person at fault नज़र आयेगा उस को सज़ा देंगे और उस के खिलाफ disciplinary action लेंगे। और क्या किया जा सकता है ?

पंडित श्री राम शर्मा : क्या Government के पास कोई ऐसी इत्तलाह है कि ज़्यादा से ज़्यादा Criminal Cases पर कितना Time लग जाता है ?

मुख्य मंत्री : मैं ज़रूर बता देता अगर इस के पूछने से पहले मेरे पास कोई आप की तरफ से Notice आ जाता। हमारी एक हिदायत है जो इस वक्त मेरे पास नहीं है कि Judges को Criminal Cases पर ज़्यादा से ज़्यादा कितना time लेना चाहिये । इस के लिये Notice चाहिये ।

पंडित श्री राम शर्मा : जब Government ने हिदायात जारी की है बार बार तो क्या वजह है कि जो time लिया जाता है वह नहीं बताते ?

मुख्य मंत्री : इस के लिए early पूछना चाहिये था। Notice चाहिये ।

I would have no hesitation in giving the information, provided notice had been given.

अध्यक्ष महोदय : मैं देख रहा हूं कि बहुत से मैम्बर साहिबान एक मैम्बर के बोलते हुए भी खड़े हो जाते हैं। उन को चाहिये कि जब कोई एक खड़ा हो तो दूसरा खड़ा होने की तकलीफ न करे ।

(It has been observed that many Members rise in their seats when an hon. Member is speaking. They should know that no Member should rise to speak when an hon. Member is already in possession of the House.

पंडित श्री राम शर्मा : आखिर Government इस नतीजे पर तो पहुंची है कि उस को देर बहुत लग रही है । इस वजह से यह हिदायात जारी की गई हैं। मगर जब हिदायात जारी की गई हैं तो यह भी पता होना ज़रूरी है कि कितनी देर लगती है इस में।

मुख्य मंत्री : जरूर बता देता मगर इस वक्त याद नहीं है। इस का अगर पता होता कि बात इस पर खत्म होनी है तो ज़रूर लाता। इस के लिये पहले Notice चाहिये था।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या स्पीकर साहिब इस के लिये और सवाल करना पड़ेगा या वज़ीर साहिब खुद ही तकलीफ फरमायेंगे ।

मुख्य मंत्री : 2-3 दिन के बाद में आप को पता कर के बता दूंगा। आप मेरे पास आयें मुझे यह information देने में कोई एतराज़ नहीं है ।

खान अब्दुल गफ्फार खां: क्या चीफ मिनिस्टर साहिब इर्शाद फरमायेंगे कि reasons beyond control के जो लफ्ज़ जवाब में इस्तेमाल किये गये हैं, वह क्या reassons हैं।

मुख्य मंत्री : मैं ने beyond control तो कहा नहीं । मैं ने तो कहा है कि जहां कहीं देरी लगने की वजह मालूम होगी तो वहां पर सख्ती की जायेगी । Disciplinary action लिया जायेगा । Inquiry की जायेगी ताकि और delay न हो ।

खान अब्दुल अब्दुल **गफ्फार खां** : क्या मुख्य मंत्री साहिब यह बतायेंगे कि जो officers जान बूझकर delay करते हैं उन के खिलाफ क्या action लिया जायेगा ?

मुख्य मंत्री : मैं ने कहा तो है कि उन के खिलाफ disciplinary action लिया जायेगा ।

चौधरी बलबीर सिंह : जनाब बहुत सारे cases 1½ साल से pending पड़े हैं और उन को कोई prosecution witnesses भी नहीं हैं, ऐसे cases को expedite करने के लिये Government क्या कोई steps लेगी ?

मुख्य मंत्री : क्यों नहीं, ज़रूर ।

चौधरी बलबीर सिंह : जनाब होशियारपुर और कांगड़ा के cases जून 1956 से pending पड़े हैं ।

अध्यक्ष महोदय : कांगड़ा वगैरह का यहां सवाल पैदा नहीं होता ।

(The question of Kangra District and others does not arise here.)

श्री हर भगवान मोदगिल : क्या जो काम pending पड़ा है वह इस वजह से है कि ज़िला headquarters में काम बहुत ज्यादा रहता है और वहां पर staff की बहुत कमी है ? क्या इस pending काम को पूरा करने के लिये staff ज़्यादा किया जायेगा ?

Mr. Speaker : It is only a suggestion and not a supplementary question.

श्री हरभगवान मोदगिल : क्या जो काम pending पड़ा है, वह इस वजह से है कि ज़िला headquarters में staff पूरा नहीं है ?

मुख्य मंत्री: मेरा तो ख्याल है कि staff पूरा ही है ।

मौलवी अब्दुल गनी डार : High Court में इतनी देर से cases pending पड़े हुए हैं इन के मुताल्लिक क्या इन्तज़ाम किया जा रहा है ?

Mr. Speaker : The hon. Member can not discuss about the High Court.

मुख्य मंत्री : High Court के सम्बन्ध में मैं अर्ज़ कर दूं कि इस pending काम को निकालने के लिये Central Government ने पंजाब Government को 4 additional Judges लगाने को कहा है । ताकि यह arear जल्दी ख़त्म हो जाये ।

वित्त मंत्री : 2 Judges लगा भी दिये गये हैं ।

बाबा हरनाम सिंह : क्या तहसीलों में revenue record के भेजने में जो delay की जाती है उस के लिये कोई बाकायदा हिदायत है ?

अध्यक्ष महोदय : आप देखें कि यह सवाल नहीं बनता ।

(The hon. Member may himself judge as to how does this question arise.)

बाबा हरनाम सिंह : मेरी अर्ज़ यह है कि जो delay की जाती है इस पर क्या Government ग़ौर करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : आप direct question put करें ।

(The hon. Member may put a direct question.)

बाबा हरनाम सिंह : क्या revenue records की time to time checking होती है ?

Mr, Speaker : This question does not arise, please.

TRAINING CENTRES FOR BLOCK DEVELOPMENT OFFICERS IN THE STATE

***1537. Shri Ram Piara :** Will the Minister for Planning and Community Projects be pleased to state—

(a) whether there are any centres in the state for the training of Block Development Officers ; if so, their number and the places where they are located and the capacity of each of them;

(b) whether any minimum qualifications for the posts as referred to above have been prescribed; if so, what ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : The statement giving the reply to the questions is laid on the Table of the House.

(a) First part .. Yes.

Second part .. Only one at Nilokheri.

As the Training Centre for Block Development Officers is established, financed and controlled by the Government of India, its capacity is not known to the State Government.

It is a regional Mahavidyalaya. There is a separate Mahavidyalaya for training of Block Development Officers (Industries). That is also regional.

(b) I. Qualifications for 75 per cent posts to be filled in through the Punjab Public Service Commission.

(a) Graduate of a recognized University.

(b) Training
(c) Experience } At least 4 years experience in rural development work as Sarpanch or Panch of a village Panchayat or President or Secretary of a Co-operative Society or in Cottage and Village Industries with any institution recognised by All-India Khadi and Village Industries Board.

OR

Four years experience in a Development Department i.e. Agriculture, or Forest or Animal Husbandry or Co-operative or Panchayats or Village and Cottage Industries or Education or Social Eeucation or Community Development/N.E.S. Organization or in Revenue Department including Consolidation.

[Minister for Planning and Community Projects]

(d) Candidate with rural outlook and practical knowledge of rural life, village economy and culture will be preferred.

(e) Age 25—35 years, but relaxable up to 40 years in case of Government servants.

(f) Qualifications at a , b, c and d are compulsory.

(g) Regarding documentary proof about the experience and rural development work in case of non-officials only Deputy Commissioners in the districts will be competent to issue testimonials to this effect.

II. Qualifications for non-officials to be appointed against 12½ per cent posts excluded from the purview of the Punjab Public Service Commission.

(i) Graduate of a recognised University.

(ii) Persons who have done outstanding work in the cause of national movement and have practical knowledge of rural life, economy, culture and problems and possess a good personality,

OR

those whose parents suffered in the national movement and who have a practical knowledge of rural life, economy, culture and possess a good personality and have four years experience in rural development work,

OR

who have four years experience in rural development work as Sarpanch or Panch of a village panchayat or President or Secretary of a Co-operative Society or in Cottage and Village Industries with any institution recognised by All-India Khadi and Village Industries Board and have practical knowledge of rural life, economy, culture and possess a good personality.

(iii) Age : 25—35 years relaxable up to 40 years in deserving cases, provided up to 31st December, 1958, the age limit in the case of candidates who have rendered national service (as already defined by Government) before independence, for appointment as Block Development Officers may be relaxed up to and including the age of 45 years.

(iv) Regarding documentary proof about the experience of rural development work, only Deputy Commissioners in the districts will be competent to issue testimonials to this effect.

III. Qualifications for Government servants to be taken against 12½ per cent posts excluded from the purview of the Punjab Public Service Commission.

(i) Graduate of a recognized University.

(ii) Four years' experience under the Community Development/National Extension Service Organisation.

(iii) Candidates with rural outlook and practical knowledge of rural life, village economy and culture will be preferred.

(iv) Age : 25—35 years relaxable up to 40 years in deserving cases.

श्री राम प्यारा : जनाब मैं यह पूछना चाहता हूं कि political sufferers की classification क्या किसी record से की जाती है ?

मंत्री : मैं ने अर्ज़ किया कि यह record से नहीं बल्कि जो facts होते हैं उन की बिना पर की जाती है ।

श्री राम प्यारा : तो फिर यह Public Service Commission की मर्जी पर क्यों रखा गया है ?

मंत्री : ताकि Chief Minister इस में selection कर सकें ।

श्री राम प्यारा : क्या इस का मतलब यह नहीं कि Government अपनी मर्ज़ी के आदमी रखे और मर्ज़ी के avoid करें ?

मंत्री : Selection के मायने ही यही हैं कि Government जिस को suitable समझे ले ले ।

श्री राम प्यारा : जहां जहां पर नये ब्लाक्स खोलने हैं, क्या उन की recommendations हो कर Government के पास पहुंच गई हैं ?

मंत्री : यह सवाल पैदा नहीं होता लेकिन फिर भी इत्तला दे दूं कि यह अभी तक मेरे पास नहीं आई ।

NATIONAL EXTENSION SERVICE BLOCKS IN THE STATE

***1660. Shri Prabodh Chandra :** Will the Minister for Plainnng and Community Projects be pleased to state—

(a) the number of National Extension Service Blocks so far opened in the State and the places where they are located ;

(b) the criteria, if any, kept in view for selecting the places referred to above ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (a) One hundred and twenty N.E.S. Blocks have since been started in this State. A list indicating the places where these blocks exist is placed on the Table of the House.

(b) The general considerations kept in mind while selecting an area for the location of an National Extension Service Block are :—

(i) That the blocks should, as far as possible be contiguous to existing Blocks.

(ii) The work of Consolidation of Holdings in the area should be complete.

(iii) The area should possess a potential for agricultural development, and for irrigation facilities.

(iv) Special needs of backward areas.

LIST SHOWING THE BLOCKS UNDER THE COMMUNITY PROJECTS/NATIONAL EXTENSION SERVICE ORGANISATION IN THE PUNJAB STATE AS STOOD ON 2nd OCTOBER, 1957

National Extension Service Blocks	*Community Development Blocks*
1.—HISSAR DISTRICT	
1. Loharu (N.E.S., dated 1st April, 1955)	1. Hansi I (N.E.S., dated 2nd October, 1953) C.D., dated 1st April, 1955).

[Minister for Planning and Community Projects]

2. Narnaund (N.E.S., dated 1st April, 1956)

3. Hissar I (N.E.S., dated 1st April, 1956)

4. Hissar II (N.E.S., dated 1st April, 1957)

5. Hansi II (N.E.S., dated 1st April, 1957)

6. Tohana (N.E.S., dated 2nd October, 1957)

7. Barwala (N.E.S., dated 2nd October, 1957)

2.—ROHTAK DISTRICT

8. Sonepat (2nd October, 1952)

9. Ganaur (2nd October, 1952)

10. Kharkhauda (2nd October, 1952)

11. Sampla (N.E.S., dated 1st April, 1956)

12. Jhajjar (N.E.S., dated 1st April, 1957)

13. Kalanaur (N.E.S., dated 2nd October, 1957)

(2. Rohtak (N.E.S., dated 1st April, 1954) C. D., dated 1st April, 1956

3. Gohana (N.E.S., dated 1st April, 1955), C. D., dated 1st October, 1957

3.—GURGAON DISTRICT

14. Faridabad (2nd October, 1952)

15. Ballabgarh (dated 2nd October, 1952)

16. Khol (N.E.S., dated 1st April, 1956)

17. Nuh (N.E.S., dated 1st April, 1956)

18. Palwal (N.E.S., dated 2nd October, 1956)

19. Balwal (N.E.S., dated 2nd October, 1957)

20. Hodel (N.E.S., dated 1st April, 1957)

21. Hathin (N.E.S., dated 1st April, 1957)

22. Ferozepur Jhirka (N.E.S., dated 1st April, 1957)

23. Pataudi (N.E.S., dated 2nd October, 1957)

4. Gurgaon (N.E.S., dated 2nd October, 1953) C.D., dated 1st April, 1956

5. Rewari (N.E.S., dated 1st April, 1955) (C. D. 1st October, 1957)

4.—KARNAL DISTRICT

24. Nilokheri (dated 2nd October, 1952)

25. Thanesar (dated 2nd October, 1953)

26. Ladwa (N.E.S., dated 1st April, 1956)

6. Guhla (N.E.S., dated 2nd October, 1953) (C. D., dated 1st April, 1956)

7. Panipat (N.E.S., dated 1st April, 1953), (C. D. 2nd October, 1956)

27. Shahabad (N.E.S., dated 1st April, 1957)

28. Gharaunda (N.E.S., dated 2nd October, 1957)

5.—AMBALA DISTRICT

29. Jagadhri (2nd October, 1952)

30. Barara (dated 2nd October, 1952)

31. Chhachhrauli 2nd October, 1952)

32. Naraingarh (2nd October, 1953)

33. Sadaura (N.E.S., dated 2nd October, 1956)

34. Rupar (N.E.S., dated 2nd October, 1956)

35. Chamkaur Sahib (N.E.S., dated 1st April, 1957)

8. Kharar (N.E.S., dated 1st April, 1954) C. D., dated 1st April, 1956

6—HOSHIARPUR DISTRICT

36. Balachaur (N.E.S., dated 1st April, 1956)

37. Mahilpur (N.E.S., dated 1st April, 1957)

38. Nurpur Bedi (N.E.S., dated 1st April, 1957)

39. Amb (N.E.S., dated 2nd October, 1957)

9. Una (N.E.S., dated 2nd October, 1953) (C. D. 1st April, 1955)

10. Garhshankar (N.E.S., dated 1st April, 1954) (C. D. dated 1st April, 1956)

7.—JULLUNDUR DISTRICT

40. Nawanshehr (2nd October, 1952)

41. Phillaur (2nd October, 1952)

42. Banga (2nd October, 1952)

43. Guraya (N.E.S., dated 1st April, 1957)

44. Nur Mahal (N.E.S., dated 1st April, 1957)

8.—LUDHIANA DISTRICT

45. Jagraon (N.E.S. dated 1st April, 1956)

46. Sidhwan West Bet (N.E.S., dated 1st April, 1957)

11. Samrala (N.E.S., dated 2nd October, 1953) (C. D., dated 1st April, 1956)

12. Ludhiana (N.E.S., 1st April, 1954) (C. D., dated 1st April, 1957)

9.—FEROZEPUR DISTRICT

47. Zira (N.E.S., dated 1st April, 1956)

48. Bhagapurana (N.E.S., dated 1st April, 1957)

13. Moga I (N.E.S., dated 2nd October, 1953) (C. D. 1st April, 1955)

[Minister for Planning Community Projects]

49. Moga II (N.E.S., dated 2nd October, 1957)

50. Dharam Kot (N.E.S., dated 2nd October, 1957)

10.—AMRITSAR DISTRICT

51. Tarn Taran (dated 2nd October, 1953)

52. Naushehra Pannuan (N.E.S., dated 1st April, 1956)

53. Chohla Sahib (N.E.S., dated 1st April, 1957)

54. Khadur Sahib (N.E.S., dated 1st April, 1957)

55. Bhikhiwind (N.E.S., dated 2nd October, 1957)

56. Patti (N.E.S., dated 2nd October, 1957)

11.—GURDASPUR DISTRICT

57. Batala (2nd October, 1952)

58. Dera Baba Nanak (dated 2nd October, 1952)

59. Shri Hargobindpur (dated 2nd October, 1952)

60. Gurdaspur (N.E.S., dated 1st April, 1957)

61. Dhariwal (N.E.S., dated 1st April, 1957)

12.—KANGRA DISTRICT

62. Kulu (dated 2nd October, 1953)

63. Pragpur (N.E.S., dated 1st April, 1956)

64. Banjar (N.E.S., dated 2nd October, 1956)

65. Lambagraon (N.E.S., dated 1st April, 1956)

66. Bhota (N.E.S., dated 2nd October, 1956)

67. Kangra (N.E.S., dated 1st April, 1955)

68. Indora (N.E.S., dated 1st April, 1957)

69. Barsar (N.E.S., dated 2nd October, 1957)

14. Nurpur (N.E.S., dated nd2. October, 1953) (C. D. , dated 1st. April, 1955)

15. Outer Seraj (Ani) (N E S.dated 1st April, 1954) (C. D. dated1s ,April, 1956)

16. Hamirpur (N.E.S., dated 1st April, 1954) (C. D. dated 2nd October, 1956)

17. Palampur at Andretta (N.E.S., dated 1st April, 1957) (. D., dated 1st April, 1954)

18. Dera at Mangwal (N.E.S., dated 1st April, 1955) (C. D., dated 2nd October, 1957)

13.—PATIALA DISTRICT

70. Doraha (2nd October, 1952)

71. Dera Bassi (N.E.S., dated 1st April, 1956)

19. Nalagarh (N.E.S., dated 2nd October, 1954) (C. D. dated 1st April, 1956)

20. Bhadson (N.E.S., dated 1st April, 1954) (C. D. 1st April, 1955)

72. Saproon (N.E.S., dated 1st April, 1955)
73. Panjore (N.E.S., dated 1st April, 1957)
74. Bassi Pathanan (N.E.S., dated 2nd October, 1957)

21. Rajpura (N.E.S., dated 2nd October, 1953) (C. D. 1st April, 1956)
22. Patiala (N.E.S., dated 2nd October, 1954) (C. D. dated 2nd October, 1957)
23. Sirhind (N.E.S., dated 1st April, 1955) (C. D. ,dated 2nd October, 1957)

14.—SANGRUR

75. Dhuri (dated 2nd October, 1952)
76. Malerkotla (2nd October, 1952)
77. Ahmedgarh (dated 2nd October, 1953)
78. Moonak (N.E.S., dated 1st April, 1956)
79. Longowal (N.E.S., dated 1st April, 1957)
80. Narwana Kalit (N.E.S., dated 1st April, 1957)

24. Sangrur (N.E.S., dated 2nd October, 1953) (C. D. 1st April, 1956)
25. Barnala (N.E.S., dated 2nd October, 1954) (C. D. dated 1st April, 1956)
26. Jind (N.E.S., dated 2nd October, 1953) (C. D. 1st April, 1956)
27. Sunam (N.E.S., dated 1st April, 1955) (C. D. dated 2nd October, 1956)

15.—BHATINDA DISTRICT

81. Bhatinda 2nd October, 1953)
82. Sangat (N.E.S., dated 1st April, 1956)
83. Talwandi Sabo (N.E.S., dated 1st April, 1955)
84. Sardulgarh (N.E.S., dated 1st April, 1955)
85. Faridkot 1st April, 1957)

28. Kot Kapura (N.E.S., dated 1st April, 1956) (C. D., dated 1st April, 1956)

16.—KAPURTHALA DISTRICT

86. Kapurthala (N.E.S., dated 1st April, 1957)

29. Phagwara (N.E.S., dated 2nd October, 1958) (C. D., dated 1st April, 1955)
30. Bholath (N. E. S., dated 1st April, 1955) (D.C., dated 2nd October, 1957)

17.—MOHINDERGARH DISTRICT

87. Mohindergarh (N.E.S., dated 1st April, 1955)
88. Dadri I (N.E.S., dated 1st April, 1956)
89. Narnaul (N.E.S., dated 2nd October, 1956)
90. Dadri II (N.E.S)., dated 1st April, 1957)

चौधरी सुन्दर सिंह: : क्या वज़ीर साहिब बताएँगे कि यह जो ब्लाक्स खोले जाते हैं उन पर गवर्नमेंट कितना रुपया खर्च करती है और कितने अर्से के लिये करती है ?

मंत्री : इसके लिए एक hand book छपी है वह printed किताब है और वह Assembly library में होगी वहाँ से देख सकते हैं।

श्री राम प्यारा : जो इलाके लिखी हुई शर्तों को पूरा करते हैं, क्या गवर्नमैंट उनको priority देगी ?

मंत्री : तरजीह के लायक अगर इलाका होगा तो अवश्य दी जायेगी ।

पंडित श्री राम शर्मा : यह जो backward इलाकों को तरजीह दी जाती है इसकी क्या consideration होती है ?

मंत्री : जिन इलाकों को backward करार दिया गया है उनको पहिले blocks देते हैं और इससे ज़ाहिर है कि तरजीह दी जाती है ।

INDUSTRIAL SURVEY OF KANGRA DISTRICT

***1211. Shri Rup Singh Phul** : Will the Minister for Finance be pleased to state whether Gove.nment propose to make an industrial survey of Kangra District ; if so, when ?

Shri Mohan Lal : Government have no proposal in view at present to conduct an industrial survey of the Kangra District, since such surveys have already been carried out in the district during 1949—51 and 1955-56.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या गवर्नमेंट ने कोई सर्वे किया है और अगर किया है तो गवर्नमेंट ने क्या कोई कार्रवाई उस सर्वे की बिना पर की ?

मन्त्री : जी हां, जहां तक हो सकता था उतना किया है ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या कोई बात याद है कि सर्वे कराने के बाद क्या कार्रवाई की गई ?

मन्त्री : अभी तो small-scale और cottage industries को फरोग दिया जा रहा है ।

HAMIRA SUGAR MILLS

***1445. Pandit Ram Kishan Bharolian** : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the total number of persons so far arrested in connection with the Hamira Sugar Mills agitation ;

(b) the main demands of the Sugarcane-growers and the steps being taken to meet them ;

(c) whether the said Mill has closed down ; if so, the reasons there for;

(d) the total amount of loan due to Government from the owner of the said Sugar Mill and the measures, if any, being taken to recover it ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) 296.

(b) (i) The main demand of the cane-growers was that either the management of the Hamira Sugar Mills be persuaded to run their Mills during the crushing seasons 1957-58 or the Government should take over the control of the mills under the provisions of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

(ii) Consequent upon the technical advice of the Government of India that the machinery of the Hamira Sugar Mills cannot be overhauled and repaired before the end of January, 1958, the available cane in Hamira Sugar factory area has since been diverted to the neighbouring factories at Bhogpur and Phagwara.

(c) Yes, on account of financial losses due to the low recovery of sugar owing to poor quality of cane.

(d) (i) Rs 20 lakhs.

(ii) According to the condition of debentures, the debenture money can be realised from the firm after the expiry of 15 years. So the question of making recovery at this stage does not arise.

श्री राम किशन भड़ोलियां : यह हमीरा मिल जो बन्द हो गई है, क्या इसको दूसरी जगह लगाने का इंतज़ाम किया जा रहा है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਉਸਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਓਵਰਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜਿਹੜੀ recovery 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਇਮ ਮਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਖਣ ਤੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਤਾਂ deed ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਜਿਹੜੇ producers ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾ ਮਿਲ ਤਾਂਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜੇ ਉਹ ਗੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਛਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਗਪੁਰ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਮਿਲ ਨੂੰ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜਿੰਨਾ ਗੰਨਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਕੱਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਕਰੱਸ਼ (crush) ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਉੱਨਾ ਗੰਨਾ crush ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਨਹੀਂ ਜੀ । ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੰਨਾਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਉਸ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ।

श्री शेर सिंह : क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों ने पहिले गन्ना दिया, उस की कीमत अभी तक नहीं मिली है, उसके लिये क्या कदम उठाया गया ?

मंत्री : वह तो मिल गई ।

श्री शेर सिंह : नहीं सरदार जी, अभी उनके arrears हैं, उनके लिये क्या इंतजाम हो रहा है ?

ਜ਼ਰਾਇਤ ਮੰਤਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ 4,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੁਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਦਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ।

चौधरी बलबीर सिंह : मंत्री जी ने दो जवाब दिये हैं कि जनवरी तक वह मिल overhaul नहीं हो सकती इस लिये नहीं चलाई जा सकती । दूसरा यह दिया है कि गन्ना घटिया था इस लिये मिल नहीं चल सकी इन दोनों में से कौन सा जवाब सही है ?

वित्त मंत्री : जो आप समझें वह सही है ।

श्री शेर सिंह : यह कहा गया है कि रुपया पन्द्रह साल के बाद वसूल किया जाएगा तो क्या मिल बन्द होने के बाद से 15 साल count किये जाएंगे ?

वित्त मंत्री : Condition तो examine की जाएगी ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜਦ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੂਦ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

वित्त मंत्री : इसके लिये separate नोटिस की जरूरत है ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਵੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ?

अध्यक्ष महोदय : आपके हमीरा मिल बारे अपने ही बहुत सवाल होते हैं । (The hon. Member himself puts so many questions regarding Hamira mill)

ਜ਼ਰਾਇਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ : ਉਥੋਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਮੰਨ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

Mr. Speaker : The question hour is over.

QUESTION OF PRIVILEGE

10 a.m.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਸਾਡੀ privilege motion ਹੈ ਜੀ ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता नहीं आपने कोई reasons तो दिये नहीं हैं । (I have no idea. The hon. Member has given no reasons.)

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੀ ।

Mr. Speaker : I thought that this is a communication addressed to me. There are no reasons to show that it is a privilege motion. However, I read it to the hon. members to elicit their opinion. It reads as under :—

> We the following members, on our behalf, demand that the members of the House should be supplied Agenda in the language of their region (i.e.

Punjabi) and the copies of the Budget should also have been supplied to them like-wise.

1. Giani Kirpal Singh 'Shant'
2. Inder Singh Lehri.
3. Chanda Singh.
4. Parkash Singh.
5. Bawa Harnam Singh.
6. Rajinder Singh.
7. Harbans Singh.
8. Udham Singh.
9. Hargurnad Singh.
10. Balwant Singh.
11. Umrao Singh.
12. Atma Singh.
13. Dhanna Singh Gulshan.

इस में कोई question of privilege involed नहीं है । इस लिये भें इसे पेश करने को इज़ाजत नहीं देता ।

(There is no question of privilege involved in it. I, therefore, do not give consent to its being moved.)

PAPERS LAID ON THE TABLE

Minister for Finance : Sir, I beg to lay on the Table the Finance Accounts of the Government of Pepsu for the year 1956-57 (from the 1st April, 1956 to the 31st October, 1956) and the Audit Report.

THE PUNJAB APPROPRIATION (NO. I) BILL, 1958

Minister for Finance : Sir, I beg to introduce the Punjab Appropriation (No. I) Bill.

Minister for Finance : Sir, I beg to move—

That the Punjab Appropriation (No. 1) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Punjab Appropriation (No. 1) Bill be, taken into consideration at once.

श्री इन्द्र सिंह (जींद, जनरल): मुहतरिम सदर साहिब supplementary grants के लिए जो Appropriation Bill हाऊस में आया है मैं उस की मुखालिफत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। असूली तौर पर यह बात दुरुस्त है कि हर सूबे में और हर मुल्क में सरकार को पैसे की ज़रूरत होती है और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो लोगों के representatives होते हैं उन के सामने सदन में बिल रखे जाते हैं और उन की मंज़ूरी ली जाती है। सरकार जो रुपया मांगती है उस के लिए सब से पहले यह चीज़ देखनी लाज़मी होती है कि उस रुपये की justification क्या है। जनाब स्पीकर साहिब इस बिल के अंदर 59/60 लाख रुपये पुलिस के लिए मांगे जा रहे हैं और उस के लिए वित्त मंत्री साहिब ने कल जो justification बताई है उस को मैं ने अखबार में भी पढ़ा है और वित्त मंत्री साहिब की speech भी सुनी है। मुझे उस में कोई justification मालूम नहीं हुई कि 59/60 लाख रुपये की जो रकम मांगी जा रही है उस की क्या ज़रूरत थी और उन का मुतालबा किस तरीके से जायज़ है। वज़ीर साहिब ने सिर्फ एक ही बात कही है और वह यह कि हिन्दी सत्याग्रहियों के लिए, उन का मुकाबला करने के लिए पुलिस की ज़रूरत थी इसलिए 59/60 लाख रुपये की रकम मांगी गई है।

मैं यह समझता हूं कि इतनी बड़ी रकम के लिए यह कोई justification नहीं। किसी agitation को police के डंडे से निपटाना एक democratic country के लिए फख्र की बात नहीं हो सकती। पंजाब के अंदर यह एक आम रिवाज हो गया है कि चाहे कोई जलसा हो, या कोई agitation हो या जनता ने अपने ख्यालात का इज़हार करना हो तो वह पुलिस की बंदूकों और लाठियों के साए के नीचे किए जाते हैं। अगर सरकार इस किस्म के काम करे और बाद में यह कहे कि उस पुलिस के लिए जो लोगों पर गोलियां चलाती है, जो गावों में जा कर गोलियां चलाती है, अत्याचार करती है जेलों में सत्याग्रहियों पर अत्याचार करती है उस के लिए 59 लाख रुपये की ज़रूरत है तो वह बात जचती नहीं। वह पुलिस जो गुरुद्वारों वा मंदिरों में जा कर बेजा मदाखलत करे, वह police जो law and order की custodian बनने की बजाए लोगों पर अत्याचार करे उस के लिए 59/60 लाख रुपये की रकम देना कोई अक्लमंदी की बात नहीं। उस की justification उन्होंने यह की है कि पंजाब के अंदर फिर्कादाराना वबा फैली हुई थी जिस को ठीक करने के लिए police की ज़रूरत थी। इस बात को सिर्फ Opposition ही criticise नहीं करती बल्कि Treasury Benches पर बैठे हुए मेम्बर साहिबान ने भी यह कहा है कि आज पंजाब के अंदर फिर्कादाराना मुनाफरत फैल रही है और गड़बड़ हो रही है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या Police ने उस वबा को बढ़ाया है या कम किया है? अगर 59/60 लाख रुपया खर्च करने के बावजूद भी वह वबा घटी नहीं बल्कि बढ़ी है और वह फिर्कादाराना कुशीदगी मौजूद है तो उस की ज़िम्मेदारी जहां communal forces की है वहां सरकार की भी है। हमारी सरकार यह चाहती है कि लोग taxation policy के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए इकट्ठे न हों,

अपनी economic हालत को सुधारने का वावेला न करें और जो आजकल कुनबापरवरी हो रही है उस को दूर करने के लिए आवाज़ न उठाएं। अगर कोई ऐसी आवाज़ उठाता है तो उस को जायज़ नाजायज़ तरीके से दबाने की कोशिश की जाती है। यहां पर यह बात congress के ज़िम्मेदार मेम्बरों ने भी कही है कि इस सरकार के ज़माने के अंदर seasoned leadership न होने की वजह से इस पंजाब की हालत बदतर है और फ़िर्कादाराना कशीदगी बढ़ गई है। यहां का अमनोंअमान खराब हो चुका है। पंजाब की जनता के अंदर और legislators के अंदर मायूसी फैली हुई है। इस के इलावा जो अफसरान है वह भी मायूस हैं क्योंकि उन के काम के अंदर interference की जाती है। ऐसे हालात में इस बात की क्या justification है कि Police पर 59 लाख रुपये की रक्म ख़र्च कर दी जाए।

स्पीकर साहिब, इस के अंदर हिन्दी agitation का ज़िक्र आया है। मेरी गुज़ारिश यह है कि वह महज़ एक language का झगड़ा था जोकि वैसे ही ख़त्म हो सकता था और उस के लिए 59/60 लाख रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी। आज हमारी सरकार ने, जो इस सूबे की मालिक बनी बैठी, असूली तौर पर इस मसले को हल करने की कोशिश नहीं की है। Government यह नहीं चाहती कि यह मसला हल हो जाए। आज Jullundur Division में एक तबका पंजाबी का नाम लेता है और दूसरा हिन्दी का नाम लेता है। इस का नतीजा यह होता है कि वहां पर लोगों में आपस में लड़ाई होती है। मैं कहता हूं कि यह जो language का मामला है इस में हमारी Government ने हरियाने के लोगों को कभी confidence में नहीं लिया। मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर उन को confidence में लिया होता तो आज 60 लाख रुपया Police पर खर्च करने की ज़रूरत न पड़ती। मैं अर्ज़ करता हूं कि जब तक हरियाने के अंदर राष्ट्र भाषा और उन की मातृ भाषा (हिन्दी) को तरजीह न दी जाएगी उतनी देर तक उन की बेचैनी दूर नहीं होगी। इस का नतीजा यह होगा कि आप फिर कहेंगे कि इस मसले को हल करने के लिए 60 लाख रुपया और दिया जाए। स्पीकर साहिब, दूसरे सूबों में भी इस किस्म की problems खड़ी हुई हैं और वहां पर उन मसलों का हल निकाला गया है लेकिन यहां पर एक ख़ास मकसद के लिए police लगाई जाती है और फ़िर्कादारी का नाम ले कर लोगों के ऊपर तशदद किया जाता है। मैं समझता हूं कि यह जो रकम मांगी गई है इस की कोई justification नहीं है। इस मसले को हल करने के लिए, Communist Party ने जो suggestion दी थी और उस के इलावा कई और लोगों ने भी suggestion दी थीं, वह बिल्कुल सही थीं। वह suggestion यह थी कि हरियाने के अंदर हिन्दी को प्रधान समझ कर पंजाबी को optional करार दिया जाए और पंजाबी area के अंदर हिन्दी और पंजाबी दोनों को ही compulsory किया जाए क्योंकि हिन्दी राष्ट्रभाषा है और पंजाबी उन की मादरी ज़बान है। यह चीज़ अगर कर दी जाती तो यह मसला सुलझ सकता था। लेकिन इस की बजाए Government ने अपना ही formula लोगों पर लागू किया है। अगर समझदारी से काम

[श्री इन्द्र सिंह]

लिया जाता तो यह जो 60 लाख रुपया police के लिए मांगा जा रहा है यह बच सकता था। मैं समझता हूं कि महज़ लोगों को फिर्कादाराना नाम के ऊपर crush करने के लिए यह रुपया मांगा जा रहा है। यह कोई justification नहीं पैदा होती। इसलिए इस रक़म की मंज़ूरी नहीं देनी चाहिए।

इसी तरह, स्पीकर साहिब, मोती महल खरीदने के लिए 30 लाख रुपया मांगा जा रहा। यह non-developmental काम पर ख़र्च किया जा रहा है। इस खर्च पर भी मुझे एतराज़ है।

मैं गुज़ारिश करता हूं कि अगर यह leadership समझदार होती तो यह तीन करोड़ की taxation जो आ रही है उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। यह जो इतना तशदद किया गया है पुलिस की तरफ से इसकी ज़रूरत नहीं थी और यह जो इतना रुपया खर्च किया गया है इसकी कोई जरूरत नहीं थी। यह मसला असूली तौर पर अमन तरीके से हल हो सकता था। लेकिन, स्पीकर साहिब, मैं गुज़ारिश करूंगा कि असली बात यह है कि यह मसला हल करना नहीं चाहते बल्कि यह इस मसला को और लम्बा करना चाहते हैं ताकि इनकी leadership, इनकी हकूमत और इनकी गद्दी फिरकादारी के नाम पर बनी रहे। यह मैं इसलिए कहता हूं कि यह टोला जो आज हुकमरान है और आज सरकार पर काबिज़ है उसके अपने अन्दर इतनी धड़ेबाज़ी है और इतनी partisanship चल रही है कि वह हकूमत भी partisan spirit से करते हैं। मैं अर्ज़ करूंगा कि जब तक यह धड़ेबंदी रहेगी जिसका चर्चा हर जगह होता है, अखबारों में भी होता है और इनकी अपनी party meetings में भी होता है तब तक यह बात चलती रहेगी और उस वक्त तक यह law and order का मामला ठीक नहीं हो सकता और न ही सुधर सकता है। यह जो आज यहां कांग्रेस बनी है यह मुख्तलिफ टोलों की बनी हैं और वह अपने अपने मंतव और अपने अपने अगराज़ लेकर इस में आए हैं......

अध्यक्ष महोदय : पुलिस की grant से बढ़ते बढ़ते अब आप कांग्रेस पार्टी पर आ गए हैं और आगे पता नहीं कि आप किस तरफ जाएंगे। (While discussing the demand for grant relating to the Police the hon. Member has now brought the Congress party under discussion. After that I do not know what would be his next point.)

श्री इन्द्र सिंह : अगर जनाब मैं irrelevant हूंगा then, Sir, I will submit to the Chair.

अध्यक्ष महोदय : मेरे लिए मुश्किल यह है कि जब दूसरे इन बातों पर एतराज़ उठाएंगे तो झगड़ा खड़ा होगा। (The difficulty with me is that the trouble would start when others would take objection to what he is saying.)

Shri Inder Singh: Sir, I will submit to the Chair if I am irrelevant.........

अध्यक्ष महोदय : आप irrelevant तो हैं जब आप irrelevant बातें करते हैं आप जो मर्ज़ी कहें मगर मेरे लिए सिरदर्दी न खड़ी करें। (The hon. Member is irrelevant when he brings irrelevant things under discussion. He may say whatever he likes but he should avoid creating any difficult situation for me.)

श्री इन्द्र सिंह : मैं जनाब बिल्कुल relevant बात करूंगा। तो जनाब मैं अर्ज़ करता हूं कि इन के जो अपने अन्दरूनी हालात हैं वह ठीक नहीं हैं और सख्त धड़ेबंदी चल रही है। उन से बचने के लिए यह खुद इस तरह के धंधे खड़े करते हैं और फिर सुख का सांस लेते हैं कि अब लोगों की नज़रें दूसरी तरफ चली गई हैं और.......

अध्यक्ष महोदय : क्या आप चाहते हैं कि कोई time limit fix हो ? (Do the hon. Members want that there should be some time limit ?)

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : 15 ਮਿੰਟ ਰੱਖ ਲਓ ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा ख्याल है 10 मिनट काफी हैं। (I think 10 minutes would do.)

आवाज़ें : नहीं जनाब कम से कम 15 मिनट होने चाहिएं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता था कि 10 मिनट रख लें ताकि ज़्यादा मैम्बर बोल लें। (I wanted to fix a time limit of ten minutes so that more members could take part in the debate.)

आवाज़ें : ठीक है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा ख्याल है कि आप अब काफी time ले चुके हैं। (I think, the hon. Member has already taken sufficient time.)

श्री इन्द्र सिंह : मैं जनाब सिर्फ एक बात और कह कर बैठ जाता हूं। तो मैं अर्ज़ करता हूं कि मैं इस बिल की support करता अगर कोई development के कामों के लिए पैसा मांगा जाता, मैं इसकी support करता, अगर कोई communal hormony के लिए रुपए मांगे जाते और पूरी तरह support करता अगर जनता की बहबूदी के लिए कोई काम होता और पैसे मांगे जाते, लेकिन जब यह पुलिस के नाम पर पैसे मांग रहे हैं जिस ने अंधेर गरदी मचाई, और लोगों की रक्षा न करके उन को मारा तो मैं इस की मुखालिफत करूंगा। मैं यह बात भी अर्ज़ करूंगा कि इस पुलिस के साथ इतने बड़े मसले लगे हुए हैं कि अगर ईमानदारी के साथ उन सारी बातों की पड़ताल की जाए तो सारी तसवीर जनता के सामने आए। यहां वित्त मंत्री महोदय ने अपनी बजट सपीच में कहा है कि दूसरे पांच-साला प्लान को कामयाब करने के लिए Opposition parties को हमारा साथ देना चाहिए और हम उनको शामिल करने के लिए तैयार हैं। ठीक है अच्छी बात है । लेकिन हम Opposition वाले यह भी कहते हैं कि जो allegations यहां लगे हैं उनके अपने benches

[श्री इन्द्र सिंह]

की तरफ से भी और इस तरफ के benches की तरफ से भी उनकी पड़ताल करने के लिए भी Opposition को शामिल कर लिया जाए। यह जो पुलिस पर 60 लाख रुपया खर्च हुआ है और जो allegations लगाए गए हैं उनकी पड़ताल के लिए एक Enquiry Commission बिठाया जाए जिस में यह अपनी तरफ के लोगों को भी शामिल करें और opposition को भी उस में शामिल करें और फिर यह High Powered Commission सारी बातों की पड़ताल करें। फिर हम समझेंगे कि यह ईमानदारी के साथ कहते हैं कि हम Opposition को अपने साथ शामिल करने को तैयार हैं और Opposition parties को अपने साथ रखना चाहते हैं। यह एक ऐसी बात है जिसको मैं नज़र अंदाज़ नहीं कर सकता। अगर Opposition parties की co-operation लेना चाहते हैं communal amity के लिए और मुख्तलिफ तबकों को एक platform पर जमा करने के लिए तो जो allegations लगाए गए हैं और जो सारी बातें कही गई हैं उनके बारे including members of Opposition और दूसरे जो उनके अपने आदमी हैं उनको शामिल करके एक Commission बनाया जाए और सारी पड़ताल हो। वह यह पड़ताल भी करे कि क्या वजह है कि पंजाब में अमन कायम क्यों नहीं रहता। इस की क्या २ वजूहात हैं। यह कह कर मैं अर्ज़ करूंगा कि इस demand की कोई justification नहीं है और मैं तमाम मैम्बरों से अपील करूंगा कि अगर State को बचाना है तो इस को outvote कर देना चाहिए। इसको मंजूर नहीं करना चाहिए।

श्री रला राम (मुकेरियां, जनरल) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस supplementary बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बिल में नसराला चो को control करने के लिए भी provision किया गया है। होशियारपुर में अध्यक्ष महोदय, चो जो हैं और जो मसला उन्होंने पैदा कर रखा है वह मसला वहां की ज़िन्दगी और मौत का प्रश्न है। इस में तीन लाख रुपए का ज़िक्र किया गया जोकि नसराला चो को control करने के लिए खर्च किया जाएगा। मैं समझता हूं कि यह रकम जो है वह बिल्कुल नाकाफी है। समस्या इतनी भारी है कि अगर इस रफ्तार से होशियारपुर में चोओं की समस्या को tackle किया गया तो मैं समझता हूं कि इस के लिए कम से कम 25, 30 साल लग जाएंगे, यह रफ्तार बड़ी मंद है और बड़ी धीमी है और इस से होशियारपुर ज़िला को तबाह होने से बचाया नहीं जा सकता है। पीछे एक survey हुआ था जिस में कुछ चोओं का group लिया गया था और यह आशा थी कि यह मसला 4, 5 साल के अन्दर हल कर दिया जाएगा। मगर इस मंदगति को देख कर ऐसा प्रतीत होता है कि वहां का यह भारी मसला कम से कम 25 साल तक भी हल नहीं हो सकेगा। तो आपके द्वारा मैं अध्यक्ष महोदय अपने मंत्रिमण्डल का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि यह एक ऐसा मसला है जिस पर होशियारपुर की तरक्की, बहबूदी और वहां के लाखों लोगों का रोजगार निर्भर है। इस लिए इसको ज्यादा तेज़ रफ्तार के साथ हल करने का प्रयत्न करना चाहिए। सुस्त रफ्तारी जो अब है वह हमारे लिए अति हानिकारक है।

फिर उसी एक चो को लेकर control करने को कोशिश को गई है और जो allied chos उस इलाके में है और जहां से कि यह बहुत सा chos इकट्ठे हो कर उस में शामिल हो जाते हैं उनकी तरफ ग़ौर नहीं किया गया है। इस से साफ ज़ाहिर है कि यह कामयाबी जो है वह अभी बहुत दूर है और शायद यह कामयाबी नसीब न हो। इस सिलसिले में होशियारपुर के ज़िले में बड़ा भारी असंतोष है। पहले हम समझते थे कि 80 लाख रुपया इस बात के लिए मंजूर हुआ है और कभी यह सुना जाता था कि एक करोड़ रुपया रखा गया है लेकिन अब पता लगता है कि सिर्फ तीन लाख की grant हो इस के लिए है। इस मसले को देखते हुए मैं तो कहूंगा कि यह रकम जो रखी गई है वह इस के साथ tinkering है और patch work है और इस तरह यह मसला कभी हल नहीं होगा।

इस के इलावा इस बजट के अन्दर ब्यास नदी के सम्बन्ध में anti-erosion measures का ज़िक्र किया गया है। मैं आपके द्वारा मंत्रिमण्डल तक यह बात पहुँचाना चाहता हूं कि रावी पर जो इस वक्त उसे control करने का और उसके पानी को divert करने का काम हो रहा है इन सब का असर अच्छा नहीं हुआ है और जितना इलाका सुरथल से लेकर दसूहा तक है जो मेरे इलाके में आता है वहां के जितने भी लोग हैं वह बड़े भयभीत नज़र आते हैं और मैं समझता हूं कि उनका डर बहुत हद तक ठीक भी है। रावी पर जो यह काम किया जा रहा है उसका असर अच्छा नहीं हुआ बल्कि इन सालों में वह जो अनेकों ज़रखेज़ गांव थे वह रेत का ढेर बन गए हैं। जब से यह protective measures लिए जा रहे हैं ब्यास नदी के सम्बन्ध में कि वह बेयीं से अन्दर २ रह जाए वहां के 15 मील के इलाके में कम से कम 8 गांव दरिया की ज़द में आ गए हैं और उनका ¾ हिस्सा दरिया के अन्दर बह गया है। यह ठीक है कि जो बात वह लोग कहते हैं वह उनकी कोई expert opinion नहीं है लेकिन फिर भी जो बात वह कहते हैं वह अपने तजरुबा की बिना पर कहते हैं। एक तरफ तो दरियाए रावी के पानी को divert करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं और उधर anti-erosion measures हुए तो उस इलाके में सब से ज्यादा floods आते हैं। उनको नज़र-अंदाज़ करना बड़ी भारी गलती है। मेरे हलके के लोगों के अन्दर जो ब्यास के किनारे पर रहते हैं बजा तौर पर बड़ा भय और चिन्ता है कि उनका क्या बनेगा? मैं देखता हूं कि इस बजट में इस सवाल के इस पहलू को बिल्कुल नज़र-अंदाज़ कर दिया गया है और उनकी रक्षा के लिए मुझे कोई भी measures इसके अन्दर नज़र नहीं आए।

तो अध्यक्ष महोदय, आप के ज़रिये मैं यह बताना चाहता हूं कि इस सवाल को समूचे तौर पर लिया जाय और जुदा जुदा हिस्सों के टुकड़े कर के इस को लेना चाहिए वरना anti-erosion measures जो हैं उन को पूरी कामयाबी की तरफ़ नहीं लाया जा सकता। मैं आप के मंत्रिमंडल का ध्यान इस फौरी ज़रूरत की तरफ़ दिलाना चाहता हूं कि बीसियों गांव जो मेरे हल्के मोरथल के पुल से दसूहा वेंई तक हैं वे हरासां रहते हैं। उन की हिफाज़त के लिए मुनासिब ध्यान इन measures के अन्दर दिया जाना चाहिए ताकि वे तबाही से बच सकें।

[श्री रला राम]

पुलिस के लिए जो साठ लाख रुपए की मांग की गई है । इस में इस बात का भी ज़िक्र किया गया है कि इस बहुत से रुपये की इस लिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि Save Hindi Agitation का मुकाबला करना था। अध्यक्ष महोदय, आप के ज़रिये मैं एक बात मंत्रिमण्डल के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस Save Hindi Agitation को कंट्रोल करने के लिए या इस का मुकाबला करने के लिए कुछ पुलिस की तरफ़ से एक दो ऐसी बातें हुईं जिन से कि पुलिस के नाम पर धब्बा लगा है और पंजाब ऐडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर धब्बा लगा है जैसे कि बहु-अकबरपुर में हुआ है । मैं आप के द्वारा यह बात मंत्रिमण्डल के नोटिस में लाना चाहता हूं कि अगर इन बातों की तहकीकात करवाई जाए और यदि उस में पब्लिक कसूरवार हो तो उसे दण्ड दिया जाये और यदि पुलिस की तरफ से किसी अफसर ने ज्यादतियां की हों तो उसे दण्ड मिलना चाहिए। ऐसा करने से जो ऐडमिनिस्ट्रेशन की prestige है मान मर्यादा है, जो प्रतिष्ठा है वह कम न होगी। इस लिए इन सवालों को खटाई में नहीं डालना चाहिए। इस से सरकार की prestige बढ़ती नहीं है बल्कि कम होती है । इसलिए, अध्यक्ष महोदय आप के द्वारा मैं मंत्रिमण्डल से यह प्रार्थना करूंगा कि यह जो बार बार स्टेट के अन्दर इस बात की चर्चा होती है तो गवर्नमेंट की prestige को बहाल करने के लिए इस किस्म के जो दोषी अफसर हों उन के बरखिलाफ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए । इस बात से किसी को इनकार नहीं हो सकता कि अगर पब्लिक की तरफ से किसी भी व्यक्ति ने कोई ज्यादती की हो या कोई कानून की खिलाफवर्ज़ी की हो तो उन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, कोई एतराज़ नहीं हो सकता । ये बातें अध्यक्ष महोदय मैं आप के द्वारा मन्त्रिमण्डल के नोटिस में लाना चाहता हूं। इन शब्दों के साथ मैं supplementary budget का समर्थन करता हूं ।

श्री गोरख नाथ (बटाला) : स्पीकर साहिब, कल मुख्तलिफ demands पर जो बहस हुई और आज भी इस Appropriation Bill पर जो एक दो सज्जनों ने कुछ कहा है उसमें ज्यादातर repetition ही हुई है। पहले भी गवर्नर के एड्रेस पर बहस करते हुए काफी बातें कही गईं और इधर से उन का जवाब दिया गया लेकिन कुछ सज्जन ऐसे भी होते हैं कि या तो उन्हें मौका नहीं होता है कि वे बजट को देख सकें। बजट उन्हें पहुंचाया जाय तब भी वे उसे study करने की तकलीफ नहीं करते या कहते हैं कि लाए नहीं हैं या जानबूझ कर पढ़ते नहीं। कुछ मेम्बरान personal चीज़ों को लेकर हाऊस में आते हैं। कल हमारे एक भाई ने Demand No. 13 के मातहत फतहगढ़ ड्रेन पर एतराज़ किया। यह worst area है और हर साल यहां काफी नुकसान हो जाता है। यहां पर एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है उस की जमीन भी काफी इस में आती है। उन्होंने फरमाया कि इस नाले को जल्दबाज़ी में ले लिया गया है लेकिन बिजूमान ड्रेन का हवाला दिया गया कि उसे नहीं लिया गया। मैं समझता हूं कि यह एक सराहनीय कदम है क्योंकि इस नाले के

निकलने से एक तो फतहगढ़ के इलाके में जो हर साल इतना नुकसान होता है वह न होगा और दूसरे इस में provision है कि यह Bijuman Drain तक चला जायेगा और इस तरह से वहां भी नुकसान न होगा।

बाकी इसके लिए अलहदा महकमा है। फाइनेंस वाले तो इस में सिर्फ मंजूरी देते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर का इस के साथ ताल्लुक नहीं है। आखिर में मैं सरकार को डीमांड नं० १३ में जो provisions की गई हैं उस के लिए मुबारकबाद देता हूं।

पुलिस की Demand के मुतल्लिक बहुत कुछ कहा सुनी की गई और हैरानी की बात यह है कि कल इस Demand पर कहते हुए बहुत सी irrelevant बातें कही गईं। मौलवी अब्दुलग़नी साहब ने स्मगलिंग की आइटम के मुताल्लिक कुछ कहा था और उस के मुताल्लिक बोलते हुए उन्होंने बटाला की मिसाल दी। मैं बटाला के हल्का को represent करता हूं..........

Shri Balram Dass Tandon : Sir, is the hon. Member relevant ?

श्री गोरख नाथ: उन्होंने स्मगलिंग के बारे में एक बात कही है। इस का जवाब देना मैं ज़रूरी समझता हूं ताकि हाऊस में कोई confusion न रहे। उन्होंने कहा था कि बटाला में एक मिनिस्टर के घर में कांग्रेस का एक वर्कर गोल्ड स्मगलिंग के सिलसिला में गिरफ्तार हुआ। मैं चूंकि बटाला के हल्का से हूं इसलिए मैं उन की ग़लतफहमी दूर करना चाहता हूं कि बटाला में किसी मिनिस्टर का घर नहीं मैं ने तो हाऊस की information के लिए यह कहना ज़रूरी समझा है और यह भी मैं कह दूं कि वह कांग्रेस के सरगरम वर्कर नहीं हैं वह जन संघ के सर गरम वर्कर हैं और अमृतसर से ताल्लुक रखते हैं। मैं यह कहूंगा कि यह कोई अच्छी बात नहीं कि हमारी सरकार को पुलिस के लिये इतनी रकम मंजूर करानी पड़ी। यह हमारी बदकिस्मती है कि हमारी हकूमत जिम्मेदारी महसूस नहीं करती। अगर यह समझा जाये कि agitation करना बुनियादी तौर पर ग़लत है तो लाज़मी तौर पर इतनी रकम पुलिस के लिये न देनी पड़ती। अगर हम समझते हैं कि इतनी भारी रकम का खर्च करना हमारी development पर छापा है तो गवर्नमेंट को आयंदा ज्यादा ज़िम्मेदारी इख्तियार करनी चाहिये। जो तहरीकें चलती हैं उन की रोकथाम के लिये यत्न करने चाहियें और हकायक को सामने रखना चाहिये। बाकी Demands के मुतअल्लिक तो मैं हकूमत की बेबसी समझता हूं लेकिन हकूमत को floods जैसी आफतों का तो मुकाबला करना चाहिये जो लोगों को आए साल परेशान करते हैं। मैं प्रिंसिपल रलाराम की वाकफियत के लिये बताना चाहता हूं कि रावी दरिया का पानी controlled होता है और जब इस में पानी की ज्यादती होती है तो इसे divert कर के ब्यास में डाल दिया जाता है। इसी तरह से जब ब्यास में पानी ज्यादा आ जाता है तो इसे रावी में छोड़ दिया जाता है। पाकिस्तान की तरफ रावी का बहाव बेशक हो जाए लेकिन हिन्दुस्तान की तरफ permanent bund बना दिया गया है ताकि इस तरफ पानी न आ सके।

[श्री गोरख नाथ]

Demand No. 14 के मुतअ्ल्लिक, स्पीकर साहिब, मैं कहे बगैर नहीं रह सकता कि हुकूमत की कौन सी मजबूरी थी, किस शख्स ने मजबूर किया कि Moti Bagh Palace जिस का रक्बा 338.85 एकड़ है हासिल किया जाए। मुझे जहां तक इल्म है अभी तक इस के मुतअ्ल्लिक फैसला होना बाकी है और यह फैसला हो रहा है कि कौन कौन सी जायदादें हैं जो State की मलकियत हैं। और कौनसी राजाओं की अपनी मलकियत है। इस बारे में फैसला हो रहा है। इस से पहले ही कोई चीज़ निश्चय कर लेना कि महाराजा की अपनी मलकियत है मुनासिब मालूम नहीं देता। एक तरफ तो सरकार agrarian reforms कर रही है और 30 standard acres के ऊपर के मालिकों से तवक्को करते हैं कि वे अपनी ज़मीन फरोख्त न कर पाएं। फिर हम Socialistic Pattern of Society कायम करना चाहते हैं ताकि एक जगह पर रुपया इकट्ठा न हो जाये। दूसरी तरफ हम Moti Bagh Palace खरीद कर रहे हैं जिस जगह museum दरकार नहीं था। बेहतर होता कि यह museum चण्डीगढ़ जैसे बड़े शहर में 5 लाख रुपये खर्च कर के बना दिया जाता। अब इतना रुपया खर्च कर के गवर्नमेंट को development की कोई item कम करनी पड़ेगी। पांच लाख रुपये बयाने के तौर पर दिये गये हैं वह ग़लती की है। अगर यह बयाना न दिया गया हो तो इस की अदायगी रोक देनी चाहिये और वही रुपया यहां museum बनाने पर खर्च किया जाये। मैं फिर ज़ोर से दरखास्त करूंगा कि यह हमारे असूल के खिलाफ बात है और tenancy reforms या agrarian reforms के असूलों के भी खिलाफ है। अगर पटियाला में दफतर न भी रहें तो काम smoothly और efficiently चलेगा। मैं तो समझता हूं कि दफतर scattered नहीं होने चाहियें। पटियाले में पहले ही buildings surplus हैं। इसलिए इन हालात में मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करूंगा कि इस मामले पर अच्छी तरह से विचार कर के Moti Bagh Palace को खरीद करने का इरादा तरक कर दे। ऐसा करना मेरे ख्याल में कोई शर्मिंदगी की बात नहीं बल्कि फ़खर की बात होगी।

चौधरी चन्द्र भान (तोशाम) : स्पीकर साहिब, यह जो पुलिस सम्बन्धी 60 लाख रुपये की Supplementary Demand पेश की गई है मैं उस का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जहां तक मेरा दुनिया के एतिहास और डैमोक्रेसी का तजरुबा है मैं समझता हूं कि डैमोक्रेसी के अंदर पुलिस राज कभी सफल नहीं हो सकता। असल में पुलिस सम्बन्धी Supplementary Demands तब पेश की जाती हैं जब हकूमत पर जनता का विश्वास न रहा हो और जब जनता का विश्वास किसी हकूमत पर न रहे तो वह हकूमत ज़यादा देर तक कायम नहीं रह सकती। यह पुलिस इस लिए रखी गई क्योंकि Hindi Agitation करने वालों को दबाना मकसूद था जो यह कहते थे कि हमारी मातृभाषा हिन्दी है और उन पर कोई दूसरी ज़बान न ठोंसी जाए। यह बात इस हकूमत को शोभा नहीं देती—जिस हकूमत को जनता के नुमायंदे चला रहे हों, कि वह 60 लाख रुपये की भारी रक्म खर्च कर के जनता की आवाज़ को दबाए और फिर यह रुपया जनता पर टैक्स

लगा कर वसूल करे। पुलिस के ज़रिए डैमोक्रेसी में हुकूमत कायम नहीं रह सकती। पांच दस रोज़ तो डंडे से राज चल सकता है लेकिन हमें तो वह राज चाहिए जहां अमन और शान्ति हो (*Cheers*)। असल में पुलिस ने ही इस agitation को भड़काया और इसी police ने उन की आवाज़ को कुचलने की कोशिश की। मैं खुद चार महीने जेल में रहा हूं मेरा तजरुबा है कि पुलिस दखल अंदाज़ी नहीं करती। मैं महात्मा गांधी का पक्का चेला हूं और उन के सिद्धांतों को मानता हूं। वह कहा करते थे कि पुलिस के ज़रिए जनता को दबाना मुनासिब नहीं, पुलिस तो जनता की सेवक होती है। और इस पंजाब Government की police जो है यह जनता की हाकिम बनी बैठी है। जहां तक मेरा ताल्लुक है; मेरे खिलाफ कोई इलज़ाम नहीं; Deputy Commissioner मेरा कोई दुश्मन नहीं था, S. P. मेरा कोई दुश्मन नहीं; मैं ने कोई जुर्म नहीं किया। Police वालों ने मुझे पकड़ा और तीन महीने तक मुझे District Jail हिसार की एक कोठड़ी में रखा। मैं हैरान था कि मेरे खिलाफ क्या जुर्म लगाया है। मैं समझता था कि पंजाब Government का ऐसा कोई कानून है कि Opposition को जेलों में ही रखा जाता होगा; कोई कानून बना दिया होगा। (*Voices of shame, shame from the Opposition Benches*) आखिर मुझे लिख कर देना पड़ा कि कम से कम मुझे यह बताया जाए कि मेरा जुर्म क्या है कि मुझे अंदर रखा गया है। तीन महीने के अंदर पुलिस ने challan की कापी दी, 10 नंबर के गवाह बनाए और झूठा मुकदमा चलाया गया। मैं अपनी बाबत नहीं कहना चाहता। जब से मैं political life में आया हूं मैं ने ऐसा मौका पहले कभी नहीं देखा। लेकिन मुझे अफसोस है कि उस agitation को दबाने के लिए 60 लाख रुपया मंजूर करवाया जा रहा है। मेरा इलाका एक backward इलाका है। वे लोग हिन्दी या गुरमुखी कुछ नहीं जानते। वहां से 500 आदमी महज़ इस लिए आए कि हमारे M.L.A. को क्यों पकड़ा गया; उसने क्या जुर्म किया? 60 लाख रुपये हिन्दी agitation को दबाने के लिए दिए जा रहे हैं। इस हिसाब से पुलिस ने agitation को तरक्की दी। जो थानेदार और कोई काम नहीं करता था उसके लिए कहा कि इसको हिन्दी agitation में लगा दो। हमारी शानदार Government ने यह पास कर दिया कि हिन्दी agitation बड़ी महंगी है, दूध पीने के लिए कोई भैंस क्यों बांधता है। (हंसी)। पुलिस ने ऐसे २ जुलम किए कि उनको बताने के लिए शर्म आती है। पुलिस ने इखलाक से गिरी हुई बात की। जो एक अफसर के खिलाफ है उसके साथ तो ऐसा बर्ताव हो सकता है। लेकिन मेरी तो पुलिस से कोई दुश्मनी नहीं थी, D.C. से कोई दुश्मनी नहीं; S.P. से कोई दुश्मनी नहीं। मैं तो समझता हूं कि पंजाब Government के अंदर यह divide and rule की policy है। सिखों और हिन्दुओं को अलग २ किया जा रहा है। मैं आपको निश्चय करा सकता हूं कि जितने भी high ups हैं उनमें Chief Minister साहिब की divide and rule की policy है। हिन्दुओं और सिखों को लड़ाया गया। जहां तक मैंने देखा है पुलिस में यह agitation बड़ी दूर तक है। पुलिस में मैं ने यह देखा है कि पुलिस को ऊपर से इस किसम का कोई इशारा है। अब इस हुकूमत को यह

[चौधरी चन्द्र भान]

निश्चय हो गया है कि यह हुकूमत टिक नहीं सकती क्योंकि इस पर जनता का विश्वास नहीं। और जिस हुकूमत के अंदर जनता का विश्वास न हो वह हुकूमत कभी ठहर नहीं सकती। Divide and Rule की policy जो अंग्रेज़ इस्तेमाल करते थे, वह divide and rule की policy हमारे देश को इस हुकूमत ने दिखाई कि कहीं हमारी कुर्सी न खो जाए। सिखों और हिन्दुओं की, देहाती और शहरी की, जाट non-जाट की ज़िले ज़िले को आपस में लड़ाई करवाई। रोहतक वालों को कुर्सी नहीं मिली और हिसार वालों को कुर्सी मिल गई। (*Voices of shame, shame from the Opposition Benches*)। अगर इस बात का सबूत चाहते हैं तो देहात के अंदर ऐसा हुआ। मेरे सगाना गांव के अंदर जा कर Chief Minister ने कहा कि भाई तुम लोहारू के जाट हो और मैं भी तरनतारन का जाट हूं, तो आप आपस में न लड़ें। मेरे इलाके के चार पांच सौ आदमी मेरे पास जेल में मिलने के लिये आए; मैं उनका नुमाइंदा था। वह इलाका अनपढ़ है, बहुत backward area है। उन लोगों ने कहा कि एक सरदार ने कहा था कि मैं तरन तारन का जाट हूं और तुम इस लोहारू के इलाके के जाट हो; तुम क्यों लड़ते हो, झगड़ा क्यों करते हो। इतना ज़िम्मेदार आदमी है। कम से कम ऐसे आदमी के लिए तो यह चीज़ें न होनी चाहिएं।

अध्यक्ष महोदय : बताइए कौन सा सरदार है वह ? Let the hon. Member disclose the identity of that Sardar.) (*Interruptions*) Order, please.

चौधरी चन्द्र भान : मेरे जैसे आदमी को भी पकड़ लिया गया। मैं आपको निश्चय दिलाता हूं कि मैं ने जो भी देखा मैंने उस में यह पाया कि यह अमीर और गरीब की लड़ाई है, लुगाई और मर्द का झगड़ा है। यह divide and rule की policy थी या यह Chief Minister की क्या सफाई थी कि इस तरह खाह मखाह लोगों को जेलों में रख कर पुलिस के लिए इतना रुपया मंजूर करवाना, इतना बड़ा ज़ुल्म करना, इस से State का क्या भला होता है। अगर यह रुपया मेरे इलाके में दिया जाता तो वे लोग सदा यह कहते कि हमारे Finance Minister साहिब, मोहन लाल जी भी बहुत बड़े हो गुज़रे हैं। (हंसी)। (एक माननीय सदस्य : हो गुज़रे नहीं, अब हैं।)

Mr. Speaker : Order please.

चौधरी चन्द्र भान : स्पीकर साहिब, वह एक ऐसा इलाका है कि मैं ने वहां से आ कर इस House में गलती खाई। मैं तो देहाती था; मुझे मालूम ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। अगर हमारे Minister साहिब को मैं कहूं कि हम backward इलाका से हैं; हमारे लिए कुछ करें तो शायद उस इलाके का भला हो जाए; मैं यह समझ कर इस House में आया हूं। मेरे भाई अब इस पर एतराज़ उठाते हैं। Police वालों ने लोगों के ऊपर झूठे मुकदमें चलाए। Police ने एक आदमी को चार दिन तक हवालात में रखा। पांचवें दिन पुलिस को मालूम हुआ कि जिस आदमी के बारे ऊपर से खबर आई है यह वह आदमी नहीं है, दूसरा है, तब उसको छोड़ दिया। पुलिस ने यहां तक किया। मेरे हल्का के थानेदार ने बहुत से ऐसे आदमियों को पकड़ कर पीटा था जिन का वह नाम नहीं जानता, गांव नहीं जानता और यह कहता था कि तेरा फलां नाम है, वह कहता था नहीं; मार कुटाई होती थी।

मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोग अगर ठीक तरह से हुकूमत करें तो मुझे इस से कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि मैं तो Minister बनने के लायक नहीं। मैं editor नहीं, वकील नहीं (विघ्न)।

अध्यक्ष महोदय : Order please आप लोग जो नज़दीक बैठे हैं, ज़रा दूर हो जायें। आप उनकी तकरीर में दखल देते हैं। Order please. The hon. Members sitting near the Member should please move a little away. They interfere in his speech.)

चौधरी चन्द्र भान : स्पीकर साहिब, मेरे कहने का मतलब यह नहीं। मेरा मतलब यह था कि कम से कम और 60 लाख रुपया पुलिस के लिए न दिया जाए जो इस हुकूमत ने यह बहाना बना कर मांगा है; police ने इस हुकूमत का पानी भरना है......।

अध्यक्ष महोदय : और भी बातें हैं इस में। इस पर ही सारा वक्त लगा दिया। कोई drain वगैरह पर बोलें। There are other Demands also. The hon. Member has spent whole of his time on this Demand. He may speak on drains, etc.)

चौधरी चन्द्र भान : यह एक ऐसी बात है कि ऐसा कहीं नहीं हुआ कि police के डंडे से लोगों को इस तरह पीटा जाए। गांधी जी ने कहा था कि.......

अध्यक्ष महोदय : गांधी जी का नाम न लें। यह Convention है। (The name of Gandhi Ji should not be dragged in. This is a convention.) (घंटी)।

चौधरी चन्द्र भान : एक बात और है। इस पर मुझे दो मिनट और दीजिए। पहली position स्पष्ट है। एक साल पहले यह सवाल उठा कि smuggling होती है। आवाज़ आती थी कि यह होता है, वह होता है। अब जो cases आते हैं वे हमारी Government के सामने हैं। खैर, अब उस में और ज़िक्र है। इसमें 60 लाख रुपये की जो यह Demand रखी गई है, इसमें smuggling के बारे में क्या तरक्की भी होगी? यह होगा कि अगर कोई अफसर smuggling में पकड़ा गया तो उसको हिन्दी agitation के लिए लगा दिया कि तुम इनको रगड़ो और उसे medal दिया गया। यह इनाम है। इस हकूमत में ऐसा हो रहा है। स्पीकर साहिब, जो जनता को काफी सारा रगड़े, काफी सारा ज़ुलम करें; सिर्फ इतना करे कि वज़ीर साहिबान से मिल कर रहे, उसे medal मिलता है।

स्पीकर साहिब, इसी police के अंदर ऐसे आदमी भी हैं जो बेचारे रात दिन काम करते हैं। उनके लिए कोई जगह नहीं, कोई promotion नहीं। वे नालायक समझे जाते हैं। बहुत से वज़ीरों से मिल जुल कर रहते हैं; उनकी रिश्तेदारी है, कई बातें हैं। स्पीकर साहिब, आप को नक्शा समझ में आए कि यह राज ही रिश्तेदारों का है।

अध्यक्ष महोदय : यह जो police है यह केवल हिन्दी agitation के लिए है या smuggling के लिए ही नहीं होती है। (The police is not meant for Hindi Agitation or smuggling only.) (*Interruption*) Order, please. एक बात और है। आप जो इनके गिर्द बैठे हैं वे ज़रा बोलने दें इन्हें अच्छी तरह। चलो जी। (*Interruption*) Order please.

[अध्यक्ष महोदय]
(The hon. Members sitting near the hon. Member should please allow him to speak uninterruptedly. The hon. Member may continue his speech. (*Interruption.*) Order, please.

स्पीकर साहिब, इन बातों के करने का मेरा मतलब यह है कि आप हमारे मिनिस्टरों को यह कहें कि वे डीवाइड ऐंड रूल की पालिसी पर अमल न करें। नहीं तो देश की हालत नहीं सुधरेगी। देश की हालत तभी सुधर सकती है जब कि वे डीवाइड ऐंड रूल की पालिसी का त्याग कर दें। वे चाहते हैं कि पुलिस के लिए इतने लाख रुपया मंजूर करवा कर जनता को रगड़ा दिलवाएं। मैं उन से कहना चाहता हूं कि उन को ऐसा विचार नहीं होना चाहिये कि चूंकि चन्द्र भान ऐसा कहता है इस लिए ज़रूर उस के उलट ही करना है। जनता खुद हर एक बात को परख लेती है। वे इस वक्त जनता को भूल गए हैं। वे यह बात भूल गए हैं कि अंग्रेज़ों ने पुलिस से इसी जनता को तीन सौ साल तक पिटवाया लेकिन आखिर में फिर भी उन को इस देश को छोड़ कर जाना पड़ा। तो वे क्या ख्याल करते हैं कि वे जनता को पिटवाते रहेंगे और वे नहीं जाएंगे। उन को भी ज़रूर जाना ही पड़ेगा। अगर उन्होंने पुलिस के ज़रिये राज करना है तो....

अध्यक्ष महोदय : टंडन साहिब, आप ऐसी बातें करवाते हैं यह ठीक नहीं है। (Shri Tandon is prompting the hon. Member to speak such things. It is not proper on his part.

श्री बल राम दास टंडन : पहले उस तरफ से ऐसी बातें होती हैं। जब आप अलाऊ कर देते हैं तो फिर. ....

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बातें हाऊस की प्रोसीडिंग्स में नहीं आनी चाहियें। (These things should not come in the proceedings of the House.)

चौधरी साधु राम : On a point of order Sir. स्पीकर साहिब, क्या ऐप्रोप्रीएशन बिल पर इतनी तफसील के साथ बोला जा सकता है?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस जगह पर ऐप्रोप्रीएशन बिल के स्कोप का ख्याल नहीं रख रहा। (At present I am not putting the question of the scope of the Appropriation Bill here.)

चौधरी चन्द्र भान : मैं आप को अदालत की बात बताऊं। तीन चार महीने के बाद चालान पेश हुआ। चालान पढ़ कर सुनाया गया। (विघ्न) (फिर विघ्न) मैं ने थानेदार से कहा कि झूठा मुकदमा क्यों बनाया तुम ने, अगर सच्चा मुकदमा बनाते तो कामयाब होता। थानेदार ने कहा कि मैं इतना मूर्ख नहीं था मुझे ऊपर से हिदायत आई थी सो मैं ने वैसा ही कर दिया। उन्होंने कहा कि पकड़ो मैं ने पकड़ लिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जो इतनी भारी रकम पुलिस पर खर्च की जा रही है इस को जनता की भलाई के लिये खर्च करना चाहिएँ। इन लफज़ों के साथ मैं अपनी स्पीच को खत्म करता हूं।

श्री राम प्यारा (करनाल) : स्पीकर साहिब, आज जो ऐप्रोप्रीएशन बिल पेश है इस की डिमांड नम्बर १३ में कुछ कन्स्ट्रकशन आफ इरीगेशन वर्क्स के लिये रुपया मांगा गया है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक करनाल ज़िले का ताल्लुक है उस में हर साल फलड्ज़ आते रहते हैं। उस ज़िले में चार दरिया बहते हैं। उन के नाम यमुना, सरस्वती, मारकंडा और कांगड़ी हैं। इन नदी नालों की वजह से उस ज़िले में हर साल बाढ़ आती रहती है और उस इलाके को काफी नुक्सान पहुंचता है। सिर्फ बाढ़ों के कारण ही नहीं बल्कि बहुत सारा एरिया उस ज़िले का वाटर-लाग्ड एरिया हो गया है। गो ड्रेन्ज़ बनाने के लिए रुपया रखा गया है लेकिन वह मेरी समझ में नाकाफी है। और इस के अलावा करनाल ज़िले के साथ जो बेइनसाफी हुई है वह यह है कि वहां पर स्टाफ की बहुत कमी है। जिस वक्त भी दफ्तर में जाएं ऐक्स ई. एन. और ऐस. डी. ओ. दफ्तर में नहीं मिलते। क्योंकि उन की डिमांड चारों तरफ ही रहती है। उन को सब जगह पर देखने के लिये जाना पड़ता है। इतना रुपया भी खर्च किया जाता है और फिर दो चार अफसरान की कमी के कारण अगर काम में रुकावट पैदा होती है तो इस का मतलब है कि ज़िला जालन्धर के साथ भी और ज़िला करनाल के साथ बेइनसाफी होती है। जहां इतना रुपया खर्च किया जाता है वहां अगर स्टाफ में इज़ाफा नहीं किया जाता तो मुझे रुपया ज़ाया हो जाने का खदशा है। इसी डिमांड की आइटिम नम्बर 23 के मातहत दरियाए यमुना पर नगला गांव के मुकाम पर बांध बांधने के लिये पचास हज़ार रुपए की मांग की गई है। यह बांध दो साल पहले भी बनाया गया था लेकिन बाढ़ आने पर वह टूट गया और उस के नतीजे के तौर पर लाखों एकड़ ज़मीन पर पानी फिर गया, हज़ारों मवेशी बह गए, लाखों बिमारी की वजह से मर गए, चारा न मिलने की वजह से लाखों मवेशी भूख से मर गए। सरकार को लाखों रुपयों की तकावी लोगों को देनी पड़ी, लाखों रुपया लोगों को ग्रांट के तौर पर देना पड़ा। इतना रुपया तो लोगों को देने में खर्च हुआ और अस्सी हज़ार रुपया लगा कर फिर बांध बनाया गया और वह फिर टूट गया। फिर बहुत नुक्सान हुआ। गवर्नमेंट ने तकावी की सूरत में, मकानों के बनवाने में और लोगों को लोन देने की सूरत में लाखों रुपये खर्च किये। इस तरह से लाखों रुपया सरकार का खर्च हो जाता है। लेकिन वह बांध को मुस्तकिल तौर पर बनवाने के लिए काफी रुपया नहीं रखती। मुझे खदशा है कि यह जो रुपया रखा गया है बांध बनवाने के लिए काफी नहीं है। अगर सारे का सारा रुपया भी सन् 58 में खर्च कर दिया जाए तो भी बांध अटक नहीं सकेगा। क्योंकि पिछले साल जब बांध टूटा था तो उस के टूटने की वजह से दरिया काफी सारा करनाल की तरफ आ गया है। अब दरिया बांध के नीचे ही बह रहा है। मुझे अब भी डर था कि अगर सरदी के मौसम में भी ज़्यादा वर्षा आ जाती तो वह बांध टूट जाता। लेकिन करनाल ज़िले की खुशकिस्मती थी कि वर्षा ज़्यादा नहीं हुई और पानी ज़्यादा नहीं आया। स्पीकर साहिब, मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर हमारी हकूमत गुरदासपुर और अमृतसर के ज़िलों में बांधों के बनाने पर लाखों रुपया खर्च कर सकती है तो उस को चाहिये कि करनाल ज़िले में भी बांध बांधने पर काफी रुपया खर्च करे ताकि बांध के टूटने का खदशा खत्म हो जाए, बांध कायम रहे और लोगों को आराम पहुंच सके। एक तरफ तो गवर्नमेंट खाली ज़मीन को एक्वायर करने का नोटीफिकेशन कर रही है और वहां के लोगों को ज़मीन छिन जाने का खदशा बना रहता

[श्री राम प्यारा]
है ग्रौर दूसरी तरफ बांध को पक्का करने का कोई खास इन्तज़ाम नहीं करती ग्रौर इस तरह से उन के सामने बाढ़ का खतरा भी हमेशा बना रहता है। यह जो थोड़ा सा रुपया इस काम के लिये रखा गया है वह सिर्फ ग्रांसू पोंछने के लिये रखा गया है क्योंकि गुरदासपुर ग्रौर ग्रमृतसर में जो इतना रुपया खर्च किया जा रहा है थोड़ा सा रुपया करनाल के लिए भी रख दो ताकि इस ज़िले के लोग बोल न सकें। लेकिन इस से ज़िले के लोगों की तसल्ली नहीं होती। इस ज़िले के लोगों को जो कि यमुना के किनारे सत्तर ग्रस्सी मील तक वाक्या है कुछ रिलीफ नहीं मिल सकता। वहां हर साल बाढ़ ग्राती रहेगी। इस लिये मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि ग्रगर गवर्नमेंट वाकई यह चाहती है कि इस ज़िले के लोग कुछ पैदावार कर सकें, उजड़ कर न जाएं तो उस को इन की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिये। मुझे खतरा एक ग्रौर भी है। बेशक यह रकम लिख दी गई है लेकिन यह हो सकता है कि यह रुपया खर्च ही न किया जाए। जैसे कि कुन्जपुर में सड़क को पक्का करने के पिछले तीन चार साल से मुतालबा किया जा रहा है ग्रौर बजट में भी ग्रा जाता है लेकिन सड़क नहीं बन रही। गवर्नमेंट हाऊस को यकीन भी दिला देती है कि सड़क बना दी जाएगी लेकिन नहीं बनाई गई। नतीजा यह होता है कि जब उस इलाके में बाढ़ ग्राती है तो वह एरिया शहर से कट जाता है। न ग्रादमी ग्रा जा सकते हैं ग्रौर न ही डंगरों को निकाला जा सकता है। नतीजा यह हुग्रा है कि वहां के लोग बहुत ग़रीब हो गए हैं ग्रौर बहुत सारे लोग उस इलाके को भी छोड़ कर जा चुके हैं। ग्रगर गवर्नमेंट ग्राज statistics इकट्ठे करे तो पता चलेगा कि पिछले दो-तीन सालों के ग्रन्दर जहां जहां गांव में दो-दो, तीन-तीन हज़ार की ग्राबादी

11.00 a.m.

थी वहां ग्रब मुश्किल से एक हज़ार रह गई है। वे बेचारे वहां रह कर भी क्या करें? खाने के लिए तो कुछ है नहीं। ज़मीन पर इतना पानी भरा रहता है कि पहली फसल तो कुजा, दूसरी फसल भी नहीं बोई जा सकती। इसलिए मैं गवर्नमेंट से ग्रर्ज़ करूँगा कि इस तरफ़ ज़रूर ध्यान दिया जाए।

इसमें कोई शक नहीं कि drains पर काफी रुपया खर्च किया गया है। लेकिन मैंने खुद देखा है कि गांव के ग्रन्दर drains पर जो पुल बनाए गए हैं उन के नतीजे के तौर गांव की ग्राधी ज़मीन एक तरफ़ रह जाती है ग्रौर ग्राधी ज़मीन दूसरी तरफ़।

वह drains दस २, बारह २, पन्द्रह २ फुट चौड़ी ग्रौर छः छः फुट गहरी हैं। बारिश के दिनों में जब ये drains चलती हैं तो गांव के लोग बेचारे न उधर की ज़मीन को काश्त कर सकते हैं, ग्रौर न डंगरों को चराने के लिए जा सकते हैं ग्रौर न ग्रनाज शहर को ले जा सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह भी एक जरूरी मद है। इसकी तरफ़ भी ज़रूरी फौरी तौर पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

ग्रगली item Demand No. 14 है जिसकी बाबत पंडित गोरखनाथ जी ने भी ज़िक्र किया है। एक बहुत बड़ा महल खरीद करने पर यह रकम खर्च की गई है। जब एक तरफ 30 एकड़ से फाल्तू ज़मीन दूसरों के पास रखने की ममानत की गई है तो मैं हैरान हूँ कि एक बहुत बड़े महल को लाखों रुपए नकद देकर क्यों खरीदने की कोशिश की जा रही है। Land Mortgage Bank किसानों की बेहतरी के लिए बनाया है ग्रौर

पंजाब गवर्नमेंट इसके लिए मुबारकबाद की मुस्तहिक भी है। मगर अफसोस है कि इस bank के पास रुपया नहीं जिससे गरीब आदमी को फायदा पहुंच सके। मैं यह समझता हूँ कि अगर यह रुपया उस bank को दे दिया जाए तो उससे हज़ारों आदमियों को फ़ायदा पहुंच सकता है। इसी तरह अगर Education Minister साहिब ने कोई कोशिश की होती कि कितने लायक और ज़हीन लड़के ऐसे हैं जो सिर्फ़ थोड़ा सा रुपया न होने की खातिर पढ़ने से रुक जाते हैं, और इस तरह देश का कीमती सरमाया ज़ाया होता है तो मैं समझता हूँ कि यही रुपया उन पर इस्तेमाल किया जा सकता था। इसी तरह मैं देखता हूँ कि industries पर भी कोई खास रुपया खर्च नहीं किया गया और हज़ारों.....

Mr. Speaker : The hon. Member is not relevant.

श्री राम प्यारा : बस खत्म करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : Supplementary Estimates पर बोलते वक्त general discussion की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसमें तो सिर्फ उन schemes को implement करने की बाबत कहा जा सकता है जोकि इसमें included हैं। इसके मुताल्लिक एक definite rule है। उसमें Speaker को अख्तियार है कि जिन मेम्बरों ने Supplementary Estimates को discuss करना हो उससे वह points पहले हासिल कर लें, मांग ले जिन पर मेम्बर concerned ने बोलना हो। मैं ने तो इस मामले में आप को पहले ही काफी latitude दिया हुआ है लेकिन इस का मतलब यह नहीं कि आप इसके scope के भी बाहर चले जाएं। (General discussion is not permitted while speaking on the Supplementary Estimates. In this discussion is allowed only on the implementation of those schemes which are included therein. There is a definite rule about it, which empowers the Speaker to call for in advance the points which the hon. Member concerned wants to discuss. I have already given a considerable latitude in this regard to the hon. Members. But this does not mean that they should go beyond the scope of the Supplementary Estimates.) (*Interruptions.*)

श्री राम प्यारा : मैं तो जनाब कुछ suggestions अर्ज़ कर रहा था। खैर एक बात और कह कर बैठ जाता हूं।

Mr. Speaker : Please wind up.

श्री राम प्यारा : तो मैं यह कह रहा था कि वह रुपया और बातों पर इस्तेमाल किया जा सकता था। पुलिस के बारे कहा गया है कि इतना रुपया इस मद पर खर्च नहीं किया जाना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि जो movement चलती हैं; उसको face करना ही पड़ता है। वह गलत हो या सही; उसको face करने के लिए गवर्नमेंट को अपनी तरफ से इन्तज़ाम करना ही पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ज़्यादती न हो। गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है। लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि अगर नुक्ताचीनी करने वाले इस तरफ बैठे हों तो वह इसको जायज़ कहें और अगर उस तरफ़

[श्री राम प्यारा]
बैठे हों तो कहें कि यह नाजायज़ है। मैं समझता हूं कि नुक्ताचीनी करने का सही असूल यह है कि अच्छी चीज़ को अच्छा और बुरी चीज़ को ही बुरा कहा जाए। इस तरह की constructive नुक्ताचीनी से ही अपने सूबे की development हो सकती है।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ (ਸਮਰਾਲਾ ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜੋ, appropriation Bill 3,31,25,110 ਰੁਪਏ ਦਾ supplementary estimates ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਦਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮਾ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਹੀਆਂ ਮਦਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਅੱਲਕ ਇਸ House ਕੋਲੋਂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਅੱਲਕ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। 60,00,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੁਪਿਆ Additional Police ਔਰ temporary police ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ State ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ abnormal ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਅੱਲਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਸ ਉਤੇ ਕਰਾਂ ? ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਤੇ ? ਇਹ ਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ verdict ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ=ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੁਲਝੇ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਚਾਈ ਤੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਰਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ; ਦੁਖ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ tax ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਰੁਪਿਆ ਪਾ ਕੇ State ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ wastage ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਖੁਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ — ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਇਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਪੁਲਿਸ ਉਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਸ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ? ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖੁਲੀ ਛੁਟੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਫਾੜਣ ਦੀ, ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ, Secretariat ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪਣ ਦੀ, ਤਾਰਾਂ ਤੋੜਣ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਕੰਮ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਦੀ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਨੂੰ check ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਉਥੇ ਪੁਲੀਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉ ਕਿ ਹਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ

unlawful activities ਦੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੜੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਕੇ-ਲਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬਠਾਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਟਰੋਲ ਖਰਚ ਕਰਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਛਡ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ—ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਫੜਵਾਂ ਲਈਆਂ । ਕੀ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਉਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਰਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ agitators ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਲੀ ਛੁਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਬਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਬਚਾਈ ਗਈ ? ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ । ਉਹ ਵੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇ legally ਨਹੀਂ ਤਾਂ morally ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ State ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ fruitless, purposeless ਅਤੇ ਬੇਮਾਇਨੀ agitation ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਸਾਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਨਾਲੇ ਚੋਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਵਿਚ" ।

(At this stage Mr. Dy. Speaker occupied the Chair.)

ਇਸ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਉਹੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਪਰ ਅਜ ਜੰਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਵਡੀ 60 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਪੁਲਸ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ public ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਅਗਵਾਹੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਖਰਾਬ ਨੇ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਖਰਾਬ ਨੇ । ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੜਬੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ । ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ personal vendetta ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਹਨ । ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹ wish ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੀ ਰਹਿਣ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹੀ ਸੇਵਾ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਿਰਕਾ ਪਰਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਥੇ ਮੈਦਾਨ ਇਤਨਾ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਨਾ ਸਕਣ । ਇਥੇ ਇਹ agitation ਚਲਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ । ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਦੋ ਤਿੰਨ incidents ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ agitation ਜਿਸਦਾ ਖਾਸਾ ਹਿਸਾ violence ਤੇ ਮਬਨੀ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ incidents ਦੀ ਜਿਮੇਂਵਾਰ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ incidents ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ agitation ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ । ਫਿਰ ਆਮ ਜੰਤਾ ਤੇ control ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]
ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ leaders ਵੀ ਆਪ control ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਥੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਥੇ ਸਚੱਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ । ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਝ incidents ਹੋਏ ਸਨ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ tear gas ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਉਸ ਵੇਲੇ tear gas ਛਡਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਇਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਹੂਅਕਬਰ ਪੁਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਇਕ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਗ਼ਲਤ ਬਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਹਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਜਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਗਰ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ cheap popularity gain ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ then it is all right ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ leaders ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ agitation ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ incidents ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਇਥੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ।

ਫਿਰ ਇਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਇਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ demands ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਘਾਟੇ ਵੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਵਕਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ abnormal ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ Supplementary Demands ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ । ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ civil works ਹੇਠ drains ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ supplementary demands ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਕਿਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਬੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਥੇ ਇਕ ਨਾਲਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਢਾ ਨਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਸੇਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹੁਣ ਜੋਗੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ । ਕਈ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਾ ਦਿਉ । ਹਰ ਸਾਲ supplementary demands ਵਿਚ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰੁਪਿਆ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਾਲਾ ਹਾਲਾ ਤਕ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । Partition ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਡੇ ਵਡੇ bull dozers ਨਾਲ ਸਫਾ ਕਰਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਸੇ ਵਜਾਹ ਕਰ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜ drains ਤੇ ਇਤਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨੀਲੋਂ ਢੁੰਢਾ drain ਵਲ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਉਸ drain ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੌਰੇ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ T. A. ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਲੈ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਉਸ ਦੀ

ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ drain ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ।

ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਇਸ ਵਿਚ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਵਾਸਤੇ ੩੦ ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਕੁਝ liability ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮਗਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ੩੦ ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰਚਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ liability ਲਈ ਖਰਚਨਾ ਪਿਆ ਹੈ । ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਿਸ purpose ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਤਨੀ ਵਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ museum ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ industries ਨੂੰ set up ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਬਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਜ ਜਨਤਾ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਔਰ tax payers ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਸਾਂ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ elections ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । Museum ਲਈ 30 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ building ਦੀ ਖਾਸ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਤਾਂ ਦੋ ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ building ਵਿਚ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਗ਼ਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਸ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਦੀ cost ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ building 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਬਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ । ਫਿਰ ਇਹ building ਲੈ ਕੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ maintenance ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ । ਅੱਜ ਰਾਜ ਭਵਨ ਅਤੇ Assembly Chambers ਦੀ building ਉਤੇ ਉਸ State ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੋਏ, ਇਹ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ...........

Mr. Deputy Speaker : Are these items included in the Supplementary Demands.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ . ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮੋਤੀ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ।

ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ interest ਹਨ ਉਹ safeguard ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਪਰ ਅਜ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ betterment fee ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਮਰ ਤੋੜ tax ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ museum ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇਤਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ demand ਤੇ ਦੋ ਬਾਰ ਬਲਕਿ ਤਿੰਨ ਬਾਰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਵਾਧੂ ਤਵਜੁਹ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ।

(ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) : ਆਪ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਉ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ) । ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । (*Interruption by Sardar Atma Singh*).

Mr. Deputy Speaker : Order, please.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । betterment ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਇਤਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ ।

खान अब्दुल गफ्फार खां (अम्बाला शहर) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहिब, आज जो डिमांड्ज़ हाऊस के सामने इस की मंज़ूरी के लिए पेश की गई हैं इन में बहुत से ऐसे आइटम्ज़ हैं जिन की जस्टीफिकेशन है और कुछ ऐसे हैं जिन के लिए कतअन कोई जस्टीफिकेशन नहीं है। मसलन अगर मैं अर्ज़ करूं तो मुझे हमारे वित्त मंत्री मुआफ करेंगे कि यह पंजाब के साथ जुल्म किया गया है, यह ज़्यादती है और अत्याचार किया गया है कि एक ऐसी चीज़ जिसके मालिक खुद गिर कर कम कीमत पर देने के लिए तैयार थे आज उसी को 30 लाख की कीमत पर खरीद किया जा रहा है। एक तरफ़ हमारे लीडर साहिबान सोशलिस्टक पैटर्न की बातें करते हैं और दूसरी तरफ़ मोती बाग़ जैसा सफ़ेद हाथी इस सूबे के दरवाज़े पर बांधा जा रहा है। मैं अपने मन्त्रिमंडल से यह अर्ज़ करूंगा कि वह हाऊस को कन्फ़ीडैंस में लेकर यहां खड़े होकर यह बताएं कि कौन से असबाब हैं, कौनसा प्रैशर है, कौनसी ज़रूरियात हैं जिन की वजह से यह मोती बाग़ खरीद किया जा रहा है। (अपोज़ीशन की तरफ़ से तालियां)। अगर यह नहीं बताना चाहते तो यह हाऊस के साथ बदएतमादी और सैंनश्युर की बात की जा रही है।

दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं उसका मैं ने पहले भी ज़िक्र किया है। जब कोर्ट फीस को ज़्यादा करने का सवाल आया तो मैं ने कहा था कि यह न खरीदा जाए और इस तरह बचत करके कोर्ट फ़ीस को न बढ़ाया जाए। मगर मालूम ऐसा होता है कि कोई ऐसा चक्र है जो मंत्रिमंडल को चक्र में डाला जा रहा है जिसकी वजह से यह लाचार और बेबस है और उसको यह हाऊस के नोटिस में लाना नहीं चाहते।

फिर जनाब हम ऐगरेरियन रिफार्म्ज़ करना चाहते हैं। हम पार्टी में भी रोते हैं, आपोज़ीशन वाले साहिबान भी रोज इन बातों को कहते हैं कि यह बड़े २ ज़मींदार और जागीरदार ज़मीन बेचे जा रहे हैं। जो लोग बेज़मीन हैं और जिन का गुज़ारा नहीं होता उनको ज़मीन नहीं मिल रही। इन तमाम बातों के सामने होते हुए भी आज गवर्नमेंट एक ऐसे शख्स से ज़मीन खरीद रही है जिस के पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है। होना तो यह चाहिए था कि उस से 30 एकड़ से जो ज़्यादा ज़मीन है वह लेकर ग़रीबों में फ्री बांट दी जाती मगर खाह्मखाह हमारे सिर पर एक आफ़त बरपा की जा रही है और ग़रीब लैंडलैस लोगों और हरिजनों का गला काटा जा रहा है। लोगों का गुज़ारा नहीं होता और दूसरी तरफ़ एक ऐसे आदमी से ज़मीन खरीदी जा रही है जिसके पास 30 एकड़ से कई हज़ार गुना ज़्यादा जमीन है। उस को यह मौका दिया जा रहा है कि वह ज़मीन बेच कर पैसे बना ले। मैं मन्त्री साहिब की खिदमत में.....मन्त्री तो ज़बान पर नहीं चढ़ता वज़ीर साहिब ही कहूंगा .... (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदय : कौन सी डिमांड discuss कर रहे हैं आप ? (Which Demand the hon. Member is discussing?)

खान अब्दुल गफ्फार खां : डिमांड 14 है जनाब आला। (हंसी)।

मैं अर्ज़ कर रहा था कि वज़ीर साहिब मेहरबानी करके बताएं कि यह मोती महल क्यों खरीदा जा रहा है। कहते हैं कि म्यूज़ियम बनाने के लिए है। और कहां किया जा रहा है ? पटियाले में। वहां इस लिए कि जायदादों की कीमतें गिर रही हैं। वहां जायदाद के मालिक खुद कम कीमत पर पैप्सू गवर्नमेंट को देने के लिए तैयार थे। जहां यह 14 या 15 लाख में मिल रहा था वहां अब हमारी फयाज़ गवर्नमेंट, हमारा फयाज़ मंत्रिमंडल 35 या 30 लाख देने के लिए तैयार हो गया है।

इस के बाद मैं जनाब ला ऐंड आर्डर का ज़िक्र करूंगा। कहा गया कि इसकी हालत बहुत खराब है, बहुत बुरी है। मैं मानता हूं मगर इस के साथ ही मैं अदब के साथ अपने अपोज़ीशन के साथियों से यह भी कहूंगा कि आप हैं जो ला ऐंड आर्डर को तोड़ने के लिए दावत देते हैं। जो कुछ इस हाऊस में गवर्नर की मौजूदगी में हुआ वह दावत है कि ला ऐंड आर्डर की परवाह न की जाए। इस के साथ २ मैं गवर्नमेंट से भी यह कहना चाहता हूं कि ला ऐंड आर्डर और डिसिपलन कायम रखने के लिए यह कुछ नहीं कर रही। जनाब आला निहायत शर्म और निहायत अफसोस की बात है और मैं निहायत अदब के साथ अर्ज़ करूंगा कि हिन्दुस्तान का एक महान् नेता चल बसा। हिन्दुस्तान के हर तब्का, हर जमात, हर गिरोह ने अफ़सोस और शोक प्रकट किया। मगर उस मौका पर जब कि सारा मुल्क मोर्निंग में था 27 तारीख को अम्बाला में फिल्म स्टार्ज़ बुलाए जाते हैं। (अपोज़ीशन की तरफ़ से शेम, शेम)। वहां पर लोगों ने देखा कि अफ़सरों के ज़रिए टिकट बेचे जा रहे हैं। (अपोज़ीशन की तरफ़ से शेम, शेम) यह क्या शेम, शेम कहते हो। कभी मौका आया तो आप की तरफ़ भी आ जाऊंगा। (सरकारी बैंचों की तरफ़ से तालियां) मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि (विघ्न) सरकारी अफ़सरों के ज़रिए टिकट बेचे जा रहे हैं, इन्तज़ाम किया जा रहा है। तमाम हाऊस इस के खिलाफ़ था, अपोज़ीशन भी हमारे साथ थी मगर यह कहा गया कि चूंकि यह इन्तज़ाम पहले से किया गया था और चेरिटी के सिलसिले में किया गया था इस लिए रोका नही जा सकता। जनाब मैं अर्ज़ करूं कि जिन लोगों ने यह प्रोग्राम स्पौनसर किए थे क्या उन का ख्याल था कि मौलाना रहमत अल्ला ताला अब्बुलकलाम आज़ाद एक महीना पहले नोटिस देते मुख्य मन्त्री को, गवर्नर को या डी. सी. को कि जनाब मैं फ़लां तारीख को मर रहा हूं आपने जितने फन्क्शन करने हैं वह अभी न करें। ज़रा सोचिए आप कैसी बातें करते हैं। यह चीज़ लोगों के सामने आती है। वह क्या कहते होंगे। तमाम हाऊस को शिकायत थी मगर नतीजा सिर्फ़ यह हुआ कि अभी तार दे दिया गया है कि अफ़सरान फंक्शन में शामिल न हों।

जनाब हिन्दुस्तान में अफ़गानिस्तान के बादशाह के आने से कई माह पहले इस बात को तय कर लिया गया था कि बम्बई में उनके आगाज में कितने प्रोग्राम दिए जाएंगे और कहां कहां पर किस किस दिन को यह किए जाएंगे। और इन के लिए तैयारियां भी मुकम्मल कर

[खान ग्रब्दुल गफ़्फ़ार खां]

ली गई थीं। लेकिन जनाब मौलाना ग्राज़ाद की वफ़ात की वजह से वह तमाम के तमाम प्रोग्राम कैंसल कर दिए गए। लेकिन पंजाब ने इस वफ़ात पर मातम न किया ग्रौर इस तरह का प्रोग्रोम जो चन्दा इकट्ठा करने के लिए फिल्म स्टारों को मंगवा कर किए जाने थे वे कैंनसल न किए। इसकी क्या वजह है। इसकी तह में क्या ग्रसबाब हैं। ग्रौर मैं ही नहीं बल्कि सारा हाऊस इस बात का मुतालबा करता है ग्रपनी सरकार से कि मंत्रिमंडल हमें बताए कि वह कौनसा प्रैशर था कि जिसकी वजह से यह प्रोग्राम मनसूख न किए गए। जनाब स्पीकर साहिब इस के पीछे वह बातें पिन्हां हैं कि जिन को मैं हाऊस में ब्यान नहीं करना चाहता। मैं सब जानता हूं कि किस तरह इन फिल्मस स्टारों के लिए इन्तज़ाम किए गए कि इनको कौन कौन सी चीज़ें मुहैया की जाएं। मैं यह भी जानता हूं कि हर तरह से इन के लिये खास इन्तज़ाम किए गए। मैं इन बातों को यहां ब्यान नहीं करना चाहता। इन से हाऊस को शर्मिंदगी होगी ग्रौर हमको भी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी ग्रौर फिर जब ऐसी बातें लोगों के पास जाएंगी ग्रौर लोगों को पता लगेगा तो वे क्या कहेंगे कि हमारी सरकार किस तरह के काम करती है। यह बात तो थी ला ऐंड ग्रार्डर के बारे में।

ग्रब मैं चन्द बातें ग्रपनी कानस्टीच्युएंसी के बारे में ग्रर्ज़ करना चाहता हूं। मेरे ज़िला की बदकिसमती यह है कि इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। हमारी हालत चमगादड़ की सी बना दी गई है। न हम परिन्दों में हैं ग्रौर न चरिन्दों में। ग्रगर हम कोई बात पंजाबी रीजन वालों से करते हैं तो यह कह दिया जाता है कि यह ज़िला तो हिन्दी रीजन में है हम इसकी मदद कैसे कर सकते हैं। ग्रौर ग्रगर हिन्दी रीजन वालों के पास जाते हैं तो यह कह दिया जाता है कि ग्राप तो पंजाबी रीजन में हैं ग्रौर ग्राप का इलाका रोपड़ सब-डिवीज़न में है ग्रौर पंजाबी इलाके में है।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ।

खान ग्रब्दुल गफ्फार खां : यह कहते हैं कि हम मालिक हैं क्यों इस लिए कि जब इन्होंने किसी चीज़ पर दस्तखत करवाने होते हैं तो कह देते हैं कि खान साहिब दस्तखत कर दो ग्राप तो ग्रम्बाला ज़िला के मालिक हैं लेकिन दरग्रसल इस ज़िला की हालत क्या है ग्राप सब से छिपी नहीं। यह तो ग्रपने मतलब से हमें ग्रम्बाला ज़िला का मालिक बनाते हैं ग्रौर इनकी तो वैसी बात है कि ग्राप डिप्टी स्पीकर साहिब देख सकते हैं कि इन में ग्रम्बाला ज़िला के लिए कौनसी चीज़ ग्राई है जहां के दूसरे ज़िलों के लिए बिजली पानी ग्रौर नहरें दी जा रही हैं वहां हमारे ज़िला में कुछ भी नहीं है। नहरों के सिलसिला में ग्रौर स्कूलों के सिलसिला में हमारे ज़िला में कुछ नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : ग्राप इन बातों को किस तरह इस जगह जोड़ते हैं। (How does the hon. Member justify its relevancy here ?)

खान ग्रब्दुल गफ्फार खां : हमारे ज़िले में इन सब में से एक चीज़ भी नहीं ग्राई। (एक ग्रावाज़ : ग्राप को Capital दिया है।

खान अब्दुल गफ्फार खां : यह बात कही गई है कि अम्बाला को कैपीटल दिया गया है। अगर ऐसा है तो अब बताएं कि Capital कैसे दिया है ? और किस को दिया है? अम्बाला ज़िला को दिया गया है या हिन्दी पंजाबी region को दिया है।

Mr. Deputy Speaker : This it not relevant.

Khan Abdul Ghaffar Khan : With due respect to the Chair, I submit that what I mean to say is that in this demand there is not a single item which is for Ambala. This is what I say. Ambala is being ignored absolutely. ज़रा सड़कों की तरफ़ मुलाहज़ा फरमाया जाए। हमारी constituency में बुरा हाल है, सड़कें आमदोरफ्त के लिए बनाई जाती हैं। अम्बाला में सड़कें बनाने के लिए यह हालत है कि न सरकार परवाह करती है और न डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ज़िम्मेवारी लेता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इन बातों को बजट पर general discussion करते वक्त ले आना। (The hon. Member may discuss these things during the course of general discussion on the Budget. These are not relevant here.)

खान अब्दुल गफ्फार खां : तो मैं अर्ज़ कर रहा था इसमें item है कि agriculture के लिए नहरों के लिए और बिजली के लिए स्कीमें बनाई गई हैं लेकिन अम्बाला का कोई ख्याल नहीं रखा गया। स्कीम बनाई गई थी कि नरवाना ब्रांच में लिफट लगा कर अम्बाला छावनी के इलाका को पानी दिया जाएगा लेकिन आज हालत यह है कि इस इलाका में पीने का पानी तक मुयस्सर नहीं है। इस स्कीम का पता नही क्या हश्र हुआ। हम इसके बारे में Chief Engineer साहिब से मिले और कहा कि इस स्कीम के लिए कोई बन्दोबस्त कर दो तो वह कहने लगा कि खान साहिब आपका ज़िला चार पांच फुट ऊंचा है और आप दुआ कीजिए कि यह चार पांच फुट नीचे धन्स जाए। तो इस पर मैं ने कहा कि हम तो धन्स ही जाएंगे लेकिन तुमको लेकर। तो यह हालत है हमारे ज़िला की तरक्की की। जहां के खाने को नहीं और पीने को पानी तक दस्तयाब नहीं हो सकता। माना कि आप लिफट के ज़रिए पानी नहीं दे सकते और इस लिए नहर नहीं आ सकती, बिजली तो आ सकती है। यहां तो यह हालत है कि बिजली भी नहीं है, सड़कें भी नहीं हैं और पानी भी नहीं है। आखिर तो यह वही हालत है कि जैसे ताज़िया के दिनों में यज़ीद गाज़ी की याद को रोया जाता है कि उसने हज़रत को पानी नहीं दिया था ठीक इसी तरह यहां पर पानी नहीं मिल रहा है। मैं इन तमाम बातों के लिए आप से अर्ज़ करूंगा कि इनकी तरफ़ गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए। यह लुधियाना के backward होने की बात करते हैं लेकिन अम्बाला किस तरह backward नहीं है ? और अगर आप इस बात का ख्याल न रखेंगे तो अम्बाला अपना weightage कायम करने की खुद कोशिश करेगा।

श्री जगत नारायण चोपड़ा (जालंधर शहर, दक्षिण-पश्चिम) : आज हाऊस के सामने जो Appropriation Bill पेश किया गया है उसे अगर misappropriation बिल कहा जाए तो कोई मुबालग़ा नहीं होगा। मुझ से पहले खान साहिब भी इन के मुतल्लिक

[श्री जगत नारायण चोपड़ा]
सरकार से पूछ रहे थे। मैं भी item No. 14 के सम्बन्ध में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं। इस item की explanation देते हुए यह लिखा है कि :—

"It has been decided to purchase the Moti Bagh Palace Estate, Patiala, from His Highness Shri Yadvindra Singh, Maharaja of Patiala, for a sum of Rs 30 lakhs. The area of the estate is 1,625 bighas and 3 biswas or 338.85 acres. However, against the said price of this Estate certain adjustments of cost have to be made in respect of some amounts which are due from His Highness the Maharaja of Patiala to Punjab Government in connection with certain outstandings and in respect of certain plots of land and certain structures standing thereon...."

तो इस से यह मालूम होता है कि महाराजा पटियाला से पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ रुपया लेना था, किस सम्बन्ध में यह हमें मालूम नहीं और न ही हमें बताया गया है। महाराजा साहिब के पास लाखों करोड़ों की जायदाद है। गवर्नमेंट वह रकमें इन से वसूल न कर सकी और इन्होंने यह तरकीब निकाल ली कि इन का महल खरीद कर उस रकम को adjust कर दिया जाए। तो मैं यह पूछता हूं कि क्या यह misappropriation नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं तो महाराजा पटियाला के पास लाखों करोड़ों की ज़मीन है वह खुद पंजाब सरकार को अच्छे काम के लिए खुशी से दे सकते थे। मगर आज जिस जायदाद की value 25 लाख से ज़्यादा नहीं पड़ती यहां पर उसी जायदाद को सरकार तीस लाख में खरीद रही है और वह भी इस लिए कि महाराजा साहिब से सरकार ने पन्द्रह सोलह लाख रुपया लेना था वह अदा न हो सका इस लिए यह misappropriation का सौदा किया गया है। यह पंजाब गवर्नमेंट पर एक धब्बा है।

हालांकि आज यह कहा जाता है कि हम ने यहां पर एक museum भी बनाना है। जिन लोगों ने यहां पर पलाट खरीदे हैं वह यह भी जानते हैं कि जहां यहां पर तालीम का इंतज़ाम होगा वहां यह भी जरूरी है कि एक चिड़िया घर भी बना दिया जाये। वह कहते हैं कि हम ने एक आदर्श राजधानी बनाई है मगर अब अगर कोई museum न बना तो कोई शान नहीं रहेगी। (एक आवाज़ : चिड़ियाघर सामने जो बैठा है)।

Mr. Deputy Speaker: Order, order. No such aspertions please.

श्री जगत नारायण चोपड़ा : इस के इलावा स्पीकर साहिब मैं और अर्ज़ कर दूं कि सरकारी रुपये का जिस तरह हमारे misuse होता है और कहीं नहीं होता। स्पीकर साहिब आपने अखबारात में पढ़ा होगा और Central Government ने भी यही फैसला किया है कि जहां तक हो सके अपने मुल्क की बनी हुई चीज़ों को ही खरीदना चाहिये। अगर कोई Car भी लेनी हो तो वह हिन्दुस्तान की ही बनी हुई हो। मगर पता नहीं हमारी Government के दिमाग को क्या हो गया है कि यह जो आज extra grant मांगी जा रही है इस में एक Studebaker Car 27,700 की खरीदी गई दिखाई गई है। पता नहीं कि यह Governor साहिब के लिए है या किसी वज़ीर के लिये है मगर यह कम दामों में भी तो ली जा सकती थी। इस ढंग से यह रुपया ज़ाया किया जा रहा है।

सरदार भूपिंदर सिंह मान : लाला जी आपके ज़माने में कितने तक की ली जाती थी ?

श्री जगत नारायण चोपड़ा : यहां, 16 हज़ार से ज्यादा की नहीं होती थी। मैं कहता हूं कि आप कारें खरीदिये मगर इस ढंग से रुपया ज़ाया ना करें। एक तरफ़ तो आप लोगों पर घाटा पड़ने की सूरत में Tax लगा रहे हैं और दूसरी तरफ़ आप 27,000 तक की कारें खरीद रहे हैं। यह चीज़ कहां तक मुनासिब है।

कल श्री सूरज मल जी बड़ी शान से कह रहे थे, पुलिस के काम के मुतल्लिक। मैं कहता हूं कि सत्याग्रह भी हम ने किये हैं और पुलिस का तशदद भी हम पर हुआ है, हमें मालूम है कि पुलिस क्या कुछ करती है। 25 जुलाई को मैं ने सत्याग्रह किया और 500 सत्याग्रही मेरे साथ थे। जब हम ने मुज़हिरा किया तो 1, 2 फलांग तक जो spectators खड़े थे उन पर भी जा कर लाठी चार्ज किया गया, यह कहां का इन्साफ़ है? यह खबर रोज़ाना Tribune और दूसरे अखबारात में आई। इस खबर की तरदीद आज तक Government की तरफ़ से नहीं हुई। इस किस्म का शानदार काम पुलिस की तरफ़ से होता है जिस की इतनी तारीफ़ की जाती है कि वह 1, 1 फलांग के फासला पर भी जा कर spectators पर भी लाठी चार्ज करते हैं। इस किस्म के अत्याचार की मिसाल आज तक हम ने कहीं नहीं देखी। हमारे Finance Minister साहिब ने कहा है कि पुलिस ने किया हो कुछ नहीं मैं कहता हूं कि इस से ज्यादा सख्ती पुलिस और क्या कर सकती थी। मैं कहता हूं कि फीरोज़पुर जेल के जो वाक्यात हैं। Judges ने भी enquiry की है। जो कुछ वहां पर हुआ है, दुनिया के तखते पर कहीं नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप तो हिन्दी आंदोलन की बातें कर रहे हैं। इन का Supplementary Demands से क्या ताल्लुक है। The hon'ble Member is talking about Hindi agitation. This has no connection with the Supplementary Demand.

श्री जगत नरायण चोपड़ा : जनाब मैं पुलिस पर बोल रहा हूं कि यह लोगों पर किस तरह के अत्याचार कर रही है। वह अकबरपुर का वाक्या हुआ। वहां जो कुछ हुआ है और जिस तरह लोगों को रोकने की कोशिश की गई है। मैं कहता हूं कि आप 2 Judges मुकर्रर करें और वहां के सारे वाक्यात की enquiry करवायें तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जो इस का result निकलेगा वह सिवाये पुलिस की सख्ती के और कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूं कि हाउस की तसल्ली कराने की गर्ज़ से बहुत सी बातें की जाती हैं मगर अमली शक्ल में कोई काम नही किया जाता। आज हम इतना deficient बजट तैयार कर रहे हैं मैं कहता हूं कि अगर हम 60,00,000 पुलिस पर और ज्यादा खर्च न करें और 30,00,000 मोती महल पर खर्च न करें तो हमारा यह जो खतरा घाटे के बजट का है तो यह दूर हो जाता है। और इस तरह हम एक करोड़ रुपये के घाटे को पूरा कर सकते हैं। जहां आम लोगों पर और Tax लगा कर इस घाटे को पूरा करना चाहते हैं वह आप इन दो items से ही पूरे एक करोड़ रुपये की बचत कर सकते हैं।

चौधरी साधू राम : On a point of order, Sir, क्या यह सब बातें Supplementary Demands में आ सकती हैं?

Mr. Speaker : Order, order please.

श्री जगत नारायण चोपड़ा : इस से आगे smuggling को रोकने के लिए staff पर खर्च किया जा रहा है। Smuggling के सिलसिले में House में बहुत कुछ कहा गया है। Governor साहिब के address में भी कहा गया था कि इस साल 961 केसिज़ पकड़े गये जब already इन के पास staff है और वह cases पकड़ रहे हैं फिर समझ नहीं आती कि और staff करना क्या है। मैं कहता हूं कि यह staff की ज़रूरत ही क्या है इस की मैं एक मिसाल देना चाहता हूं कि सोहन सिंह नामी Games Department में एक मुलाज़िम है उस से 25 November, 1956, को 480 तोले Gold पकड़ा गया District Amritsar की सरहद खेमकरन के मुकाम पर। लेकिन आज तक वह आदमी सरकारी मुलाज़िम है। मैं कहता हूं कि सरकारी मुलाज़िम से इस किस्म का smuggling का केस हो और वह फिर भी सरकारी नौकरी में रहे क्या इसीलिए और staff रखा जा रहा है। (*Shame, shame*) एक सरकारी मुलाज़िम पकड़ा जाये और उस की सुने भी कोई ना। (आवाज़ें ग़लत बिल्कुल ग़लत।) मैं कहता हूं कि वह खेम करन की सरहद पर पकड़ा गया है और अब तक सरकारी मुलाज़िम है। (आवाज़ें ग़लत है, ग़लत है) अगर उस की enquiry की होती तो आज तक वह dismiss हो गया होता। मुझे जहां तक इल्म है वह आज भी सरकारी मुलाज़िम है मैं challenge करता हूं। (आवाज़ें: यह हिन्द समाचार की खबर होगी।)

Mr. Deputy Speaker : Order, order. No interruption please.

चौधरी बलबीर सिंह : यह जो लाला जी की तरफ़ से smuggling के मुताल्लिक चैलंज किया गया है यह इन का ही नहीं बल्कि सब आदमियों की तरफ़ से है।

श्री जगत नारायण चोपड़ा : स्पीकर साहिब यह कहते हैं कि यह हिन्द समाचार की खबर होगी। हिन्द समाचार में भी छप जायेगी। मैं कहता हूं कि हिन्द समाचार में जितने scandals छपते हैं उनका आज तक जवाब नहीं दिया गया। हिन्द समाचार में 200 scandals छपे हैं लेकिन इन की आज तक एक scandal की भी Government की तरफ़ से तरदीद नहीं हुई। House में जो सवाल पूछे जाते हैं इन का कभी कुछ जवाब देते हैं कभी कुछ देते हैं। मैं कहता हूं 3 agitations चलीं, गिरफ्तारियां हुई मगर कहते हैं कि हम छुप जाते हैं। इन को पता ही नहीं लगा कि हम कैद भी हुए। (तालियां) कांग्रेस सरकार British सरकार का मुकाबला करती है। महात्मा गांधी जी के असूलों पर भी चलती है। मगर मैं यह कह सकता हूं कि कांग्रेस Party के लिये रुपया खर्च किया जा रहा है। यह सिर्फ इस लिये किया जा रहा है कि जिस को चाहें पकड़ें और जिस को जी चाहे छोड़ दें। अगर स्पीकर साहिब आप कहें मैं 50, 60 cases के मुताल्लिक इतलाह दे सकता हूं जिन को एक साल तक पकड़े रखा गया और एक साल बाद बग़ैर मुकदमा चलाये रिहा कर दिया गया।

अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं उनके नाम ले दूंगा और हाउस को बता दूंगा.........
(*Cheers from the Opposition Benches.*)

मैं यह बतला देना चाहता हूँ कि यह स्टाफ इसलिए रखा जा रहा है कि अगर अपने आदमी पकड़े जाएँगे तो उनको रिहा कर दिया जाएगा। मेरे पास एक केस है एक माई जट्टो का। वह लिखती है कि मेरी एक बेवा लड़की है। शाम को चार पांच सिख सिपाही आए, एक सब-इंस्पैक्टर आया और उसको पकड़ कर ले गए। उसने लिखा है कि मैं ने तमाम दरखास्तें दी हैं लेकिन अभी तक कोई बात नहीं सुनी गई। (*Voices of shame, shame, from the Opposition Benches.*)

तो यह 60 लाख रुपया इस बात के लिये मांग रहे हैं कि बेवाओं को पकड़ कर ले जा सकें। बस यही तीन-चार बातें कह कर मैं इसकी मुखालिफ़त करता हूँ।

सरदार उमराओ सिंह (नकोदर जनरल) : मिस्टर डिप्टी स्पीकर, आज जो Appropriation Bill पेश है और उसमें रखे गये नये खर्च के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। पिछले दिनों हमारे सूबे में जो कुछ हुआ और जो हालात पैदा हुए जिसके कारण पुलिस पर यह खर्चा रखा है उसके मुताल्लिक बहुत सी बातें खुले तौर पर कही गई हैं।

जिन लोगों ने पिछले दिनों चल रही agitation को देखा है वह इस बात के गवाह हैं, शाहद हैं कि यह सत्याग्रह एक ग़लत किस्म का सत्याग्रह था। जहां पर सत्याग्रह हो रहा था उसके बारे में यह कहा जाता है कि पुलिस उन पर जुल्म कर रही थी लेकिन मैं ने वहाँ जा कर देखा और मैं ने ही नहीं बहुत से मैम्बरों ने भी हालात को देखा है कि सत्याग्रह क्या हो रहा था एक हुल्लड़बाजी हो रही थी और सच बात तो यह थी कि पुलिस सत्याग्रह कर रही थी। वे पुलिस वाले वहाँ पर हाथ बांधे खड़े थे और कह रहे थे कि आप हम पर पत्थर न बरसाएं लेकिन वह न माने और गवर्नमैंट की बिल्डिंग को उन्होंने तोड़ा फोड़ा सैक्रेटेरियट के अन्दर जा कर हुल्लड़बाजी की और खिड़कियों के शीशे तोड़ फोड़ डाले। जब पुलिस के सिपाहियों ने उनको पकड़ कर अपनी van में डालने की कोशिश की तो वह उसमें न चढ़ कर सड़क पर ऐसे लेटने लगे जैसे उनका वहीं घर हो। वह पुलिस की van में नहीं चढ़ते थे और जब पुलिस उन्हें छोड़ देती थी तो वह पुलिस की ड्यूटी में खलल डालते थे। उन्होंने वह हुल्लड़बाजी मचा रखी थी जिसका कोई ठिकाना नहीं था। डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं **ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ......**

चौधरी बलबीर सिंह : अब काँटा बदल दिया, हिन्दी बोलो।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ agitation ਕਦੋਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗੇ ਵਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨੇ-ਬਦ-ਤਮੀਜ਼ੀ ਉਠਿਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਰਮ ਪਾਲੀਸੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਤਾਮੀਰੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ destructive ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹੀਆਂ ਨਾਲ strict ਬਰਤਾਓ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ agitation ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀ ਸੀ।

[ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ]

ਜਦ ਹਾਊਸ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟਾਂ ਵਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਦ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਲੋਕ Rajindra Hospital ਵਿਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ agitation ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ visitors ਪਰ ਪੱਥਰ ਬਰਸਾਏ ਅਤੇ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਏ 'ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ' । ਉਨ੍ਹਾਂ visitors ਵਿਚੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਕਰਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ hospital ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹੇ । (*Voices of shame, shame from the Treasury Benches and Interruptions from the Opposition Benches.*)

श्री बलराम दास टंडन : यह कौन सी agitation का ज़िकर कर रहे हैं ।

Mr. Deputy Speaker : How do you connect this with the Hindi Agitation.

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਜੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ ।

ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਥੇ mob ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪਾੜ ਸੁਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਪਥਰ ਵੀ ਸੁਟੇ, ਜੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨ ਨਾ ਬਚਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ।

ਇਕ ਦੂਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰਜ਼ ਨੇ, ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ politics ਵਿਚ ਘਸੀਟਿਆ ਅਤੇ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਔਰ ਕਾਲੇਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਠੇ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਇਆ । ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸ ਗਲਤ ਤਹਿਰੀਕ ਲਈ ਜਲੂਸ ਨਿਕਾਲੇ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਰਵਈਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਸੀ । ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲ ਚਲ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਮਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ agitation ਹੋਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਚਲਾਏ ਗਏ ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਜੇਹਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਧਰਮਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ !

चौधरी बलबीर सिंह : यस तो कांग्रेस का राज है ।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਮੈ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ agitation ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿਖ ਯੂਨੀਟੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ spoil ਨਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਸ agitation ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ।

ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੈੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਤਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਲ ਝਾਤੀ

ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ । ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿਖ ਦਾ ਤਫਰਕਾ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਤਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਇਕ ਤੇ ਹੈ । ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਬੈਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਸ਼ਨ (exaggeration) ਨਹੀਂ । ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਡੇ ਔਹਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਔਰ ਉਹ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈ. ਜੀ. ਔਰ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਲਗੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਪੁਲੀਸ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਸਰਵਸਾਂ ਲੈਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਲਾਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਹਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਲਿੰਪਿਕ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਪੰਜ ਖਿਲਾੜੀ ਸਨ । (ਸ਼ੋਰ)

Mr. Deputy Speaker : Order, please.

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਉਲਿੰਪਿਕ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੰਜ ਖਿਲਾੜੀ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰਜੈਂਟ ਐਟ ਆਰਮਜ਼ ਸਨ । ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਬੜੀ ਫਖ਼ਰ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ ।

Mr. Deputy Speaker : Please try to be relevant.

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਡੀਮਾਂਡ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਐਥਲੀਟ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਫਖ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

Shri Balram Das Tandon. On a point of order, Sir. The order given by the Chair is not being obeyed and time and again it has been given.

Mr. Deputy Speaker. The hon. Member should try to be relevant.

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ : ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਔਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਵੀ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ ।

वित्त मंत्री : मैं यहां पर यह बात कहने का फर्ज़ समझता हूं और House की तवज्जुह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि Opposition के मेम्बर साहिबान का जो वतीरा है, Chair के साथ, वह निहायत नामुनासिब है।

पंडित राम किशन भड़ोलियां : जनाब मैं इस बात का एतराज़ करता हूं कि वज़ीर साहिब हमें बीच में क्यों घसीट रहे हैं ? हमारी Communist Party की तरफ से Chair की शान के खिलाफ कोई बात नहीं की गई।

वित्त मंत्री : मैं recognised opposition party का ज़िक्र कर रहा हूं। उस में आप नहीं आते।

मैं आप का ज्यादा time इस बात पर नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मैं ने कुछ और ज़रूरी बातें भी कहनी हैं। मैं मेम्बरान साहिबान की तवज्जुह इस तरफ ज़रूर दिलाना चाहूंगा कि जब स्पीकर साहिब, डिप्टी स्पीकर साहिब, Chair में हों और कोई ruling दें तो उस को defy करना एक निहायत नामुनासिब बात है। हमारी recognised Opposition के members ने जो कदम अभी अभी उठाया है वह Parliamentary convention के खिलाफ है। इस लिए House का यह फर्ज़ है कि उन को इस बात को realise करवाए कि उन्हें democracy की conventions, rules or etiquette के मुताबिक चलना चाहिए। इसके इलावा भी जो उन्होंने यहां पर दूसरी बातें कहीं, वह भी इतनी seriousness की नहीं थीं, जिन का मैं लम्बा चौड़ा जवाब दूं। आज उन की तरफ से कोई नई बात नहीं कही गई, जो कुछ कल कहा गया था, उस को ही आज फिर repeat किया गया है। Police और smuggling के मुताल्लिक जो बातें कल कही गई थीं, वही आज कही गई हैं।

जैसा कि मैं ने कल भी अर्ज़ किया था कि यह बातें तो यह करते ही रहेंगे और यह जारी रहेंगी। एक दो नई बातें ज़रूर यहां उठाई गई हैं और उनका जवाब देना मैं ज़रूरी समझता हूं। Opposition के भाइयों के इलावा अपनी तरफ के भी कुछ भाइयों ने इन का चर्चा किया है और जवाब मांगा है। एक बात जिस का खास चर्चा हुआ है, वह मोती बाग पैलेस के बारे में है और उसकी खरीद के लिए justification मांगी गई है। तो उसकी justification के लिए मैं यहां कुछ बातें आपके सामने रखता हूं। लेकिन इस से पहले मैं एक बात यह अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि पुलिस पर किए गए 60 लाख रुपए के बारे में भी काफी कुछ कहा गया है। श्री चन्द्र भान जी के मुताल्लिक तो मैं कुछ नहीं कहता क्योंकि उन्होंने खुद माना है कि वह illiterate हैं, लिखे पढ़े नहीं, इस लिए मैं समझता हूं कि शायद उन्होंने इन Supplementary Demands को पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन opposition के एक भाई जो काफी सयाने हैं और जिन्होंने आज की बहस का आगाज़ किया था उन्होंने भी बार बार उसी एक बात को दोहराया जिस से ज़ाहिर होता है कि उन्होंने इन Supplementary Demands को seriously पढ़ा नहीं है और अगर पढ़ा है तो अच्छी तरह विचार करके समझा नहीं है। जो उन्होंने वाकियात ब्यान

किये हैं, वह गलत हैं और सदाकत पर मबनी नहीं। बार बार उन्होंने इस बात को दोहराया कि 60 लाख रुपए की जो रकम इस पुलिस की मद में रखी गई है, वह सिर्फ हिन्दी agitation का मुकाबला करने के लिए रखी है। यह बिल्कुल गलत बात है पुलिस की demand No. 4 जो है, वह सफा 5 से लेकर 8 तक है और इस में मुख्तलिफ items हैं जो काफी तादाद में हैं। अगर वह उन items को गौर से पढ़ने की तकलीफ गवारा करते तो उनको पता लगता कि हिन्दी agitation के सिलसिले में जो मांग की गई है, वह दरहकीकत 9 लाख रुपए के करीब है। वह ज़रा ध्यान से इन items को पढ़ते तो मालूम होता कि बहुत सी रकम इस काम के लिए provide की गई है जो Government of India से ताल्लुक रखता है। इन चीज़ों का हवाला इसके आखरी सफा 8 पर दिया गया है :

Deduct charges recoverable from Central Government etc.
Rs. 44,52,690

इस के लिए अगर वह ज़रा ध्यान से पढ़ते तो items भी इस खर्च के दिए हैं जो कि यह हैं :

(1) Raising of Armed Police Battalion at the cost of Government of India.

(2) Increase in the rates of compensatory Allowance for the staff posted in Lahaul and Spiti.

(3) Revision of scales of pay.

वगैरह वगैरह कई items हैं। फिर और provisions भी किए गए हैं जिनकी वजह से खर्च बढ़ा है जैसा कि :

(1) Revision of rates of Clothing and Equipment Allowance.

(2) Provision on account of the new P.A.P. Battalion and the special emergency force.

(3) Increased provision required for the purchase of vehicles.

(4) Provision on account of payment of scholarships to the sons of the police officers.

(5) Adjustment of pending bills under 'Ordinance Stores.'

(6) Liabilities on account of rent of buildings which arose after the submission of the original estimates.

वगैरह वगैरह कई items हैं जो बताए जा सकते हैं और जिनको मेरे भाइयों ने गौर से पढ़ा नहीं है और यही रट लगानी शुरू कर दी कि सारे का सारा खर्च उसी एक काम के लिए खर्च कर दिया। तो मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि बार बार उन्होंने यही बात कही कि 60 लाख रुपए की जो रकम रखी गई है वह सिर्फ हिन्दी agitation को crush करने के लिए रखी गई है। यह बिल्कुल गलत बात है। खैर कहना तो बहुत से Opposition के भाइयों ने कहा था जोकि वह कहने के आदी बन गए हैं और बार बार वही कहानी दोहराते हैं कि मैं ने हिन्दी agitation में हिस्सा लिया, मुझे पुलिस ने पकड़ा और अन्दर कर दिया और

[वित्त मंत्री]

दो-तीन महीने अन्दर रहे और फिर मुकदमा बन गया और यह हुआ, और मेरे साथ वह हुआ। गर्ज़ कि वह हर दफा वहां बातें कहानी की सूरत में इस मद को सामने रख कर दोहराने की ज़रूरत महसूस करते हैं, हालांकि उनकी इन ज़ाती बातों का इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर एक मैम्बर साहिब का इस हाउस में अपनी ज़ाती बातों को बार बार दोहराना कि उनके साथ यह हुआ और वह हुआ, कोई मुनासिब बात नहीं है और नही यह बात अच्छी लगती है। दरहकीकत जैसा कि मैं ने पहले भी कल अर्ज़ किया था कि इस convention का होना मुनासिब होगा कि वह अपने ज़ाती वाकियात और ऐसी बातें, जो उन के person से ताल्लुक रखती हों, उनका ज़िक्र बार बार इस हाउस में न करें। अपनी ज़ाती बातें हाउस में करना मैं समझता हूं कि मुनासिब बात नहीं होगी और न ही यह बात जंचती है कि यहां पर personal बातें की जाएं। अगर यह convention कायम कर दी जाए तो मुनासिब बात होगी।

फिर इस के इलावा लाला जी ने भी इस agitation के सिलसिले में कुछ बातें कहीं कि हम कांग्रेस के वक्त भी, जब विदेशी हकूमत से टक्कर थी और जब agitations चलती थीं, तो उस वक्त भी यही tactics बरतते थे। मैं समझता हूं कि बहुत तफसील के साथ इस का जवाब देना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन मुझे समझ नहीं लगी कि इस agitation में और उस agitation में मुकाबला करना पता नहीं उन्होंने किस तरह हक-बजानब समझा। तब तो बात ठीक थी क्योंकि विदेशी सरकार के साथ टक्कर थी और उस के खिलाफ आज़ादी की जंग जारी थी तो उस वक्त कुछ tactics थे जो बरते जाते थे, लेकिन आज जब कि देश आज़ाद है और यहां जनता की अपनी चुनी हुई सरकार है तो उस में इन tactics का बरता जाना कैसे हक-बजानब समझा जा सकता है? कौन कहेगा कि ऐसी agitation हक-बजानब होगी जब कि अभी अभी elections हुए हैं और तीन माह बाद एक agitation जारी कर दी जाए और इस ढंग से खड़ी कर दी जाए कि जिस से अपने प्रांत में जो अमन हो, वह भंग हो और जिस से पंजाब में आग लगाने का प्रयत्न किया जाए? कौन कहेगा कि जो tactics आज जनता की सरकार के खिलाफ बरते जाते हों, वह हक-बजानब होंगे? इस में भी कोई समझाने की बात है कि जब अभी elections हुए हों और उस में अभी इस सरकार को जनता की verdict मिले और भारी बहुमत से चुनी गई सरकार हो और वह सरकार जनता की नुमायंदा होने की हैसीयत से काम करे तो पंजाब में आग लगाने के लिए एक agitation खड़ी कर दी जाए और कह दिया जाए कि हम कोई भी tactics बरतने के लिए हक बजानब हैं क्योंकि हम विदेशी सरकार के वक्त भी ऐसा करते थे। क्या जनता की अपनी चुनी हुई सरकार में और विदेशी सरकार में कोई भी फर्क नहीं? अगर है तो फिर उनके दिमाग में यह बात कैसे आई कि उस वक्त की agitation में और मौजूदा agitation में मुकाबला कर डाला और वही tactics बरतने हक-बजानब समझे। खैर मैं इस बात पर ज्यादा वक्त नहीं

लेना चाहता और वह जो point खास तौर पर उठाया गया है कि मोती बाग पैलेस खरीदने की क्या justification है उस बारे में अब अर्ज़ करता हूं कि क्या justification है। यह justification तो ज्यादा वक्त ले कर भी दी जा सकती थी लेकिन time कम होने की वजह से मोटे तौर पर points ही अर्ज़ करूंगा, मगर उनको ज़्यादा develop नहीं कर सकूंगा। पहली बात जो इस सिलसिले में गवर्नमेंट के सामने थी, वह यह है कि गवर्नमेंट commit कर चुकी है कि हम ने पटियाला की importance जो है वह कायम रखनी है। यहां इस बात को कई दफा कहा गया और हाउस के बाहर भी..........

Khan Abdul Ghaffar Khan : Sir, what is the importance for the purchase of Moti Bagh Palace............?

वित्त मंत्री : खान साहिब से मुझे इतनी बेताबी की उमीद नहीं थी। अभी तो मैं ने बात शुरू ही की है ज़रा पहले पूरी बात सुन तो लें। मैं ने अर्ज़ किया कि गवर्नमेंट commit कर चुकी है कि पटियाला की importance को कायम रखना है और इसी गर्ज़ से चंद important offices भी वहां रखे हुए हैं। दूसरे इन supplementary demands में भी ज़ाहिर किया गया है कि वहां museum और library वगैरह बनाने का विचार है और इसी गर्ज़ के लिए उसे purchase किया गया है। पूछा भी गया और कहा भी गया कि पटियाला में museum बनाने की क्या ज़रूरत महसूस हुई जब कि हम ने चंडीगढ़ के plan में museum बनाने के लिए provision किया हुआ है। मैं इस बात में ज़्यादा argument में जाने की ज़रूरत महसूस नहीं करता और इस बात को मेरे यह भाई भी जानते होंगे कि हर बड़ी State में musuem का होना कितना ज़रूरी है। जितनी भी बड़ी बड़ी States हैं—आप मदरास को ले लें, बंगाल को ले लें उत्तर प्रदेश को, ले लीजिए, हरेक में musuem का होना ज़रूरी समझा गया है। हमारे हां joint पंजाब में था। फिर आप जानते हैं कि जितनी भी cultural heritage और importance की चीज़ें होती हैं और जो यादगार वाली collections होती हैं, medals वगैरह होते हैं या दूसरी antiquity की चीज़ें होती हैं उनके रखने का प्रबन्ध करना हरेक State के लिए ज़रूरी है और मुनासिब भी है। दूसरे यह जो इस का palace है इसे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है, कि इसकी architecture को देख कर, कि यह बतौर खुद एक म्युज़यम है। अगर हम इसे देखें तो पता चलता है कि इस की शक्ल ही ऐसी है जो एक म्यूज़यम के लिए बेहतरीन इमारत है। (*At this stage Khan Abdul Ghaffar Khan was laughing.*) इस में हंसने वाली बात नहीं। अगर खान साहिब इसे खुद अपनी आंखों से देखें; संजीदगी से देखें तो उन्हें पता चलेगा कि यह कितनी शानदार इमारत है। अगर वे इस चीज़ का मुताल्हा करें तो आप को मालूम होगा कि जहां जहां ऐसी शानदार इमारतें मिल सकी हैं, वहां पर ऐसे म्यूज़यम कायम किए गए हैं। आप फ्रांस में देखें वहां वर्सेल्ज़ पैलेस में म्यूज़यम है। इसी तरह दूसरे मुल्कों में, निहायत शानदार इमारतों में म्यूज़यम बनाए गए हैं। अगर

[वित्त मन्त्री]
दूसरे मुल्कों में अच्छी अच्छी शानदार इमारतों में म्यूज़यम बनाए गए हैं तो अगर हम ने मोती बाग़ पैलेस का इन्तख़ाब किया है तो इस में कौन सी अनहोनी बात कर दी है ?

खान अब्दुल गफ्फार खां : है तो यह अनहोनी बात ही ।

वित्त मंत्री : इस की जो गैरेज बिल्डिंग है, इसे नज़र अन्दाज़ कर दिया गया है जहां डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर के offices हैं या बिल्कुल उस के सामने है और इस वक्त हमारे offces के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है । माल रोड पर वाक्या है और offices के लिए बहुत मुनासिब जगह है । इस के अलावा इस का बहुत सा हिस्सा unbuilt है जिस में तामीर नहीं हुई । इसे पटियाला की development के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है । मकानात बनाए जा सकते हैं । प्लाट बना कर इन्हें फरोख्त किया जा सकता है ताकि पटियाला की तरक्की की जा सके।

खान अब्दुल गफ्फार खां : सरमायादारों की कोठियां बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है ।

वित्त मंत्री : कोठियां नहीं वहां अमीरों और गरीबों सब के मकान बन सकते हैं।

इस बात की तरफ़ भी इशारा किया गया कि 15 लाख की चीज़ थी और 30 लाख रुपया दे दिया गया । मैं समझता हूं कि यह बिना सही वाक्यात को देखे कह दिया गया है । अगर आप facts and figures को देखें तो आप को पता चलेगा कि कीमत बहुत मुनासिब दी गई है । इस की ज़मीन 1,562 बीघे है । यह 400 रुपया फी बीघा के हिसाब से इसकी कीमत 6,24,800 बनती है जो revenue authority ने इस की value assess की है । P. W. D. ने इस की depreciative cost 220,000 रुपया assess की है । इस की जो total cost बनती है यह 38,44,800 रुपया बनती है । अगर हम इसे ज़रा कम भी कर दें तो 37 लाख कीमत ज़मीन की बनती है और जिस कीमत पर हम ने खरीदी है वह है $27\frac{1}{2}$ लाख । इस से आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि आया हम ने कीमत ज्यादा अदा की है या मुनासिब अदा की है । उसकी गैरेज़ बिल्डिंग की वैल्यू हम ने 10 रुपये फी गज़ के हिसाब से evaluate की है । इसके अलावा मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि सरकार ने 4,25,351 रुपए की महाराजा से recovery करनी थी ।

इस के अलावा मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि चैल में आनन्दभवन महाराजा ने स्टेट गवर्नमेंट को गिफ्ट में दिया है । इस के अलावा collection of medals हैं, जो कि दुनिया में सब से best collection है । मैं खान साहिब को अर्ज़ करूं कि वे इसे ज़रूर देखें (खान अब्दुल गफ्फार खां : मैं ने बहुत दफा देखे हैं) मैं अर्ज़ करूं कि यह world में best collection है । (खान अब्दुलगफ्फार खां : अंग्रेज़ों की ज़बान में) इस के अलावा हम और भी यत्न में

हूँ कि उन के पास जो अच्छी collection of books है वह मुनासिब समझें तो हमें दे दें। इस लिए मैं यह कहूंगा कि यह जो मोती बाग पैलेस है इसे किसी भी पहलू से देखें, कीमत के लिहाज़ से, location के लिहाज़ से, administrative point of view से, हर पहलू से यह एक मुनासिब deal है। (खान अब्दुल गफ्फार खां : निहायत ग़ैरमुनासिब) यह आप का ख्याल है। अगर आप ने फैसला ही कर लिया है "मैं न मानूं, मैं न मानूं," कहने का तो इस का कोई इलाज नहीं हो सकता, लेकिन मैं फिर यह कहूंगा कि इस की justification है। आप किसी रोज़ खुद कहेंगे कि यह बहुत अच्छा 'डील' हुआ है। यह शानदार इमारत बतौर म्यूज्यम इस्तेमाल होगी, लाइब्रेरी बनेगी तो कल आप नहीं तो आप की औलाद ज़रूर कहेगी कि स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया था जो इसे म्यूज्यम के तौर पर खरीद लिया।

एक बात खान साहिब से मैं अर्ज़ करना चाहता हूं और जो गलतफहमी स्टेट गवर्नमेंट के मुताल्लिक हो गई है उसे मैं दूर करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 27 फरवरी 1958 को अम्बाला में कोई शो हुआ था। इस के मुताल्लिक मैं यह अर्ज़ कर दूं कि स्टेट गवर्नमेंट ने एक हफ्ता mourning का रखा था। उसे उसी ढंग से निभाया गया जैसा कि उनकी ज़िम्मेदारी थी। सारी स्टेट में कोई ऐसा function नहीं हुआ जो गवर्नमेंट की तरफ से किया गया हो। अम्बाला में जो function हुआ वह private body की तरफ से हुआ जिस के साथ स्टेट गवर्नमेंट का कोई सम्बन्ध नहीं। हां, जब यह बात स्टेट गवर्नमेंट के नोटिस में लाई गई तो हिदायत issue कर दी गई कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई employee इसमें शमूलियत न करे। (Khan Abdul Ghaffar Khan : Do you assure that none participated in it ?) यह बात अलहदा है। इस के मुताल्लिक भी जांच करवाई जा सकती है। लेकिन मैं अर्ज़ करता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हिदायात जारी कर दी गई थीं। इसलिए उन की गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। मैं ने जवाब तो कई और बातों का भी देना था लेकिन अब चूंकि गिलोटीन का वक्त हो गया है इसलिए मैं इसे यहीं पर खत्म करता हूं।

Mr. Deputy Speaker : Question is —

That the Punjab Appropriation (No. 1) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried

Mr. Deputy Speaker : Now the guillotine is applied.

CLAUSE 2

Mr. Deputy Speaker : Question is —

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried

CLAUSE 3

Mr. Deputy Speaker : Question is —

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried

SCHEDULE

Mr. Deputy Speaker : Question is —

That Schedule stand part of the Bill.

The motion was carried

CLAUSE I

Mr. Deputy Speaker : Question is —

That Clause I stand part of the Bill.

The motion was carried

TITLE

Mr. Deputy Speakr : Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

Mr. Deputy Speaker : Question is —

That the Punjab Appropriation (No. I) Bill, be passed.

The motion was carried

Mr. Deputy Speaker : The House stands adjourned till the 10th March, 1958.

(*The Sabha then adjourned till 2 p. m. on Monday, the 10th March, 1958*).

870 PVS—344—3-6-59—C.P. & S., Pb., Chandigarh

Punjab Vidhan Sabha Debates

10th March, 1958

Vol. I—No. 15

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Monday, 10th March, 1958

CHANDIGARH:
Printed by the Controller, Printing and Stationery Punjab
1959

Price : 7.00 nP.

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATE VOL. I, No. 15,

DATED THE 10TH MARCH, 1958.

Read	*for*	*on page*	*line*
relief	reliei	(15)1	16
1957	1947	(15)3	15th from below in colum 3.
ਹਿੱਸਾ	ਿ ੱਸਾ	(15)65	8
Labour	Labou	(15)75	5
other	oth r	(15)101	10
various	var ous	(15)103	1-2
ਸੂਬੇ	ਸ਼ਬੇ	(15)110	1
रखे	खे	(15)111	7
appointment	app i tment	(15)131	17
Benches	Benc es	(15)133	5th from below.
चर्चा	चचा	(15)137	2nd from below.
Parliamentary	Parlaimentary	(15)143	26
ਵਿਚ	ਇਚ	(15)146	25
Administration	adm nis ration	(15)157	4
उन्हें	उन्ह	(15)164	8
नहीं	न	(15)164	11
दी	ी	(15)166	8
अछूतपन	अछतपन	(15)176	last.
ਪਿਆਰ	ਪਿਆਚ	(15)180	1

PUNJAB VIDHAN SABHA

Monday, 10th March, 1958

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh Capital, at 2 p.m. of the clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

RELIEF TO FLOOD-AFFECTED VILLAGES IN TEHSILS SANGRUR AND BARNALA OF SANGRUR DISTRICT

***1371. Sardar Rajinder Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the number of villages in tehsils Sangrur and Barnala where crops were damaged by floods in 1957 ;

(b) the names of villages in the said tehsils where flood-water is still standing and the action taken by Government to drain it out

(c) whether any relief was given to the people in villages referred to in parts (a) and (b) above ; if not, the reasons therefor ;

(d) whether he is aware of the fact that forms of applications for relief are out of print and further that the Commissioner, Patiala Division, instructed the district authorities at Sangrur to get the said forms cyclostyled ;

(e) if the answer to part (d) be in the affirmative, the number of forms cyclostyled and the number distributed in the villages referred to in part (a) above ?

Sardar Partap Singh Kairon : Sir, I have applied for extension.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ?

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ ਤਾਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ । (Only the hon. Minister can tell this. I cannot say anything in this connection.)

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਪਰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ questions ਆ ਰਹੇ ਹਨ । (But a large number of such questions are included in this list.)

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਹਨ ।

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. Postponed questions को दोबारा हाऊस में रखने से पहले वज़ीर साहिबान से पूछ लिया जाना चाहिए कि क्या वे इन का जवाब दे रहे हैं या कि नहीं । या फिर इन्हें दोबारा लिस्ट पर लाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यही तो इन्हों ने कहा है । (This is what the hon. Minister has said.)

पंडित श्री राम शर्मा : कहीं ऐसा न हो कि यह list में आने से रह जाएं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने postponed questions अलहदा रखने शुरू कर दिए हैं । इसलिये यह रह नहीं सकते । (I have begun to keep postponed questions separate, therefore, there is no chance of their omission.)

SMUGGLING ON THE BORDERS OF THE STATE

***806. Sardar Dhanna Singh Gulshan :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number and names of persons, district-wise, in the State who have been arrested in connection with charges of smuggling on the borders of the State since 1947 ;

(b) the punishments awarded to the persons referred to in part (a) above ;

(c) whether any of the officials of the border security staff are also involved in smuggling ; if so, their names and the punishments if any, awarded in each case ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) and (b) One thousand, one hundred and thirty persons have been arrested for smuggling on the Indo-Pakistan Border of the State from 15th August, 1947 to 31st January, 1958. A statement showing their names district-wise and the punishment awarded to each of them is laid on the Table.

(c) (i) The P.A.P. pickets and the C.I.D. staff stationed at the Indo-Pakistan Border is entrusted with the border security. Out of 1,130 persons arrested, referred to in parts (a) and (b) above, five were Police Officers of the border security staff. A statement showing their names and the punishments awarded to them is laid on the Table.

(c) (ii) Besides, five officers of the border security staff were involved in smuggling on Indo-Pakistan Border. A statement showing their names and punishments awarded to them is laid on the Table.

Serial No.	Particulars of the Police Official involved in smuggling	Punishment awarded
1	Sub-Inspector Chaman Lal of C.I.D., posted at Hindumalkot.	Arrested. The case is under investigation.
2	Foot Constable Dalip Singh, No. 270 of C.I.D., posted at P.C.P., Hussainiwala.	Ditto
3	Assistant Sub-Inspector Hazara Singh of P.A.P. (Amritsar).	Arrested. The case is under trial.
4	Head Constable Kashmira Singh of P.A.P. (Amritsar) ..	Ditto
5	Head Constable Kehar Singh of P.A.P. (Amritsar). ..	Ditto

Serial No.	Particulars of the Police Official involved in smuggling	Punishment awarded
1	Sub-Inspector Darshan Kumar of P.A.P. (Amritsar) ..	They are being dealt with departmentally.
2	Sub-Inspector Kashmira Singh of P.A.P. (Amritsar) ..	
3	Sub-Inspector Nand Rup of P.A.P. (Amritsar) ..	
4	Assistant Sub-Inspector Hans Raj Singh of P.A.P. (Amritsar)	
5	Sub-Inspector Fauja Singh of P.A.P. (Gurdaspur) ..	

Statement showing particulars of persons arrested for smuggling on the Indo-Pakistan Border of the State from 15th August, 1947 to 31st January, 1958, district-wise and the punishment awarded to them.

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	AMRITSAR DISTRICT	
1	Chattar Bhuj, son of Madho Dass, Arora of Chowk Kaluwala, police station 'B' Division, Amritsar	These persons were detained under section 3(1) of the Preventive Detention Act during the months of June and July, 1947. Their cases were reviewed by the Punjab State Advisory Board which came to the conclusion that there was not sufficient cause for their detention. They were accordingly released by the State Government during the months of August and September, 1957.
2	Sher Singh, son of Hira Singh, Arora of Gali Baghwali, Guru Nanak Store, Amritsar	
3	Roshan Lal, son of Kanshi Ram, Khatri of Gali Mela Pandha, Katra Charat Singh, police station 'D' Division, Amritsar	
4	Rup Lal alias Banke Shah, son of Hari Kishan, Khatri of Gali Upplan, police station 'E' Division, Amritsar	
5	Ascharaj Lal, son of Raja Ram, Rajput, Gali No. 2, Sharifpura, Amritsar	
6	Kala Singh, son of Dayal Singh, Jat of Chowk Farid, Amritsar ('E' Division)	
7	Balraj, son of Mulkh Raj, Khatri of Islamabad, police station 'D' Division, Amritsar	
8	Gujar Mal, son of Charan Das, Brahman of Majith Mandi, Amritsar	
9	Ruldu Ram alias Ruldoo, son of Arjan Shah, Katra Charat Singh, Amritsar	
10	Dev Raj, son of Daulat Ram, Khatri of Chowk Passian, Amritsar	
11	Madan Lal alias Madi, son of Mool Chand, Khatri of Gali Dhobian, Katra Bhai Sant Singh, Amritsar	

[Chief Minister]

Seiral No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	AMRITSAR DISTRICT—*contd*	
12	Baikunth Lal, son of Balmukand, Khatri of Cooper Road, Amritsar	Another case is under investigation against Serial No. 12.
13	Pritam Singh, son of Teja Singh, Rajput of Bagh Ramanand, Amritsar	Another case is under investigation against Serial No. 13.
14	Niranjan Singh Akali, son of Sardul Singh, Bhagtanwala Gate, Amritsar	..
15	Radha Kishan, son of Durga Dass, Khatri, Guru Bazar, Amritsar	..
16	Harnam Dass alias Harname Shah, son of Tehl Singh Khatri, Nimak Mandi, Amritsar	..
17	Hari Shah, son of Bal Kishan, Arora, Nimak Mandi, Amritsar	..
18	Kishan Singh Pashoria, son of Harnam Singh Arora, Dhab Wasti Ram, police Station 'C' Division, ASR.	..
19	Mohinder Partap, son of Ganga Ram Rajput of Ali Bux Road, Amritsar	Discharged.
20	Radhe Mohan, son of Dhanpat Mal Khatri of Dhab Khatikan, Amritsar	Case under investigation.
21	Bakhtawar Singh, Jat of Bazar Bakarwana, Amritsar ..	Acquitted
22	Mehal Singh, son of Teja Singh, Jat of Malout, district Ferozepore	Do
23	Mohinder Singh, son of Katha Singh, Mazhabi of Khalra	Awarded 6 months' R.I. on 22nd March, 1957, under section 19/11/78, Arms Act.
24	Gurmukh Singh, son of Sewa Singh, Jat of Padri, police station Lopoke	Awarded 1 year's R.I. on 31st December, 1957, under section 19/11/78, Arms Act.
25	Sucha Singh, son of Sewa Singh, Jat of Pandori ..	Awarded 1 year's R.I on 31st December, 1957, under section 19/11/78, Opium Act.
26	Vir Singh, son of Narain Singh, Jat of Punian, .. police station Valtoha	Case pending in Court.
27	Nazir Mohd. of Nagina, police station Ferozepur-Jhirka, district Gurgaon	Case under inevstigation.
28	Lalu of Nagina, police station Ferozepur-Jhirka, district Gurgaon	Ditto

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	AMRITSAR DISTRICT—*contd*	
29	Bhagat Singh, son of Lal Singh, Jat of Dialpur ..	Case pending in Court.
30	Darshan Singh, son of Bhan Singh, Jat of Awan, police station Ramdas	Case under inevstigation.
31	Mst. Bachni, w/o Naranjan Singh, Jat of Kalsian, police station Khalra	Ditto
32	Sohan Singh, Jat of Dal, police station Khalra ..	Ditto
33	Arjan Singh, son of Dana , Mazhabi of Rai, police station Lopoke	Case pending in Court.
34	Harnam Singh, Zargar of Sur Singh, police station Bhikhiwind	Case under investigation.
35	Bira, son of Jagat Singh of Narli, police station Khalra ..	Ditto
36	Mohd Rajab, Kashmiri of Srinagar ..	Untraced
37	Chain Singh, son of Dewan Singh, of Rani, police station Tanda, district Hoshiarpur	Case under investigation.
38	Pal Singh, son of Assa Singh, Jat of Mode, police station Gharinda	Awarded 1½ years' R.I., on 30th September, 1957, under section 19/11/78, Arms Act.
39	Tarlok Singh, son of Banta Singh, Jat of Brar, police station Lopoke	Case under investigation.
40	Abas, son of Mehr Din, Rajput of Talwara (Pakistan) ..	Case pending in Court.
41	Hazara Singh, son of Santokh Singh, Rajput of ..	Case under investigation
42	Kaka, son of Fazal Din, of Dhuri (Pakistan) ..	Ditto
43	Jarnail Singh, son of Lachhman Singh, Jat of Gumtala, police station Lopoke	Awarded 1 year's R.I. on 26th September, 1957, under section 19/11/78, Arms Act.
44	Mohd. Ashraf, son of Nizam Din, of Lahore (Pakistan) ..	Case under investigation.
45	Mukhtar Singh of Naushehra Dhalla, police station Gharinda	Ditto
46	Tehl Singh, son of Chanan Singh, Jat of Manakpur ..	Ditto
47	Gura Singh, son of Bughail Singh, Jat of Dodhiwind, police station Gharinda	Ditto
48	Joginder Singh, son of Ajaib Singh, Jat of Dodhiwind, police station Gharinda	Ditto
49	Pritoo, Mazhabi of Khalra ..	Case pending in Court.

[Chief Minister]

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	AMRITSAR DISTRICT—*contd*	
50	Santea Singh of Oddar, police station Lopoke ..	Acquitted
51	Tari, son of Bhagat Singh, Jat of Naushehra Dhalla ..	Case under investigation.
52	Vir Singh, son of Pritam Singh, Jat of Kale, police station Valtoha	Case pending in Court.
53	Fazal Din, Muslim of Dhuri (Pakistan) ..	Case under investigation.
54	Satwant Singh, son of Kehr Singh, Jat of Panjwar, police station Lambi, district Ferozepore	Ditto
55	Dara Singh, son of Assa Singh, Barber of Assal ..	Awarded 2 years'R.I. on 12th October, 1957, under section 9/1/78, Opium Act.
56	Mohd Tufail, son of Hussain Bux of Bhasin, police station Manawan (Pakistan)	Awarded 7 months R.I. under section 19/11/78, Arms Act.
57	Chanan Singh, son of Moola Singh, Jat of Makhipura ..	Acquitted
58	Khushia, son of Allah Ditta of Jalalpur Jattan (Pakistan)	Case under investigation.
59	Havela Singh, son of Jawand Singh, Jat of Kasail ..	Case pending in Court.
60	Darshan Singh, son of Havela Singh of Kasail ..	Ditto
61	Ram Parkash, son of Shiv Ram, Khatri of Madar ..	Convicted and sentenced to pay a fine of Rs. 25 under section 61/1/14, Excise Act on 5th September, 1957.
62	Jaswant Singh, son of Inder Singh of Lopoke ..	Case under investigation.
63	Tara Pandit, son of Amar Singh of Khem Karan ..	Case pending in Court.
64	Piara Singh, son of Surain Singh, Jat of Chotian, police station Moga	Case under investigation.
65	Sat Pal alias Nikka, son of Karam Chand Khatri of Gali Tewarian, Amritsar	Case pending in Court.
66	Tara Singh, Lambardar of Ranike, police station Gharinda	Case under investigation.
67	Kharaiti Lal, son of Dewan Chand, Khatri of Katra Sher Singh, Amritsar	Ditto

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	AMRITSAR DISTRICT—*contd*	
68	Hazara Singh, son of Buta Singh, Mazhabi of Bucho Khurd	Awarded 2 months' R.I. and a fine of Rs. 100 on 20th December, 1957, under section 9/1/78, Opium Act.
69	Sucha Singh, son of Mughlo Asai of Jeobhala, police station Jhabal	Case pending in Court.
70	Mula Singh, son of Kesar Singh, Asai of Shahbazpur ..	Ditto
71	Pala Singh, son of Sohewa Singh of Dhapai ..	Ditto
72	Gurcharan Singh, son of Sher Singh, Mazhabi of Aima Khurd	Ditto
73	Ajaib Singh, son of Gopal Singh, Mazhabi of Aima Khurd	Ditto
74	Faujo, son of Hukma Singh of Thakhu Chak ..	Ditto
75	Naranjan Singh, son of Santa Singh, Jat of Hamak Chak, police station Mallanwala, district Ferozepore	Case under investigation.
76	Hukam Singh, son of Jawand Singh of Kalsian ..	Case pending in Court.
77	Feroze, son of Wadhawa, Mirasi of village Jaman (Pakistan)	Case under investigation.
78	Sohan, son of Wadhawa, Mirasi of village Jaman ..	Ditto
79	Raj Kumar alias Raji, son of Ram Dhan, Khatri of Katra Dulo, police station 'B' Division, Amritsar	Ditto
80	Ram Lal, son of Vaishno Dass, Khatri of Katra Mohar Singh, police station 'B' Division, Amritsar	Ditto
81	Pritam Singh, son of Gurmukh Singh, Arora of Attari, police station Gharinda	Ditto
82	Wazir Singh, son of Mohan Singh, Jat of Machhiwala, police station Ramdas	Ditto
83	Kundan Lal, son of Kalu Ram, Brahman of Hardoputli, police station Ramdas	Ditto
84	Labh Singh, son of Mangal Singh, Jat of Dialpur, police station Ramdas	Ditto
85	Joginder Singh, son of Bur Singh, Jat of Machhiwala, police station Ramdas	Ditto
86	Mohinder Singh, son of Harnam Singh, Jat of Machhiwala, police station Ramdas	Ditto
87	Barkat Ram, son of Santu, Isai of Machhiwala, police station Ramdas	Ditto
88	Mastan Singh, son of Ph. Moola Singh, Jat of Sarangarha, police station Lopoke	Ditto

[Chief Minister]

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	AMRITSAR DISTRICT—*contd*	
89	Man Singh, son of Sadhu Singh, Jat of Kakar ..	Case under investigation.
90	Mohinder Singh, son of Sadhu Singh, Jat of Kakar ..	Ditto
91	Shingara Singh, son of Sant Singh, Jat of Punjurai, police station Lopoke	Ditto
92	Chanan Singh, son of Bahadur Singh, Jat of Manj, police station Lopoke	Ditto
93	Baj Singh, son of Bahadur Singh, Jat of Manj, police station Lopoke	Ditto
94	Fauja Singh, son of Sucha Singh, Jat of Kakar, police station Lopoke	Ditto
95	Mangal Singh, son of Bal Singh, Jat of Mukandpura ..	Ditto
96	Harbhajan Singh, son of Piara Singh, Jat of Kakar Khurd	Case pending in Court.
97	Palu, son of Santu, Mazhabi of Kakar Khurd ..	Case under investigation.
98	Mohinder Singh, son of Hira Singh, Jat of Sarangra ..	Ditto
99	Jagir Singh, son of Sohan Singh, Jat of Rania ..	Ditto
100	Meja Singh, son of Bal Singh, Jat of Karaiyan ..	Ditto
101	Chanan Singh, son of Sant Singh, Jat of Karaiyan ..	Ditto
102	Didar Singh, son of Buta Singh, Jat of Karaiyan ..	Ditto
103	Bachan Singh, son of Bakhshish Singh, Jat of Kakar Kalan	Ditto
104	Lakhmir Singh, son of Kartar Singh, Jat of Brar ..	Ditto
105	Jagir Singh, son of Kartar Singh, Jat of Brar ..	Ditto
106	Maqtool Singh, son of Sawan Singh, Jat of Brar ..	Ditto
107	Tarlok Singh, son of Banta Singh, Jat of Brar ..	Ditto
108	Kundan Singh, son of Geja Singh, Jat of Brar ..	Ditto
109	Joginder Singh, son of Banta Singh, Jat of Brar ..	Ditto
110	Boota Singh, son of Mota Singh, Jat of Noshehra ..	Ditto
111	Sawan Singh of Noshehra ..	Ditto
112	Joginder Singh, son of Harbans Singh, Jat of Noshehra ..	Ditto
113	Mohar Singh, son of Chanchal Singh, Jat of Noshehra ..	Ditto
114	Khazan Singh, son of Lakha Singh, Jat of Noshehra ..	Ditto
115	Chanan Singh, son of Surain Singh, Mazhabi of Noshehra	Ditto

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	AMRITSAR DISTRICT—*contd*	
116	Teja Singh, son of Atma Singh, Jat of Noshehra ..	Case under investigation.
117	Narinjan Singh, son of Surain Singh, Mazhabi of Noshehra	Ditto
118	Chanan Singh, son of Surain Singh, Mazhabi of Noshehra	Ditto
119	Shadi, son of Hazara Singh, Mazhabi of Noshehra ..	Ditto
120	Swaran Singh, son of Wasan Singh, Jat of Noshehra ..	Ditto
121	Hari Singh, son of Kaka Singh, Mazhabi of Burj ..	Ditto
122	Ajit Singh, son of Jawahar Singh, Jat of Burj ..	Ditto
123	Dina Nath, son of Daulat Ram, Arora of Attari ..	Ditto
124	Om Parkash, son of Daulat Ram, Arora of Attari ..	Ditto
125	Harjit Singh, son of Ram Singh, Jat of Attari ..	Ditto
126	Jasjit Singh, son of Sarup Singh, Jat of Attari ..	Ditto
127	Puran Singh, son of Kishan Singh, Arora of Attari ..	Ditto
128	Joginder Singh, son of Chanda Singh, Jat of Havelian ..	Ditto
129	Tari, son of Saudagar, Mazhabi of Noshehra ..	Ditto
130	Ghulam Mohd, son of Mohd. Abdulla, Kazi of Lahore ..	Ditto
131	Shangara Singh, son of Teja Singh, Jat of Rattan ..	Ditto
132	Gurmej Singh, son of Udham Singh, Jat of Maluwal ..	Ditto
133	Gura Singh, son of Udham Singh, Jat of Maluwal ..	Ditto
134	Sardul Singh, son of Udham Singh, Jat of Mughal Chak, police station Sadar Tarn Tararn	Ditto
135	Ganga Singh, son of Sohal Singh, Jat of Mughal Chak, police station Sadar Tarn Taran	Ditto
136	Meeda, son of Umra, Mazhabi of Takhu Chak ..	Ditto
137	Rur Singh, son of Lal Singh, Jat of Takhu Chak ..	Ditto
138	Sulakhan Singh, son of Santa Singh, Jat of Takhu Chak ..	Ditto
139	Chain Singh, son of Budh Singh, Jat of Takhu Chak ..	Ditto
140	Gurbux Singh, son of Achhar Singh, Mazhabi of Takhu Chak	Ditto
141	Pritu, son of Nathu, Ghumhar of Takhu Chak ..	Ditto
142	Teja Singh, son of Wadhawa Singh, Ghumhar of Takhu Chak	Ditto
143	Atma Singh, son of Jhanda Singh, Jat of Kalla ..	Ditto
144	Jail Singh, son of Hukam Singh, Jat of Mughal Chak ..	Ditto

[Chief Minister]

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	AMRITSAR DISTRICT—*contd*	
145	Kartar Singh, son of Hakam Singh, Jat of Dulchipur ..	Case under investigation.
146	Joginder Singh, son of Puran Singh, Jat of Dharar ..	Ditto
147	Ishar Singh, son of Jawahar Singh, Ramgharhia of Takhu Chak	Ditto
148	Amar Singh, son of Bur Singh, Jat of Tarn Taran ..	Ditto
149	Kalwant Rai, son of Daulat Ram, Khatri of Sirhali ..	Ditto
150	Jagdish Raj, son of Daulat Ram, Khatri of Sirhali ..	Ditto
151	Mohinder Singh, son of Pal Singh, Jat of Lohka, police station Sirhali	Ditto
152	Ajit Singh, son of Gurbux Singh, Jat of Kairon, police station Sirhali	Ditto
153	Ajaib Singh, son of Indar Singh, Jat of Kairon ..	Ditto
154	Chhinda alias Harindar Singh, son of Gian Singh, Zargar of Patti	Ditto
155	Ajit Singh, son of Jagat Singh, Mazhabi of Burj Raika ..	Ditto
156	Joginder Pal, son of Sohan Lal of Patti ..	Ditto
157	Roshan, son of Shah Mohd, Jat of Khir, district Lahore (Pakistan)	Ditto
158	Suba Singh, son of Mal Singh, Ghumhar of Ahmadpura	Ditto
159	Dara Singh, son of Tara Singh, Jat of Bhai Ladu ..	Ditto
160	Fauja Singh Nihang, son of Kaka Singh, Jat of Ahmadpura	Ditto
161	Ajaib Singh Nihang, son of Kaka Singh, Jat of Ahmadpura	Ditto
162	Budha Singh Nihang, son of Kaka Singh, Jat of Ahmadpura	Ditto
163	Pritam Singh, son of Bhagwan Singh, Jat of Kacha Pakka	Ditto
164	Mangal Singh, son of Deva Singh, Jat of Kacha Pakka ..	Ditto
165	Gurdit Singh, son of Partap Singh, Jat of Akarpura, police station Bhikhiwind	Ditto
166	Dasho, son of Ganga Singh, Jat of Khalra ..	Ditto
167	Lal alias Lalu, son of Toti, Christian of Mari Kamboke ..	Ditto
168	Mohinder Singh, son of Jassa Singh, Jat of village Wan ..	Ditto
169	Amar Singh, son of Malook Singh, Jat of Wan ..	Ditto
170	Waryam Singh, son of Taba Singh, Jat of Wan ..	Ditto
171	Gopal Singh, son of Chanchal Singh of Wan ..	Ditto

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	AMRITSAR DISTRICT—*contd*	
172	Gian Singh, son of Kartar Singh of Wan ..	Case under investigation.
173	Jagtar Singh, son of Sadhu Singh of Wan ..	Ditto
174	Mangal Singh, son of Narain Singh, Jat of Wan ..	Ditto
175	Moola Singh, son of Josha Singh, Jat of Wan ..	Ditto
176	Sajjan Singh, son of Dalip Singh, Jat of Dal ..	Ditto
177	Mohinder Singh, son of Tara Singh ..	Ditto
178	Wasan Singh, son of Ujagar Singh of Mahmudpura ..	Convicted and fined Rs. 25 on 7th August, 1957, under section 61/1/14, Excise Act.
179	Hazara Singh, son of Thakar Singh of Rattoke ..	Case pending in Court.
180	Shingara Singh, son of Thakar Singh of Rattoke ..	Ditto
181	Makhan Dora, Jat of Valtoha ..	Ditto
182	Gurdip Singh, son of Buta Singh, Jat of Algon ..	Case under investigation.
183	Hans Raj, son of Tulsi Ram of Algon ..	Ditto
184	Budha Singh, son of Thakar Singh of Algon ..	Ditto
185	Sohail Singh, son of Budha Singh of Algon ..	Ditto
186	Chanan Singh, son of Ishar Singh of Algon ..	Ditto
187	Darshan Singh, son of Lachhman Singh of Algon ..	Ditto
188	Kartar Singh, son of Mangal Singh of Chhina Bidhi Chand	Ditto
189	Mohan Singh, son of Udham Singh, Jat of Maluwal ..	Ditto
190	Mal Singh, son of Chanan Singh, Jat of Manakpura ..	Ditto
191	Kartar Singh, son of Udham Singh, Jat of Maluwal ..	Ditto
192	Gahel Singh, son of Charan Singh, Jat of Manakpura ..	Ditto
193	Sadhu Singh, son of Arjan Singh, Jat of Nathupura ..	Ditto
194	Khushal Singh, son of Banta Singh, Jat of Roranwala ..	Ditto
195	Kahurat Singh alias Murti, son of Banta Singh, Jat of Kacha Pakka	Ditto
196	Kashmira Singh, son of Bhan Singh, Jat of Kacha Pakka	Ditto
197	Gaja Singh, son of Teja Singh, Jat of Ami Shah ..	Ditto
198	Lahori Singh, son of Gaja Singh of Ami Shah ..	Ditto
199	Mohinder Singh, son of Josha Singh, Jat of Wan ..	Ditto

[Chief Minister]

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	AMRITSAR DISTRICT—*contd*	
200	Hari Singh, son of Lachhman Singh, Jat of Chhina Bidi Chand	Case under investigation.
201	Balwant Singh, son of Vir Singh, Jat of Chhina Bidi Chand	Ditto
202	Puran Singh, son of Sadhu Singh, Jat of Chhina Bidi Chand	Ditto
203	Saman Singh, son of Wadhawa Singh, Jat of Chhina Bidi Chand	Ditto
204	Kundan Singh, son of Narain Singh, Jat of Rajoke ..	Ditto
205	Jarnail Singh, son of Santa Singh, Jat of Rajoke ..	Ditto
206	Kanaya Lal, son of Dewan Chand, Brahman, Chauk Bombewala, Amritsar	Ditto
207	Hari Singh, son of Lachhman Singh, Sodhi of Kot Baba Dip Singh, Amritsar	Ditto
208	Shori Wachha, son of Parma Nand, Khatri of Bati Hatta, Amritsar	Ditto
209	Sewa Singh, son of Mahan Singh, Jat of Noshehra Dahalla	Ditto
210	Chanan Singh, son of Asa Singh, Jat of Mode ..	Ditto
211	Tehal Singh, son of Chanan Singh, Jat of Manakpura ..	Ditto
212	Joginder Singh, son of Fauja Singh of Noshehra Dhala ..	Ditto
213	Udhar Singh alias Tohar, son of Vir Singh, Jat of Dhanoya Kalan	Ditto
214	Jarnail Singh, son of Lachhman Singh, Jat of Jathol ..	Case pending in Court.
215	Udho Ram, son of Kishan Dutt, Brahman, Gali Tarkhanan, Amritsar	Case under investigation.
216	Om Parkash, son of Mohan Lal, Khatri, Guru Bazar, Amritsar	Ditto
217	Jagdish Raj, son of Kartar Chand, Khatri, Guru Bazar, Amritsar	Ditto
218	Ram Lal, son of Gulaba Ram, Khatri, near Regent Talkies, Amritsar	Ditto
219	Raghbir Dass alias Raghbira, son of Pritam Das of Bhagtanwala Gate, Amritsar	Ditto
220	Janak Raj, son of Hari Ram, Khatri of Jangi Shawala, Amritsar	Ditto
221	Sarmukh Singh, son of Thaman Singh, Jat of Bhagtanwala Gate, Amritsar	Ditto
222	Shiv Saran, son of Kala Mal Pashoria, Beri Gate, Amritsar	Ditto

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	AMRITSAR DISTRICT—*contd*	
223	Kishan Singh, son of Harnam Singh, Dhab Wasti Ram, Amritsar	Case under investigation.
224	Pritam Dass, son of Man Singh, Gali Murari Mal, Amritsar	Ditto
225	Karam Chand, son of Ruldu, Khatri, Katra Charat Singh, Amritsar	Ditto
226	Hari Singh, son of Bal Kishan, Khatri, Nimak Mandi, Amritsar	Ditto
227	Jagir Singh, son of Kesar Singh, Jat of Bhetwadh, police station Ajnala	Ditto
228	Dara Singh, son of Sadhu Singh, Jat of Rokhe ..	Ditto
229	Chattar Singh, son of Sadhu Singh, Jat of Rokhe ..	Ditto
230	Purdaman Singh, son of Balwant Singh, Jat of Matia, police station Ajnala	Case pending in Court.
231	Shangara Singh, son of Ujagar Singh, Jat of Karayat ..	Case under investigation.
232	Tarlok Singh, son of Jagat Singh, Jat of Karial ..	Ditto
233	Bawa Singh, son of Gehl Singh, Jat of Panjgarian ..	Ditto
234	Joginder Singh, son of Teja Singh, Jat of Othian, police station Ajnala	Ditto
235	Gian Chand, son of Bhagat Ram, Brahman of Tulenangal	Ditto
236	Madan Lal, son of Bhagat Ram, Brahman of Tulenangal	Ditto
237	Mahwa Singh, son of Inder Singh, Jat of Miani ..	Ditto
238	Jagtar Singh alias Avtar Singh, son of Dal Singh of Thathi Jaimal Singh, police station Valtoha	Ditto
239	Shahbeg Singh, son of Bawa Singh, Jat of Thathi Jaimal Singh	Ditto
240	Shangara Singh, son of Banta Singh, Jat of Sursingh ..	Ditto
241	Toti, son of Harnam Singh, Mehra of Ballianwala	Case pending in Court.
242	Ajaib Singh, son of Narain, Jat of Patti ..	Case under investigation.
243	Bagicha Singh, son of Mangal Singh, Jat of Patti ..	Ditto
244	Dial Singh, son of Sajjan Singh, Jat of Patti ..	Ditto
245	Mukha Singh, son of Tara Singh, Jat of Patti ..	Ditto
246	Suhela Singh, son of Tara Singh, Jat of Patti ..	Ditto
247	Kundan Singh, son of Bishan Singh, Ghumhar of Patti ..	Ditto
248	Surat Singh, son of Darshan Singh, Jat of Mianpur ..	Ditto
249	Head Constable Kehar Singh of P.A.P. ..	Ditto

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	AMRITSAR DISTRICT—*contd*	
250	Sumand Singh, son of Atma Singh, Jat of Chhina Bidhi Chand	Case under investigation.
251	Teja Singh, son of Mal Singh, Mazhabi of Sursingh ..	Ditto
252	Mohinder Singh, son of Sadhu Singh, Jat of Sursingh ..	Ditto
253	Sajjan Singh, son of Baghail Singh, Jat of Sursingh ..	Ditto
254	Ajaib Singh, son of Mehla Singh, Jat of Ghariala ..	Ditto
255	Chanan Singh, son of Tara Singh, Jat of Shabazpur ..	Ditto
256	Gurdev Singh, son of Radha Kishan, Arora of Attari ..	Ditto
257	Gurdial Singh alias Diala, son of Gujar Singh, Jat of Brar	Ditto
258	Birbal, son of Udho Dass, Arora, Gali Subonian, Amritsar	Ditto
259	Durga Das, son of Lal Chand, Khatri, Katra Sufaid, Amritsar	Ditto
260	Harbhajan Singh, son of Gurdit Singh, Arora, Lawrence Road, Amritsar	Ditto
261	Atma Singh, son of Harnam Singh, Jat of Patti ..	Ditto
262	Gurdip Singh, son of Shangara Singh, Jat of Rajoke ..	Ditto
263	Atma Singh, son of Arur Singh, Jat of Gandiwind ..	Ditto
264	Wassan Singh s/o Natha Singh, Jat of Gandiwind ..	Ditto
265	Ram Singh, son of Suchet Singh of Bhikhiwind ..	Ditto
266	Karnail Singh, son of Arjan Singh, Jat of Sursingh ..	Ditto
267	Jagir Singh, son of Chet Singh of Gandiwind ..	Ditto
268	Darbara Singh, son of Natha Singh of Gandiwind ..	Ditto
269	Mukhtiar Singh, son of Wassan Singh of Bagarian ..	Ditto
270	Piara Singh, son of Indar Singh, Jat of Bagarian ..	Ditto
271	Karnail Singh, son of Bhagat Singh, Jat of Dal ..	Ditto
272	Ram Singh, son of Dial Singh of Miani ..	Ditto
273	Jiwan Singh, son of Kirpa Singh, Jat of Shahbazpur ..	Ditto
274	Maghar Singh, son of Natha Singh, Sansi of Ghariala ..	Ditto
275	Joginder Pal, son of Raja Ram, Khatri of Assal ..	Ditto
276	Pashori Lal, son of Devi Das, Khatri, Gali Daiwali, Katra Khazana, Amritsar	Ditto
277	Jagan Nath, son of Ram Saran Dass, Khatri, Haveli Jamedar, Amritsar	Ditto
278	Roshan Lal, son of Sukhram Dass, Khatri, Gali Jatan, Amritsar	Ditto

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	AMRITSAR, DISTRICT—*contd*	
279	Phuman Singh, son of Buta Singh, Jat of Khaire ..	Case under investigation.
280	Mukhtiar Singh, son of Bahdar Singh of Havelian ..	Ditto
281	Maharaj Mal, son of Guranditta, Brahman of Bhakhna Kalan	Ditto
282	Chaman Lal, son of Baldev Raj Khatri, Gali Teja Singh, police station 'B' Division, Amritsar	Ditto
283	Dial Singh, son of Ram Singh, Jat of Dhodipind ..	Ditto
284	Fauja Singh, son of Hardit Singh, Jat of Roranwala ..	Ditto
285	Mohan Singh, son of Santa Singh, Jat of Bagarian ..	Ditto
286	Bachan Singh, son of Hazara Singh, Jat of Bhaini ..	Ditto
287	Nazar Singh, son of Thakar Singh, Jat of Ranian ..	Ditto
288	Darshan Singh, son of Naranjan Singh, Jat of Narwala ..	Ditto
289	Barkat, son of Mohinda, Christian of Sakila, police station Chung (Pakistan)	Ditto
290	Tarloka, son of Wasakhi, Christian of Manhiala, police station Barki (LHR.)	Ditto
291	Naranjan Singh, son of Hari Singh, Jat of Manawan ..	Ditto
292	Tarlok Singh, son of Udham Singh, Jat of Manawan ..	Ditto
293	Hansa Singh, son of Sampuran Singh, Jat of Kalia ..	Ditto
294	Dara Singh, Jat of Kalanjar ..	Ditto
295	Buta Ram, son of Mool Chand, Khatri of Khem Karan ..	Ditto
296	Piara Singh alias Piari, son of Inder Singh, Jat of Bhunga Kohna	Ditto
297	Chanan Singh, son of Narain Singh of Mastgarh ..	Ditto
298	Dial Singh, son of Budha Singh, Jat of Dalairi ..	Ditto
299	Anup Singh, son of Budha Singh, Jat of Dalairi ..	Ditto
300	Balara Singh, son of Arjan Singh, Jat of Dalairi ..	Ditto
301	Gopal Singh, son of Inder Singh, Jat of Rasoolpur ..	Ditto
302	Gian Singh, son of Naranjan Singh of Rasoolpur ..	Ditto
303	Harbans Singh, son of Bhan Singh, Jat of Rasoolpur ..	Ditto
304	Pritam Singh, son of Chanchal Singh of Rasoolpur ..	Ditto
305	Gurmej Singh, son of Basant Singh, Jat of Gandiwind ..	Ditto
306	Gurmej Singh, son of Basant Singh, Jat of Gandiwind ..	Ditto

[Chief Minister]

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	AMRITSAR DISTRICT—*contd*	
307	Wadhawa Singh, son of Narain Singh, Jat of Gandiwind	Case under investigation.
308	Mohinder Singh, son of Ajaib Singh of Bhuchar ..	Ditto
309	Karam Singh, son of Banta Singh of Bhuchar ..	Ditto
310	Harsa, son of Chanan, Harijan of Chhina Bidhi Chand	Ditto
311	Dewan Chand, son of Mulkh Raj, Khatri, Cooper Road, Amritsar	Ditto
312	Baldev Raj alias Massar, son of Mohan Lal, Gali Teja Singh Wali, Amritsar	Ditto
313	Mohinder Singh, son of Hira Singh, Haveli Jamadar, Amritsar	Ditto
314	Piara Singh, son of Chanchal Singh, Zargar of Khalra ..	Ditto
315	Gaga Singh, son of Kapur Singh, Jat of Khalra ..	Ditto
316	Karam Singh, son of Dewan Singh, Jat of Khalra ..	Ditto
317	Saudagar Singh, son of Surain Singh, Jat of Sidhwan ..	Ditto
318	Banta Singh, son of Ranga Singh, Jat of village Dhariwal	Ditto
319	Jagat Singh, son of Gurdit Singh of Assal ..	Ditto
320	Sewa Singh, son of Tara Singh, Jat of Assal ..	Ditto
321	Mahel Singh, son of Kapur Singh, Jat of Assal ..	Ditto
322	Arjan Singh, son of Kapur Singh, Jat of Assal ..	Ditto
323	Jagtar Singh, son of Udham Singh, Jat of Assal ..	Ditto
324	Madan Lal, son of Amar Chand, Guru Bazar, Amritsar	Ditto
325	Smadi, son of Suraina, Mazhabi of Naushehra ..	Ditto
326	Dara, son of Jhanda Singh, Mazhabi of Naushehra ..	Ditto
327	Karnail Singh alias Kaila, son of Udham Singh, Jat of Chawinda Khurd	Ditto
328	Bhag Singh, son of Tehl Singh, Jat of Mode ..	Ditto
329	Farzinda, son of Allah Din, Jat of Nalo, police station Barki	Ditto
330	Sajjan Singh, son of Lachhman Singh, Jat of Talen ..	Ditto
331	Surti, son of Buta Singh, Jat of Dhoeke ..	Ditto
332	Darshan Singh, son of Chanchal Singh of Bhani Rajputan	Ditto
333	Madho Singh, son of Fauja Singh, Jat of Dhanoe Khurd..	Ditto
334	Geja Singh, son of Shangara Singh, Jat of Havelian ..	Ditto
335	Sogata, son of Assa Singh, Jat of Dhanoe ..	Ditto

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	AMRITSAR DISTRICT—*contd*	
336	Zail Singh, son of Narain Singh, Jat of Daoke ..	Case under investigation.
337	Joginder Singh, son of Banta Singh of Gandiwind ..	Ditto
338	Sukhdev Raj alias Sukhu, son of Salig Ram, Khatri, Gali Sunarian, police station 'D' Division, Amritsar	Ditto
339	Madan Lal alias Maddi, son of Sain Dass alias Bijli Pehlwan, Amritsar	Ditto
340	Ajit Singh, son of Labh Singh of Khem Karan ..	Ditto
341	Hazar Singh, son of Narain Singh, Jat of Bhai Ladho ..	Ditto
342	Teja Singh, son of Inder Singh, Jat of Bhai Ladho ..	Ditto
343	Chanchal Singh, son of Thakar Singh, Jat of Bhai Ladho	Ditto
344	Gurmukh Singh, son of Sulakhan Singh of Kalsian ..	Ditto
345	Bhagat Singh, son of Milkha Singh, Jat of Narli ..	Ditto
346	Bhagat Singh, son of Milkha Singh, Jat of Narli ..	Ditto
347	Dharam Singh, son of Narain Singh, Jat of Narli ..	Ditto
348	Kundan Singh, son of Deva Singh of Chak Mughal ..	Ditto
349	Darshan Singh, son of Santa Singh, Jat of Chhina Bidhi Chand	Case pending in Court.
350	Shangara Singh, son of Jiwan Singh of Chhina Bidhi Chand	Ditto
351	Sharif, son of Allah Bux, Ghumhar of Nurpur (Lahore) ..	Awarded 2 months' R.I. under section 3/34/20, Passport Act on 12th November, 1957.
352	Hussain, son of Piranditta of Hadiara (Lahore) ..	Ditto
353	Ajit Singh, son of Hardit Singh, Jat of Roranwala ..	Case under investigation.
354	Puran Singh, son of Saudagar Singh, Jat of Roranwala ..	Ditto
355	Gurmej Singh, son of Fauja Singh, Jat of Roranwala ..	Ditto
356	Charan Singh, son of Jawala Singh, Jat of Havelian ..	Ditto
357	Surjit Singh, son of Lachhman Singh, Jat of Havelian ..	Ditto
358	Tarlok Singh, son of Sohan Singh of Chahal ..	Ditto
359	Piara Singh, son of Bhan Singh of Naushehra Dhalla ..	Ditto
360	Sohan Singh, son of Tehl Singh of Naushehra Dhala ..	Ditto
361	Kirpal Singh, son of Jalmeja Singh, Jat of Bhurj ..	Ditto
362	Raghbir Dass alias Bira Shah, son of Sunder Das, Arora, inside Bhagtanwala Gate, Amritsar.	Ditto

[Chief Minister]

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	AMRITSAR, DISTRICT—*contd*	
363	Piara Singh, son of Pakhar Singh, Jat of Naushehra Dhala	Case under investigation.
364	Bawa Harnam Dass, son of Gurdit Das, Jat of Naushehra Dhala	Ditto
365	Gulzara Singh, son of Wassan Singh , Jat of Chael ..	Ditto
366	Mahal Singh, son of Lachhman Singh, Jat, Chak Allahbux, police station Lopoke	Acquitted
367	Kaka, son of Mahal Singh, Mochi of Chhidan, police station, Lopoke	Case under investigation.
368	Santokha, son of Uttam Singh, Jat of Chhidan, police station Lopoke	Ditto
369	Piara Singh, son of Ishar Singh of Bay, police station Lopoke	Ditto
370	Kirpal Singh, son of Mota Singh, Jat of Rangarh ..	Ditto
371	Gian Singh, son of Ujagar Singh, Jat of village Roranwala	Ditto
372	Dial Singh, son of Bagga Singh, Jat of village Roranwala	Ditto
373	Dial Singh, son of Gurdit Singh, Jat of village Roranwala	Ditto
374	Radha Kishan, son of Durga Parshad, Caste Khatri, Kuchha Bhane Shah, Bazar Kaserian, police station 'E' Division, Amritsar	Ditto
375	Jagdish Raj, son of Partap Chand, Khatri, resident of Chowk Karorian, police staion 'E' Division, Amritsar	Ditto
376	Didar Singh, son of Udham Singh, Jat of Manawan, police station Valtoha	Ditto
377	Bahal Singh, Jat of Manawan, police station Valtoha ..	Ditto
378	Geja Singh, son of Uttam Singh, Jat of Rajoke, police station Khalra	Ditto
379	Pal Singh, son of Kartar Singh of village Dhun, police station Khalra	Ditto
380	Ram Lal, son of Mehnga Ram, Brahman of Sidhwan, police station Khalra	Ditto
381	Hans Raj alias Chhotoo, son of Chint Ram, Brahman of Khalra	Ditto
382	Nathi, son of Lal Chand, Arora of Amin Shah, police station Khalra	Ditto
383	Surjit Singh, son of Sajjan Singh , Jat of Sankatra, police station Valtoha.	Ditto

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	AMRITSAR DISTRICT—*contd*	
384	Bishan Singh, son of Bahal Singh of Sankatra ..	Case under investigation.
385	Angrez Singh, son of Sunder Singh, Jat of Valtoha ..	Ditto
386	Ajaib Singh, son of Ram Singh, Jat of Valtoha ..	Ditto
387	Sohan Singh, son of Jowala Singh, Kamboh of Valtcha	Ditto
388	Wassan Singh, son of Kundan Singh, Jat of Dubli, police station Patti	Ditto
389	Karam Singh, son of Chanan Singh, Jat of Mari Kamoke, police station Khalra	Ditto
390	Gurnam Singh, son of Harnam Singh, Jat of Chak Mughal	Ditto
391	Hardit Singh, Sarpanch of Khalra ..	Awarded 1½ years' R.I. on 17th January, 1958, under section 19/11/78, Arms Act.
392	Shabega, son of Suba Singh, Mazhabi of Dhai Ladhoo ..	Case under investigation.
393	Ajaib Singh, son of Uttam Singh, Jat of Rajoke, police station Khalra	Ditto
394	Hazara Singh, son of Sardool Singh, Jat of Dal, police station Khalra	Ditto
395	Tara Singh, son of Sunder Singh, Arora of Khalra .	Ditto
396	Lakhwinder Singh, son of Atma Singh, Jat of Chhina Bidhi Chand, police station Jhabal	Ditto
397	Joginder Singh, son of Jagat Singh, Jat of Bhaini Rajputan, police station Gharinda	Ditto
398	Kaka Singh, son of Ghasita Singh, Jat of Jathail ..	Ditto
399	Amar Singh, son of Mangal Singh, Jat of Kakar, police station Lopoke	Ditto
400	Bihari Lal, son of Sham Dass Khatri, House No. 792/12, Ganj Mori, police station 'E' Division, Amritsar	Ditto
401	Kishan Lal, son of Munshi Ram, Goldsmith, House No. 203, Sharifpura, police station 'A' Division, Amritsar	Ditto
402	Joginder Singh, son of Havela Singh, Goldsmith of Sharifpura, Amritsar	Ditto
403	Ajit Singh, son of Chanda Singh, Goldsmith of Bhakna Kalan, police station Gharinda	Ditto
404	Jowahar Lal, son of Mukand Lal, Brahmin of Katra Dulo, police station 'D' Division, Amritsar	Ditto
405	Sawaran Singh, son of Karnail Singh, Jat of Bahmniwala, police station Patti	Ditto

[Chief Minister]

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	AMRITSAR, DISTRICT—*contd*	
406	Balbir Singh, son of Jiwan Singh, Jat of Bathe Bhaini, police station Patti	Case under investigation
407	Kurat Singh, son of Santa Singh, Jat of Kacha Pacca, police station Bhikhiwind	Ditto
408	Tara Singh, son of Kaka Singh, Jat of Ahmadpura, police station Bhikhiwind	Ditto
409	Thakar Singh, son of Pala Singh, Jat of Kakar ..	Ditto
410	Tarlok Singh, son of Roor Singh, Jat of Ratta Gudha, police station Patti	Ditto
411	Raghu Nath, son of Ratta Ram, Khatri of Patti ..	Ditto
412	Sukhchain, son of Labhu Ram Jain of Patti ..	Ditto
413	Gian Chand, son of Narain Dass of Khem Karan ..	Ditto
414	Risal Singh, son of Santa Singh, Jat of Kalia, police station Valtoha	Ditto
415	Dara Singh, son of Karam Singh of Kalia, police station Valtoha	Ditto
416	Harbhajan Singh, son of Sampuran Singh, Jat of Kalia, police station Valtoha	Ditto
417	Sardool Singh, son of Hansa Singh, Jat of Kalia ..	Ditto
418	Gurnam Singh, son of Tara Singh, Jat of Kalia ..	Ditto
419	Kundan Singh, son of Sham Singh, Jat of Johal, police station Valtoha	Ditto
420	Lakha Singh, son of Fauja Singh, Mazhabi Sikh of Kakar Kalan, police station Lopoke	Ditto
421	Naranjan Singh, son of Gopal Singh, Jat of Kakkar Kalan	Ditto
422	Phuman Singh, son of Teja Singh, Jat of Khiala Khurd, police station Lopoke	Ditto
423	Gopal Dass, son of Ishar Dass Bhatia, House No. 226/1, Gali Kharasian, police station 'A' Division, Amritsar	Ditto
424	Gurdip Singh, son of Arjan Singh, Jat of Khem Karan ..	Ditto
425	Raj Kumar, son of Gian Chand Arora of Khem Karan ..	Ditto
426	Fauja Singh, son of Moola Singh, Jat of Roranwala Kalan, police station Gharinda	Ditto
427	Kartar Singh, son of Kehar Singh, Jat of Roranwala Kalan, police station Gharinda	Ditto
428	Santa Singh, son of Ranga Singh, Jat of village Dhariwal, police station Lopoke	Ditto
429	Dial Singh, son of Gujar Singh, Jat of village Brar ..	Ditto

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	AMRITSAR DISTRICT—contd	
430	Ismail, son of Mehtab Din, Ghumar of Padhana (Pakistan)	Case pending in Court.
431	Harnam Singh, son of Banta Singh, Jat of Chamiari, police station Ajnala	Ditto
432	Rajinder Singh, son of Hazara Singh, Jat of Nasoke ..	Ditto
433	Mohd Aslam, son of Agha Nasar of Lahore (Pakistan) ..	Ditto
434	Jarnail Singh, son of Bachan Singh, Jat of Ghumatala, police station Sadar Amritsar	Convicted and awarded one year's R.I. on 26th September, 1957, under section 19/11/78, Arms Act.
435	Pritam Singh, son of Mohan Singh, Arora, Gali Jandiwali, Nimak Mandi, Amritsar	Case under investigation.
436	Bachan Singh, son of Mit Singh, Jat of Chhina Bidhi Chand, police station Jhabal	Ditto
437	Raghbir Singh, son of Sewa Singh, Jat of Minhala, police station Jhabal	Ditto
438	Head Constable Kashmira Singh of P.A.P. ..	Case pending in Court.
439	Puran, son of Palla, Christian of Chaniwala, police station Lopoke	Case under investigation.
440	Chain Singh, son of Teja Singh, Jat of Bhaini Katuan, police station Jhabal	Awarded 1½ years' R.I. on 1st November, 1957, under section 19/11/78, Arms Act.
441	Mohd Sardar, son of Karam Ilahi, Muslim of Laliani (Pakistan)	Case under investigation.
442	Nazir Ahmed, son of Ghulam Mohd, Muslim of Lahore	Ditto
443	Balbir Singh, son of Sulakhan Singh, Jat of More, police station Lopoke	Ditto
444	Fauja Singh, son of Mula Singh, Jat of Roranwala, police station Gharinda	Ditto
445	Santa Singh, son of Ranga Singh, Jat of Dhariwal, police station Lopoke	Ditto
446	Banta Singh, son of Ranga Singh, Jat of Dhariwal, police station Lopoke	Ditto
447	Dial Singh, son of Gujjar Singh, Jat of Brar, police station Lopoke	Ditto

[Chief Minister]

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	AMRITSAR DISTRICT—contd	
448	Nazir Ahmad, son of Ghulam Mohd, Khukhar of Lahore	Case under investigation.
449	Mehar Singh, son of Chanan, Arora of Sohal, police station Jhabal	Ditto
450	Buta Singh, son of Kesar Singh, Arora of Sohal, police station Jhabal	Ditto
451	Gian Singh, son of Naranjan Singh, Jat of Rasulpur, police station Jhabal	Ditto
452	Piara Singh, son of Tegh Ram, Khatri of Chak Bomba, police station Khalra	Ditto
453	Raj alias Lilawati wife of Mathura Dass, Ghulati of Katra Ahluwalian, Amritsar	Ditto
454	Sat Pal, son of Khushi Ram, Khatri of Bazar Kaserian, Amritsar	Ditto
455	Foot Constable Ruchi Ram, No. 528, G.R.P., Ambala ..	Ditto
456	Balbir Singh, son of Sulakhan Singh, Jat of Maure, police Station Lopoke	Ditto
457	Sampuran Singh, son of Santa Singh, Jat of Bharobhal, police station Gharinda	Ditto
458	Makhan Singh, son of Kehar Singh, Jat of Bharobhal, police station Gharinda	Ditto
459	Satpal, son of Lal Chand, Bhatia of Mohalla Kharasian, police station 'A' Division, Amritsar	Ditto
460	Hari Ram, son of Duni Chand, Khatri of Katra Dullo, police station 'E' Division, Amritsar	Ditto
461	Piara Singh, son of Ishar Singh, Jat of Rai, police station Lopoke	Ditto
462	Raghbir Singh, son of Kartar Singh, Jat of Kalowal ..	Ditto
463	Darshan Singh, son of Natha Singh of Rania ..	Ditto
464	Chanan Singh, son of Bhadur Singh of Kalowal ..	Ditto
465	Kundan Singh, son of Bhadur Singh of Kalowal ..	Ditto
466	Thakar Singh, son of Mohatam Singh of Naushehra, police station Gharinda	Ditto
467	Bachan Singh, son of Mangal Singh, Jat of Sursingh, police station Bhikhiwind	Ditto
468	Mohinder Singh, son of Meja Singh, Jat of Sursingh, police station Bhikhiwind	Ditto
469	Manohar Lal, son of Jaswant Rai, Khatri of Chananke, police station Beas	Ditto
470	Dhian Chand, son of Dhani Ram, Khatri of Gali Khaiwali, police station 'D' Division, Amritsar	Ditto

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	AMRITSAR DISTRICT—contd	
471	Dwarka Dass, son of Daulat Ram, Khatri of Amritsar ..	Case under investigation.
472	Kewal Krishan, son of Girdhari Lal, Khatri of Haveli Jamadar, Amritsar	Ditto
473	Kashmiri Lal, son of Dina Nath, Khatri of Katra Kanian, Amritsar	Ditto
474	Dara Singh, son of Teja Singh, Jat of Patti ..	Ditto
475	Jita, son of Bhagat Singh, Mazhabi of Burj Rai ke now Patti	Ditto
476	Bhola, son of Mehnga, Christian of Roranwala, police station Barki, district Lahore (Pakistan)	Awarded 1 month's R.I. on 7th January 1958.
477	Sohan Singh, son of Ganga Singh, Rajput of Khalra ..	Case under investigation.
478	Amar Nath, son of Gurdit Singh, Khatri of Khalra ..	Ditto
479	Darshan Singh, son of Meja Singh of Shahura ..	Ditto
480	Wazir Singh, son of Ujagar Singh, Jat of Mehdipur ..	Ditto
481	Karam Singh, son of Bhadur Singh, Mazhabi of Khalra	Ditto
482	Karnail Singh, son of Ranga Singh, Jat of Chamiari ..	Ditto
483	Tara Singh, son of Santa Singh, Mehra of Kakkar Khurd	Ditto
484	Hans Raj, son of Kishan Chand, Khatri of Katra Charat Singh, Amritsar	Ditto
485	Kartar Singh, son of Kishan Singh, Jat of Dhariwal Udher	Ditto
486	Surrinder Singh alias Kakka, son of Amar Singh, Jat of Kakkar, police station Lopoke	Ditto
487	Nathu, son of Sundar, Isai of Pandowari ..	Ditto
488	Massa Singh, son of Mehna Singh, Mazhabi of Naushehra	Ditto
489	Shangara Singh, son of Ganga Singh, Jat of Naushehra ..	Ditto
490	Sucha Singh, son of Amar Singh, Jat of Naushehra ..	Ditto
491	Massa Singh, son of Kehar Singh, Jat of Naushehra ..	Ditto
492	Karnail Singh, son of Teja Singh, Jat of Jethol ..	Ditto
493	Sohan Singh, son of Sundar Singh, Arora, Gali Gareak Wali, Amritsar	Ditto
494	Madhan Lal, son of Kanshi Ram, Khatri of Ganesh Buildings, police station 'D' Division, Amritsar ..	Ditto
495	Jarnail Singh, son of Mohan Singh, Jat of Sursingh ..	Ditto
496	Piara Singh, son of Thakar Singh, Jat of Bhai Ladloo	Ditto

[Chief Minister]

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	AMRITSAR DISTRICT—contd	
497	Rup Singh, son of Sadha Singh, Jat of Bhai Ladhoo ..	Case under investigation.
498	Mangal Singh, son of Bhagu, Mazhabi ..	Ditto
499	Phangan, son of Dana, Isai of Chahura ..	Ditto
500	Balkar Singh, son of Kehar Singh, Jat of Kakkar ..	Ditto
501	Karam Singh, son of Assa Singh of Jethol ..	Ditto
502	Buta Ram, son of Gopal Dass of Jethol ..	Ditto
503	Sardari Lal, son of Lal Chand of Jethol ..	Ditto
504	Jogindar Singh, son of Achhar Singh of Jethol ..	Ditto
505	Ram Saran, son of Wadhawa Mal ..	Ditto
506	Kishan Chand, son of Ram Saran of Dhab Wasti Ram, Amritsar	Ditto
507	Khazanchi, son of Dina Nath of Devi Tali, police station 'C' Division, Amritsar	Ditto
508	Bindra Ban, son of Khazanchi Ram of Devi Tali, 'C' Division, Amritsar	Ditto
509	Panna Lal, son of Dina Nath of Gopal Nagar ..	Ditto
510	Mohindar Lal, son of Karam Chand of Sham Gali, Amritsar	Ditto
511	Kala Ram, son of Ruldu Ram, Arora of Katra Charat Singh, Amritsar	Ditto
512	Jai Pal, son of Ishar Dass, Khatri, Sharifpura, Amritsar ..	Ditto
513	Madhan Lal, son of Kanshi Ram of Durgiana Abadi, Amritsar	Ditto
514	Gauri Shankar, son of Hari Ram, Brahman of Khalra Mandi	Ditto
515	Gandhi, son of Chet Singh, Mazhabi of Khalra ..	Ditto
516	Harbans Singh, son of Sohan Singh, Mazhabi of Gandhiwind	Ditto
517	Puran Singh, son of Surjan Singh, Jat of Manawan ..	Ditto
518	Mohinder Singh, son of Gajjan Singh, Jat of Valtoha ..	Ditto
519	Mohinder Singh, son of Harnam Singh, Jat of Machhiwala, Amritsar	Ditto
520	Balwant Singh, son of Bhan Singh, Jat of Manepur, police station Kalanaur, district Gurdaspur	Ditto
521	Charan Singh, son of Wadhawa Singh of Bhalla Pindi ..	Ditto
522	Lajjaya Ram, son of Amar Nath, Khatri of Katra Dulo, Amritsar	Ditto

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	AMRITSAR DISTRICT—contd	
523	Jiya Lal, son of Maya Ram, Khatri, Gali Jauru, Police Station 'D' Division, Amritsar	Case under investigation
524	Rattan Chand, son of Daulat Ram, Guru Bazar, Amritsar	Ditto
525	Bishan Dass, son of Ramsaran Dass, Katra Khazana, Amritsar	Ditto
526	Kartar Singh, son of Prem Singh, Jat of Chima, Police Station Valtoha	Ditto
527	Ram Singh, son of Bhag Singh, Jat of Algon, Police Station Valtoha	Ditto
528	Jiwan Singh, son of Narain Singh, Jat of Assal, Police Station Valtoha	Ditto
529	Mohinder Singh, son of Dara Singh, Mazhabi of Bhagwanpura	Ditto
530	Dalip Singh, son of Pala Singh, Jat of Bhai Ladhoo ..	Ditto
531	Suraj, son of Mangoo Saqqa of Gwind of Lahore ..	Ditto
532	Sadiq, son of Alla Din, Ghumar of Nurpur, district Lahore	Ditto
533	Mohinder Singh, son of Buta Singh, Jat of Bhai Ladhoo	Ditto
534	Roshan Lal, son of Ghani Sham Dass, Gali Khaiwali police station Gharinda	Ditto
535	Gurpal Singh, son of Thakar, Singh Jat of Algon ..	Ditto
536	Jatar Singh, son of Khem Singh, Jat of Cheema, police station Valtoha	Ditto
537	Kapur Singh, son of Mastan Singh, Jat of Cheema ..	Ditto
538	Swaran Singh, son of Mehain Singh, Jat of Algon ..	Ditto
539	Kabal Singh, son of Angrez Singh, Jat of Algon ..	Ditto
540	Fauja Singh, son of Gajjan Singh, Jat of Algon ..	Ditto
541	Sardul Singh, son of Jiwan Singh, Jat of Assal ..	Ditto
542	Dalip Singh, son of Jagat Singh, Jat of Kalsian ..	Ditto
543	Karam Singh, son of Lal Singh, Jat of Bhai Ladhoo ..	Ditto
544	Balambar Singh, son of Jawahar Singh, Jat of Mughalwala	Ditto
545	Waryam Singh, son of Labh Singh, Jat of Kacha Pacca ..	Ditto
546	Kundan Singh, son of Lal Singh, Jat of Kachha Pacca ..	Ditto
547	Achhar Singh, son of Labh Singh, Jat of Kalsian ..	Ditto
548	Shangar Singh, son of Kala Singh, Barber of Kalsian ..	Ditto
549	Sajjan Singh, son of Dalip Singh, Jat of Dal, police station Khalra	Ditto

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	AMRITSAR DISTRICT—contd	
550	Sher Singh, son of Suba Singh, Jat of Dal, police station Khalra	Case under investigation
551	Gajjan Singh, son of Santa Singh, Jat of Wan ..	Ditto
552	Kashmira Singh, son of Lal Singh, Jat of Narli ..	Ditto
553	Iqbal Singh, son of Lal Singh, Jat of Narli ..	Ditto
554	Satnam Singh, son of Bela Singh, Chak Mughal ..	Ditto
555	Gurnam Singh, son of Bagel Singh, Jat of Delari, police station Khalra	Ditto
556	Ajit Singh, son of Suchet Singh, Jat of Delari, police station Khalra	Ditto
557	Puran Singh, son of Dial Singh, Jat of Narli ..	Ditto
558	Shangara Singh, son of Nazar, Mazhabi of Mari Kamboke	Ditto
559	Mukhtiar Singh, son of Pritam Singh, Jat of Maddar ..	Ditto
560	Fauja Singh, son of Budh Singh, Mazhabi of Dal, police station Khalra	Ditto
561	Munshi Ram, son of Ganda Ram, Brahman of Muslim Ganj	Ditto
562	Joginder Pal, son of Daulat Ram, Khatri of Amritsar ..	Ditto
563	Parma Nand, son of Pehru Ram, Khatri, Bagh Ramanand, Amritsar	Ditto
564	Laxmi Narain, son of Sahab Dayal of Chhatu Terrace, Bombay	Ditto
565	Nek Chand, son of Charanji Lal, Khatri of Bagh Ramanand, Amritsar	Ditto
566	Partap Singh, son of Karam Singh, Arora, Gali Pahalwan, Amritsar	Ditto
567	Indar Singh, son of Ujagar Singh, Jat of Khalra ..	Ditto
568	Mohinder Singh, son of Ujagar Singh, Jat of Khalra ..	Ditto
569	Dial Singh, son of Chanan Singh, Jat of Barwal ..	Ditto
570	Piara Singh, son of Dial Singh, Jat of Bandala ..	Ditto
571	Wassan Singh, son of Ganda Singh, Jat of Roranwala Kalan	Ditto
572	Teja Singh, son of Santa Singh, Jat of Ladhai Wali ..	Ditto
573	Hans Raj, son of Milkhi Ram, Khatri of Attari ..	Ditto
574	Manmohan Singh alias Maddi, son of Sadhu Singh, Jat of Jathol ..	Ditto

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	AMRITSAR DISTRICT—contd	
575	Gurdial Singh, son of Naranjan Singh, Jat of Roranwala Khurd	Case under investigation
576	Swaran Singh, son of Boota Singh, village Mode ..	Ditto
577	Partap Singh, son of Tara Singh, Jat of Wagha ..	Ditto
578	Sawan Singh, son of Mangal Singh, Jat of Bharopal ..	Ditto
579	Roshan Lal, son of Sobha Ram, Khatri of Katra Khazana, Amritsar	Ditto
580	Meja Singh, son of Arjan Singh, Jat of Chowk Mit Singh, Amritsar	Ditto
581	Shiv Raj Pal Singh, son of Bhagwan Singh, Chowk Mit Singh, Amritsar	Ditto
582	Banwari Lal, son of Dewan Chand, Khatri of Qilla Bhangian	Ditto
583	Mohan Lal, son of Gopal Dass, Arora of Dhab Wasti Ram, Amritsar	Ditto
584	Jaswant Singh, son of Hari, Zargar of Sharifpura, Amritsar	Ditto
585	Dwarka Dass, son of Hans Ram, Khatri of Gali Rangewali, Amritsar	Ditto
586	Tara Chand, son of Atma Ram, Mehra of Chaura Pipla, Amritsar	Ditto
587	Assa Singh, son of Uttam Singh, Jat of Kalsian, police station Khalra	Ditto
588	Chanan Singh, son of Suba Singh, Jat of Dal ..	Ditto
589	Harnam Singh, son of Bahal Singh, Ghumar of Rehmatpura, Amritsar	Ditto
590	Piara, son of Jiwan, Christian, Daras Ke ..	Ditto
591	Indar Singh, son of Udham Singh, Jat of Manawan ..	Ditto
592	Amar Nath, son of Gian Chand of Attari ..	Ditto
593	Ram Kishan, son of Harbi Mal, Brahman of Attari ..	Ditto
594	Behari Lal, son of Dewan Chand of Attari ..	Ditto
595	Kundan Singh, son of Chand Singh, Rajput of Attari ..	Ditto
596	Kashmira Singh, son of Assa Singh, Jat of Mode ..	Ditto
597	Gurdial Singh, son of Autar Singh, Jat of Kalas ..	Ditto
598	Bakhshish Singh, son of Dalip Singh, Jat of Roranwala ..	Ditto
599	Sewa Singh, son of Khewan Singh of Attari ..	Ditto
600	Amar Singh, son of Kharak Singh, Jat of Kiral Garh ..	Ditto

[Chief Minister]

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	AMRITSAR DISTRICT—contd	
601	Raj Singh, son of Kharak Singh, Jat of Kiral Garh ..	Case under investigation.
502	Anup Singh, son of Kharak Singh, Jat of Kiral Garh ..	Ditto
603	Buta Singh, son of Kesar Singh of Sohal ..	Ditto
604	Kartar Singh, son of Buta Singh, Jat of Chhina Bidhi Chand	Ditto
605	Jaswant Singh, son of Iqbal Singh, Jat of Naushehra Dhalla	Ditto
606	Kundan Singh, son of Harnam Dass Mahant of Naushehra	Ditto
607	Amir Chand, son of Jagan Nath, Khatri of Gali Karmon, Amritsar	Ditto
608	Balwant Singh, son of Wazir Singh, Arora of Gali Punjab Singh, Amritsar	Ditto
609	Bhagan Lal alias Lal Chand, son of Rup Chand of Gali Karmon, Amritsar	Ditto
610	Shivan Ditta alias Kakka Mota Dalal, son of Maghi Ram, Brahman of Bazar Kaserian, Amritsar	Ditto
611	Harbhajan Singh, son of Bhagga Singh, Zargar of Chaura Bazar, Amritsar	Ditto
612	Jai Gopal, son of Banarsi Dass, Khatri of Gali Pipla, Amritsar	Ditto
613	Charan Jit Lal, son of Kishore Chand, Khatri of Katro Dulo, Amritsar	Ditto
614	Salwant Singh, son of Boota Singh, Jat of Serai Amant Khan, Amritsar	Ditto
615	Arjan Singh, son of Jawala Singh, Jat of Serai Amant Khan, Amritsar	Ditto
616	Thakar Singh, son of Sanga Singh, Jat of Hoshiar Nagar..	Ditto
617	Sulkhan Singh, son of Phula Singh, Jat of Havelian ..	Ditto
618	Sucha Singh, son of Chanan Singh, Jat of Chwinda ..	Ditto
619	Jaskaran Singh, son of Ajaipal Singh of Ama Khurd ..	Ditto
620	Gurmej Singh, son of Lachhman Singh, Jat of Sohal	Ditto
621	Barkat, son of Suraj, Christian of Jaman, District Lahore	Awarded 2 months' R.I. under section 3/34/20 Passport Act.
622	Piara son of Suraina, Christian of Jaman	Ditto
623	Nazir, son of Nathu, Christian of Lahore	Ditto

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	AMRITSAR DISTRICT—contd	
624	Avtar Singh son of Gurdial, Singh, Jat of Sursingh	Case under investigation.
625	Sarda Singh, son of Dalip Singh, Barber of Sursingh	Ditto
626	Mota Singh, son of Sohan Singh of Sursingh	Ditto
627	Pritam Singh, son of Banka of Kot Budha, police station Patti	Ditto
628	Sukhbir Singh, son of Sulakhan Singh, Jat of Maure, police station Lopoke	Ditto
629	Balak Ram, son of Achhru Mal, Brahman of Chah Bombaywala, police station 'E' Division, Amritsar	Ditto
630	Lachhman Dass alias Lachoo Pandit, son of Achhru Mal, Brahman of Chowk Passian, Amritsar	Ditto
631	Mangal Singh, son of Sohan Singh, Jat of Chahal	Ditto
632	Santokh Singh, son of Surain Singh, Jat of Naushehra	Ditto
633	Nindar Singh, son of Teja Singh, Jat of Havelian	Ditto
634	Bhan Singh, son of Jagir Singh, Jat of Cheema	Ditto
635	Darshan Singh, son of Rai Singh, Jat of Cheema	Ditto
636	Ajit Singh, son of Tara Singh, Jat of Havelian	Ditto
637	Tara Singh, son of Kehar Singh, Mehra of Naushera	Ditto
638	Gurdial Singh, son of Kapur Singh, Jat of Havelian	Ditto
639	Kapur Singh, son of Sham Singh, Jat of Havelian	Ditto
640	Santa Singh, son of Thakar Singh, Jat of Havelian	Ditto
641	Tara Singh, son of Sadhu Singh, Mazhabi of Burj	Ditto
642	Ram Saran, son of Ganpat Ram of Attari	Ditto
643	Lachhman Singh, son of Sundar Singh, Jat of Burj	Ditto
644	Paru, son of Harnam Singh, Mazhabi of Burj	Ditto
645	Harbans Singh, son of Sundar Singh, Jat of Cheema Khurd	Ditto
646	Kundan Lal, son of Dhani Ram Arora of Attari	Ditto
647	Khazan Singh, son of Mehar Singh, Jat of Kakkar	Ditto
648	Darshan Singh, son of Bhagat Singh of Kalsian	Ditto
649	Jit Singh, son of Santa Singh, Jat of Kacha Pacca	Ditto
650	Surat Singh, son of Bhan Singh, Jat of Kachha Pacca	Ditto
651	Harbans Singh, son of Sundar Singh, Jat of Kacha Pacca	Ditto

[Chief Minister]

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	AMRITSAR DISTRICT—contd	
652	Suba Singh, son of Jagat Singh, Jat of Rakna Mangala, police station Sadar Ferozepore	Case under investigation
653	Mohindar Singh, son of Buta Singh, Jat of Bhai Ladhoo	Ditto
654	Labh Singh, son of Lehna Singh, Jat of Talwani, police station Patti	Ditto
655	Gian Singh, son of Kartar Singh, Jat of Wan	Ditto
656	Piara Singh, son of Surain Singh, Jat of Muthianwala	Ditto
657	Makhan Singh, son of Sohan Singh, Jat of Valtoha	Ditto
658	Lekh Raj, son of not known, Proprietor, Hyderabad Sind Hotel, Hall Bazar, Amritsar	Ditto
659	Puran Chand, son of Devi Ditta, Khatri of Guru Bazar, Amritsar	Ditto
660	Kesar Singh, son of Lajpat Rai, Khatri of Gandhi Nagar, Amritsar	Ditto
661	Nathi Ram, son of Hoshnak Rai of Katra Mool Singh, Amritsar	Ditto
662	Gurnam Singh, son of Banta Singh, Jat of Sultanwind, Amritsar	Ditto
663	Kishan Chand, son of Paharia Mal, Saraf of Mohalla Sirki Bandan, Amritsar	Ditto
664	Faqir Chand, son of Lal Chand, Khatri of Katra Charat Singh, Amritsar	Ditto
665	Tilak Raj, son of Ram Nath, Khatri of Katra Dulo, Amritsar	Ditto
666	Rup Lal, son of Paharia Mal, Saraf of Guru Bazar, Amritsar	Ditto
667	Sain Dass, son of Harname Shah of Nimak Mandi, Amritsar	Ditto
668	Ram Chand, son of Behari Lal, Arora, Ranike	Ditto
669	Kehar Singh, son of Dhana Singh, Jat of Dhalla	Ditto
670	Piara alias Lahan, son of Fauja Singh, Mazhabi of Dhalla	Ditto
671	Sewa Singh, son of Kapur Singh, Jat of Naushera	Ditto
672	Mohindar Singh, son of Hazara Singh, Mazhabi of Dhalla	Ditto
673	Shangara Singh, son of Thakar Singh, Jat of Naushera	Ditto
674	Dalip Chand, son of Nand Lal of Naushera	Ditto
675	Arjan Singh, son of Lakha Singh, Jat of Cheema	Ditto
676	Didar Singh, son of Hakam Singh, Jat of Magga Kalan	Ditto

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	AMRITSAR DISTRICT—contd	
677	Kirpal Singh, son of Labh Singh, Jat of Mole Kot	Case under investigation.
678	Sewa Singh, son of Tara Singh, Jat of Maga Kalan	Ditto
679	Rulia, son of Atma Singh, Mazhabi of Kiral Garh	Ditto
680	Karnail Singh, son of Mangal Singh, Mazhabi of Mole Kot	Ditto
681	Faqir Singh, son of Thakar Singh of Chogawan	Ditto
682	Man Singh, son of Sundar Singh of Miani	Ditto
683	Baljit Singh, son of Bahadur Singh, Jat of Kirtowal, police station Patti	Ditto
684	Mohan Singh, son of Suba Singh, Jat of Bhal	Ditto
685	Banta Singh, son of Hira Singh, Jat of Subhara	Ditto
686	Mohana, son of Santa Sansi of Bhai Ladhoo	Ditto
687	Karnail Singh, son of Buta Singh, Jat of Kalsian	Ditto
688	Mehal Singh, son of Dhian Singh, Jat of Ghariala	Ditto
689	Ruldu, son of Wadhawa, Zargar of Awan	Ditto
690	Balwant Singh, son of Pala Singh, Jat of Ami Shah	Ditto
691	Hazara Singh, son of Bachan Singh of Ami Shah	Ditto
692	Dula Singh, son of Surjan Singh, Jat of Punian	Ditto
693	Teja Singh alias Kul, son of Ujagar Singh, Jat of Chogawan	Ditto
694	Harnam, son of Chuhar Singh, Christian of Saurian	Ditto
695	Maqbool Singh, son of Labh Singh, Jat of Mulan Kot	Ditto
696	Sulakhan Singh, son of Inder Singh, Jat of Bachiwind	Ditto
697	Joginder Singh, son of Meja Singh, Jat of Kakkar Kalan	Ditto
698	Tarlok Singh, son of Inder Singh, Jat of Kakkar Khurd ..	Ditto
699	Jaswant Singh, son of Chhattar Singh, Jat of Cheleke ..	Ditto
700	Ajit Singh, son of Mula Singh, Jat of Jethol ..	Ditto
701	Indar Singh, son of Mula Singh, Jat of Jethol ..	Ditto
702	Gal Singh, son of Gujjar Singh of Ramgarh ..	Ditto
703	Gian Singh, son of Surain Singh, Jat of Lahori Mal ..	Ditto
704	Pal Singh, son of Ganda Singh, Jat of Rattan ..	Ditto
705	Bir Singh, son of Atma Singh, Jat of Dhanoe Kalan ..	Ditto
706	Milkha Singh, son of Basant Singh, Jat of Ranieke ..	Ditto

[Chief Minister]

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	AMRITSAR DISTRICT—Contd	
707	Lakha Singh, son of Teja Singh, Jat of Gharinda ..	Case under investigation
708	Tara Singh, son of Hardit Singh, Jat of Attari ..	Ditto
709	Mohindar Singh, son of Ram Singh, Jat of Dhanoe Kalan	Ditto
710	Hari Singh, son of Ram Singh, of Dhanoe Kalan ..	Ditto
711	Kashmira Singh, son of Badal Singh, Jat of Serai Smanar Khan	Ditto
712	Harbans Singh, son of Chanchal Singh, Jat of Chahal ..	Ditto
713	Moola Singh, son of Kesar Singh, Jat of Roranwala ..	Ditto
714	Sadhu Singh, son of Hukam Singh of Roranwala ..	Ditto
715	Mela Singh, son of Kesar Singh, Jat of Roranwala ..	Ditto
716	Bakhshish Singh, son of Sundar Singh of Roranwala ..	Ditto
717	Partap Singh, son of Teja Singh of Rattan Kalan ..	Ditto
718	Dial Singh, son of Ishar Singh, Jat of Bagrian ..	Ditto
719	Darshan Singh, son of Fateh Singh of Dhanoe Khurd ..	Ditto
720	Surat Singh, son of Manna Singh, Jat of Hamidpur ..	Ditto
721	Samma Singh, son of Wadhawa Singh of Chhina Bidhi Chand	Ditto
722	Dial Singh, son of Teja Singh, Jat of Chhina Bidhi Chand	Ditto
723	Santokh Singh, son of Dassa Singh of Naushera ..	Ditto
724	Charan Singh, son of Khazan Singh, Jat of Naushera ..	Ditto
725	Bachan Singh, son of Phula Singh, Jat of Naushera ..	Ditto
726	Sohan Singh, son of Sham Singh, Mazhabi of Naushera	Ditto
727	Charan Singh, son of Hukam Singh, Jat of Kiralgarh ..	Ditto
728	Dara Singh, son of Pala Singh, Jat of Kiralgarh ..	Ditto
729	Jogindar Singh, son of Bachittar Singh, Jat of Kakkar ..	Ditto
730	Chanan Singh, son of Dial Singh, Jat of Kakkar ..	Ditto
731	Charan Singh, son of Hukam Singh, Jat of Kiralgarh ..	Ditto
732	Dara Singh, son of Palla Singh, Jat of Kiralgarh ..	Ditto
733	Gurdip Singh, son of Chanchal Singh, Jat of Kakkar ..	Ditto
734	Bhajan Singh, son of Puran Singh, Jat of Kakkar ..	Ditto
735	Harnam, son of Ranga, Christian, Kakkar ..	Ditto

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	DISTRICT AMRITSAR—contd	
736	Arjan Singh, son of Rama, Mazhabi of Kakkar ..	Case under investigation
737	Darshan Singh, son of Labh Singh, Mazhabi of Burj ..	Ditto
738	Chanan Singh, son of Labh Singh, Jat of Dhanoe Kalan	Ditto
739	Fauja Singh, son of Nagar Singh, Jat of Khem Karan ..	Ditto
740	Girdhari Lal, son of Narain Dass, Arora of Tarn Taran	Ditto
741	Sita Ram, son of Bashambar Dass, Khatri of Katra Kanahian, Amritsar	Ditto
742	Gian Singh, son of Barkat Singh, Rajput of Sharifpura, Amritsar	Ditto
743	Dev Raj, son of Hira Lal, Khatri of Katra Dulo, Amritsar	Ditto
744	Sham Dass, son of Darbari Mal, Khatri of Chah Kaure, police station 'E' Division, Amritsar	Ditto
745	Kharaiti Ram, son of Daulat Ram, Bhatia of Gali Kharasian, Amritsar	Ditto
746	Pal Singh, son of Deva Singh, Mazhabi of Dhanoe Kalan	Ditto
747	Harnam Singh, son of Gassa Singh, Jat of Ranike ..	Ditto
748	Gurbux Singh, son of Surat Singh, Jat of Dhanoe Kalan	Ditto
749	Thakar Singh, son of Nihal Chand, Zargar, of Ranieke ..	Ditto
750	Bachan Singh, son of Kesar Singh, Zargar of Ranieke ..	Ditto
751	Gulab Singh, son of Teja Singh, Jat of Rattan Khurd ..	Ditto
752	Dara Singh, son of Bhagwan Singh, Jat of Ranieke ..	Ditto
753	Beant Singh, son of Gopal Singh, Jat of Chahal ..	Ditto
754	Saudagar Singh, son of Maharaj Singh, Jat of Chahal ..	Ditto
755	Alam, son of Alla Din, Arain of Dofian, Lahore ..	Ditto
756	Chanan Singh, son of Lal Singh of Paddri ..	Ditto
757	Gurdip Singh, son of Dhanna Singh, Jat of Bhure ..	Ditto
758	Bagel Singh, son of Chanchal Singh of Makhi ..	Ditto
759	Kartar Singh, son of Khem Singh, Jat of Cheema ..	Ditto
760	Darbara Singh, son of Thakar Singh, Jat of Cheema ..	Ditto
761	Karam Singh, son of Chanan Singh, Jat of Mari Kamboke	Ditto
762	Jarnail Singh, son of Santa Singh, Jat of Rajoke ..	Ditto
763	Desa Singh, son of Dial Singh, Jat of Rajoke ..	Ditto
764	Gian Singh, son of Kartar Singh, Jat of Wan ..	Ditto

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	AMRITSAR DISTRICT—*contd*	
765	Chanan Singh, son of Arjan Singh, Ghumar of Patti ..	Case under investigation.
766	Piara Singh, son of Thakar Singh, Jat of Bhai Ladhoo ..	Ditto
767	Rup Singh, son of Sadhu Singh, Jat of Bhai Ladhoo ..	Ditto
768	Hukam Singh, son of Thakar Singh, Jat of Bhai Ladhoo	Ditto
769	Teja Singh, son of Indar Singh, Jat of Bhai Ladhoo ..	Ditto
770	Teja Singh, son of Mal Singh, Jat of Sursingh ..	Ditto
771	Dari, son of Gujjar of Sursingh ..	Ditto
772	Harnam Singh, son of Bahal Singh, Ghuman of Ahmadpura, Amritsar	Ditto
773	Karnail Singh, son of Kakka Singh of Ahmadpura, Amritsar	Ditto
774	Geja Singh, son of Ujagar Singh, Jat of Ahmadpura, Amritsar	Ditto
775	Suba Singh, son of Mand Singh, Ahmadpura, Amritsar ..	Ditto
776	Jogindar Singh, son of Balaura Singh, Jat of Ahmadpura, Amritsar	Ditto
777	Puran Singh, son of Jagat Singh of Kalsian ..	Ditto
778	Baja Singh, son of Bagga Singh, Jat of Kalsian ..	Ditto
779	Darshan Singh, son of Harnam Singh, Jat of Kalsian ..	Ditto
780	Surjan Singh, son of Mian Singh, Jat of Kalsian ..	Ditto
781	Sulakhan Singh, son of Hazara Singh, Zargar of Ghariala	Ditto
782	Harbans Singh, son of Lal Singh, Jat of Thatta ..	Ditto
783	Gurdial Singh, son of Bhag Singh, Jat of Thatta ..	Ditto
784	Surat Singh, son of Lal Singh, Jat of Sughra ..	Ditto
785	Teja Singh, son of Lal Singh, Jat of Bhai Ladhoo ..	Ditto
786	Dial Singh, son of Gajjan Singh, Jat of Dhaul, police station Valtoha	Ditto
787	Raj Kumar, son of Behari Lal, Khatri of Assal ..	Ditto
788	Dara Singh, son of Bahal Singh, Jat of Assal ..	Ditto
789	Pritam Singh, son of Jit Singh, Jat of Varnala ..	Ditto
790	Jit Singh, son of Sobha Singh, Jat of Varnala ..	Ditto
791	Surjan Singh, son of Makhan Singh, Mazhabi of Bijli Ghar	Ditto
792	Panna Lal, son of Sohan Lal, Arora of Gali Lalowali, Amritsar	Ditto

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	AMRITSAR DISTRICT—*contd*	
793	Bhagat Singh, son of Chuhar Singh, Jat of Haidampura, police station Lopoke	Case under investigation.
794	Pritam Singh, son of Narain Singh, Jat of Haidampura, police station Lopoke	Ditto
795	Jagiri Lal, son of Girdhari Khatri of Chheharta ..	Ditto
796	Naranjan Singh, son of Jiwan Singh, Jat of Habibpura, Amritsar	Ditto
797	Karaj Singh, son of Ishar Singh, Jat of Hamidpura, Amritsar	Ditto
798	Chuni Lal, son of Chhaju Ram of Brar ..	Ditto
799	Lachhman Singh, son of Mauj Singh, Jat of Chhina Bidhi Chand	Ditto
800	Ram Parkash, son of Hem Raj, Khatri of Chowk Phullanwala, police station 'D' Division, Amritsar	Ditto
801	Charanjit Lal, son of Nand Lal, Zargar of Chowk Pasian, Amritsar	Ditto
802	Girdhari Lal, son of Nand Lal, Zargar of Bagh Ramanand, Amritsar	Ditto
803	Piara Singh, son of Karnail Singh, Jat of Bhangali Kalan,	Fined Rs. 100 and punishment till rising of the Court.
804	Kala Singh, son of Dial Singh, Jat of Chowk Farid, Amritsar	Ditto
805	Dari, son of Atma Singh, Jat of Harse Chhina, police station Ajnala	Ditto
806	Bakhshish Singh, son of Ujagar Singh, Jat of Mandia ..	Ditto
807	Sarwan Singh, son of Dara, Jat of Rokhe ..	Ditto
808	Amar Singh, son of Bhola Singh, Jat of Kothian ..	Case under investigation.
809	Ram Lubhaya, son of Durga Dass, Khatri of Fatehgarh Churian, District Gurdaspur	Ditto
810	Jhanda Singh alias Ishar Singh alias Bawa Singh, son of Uttam Singh of Tera Rajputan	Ditto
811	Jawind Singh, son of Nihal Singh, Dhalla Rajputan ..	Ditto
812	Darshan Singh, son of Saudagar Singh of Karial ..	Ditto
813	Surjan Singh, son of Saudagar Singh of Karial ..	Ditto
814	Sadiq Weaver of police station Rayya, District Sialkot ..	Ditto
815	Piara Singh, son of Karnail Singh, Jat of Bhauholi Kalan ..	Ditto
816	Pardhan Singh, son of Balwant Singh, Jat of Boharwala	Ditto

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	AMRITSAR DISTRICT—concld	
817	Bakhshish Singh, son of Ujagar Singh, Jat of Mattia ..	Case under investigation
818	Ajit Singh, Jat of Mattia ..	Ditto
819	Amar Singh, son of Bhola Singh, Jat of Kothian ..	Ditto
820	Teja Singh, son of Bhagat Singh, Jat of Bhindi Aulakh ..	Ditto
821	Dara Singh alias Dari, son of Punjab Singh, Jat of Minhar	Ditto
822	Gurdial Singh, son of Bur Singh, Jat of Anayatpura, Amritsar	Ditto
823	Assistant Sub-Inspector Harra Singh of P.A.P., Amritsar	Case under trial.

Statement showing particulars of persons arrested for smuggling on the Indo-Pakistan Border of the State from 15th August, 1947 to 31st January, 1957, districtwise and the punishment awarded to them

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	FEROZEPORE DISTRICT	
1	Hazari Ram, son of Nand Ram of Baroke, police station Khuyian Sarwar	Case under investigation under section 411 I.P.C.
2	Balwant, son of Udhe Ram, Jat of Bareke, police station Khuyian Sarwar	Ditto
3	Dharam Paul, son of Narain Ram, Jat of Bareke, police station Khuyian Sarwar	Ditto
4	Raghbir Singh, son of Labhu Ram, Jat of Bareke ..	Ditto
5	Ratti Ram, son of Biru Ram, Jat of Bareke ..	Ditto
6	Bahadur, son of Pat Ram, Jat of Bareke ..	Ditto
7	Ram Partap, son of Kahna Ram, Bauria of Bareke ..	Ditto
8	Dhana, son of Phusa Ram, Bauria of Bareke	Ditto
9	Balwant Singh, son of Mukand Singh Arora of Jand Wala Meran Sangla, police station Khuyian Sarwar	Ditto
10	Birbal, son of Ratti Ram, Hajam of Bareke ..	Ditto
11	Sunder Singh, son of Jowala, Arora of Jand Wala Meran Sangla, police station Khuyian Sarwar	Ditto
12	Kahla Singh, son of Machhi Singh, Rai Sikh of Asaf Wala, police station Sadar Fazilka	Ditto
13	Nazri, son of Bagga Singh, Rai Sikh of Khoker, police station Sadar Fazilka	Ditto
14	Uttam Singh, son of Gurdit Singh, Rai Sikh of Matar, police station Mamdot	Ditto

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	FEROZEPORE DISTRICT—contd	
15	Sajjan Ram, son of Isher Dass, Arora of Kot Bhai ..	Case under investigation under section 411 I.P.C.
16	Puran Chand, son of Udha Ram, Arora of Gidderbaha, police station Kot Bhai	Ditto
17	Shiv Dial, son of Raja Ram, Aggarwal of Gidderbaha Mandi, police station Kot Bhai	Ditto
18	Joginder Mal, son of Rulia Ram, Aggarwal of Gidderbaha Mandi, police station Kot Bhai	Ditto
19	Chanan Ram, son of Raja Ram, Aggarwal of Gidderbaha Mandi, police station Kot Bhai	Ditto
20	Fatta, son of Lakhu, Jat of Bareke, police station Khuyan Sarwar	Ditto
21	Onkar, son of Ram Chand, Jat of Bareke ..	Ditto
22	Stara Singh, son of Thakar Singh, Jat of Kothi Faiz, Abohar	Ditto
23	Bal Kishan, son of Diwan Chand, Arora of Abohar	Ditto
24	Kasturi Lal, son of Balkishan, Arora of Abohar ..	Ditto
25	Tehal Singh, son of Gurdit Singh, Jat of Saranwan, police station Malout	Ditto
26	Pala Singh, son of Kishan Singh, Jat of Saranwan, police station Malout	Ditto
27	Bhagwan Singh, son of Jowala Singh, Jat of Malout ..	Ditto
28	Darshan Singh, son of Dhara Singh, Jat of Sarawan, police station Malout	Ditto
29	Kehar Singh, son of Assa Singh, Jat of Ina Khera, police station Malout	Ditto
30	Gurdial Singh, son of Amar Singh, Jat of Saranwan, police station Malout	Ditto
31	Yaqub, son of Lal Khan, Rajput of Orang, police station Bhole Wala, Bahawalpur State	Awarded 6 months' and 1½ months' R.I. in cases under section 19/11/78, Arms Act and 3/4 Passport Act, case under section 9/1/78 Opium Act is pending in Court
32	Sharif, son of Hanif Bhatt of Pinjri, police station Deepalpur, District Montgomery (Pakistan)	Awarded 1 year's R.I. and 1½ months' R.I. in cases under section 19/11/78 Arms Act and 3/4 Pass port Act
33	Mehal Singh, son of Teja Singh, Jat of Saranwan Bodhal, police station Malout	Case under investigation under section 411, I.P.C.

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	FEROZEPORE DISTRICT—contd	
34	Kehar Singh, son of Phula Singh of Ladhuwala Autar, police station Jalalabad	Case under investigation under section 411 I.P.C.
35	Bakhshish Singh, son of Kehar Singh, Jat of Saranwan, police station Malout	Ditto
36	Buta Singh, son of Rana Singh of Tahliwala, police station Jalalabad	Case under investigation under section 380 I.P.C.
37	Ujagar Singh, son of Buta Singh, Rai Sikh of Tahliwala, police station Jalalabad	Ditto
38	Diwan Singh, son of Har Singh, Rai Sikh of Tahliwala, police station Jalalabad	Ditto
39	Gian Singh, son of Banta Singh, Jat of Kothi Faiz, police station Abohar	Case pending in Court under section 9/1/78, Opium Act.
40	Pala Singh, son of Lachhman Singh of Kothi Faiz, police station Abohar	Case under investigation under section 411, I.P.C.
41	Labh Singh, son of Shanker Singh, Rai Sikh of Alam Shah, police station Sadar Fazilka	Ditto
42	Hassa Singh, son of Nadar Singh, Rai Sikh of Alam Shah, police station Sadar Fazilka	Case under investigation under section 380 I.P.C.
43	Bhag Chand alias Billa, son of Shiv Lal, Ahir of Abohar	Ditto
44	Thakar Singh alias Thakri, son of Chandi, Sikh of Bakhu Shah, police station Sadar Fazilka	Ditto
45	Gopal Singh, son of Fattah Singh, Jat of Midha, police station Malout	Case under investigation under section 411, I.P.C.
46	Ghasita Singh, son of Natha Singh, Jat of Karna Wala police station Kot Bhai	Ditto
47	Nazar Singh, son of Sohan Singh, Jat of Mohal, police station Malout	Ditto
48	Mahal Singh, son of Narain Singh, Jat of Katian Wali, police station Malout	Ditto
49	Gurbachan Singh, son of Machhi Wala of Tahliwala, police station Jalalabad	Ditto
50	Dona Singh, son of Buta Singh, Rai Sikh of Tahliwala, police station Jalalabad	Case under investigation under section 380, I.P.C.
51	Lalia, son of Gobind Ram, Jat Bagri of Bareka, police station Khuyian Sarwar	Case under investigation under section 411, I.P.C.
52	Jaimal, son of Gharsi Ram, Chamar of Muradwala, police station Khuyian Sarwar	Ditto

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	FEROZEPORE DITRICT—contd	
53	Harchand, son of Kahna, Bauria of Bareke, police station Khuyian Sarwar	Case under investigation under section 411, I.P.C.
54	Ram Kishan, son of Madra, Customs Inspector, Abohar	Case pending in Court under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act
55	Raghu Lal Bhushan Dutt, Supervisor, Customs, Abohar ..	Ditto
56	Jagtar Singh, son of Dalip Singh, Jat of Pakka Chishtian, police station Sadar Fazilka	Case under investigation under section 380, I.P.C.
57	Resham Singh, son of Nadar Singh, Rai Sikh of Bhaini Mohd Ali (Pakka), police station Sadar Fazilka	Ditto
58	Gurdas, son of Khushi Ram, Brahman of Saranwan, police station Malout	Case under investigation under section 411, I.P.C.
59	Lal Chand, son of Daulat Ram Aggarwal, police station Fazilka	Ditto
60	Ganpat, son of Bega Ram, Bauria of Azam Wala, police station Khuyian Sarwar	Ditto
61	Dogar Singh, son of Shaki Singh, Rai Sikh of Jhuga Mehtab Singh, police station Fazilka	Case under investigation under section 380, I.P.C.
62	Munshi Singh, son of Gobinda Singh, Rai Sikh of Mohd Amera, police station Sadar Fazilka	Ditto
63	Karam Singh, son of Gobinda Singh, Rai Sikh of Mohd Amera, police station Sadar Fazilka	Ditto
64	Hari Singh, son of Kunda Singh, Rai Sikh of Ladhka, police station Sadar Fazilka	Ditto
65	Mehar Singh, son of Buta Singh, Rai Sikh of Tahliwala, police station Jalalabad	Case under investigation under section 457, I.P.C.
66	Kanshi Singh, son of Shankar Singh, Rai Sikh of Tahliwala, police station Jalalabad	Ditto
67	Teja Singh, son of Sahib Singh, Rai Sikh of Tahliwala police station Jalalabad	Ditto
68	Fauja Singh, son of Nanak Singh, Rai Sikh of Tahliwala, police station Jalalabad	Ditto
69	Bagga Singh, son of Jhanda Singh, Rai Sikh of Tahliwala, police station Jalalabad	Case under investigation under section 411, I.P.C.
70	Ganga Singh, son of Jhanda Singh, Rai Sikh of Tahliwala, police station Jalalabad	Ditto

[Chief Minister]

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	FEROZEPORE DISTRICT—contd	
71	Inder Singh, son of Pathana Singh, Rai Sikh of Tahliwala, police station Jalalabad	Case under investigation under section 411 I.P.C.
72	Inder Singh, son of Khema Singh, Rai Sikh of Tahliwala police station Jalalabad	Case under investigation under section 380, I.P.C.
73	Jallo Singh, son of Gulab Singh, Rai Sikh of Tahliwala police station Jalalabad	Ditto
74	Sahib Singh, son of Sunder Singh, Rai Sikh of Tahliwala, police station Jalalabad	Case under investigation under section 379, I.P.C.
75	Pathana Singh, son of Bahadar Singh, Rai Sikh of Mohd Pira, police station Sadar Fazilka	Case under investigation under section 380 I.P.C.
76	Narain Singh, son of Bahadar Singh, Rai Sikh of Mohd Pira, police station Sadar Fazilka	Ditto
77	Shankar Dass, son of Lal Chand, Arora of Mohd Pira, police station Sadar Fazilka	Ditto
78	Jalla Singh alias Jalla son of Saudagar Singh of Alam Shah, police station Sadr Fazilka	Ditto
79	Chanan Ram, son of Mehtab Ram, Kamboh of Ladhuka, police station Fazilka	Ditto
80	Chuni Ram, son of Ratti Ram, Jat of Bareke, police station Khuyian Sarwar	Case under investigation under section 411, I.P.C.
81	Inder Singh, son of Gobinda Singh, Rai Sikh of Mohd Pira, police station Sadr Fazilka	Case under investigation under section 380 I.P.C.
82	Kashmira Singh, son of Gulab Singh, Rai Sikh of Pakka Chisti, police station Sadar Fazilka	Ditto
83	Harbhajan Singh, son of Shadi Ram, Arora of Karni Wala, police station Kot Bhai	Case under investigation under section 411, I.P.C.
84	Mani Ram, son of Lekh Ram Bishnoi of Sito Gunon, police station Abohar	Ditto
85	Sukhya, son of Bhera Bauria of Haripura, police station Sangheria, district Ganganagar (Rajasthan)	Ditto
86	Pirthi Ram, son of Ram Karan Bishnoi of Bazidpur, police station Abohar	Ditto
87	Shiv Narain, son of Kahna Bauria of Bareke, police station Khuyian Sarwar	Ditto
88	Bhagwan Singh, son of Thakar Singh, Rai Sikh of Baku Shah, police station Sadar Fazilka	Case under investigation under section 457, I.P.C.

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	FEROZEPORE DISTRICT—contd	
89	Nand Lal, son of Shanker Dass, Nathona, resident of City Fazilka	Awarded 15 days R.I. in case under section 3/4, Passport. Act.
90	Chuni, son of Gangoo, Jat of Khewali Dhab, police station Khuyian Sarwar	Case under investigation under section 411, I.P.C.
91	Bachan Singh, son of Nand Singh of Asman Khera, police station Khuyian Sarwar	Case under investigation under section 411, I.P.C.
92	Mohan Lal, son of Bhagwan Singh, Arora of Muktsar ..	Ditto
93	Sardari Lal, son of Shanker Mal, Arora of Abohar ..	Ditto
94	Ajit Singh, son of Bhagwan Singh, Jat of Gurusar, police station Abohar	Ditto
95	Gurmukh Singh, son of Bhagwan Singh, Khatri of Abohar	Ditto
96	Ram Singh, son of Piar Singh, Rai Sikh of Chhuhariwala, police station Sadar Fazilka	Ditto
97	Kala Singh alias Kali, son of Sunder Singh, Jat of Gazniwala, police station Mamdot	Ditto
98	Gopal Dass, son of Bhola Singh, Khatri of Batu Qadim, police station Mamdot	Case under investigation under section 457, I.P.C.
99	Piyare Singh, son of Mahna Singh, resident of Barholi Bhan, police station Mamdot	Awarded 6 and 9 months' R.I. in cases under section 9/1/78, Opium Act and 19/11/78, Arms Act.
100	Zail Singh, son of Jowala Singh, Jat of Mattar Utar, police station Mamdot	Case pending in Court under section 9/1/78, Opium Act.
101	Jhanda Singh, son of Jowala Singh, Jat of Mattar Utar, police station Mamdot	Case under investigation under section 411, I.P.C.
102	Bhagel Singh, son of Natha Singh, Jat , resident of Chak Nawab, police station Mamdot	Case pending in Court under section 9/1/78, Opium Act.
103	Kirpal Singh, son of Natha Singh, Jat, resident of Chak Nawab, police station Mamdot	Case under investigation under scetion 411, I.P.C.
104	Badhawa Singh, son of Sham Singh, Jat, resident of Gatti Hiat, police station Mamdot	Ditto
105	Ujagar Singh, son of Bela Singh, Jat, resident of Gatti Hiat, police station Mamdot	Ditto

[Chief Minister]

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	FEROZEPORE DISTRICT—contd	
106	Sunder Singh, son of Kahan Singh, Rai Sikh, resident of Batu Qadim, police station Mamdot	Case under investigation under section 411, I.P.C.
107	Bakar Singh, son of Sunder Singh, Rai Sikh, resident of Rajewala Mohtam, police station Mamdot	Ditto
108	Udham Singh, son of Nihal Singh, Jat, resident of Mattar, police station Mamdot	Ditto
109	Kashmira Singh, son of Kesar Singh, resident of Basti Bhatianwali, police station City Ferozepore	Case under investigation undecr section 454 I.P.C.
110	Anup Singh, son of Dula Singh, Jat of City Ferozepore ..	Case under investigation under section 457, I.P.C.
111	Pali, son of Jaimal, Christian of Bareke, police station Sadar Ferozepore	Case under investigation under section 380, I.P.C.
112	Virsa Singh, son of Bahadar Singh, Jat of Warian, police station Makhu	Case under investigation under section 457, I.P.C.
113	Shera, son of Sunder , Rai Sikh of Hasteke, police station City Ferozepore	Ditto
114	Tirlok Singh alias Tirloka, son of Pala Singh, Jat of Basti Balochan, police station City Ferozepore	Awarded 9 months' R.I. in case under section 19/11/78 Arms Act
115	Jaswant Singh, son of Sohan Singh, Khatri of City Ferozepore	Case pending in Court under section 9/1/78 Opium Act
116	Tirlok Singh, son of Gurdit Singh, Zargar, Mandi Guru Har Sahai	Case under investigation under section 454, I.P.C.
117	Krishan Kumar, son of Hans Raj, Khatri of City Ferozepore	Case under investigation under section 457, I.P.C.
118	Buta Singh, son of Tirlok Singh, Jat, resident of Bodalwala police station Sadar Ferozepore	Ditto
119	Bahal Singh, son of Mal Singh, Jat, resident of Chah Hukam Chand Wala, City Ferozepore	Ditto
120	Kishan Singh, son of Mal Singh Jat resident of Chah Hukam Chand Wala City Ferozepore	Ditto
121	Punu, son of Rulia Christian of Bareke, police station Sadar Ferozepore	Ditto
122	Baghel Singh, son of Bur Singh, Jat of Kamal Wala, police station Mallanwala	Case under investigation under section 380, I.P.C.

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	FEROZEPORE DISTRICT—contd	
123	Rup Ram, son of Ram Chand, Brahman of Kamal Wala, police station Mallanwala	Case under investigation under section 380 I.P.C.
124	Bachan Singh, son of Labh Singh, Jat of Basti Bhanewala, police station Mallanwala	Ditto
125	Shangara Singh, son of Uttam Singh, Jat of Talli Gulam, police station Mallanwala	Ditto
126	Anokh Singh, son of Dhara Singh, Jat of Ahmad Dhandi, police station Mamdot	Case under investigation under section 411, I.P.C.
127	Bir Singh, son of Gurdit Singh, Jat of Ahmad Dhandi, police station Mamdot	Ditto
128	Sher Singh, son of Jowar Singh, Rai Sikh of Ahmad Dhandi, police station Mamdot	Ditto
129	Fauja Singh, son of Sher Singh, Zargar of City Ferozepore	Case under investigation under section 457, I.P.C.
130	Ram Singh, son of Sher Singh, Zargar of City Ferozepore	Case pending in Court under section 9/1/78/ Opium Act.
131	Gurdial Singh, son of Fauja Singh, Zargar of City Ferozepore	Case under investigation under section 457, I.P.C.
132	Kali, son of Buta, Christian of Chokh Hari Har, police station Sadar Ferozepore	Ditto
133	Mohan Singh, son of Thakar Singh Jat resident of Attari police station Ferozepore	Ditto
134	Dilawar Singh, son of Bahadar Singh, Rai Sikh o Palla, police station Sadar Ferozepore	Ditto
135	Uttam Singh, son of Surain Singh, Jat of Mahlam, police station Mallanwala	Ditto
136	Ranga Singh, son of Mehnga Singh, Rai Sikh of Hadi Wala, police station Guru Har Sahai	Case under investigation under section 454, I.P.C.
137	Gurdial Singh, son of Shri Dharam Singh, Customs Inspector, Hindu Malkot	Case pending in Court under section 5(2), of the Prevention of Corruption Act.
138	Dalip Singh, son of Kartar Singh, Jat of Mukandpur, district Ludhiana (F.C. No. 270)	Ditto
139	Dalip Singh, son of Kehar Singh, Jat of Malewala, police station Ghal Khurd of Customs Department, Abohar	Ditto
140	Tehl Singh, son of Shankar Singh, Rai Sikh of Basti Kesar Singh Wali, police station Guru Har Sahai	Case under investigation under section 454, I.P.C.

[Chief Minister]

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	FEROZEPORE DISTRICT—contd	
141	Sadhu Singh, son of Sant Singh, Arora of Mandi Guru Har Sahai	Case under investigation under section 454, I.P.C.
142	Surja Singh, son of Kundan Singh, Jat of Garhala, police station Valtoha, district Amritsar	Awarded 6 months' R.I. in case under section 19/11/78 Arms Act
143	Baj Singh, son of Fauja Singh, Jat, Ghariala, District Amritsar	Case pending in Court under section 19/11/78 Arms Act
144	Nathi, son of Shanga, Christian of Bareke, police station Sadar Ferozepore	Case under investigation under section 457, I.P.C.
145	Baj Singh, son of Wasawa Singh of Chak Kande Shah, police station Guru Har Sahai	Case under investigation under section 454, I.P.C.
146	Buta Singh, son of Sanwal Singh, Jat of Chak Kande Shah, police station Guru Har Sahai	Ditto
147	Bishan Singh, son of Gulab Singh, Rai Sikh of Gazniwala, police station Mamdot	Case under investigation under section 411, I.P.C.
148	Harbans Singh, son of Rattan Singh, Zargar of Moga ..	Ditto
149	Bahal Singh, son of Sawan Singh, Jat of Bhabra Azam Shah, police station Mamdot	Ditto
150	Rajinder Singh alias Joginder Singh alias Giani, son of Surain Singh, Jat of Mamdot	Ditto
151	Pala Singh, son of Maghar Singh, Jat, resident of Pidri, police station Makhu	Case under investigation under section 457, I.P.C.
152	Kashmir Singh, son of Maghar Singh, Jat, resident of Pidri, police station Makhu	Ditto
153	Harbel Singh, son of Sadhu Singh, Arora of Mandi Guru Har Sahai	Case pending in Court under section 19/11/78, Arms Act.
154	Joginder Singh, son of Vir Singh, Jat of Khambe, police station Mamdot	Case under investigation under section 411, I. P.C.
155	Kirpal Singh alias Pala Singh, son of Jagar Singh of Jhande Kalan, police station Sardulgarh	Case under investigation under section 457, I.P.C.
156	Mool Chand, son of Ram Chand, Brahman, resident of Asal, police station Valtoha, District Amritsar	Ditto
157	Niranjan Singh, son of Santa Singh, Jat of Chak Ahmad, police station Mallanwala	Ditto

FEROZEPORE DISTRCT—*contd*

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
158	Surjan Singh, son of Bhagat Singh, Jat of Palla, police station Sadar Ferozepore	Case under investigation under section 457 I.P.C.
159	Gurbux Singh, son of Sunder Singh, Jat of Mamdot ...	Ditto
160	Gurdip Singh, son of Kishan Singh, Jat of Kilas, police station Gharinda, District Amritsar	Awarded 6 months' R.I. and a fine of Rs. 200 under section 382, I.P.C.
161	Toga Singh, son of Khusal Singh, Jat of Ghadri Wala, police station Zira	Case under investigation under section 457, I.P.C.
162	Piara Singh, son of Surain Singh, Jat of Chotian Khurd, police station Moga	Ditto
163	Pehlwani, son of Sidda, Christian of Basti Sheikhan, police station City Ferozepore	Case pending in Court under section 9/1/78, Opium Act.
164	Jagat Singh, son of Makhan Singh, Jat of Dial, police station Sarhali, district Amritsar	Ditto
165	Lall Chand, son of Khushi Ram, Brahman of Dhuri, District Sangrur	Case under investigation under section 457, I.P.C.
166	Mohd Sharif, son of Shah Mohd, Muslim of Surewala, district Ganganagar, now Montgomery District (Pakistan)	Awarded 4 months' and 1 month's R.I. under section 19/11/78, Arms Act and 3/6, Passport Act.
167	Sucha Singh, son of Bhan Singh, Jat, resident of Chak Mugal, police station Khalra, District Amritsar	Awarded 8 months' R.I. and a fine of Rs 100 under section 19/11/78, Arms Act.
168	Inder Singh, son of Harnam Singh of Bakainwala, police station Khuyian Sarwar	Case under investigation under section 411, I.P.C.
169	Tek Singh, son of Mihan Singh, Jat of Bakainwala, police station Khuyian Sarwar	Ditto
170	Dona Singh, son of Chandi Singh, Rai Sikh of Bakhu Shah, police station Fazilka	Case under investigation under section 457, I.P.C.
171	Tirlok Singh, son of Pala Singh, Jat of Bareke, Police station Sadar Ferozepore	Ditto
172	Tehl Singh, son of Pala Singh, Jat of Katianwali, police station Malout	Case under investigation under section 411, I.P.C.

[Chief Minister]

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	FEROZEPORE DISTRICT—*contd*	
173	Duni Chand, son of Malu Ram, Arora of Abohar ...	Case under investigation under section 411 I.P.C.
174	Ram Lal, son of Pira, resident of Khipalwali, police station Khuyian Sarwar	Ditto
175	Mohd Rafiq, son of Umar Din of Bholuwala, police station Mcleod Ganj, district Bahawalnagar	Awarded 1 month's R.I. under section 3/34/30, I.P. Act.
176	Mohd Bashir, son of Fazal Karim, Jullaha, police station McLeod Ganj, district Bahawalnagar	Awarded 1 month's R.I. under section 3/34/20, I.P. Act.
177	Sheru, son of Idu Ghumar of Burewala, District Multan (Pakistan)	Awarded 1 month's R.I. under section 3/34/20, I.P. Act.
178	Tehl Singh, son of Bagga Singh, Rai Sikh, resident of Mattar Uttar, police station Mamdot	Case under investigation under section 411, I.P.C.
179	Kirpal Singh, son of Jagat Singh, Jat Sikh of Gazni Wala, police station Mamdot	Ditto
180	Nazid, son of Raju, Marasi of Sherewala, police station Muktsar	Case pending in Court under section 307, I.P.C.
181	Chiria, son of Mehnga, Marasi of Sangarana, police station Muktsar	Ditto
182	Sub-Inspector Chaman Lal, of C.I.D., posted at Hindumalkot	Case pending in Court under section 5(2), of the Prevention of Corruption Act.
183	Ghanti, son of Bhanol Ghanrauli, police station Lachhmangarh	Case under investigation under section 457, I.P.C.
184	Madan Lal, son of Chuni Lal, Mandi Guru Har Sahai ...	Case under investigation under section 457, I.P.C.
185	Ram Parkash, son of Guranditta Mal, Arora of Mandi Guru Har Sahai	Ditto
186	Wali Mohd, son of Dogar, Gujar of Kundhe, police station Malerkotla	Awarded 1 month's R.I. under section 3/6, Passport Act.
187	Harbans Lal, son of Daulat Ram, Aggarwal of Fazilka ...	Case under investigation under section 411, I.P.C.
188	Gurbax Ram, son of Des Raj, Khatri of City Fazilka ...	Case under investigation under section 457, I.P.C.
189	Jawala Ram, son of Manga Ram, Brahman of Bareke, police station Khuyian Sarwar	Case under investigation under section 411, I.P.C.

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	FEROZEPORE DISTRICT—contd	
190	Rangu, son of Sunder Singh, Rai Sikh of Sahuke, police station Mamdot	Case under investigation under section 411 I.P.C.
191	Surti alias Surat Singh, son of Sampooran Singh, Jat of Alamgarh, police station Abohar	Ditto
192	Dharam Singh, son of Vir Singh, Ghumar of village Khambe, police station Mamdot	Case pending in Court under section 307, I.P.C. and 19/11/78 Arms Act.
193	Makhan Singh, son of Mangal Singh of Sherpur, police station Zira	Ditto
194	Shinghara Singh, son of Budha, Christian of Chotian, police station Moga	Ditto
195	Mohammad Ali, son of Sardar Ali, Muslim of Jhind, police station Wadaghar, district Sheikhupura	Ditto
196	Jagtar Singh, son of Naranjan Singh, Jat of village Bomb, police station Zira, now at Mattar Uttar, police station Mamdot	Case under investigation under section 411 I.P.C.
197	Sitara Singh, son of Thakar Singh, Jat of Kothi Faiz, Abohar	Ditto
198	Harnam Singh, son of Shangara Singh, Jat of Sadhare, police station Mallanwala	Case under investigation under section 379 I.P.C.
199	Surat Singh, son of Kundan Singh, Jat of Bandala, police station Patti, District Amritsar	Ditto
200	Pala Singh, son of Suhel Singh, Jat of Palla Megha, police station Sadar Ferozepore	Case under investigation under section 380 I.P.C.
201	Anup Singh, son of Hari Singh, Jat of Bananwala, police station Sadar Fazilka	Ditto
202	Khanu, son of Dittu, Christian of Karian Pehlwan, police station Sadar Ferozepore	Case under investigation under section 457,380, I.P.C.
203	Chanan alias Chanan Singh, son of Dogar Singh, Rai Sikh of Chuhariwala, police station Sadar Fazilka	Case pending in Court under section 19/11/78 Arms Act.
204	Bishna, son of Kala, Rai Sikh of Chak Panja Singhwala, police station Guruharsahai	Case under investigation under section 457, I.P.C.
205	Sujan Singh, son of Satoo Singh, Rai Sikh of Chimbewal, police station Guruharsahai	Ditto
206	Jagir Singh, son of Harnam Singh, Zargar of Mandi Gidderbaha	Case under investigation under section 411, I.P.C.
207	Kundan Singh, son of Harnam Singh, Zargar of Mandi Gidderbaha	Ditto

[Chief Minister]

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	FEROZEPORE DISTRICT—contd	
208	Jaimal Singh, son of Ram Chand, Zargar of Mandi Gidderbaha	Case under investigation under section 411 I.P.C.
209	Kishore Chand alias Kishori Lal, son of Munshi Ram, Aggarwal of Mandi Gidderbaha	Ditto
210	Fateh Mohd, son of Gulab Nawab, Arain of Mandi Chistian, police station Bahawalpur (Pakistan)	Case pending in Court under section 55/109, Cr. P.C.
211	Niamat, son of Karam Bux, Jhinwar, Muslim of Hakuwala Wara, police station Ganda Singh Wala (Pakistan)	Awarded 1½ months' R.I. under section 3,4, Passport Act and 19/11/78 Arms Act.
212	Suba Singh, son of Assa Singh, Jat of Palla Megha, police station Sadar Ferozepur	Case under investigation under section 457/380, I.P.C.
213	Gulzar Singh, son of Mehtab Singh, Rai Sikh of Gazniwala, police station Mamdot	Case under investigation under section 411, I.P.C.
214	Mangal Dass, son of Jetha Ram of Nare, police station Mallanwala	Case under investigation under section 457, I.P.C.
215	Hoshiar Singh, son of Mal Singh, Jat of Andhu, police station Raikot, district Ludhiana	Case under investigation under section 5(2), Prevention of Corruption Act
216	Din Azam, son of Anek Din of Mohalla Jogian, City Multan (Pakistan)	Awarded 1 month's R.I. under section 34, Passport Act.
217	Dara Singh, son of Mangal Singh, Jat of Qabarwala, police station Muktsar	Case under investigation under section 457/380, I.P.C.
218	Gulzara Singh, son of Mehtab Singh, Rai Sikh of Gazaniwala	Case under investigation under section 379, I.P.C.
219	Shezada, son of Karam Lal, Faqir Muslim of Chak No. 9, police station Kabal, district Montgomery (Pakistan)	Case pending in Court under section 3/6 Passport Act.
220	Fauja Singh, son of Jowahar Singh, Rai Sikh of Megha Hathar, police station Guruharsahai	Case under investigation under section 457, I.P.C.
221	Hari Chand, son of Shiv Lal, Jaiswal of Makhu ..	Ditto
222	Kharati Lal, son of Tirath Ram, Khatri of Makhu ..	Ditto
223	Om Parkash, son of Mohan Lal, Khatri of Makhu ..	Ditto

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	FEROZEPORE DISTRICT—contd	
224	Ramnir-Ul-Din, son of Syam-Ul-Din, Muslim of Khewapur, Bahawalpur State (Pakistan)	Case pending in Court under section 55/109, Cr. P.C.
225	Naraina alias Narain Singh, son of Rana Singh, Rai Sikh of Bakhushah, police station Sadar Fazilka	Case under investigation under section 380, I.P.C.
226	Jaspal Singh alias Pala, son of Surain Singh, Jat of Mamdot	Case under investigation under section 411, I.P.C.
227	Harbans Singh, son of Khushal Singh, Jat of village Sukhewala, police station Zira	Case under investigation under section 457, I.P.C.
228	Waras, son of Dula, Mochi, Muslim of Betu Ganewala, police station Gandasinghwala, District Lahore (Pakistan)	Case pending in Court under section 3/4, Passport Act
229	Bagicha Singh, son of Arjan Singh, Jat of village Killi, police station Mamdot	Case pending in Court under section 3/4, Passport Act
230	Gurdip Singh, son of Vir Singh, Jat of village Killi, police station Mamdot	Ditto
231	Ahmad Din alias Ahmi, son of Sohna Dindar, Muslim of Sheikhupura, police station Khudian, district Lahore (Pakistan)	Awarded 1½ months' R.I. under section 3/4, Passport Act
232	Barket Ali, son of Isher Din, Dar Muslim of Bakarke, police station Khudian, District Lahore (Pakistan)	Ditto
233	Mehna, son of Mohd Ali, Dar Muslim of Bakarke, police station Khudian, district Lahore (Pakistan)	Ditto
234	Surat Singh, adopted son of Jawahar Singh, Jat of Misriwala, police station Ghall Khurd	Case pending under investigation under section 457, I.P.C.
235	Kashmir Singh, son of Kala Singh, Rai Sikh of Khanpur, police station Sadar Fazilka	Case pending in Court under section 3/6, Passport Act
236	Waryam Singh, son of Harnam Singh, Jat of village Roranwali, police station Lambi	Case under investigation under section 457, I.P.C.
237	Khushia, son of Hem, Arain of Chak No. 257, police station Jaranwala, district Lyallpur	Case pending in Court under sections 411, I.P.C. and 3/6 Passport Act
238	Mohd Hussain, son of Fateh Mohd, Muslim, Seikh of Mohalla Ghaniwara No. 2, House No. 961, Multan City (Pakistan)	Case pending in Court under sections 411, I.P.C. and 3/6 Passport Act
239	Bhonda, son of Chotte Mal of Ghamrauli, police station Lachhmangarh	Case under investigation under section 3/6, Passport Act

[Chief Minister]

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	FEROZEPORE DISTRICT—contd	
240	Sunder Singh, son of Mehar Singh, Rai Sikh of Chuhariwala, police station Sadar Fazilka	Case pending in Court under section 411, I.P.C. and 3/6 Passport Act.
241	Khanu alias Chatku, son of Rulia, Christian of village Koersinghwala, House No. 150, Lalkurti, police station Cantt. Ferozepore	Case under investigation under section 457/380, I.P.C.
242	Gaman, son of Umar Din, Muslim of Lakhanke, district Lahore (Pakistan)	Case pending in Court under section 3/4, Passport Act.
243	Bagga, son of Nazam Din, Sandhu, Muslim of Lakhanke, district Lahore (Pakistan)	Ditto
244	Khushi Mohd, son of Umar Din, Khokhar, Muslim of Kacha Pacca, police station Sarai Mughal, district Lahore (Pakistan)	Case pending in Court under sections 3/4 Passport Act and 19/11/78, Arms Act.
245	Baj, son of Kanda, Muslim of Chinna Uttar, police station Raiwind, district Lahore (Pakistan)	Case pending Court under section 3/4, Passport Act.
246	Angrez Singh, son of Karam Singh, Jat of Ratta Khera, police station Malout	Case under investigation under section 19/11/78, Arms Act.
247	Babu Ram, son of not known of Kot Kapura, district Bhatinda	Case pending in Court under section 9/1/78, Opium Act.
248	Sucha Singh, son of Inder Singh of Gandhiwind, police station Jhabal, district Amritsar	Case under investigation under section 457, I.P.C.
249	Sardara, son of Chhujoo, Rajput of Dugni, police station Dhuri, district Sangrur	Case pending in Court, under section 61/1/14, Excise Act.
250	Rafiq, son of Attu, Muslim Kamboh of Rehra, police station Ahmadgarh, district Sangrur	Ditto
251	Gulzar Singh, son of Kahan Singh, Jat of Marad, police station Nathana	Ditto
252	Chhota, son of Bhules Lal, Faqir Muslim of Dugni, District Sangrur	Ditto
253	Hamir Singh, son of Sunder Singh, Jat of Kalra, police station Samana, district Patiala	Ditto
254	Abdul Rashid, son of Allah Bux, Arain, of House No. 5, Gali No. 5, Ahatta-Tazab, Lahore (Pakistan)	Ditto

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	FEROZEPORE DISTRICT—concld.	
255	Chanoo, son of Shadi, Kamboh, Dugni, police station Dhuri, district Sangrur	Case pending in Court, under section 61/1/14, Excise Act.
256	Mohd Bashir, son of Fazal Din, Muslim, Arain of Bahu Saboo, police station Lahore (Pakistan)	Ditto
257	Ali Bux, son of Sadhu, Gujjar of Saliman, police station Kahna Kachha, district Lahore (Pakistan)	Case under investigation under section 3/6, Passport Act.
258	Tehman Khan, son of Chand Khan, Mul Muslim of Malkhera (Alwar)	Ditto

Statement showing particulars of persons arrested for smuggling on the Indo-Pakistan Border of the State from 15th August, 1947 to 31st January, 1958, district-wise, and the punishment awarded to them

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	GURDASPUR DISTRICT	
1	Lal Massih, son of Budha, Christian, resident of Batala ..	Sentenced to 6 months' R.I. on 18th January, 1949, under the influx from West Pakistan Ordinance.
2	Piara, son of Ganga Singh, Jat, resident of Jhanda, police station Sadar Batala	Sentenced to 4 months' R.I. on 27th December, 1949, under the influx from West Pakistan Ordinance.
3	Pal Singh, son of Bur Singh, Jat, resident of Jhanda, police station Sadar Batala	Ditto
4	Puran Singh, son of Mehar Singh, Jat, resident of village Chanake	Sentenced to 6 months' R.I. on 20th July, 1950, under the influx from West Pakistan Ordinance.
5	Bachan Singh, son of Nand Singh, Jat, resident of village Chandke	Ditto
6	Bachan Singh, son of Shiv Singh, Jat, resident of Rasulpur	Ditto
7	Darshan Singh, son of Mal Singh, Jat, resident of Boja, police station Patti, District Amritsar	Discharged on 30th July, 1957, under section 109, Cr.P.C.
8	Sulakhan Singh, son of Hazara Singh, Zargar, Chaniala, police station Valtoha, District Amritsar	Ditto

[Chief Minister]

Serial No.	Particulars ot the persons arrested	Punishment awarded
	GURDASPUR DISTRICT—contd	
9	Ravel Singh, son of Kesar Singh, Jat, resident of Jhangi police station Dera Baba Nanak	Discharged on 30th July, 1957, under section 109, Cr. P.C.
10	Mohd. Hussain, son of Jalal Din Khokhar, resident of Varaich, police station Manawan, District Lahore	Challaned under section 3, Passport Act. Accused absconding.
11	Hussain Mohd., son of Badar Din Khokhar, resident of Diga Bhogh, police station Manawan, District Lahore	Ditto
12	Ghulam Nabi, son of Allah Ditta, Jullaha, resident of Baraf Khana, Gowalmandi, Lahore	Ditto
3	Rur Singh, son of Chanda Singh, Mazhabi, resident of Chhadan, police station Lopoke, District Amritsar	Ditto
14	Charan Singh, son of Mehain Singh, Jat, resident of police station Gharinda	Ditto
15	Jasbir Singh, son of Ranjit Singh, Jat, resident of Sirhali, District Amritsar	Case under section 109, Cr. P.C. pending in Court.
16	Kaka, son of Mahal Singh, Mazhabi, of Chhadan, police station Lopoke, District Amritsar	Ditto
17	Jagdish Raj, son of Daulat Ram, Khatri, of Sirhali, District Amritsar	Ditto
18	Ram Parkash, son of Chuni Lal, Rajput, Kucha Khair Din, police station 'A' Division, Amritsar	Ditto
19	Jamal Din, son of Mehar Din, Mashqi, resident of Lahore	Sentenced to 1 month's R.I., under section 3 of Passport Act, on 12th July, 1956.
20	Munshi, son of Jiwan, Christian, of village Gova, police station Shah Gharib, District Sialkot (Pakistan)	Ditto
21	Gujjar, son of Suraina, Christian, resident of Chatiwind, police station Sadar Amritsar	Bound down in sum of Rs 1,000 with one surety in the like amount for one year.
22	Gurbachan Singh, son of Ala Singh, Jat, resident of Chando Wadla, police station Kalanaur	Case under section 307, I.P.C., is pending in Court.
23	Bahadur Singh, son of Wadhawa Singh, Jat of Shahur, police station Kalanaur	Ditto
24	Sucha Singh, son of Banta Singh, Jat, resident of Pakiwan, police station Kalanaur	Ditto
25	Tara Singh, son of Faqir Singh, Jat of Pero Pindi, police station Kalanaur	Case under section 110, Cr. P.C. pending in Court.
26	Bawa Singh, son of Mangal Singh, Jat, resident of Pero Pindi, police station Kalanaur	Ditto
27	Tara Singh, son of Makhan Singh, Jat, resident of Chaura, police station Kalanaur	Ditto

Serial No.	Particulars of the persons arrested	Punishment awarded
	GURDASPUR DISTRICT—concld.	
28	Labh Singh, son of Sunder Singh, Jat, resident of Dharam Kot Randhawa, police station Dera Baba Nanak	Discharged
29	Sant Singh, son of Kharak Singh, Jat, resident of Dharam Kot Randhawa, police station Dera Baba Nanak	Do
30	Subedar Bahadur Singh, son of Khazan Singh, Jat, resident of Shahzada, police station Dera Baba Nanak	Do
31	Surain Singh, son of Sunder Singh, Jat, resident of Dharam Kot Randhawa, police station Dera Baba Nanak	Do
32	Charan Singh, son of Man Singh, Jat, of Shahzada, police station Dera Baba Nanak	Do
33	Narinjan Singh, son of Harnam Singh, resident of Gur Chak, police station Dera Baba Nanak	Do
34	Surat Singh, son of Labh Singh, Jat, resident of village Megha, police station Dera Baba Nanak	Do
35	Gian Chand, son of Kirpa Ram, Rajput, of Dharam Kot Randhawa, police station Dera Baba Nanak	Do
36	Bhadar Sain, son of Gian Chand, Rajput, of Dharam Kot Randhawa, police station Dera Baba Nanak	Do
37	Bawa Singh, son of Sant Singh, Jat, of village Ransike, police station Dera Baba Nanak	Do
38	Narain Singh, son of Jawala Singh, Ramgharia, of Rovranwala, police station Dera Baba Nanak	Do
39	Vir Singh, son of Boota Singh, Jat, of Dharam Kot Randhawa, police station Dera Baba Nanak	Do
40	Sowaran Singh, son of Hazari Singh, Jat, of Dala, police station Dera Baba Nanak	Do
41	Sadhu Singh, son of Moola Singh, Jat, of village Jhangi, police station Dera Baba Nanak	Do
42	Labhu, son of Madho, Christian, of village Jhangi, police station Dera Baba Nanak	Do
43	Udho, son of Sunder, Christian, of village Jhangi, police station Dera Baba Nanak	Do
44	Inder Singh alias Indu, son of Beli Ram, Saini of Samrala, police station Narot Jaimal Singh	Is being prosecuted under section 110, Cr. P.C.
45	Nanak Chand alias Nanku, son of Ralla Ram, Goldsmith, of Bamial, police station Narot Jaimal Singh	Ditto
46	Angrez Singh, son of Partap Singh, Rajput, of Amin Chak, police station Narot Jaimal Singh	Discharged
47	Sansar Singh, son of Jaimal Singh, Rajput, of Amin Chak, police station Narot Jaimal Singh	Do
48	Munshi alias Buachi, son of Lachhman, Sansi, of Pindi Parol, police station Narot Jaimal Singh	Do
49	Jaggu, son of Kartar of Pharwal, police station Narot Jaimal Singh	Do

CASES OF THEFT OF COPPER CONDUCTOR WIRE

***1292. Shri Ram Piara :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of cases of theft of copper conductor wire registered at various police stations in the State during the years 1955-56 1956-57 and 1957-58, together with the quantity of the copper wire stolen and its cost ;

(b) the total number of the cases referred to in part (a) above traced and the quantity of copper wire recovered so far ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) 320 cases of theft of copper conductor wire were registered in the State during 1955-56, 1956-57 and 1957-58, up to 1st February, 1958. Copper Wire amounting 241 maunds 39 seers, 8 chhatanks. 31,102¼ lbs., 10,918 yards 1 foot., 5 spans and 90 bundles worth Rs 1,53,105-9-6 was stolen in these cases.

(b) 65 cases of (a) above were traced and copper wire amounting 71 maunds, 9 seers, 12 Chhataks. 3372 Lbs., 4760 feet. and 30 bundles were recovered in these cases.

ARREST OF STUDENTS IN CONNECTION WITH SAVE-HINDI AGITATION

***1484. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of students, college and school-wise arrested by the police in connection with the Save-Hindi Movement together with the dates for their arrest and the reasons therefor in each case;

(b) whether any of the students, referred to in part (a) above, were detained at police stations without orders of arrests; if so, their number and the date and place of their detention ;

(c) whether any students referred to in part (a) above sustained as a result of assaults injuries by the police ; if so, their number in each district ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) College students arrested 122

School students arrested	..	424
Total	..	546

A statement showing dates of their arrest and the sections of law under which they were arrested, is placed on the Table.

(b) *Nil.*

(c) *Nil.*

List of students college and school-wise arrested by the police in connection with the Save Hindi-Movement together with the dates of their arrest and the reasons therefor in each case

HISSAR DISTRICT

College students — 2

Institution		Number
Daya Nand College, Hissar	..	1
Vaish College, Bhiwani	..	1

Date	Number	Reason
9th November, 1957	1	Under section 107/307/440/511/147/149/353/332, I.P.C.
18th November, 1957	1	Under section 143, I.P.C., and 9 P.S.S.A.

School students — 15

Institution		Number
Arya High School, Sirsa	..	15

Date	Number	Reason
29th October, 1957	6	188, I.P.C.
7th November, 1957	1	147, I.P.C.
18th November, 1957	3	9, P.S.S.A.
27th December, 1957	5	143, I.P.C.

ROHTAK DISTRICT

College students — 24

Institution		Number
Vaish College, Rohtak	..	17
Jat College, Rohtak	..	4
Law College, Jullundur	..	1
Government College, Rohtak	..	1
Janta College, Dujana	..	1

Date	Number	Reason
27th September, 1957	15	Under section 147/332/149, I.P.C.
27th September, 1957	9	107/151, Cr. P.C.

School students — 11

Institution		Number
D.A.V. High School, B. Garh	..	9
Private Students, District Rohtak	..	2

Date	Number	Reason
7th October, 1957	1	107/151, Cr. P.C.
10th October, 1957	1	Ditto
9th November, 1957	9	Ditto

GURGAON DISTRICT

College students — ..

School students — 4

Institution		Number
Government High School	..	3
Private	..	1

Date	Number	Reason
9th November, 1957	4	332/427, I.P.C.

KARNAL DISTRICT

College students — 20

Institution		Number
R. K. S. D. College, Kaithal	..	11
Arya College, Panipat	..	9

Date	Number	Reason
27th September, 1957	20.	188 I.P.C.

School students — 32

Institution		Number
School at Ajmer (Rajasthan)	..	1
S. D. High School, Panipat	..	1
Arya High School, Panipat	..	2
Hindu High School, Kaithal	..	4
Friends High School, Kaithal	..	1

[Chief Minister]

Private School, Karnal ..	3
Government High School, Gharaunda	3
School at Udhampur, J. and K. ..	1
School at Indore, M.P. ..	2
D.A.V. High School, Karnal ..	3
Gurukul, Bhainswal, Rohtak .	9
School in District Mandsore, M.P. ..	1
School at Jahanabad (U.P.) ..	1

20th September, 1957	1	188 I.P.C.
27th September, 1957	8	Ditto
3rd October, 1957	1	Ditto
10th October, 1957	3	Ditto
19th October, 1957	1	Ditto
24th October, 1957	1	Ditto
26th October, 1957	1	Ditto
9th November, 1957	3	Ditto
12th November, 1957	1	Ditto
13th November, 1957	1	Ditto
15th November, 1957	1	Ditto
7th December, 1957	1	Ditto
9th December, 1957	9	Ditto

AMBALA DISTRICT

3

G.M.N. College, Ambala Cantt	1
S. D. College, Ambala Cantt	1
Adarsh College, Ambala City	1

7th September, 1957	3	188, I.P.C.

7

A. S. High School, Ambala City ..	3
S. D. High School, Ambala City ..	1
D.A.V. High School, Ambala Cantt	1
Rashtriya Hindi Maha Vidyala, Ambala Cantt ..	1
D.A.V. High School, Bombay ..	1

6th September, 1957	1	188, I.P.C.
24th September, 1957	1	Ditto
27th September, 1957	5	Ditto

HOSHIARPUR DISTRICT

17 | 4

D. A. V. College 11
University College 2
Engineering College 2
S. D. College 2
16th October, 1957 17 188 I.P.C.

S. D. High School 2
D.A.V.High School 1
Private students 1
17th October, 1957 1 188, I.P..C.
28th October, 1957 1 Ditto
29th October, 1957 1 Ditto
17th December, 1957 1 Ditto

JULLUNDUR DISTRICT

2 | 44

D.A.V. College 1
Doaba College 1
27th September, 1957 .. 1 188, I.P.C.
20th October, 1957 .. 1 Ditto

S.D.A.S. High School .. 25
Doaba High School .. 11
Arya School, Basti Gujan .. 6
M.R. High School .. 2
27th September, 1957 20 188, I.P.C.
28th October, 1957 1 Ditto
9th November, 1957 14 Ditto
17th November, 1957 1 Ditto
8th December, 1957 2 Ditto
15th December, 1957 6 Ditto

LUDHIANA DISTRICT

7 | 4

Arya College, Ludhiana 7
9th November, 1957 7 307/148/149/ 188/107/150

Arya High School, Ludhiana 3
S.D.P. High School, Ludhiana 1
9th November, 1957 4 307/148/149/ 188/107/150

FEROZEPURE DISTRICT

4 | 9

D. M. College, Moga 4
16th October, 1957 4 188, I.P.C.

Arya Samaj High School, Moga 6
Government High School, Abohar 3
16th October, 1957 6 188, I.P.C.
15th September, 1957 1 Ditto
15th September, 1957 2 186/188/143/ 225, I.P.C.

[Chief Minister]

AMRITSAR DISTRICT

30			1		
Hindu Sabha College,	..	22	D.A.V. High School	..	1
D.A.V. College	..	7			
A. N. College	..	1	17th November, 1957	1	307/148/149/ 188, I.P.C.
18th September, 1957	1	188, I.P.C.			
19th September, 1957	1	Ditto			
21st September, 1957	1	Ditto			
25th September, 1957	1	Ditto			
30th September, 1957	1	Ditto			
10th October, 1957	1	Ditto			
16th October, 1957	1	Ditto			
16th October, 1957	14	188/307/452/ 148/427/ 143, I.P.C.			
15th December, 1957	5	188, I.P.C.			
18th December, 1957	2	Ditto			
23rd December, 1957	1	Ditto			
25th December, 1957	1	Ditto			

GURDASPUR DISTRICT

2			9		
S. D. College, Pathankot	..	1	Arya High School, Qadian	..	9
Sikh National College, Qadian	..	1			
16th October, 1957	2	188, I.P.C.	16th October, 1957	9	188, I.P.C.

PATIALA DISTRICT

2			2		
Mahendra College, Patiala		2	Atma Ram High School, Patiala		1
			Sanatan Dharam High School Patiala		1
16th October, 1957 ..	2	107/151	16th October, 1957	2	107/151

SANGRUR DISTRICT

9			279		
D.A.V. College, Ambala	..	1	Government and Jat High School, Jind		252
Ranbir College, Sangrur	..	7	Arya High School, Narwana	..	2
Government College, Ludhiana	..	1	Raj High School, Sangrur	..	12
			S. D. S. E. High School, Dhuri	..	2
			Arya High School, Dhuri	..	11

7th October, 1957	1	188, I.P.C.	27th September, 1957	13	143/188,
16th October, 1957	4	143/188	9th December, 1957	5	143/188
17th October, 1957	2	143/188	16th October, 1957	5	143/188
18th October, 1957	1	143/188	17th October, 1957	1	188, I.P.C.
2nd October, 1957	1	143/188	18th October, 1957	1	188/143, I.P.C.
			3rd October, 1957	2	29, Patiala Safety Ord.
			30th September, 1957	252	188. I.P.C.
BHATINDA DISTRICT					
..				2	
			Arya High School, Rama Mandi	..	1
			7th October, 1957	1	188, I.P.C.
KAPURTHALA DISTRICT					
..					
			Arya High School, Phagwara	..	1
			R. G. Polytechnic Institution	..	1
			16th October, 1957	1	188, I.P.C.
			30th October, 1957	1	Ditto
Total	122		Total	..	424
GRAND TOTAL			546		

FORMER CRIMINAL TRIBES

***1492. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether any steps are being taken by Government to improve the lot of persons belonging to the former criminal tribes , if so, what ;

(b) whether Government has considered any proposal to give to the said persons the same facilities as are given to members of the scheduled castes ; if not, the reasons therefor ?

Sardar Partap Singh Kairon : Sir, I have applied for extension.

REFUSAL TO ACCORD PERMISSION TO THE COMMUNIST PARTY TO HOLD PUBLIC MEETING ON REPUBLIC DAY AT AMRITSAR

***1539. Sardar Achhar Singh Chhina :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether he is aware of the fact that the Communist Party was not given permission to hold public meeting in connection with the Republic Day celebration on the 26th January, 1958, in Dam Ganj, Amritsar City, if so, the reason therefor ;

[Sardar Achhar Singh Chhina]

(b) whether any Mandal Congress Committees, and other political parties and Social Organisations at Amritsar were allowed to hold such meetings on the Republic Day ; if so, their names ;

(c) whether the applications of the Committees, etc., referred to in part (b) above were sent to the police stations concerned for necessary report ; if not, the reasons therefor ;

(d) whether it is necessary to send an application to the thana concerned for report even when it is applied for the celebration of Republic Day or on the 15th August ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) The Communist Party did not apply for permission as mentioned.

(b) No other party applied for permission for holding such a meeting.

(c) Does not arise.

(d) No.

TURNING OUT OF VISITORS FROM PANJORE GARDENS

***1357. Sardar Niranjan Singh Talib :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether he is aware of the fact that all the visitors including women and children were turned out from the public gardens at Panjore near Chandigarh on Sunday, the 24th November, 1957, at noon, in anticipation of the visit of some high dignitary ;

(b) the name of the high dignitary referred to in part (a) above, and the time at which actually visited the said gardens?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) No. However, Police took some security measures in connection with the visit of a high dignitary.

(b) Mr. Ellsworth Bunker, the American Ambassador in India, and Mrs. Bunker visited the Gardens on the afternoon of 24th November, 1957,

ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਬ : ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਸਾਰਿਆਂ visitors ਨੂੰ ਪੰਜੋਰ ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਢਿਆ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਉ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣ ।

LEAKAGE OF OFFICIAL SECRETS FROM THE PUNJAB CIVIL SECRETARIAT

***1482. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any cases of leakage of official secrets from the Punjab Civil Secretariat occurred during the last two years, if so, their number and the action, if any, taken by the Government in the matter ?

Sardar Partap Singh Kairon :—

Whether any cases of leakage of official secrets from the Punjab Civil Secretariat occurred during the last two years.	Yes.
Number of cases of leakage	Three.
Action taken by Government in the matter.	In one case the official was administered a warning for his negligence and a copy of the warning was placed on his personal file. In two cases the matter was referred to the Police but nothing serious was proved.

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या मुख्य मंत्री साहिब बतायेंगे कि क्या इस enquiry के मामले को पुलिस ने खत्म कर दिया है या अभी यह जारी है ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਮੇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ source of information ਲਭ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

CONVERSION OF APPROACH ROADS IN VILLAGES UNDER THE DEVELOPMENT BLOCKS INTO PACCA ROADS

***1607. Sardar Ramdayal Singh :** Will the Minister for Planning and Community Projects be pleased to state—

(a) whether Government has decided to make the approach roads of villages under the Development Blocks situated near the tarred roads, pacca ;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative the number of approach roads so far made pucca in Ludhiana District;

(c) whether any representations were received by Government from the residents of such villages in Ludhiana District for making their approach roads pucca ; if so, the action taken thereon ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (a) Yes, approach roads of small lengths can be made pacca, if the villagers contribute one-third of the total cost in the form of earthwork, labour and cost of a 50′ wide strip of land. They are also required to take responsibility for the maintenance of the road for a period of 10 years.

[Minister for Planning]
(b) *Nil.*

(c) Yes, such representations were received from several villages in Ludhiana District. In some cases the villagers failed to fulfil the conditions laid down for availing of such aid. Their requests could not, therefore, be acceded to. In other cases the representations are still under the consideration of Public Works Department.

MILK POWDER FACTORY IN THE STATE

***1304. Shri Ram Piara :** Will the Minister for Finance be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to set up Milk Powder Factories in the State ; if so, their number, and the place or places where they are proposed to be set up ?

Sardar Gurbanta Singh : Yes.

Two—one at Amritsar, and for the second no place has yet been selected, but it is proposed to be located at a place in the erstwhile districts of Pepsu.

श्री राम प्यारा : क्या गवर्नमैंट का कोई इरादा एक ऐसी factory हरियाने में खोलने का भी है ?

ਜ਼ਰਾਇਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ factory ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤਮਾਮ ਦੁਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ factory ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸ critera ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਿਥੇ ਮਵੇਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੁਧ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਉਥੇ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

AMBAR CHARKHA CENTRES

***1658. Sardar Achhar Singh Chhina :** Will the Minister for Finance be pleased to state the total number of "Ambar Charkha Centres" run by Government in the State at present together with the names of places where they are located ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : *Nil.* Does not arise.

अध्यक्ष महोदय : आज के बाद आन हिज़ बिहाफ (on his behalf) सवाल करने की इजाज़त के लिए मैं रिटन अथारिटी लिया करूंगा । यहां भी वही practice चलेगी जो लोक सभा में चलती है । (After today I will demand a written authority from a member putting a question on behalf of another member. We will follow the same practice here as is followed in the Lok Sabha.)

पंडित श्री राम शर्मा : क्या आप देखा करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : वही बोला करेंगे जिन के पास यह होगी । (Only those will put such questions who have this authority.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : यह तो जनाब पहले भी कहा था आज से तो नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं । (No)

श्री जगत नारायण चोपड़ा : मगर यह पार्टी के मैंबर के behalf पर तो हो सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : यहां भी वही practice follow करेंगे जो लोक सभा में है । (Here, too, the same practice will be followed as obtains in the Lok Sabha.)

श्री जगत नारायण चोपड़ा : यह facility मिलनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : अगर ऐसा वहां होगा तो करेंगे । (If this facility is extended there, it will be extended here, too.)

पंडित श्री राम शर्मा : जब से पंजाब में democracy आई है तब से यह चीज़ चली आ रही है उस को अब बदलने के लिए . . . (विघ्न)

श्रम तथा शिक्षा मंत्री : जहां तक लोक सभा का मुझे पता है वहां हर एक मैम्बर लिख के देता है आया वह authorised है या नहीं । पार्टी की consideration कुछ नहीं होती ।

अध्यक्ष महोदय : अगर पहले नहीं लिया करेंगे तो जरूरत पड़ने पर पूछ लिया करेंगे । (In case it is not asked for in advance, we may do so when needed.)

पंडित श्री राम शर्मा : पंजाब में आज कल जो होता है उस का भी तो ख्याल रखना चाहिए । (विघ्न)

DISTRIBUTION OF CULTIVABLE LAND AMONG AGRICULTURAL WORKERS

*765. **Dr. Bhag Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total area of cultivable land so far distributed among agricultural workers in the State together with the terms on which it has been distributed ;

(b) the arrears of rent, if any, still due from the occupants of land referred to above ;

(c) the monetary assistance, if any, given by the Government to the tillers of such cultivable land ;

(d) whether there is any scheme under the consideration of Government to distribute more cultivable land in the State to agricultural workers ; if so, the details thereof ?

Giani Kartar Singh : Sir, I have applied for extension.

PROJECT PLAN FOR LAND RECLAMATION AND DEVELOPMENT OPERATIONS IN KANDHI ZONES

*1087. **Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether any project plan for land reclamation and development operation in Kandhi Zone has been presented to the Government by Thakar Punjab Singh, President, Choe Society and Zamindars of Balachour (District Hoshiarpur), if so, the steps, if any, taken by the Government on the said plan ?

Sardar Gurbanta Singh : *Part I.*—Yes.

Part II.—The entire area has since been surveyed. It has been decided with the consent of the people of the area to implement the watbandi and Choes training scheme.

ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਦ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ?

ਜ਼ਰਾਇਤ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਲਦੀ ਹੀ ।

PATWARIS, KANUNGOS AND NAIB-TEHSILDARS IN THE STATE

*1299. **Chaudhri Sunder Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state the total strength in the cadres of Revenue Patwaris, Kanungos and Naib-Tahsildars in the State at present together with the number of members of the Scheduled Castes amongst them separately ?

Giani Kartar Singh :

		Total Strength	Scheduled Castes
Naib-Tehsildars	..	107	5
Kanungos	..	442	19
Revenue Patwaris	..	5.932	481

ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗ਼ਨੀ ਡਾਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋ percentage, scheduled castes ਦੀ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਘਟ ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੋ ਨਵੀਂ recruitment ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, total strength ਵਿਚ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਹਿਸਤਾ ੨ ਵਧੇਗੀ ।

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ percentage ਹੈ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਭਰਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

Mr. Speaker : Next question is on this subject.

RECRUITMENT OF CANDIDATES FOR PATWAR TRAINING

***1302. Chaudhri Sunder Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether it is a fact that Government is recruiting new candidates for training as Patwaris in the State ; if so, the number of the Harijans amongst them ?

Chaudhri Suraj Mal : (a) Yes.

(b) 422. As recruitment is continuing more Harijans and Backward Classes candidates will be recruited.

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ more recruitment will be made from amongst the scheduled castes ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ percentage ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 50 per cent ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ?

स्वास्थ्य मन्त्री : 21 per cent रखी हुई है और उस के हिसाब से लिए जाएंगे ।

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ percentage 50 ਹੈ ਜਾਂ 21 ਰਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ?

ਜ਼ਰਾਇਤ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਖੀ ਸੀ । ਉਹ ਦੋ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ । ਹੁਣ ਫਿਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਆ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਖੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘਟ ।

मौलवी अब्दुलगनी डार : जनाब सवाल में कहा गया है कि if so the number of Harijans amongst them. यह number बता दें ।

स्वास्थ्य मन्त्री : 422, शायद आपने पहले सुना नहीं ।

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ consider ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਫੇਰ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ?

मन्त्री : जल्दी ही ।

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਮੇਰੀ submisson ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ.........

Mr. Speaker : This is not a supplementary question.

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ 'ਜਲਦੀ' ਦੀ elucidation ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ।

Mr. Speaker : This is not a supplementary question.

DAMAGE BY 'NADI' TO VILLAGE PIRSUHANA, TEHSIL KHARAR, DISTRICT AMBALA

***1359. Sardar Niranjan Singh Talib :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether any area of village Pirsuhana, Tehsil Kharar, District Ambala, has been damaged by the floods in the Nadi flowing nearby; if so, the steps, if any, taken or proposed to be taken to save the village from being damaged in future ?

Giani Kartar Singh : Sir, I have applied for extension.

PAYMENT OF SHARE OF LAND REVENUE TO PANCHAYATS IN DISTRICT SANGRUR

***1370. Sardar Rajinder Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether it is a fact that a part of the share of the land revenue of the Panchayats in district Sangrur for the year 1956 has not so far been paid ;

(b) whether it is also a fact that the said amount lapsed;

(c) if reply to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the reasons therefor ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) Yes.

(b) and (c) No amount lapsed but after withdrawal from the Treasury the grant meant for the Panchayats whose elections were set aside by the Deputy Commissioner, Sangrur, was refunded into Goverment Treasury.

GOVERNMENT NAZUL LAND IN ERSTWHILE PEPSU STATE

***1409. Comrade Jangir Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the erstwhile Pepsu Government had notified that the Government Nazool lands would be given only to the Harijan Farming Societies;

(b) whether the Harijans of village Katron, Sub-Tahsil Dhuri, District Sangrur, who had joined a farming society were given any such land on chakota or on lease ;

(c) whether it is a fact that some area of land referred to in part (b) above was given on "Chakota" to a pensioner Havaldar in the said village, if so, the reasons therefor ?

Giani Kartar Singh : (a) Yes.

(b) No such society has yet been formed in village Katron. However the Nazool lands in this village were leased to Harijans.

(c) No land has been given on "Chakota" to any Havaldar. However, 60 bighas of land were transferred by Government to a Havaldar on account of military services as a gallantry award.

LEVY OF CHOWKIDARA TAX IN VILLAGES OF ERSTWHILE NABHA STATE

***1455. Dr. Bhag Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether Chowkidara Tax was in force in the villages of erstwhile Nabha State prior to the integration of Pepsu with Punjab ; if so, the rate of this tax ;

(b) whether it is a fact that after the integration of Punjab and Pepsu States another Chowkidara Tax has been levied in the villages referred to in part (a) above ; if so, the reasons therefor ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Yes, Sir. The rate at which this tax is levied is determined by the Deputy Commissioner in respect of each village under the provisions of the Pepsu Chowkidari Act, 1955, and the rules framed thereunder.

(b) No, Sir.

REALIZATION OF LOCAL RATE IN THE ABSENCE OF DISTRICT BOARDS

***1456. Dr. Bhag Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether it is a fact that a large number of villages of the erstwhile State of Punjab were at one time integrated in the erstwhile Pepsu State in exchange for certain enclaves ;

(b) whether it is also a fact that the people in the villages merged in the erstwhile Pepsu State have been required to pay District Board Taxes like the local rate while no District Boards existed in the erstwhile Pepsu State ; if so, the reasons therefor ?

Giani Kartar Singh : Sir, I have applied for extension.

EVACUEE LANDS IN DISTRICT GURGAON

***841. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether any area of land allotted to displaced persons in Gurgaon District on a permanent basis has been sold out by them ; if so, how much ;

(b) the percentage of the area of land referred to in part (a) above which is being cultivated by the owners themselves ;

(c) the area of the permanently allotted land in the said district which was restored to Muslim owners ;

(d) whether the orders for restoration of the said land to Muslim owners were passed before or after orders relating to permanent allotment ; if before, the reasons why allotments in favour of displaced persons were made permanent and the action, if any taken against officials responsible for this ?

Giani Kartar Singh : Sir, I have applied for extension in time.

COLLECTION OF ABIANA IN TEHSIL PHAGWARA, DISTRICT JULLUNDUR

***700. Sardar Achhar Singh Chhina :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Irrigation Department collected "Abiana" from the cultivators for Kharif, 1956, in Tahsil Phagwara, district Jullundur, in the erstwhile Pepsu State ;

(b) whether he is aware of the fact that "Abiana" for the said crop is again being realized from the cultivators ;

(c) if replies to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the reasons therefor and the action, if any, proposed to be taken by Government in the matter ?

***Dr. Gopi Chand Bhargva :** (a) Yes.

(b) Yes.

(c) The water rates for Kharif, 1956, were in the first instance assessed at the rates prevailing prior to Kharif, 1956. These water rates were revised by the Punjab Government,—*vide* notification No. 5619-Rev./1275/52, dated 25th September, 1956, and these rates were also applicable to areas served in the Pepsu by the Bhakra channels. Accordingly revised demand statements were prepared for realization of the difference.

**Note* :—The Minister for Irrigation and Power being away questions standing in his name were replied to by the Minister for Planning.

SUPPLY OF ELECTRIC ENERGY IN RURAL AREAS

***1604. Sardar Ramdayal Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the total number of villages energized in each district of the State during the period from 1st April, 1957 to 31st December, 1957, together with the names of those energised in Ludhiana District ;

(b) the criteria, if any, kept in view by the Government while supplying electric energy in the rural areas ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (a) A statement is laid on the Table of the House.

(b) No special criteria is fixed for supply of electric energy to the rural areas. However, to improve the standard of living, encourage cottage industries and irrigation pumping, more stress is being laid by Government on the supply of electricity to the rural areas.

Statement showing the number of villages energized in each District of the Punjab State during the period Ist April, 1957 to 31 December, 1957.

Serial No.	Name of District	Number of villages energized
1	Ludhiana	24
2	Jullundur	39
3	Ferozepore	15
4	Hoshiarpur	23
5	Kapurthala	..
6	Amritsar	69
7	Gurdaspur	14
8	Kangra	11
9	Patiala	24
10	Hissar	24
11	Ambala	16
12	Karnal	23
13	Rohtak	11
14	Gurgaon	12
15	Mohindergarh	4
16	Sangrur	4
17	Bhatinda	3

[Minister for Planning]

(*ii*) *Names of villages energised in Ludhiana District.*

1.	Lalheri	9.	Abadi Abdulapur	17.	Bhagwanpur
2.	Mahon	10.	Gandhwan	18.	Dakha
3.	Kotla Shamspur	11.	Daudpur	19.	Bhaghaur
4.	Chhota Samrala	12.	Malakpur	20.	Dhesu
5.	Sheikhuwal	13.	Majri	21.	Manki
6.	Sunet	14.	Gerkhan	22.	Iklowha
7.	Jawadi	15.	Changraudi	23.	Kulhal
8.	Sherpur	16.	Khatran	24.	Ghungreli

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ officials ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦ villagers apply ਕਰਨ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?

योजना मंत्री : जैसा गवर्नमैंट फ़ैसला करती है ।

श्री राम प्यारा : क्या यह सरकार के नोटिस में आया है कि कई ऐसे गावों को बिजली नहीं दी गई जिन में से बिजली के तार गुज़रते हैं जब कि कई दूर २ के गावों को दी गई है ।

Mr. Speaker : This is not a supplementary question.

COMPLAINT AGAINST SARPANCH OF VILLAGE DEVASAR, TAHSIL BHIWANI, DISTRICT HISSAR

***1219. Shri Ram Kumar :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether any complaints of encroachment on Panchayat land and misappropriation of Panchayat funds, etc, had been received by Government against the Sarpanch of village Devasar in Tahsil Bhiwani, District Hissar ; if so, on what date or dates ;

(b) whether any enquiry has been held into the said complaints by the Tehsil Panchayat Officer ; if so, his findings and the action, if any taken thereon ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (a) Yes. Two complaints were received one in September, 1956, and the other in May, 1957, but they did not refer to misappropriation of Panchayat fund.

(b) Yes. The allegations regarding the encroachment on Panchayat land by the Sarpanch were not established.

JUNIOR BASIC, SENIOR BASIC AND B. T. TRAINED TEACHERS IN THE STATE

***800. Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state the number of boys and girls separately who

received training from the junior basic, senior basic and B. T. training schools and colleges, district-wise in the State during the last two years together with the number of those who have so far been absorbed and those who have not been absorbed ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) **:** Sir, extension has been applied for.

GRANT OF GANDHI MEMORIAL SCHOLARSHIPS

***1196. Shri Rup Singh Phul :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state the total number of students in the State, district-wise, who applied for the grant of the Gandhi Memorial Scholarships up to 31st December 1957, together with the number, district-wise, of those who obtained such scholarships ?

Shri Mohan Lal : *part* (*1*).—A statement showing the number of candidates who applied for the grant of Gandhi Memorial Scholarships this year up to the 30th September, 1957, which was the last date fixed for the receipt of the applications is laid on the Table of the House.

Part (*2*).—The requisite statement is laid on the Table of the House.

District-wise statement showing the number of candidates who applied for scholarship for advanced training in India and abroad under Gandhi Memorial Scholarship Scheme

Name of District in Punjab	No. of candidates applied for advanced training abroad	No. of candidates applied for advanced training in India	No. of candidates applied for training in the trades foi which applications were not invited	District-wise total
Jullundur	8	6	2	16
Ludhiana	2	4	2	8
Amritsar	3	5	2	10
Ambala	6	9	3	18
Karnal	*Nil*	1	2	3
Rohtak	2	2	*Nil*	4
Hissar	1	3	*Nil*	4
Gurgaon	*Nil*	*Nil*	*Nil*	*Nil*
Hoshiarpur	5	5	*Nil*	10
Ferozepore	3	3	*Nil*	6
Kangra	2	1	*Nil*	3
Faridkot	1	1	*Nil*	2
Patiala	2	2	1	5
Kapurthala	*Nil*	1	*Nil*	1
Gurdaspur	3	1	1	5
Total	38	44	13	Grand Total 95

[Minister for Finance]

Applications received from Punjabi Students residing outside the Punjab State

Name of City in India	No. of candidates applied for advanced training abroad	No. of candidates applied for advanced training in India	No. of candidates applied for training in the trades for which applications were not invited
Delhi	1	1	*Nil*
Mandi	1	*Nil*	*Nil*
Muradabad	1	*Nil*	*Nil*
Saurashtra	2	*Nil*	*Nil*
Dalmianagar	1	*Nil*	*Nil*
Lucknow	1	1	*Nil*
Calcutta	1	1	*Nil*
Bangalore	*Nil*	*Nil*	1
Dhanbad	*Nil*	*Nil*	1
Banaras	*Nil*	*Nil*	1
Bombay	*Nil*	*Nil*	1
Rurkee	*Nil*	*Nil*	1
Total	7	3	5

Name of the District from which candidate was selected		No. of candidate(s) selected
(i) Gandhi Memorial Scholarship for study abroad		
1. Ambala	..	1
2. Jullundur	..	2
3. Moradabad	..	1
		(The candidate originally belongs to Rawalpindi District but his parents with whom he is residing are living in Moradabad at present)
(ii) Gandhi Memorial Scholarship for industrial training in India		
1. Ambala	..	1
2. Jullundur	..	2
3. Ludhiana	..	1
Hissar	..	1

ਸ੍ਰੀ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਫੂਲ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ interview ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। There were only three applicants and probably none of them appeared for the interview.

ਸ੍ਰੀ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਫੂਲ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਤਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੀ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੁਸ਼ਤਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ notification ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

श्रीमती सरला देवी शर्मा : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि interview के लिए candidates को बुलाने के लिए पत्र डाले जाते हैं ?

मंत्री : जी हां। बाकायदा तौर पर applications के आने के बाद उन्हें पत्र डाले जाते हैं। इस केस में जितनी applications आईं सब को interview के लिए बुलाया गया था। तारीख के बारे में notification की जाती है और पत्र भी डाले जाते हैं। Both these things were done.

OPENING OF SCHOOLS IN KANGRA DISTRICT

***1198. Shri Rup Singh Phul :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) the number of the new primary, middle and high schools opened by Government in Kangra District during the current financial year up to date;

(b) the number of such schools proposed to be opened by Government during the remaining part of the current financial year and during the next financial year separately ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) :

(a) New Primary School .. 1

New Middle School .. *Nil*

but one primary school has been raised to middle standard.

New High School .. *Nil*

(b) None, so far as the remaining part of the current year is concerned. As regards the next financial year, the following schools will be opened :—

New Primary School .. 1

New Middle School .. *Nil*

but one primary school will be raised to the middle standard.

श्री रूप सिंह फूल : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जिस स्कूल को कांगड़ा में primary से middle standard तक raise कर दिया गया है उस का नाम क्या है ?

उप-मंत्री : इस के लिए अलहदा notice की जरूरत है ।

ARRANGEMENTS FOR HONOURS CLASSES IN HINDI/PUNJABI IN RANDHIR COLLEGE, KAPURTHALA

***1231. Sardar Atma Singh :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) whether classes for Honours in Hindi (Prabhakar) have been started in the Randhir College, Kapurthala ; if so, the number of students admitted to these classes each year together with the yearly expenditure incurred thereon since such classes were started ;

(b) whether classes for Honours in Punjabi (Gyani) have also been started in the said college ; if not, the reasons therefor ;

(c) whether any representation for starting the classes mentioned in para (b) has been received, if so, the action taken thereon ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : (a) Yes. The classes were started in 1953. The enrolment is as follows :—

Year	*Students on roll*
1953	.. 18
1954	.. 21
1955	.. 19
1956	.. 17
1957	.. 20
1958	.. 18

No additional expenditure was incurred on these classes as the teaching work was entrusted to three Shastri teachers already on the staff of the Oriental Section of the College.

(b) No. There was no demand for these classes in the College.

(c) No. the latter part of the question does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ Hindi, Punjabi ਕਲਾਸਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ demand ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਖਦੀ ਹੈ ?

Mr. Speaker : This is not a supplementary question.

COLLEGES IN THE STATE

***1287. Shri Ram Piara :** Will the Minister for Education and Labo u be pleased to state –

(a) the total number of Government Colleges at present in the State along with the strength of the staff and the number of students in each college ;

(b) the total number of denominational colleges (getting grant from the Government) at present in the State, along with the strength of staff and the number of students in each such college ;

(c) the total amount sanctioned by Government for each of the colleges referred to in parts (a) and (b) above, separately during the year 1957-58 ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) **:** Sir, extension has been applied for.

FIXATION OF SALARIES OF TEACHERS OF ERSTWHILE PEPSU STATE

***1408. Comrade Jangir Singh :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to sta e whether it is a fact that the salaries of a large number of teachers of erstwhile Pepsu State have not so far been fixed in their revised grades ; if so, the reasons therefor and the time by which it is expected to be done ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : No. There is a small number of cases of teachers whose pay has not yet been fixed in the revised scales of pay, but every endeavour is being made at all levels to finalise them at the earliest possible date to obviate the hardship experienced by the individuals concerned due to non-fixation of their pays.

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ Pay Scale ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤਕ revise ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

ਉਪ ਮੰਤਰੀ : ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ Pay Scale ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ revise ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ revision ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ?

ਉਪ ਮੰਤਰੀ : ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ erstwhile Pepsu ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ Pay Scale ਨਾਲ ਹੈ।

OPENING OF GOVERNMENT COLLEGES IN THE STATE

***1606. Sardar Ramdayal Singh:** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state the number of Government Colleges opened in the rural and urban areas of the State since 1952 together with the names of the places where they have been opened and the expenditure incurred on each of them ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : A statement giving the requisite information is laid on the Table.

(a) (i) Six in urban areas.

(ii) Nine in rural areas.

(b) Three at Chandigarh,

One each at Dharamsala, Narnaul and Gurdaspur.

(c) 1. Government College, Chandigarh—

1952-53	1953-54	1954-55	1955-56	1956-57	1957-58	Total
Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs
..	2,53,350	2,07,021	2,27,994	2,55,854	2,70,900	12,15,119

2. Government College for Women, Chandigarh.—

1952-53	1953-54	1954-55	1955-56	1956-57	1957-58	Total
Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs
..	..	..	..	97,320	96,552	1,93,872

3. Government Basic Training College, Chandigarh.—

1952-53	1953-54	1954-55	1955-56	1956-57	1957-58	Total
Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs
	..	75,688	88,323	1,60,576	1,14,486	4,39,067

4. Basic Training College, Dharamsala.—

1952-53	1953-54	1954-55	1955-56	1956-57	1957-58	Total
Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs
..	..	..	..	69,939	75,000	1,44,939

5. Government College, Narnaul.—

1952-53	1953-54	1954-55	1955-56	1956-57	1957-58	Total
Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs
..	..	6,41,767	62,210	79,124	57,560	2,63,661

6. Government College, Gurdaspur.—

1952-53	1953-54	1954-55	1955-56	1956-57	1957-58	Total
Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs
..	..	1,96,509	1,71,657	2,35,119	1,61,500	6,94,785

UNEMPLOYMENT IN THE STATE

***1505. Shri Parbodh Chandra** : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) the number of persons registered with the Employment Exchanges in the State during the years 1955, 1956 and 1957, respectively ;

(b) whether Government has taken any steps to combat the growing unemployment in the State ; if so, what ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : (a) The number of persons registered during the years 1955, 1956 and 1957 is 1,28,361, 1,35,887 and 1,41,95, respectively.

[Minister for Education]

(b) (i) Yes, the Government through various development schemes is trying to raise employment potential of the State which has been increasing every year. Unemployment, as the Member is aware, is, however, reduced by increased industrial and commercial activities. So far as National Employment Service is concerned, in order to reduce the incidence of unemployment, Government have made it obligatory on all Government offices to recruit their personnel except those appointed through the Public Service Commission or the Subordinate Services Selection Board, through the Employment Exchanges.

(ii) In order to reduce mal-adjustment of manpower, Government have also launched a scheme for imparting vocational guidance to applicants at Employment Exchanges. One Unit has been sanctioned for this purpose at the Regional Employment Exchange, Ambala, and it will start functioning shortly. It is hoped to expand this scheme gradually throughout the State.

CLOSURE OF TEXTILE FACTORIES IN AMRITSAR

***1434. Sardar Sarup Singh :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) the number of textile factories which closed down in Amritsar since 1954, together with their names and the reasons for closures in each case ;

(b) the total number of workers thrown out of employment as a result of closures referred to above ;

(c) whether it has come to the notice of Government that certain factories out of these referred to in part (a) above re-started ; if so their number ;

(d) if the answer to part (c) above be in the affirmative, the steps Government propose to take to safeguard the interests of workers ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : (a) 49 factories were closed due to unfavourable market conditions. A list of which is laid on the Table.

(b) 1,992.

(c) The following three factories have been found to have been split up and restarted :—

(i) Gobind Woollen and Silk Mills, Amritsar.

(ii) Subhash Weaving Factory, Verka Road, Amritsar.
and
(iii) Raj Krishna Textile Mills, Amritsar.

(d) The matters regarding validity of split up of the concerns and payment of retrenchment compensation, etc., to the workers affected by the closure have been referred for adjudication to the Industrial Tribunal/Labour Court. The award in respect of Raj Krishna Textile Mills, has since been published and has been challenged by one of the ex-partners under civil writ No. 992 of 1957 pending with the Punjab High Court.

List of Textile Factories closed down in Amritsar Circle since 1954

		No. of Workers
1.	Lakshmi Spinning and Weaving Mills, Amritsar ..	35
2.	Seth Spinning Mills, Chheharta ..	103
3.	Hanuman Textile Mills, Amritsar ..	22
4.	Nath Textile Mills, Amritsar ..	32
5.	Mahabir Hosiery, Chheharta ..	50
6.	Keshav Silk Mills, Chheharta ..	150
7.	Ashok Woollen Mills, Chheharta ..	57
8.	Wool Waste Company, Chheharta ..	85
9.	Parkash Textile Mills, Chheharta ..	100
10.	Ram Lal Gora Mall Textile Mills, Chheharta ..	50
11.	Swastika Textile Mills, Amritsar ..	27
12.	Jagdish Weaving Mills, Amritsar ..	14
13.	Ideal Woollen & Silk Mills, Amritsar ..	45
14.	Punjab Woollen & Silk Mills, Chheharta ..	85
15.	Beiri Mill, Amritsar ..	62
16.	Mool Chand Janki Nath Textile Mills, Amritsar ..	35
17.	Krishna Textile Finishing Mills, Amritsar ..	72
18.	Hindustan Rayon & Woollen Textile Mills, Chheharta ..	73
19.	East Punjab Silk Mills, Chheharta ..	60
20.	Gobind Woollen & Silk Mills, Amritsar ..	60
21.	Nav Bharat Textile Mills, Amritsar ..	33
22.	Subash Weaving Factory, Verka ..	86
23.	Madan Lal Raj Kumar Weaving Mills, Amritsar ..	32
24.	Goel Textile Mills, Amritsar ..	24
25.	Prabhu Woollen & Silk Mills, Amritsar ..	45
26.	Nathu Mal Durga Dass Weaving Factory, Amritsar ..	17
27.	Deepak Textile Mills, Amritsar ..	12
28.	Navbharat Textile Mills, Amritsar ..	15
29.	Raj Krishan Textile Mills, Amritsar ..	38
30.	Phanna Mal Bakshi Ram Textile Mills, Amritsar ..	32
31.	Jai Bharat Woollen & Silk Mills, Amritsar ..	65

[Minister for Education and Labour]

32.	Kamal Silk Mills, Amritsar	..	15
33.	Mohan Textile Mills, Amritsar	..	32
34.	Pran Nath Dhawan Kumar Weaving Mills, Amritsar	..	12
35.	Shri Gopal Woollen & Silk Mills, Amritsar	..	14
36.	S. N. S. Textile Mills, Amritsar	..	17
37.	Sind Weaving Works, Amritsar	..	15
38.	Khanna Textile Works, Amritsar	..	16
39.	Hans Raj Textile Mills, Amritsar	..	42
40.	Maharaj Weaving Mills, Amritsar	..	38
41.	Rattan Silk Mills, Amritsar	..	15
42.	Paul Weaving Factory, Amritsar	..	13
43.	K. C. Textile Mills, Amritsar	..	23
44.	Goverson Textiles, Amritsar	..	19
45.	Hansa Cloth & General Mills, Verka	..	45
46.	Amritsar Swadeshi Woollen Mills, Amritsar	..	12
47.	New Punjab Woollen & Silk Mills, Amritsar	..	22
48.	Kamla Silk Mills, Amritsar	..	13
49.	National Woollen & Textile Mills, Amritsar	..	13
	Total	..	1,992

PER CAPITA PRODUCTION OF MILK IN THE STATE

***1341. Shri Balwant Rai Tayal :** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state whether the Government have taken any steps to find out per capita production of milk in the State ; if so, the district-wise details thereof ?

Sardar Gurbanta Singh : No.

MENACE OF STRAY CATTLE IN THE RURAL AREAS OF THE STATE

***1354. Sardar Ramdayal Singh :** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state –

(a) whether Government is aware of the fact that stray cattle in the rural areas of the State are proving a great menace and doing great damage to the crops of the cultivators ;

(b) whether any representations or complaints with regard to the stray cattle referred to in part (a) above have been received by Government ; if so, the steps, if any, taken or are proposed to be taken to combat this menace ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) Yes.

(b) Yes, Government have already opened three Gosadans in the State where old, infirm and useless cattle are kept. In addition four more Gosadans are proposed to be opened, two during the current financial year and two in the next year. A proposal for catching and domesticating the stray cattle is also under the consideration of Government.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲਈ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਗੋਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੜ ਕੇ ਗੋਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਗੌਸਦਨ ਕਿਥੇ ਹਨ ?

Mr. Speaker : This question does not arise.

GAZETTED AND NON-GAZETTED POSTS IN THE AGRICULTURE DEPARTMENT

*1399. **Chaudhri Sunder Singh** : Will the Ministei for Agriculture and Forests be pleased to state—

(a) the total number of gazetted and non-gazetted posts separately in the Agriculture Department at present ;

(b) the names and qualifications of members of the Scheduled Castes employed against the posts mentioned in part (a) above ?

Sardar Gurbanta Singh : Sir, I have applied for extension in time.

GOVERNMENT AGRICULTURAL FARMS IN THE STATE

*1506. **Shri Prabodh Chandra** : Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state—

(a) the number of Government Agricultural Farms in the State at present, and the purpose for which they have been established ;

(b) the maximum outputper acre of wheat, sugarcane , barley and cotton in each of the farms referred to above ?

Sardar Gurbanta Singh : A statement is laid on the Table.

Statement

Name of Farm	Purpose for which established	Maximum yield per acre			
		Wheat	Sugarcane	Barley	Cotton
1	2	3	4	5	6
		Mds	Mds.	Mds.	Mds.
1. Rice Breeding Sub-Station, Nagrota, District Kangra	Research on improved varieties of paddy	35	..	..	.
2. Cereals Breeding Sub-Station, Kulu (Kangra)	Research on improved varieties of cereals	31.125	..	29.850	..
3. Barley Research Farm, Gurgaon	Research on improved varieties of barley	40.18	..	35.56	..
4. Garha Farm, Jullundur	Research on improved varieties of cereals	28.18	..	27.26	..
5. Cereals Breeding Sub-Station, Gurdaspur	Research on improved varieties of cereals	27.13	..	..	..
6. Government Agricultural Farm, Ferozepore	Research on gram, bajra and tobacco	21.94	..	..	..
7. Sugarcane Research Station, Jullundur Cantt	Research on sugarcane	..	1,665.6 (Stripped cane)	..	..
8. Sugarcane Sub-Station, Gurdaspur	Ditto ..	21.6	1,147.0 (Stripped cane)	..	5.3
9. Sugarcane....Sub-Station, Bir Dosanjanwala Farm, Nabha	Research on Sugarcane	To be established from the year 1958-59			
10. Potato Seed Farm, Dhogri, District Jullundur	Multiplication of potato seed	24.19	..	..	23.52
11. Seed Farm, Sirsa ..	Seed multiplication	19.75	..	..	19.20

Name of Farm	Purpose for which established	MAXIMUM YIELD PER ACRE			
		Wheat	Sugarcane	Barley	Cotton
1	2	3	4	5	6
		Mds.	Mds.	Mds.	Mds.
12. Government Agricultural Farm, Hansi	Experimental work on all crops	27.975	130.80 (Gur)	..	20.825
13. Government Agricultural Farm, Karnal	District and Demonstration Farm	15.60	100.425 (Gur)	..	13.225
14. Government Agricultural Farm, Rohtak	Ditto ..	27.00	68.75 (Gur)	..	21.125
15. Government Agricultural Farm, Abohar	Ditto ..	13.5	590.8 (Cane yield)	..	11.5
16. Fodder Research Station, Sirsa	Research on fodder crops	..	..	..	..
17. Vegetable Seed Farm, Beas (District Amritsar)	Seed Multiplication of vegetable crops	..	..	..	..
18. Government Agricultural Farm, Jullundur	Experimental work on various crops	31.58	1,329.63 (Cane yields)	..	24.46
19. Seed Farm, Abohar	Seed Multiplication work	35.70	..	..	23.00
20. Bir Dosanjanwala Farm, Nabha	Seed Multiplication work	16.8	560 (Stripped cane)	17.3	12.75
21. Bhupindra Agricultural Station, Rauni	Research work ..	15	600 (Stripped cane)	..	15
22. Model Agricultural Farm, Faridkot	Research and demonstration work	29.10	..	..	21.10
23. Government Agricultural Station, Gurdaspur	Experimental work	40	790 (Cane yields)	30	9.09
24. Students Agricultural Farm, Government Agricultural College, Ludhiana	For imparting training to student	22.4	700 (Cane yields)	..	16.85

[Minister for Agriculture and Forests]

Name of Farm	Purpose for which established	Maximum yield fer acre			
		Wheat	Sugarcane	Barley	Cotton
1	2	3	4	5	6
25. Hybrid Maize Farm, Kangra	For the production of hybrid maize seed	32	..	..	..
26. Hybrid Maize Seed Farm, Chandigarh	Ditto ..	11.7	..	..	9.15
27. Hybrid Maize Seed Farm, Naraingarh	Ditto ..	None of these crops are grown at this farm yet			
28. Sewage Farm, Kapurthala	Paddy and seed multiplication work	33.25	..	..	..
29. Jagatjit Farm, Kapurthala	District and Demonstration Farm	26.50	..	..	..
30. Groundnut Research Station, Samrala	Research work on groundnuts	19.02	..	..	..

FORMATION OF FOREST CO-OPERATIVE SOCIETY IN VILLAGE KUTLA, DISTRICT KANGRA, FOR EXTRACTION OF CHIL RESIN

***1635. Shrimati Sarla Devi Sharma :** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state—

(a) whether Government has received any representation from the residents of village Kutla, tahsil Dehra, District Kangra, regarding the formation of a Forest Co-operative Society for the extiaction of chil resin in the said village ;

(b) if reply to part (a) above be in the affirmative, the action, if any taken on the said representation ?

Sardar Gurbanta Singh : Sir, I have applied for extension.

LOANS FOR THE CONSTRUCTION OF HOUSES IN DISTRICT SANGRUR

***1374. Sardar Rajinder Singh :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether any loans for the construction of houses in District Sangrur were advanced by Government during the year 1956-57 ; if so, the number of persons to whom these loans were given ;

(b) the number of applications for loan still pending in District Sangrur, tehsilwise ?

Rao Birendar Singh : (a) A sum of Rs. 2,50,000 was advanced to 254 persons during the year 1956-57.

(b) 1,946,—*vide* details as under :—

Tahsil Barnala	..	912
Tahsil Sangrur	..	785
Tahsil Narwana	..	15
Tahsil Malerkotla	..	229
Tahsil Jind	..	5

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ pending ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਤਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ?

लोक कार्य मंत्री : फैसले की क्या बात है । जब इस मकसद के लिए यह रकम रखी गई है तो जो इस condition को पूरा करेंगे उन को कर्ज़े दे दिए जाएंगे ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ question ਅਜ postpone ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ date ਮੁਕਰਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਸਵਾਲ No. 1371 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਚਾਰ ਦਫਾ postpone ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : Second time ਇਹ ਫੇਰ ਰਖੇ ਜਾਣਗੇ । (These will again be put for the second time.)

ANTI-MALARIA SCHEME IN KANGRA DISTRICT

***1324. Thakur Mehar Singh :** Will the Minister for Consolidation and Health be pleased to state—

(a) whether any area of Kangra District is covered under the Anti-Malaria Scheme; if so, how much, and the steps if any being taken to cover the rest of the area ;

(b) the total amount so far spent by Government under the scheme referred to above in Kangra District ?

Shri Suraj Mal : (a) Yes. A full-fledged Malaria Unit is functioning in Kangra District with its headquarters at Palampur, covering an area of 3,020 square miles and protecting a population of 564,060 souls.

The area of Lahaul and Spiti is not included as this is not a malarious tract. There is no malaria at 6,000 feet above sea level.

[Minister for Consolidation and Health]

(b)

Year		*Amount spent* Rs.
1954-55 ..	..	62,413
1955-56	..	84,263
1956-57	..	105,466
1957-58	..	86,226 (Up to end of January, 1958)
Total	..	3,38,368

HEALTH INSURANCE SCHEME

***1464. Shrimati Krishna Sethi :** Will the Minister for Consolidation and Health be pleased to state—

(a) the total number of persons in the State at present benefitted by the State Health Measure Scheme ;

(b) the total number of beds in the hospitals in the State which are reserved for patients from amongst those referred to in part (a) above ;

(c) the total amount contributed by the Central Government, the State Government and the public, respectively, for the working of the said Scheme since its inception ?

Chaudhri Suraj Mal : (a) 35,000 as on 31st December, 1957.

(b) 29.

(c) (i) Share of Employees State Insurance Corporation .. Rs. 8,54,864-8-6 including an amount of Rs. 2,20,500 as a (on account) payment for the year 1956-57.

			Rs.
	(ii) Share of Punjab Government (up to 30th September, 1957)	..	3,72,308
Delhi Region (this includes Punjab)	(iii) Employers share (from 1st April, 1957 to 31st December, 1957)	..	87,32,365
	(iv) Employees share (from 1st April, 1957 to 31st December, 1957)	..	1,39,84,844

CO-OPERATIVE CREDIT AND THRIFT SOCIETY, VILLAGE BIAS, DISTRICT JULLUNDUR

***1322. Sardar Harguranad Singh : Will the Minister for Consolidation** and Health be pleased to state whether the Government has held any enquiry against the Co-operative Credit and Thrift Society of village Bias, District Jullundur ; if so, the findings of the said enquiry ?

Chaudhri Suraj Mal : Yes. The enquiry report is under consideration.

ALLOTMENT OF IRON AND COAL QUOTA TO STEEL ROLLING MILLS AT GOBINDGARH MANDI

***1461. Dr. Bhag Singh :** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the quota of iron and coal allotted to Steel Rolling Mills at Gobindgarh Mandi before and after the introduction of "Billet System" ;

(b) whether there is shortage of supply of coal in the State ; if so, the steps Government is taking to remove this shortage ;

(c) the quantity of coal being consumed by and supplied to the above referred Steel Rolling Mills each month ;

(d) the check that is being exercised for the proper distribution of iron and coal at Gobindgarh Mandi ?

Shri Mohan Lal : (a) There are two types of re-rolling mills in Mandi Gobindgarh, namely, registered and unregistered. The former category receive allotments of iron and coal from the Iron and Steel Controller, Calcutta, in accordance with Government of India policy. The latter category receive allotments from the Re-rolling Mills Association of India at Calcutta. In addition, the latter category are also supplied small quantities of coal from the Punjab State quota to enable them to process scrap obtained by them from the open market. Full details regarding total quota of iron and coal allotted to these two categories of re-rolling mills are not, therefore, available with the State Government readily. However, a statement giving data regarding allotments and receipts, supplied by the mills themselves, is laid on the Table of the House. It indicates the position regarding allotments both before and after the introduction of the billet system.

(b) Yes, Government of India has been moved from time to time as necessary, to raise the quota for Punjab, and also to accelerate movement of supplies from collieries. All possible steps including contacts even at Ministers' level are being taken in this connection.

(c) The figures are not available with the State Government, as allotments are made by the Iron and Steel Controller and the Re-rolling Mills Association of India, Calcutta, respectively.

(d) The State Government exercise control in respect of allotments made by them out of the State quota to the unregistered re-rolling mills. The District Industries Officers have instructions to ensure that the allotments are properly utilized.

[Minister for Finance]

STATEMENT

Serial No.	Name of the Rolling Mill	BEFORE THE BILLET SYSTEM		AFTER THE BILLET SYSTEM
		Re-rollable material allotted during 1956	Re-rollable material received during 1956	Re-rollable material allotted during 1957
1	2	3	4	5
1	Messrs Balu Ram Harnam Dass, Gobindgarh	183 tons	40 tons	*Nil*
2	Messrs Vishv Karma Iron Rolling Mills, Gobindgarh	4 wagons	6 wagons	58 wagons
3	The Punjab Steel Rolling Mill, Gobindgarh	10 wagons	10 wagons	62 wagons
4	Messrs Sant Ram Ramji Dass, Gobindgarh	No information	167-14-0-0	No information
5	Messrs Ram Tirath Iron and Steel Rolling Mill, Gobindgarh	802 tons	501 tons	*Nil*
6	Ch. Dewan Chand-Dhanpat Rai, Gobindgarh	87-16-1-0	82 tons	No information
7	The Iron Factory, Registered, Gobindgarh	No information	172 tons	Ditto
8	Rama Steel Rolling Mill, Gobindgarh	41 tons	3 wagons	37 wagons
9	Panjsar Iron and Steel Rolling Mill, Gobindgarh	No information	No information	No information
10	Saraswati Steel Rolling Mill, Gobindgarh	389 tons	11 wagons	Ditto
11	Sulekh Ram Banarsi Dass, Gobindgarh	No information	No information	Ditto
12	Shri Gopal Mills, Gobindgarh ..	3 wagons	3 wagons	6 wagons
13	Messrs Khalsa Iron and Steel Rolling Mills, Gobindgarh	No information	10 wagons	No information
14	The Mahawar Steel Rolling Mill, Gobindgarh	34 wagons	22 wagons	65 wagons
15	Messrs Devgan Iron Rolling Mill, Gobindgarh	62 tons	65-13-1	No information
16	Messrs Hira Singh Hazura Singh	3 wagons	6 wagons	Ditto
17	Gopal Iron and Steel Works, Gobindgarh	No information	No information	12 wagon
18	Messrs Ganga Ram Asa Ram Iron and Steel Rolling Mill, Gobindgarh	5 wagons	4 wagons	No information
19	Narankari Iron and Steel Rolling Mills, Gobindgarh	3 wagons	3 wagons	Ditto

	BEFORE THE BILLET SYSTEM		AFTER THE BILLET SYSTEM		
Re-rollable material received during 1957	Coal alloted during 1956	Coal received during 1956	Coal allotted during 1957	Coal received during 1957	Monthly average consumption
6	7	8	9	10	11
120 tons against allocation of 1956	6 wagons	4 wagons	15 wagons	10 wagons	1,085 mds.
4 wagons	5 wagons	5 wagons	10 wagons	10 wagons	30 tons
8 wagons	22 wagons	13 wagons	27 wagons	29 wagons	1,236 mds.
270 Billets	No information	No information	No information	No information	No information
279 tons	46 wagons	41 wagons	65 wagons	58 wagons	75 tons
67-18-0-0	No information	132 tons	286 tons	252-17-0-0	1,130 mds.
215 tons	Ditto	178 tons	No information	311 tons	No information
12 wagons (Billets)	6 wagons	4 wagons	12 wagons	8 wagons	536 mds
278-9-0-0	No information	No information	270-17-0-0	No information	No information
..	7 wagons	5 wagons	No information	Ditto	31 tons
No information	No information	No information	Ditto	No information	No information
6 wagons	17 wagons	14 wagons	25 wagons	19 wagons	27 tons
1,752-38-0 (3 wagons)	No information	14 wagons	No information	21 wagons	27 tons
42 wagons	61 wagons	35 wagons	65 wagons	56 wagons	74 tons
No information	132 wagons	135-18-0	No information	No information	18 tons
Ditto	16 wagons	12 wagons	23 wagons	19 wagons	25-9-0-0
6 wagons	No information	No information	No information	No information	70 tons
No information	12 wagons	12 wagons	Ditto	Ditto	82 tons
Ditto	5 wagons	19½ wagons	Ditto	Ditto	30 tons

ALLOTMENT OF IRON AND STEEL TO CLASS I AND II QUOTA-HOLDERS

*1538. **Shri Ram Piara** : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether any classification of iron and steel quota-holders has been made in the State ;

(b) if the reply to part (a) above is in the affirmative, whether any quantity of iron and steel has been fixed for allotment to Class I and II quota holders ; if so, what ;

(c) the number together with the names of Class I and II quota-holders in the Districts of Ambala, Karnal and Gurgaon ;

(d) the quantity of iron and steel to which each of the quota-holders mentioned in part (c) above was entitled and the quantity allotted to each, respectively, during the years 1956-57 and 1957-58 ?

Shri Mohan Lal : (a) Yes. The quota-holders maintained out of the Small-Scale and Cottage Industries Quota have been placed in two groups, viz., I and II.

(b) Group I and II quota-holders are ordinarily eligible to 4 tons and 2 tons of steel per quarter, respectively, subject to increase or decrease according to the total quota available. Some of the quota-holders in Group I, who were formerly 'A' class quota-holders entitled to 6 tons of steel per quarter, could draw up to that extent, in case they indented or received this quantity during the two quarters immediately preceding the abolition of the old classification of 'A', 'B', 'C', 'D', and 'E' class quota-holders.

(c) and (d) A statement is placed on the Table of the House.

STATEMENT SHOWING THE NAMES OF GROUPS I AND II QUOTA-HOLDERS AND THE QUANTITIES OF IRON AND STEEL TO WHICH THEY WERE ENTITLED AND WHICH WERE ALLOTTED TO THEM DURING 1956-57 AND 1957-58

Serial No.	Name of quota-holder	Group	Quantity to which entitled (tons yearly)	QUANTITY ALLOTTED DURING	
				1956-57	1957-58
	DISTRICT GURGAON				
			Tons	T.Cwt.Q.Lb.	T.Cwt.Q.Lb.
1	Messrs Verma Engineering Works, Rewari	II	8	11 0 0 0	7 0 0 0
2	Messrs Eastern Electronics, Faridabad	II	8	*Nil*	7 0 0 0
3	Messrs New Model Trunk Factory, Gurgaon	II	8	4 0 0 0	9 0 0 0

Serial No.	Name of quota-holder	Group	Quantity to which entitled (tons yearly)	QUANTITY ALLOTTED DURING 1956-57	1957-58
	DISTRICT AMBALA				
			Tons	T.Cwt.Q.Lb.	T.Cwt.Q.Lb.
1	Messrs Harnam Singh-Narain Singh, Ambala Cantt	I	16	26 4 0 0	13 5 0 0
2	Messrs L. R. Gupta & Co., Ambala Cantt	I	16	24 4 0 0	12 2 2 0
3	Messrs H. R. Sud & Co., Ambala Cantt	I	16	31 11 0 0	13 2 0 0
4	Messrs Shahi Sheet Metal Works, Ambala Cantt	I	16	24 18 2 0	11 15 0 0
5	Messrs Parkash Steel Works, Ambala Cantt	I	16	23 5 0 0	12 14 0 0
6	Messrs Fair Price Steel Works, Ambala Cantt	I	16	23 1 0 0	11 15 0 0
7	Messrs Bharat Industries, Ambala Cantt	I	16	27 1 0 0	10 19 0 0
8	Messrs Bhagshali Hind Steel Works, Ambala Cantt	I	16	21 7 0 0	4 16 0 0
9	Messrs Kumar Engineering Works, Ambala City	I	16	27 8 0 0	13 5 0 0
10	Messrs Sialkot Steel Works, Ambala City	I	16	28 8 0 0	10 14 0 0
11	Messrs Jwand Singh-Darshan Singh, Ambala City	I	16	23 14 0 0	12 17 0 0
12	Messrs Kamlesh Steel Works, Ambala City	I	16	27 17 0 0	11 8 0 0
13	Messrs Dewan Hansraj Suri, Ambala City	I	16	28 8 0 0	12 4 0 0
14	Messrs Vijay Bharat Industries, Ambala City	I	16	21 15 0 0	11 5 0 0
15	Messrs Ganpati Metal Works, Ambala City	I	16	24 17 2 0	10 9 0 0
16	Messrs Lala Lahori Mal Khanna, Ambala City	I	16	26 17 2 0	12 4 0 0
17	Messrs Mittal Metal Works, Ambala City	I	16	21 3 0 0	10 9 0 0
18	Messrs Jagadhri Iron Works, Jagadhri	I	16	26 0 0 0	11 13 0 0
19	Messrs Suraj Kumar-Rajinder Kumar, Jagadhri	I	16	23 8 0 0	12 0 0 0

[Minister for Finance]

Serial No.	Name of quota-holder	Group	Quantity to which entitled (tons yearly)	QUANTITY ALLOTTED DURING 1956-57	QUANTITY ALLOTTED DURING 1957-58
	DISTRICT AMBALA—CONTD				
			Tons	T.Cwt.Q.Lb.	T.Cwt.Q.Lb.
20	Messrs H. L. Chopra & Sons, Jamna Nagar	I	16	20 18 0 0	5 4 2 0
21	Messrs Sohan Lal-Kirpa Ram, Ambala Cantt	I	16	16 0 0 0	Quota withdrawn
22	Messrs Kid Metal Holiware Industries, Ambala Cantt	I	16	17 18 2 0	7 0 0 0
23	Messrs Nav Bharat Industries, Ambala Cantt	I	16	16 0 0 0	9 12 0 0
24	Messrs Jupiter Steel Works, Ambala Cantt	I	16	*Nil*	9 12 0 0
25	Messrs Mohan Singh & Co., Ambala City	I	16	4 6 2 0	12 4 0 0
26	Messrs Ram Sarup and Bros., Chandigarh	I	16	Nil	11 2 0 0
27	Messrs Sant Singh-Kirpal Singh, Ambala Cantt	II	8	12 8 0 0	5 17 2 0
28	Messrs Punjab Iron and Steel Trunk Manufacturers, Ambala Cantt	II	8	11 2 0 0	6 15 0 0
29	Messrs Krishna Trunk Factory, Ambala Cantt	II	8	11 2 0 0	4 16 0 0
30	Messrs Atma Singh & Brothers, Ambala Cantt	II	8	11 0 2 0	5 17 2 0
31	Messrs National Steel Works, Ambala Cantt	II	8	10 8 0 0	5 0 0 0
32	Messrs International Industries, Ambala Cantt	II	8	11 19 2 0	5 9 2 0
33	Messrs Saluja & Sons, Ambala City	II	8	13 12 0 0	6 2 0 0
34	Messrs Mehta Metal & Iron Steel Industries, Ambala Cantt	II	8	12 9 0 0	5 19 0 0
35	Messrs Radhe Kishen-Dewan Chand, Ambala City	II	8	12 8 0 0	5 14 0 0
36	Messrs Wadhawan Industries, Jamna Nagar	II	8	10 11 0 0	*Nil*
37	Messrs Acme Steel Works, Jamna Nagar	II	8	12 2 2 0	6 2 0 0

Serial No.	Name of quota-holder	Group	Quantity to which entitled (tons yearly)	QUANTITY ALLOTTED DURING	
				1956-57	1957-58
	DISTRICT AMBALA—CONTD				
			Tons	T. Cwt. Q. Lb.	T. Cwt. Q. Lb.
38	Messrs Sakuja Trunk House, Jamna Nagar	II	8	12 2 2 0	6 2 0 0
39	Messrs Atma Ram-Jassa Ram, Jamna Nagar	II	8	12 6 2 0	6 2 0 0
40	Messrs Manohar Lal & Bros, Jagadhri	II	8	10 17 0 0	5 8 2 0
41	Messrs Durga Dass-Ved Parkash, Jamna Nagar	II	8	10 17 0 0	6 2 0 0
42	Messrs Faqir Chand-Kharaiti Lal, Jamna Nagar	II	8	14 10 2 0	6 8 0 0
43	Messrs Victory Trunk House, Jamna Nagar	II	8	10 4 2 0	5 12 0 0
44	Messrs Sawhney & Co., Kalka	II	8	11 19 2 0	5 14 0 0
45	Messrs Sardar Trunk and Allied Industries, Kurali	II	8	15 2 2 0	6 7 0 0
46	Messrs Raj Steel Works, Ambala Cantt	II	8	10 9 2 0	5 17 2 0
47	Messrs Sohan Lal-Gobind Ram, Ambala Cantt	II	8	10 11 2 0	7 11 0 0
48	Messrs Hukam Chand-Radhe Sham, Ambala Cantt	II	8	10 9 2 0	5 16 0 0
49	Messrs T. G. Aggar & Co., Ambala City	II	8	10 9 2 0	6 2 0 0
50	Shri Bachan Singh, son of Tulsi Ram, Kurali	II	8	9 4 0 0	5 14 0 0
51	Messrs East Punjab Traders, Ambala Cantt	II	8	10 1 2 0	5 17 2 0
52	Messrs Forward Cottage Industries, Ambala City	II	8	10 9 0 0	6 2 0 0
53	Messrs Rajvansh Steel Works, Ambala City	II	8	10 9 0 0	6 2 0 0
54	Messrs Parkash Engineering Works, Ambala Cantt	II	8	9 14 0 0	6 4 2 0
55	Messrs Allied Trading Co., Ambala City	II	8	3 3 0 0	6 2 0 0
56	Messrs Chandigarh Steel Fabricators, Chandigarh	II	8	1 4 0 0	*Nil*

[Minister for Finance]

Serial No.	Name of quota-holder	Group	Quantity to which entitled (tons yearly)	QUANTITY ALLOTTED DURING 1956-57	1957-58
	DISTRICT AMBALA—CONCLD				
			Tons	T.Cwt.Q.Lb.	T.Cwt.Q.Lb.
57	Messrs Karan Narain-Ram Saran Dass, Jamna Nagar	II	8	10 1 0 0	6 2 0 0
58	Messrs Sham Sunder Iron and Steel Industries, Ambala Cantt	II	8	8 0 0 0	*Nil*
59	Messrs New Bharat Steel Works, Ambala Cantt	II	8	*Nil*	5 0 0 0
60	Messrs Charan Dass Chanan Iron and Steel Works, Ambala Cantt	II	8	*Nil*	6 15 0 0
61	Messrs Jaswant Rai-Om Parkash, Ambala Cantt	II	8	*Nil*	5 17 2 0
62	Messrs Mistri Chaman Lal, Ambala City	II	8	*Nil*	6 2 0 0
63	Messrs Chanana Ram, son of Sawanda Ram, Ambala City	II	8	*Nil*	6 2 0 0
64	Messrs Harbans Lal-Mulkh Raj, Ambala City	II	8	*Nil*	6 2 0 0
65	Messrs Chandi Ram-Munshi Ram, Ambala City	II	8	*Nil*	6 2 0 0
66	Messrs Kharaiti Lal, Trunk Merchants, Ambala City	II	8	*Nil*	6 2 0 0
67	Messrs Batala Steel Industries, Jamna Nagar	II	8	*Nil*	6 9 0 0
68	Messrs Ganpat Rai-Paras Ram, Jamna Nagar	II	8	*Nil*	6 2 0 0
69	Messrs T. C. Attar Sain & Co., Jamna Nagar	II	8	*Nil*	6 2 0 0
70	Messrs Bhatia Trunk House, Jagadhri	II	8	*Nil*	5 8 2 0
71	Messrs B. R. Iron Works, Jamna Nagar	II	8	*Nil*	5 14 0 0
72	Messrs Rattan Engineering, Morinda Road, Kurali	II	8	*Nil*	5 19 2 0
73	Messrs Bachna Ram-Siri Chand, Canal Bazar, Rupar	II	8	*Nil*	5 3 0 0
74	Messrs Mool Chand & Sons, Ambala Cantt	II	8	*Nil*	2 12 0 0
75	Messrs Baij Nath-Ashrafi Lal, Ambala Cantt	II	8	*Nil*	4 10 0 0

Serial No.	Name of quota-holder	Group	Quantity to which entitled (tons yearly)	QUANTITY ALLOTTED DURING 1956-57	1957-58
	DISTRICT KARNAL				
			Tons	T.Cwt.Q.Lb.	T.Cwt.Q.Lb.
1	Dev Dutt Vij, Karnal	I	24	27 10 2 7	6 0 0 0
2	Messrs Gujranwala Metal Works, Karnal	I	16	17 19 2 0	6 0 0 0
3	Messrs Asiatic Industries, Karnal	I	16	15 4 0 0	6 0 0 0
4	Chinot Trunk House, Karnal	II	8	9 3 1 0	3 0 0 0
5	Girdhari Lal-Lal Chand, Karnal	II	8	9 3 1 0	3 0 0 0
6	Lyallpur Steel Works, Karnal	II	8	9 3 1 0	3 0 0 0
7	Bharat Steel Works, Karnal	II	8	9 3 1 0	3 0 0 0
8	Zamindara Trunk House, Karnal	II	8	9 3 1 0	3 0 0 0
9	Munshi Ram-Kewal Ram, Karnal	II	8	9 3 1 0	3 0 0 0
10	Chawla Trunk House, Karnal	II	8	9 3 1 0	3 0 0 0
11	Tilak Raj Steel Fabricator, Nilokheri	II	8	8 15 1 0	3 0 0 0
12	Chaman Lal Steel Fabricator, Nilokheri	II	8	8 15 1 0	3 0 0 0
13	Kanshi Ram, Railway Road, Nilokheri	II	8	8 15 1 0	2 0 0 0
14	Sangat Ram, Shop No. 9, G. T. Road, Nilokheri	II	8	8 15 1 0	1 8 0 0
15	Sujan Singh-Tara Singh, Nilokheri	II	8	8 15 1 0	Quota suspended by D. I. O.
16	K. C. Mahajan, Nilokheri	II	8	8 15 1 0	Ditto
17	Hari Chand, Nilokheri	..	..	8 15 1 0	1 8 0 0
18	Messrs Channo Ram-Wazir Chand, Panipat	II	8	8 15 1 0	3 0 0 0
19	Surinder Metal Works, Panipat	II	8	8 15 1 0	3 0 0 0
20	Ravi Safe Works, Panipat	II	8	7 15 3 0	3 0 0 0
21	Har Gopal Bhatia & Sons, Panipat	II	8	7 15 3 0	3 0 0 0

[Minister for Fnianee]

Serial No.	Name of the quota-holder	Group	Quaniity to which entitled (tons yearly)	QUANTITY ALLOTTED DURING 1956-57	1957-58
			DISTRICT KARNAL—CONCD		
			Tons	T. Cwt. Q. Lb.	T. Cwt. Q. Lb
22	Chandan Lal-Chatar Sain, Panipat	II	8	Quota suspended at his own request	3 0 0 0
23	Lal Chand, H. No. 42-A, Nilokheri	II	8	9 0 0 0	Quota suspended by D. I. O.
24	Ram Kishan Saini, Nilokheri	II	8	9 0 0 0	Ditto
25	Khurana Trunk House, Pehwa	II	8	9 0 0 0	3 0 0 0
26	Chiman Lal-Kharaiti Lal, Panipat	II	8	9 0 0 0	3 0 0 0
27	Ram Paiara, Shop 102/3, Panipat	II	8	9 0 0 0	3 0 0 0
28	Vir Bhan-Aishi Lal, Panipat	II	8	9 0 0 0	3 0 0 0
29	Sobha Ram-Kishan Chand, Panipat	II	8	9 0 0 0	3 0 0 0
30	Sita Ram-Ram Sarup, Panipat	II	8	9 0 0 0	3 0 0 0
31	Devki Nandan Mittal, Samalka	II	8	9 0 0 0	3 0 0 0
32	Basdev Mal-Kashmiri Lal, Panipat	II	8	9 0 0 0	3 0 0 0
33	Messrs Lila Dhar-Karam Chand, Panipat	I	16	18 0 0 0	6 0 0 0
34	Mohindra Trunk House, Shahbad	II	8	8 15 1 0	3 0 0 0
35	Jai Hind Manufacturing Works, Kaithal	I	16	17 3 2 0	6 0 0 0
36	Mana Mal-Puran Chand, Thanesar	II	8	8 15 1 0	3 0 0 0
37	Messrs Dar Sanghi Industries, Industrial Area, Panipat	I	16	Nil	2 16 0 0

श्री राम प्यारा : यह जो वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि जो A class के quota-holders हैं उन को ज़्यादा मिल सकता है; क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह जो list मुझे दी गई है इस के सफा No. 4 पर जो firms दर्ज हैं क्या यह A class में हैं ?

मंत्री : यह सारी information statement में दर्ज है । आप देखें कि यहाँ No. 2 में 16 Ton जिन के बनते हैं दर्ज है । और No. 3 में A class के दर्ज हैं । यह सारी information statement में दर्ज है । जिन की 16 Ton production बनती है that must be in A class.

श्री राम प्यारा : यह जो list मुझे supply की गई है इन में सब के सामने 16 Ton दर्ज है लेकिन एक के सामने 24 Ton दर्ज है इस की क्या वजह है ?

वित्त मंत्री : मैं ने जवाब में अर्ज कर दिया है कि यह production की वजह से है । आप देखते हैं कि जिन की production कम है उन का quota भी कम कर दिया गया है और जिन की production ज़्यादा है उन को ज़्यादा quota दिया गया है । यह firm की production पर depend करता है ।

श्री राम प्यारा : क्या पंजाब में इस firm के मुकाबले में किसी और की production इतनी नहीं है ?

मन्त्री : यह तो मुझे मुकाबला करना पड़ेगा कि किस की कितनी production है ?

श्री राम प्यारा : Supplementary, Sir. मुझे जो फहरिस्त दी गई है उससे पता चलता है कि अम्बाला ज़िले के जो A class और B class के firms हैं उन को कोटा ज़्यादा मिला है और करनाल के A और B class के firms को कम मिला, क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि इसकी क्या वजह है ?

मन्त्री : इस के लिए separate question देना होगा । मैं ने तो एक principle के तौर पर अर्ज़ कर दिया कि कम और ज़्यादा हालात के मुताबिक हो सकता है ।

श्री राम प्यारा : क्या अम्बाला ज़िले में सारे Producers A, B class के हैं और करनाल में कोई नहीं ?

(No reply)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि District Co-operative Officers को जो अख्तियार दिए हैं वह कब से दिए हैं ?

मंत्री : Date तो मेरे पास नहीं है दरयाफत करनी पड़ेगी ।

श्री परमा नन्द : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि backward area में काम करने वालों को quota मिलेगा ?

मंत्री : This is a separate question.

श्री राम प्यारा : क्या मैं पूछ सकता हूं कि कुछ फर्मों का मुकाबला पैदावार के लिहाज़ से किया गया ?

मंत्री : मैं ने असूल की बात कह दी है बाकी information के लिए पता करना पड़ेगा ।

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब के इल्म में है यह बात कि जिनको सब से ज्यादा quota दिया है वह सबसे कम sales tax दे रहे हैं ?

Mr. Speaker: This is not a supplementary question.

LEVY OF TAXES IN THE STATE

*968. **Shri Ram Chandra, Comrade :** Will the Minister for Finance be pleased to state whether Government have decided not to impose certain taxes in the State which were approved by the Legislature during its last Session; if so, the total amount thereof ?

Shri Mohan Lal : The answer to the question is in the negative.

ECONOMY MEASURES

*1443. **Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the details of economy measures adopted by the Government in the course of 1957-58 and the saving likely to accrue therefrom ;

(b) whether there are any measures for economy which are as yet under consideration ; if so, what ?

Shri Mohan Lal : (a) (1) The following economy measures have been taken by the Government during 1957-58 :—

(i) A cut of 15 per cent has been applied on the provision made for contingencies of all Departments except Jails and Police where a cut of 5 per cent has been applied.

(ii) A cut of 5 per cent has been applied on the provision made for Travelling Allowances (other than fixed Travelling Allowance).

(iii) The provision made for stationery has been reduced by 10 per cent.

(iv) The existing rates of special pays have been reduced.

(2) The total savings anticipated from the above measures are of the order of Rs. 100 lakhs.

(b) (1) Government are taking steps to—

(i) reduce the number of Vehicles in the various Departments and to dispose of those rendered surplus ;

(ii) save the consumption of electricity ;

(iii) prepare a list of Rest houses with a view to see how surplus Rest-houses can be used.

(2) A Cadre Committee and a Resources and Retrenchment Committee have been appointed with a view to review the cadres and effect other economies in expenditure .

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ special pays ਹਟਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ economy measure ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ high salaries ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

मंत्री : जो फैसला हुआ वह बतला दिया गया, उस में यह सवाल नहीं आता ।

पंडित राम किशन भड़ोलियां : जब पटवारियों की हड़ताल खत्म हो गई तो अब उनके मुतालबात पर गौर किया जाएगा ?

Minister for Consolidation and Health : It is a request for action.

PURCHASE OF MOTI BAGH PALACE, PATIALA, AND CONSTRUCTION OF RAJ BHAWAN AT CHANDIGARH

***1444. Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Finance be pleased to state whether the proposal for the purchase of the Moti Bagh Palace, Patiala, and for construction of the Raj Bhawan at Chandigarh have been dropped as economy measures ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) No.

(b) No, the construction of the Raj Bhawan at Chandigarh has, however, been postponed for the present.

STRIKE BY PATWARIS IN THE STATE

***966. Shri Ram Chandra Comrade :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether Government have received any notice of strike from the Patwaris in the State ; if so, their demands ?

Chaudhri Suraj Mal : *Part* (*a*).—Yes.

Part (*b*).—A list of the demands of the Patwaris is laid on the Table.

Serial No.	Demands
1	The present pay of the Patwaris is quite insufficient. It should, therefore, be increased to Rs 100—4—140—5—200 per mensem just to provide them a living wage.
2	The Punjab and Delhi Patwaris and Kanungos should be given at least Rs 50 per mensem for the land consolidation and land reform work.
3	The pension period should be counted from the date of appointment in the case of Patwaris and Kanungos as is already done in Patiala Division and not from 1st August, 1949, as proposed by the Government.

[Minister for Consolidation and Health]

Serial No.	Demands
4.	The house rent of Rs. 6 per mensem is quite insufficient in view of the present high cost of living. It should be raised at least to Rs. 10 per mensem.
5.	The arrears of Pay and Travelling Allowance Bills of the Punjab Patwaris which run into lakhs of rupees and which in spite of repeated requests have not been paid so far should be paid immediately.
6.	Like the other Patwaris of Punjab, the Patwaris of Delhi and Patiala Division should be paid House rent, Basta and Stationery Allowance and Mutation Fee.
7.	The highest limit of consolidation work should be fixed at 400 acres per Patwari per annum.
8.	The Patwaris of Punjab working at Land Acquisition Assessment and Betterment Levy are being transferred without any reasonable allowance. They should be paid at least Rs. 50 per mensem to maintain expenses.
9.	The Revenue and Consolidation Patwaris and Kanungos should be confirmed at the most on the completion of three years of service and those who are not confirmed so far should be confirmed without further delay.
10.	The Children of the Patwaris should be provided free education and all other facilities.
11.	The terminal prize meant for the old Patwaris should be revised in accordance with the increased high cost of living. It is proposed that it should be equal to two years, pay.
12.	Every Patwari should be given privilege and earned leave and a leave reserve staff be engaged for this purpose.
13.	Special allowance should be given to the Patwaris for the work done for the District Board, etc., as it is not part of their duty.
14.	The representative of the Patwaris, according to their number which is over ten thousand should be taken in the Legislative Council.

PROPRIETARY RIGHTS TO OCCUPANCY TENANTS OF MUSLIM EVACUEE LAND IN THE STATE

***1578. Comrade Jangir Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether it is a fact that the occupancy tenants of Muslim evacuee lands in the State have not yet been given proprietary rights ; if so, the reasons therefor ?

Giani Kartar Singh : Yes. Section 9 of the Punjab Occupancy Tenants (Vesting of Proprietary Rights) Act, 1952, and Section I (3) of the Pepsu Occupancy Tenants (Vesting of Proprietary Rights) Act, 1954, do not at present permit the transfer of proprietary rights to the occupancy tenants over evacuee lands, but steps are being taken to amend the Law enabling occupancy tenants to purchase proprietary rights under both the Acts.

DAMAGE BY FLOODS IN NAWANSHEHR AREA IN DISTRICT JULLUNDUR

***1579. Comrade Jangir Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total damage caused to life and property by floods last eyar in the Nawanshehr area in district Jullundur ;

(b) whether any relief was given by Government to the residents of the said area ; if so, the details thereof together with the total expenditure incurred by Government in this connection ?

Giani Kartar Singh : (a) There was no loss of life. 32 acres of crops were damaged and their estimated value is Rs. 8,500. No oth r property was damaged.

(b) *Part I.*—Yes.

Part II.—A sum of Rs. 15,000 was advanced as taccavi loan for the purchase of seed and fodder.

APPOINTMENT OF HONORARY SUB-REGISTRARS

***1665. Shri Prabodh Chandra :** Will the Minister for Revenuebe pleased to state—

(a) whether any Honorary Sub-Registrars have been appointed in various districts of the State; if so, their names with educational qualifications of each ;

(b) whether any names were recommended by the Deputy Commissioners concerned for the posts referred to above ; if so, their list in each case ?

Giani Kartar Singh : (a) Yes. Detailed statement is laid on the Table.

(b) Yes. Detailed statement is laid on the Table.

A statement showing the names and educational qualifications of each Sub-Registrar in the State

Serial No.	Name of Sub-Registrar	Qualifications
	Ferozepore	
1	Shri Madan Lal ..	Up to B.A
2	Shri Amrik Singh ..	Matric
3	Shri Partap Singh ..	B.A., LL.B.
	Amritsar	
4	Shri Uttam Singh ..	Matric

[Minister for Revenue]

Serial No.	Name of Sub-Registrar	Qualifications
	Amritsar—concld	
5	Shri Hira Singh ..	Matric
6	Shri Gurdip Singh ..	Lower Middle
7	Shri Harcharn Singh ..	Matric
	Gurdaspur	
8	Shri Satnam Singh ..	Matric Standard
9	Shri Paramhans Nath ..	Graduate
	Hoshiarpur	
10	Shri Nand Singh ..	Matric
11	Shri Ranbir Singh ..	Up to Matric
12	Shri Balbir Singh ..	Up to Matric
13	Shri Amar Singh ..	B.A.
14	Shri Lal Chand Dharmani ..	B.Sc., D.Sc., P.A.S. (I)
	Jullundur	
15	Shri Jai Singh ..	F.Sc., B.A.
16	Shri Hazara Singh ..	Under Matric
17	Shri Ishar Dass ..	Matric
18	Shri Ajit Singh ..	B.Sc.
	Ludhiana	
19	Shri Charanjit Singh ..	Anglo-Vernacular Middle
20	Shri Joginder Singh ..	Normal
21	Shri Mohinder Singh ..	Matric
	Ambala	
22	Shri Balak Ram Puri ..	Knows Hindi, Urdu, English well.
23	Shri Sarwan Singh ..	Literate. Knows Urdu, English and Punjabi.
24	Shri Amar Singh ..	Matric
25	Shri Des Raj ..	Matric
	Rohtak	
26	Shri Puran Chand Azad ..	Matric
27	Shri Hari Singh ..	Up to 9th Class
28	Shri Lachhi Ram ..	Matric
	Karnal	
29	Shri Gurbax Singh ..	Matric
30	Shri Mansa Ram ..	Up to Matric standard
	Hissar	
31	Shri Dev Kumar Jain ..	Matric

Statement showing the names of persons recommended by the Deputy Commissioners for various posts of Honorary Sub-Registrars.

Serial No.	Name of the Place	Names of persons recommended by the Deputy Commissioner
1	Rohtak ..	1. Shri Brij Lal Dhal
		2. Shri Puran Chand Azad
		3. Shri Gurmukh Chand
		4. Shri Hati Singh
2	Sonepat ..	1. Pt. Nand Lal
		2. Major B.N. Sharma
		3. Risaldar Hari Singh
		4. Lt. Shiv Narain Singh
3	Jhajjar ..	1. Capt. Lachbi Ram
		2. Capt. Hira Lal
		3. Capt. Mohan Singh
		4. Chaudhri Sultan Singh
4	Karnal ..	1. Shri Iqbal Chand
		2. Shri Kirpal Singh
		3. Shri Gian Chand
		4. Shri Gurbax Singh Rehal
5	Panipat ..	1. Sub. Maj. Mausa Ram
		2. Sub. Maj. Thakar Dass
		3. Sub. Maj. Baru Singh
		4. Sub. Maj. Bhawani Dass
6	Hissar ..	1. Jem. Amni Lal
		2. Shri Dev Kumar Jain
		3. Shri Shankar Lal
		4. Shri Chaman Lal
7	Ambala ..	1. Shri Hans Raj Suri
		2. Shri Shamsher Singh
		3. Shri Sanpuran Singh
		4. Shri Panna Lal
8	Kharar ..	1. Shri Ajit Singh
		2. Shri Hari Singh

[Minister for Revenue]

Serial No.	Name of the Place	Names of persons recommended by the Deputy Commissioner
..	8. Kharar—*concld*	3. Capt. Kirpal Singh
		4. Shri Sarwan Singh
9	Rupar ..	1. Capt. Mohindar Singh
		2. Shri Amar Singh
		3. Shri Jogindar Singh
		4. Shri Balak Ram Puri
10	Narain Garh ..	1. Honorary Lt. Gurditta Mal
		2. Shri Jagjit Singh
		3. Shri Rameshwar Dass
		4. Shri Sardar Singh
		5. Shri Des Raj Gupta
11	Ludhiana ..	1. Shri Charanjit Singh
		2. Capt. Daulat Singh
		3. Shri Albel Singh
		4. Capt. Surjit Singh
12	Jagraon ..	1. Shri Jogindar Singh
		2. Capt. Hardayal Singh
		3. Bawa Sant Singh
		4. Shri Birj Lal
13	Samrala ..	1. Capt. Shamsher Singh
		2. Shri Pritam Singh
		3. Shri Harbhagat Singh
		4. Shri Kapoor Singh
14	Gurdaspur ..	1. Shri Parm Hans Nath
		2. Shri Chuni Lal
		3. Shri Surat Singh
		4. Shri Risal Singh
		5. Shri Mitarman Singh
15	Batala ..	1. Shri Waryam Singh
		2. Shri Satnam Singh
		3. Shri Sundar Dass

Serial No.	Name of the place	Names of persons recommended by the Deputy Commissioner
15	Batala— *concld*	4. Shri Waisakha Singh
		5. Shri Indar Singh
16	Jullundur ..	1. Shri Gurdial Singh
		2. Shri Kartar Singh
		3. Shri Jai Singh
		4. Bawa Gurdas Ram
		5. Shri M.L. Bhardwaj
		6. Shri Pran Kishan
		7. Shri Rattan Chand Thappar
17	Nakodar ..	1. Lt. Col. Bikram Singh
		2. Shri Kishan Singh
		3. Shri Hazara Singh
		4. Shri Jagjit Singh
18	Nawan Shahar ..	1. Shri Ajit Singh
		2. Mahant Ram Rakha
		3. Shri Achhar Singh
		4. Shri Jagan Nath
19	Phillaur ..	1. Shri Ishar Dass
		2. Major Dhanna Singh
		3. Shri Shiv Singh
		4. Shri Gurcharan Singh
20	Dasuya ..	1. Capt. Hazara Singh
		2. Shri Kartar Singh
		3. Shri Ranbir Singh
		4. Shri Pritam Singh
21	Mukerian ..	1. Maj. Rattan Singh
		2. Shri Balbir Singh
		3. Shri Gurdial Singh
		4. Shri Jagan Nath
22	Una ..	1. Shri Surinder Nath
		2. Shri Lal Chand
		3. Capt. Shamsher Chand
		4. Shri Lakshmi Chand

[Minister for Revenue]

Serial No.	Name of the place	Names of persons recommended by the Deputy Commissioner
23	Garhshankar ..	1. Shri Amar Singh
		2. Capt. Pritam Singh
		3. Capt. Jawala Singh
		4. Shri Mool Raj
24	Hoshiarpur ..	1. Mian Narindar Singh
		2. Shri Mohindar Singh
		3. Maj. Thakar Singh
		4. Capt. Nand Singh
25	Ferozepur ..	1. Shri Harnam Singh
		2. Shri S. Cabb
		3. Shri Balbir Singh
		4. Shri Madan Lal Chug
26	Moga ..	1. Capt. Arjan Singh
		2. Lt. Partap Singh
		3. Shri Pritam Singh
		4. Shri Harbant Singh
27	Zira ..	1. Shri Sant Singh
		2. Sodhi Tarlochan Singh
		3. Shri Amrik Singh
		4. Shri Dhanpal Rai
28	Amritsar Tehsil ..	1. Shri Prem Parkash
29	Amritsar City ..	2. Risaldar Mohindar Singh
		3. Maj. Harnam Singh
		4. Shri Rattan Chand
30	Tarn Taran ..	1. Shri Sarup Singh
		2. Shri Darshan Singh
		3. Hony. Lt. Gurdial Singh
		4. Shri Ram Saran Dass
31	Ajnala ..	1. Shri Ram Chand Sharma
		2. Shri Umrao Singh
		3. Shri Chainchal Singh
		4. Shri Didar Singh

श्री राम प्यारा : क्या जो डिप्टी कमिशनर ने recommendations भेजी हैं उन में से ही सारे Sub-Registrars लिये गये या और कहीं से लिये गए ?

राजा रघुवीर सिंह : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि ज़िला कांगड़ा में यह सब-रजिस्ट्रार नहीं रखे गये ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਨਹੀਂ; ਨਹੀਂ ਰਖੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਰਕਮ ਬਜਟ ਵਿਚ provide ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ।

राजा रघुवीर सिंह : क्या यह Honorary Registrars उसी सूरत में रखे जाते हैं कि जब बजट में रकम हो या कि इलाके की ज़रूरत के मुताबिक ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰਕਮ ਵੀ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰਕਮ ਰਖੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇੰਦਾ ਸਾਲ ਕਾਂਗੜਾ ਲਈ ਵੀ ਰਖਣਗੇ ।

मुख्य मंत्री : जब यह शुरू में रखे थे तो उन तहसीलों में रखे थे जहां सब-रजिस्ट्रार हुआ करते थे । जिन तहसीलों में नहीं थे उन में यह proposal नहीं रखा गया था । अब जैसा कि Revenue Minister ने कहा है वैसा किया जायेगा ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਜਦ ਇਹ commission basis ਤੇ ਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਜਟ ਵਿਚ provision ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਮੀਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ।

डाक्टर परमानन्द : उन की qualification क्या है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੋ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

CHOWKIDARA TAX FROM LANDLESS PERSONS

***1693. Sardar Dhanna Singh Gulshan :** Will the Minister for Revenue be pleased to state the monthly pay of Chowkidars employed in villages of the State ?

Sardar Partap Singh Kairon : In the areas of the erstwhile Punjab there are Chowkidars and Daffadars receiving a monthly salary of Rs. 20/ and 23, respectively. In the areas of the erstwhile Pepsu, there are 2nd grade and 1st grade Chowkidars receiving a monthly salary of Rs. 20 and 25, respectively. The question of bringing about uniformity in the scales is under consideration.

ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ : ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅਟਕਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

डाक्टर परमा नन्द : क्या हकूमत इन चौकीदारों की तनखाह बढ़ाने का इरादा रखती है ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਹਾਂ ਜੀ, Government ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ; ਅਗਰ ਗਾਉਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਤਨੀ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿਆਂਗੇ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या Chief Minister साहिब बताएंगे कि चौकीदारों को छः महीने के बाद क्यों तनखाह दी जाती है ? महीने के महीने क्यों नहीं दी जाती ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਾਲੀਆ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੌਕੀਦਾਰੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ALLOTMENT OF EVACUEE LAND TO DISPLACED PERSONS IN THE STATE

***1390. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total area of avacuee land allotted to displaced persons in the State during the period from 1947 to January, 1958;

(b) whether any cases of bogus allotment of land up to double the area or even more were detected during the period referred to in part (a) above; if so, the area involved ?

Giani Kartar Singh : (a) 23,92,999 standard acres.

(b) Yes. Area to the extent of 24,278 standard acres has been cancelled on account of bogus/double and excess allotments of land. Precise details of the extent of unjustified allotment in individual cases are not readily available.

OCTROI DUTY

***1375. Sardar Rajindar Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state the total amount of Octroi Duty realized by the Municipal Committee, Longowal, district Sangrur, during the year 1955-56 and 1956-57 respectively ?

Giani Kartar Singh :

	Rs.	A.	P.
1955-56	7,919	14	9
1956-57	9,972	6	6

DELIMITATION OF DISTRICT BOARDS CONSTITUENCIES

*1498. **Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether the delimitation of District Board constituencies has been completed in the State; if not, the names of the districts in which the work has not yet been completed ?

Giani Kartar Singh : The delimitation of the constituencies of District Boards of Gurgaon Gurdaspur and Kapurthala only has been completed. The delimitation proposals of all other District Boards in the State are being examined.

पंडित श्री राम शर्मा : मैं पूछना चाहता हूं कि Government ने कब तक delimitation का काम करने के लिए order दिए थे और उस में जो delay हुई है उस की क्या वजह है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਵਕਤ ਮਹਿਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

पंडित श्री राम शर्मा : Government ने delimitation के मुतअल्लिक जो हिदायत जारी की थी उस में यह भी लिखा गया था कि महता रिपोर्ट के बाद delimitation proposals भेजी जाएं।

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੋਕੀ ਸੀ ।

पंडित श्री राम शर्मा : वज़ीर साहिब ने बताया है कि कुछ ज़िलों की delimitation मुकम्मल हो गेई है और कुछ की अभी under examination है। मैं कहता हूं कि जब सब ज़िलों की Report आ गई थी तो क्या वजह है कि दूसरे ज़िलों की delimitation अभी तक मुकम्मल नहीं हुई ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ Reports ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਪਰ ਏਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਅਲਹਿਦਾ ਅਲਹਿਦਾ examine ਕਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ delimitation ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਤਾ Report ਆ ਰਈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ delimitation ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ Report ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ examine ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Secretariat ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੌਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ lower level ਤੇ ਜਾਂ Government level ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ delimitation ਸਬੰਧੀ ਗੌਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਦੀ ਅਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੈ । Government level ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ District level ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ Government ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ report ਤੇ public ਦੀ opinion invite ਕੀਤੀ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ ; ਉਹ Report ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ M.L.A.s ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ opinion ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ opinion ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ details ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ notice ਦੇ ਦਿਓ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि Government जिन तीन ज़िलों की delimitation का फैसला कर चुकी है वह Mehta Committee की report के मुताबिक ठीक बैठेगा ।

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲੇ pattern ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ Mehta Committee ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।

TARGET DATE FOR COMPLETION OF BHAKRA DAM

***1377. Sardar Rajinder Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether any target date for the completion of the 740 feet high Bhakra Dam has been fixed; if so, what ?

Sardar Gian Singh Rarewala : Yes. 31st March, 1960

CONCESSION IN WATER RATE AND TUBE-WELL IRRIGATION RATES

***1520. Dr. Bhag Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether Government have examined the recommendations of the Foodgrains Enquiry Committee and Study Team of the Community Projects regarding concession in the canal and Tubewell irrigation rates in the interest of increasing food production in the State; if so, the action, if any, taken thereon ?

Sardar Gian Singh Rarewala : The recommendations of the Committee are under examination with Government in the Civil Supplies Department.

However, the position, so far as Irrigation Branch is concerned, is that the Canal Water rates in the Punjab are already very low and the question of further reduction does not arise. Tube-well rates have been reduced from Re. 0-3-9 to 0-2-0 per unit of the electrictity consumed with effect from 1st September, 1957.

मौलवी अब्दुल गनी डार : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि rates कम क्यों रखे गए हैं ?

Mr. Speaker : This is a matter of policy and cannot be the subject of a supplementary question.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

SALE OF PEPSU GOVERNMENT BUILDINGS BY ERSTWHILE PEPSU GOVERNMENT

862. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Public Works to pleased to state with reference to the reply given to unstarred question No. 499 included in the List of Questions for 28th October, 1957, whether the required information has been collected ; if not the reasons therefor and the time by which it is likely to be collected ?

Rao Birendar Singh : No. Report from the Chairman of the Disposal Committee is still awaited.

PROVINCIALISATION OF LOCAL BODIES SCHOOLS IN THE ERSTWHILE PEPSU STATE

863. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) the names of Local Bodies' Schools in the areas comprising erstwhile Pepsu State, if any, which have not been provincialised so far;

(b) whether there is any proposal under the consideration of Government to provincialise the schools referred to in part (a) above; if so, when ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : (a) (i) Municipal Committee Primary School, Barnala (Sangrur).

(ii) Municipal Committee School for Girls, Budhalada (Bhatinda).

(iii) Municipal Committee Girls Primary School, Jind (Sangrur).

(iv) Municipal Girls Middle School, Maur Mandi (Bhatinda).

(v) M.B. Girls Middle School, Raman Mandi (Bhatinda).

(vi) M.B. Co-educational Primary School, Doraha (Patiala).

(vii) M.B. Girls Primary School, Safidon Mandi (Sangrur).

(viii) M.B. Girls High School, Mandi Gobindgarh (Patiala).

[Minister for Education and Labour]

(ix) M.B. Primary School, Charkhi Dadri ;

(x) M.B. Primary School, Kot Kapura.

(b) Yes. The matter is under the active consideration of the Government.

PROMOTION OF CLERKS AND STORE-KEEPERS TO SUPERINTENDENTS OF JAILS IN THE STATE

864. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Planning and Community Projects be pleased to state the names of Clerks and Store-keepers in the Jails Department of the State, if any, promoted temporarily during emergency as Assistant Superintendents of Jail during the last four years?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (1) Shri Birbal Chadha, Head Clerk, from 29th October, 1953 to 17th November, 1953 and from 23rd November, 1953 to 28th April, 1954, during Akali Movement.

(2) Shri Babu Ram Gaur, Clerk, from 12th October, 1953 to 11th April, 1954, during the Akali Movement.

(3) Shri Nasib Chand Vaid, Clerk, from 16th November, 1957 to 31st December, 1957 during Hindi Raksha Samiti Agitation.

(4) Shri Didar Singh, Clerk, from 16th November, 1957 to 31st December, 1957, during Hindi Raksha Samiti Agitation.

No Store-keeper was promoted temporarily as Assistant Superintendent Jail.

PAYMENT OF STIPENDS TO COLLEGE STUDENTS BELONGING TO BACKWARD CLASSES

865. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state whether the payment of stipends to college students belonging to the Backward Classes in the State is being made after the merger of Punjab and Pepsu; if not, the reasons therefor together with the steps now being taken for their payment ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : The position is explained as under:—

Scheduled Castes/Tribes and other Backward Classes students are getting educational concessions during the current financial year as were admissible to them under the Harijan Welfare Schemes in force in the erstwhile Punjab and Pepsu States before their merger. In accordance therewith such students at the college stage belonging to the residue Punjab area who fail to get assistance under the Government of India, Scholarships Scheme meant for such classes, are granted stipends under the Harijan Welfare Scheme in vogue in that area. Such students belonging to the erstwhile Pepsu area are allowed educational facilities, i.e., stipends, tuition fee, etc., under the aforesaid Government of India, Scholarships Scheme, as they are not covered under the Harijan Welfare Scheme in operation in the former Pepsu area. The proposal to enforce uniform Harijan Welfare Scheme in the enlarged Punjab State with effect from the 1st April, 1958, is, however under the active consideration of the Government.

WEIGH BRIDGES AT DHILWAN, HAMIRA, ETC., IN TEHSIL AND DISTRICT KAPURTHALA

866. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state—

(a) whether any steps have been taken by Government for installing Weigh Bridges at Dhilwan, Hamira, Kapurthala, Pajian and Sultanpur, tehsil and district Kapurthala, for supplying sugar-cane to the Bhogpur Sugar Mills during the year 1957-58, if so, what;

(b) whether it is a fact that Government promised to provide the said facility at the time, the agitation of cane-growers at the gate of the Hamira Distillery was called off ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) Yes. The weigh-bridges have since been installed at Hamira and Dhilwan railway stations and cane is being purchased at these centres. As regards the installation of weigh-bridges at the remaining centres, the Bhogpur factory is awaiting orders of the State Government on their representation for reduction in the price of cane of Hamira area due to low recovery of sugar and the matter is under the active consideration of Government.

(b) Yes.

LAND BELONGING TO CANAL DEPARTMENT IN VILLAGE ALIKE, ETC., IN FEROZEPUR DISTRICT

867. Pandit Ram Kishan Bharolian : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the total area of land of villages Alike, Habibke, Khunda, Chakk-Sayide, Chak Ferozepur, etc., near the Hussainiwala Head Works, District Ferozepur, which is under the control of the Canal Department;

(b) The total area of land referred to in part (a) above under cultivation, lying barren and in the river beds, separately ;

(c) whether any area of land referred to in part (a) above was auctioned for cultivation purposes during the year 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956 and 1957, respectively; if so, the details thereof together with the amount realised from auction of the said land during each of these years ;

(d) the list of tenants or contractors who took the land referred to in part (c) above with the area held by each and the amount of auction money paid by each during each of the aforesaid years?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) 3,908.52 Acres.

(b) (1) Under Cultivation .. 2,225.00 Acres.
(2) Lying barren .. 614.00 Acres
(3) Under river-bed .. 644.11 Acres

(c) and (d) The requisite details are shown in the Statement placed on the Table.

[Minister for Irrigation and Power]

FEROZEPORE

Statement showing area of land in village Alike, amount realized

Serial No.	Plot No.	Area in Acres on records	YEAR 1950-51 Name of lessee	Annual rent due	Amount realized
1	2	3	4	5	6
			C. E. No.	Rs.	Rs
1	1-L	560.00	Shri Haveli Ram ..	111	111
2	2-L	172.00	Shri Hukam Chand ..	300	300
3	3-L	196.00	Shri Labhu Ram ..	165	165
4	4-L	202.60	Shri Bakhtawar Singh ..	255	255
5	5-L	206.00	Shri Rattan Chand ..	305	305
6	7-L	216.80	Sh. Gian Chand ...	1,125	1,125
7	6-L	221.40	Shri Piare Lal ..	655	655
8	8-L	237.00	Shri Hukam Chand ..	605	605
9	9-L	230.00	Shri Piare Lal ..	505	505
10	10-L	204.00	Shri Bahadur Singh ..	130	130
11	11-L	260.00	Shri Kanshi Ram ..	1,610	1,610
12	12-L	201.72	Shri Kanshi Ram ..	600	600
13	13-L	309.20	Shri Khawan Singh .. Shri Makhan Singh ..	910	910
14	14-L	264.80	Shri Dina Nath ..	175	175
15	15-L	123.60	Shri Hukam Chand ..	545	545
16	16-L	303.40	Shri Haveli Ram ..	150	150
17	17-L	130.00	Shri Balbir Singh ..	25	25
18	BI-B5	1,848.32	Shri Hukam Chand ..	5	5
Bagicha. Already included in plot No. 14-4			Shri Hukam Chand ..	46	46
Total		5,886.84	Total	8,222	8,222

CIRCLE.

Habibke, Chak Ferozepur, etc. together with the against each plot.

YEAR 1951-52			YEAR 1952-53		
Name of lessee	Annual rent due	Amount realized	Name of lessee	Annual rent due	Amount realized
7	8	9	10	11	12
	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.
Shri Bal Kishan ..	101	101	Shri Bal Kishan ..	101	101
Shri Baga Singh ..	155	155	Shri Hukam Chand	60	60
Shri Lal Chand ..	185	185	Shri Lal Chand ..	185	185
Shri Rattan Chand ..	405	405	Shri Rattan Chand ..	405	405
Shri Rattan Chand ..	765	765	Shri Rattan Chand ..	765	765
Shri Bakhtawar Singh Shri Labhu Ram ..	1,605	1,605	Shri Bakhtawar Singh Shri Labhu Ram ..	1,605	1,605
Shri Hukam Chand ..	1,010	1,010	Shri Hukam Chand	1,010	1,010
Shri Hans Raj ..	930	930	Shri Labhu Ram ..	520	520
Shri Hans Raj ..	740	740	Shri Hari Singh ..	500	500
Shri Hans Raj ..	255	255	Shri Gobind Singh ..	235	235
Shri Hans Raj ..	2,860	2,860	Shri Hukam Chand	1,755	1,755
Shri Jagdish Lal ..	1,260	1,260	Shri Hukam Chand	700	700
Shri Dina Nath ..	2,475	2,475	Shri Dina Nath ..	2,475	2,475
Shri Lal Chand ..	1,725	1,725	Shri Lal Chand ..	1,725	1,725
Shri Hukam Chand ..	550	550	Shri Hukam Chand	550	550
Shri Haveli Ram ..	400	400	Shri Haveli Ram ..	400	400
Shri Bal Krishan ..	25	25	Shri Bal Krishan ..	25	25
Shri Hukam Chand ..	7	7	Shri Hukam Chand	7	7
Shri Hukam Chand ..	10	10	Shri Hukam Chand	10	10
Total ..	15,463	15,463	Total	13,033	13,033

[Minister for Irrigation and Power]

Serial No.	Plot No.	Area in acres on records	YEAR 1953-54		
			Name of lessee	Annual rent due	Amount realized
1	2	3	13	14	15
				Rs.	Rs.
1	1-L	560.00	Shri Bal Krishan ..	101	101
2	2-L	172.00	Shri Hukam Chand ..	60	60
3	3-L	196.00	Shri Lal Chand ..	185	185
4	4-L	202.60	Shri Rattan Chand ..	405	405
5	5-L	206.00	Shri Rattan Chand ..	765	765
6	7-L	216.80	Shri Bakhtawar Singh } Shri Labhu Ram } ..	1,605	1,605
7	6-L	221.40	Shri Hukam Chand	1,010	1,010
8	8-L	237.00	Shri Labhu Ram ..	520	520
9	9-L	230.00	Shri Hari Singh ..	500	500
10	10-L	204.00	Shri Hukam Chand ..	1,755	1,755
11	11-L	260.00	Shri Hukam Chand ..	700	700
12	12-L	201.72	Shri Dina Nath ..	2,475	2,475
13	13-L	309.20	Shri Lal Chand ..	1,725	1,725
14	14-L	264.80	Shri Hukam Chand ..	550	550
15	15-L	123.60	Shri Haveli Ram ..	400	400
16	16-L	303.40	Shri Bal Kishan ..	25	25
17	17-L	130.00	Shri Hukam Chand ..	7	7
18	BI-B5 Bagicha. Already included in plot No. 14-4	1,848.32	Shri Hukam Chand ..	10	10
	Total	5,886.84	Total ..	12,798	12,798

YEAR 1954-55			YEAR 1955-56		
Name of lessee	Annual rent due	Amount realized	Name of lessee	Annual rent due	Amount realized
16	17	18	19	20	21
	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.
Shri Suraj Parkash Shri Balbir Singh	1,425	1,425	Shri Suraj Parkash Shri Balbir Singh	1,425	1,425
Shri Lal Chand ..	1,150	1,150	Shri Lal Chand ..	1,150	1,150
Shri Lal Chand ..	550	550	Shri Lal Chand ..	550	550
Shri Rattan Chand ..	1,400	1,400	Shri Rattan Chand ..	1,400	1,400
Shri Rattan Chand ..	2,425	2,425	Shri Rattan Chand ..	2,425	2,425
Shri Labhu Ram Shri Lal Chand	4,000	4,000	Shri Labhu Ram Shri Lal Chand	4,000	..
Shri Hukam Chand	6,100	6,100	Shri Hukam Chand	6,100	..
Shri Lal Chand Shri Bakhtawar Singh	2,500	2,500	Shri Lal Chand Shri Bakhtawar Singh	2,500	..
Shri Hari Singh ..	2,500	2,500	Shri Hari Singh ..	2,500	2,500
Shri Rakha Singh ..	525	525	Shri Rakha Singh ..	525	525
Shri Hukam Chand ..	3,900	3,900	Shri Hukam Chand	3,900	..
Shri Labhu Ram Shri Lal Chand	1,400	1,400	Shri Labhu Ram Shri Lal Chand	1,400	1,400
Shri Narain Singh Shri Mahal Singh	7,705	7,705	Shri Narain Singh Shri Mahal Singh	7,705	7,705
Shri Hukam Chand ..	5,100	5,100	Shri Hukam Chand	5,100	5,100
Shri Hukam Chand ..	3,250	3,250	Shri Hukam Chand	3,250	3,250
Shri Balbir Singh Shri Haveli Ram	4,025	4,025	Shri Balbir Singh Shri Haveli Ram	4,025	4,025
Shri Rakha Ram ..	50	50	Shri Rakha Ram ..	50	50
Shri Hukam Chand ..	25	25	Shri Hukam Chand	25	25
Shri Kanshi Ram ..	100	100	Shri Kanshi Ram ..	100	100
Total ..	48,130	48,130	Total ..	48,130	31,630

[Minister for Irrigation and Power]

Serial No.	Plot No.	Area in acres on records	YEAR 1956-57		
			Name of lessee	Annual rent due	Amount realized
1	2	3	22	23	24
				Rs.	Rs.
1	1-L	560.00	Shri Suraj Parkash, Shri Balbir Singh ..	1,425	1,425
2	2-L	172.00	Shri Lal Chand ..	1,150	1,150
3	3-L	196.00	Shri Lal Chand ..	550	550
4	4-L	202.60	Shei Rattan Chand ..	1,400	1,400
5	5-L	206.00	Shri Rattan Chand ..	2,425	2,425
6	7-L	216.80	Shri Labhu Ram, Shri Lal Chand ..	4,000	4,000
7	6-L	221.40	Shri Hukam Chand ..	6,100	..
8	8-L	237.00	Shri Lal Chand, Shri Bakhtawar Singh ..	2,500	..
9	9-L	230.00	Shri Hari Singh ..	2,500	1,667
10	10-L	204.00	Shri Rakha Ram ..	525	525
11	11-L	260.00	Shri Hukam Chand ..	3,900	..
12	12-L	201.72	Shri Labhu Ram, Shri Lal Chand ..	1,400	1,400
13	13-L	309.20	Shri Narain Singh, Shri Mahal Singh ..	7,705	7,705
14	14-L	264.80	Shri Hukam Chand ..	5,100	5,100
15	15-L	123.60	Shri Hukam Chand ..	3,250	3,250
16	16-L	303.40	Shri Balbir Singh, Shri Haveli Ram ..	4,025	4,025
17	17-L	130.00	Shri Rakha Ram ..	50	50
18	B1-B 5	1,848.32	Shri Hukam Chand ..	25	25
Bagicha. Already included in plot No. 14-4			Shri Kanshi Ram ..	100	100
	Total	5,886.84	Total	48,130	34,797

YEAR 1957-58

Name of lessee		Annual rent due	Amount realized
25		26	27
		Rs.	Rs.
Shri Haveli Ram	..	150	150
Shri Khushia	..	55	55
Shri Hukam Chand	..	100	100
Shri Khushia	..	35	35
Shri Lal Chand	..	275	275
Shri Dara	..	45	45
Shri Rattan Chand	..	200	200
Shri Harnam Dass	..	120	120
Shri Rattan Chand	..	300	300
Shri Harnam Dass	..	150	150
Shri Dina Nath	..	300	300
Shri Dara	..	200	200
Shri Lal Chand	..	200	200
Shri Akbar	..	80	80
Shri Jagtar Singh	..	350	350
Shri Kandoo	..	140	140
Shri Kanshi Ram	..	425	425
Shri Bagh	..	130	130
Shri Karan Singh	..	175	175
Shri Akbar	..	85	85
Shri Dina Nath	..	525	525
Shri Khushia	..	400	400
Shri Lal Chand	..	700	700
Shri Khushia	..	170	170
Shri Narain Singh	..	3,853	3,853
Shri Bachan Singh	..	610	610
Shri Hukam Chand	..	300	300
Shri Kanshi Ram	..	140	140
Shri Hukam Chand	..	425	425
Shri Dara	..	150	150
Shri Haveli Ram	..	525	525
Shri Kaddar	..	320	320
Shri Labhu Ram	..	10	10
Shri Dara	..	5	5
Shri Hukam Chand	..	25	25
Shri Dina Nath	..	56	56
Total	.	11,738	11,738

ALLOTMENT OF LAND TO SCHEDULED CASTES AND BACKWARD CLASSES UNDER THE PUNJAB VILLAGE COMMON LANDS (REGULATION) ACT, 1953

868. Pandit Ram Kishan Bharolian : Will the Minister for Revenue be pleased to state whether any village common land has so far been allotted to the persons belonging to Scheduled Castes and Backward Classes in the State for residential purposes under the provisions of Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1953 ; if so, the details thereof ?

Giani Kartar Singh : (i) Yes.

(ii) Shamlat area measuring 1,361 acres, 8 Kanals and 2 Marlas has been alloted in the following districts :—

		Acres	*Kanals*	*Marlas*
Gurgaon	..	424	4	18
Karnal	..	505	3	4
Hoshiarpur	..	184	..	..
Ludhiana	..	164	..	..
Ferozepur	..	84	..	..
Total	..	1,361	8	2

RESERVATION OF LAND FOR HOUSE SITES AND BARAS IN VILLAGES DOKHERI, ETC., IN AMBALA DISTRICT

869. Pandit Ram Kishan Bharolian : Will the Minister for Consolidation and Health be pleased to state—

(a) whether any land for 'house sites' and 'baras' has been reserved for landless families belonging to scheduled castes and backward classes during consolidation operations in villages Dokheri, Samalka, Kanwala, Rawalan and Janetpur, tehsil and district Ambala ; if so, the area so reserved in each of the said villages ;

(b) whether the possession of the land referred to in part (a) above has been given to the beneficiaries ; if so, the total number of families concerned ?

Chaudhri Suraj Mal : (a) *First part.*—Yes.

Second part.—

Serial No.	Name of village	AREA ALLOTTED FOR BARAS AND HOUSE SITES	
		Kanals	Marlas
1	Dokheri ..	6	15
2	Samalka ..	12	7
3	Kanwala ..	12	12
4	Rawalan ..	2	12
5	Janetpur ..	14	9

(b) *First Part.*—Yes.

Second Part.—

Serial No.	Name of village	Number of families
1	Dokheri ..	27
2	Samalka ..	48
3	Kanwala ..	120
4	Rawalan ..	15
5	Janetpur ..	29

NAZOOL LAND IN VILLAGE MOHRI, DISTRICT AMBALA

870. Pandit Ram Kishan Bharolian : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total area of Nazool land in village Mohri, tehsil and district Ambala ;

[Pandit Ram Kishan Bharolian]

(b) the detail of the area referred to in part (a) above under cultivation and which is culturable waste ;

(c) whether any area of Nazool Land has been leased out to landless tillers for cultivation purposes; if so, on what terms ;

(d) whether Government received any application from the Harijans of the village referred to in part (a) above for the grant of Nazool land on lease ?

Giani Kartar Singh : (a) 31 acres.

(b) (i) Under cultivation .. 20 Acres

(ii) culturable waste .. 11 Acres

(c) No, Sir.

(d) No, Sir. Deputy Commissioner, Ambala, has been instructed to promote a Co-operative Society *of Harijans* and give this land to the Society for cultivation.

RESERVE EVACUEE LAND IN VILLAGE NAGAL, DISTRICT AMBALA

871. Pandit Ram Kishan Bharolian : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total area of reserve evacuee land in village Nagal, tahsil and district Ambala together with the area of such land under cultivation and that which is culturable waste, separately ;

(b) whether any area of land referred to in part (a) above has been leased out to land-owners, if so, on what terms ;

(c) whether Government received any applications from the landless Bazigars of the said village for the grant of land on lease; if so, the action, if any, taken thereon ?

Giani Kartar Singh : (a) Evacuee land in village Nagal amounts to 149 Acres. The entire area is culturable waste

(b) The whole of the area was leased out by open auction for 1957-58.

(c) No.

NAZOOL LAND IN VILLAGE KHAIRA, DISTRICT AMBALA

872. Pandit Ram Kishan Bharolian : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total area of Nazool land in village Khaira, tahsil and district Ambala ;

(b) whether any area of land referred to in part (a) above has been leased out; if so, to whom and on what terms ;

(c) whether Government have been receiving any applications since 1955 from the Harijans of the said village for lease of the said land ; if so, the action taken thereon ?

Giani Kartar Singh : (a) 26 Acres.

(b) The whole area has been leased to one Shri Mehsu Harijan for one year.

(c) No, Sir. The Deputy Commissioner, Ambala, has been instructed to promote a Co-operative Society of Harijans and to give this land to the Society for cultivation.

RESERVE EVACUEE LAND IN VILLAGE JINSURI, DISTRICT AMBALA

873. Pandit Ram Kishan Bharolian : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total area of reserve evacuee land in village Jinsuri, tehsil and district Ambala ;

(b) whether any area of land referred to above has so far been leased out to displaced persons, allottees and to landless Harijans; if so, the details thereof ;?

(c) whether Government received any applications from the landless Harijans of the said village for lease of the said land; if so, the action taken thereon ?

Giani Kartar Singh : (a) Nil.

(b) Nil.

(c) Nil.

RESERVE EVACUEE LAND ETC., IN VILLAGE GORSIAN, DISTRICT AMBALA

875. Pandit Ram Kishan Bharolian : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the area of reserve evacuee land, and the area of land taken over under the East Punjab Utilization of Lands Act, 1953 in village Gorsian, tehsil and district Ambala ;

(b) the area referred to in part (a) above leased out to landowners and Harijans and the terms of the lease ?

Giani Kartar Singh : (a) Nil.

(b) Nil.

CULTURABLE WASTE LAND IN VILLAGE MUSTAFABAD, DISTRICT AMBALA

876. Pandit Ram Kishan Bharolian : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total area of culturable waste land in village Mustafabad, Tahsil Jagadhri, district Ambala at present ;

(b) the area of such land which belongs to the lando wners holding 30 acres and above ?

Giani Kartar Singh : (a) 100 acres.

(b) 25 acres (if the land of landowners concerned in other villages is also taken into account).

PURCHASE OF LAND FOR HARIJANS

877. Pandit Ram Kishan Bharolian : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any area of land has been purchased by Government in Rakh Devi Dass, district Amritsar, under the Scheme for purchase of land for Harijans ; if so, at what cost ;

(b) the names of Harijans ; if any to whom the land referred to above has so far been allotted ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) No. Harijans were given grants by Government and the Society known as 'The Co-operative Agricultural Credit and Thrift Society' formed by them for the purpose, purchased 291 acres of land in Rakh Devi Dass at a cost of Rs. 1,12,500.

(b) The information is given in the enclosed Statement.

Statement showing the names of the Harijans for whom land has been purchased by the Co-operative Society in Rakh Devi Dass Pur

1. Shri Ranga Singh of Pandhi.
2. Shri Sucha Singh of Suon.
3. Shri Dalip Singh Malia.
4. Shri Teja Singh of Khadur Sahib .
5. Shri Bhagat Singh, Rokha.
6. Shri Udham Singh of Isapur.
7. Shri Mohinder Singh of Chetanpur.
8. Shri Mohinder Singh of Verka.
9. Shri Teja Singh of Maure Khurd.
10. Shri Sher Singh of Kohali.
11. Shri Kartar Singh of Balsarai.
12. Shri Jaswant Singh of Ferozepur Rajputan.
13. Shri Darshan Singh of Amritsar.
14. Shri Mohinder Singh of Bharowal.
15. Shri Puran Singh of Sham Nagar.
16. Shri Puran Singh of Kot Dharam Chand.
17. Shri Ram Singh of Lahnewali.
18. Shri Bakhshish Singh of Basarala.
19. Shri Boor Singh of Choosle Wadh.
20. Shri Tara Singh of Shahnjpur.
21. Shri Ishar Singh of Sabhra.
22. Shri Hazara Singh of Jindanwala.
23. Shri Santa Singh of Asal Autar.
24. Shri Shangara Singh of Rajoke.
25. Shri Banta Singh of Ghanganwal.

WELLS AND HOUSES FOR HARIJANS AND OTHER BACKWARD CLASSES

881.* Pandit Ram Kishan Bharolian : Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state the total number of wells for drinking water and houses so far built by Government for Harijans and other Backward Classes district-wise in the State together with the total amount spent for each of these purposes ?

Shri Gurbanta Singh : The information is given in the enclosed statement.

Total number of wells for drinking water and houses for Harijans and other Backward Classes built upto 1956-57 *together with the amount spent in each District is given below:—*

Disirict	No. of wells sunk and repaired	Amount spent	No. of houses constructed	Amount spent
		Rs.		Rs.
Amritsar	55	9,300	56	33,600
Jullundur	53	8,050	105	63,000
Gurdaspur	80	11,800	58	34,700
Ferozepur	41	20,450	60	36,000
Ludhiana	51	8,200	52	31,200
Kangra	46	9,800	40	24,000
Hoshiarpur	29	25,400	61	36,600
Ambala	36	16,600	45	27,000
Rohtak	29	20,500	31	18,600
Gurgaon	28	15,000	44	26,400
Hissar	14	23,100	45	27,000
Karnal	43	16,800	47	28,200
Mohindergarh	74	1,11,825	...	...
Patiala	329	1,26,945	...	...
Kapurthala	142	46,760	...	...
Bhatinda	178	1,04,745	...	...
Sangrur	97	1,02,800	...	...
Total	1,326	6,78,075	644	3,86,300

[Minister for Agriculture and forests]

The following colonies were sanctioned under the centrally sponsored scheme in the erstwhile Pepsu State during 1956-57

District	Houses Built	Amount spent
		Rs.
Sangrur	100	77,200
Kapurthala	75	57,900
Bhatinda	50	38,600
Total	225	1,73,700

COLLECTION OF HOUSE-TAX BY PANCHAYATS

882. Pandit Ram Kishan Bharolian : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the amount of house-tax so far collected by Panchayats District-wise in the State ?

Sardar Gian Singh Rarewala : The required information is laid on the Table.

Serial No.	Name of the District	Amount of tax collected
		Rs.
1	Rohtak	1,11,046
2	Ambala	66,402
3	Hissar	82,345
4	Gurgaon	75,041
5	Karnal	1,00,000
6	Jullundur	83,258
7	Amritsar	1,99,783
8	Ludhiana	4,88,736
9	Ferozepur	3,34,519
10	Kangra	84,630
11	Hoshiarpur	86,569
12	Gurdaspur	1,03,657
13	Patiala	14,513
14	Sangrur	28,321
15	Mohendargarh	1,14,431
16	Bhatinda	...
17	Kapurthala	13,467
	Total	19,86,718

LEVY OF CYCLE-TAX BY DISTRICT BOARDS

883. Pandit Ram Kishan Bharolian : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the rates of cycle-tax levied by various District Boards in the State ;

(b) the total number of cycles taxed by different District Boards and annual collection of tax from this source ?

Giani Kartar Singh : A statement is placed on the Table.

Statement showing rates of Cycle-Tax levied by various District Boards in Punjab, total number of cycles taxed and annual collection made on account of cycle-tax by each District Board

Serial No.	Name of District Board	Rate of Cycle-Tax levied	Number of Cycles Taxed	Total amount collected annually
		Rs.		Rs.
1	Ambala	2.25	25,214	55,815·75
2	Amritsar*	...	...	...
3	Ferozepore*	...	...	...
4	Gurdaspur	3 only ...	14,461	43,383 only
5	Gurgaon	2 only	3,193	6,386 only
6	Hissar	2 only	4,114	8,228 only
7	Hoshiarpur	2 only	11,819	23,638 only
8	Jullundur	3 only	Exact No. not known	Enforced from 1-1-58 Rs 9,746·88 in January
9	Kangra*	...	...	...
10	Karnal	2 only	21,788	43,576 only
11	Ludhiana	3 only	21,447	78,282·25
12	Rohtak	3 only	13,953	41,859 only (students exempted)

*These District Boards do not levy cycle-tax.

There are no district boards functioning in Patiala Division.

There is no District Board in Simla District.

Above figures relate to the year 1956-57, except for District Board, Jullundur, where Tax has been imposed recently from 1st January, 1958.

LAND UNDER CULTIVATION

884. Pandit Ram Kishan Bharolian : Will the Minister for Revenue be pleased to state the total area of land under cultivation in the State at present and its district-wise break up ?

Giani Kartar Singh : *Part I.*—20,179,087 acres.

Part II.—A statement is enclosed.

Land under cultivation

Name of the District		Total area of Land under cultivation in acres
1. Hissar	...	3,064,588
2. Rohtak	...	1,231,396
3. Gurgaon	...	1,430,400
4 Karnal	...	1,375,794
5. Ambala	...	802,954
6. Simla	...	300
7. Kangra	...	573,614
8. Hoshiarpur	...	768,746
9. Jullundur	...	687,895
10. Ludhiana	...	689,833
11. Ferozepur	...	2,273,485
12. Amritsar	...	9,38,400
13. Gurdaspur	...	625,974
14. Patiala	...	1,077,796
15. Sangrur	...	1,703,674
16. Bhatinda	...	1,467,572
17. Kapurthala	...	302,495
18. Mohindragarh	...	1,164,171
Total	...	20,179,087

VACANT POSTS OF DEPUTY SECRETARIES AND SUPERINTENDENTS IN THE CIVIL SECRETARIAT

885. **Shri Rup Singh Phul :** Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) the number of posts, if any, of (i) Deputy Secretaries and (ii) Superintendents lying vacant in the Civil Secretariat, Department-wise;

(b) the dates from which each of the posts mentioned in part (a) above have been lying vacant and the time by which they are likely to be filled ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) (i) Deputy Secretaries, –Three*

(ii) Superintendent,—One.

(b) (i) By March 10, 1958.

The posts have been vacant for very short time not exceeding a few days in each case.

(ii) From 31st October, 1957 (afternoon) and is likely to be filled in by the middle of March, 1958.

TRAINING IN U.S.A., UNDER THE INTERNATIONAL FARM YOUTH EXCHANGE PROGRAMME

886. **Shri Rup Singh Phul :** Will the Minister for Planning and Community Projects be pleased to state—

(a) whether any persons from the State got training in U.S.A. under the International Farm Youth Exchange Programme in 1957 , and before 1957, separately ; if so, their number and names ;

(b) whether any one out of those referred to in part (a) above has been appointed as Block Development Officer in the State ; if so, how many and their names ;

(c) whether there are any Harijans among those mentioned in part (b) above ; if so, how many and their names ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (a) Yes Sir, 19 persons from this State were sent to U.S.A. under the International Farm Youth Exchange programme during the years 1953 to 1957—*vide* statement laid on the Table of the House.

(b) Yes, one of them Shri Inder Nath Rekhi has been appointed as Block Development Officer.

(c) No.

*Deputy Secretary, Education, Deputy Secretary, Revenue and Deputy Secretary, Capital.

[Minister for Planning]

Statement showing the names of persons who were sent to U.S.A. under the International Farm Youth Exchange Programme during the years 1953 to 1957.

1953

1. Mr. Surindra Singh, post office Amadalpur, Jagadhri.
2. Mr. Rajendra Singh Randhawa, Talwandi Lal Singh, Batala.

1954

1. Mr. Inder Nath Rekhi, Neel Naal, Nilokheri.
2. Mr. Tapeshwar Singh Kashyap, Kashi Bhawan, Kapurthala.

1955

1. Mr. Subash Bhargava, c/o Pt. Thakur Dass Bhargava, 31, Canning Lane, New Delhi.
2. Mr. Amarjit Singh, Bhagowal House, Jail Road, Gurdaspur.
3. Miss Asha Dawesar, Extension Training Centre, Batala.

1956

1. Mr. Atam Parkash Singh, village and post office Allawalpur, District Jullundur.
2. Mr. Narinder Singh Chaudhri village Harveli Kalan, post office Rupar, tehsil Rupar, District Ambala.
3. Mr. Gopi Krishna Khanna, Krishnapura Farm, Panipat.
4. Mr. Sikander Singh, Nasirpur Farm, post office Bahadurgarh Fort, Patiala.
5. Mr. Jagjit Singh, post office Jallah, near Sarhand, District Patiala.
6. Miss Malti Govilkar, Social Education Organiser, Extension Training Centre, Nilokheri, District Karnal.
7. Miss Harminder Kaur, c/o S. Ajaib Singh, Guru Teg Bahadur Nagar, Patiala.

1957

1. Mr. Hardev Singh Gill, c/o Block Development Officer, Patiala.
2. Mr. Daulat Ram Sharma, Lambagraon, District Kangra.
3. Mr. Yoginder Diwan, 57 Model Town, Karnal.
4. Miss Balwant Kaur, village Ghaniwal, post office Mallahewal.
5. Miss Adarsh Nalwa, village Chhat, post office Banure, Tehsil Rajpura.

FIRST AND SECOND FIVE-YEAR PLANS AND KANGRA DISTRICT

887. Shri Rup Singh Phul : Will the Minister for Planning and Community Projects be pleased to state—

(a) the total amount of money so far spent (i) in the State and (ii) in Kangra District during the First-Five Year Plan, respectively ;

(b) the total amount of money that is proposed to be spent (i) in the State and (ii) in Kangra District during the Second Five-Year Plan ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (a) (i) The total amount spent during the First Five-Year Plan period is Rs. 4,239·94 lacs ;

(ii) As district-wise break-up of First Plan was not worked out separate figures for Kangra District are not available.

(b) (i) The total amount (gross) proposed to be spent during the Second Five-Year Plan period is Rs. 149·08 crores. In addition Rs. 34·84 crores would be spent on schemes benefiting the whole State.

(ii) The amount proposed to be spent in Kangra District during the Second Plan period is Rs. 6.35 crores.

DEVELOPMENT OF HILLY AREAS IN THE STATE

888. Shri Rup Singh Phul : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government for the appointment of a special Committee for the development of hilly areas in the State ; if so, the time by which it is expected to be formed and start functioning ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : No Sir, there is no proposal under the consideration of State Government for the appointment of a Special Committee for the development of hilly areas in the State.

CONSTRUCTION OF UNA-JAHU AND UNA-SUJANPUR ROADS ETC.

890. Shri Rup Singh Phul : Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the date of commencement of the construction of (i) Una-Jahu road, (ii) Una-Sujanpur road, (iii) Nadaun-Hamirpur road, (iv) Mubarakpur-Nadaun road *via* Gwar in Hoshiarpur and Kangra Districts along with the extent of progress so far made in each case ;

(b) the target dates, if any, fixed for the completion of the said roads ?

Rao Birendar Singh : The position is indicated below—

Name of road	*Date of commencement*	*Extent of Progress*	*Target date for completion*
1. Una-Jahu ..	Not started	Does not arise	None fixed
2. Una-Sujanpur ..	Ditto	Ditto	Ditto
3. Nadaun-Hamirpur ..	Ditto	Ditto	Ditto
4. Mubarakpur-Nadaun ..	Ditto	Ditto	During Second Plan period subject to availability of funds.

JUDICIAL LOCK-UP AT HAMIRPUR, DISTRICT KANGRA

891. Shri Rup Singh Phul : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the date when the Judicial Lock-up at Hamirpur, District Kangra was constructed ;

(b) whether the said lock-up is being used at present; if not, the reasons therefor together with the time by which it is expected to be put to use ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (a) Judicial Lock-up at Hamirpur, excepting the boundary wall, was constructed in the first quarter of 1956.

(b) The Judicial Lock-up is not being used at present for the reason that without a boundary wall it was felt that it would not be safe to keep prisoners there.

ELECTRIFICATION OF HAMIRPUR TOWN

892. Shri Rup Singh Phul : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether any Project for electrifying Hamirpur town in District Kangra has been undertaken ; if so, the progress so far made in this respect ;

(b) whether any target has been fixed for the completion of the said Project ; if so, what ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) The electrification of Hamirpur Town is covered by the Dehra Electric Supply Project which is in hand. The main leg of 33 K.V. line from Kangra to Dehra Gopipur is ready and work on step-down substation at Dehra and extension of 11 K.V. line to Jawalaji and Hamirpur will be taken in hand next. Hamirpur Town is expected to be energised by the end of November, 1958.

(b) Yes ; The entire Project is expected to be completed by 31st March, 1960. This Project includes supply to 33 other villages also in Kangra District.

SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWER

ENQUIRY INTO RIOT AND POLICE FIRING AT JULLUNDUR

***2217. Shri Hans Raj Sharma:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Report of Mr. Justice G.D. Khosla on the incidents at Jullundur on February 8, 1958, has been received by Government ;

*(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, whether the said report has been considered by Government and whether it is proposed to publish the same; if so, when ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Yes.

(b) It has been released to the press today and is laid on the Table.

**Note* (*b*)—The report is placed in the Library.

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET

पंडित श्री राम शर्मा (सोनीपत) : स्पीकर साहिब, 1958-59 का बजट जो इस हाउस में पेश हो चुका है उसको आप इस गवर्नमैंट का बही खाता समझें,

3.00 p.m.

ऐमालनामा समझें या इनकी कारगुज़ारी समझें । कायदा यह है कि अगले साल के खर्च और आमदनी का अन्दाज़ा हाऊस के सामने रखने से पहिले जो साल चल रहा हो उसका भी जिक्र किया जाता है । तो हाऊस ने सुना है कि वह माली साल जो अभी खत्म नहीं हुआ है उस में 258 लाख यानी $2\frac{1}{2}$ करोड़ से भी ज्यादा रुपये की बचत दिखाई गई है और यह बचत तमाम आमदनी और खर्च का पूरा हिसाब किताब करने के बाद दिखाई गई है। जब कि हम ने पहले शुरु में सुना था कि 280 लाख रुपए का घाटा हो गया है तो अब यह बात सुन कर और वगैर सारी बात देखे एक दफा तो बड़ी खुशी महसूस होती है कि हमारी यह गवर्नमैंट बड़ी चोकन्नी और हुशियार है कि जो 280 लाख या $2\frac{3}{4}$ करोड़ से भी ज्यादा नुकसान नज़र आया था वह घाटा अब $2\frac{1}{2}$ करोड़ से भी ज्यादा नफे में तबदील हो गया है । आखिर हुआ कैसे ? एक करोड रुपए से ज्यादा के taxes तो इन्हों ने उसी वक्त लगा दिए थे ताकि घाटा पूरा हो जाए और बाद में जो पहले न पता था और न पहले अंदाज़ा ही था भारत सरकार से 263 लाख रुपया और मिल गया । फिर यही नहीं तालीम, जिस पर हर कोई कहता है कि बहुत खर्च करना चाहिए और किया भी जाता है उस में गवर्नमैंट को आमदनी 91 लाख से ज्यादा बढ़ गई है । मतलब यह है कि इतनी हुशियारी से काम हुआ कि तालीम में भी आमदनी हो गई । यही नहीं हुआ खर्च में भी 2 करोड़ की बचत हो गई है । वह दो करोड़ कैसे बचा जो खर्च नहीं किया ? 65 लाख रुपया जो तालीम पर खर्च होना था वह बचा लिया । 25 लाख रुपया जो medical and health पर खर्च किया जाना था वह बचा लिया । 28 लाख रुपया जो खेती बाड़ी पर खर्च करना था वह बचा लिया । फिर इसी तरह industry के खर्च में से 64 लाख रुपया बचा लिया और जो multipurpose river schemes थीं उन में से 37 लाख रुपए का खर्च बचा लिया । दो करोड़ रुपया तो इस तरह बचा लिया । एक करोड़ के करीब तालीम से आमदनी हो गई, $2\frac{1}{2}$ करोड़ रुपए के करीब भारत सरकार से मिल गए जिस के मिलने का उस वकत यकीन नहीं था और एक करोड़ रुपए से ज्यादा के उसी वक्त taxes लगा दिए थे । तो मैं अर्ज करता हूं कि यह जो कारनामे और कारगुज़ारी इस सरकार ने की यह कोई कम खुशी की बात नहीं है और इस पर अगर यह Treasury Benc es वाले तालियां भी बजाएं तो बेजा न होगा क्योंकि यह जो माली साल अब खत्म होने वाला है इस में हमारी सरकार को नकद 258 लाख रुपए की बचत हुई है । तो यह बुनियाद है हमारी budgeting की या हिसाब किताब की और इस बचत पर या आमदनी पर चाहे आप खुशी मनाएं, चाहे रंज मनाएं या जैसा किसी की समझ में आए करे ।

[पंडित श्री राम शर्मा]

अब आया है यह 1958-59 का साल । इस में भी इन को 3 करोड़ रुपए के करीब भारत सरकार से उसी हिसाब या तरीके से मिल गया है जिस की कि पिछले साल यानी चालू माली साल में उम्मीद नहीं थी और 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खिसारे का अन्दाज़ा लगाया है । इस खसारे को पूरा करने के लिए $2\frac{1}{4}$ या $2\frac{1}{2}$ करोड़ के taxes भी लगा दिए हैं। वह taxes भी ऐसे बढ़िया और शानदार तरीके से लगाए गए हैं जो कहीं लगने तो क्या थे सुनने में भी नहीं आए । मुझे और मुल्कों और सूबों का तो पता नहीं लेकिन मुझे इस legislature में बैठने का 20 साल का तजरुबा ज़रूर है कि आज तक इस तरह के taxes कभी किसी गवर्नमैंट के वक्त भी सुनने में नहीं आए थे । मगर यह गवर्नमैंट अब उनको लगाने पर उतर आई है। मैं ने मोटा अंदाज़ा लगा कर देखा है कि एक गरीब से गरीब आदमी अगर और कुछ भी न खाए और अपने जिसम को ज़िन्दा रखने के लिए सिर्फ एक रुपए का अनाज और चार आने की दाल खरीद कर दो तीन रोज़ अपना गुज़ारा करे तो उस में हमारी इस गवर्नमैंट को एक पैसा देना ज़रूरी है । रोटी और दाल पर भी, जिस के बग़ैर एक गरीब से गरीब आदमी के ज़िन्दा रहने का सवाल नहीं रहता यह हमारी हुशियार सरकार टैक्स लगाने पर उतारु हो गई है। वैसे तो यह टैक्स का एक पैसा कम मालूम होता है मगर यह तो इबतदाए इशक है (हंसी) और यह तो अभी इन्हों ने राह खोली है आगे पता नहीं क्या रंग खिलता है । यह तो thin end of the wedge है । और बातों को तो आप जाने दें इन्होंने गरीब लोगों की दाल रोटी को भी नहीं छोड़ा। महात्मा गांधी जी तो इन बातों के खिलाफ अंग्रेज़ों से टक्कर लेते रहे । वह तो नमक के नाम पर लड़ते रहे कि यह तो गरीब की खुराक है इस पर कोई tax नहीं लगना चाहिए । मैं तो कहूंगा कि नमक के बग़ैर तो कोई ज़िन्दा रह सकेगा लेकिन इन चीज़ों —दाल रोटी के बग़ैर तो कोई रास्ता नहीं और जिनका शिकार अब हमारे पंडित मोहन लाल जी ने कर लिया है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि नौबत यहां तक पहुंच गई है कि गरीब की दाल रोटी भी इन के हमले से न बच सकी। बाकी भी अगर इस को पढ़ा जाए और इस बही खाते को देखा जाए तो खुद ही तफ़सील देते हैं कि sales tax कपास, बनौले, कच्ची खालें, कच्ची ऊन—शुकर है कि इन्सान की कच्ची खाल वाकई इन्हों न छोड़ दी (हंसी) अगर वह भी किसी तरीके से शामिल कर लेते तो इन का घाटा पूरा हो जाता और फिर अनाज दालें, बिजली पर ठोक दिया है और education cess भी लगा लिया है। गर्ज़ेकि यह तमाम चीज़ें जो बाकी बच गई थीं और जो tax अंग्रेज़ों के वक्त में और Unionist Government की अकल में कभी नहीं आया और न ही उन को इन चीज़ों पर tax लगाने की हिम्मत हुई अब हमारी इस सरकार ने जिस के सरताज हमारे यह मुख्य मंत्री साहिब बैठे मुस्करा रहे हैं इन्हों ने यह ज़रूरी समझा है कि यह काम शुरु किया जाए और यह tax जो कभी किसी ने सुना नहीं उसे लगाया जाए और इस तरह से $2\frac{1}{2}$ करोड़ रुपए की इन्सानों की खाल उतारी जाए । यह पूछने और देखन की बात है कि इन को क्या ज़रूरत पड़ी है जो $2\frac{1}{2}$ करोड़ रुपए के taxes लोगों पर लगाने जा रहे ह जिन की कमर पहल ही टैकसों के बोझ से दोहरी हो चुकी है बल्कि टूटी हुई है और

अब taxes का नाम सुनते ही वह तोबा तोबा कर रहे हैं। उन पर आखिर अब यह नयी मेहरबानी करने की क्या ज़रूरत पड़ी ? क्या गवर्नमैंट वाकई हुशियारी से, गुन्जायश से और एहतियात से खर्च कर रही है कि यह taxes लगाने ज़रूरी समझे गए ?

हमारे वित्त मन्त्री साहिब कहते हैं कि हम ने रिट्रेंचमेंट कमेटी बिठाई हुई है । उसका यह हाल है कि यह कमेटी जून, 1957 में बिठाई गई थी और इस साल के अखीर तक अभी अन्दाज़ा ही कर रही है । क्या वज़ीर साहिब, जो इस रिट्रेंचमेंट कमेटी के चेयरमैन बने हुए हैं बताएंगे कि कहां तक उन्होंने इस काम को मुकम्मल करने की कोशिश की है ? मैं कहता हूं कि ऐसी क्या एमरजैन्सी पैदा हो गई थी, ऐसी क्या आफत आ गई थी कि वह थोड़ी देर और इन्तज़ार नहीं कर सकते थे ? जहा जून, 1957 से यह कमेटी बैठी हुई थी तो क्या थोड़ी देर और सबर नहीं हो सकता था ? इस बात पर सब तरफ़ परेशानी है कि आज गवर्नमैंट के महकमों में इतनी ज़बरदस्त फज़ूलखर्ची हो रही है और करोड़ों रुपया बरबाद हो रहा है । मैं अन्दाज़े से कह सकता हूं कि आज यह टैक्स लगा कर अढ़ाई करोड़ रुपया की मांग कर रहे हैं लेकिन अगर यह नए टैक्स न लगाएं तो पहले बजट में से ही पांच करोड़ रुपया बच सकता है । अगर यह फ़ज़ूल खर्ची कम की जाय तो बहुत सा रुपया बच सकता है । लकिन इस बात की तरफ कोई ध्यान नहीं । महज़ एक ज़ाबता को पूरा करने के लिए एक रिट्रेंचमेंट कमेटी बिठा दी लेकिन यह जून, 1957 से ग़ौर कर रही है । यह कहते हैं कि उस की रिपोर्ट अनकरीब आ जायगी लेकिन मैं कहता हूं कि इतनी जल्दबाज़ी में दाल वग़ैरह पर टेक्स लगाने की क्या ज़रूरत थी ? मैं यह कहना चाहता हूं कि पंजाब के लोगों को इस पर क्या खुशी हो सकती है और हम किस मूंह से आप को इस बजट के लिए मुबारकबाद दे सकते हैं ? यह गवर्नमैंट किसी मामला पर भी दूसरी पार्टियों के साथ सलाह मश्विरा करने को तैयार नहीं कोई मुश्तर्का तौर पर सलाह करने को तैयार नहीं और फिर हमारे पंडित जी महाराज कहते यह हैं कि हमें सब पार्टियों का सांझे तौर पर एक मोर्चा बनाना होगा और व बताते हैं कि यह पवित्र कर्त्तव्य है । वह एक सरकारी पंडित हैं और मैं बतौर सरकार का मुखालिफ पंडित यह कहना चाहता हूं कि उन्हें सरकार का सारा काम एक पवित्र कर्त्तव्य नज़र आता है । इन्हें $2\frac{1}{4}$ या $2\frac{1}{2}$ करोड़ रुपया लोगों पर टैक्स लगाना भी पवित्र कर्तव्य नज़र आता है ।

मज़ीद गुज़ारिश यह है कि यह जो हमारा बजट है इस में सब से नुमायां बात यह है कि आज सरकारी रुपया में बहुत ज्यादा फ़ज़ूलखर्ची हो रही है, आमदन को ग़लत तरीका से इस्तेमाल किया जा रहा है । अगर इस बात का ख्याल किया जाय तो नाकाबले बर्दाशत टैक्सों के लगाने की कोई ज़रूरत नहीं । लेकिन हो यह रहा है कि बजाए इस के कि उन लोगों पर टैक्स लगाया जाय जो लाखों रुपये इलेकशन फंड में चन्दा देते हैं, उन लोगों पर टैक्स लगाया जा रहा है जिन

[पंडित श्री राम शर्मा]

का रोटी और दाल के बग़ैर गुज़रा नहीं । वहां से टैक्स शुरू किए गए हैं । ऐसे हालात के अन्दर पंजाब का आम ग़रीब आदमी और आपोज़ीशन वाले किस मूंह से गवर्नमेंट को इस बजट के लिए मुबारकबाद दे सकते हैं ? हम लोगों को क्या मूंह दिखायेंगे ? गवर्नमेंट ने कौन सा काम बड़ा किया है जिस से लोगों की भलाई हो । हमारे मुख्य मन्त्री की तरफ़ से 48 सफ़ों की जो रिपोर्ट आप के सामने आने वाली है उस से आप को अन्दाज़ा हो जायगा कि हमारे सूबा की माली हालत क्या है । दो सौ करोड़ रुपया के करीब हमारे सूबा पर कर्ज़ा है और इस कर्ज़े में कमी होने की उम्मीद नहीं, यह बढ़ता ही जा रहा है । भाखड़ा डैम की बात समझ में आ सकती है लेकिन यह जो सफेद हाथी चन्डीगढ़ बना रहे हैं इसकी क्या जरूरत है कि इतना रुपया इस पर फजुल खर्च किया जाय ? अभी राज भवन और दीगर इमारतें बनानी बाकी हैं । सवा दो अरब रुपये का मकरूज़ हो गया है, दाल पर टैक्स लगाने की नौबत आ चुकी है लेकिन अभी तक इन को सबर नहीं और अभी राज भवन बनाने जा रहे हैं । जिस बात के लिए अंग्रज़ों से लड़ते थे और जिन बातों के लिए महात्मा गान्धी ने इतनी कश मकश की वही बातें आज हमारे देखने में आ रही हैं । बड़े बड़े मुख्य मन्त्री यहां आए जो यह दावा करते रहे कि वे बानप्रस्थ धारण कर लेंगे लेकिन जब यहां आए तो यहां महल बना लिए । लाखों रुपये लगा कर झील पर आलीशान 'मकबरा' बना रखा है लेकिन वह खाली पड़ा है । गवर्नर साहिब खासे अच्छे मकान में रह रहे हैं, लेकिन उन के लिए अलहदा राज भवन बनाने की जरूरत महसूस हो रही है । इस तरह जर्मनी, फ्रांस और अमरीका से इंजीनियर बुलवा कर लाखों करोड़ों रुपया ज़ाया किया जा रहा है । हाईकोर्ट की इमारत को दूर से देखें अजीब सी लगती है । चिड़िया सी लगती है । 13 करोड़ रुपया सेंटर से कर्ज़ ले कर इस पर लगा चुके हैं और इतनी नुक्ताचोनी इस पर हो चुकी है लेकिन अब भी इस की रफ्तार में कोई फर्क नहीं आया । हमारे प्रधान मन्त्री नीलोखेड़ी पर इस कदर फरेफता हो गए थे कि वे मद्रास, बंगाल और दूसरे सूबों में गए और वहां कह आए कि अगर हिन्दुस्तान को तरक्की के रास्ता पर देखना है तो जाओ, नीलो खेड़ी में देखो। वहां एक नई चीज़ पैदा हो गई है । मैं भी एक दफा नीलो खेड़ी को देखने के लिए गया । वहां जा कर मेरा दिल इस कदर तंग आया कि मैं वहां से बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा कर निकला । तो मेरा अर्ज़ करने का मतलब यह है कि आज इस तरह के हालात हमारे सूबा के हैं कि दाल और ग़रीब आदमी के आम इस्तेमाल की चीज़ों पर टैक्स लगाने की नौबत आ गई है लेकिन गवर्नमेंट की यह हालत है कि उस की जहनियत में रत्ती भर भी फर्क नहीं ।

Minister for Consolidation and Health: You must look far ahead.

पंडित श्री राम शर्मा: यह कहते हैं You must look far ahead. इन की बात सुन कर मुझे ग़ालब का एक शेअर याद आ गया है:

कर्ज़ की पीते थे मय लेकिन समझते थे कि हां
रंग लायगी हमारी फाका मस्ती एक दिन।

कर्ज़ लेकर चंडीगढ़ में महल बनाए जा रहे हैं। मोती बाग खरीदे जा रहे हैं और इधर अपनी हालत यह है कि दाल पर टैक्स लगाने की नौबत आ चुकी है। लेकिन 30 लाख रुपया लगा कर पटियाला में महल खरीदा जा रहा है। इस बाग़ में, स्पीकर साहिब, ये सुबह शाम बैठने जाया करें तो काफी तसल्ली होती रहेगी।

अध्यक्ष महोदय: वह तो आप vote कर चुके हैं। (That item has already been voted.)

पंडित श्री राम शर्मा: पास तो कर चुके हैं लेकिन, स्पीकर साहिब, मैं यह कहना चाहता हूं कि आगे के लिए तो सब्र किया जाए। मैं यह गुज़ारिश करना चाहता हूं कि जिस तरह से आप चल रहे हैं यह पंजाब को आगे ले जाने वाली बात नहीं। बजाये इस के कि इन बातों से कोई इज़्ज़त हो उलटे बेइज़्ज़ती होती है। इन बातों का ख्याल रखें। यह कहते हैं कि भाखड़ा डैम बन रहा है। ठीक है, बन रहा है, लेकिन इस में इन्होंने क्या किया है ? इस के लिए कर्ज़ तो देहली से आता है। सिर्फ इन्जीनियर आप के हैं लेकिन उन का काम देखना हो तो आप ऐंटीकुरप्शन के कारखाने में देख लें, कितने मुकद्दमें चल रहे हैं। (Thumping by Opposition) वह भी मैं कहता हूं कि कुरप्शन के महकमें भी फिर्कादाराना ढंग से चल रहे हैं और उन में भी एक ही किस्म के और एक ही ढंग के आदमियों को पकड़ा जा रहा है।

इस बजट को शुरु करते हुए दो बातों का credit हमारे वज़ीर साहिब ने लिया है और फरमाया है कि हम ने खेती बाड़ी और चक-बंदी दोनों में नुमायां तरक्की की है। लेकिन, स्पीकर साहिब, development की क्या हालत है, इस के मुतअल्लिक मैं दो तहसीलों का ज़िक्र करता हूं। सोनीपत और झज्जर जहां का मैं नुमायेंदा हूं। सोनीपत में तीन चार साल से development की स्कीमें चल रही हैं और इस के विपरीत झज्जर में ऐसी स्कीमों का कोई नामोंनिशां भी नहीं। लेकिन अगर हम उन तहसीलों में पैदावार का मुलाहज़ा करें तो हमें पता चलेगा कि सोनीपत में पैदावार कम हुई और इस के मुकाबले में झज्जर में जहां गवर्नमैंट ने कोई development scheme नाफ़िज़ नहीं की पैदावार में बढ़ौतरी हुई है। जहां भी नहर का पानी पहुंच गया वहां development कुछ हो गई है और यह तो कुदरती बात है। भाखड़ा से पानी मिल गया लेकिन गवर्नमैंट इसी के ढोल पीटती रहती है। आजकल वज़ीर साहिबान भाखड़ा डैम की ही चर्चा करते रहते हैं जैसे अंग्रेज़ों के वक्त "अंग्रेज़ी राज की बरकतों" का नारा बुलंद किया जाता था।

चकबन्दी तथा स्वास्थ्य मंत्री : उन दिनों पंडित जी की बहली का भी तो चर्चा होता था।

पंडित श्री राम शर्मा : आप बेचैन क्यों हो रहे हैं ? इस के अलावा, स्पीकर साहिब, उद्योग धंधों का भी इस में खासा जिक्र किया गया है। इस सिलसिले में लाखों करोड़ों रुपये कर्ज़े के तौर पर मिल जाते हैं। इस भारी रकम में से वज़ीर साहिबान के कई यार दोस्त भी खाते पीते होंगे, यह लाज़मी बात है। काम भी ज़रूर होता होगा। इसलिये मैं नहीं समझता कि इन बातों की वजह से कोई ऐसे हालात पैदा हो गये हैं कि हम खुशी मना सकें और तरक्की के राग अलाप सकें।

चकबंदी को लीजिए जब कानून पास हुआ तो हमारे वज़ीर साहिबान बड़ी उम्मीदें बांधे बैठे थे कि यह कर देंगे, वह कर देंगे लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या उन्हों ने इस सिलसिले में कुछ करने के लिये अपने हाथ को कभी जुंबश भी दी? आप खुद ही फरमाते ह कि इस दिशा में चालू साल के लिये जब कि हम ने 31 लाख एकड़ ज़मीन की दोबारा बांट का अनुमान लगाया हुआ था, हम दिसम्बर, 1957 तक सिर्फ 6 लाख एकड़ को ही दोबारा बांट कर सके हैं। मैं पूछता हूं कि उन्हें कौन रोकने वाला था कि ऐसा न कीजिए। इस के साथ वह यह भी फरमाते हैं कि राज्य भर में हो रही पटवारियों की हड़ताल की वजह से अब हालत और भी खराब हो गई है। स्पीकर साहिब, चकबन्दी की यह हालत है जिस के ऊपर पैदावार का दारोमदार है और जिस पर हमारी गवर्नमैण्ट बहुत नाज़ करती है कि हम ने पैदावार में बढौतरी की है। स्पीकर साहिब, आप खुद ज़मींदार हैं आप बखूबी वाकफ होंगे कि ज़मींदारों को इस सिललिले में कितनी मुसीबतें झीलनी पड़ती हैं। दावे दायर करने पड़ते हैं और इस तरह से वकीलों की चांदी होती है। अदालतों के अंदर इतने कत्ल के मुकदमे दायर नहीं जितने चकबंदी के सिलसिले में हैं। लोग इतनी फीस कत्ल के मुकदमों में वकीलों को नहीं देते जितनी कि वे पटवारी की नज़र कर देते हैं क्योंकि उस से उन्हें अंदेशा होता है कि वह उन की ज़मीन कहीं इधर से उधर न कर दें। कतह नज़र इस बात के कि कई दफा वह अपनी आंखें मीच भी लेते हैं।

इस के अलावा co-operation का भी, स्पीकर साहिब, इस में जिक्र किया गया है। यह महकमा एक फर्ज़ी और बेजान महकमा है। मैं किसी साहिब का नाम लेना अच्छा नहीं समझता, उन के लड़के, साले, भतीजे Labour Co-operation की वजह से बन गये हैं। मज़दूरों को इस के मुतअल्लिक पता ही नहीं कि वे इस से कैसे मुस्तफीद हो सकते हैं। इस का सारा ढांचा इतना बिगड़ा हुआ है कि मज़दूर को कोई फायदा नहीं पहुंचता।

इस के बाद सामुदायिक विकास के मुतअल्लिक मैं अर्ज़ करूंगा कि लोगों की यह हिम्मत का नतीजा है कि उन्हों ने 5,81,00,000 रुपये खुद इकट्ठे कर के development के कामों पर खर्च किया। इस सिलसिले में क्या गवर्नमैंट को दाद दी जाये या उन लोगों को जिन्हों ने बड़ी हिम्मत और दलेरी से इतना रुपया इस काम पर लगाया

विकास के मुतअल्लिक मैं आप को एक वाक्या सुनाऊं । Lord Halifax जब यहां दौरे पर आये हुए थे तो हमारी गवर्नमेंट ने सोनीपत के नज़दीक एक गांव के कुएं को सीमैंण्ट वगैरह लगा कर एक नई किस्म का बना दिया और उन्हें बताया कि यह development का काम है । उन्हों ने यह देख कर कहा कि पंजाब में बहुत तरक्कियात के काम हुए हैं । इसी तरह खियूड़ा गांव के एक पुराने कूएं को सीमैंण्ट लगा कर पक्का कर दिया गया । इस के अलावा, स्पीकर साहिब, एक गांव चराना में जो रोहतक–चण्डीगढ़ रोड पर वाक्या हैं एक पुराने कुएं को सीमैंण्ट से पक्का कर दिया गिया और उस का उद्घाटन करने के लिये हमारे Planning Minister डाक्टर गोपी चन्द भार्गव गये और कहा कि यह कुआं हरिजनों के लिये है । इस से हरिजन तो खुश हो गये लेकिन गांव के लोग खुश न हुए । इस का नतीजा यह हुआ है कि यह कुआं जो सड़क से नज़र आता है बिल्कुल बेकार पड़ा है । इस तरह का हज़ारों मिसालें विकास सम्बन्धी दी जा सकती हैं । हमारी गवर्नमेंट कई काम अंधा धुंध, लापरवाही से और बगैर सोचे समझे कर देती है जिस का पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता । चराना गांव के कुएं के मुतअल्लिक मैं ज़िम्मेदारी से कह सकता हुं कि किसी शख्स ने एक बुंद पानी भी नहीं पिया । मैं वसूक से कह सकता हुं कि गवर्नमैण्ट की सारी मशीनरी ऊपर से नीचे तक बिल्कुल खराब हो चुकी है ।

जहां तक Dispensaries का ताल्लुक है, वहां अगर डाक्टर है तो दवाइयां नहीं मिलतीं और अगर किसी जगह दवाइयां stock में हैं तो डाक्टर हाज़िर नहीं होता । महकमा सेहत के मुतअल्लिक मैं यह कहुगा कि Doctor Heal thyself. तालीम एक अच्छी चीज़ है । उसके ऊपर बेहद खर्च होता है । वज़ीर साहिब तालीम बैठे हैं । मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो Basic Education है यह कतअन एक फर्ज़ी बात है । सिवाए इस कागज़ में और बजट में इसका कहीं वजूद नहीं है । किसी स्कूल में, या किसी teacher के पास या किसी जगह में यह नहीं है । सिवाए बजट में यह कहीं नहीं है । आप जा कर देखें । सिवाए 'basic education' के, इस लफ़्ज़ के और छपाई के अगर यह कहीं exist करती हो । लाखों करोड़ों रुपये बर्बाद हो रहे हैं । इस तरह यह Basic education देते हैं । जाटों के स्कूल में, सिखों के स्कूल में, बनियों के स्कूल में या और जो ऐसे स्कूल हैं, उन स्कूलों के अन्दर तालीम देने में भी, जहां scandal किया जाता है । सैंकड़ों रूपये लिये बगैर लड़कों को दाखल नहीं किया जाता । वे लड़के जो रद्दी होते हैं, उनको सब से पहले भर्ती किया जाता है । जो काबल लड़के होते हैं उनको धक्के दिए जाते हैं । यह scandal है । Government ऐसी चालें चलती है । 'Basic education' उन denominational स्कूलों के अंदर चली गई है, जहां scandalous हालत पैदा हो रही है । अब इन्हों ने District Boards के स्कूल ले

(पंडित श्री राम शर्मा)

लिए हैं। बज़ाहिर तो यह अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि Government का यह एक ढंग है। लोगों ने तालीम के लिए करोड़ों रुपया दिया है। जब यह लोकल बाडीज़ के स्कूल थे उस वक्त जो लोगों ने चंदा दिया, furniture दिया, अगर उसका अंदाज़ा लगाया जाए, तो करोड़ों नहीं, अरबों रुपया लोगों की जेब से निकल कर आया। मुझे डर है कि कहीं यह सब रुपया ज़ाया न जाये।

दूसरे सेहत की आज यह हालत है कि अगर कहीं हस्पताल है तो वहां डाक्टर नहीं, अगर डाक्टर है तो दवाई नहीं। लोगों ने यह समझ लिया था कि हम अपने लिये ही अपनी जेब से रुपया दे रहे हैं। वज़ीर साहिब को चाहिए कि वह अपनी सेहत का ख्याल रखें। जब यह स्कूल Local Bodies के पास थे उस वक्त लोगों ने इन पर करोड़ों रुपया खर्च किया। अगर देहात के लिए एक पैसे की भी इस में कमी हो जाए तो वज़ीर साहिब इस का मतलब यह समझ लें कि यह सब कुछ उलट जाएगा। मेरे ज़िला में, हरयाना में लोगों को डर है; बल्कि उन का डर बिल्कुल genuine है। उनको इस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रुपया दें। वज़ीर साहब तालीम सुन लें कि वह कितने ही स्कूल खोल लें, लेकिन आपकी तालीम का standard इतना गिर चुका है कि आज जो लड़का आठवीं या दसवीं जमात पास करता है वह 25 साल पहले के दूसरी या चौथी वाले के मुकाबले में भी नहीं है। जिस तालीम का ढंडोरा पीटा जा रहा है, यह standard है उस का।

अब political sufferers के लिये 16 लाख रुपया रखा हुआ है। इसमें से 5 लाख रुपया तो बेशक उनके लिए खर्च होता हो जो दरअसल political sufferers हैं, जो deserve करते हैं, जो इस के हकदार हैं; जिस के लिये उनको pension वगैरह मिले। मैं कह सकता हूं कि 11 लाख रुपया black mail में और favouritism में और अपने ताल्लुक रखने वालों को किसी न किसी तरह दिया जाता है। अगर कोई कमेटी बिठाई जाए तो सारा पता लग जाए। कम अज़ कम 10 लाख रुपया ज़ाया हो रहा है। ऐसे लोग ज़्यादा नहीं होंगे कि जो मुस्तहिक हों। ऐसे आदमियों को pension मिल रही है या ऐसे आदमियों को ज़मीन मिली है, जो मुस्तहिक नहीं, ऐसे आदमी बहुत कम हैं जो वाकई मुस्तहक हों। मैं ने ऐसे cases भी देखे हैं जिन में कुछ नहीं दिया गया। मेरे अपने कसबे में एक बूढ़ी औरत है जो जेल में रही है, जिसका कोई सहारा नहीं। उस औरत को रोने धोने के बाद दो साल बाद pension दी गई। मगर वह pension नहीं ले सकी और मर गई। इसी तरह रोहतक के अंदर एक बूढ़ा है, उस को अब चिट्ठी पहुंच गई है कि उस की pension बंद की जाती है। उस के साथ ही ऐसे कई दर्जन आदमी हैं जिन की हज़ारों रुपये की आमदनी है, जिन की ज़मीनें हैं, जायदादें हैं, वे pension ले रहे हैं। यह एक बहुत अफसोसनाक बात है। ऐसी हालत है कि एक नेक काम का नाम ले कर ऐसा किया जा रहा है।

Security of Land Tenures का ज़िक्र करने वाले और भी बहुत से होंगे। इस कानून के पास होने के बाद जितने मुज़ारे बेदखल हुए हैं, जितनी रुकावटें हैं, ज़मींदारों को जितनी तकलीफें हुई हैं इस के नतीजे के तौर पर इस Act के pass होने से एक खासा प्रश्न खड़ा हो गया है। जनाबे आली, अब मैं आखिरी सफ़ा तक आ गया हूं। शुरू से आखिर तक पढ़ने के बाद मैं आपकी मेहरबानी से आप से चंद मिनट और लूंगा। एक बात और है, मैं वित्त मन्त्री मोहन लाल जी को दाद देता हूं कि उन्हों ने एक बेहतरीन काम यह किया है कि आज तक जितने भी बजट पंजाब में पेश हुए हैं उन में शुरू में हमेशा General Administration या Police, जेलें, Executive वग़ैरह के बारे में यह बताया जाता था कि इसका काम यह है, इस दफा पंडित मोहन लाल जी ने इस सारे पोथे में न General Administration का, न Police का, न जेलों का और न State की Executive का कहीं ज़िक्र किया है। सारे बजट में इस का कोई ज़िक्र नहीं, यह उन्हों ने बड़ा अच्छा किया। आज हम भारत सरकार के मातहत हैं, जिस का उद्देश्य है "सत्य मेव जयते"। उसकी नकल करते हुए पंडित जी ने कम अज़ कम यह सोचा कि इतने बड़े गुनाह बेलज्जत के अंदर एक ऐसी चीज़ के लाने का कोई फ़ायदा नहीं, खाह मखाह पाप क्यों चढ़ाया जाए। इस लिए उन्हों ने इस बात का ज़िक्र नहीं किया। मगर मैं तो मजबूर हूं, थोड़ा बहुत इस बारे में ज़िक्र करना ही पड़ेगा। (Cheers from the Opposition Benches) हमारी Government कहती है कि हमारी welfare State है, Democratic state है, Parliamentary system है। बड़े अच्छे लफ्ज़ हैं यह। हम भी यह लफ्ज़ सुन कर तो बड़े खुश होते हैं। मैं पूछता हूं कि यह सब कुछ क्या है और कहां है? कहां है वह Law and Order? कहां है वे तमाम चीजें? मैं समझता हूं कि वे उनके अपने हिसाब में ही होगा। आखिर यह है क्या जिसको यह Law and Order कहते हैं, General Administration कहते हैं, सरकार कहते हैं। दरअसल यह पंजाब police State है; स्पीकर साहिब, यह welfare state नहीं है। यहां democratic state के तरीके से parliamentary system नहीं चलता। यहां तो वज़ारत में no confidence motion लाने के लिए इतनी तादाद का होना ज़रूरी है जितनी कि opposition के तमाम मेम्बरों की नहीं है। House of Commons में जहां 600 के लग भग मेम्बर हैं, वहां 40 मेम्बर वज़ारत के खिलाफ़ no confidence motion ला सकते हैं। यहां पंजाब में opposition के मेम्बरों की तादाद 36 है। 40 मेम्बर हों तो no confidence motion आए, यानी Democratic तरीके की, parliamentary system का कितनी अच्छी चीज़ मौजूद है। इसके अलावा मैं यह system देखता हूं। Government को अपनी ज़िम्मेदारी देखनी चाहिए। जिन के पास हकूमत है, House में यह majority party है। आखिर कोई

(पंडित श्री राम शर्मा)
नेक काम, कोई भलाई तो हो, कोई काम तो पूरा हो । इसके लिए constitutionally और legally किसी नज़रिए से वज़ारत अपनी जिम्मेदारी को नहीं देखती । पंजाब के अंदर यह तरीका है । ज़रूरी है कि इस तरीके से जो काम हो रहा है उसको दूर किया जाए । क्या कभी एक भी Adjournment Motion पर खड़े हो कर यह कहा है कि हम इसको मानते हैं ? मैंने सर सिकंदर हयात खाँ और चौधरी छोटू राम को यह कहते सुना है कि आप यह Adjournment Motion लाये हैं, आप बहस करें । लेकिन इस democratic Government के अंदर किसी वक्त भी इस मोशन को मन्ज़ूर नहीं किया गया । स्पीकर साहिब, यह बात ठीक है, अपने तरीके से यह चीज़ें चलती है । कहीं तो यह कहा गया हो कि हम इसको मानते हैं । वह बात अलग है कि अभी यहाँ parliamentary तरीका समझ में नहीं आया है । यह democracy है यहां की । यानी आज तुम्हारे पास majority है; कल जब हमारे पास majority हो, आप की तादाद से ज़्यादा तादाद रखें, तो हम आपको बोलने नहीं देंगे । मुख्य मंत्री जी ने यह बड़ी मेहरबानी की और मेरे लिए कहा कि यह communal नहीं हैं । मैं communal नहीं हूं तो मुझे 4 महीने कैद क्यों रखा गया, क्या कहीं श्री राम शर्मा ने कभी गांव मे जा कर कहा कि सिखों की हुकूमत है ? Police की तरफ़ से निकली report में यह कहा गया कि मेरी वजह से police के सिर में ईंटें और पत्थर मारे गए हैं ।

ज़ाहिर है कि या तो मुख्य मन्त्री ग़लत कहते हैं कि मैं Communal नहीं हुं या इनकी पुलिस ग़लत बयानी करती है जो इस तरह की रिपोर्टें देती है, तो मैं पूछता हूं कि क्या यही जम्हूरी राज है ? क्या यही parliamentary type of Government है ? यह जम्हूरी राज नहीं, Parliamentary Government नहीं, यह इनका राज है--मुख्य मन्त्री का अपना राज है । यह एक ऐसा सवाल है जिस का जवाब खुद मुख्य मन्त्री ही दे सकते हैं—वित्त मन्त्री ने तो budget के आंकड़ों को सामने रखा है। वह क्या इस का जवाब दे सकते हैं ।

बहूअकबर पुर और नया बांस के मुतअल्लिक जो तमाम ज़्यादतियां हुई पुलिस की तरफ़ से जो ज़ुलम ढाए गए; जो सितम बरपा किए गए उन के मुतअल्लिक जब कुछ कहा जाता है—जब जब उनको रौशनी में लाया जाता है तो हमारे मुख्य मन्त्री की तरफ़ से जवाब दिया जाता है कि ये बातें बिल्कुल ग़लत हैं, कतअन ग़लत हैं । और जब वह ऐसा कहते हैं तो सामने वाली बैंचों के ऊपर थपाथप होती है । क्या हाऊस के अन्दर और क्या बाहर public के सामने—सब जगह बस दो ही लफ़्ज़ इनके मूंह से निकलते हैं कि "यह ग़लत है" । हुशियार पुर के मुतअल्लिक जनता में शोर मचा, हाहाकार हुई, तो इन्होंने फरमाया कि यह तो हमारा business like लाठी चार्ज था । मैं पूछता हूं कि All India Congress

के General Secretary श्री श्रीमन नारायण की रिपोर्ट में क्या था ? उस ने इन के दावों और public के सामने दिए गए बयानों को ग़लत साबत कर दिया और यह साबत किया कि वाकई वहां पर ज़ुल्म हुआ । फिरोज़पुर जेल में क्या हुआ ? बड़े मज़े में आकर मुख्य मन्त्री जी फरमाने लगे कि बाहर जो सन्यासी साधु समाज के मन्दिर में बैठे रहते थे, इनकी बातों की वजह से, इन के नतीजे के तौर पर ही फिरोज़पुर जेल के अन्दर ये हालात पैदा हुए । अगर वहां Justice Kapur की रिपोर्ट न होती और अगर श्रीमन नारायण ने रिपोर्ट न की होती तो फिर उस हालत में शायद यह जो हाऊस के अन्दर और बाहर फरमाते हैं कि यह इल्ज़ाम ग़लत है, वह इल्ज़ाम ग़लत है—वाकई ग़लत भी होते । लेकिन इन रिपोर्ट को सामने देख कर मुझे मुख्य मन्त्री बतलाएं कि कैसे अपनी ज़िम्मेदारी से बरी हो सकते हैं—कैसे सच्चाई को छिपा सकते हैं; इससे आंख मूंद सकते हैं ? मैं कहता हूं कि जो जो यहां पर आप के खिलाफ कहा जाता है ; उस की जांच करने के लिए एक ही इलाज है । और वह इलाज यह है कि आप एक Commission मुकर्रर करें—अपने ही मुलाज़मों का करें—हाई कोर्ट के जजों का करें । बाहूअकबर पुर के सिलसिले में मुख्य मन्त्री जी ने जवाब देते हुए बताया था कि जो भी इल्ज़ाम लगाया गया है, ग़लत है । इस सिलसिले में जो बात मैं करने जा रहा हूं मैं अपने प्रैस वालों को कहूंगा कि वह प्रैस में रिपोर्ट न करें । जब प्रोफैसर शेर सिंह इसका ज़िकर कर रहे थे तो मुख्य मन्त्री जी ने फरमाया था कि और कोई आदमी कहे या न कहे लेकिन जब प्रोफैसर शेर सिंह जैसा ज़िम्मेदार आदमी यह बात कह रहा है तो मैं इस को सही मान लूंगा अगर वह ये अलफाज़ गीता पर हाथ रख कर कहें—गोया वह हलफिया ब्यान दें । मैं पूछता हूं कि क्या आप श्री गुरु ग्रन्थ साहिब पर हाथ रख कर हलफिया बयान के तरीके से यह सब कुछ बयान कर रहे थे जो आप इस हाऊस के सामने खड़े होकर एक माननीय मेम्बर को यह challenge करते हैं कि वह जो बयान देना चाहते हैं, वह गीता पर हाथ रख कर दें ? क्या यही Democracy है ? क्या यही Parlaimentary हकूमत का नमूना है ? (घंटी की आवाज़) खैर स्पीकर साहब, मैं इस चीज़ को यहीं पर छोड़ता हूं—शायद इन को शर्म आ जाए । बाहूअकबर पुर के जिस अफ़सर की यह तारीफ़ करते हैं ; म उसी को लेता हूं । मैं आप को बताता हूं कि उस बड़े अफ़सर ने—गवर्नमैंट जिसको D.I.G. कहती है ; उसने गांव के तमाम लोगों को सड़क के किनारे उलटा लटका कर उनके private parts पर जूते लगवाए (*Cries of shame, shame from the Opposition*) (*Interruptions*) अगर यह बात ग़लत हो...... (*Interruptions*) मैं challenge करता हूं कि अगर यह बात ग़लत हो—सही साबत न हो तो मैं इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा इस House के अन्दर या बाहर पाने के लिये तैयार हूं या कम से कम जब मुख्य मन्त्री इस का जवाब देते हुए बोलें तो वह इस बात की एहतियात रखें कि जो वह कहें वह सही चीज़ हो । ग़लत न हो ।

(पंडित श्री राम शर्मा)

इस के अलावा, स्पीकर साहब, मैं आप को क्या क्या बताऊं कि पुलिस ने क्या क्या मज़ालिम नहीं किए। आप एक जीती जागती मिसाल लें। इसी हाऊस के एक मेम्बर की मिसाल है। रोहतक शहर की पुलिस के एक D.S.P. ने हमारे House के एक मेम्बर को पकड़ कर गुसलखाने के अन्दर ले जाकर खूब मारा और मारते हुए कहा कि मैं तुम को बतौर एक मेंबर के बतलाना चाहता हूं कि एक सिख एक हिन्दू का क्या बना सकता है ? (*Cries of Shame, Shame, from* the *Opposition*) स्पीकर साहिब, पुलिस द्वारा किए जा रहे जुल्मों की कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती। हर रोज़ ऐसी चीज़ें public के सामने आती रहती हैं। एक चीज़ अखबार में छपी है जो आप के सामने है। इस चीज़ को ही सामने रखकर मुख्य मन्त्री को बैठ जाना चाहिए—इस तरह पुलिस के तारीफ़ों के पुल नहीं बांधने चाहिएं। यह एक ऐसी चीज़ है—एक सच्ची चीज़ सामने आई है कि जिसको झुठलाया भी नहीं जा सकता। एक आदमी है। B.A., B.T. है; पढ़ा लिखा है; अच्छा खासा ज़िम्मेदार आदमी है—वह क्या कहता है ? मैं कैरों साहब से कहता हूं कि आप बजट को अलग रहने दीजिये—बड़ी गौर के साथ देखिए कि आप की पुलिस, आपकी machinery क्या कर रही है.......................

अध्यक्ष महोदय : तो क्या अब आप कोई document quote करेंगे ? [Will the hon. Member now quote some document ?]

पंडित श्री राम शर्मा : जी हां, मैं आप को बतलाने जा रहा हूं कि एक आदमी ने अदालत के अन्दर यह बयान दिया है—हलफ़िया बयान दिया है कि कैरों साहब की पुलिस ने उसके साथ क्या सलूक किया है।

अध्यक्ष महोदय : यह कौन सी अखबार से है। (From which paper has it been taken ?)

चकबन्दी तथा स्वास्थ्य मन्त्री : हरयाना तिलक होगा।

पंडित श्री राम शर्मा : नहीं, यह ट्रिब्यून है। यह वह अखबार है जो आप की तारीफों के पुल बांधता है—जो आप के बजट के मुतअल्लिक और स्कीमों के मुतअल्लिक पूरी पूरी reports देता है। यहां पर तो यह हालत है कि जो भी मुख्य मन्त्री की नुक्ताचीनी करता है—जो अखबार सही हालात को public के सामने लाता है, उसे Communal कहा जाता है। Hindustan Times ने दो चार खरी खरी सुनाईं तो वह भी Communal बन गया; गर्ज़ेकि जो भी इन के आंख के इशारे पर नहीं नाचता वह Communal बन जाता है। खैर, मैं इस case के मुतअल्लिक भी Press वालों से कहूंगा कि मेरी बात को report न करें...............

चकबन्दी तथा स्वास्थ्य मंत्री : Address प्रैस को कर हैं या House को ?

पंडित श्री राम शर्मा : वह आदमी Court के आगे क्या कहता है, सो मैं आप को पढ़ कर सुनाता हूं । वह कहता है.................

"I beg to state the atrocities perpetrated on me by the police since my arrest. They hurled filthy abuse on me as soon as they saw me. They slapped me. They put my right hand under the leg of a chair on which a constable took his seat. I was beaten with baton. Pieces of wood were placed between the fingers of my hands and my fingers were pressed so hard that I began to shriek. When I shrieked with pain I was told to shut up. I was asked to make a false statement that a programme for throwing cigarettes in the Durbar Sahib was concocted in the Ferozepore Jail".

(*Voices of shame, shame from the Opposition Benches*).

"At night both my arms were forced back and handcuffed. I was not allowed to sleep. As soon as my eyes closed, cold water was poured on my head and eyes. I was forced to keep standing and was allowed to sit only occasionally, but I was forced to stand up if whilst standing I dozed off".

(*Voices of shame, shame from the Opposition Benches*)

"On 14th February, 1958, I felt as if I was losing my consciousness. The constables reported it to the Sub-Inspector. A rug was spread under the leg of a charpoy and one of my hands was put on it and then another rug was placed on my hand and then a number of constables took their seats at the charpoy. When I shrieked with pain I was beaten. A jug filled with faeces and urine was tied to my mouth and I was asked to take long breath".

(*Voices of shame, shame from the Opposition Benches*)

यह एक B.A. B.T., teacher का इस राज में—कैरों हकूमत के अन्दर अदालत के सामने दिया गया बयान है, जो कि अगर गलत हो तो उस पर मुकदमा भी चल सकता है । मैं जानता हूं कि मुख्य मन्त्री इस को challenge करेंगे । मैं इस में नहीं जाना चाहता कि यह गलत है या सही है । अगर गलत है तो यह अदालती मामला बन सकता है लेकिन अगर वह हलफ़िया बयान जो उस आदमी ने दिया है, सही साबत हो तो आप खुद अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि इस से ज्यादा किस limit तक आप की पुलिस जा सकती है ? अगर आप की पुलिस के यही कारनामे हैं तो वज़ारत और खास तौर पर मुख्य मन्त्री लोगों के सामने क्या मुंह दिखाने के काबल हैं? (घंटी) आखिर में, स्पीकर साहब, मैं यही कहना चाहता हूं कि पंजाब की आम जनता—पंजाब के लोग—इस हकूमत से, इस के law and order को maintain करने के तरीके से, पुलिस से बहुत तंग हैं । इस गवर्नमेंट ने लोगों को इतना आजिज़ और तंग कर रखा है कि वह इसको अपना दुश्मन समझने लग पड़े हैं । और मुझ तो यह कहने में ज़रा भी झिजक नहीं है कि law and order और हकूमत के point of view से हमारे सूबे की मौजूदा गवर्नमेंट आम जन्ता की enemy No. 1 है— खास तौर पर हमारे मुख्य मन्त्री जिन के हाथ में सारी ताकत मरकूज़ है । वह जो उन का साथ देते हैं वह enemy No. 2 हैं, जो मेम्बर उन की मदद करते हैं वह सूबे के enemy No. 3 हैं

(पंडित श्री राम शर्मा)
और आर्गेनाइज़ेशन के वह लोग जो इकट्ठे होकर गवर्नमेण्ट का काम नहीं करते वे enemy No. 4 हैं । इन्हीं सब ने मिल कर सारे पंजाब को नालां और बदनाम किया है। ईश्वर पंजाब को इन दुश्मनों से बचाए और अब भी अगर सब ने अपनी पिछली ग़लतियों को दूर कर सही रास्ते पर चलने की कोशिश न की तो पंजाब का मुस्तकबिल कभी रोशन नज़र नहीं आ सकता ।

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ (ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗ਼ੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਲ੍ਹਾ ਦਿਮਾਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ open mind ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਖਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਗੇ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸੂਬਾ ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਰਾਲਾ ਵਲ ਸੀ—ਐਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ surplus budget ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਦਾ surplus ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਅਗਰ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਬਜਟ surplus ਹੋਵੇ—ਆਮਦਨੀ ਕੁਝ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਰਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ । Surplus budget ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ । ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ figures ਖਰਚ ਅਤੇ ਤਖ਼ਮੀਨੇ ਵੇਖੀਏ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਖ਼ਰਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਪਿਆ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ surplus budget ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘਸਾਰੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ।

Total picture ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ Finance Commission ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 293 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਵਾਏ ਹਨ । ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਦਾ ਖਸਾਰਾ 234 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ । ਜੇ 293 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਸਾਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਤੌਰ ਪਰ ਬਜਟ balance ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਖਸਾਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਖਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ—This is proposed to be covered by levying additional taxation. ਇਹ ਚੀਜ਼ Memorandum ਵਿਚ ਆਖਰੀ concluding ਪੈਰੇ 25 ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਵਿਚ commercial ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਤਰਫੋਂ, ਇਕੱਲੀ Opposition ਵਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਬੈਂਚਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ oppose ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ tax ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ । ਉਸ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ tax ਲਗਾਉਣ ਦੀ provision ਇਸ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਮੈਂ ਅਗੇ ਚਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ taxes ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ tax propose ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਭੁਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਲਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ । ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਇਹ tax ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ । ਇਹ position ਤਾਂ ਹੈ Revenue Account ਦੀ । ਹੁਣ ਮੈਂ plan expenditure ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦਸਦਾ ਹਾਂ । ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ second Five-Year Plan ਲਈ 43·38 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ Planning Commission ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਤਨਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿਚ 9·59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਖਫੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਖਫੀਫ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਢ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ plan ਤੇ 33·79 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ।

ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ, ਇਹ ਜੋ 9·59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਖਫੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ Planning Commission ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ Planning Commission ਨੇ ਮੰਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਪਿਛੋਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਸ plan ਦੇ ਅਰਸੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ? ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ confidence ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ loans ਜਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ programme ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ । ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਵੀ ਹੋਣ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ । ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ Assembly ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਫਿਰ ਇਸ 33·79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ loans ਅਤੇ grants ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਮਿਲਣੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦੇ 17·79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ । ਪਰ ਇਤਨੀ ਵਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ । ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖੁਦ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ—The situation is difficult—ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17·79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ cash balances ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ utilize ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ investments ਹਨ ਉਹ ਹੁਣ liquidate ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ reserve ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹ ਹੁਣ liquidate ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚਾ ਬਚਾ ਕੇ

[ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ]

ਰਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸਾਸਾ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਲਈ ਰਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਸਾ, ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2nd Five Year Plan ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਊਂਟ ਦੀ ਮੋਟੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਹਾਨ ਦੀ ਚਰਬੀ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਰਬੀ ਖਾ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ finances ਦਾ Skeleton ਅਗੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਰਚ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿਵਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਕੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ difficult ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖਰਚਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤੋਲ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਉਤੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਕ inflation ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ticklish ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਲ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਕਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ Communist Party ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚ ਨੇ ਇਹ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਖਰਚ ਦਾ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਧ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। Inflation ਹਾਲਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਕੁਝ inflation ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1957 ਵਿਚ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ inflation ਤੇ ਅੰਸ਼ ਮਾਤਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫ਼ਾ 12 ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ Planning

Commission ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ Plan ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਉ ਕਿਉਂਕਿ inflation ਦਾ trend ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ level ਤੇ ਭੀ ਇਹ inflation ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਐਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਗਾਲਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫੇਰ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਲਬੱਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ resources ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ delicate situation ਹੈ। ਪਰ ਇਸ Budget ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇਕ national ਮਸਲਾ ਹੈ। Currency ਦੇ ਫੈਲਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ticklish ਮਸਲੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗੇ ਚਲਦਾ ਹਾਂ।

4-0 P. M.

ਪੰਜਾਬ ਦੀ debt position ਦਾ ਮੁਲਾਹਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਕ independent category ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ Plan ਲੈਕੇ ਚਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ unproductive ਕੰਮਾਂ ਪੁਰ ਸੰਕੋਚ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ productive schemes ਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ interested ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ plan ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿਸ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ debt position ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 22-4-1958 ਤਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ 2 ਅਰਬ 6 ਕਰੋੜ ਤੇ ਕੁਝ ਲੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਲਵਾਂਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ 2 ਅਰਬ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ payment ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਰੀਬ 27 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ 2 ਅਰਬ ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਜੇਕਰ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂਦ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ 6 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ 3% ਹੀ ਸੂਦ ਲਵੇਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ordinary rate ਜੇਕਰ 3 ਹੀ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ 6 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਸੂਦ ਹੀ ਸੂਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਕੁਲ total ਖਰਚ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ $1\frac{3}{4}$ ਅਰਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤਦ ਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਣ ਨ ਦੇਈਏ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਏਨਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ੨ ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਭਾਖੜੇ ਦਾ ਅਸਾਸਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਦ ਵਿਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ debt ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਮੋੜੀਏ। ਇਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਅਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ।

[ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ]

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ State Balances ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ speech ਵਿਚੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 1957-58 ਦਾ closing balance 5 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ ਸੀ ਜੋ 1958-59 ਵਿਚ 77 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਮਾਅਨੇ ਹੋਏ ਕਿ 4½ ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ speech ਦੇ ਸਫਾ 9 ਤੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਾਲ 1958-59 ਬਾਰੇ Secretary ਦੇ Memorandum ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ..

> The year 1958-59 indicates a further deterioration. While opening with a balance of Rs 21·65 lakhs, the year will close with 13·92 lakhs.

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ 8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ resources ਖਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨ ਕੋਈ ਬਿਧ ਕਢਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ Government buildings unnecessary ਹਨ, 49 ਲੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ land ਵੇਚ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਉਹ taxes ਰਾਹੀਂ 234 ਲੱਖ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ difficulties ਹਨ ਜੋ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ overcome ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ funds ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ development schemes ਚਲਣ, ਜੋ ਆਵਾਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹਰਿਕ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ budget ਤੇ ਬਹਿਸ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਗੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਵੀ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕੁਝ ਖਰਚ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਮੋਟੀਆਂ ੨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ Resources and Retrenchment Committee ਦੀ report ਆ ਜਾਂਦੀ; ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 1954-55 ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ Estimates Committee ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। Secretariat ਦਾ staff reduce ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ Deputy Secretary, Under Secretary ਤੇ Assistant Secretary ਵਗੈਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਲੰਬੀ line ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਖਰਚ ਵਿਚ ਸਰਫਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। District authorities ਨੂੰ powers ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। (ਘੰਟੀ) Special salaries ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। Public Service Commission ਦੇ Chairman ਅਤੇ members ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇਕ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। Commissioners ਦਾ ਵੀ 4½ ਲਖ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ abolish ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਦੋ ਤਿੰਨ Financial Commissioners ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। Votable grants ਦਾ ਜੋ Princes ਨੂੰ 8, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦੋ Secretaries ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ, Ministers ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ salaries ਕੁਝ ਘਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਦੂਸਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 1,10,000 ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਲਾਂ ਹਨ । ਇਹ extravagance ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ budget balanced ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਇਥੇ ਖਰਚ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਡੀਪਾਰਟਮੇਂਟ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਗਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਇਕ ਹੋਰ item ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੀ. ਏ. ਬਾਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਕਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ reduce ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਤਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਟ ਕਰਨੀ ਇਕ ਗ਼ਲਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ restore ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ।

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਜੋ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ unproductive ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਇਤਨਾ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਮੋਤੀ ਬਾਗ਼ ਮਹਿਲ ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੇ ਆਪਣੀ candid opinion ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਬਜ਼ਿਦ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ । ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ । ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚਿਰ

[ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ]
ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੋ ਇਸ ਮੱਦ ਹੇਠ 18 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਬੰਗਲੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਸਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉਸਾਰਨ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਲੇਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀਂਦ ਦੀ ਸਮਾਧ ਲਈ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਹੇਠਾਂ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ......

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ substantive motion ਅਲਹਿਦਾ ਲਿਆਓ। (The hon. Member may bring a substantive motion in order to bring in the problem of the Upper House for discussion.)

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵਕਤ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਲਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬੈਲੰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਸਕੀਮਾਂ ਸਫਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬੈਲੰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਇਕ point ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬੈਲੰਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਇਕੋ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜ ਲੋਕੀਂ ਟੈਕਸ ਕਾਨਸ਼ਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਉਪਰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖਰਾਂ ਨਾਲ ਚੇਅਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਸੰਗਰੂਰ) : ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗ਼ੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ socialist ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ 229 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤਕ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗੇ। ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ socialist State ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਖਰਚਾਂ ਦੇ ਬਗ਼ੈਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਮੋਤੀ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਰਚ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਟੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੀ ਖਿਆਲ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Socialism ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਈ— ਘਟੋ ਘਟ 10-11 Socialist ਮੁਲਕ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ Socialism ਲਿਆਂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ।

ਵਿਦਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੋਵੀਅਤ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਕਿ ਉਥੇ ਵੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਲੀਮ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਮੁਨਾਸਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ Finance Secretary ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਮੋਤੀ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਮਹਿਲਾਤ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜੋ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਮਾਰਾਤ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ 229 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕ ਮਹਿਲ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੌਦਾ

[ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]

ਕਰ ਲਿਆ । ਕੀ ਇਹ ਮਹਿਲ ਖਰੀਦ ਕੇ Socialism ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਹ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ Socialism ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਭੁਖਿਆਂ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਹ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ ਵਿਚ Socialism ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ । ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ defend ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ Cinema Show ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ? ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਟੈਕਸ, Foodgrains ਤੇ ਟੈਕਸ, ਗ਼ੱਲੇ ਤੇ ਟੈਕਸ—ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅੰਤੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ।

ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮੱਦ ਵਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ । ਪੁਲਸ ਦੀ ਮੱਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੁਪਿਆ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਏਨਾ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ? ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੇ ਡਬੇ ਸੁਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕਿੰਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਿਆ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. inefficient ਹੈ । ਪੋਲੈਂਡ ਵਿਚ 1956 ਵਿਚ riots ਹੋਏ । ਕਿਉਂ ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਦੀ intelligence ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ । ਧਰਮ ਹਰ ਥਾਂ ਵਖ ਵਖ ਹਨ । ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ inefficiency ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਬੰਬ ਫਟਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ । ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ

ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕ Censor ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ?

ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਦੇ ਆਦਮੀ, ਜਲਸਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਘਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਕਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ । ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਯੂ-ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ intelligent ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਦੀ । ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਦਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ । ਸਾਡਾ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. staff ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ? ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਰੇਂਡ ਆਦਮੀ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Scotland Yard ਦੇ ਟਰੇਂਡ ਅਫ਼ਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਦਾ Staff inefficient ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਸਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿਗਰਟਾਂ ਕਿਧਰੋ ਸਿਟੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇ ਕਿ ਐਸਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਖੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇਤਨੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਝਗੜਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕੀ ? ਇਸ ਕਰਕੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਵੇਖੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ

[ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]

ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚਲਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਰੁਪਿਆ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੇਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਗਰ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਟਰੇਂਡ ਅਫ਼ਸਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿਤਨਾ heavy administration ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਤਨੀ administration Secretariat ਵਿਚ ਹੈ—Secretaries ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਥੇ Deputy Secretary, Joint Secretary, Additional Secretary, Under Secretary, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏਥੇ ਕਿਤਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕਿਤਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਹਦ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਸੂਬਾ ਹੈ । ਏਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਹਨ । ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ economy ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਪੁਰ ਅਸੀਂ ਏਥੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ administration ਤੇ ਐਡਾ heavy ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਸਾਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰ decentralize ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਛੋਟੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮ ਪਿਛੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਖਾਹ ਮਖਾਹ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਤਕਾਵੀ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚੋਂ ਕਰਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਉਹ ਡੀ. ਸੀ. ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ cyclostyle ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤਕ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ ਇਹ ਉੜਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗੋਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ (ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਇਹ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਹਨ ।) ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਹੜੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ

ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤਕ ਛਪੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ Tax ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾ ਖਰਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਰੁਪਿਆ heavy adm'nis.ration ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਘਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੱਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ transport ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ pool system ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚਾਇਨਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਥੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ pool system ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਥੇ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰ ਖਾਹ ਮਖਾਹ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਾਂ ਰਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ transport ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜੀਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਕ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ Block Development ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿਆ ਇਤਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਜੀਪਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ ਮੋਟਰਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤਕ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਥੇ ਵੀ ਪੂਲ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜੀਪਾਂ ਲਈਂ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਫਿਰਨ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਲਾਕ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 25 ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀ. ਡੀ. ਓ. ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। (ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਧੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਸੇਵਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ

[ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]

ਜਨਤਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ । ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਜਟ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ (ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹਨ .—

> "I would, however, like to depart from the convention of the last year and mention the name of one individual officer, who is retiring from the Finance Department during the next financial year. Shri Badri Nath Chopra would be leaving us in June, 1958, on leave preparatory to retirement after 37years of long and meritorious services to the Finance Department. I wish to place on record Government's appreciation of the work of this Officer."

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ defective budget ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ demands ਲਿਆ ਕੇ ਰੁਪਿਆ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1957-58 ਵਿਚ 4,329 ਲੱਖ ਦਾ ਕੁਲ ਬਜਟ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਸੀ 230 ਲੱਖ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ, 57 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ supplementary demand ਲਿਆਈ ਗਈ ਸੀ 129 ਲੱਖ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ 331 ਲੱਖ ਦੀ। ਸਾਰਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਸੀ 7 ਕਰੋੜ 89 ਲੱਖ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ F. D. ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮੇ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ supplementaries ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ 1958-59 ਵਿਚ ਉਹ ਕੁਲ ਬਜਟ ਹੈ 49,89 ਲੱਖ ਦਾ ਅਤੇ ਘਾਟਾ ਦਸਿਆ ਹੈ 208 ਲੱਖ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ demands ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਘਾਟਾ ਸਿਰਫ 208 ਲੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਸਗੋਂ ਵਧ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਤਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਾਟਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ supplementary demands ਲਿਆਕੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ।

ਮੈਂ ਇਕ question B & R ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਰਕਮ ਇਸ ਸਾਲ provide ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਤਨੀ surrender ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1957-58 ਵਿਚ 8,43,82,000 provide ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ surrender ਹੋਈ ਰਕਮ ਹੈ 1,80,92,000। It was surrendered on account of non-sanction/late sanction. ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ schemes ਹਨ, ਉਹ Finance Department ਦੀ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਤੱਲਕਾ ਮਹਿਕਮੇ reminder ਭੇਜ ਭੇਜ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਕੀਮਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਰੁਪਿਆ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਟਾਲਾ-ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੀ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 83,000 ਦੀ ਰਕਮ ਲੈ ਲਈ। ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ-ਛੱਤੂ ਢੀਗਾਂ ਰੋਡ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ complete ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ 1952 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1954 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ acquire ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਜ ਤਕ ਉਸ ਦਾ compensation pay ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਰਕਮ sanction ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ Finance Department ਤੇ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ simplify ਕਰੋ ਤਾਕਿ development ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਹੁਣ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ consolidation ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵਿਚ consolidation ਦਾ ਕੀ target ਰਖਿਆ ਸੀ। ਸੰਨ 1956-57 ਵਿਚ 29 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦਾ target ਸੀ ਪਰ 16 ਲੱਖ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ 1957-58 ਵਿਚ 31 ਲੱਖ ਦਾ target ਸੀ ਪਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 9 ਲੱਖ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਨਾਬ ਕਿ 1954 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰੈਲ, 1958 ਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੀ consolidation ਦਾ। ਪਰ ਉਥੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੇ ਹੀ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੂਲਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ $2\frac{1}{2}$ ਲੱਖ ਤੋਂ 3 ਲਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬਾ consolidate ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 300 ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਜਾਣ ਬੁਝਕੇ record ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ ਅਤੇ ਲੁਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਜਟ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਵਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਕਿ ਫਿਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ।

ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ Public Relations Department ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ, Bhatinda, Sangrur ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਤਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਫਤਰ ਦਾ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ। 1957-58 ਵਿਚ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਲ ਖਰਚ 2,04,537.45 n. P. ਹੋਇਆ

[ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ]

ਅਤੇ 1956-57 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ 1,02,982.9 n.P. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Rural Workers, Organizers, Supervisers ਵਗ਼ੈਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕ D. P. R. O; ਇਕ Cinema operator ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਲਰਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਖਰਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਲੁਟ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਵਿਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਥਾ ਵੇਖ ਕੇ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਖ਼ਬਾਰ staff ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ਼ਤਹਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ deserving ਅਤੇ ਵਧ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।

ਤਿੰਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਲਦੀ ਹੈ। Advance (English), ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਲਿਫਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਸਾਲੇ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ Economy ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ Director ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਖਰਚ ਘਟ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ department economy ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਉਹੀ ਚਾਲ ਬੇਢੰਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਥੀ ਸੋ ਅਬ ਭੀ ਹੈ,' ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਮੁੰਦਰਾ ਕੇਸਿਜ਼ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ। 1955 ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹੜ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਕ relief fund ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਸ fund ਵਿਚੋਂ 6,12,049-7-6 ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ 5,20,297-8-6 ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਤੇ Balance ਸੀ 91,751-15-0। ਇਹ ਰਕਮ ਮਰਜਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਲੀਫ਼ ਫੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ 91,751-15-0 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ......

(*Shame, shame, from Opposition Benches*)

ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ....

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬਕਾ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਨੂੰ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਫਲੱਡ ਰੀਲੀਫ਼ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ advance ਦਿੱਤਾ ਤਾਕਿ ਹੜ੍ਹ-ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਗਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਕਮ ਕਿੱਧਰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ

ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ । ਏਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਐਮ. ਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਏਸੇ ਹੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਸੇਵਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਸਤੂਰਬਾ ਸੇਵਾ ਮੰਦਰ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੂੰ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਲੱਡ ਰੀਲੀਫ਼ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਉਂ ਤੇ ਚੈਕ ਲੈ ਕੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ draw ਕੀਤਾ, ਫੇਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੀ. ਕੇ. ਵੱਟਲ ਨੂੰ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸੁਨਾਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ । ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੈਪਸੂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਰੀਲੀਫ਼ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਜੋ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਲ ਖੁਲ੍ਹ ਸਕੇ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਮੀਰੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰੇਟ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਦੋ ਰੁਪਏ ਫੀ ਗੈਲਨ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਪਰੌਫ਼ਿਟ ਦਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਔਰ ਹਮੀਰੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿਚ ਹਮੀਰੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ । (The hon. Member necessarily makes a reference to Hamira affairs in his speech.)

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਮੈਂ ਹਮੀਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ । ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਏਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਪਸੂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜੋ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਇਆ । ਹਮੀਰੇ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ block ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਪੈਂਤੀ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਜਾਮ ਹੋਇਆ

[ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ]

ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਸਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ । ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕਾਨੋਮੀ ਬਿਲਕੁਲ shatter ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਏਥੇ ਇਕ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ । ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੱਕਸ਼ੁਫੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕਸ਼ੁਫੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਏਥੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਬੋਝ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ।

ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਜ procurement ਦੀ ਪਾਲੀਸੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ defective ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਏਸ ਸਾਲ ਏਥੋਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ । ਜਦੋਂ rice ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ procurement ਲਈ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਗਈ । ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਉ 16 ਜਾਂ 17 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਕੇ 9 ਜਾਂ ਦਸ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚਾਵਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਚਾਵਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚਾਵਲ ਲੈਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਏਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਪਾਲੀਸੀ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ legal aid free ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁਝ discrimination ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ flood area ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਫ਼ੀਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਔਰ ਕਰਨਾਲ ਵਗ਼ੈਰਾ ਸਾਰੇ ਫਲਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਹਨ ਮਗਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਫੀਸਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਸ਼ੇਮ, ਸ਼ੇਮ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਲਫਜ਼ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਦਫਾ ਰੀਪੀਟ (repeat) ਕਰਦੇ ਹਨ। (Chaudhri Sahib has learnt a new word which he repeats time and again.)

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 21-9-57 ਨੂੰ ਫਲਡ ਰੀਲੀਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਇਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ । ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਵੀਂ ਤਕ ਫਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬੋਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਪਸੂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਰੀਲੀਫ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਰੀਲੀਫ਼ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ । ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਤਰੱਕੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਐਡਵਾਂਸ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ । (ਘੰਟੀ)

[ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ]

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਲੋਗਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ । (ਘੰਟੀ)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਬੈਲ (bell) ਨਾਲ ਸ਼ੁਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ । (Does the hon. Member think that I am playing with the bell? He may please resume his seat now.)

ठाकुर मेहर सिंह (डेरा गोपीपुर) : स्पीकर साहिब, यह जो 1958-59 का बजट हमारे Finance Minister साहिब ने पेश किया है मैं उस को उन्हें बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूं । सन् 1951-52 में हमारे पंजाब का budget 17 करोड़ रुपये का था मगर आज 6/7 साल के अर्से के बाद हमारे सूबे का budget 47 करोड़ रुपये के करीब हो गया है । इसलिए कोई भी आदमी यह चीज़ नहीं कह सकता कि जिस सूबे का budget बढ़ा है वह तरक्की नहीं कर रहा । जब हमारे सूबे का budget इस कदर बढ़ा है तो इस से साफ ज़ाहिर होता है कि हमारे सूबे ने नुमायां तरक्की की है ।

इस बजट के अंदर सड़कों का ज़िक्र किया गया है और सड़कों पर बहुत सा रुपया खर्च करने का इस budget में provision किया गया है । यह अच्छी बात है लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि जो मुबारकपुर से नादौन तक सड़क जाती है उस की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता । इस सड़क पर वहां की 10 लाख आबादी का इनहसार है । जब बारिश हो जाती है तो वह रास्ता बंद हो जाता है और उस की वजह से होशियारपुर में अगर 8 रुपये मन जिनस का rate हो तो उसी चीज़ का rate हमीरपुर में 20 रुपये मन हो जाता है । स्पीकर साहिब, यह सड़क बराबर तीन साल से पंजाब के budget में आ रही है लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि उस पर कोई काम नहीं हुआ । इस लिए मैं आप के द्वारा अपनी Ministry की तवज्जुह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जब दूसरे इलाकों में पुल या by-pass बनाए जा रहे हैं तो हमारे हां भी इस सड़क को जिस का मैं ने ज़िक्र किया है ठीक किया जाए । स्पीकर साहिब, मेरे इलाके के बहुत से लोग फौज में service करते हैं । अगर वह बरसात के मौसम में 10, 15 दिनों की छुट्टी ले कर अपने घर जाने के लिए आएं तो वह रास्ता बंद होने की वजह से, सैलाब की वजह से अपने घरों तक नहीं पहुंच सकते । उन बेचारों की सारी छुट्टी वैसे हो ज़ाया हो जाती है और वह मायूस हो कर वापस चले जाते हैं । इस साल भी यह सड़क budget के अंदर आई है । इस लिए मैं दरखास्त करूंगा कि इस का काम इसी साल से शुरू हो जाना चाहिए ।

दूसरे मैं अर्ज़ करूंगा कि सेम के बारे में बहुत सारी रियायतें दी गई हैं और मैं समझता हूं कि यह निहायत अच्छा कदम है और इसकी सराहना करता हूं । लेकिन इसके साथ मैं यह भी कहूंगा कि हमारे हां हलदून के इलाके में इतनी

जंगली गाएं फिरती हैं कि उन्हों ने सारे इलाके को तबाह बरबाद कर दिया है । लोगों ने इस बारे में काफ़ी representations की हैं मगर उनको किसी किस्म की कोई रियायात नहीं दी गई हैं । वहां हालत यह है कि जंगली गायों की वजह से—जो कि वैसे तो पालतू थीं लेकिन चूंकि खुली छोड़ दी हुई हैं इस लिए अब जंगली ही हैं—लोग उजाड़े जा रहे हैं और फसलें तबाह हो गई हैं मगर उनको कोई रियायत बावजूद representations के नहीं मिली है । तो मैं कहूंगा कि या तो सरकार उनका कोई प्रबंध करे या उन लोगों को मालिए में माफी दे । ऐसा करना बहुत ज़रूरी है ।

फिर इस बजट के अन्दर तालीम के बारे में काफ़ी provision रखा गया है । यह बड़ी अच्छी बात है । यह बात भी ठीक है कि गवर्नमैंट ने तमाम local bodies के सकूलों को provincialise कर दिया है । लेकिन आज हालत यह है कि वह स्कूल सिर्फ़ मास्टरों पर ही निंभर करते हैं । मेरा ख्याल है कि शायद उन पर किसी का भी control नहीं रहा है क्योंकि मास्टर ग़ैर हाज़र भी रहते हैं तो कोई नहीं पूछता है । मैं तमाम इलाके में फिरता हूं और मैं ने अकसर देखा है कि वहां स्कूलों में मास्टर ग़ैर हाज़र पाए जाते हैं । तो मैं अर्ज़ करूंगा कि जहां यह स्कूल provincialise हुए हैं और मास्टरों की service provicialise हुई है वहां उन का तबादला भी provincialise होना चाहिए ताकि मास्टर अपने घरों में ही न बैठे रहें । मैं ने देखा है कि कई कई मास्टर ऐसे हैं जो बीस बीस और पच्चीस पच्चीस साल स एक ही गांव के अन्दर पढ़ा रहे हैं और उनका कभी तबादला नहीं हुआ । इसी तरह मेरे ज़िला में पता नहीं क्या बात है कि किसी का तबादला ही नहीं किया जाता । जो एक दफा लग गया वह वहीं रहता है । वहां मेरे ज़िला में जो District Inspectress of Schools लगाई हुई है वह पांच छः साल से वहां पर लगी हुई है और तबादला नहीं किया गया । अगर किसी की सिफ़ारिश पहुंच जाती है तब तो लड़कियों को उनके अपने घर में ही गांव के स्कूल में लगा दिया जाता है और अगर किसी की सिफारिश न पहुंचे तो उसे वहां से 20 या 25 मील दूर किसी गांव के स्कूल में लगाया जाता है और कोई पूछने वाला नहीं। उसका भी तबादला होना चाहिए । तो मेरे कहने का मतलब है कि इन पर control रखा जाए और देख भाल रखी जाए । हर किसी को इन्साफ़ मिले और यह न हो कि एक तो सारी उम्र अपने घर में ही गांव के स्कूल में service पूरी कर के retire हो जाए और एक जिसकी सिफारिश न हो उसे हर 8, 10 महीने के बाद तबदील कर दिया जाए । ऐसा नहीं होना चाहिये । जहां गवर्नमैंट की तरफ से इन स्कूलों पर इतना खर्च किया जाता है वहां पर यह भी ज़रूरी है कि इन पर control भी किया जाए ।

इस के अलावा आबपाशी पर काफ़ी खर्च किया जा रहा है । लेकिन मुझे इस बात का अफसोस ज़रूर है कि हमारे ज़िला की तरफ इस सिलसिले में कोई तवज्जूह नहीं दी गई है। वहां आबपाशी

[ठाकुर मेहर सिंह]

के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। वहां पर ऐसी खड्डें हैं कि अगर उन पर बांध बना दिए जाएं तो हज़ारों घुमाओं ज़मीन सैराब हो सकती है और भारी फसलें पैदा की जा सकती हैं। लेकिन जो आबपाशी के लिए मौजूदा कूल्हें हैं उनकी हालत भी निहायत खस्ता है। हमारे हलदून के इलाके में डक्करा कूल्ह और राज नाला कूल्ह सैकड़ों बरसों की पुरानी कूल्हें हैं मगर आज उनकी हालत बहुत बुरी है। कई दफा सरकार की तवज्जुह उनकी तरफ दिलाई गई मगर उनको ठीक करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं फिर सरकार से अर्ज़ करूंगा कि उनकी तरफ तवज्जुह ी जाए और देख भाल का बन्दोबस्त करना चाहिए।

इस बजट म कुछ ऐसे टैक्स लगाए गए हैं जैसे कि दाल और आटे पर। मैं इनको मुनासिब नहीं समझता। इस टैकस की बजाय सरकार और कई तरीकों से रुपया वसूल कर सकती है। यह ठीक है कि टैक्सों का लगाना ज़रूरी है क्योंकि वगैर पैसे के कोई तामीरी काम नहीं हो सकता है लेकिन दाल आटे पर जो टैक्स लगाया जा रहा है इस को न लगा कर भी सरकार अपने रुपए की कमी को पूरा कर सकती है। एक तरीका मैं बताता हूं। मैं ने सफर करते वक्त अक्सर देखा है कि सड़कों के किनारे किनारे सैकड़ों मीलों तक सूखे दरख्त खड़े हैं लेकिन उनको कोई काटता नहीं है क्योंकि सरकार उनको नीलाम ही नहीं करती है और वह उसी तरह खड़े २ सड़ कर ज़ाया हो जाते हैं। अगर आप फगवाड़ा से होशियारपुर तक सफर करें तो देखेंगे कि हज़ारों की तादाद में इस तरह के सूखे दरख्त खड़े हैं और बरबाद हो रहे हैं। अगर सरकार उन सब दरख्तों को नीलाम कर दे तो काफी आमदनी हो सकती है। यह तो मैं ने एक मिसाल दी है। इस तरह के और भी कई तरीके ढूंढे जा सकते हैं जिन से रुपया हासिल करके बजट की कमी पूरी की जा सकती है। इस लिए मैं कहूंगा कि यह जो दाल आटे पर टैक्स लगाया गया है इस को हटा कर दूसरे ऐसे तरीके तलाश करके रुपया हासिल किया जा सकता है।

मैं अब private स्कूलों के बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं। जो private स्कूल हैं इन के अन्दर भारी scandal चल रहा है। मुझे अच्छी तरह पता है कि जितने भी private basic स्कूल हैं उनमें मास्टरों को तन्खाह तो 50, 60 रुपए दी जाती है लेकिन उनसे रसीदें 150 या 200 रुपए की बनवाई जाती हैं। वहां पर बड़ी भारी बेइमानी चलती है। मैं सरकार से कहूंगा कि वह उनको अपने कब्ज़े में ले ले। अगर एसा सिलसिला चलता रहेगा तो उस तालीम का कोई फायदा नहीं होगा। अगर सरकार उनको अभी नहीं ले सकती तो टीचर वहां पर ज्यादा होने चाहिएं और सरकार की मंज़ूरी से रखे जाएं। मगर मैं तो इस बात पर ज़ोर दूंगा कि सरकार उन को अपनी तहवील में ले ले। इस सिलसिले में यह करना चाहिए कि जिस जगह पर दो स्कूल हैं—एक गवर्नमैंट और दूसरा private—तो वहां से private स्कूल को हटा कर गवर्नमैंट ही रहने देना चाहिए। जहां पर सिर्फ एक ही स्कूल है

और वह private है तो वहां पर या तो गवर्नमैंट उस स्कूल को अपनी तहवील में ले ले या फिर अपना स्कूल खोल दे ताकि वहां जो बच्चे पढ़ें उनके साथ भी वही रियायतें होनी चाहिएं जो कि दूसरे गवर्नमैंट स्कूलों में मिल रही हैं । इस के अलावा एक और बात मैं, स्पीकर साहिब, आप के ज़रिये मंत्रिमण्डल के notice में लाना चाहता हूं कि कई काम ऐसे हैं जिन में बहुत देरी हो गई है और हो रही है । 1955 में Public Relations Committee की meeting में यह फैसला हुआ था कि अगर 10, 12 हज़ार रुपया पब्लिक इकट्ठा करेगी तो Rakkar Public High School को 3,500 रुपए दिए जाएंगे । बावजूद इस बात के कि वहां के लोगों ने 15, 20 हज़ार रुपया इकट्ठा किया है और खर्च किया है, वह 3,500 रुपया जो मंज़ूर हुआ था वह आज तक नहीं मिला है । पता नहीं वह कहां गया है । काम अभी वहां पर अधूरा पड़ा हुआ है । अगर इस बरसात से पहले पहले वह रुपया न मिला तो जो 15, 20 हज़ार रुपया लोगों ने लगाया है वह बरबाद हो जाएगा । इस की तरफ भी सरकार को तवज्जुह देनी चाहिए......... ..

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੋਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵਾਲੀ ਗਲ ਵੀ ਕਰੋ।

ठाकुर मेहर सिंह : चौधरी साहिब, फिक्र न करें वह भी कर रहा हूं । हमारे ज़िला कांगड़ा में तहसील हमीरपुर एक बड़ी भारी तहसील है । वहां सरकार ने एक sub-division बना कर जनता की बड़ी भारी सेवा की है और मैं इस के लिए सरकार को बधाई देता हूं । एक बात मैं और अर्ज़ करना चाहता हूं और वह यह है कि अभी चंद दिन हुए सुनने में आया है कि भाखड़ा डैम के पास ज़िला कांगड़ा का एक गांव कोसड़ था उस को तहसील ऊना में शामिल कर लिया गया है। यह बहुत बुरी बात है। पहले तो वह कांगड़ा में रहा मगर जब भाखड़ा डैम बन गया तो इसे दूसरे इलाके में कांगड़ा से निकाल कर शामिल कर लिया है । कांगड़ा के लिए यह बड़ी इज़्ज़त की बात थी क्योंकि बहुत दूर दूर से और दूसरे मुल्कों से लोग इसको देखने आते हैं । यह कांगड़ा के लिए बड़ी इज़्ज़त की बात थी और काफी मशहूरी थी । वहां के लोगों में इस बात की बड़ी भारी नाराजगी पाई जाती है और वह इस बात का इन्तज़ार बड़ी बेताबी से कर रहे हैं कि कब इस गांव का अंदराज ज़िला कांगड़ा में हो । अगर नज़मो नसक के लिहाज़ से भी देखा जाए तो भी कोई बात नहीं क्योंकि वहां बडसर में सब तहसील खोली गई है और वहां नज़मो नसक में कोई फर्क नहीं पड़ता है ।

पुलिस के बारे में मेरे कुछ भाइयों ने कहा है कि यहां की पुलिस बहुत निकम्मी है और यहां की C.I.D. फेल हो चुकी है । मैं समझता हूं कि अगर यहां की C.I.D. फेल है तो दुनिया की कोई भी C.I.D. कामयाब नहीं है (*Cheers from the Treasury Benches*) यहां की C.I.D. अगर निकम्मी होती तो शेख अब्दुल्ला को दो

[ठाकुर मेहर सिंह]
घंटे .... (bell) (*Interruptions from the Opposition*) चलो मैं इस बात को छोड़ता हूं ।

यहां की पुलिस और सी. आई. डी. बेहतरीन है । आप को पता होगा कि पिछले दिनों में जो हालात पैदा हुए उसका मुकाबला हमारी पुलिस ने निहायत efficiency से किया । पंडित श्री राम जी ने एक बी.ए., बी.टी. मास्टर का ज़िक्र किया और कहा कि गमले में टट्टी डालकर उन के मुंह पर बांधी गई । मैं कहता हूं कि मुझे अच्छी तरह पता है कि किस तरह से लोगों को सबक सिखाया जाता है । यह लिखो पढ़ो बात थी । आपोज़ीशन के लीडर ने अपनी आंखों से नहीं देखी थी । मुझे पता है कि इस तरह की बातें गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिये की जाती हैं । इन शब्दों के साथ आप का ज़्यादा समय न लेता हुआ मैं आप का धन्यवाद करता हूं ।

5 p.m.

अध्यक्ष महोदय: आपोज़ीशन ने सवा घंटा लिया है और इधर अभी 40 मिनट हुए हैं । इस लिये मैं चाहता हूं कि समय का बैलेंस रखा जाए । बलदेव प्रकाश जी, आप कल बोल । आप कल बहस initate करें तो अच्छा होगा । (Opposition Benches have taken $1\frac{1}{4}$ hours and the Treasury Benches have taken 40 miniutes as yet. I want that the equilibrium in the allotment of time should be maintained. I would ask Dr. Baldev Parkash to initiate the debate to-morrow. That would be better.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश: स्पीकर साहिब, जो कुछ आप ने कहा है ठीक है ।

अध्यक्ष महोदय: इसके अलावा मैं उन साहिबान को preference दूंगा जिन को पहले मौका नहीं मिला । यह मैं ने वायदा किया था और हाउस ने accept किया था । (Besides, I would give preference to those hon. Members who did not get an opportunity to speak previously I gave them this word and the House agreed to it.)

चौधरी धर्म सिंह राठी: जो मन्त्री साहिब जवाब देते हैं उस को भी हिसाब में लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय: वह भी आ जायेगा । (That, too, will be taken into account).

चौधरी बब्बेल सिंह (बुटाना) : स्पीकर साहब, आज हाउस में इस साल का बजट पेश है और उस पर बहस चल रही है । बजट के सम्बन्ध में कुछ भाई कहते हैं कि यह बहुत बेहतरीन बजट पेश किया गया है और कुछ साहिबान का ख्याल है कि यह किसी भी काम का या अच्छा बजट नहीं है । मेरा अपना

विचार यह है कि बजट में कुछ बातें ऐसी भी हैं जो अच्छी हैं। जो बातें अच्छी हैं उन्हें हम अच्छा कहेंगे। लेकिन बहुत कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन्हें इस बजट में पेश करने के लिए मैं उन्हें बधाई नहीं दे सकता। बहुत कुछ अखराजात ऐसे हैं जो बिल्कुल नाजायज़ और गलत ढंग पर किए जा रहे हैं। बजट को सरसरी नज़र से देखने पर और फाइनैंस मिनिस्टर की बजट स्पीच पढ़ने से हम इस नतीजा पर पहुंचे हैं कि यह बजट surplus budget नहीं है बल्कि दरअसल खसारे का बजट है। लोगों पर बहुत से टैक्स लगा दिए गए हैं। मुझे अच्छी तरह इस बात का ध्यान है कि जो मेम्बर साहिबान अब इस छोटे से 'ब्रेक' में अपनी constituency में गए हों उनको इस बजट की स्पीच के सम्बन्ध में अपने वोटरों से क्या कुछ सुनना पड़ा होगा। मुझे मालूम है कि लोगों में इन टैक्सों से कितनी खलबली और बेचैनी पाई जाती है।

(At this stage Mr. Deputy Speaker occupied the Chair.)

5-05 P. M.

इन हालात में मैं अपने फाइनैंस मिनिस्टर को इस बजट के पेश करने पर मुबारिकबाद देने से मजबूर हो जाता हूं। बात यह है कि development का काम करने के लिए हकूमत को रुपये की ज़रूरत है। हरेक समझदार आदमी इस बात को मानेगा और यह ठीक बात है। लेकिन सवाल पैदा यह होता है कि उस रुपया को जो हकूमत लोगों से वसूल करती है, ठीक ढंग पर खर्च भी किया जा रहा है या नहीं। अगर हकूमत लोगों के गाढ़े पसीने की कमाई अन्धा धुन्ध खर्च करती है या बिला सोचे समझे खर्च करती है तो वह कभी भी लोगों की हकूमत या प्रजातंत्रात्मक राज्य कहलाने की हकदार नहीं। यह ठीक है कि देश की तरक्की के लिए और नई नई स्कीमें रायज करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और रुपया टैक्सों से हासल होता है लेकिन उसके साथ यह देखना भी ज़रूरी है कि रुपया फजूलखर्ची में ज़ाया न हो बल्कि जनता की भलाई पर खर्च हो। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि जब हम देखते हैं कि हमें पैसे की सख्त ज़रूरत है तो उसके बावजूद भी भारी तनखाहें अफसरों को दी जा रही हैं। जब reduction का सवाल आता है तो चन्द चपड़ासी और चौकीदार निकाल दिये जाते हैं और कह दिया जाता है कि हम ने retrenchment कर दी है लेकिन दूसरी तरफ़ नये नये महकमे, नये नये heads बनाए जा रहे हैं। Forest Department पर लाखों रुपये खर्च हो रहे हैं, मुझे खुद पहाड़ों म जा कर देखने का इत्तफाक हुआ है। मैं ने देखा है कि वहां जो plantation हुई है वह किसी काम की नहीं और वह successful नहीं हो सकी। Check dam, gully plugging और water holes बनाए जा रहे हैं। रास्ते बनाए जा रहे हैं—सिर्फ इसलिये कि उन पर Forest Officers की जीपें चलेंगी लेकिन Forest Officers वहां जाते कितनी बार हैं यह पता

[चौधरी चम्बेल सिंह]

नहीं लगा। मुझे यह देखने का मौका मिला है । फारेस्ट अफसरों का यहां पर हाई कोर्ट के सामने कैम्प लग जाता है। हफ्ता हफ्ता वे यहां इकट्ठे होते हैं और बाद में भारी टी. ए. वसूल कर के चले जाते हैं। समझ में नहीं आता कि वे करते क्या हैं। Forest Rangers 120 रुपये महीना तनखाह लेते हैं लेकिन उन की आमदन 350 रुपये महीना तक चली जाती है। हजारों रुपये अफसर वसूल कर रहे हैं। हमारे बजट में economy तभी हो सकती है अगर हम अपने अखराजात को कण्ट्रोल करें। जब तक हम अखराजात को curtail नहीं करेंगे सूबा खुशहाली की तरफ नहीं जा सकता, चाहे आप हजारों development की स्कीमें चलाएं। मैं इस बात से भी इन्कार नहीं करता कि इस वक्त सूबे में मुख्तलिफ development की स्कीमें चल रही हैं और उम्मीद है कि लाभ भी होगा लेकिन जितना खर्च हो रहा है उस का मुकाबला अगर results से किया जाए तो कुछ भी नहीं निकलता। आप development blocks को लीजिए इन में establishment पर इतना ज्यादा खर्च हो रहा है, अफसरों की तनखाहों को देखा जाए और उस का मुकाबला काम से किया जाए तो वह नफी के बराबर रह जाता है। चन्द एक model villages बना दिए जाते हैं और बाहर से जो distinguished visitors आते हैं उन्हें दिखा दिए जाते हैं लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक ब्लाक के अन्दर 40 माडल विलेजिज़ होते हैं उन में से चन्द एक को छोड़ कर बाकी सब निहायत dirty villages आप को मिलेंगे जिन्हें शायद आप देखना भी पसंद न करें। इस से क्या आप यह समझते हैं कि हिन्दुस्तान की खुशहाली हो सकेगी? Development Blocks बना कर और फ़जूल खर्च करके देहात को सही मायनों में उन्नत कर सकेंगे मुझे तो इस में शक है।

Education के सम्बन्ध में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। मैं तो शुरू से इस राय का रहा हूं और तकरीबन इस डीपार्टमेंट में बतौर हैडमास्टर 25 साल काम किया है और मैं इस नतीजा पर पहुंचा हूं कि गवर्नमेंट को स्कूल लेने से फायदा नहीं होगा जब तक गवर्नमेंट सही मायनों में निगरानी न करे। मैं ने बजट सेशन में भी कहा था और मैं देखता हूं कि जो स्कूल म्युनिसिपल बोर्डों के provincialise किये गए हैं उन की हालत बहुत बुरी है।

बेसिक ट्रेनिंग के मुतअल्लिक मैं अर्ज़ करूं कि वारधा स्कीम पर गान्धी जी ने जो विचार ज़ाहर किए थे मुझे उन को सुनने का मौका हुआ। सनातन धर्म हाई स्कूल में उन का व्याख्यान था। उन्हों ने ठीक विचार रखे और कहा कि सरकार इस में कुछ नहीं करेगी, आप लोग individual कोशिश करें। मैं समझता हूं कि अगर लोगों को basic education दी जानी है तो क्यों न गवर्नमेंट इस पर खर्च करे और देखे कि आया basic education स्कूलों में impart भी हो रही है या नहीं, basic trained teachers को ज़रूरी सहूलियात भी हासिल

हैं या नहीं और कि वारधा स्कीम के मुताबिक सही education impart हो रही है या नहीं? यह भी देखने की बात है कि basic schools से कितने carpenters निकले हैं और कितने लोहारों ने training हासिल की है। मेरे ख्याल में एक भी ऐसा मिसाल नहीं होगी। इन स्कूलों में भी वही तरीका रायज है जो ordinary schools में है। लड़के कहते हैं कि स्कूलों में जरूरी सामान नहीं और गवर्नमेंट ने कोई मारके का काम नहीं किया कि उसे मुबारिकबाद दी जा सके। अगर गवर्नमेंट ने सही तौर पर काम करना है तो जिन स्कूलों में basic trained teachers मुकर्रर किये गये हैं वहां पूरा सामान भी दिया जाये और उन की सख्त निगरानी की जाये। गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि खर्च right direction में हो रहा है या नहीं।

अब मैं कुछ शब्द Law and Order के मुतअल्लिक कहना चाहता हूं। मुझे तो एक ही तजरुबा है Law and Order का और वह यह है कि इत्तफाक से मैं थानेसर शहर में बीमार था। वहां तीन रात लगातार डकैती और कतल की वारदातें होती रहीं। वहां C.I.A. के स्टाफ के अलावा डिप्टी सुपरिंटैंडेंट पुलिस और शहर में पुलिस चौकी होने के बावजूद दो मील के radius के अंदर तीन successive nights में कतल की वारदातें हुईं और फिर भी हकूमत कहती है कि Law and Order की पोज़ीशन अच्छी है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। Law and Order का मतलब यह है कि लोगों का माल और जान सुरक्षित रहे। इतना panic था इन देहात के अंदर! जब वज़ीर साहिबान को वहां जाने का मौका हुआ तो लोगों का एक deputation उन्हें मिला और उन से दरख्वास्त की कि उन्हें हथियारों के licence ज़्यादा तादाद में दिये जायें। अगर लोगों को यह विश्वास हो कि पुलिस उन की हिफ़ाज़त कर सकेगी तो मैं licences दिये जाने की ज़रूरत ही नहीं समझता। जहां तक Law and Order का ताल्लुक है यह जरूर deteriorate हुआ है और crime की तादाद घटी नहीं [घंटी की आवाज़] जनाब डिप्टी स्पीकर साहिब, मुझे दो मिनट और दीजिए और इस के बाद मैं अपनी तकरीर समाप्त कर दूंगा। मैं कुछ शब्द agriculture के बारे में भी कह देना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि Agriculture Department वालों को शिकायत ज़रूर है कि उनको तनखाहें कम मिलती हैं। अगर हकूमत उन्हें तनखाहें ज़्यादा दे दे तो हमें कोई एतराज़ नहीं। मैं समझता हूं कि low-paid को तनखाहें ज़रूर ज़्यादा मिलनी चाहियें। लेकिन सवाल पैदा होता है कि वह काम क्या करते हैं। जब जब Agriculture के सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट में meeting होती थी तो इस department का representative उस में होता था लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वह एक दफा भी satisfy नहीं कर सका कि वह महकमा ठीक ठाक काम कर रहा है। जो बीज इस महकमे की तरफ से दिया जाता है वह नाकिस किस्म का होता है। पिछली दफा बीज Supply करते वक्त

[चौधरी चम्बेल सिंह]

assurance दी गई थी कि इस बीज के अन्दर काले दाने नहीं निकलेंगे लेकिन खेतों में जाकर देखा तो काले दाने थे । अगर महकमा बीज अच्छा supply नहीं करता तो पैदावार अच्छी होने की कब उम्मीद की जा सकती है ? इस के अलावा अगर जमीदार को 17/18 रुपए मन के भाव पर बीज supply किया जाये और बाद में उसकी पैदावार 14/15 रुपये मन के हिसाब से बिके तो ज़मींदार को क्या लाभ प्राप्त हो सकता है ? फिर Agriculture Inspector को इतने गांव दे दिये गये हैं कि वह ज़िला के एक एक गांव में नहीं जा सकता। मेरे गांव वालों ने कभी Agriculture Inspector का नाम सुना नहीं । यह उस Department की हालत है । वह लोग तनखाहें मांगते हैं लेकिन काम कुछ भी नहीं करते । इसलिए मैं गवर्नमैंट से दरखास्त करता हूं कि वह देखे कि जो खर्च वह महकमों पर कर रही है वह ठीक ढंग से हो रहा है या कि नहीं। यह ज़रूरी है कि बजट में जो रुपया provide किया जाता है उस का जायज़ और सही इस्तेमाल किया जाए वरना हम हर साल गवर्नमैंट के बजट की नुक्ताचीनी ही सुनते रहेंगे और जनता की कोई ठोस सेवा नहीं कर सकेंगे ।

श्री रुप सिंह फूल (हमीरपुर, रिज़र्वड) : बजट जो पेश किया गया है वह हमारे सामने है । इस के बग़ैर मुताला से मालूम होता है कि :--

बहुत पहले हम इन कदमों की आहट जान लेते हैं।
तुझे ऐ ज़िन्दगी हम दूर से पहचान लेते हैं ।।

यह बजट क्या है—एक truck load of taxation है । यह जम्हूरी निज़ाम के मुआफिक नहीं बल्कि उस के खिलाफ है । इस बजट में कहीं यह दर्ज नहीं किया गया कि Socialistic pattern of Society का जो ध्येय है कि under-developed या un-developed इलाके जो स्टेट के अन्दर हैं उन्हें पहले तरक्की याफ्ता बनाया जाना चाहिये मसलन पहाड़ी इलाके । इस बजट में यह भी कहीं इशारा नहीं कि गवर्नमैंट ने क्या measures adopt किये हैं । खैर ! इस पर तबसरा करने से पेशतर मैं इस बजट के मुतअल्लिक जो general view है वह ज़ाहिर करना मुनासिब समझूंगा ।

सब से पहले यह बात है कि जो नज़मो नसक आज सूबे के अंदर है उस के मुतअल्लिक यह कहा जाता है कि it is due to inefficiency on the part of Services लेकिन मैं कहता हूं कि अगर Services efficient न होतीं तो हुकूमत का भट्ठा कई महीने पहले बैठ गया होता । आपने देखा है कि 1947 के बाद मुख्तलिफ महकमों के अन्दर काम तीन चार गुना बढ़ गया है लेकिन clerical staff जो काम करता है उसमें proportionate इज़ाफा नहीं हुआ। It is physically impossible for a clerk to carry on with three or four times work. इस के अलावा जब staff

में कमी हो तो Service में efficiency नहीं आ सकती। आप ने देखा होगा कि पहले अंग्रेज़ों के वक्त जब कोई दरखास्त देता था तो उस दरखास्त का जवाब दरखास्त देने वाले के पास आ जाता था। अब हालत यह है कि दरखास्त आगे आगे जाती है और दरखास्त देने वाला पीछे पीछे चलता है। इस के बावजूद भी उस की दरखास्त का जवाब उसे नहीं मिलता। यह कोई अच्छे नज़मो नसक की निशानी नहीं। इसके अलावा अफसरों की यह हालत है कि They are nick-named, they are throttled, they are threatened and abused in the presence of their subordinates and the public and hence the reason why we cannot expect efficiency without any encouragement from the services. Services too deserve encouragement and appreciation for their good and honest discharge of duty.

अब हम ने देखा कि private अदारे यानी तालीमी private अदारे छोड़ दिए परन्तु local bodies के अदारे गर्वनमैंट ने अपने तहत ले लिए। Private अदारों की वजह से ही तालीम में फरोग़ हुआ मगर उन के साथ जो सौतेली मां का सा सलूक हुआ उस की मिसाल इस ही गवर्नमैण्ट के पास मिलती है। कांगड़ा में 22 private schools चलते हैं लेकिन गवर्नमैण्ट के स्कूलों में आठवीं जमात तक फीस माफ है इसलिए इन private schools में तुलबा नहीं जाएंगे। इस पसमांदा इलाके में जहां 10/15 मील के फासले पर कोई हाई स्कूल नहीं लोग गुरबत की वजह से अपने बच्चे दूसरे स्कूलों में दूर नहीं भेज सकते। इस तरह वह लोग अनपढ़ रह जाएंगे। गवर्नमैंट ने Local Bodies के अदारों को अपनी तहवील में लिया है। मगर यह स्कूल under-staffed हैं। Single-teacher Primary School में 300 लड़के एक teacher के पास पढ़ रहे हैं। ऐसी हालत में स्कूलों में क्या तालीमी म्यार ऊंचा होगा? और तो और इन गवर्नमैंट स्कूलों में science का सामान वहां नहीं है। इसके अलावा इन Government स्कूलों में लड़कों के बैठने के लिए भी कोई सामान नहीं है। तो क्या ज़रूरत थी इन स्कूलों को provincialise करने की? सरकार ने जो चला चलाया काम था वह बिगाड़ दिया है।

हस्पतालों की यह हालत है कि कहीं हस्पताल ही नहीं और जहां हैं वहां 20, 20 हज़ार की आबादी के लिए 90, 98 या 102 रुपये सालाना की दवाइयां दी हैं। तहसील हमीरपुर की constituency में 20,25 हज़ार आदमियों के लिए एक जगह बडसर में एक dispensary है। वहां पिछले साल 98 रुपये की दवाइयां मुहैया की गईं। इसका मतलब है कि Government अपनी चाल भूल गई है। जहां हस्पताल में काफी दवाइयों का इंतज़ाम किया गया है वहां doctor ही कई कई महीने

[श्री रूप सिंह फूल]

नहीं लगाए जाते हैं। कई डाक्टर ऐसे हैं जिन के मुतअल्लिक सुना जाता है कि वे किस तरह local chemists से मिल कर, उनसे commission ले कर फायदा उठाते हैं; सरकारी दवा को मुकामी दवाफरोश द्वारा बेच कर पैसे हज़म करते हैं। इस तरह दवाइयां फरोख्त होती हैं। जिन गरीबों के लिये वे दवाइयां मुहैया की गई हैं वे उन्हें नसीब नहीं होतीं। अच्छी तथा कीमती दवा गरीबों को नहीं मिलती।

पंजाब के अंदर Transport की यह हालत है कि नंगल से चंडीगढ़ 87 मील आना हो तो सवा दो रुपये देने पड़ते हैं। हमीरपुर से धर्मसाला 56 मील जाना हो तो वहां का किराया पौने पांच रुपये है। जो यह ढंढोरा पीटा जाता है कि हम पसमांदा इलाके की बेहतरी और तरक्की का काम करते हैं, उसकी यह हालत है कि अगर यहां मोटर का किराया एक रुपया हो तो पहाड़ी इलाका में दो रुपये हो जाता है हालांकि वहां पक्की सड़कें भी कहीं कहीं हैं पर किराया उन पर ज्यादा है। जहां पंजाब में मैदानी इलाके में कच्ची सड़कें हैं उन सड़कों पर भी मोटर किराया पहाड़ी कच्ची सड़कों पर मसलन कांगड़ा की सड़कों के मोटर किराया को निसबत बहुत कम है।

तहसील हमीरपुर में 20 हाई स्कूल हैं। वहां कोई Degree College कायम नहीं किया। ब्यास एक दरिया है। उस पर सुजानपुर और नादौन के मुकामों पर पुल नहीं। फौजियों को अकसर छुट्टी आना पड़ता है। बरसात में वे पांच २, छः २ दिन वहां रुके रहते हैं। अभी तक हमारी सरकार ने वहां पुल तामीर नहीं किए। अंग्रेजों की हुकूमत के वक्त वहां यह हालत थी कि वे इस पसमांदा इलाके को develop नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें वहां से recruits मिल जाते थे। मगर आज हमारी हुकूमत भी उस इलाके के साथ वैसा ही स्लूक कर रही है जैसा अंग्रेजों के राज में होता था। सरकार लाखों नहीं, करोड़ों रुपया development पर खर्च कर रही है। अगर सच पूछो तो किसी गांव की development नहीं हो रही। अगर development हो रही है तो development के staff की जिसमानी development हो रही है। खास कर ग्राम सेविकाओं की development हो रही है। कुंवारी नौजवान लड़कियों को ग्राम सेविका बना कर ग्राम २ में भेजने से ग्रामों की तरक्की न होगी। होगा तो कुछ और ही। अधेड़ उमर की औरतों को ग्राम सेविकाएं trained करके ग्रामों में भेजना चाहिए। यह नौ उमर लड़कियां ग्रामों की development नहीं कर सकतीं। बल्कि अधेड़ उमर की औरतें जो हैं वे ग्राम सेविकाओं का काम अच्छा कर सकती हैं। इसके अलावा एक और नामुनासिब काम art और culture के नाम से किया जाता है। हर जगह इसका बहाना बनाया जाता है और स्कूलों की कन्याओं से नाच कराया जाता है। लोग कहते हैं कि मैं भी कलाकार हूं और कवि भी हूं और मैं भी चाहता हूं कि artist को हौसला अफज़ाई मिले मगर मैं यह बरदाश्त नहीं कर सकता कि कोई अफसर जाये, कोई वज़ीर जाए, या कोई

Secretary जाए, जिसको कि पता तक नहीं कि नाच क्या कला है, वहां हमारी नौजवान लड़कियों को नचाना शुरू कर दिया जाये ; खाह दोपहर हो, रात हो या सुबह हो । हमारी Government का यह तरीका अच्छा नहीं है । यह art के साथ इन्साफ नहीं हो रहा न culture के साथ । कांगड़ा में painting जैसा art है जिसका दुनिया में सानी नहीं । उसको फरोग देने के लिए Government ने कोई इंतज़ाम नहीं किया । Kangra School of Painting की वजह से भारत का नाम आज भी संसार भर में माननीय है ।

एक और बुरी बात है । आज कल उद्घाटनों का ज़माना आ गया है । जहां कहीं कोई भी काम, सड़क वगैरह Government के खर्च से बने या public की तरफ से तो वज़ीर साहिबान वहां पहुंच जाते हैं और उन का उद्घाटन शुरू कर देते हैं । हज़ूर अगर इन उद्घाटनों की यही हालत रही तो एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि यह वज़ीर साहिबान ब्याह शादी में घूंघट का उद्घाटन भी किया करेंगे । (हंसी) । यह उद्घाटन वहां करना चाहिए जहां लोगों पर किसी तरह का psychological effect भी हो, जहां लोग वज़ीरों के जाने और उद्घाटन करने से उत्साहित हों । जहां कोई हस्पताल नहीं, सड़क नहीं, पुल नहीं, दुशवार गुज़ार रास्ते हों, वहां अगर कोई काम कर दिया जाए, या वहां भारत सेवक समाज के मातहत कोई काम किया गया हो, उसका उद्घाटन किया जाए । वहां वज़ीर साहिब या बड़ा अफसर कोई जा कर जनता को उत्साहित करे तो लाभ हो सकता है । यह मर्ज़ Secretaries में भी आ गया है । दो तीन साल का अर्सा हो गया है । मैं नाम नहीं लेना चाहता । यहां से पंजाब के एक Secretary जी को कुल्लू के सेब खाने का शौक हुआ तो वह कांगड़ा के करीब एक स्कूल का पत्थर रखने का उद्घाटन करने गए । मगर अफसोस कि that was the first and the finishing stone उसके बाद Secretary साहिब ने पूछने की तकलीफ़ गवारा नहीं की कि जिस पत्थर को वह अपने दस्ते मुबारिक से वहां रख आए थे आया उस स्कूल बिलडिंग की तामीर मुकम्मल हुई या नहीं । मैं तो कहता हूं कि वह वहां कुल्लू देखने के लिए गए थे । उन को स्कूल बिलडिंग से कोई मतलब ना था ।

आज कल ज़्यादा तर काम पंचायतों के ज़रिये हो रहा है । Co-operative Societies को फ़रोग दिया जा रहा है । मगर जो Co-operative Inspectors हैं या Sub-Inspectors हैं या तहसील पंचायत अफसर हैं या District पंचायत अफसर हैं वे एक तहसील में एक या दो हैं । चार चार,पांच पांच या सात सात सौ पंचायतों की supervision अकेला District Panchayat Officer नहीं कर सकता । उनकी जगह अगर थोड़ी पंचायतें उनके हवाले कर दी जाएं तो गबन या और किसी किस्म का भ्रष्टाचार होने का इमकान कम हो जाएगा । इसी तरह Co-operative Inspector or Sub-Inspectors की बाबत भी कहा जाता है । उन को बहुत ज़्यादा सोसाइटियां सम्भालनी पड़ती हैं परन्तु इन सब की तनखाहें कम हैं ।

[श्री रूप सिंह फूल]

जहां तक मुज़ारयान और मालकों का ताल्लुक है यह अंग्रेज़ों के वक्त में भी कभी नहीं हुआ कि मुज़ारयान को बगैर मुआवज़ा दिये ज़मीन से बेदखल कर दिया जाए। 1887 में मुज़ारा Act बना। उस में भी कोई ऐसी दफ़ा नहीं थी जिस से मुज़ारों को बगैर मुआवज़ा दिलाए बेदखल किया जा सके। हमारी सरकार ने कानून बना कर रख दिया है जिस का नाम रखा है Measures for Security of Tenures, मगर उस से जो नुकसान मुज़ारों को हुआ वह तो वही जानते हैं। ऐसे कानूनों से उन को कोई लाभ नहीं। लफ़्ज़ों में तो they are meant for the security of the tenure but as a matter of fact they are for the insecurity of the tenure. इस कानून के मुताबिक अगर किसी मुज़ारे के खिलाफ़ पैदावार की डिग्री हो जाए तो उस को फौरन बगैर मुआवज़ा दिए ज़मीन से बेदखल कर दिया जाए। ऐसा अंधेर किसी हुकूमत में और किसी वज़ारत में नहीं हुआ। अभी तक यह नहीं था कि उन से किस्त ले कर रसीद दें रसीद लेने और देने का कोई रिवाज नहीं था। अब अगर कोई मुज़ारा मालिक से ग़ल्ला वसूली की रसीद मांगने की जुर्रत करे तो मालिक उस के खिलाफ फसलों का झूठा दावा करके ज़मीन से बेदखल कर देगा या डिग्री वसूलेगा। ऐसी गड़बड़ी हो रही है कि उस का क्या बयान करें। हरिजनों की 90% आबादी मुज़ारयान की है और ज़्यादातर नज़ला उन्हीं पर गिर रहा है। मगर उन की सुने तो सुने कौन ?

अब मैं House के सदस्यों की तवज्जुह हरिजनों की तरफ़ दिलाना चाहता हूं। हरिजनों के मुतअल्लिक कहा जाता है कि सरकार ने उन के लिए बहुत कुछ किया है। उस के लिए मैं सरकार का शुक्रगुज़ार हूं। मगर इनको महज़ वोट हासिल करने के लिए एक shield बना रखा है। Central Government से State Governments को इन के मुतअल्लिक बहुत सी हिदायात आती हैं। दो तीन महीने हुए Tribune में एक हिदायत निकली थी कि अगर एक हरिजन को qualify करने से कुछ नंबर कम मिलें तो भी उसको कुछ रियायत दे देनी चाहिए। मगर कोई रियायत नहीं दी जाती।

यहां एक block system बनाया हुआ है। 4 असामियों में से एक हरिजन को दिए जाने का प्रबन्ध किया गया है मगर उस पर अमल नहीं होता। Advertise तो कर दिया जाता है। उनके लिए "reservation" का एक लफ़्ज़ तो रख दिया है मगर इस तरह किसी भी post पर किसी हरिजन को नहीं लगाया जाता। मेरा मतलब आला गज़टिड पोस्ट्स से है। यदि इस तरह हरिजनों के साथ ठगी होती रही तो हरिजन उद्धार भले ही होगा !! न उन की सामाजिक, न आर्थिक और न तालीमी हालत सुधर सकी है। न उन को ज़मीनें दी गई हैं और न उन के दुखों को दूर किया गया है।

अब अछूतपन को दूर करने की बाबत अर्ज़ करता हूं। बहुत से प्रोग्राम गवर्नमेण्ट ने बनाए--Grow-More-Food का week मनाया जाता है, खादी का week मनाया जाता है; दरख्त उगाने का week मनाया जाता है लेकिन क्या कारण है कि अछूतपन को दूर

करने के लिए कोई week नहीं मनाया जाता ? आप देखें कि हज़ारों तामीरात चंडीगढ़ में हो रही हैं। क्या किसी सैक्टर में हरिजनों के लिए एक, दो या चार रियायतन यानी कम कीमत पर भी कोई प्लाट वगैरह मखसूस रखे हैं ? इसी तरह आप नौकरियों में देखें। इस सिलसिले में क्या होता है ? हमें कहते हैं कि पहले F. A. पास करो फिर नौकरी में रखेंगे। लड़के F. A. पास कर लेते हैं। फिर कहते हैं कि F. A. तो बहुत थोड़ी qualification है, B. A. पास करो। लेकिन B. A. तो क्या, एम. ए. पास कर लेने के बाद भी हरिजन लड़के को नौकरी में जगह नहीं मिलती। होता क्या है ? कहते हैं कि यह unsuitable है। इस तरह की सभी बातों से हरिजनों के लिए हुकूमत की नेक नीयती ज़ाहिर होती है। आज से तीन चार साल पहले पसमांदा जातियों को पसमान्दा लिस्टों में शामिल करने का सवाल उठा तो उस वक्त सिर्फ़ तीन चार जातियों को ही पसमान्दा करार दिया गया। उन के लिए दो फीसदी नौकरियां reserve की गईं। अब दो दर्जन के करीब जातियां पसमान्दा करार दी जा चुकी हैं लेकिन reservation की ratio वही दो की दो फ़ीसदी ही है। आखिर उन लोगों को भी तरक्की के लिए रास्ता चाहिए और जब सरकार की declared policy भी है तो मैं अपील करता हूं कि मौजूदा हालात में उन के लिए कम से कम 15 फीसदी reservation जरूर नौकरियों में होनी चाहिए। इस बजट पर बहस करता हुआ मैं ज़िला कांगड़ा के resources को वर्णन करता हूं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह बजट कभी भी खसारे का बजट नहीं रह सकता अगर ज़िला कांगड़ा को properly develop किया जाए और इस में available resources को exploit किया जाए। मिसाल के तौर पर यहां पर कई किस्म की मादनियात हैं, तेल है, नमक है, लोहा है, ताम्बा है। कांगड़ा के Gazeteer के अन्दर लिखा है कि यहां दरिया के रेत में सोना भी मिलता है। अगर government इस प्रकार की चीज़ों के लिए survey कराए तो मैं समझता हूं कि किसी सूरत में पंजाब का बजट घाटे वाला बजट नहीं रह सकता। [घंटी की आवाज़]

अब आखिर में मैं कुछ नज़मो नसक की हालत पर आता हूं। इस वक्त पंजाब में पटवारियों का सवाल एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। जम्हूरी निज़ाम के अन्दर हमारा Constitution यह गारंटी देता है, हक देता है कि लोग unions बना कर अपनी मांगों को सरकार के सामने रख सकते हैं। हज़ूर आप ने देखा कि पटवारियों ने अपनी मांगें गवर्नमेण्ट के सामने रखीं। उन को मंज़ूर करवाने के लिए उन्होंने गवर्नमेण्ट पर ज़ोर डाला तो उलटे उन्हें service से निकाल दिया गया। हमारी society में एक मोटी सी कहावत है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन पिता कुपिता नहीं हुआ करता। आखिर पटवारी भी तो आप के ही एडमिनिस्ट्रेशन का एक अंग हैं--पटवारी भी हमारे भाई हैं। उन के साथ इस तरह का सख्त सलूक नहीं किया जाना चाहिए था। उन की ज़िन्दगी को इस तरह से खत्म नहीं करना चाहिए। भूल हो सकती है--हर एक से गलती हो सकती है। अगर वह गुनाहगार ही थे तो उन को और तरह से समझाया जा सकता है। आप ख्याल करें कि अगर हम में से कोई पटवारी होता और

[श्री रूप सिंह फूल]
हम को इस तरह से victimise किया जाता, तंग किया जाता, dismiss किया जाता तो हमारी क्या हालत होती। उस हालत में क्या हम भी इसी तरह का कदम उठाने पर मजबूर न हो जाते? कौन सा गुनाह उन्होंने किया है जिस के लिए उन्हें इतनी सख्त सज़ा दी जा रही है? बहुत कुछ न कहता हुआ मैं मंत्रिमंडल से पुरज़ोर मुतालबा करता हूं कि पटवारियों के मसले को बहुत जल्दी हल करने को कोशिश की जाए। यह सज़ा जो उन को दी गई है यह बहुत ज़्यादा है; इसके वह हरगिज़ मुस्तहिक नहीं हैं।

ਸੂਬੇਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ (ਮਲੋਟ, ਰਿਜ਼ਰਵਡ) : ਜਨਾਬ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਮੁਲਕ ਭੁਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ।

ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਮਲੋਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲੈਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਛਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ—ਇਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਮਹਿਨਤੀ ਹਨ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ B.D.O. ਰਖਣ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਜਟ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਵਲ ਆਪਣੇ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।

ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੜਕਾਂ ਬਾਬਤ ਹੈ। ਗਿਦੜਬਾਹ ਤੇ ਮਲੋਟ ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਕੋਟ ਭਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਨੀ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਬੜੇ ਅਮਨਪਸੰਦ ਹਨ ਪਰ ਸੜਕ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਕੋਟ ਭਾਈ ਵਿਚ 45 ਪਿੰਡ ਹਨ। ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਲਈ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਅਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਦੜਬਾਹ ਕੋਟ ਭਾਈ ਦੀ ਸੜਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿਉ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 45 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 60,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 1,35,000 ਇੱਟਾਂ ਇਕਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ 40,000 C.F. ਰੋੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, 250 ਡਰਮ ਵੀ ਖੜੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ

ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਪਧਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ । ਉਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪਲੈਨ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਉਹੜਪੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾਂ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੈ ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ Industry ਦੀ ਹੈ । ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਗਿਦੜਬਾਹਾ ਮੰਡੀ ਤਮਾਕੂ ਕੁੱਟਣ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ? ਪਰ ਇਸ industry ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਥੇ ਇਕ technical college ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਥੇ ਖ਼ੁਦ ਇੰਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ । ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਤੀਜੀ floods ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਰੇਤਾਂ ਦਾ flood ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ flood ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿਨ ਬਾਰ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 300 ਘਰ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਆ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਠ ਨੌ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨ ਕਣਕ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੌ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਫ਼ੀ ਘਰ ਹੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤਕ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 300 ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ ਰੇਗਸਤਾਨ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ । ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੇਤ ਦੇ ਇਸ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ।

ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਬਿਜਲੀ ਬਾਬਤ ਹੈ । ਮਲੋਟ ਵਿਚ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਹੈ ਪਰ ਕੋਟ ਭਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ । ਇਥੇ ਬਿਜਲੀ ਬਰਾਏ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 2,700 ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ । ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇਂ ਬਾਰੇ । ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਾ

[ਸੂਬੇਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ]
ਹਾਂ । ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ । (ਹਾਸਾ) ਇਹ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਰਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ । ਇਹ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ smuggling ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ ਕੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਠੰਡੀ ਵਰਦੀ reserve ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਠੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਗਰਮ ਵਰਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਠੰਡੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਗਰਮ ਵਰਦੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਝਾਵ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ police ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਮੀਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ railway pass ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਰਾਓ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ । ਗਿਦੜ-ਬਾਹਾ ਤੇ ਕੋਟ ਭਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਂ ਸੜਕ ਲਈ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਦੱਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਮੈਂ ਇਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟ ਭਾਈ ਅਤੇ ਦੋਦਾ ਕਸਬੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੜਕ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਗੁਰਅਨਾਦ ਸਿੰਘ (ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਨਰਲ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਦਿਨ Finance minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਇਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੋ ਤਿਨ ਗਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਉਪਰ ਮੇਰੇ opposition ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਲੋਂ ਬੜੀ criticism ਤਾਂ Law and Order ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਨਵਿਆਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ development ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਇਹ ਤਿਨ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਾਰ ਬਾਰ opposition ਦੇ benches ਵਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ 6 ਜਾਂ ਸੱਤਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ agitation ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹਿੰਦੀ agitation ਰਖਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ agitation ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਇਸ agitation ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲਗੀ ਰੋਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਹੋਰ agitation ਵੀ ਇਥੇ ਚਲੀ ਸੀ । ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇਆਂ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ । ਉਸ agitation ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਿੰਦੀ agitation ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ । ਜਿਤਨੀ ਨਰਮੀ ਹੁਣ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਤਨੀ ਨਰਮੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ । ਪਿਛਲੀ agitation ਵਿਚ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨੀਲੀ ਪਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਤਲਿਕ ਇਹ ਸੁਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਚਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਝੱਟ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਇਸ agitation ਦੇ ਦੌਰਾਨ secretariat

ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਇਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ......(Interruption by Chaudhri Dharam Singh Rathi) ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਉ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ interrupt ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ agitation ਵਿਚ ਲੋਕ Secretariat ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਥੇ ਤਖ਼ਤੇ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਗਮਲੇ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਤਨੇ ਨਰਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ agitation ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਨਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ handle ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਐਜੀਟੇਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹਥ ਲਾਉਣ ਤਕ ਵੀ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸਾਂ ਇਹ agitation ਨਾ ਕਰੋ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਤਨੀ ਨਰਮੀ ਵਿਖਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ agitation ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਹੋਈ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ opposition ਦੇ ਭਾਈ ਇਥੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਬਹੂ ਅਕਬਰ ਪੁਰ ਦਾ ਜਾਂ ਇਕ ਦੋ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਪੁਛੋ ਤਾਂ ਇਸ agitation ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਥੇ opposition benches ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਵਿਗਾੜਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਮਨ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਦ ਅਮਨੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਅੱਜ ਇਸ agitation ਦੇ ਚਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਯੂ-ਮੰਡਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਗਰਟ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਹਦ ਤਕ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਹੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਮਜ਼ੋਰ policy ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ 31 cases ਐਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਛਾਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। 31 cases ਵਿਚੋਂ ਪੁਲਸ ਇਕ case ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀ। ਇਸ agitation ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨਰਮ policy ਵਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਰੜਾਈ ਵਰਤਨੀ ਵੀ ਛਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ enquiry ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। Services ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ demoralize ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਗੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਲੰਧਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਰੂਨੁਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ agitation ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਲੰਧਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਵਟੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਉਥੇ ਜਲੂਸ ਕਢਣ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ M. L. As ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਦਮੀ ਸਨ ਉਹ ਉਸ

[ਸਰਦਾਰ ਹਰਗੁਰਅਨਾਦ ਸਿੰਘ]

ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਮਾਈ ਹੀਰਾਂ ਗੇਟ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਮਾਮ ਨਾਸਰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ Railway Station ਤੇ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ agitation ਦੇ ਚਲਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜੋ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ administration ਕਰੜੇ ਹਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਨਰਮ ਹਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀ ।

ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਹਨ । ਪੰਡਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਤੇ ਵੀ tax ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਥੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਨਹਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਥੇ college ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਸੇਮ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਢਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ tax ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ tax ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਤੇ surcharge, ਜਾਂ local rate ਜਾਂ professional tax ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ local rate ਬੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਐਸਾ tax ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਗੇਗਾ । ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨਾਜ ਤੇ tax ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਕੁ tax ਹੈ । 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਉਤੇ ਕੁਲ 12 ਆਨੇ tax ਲਗਣਾ ਹੈ । ਇਕ ਔਸਤ family ਦਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਖਰਚ $2\frac{1}{2}$ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਣ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ $2\frac{1}{2}$ ਰੁਪਏ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ tax ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ । ਵਾਵੇਲਾ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੇ tax ਲਾ ਦਿੱਤੇ । ਮਗਰ ਜਦ development ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ facilities ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ tax ਵੀ ਲਗਣੇ ਹੀ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ taxes ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਬੋਝ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ tax ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੌਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ taxes ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਲਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹੈ । ਉਹੀ ਗਲ ਹੈ --

"ਰੋਂਦੀ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੇ ਲੈ ਨਾਮ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ" ।

ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਮਹਿਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, Governor's House ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ

ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਖਰਚ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਖਰਚ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਕੇ ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰ Local Bodies' Schools ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ Private Schools ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ private ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ private ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕੰਮ ਨਾ ਚਲਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ grants ਦੇਵੇ।

ਇਕ ਔਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਲਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। (ਘੰਟੀ)

ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਤਕਲੀਫ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਬਿਸਤ ਦੋਆਬ ਨਹਿਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਏ, ਰਾਜਵਾਹੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੁਲਾਂ ਲਈ provision ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਡੀ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ। ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੈਰ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫੂਕੇ। ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਪਰੋਂ ਇਹ ਖਰਚ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਥੇ ਬਿਜਲੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਥੇ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਮੈਂ Budget ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

श्री भला राम (जींद, रिज़र्वड) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बजट इस सदन में पेश किया गया है यह एक घाटे का बजट है। मेरे ख्याल में यह घाटे वाला बजट उस Government का पेश किया हुआ है जो सही मानों में पब्लिक की नुमाइंदगी नहीं करती। वह क्यों? हरिजनों के मुतअल्लिक सफा 31 पर इन्होंने एक छोटा सा para दे दिया है और उसी के अन्दर कह दिया है कि हम यह कुछ कर रहे हैं। लिखा है कि 320 परिवारों को आबाद करने के लिए

[श्री भला राम]
16 लाख रूपय की योजना बनाई गई है । अभी किया कुछ नहीं है सिर्फ योजनाएं ही बनती हैं । मैं समझता हूं कि पिछले 10 साल के अन्दर सिरफ योजना ही बनी है । आप भाखड़ा डैम बना रहे हैं मगर जब हरिजनों के पास ज़मीन ही नहीं तो सींचेंगे किस चीज़ को । चूंकि आप तो, Deputy Speaker साहिब देहात के रहने वाले हैं आप ने देखा होगा कि किसी भी गांव में चले जाइए तो फौरन पता लग जाएगा, कि यह कच्चे मकान हरिजनों के हैं । 10 सालों के अन्दर कोई तब्दीली नहीं आई । आज जो बातें गवर्नमैंट कर रही है यह गरीबों के फायदे की नहीं हैं । क्यों ? आप देखिए क्या इन बेचारों के रहन सहन में फर्क पड़ा, standard of living ऊंचा हुआ, तालीम पर कोई असर पड़ा । असल में इन को किसी बात में भी तरक्की नहीं हुई । इस में ज़िक्र किया गया है कि इन लोगों के लिए एक अलग महकमा खोला हुआ है । अब उस की सुनिए । इन्हों ने जो Assistant Welfare Officer रखे हुए हैं उन का rank बदल कर Assistant Welfare Worker कर दिया गया है । सारी तहसील में वह एक ही आदमी होता है इस काम के लिए । न उस के पास कोई चपड़ासी न कोई और चीज़ । अब अगर वह सरकारी डाक का जवाब ही देता रहे तो सारे महीने उस से यही काम हो सकता है और कोई काम वह नहीं कर सकता । Duties उस की कई हैं । फलाने स्कूल में जाओ देखो वज़ीफों की grant distribute हुई ; वहां कितने लड़के हैं । अब आप सोचें कि जिस एक आदमी को यह और दुसरे काम सौंप दिए जाएं वह भलाई का क्या काम कर सकेगा । फिर इस काम पर लगाए ऐसे आदमी हैं जो पहले गांव में जा कर 10 आदमियों को इकट्ठा करके प्रचार का काम तो कर लेते थे आज वह भी खत्म है । फिर इन के नाम के साथ 'हरिजन' का नाम जोड़ दिया गया है 'Harijan Welfare Officer' । अब दूसरे लोग समझते हैं कि यह तो सिर्फ हरिजनों के लिए हैं, हमारे लिए नहीं हैं।

फिर untouchability, छुआ छुत की बात है । यह एक बड़ा भारी मसला है और इस का हल तब तक न होगा जब तक सब लोग इकट्ठे बैठ कर सब चीज़ों पर सोच विचार करना नहीं सीखते । जब हम ने पंचायती राज बना लिया है तो इस का मतलब तो यही है कि हम सब इकट्ठे बैठ कर हर बात को सोचें और उस का हल ढूंढें । मगर आप ने देहात में देखा होगा जब भी पंचायत बैठती है तो हालत यह होती है कि हरिजनों के नुमाइंदे नीचे बैठे होते हैं और बाकी ऊंची जगह पर । यानी इन को आज बराबर बैठने का हक भी नहीं । यह बुरी हालत है । गवर्नमैंट नलकों के लिए रूपया देती है, कूपों के लिये रूपया देती है लेकिन हालत वहीं की वहीं रह जाती है । छुआ छात के मसले को अभी तक हल नहीं किया गया । हमारे गांव में दो हज़ार रूपया कूआं लगाने के लिए दिया गया परन्तु वह कूआं भी पहले कूएं के साथ लगा दिया । पता नहीं इस लिए कि खर्च को पूरा करना था । देहली से Scheduled Caste,

Commissioner साहिब हमारे इलाके में आए तो उन्हों ने पूछा कि इस तरह साथ साथ दो कूएं लगवाने का क्या कारण है तो इसका जवाब उनसे न बन पड़ा। मैं तो यह समझता हूं कि सरकार आपस में छुआ छात को खतम करने के लिए इस तरह के खर्च नहीं करती बल्कि आपसी तफरके बाज़ी को कायम रखने के लिए खर्च करती है कि हरिजन यह न कहें कि छुआ छूत को खतम नहीं किया जा रहा और इस किस्म की बात अब भी जारी है। और वह चाहते हैं कि इस तरह की बात पब्लिक में न जाए। मेरे कहने का मतलब यह है कि छुआ छूत की बुरी लानत को दूर करने के लिए सरकार की ओर से कोई provision नहीं किया गया। आज हमारी क्या social activities हैं इनके बारे में इस बजट में कुछ भी दर्ज नहीं है।

इसके बाद, डिप्टी स्पीकर साहिब, erstwhile Pepsu State के अन्दर कुछ M. L. As. को मिला कर एक Advisory Board बनाया गया था ताकि वह State के अन्दर जगह जगह पर जा कर यह देखे कि हरिजनों की economic condition कैसी है उनकी Education की हालत क्या है? किस तरह से वह तरक्की कर रहे हैं? जो रूपया सरकार की ओर से हरिजन welfare के लिए खर्च किया जा रहा है वह किस तरीके से खर्च हो रहा है? इसी तरह का एक Advisory Board Central Government की तरफ से भी बनाया गया है जो तमाम हिन्दुस्तान के अन्दर जा कर देखता है कि किस तरीके से हरिजनों की हालत को ऊपर उठाया जा रहा है और फिर यह Board Parliament में जा कर अपने सुझाव देता है। इस लिए यहां पर भी इसी किस्म का Board बनाया जाना चाहिए ताकि जो रूपया सरकार की ओर से हरिजन सुधार के लिए खर्च किया जा रहा है वह board देखे कि आया यह रूपया ठीक तरह से खर्च किया गया है या नहीं और यहां जो Advisory Board बनाया जाए वह इस सदन के अन्दर अपनी report दे और फिर उस report पर बहस हो ताकि सारे का सारा मसला हल हो सके। मुझे आशा है कि मेरे इस सुझाव को अमली रूप दिया जाएगा।

इस के बाद, डिप्टी स्पीकर साहिब, सरकार ने erstwhile Pepsu के इलाके में nazool ज़मीन हरिजनों को दी है इस के बारे में मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं। एक गांव के अन्दर 100 घर हैं और तीन सौ बिघे ज़मीन है। तो हर घर को तीन बिघे ज़मीन दी जाती थी। मगर वहां भी Co-operative Society बना दी है जिस में 15-16 आदमी मेम्बर बना लिए गए हैं और बाकी गांव का कोई हिस्सा इन Co-operative Societies में नहीं है। बाकी हरिजनों के लिए जो उसी गांव में रहते हैं कुछ नहीं किया गया।

फिर यह जो Co-operative Societies बनाई गई हैं यह इस किस्म की हैं कि Co-operative Inspector या Co-operative विभाग के

[श्री रला राम]

दूसरे अफसर खुद भी नहीं जानते कि यह Societies function कैसे करें। इन के ज़िम्मे क्या क्या बातें हैं और Common Lands Act का purpose क्या है । जब तक वहां के सब आदमियों को मेम्बर न बना लिया जाए Co-operative Societies का मन्तव्य फौत हो जाता है । फिर शर्त यह रखी गई है कि फलां आदमी मेम्बर बन सकता है और फलां नहीं बन सकता जिस से हरिजनों को दिक्कत पेश आती है और न ही उन को फायदा पहुंचता है । जो Co-operative Societies बना दी गई हैं उन्हों ने मिल कर कुछ ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है और जिन दो तीन आदमियों का कब्ज़ा ज़मीन पर है उन से हरिजनों का मसला हल नहीं होता । न ही किसी को फायदा पहुंचता है। अगर आप सहकारिता का तजुर्बा कर रहे हैं तो न तो इस का हरिजनों को पता है और न ही खुद अफसरों को पता है । अफसर कुछ बता नहीं सकते और अनपढ़ हरिजन कुछ समझ नहीं सकते। इस लिए मेरा सुझाव है कि Co-operative Societies को सांझे तरीके से सिखाया जाए और खर्च दिया जाए ताकि हरिजनों को कुछ लाभ पहुंच सके ।

फिर हरिजनों के लिए एक और दिक्कत है कि इन्हें इस किस्म के कर्ज़े नहीं दिए जाते कि जिस से वह नए ढंग के बीजाई के औज़ार खरीद सकें या अन्य नई किस्म की सुविधाओं का प्रयोग कर सकें । एक सवाल के जवाब में बताया गया है कि 83 लाख रूपया इनकी तरफ निकलता है और उन्हें 36 हज़ार बिघे ज़मीन दी गई है । इस किस्म का कोई ऐसा तरीका या बात नहीं है कि जिस से हरिजनों को लाभ पहुंच सके ।

शिक्षा के क्षेत्र में और transport के बारे में, डिप्टी स्पीकर साहिब, कोई ध्यान नहीं दिया गया । कोई रूपया नहीं दिया गया । जो लोग Co-operative Societies बना कर transport का काम चलाना चाहते हैं उन्हें इस तरफ कदम उठाने नहीं दिया जाता और route permits नहीं दिए जाते । अभी पटियाला के अन्दर चन्द लोग Co-operative Society बनाने लगे तो उन्हें Co-operative Society नहीं बनाने दो और फल कर दो । जब वह पैसा इकट्ठा करने लगे तो कहा कि इसे register मत करो । अगर आज इस society को register कर लिया तो कल यह पैसे मांगेंगे । इस तरह की मुश्किलात हरिजनों के रास्ते में खड़ी की जाती हैं ।

अब मैं चन्द बातें अपने हलका के बारे में कहता हूं । First Five year Plan में उकलाने से कैथल तक के लिए सड़क बनाने का provision किया गया था लेकिन वह पहली प्लान खत्म हो गई और दूसरी पांच साला प्लान में भी इसे नहीं लिया जा रहा। इस तरह करने से सरकार के ऊपर लोगों का विश्वास नहीं रहता। इस किस्म की बात समझता हूं ठीक नहीं हैं।

फिर कुछ ज़मीन पंचायतों को दी गई है। पंचायतों वाले उसे काश्त नहीं करते और वह सारी की सारी ज़मीन बेकार पड़ी है। न तो वह उसे चकौते पर देते हैं और न ही किसी ऐसे आदमी को देते हैं जो उसे संभाल सके। ऐसी ज़मीन में डंगर छोड़ दिए जाते हैं। मेरा सुझाव इस ज़मीन के बारे में यह है कि अगर हरिजनों को यह ज़मीन दे दी जाए तो सरकार के Grow More Food Campaign को तरक्की मिलेगी और हरिजनों का भी भला होगा। इन शब्दों के साथ में डिप्टी स्पीकर साहिब, आप से आज्ञा चाहता हूं।

श्री श्री कृष्ण शास्त्री, वैद्य (सफीदों) : उपाध्यक्ष महोदय, आज अगामी वर्ष के बजट पर चर्चा इस सदन के अन्दर हो रही है और मेरे कुछ साथियों ने अपने विचार यहां पर रखे हैं। जो चर्चा और जिस प्रकार के सुझाव इस सदन में रखे गए हैं उनका सारांश जो मेरी समझ में आया है वह यह है कि खास तौर पर Opposition की तरफ से नुकताचीनी की गई है और वह केवल नुकताचीनी और आलोचना की दृष्टी से की गई है। इन विचारों में जो उन्हों ने पेश किए हैं कोई नई योजना नहीं है और न ही कोई सुझाव रखा गया है। जैसे हमारे इलाके में कहते हैं "आगे पीछे और नीव तले" कोई बहू अकबरपुर, कोई फिरोज़पुर पहुंच जाता है कोई जालन्धर में तो कोई करनाल में।

एक माननीय मैंबर : (आप फिकर न करें निखौने भी पहुंच जाएंगे और सफीदों भी।)

श्री श्री कृष्ण शास्त्री वैद्य : देख लूंगा आवोगे जब। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा इस बजट का स्वागत करता हूं और अपने विचार इस की अन्य मद्दों पर रखना चाहता हूं। बजट जो है यह निहायत अच्छा है। सारे प्रांत की योजना को बनाना कोई मामूली बात नहीं। कह देना आसान बात है कि बजट आसानी से तैयार किया जा सकता है परन्तु मैं समझता हूं कि इस को तैयार करना और उपयोग में लाना बहुत कठिन काम है। बजट अच्छा तब माना जाता है जब इस के अनुसार मद्दों का निर्धारण ठीक तथा योग्य तरीके से किया जाए। इस सम्बन्ध में मैं यह समझता हूं कि इस का उपयोग ढील से, डर तथा भय से किया जाता है। मैं यह बात हाऊस के सामने लाना चाहता हूं कि मैं अफसरों से भी मिला हूं और अन्य लोगों से भी पूछा है तो उनकी राय भी यही है कि बजट के आधीन जो योजनाएं बनाई जाती हैं वह आम तौर पर ढीली होती है। ज़िम्मेदार आदमी भी यही कहते हैं। फिर उन्हों ने बताया कि भाखड़ा के अन्दर काफी से ज़्यादा बड़े बड़े आदमियों की बेइज़ती हुई है और उन बेचारों को जेलों के अन्दर ठोंस दिया गया है जिस के फलस्वरूप यह हुआ है कि Overseer जिसे एक हज़ार रुपए तक खर्च करने के अख्तियार हैं वह बजट 1,025 रुपए का बना देता है। इसी तरह ज़िलेदार और Executive Engineer हैं। कोई भी अपने सिर ज़िम्मेवारी नहीं लेता। बजट इस तरह चलते चलते Secretariat में आ जाता है और इस तरह के बजट के अन्तर्गत स्कीमों को लागू करने में सालों लग जाते हैं।

[श्री श्री कृष्ण शास्त्री वैद्य]

मैं एक बात कहूं कि जिस आदमी को जिस चीज़ का अधिकार है अगर वह स्वतंत्र रूप से उस का इस्तेमाल करे तो कोई हिचकिचाहट नहीं होती । मगर आज जहां कोई अपनी power को स्वतंत्र रूप से चलाना चाहता है वह बाहर निकाल दिया जाता है। यहां मेरे दोस्तों ने सिवाये इस नज़रिये से कि किसी को नुकसान पहुंचाया जाये या उस की गर्दन काटी जाये और कोई बात नहीं की । ऐसी बातें नहीं करनी चाहियें । यहां कोई शख्स अगर अपने अधिकारों को पूरे रूप से इस्तेमाल भी करता है तो उस के रास्ते में रुकावट डाली जाती है और जो इस किस्म की बातें करते हैं वह Opposition के member साहिबान ही हैं । वह अपना काम officers से करवाते रहते हैं । जहां काम होता नज़र नहीं आता तो वह officers को डराते हैं और कहते हैं कि अगर यह नहीं करोगे तो मैं Assembly में question put कर दूंगा । मैं ने देखा है कि करनाल, रोहतक, फिरोज़पुर और पैप्सू के इलाके के officers इन लोगों से डरते हैं । वह वहां जा कर कहते हैं कि या तो हमारा काम करो वरना हम तुमें हटवा देंगे । इस तरह officers पर नाजायज़ तरीके से दबाव डालकर यह काम करवाते हैं । मैं कहता हूं कि हमारे देश में इतनी योजनायें चली हैं मगर officers को उन की ताकत का पूर्ण अधिकार नहीं दिया जाता । हमारे हां भाखड़े का इतना काम होता है और भी बहुत सी योजनायें हैं मगर जब तक स्वतंत्र रूप से officers को अधिकार नहीं दिये जाते यह काम ठीक तरह चल नहीं सकते । officers को बगैर किसी डर के काम करना चाहिये । मेरे भाई श्री भाले राम जी ने एक बात कही कि Welfare Officers हरिजनों पर अलग लगाये जायें जो हरिजनों की भलाई का ही काम करें । मगर मैं कहूंगा कि यह बात ठीक नहीं है । कल को यही लोग Chief Minister साहिब से जा कर पूछेंगे कि हमें यह बताया जाये कि हमारा quota कितना है । और इस तरह हरिजन और गैरहरिजन का सवाल पैदा किया जायेगा । जो बातें यहां पर कही जाती हैं वह महज़ लोगों को भड़काने की भावना से कही जाती हैं । आज यहां पर हर बात में बहूअकबर पुर का ज़िकर किया गया है । मैंने सब की वज़ारत देखी है । मुझे सब मालूम है । लाला जगत नारायण जी खुद पंजाब में लोरियां दिया करते थ । वह लोरीयां जिन से कि बच्चे खिलाये जाते हैं । मैंने देखा है कि लाला जी किस तरह बटाले में लोरी सुनाया करते थे । यह जब वज़ारत में थे तो कहा करते थे कि पंजाबी हमारी मातृ भाषा है हिंदी और गुरमुखी में कोई फर्क नहीं । मुझे अच्छी तरह याद है जब यह पंजाबी लोरी पढ़ा करते थे :

"अलड़ भलड़ तेरी माई
सुखना मनावे तेरी जाई
उदरों बाबा कनक लिआवेगा
दुध दही छकावेगा
सब नूं पिछों कढेगा
अररे अररे हूं"

यह लोरी, डिप्टी स्पीकर साहिब, उस वक्त कही जाती थी। आज यह क्या कहते हैं ? पंजाबी ज़बान में ही माता ने अपने बच्चे को लोरियां दे दे कर अपना दूध पिला पिला कर पाला पोसा है। इस लिए आज इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। आज लाला जगत नारायण जी कहते हैं कि हिंदी आंदोलन के सिलसिला में मैं 500 आदमियों का जत्था ले कर चंडीगढ़ गया। मैं लाला जी की इस बात की इज़्ज़त करता हूं क्योंकि वह हमारे बजुर्ग हैं। वह कांग्रेस में काम करने वाले नेताओं में सब से पहले हैं। जहां तक उन की पिछली सेवा का ताल्लुक है मैं उन की कदर करता हूं। मगर ऐसी बातों के साथ साथ कभी आप लोरियां पढ़ते हैं और फिर इस के खिलाफ जत्थे लाते हैं, ऐसी बातों को छोड़ा नहीं जा सकता। मेरे भाई धर्म सिंह राठी बार बार उठते हैं। वैसे तो आप मेरे पड़ोसी की constituency से ताल्लुक रखते हैं मगर......(आवाज़ें)

Mr. Deputy Speaker : Order, please. No reference regarding any hon. Member should be made.

श्री श्री कृष्ण शास्त्री, वैद्य : बात कुछ और होती है लेकिन कहा कुछ और ही जाता है। Opposition के भाईयों को चाहिये था कि वह कोई ठोस नुकताचीनी करते और दयानतदारी से बातें करते। मगर यहां पर ऐसी बातों का कोई ख्याल नहीं रखा गया जिस से कि किसी की बहबूदी हो। हम 5 साल के लिये जनता के नुमायेंदे चुने गये हैं। हमें वह काम करना चाहिये जिस से लोगों का भला हो....

उपाध्यक्ष महोदय : आप Budget पर बोलें। यह क्या lecture देना शुरू कर दिया। (The hon. Member may speak on the Budget. What lecture has he started delivering ?)

श्री श्री कृष्ण शास्त्री, वैद्य : बजट के अन्दर एक बात यही कही गई है कि पैदावार को बढ़ाया जाये। पैदावार तभी ज़्यादा होगी अगर देश में तामीरी programme रखे जायेंगे। हम देखते हैं कि हमारे हां बहुत से काम हुये हैं। नहरें निकाली गई हैं। कई हज़ार विघे ज़मीन को पानी मिलने लग गया है। लेकिन मुनक से लेकर रोहतक में, भुटाणा ब्रांच के साथ वाली यह सारी जमीन बेकार पड़ी है। इस इलाके की बेहतरी का सब से पहले इंतज़ाम करना चाहिये क्योंकि इस इलाके में सेम बहुत है। जब तक सेम दूर न होगी पैदावार नहीं बढ़ सकती।

इस के अलावा, इस में सड़कों का भी ज़िक्र आया है। रोहतक से जो सड़क जींद तक जाती है इस सड़क से पाडली गांव को मिलाने के लिये 2—3 बार lines खींची गई हैं लेकिन आज तक इस सड़क को निकालने का कोई इन्तज़ाम नहीं किया गया। अगर दूसरी ओर से यह टुकड़ा मिलाया गया तो बहुत खर्च आयेगा क्योंकि एक बांध तामीर करना पड़ेगा। इसलिये जहां

[श्री श्री कृष्ण शास्त्री, वैद्य]

से आजकल lines निकाली गई हैं अगर वहां से यह सड़क निकाल दी जाये तो बहुत कम खर्च आयेगा । बहुत सारी ज़मीन अगर सड़क में आ गई तो इस का मुआवज़ा भी नहीं मिल सकेगा । ज़मींदारों का निर्वाह ही ज़मीन पर होता है ऐसी बातों को ख्याल में रखते हुये सड़क को जल्दी से जल्दी निकाला जाये । जागसी से सफीदों तक 6—7 मील का टुकड़ा है । इस सड़क के न बनने से 10—12 गांव को तकलीफ है । लोग अपना अनाज गोहाना मंडी ले जाते हैं । यहां जाने के लिये और कोई रास्ता नहीं है । इसलिये, डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार को चाहिये कि वह इस सड़क को बनवाने का जल्दी से जल्दी इंतज़ाम करे । इस बजट में कोई कई लाख के करीब सड़कों पर खर्च होना है । मगर हम देखते हैं कि इस में हमारे इलाके का कहीं ज़िक्र नहीं आया । हमारा इलाका एक बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है । इस लिये इस की बेहतरी की तरफ जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाये । इस इलाके की बहबूदी में जनता का भला है । इन इलफाज़ के साथ मैं अपने भाषण को खत्म करता हूं ।

चौधरी साधु राम (नारायण गढ़ 'जनरल') : डिप्टी स्पीकर साहब, जो बजट आज हमारे सामने है मैं इस के लिये Finance Minister साहिब को बधाई देने के लिये खड़ा हुआ हूं । इस बजट में आमदन 47,81 लाख रुपये की है और खर्च 49,89 लाख का है इस तरीके से यह घाटे का बजट पेश किया गया है । लेकिन इस घाटे को Taxes लगा कर पूरा किया गया है । जैसा कि शुरु में हमारे वित्त मन्त्री साहिब ने पिछले साल के बजट का ज़िक्र किया था मैं भी 1957-58 के बजट के बारे में कुछ ज़िक्र करना चाहता हूं । पिछले साल जो बजट पेश हुआ था वह 2,80 लाख के घाटे की शक्ल में था । इसके साथ ही 15 लाख का और ज्यादा खर्च करना था । यानी 2,95 लाख रुपये के घाटे का कुल बजट पिछले साल का था । पिछले साल जो इस घाटे को पूरा करने के लिये Taxes लगाये गये वह 1,06 लाख रुपये के थे । लेकिन इन Taxes में सब से बड़ी बात यह है कि इन में से कुछ को वापिस ले लिया गया और जिन Taxes को वापिस नहीं लिया गया इन पर बहुत देर बाद अमल हुआ । यह शक्ल हमारे सामने पिछले साल के Taxes के बारे में है।

32 लाख रुपये के एक टैक्स की रकम थी जो वापिस ले ली और उसके बाद 19 लाख का दूसरा टैक्स था जिस पर अमल दरामद नहीं हो सका। और भी 5 लाख रुपया एक आमदन का था जिसके ऊपर बड़ी देर में अमल हुआ । इस तरीके से अगर टैक्सिज़ का रुपया निकाल दिया जाए जिस पर कि गवर्नमैंट को आमदन नहीं है, तो हमारा घाटा और भी ज्यादा बढ़ जाता है ।

इसके बाद फिर हमारे सामने Revised Estimates आते हैं । उस सूरत में यह सारा घाटा बचत की शक्ल में तब्दील हो जाता है और इस तरीके से हमारे

सामने जो चीज़ आती है वह यह कि 42,23 लाख रुपया आमदन की शक्ल में हमें दिखाया जाता है और 39,65 लाख रुपया खर्च की शक्ल में दिखाया जाता है, इस तरीके से 258 लाख रुपये की बचत दिखाई जाती है—साल के आखीर में।

एक चीज़ Supplementary Estimates के बारे में है जो बाद में कहूंगा अभी आपोज़ीशन के एक आनरेबल मैम्बर डाक्टर भाग सिंह ने आदादोशुमार हाऊस के सामने पेश किये थे। मेरी राय के अन्दर वित्त मंत्री साहिब को उस पर बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिये। उसके अलावा मैं अपने आदादोशुमार पेश करूंगा कि गवर्नमैंट को..... (*interruptions*)

मैं आपके सामने यह ज़िक्र कर रहा था कि यह कहा गया कि गवर्नमैंट को 1,74 लाख रुपये ज़्यादा आमदनी हुई और साथ ही यह भी कहा गया कि 3,64 लाख रुपये की बचत हुई और 1,84 लाख रुपया supplementary demands के ज़रिये मांगा गया तो इस तरीके से 548 लाख रुपये की वह रकम बन जाती है। इस सिलसिले में आपके ज़रिये अपने Finance Minister साहिब से यह कहना चाहता हूं कि जो बजट की शक्ल है जब मैं उसकी गहराई में जाता हूं तो मुझे इस से खुशी की बजाए तकलीफ होती है। जहां तक बचत का सवाल है उस में मुझे administration का हाथ नज़र नहीं आता न efficiency नज़र आती है, और न ही यह नज़र आता है कि इन्होंने कोई बहुत बड़ा काम किया हो या कि अपनी मेहनत से यह रुपया बचत के रूप में दिखाया हो। बल्कि Finance Secretary के Memorandum में यह चीज़ हमारे सामने आती है कि यह बचत Finance Commission की recommendation की बजह से हुई।

इस सिलसिले में मैं यह बात कहना चाहता हूं कि मैं अपने Finance Minister या उनके साथ जो आदमी हैं उनको तो मुबारकबाद दे सकता हूं क्योंकि उन्होंने state की चीज बड़ी काबलियत के साथ कमीशन के सामने put की। लेकिन असली स्टेट की आमदनी तो state के resources हैं। फर्ज़ करो कि Finance Commission के मैम्बरान उन दलीलों से जो हमारे Finance Minister साहिब ने दी थीं, convince न होते तो फिर यह आमदनी न होती। यह असल चीज है जिस पर विचार करना चाहिये।

अब एक बात यह है कि centre की तरफ से जो रकमें हमें मिली हैं वह क्या 317 लाख के करीब होती हैं? लेकिन जो बचत है वह है 174 लाख के करीब। इसके मानी यह हैं कि जिन मद्दों का state से ताल्लुक है अगर उनको देखा जाये तो पता चलेगा कि उन मद्दों में कमी हुई है—इज़ाफा नहीं हुआ। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता सिर्फ यह बतलाना चाहता हूं कि 317 लाख रुपये में से भी हमें घाटा है, वाधे की बात नहीं होती।

अब दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक state के expenditure का ताल्लुक है उस में हमें यह बताया गया है कि बचत हुई है। मैं इस

[चौधरी साधु राम]

बात को मान सकता था लेकिन मालूम होता है कि machinery को इतना tight कर दिया कि जितना रुपया हर एक महकमा के काम पर खर्च करने का अंदाजा था उतना रुपया गवर्नमैंट मशीनरी ने खर्च करके काम भी कर दिया और बचत भी कर ली । अगर ऐसी बात सचमुच होती तो मैं ज्यादा से ज्यादा मुबारिकबाद देता लेकिन जब मैं ने सारी तफसील को पढ़ा तो मालूम हुआ कि उस memorandum के अन्दर वह बचत इस सूरत में नहीं है । एक बात हर बार कही गई है । कभी यह कहा गया है कि Central Government ने अपनी commitment को पूरा नहीं किया और कभी कुछ कहा गया कभी कुछ ।

मैं जनाब आपके द्वारा यह बात निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि यह जो state of affairs है यह निहायत दुःखदायक है, और हमारी machinery की efficiency क्या है ? अगर सख्त अल्फाज कहूं तो मैं कहूंगा कि यह उसका दिवाला है। मुझे सब से ज्यादा दुःख जो है वह यह है कि यह जो बचत बतलाई जाती है उसका असर किन लोगों पर पड़ता है ? उसका असर backward इलाकों पर पड़ता है क्योंकि जो state के backward इलाकों के लिये स्कीमें मंज़ूर की जाती हैं, उन पर अमल नहीं होता । होता आजकल क्या है ? जहां पर किसी का personal उन्स होता है वहां पर काम होता है बाकियों को छोड़ दिया जाता है। मैं details में तो नहीं जाता लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मेरे इलाके में किसी जगह भी न तो इरीगेशन में, न रोड्ज़ में और न किसी और सिलसिले में provide किया हुआ रुपया खर्च नहीं किया गया । मुझे यह देख कर निहायत दुःख होता है । यह स्टेट के गौरव की बात नहीं है ।

आज हम planned economy की तरफ जा रहे हैं और कहते हैं कि हमारा goal Socialistic Pattern of Society है । इसके बारे में तो यह होना चाहिये कि जिसके पास ज्यादा दौलत हो उसको बेशक कम आमदनी हो लेकिन जिन के पास है नहीं या कम है उन्हें ज्यादा मिले तभी बराबरी हो सकती है । लकिन यह फर्क नहीं होना चाहिये कि एक आदमी आसमान पर हो और दूसरा धरती पर हो......

(Chaudhri Sadhu Ram was still on his legs when the House adjourned.)

6-30 P. M.

(The Sabha then adjourned till 2 p. m. on Tuesday, the 11th March, 1958)

663PVS-·344—11-2-59—C.,P. and S., Pb., Chandigarh

Punjab Vidhan Sabha Debates

11th March, 1958

VOL. I—NO. 16

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Tuesday, 11th March, 1958

CHANDIGARH:

Printed by Controller, Printing and Stationery, Punjab, 1959

Price : Rs. 4 80 nP.

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATE, VOL. I, NO. 16
DATED THE 11TH MARCH, 1958.

Read	*for*	*on page*	*line*
villages	villagers	(16)13	28
obstruction	construction	(16)13	29-30
'argument' after the word 'Member's'		(16)24	8
criminal	crimina	(16)24	2nd from below.
Action	Actionl	(16)24	last
Procedure	Prodcedure	(16)24	6
Yamuna Nagar	Nagar Yamuna	(16)33	5th in column 2.
to	two	(16)39	9 in column three's heading
'Commission' after the word 'Enquiry'		(16)41	30
CHANDIGARH	HANDIGARH	(16)43	11
Assistant	Assis-that	(16)43	31-32
कर	का	(16)62	6th from below.
'कैसे रहो' after the word 'टैम्पोरेरी'		(16)63	4
ਤੁਹਾਡੀ	ਤੁਹਾੜੀ	(16)66	10th from below.
ਕਮੇਟੀ	ਕਮੇਚੀ	(16)73	16
ਹੈ	ਰੈ	(16)73	21
दोस्त	ोस्त	(16)77	12
Ministry	Ministery	(16)79	5th from below.
अधोगति	उधोगति	(16)81	16
मटीरियलिज़्म	मैरीरियलिज़्म	(16)81	16-17
charity	cherity	(16)84	last
गवर्नमैंट	गवर्ननमैंट	(1)98	5

PUNJAB VIDHAN SABHA

Tuesday, 11th March, 1958

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh Capital at 2 p.m. of the clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

REVISION OF PAY SCALES OF EMPLOYEES OF TEA ESTATES IN KANGRA DISTRICT

***1210. Shri Rup Singh Phul :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state —

(a) the date when wages for the labourers employed on the Tea Estates in Kangra District were fixed under the Minimum Wages Act, 1948 ;

(b) whether Government proposes to revise the scale of wages referred to in part (a) above ; if so, when ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (a) 28th December, 1950.

(b) The minimum rates of wages have since been revised and published,—*vide* Punjab Government Notification No. 3595/8108-C-Lab-57/12501, dated the 24th June, 1957 (copy of the notification is laid on the Table). I may add that the writ petition was filed in the High Court and the High Court has passed stay orders.

THE PUNJAB GOVERNMENT GAZETTE PART I

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated Chandigarh, the 24th June, 1957

No. 3595/8108-C-Lab-57/12501.—The recommendations of the Advisory Committee constituted under section 6 of the Minimum Wages Act, 1948 (Central Act XI of 1948).,—*vide* Punjab Government notification No. 1866/1946-C-LP-56/18979, dated the 16th March 1956, for the purpose of revising the minimum rates of wages fixed for employees in "tea plantations", having been considered by Government, the Governor of Punjab in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the said Act, is pleased to revise the minimum rates of wages fixed under Punjab Government notification No. 9483-LP-50/10426, dated the 28th December, 1950, for the employees in "tea plantations" in the State of Punjab, as follows :—

1. *Unskilled Workers.—*

Child	.. 60 naye Paise, per diem
Woman	.. 69 naye Paise, per diem
Adult	.. Re 1 (100 naye Paise) per diem

[Minister for Planning and Community Projects]

2. *Skilled Workers—*

		Rs
1. Clerk-cum-typist	..	65 per mensem
(2) Munshi	..	52 per mensem
(3) Mistri	..	65 per mensem
(4) Boiler licence	..	52 per mensem
(5) Sweeper	..	36 per mensem
(6) Chowdhri	..	36 per mensem
(7) Mate	..	33 per mensem
(8) Chowkidar	..	33 per mensem
(9) Peon	..	33 per mensem
(10) Mali	..	33 per mensem

These revised minimum rates of wages shall come into force three months after the date of publication of this notification.

R. I. N. AHOOJA,
Secretary to Government, Punjab,
Labour Department.

No. 3595/4215-C-Lab-57/3634, dated the April, 1957.

A COPY is forwarded to the Labour Commissioner, Punjab, Ambala Cantt, for information and necessary action, with reference to his letter No. MW/2-57/5520, dated the 3rd April, 1957.

By order,

SANTOKH SINGH,

SUPERINTENDENT LABOUR,
for Secretary to Government, Punjab,
Labour Department.

No. 3595/4215-C-Lab-57/3635, dated April, 1957.

A COPY is forwarded to the Deputy Commissioner, Kangra District, Dharamsala, for information.

By order,

SANTOKH SINGH,

SUPERINTENDENT LABOUR,
for Secretary to Government, Punjab,
Labour Department.

IMPROVEMENT IN BREED OF MILCH CATTLE

***1389. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state the steps taken by Government to improve the breed of milch cattle in the State during the year 1957-58 to date together with the total amount spent thereon ?

Sardar Gurbanta Singh : A statement is laid on the Table.

The following steps have been taken to improve the breed of milch cattle in the State and the allotment sanctioned on each item for 1957-58 is given against it. The size of expenditure for each item is not available but it is expected that the entire allocation will be expended during the current financial year on most of the items—

(i) Grant-in-aid is given to the District Boards of Ambala, Rohtak, Hissar, Gurgaon and Karnal for subsidising the best selected Hariana Cows. Provision for 1957-58,—Rs. 28,000.

(ii) Five to six hundred pedigree bulls are produced annually at the Government Livestock Farm, Hissar. They are supplied to the villagers through the District Boards at concessional rate of Rs 250 each.

The Budget provision for the Farm is Rs 6,23,170. Separate figures of expenditure on bulls alone are not available.

(iii) Under the Key Village Scheme, in addition to 18 Artificial Insemination Centres opened last year, 11 more Artificial Insemination Centres, have been opened this year. At these Centres, all aspects of cattle breeding, feeding, disease control, marketing of Livestock products and fodder etc. are propagated Breeding in these areas is done both by artificial and natural services. Budget provision for the Scheme for 1957-58 is Rs 6,44,000.

(iv) Murrah baffalo herd at the Government Livestock Farm, Hissar, has been increased from 100 to 150 animals. The male progency is sold to District Boards and other local bodies for supply to villages to improve the breed. Budget provision is Rs 33,000.

(v) Under another scheme the Sahiwal Cows herd is also being increased at the Government Livestock Farm, Hissar, and bulls produced will be sold to District Boards and breeders for improving the breed. Budget provision is Rs 28,000.

(vi) Under the Gowshala Development Scheme Five Gowshalas have been selected during the year 1957-58 for giving free of cost ten cows and one bull of approved breed on the condition that an equal number of approved cows is purchased by the Gowshalas themselves. Each Gowshala is given financial assistance as under : —

		Rs.
(a) Grant for addition and alteration to buildings	..	5,000
(b) Maintenance grant	..	2,000

Selected calves at the selected Gaushalas are also subsidised for one year. An amount of Rs 80,000 is expected to be spent under this scheme by the end of this year.

GROWTH OF SUGARCANE CROPS AND ITS CONSUMPTION IN BHOGPUR SUGAR MILL

***1519. Dr. Bhag Singh :** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state—

(a) the estimated quantity of the present sugarcane crops in the Hamira Sugar Mill area ;

(b) the quantity of sugarcane likely to be consumed in Bhogpur Sugar Mill out of that referred to in part (a) above ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) About 10 lakh Maunds.

(b) About 7 lakh maunds.

PAYMENT OF COMPENSATION FOR LAND ACQUIRED FOR CONSTRUCTION OF SULTANPUR—TALWANDI—KAPURTHALA ROAD

***1242. Sardar Atma Singh :** Will the Minister for Public Works be pleased to state —

(a) whether any lands were acquired for the construction of Sultanpur—Talwandi—Kapurthala Road ; if so, when ;

(b) whether awards in respect of Compensations for the lands referred to in part (a) above have been made ; if so, when ;

(c) whether Compensation has so far been paid ; if not, the steps being taken for its payment ?

Rao Birendar Singh : (a) Yes. In the year 1954-55.

(b) No.

(c) No. Action to publish notification under section 6 is being taken. Award for the cost of land by the Land Acquisition Collector, will be made after publication of notification and then payment will be made.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਦਫ਼ਾ 6 ਦੇ ਮਤਹਿਤ notification ਕਦ ਤਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

मंत्री : Deputy Commissioner से इतलाह मांगी गई है। एक certificate की ज़रूरत होती है कि जो land acquire की जा रही है उस में evacuee property तो नहीं। इस certificate के आने के बाद notification जारी हो जाएगी।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 1953-54 ਵਿਚ acquire ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਫ਼ਾ ਚਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਦਫ਼ਾ ਛੇ ਹੇਠ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ ?

मंत्री : पैप्सू का पिछला सारा record देख कर ही कुछ बता सकूंगा।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ delay ਕੀਤੀ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ?

मंत्री : अगर किसी अफसर का कसूर हुआ तो कार्यवाही की जाएगी।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1953 ਵਿਚ ਲਈ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ?

Mr. Speaker : This question does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ 1954 ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਪਏ ਤੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦਾ ਸੂਦ ਮਿਲੇਗਾ ?

Mr. Speaker : This question does not arise.

CONSTRUCTION OF NEW PACCA ROADS UNDER THE SECOND FIVE-YEAR PLAN

***1388. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Minister for Public Works be pleased to state —

(a) the mileage of new pacca roads proposed to be constructed in each district of the State during the Second-Five-Year Plan ;

(b) the percentage of the mileage referred to in part (a) above completed in each district during the years 1956-57 and 1957-58 to date together with the amount spent thereon ?

Rao Birendar Singh : (a) and (b) The required information is given in the statement laid on the table of the House.

STATEMENT

Serial No.	Name of District		Mileage of new pucca roads proposed to be constructed during the 2nd Five-Year Plan	Percentage of mileage completed during 1956-57 and 1957-58 (up to December, 1957)	Expenditure incurred on the roads completed during 1956-57 and and 1957-58 (up to December, 1957) (Lacs)
1	2		3	4	5
1.	Gurgaon	..	111.49	41.8	24.75
2.	Rohtak	..	63.13	26.1	4.13
3.	Hissar	..	291.04	54.7	51.11
4.	Karnal	..	164.92	53.8	20.72
5.	Ambala	..	123.36	34.9	8.33
6.	Simla	..	..	..	..
7.	Ludhiana	..	79.63	8.2	6.70
8.	Ferozepur	..	188.10	18.9	25.51
9.	Jullundur	..	79.84	46.4	17.66
10.	Hoshiarpur	..	93.55	43.9	15.54
11.	Amritsar	..	63.38	24.8	8.63
12.	Gurdaspur	..	75.62	4.6	4.25
13.	Kangra	..	151.47	11.8	13.60
14.	Patiala	..	110.50	2.0	2.60
15.	Sangrur	..	157.16	23.3	19.07
16.	Bhatinda	..	210.25	23.6	26.72
17.	Kapurthala	..	36.54	13.7	1.34
18.	Mohindergarh	..	112.95	14.8	6.54
	Total	..	2,112.93	29.4	2,57.20

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : वज़ीर साहिब ने जो यह statement मुझें दी है इस में बताया गया है कि बाज़ इज़लाह में सिर्फ दो फीसदी सड़कें बनी हैं, बाज़ में चार फीसदी और बाज़ में 54 फीसदी । इस फर्क की क्या वजह है ?

लोक कार्य मन्त्री : अगर किसी खास सड़क के मुताल्लिक बताएं तो वजह दरियाफ्त कर के बताई जा सकती है । मुख्तलिफ वजुहात होती हैं जिन की वजह से काम में देर हो जाती है ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : मुझे जो statement दी गई है इस में बताया गया है कि बाज़ इज़लाह में कुल 110 मील सड़कें जो बननी थीं उस का दो फी सदी ही सड़कें बनी हैं और बाज़ में 54 फीसदी बन गई हैं । इस की क्या उजह है ? आया कोई अफसर ज़िम्मादार है या गवर्नमेंट ने ही fund नहीं दिए ? (*Maulvi Abdul Ghani Dar repeated his question on being asked by the Speaker to do so.*)

मन्त्री : जैनरल तौर पर कुछ नहीं कह सकता । जब तक किसी खास सड़क के मुताल्लिक न पूछा जाए । मैं ने अर्ज़ किया है कि बहुत सी वजुहात होती हैं जिन पर काम का जल्दी या देर से होना मुनहसर है । अफसरों और गवर्नमेंट के ऊपर ही इसका दारोमदार नहीं होता । बाज़ औकात काम जल्दी हो जाता है और कई बार कई रुकावटें आ जाती हैं । कहीं पर public से बेशुमार शिकायतें आ जाती हैं कि यह सड़क यहां नहीं होनी चाहिए । कई बार सड़कों की alignment नहीं तै होने दी जाती और scheme को बार बार देखना पड़ता है ।

Sardar Bhupinder Singh Mann : May I know whether there is any practice in the Department to divert the funds allocated for one road to another road ?

मन्त्री : मैं सवाल समझ नहीं सका कि आप का मकसद क्या है ।

Sardar Bhupinder Singh Mann : May I know whether there is any practice in the Department to utilize the funds, allocated for a par ticular road, for the construction of another road ?

Chief Minister : Yes. If a representation is made and after considering it we are convinced that a particular road is more essential than the one already planned to be built, we usually do that.

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि क्या 5 साला प्लैन बनाने में गवर्नमेंट ने सड़कों की Relative importance देख कर सड़कों के मुताल्लिक फैसला किया था या at random ही यह तै कर दिया गया ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : **ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਕ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਸ ਸਕਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਸੜਕ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ** important **ਸੜਕ ਛੱਡ ਦਿਤੀ ਹੈ ।**

पण्डित श्री राम शर्मा : वज़ीर साहिब ने जो सड़कें बनी हैं वह ज़िलावार बताई हैं । तो जहां percentage सब से ज़्यादा है और जहां सब से कम है क्या उस की कोई बड़ी वजह है ?

लोक कार्य मन्त्री : इस का जवाब दे चुका हूँ ।

पण्डित श्री राम शर्मा : मैंने पूछा है कि जहां सब से ज़्यादा percentange और जहां सब से कम percentage है वहां इस फर्क की क्या वजह है ?

Mr. Speaker : This has been replied to.

मौलवी अब्दुल गनी डार : इस statement में दिया गया है कि कहीं पर 50,000 per mile खर्च हुआ कहीं 33,000 और कहीं पर एक लाख रुपया खर्च हुआ । मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ खर्च की क्या वजह है ?

मन्त्री : यह बात भी ज़िलों पर मुनहसर नहीं है । एक ही ज़िले में हर सड़क पर खर्च में फर्क पड़ सकता है । कहीं पर मिट्टी डालनी पड़ती है, कहीं नशेब होता है, कहीं culverts और कहीं bridges बनाने पड़ते हैं । इस तरह ऐसी कई बातें होती हैं ।

राजा रघुबीर सिंह : सड़कों के बनने की कम या ज़्यादा percentage के वज़ीर साहिब ने मुख्तलिफ कारण बताए हैं । क्या इन वजुहात को मालूम करने का ज़रिया Department के अफसरान ही हैं या उन्हें गवर्नमेंट की भी तसल्ली करानी पड़ती है और तब गवर्नमेंट यह फैसला करती है कि यहां सड़क कम बनाओ और यहां ज़्यादा ?

Mr. Speaker : This has been replied to.

राजा रघुबीर सिंह : इस का जवाब ले दें कि कहीं पर कम सड़कें बनीं और कहीं पर ज़्यादा सड़कें बनीं तो उनकी जो वजुहात हैं उन के बारे क्या फैसला Head of the Department या Minister करते हैं कि यह सड़क नहीं बन सकती इस ज़िले में कम सड़कें बनाओ और उस में ज़्यादा ?

अध्यक्ष महोदय : आप तो तकरीर करने लग गए । (The hon. Member has started making a speech.)

राजा रघुबीर सिंह : यह फसला किस ने करना है ?

Mr. Speaker : This has been replied to.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ Second Plan ਵਿਚ 38.54 ਮੀਲ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 13.7 ਮੀਲ ਬਣ ਚੁਕੀ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ । ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੜਕ ਪੱਕੀ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਮੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਮੀਲ ਤਕ ਪੱਕੀ ਬਣੀ ਹੈ ।

Mr. Speaker : This question does not arise out of the main question.

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि कौन से ज़िले में सब से ज़्यादा सड़कें बनीं और कौन से में सब से कम ?

मन्त्री : यह statement में बताया है । हिसार में सब से ज़्यादा बनीं । (विघ्न)

अध्यक्ष महोदय : न तो मैंबर और न ministers सुनते हैं कि स्पीकर क्या कहता है । जो सवाल पैदा नहीं होते उन का जवाब न दिया करें । (Neither the members nor the minister pay heed to what the speaker says. The Minister need not reply to supplementary questions which do not arise out of the main question.)

श्री प्रबोध चन्द्र : जब सरकार target fix करती है तो आगे आने वाली difficulties का अन्दाज़ा नहीं लगाती ?

मन्त्री : सब अन्दाज़ा लगाते हैं ।

श्री प्रबोध चन्द्र : तो फिर क्या वजह है कि एक ज़िले में तो percentage 22 है और दूसरे में 54 अगर expected difficulties का अन्दाज़ा लगा लिया गया था?

Mr. Speaker : He has already answered this question in the beginning.

VILLAGES CONNECTED WITH MAIN ROADS BY LINK ROADS

***1496. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Minister for Public Works be pleased to state the names of villages in the State which have been connected with main roads by Link Roads during the last ten years ?

Rao Birendar Singh : A statement showing the necessary information is placed on the table of the House.

A list of villages which have been connected with main roads by P.W.D metalled links during the last 10 years.

District		Name of Village
Ambala	..	1. Chamkaur
		2. Bala
		3. Dhanausa
		4. Khajuri
		5. Dadupur
		6. Bari Pabni
		7. Amdalpur
		8. Kot
		9. Deodhra
		10. Kalesar
Gurdaspur	..	1. Qadian
		2. Fatehgarh Churian
		3. Behlomal
Hoshiarpur	..	1. Hajipur
		2. Talwara
		3. Dholbaha
		4. Una

District		Name of Village
Rohtak	..	1. Chilkana
		2. Kosli
		3. Nahar
		4. Purkhas
		5. Khubru
		6. Rathdana
		7. Murthal
		8. Memarpur
		9. Bighan
		10. Jakhauli
Kangra	..	1. Jawalamukhi
Karnal	..	1. Safaidon
		2. Asandh
		3. Rajaund
		4. Jhansa
		5. Karsa
		6. Kunjpura
Hissar	..	1. Tohana
		2. Barwala
		3. Balsamand
		4. Uklana
		5. Ratia
		6. Bhattu
		7. Kalanwali
		8. Khanak
		9. Adampur
		10. Bubshahar
		11. Chautala
Gurgaon	..	1. Pali
		2. Chhainsa
		3. Mohana

[Minister for Public Works]

District		Name of Village
		4. Tigaon
		5. Kund
		6. Manesar
		7. Shampur
Jullundur	..	1. Mukandpur
		2. Kot
		3. Phurala
		4. Barapind
		5. Apra
Amritsar	..	1. Kakar
		2. Kohali ..
Ferozepur	..	1. Dhudike
Ludhiana	..	1. Nanaksar
Sangrur	..	1. Bitumara
		2. Dhanaula
		3. Barnala
		4. Narwana
		5. Chaundar
Mohindergarh	..	1. Baund
Patiala	..	1. Nalagarh
		2. Sirinagar
		3. Kasauli
		4. Dhamot
		5. Chail
		6. Jargi
Bhatinda	..	1. Damdama Sahib
		2. Jaitu
Kapurthala	..	1. Kala

ENHANCEMENT OF THE MONTHLY RATE OF PASSES BETWEEN PATIALA AND AMBALA, ETC.

***1244. Sardar Atma Singh :** Will the Minister for Public Works be pleased to state —

(a) whether the Pepsu Road Transport Corporation has increased the rates of monthly passes from 24 single fares to 35 single

fares between Patiala and Ambala and Patiala and Chandigarh ; if so, since when and the reasons for this enhancement ;

(b) the total number of such passes issued on the said routes as on 30th November, 1957 and as at present separately.

Rao Birendra Singh : (a) Yes ; with effect from 30th November, 1957. Correctly speaking it is not an enhancement but reversion to the original rate of monthly passes equal to 35 single fares. It became necessary to revert to the original rate as on no other routes in the State monthly concessional passes were being issued at the rate equal to 24 single fares and the issue of passes on this rate discriminated against pass-holders on other routes. Financially also in the present rising costs of operation, such a concession could not be persisted in.

(b) On 30th November, 1957 :—

Patiala—Ambala .. 42

Patiala—Chandigarh .. 36

At present.—

Patiala—Ambala .. 14

Patiala—Chandigarh .. 16

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या मैं वज़ीर साहिब से पूछ सकता हूँ कि 24 रुपए से 35 रुपये तक enhance करने में सरकार को कितना फायदा हुआ ?

Mr. Speaker : The hon. Minister says that it is not an enhancement. It is revision of rates. (*interruption*). I have not followed the question asked by the hon. Member.

श्री प्रबोध चन्द्र : जनाब मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इन steps के उठाने से गवर्नमेंट को कितना फायदा हुआ ?

मन्त्री : इस के लिये separate notice चाहिए ।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि Pepsu और पंजाब की integration पर Pepsu के employees को यह assurance दी गई थी कि they will get passes at concessional rate from Patiala to Chandigarh and back.

मन्त्री : जी हां ! और इस assurance के मुताबिक 1 नवम्बर, 1956 से 30 नवंबर, 1957 तक उन्हें concession दी गई और इस के बाद ज़रूरी नहीं समझा गया कि उसे continue किया जाए ।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या अब हालात बदल गए हैं और क्या उनकी pay में इज़ाफ़ा हो गया है या चण्डीगढ़ में accommodation दी गई है इस लिए concession withdraw कर लिया गया है ?

मन्त्री : पहले Chandigarh में accommodation नहीं थी लेकिन अब उन्हें चण्डीगढ़ में accommodation दे दी गई है ।

LOAN UNDER THE LOW-INCOME GROUP HOUSING SCHEME

***1209. Shri Rup Singh Phul :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether Government have advanced any loan under the Low-Income Group Housing Scheme during the current financial year ; if so, the total amount so far advanced district-wise in the State ;

(b) the period for which the aforesaid scheme is in force ?

Rao Birendra Singh : The information is laid on the Table of the House

(a) Yes. A sum of Rs 33,68,934 was disbursed to loanees during the current financial year up to the end of December, 1957, districtwise figures as received from the districts are given below :—

		Rs.
Amritsar	..	3,72,120
Ambala	..	52,250
Ferozepore	..	4,68,670
Gurgaon	..	1,46,470
Gurdaspur	..	8,01,990
Hoshiarpur		1,31,650
Hissar	..	4,000
Jullundur	..	2,03,730
Karnal	..	1,93,815
Kangra	..	1,56,833
Ludhiana		1,12,180
Rohtak	..	1,27,450
Simla	..	..
Patiala	..	1,39,895
Sangrur	..	81,560
Bhatinda	..	1,79,700
Kapurthala	..	1,92,621
Mohindergarh	..	4,000
Total	..	33,68,934

(b) The Scheme is to remain in force till the end of the 2nd Five-Year Plan, i.e. 1960-61.

श्री रूप सिंह फूल : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि किसी खास ज़िले के लिए मखसूस की गई रकम दूसरे ज़िले को transfer कर दी जाती है ?

लोक कर्म मन्त्री : हरेक ज़िले के लिए अलग रकम मखसूस होती है ।

SUPPLY OF POTABLE WATER IN KANGRA DISTRICT

***967. Shri Ram Chandra Comrade :** Will the Minister for Consolidation and Health be pleased to state whether Government have been approached by any M.L.A.s from Kangra District for making arrangements for the supply of potable water in the rural areas of the said district ; if so, the action, if any, taken in the matter ?

Chaudhri Suraj Mal : Yes. Four water supply schemes had been sanctioned for this district during the 1st Five-Year Plan and two are under sanction in the 2nd Five-Year Plan under the National Water-supply and Sanitation Programme. Construction on the schemes included in the 1st Five-Year has been started but work on two of the schemes has had to be postponed due to obstruction from the villagers.

श्री राम चन्द्र कामरेड : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि कौन कौन सी स्कीमें इस इलाके में तहसील वाइज़ मन्ज़ूर की गई हैं और उन पर क्या काम हो रहा है ?

मन्त्री : इस के लिए नोटिस चाहिए ।

श्री राम चन्द्र कामरेड : आप स्कीमें ही बता दीजिए हम खुद तहसीलों के बारे में पता लगा लेंगे ?

Minister : The following four schemes have already been sanctioned under the National Scheme for Water-supply and Sanitation during the First Plan period and work has been commenced :

(i) Providing water-supply in villages Har Punkhar, in tehsil Dera Gopipur, district Kangra. The work is in progress.

(ii) Providing water-supply to villagers Chanaur Panawl etc., tehsil Dera Gopipur. The work has been suspended due to construction by villagers.

(iii) Providing water-supply in villages Khadwana Matumaran, Nathun, Dangerla, Tikka Mehra and Tikka Jhallahar, etc., tehsil Dera Gopipur.

The work is in progress.

(iv) Providing water-supply scheme for Tikka Kharoti, Tappa Kaloha, tahsil Dera Gopipur. The work has been suspended due to the obstruction by villagers.

श्रीमती सरला देवी शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बतालाएंगे कि इस तहसील के अलावा उन तहसीलों में भी स्कीमों को चालू किया जाएगा जिन्होंने apply किया था ?

अध्यक्ष महोदय : आप का मतलब हमीरपुर तहसील से होगा। (हंसी) यह इस से पैदा नहीं होता। (The hon. lady Member probably refers to the Hamirpur Tehsil. (*Laughter*) This supplementary question does not arise out of it.)

श्री राम चन्द्र कामरेड : क्या वजह है कि डेरा में 4 स्कीमें चालू कर दी गई हैं और बाकी की तहसीलों में जहां कि इस से भी ज्यादा जरूरत थी कोई स्कीम चालू नहीं की गई और कोई तवज्जुह नहीं दी गई ?

मौलवी अब्दुल गनी डार : वहां के M.L.As. तगड़े हैं।

PAYMENT OF ANNUAL GRANT TO BHANAUPLI CO-OPERATIVE MEDICAL RELIEF SOCIETY IN THE DISTRICT HOSHIARPUR

***1580. Comrade Jangir Singh :** Will the Minister for Consolidation and Health be pleased to state whether it is a fact that Government used to give an annual grant of Rs 1,500 to Bhanaupli Co-operative Medical Relief Society in district Hoshiarpur ; if so, whether the said grant was given for the year 1956-57 and 1957-58, if not then reasons therefor ?

Chaudhri Suraj Mal : Yes. The grant-in-aid for the year 1956-57, has already been authorised for payment to the Bhanaupli Co-operative Medical Relief Society by the Health Directorate. As regards the grant-in aid for the year 1957-58, the same will be authorised during the financial year 1958-59, on the working of the preceding year viz. 1957-58.

TOUR BY MINISTER FOR PUBLIC WORKS

***1246. Sardar Atma Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total mileage covered by the Minister for Public Works on tour during the current year in the Hindi and the Punjabi regions separately, the number of Tours in which it was covered, the names of places visited by him and the purpose for which they were visited ;

(b) the total expenditure incurred in the Tours in the two Regions, respectively ?

Sardar Partap Singh Kairon : A statement containing the requisite information is laid on the Table.

STATEMENT

Total mileage covered in Hindi Region	Number of tours in which covered	Total mileage covered in Punjabi Region	No. of tours in which it was covered	*Names of places visited*		Purpose of visit	*Total expenditure incurred in the tours*	
				Punjabi Region	Hindi Region		Punjabi Region	Hindi Region
							Rs,	Rs.
11,037	23	4,879	25	*Hoshiarpur	*Jawalamukhi	*Police enquiry, Inauguration of oil drilling operations	17,42.00	3,998.00
				Amritrsar	..	Police enquiries		
				Sathiala	..	Ditto		
				Nakodar	..	Ditto		
				Jullundur	..	Ditto		
				Amritsar	..	Ditto		
				Kalsian Kalan	..	Ditto		
				Ferozepore	..	Ditto		
				Ispanj Garain	..	Location of police post at Ispanj Garain		
				..	Rewari	To address Public meetings		
				..	Gurgaon	..		
				Phagwara }	..	Police enquiries		
				Tarn Taran }	..			
				Samrala	..	Police enquiry		
				Patiala	..	Ditto		

[Chief Minister]

Total mileage covered in Hindi Region	Number of tours in which covered	Total mileage covered in Punjabi Region	No. of tours in which it was covered	*Name of places visited*		Purpose of visit	*Total expenditure incurred in the tours*	
				Punjabi Region	Hindi Region		Punjabi Region	Hindi Region
					Chail	Inspection of Government Buildings.		
					Simla	Discussion with Executive Engineer regarding utilization of Government buildings in Chail		
				..	Gurgaon	Inspection of road works in progress Visit to N.E.S. Block in Jattusana and Inspection of works in progress.		
				..	Rewari			
				..	Palwal			
				..	Karnal	Discussion with Executive Engineer and Superintending Engineer regarding the progress of works in Karnal District		
				Nangal	..	Passing out parade of Lok Sahaik Saina Camp		

District	Place	Purpose		
Jullundur	..	Survey of Nakodar—Kapurthala Road		
Beas	..	Educational Department enquiry		
Moga, Muktsar, Malout, Bhatinda, Sangrur, Jassi Bhain	..	Police enquiries		
..	Rewari	Maintenance of public contact		
..	Gurgaon	Ditto		
..	Nuh, Ferozepur Jhirka, Zainabad, Dharuehra, Bawal	Public meetings		
..	Rohtak	Presided at Annual Function of Babar Vyamshala	..	..
Rupar	..	Enquiry	..	..
..	Bahadurgarh	Independence Day Celebrations	..	..

[Chief Minister]

Total mileage covered in Hindi Region	Number of tours in which covered	Total mileage covered in Punjabi Region	Number of tours in which it was covered	*Names of places visited*		Purpose of visit	*Total expenditure incurred in the tours*	
				Punjabi Region	Hindi Region		Punjabi Region	Hindi Region
				..	Rewari	Public contact	..	..
				..	Ambala	Addressed Youth Congress		..
				..	Ballabgarh—Mohna	Bharat Sewak Samaj Camp	..	..
				Narwana	..	Police enquiry	..	..
				..	Chautala }	Inspection of road tracks		
				..	Dabwali }			
				..	Sirsa }	Police enquiries		
				..	Otu }			
				..	V. Kutabad }	Inspection of road tracks		
				..	Boltwala }			
					Porka }			
				..	Ellenabad }			
				..	Hissar }	Inspection of works		

		Place	Purpose
	..	Dadri	Police enquiry
	..	Rewari	Heard Public grievances
	..	Chandanwas	Inaugurated Kisan Mela
	..	Rohtak	Discussion regarding damage to culverts by rains
	..	Rohtak	
	..	Pakisma	
	..	Mugan	
	..	Hissar	Public meetings.
	..	Jhajjar	
	..	Jhazgarh	
	..	Silani—Pataud	
	..	Touru	Police enquiry
	..	Palwal	Ditto
Balachaur		..	Addressed B. S. S. Camp
	..	Ambala	Inspection of R. T. A's and Roadways Offices
	..	Karnal	Inspection of Buildings and Roads Laboratory
	..	Rewari	Enquiries
	..	Palwal	
	..	Rohtak	Public contact and heard grievances

[Chief Minister]

Total mileage covered in Hindi Region	Number of tours in which covered	Total mileage covered in Punjabi Region	Number of tours in which it was covered	Names of places visited		Purpose of visit	Total Expenditure incurred in the tours	
				Punjabi Rigion	Hindi Region		Punjabi Region	Hindi Region
				Jullundur	..	Inauguration of Transport Worker's Conference		
				Patiala	..	Prize distribution, Karnail Singh Tournament		
				Patiala	..	Inspection of Guest Houses and Museum		
				..	Ambala	Inauguration of Five-Year Plan Exhibition		
				Patiala	..	P.W.D. Contractors Conference		

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਇਸ statement ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ P.W.D. ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 4,879 ਮੀਲ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ 11,037 ਮੀਲ ਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਟੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਟੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ Zone ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਏਥੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ?

Mr. Speaker : This is no supplementary.

REORGANISATION OF DISTRICTS IN THE STATE

***1523. Dr. Bhag Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Goveernment to reorganise the present boundaries of districts in the State, if so, the details thereof, together with the time by which the district boundaries are expected to be reorganised ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : No such proposal is under the consideration of Government for the present.

COMPLAINT AGAINST DEPUTY COMMISSIONER, HOSHIARPUR

***1581. Comrade Jangir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether Government recently received any complaint from Lady Doctor Pushpa Sethi, M.B.B.S., Ex-Medical Officer, Hoshiarpur, Red Cross Maternity Hospital, against the Deputy Commissioner, Hoshiarpur, if so, the main allegations contained in the said complaint ;

(b) whether Government instituted any enquiry into the said allegations : if so, the result thereof ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Yes. The main allegation contained in the said complaint was indecent behaviour of the Deputy Commissioner, towards the Lady Doctor.

(b) Yes. The Commissioner, Jullundur Division, was asked to inquire into the matter confidentially and make a detailed report to Government. The Commissioner reported that the allegations made by Dr. (Miss) P. Sethi, Lady Doctor were baseless. No action against the Deputy Commissioner was, therefore, considered necessary. The Lady Doctor was latter transferred to Jagraon in Ludhiana District.

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ Lady Doctor ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ?

Chief Minister : Yes.

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ Red Cross Maternity Hospital ਦੇ through ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । I am just supplying this information.

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या लेडी डाक्टर को मौका दिया गया था कि वह जो allegations हैं उन को substantiate कर सके ?

Mr. Speaker : This question does not a ise.

SHRIMAN NARAIN ENQUIRY REPORT

***1744. Shri Balram Dass Tandon :** Will the Chief Minister be pleased to state the date when the Shriman Narain Enquiry Report into the lathi charge incident at Hoshiarpur was received by Government, together with the action, if any, taken against any officer, held responsible therefor ; if not, the reasons therefor ?

Sardar Partap Singh Kairon : The Shriman Narain Enquiry Report into the lathi charge incident at Hoshiarpur was received by Government on the 27th July, 1956. The two Inspectors of Police who were connected with the lathi charge incident at Hoshiarpur were transferred from there and, the displeasure of Government was also conveyed to them.

श्री बलराम दास टंडन : क्या Chief Minister साहिब यह बताएंगे कि जो report इस Enquiry Committee ने दी थी इस पर यही action लेना मुनासिब समझा गया था ?

मुख्य मन्त्री : जी हां इस पर यही action लेना मुनासिब था । अगर आप इस कमेटी की रिपोर्ट पर गौर करें तो पता लगेगा कि जो action लिया गया है यही मुनासिब था ।

Sardar Bhupinder Singh Mann : May I know whether this enquiry was held by Shri Shriman Narain as General Secretary of the All-India Congress Committee or it was held under the aegis of the Government ?

Chief Minister : Well, the hon. member knows as much as I do.

Shri Prabodh Chandra : Is it the policy of the Government to take cognizance of non official enquiries ?

मुख्य मन्त्री : जो कुछ भी किया गया है उस में Government की एक set policy थी ।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या Government की यह policy न थी कि not to take any action on the enquiry of such official committee

मुख्य मन्त्री : Government की जो policy है वह इस के action से साफ ज़ाहिर है ।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या कोई Government Officer किसी non-official committee के सामने पेश हो सकता है ?

मुख्य मन्त्री : पंचायत राज में जिस की गलती हो उसे माननी पड़ती है। यह तो आप की बर्तानवी राज की बातें हैं।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या Government की यही policy है कि कोई Government officer non-official committee के सामने पेश न हो ?

मुख्य मन्त्री : मैंने इस का जवाब दे दिया है।

श्री प्रबोध चन्द्र : अगर फर्ज़ करें कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई और पार्टी enquiry constitute करे तो क्या मुलाज़िमों को वहां जाने दिया जायेगा ?

मुख्य मन्त्री : फर्ज़ करो आप उस पार्टी के member हो सकते हैं या नहीं। (हंसी)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ enquiry constitute ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ co-operate ਕਰਨਗੇ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ co-operate ਕਰਦਾ ਹਾਂ (ਹਾਸਾ)। (I have no objection, I for one do co-operate with the hon. Member.) (*Laughter.*)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ Committe ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ enquiry ਵਿੱਚ Government employees co-operate ਕਰਨਗੇ ?

Mr. Speaker : No please, this question does not arise.

श्री प्रबोध चन्द्र : जो उन्हों ने कहा है कि lathi-charge was a business like lathi-charge, तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस का क्या भाव है ?

Mr. Speaker : This question is not answerable please.

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या इस रिपोर्ट में जैसा कि Government का पहले ख्याल था, कोई तब्दीली आई ?

अध्यक्ष महोदय : ख्यालात के इज़हार के बारे में सवाल नहीं किया जा सकता। (No question is allowed to be asked regarding expression of views.)

पण्डित श्री राम शर्मा : इस enquiry से पहले जिस नतीजा पर Government पहुंची थी क्या उस में कोई तब्दीली आई ?

Mr. Speaker : It is not relevant.

Pandit Shri Ram Sharma : Sir, it is very relevant.

Mr. Speaker : No, Sir.

चौधरी बलबीर सिंह : अगर आप कहते हैं कि कोई तब्दीली नहीं हुई तो जो 2 Inspectors को इस के नतीजा के तौर पर सज़ा दी गई इस की क्या वजह है ?

Mr. Speaker : This question does not arise.

चौधरी बलबीर सिंह : क्या Government उन लोगों को कोई मुआवज़ा देने का इरादा रखती है जो लाठी चार्ज में ज़खमी हुए ?

Mr. Speaker : This question does not arise. The main question is about the action taken against the Officers.

चौधरी बलबीर सिंह : जनाब यह उन लोगों के साथ connected है जिन के चोटें लगी हुई हैं ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ connected ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । (The hon. member's has always some relevancy.)

Sardar Bhupinder Singh Mann : May I know whether there is anything in the Government rules which debars Government from accepting or rejecting any report made by a private authority ?

Chief Minister : No.

ACTION AGAINST NEWSPAPERS DURING HINDI SATYAGRAHA MOVEMENT

***1448. Shri Ram Chandra Comrade :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the names of the newspapers in the State against whom action was taken during the Save Hindi Satyagraha Movement ;

(b) the nature of action taken against each paper, each time ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) The Pratap (Jullundur), the Vir Arjun (Jullundur), the Pratap (Delhi), the Vir Arjun (Delhi), the Hind Samachar (Jullundur), the Prabhat (Jullundur), the Akali (Jullundur), the Happy Magazine (Amritsar), the Vir Bharat (Jullundur), the Ranjit (Patiala), the Toofan (Batala), the Motor Transport Gazette (Jullundur), the Ujala (Jullundur), and the Bhim Patrika (Jullundur).

(b) The Pratap, the Vir Arjun and the Hind Samachar of Jullundur were prohibited from printing and publishing any material relating to or connected with 'Save Hindi Agitation' for a period of two months with effect from 13th July, 1957. The Pratap and the Vir Arjun (Jullundur) contravened the Prohibitory Order once and action was taken against them under sections 2(2) and 4 of the Punjab Special Powers (Press) Act, 1956. Entry of the Pratap (Delhi) and the Vir Arjun (Delhi) in Punjab was banned for 2 months with effect from 14th July, 1957. The Prabhat and Akali of Jullundur were prohibited from printing and publishing any material to counter the 'Save Hindi Agitation' for a period of 2 months with effect from 29th July, 1957 and 3rd August, 1957, respectively. Both of them contravened the Pro hibitory Order twice. Twice action was taken against them under section 4 and once under section 2(2) of the Punjab Special Powers (Press) Act, 1956. The Happy Magazine (Amritsar) was proceeded against under the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954e The Vir Bharat (Jullundur) and the Ranjit (Patiala) are being proceeded. against under section 500, Indian Penal Code read with section 198/B, Crimina Procedure Code on account of defamation of public servants. Actionl

against Toofan (Batala) has been taken under section 9 of the Punjab Security of the State Act. In one case the Hind Samachar (Jullundur) is being proceeded against under section 124-A of the Indian Penal Code. The Motor Transport Gazette, the Ujala and the Bhim Patrika of Jullundur are being proceeded against under section 500 of the Indian Penal Code read with section 198-B, Criminal Prodcedure Code on account of defamation of public servants.

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

अध्यक्ष महोदय : इस सवाल का जवाब बड़ा लम्बा है इस लिये यह मेज़ पर रख दिया है । आप इस पर supplementary बाद में कर सकते हैं । (The answer of this question is a bit lengthy and therefore it has been placed on the Table. The hon. Member can put supplementary question afterwards.)

Shri Ram Chandera Comrade : Thank you, Sir.

ARMS LICENCES IN THE STATE

***1446. Shri Ram Chandra Comrade :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the total number of arms licences issued in each tehsil for each variety of arms during the years 1951, 1953-1955 and 1957, respectively ;

(b) the number of repair workshops for fire arms in each tehsil ;

(c) the number of applications for licences received and sanctioned in each tehsil during the period referred to in part (a) above ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a—c) It is not in public interest to disclose the information asked for. However, any specific case needing Government's attention may be brought to its notice, when it will be duly looked into.

श्री राम चन्द्र कामरेड : वज़ीर साहिब ने जवाब देने से तो इन्कार किया है लेकिन यह फरमाया है कि अगर कोई केसिज़ उनकी तवज्जुह में लाए जाएंगे तो गौर करेंगे । मैंने इस लिये यह दरयाफ्त किया था कि मेरी तहसील में crop protection के लिये जो licence मांगे जाते हैं उनके हासिल करने में दिक्कत होती है । मैं कुछ cases notice में लाऊँगा, तो क्या उन पर गौर किया जाएगा ?

मुख्य मन्त्री : आप लिख कर दीजिये तो मैं गौर कर लूंगा ।

Sardar Bhupinder Singh Mann : In part (c) of the question, the number of applications for licences received and sanctioned in each tehsil has been enquired. May I know whether these licences are sanctioned in tehsils or at the district headquarters ?

Chief Minister : They are issued by the district authorities but nonetheless how can you prevent a member from asking that question.

ARRESTS IN CONNECTION WITH HINDI SATYAGRAHA MOVEMENT

***1447. Shri Ram Chandra Comrade :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the number of persons arrested and detained in the State in connection with the Hindi Satyagraha Movement from May, 1957 to December, 1957, together with the number of these amongst them who were punished by the courts ;

(b) the total amount of fines imposed on the Hindi Satyagrahi prisoners during the period referred to in part (a) above and the total amount realised by Government ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) The number of persons arrested, detained and convicted is 10,438, 114 and 6,148, respectively.

(b) The total amount of fines imposed is Rs. 2,39,770 and the amount realised is Rs. 12,450.

Sardar Bhupinder Singh Mann : May I know whether the Govern ment proposes to return the amount which has been realized ?

Chief Minister : Yes .

PRISONERS IN CONNECTION WITH SAVE HINDI MOVEMENT

***1652. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state the number and category of prisoners of the Save Hindi Movement confined in different jails of the State as on the 1st and the 15th of every month since 1st June, 1957 ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : The required information is laid on the Table of the House.

STATEMET SHOWING NUMBERS OF HINDI AGITATION PRISONERS CONFINED IN DIFFERENT JAILS ON ITS AND 15TH OF EACH MONTH FROM ITS JUNE, 1957

Name of Jails	Undertrials		Convicts			Detenus			Total
	Better	Ordinary	A.	B.	C.	A.	B.	C.	
1st June, 1957									
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
15th June, 1957									
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Name, of Jails	UNDERTRIALS		CONVICTS			DETENUS			total
	Better	Ordinary	A.	B.	C.	A.	B.	C.	
			1st July, 1957						
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
			15th July, 1957						
C. J., Ambala ..	..	104	..	..	..	..	..	..	..
Total ..	..	104	..	..	..	..	..	..	104
			1st August, 1957						
C. J., Ambala ..	..	103	..	..	..	1	..	..	104
C. J., Ferozepur	..	75	..	..	..	..	..	..	75
D. J., Rohtak ..	..	2	..	..	..	..	..	..	2
Total ..	..	180	..	..	..	1	..	..	181
		Total on 1st August, 1957						..	181
			15th August, 1957						
C. J., Ambala ..	..	194	..	..	..	2	..	..	196
C. J., Ferozepur	..	284	..	..	..	..	..	..	284
D. J., Rohtak ..	..	131	..	..	3	1	1	..	136
S. J., Karnal ..	..	..	..	..	..	..	1	..	1
D. J., Faridkot	..	..	..	..	..	2	1	..	3
Total ..	..	609	..	..	3	5	3	..	620
		Total on 15th August, 1957						..	620
			1st September, 1957						
C. J., Ambala ..	2	1,127	..	..	..	19	..	3	1,151
C. J., Ferozepur	6	537	..	..	..	..	..	..	543
C. J., Patiala ..	2	84	..	..	1	1	1	..	89
D. J., Ludhiana	..	..	..	..	..	1	..	..	1
D. J., Rohtak ..	8	595	..	..	..	..	..	..	603
B. I., Hissar ..	..	158	..	..	..	..	..	..	158
D. J., Nabha ..	..	..		..	..	4	3	2	9
S. J., Gurgaon	..	65	..	..	..	..	..	..	65
S. J., Kapurthala	..	52	..	..	..	..	..	..	52
Dharamsala ..	..	..	..	..	..	3	..	..	3
D. J., Faridkot	..	..	..	..	..	2	1	..	3

[Minister for Planning and Community Projects]

Name of Jails	Undertrials		Convicts			Detenus			Total
	Better	Ordinary	A.	B.	C.	A.	B.	C.	
D. J., Amritsar	..	14	..	..	..	..	..	4	18
Total ..	18	2,632	..	..	1	30	5	9	2,695
					Total on 1st September, 1957			..	2,695
				15th September, 1957					
C. J., Ambala ..	7	1,175	..	..	..	..	..	..	1,182
C. J., Ferozepur	19	556	..	..	..	..	..	..	575
C. J., Patiala ..	..	..	..	..	..	1	3	..	4
D. J., Jullundur	..	95	.	..	..	..	..	..	95
D. J., Ludhiana	2	43	..	..	..	1	..	..	46
D. J., Gurdaspur	..	4	..	..	..	..	..	5	9
D. J., Hissar ..	1	22	..	..	..	..	..	..	23
D. J., Rohtak	12	543	..	..	123	..	..	..	678
D. J., Amritsar	..	52	..	..	..	..	2	7	61
D. J., Faridkot	2	1	..	..	..	..	..	..	3
B. I., Hissar ..	1	543	..	..	..	..	..	..	544
D. J., Nabha ..	5	11	..	..	..	8	25	10	59
S. J., Karnal ..	..	44	..	..	..	..	..	..	44
D.J., Kapurthala	..	187	..	..	..	..	..	..	187
S. J., Dharamsala	..	..	..	..	..	3	..	..	3
Total ..	49	3,276	..	..	123	13	30	22	3,513
					Total on 15th September, 1957			..	3,513
				1st October, 1957					
C. J.. Ambala ..	16	1,203	..	..	..	..	..	..	1,219
C. J., Ferozepur	42	624	..	..	..	..	..	..	666
C. J., Patiala ..	..	..	..	..	..	10	25	10	45
D. J., Jullundur	2	316	..	..	..	..	..	..	318
D. J., Ludhiana	4	110	..	..	1	1	..	..	116
D. J., Gurdaspur	2	122	..	..	..	..	..	..	124

Names of Jails	Undertrials		Convicts			Detenus			Total
	Better	Ordinary	A.	B.	C.	A.	B.	C.	
D. J., Hissar	1	116	..	..	..	..	..	..	117
D. J., Amritsar	..	46	..	..	1	..	..	..	47
D. J., Faridkot	..	..	..	..	..	1	..	..	1
D. J., Rohtak	11	497	..	..	53	..	..	..	561
B. I., Hissar ..	5	512	..	..	..	..	..	..	517
D. J., Sangrur ..	7	40	..	1	130	..	..	..	178
D. J., Nabha ..	9	4	..	..	..	9	29	12	63
S. J., Karnal ..	..	141	..	..	..	..	..	..	141
S. J., Gurgaon	..	17	..	..	..	..	..	..	17
S. J., Hoshiarpur	..	8	..	..	..	..	1	..	9
S. J., Kapurthala	4	248	..	4	..	..	..	..	256
Total ..	103	4,004	..	5	185	21	55	22	4,395
	Total on 1st October, 1957							..	4395
C. J., Ambala ..	20	1,033	..	..	..	..	..	..	1,053
C. J., Ferozepur	60	626	..	..	..	..	..	..	686
C. J., Patiala ..	..	19	..	..	..	8	25	11	63
D. J., Jullundur	8	316	..	..	..	..	..	..	324
D. J., Ludhiana	6	202	..	..	1	..	..	..	209
D. J., Gurdaspur	4	116	..	..	..	..	..	..	120
D. J., Hissar	3	301	..	..	..	..	..	..	304
D. J., Rohtak ..	11	193	..	2	36	..	..	..	242
D. J., Amritsar	..	74	..	..	14	..	..	..	88
D. J., Faridkot ..	..	2	..	..	..	..	..	..	2
B. I., Hissar ..	5	212	..	..	295	..	..	..	512
D. J., Sangrur ..	7	85	..	1	175	..	..	..	268
D. J., Nabha ..	..	..	..	..	..	4	27	11	42
S. J., Karnal ..	..	216	..	..	..	..	..	..	216
S. J., Gurgaon	..	17	..	..	..	..	..	..	17
S. J., Hoshiarpur	..	34	..	..	..	..	..	..	34
S. J., Kapurthala	1	149	..	4	84	..	..	..	238
S. J., Mohindergarh	..	2	..	..	..	..	..	..	2
Total ..	125	3,597	0	7	605	12	52	22	4,420
	Total on 15th October, 1957								4,420

[Minister for Planning and Community Projects]

Names of Jails	Undertrials		Convicts			Detenus			Total
	Better	Ordinary	A.	B.	C.	A.	B.	C.	
				1st November, 1957					
C. J., Ambala	38	1,124	..	3	52	..	..	..	1,217
C. J., Ferozepur	61	664	..	2	10	..	..	..	737
C. J., Patiala	6	13	..	1	51	11	4	26	112
D. J., Jullundur	14	72	..	6	254	..	..	..	346
D. J., Ludhiana	12	250	..	..	13	..	..	..	275
D. J., Gurdaspur	2	16	..	..	99	..	..	..	117
D. J., Hissar	4	152	..	..	82	..	..	..	238
D. J., Rohtak	10	174	..	2	86	..	..	..	272
D. J., Faridkot	..	4	..	..	..	..	..	..	4
D. J., Amritsar	..	73	..	..	47	..	..	..	120
B. I., Hissar	11	222	..	..	295	..	..	..	528
D. J., Sangrur	13	267	..	..	173	..	..	..	453
S. J., Karnal	..	271	..	..	..	..	..	..	271
S. J., Gurgaon	..	13	..	..	..	..	..	..	13
S. J., Hoshiarpur	..	41	..	..	..	..	..	..	41
S. J., Kapurthala	3	156	..	5	161	..	..	..	325
S. J., Mohindergarh	..	2	..	..	..	..	..	..	2
Total ..	174	3,514	..	19	1,323	11	4	26	5,071
			Total on 1st November, 1957					..	5,071
				15th November, 1957					
C. J., Ambala	25	336	..	28	858	..	..	..	1,247
C. J., Ferozepur	50	556	..	12	87	..	..	..	705
C. J., Patiala	6	187	..	..	1	10	16	3	223
D. J., Jullundur	7	54	..	8	265	..	..	..	334
D. J., Ludhiana	6	43	..	..	81	..	..	..	130
D. J., Gurdaspur	8	74	..	..	31	..	..	..	113
D. J., Hissar	4	168	..	..	82	..	..	..	254
D. J., Rohtak	10	181	..	2	122	..	..	..	315

Names of Jails	UNDERTRIALS		CONVICTS			DETENUS			Total
	Better	Ordinary	A.	B.	C.	A.	B.	C.	
D. J., Amritsar	..	47	..	..	57	..	..	..	104
D. J., Faridkot	9	..	..	..	..	..	..	..	9
B. I., Hissar ..	13	272	..	..	302	..	..	..	587
Sangrur ..	3	180	2	1	187	..	..	..	373
Nabha ..	1	..	..	2	127	..	..	..	130
Karnal ..	..	269	..	..	11	..	..	..	280
Gurgaon ..	..	12	..	..	..	..	..	..	12
Hoshiarpur ..	..	31	..	..	..	..	..	..	31
Kapurthala ..	..	15	..	8	332	..	..	..	355
Total ..	142	2,425	2	61	2,543	10	16	3	5,202
Total on 15th November, 1957									5,202

1st December, 1957

Names of Jails	Better	Ordinary	A.	B.	C.	A.	B.	C.	Total
Ambala ..	19	60	..	26	774	..	..	..	879
Ferozepur ..	35	295	..	23	284	..	..	..	637
Patiala ..	3	319	..	..	25	9	12	2	370
Jullundur ..	3	102	..	5	55	..	..	..	165
Ludhiana ..	8	181	..	4	10	..	..	..	203
Gurdaspur ..	9	103	..	..	39	..	..	..	151
D. J., Hissar ..	4	56	..	..	190	..	..	..	250
Rohtak ..	7	99	..	3	230	..	..	..	339
Amritsar ..	..	6	..	..	..	..	..	..	6
Faridkot ..	..	4	..	..	..	..	..	..	4
B. I. Hissar ..	18	369	..	..	325	..	..	..	712
Sangrur	5	101	..	6	230	..	..	..	342
Nabha ..	..	..	..	8	176	..	..	..	184
Karnal ..	..	60	..	2	153	..	..	..	215
Gurgaon ..	..	27	..	..	..	..	..	..	27
Hoshiarpur ..	1	15	..	..	10	..	..	..	26
Kapurthala ..	..	2	..	4	139	..	..	.. ..	145
Total ..	112	1,799	..	81	2640	9	12	2	4,655
Total on 1st December, 1957 ..									4,655

[Minister for Planning and Community Projects]

Names of Jails	Undertrials		Convicts			Detenus			Total
	Better	Ordinary	A.	B.	C.	A.	B.	C.	
15th December, 1957									
Ambala ..	21	151	..	30	512	..	..	..	714
Ferozepur ..	15	123	..	28	188	..	..	..	354
Patiala ..	14	69	..	1	56	9	14	3	166
Jullundur ..	3	85	..	6	86	..	..	..	180
Ludhiana ..	9	137	..	2	25	..	..	..	173
Gurdaspur ..	7	70	..	..	75	..	..	..	152
B. J., Hissar ..	4	56	..	..	190	..	..	..	250
Rohtak ..	7	78	..	3	218	..	..	..	306
Faridkot ..	..	..	..	1	..	..	..	..	1
Amritsar ..	..	59	..	..	1	..	..	..	60
B. I. Hissar ..	34	343	..	..	326	..	..	..	703
Nabha ..	..	..	..	4	200	..	..	..	204
Sangrur ..	3	95	..	1	272	..	..	..	371
Karnal ..	1	74	..	2	18	..	..	..	95
Gurgaon ..	..	..	..	..	31	..	..	..	31
Hoshiarpur ..	1	..	..	..	5	..	..	..	6
Kapurthala ..	..	..	..	..	6	..	..	..	6
Total ..	119	1,340	..	78	2,209	9	14	3	3,772
1st January, 1958									
C. J., Ambala ..	..	1	..	..	..	..	..	..	1 (Released on 1st January, 1958

ORDER ISSUED UNDER SECTION 144, CR. P. C.

*1653. **Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of orders issued and renewed under section 144, Criminal Procedure Code, districtwise and placewise in the State during the recent Save Hindi Movement ;

(b) the number of arrests made for the defiance of each of the orders mentioned in part (a) above ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) and (b) A statement containing the ·equisite information is laid on the Table.

Statement showing orders issued U/S 144 Cr. P.C. and the number of persons arrested during the period of each order.

(a) (b)

District	Limits of the order	Period	Number of arrests made
Karnal ..	(1) Limits of Karnal District ..	30th August, 1957 to 29th October,1957	454
	(2) Ditto ..	30th October, 1957 to 29th December, 1957	621
Ambala ..	(1) Ambala City , Ambala Cantt, Chandigarh, Jagadhri and Nagar Yamuna	30th August, 1957 to 29th September, 1957	933
	(2) Chandigarh	30th September, 1957 to 29th October, 1957	188
	(3) Chandigarh ..	28th October, 1957 to 27th November, 1957	321
	(4) Chandigarh ..	27th November, 1957 to 27th December, 1957	215
Hoshiarpur	Three orders issued for City Hoshiarpur Railway Station, outer signal Hoshiarpur, Mukerian Railway Station and town. Order of City Hoshiarpur once revised.	..	38
Jullundur ..	(1) Municipal limits of Jullundur City	One month from 3rd September, 1957 One month from 3rd October, 1957 to 2nd November, 1957	153
	(2) Ditto ..	One month from 8th November, 1957 and extended for one month from 8th December, 1957	425
Ludhiana ..	(1) City Ludhiana ..	One month from 28th August, 1957	37
	(2) Ditto ..	One month from 28th September, 1957	85
	(3) Ditto ..	One month from 10th November, 1957	117
	(4) Khanna ..	One month from 1st September, 1957	..
	(5) Ditto ..	One month from 1st October, 1957	6

[Chief Minister]

District	Limits of the order	Period	Number of arrests made
Ferozepore	(1) Whole District ..	2 months from 29th August, 1957	283
	(2) Ferozepore Cantt and City, .. Moga, Fazilka, Muktsar, Zira, Abohar, Jalalabad, Gidder Baha and Malout	14 days from 8th November, 1957	14
Amritsar ..	(1) Whole District ..	One month from 28th August, 1957	276
	(2) Amritsar Municipal area and .. Railway Station up to outer signal	One month from 27th September, 1957	229
	(3) Ditto ..	One month from 31st October, 1957	228
	(4) Ditto ..	One month from 30th November, 1957	287
Gurdaspur	(1) Whole District	2 months from 29th August, 1957	24
Patiala ..	(1) Seven orders at Patiala, Bassi, Sirhind, Nabha, Rajpura City and Township and Samana	..	7
	(2) Extended for Patiala ..	..	..
Sangrur ..	(1) Sangrur, Bhawanigarh, Sunam, Lehra, and Dhuri	One month from 31st August, 1957	26
	(2) Sangrur, Barnala, Sunam, Lehra, Dhuri and Bhiwanigarh	One month from 30th September, 1957	48
	(3) Sangrur ..	One month from 29th October, 1957	18
	(4) Narwana, Uchana, Jind, Julana and Safidon	One month from 13th October, 1957	312
	(5) Jind ..	One month from 13th October, 1957	11
	(6) Sangrur, Sunam, Lehra and Dhuri (Boundaries of Railway Station only)	One month from 16th September, 1957	..
Bhatinda ..	(1) Bhatinda, Mansa, Faridkot, Kotkapura, Rampura Phul, Jaito, Goniana, Budhlada and Raman Mandi	One month from 31st August, 1957	..
	(2) Maur, Bareta ..	One month from 10th September, 1957	..
	(3) Bhatinda, Mansa, Rampura Phul, Raman Mandi and Kotkapura	One month from 29th September, 1957	8
Kapurthala	(1) Kapurthala and Phagwara town	One month from 31st August, 1957	..
	(2) Kapurthala and Phagwara Town	One month from 30th September, 1957	..

Chief Minister : Sir, I have applied for extension of time.

Shri Balram Dass Tandon : Sir, in this connection a statement has been given to me.

Mr. Speaker : The reply is already there.

Shri Prabodh Chandra : May I know whether the Government issued instructions for the imposition of section 144 or it was imposed by the district authorities concerned themselves ?

Mr. Speaker : Will you kindly repeat your question ?

Shri Prabodh Chandra : Were general instructions issued by the Government that section 144 be imposed or was it left to the discretion of the district authorities ?

Chief Minister : I do not recollect what was done in this case but I do remember that it is left to the discretion of the Deputy Commissioners though we can also tender advice to them.

Shri Prabodh Chandra : Does the Government deny that orders for the imposition of section 144 were issued by the Home Secretary from Chandigarh ?

Chief Minister : Give me a notice and I will give you the reply.

Shri Prabodh Chandra : The notice is already there. I want to know which reply is correct, the latter one or the previous one ?

Chief Minister : I have already replied .

CHOWKI TAX

***1694. Sardar Dhanna Singh Gulshan :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the number of police posts in the villages in each district in the State ;

(b) whether any 'Chowki Tax' is charged from the public in respect of the police posts referred to above ; if so, the rate thereof in each case ?

Sardar Partap Singh Kairon : The hon. Member is presumably referring to Additional Police Posts levied as a punitive measure under section 15 of the Police Act. The answer is :—

(a) Nil.

(b) Does not arise.

HINDI AGITATION

***1745. Shri Balram Dass Tandon :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the total number of Hindi Satyagrahis, who, after having been taken into Police coustody, were let off at far flung places ;

(b) whether any Government servants were suspended or dismissed in connection with the said Hindi Agitation ; if so, their number and the number of those who have been reinstated ;

(c) the total number of the persons whose property was attached for taking part in the said agitation ;

(d) the total number of the persons, district-wise in the State, whose Arms licences have been cancelled for being connected with the said Agitation ;

(e) the total number of women arrested in connection with the said agitation ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) 2,370.

(b) Number of Government servants suspended	..	5
Number of Government servants dismissed	..	..
Number of Government servants reinstated	..	1

(c) 6.

(d) 115—Statement showing district-wise figures is laid on the Table.

(e) 332.

District-wise statement showing number of persons whose Arms licenses have been cancelled for being connected with the Hindi Raksha Samiti Agitation.

Hissar	..	8
Rohtak	..	31
Ambala		5
Simla	..	3
Hoshiarpur	..	8
Jullundur	..	6
Ferozepore	..	23
Amritsar	..	21
Gurdaspur	..	7
Narnaul	..	1
Sangrur	..	2
Total	..	115

श्री बलराम दास टंडन : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जिन पांच आदमियों को suspend किया गया था उन में से एक को re-instate किया गया है अगर ऐसा है तो इस का क्या कारण है ?

मुख्य मन्त्री : पता नहीं, कोई गलतफहमी लगी होगी ।

श्री बलराम दास टंडन : क्या बाकी suspend हुए आदमियों के बारे में भी वही कारण हो तो सरकार गौर करके re-instate करेगी ?

मुख्य मन्त्री : अगर एक केस में हुआ तो वह भी हो जाएंगे अगर वे बेगुनाह हों ।

Sardar Bhupinder Singh Mann : May I know if the persons whose property was attached were absconders ? If not, what was the reason for attaching their property ?

Chief Minister : They must have been absconding, Sir.

Sardar Bhupinder Singh Mann : Since when has their property been attached ?

Chief Minister : I really do not know at present.

श्री प्रबोध चन्द्र : ऐसे एक सवाल का जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि 46 servants की services को dispense with किया गया है, क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसे कितने servants हैं जिन को dismiss किया गया है ?

मुख्य मन्त्री : जो temporary थे उनको dismiss कर दिया गया है ।

श्री प्रबोध चन्द्र : उन के लिये क्या यह लाज़िमी नहीं था कि उनको dismiss करने से पहिले charge-sheet किया जाता ?

Chief Minister : Yes, that is altogether a different matter. That is retrenchment.

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या उन 46 dispense with किये हुये servants की जगह दूसरे लोग भरती कर लिये गये ?

Chief Minister : Not in the case of temporary employees.

TAKING OVER OF ·303 GUNS FROM MALERKOTLA POLICE BY THE ERSTWHILE PEPSU STATE

***1748. Shri Lajpat Rai :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the total number of "·303 guns" with the police in Malerkotla State before its merger in the former Patiala and East Punjab States Union ;

(b) the number of the said guns actually taken over by the erstwhile Pepsu Government from the Police authorities referred to in part (a) above after the formation of Pepsu ;

(c) if the number mentioned in answer to part (b) above falls short of the number mentioned in part (a) above, the reasons therefor ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) 252.

(b) 252.

(c) Does not arise.

HUNGER STRIKES IN JAILS BY ORDINARY CONVICTS

***1499. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Minister for Planning and Community Projects be pleased to state —

(a) the total number of cases of hunger strikes by the ordinary convicts in each jail during the last two years together with duration of each hunger strike ;

(b) whether any steps have been taken by Government to check such strikes in future ;

(c) whether any deaths occurred as a result of hunger strikes referred to in part (a) above; if so, their number ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (a) 92 cases of hunger strikes by ordinary convicts occurred during the last two years in Punjab Jails (including former Pepsu Jails).

A statement showing Jail-wise break up and duration of hunger strike in each case is laid on the Table.

(b) Yes.

(c) No.

Statement showing the total number of cases of hunger-strikes and their duration by the ordinary convicts in each jail during the last two years, i.e., from 1st February, 1956 to 31st January, 1958

Serial No.	Name of jail	Number of persons resorted to hunger-strike during the last two years, i.e., 1st February, 1956 to 31st January, 1958	Duration of hunger-strike
1	2	3	4
1	Central Jail, Patiala	27	(1) 15 days (1) 4 days (1) 2 months and 14 days (1) 2 months and 28 days (1) 23 days (1) 19 days (1) 20 days (6) 15 days each (5) 2 months and 22 days each (2) 11 days each (1) 2 months and 26 days (1) 3 months and 18 days (1) 3 months and 29 days (1) 21 days (1) 2 days (2) 8 days each

Serial No.	Name of jail	Number of persons resorted to hunger-strike during the last two years, i.e, 1st February 1958 two 31st January 1958	Duration of hunger-strike
1	2	3	4
2	Central Jail, Ferozepur	38	(18) four days each (3) ½ day each (1) 2 days (1) 5 months and 7 days (1) 2 months and 26 days (2) 8 days each (1) 25 days (2) 15 days each (1) 14 days (1) 18 days (1) 5 days (1) 32 days (1) 2 days (1) 2 months and five days (1) 14 days (1) 17 days (1) 8 days
3	Central Jail, Ambala	2	1 one day only (1) 3 times for :— (i) one year one month and 11 days (ii) 22 days (iii) 8 days
4	District Jail, Nabha	3	(1) Three times for :— (i) one month, 10 days (ii) 3 days (iii) 12 days (1) Three times for :— (i) 5 days (ii) 3 days (iii) 3 days (1) 3 months and 27 days
5	District Jail, Gurdaspur	2	(2) 7 days each
6	District Jail, Jullundur	1	(1) 9 months and 5 days
7	District Jail, Rohtak	1	(1) 3 months and 8 days
8	Camp Jail, Yol (since closed)	9	(1) 3 months and 21 days (1) 2 months and 15 days (7) 4 days each
9	District Jail, Ludhiana	7	(2) 4 days each (1) 2 months and 5 days (1) 2 months and 10 days (1) 5 days (1) 3 months and 16 days (1) 8 days
10	B.I. and Juvenile Jail, Hissar	1	(1) 3 days
11	Distrcit Jail, Faridkot	1	(1) 12 days

PRISONERS RELEASED ON FURLOUGH AND PAROLE

***1583. Comrade Jangir Singh :** Will the Minister for Planning and Community Projects be pleased to state the total number of prisoners released on furlough from each jail in the State during the year 1957 together with the number of those released on parole separately ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : Prisoners as follows were released on parole during the year 1957 :—

1. Central Jail, Ferozepur .. 3 for 28 days each.
2. B.I. and J. Jail, Hissar .. 1 for 14 days

No prisoner was released on furlough during the year 1957.

ਸਰਦਾਰ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ : ਕਿਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ?

अध्यक्ष महोदय : यह सप्लीमेंट्री नहीं । (This is not a supplementary.)

———

RECOMMENDATIONS OF THE TAXATION ENQUIRY COMMISSION

***1750. Shri Lajpat Rai :** Will the Minister for Finance be pleased to state with reference to reply to Starred Question No. 6927 included in the list of question for 4th September, 1956, whether any of the recommendations made by the Taxation Enquiry Commission have so far been implemented by the State Government; if not, the reasons therefor ?"

Shri Mohan Lal : *First Part.*—The recommendations made in the report of the Taxation Enquiry Commission, relating to State Taxes, are of a general nature and were generally kept in view, subject to the conditions prevailing in this State, in adopting taxation measures during the last two years.

Second Part.—Does not arise.

श्री बलराम दास टंडन : क्या Minister साहिब बताएंगे कि Taxation Enquiry Report जो है उस में House tax और property tax जो है इन दोनों में से एक को रखने के लिये कहा गया है ? अगर ऐसा है तो उस के मुतअल्लिक गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाया है ?

मन्त्री : आप Report का मुताला कर लें ।

श्री बलराम दास टंडन : जनाब मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है मगर Minister साहिब ने उस का जवाब ठीक नहीं दिया । मैं जानना चाहता हूँ कि उस Report में क्या recommendation है ?

मन्त्री : मैं अर्ज़ करूंगा कि hon. Member उस Report को study कर लें तो उन को सब कुछ पता लग जाएगा ।

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या मन्त्री जी बताएंगे कि जो इस committee ने recommendation की है कि property पर double taxation नहीं होना चाहिए उस के ऊपर Punjab Government कुछ action ले रही है ?

मन्त्री : इस के लिये separate notice की जरूरत है ।

पण्डित श्री राम शर्मा : आप को इतनी information भी नहीं है ?

मन्त्री : पता तो है लेकिन अगर आप notice दे कर पूछेंगे तो अच्छी तरह बता दूंगा ।

पंडित श्री राम शर्मा : स्पीकर साहिब, Minister साहिब ने कहा है कि उन के पास information है लेकिन बताना नहीं चाहते । इस का क्या मतलब हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : उन के पास इस समय पूरी information नहीं होगी । इस लिये आप अलहदा notice दे दें । (The hon. Minister might not be having full information with him at present. Therefore, the hon. Member may give a separate notice for the question.)

Sardar Bhupinder Singh Mann : May I know from the Government as to how far the Revenue (Amendment) Bill, now under consideration in the House, is in accordance with the recommendations of the Finance Commission.

Minister for Finance : Well, a separate notice will positively be needed to find out whether a particular recommendation has been made in the Report or not.

श्री बलराम दास टंडन : मिनिस्टर साहिब ने शर्मा जी के सवाल के जवाब में कहा है कि अगर notice दिया जाए तो वह बता देंगे । लेकिन उन्होंने जो बात दोनों taxes के बारे में कही है और उस के बाद जो सरदार भूपेंद्र सिंह के सवाल का जो जवाब दिया है वह आपस में नहीं मिलता इस के मुतअल्लिक मैं जानना चाहता हूँ कि उन का कौन सा जवाब ठीक है ।

अध्यक्ष महोदय : आप का सवाल मेरी समझ में नहीं आया । आप फिर clear करें । (I have not followed the question of the hon. Member. He may again put it clearly.)

बहुत से माननीय मैंबर : हमारी समझ में भी नहीं आया ।

श्री बलराम दास टंडन : Taxation enquiry की report के अन्दर House Tax और Property Tax में से एक को रखने के लिये कहा गया है मगर हमारी Government उस पर अमल करने की बजाए एक तीसरा Tax ला रही है जिस को मरला tax कहा जाता है . . (*Interruption*)

Mr. Speaker : This is not a supplementary question please. The hon. Member is giving a suggestion. This is not a supplementary question. A certain thing is in his mind and he is giving it out not in the form of a question but as a suggestion.

Shri Balram Dass Tandon : Sir, I was going to put a question but you stopped me.

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बता सकते हैं कि जो marla tax है इस की proposal उस committee की recommendation के मुताबिक है?

मुख्य मन्त्री : नहीं जी, यह उस के मुताबिक नहीं है लेकिन उस से पहले के चले हुए कानून के मुताबिक ज़रूर है।

Sardar Prem Singh 'Prem' : May I know, Sir, why Shri Balram Das Tandon is in form these days ? (*Laughter*)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ last para ਹੈ,

"whether any of the recommendations made by the Taxation Enquiry Commission have so far been implemented by the State Government; if not, the reasons therefor"

ਉਸ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

Mr. Speaker : It has already been replied to. Next question please.

GRANT OF LOAN TO GOVERNMENT OR SEMI-GOVERNMENT SERVANTS IN KARNAL CITY

***1762. Shri Ram Piara** : Will the Minister for Finance be pleased to state —

(a) whether it is a fact that Government or Semi-Government servants are not entitled to get loan from the Industries Department ;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative whether he is aware of the fact that in Karnal City some Government or Semi-Government Servants have been advanced such loans ; if so, the reasons therefor and the dates when the loans were advanced to them ?

Shri Mohan Lal : (a) Yes. Government Servants or semi-Government servants are not entitled to get any loan from the Industries Department under the Punjab State Aid to Industries Act for the Development of Industries.

(b) No loans have been advanced to any Government or semi-Government servants in Karnal City.

श्री राम प्यारा : क्या Government के notice में कोई ऐसा case आया है कि Government servant ने कर्ज़ा लिया है? अगर लिया है, तो उस के खिलाफ क्या action लिया जाएगा ?

Minister for Planning and Community Projects : It is a request for action and will, of course, be considered.

श्री राम प्यारा : क्या किसी Government servant ने अपने आप को conceal करके कर्ज़ा लेने के लिये दरखास्त दी है? ऐसे Government servant के खिलाफ Government क्या action ले रही है?

वित्त मन्त्री : अगर आप कोई specific case हमारे notice में लाएंगे तो हम देख लेंगे और जो मुनासिब होगा किया जाएगा ।

श्री बलराम दास टंडन : वज़ीर साहिब ने कहा है कि जो मुनासब होगा किया जाएगा । मैं पूछना चाहता हूँ कि इस से उन का मतलब सज़ा देने का है या person at fault को फायदा पहुंचाने का है ?

अध्यक्ष महोदय : आप को आज कल नई नई बातें सूझती हैं । (हंसी) (New ideas are striking to the hon. Member now-a-days.) (*Laughter*)

Chief Minister : The hon. Member seems to have acquired new meanings of things.

DEMANDS FROM GENERAL SECRETARY, PUNJAB TRACERS' ASSOCIATION, HANDIGARH

***1582. Comrade Jangir Singh** : Will the Minister for Revenue be pleased to state —

(a) whether Government received any memorandum of demands from Shri R K. Sehgal, General Secretary, Punjab Tracers' Association, Chandigarh Capital Project Division No. 4, Chandigarh ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the main demands contained in the Memorandum and the action, if any taken thereon ?

Giani Kartar Singh : (a) Yes.

(b) The main demands are (i) filling of the posts of Assistant Draftsmen from amongst the serving Tracers and (ii) facilities to serving Tracers for undergoing training (in Draftsman Course) in the Government Engineering School, Nilokheri. The matter is under consideration of Government.

EVACUEE AND WAKF LANDS DURING CONSOLIDATION OPERATIONS

***1392. Maulvi Abdul Ghani Dar** : Will the Minister for Revenue be pleased to state the arrangements, if any, for looking after evacuee lands during the 'Chakbandi' (consolidation) operations and for the proper consolidation of the 'Wakf' lands in the State ?

Chaudhri Suraj Mal : *First part.*—The Consolidation Officers and Assisthat Consolidation Officers have been made personally responsible to safeguard the interests of the custodian evacuee lands in the cases no representative is deputed by the Custodian.

Second part.—Wakf lands remain intact but the agricultural lands attached to the wakf institutions are consolidated on their major portion or as provided in the scheme.

सरदार भूपेंद्र सिंह मान : वक्फ ज़मीनों की देख भाल के लिए क्या Government मौलवी अब्दुल ग़नी साहिब को मुतवल्ली बनाने का इरादा रखती है ? (हंसी)

ELECTIONS TO DISTRICT BOARDS AND PANCHAYATS IN THE STATE

***1522. Dr. Bhag Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the proposed elections to the District Boards and the Panchayats in the State have been postponed ; if so, the reasons therefor ;

(b) the time by which elections to the said bodies are likely to be held ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (a) Yes. Elections were postponed as the unification of Laws and Rules for the reorganised State of Punjab have not been finalised as yet. Committee on Plan Projects (Balwant Raj Mehta Committee) report is also under consideration. The report, if accepted, might change the entire shape of District Boards radically and Panchayat Samitis may be set up at block levels.

(b) In the circumstances, date for election cannot be anticipated.

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ Mehta Committee ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ Government ਨੇ District Councils ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਖਣਾ ਹੈ ?

योजना मंत्री : इस के मुतअल्लक पहले बता दिया गया है ।

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ Mehta Committee ਦੀ Report ਤੇ ਕਦੋਂ ਤਕ ਗੌਰ ਕਰ ਕੇ ਅਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ?

Minister : As soon as possible.

श्री इन्द्र सिंह : जनाब स्पीकर साहिब, उन्होंने जो Mehta committee की report का हवाला दिया है वह community projects वगैरह के बारे में है । मैं पूछना चाहता हूँ कि Government District Boards की elections कब तक करवाएगी ? मैं आप की तवज्जुह इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि पहले District Councils का बहाना करके मामला लटकाया जा रहा था और अब Mehta Committee की report का नाम ले कर बहाने बनाए जा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह supplementary नहीं है । इस को आप general discussion में ले आएं । (This is not a supplementary question. The hon. Member may discuss this matter during the general discussion.)

EXCHANGE OF LAND WITH 'BIR KAULI' IN ERSTWHILE PATIALA STATE

*1747. **Shri Lajpat Rai :** Will the Minister for Revenue be pleased to state —

(a) whether it is a fact that some state-owned land in the erstwhile State of Nalagarh was exchanged with land comprised in a farm known as the Bir Kauli, in the erstwhile Patiala State ;

(b) whether the mutation of the 'Bir Kauli' farm referred to in part (a) above in favour of the owner has been effected ;

(c) the reasons for the exchange referred to above ;

(d) whether Government have made any enquiry with regard to the prices of the tracts of lands exchanged for each other prevailing at the time of the exchange; if so, with what result ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) Bir Kauli owned by the State was exchanged with Silhnoo Forest (Nalagarh), personal property of Raja Sahib, Nalagrh, in the erstwhile Pepsu State.

(b) Not yet.

(c) In the Public interest. To secure effective management of contiguous areas in Nalagarh hills and to further the Grow More Food Campaign in the plains. The whole of the Bir Kauli land has been reclaimed now and brought under cultivation by Raja Sahib.

(d) Prices of the tracts of land in question exchanged with each other were assessed by the Revenue Department of erstwhile Pepsu State and the difference in the value of Bir Kauli and Silhnoo Forest amounting to Rs. 1,76,906-14-11 is being recovered from Raja Sahib Nalagarh in yearly instalments.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕਿਤਨਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀੜ ਕੌਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਕੋਲੋਂ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਜ਼ਰਾਇਤ ਮੰਤਰੀ : ਰਕਬੇ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਫਿਰ ਦਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने जबाव सुना नहीं है । (I have not heard the reply.)

ਮੰਤਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੀੜ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁਛੋ ਤੇ ਫੇਰ ਦਸ ਦਿਆਂਗੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਬੀੜ ਕੌਲੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਿਕਮਾ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ enquiry ਕੀਤੀ ਸੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਵੀ notice ਦਿਉ ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬੀੜ ਕੌਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੈ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੈਪਸੂ ਐਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ? (ਹਾਸਾ)

RELIEF TO FLOOD AFFECTED AREAS

***1769. Bawa Harnam Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state the total amounts of grants given in Punjab within the flood affected areas since August 1957, and in Pepsu since the formation of the Union ?

		Rs.
Dr. Gopi Chand Bhargava : First part	..	28,000
Second part	..	62,50,000

Note—The Minister for Revenue being away, the Minister for Planning replied to questions standing in the name of the former.

SELECTION FOR POSTS OF PANCHAYAT OFFICERS

***1363. Shri Rup Singh Phul :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) the date when the interview for selection for the posts of Panchayat Officers by the Subordinate Services Selection Board, Punjab was held last ;

(b) whether any selection for the said posts has so far been made; if so the number of posts filled ; if not, the reasons thereof?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) 8th to 11th, 13th, 14th, 16th to 18th, 20th, 21st, 23rd and 24th August, 1956.

(b) (i) Yes.

(ii) 3.

(iii) The case for the creation of additional posts is under consideration.

श्री रूप सिंह फूल : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि यह बात कब तक under consideration रहेगी और कब तक यह finalise हो जाएगी ?

मन्त्री : Definite date तो मुकर्रर करना बड़ा मुश्किल है ।

श्री रूप सिंह फूल : क्या साले रवां में यह case finalise हो जाएगा ?

(No reply)

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या मैं वज़ीर साहिब से पूछ सकता हूँ कि क्या गवर्नमेंट posts advertise करने से पहले यह फैसला नहीं कर लेती कि इतनी vacancies गवर्नमेंट के पास available हैं ?

मन्त्री : मैं इस particular case के मुतग्रल्लिक ग्रर्ज़ करता हूँ कि 109 posts थीं और 125 posts के लिए Board को लिखा गया था। लेकिन जो 109 posts भी हैं अभी तक finance department से उनकी sanction नहीं हुई है।

श्री प्रबोध चन्द्र : मैं वज़ीर साहिब से पूछना चाहता हूँ कि आया वह finance department की sanction लेने से पहले ही posts create या advertise कर लेते हैं ?

मन्त्री : इस particular case में ऐसा नहीं हुआ है।

श्री प्रबोध चन्द्र : मैं वज़ीर साहिब से जानना चाहता हूँ कि जो अफसरान इस बात के लिए ज़िम्मेदार हैं क्या उनके खिलाफ गवर्नमेंट action लेने का इरादा रखती है ?

मन्त्री : मैं समझता हूँ कि यह actionable बात नहीं है।

Shri Prabodh Chandra : Sir, my submission is that about two years back candidates were sent for interviews and they were waiting ....

Mr. Speaker : It is not a supplementary question. It is only a suggestion. I will not allow this.

ELECTIONS TO PANCHAYATS

***1364. Shri Rup Singh Phul :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the date when the elections to the Panchayats in the State are expected to be held ?

Sardar Gian Singh Rarewala : No date has yet been fixed.

श्री रूप सिंह फूल : क्या मैं वज़ीर साहिब से पूछ सकता हूँ कि सालेरवां में क्या यह elections हो जाएंगे ?

मन्त्री : मैं समझा नहीं।

श्री रूप सिंह फूल : मैंने पूछा है कि क्या यह elections current year में हो जाएंगे ?

मन्त्री : Current year में तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि वह तो अब खत्म ही होने वाला है।

Sardar Bhupinder Singh Mann : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether the Elections to Panchayats are due or not ?

Minister : Elections are due.

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि elections due हो जाने के बावजूद भी जो elections नहीं हो रहे हैं तो उस में क्या दिक्कतें दर पेश हैं ? क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं ?

मन्त्री : बहुत सी मुश्किलात तो अभी चंद मिनट हुए डाक्टर साहिब ने हाऊस के सामने रखी हैं। इन के अलावा एक दिक्कत और भी है और वह यह है कि अभी तक पैप्सू और पंजाब के laws की unification नहीं हो सकी है। उन को हम अब unify कर रहे हैं।

3 p.m.

Mr. Speaker : Question Hour is over now.

PERSONAL EXPLANATION

पण्डित श्री राम शर्मा (सोनीपत): On a point of personal explanation, Sir. स्पीकर साहिब, Tribune में एक गलत ब्यानी की बात छप गई है कि मैंने कल अपनी तकरीर के दौरान Labour Co-operative Societies का जिक्र करते वक्त उस महकमा के एक ex-Minister की बात की थी। मैं अर्ज़ करूंगा कि उस ex-Minister से मेरी मुराद रोहतक के ex-Minister से नहीं थी बल्कि करनाल के ex-Minister से थी। वहां सिर्फ ex-Minister छपा है। इस लिए मैं चाहता हूँ कि यह बात सही हो जानी चाहिए।

मुख्य मन्त्री : Ex-Minister तो आप भी थे। (हंसी)

पण्डित श्री राम शर्मा : ठीक है मैं भी था मगर मेरी करनाल के उस ex-Minister साहिब से मुराद थी जिसे आपने बड़ी खास पसन्द से रखा था। (हंसी)

PRESENTATION OF THE FIFTH REPORT OF THE P.A.C.

Rao Gajraj Singh : Sir, I beg to present the Fifth Report of the Public Accounts Committee on the Appropriation Accounts of the Punjab Government for the year 1952-53 and Audit Report, 1954.

BILLS (LEAVE TO INTRODUCE)

THE PUNJAB AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS BILL, 1958

Minister for Finance (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move for leave to introduce the Punjab Agricultural Produce Markets Bill.

Mr. Speaker : Motion moved—

That leave be granted to introduce the Punjab Agricultural Produce Markets Bill.

Mr. Speaker : Question is—

That leave be granted to introduce the Punjab Agricultural Produce Markets Bill.

The leave was granted.

Minister for Finance: Sir, I introduce the Punjab Agricultural Produce Markets Bill.

THE PUNJAB DISTRESSED PERSONS (FACILITIES FOR LOANS) BILL, 1958

Minister for Finance : Sir, I beg to move for leave to introduce the Punjab Distressed Persons (Facilities for Loans) Bill.

Mr. Speaker : Motion moved—

That leave be granted to introduce the Punjab Distressed Persons (Facilities for Loans) Bill.

Mr. Speaker : Question is :—

That leave be granted to introduce the Punjab Distressed Persons (Facilities for Loans) Bill.

The leave was granted.

Minister for Finance : Sir, I introduce the Punjab Distressed Persons (Facilities for Loans) Bill.

RESUMPTION OF GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET

चौधरी साधु राम (नारायणगढ़ जनरल) : स्पीकर साहिब, कल मैंने अपने थोड़े से टाईम में बोलते हुए 1957-58 के बजट के बारे में आमदन और खर्च के बारे में कुछ बातचीत की थी। मैं उस सिलसिले में सिर्फ एक ही बात कह कर आगे चलना चाहता हूँ और वह यह है कि जो कुछ कल मैंने कहा था उस की सब से बड़ी वजह जो मुझे मालूम होती है यह है कि गवर्नमेंट के अफसर वक्त पर काम शुरू नहीं करते। कहते हैं कि कुम्भकरण छः महीने सोता था और छः महीने जागता था। तो मैं यह बात कहूँगा कि गवर्नमेंट के अफसर 9 महीने सोते हैं और 3 महीने जागते हैं। उन की आंख जनवरी या फरवरी में जा कर खुलती है। जो रुपया हर साल lapse होता है उस सिलसिले में मैं यह तजवीज देना चाहता हूँ कि सरकार हर तीन महीनों के बाद जांच पड़ताल करे कि कौन कौन सा काम हो गया है और कौन कौनसा बाकी है। उस जांच की रिपोर्ट आने का नतीजा यह होगा कि जो काम शुरू न हुआ होगा वह शुरू हो सकेगा क्योंकि वक्त पर उस का नोटिस लिया जा सकेगा। इस तरह बजाए इस के कि आखरी तीन महीनों में जा कर पता चले पहले ही वक्त पर पता चलने से रुपया lapse होने से भी बच जायगा और काम भी वक्त पर हो जायगा।

इस के बाद मैं जनाब आप की विसातत से अगली बात पर आता हूँ। 1958-59 के बजट को देखें तो पता चलता है कि 1958-59 में आमदन 47,81 लाख है और खर्च 49,89 लाख है। आठ लाख का खर्च दिखाया गया है और इस में और खर्च शामिल कर लिए जाएं तो 2,34 लाख रुपए के करीब हो जाता है। उस को meet करने के लिये proposals हमारे सामने हैं। इस सारी चीज़ का हिसाब लगाने से मालूम होता है कि 2,44 लाख रुपये के नए टैक्सिज़ लगाए गए हैं। इस तरीके से इस deficit को जो है profit में बदल दिया गया है और दस लाख रुपए का मुनाफा हमें दिखाई देता है। तो मैं जनाब अर्ज़ करता हूँ कि टैक्सों के बारे में बड़ी भारी नुक्ताचीनी की गई और रोटी और दाल पर टैक्सिज़ का तकाज़ा किया गया कि गवर्नमेंट टैक्सों को वापस ले ले। मैं आप की विसातत से यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि ये टैक्सिज़ हर लिहाज़ से justified हैं और अगर इन्हें वापस लिया गया तो इस से सूबे को बहुत नुक्सान पहुंचेगा। जहां तक टैक्सिज़ का सवाल है मैं ने इसे बड़े गौर से study किया है। इस साल के अखराजात को देखें तो हमें मालूम होता है कि एक तरह का खर्च वह है जो प्रोडक्टिव है और दूसरा वह जो unproductive है। Unproductive महकमों पर 40 लाख रुपया है और यह उन महकमों पर खर्च होना है जिस को खर्च करने के

[चौधरी साधु राम]

बाद गवर्नमेंट को ग्रामदन होगी। मिसाल के तौर पर revenue का महकमा है। इस में tax collection पर खर्च होना है। इस के अलावा 70 लाख रुपया जेल और पुलिस का unproductive कहा जा सकता है। 17 लाख रुपया इस के अलावा मुतफर्रक है। यह सारा खर्च 127 लाख हो जाता है। 10 करोड़ में से यह निकाल दिया जाये तो बाकी 9 करोड़ रुपया कुलीयतन productive है जो development के काम पर खर्च होगा। इन हालात के अन्दर मैं आप की विसातत से जनाब मैं यह कहूंगा कि जहां इतना बड़ा खर्च गवर्नमेंट ने करना है वहां पब्लिक की तरफ से जो demand गवर्नमेंट ने की है वह 244 लाख रुपये की है। इस के अलावा मैं एक दूसरा पहलू आप के सामने रखना चाहता हूँ। अब आप फाइव इयर प्लैन को लें। गवर्नमेंट ने 43 करोड़ रुपये का प्लैन प्लैनिंग कमिशन के सामने पेश किया था। उन्होंने 33 करोड़ रुपये का हमारा प्लैन मन्जूर किया तो इस तरीका से उस 33 करोड़ रुपया में से 16 करोड़ रुपया सेंटर से loans and grants से आयेगा और बाकी 17.79 करोड़ रुपया स्टेट ने अपने resources से इकट्ठा करके खर्च करना है। तो मैं कहूंगा कि जहां इतना रुपया ख़र्च करना है और उस के साथ financial position भी अच्छी नहीं जो इस बात से ज़ाहिर है कि हम जमा शुदा सरमाया भी मजबूर हो कर लगा रहे हैं। इन हालात में जब कि हमारी debt liabilities भी बहुत ज़्यादा हैं और दो अरब रुपया स्टेट के सर है मैं समझता हूँ कि जो टैक्स लगाए गए हैं justified हैं। पिछले दो साल में हम सात करोड़ रुपया दे सके हैं। 66 करोड़ रुपये के करीब जो कैपिटल अदायगी का कर्ज़ा है वह हमारे ज़िम्मे है। ऐसे हालात में यह निहायत ज़रूरी हो जाता है कि स्टेट अपने resources ढूंढे जिस से और आमदन हो सके वरना बहुत मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा। इस के अलावा मैं एक और चीज़ इन टैक्सों के बारे में कहना चाहता हूँ। (घंटी)

स्पीकर साहिब, जहां तक taxes का ताल्लुक है अगर उन्हें देखा जाये कि यह justified हैं या नहीं तो तीन चीज़ें हमारे सामने आती हैं। पहली यह कि जो रुपया वसूल किया जायेगा वह कहां लगेगा, दूसरी चीज़ है कि tax-payers कौन हैं जो ज़्यादा कर दे सकते हैं जिन से लिया जाये और तीसरी चीज़ यह है कि Taxes direct हैं या indirect हैं। इस कसौटी पर परखते हुए पहली चीज़ जो साफ तौर पर ज़ाहिर होती है वह यह है कि यह सारे taxes indirect हैं। कहा जा सकता है कि indirect tax ग़रीब आदमी पर पड़ता है। यह किसी भी टैक्स के बारे में कहा जा सकता है। दूसरी बात कि यह टैक्स किस purpose के लिये है। वह मैंने अर्ज़ किया कि mostly यह development purpose के लिये है। कल हमारे दोस्त leader of the opposition ने . . . . .

Mr. Speaker : No such references please. You have been asked to wind up. You took 10 minutes yesterday. Your time is over now.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : माननीय मैंबर पूरी तैयारी कर के आये हैं। इन को वक्त मिलना चाहिये।

चौधरी साधु राम : जनाबे आली मैं आप का हुक्म मानता हूँ । सिर्फ एक दो मिनट और दीजिये । इस सिलसिले में मैं ने कहा कि मुझे इस में कोई वजह नज़र नहीं आती कि यह हाऊस से कहें कि गवर्नमेंट पर pressure डालो कि यह कर वापस लिये जायें । एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ (घंटी की आवाज़) स्पीकर साहिब, मैं सिर्फ एक बात ही कहूंगा कि जितना unproductive खर्च है वह 39 करोड़ है । गवर्नमेंट को इस तरफ लाज़मी तौर पर ध्यान देना चाहिये । अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों की तरफ ध्यान देगी तो लोगों को टैक्स pay करने में कोई शिकायत नहीं होगी ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश (अमृतसर शहर, पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, साल 1958-59 का बजट वित्त मन्त्री महोदय ने हाऊस के सामने पेश किया है उस पर बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ । यह बजट वास्तव में घाटे का बजट है इस में दो करोड़ रुपये के ऊपर घाटा दिखाया गया है । लेकिन इस घाटे को पूरा करने के लिये कुछ नये करों के सुझाव वित्त मन्त्री ने दिये हैं और वह कर कुछ बिजली पर हैं, कुछ sales tax को बढ़ाया गया है, कुछ खाने की चीज़ों पर कर लगाया गया है । इस तरह से दो करोड़ रुपये के ऊपर नये करों से आमदनी होगी और इस से घाटा पूरा किया जायेगा । इन करों के लगाने के बाद दस लाख रुपये की बचत होगी । स्पीकर साहिब, यह ठीक है कि सरकार को जनता पर कर लगाने पड़ते हैं ताकि वह रचनात्मक प्रोग्राम अर्थात् Education, Health वगैरह पर रुपया खर्च कर सके । हमारी सरकार को जहां रुपये की ज़रूरत है अपने अखराजात पूरे करने के लिये तो मैं समझता हूँ कि यह रुपया Revenue receipts से आ सकता है । अगर हम पिछले 5-10 सालों के बजट को देखें तो मालूम होगा कि पिछले पांच सालों के अन्दर कई गुना बजट बढ़ गया है । कितने करोड़ रुपया जनता के ऊपर कर लगाने से इकट्ठा हुआ और इस से अधिक परेशान करों द्वारा जनता को नहीं किया जा सकता । फिर स्पीकर साहिब, हमारे करों द्वारा इकट्ठे किये गये रुपये पर हमारा कोई control नहीं और बेशुमार रुपया waste जा रहा है, अनियमित खर्चों पर सरफ किया जा रहा है, corruption की वजह से खत्म हो रहा है—infructuous कामों पर खर्च किया जा रहा है जिस रुपये से यह घाटा आसानी से पूरा हो सकता है । साल 1957 की जो Audit report है उस से पता लगता है कि हमा` इस सूबे में जनता का रुपया किस तरह बरबाद हो रहा है । इस खर्च में से काफी बचत हो सकती है—यह बचत नहीं की जा रही और लोगों पर नये कर ठोंसे जा रहे हैं । इन तरीकों से जनता का खून चूसने की कोशिश की जा रही है । Audit report के सफा 18 पर लिखा है—

> Important cases of defective control over expenditure have been mentioned in the notes below and the relevant Appropriation Accounts as also in paragraph 11 *ante*. These indicate that the standard of budgeting and control was not satisfactory.

यानी खर्च पर हमारा नियंत्रण satisfactory नहीं था । इसी Audit report में कई ऐसी बातें दर्ज हैं जिन से मालूम होता है कि हमारे सरकारी महकमों में लाखों रुपये का खर्च इस प्रकार का है । यह रुपया इस लापरवाही से खर्च किया गया है जैसे कि सरकारी खज़ाना पड़ा हुआ है इसे लूटते चले जाओ । कई infructuous expenditure की मिसालें

[डाक्टर बलदेव प्रकाश]

मौजूद हैं। इसी Audit Report में जिक्र है कि 4,11,932 रुपये के ट्रैक्टर खरीद किये गये और इन tractors को कभी इस्तेमाल में नहीं लाया गया—वे बिल्कुल बेकार पड़े हैं। इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिये कि यह रुपया क्यों बरबाद किया गया एक कमेटी बनाई गई जिस ने 1955 में यह काम सम्भाला कि इस रुपये को खर्च करने की responsibility किस की है। June 1957 तक हमारी सरकार यह पता नहीं लगा सकी कि इन ट्रैक्टर्ज़ पर चार लाख रुपया खर्च करने की ज़िम्मेवारी किस पर है। दो साल से गवर्नमेंट को पता नहीं लगा कि चार लाख रुपया जनता का क्यों ज़ाया किया गया। स्पीकर साहिब, इस प्रकार की बातों से Audit Report भरी पड़ी है कि जनता का रुपया कहां जा रहा है। Avoidable expenditure के नीचे बताया गया है कि जो सामान सीधे तरीके से आ सकता था उसे हवाई जहाज़ के ज़रीये मंगवाया गया और इस तरह से बहुत ज्यादा रुपया खर्च किया गया। इस प्रकार की हमारी सरकार की irregularities का जिक्र इस Audit Report में है। अगर हमारे वित्त मन्त्री बजट तैयार करते वक्त इन बातों का ख्याल करते और ऐसे अखराजात को कम करने की कोशिश करते तो 4–5 करोड़ रुपये की बचत हो सकती थी। जनता पर कर लगने से जो रुपया सरकार के खज़ाने में आता है उसी रुपये में से वित्त मन्त्री को दो तीन हज़ार रुपया माहवार तनखाह मिलती है। इस लिये उन्हें यह अच्छी तरह से देख-भाल करनी चाहिये कि करों का रुपया किस प्रकार जनता से इकट्ठा किया जाता है और उसे किस तरीके से खर्च किया जाता है। बजट में इतनी धांधली मची हुई है कि लाखों रुपया इधर उधर हो रहा है और ऐसी irregularities हमारी सरकार जान बूझ कर करती है। एक तरफ तो हमारी सरकार जनता पर टैक्सों का बोझ लादे जा रही है और दूसरी तरफ उस रुपये को लापरवाही से खर्च कर रही है। आपोज़ीशन की तरफ से हाऊस में constructive suggestions दिये जाते हैं लेकिन Treasury Benches पर जो मन्त्री महोदय बैठे हैं वे इन Suggestions की परवाह नहीं करते और वे majority के बल बूते पर सब चीजें अपनी मर्जी के अनुसार पास करवा लेते हैं। Audit Report में लिखा है कि एक सरकारी अफसर की omission की वजह से सरकार को 1,193 रुपये का loss हुआ and no action was taken against the official responsible for the omission and the loss was written off by the Government. इस का मतलब यह निकलता है कि हमारी सरकार खर्च में बचत करने की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती। Infructuous अखराजात के कारण और waste के कारण हमारी सरकार का खर्च काफी बढ़ा हुआ है। और इस ने अपने अखराजात को पूरे करने के कारण केवल एक तरीका अपनाया हुआ है कि जनता पर ज्यादा से ज्यादा कर लगाए जायें। मैं स्पीकर साहिब, आप के द्वारा यह सब बातें मन्त्री महोदय के नोटिस में लाना चाहता हूँ। Civil Expenditure से 9 करोड़ रुपया आने वाले साल के अन्दर खर्च होने वाला है। इस लिये ज़रूरी है कि economy drive के तौर पर wastage को बिल्कुल खत्म किया जाये। इस तरह करने से मैं समझता हूँ कि दो करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। एक महकमा में ऐसा करने से तो यह नहीं हो सकता। सारे महकमों के अन्दर अगर यह हो तो उनकी तरफ

से यह बचत हो सकती है। अगर लोगों को घर बचा कर tax देना पड़े तो जनता को बोझ नहीं होगा। आखिर देश के कामों के लिए tax देना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सरकार ने यह काम बनाया हुआ है कि हमारे खून पसीने की कमाई को लुटाया जा रहा है।

स्पीकर साहिब, आपके द्वारा मैं मन्त्री महोदय के सामने यह बात रखना चाहता हूँ कि Audit Report इस बात की शाहद है कि जनता की कमाई बरबाद हुई है। मैंने इस में बहुत सी जगहों पर निशान लगाए हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि समय बहुत कम है, सारी बातें House के सामने नहीं आ सकतीं कि किस तरह से रुपया बर्बाद हो रहा है। जहां पर नहरों का, Irrigation Department का काम चल रहा है एक स्थान डेरा बाबा नानक से 20 मील दूर है। वहां पर पत्थर ढोने का काम था। वह जगह राम दास से 12 मील है; दूसरा स्टेशन डेरा बाबा नानक है, जो 20 मील दूर है। सारा पत्थर ढोने का काम डेरा बाबा नानक से किया गया जिस के कारण सरकार को 15,000 रुपया ज्यादा pay करना पड़ा। जब यह बात notice के अन्दर आई तो उस ठेकेदार ने रामदास से पत्थर ढोया जहां से वह जगह 12 मील थी, लेकिन किराया charge किया डेरा बाबा नानक का। इस तरह से सरकार को 200 wagons का 7,600 रुपया ज्यादा देना पड़ा। अगर जनता का रुपया अपव्यय होना है, इस तरह से खर्च होना है और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से करों की कोई सीमा न हो तब तो नित्य प्रति यह कर बढ़ते ही जाएंगे। सरकार का यह कोई दृष्टिकोण नहीं है कि किस प्रकार से इस तरह के खर्च को घटाया जाए। एक ही नहीं, इस प्रकार के सैंकड़ों उदाहरण हमारे सामने आते हैं।

स्पीकर साहिब, एक बहुत ही अजीब बात है कि इस तरह के जो corruption के cases हैं, जिन में सरकार का रुपया खर्च होता है, जब वे सरकार के सामने आते हैं तो किसी किस्म का कोई action नहीं लिया जाता। एक ऐसी ही payment एक व्यक्ति, जिस का नाम केसर सिंह है, को बगैर किसी काम किये या थोड़ा सा काम किये बहुत अधिक payment हो गई है। उस के लिये दो S.D.Os. inquiry करने के लिये बिठाए गए। उन्होंने उसके खिलाफ पूरा case establish किया। आज वह मामला hush up किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। उस के लिये सारी की सारी machinery move हो जाएगी। ठेके लेने वाले जो आदमी हैं उन में ministers हैं और ministers के सगे संबंधी। इस तरह का ढांचा बन चुका है कि जो लोग इस तरह की बात करें वह निकल न सकें, न ही निकालने की कोशिश करते हैं। उसका सारे का सारा बोझ जनता पर आता है। एक नहीं, इस House के अन्दर सैंकड़ों ऐसे नाम आए हैं।

Silt clearance के बारे में estimates बनते हैं। वह estimates ठीक नहीं बनाए जाते हैं। उस के बनाने वाली जो authority है वह S.M. Ramgarhia है जो हमारे ही circle के अन्दर हैं। A.G. ने remarks लिखे कि यह estimate झूठा है, गलत है। S.E. के पास यह remarks आए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्पीकर साहिब, इस Audit Report के अन्दर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उन्होंने यह कहा है कि जो estimates बनाए जाते हैं वह estimates ठीक नहीं होते; वे झूठे होते हैं, proper authority estimates नहीं बनाती। वे ही estimates इस House के

[डा० बलदेव प्रकाश]

अन्दर आते हैं। बजट बनता है, जनता पर कितने कर लगाए जाते हैं। पहले से वहां 50,000 का estimate बनाया जाता है। बाद में वह 90,000 रुपये का estimate बनाते हैं। 90,000 के खर्च से बजट घाटे का हो जाता है जिस से नए कर जनता के ऊपर लगाए जाते हैं। जनता दाल रोटी खाने के लिये भी एक पैसा या दो पैसे अधिक दे रही है। इन करों से इस तरह के tractors खरीदे जाते हैं जो बेकार पड़े हैं। इस तरह तो पंजाब के अन्दर ऐसी हालत पैदा हो जाएगी कि मन्त्री महोदय उसका सामना नहीं कर सकते। मैं मन्त्री महोदय के सामने यह विनय करता हूँ कि यह जो तथ्य House के सामने आते हैं इन पर विचार होना चाहिए। ठीक तरीके से विचार होना चाहिए। और फिर हम को ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिस से जनता का दुःख दूर हो।

मन्त्री महोदय ने ठीक शब्दों में कहा है कि जो नये कर लगाए हैं उनके लिये सांझा मोर्चा बनाना चाहिए; सब पार्टियों की तरफ से सांझा मोर्चा बना कर जनता को विश्वास दिलाना चाहिये कि यह कर ठीक हैं। मैं समझता हूँ कि सांझा मोर्चा बनाना चाहिए अनियमितताओं, irregularities को दूर करने के लिये। वे एक सांझा मोर्चा बनाना चाहते हैं कि जनता का रुपया किस तरह ले सकें। बुनियादी तौर पर यह बात ठीक नहीं कि जो रुपया जनता से लिया जाये वह tractors खरीद कर ठेकेदारों की जेबों में चला जाए और जो machinery खरीदी जाए वह बेकार पड़ी रहे। Spare parts आएं, फिर भी कोई काम न हो। अगर हम इस तरह का सांझा मोर्चा बनाते हैं तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से हम भी थोड़ी या अधिक मात्रा में, जनता के कष्टों के लिये जिम्मेदार हैं क्योंकि जनता का रुपया हमारे ऊपर खर्च होता है, M.L.As. के ऊपर भी खर्च होता है, House के ऊपर भी खर्च होता है। हम जो इस House के अन्दर हैं, उन सब को जहां भी बड़े पैमाने पर बेईमानी चल रही है, उस के संबंध में हमें सोचना है कि इस प्रकार की रुकावट को किस तरह रोकना है।

स्पीकर साहिब, मैं एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुछ अफसरान ऐसे हैं जिन के बारे में कहा जाता है कि उनकी तरफ से corruption होती है। हमारे circle के अन्दर जो Chief Engineer हैं उनके बारे में ऐसी बहुत सी inquiries उनके विरुद्ध चल रही हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी केवल यह भी नहीं होता कि उन की transfer के लिये कहा जाए या कोई ऐसा ही और action लिया जाए या कोई कमेटी बिठाई जाए। यह Government इस तरह के काम कर रही है। सरकार की तरफ से किसी प्रकार का action नहीं लिया जाता। अगर इस प्रकार की बात है तो सरकार या मन्त्री उस corruption में हिस्सेदार होंगे, जिस की वजह से उनके खिलाफ action नहीं लेते, ऐसी बात को सुनने के लिये उन के पास time नहीं।

पटियाला के अन्दर जो मोती बाग़ खरीदा गया है, हालांकि इस बजट से पहले उसकी Demand पास हो चुकी है; एक तरफ जनता की दाल रोटी के ऊपर बुरी तरह टैक्स लगा रहे हैं और दूसरी तरफ पुस्तकालय खोलने के लिये या अजायबघर खोलने के लिये 30 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं। और पता नहीं कितना रुपया खर्च होगा। वह स्थान जो पहले 15 लाख रुपये में मिलता था अब उसका 30 लाख रुपया दिया जा रहा है। केंद्रीय सरकार ने मुन्धरा

scandal के लिये inquiry की है । यह एक ऐसा scandal नहीं है । केंद्रीय सरकार ने एक scandal हुआ तो inquiry बिठाई । हमारे पंजाब के अन्दर नित्य प्रति scandals होते हैं, उनकी inquiry होनी चाहिए । यह रुपया किस तरह छुपाया जाता है, किस किस्म के दृष्टिकोण को आगे रखा जाता है, किस ने यह महल खरीदा है, कितना हमारे खज़ाने को घाटा हुआ है । जनता . . . (घंटी) मैंने बहुत सी बातें कहनी हैं, 5,10 मिनट और दे दीजिये

किस की ग़ैर-ज़िम्मेदारी से, किस मन्त्री की या किस अफसर की ग़ैर-ज़िम्मेदारी से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है । यहां बैठ कर सोचें; दो दो, तीन तीन साल तक कोई पता नहीं चलता । यहां बैठ कर नये taxes और लगा देते हैं । इस तरह यह Assembly एक debating society बन कर रह जाएगी । गरीब जनता ऐसी बेइज़्ज़ती को नहीं सह सकती । यहां House के सामने जो तथ्य रखे जाते हैं, House के सामने ठीक जवाब देने की बजाय उनको मखौल के अन्दर टाल दिया जाता है जैसे debating society के अन्दर एक झूट को सच कर के बताया जाता है । आखिर जनता ने हमें यहां भेजा है, उस के कारण, हम यहां बैठे हैं । जो बात House के अन्दर आए उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करें । और यह नहीं कि मन्त्री साहिब जो बात हम कहें वह note करते जाएं । बस यही नहीं होना चाहिये , बल्कि इनका जवाब दें ।

वित्त मंत्री (श्री मोहन लाल) : अगर आप को मेरे notes लेने पर एतराज़ है तो मैं इस को अभी बन्द किए देता हूँ ।

Dr. Baldev Parkash : But no action was taken against the official responsible for the omission and the loss was written off by the Government.

पहले जब श्री बलराम जी दास टंडन ने यह कहा कि जब मेरे warrants निकले तो दूसरे दिन property attach कर ली तो मन्त्री महोदय ने यह जवाब दिया कि अगर यह भागते हैं, दौड़ते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं तो ऐसा ही करना था । उसका यह जवाब नहीं है । उनका कहना यह नहीं होना चाहिए था ।

अगर एक smuggler जो इतना बुरा काम करता है, पकड़ में नहीं आता तो उसके घर पर जाकर notice लगाया जाता है, अखबारों में निकाला जाता है लेकिन इस के विपरीत यदि एक स्थानीय M.L.A. की arrest का notice issue होता है, warrant issue होता है—हो सकता है कि वह कहीं दौरे पर गया हुआ हो—तो बगैर किसी पूर्व सूचना के, बगैर किसी regular notice के उसकी property को attach करने के लिए D. S. P., S.P. और D. C. उसके मकान पर पहुंच जाते हैं। एक smuggler या कोई और मुजरिम फरार हो तो उसके लिए बाकायदा एक महीने तक कानूनी कार्रवाई की जाती है और जैसा कि मैंने पहले बताया उसको notice दिया जाता है, अखबार में notify किया जाता है फिर कहीं जाकर उसकी property को attach करने की कार्यवाही की जाती है। लेकिन क्या यही आप का कानून है, यही आप की प्रजातन्त्रात्मक पद्धति है कि चूंकि वह एक विरोधीदल का सदस्य है इस

[डाक्टर बलदेव प्रकाश]
लिए एक ही दिन में उसकी property attach कर ली जाए? ये ऐसी बातें हैं जिन का केवल लफ्ज़ों में ही जवाब देने से काम नहीं चल सकता। कल जब पंडित श्री राम जी बोल रहे थे तो सामने से एक वज़ीर साहिब ने कहा कि यह बात झूठ भी हो सकती है। मैं कहता हूं कि कहने के लिए तो झूठ सच बहुत कुछ हो सकता है लेकिन असल बात तब है; ईमानदारी इसी में है कि उस बात के तथ्य में पहुंचकर, गहराई को समझकर, facts and figures को सामने रखकर कहा जाए कि वह झूठ है अथवा सच है। लेकिन यदि यही दृष्टिकोण बना रहे कि चूंकि opposition benches की तरफ़ से यह बात आई है इसलिए उस को ज़रूर यह कहना है कि वह झूठ है तो मैं समझता हूं कि यह अपने स्तर को नीचे गिरा रहे हैं; सूबे को नीचे गिरा रहे हैं और इस तरह से इस House पर, इस के Members पर जो रुपया खर्च किया जा रहा है वह व्यर्थ में नष्ट हो रहा है, बरबाद हो रहा है।

अब मैं आप के द्वारा मंत्रिमण्डल के सामने दो-चार बातें health और education के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। इन दो मांगों पर भी काफ़ी रुपया खर्च हो रहा है। Health के बारे में बहुत सी बातें House के सामने आई हैं लेकिन मैं एक दूसरे ही दृष्टिकोण से इस महकमे पर, इसके काम करने के तरीके पर कुछ बातें आप के notice में लाना चाहता हूं। दो करोड़ से ऊपर रकम को इस विभाग पर खर्च किया जा रहा है। किन्तु हालत क्या है? आप अमृतसर के अस्पताल में जाएं। एक आदमी को सख्त बीमारी है—हरनिया की बीमारी है—उसको कहा जाता है कि तुम तीन साल के बाद आना। सन् 1958 में वह आता है और उसको कहा जाता है कि तुम 1961 में आना, उस वक्त तुम्हारा operation किया जाएगा। यह हालत है हमारे अस्पतालों की..........

स्वास्थ्य मन्त्री : क्या यह बात सच है?

डाक्टर बलदेव प्रकाश : मिनिस्टर साहिब अगर चाहें तो मैं पर्ची लाकर उन को दिखा सकता हूं। मैं आप को आप के अस्पताल की पर्ची लाकर दिखा सकता हूँ जिसमें तीन साल बाद की date पड़ी है। ऐसा एक केस नहीं, कई cases हैं जहां कि लोगों को दो-दो साल, तीन-तीन साल बाद आने के लिए कहा जाता है और कहा जाता है कि आप को इस वक्त इसलिए attend नहीं किया जा सकता क्योंकि हमें फुरसत नहीं है—अवकाश नहीं है। क्यों? इसका कारण क्या है? यह कि वहां डाक्टर general ward की तरफ ध्यान नहीं देते। उन का ध्यान तो केवल मात्र special ward की तरफ़ ही केन्द्रित रहता है। अभी पिछले दिनों की बात है। अमृतसर में Red Cross का मेला हुआ। लोगों से, गरीब मज़दूरों से, आम जनता से हस्पताल फंड के नाम पर चार-चार आने, आठ आठ आने, रुपया-रुपया करके इकट्ठा किया गया। स्कूलों के बच्चों से एक एक रुपया इकट्ठा किया गया। लेकिन उसका क्या प्रयोग हुआ और कैसे प्रयोग हुआ? General

ward में तो दस बीस beds नहीं दिए जा सके ; special ward के ग्रन्दर ग्रफसरों ग्रौर बड़े २ लोगों के लिए कमरे बन गए—उन लोगों के लिए जो पांच-पांच सौ, हज़ार हज़ार रुपया एक बीमारी पर खर्च करने की क्षमता रखते हैं। जनता का रुपया —चार चार ग्राने, ग्राठ ग्राठ ग्राने, रुपया रुपया इकट्ठा करके उसका इस प्रकार से ग्रपव्यय करना क्या जनता के साथ ग्रन्याय ग्रौर धोखे बाज़ी नहीं ? इसके ग्रलावा वहां डाक्टर क्या करते हैं? ग्राम लोगों में वह बिलकुल interest ही नहीं लेते —सरकार के special मरीज़ों की तरफ़ ही वह ध्यान देते हैं । मुझे पता है कि यहां मुख्य मन्त्री के या किसी ग्रौर के कोई सम्बन्धी बीमार थे तो उन को देखने के लिए डाक्टर वहां से ग्राया—specially उन्हीं के लिए ग्राया, तीन-चार दिन यहां ठहरा लेकिन हस्पताल के ग्रन्दर general ward में बीमार की हालत कितनी भी नाज़ुक से नाज़ुक क्यों न हो, मर भी क्यों न जाए कोई परवाह तक नहीं करता। इसका कारण क्या है ? क्या ग्राप ने कभी सोचा ? इस का कारण है private practice की allurement. मैं समझता हूं कि जब तक उन की यह private practice बन्द नहीं की जाती, तब तक ग्रगर Health Minister साहिब यह समझें कि हस्पतालों की हालत ग्रच्छी हो जाएगी तो मैं उन्हें बतला देना चाहता हूं कि वह गलती में हैं। इस का एक ही रास्ता है कि उन की private practice बन्द की जाए । ग्राप खुद ग्रन्दाज़ा लगाएं कि जब उन को private तौर पर एक operation का 300 रुपया मिलता हो तो वह उसी वक्त को general ward के मरीज़ पर क्यों लगाना चाहें ? चालीस पच्चास करोड़ रुपया इस प्रान्त के विकास के लिए खर्च किया जा रहा है; हस्पतालों पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा हो तो ऐसी हालत में ग्रगर एक साधारण व्यक्ति को यह कहा जाए, कि तुम ग्रपने operation के लिए ग्राज से तीन साल बाद ग्राना तो इस से ज़्यादा दुःख की बात ग्रौर ग्राश्चर्य की बात क्या हो सकती है?

ग्रब मैं कुछ थोड़ी सी बात education के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ.......................

ग्रध्यक्ष महोदय : वह demand तो ग्रलग ग्रा रही है। ग्राप उस वक्त बोल लेना। (A separate day has been allotted for discussion on the demand for Education. The hon. Member may speak on it on that day.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : मैं ने एक-दो मिनट में कुछ ग्रौर कहना है; वह कह कर खत्म कर दूंगा।

ग्रध्यक्ष महोदय : मैं ने समझा था कि ग्राप बैठ गए हैं। (I thought that the hon, Member had resumed his seat.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : मैं बैठने ही वाला हूँ लेकिन बैठने से पहले एक-दो शब्द ग्राप के द्वारा बड़े ही विनम्र भाव से—opposition की नीयत से नहीं—वित्त मन्त्री महोदय की सेवा में निवेदन करना चाहता हूँ। वास्तव में ग्रगर ग्राप गहराई के

[डाक्टर बलदेव प्रकाश]

अन्दर जाएं और देखने की कोशिश करें कि किस प्रकार सरकारी खज़ाने का रुपया अपव्यय हो रहा है—वह जो जन-साधारण से करों के रूप में वसूल होता है और उन अनियमितताओं को दूर करने का प्रयत्न करें जोकिइस अपव्यय का मूल कारण हैं तब ही आम जनता के अन्दर आप अपने प्रति विश्वास पैदा कर सकते हैं। और अगर आप इन irregularities को खत्म न करें, कुरप्शन को दूर करने का प्रयास न करें और साथ ही यह चाहें कि opposition आप के साथ मिल कर काम करे—एक सांझा मोर्चा स्थापित करे तो याद रखिए कि यह कभी सम्भव नहीं हो सकता। हम जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता के रुपए की सुरक्षा करना हमारा कर्त्तव्य है। हम कभी यह नहीं कर सकते कि हम भी इन irregularities के होते हुए उन के साथ मिल कर जनता के साथ वही बेईमानी करें जो कि यह कर रहे हैं।

श्री राम चन्द्र कामरेड (नूरपुर) : स्पीकर साहिब, सूबा के अवाम मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि सूबा ने बावजूद इतनी स्यासी और फिर्कादाराना कशमकश के जिनसी अशिया और सनअती मैदान में पिछले पांच सालों में बहुत तरक्की की है। चुनांचि हमारा सूबा गन्दम, रूई और खांड की पैदावार में काफ़ी तरक्की कर पाया है। यही नहीं बल्कि हमारी सनअती पैदावार—साइकल, मशीनें, electrical goods वगैरह भी काफ़ी तादाद में बढ़ी हैं। मैं इस नुमायां तरक्की के लिए सूबा के अवाम को मुबारकबाद देता हूं। लेकिन इसके साथ एक अर्ज़ और भी करना चाहता हूँ और वह यह है कि यह पैदावार इससे भी ज़्यादा हो अगर सूबा के अन्दर पूरे तौर पर अमनोअमान हो। और वह अमनो-अमान लाने की ज़िम्मेदारी हम सब लोगों पर कदरे ज़्यादा है जो यहां इस House के अन्दर बैठे हैं। मैं पूरे यकीन के साथ यह महसूस करता हूँ कि अगर हम सब मिल कर अपना पूरा दबाव डालें तो सूबे के अन्दर काफ़ी अमनोअमान कायम हो सकता है। इस सिलसिला में मेरी यह राय है कि अगर असेम्बली के अन्दर भी जो माहौल है उसको थोड़ा-सा अच्छा किया जाए तो वह बेहतर ही होगा। अतः मैं opposition के भाइयों को यह कहना चाहता हूँ कि जिस तरह गवर्नर साहिब के Address के वक्त उन से भूल हो गई थी ऐसी बात अब नहीं होनी चाहिए। बेशक उन का हक है कि वह गवर्नमेण्ट के ख्यालात से इख्तलाफ़ करें। हम भी तो कांग्रेस पार्टी में होते हुए जिन बातों को गलत समझते हैं उन की नुक्ताचीनी करते हैं। वह भी नुक्ताचीनी करें—यह उन का constitutional right है लेकिन ceremonial समझदार मुज़ाहिरे करना और आपस में कशीदगी को बढ़ाना कोई अच्छी बात नहीं है। इस लिए मैं चाहूँगा कि हम ऐसी फिज़ा पैदा करें और ऐसी रवायात पैदा करें जिन से जम्हूरी हुकूमत ठीक तौर पर और शानदार तरीके से चले और अवाम पर भी अच्छा असर हो।

चौधरी धर्म सिंह राठी : जम्हूरियत है भी ?

श्री राम चन्द्र कामरेड : स्पीकर साहिब, आज चूंकि बताया गया है कि सिर्फ़ उनही मज़मीन पर बोलना है जिन की मांगों पर आगे बहस नहीं होनी तो मैं दो-चार चीज़ों के मुतअल्लिक ही कहना चाहता हूँ ।

असूली तौर पर यही कहा जाता है कि सूबा के बजट को मजमूई तौर पर और मुतनासिब तौर पर सारे सूबा को आगे बढ़ाने पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं इस बजट को देख कर कह सकता हूँ कि जो पसमान्दा लोगों और पसमान्दा इलाकों को आगे ले जाने का दावा किया गया है वह आज भी सही साबत नहीं हो रहा है । इसके मुतअल्लिक तो यही कहा जा सकता है कि......

"बहुत शोर सुनते थें पहलू में दिल का
जो चीरा तो इक कतराए खून न निकला"

कांगड़ा के मुतअल्लिक भी ज़िक्र किया गया है कि वहां फलां फलां स्कीमें हैं—यह किया जा रहा है, वह किया जा रहा है। लेकिन, स्पीकर साहिब, अगर आप गौर फरमाएं कि कितनी स्कीमें हैं और उन पर क्या क्या खर्च किया जा रहा है तो आप को मालूम होगा कि अगर दस स्कीमें ही हैं तो उन पर चन्द हज़ार की रकम का provision है। इस के मुकाबला में आप दूसरी जगहों पर नज़र दौड़ाएं—तरक्की याफ्ता इलाकों की स्कीमों का जायज़ा लें तो आप को पता चलेगा कि एक एक स्कीम पर चार-चार, पांच-पांच, दस-दस करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। अगर यही है असूल मुतनासब तौर पर सभी इलाकों को एक साथ आगे ले जाने का तो मैं कह सकता हूँ कि इस तरह से इस सूबा के अन्दर कभी भी मुतवाज़न economy पैदा नहीं हो सकती। जैसे देहातों और शहरों की इक्तसादियात को मुतवाज़न करने की ज़रूरत है वैसे ही पसमान्दा और आगे बढ़े हुए इलाकों की इक्तसादियात को भी यकसां करना निहायत ज़रूरी है। इस सिलसिला में मैं दो बातों की तरफ़ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। एक तो सेहत के मुतअल्लिक और दूसरे सड़कों के मुतअल्लिक । मैं यह गुज़ारिश करता हूँ कि कांगड़ा ज़िला के अन्दर सड़कों के बढ़ाने की इतनी कोशिश नहीं की गई और अगर सड़कों के वज़ीर को कहने सुनने के बाद कहीं कहीं थोड़ी बहुत कोशिश की भी गई है तो वह इन्साफ़ के साथ नहीं की गई है। जब किसी भी स्कीम को बनाने का ख्याल किया जाता है तो उस वक्त यही चीज़ सामने रखी जाती है कि उस M.L.A. के इलाके में सड़क बनाई जाए, उस M.L.A. के इलाके में welfare का काम किया जाए, और उस M.L.A. के इलाके में हस्पताल खोला जाए जो M.L.A. कांग्रेस पार्टी के अन्दर वज़ीरे आज़म साहिब की ताईद करता हो। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वज़ीरे आज़म साहिब अपनी ही पार्टी के मेम्बरों से न्याय नहीं कर सकते तो कैसे तवक्को की जा सकती है कि तमाम सूबा के अन्दर उन के लिए एतमाद पैदा हो? यहां कांगड़ा में क्या हुआ है? अव्वल तो कोई बड़ी स्कीम दी नहीं, और अगर कोई दो-चार छोटी-मोटी दी भी हैं तो वह उन इलाकों में हैं जहां के M.L.A. मैं समझता हूं, कि चीफ़ मिनिस्टर की हां में हां मिलाने वाले हैं।

[श्री राम चन्द्र कामरेड]

स्पीकर साहिब, अब मैं सड़कों के मुतअल्लिक कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं। नूरपुर तहसील में यह सड़कें बहुत ही ज़रूरी हैं— बोढ़ से जवाली, राजा तालाब से घमेटा, मोटली से अन्दोराह वगैरह २ यह सब पक्की की जायें। अगर यह पक्की कर दी जायें तो यह तहसील डेरा को भी serve करेंगी। फिर कई सड़कों को तहसील नूरपुर में gravel करने की ज़रूरत है यानी नूरपुर चक्की via संदवां और नूरपुर से गंगथ अन्दोराह के रास्ते को जाने वाली सड़कें ज़रूर gravel की जानी चाहियें।

दूसरी चीज़ जो मैं आप से कहना चाहता हूं वह यह है कि यह सड़कें तभी कारामद हो सकती हैं अगर गर, बूहल, जब्बर (Jabber) और हरड़ पर पुल और पुलियां बना दी जायें। यह पुलियां इस लिये ज़रूरी हैं क्योंकि वहां जब बरसात शुरू हो जाती है तो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर इन पुलियों के न होने की वजह से नहीं जा सकते और कई २ दिनों के लिये वह इलाके एक दूसरे से cut off रहते हैं।

एक अर्ज़ मैं ने हस्पतालों के मुतअल्लिक भी करनी है। मुझे डिप्टी मिनिस्टर साहिब ने लिखा था कि मेरी तहसील में एक हस्पताल इस साल खोला जायेगा और एक अगले साल खोल दिया जायेगा लेकिन जब इन के खोलने का फैसला हुआ तो यह दोनों ही तहसील डेरा और तहसील पालमपुर में खोलने का फैसला कर दिया गया और मेरी तहसील नूरपुर में कोई भी हस्पताल नहीं खोला गया हालांकि हरसर रहन, ठाकुरद्वारा, डंकुआं और खन्नी में कोई हस्पताल नहीं है। वहां यह ज़रूर खोले जाने चाहियें क्योंकि वहां जब बरसात शुरू हो जाती है तो लोग दूर के हस्पतालों में जाकर उन का फायदा नहीं उठा सकते। ज़िला कांगड़ा में हस्पताल बहुत कम हैं और जो हैं भी उन में डाक्टर नहीं हैं। अगर किसी हस्पताल में डाक्टर है तो कम्पौंडर नहीं होता या कई हस्पतालों में दोनों ही नहीं होते। अगर कहीं डाक्टर और कम्पौंडर दोनों हैं तो वहां दवाईयां नहीं होतीं। ज़िला कांगड़ा के हस्पतालों में दवाईयां बहुत कम मिलती हैं। फिर उस इलाके में मवेशी हस्पताल भी बहुत कम हैं। वह भी वहां और खोले जाने चाहियें।

इस के बाद मैं एक और अर्ज़ करना चाहता हूं कि जहां उस इलाके में बेरोज़गारी को दूर करने के लिये लोगों को कारोबार मुहैया किया जाना चाहिये वहां इस के साथ २ birth control की तरफ लोगों का ध्यान दिलाने की ज़रूरत है क्योंकि अगर उन की population कम हो जाये तो भी उन लोगों का इस से जीवन स्तर ऊंचा हो सकता है।

अब, स्पीकर साहिब, मैं आप के सामने एक बड़ी भारी शिकायत रखना चाहता हूं। यह सिर्फ मेरी ही शिकायत नहीं है बल्कि यह सारे सूबा की शिकायत है। वह शिकायत यह है कि पिछले पांच-सात सालों में यहां पांच-सात हज़ार मील लम्बी सड़कें बनाई गई हैं जोकि कुछ तो गवर्नमेंट ने खुद बनवाई हैं और कुछ लोगों की रज़ामन्दाना मुफ्त काम से बनाई गई हैं लेकिन वहां अभी तक सरकारी बसें नहीं चलाई गईं और न ही लोगों को बसें

चलाने की इजाज़त दी गई है। उन की तरफ से हज़ारों दरखास्तें दिये जाने पर भी वहां बसें नहीं चलाई जातीं। • क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि जब लोगों ने खुद रुपया इकट्ठा कर के या मेहनत contribute कर के वह सड़कें बनाई हैं तो उन को उन सड़कों पर बसें चलाने के लिये permit क्यों नहीं दिये जाते। स्पीकर साहिब, अब मैं एक अहम अर्ज़ करना चाहता हूँ—

थाम लें दिल मेरी फरियाद को सुनने वाले,
एक तुफान भी उठेगा मेरी फरियाद के साथ ।

अव्वल तो परमिट दिये ही नहीं जाते और अगर दिये जाते हैं तो वह खेश परवरी के लिये दिये जाते हैं। यहां खेशपरवरी और corruption बहुत वसीह पैमाने पर है और इस तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पिछले पांच सालों से दरखास्तें की जा रही हैं कि फलां २ जगहों पर बसें चलानी चाहियें लेकिन जब inspection की गई तो वहां बसें नहा चलाई गईं। वैसे तो पसमान्दा इलाकों के साथ बड़ी हमदर्दी ज़ाहिर की जाती है लेकिन वह मगरमछ वाली हमदर्दी है। बसें चलाने के लिये अगर कहीं इजाज़त दी भी जाती है तो वह बख्शी जी के इलाके में ही दी जाती है। वहां route परमिट दिये जाते हैं। स्पीकर साहिब, अब ट्रक परमिट्स को लें। इस बात की बेशक पड़ताल करा ली जाए कि यह route permit उन लोगों को दिये गये हैं जिन को नहीं दिये जाने चाहियें थे। यह उन को नहीं दिये गये जो इन के मुस्तहिक थे। इस सिलसिले में कांगड़ा ज़िला कांग्रेस कमेटी ने एक resolution भी पास किया था जिस में कहा गया था कि यह route permit जिन लोगों को दिये गये हैं उन में से बेशतर कांग्रेसी नहीं हैं इस से कांग्रेस बदनाम हो रही है। यह आप ने शायद पहले सुन भी लिया हो कि एक मिनिस्टर साहिब ने एक ट्रक का permit अपने दामाद को दिलाया है। इस से आगे मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि एक permit हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब के एक रिश्तेदार को मिला है जिन का अमृतसर में एक cold storage है, फिर चीफ मिनिस्टर साहिब के Political P. A. सरदार मोहिन्दर सिंह के रिश्तेदारों को दो permit मिले हैं, एक उन के Private Secretary सरदार आसा सिंह के रिश्तेदार को मिला है, एक चीफ मिनिस्टर साहिब के driver सरदार बख्शीश सिंह के रिश्तेदार को मिला है। जम्मू और कशमीर के route का कशमीर की सरकार से counter signature करवा कर दिया गया है। एक permit किसी श्रीमती परमेश्वरी देवी को दिया गया है और एक श्री सुरजा राम को जिस ने 20 हज़ार रुपये का cheque अमृतसर cold storage के लिये दिया था, को दिया गया है। फिर जब नये permits के लिए R.T.A., Ambala, के पास पहुंचे तो उस authority ने कहा कि यह permit और कोई जारी नहीं कर सकता। यह तो हम ही जारी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि R.T.A. चीफ मिनिस्टर साहिब नहीं हैं, R.T.A. तो हम हैं। तब हकूमत की तरफ से उन लोगों को कह दिया गया कि देखो यहां पर तुम को permit नहीं मिलेगें आप जाओ और अम्बाला, पटियाला और

[श्री राम चन्द्र कामरेड]

जालंधर में झूठे पते लिखवाकर वहां से यह permit हासिल करो। मैं कहता हूं कि जब Mundhra Deal की enquiry से श्री कृष्णमचारी को जाना पड़ा है तो अगर इस किस्म की चीज़ों की तहकीकात कराई जाये तो इस सारी की सारी Cabinet को जाना पड़े।

मैं आप से यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि खासतौर पर हमारे चीफ़ मिनिस्टर साहिब, उन की wife और उन का लड़का सिंधू बस सर्विस, Indian Motor Transport Company, Karnal, और पटियाला बस सर्विस को patronize कर रहे हैं.....

अध्यक्ष महोदय : Order please. मैं आप को बता दूं कि जब किसी मिनिस्टर के conduct पर बहस करनी हो या उस पर कुछ allegations लगानी हों तो वह एक substantive motion के ज़रिये ही लगाई जा सकती हैं। इस तरह से नहीं लगाई जा सकतीं। (I may tell the hon. Member that whenever the conduct of an hon. Minister is to be brought under discussion or some allegations are to be levelled against him, it can only be done through a substantive motion and not like this.)

श्री राम चन्द्र कामरेड : मैं उन का नाम नहीं लूंगा। मैं तो कहता हूं कि इन चीज़ों को दरियाफ्त किया जाये। पटियाला बस सर्विस ने एक permit मांगा था लेकिन उन को तीन permit दिये गये जोकि तीन हज़ार mileage के लिये हैं।

फिर सब से बड़ी corruption की चीज़ मैं आप को और बताता हूं। 10 अक्तूबर, 1957 को P.T.A. की तरफ़ से R.T.A., Ambala, को हुक्म जारी किया गया कि इन पांच आदमियों को permit जारी किये जायें--

(1) सरदार मेहर सिंह,
(2) श्रीमती परमेश्वरी देवी, जिस का पता भी नहीं दिया हुआ,
(3) सरदार हरबंस सिंह,
(4) सरदार लाभ सिंह और
(5) सरदार प्रताप सिंह

और इस हुक्म में यह लिख दिया गया कि यह temporary permit हैं। लेकिन इस से टैक्स regular मुस्तकिल परमिट कर लिया जाए।

अब इन में जो थोड़ा सा फर्क है वह मैं बताता हूं। जो टैम्पोरेरी पर्मिट्स वाले होते हैं उन से पहले हफते के 15 रुपए और उस के बाद हर हफते के 6 रुपए टैक्स वसूल किया जाता है और जो रैगुलर पर्मिट्स वाले होते हैं उन से 85 रुपए टैक्स के सारे साल के ले लिए जाते हैं। यह है तो थोड़ी सी रियायत मगर यह किया गया कि उन से टैक्स सालाना बेसिज़ पर लिया जाए। मगर एक और बात है। जो

टैम्पोरेरी पर्मिट्स होते हैं वह हंगामी हालात में जारी किए जाते हैं। एक तो यह पर्मिट बड़ी मेहरबानी करके इन को दिए गए और साथ ही टैक्स सालाना बेसिज़ पर लिया और साथ ही साथ यह भी इजाज़त दे दी कि एक साल के अन्दर २ यह व्हीकल पेश करो। अब मुझे बताया जाए कि यह पर्मिट्स टैम्पोरेरी हंगामी हालत कहां रही अगर उन्होंने एक साल के वक्त में व्हीकल पेश करनी है। फिर एक और हुक्म दिया जाता है आर.टी.ए. को कि इन पांच लोगों ने दरखास्तें नहीं दी हैं इस लिए इन से पहले दरखास्तें ली जाएं और फिर पर्मिट जारी किए जाएं। मैं पूछता हूं कि जब आप के सामने किसी की दरखास्त ही नहीं है तो आप किस बेसिज़ पर यह हुक्म पास करते हैं कि इन पांच आदमियों को पर्मिट जारी किए जाएं ? क्या यह कुरप्शन नहीं है ?

(**कुछ आवाजें** : है। कुछ आवाजें : नहीं है।)

अध्यक्ष महोदय : जजमैंट पास करने के लिए बैठे तो आप ही मालूम देते हैं। (It appears these hon. Members are here only to pass the judgement.)

श्री राम चन्द्र कामरेड : मैं आगे अर्ज़ करता हूं कि आर. टी. ए., अम्बाला, को हुक्म देते हैं कि यह पर्मिट जारी करो। जब यह चीज़ उन के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि यह तो हम जारी करते हैं और हम इन लोगों को इस चीज़ के मुस्तहिक नहीं समझते कि इन को पर्मिट दें। (घंटी)। स्पीकर साहिब यह बड़ा अहम मामला है दो-चार मिनट और दें। (विघ्न)

अध्यक्ष महोदय : मामला तो बड़ा अहम है मगर वक्त भी कम है। (Of course, the matter is very important. But time is also very short.)

श्री राम चन्द्र कामरेड : तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि R.T.A. ने यह इश्तिहार दिया कि जिस को पर्मिट चाहिए वह दरखास्त दे। तब वज़ीरों ने अपने आदमियों को कहा कि अपने ऐड्रेस चेंज करा लो और कहा कि पटियाला और जालंधर से पर्मिट लो। फिर पटियाला और जालंधर वालों को नहीं बताया कि अम्बाला आर. टी. ए. ने इन लोगों को पर्मिट देने से इनकार कर दिया है। अगर यह उन्हें बता दिया जाता तो वह पर्मिट देने से पहले दस बार सोचते मगर उन को बेखबर रखा गया। अब इस सिलसिले में मैं यह अर्ज़ करूं कि यह परमिट्स आर. टी. ए. ही जारी कर सकते हैं और अगर वह न होती तो बेशक प्रोविन्शल ट्रांस्पोर्ट अथारिटी यह परमिट्स इशु कर सकती थी। मगर जब आर. टी. ए. फंक्शन कर रही थी तो पी.टी. ए. क्यों यह पर्मिट्स जारी करती है। (घंटी) यह जो पांच पर्मिट्स जारी किए गए इन के पीछे बड़ी भारी हिस्ट्री है। इस सिलसिले में 11 अगस्त, 1951 को, 30 नवम्बर, 1951 को और 22 जुलाई, 1952 को आर. टी. ए., अम्बाला, को हुक्म दिया गया that these vacant permits for Kalka-Simla route should be issued to a co-operative society of the public carrier permit-holders who had more than three years' residence in Simla Hills and whose vehicles were registered at Simla. इस

[श्री राम चन्द्र कामरेड]
जालंधर में झूठे पते लिखवाकर वहां से यह permit हासिल करो। मैं कहता हूं कि जब Mundhra Deal की enquiry से श्री कृष्णमचारी को जाना पड़ा है तो अगर इस किस्म की चीज़ों की तहकीकात कराई जाये तो इस सारी की सारी Cabinet को जाना पड़े।

मैं आप से यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि खासतौर पर हमारे चीफ़ मिनिस्टर साहिब, उन की wife और उन का लड़का सिंधू बस सर्विस, Indian Motor Transport Company, Karnal, और पटियाला बस सर्विस को patronize कर रहे हैं.....

अध्यक्ष महोदय : Order please. मैं आप को बता दूं कि जब किसी मिनिस्टर के conduct पर बहस करनी हो या उस पर कुछ allegations लगानी हों तो वह एक substantive motion के ज़रिये ही लगाई जा सकती हैं। इस तरह से नहीं लगाई जा सकतीं। (I may tell the hon. Member that whenever the conduct of an hon. Minister is to be brought under discussion or some allegations are to be levelled against him, it can only be done through a substantive motion and not like this.)

श्री राम चन्द्र कामरेड : मैं उन का नाम नहीं लूंगा। मैं तो कहता हूं कि इन चीज़ों को दरियाफ्त किया जाये। पटियाला बस सर्विस ने एक permit मांगा था लेकिन उन को तीन permit दिये गये जोकि तीन हज़ार mileage के लिये हैं।

फिर सब से बड़ी corruption की चीज़ मैं आप को और बताता हूं। 10 अक्तूबर, 1957 को P.T.A. की तरफ़ से R.T.A., Ambala, को हुक्म जारी किया गया कि इन पांच आदमियों को permit जारी किये जायें--

(1) सरदार मेहर सिंह,
(2) श्रीमती परमेश्वरी देवी, जिस का पता भी नहीं दिया हुआ,
(3) सरदार हरबंस सिंह,
(4) सरदार लाभ सिंह और
(5) सरदार प्रताप सिंह

और इस हुक्म में यह लिख दिया गया कि यह temporary permit हैं। लेकिन इस से टैक्स regular मुस्तकिल परमिट कर लिया जाए।

अब इन में जो थोड़ा सा फर्क है वह मैं बताता हूं। जो टैम्पोरेरी पर्मिट्स वाले होते हैं उन से पहले हफते के 15 रुपए और उस के बाद हर हफते के 6 रुपए टैक्स वसूल किया जाता है और जो रैगुलर पर्मिट्स वाले होते हैं उन से 85 रुपए टैक्स के सारे साल के ले लिए जाते हैं। यह है तो थोड़ी सी रियायत मगर यह किया गया कि उन से टैक्स सालाना बेसिज़ पर लिया जाए। मगर एक और बात है। जो

टैम्पोरेरी पर्मिट्स होते हैं वह हंगामी हालात में जारी किए जाते हैं। एक तो यह पर्मिट बड़ी मेहरबानी करके इन को दिए गए और साथ ही टैक्स सालाना बेसिज़ पर लिया और साथ ही साथ यह भी इजाज़त दे दी कि एक साल के अन्दर २ यह व्हीकल पेश करो। अब मुझे बताया जाए कि यह पर्मिट्स टैम्पोरेरी हंगामी हालत कहां रही अगर उन्होंने एक साल के वक्त में व्हीकल पेश करनी है। फिर एक और हुक्म दिया जाता है आर.टी.ए. को कि इन पांच लोगों ने दरखास्तें नहीं दी हैं इस लिए इन से पहले दरखास्तें ली जाएं और फिर पर्मिट जारी किए जाएं। मैं पूछता हूं कि जब आप के सामने किसी की दरखास्त ही नहीं है तो आप किस बेसिज़ पर यह हुक्म पास करते हैं कि इन पांच आदमियों को पर्मिट जारी किए जाएं ? क्या यह कुरप्शन नहीं है ?

(**कुछ आवाज़ें** : है । कुछ आवाज़ें : नहीं है ।)

अध्यक्ष महोदय : जजमैंट पास करने के लिए बैठे तो आप ही मालूम देते हैं। (It appears these hon. Members are here only to pass the judgement.)

श्री राम चन्द्र कामरेड : मैं आगे अर्ज़ करता हूं कि आर. टी. ए., अम्बाला, को हुक्म देते हैं कि यह पर्मिट जारी करो। जब यह चीज़ उन के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि यह तो हम जारी करते हैं और हम इन लोगों को इस चीज़ के मुस्तहिक नहीं समझते कि इन को पर्मिट दें। (घंटी)। स्पीकर साहिब यह बड़ा अहम मामला है दो-चार मिनट और दें। (विघ्न)

अध्यक्ष महोदय : मामला तो बड़ा अहम है मगर वक्त भी कम है। (Of course, the matter is very important. But time is also very short.)

श्री राम चन्द्र कामरेड : तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि R.T.A. ने यह इश्तिहार दिया कि जिस को पर्मिट चाहिए वह दरखास्त दे। तब बज़ीरों ने अपने आदमियों को कहा कि अपने ऐड्रेस चेंज करा लो और कहा कि पटियाला और जालंधर से पर्मिट लो। फिर पटियाला और जालंधर वालों को नहीं बताया कि अम्बाला आर. टी. ए. ने इन लोगों को पर्मिट देने से इनकार कर दिया है। अगर यह उन्हें बता दिया जाता तो वह पर्मिट देने से पहले दस बार सोचते मगर उन को बेखबर रखा गया। अब इस सिलसिले में मैं यह अर्ज़ करूं कि यह परमिट्स आर. टी. ए. ही जारी कर सकते हैं और अगर वह न होती तो बेशक प्रोविन्शल ट्रांस्पोर्ट अथारिटी यह परमिट्स इशु कर सकती थी। मगर जब आर. टी. ए. फंक्शन कर रही थी तो पी.टी. ए. क्यों यह पर्मिट्स जारी करती है। (घंटी) यह जो पांच पर्मिट्स जारी किए गए इन के पीछे बड़ी भारी हिस्ट्री है। इस सिलसिले में 11 अगस्त, 1951 को, 30 नवम्बर, 1951 को और 22 जुलाई, 1952 को आर. टी. ए., अम्बाला, को हुक्म दिया गया that these vacant permits for Kalka-Simla route should be issued to a co-operative society of the public carrier permit-holders who had more than three years' residence in Simla Hills and whose vehicles were registered at Simla. इस

[श्री राम चन्द्र कामरेड]

सिलसिले में मैं यह अर्ज़ करूं कि कालका में जो शिमला गुड्ज़ ट्रांस्पोर्ट यूनियन है उस के चेयरमैन ने जो हिल्ज़ में काम करते हैं दरखास्त दी कि हमें यह पर्मिट दिया जाए। उन को हुक्म दिया गया that these vacant public carrier permits on Kalka-Simla route had been decided to be kept in reserve for emergent and unforeseen requirements in connection with Government. अब मैं अपने वज़ीर साहिब से पूछना चाहता हूं कि वह बताएं कि वह कौन से एमरजैंट, अनफोरसीन और अनऐक्सपैक्टिड पब्लिक वर्कस हैं जिनकी बिना पर गवर्नमेंट ने यह पर्मिट्स अपने पास रखे हुए हैं और जो इन लोगों को देती है पैट्रनाइज़ करने के लिए..... (घंटी).... आप मुझे एक-दो मिनट और दें मैं इन पर्मिट्स की और R.T.A. की हिस्ट्री बयान कर दूं ।

अध्यक्ष महोदय : हिस्ट्री तो आप बयान कर रहे हैं मगर यह खत्म नहीं होगी । आपने उस वक्त से दुगना वक्त लिया है जो और मैम्बर्ज़ को मिलता है। (The hon. Member is no doubt giving the history of the case, but there will be no end to it. While he has taken double the time in speaking others do not get at all.)

श्री राम चन्द्र कामरेड : दो मिनट और दें.....

अध्यक्ष महोदय : इन बातों के लिए और बहुत से मौके आएंगे । (Quite a number of occasions will come his way for these things.)

श्री गुर दत्त (पलवल, जनरल) : अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री महोदय ने जो बजट House के सामने पश किया है, उस के लिए मैं उन्हें बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। कल से इस House में इस के ऊपर वादविवाद चल रहा है और हमारे Opposition के भाइयों और गवर्नमेंट Benches वालों ने भी इस पर काफी कड़ी नुक्ताचीनी की है। मैं भी कुछ इस मामले में अर्ज़ करना चाहता हूँ।

इस में कोई शक नहीं है कि partition के बाद पंजाब में काफी तरक्की हुई है, नहरें, सड़कें हस्पताल और दूसरी चीजें बनी हैं और ज़रायत में भी काफी परिवर्तन हुआ है। मगर मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि गुरदासपुर या अमृतसर में जहां floods आते हैं वहां पर 10 वीं जमात तक फीस माफ कर दी गई है मगर जहां तक ज़िला गुड़गांव में तालीम का तअल्लुक है, वहां जो जमना के खादर के floods वाले इलाके हैं वहां पर हालांकि पानी साल में 8, 9 महीने भरा रहता है, खेतीबाड़ी बिल्कुल नहीं होती मगर फिर भी वहां फीस माफ नहीं की गई है। हमारे Chief Minister साहिब ने कहा था कि गुरदासपुर और गुड़गांव के ज़िले बहुत पसमांदा इलाके हैं, वहां पर लाज़मी फीस माफ होगी और दूसरे development के काम सब से पहले होंगे और ज़रूर होंगे। मगर बड़े दुःख की बात है कि जो ज़िला गुड़गांव है और बहुत पसमांदा इलाका है, वहां पर development के काम बहुत पीछे हैं। तालीम के मामले में जहां

दूसरे ज़िलों में Government Colleges हैं, Technical Colleges हैं, वहां गुड़गांव में कोई कालेज नहीं है । पिछले साल बजट में Girls College के लिए प्रबन्ध किया गया था मगर वह न खोला गया। इस बार दोबारा फिर Girls College के लिए रुपया रखा गया है और दूसरे कामों के लिए भी रुपया रखा जाता है मगर पैसे से वहां पर कोई खास काम नहीं होता। अब गुड़गांव canal का ज़िक्र आता है। चौधरी छोटू राम के वक्त में जब Unionist वज़ारत थी तो गुड़गांव Tunnel Scheme का सिलसिला चल रहा था। उस के बाद जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो चौधरी लहरी सिंह ने भी इस बात पर ज़ोर दिया और वहां जा जा कर काफी वादे किए मगर अभी तक इस का कुछ नहीं हुआ। पिछली बार भी इसी House में एक मैम्बर साहिब ने, जो हरिजन हैं और गुड़गांव से ताल्लुक रखते हैं, एक resolution रखा था। स्पीकर साहिब, इस House को पता है कि वह resolution इत्तफाक राए से यहां पर पास हुआ। लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ। इस बार भी गुड़गांव टनल की बजाए गुड़गांव कैनाल औखला से निकालने के लिए 1 करोड़ 70 लाख रु० रखा गया है। इस का सिलसिला भी पहले से चला आता है और ऐसे ही रहेगा, होगा कुछ नहीं। यह ज़िला सब से ज़्यादा पसमांदा ज़िला है। इस लिए गवर्नमेंट से अर्ज़ करूंगा कि इस को ऊपर उठाने के लिए बड़े और छोटे कदम जल्दी उठाए जाएं और वादे पूरे किए जाएं। यहां पर एक इलाका है, जिस में 50 के करीब गांव हैं। जमना के खादर का इलाका है और हर साल floods आते हैं, गांव तबाह हो जाते हैं और लोगों की ज़िन्दगियां दोज़ख बन जाती हैं। वहां पर पिछले साल D. C. ने बांध बन्धवाया जिस से उन लोगों का कुछ बचाव हुआ। इस साल भी वहां पर 4 लाख की लागत की scheme रखी गई है, मगर उस में से अभी तक कुछ खर्च नहीं हुआ। हमारे मियां साहिब ने जो इत्तफाक से यहां बैठे हुए हैं, वहां पिछले दिनों एक दो गांव में जा कर development वग़ैरह की स्कीमें भेजीं और पिछले साल जहां दो लाख रुपया था इन्होंने यहां से चार लाख रुपए की sanction दिलाई। इस लिए मेरी गुज़ारिश है कि उस तरफ पूरा ध्यान दिया जाए।

4-00 p.m.

अब मैं हांसी-गुड़गांवा की सड़क के बारे में भी कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं। हमारे इलाका में पहले ही सड़कों की बहुत कमी है लेकिन इस की तरफ कोई तवज्जुह नहीं दी जा रही। पिछले दिनों गुड़गांवा बलभगढ़ के लिए एक सड़क बनाई जानी थी। Ballabhgarh tehsil Headquarters होने के नाते एक अहम जगह है जहां पर सड़कों का महूलतों का होना बहुत ज़रूरी है। इस सड़क की मन्ज़ूरी दी गई और tenders मांगे गए। लेकिन, स्पीकर साहिब, अफसोस के साथ बताना पड़ता है कि जब इस सड़क के लिए tender call हो रहे थे तो सरकार की तरफ से orders आ गए कि यह सड़क cancel की जाती है। यह सड़क बहुत ज़रूरी थी और गुड़गांवा को बराहेरास्त दिल्ली से मिलाती थी। पहले जो 20 मील का फासला था इस सड़क के बन जाने से 10 मील रह

[श्री गुर दत्त]

जाता था लेकिन पता नहीं सरकार ने किस सहूलत को सामने रख कर इस सड़क को postpone कर दिया। मेरा इस लिए सरकार से यह निवेदन है कि इस सड़क को दोबारा अपनी स्कीमों में रखा जाए ताकि लोगों को पूरी सहूलतें मिल सकें।

इस के बाद, स्पीकर साहिब, मैं transport के बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं। हमारे इलाके में Development वालों के ज़रिए कुछ सड़कें तीन-तीन साल से बन चुकी हैं और गावों को आपस में मिलाती हैं लेकिन transport के अभाव के कारण लोग अब भी पैदल सफर करते हैं या तांगों पर चलते हैं। हालांकि इन सड़कों पर मोटरें चलाई जा सकती हैं। इन इलाकों में गवर्नमेंट की कोई Roadways नहीं हैं। इस लिए यहां पर सरकार की ओर से मोटरें चलाने का काम किया जाए ताकि लोगों को सहूलतें मिल सकें। पहले जब हमारे वज़ीर साहिब वहां पर तशरीफ लाये थे तो उन्होंने वायदा किया था कि होडल से जल्द से जल्द Chandigarh और Delhi के लिए Roadways की बसें चलाई जाएंगी मगर इस की तरफ अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस लिए मेरी गुज़ारिश है कि इन बातों पर जल्द से जल्द अमल किया जाए ताकि मेरे इलाके के लोगों को सहूलतें मिल सकें। इन शब्दों के साथ मैं आप का, अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद करता हूं।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਿਆਮ ਸਿੰਘ (ਖਾਲੜਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੁਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਦਿਵਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੋ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਹਰ ਤਰਫ ਬੇਚੈਨੀ ਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ? ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿਖ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਝਗੜਾ ਵੀ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਇਸ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਦੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ruling party ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜੋ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੁਹ ਉਸ ਲਿਖਤ ਵਲ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ—

If the Congress accepted the logic of partition it would ultimately lead to con flict and the disintegration of India for which generations to come would have to pay the price.

ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਮਾਨ-ਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰਫ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਹੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ partition ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਸਨ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ :—

> But supposing that the worst comes to the worst and he had to choose between chaos which the retiring British might let loose in their wake and an imposed peace, he would, he said, unhesitatingly choose chaos.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ partition ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਕਰ ਫਸਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। The congress High command .

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਜਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Where is the hon. Member drifting ? Here the Budget is being discussed.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਿਆਮ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਬਜਟ ਵਲ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।

Mr. Speaker : This is irrelevant. Please try to speak on the Budget.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਿਆਮ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਦਰਅਸਲ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਵਲ ਤੋਂ ਆਖਰ ਤਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਸਤਾ ਅਲਫ ਤੇ ਬਸਤਾ ਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਨ। (*interruption*)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ criticism ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਿਉ ਜੇ, ਇਥੇ ਬਜਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰੋ। (The hon. Member may criticise the Congress party outside the House. Here he should discuss only the Budget.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਿਆਮ ਸਿੰਘ : ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਚੋਖਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਰਚ ਕਿਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ 'ਲੂਟ ਪੜੀ ਸੋ ਲੂਟਣ ਦੇ' ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਬੇਦਰਦੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਥਾਂ ਖੂਬ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ।

ਹੁਣ smuggling ਦਾ ਕੇਸ ਲਵੋ। Smuggling ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਰਨ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 961 smugglers ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 850 ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ—

ਬਦਨਾਮ ਅਗਰ ਹੋਂਗੇ ਤੋ ਕਿਆ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਗਾ।,

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ]
ਇਸ smuggling ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ 18 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਮਾਲ ਦੀ smuggling ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਇਕ ਡਰਾਈਵਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ 700 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇਕਰ 20 ਦਿਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 14,000 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਉਸ ਨੇ smuggle ਕੀਤਾ । ਅਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ smuggling ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਨੀ ਰਕਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਫਿਰ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਰਾਹੀਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Middle East ਵਿਚ ਸੋਨਾ 60 ਰੁਪਏ ਤੋਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ Smuggle ਕਰਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ Middle East ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ । (The hon. Member will finish his time on such things and then say that he had to refer to certain other points also. Now he has touched the Middle East.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿਥੋਂ ਰਕਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਜਟ ਨੂੰ balance ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ smuggling ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ । ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ smuggling ਰੋਕ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਫਾਰਨ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ।

ਇਹ ਸੋਨਾ 60/- ਰੁਪਏ ਤੋਲਾ Middle East ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 40/- ਰੁਪਏ ਫੀ ਤੋਲਾ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੀ forward Marketing Committee ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ smuggling ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ....

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕੀ ਤੁਅੱਲਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਜਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ । (The hon. Member is discussing the budget. This account has no connection with it.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ : ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੇਮ ਦੇ ਮੁਤਅੱਲਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 48 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸੇਮ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਅਗਰ ਇਸ ਸੇਮ—ਜ਼ਦਾ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ 5 ਮਣ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2 ਕਰੋੜ 40 ਲਖ ਮਣ ਅਨਾਜ ਵਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 12/-ਰੁਪਏ ਫੀ ਮਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 28 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਮਗਰ ਸੇਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਇਲਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਦੇਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਭਾਖੜੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਫੇਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਲਗਣਾ ਹੈ ਚੂੰਕਿ "ਬਿਜਲੀ ਅਜ ਭਾਖੜਾ ਆਵਰਦਾ ਸ਼ਵੱਦ ਕਿਸਾਨ ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਵੱਦ" । ਇਸ ਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ 8-10 ਫੁੱਟ ਤਕ ਗਹਿਰਾ ਖੋਦਿਆ ਜਾਵੇ । ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੋਗ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣਗੀਆਂ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ-ਜ਼ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ Grey Canal System ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟ area ਵਿਚ ਸੇਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ Taxes ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । Betterment Charges ਦਾ ਅੱਡ Tax ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਟੈਕਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੇਮ-ਜ਼ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹ ਟੈਕਸ 80/-ਰੁਪਏ ਫੀ ਏਕੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ।

ਫੇਰ Government ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ border area ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਏਥੇ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੋਨਾ ਬਹੁਤੇਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਹਾਸਾ) ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਵੀ smuggler ਹਨ । ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ, 5-6 ਨਹਿਰਾਂ ਹਨ । ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਰੋਹੀਆਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿਚ ਬੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ।

ਇਕ ਹੋਰ ਔਖ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸੂਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇਸ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕ belt ਜੰਗਲ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਪਲਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਸੂਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹੀ ਖਤਰਾ ਲਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ encounter ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਕਿਤੇ smuggling ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ।

अध्यक्ष महोदय : आप इन की बातें सुनने के लिये बड़े बेचैन बैठे हैं। (The hon. Member is feeling very restive to listen to him.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਿਆਮ ਸਿੰਘ: ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ representations ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਾਲਿਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ । ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜ-ਛੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹਨ । ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਏਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਠੀਕ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੱਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਕਾਲਿਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ । ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮ (ਨਕੋਦਰ, ਰਿਜ਼ਰਵ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਿਕ ਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ । ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਬਜਟ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਤਰੱਕੀ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਿਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਪਰ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ । ਮੇਰੇ ਇਕ ਹਰੀਜਨ ਭਰਾ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਆਸ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਕਫ਼ ਨਹੀਂ । ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿਖਾਂ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਹਰੀਜਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਅਤੇ ਜਟਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਛੇੜਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਭੈੜਾ ਰਿਵਾਜ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਧਰਲਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਰੁਸ ਕੇ ਓਧਰ ਜਾਏ ਜਾਂ ਓਧਰਲਾ ਐਧਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ aim ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਾੜੇ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਈ । ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਉਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ Opposition ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ credit ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ । ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੰਦਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਰਖਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਵਕਤ ਦਿਤਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿਤਾ । ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਸਕੇ । ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ aim ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ Opposition ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਅਮਨ ਦਾ ਬਾਇਸ ਇਹ ਧੜੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ, ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ 1957-58 ਅਤੇ 1959 ਤਕ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ Address ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ।

ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਇਥੇ 300 ਮੀਲ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ।

ਲੇਕਿਨ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਪਿਛੇ ਇਕ question ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ transport ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਫੀਸਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 5% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ । ਇਕ ਸਵਾਲ 1952 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਲਾਲਾ ਜਗਤਨਾਰਾਇਣ ਮਨਿਸਟਰ ਸਨ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਪਰਸੇਂਟੇਜ਼ ਸਿਫਰ ਬਟਾ ਸਿਫਰ ਆਈ ਸੀ । ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ । ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉਥੇ ਜਾਕੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬੜੀ ਘਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਿਠੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਰਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ । ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ question ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਫਰ ਬਟਾ ਸਿਫਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ । ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪੁਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ।

ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਬੇਕਵਰਡ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਉਥੇ ਲੋਹੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਔਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਥੇ ਇਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ।

[ਸ੍ਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮ]

ਦੂਜੀ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਬ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।

ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਫੀ ਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 21% ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ-ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 21% ਤਾਂ ਛਡੋ 10% ਹੀ ਦੇ ਦਿਉ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੱਜ ਗਾਂਧੀ ਯੁਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਓ ਦੇ ਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਲੈ ਆਓ।

ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਨੂਰਪੁਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਨਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਨਹਿਰ ਹੈ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਔਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਥੇ ਪੁਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕੋਦਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਕ ਬੇਈਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਡਾ, ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬਸਾਂ ਚਲਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਸੜਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਚੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲ ਨੀਵਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾ ਜਾਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਥੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਪੁਲ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਵਾ ਜਾਈ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਬੇਈਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਧੂਰੀ, ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਬੜੇ ਸੁਹਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ Address ਵਿਚ ਦਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ Address ਵਿਚ ਦਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ।

ਜਿਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਨੂੰ implement ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਢਿਲਾਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। Finance Commission ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ grant ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ recommend ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸੂਦ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਕਿ ਸੂਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਹ ਜੋ Finance Commission ਤੋਂ ਇਤਨੀ grant ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

ਜਦ economy drive ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ 15 per cent T.A. ਅਤੇ contingency ਖਰਚ ਦੇ ਵਿਚ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਵ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਟਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ Contingency ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਉਹ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਉਖੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Supplementaries ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨਾਜ ਔਰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

ਸਾਡਾ Administration ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ Top Administration ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ heavy ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਉਤਲੇ level ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਚਤ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ retrenchment ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ Resources and Retrenchment Committee ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਕਾਡਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ June 1957 ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ recommendations ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ State economy ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ recommendations ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਔਰ ਪੀ. ਡਬਲਿਊ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਡ ਬਜਟਿੰਗ (bad budgeting) ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੀਮਾਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਏਥੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਟੋਕਨ ਡੀਮਾਂਡਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਿਆ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫੇਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੋਕਨ ਡੀਮਾਂਡਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੀਮਾਂਡਜ਼ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਡੀਮਾਂਡਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ

[ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ]

ਆਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ ਐਕਸੈਸ (excess) ਰੁਪਿਆ ਡਰਾ (draw) ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ । ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਜਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਗਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਕਨ ਡੀਮਾਂਡ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ।

ਹੁਣ ਮੈਂ, ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ (law and order) ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਹਿੰਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਔਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮਗਰ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਰੁਖ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਦੇ ਮਤੱਲਿਕ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਕੈਤੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਪੁਲੀਸ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਾਤੀ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀਂ 392 ਔਰ 393 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਫਾ 458 ਔਰ 462 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਆਈ. ਜੀ. ਪੀ. ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਸ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਔਰ ਇਨਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ (suspend) ਹੋਏ ਹਨ। ਮਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਔਰ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਓਸੇ ਹੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮਦਨਗੋਪਾਲ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਗਰ ਕੋਰਟ

ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ । ਅਜਿਹੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਓਥੇ ਹੀ ਦੋਬਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੜੀ ਐਫੀਸ਼ੇਂਟ (efficient) ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਕੇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਨੇ ਹੋਰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਝੂਠਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਹੋਵੇ ਔਰ ਚਾਹੇ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਹੋਵੇ । ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਝੂਠਾ ਹੈ ਔਰ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਹੈ । ਅਗਰ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਝੂਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਗਰ ਫਿਰ ਭੀ ਉਹ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਐਸੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਵਾਲੇ ਗ਼ਲਤ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਲੇਮਾਨਸਾਂ ਨੂੰ 10 ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ 10 ਨੰਬਰੀਏ ਆਦਮੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ । ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ । ਏਥੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਘਟੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਅਜੇ ਏਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋਮੋਟ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਂਟੀ-ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।

ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਗੈਰਾ ਜੈਸੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਿਰ ਹਨ । ਜੇਕਰ

[ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ]
ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਰਫ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚ ਇਕ ਹਰਡਲ (hurdle) ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਖਾਮੁਖਾਹ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਖਰਚ ਬਚੇਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਰੈਡ-ਟੇਪਇਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਜੀਪਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਔਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੈਗਨਜ਼ ਦੀ ਇਤਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਇਤਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੇਸਟੇਜ (wastage) ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਜੀਪਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਔਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੈਗਨਾਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਜੀਪਾਂ ਔਰ ਕਾਰਾਂ ਆਏ ਸਾਲ ਨਵੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੀਪਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਔਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੈਗਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਘੰਟੀ)

ਮੈਂ, ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਰਿਆਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਜੈਸੇ ਹੀ ਲੋਗ ਵਸਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੈਸੀਆਂ ਹਨ। ਧੂਰੀ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਔਰ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੇਮ ਔਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਤਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਤਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਮ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਤਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿਚ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਘੰਟੀ)।

ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਪਸੂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਡਿਆਂ ਸਰਵਸਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ

ਰਿਹਾ । ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛੇ ਸੁਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਫਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ । ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸਨ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਙੂੰਕਿ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਤਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

चौधरी बाल्हू राम (रजौंद) : स्पीकर साहिब, आज इस House के सामने हमारी पंजाब सरकार का जो आमदनी और खर्च का चिट्ठा है उस पर बहस चल रही है । बजट में जो कुछ दिया गया है अगर उस पर Opposition की तरफ से नुक्ताचोनी की जाए तो Treasury Benches पर बैठे हुए मेरे दोस्त उस के खिलाफ बड़े ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें उठाते हैं और कहते हैं कि Opposition का तो काम ही criticism करना है । लेकिन जब उस तरफ के साहिबान जो कि सरकार के हामी हैं इतनी शदीद नुक्ताचीनी करते हैं तो उस का साफ यह मतलब निकलता है कि हमारी जो मौजूदा सरकार है यह न सिर्फ Public का बल्कि इस House के सब मेम्बरान का भी एतमाद खो चुकी है । अगर ऐसी हालत किसी और मुलक में होती जोकि democratic country कहलाता हो तो सरकार कभी की अस्तीफा दे कर दूर जा बैठती (*thumping of benches by the opposition*) वहां अगर इस किसम की बातें होती और सरकार के notice में लाई जातीं तो वह कभी की हकूमत छोड़ गई होती । मगर यहां पर हालत यह है कि यह चिकना घड़ा बन कर चिमटी हुई है । जिस तरह चिकने घड़े पर पानी की बद का असर नहीं होता उसी तरह आप कितनी ही इस सरकार की नुक्ताचीनी करें, सच्ची बातें बतलाएं कि corruption है nepotism है और favouritism चल रही है और फिर आप चाहे इन बातों को साबत भी कर दें तो भी इन पर कोई असर नहीं होता है । यह तो वक्त ही बताएगा कि जैसा कि हम नारा लगाया करते थे कि "जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है" कब यह सरकार कूच करती है । पता नहीं वह वक्त कब आता है । जनता ही बता सकती है कि कब वह वक्त आने वाला है और जनता ही इसे बदल सकती है (*interruptions*) मगर आप फिकर न करें वह वक्त दूर नहीं जब यह बदलेगी । मैं जो कुछ बता रहा हूं और जो कुछ बताने जा रहा हूं वह जनता की नुक्ता-चीनी ही बता रहा हूं कि वह क्या महसूस कर रही है । (एक आवाज़ : यह जनता की सरकार है और नहीं बदलेगी) आप क्यों घबराते हैं । वह अंग्रेज़ यहां से चला गया जो दो सौ साल तक हकूमत करता रहा यह तो अभी तक 10 साल की हकूमत है । यह भी बदल जाएगी कोई फिक्र की बात नहीं । जो जनता उसे बदल सकती थी वह इसे भी बदल देगी (*interruptions*) ।

अध्यक्ष महोदय : आप भी मज़े ले रहे हैं और वह भी ले रहे हैं। (Both the hon. Member and this Government are having the best of time.)

चौधरी बालू राम : I don't mind it. मैं स्पीकर साहिब, आपके सामने इस बजट के बारे में कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूं। यह जो बजट यहां पर पेश हुआ है इस के बारे में जनता का आम विचार है कि यह गरीबों की बेकसी के साथ मज़ाक है और यह जुल्म और सितम से भरा हुआ बजट है। आप जानते हैं और कहा भी जाता है कि भारतवर्ष ऐसा देश है कि जहां गरीब आबाद हैं। मैं कहता हूं कि उसी गरीब के जिसम के खून को चूस चूस कर इन taxes की सूरत में रुपया इकट्ठा करके लुटाया जा रहा है। यह बात ऐसी है जो बड़ी असंतोषजनक है (हंसी) यह मामला ऐसा नहीं है जो कि इसी तरह हंसी मज़ाक में टाल दिया जाए। इस पर ग़ौर करने की ज़रूरत है। यह बात बड़ी शोचनीय है। मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूं कि आज हालत यह है कि चारों तरफ से त्राहि त्राहि की आवाज़ आ रही है। (एक आवाज़ : ग़लत, ग़लत) यह तो आप अपने ही benches पर बैठने वालों से पूछ सकते हैं कि कहां तक ग़लत है या सही है। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि क्या अमीर क्या गरीब, क्या मज़दूर क्या कारखानेदार, और क्या किसान क्या ज़मीन्दार हरेक चिल्ला रहा है और टैक्सों के बोझ से मरा जा रहा है। यह बात मैं ही नहीं कहता बल्कि आपके बम्बई के कांग्रेसी व्योपारी कहते हैं कि India is the heaviest taxed country in the world और जहां पर जो काम होता है वह उस टैक्स के इवज़ में या मुकाबिला में बहुत कम होता है। यह मैं ही नहीं कहता कि मैं opposition में हूं बल्कि यह अलफाज़ उनके हैं। तो इस सूरत में फिर भी क्या आप कहते हैं कि इस सूबा में बड़ी भारी तरक्की हुई है और development के काम बहुत हो रहे हैं? खैर अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लूं कि तरक्की हुई है तो ज़रा आप उस तरक्की का मुकाबिला उस खर्च से करें जोकि किया जा रहा है। आप देखें कि बजट में किस तरह कुप्पे के कुप्पे लुंढाए जा रहे हैं कि कैसी लूट चल रही है। अगर इन कुप्पों के लुंढाने के बाद और यह लूट चलने के बाद कोई चार पांच फी सदी result निकल भी आया तो इस में कौनसी फख्र करने वाली बात है? मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि अगर थोड़ी सी vigilance से भी काम लिया जाए और इस भारी expenditure को कम करने के लिए थोड़े से measures भी adopt कर लिए जाएं तो इस बजट में कम से कम 10, 15 करोड़ रुपए की कमी हो सकती है और रुपया बच सकता है। आपने पिछले साल economy measures के अन्दर एक दो चीज़ें शामिल की थीं जैसे कि T. A. वग़ैरा तो उस से काफी बचत हो गई। तो जैसा कि अभी मेरे एक फाज़ल दोस्त सरदार जसदेव सिंह जी ने बताया है कि अगर आप के Ministers और आपके आला अफसरान कारों और जीपों पर ही control कर लें तो काफी बचत

हो सकती है । मैं यह बातें सोच ही रहा था कि आखर यह आए साल बजट में इज़ाफा क्यों होता है? स्पीकर साहिब, हरेक चीज़ के कुछ न कुछ causes या reasons होते हैं। किसी देश के बजट में जब इज़ाफा होता है तो उस के 6, 7 कारण होते हैं। मैं उनको आपके सामने रखता हूं। मैं इन को ज़्यादा तफसील में न जा कर इशारतन ही ब्यान करता हूं कि आम तौर पर बजट में क्यों इज़ाफा होता है। पहला यह है कि अगर increase in population हो। दूसरा है कि अगर higher level of prices हो, तीसरा है अगर national wealth में कोई increase आ जाए। चौथा है कि अगर war and prevention of war के लिए measures लिए हों या लेने हों। पांचवें और छटे पर मैं खास तौर पर ज़ोर देना चाहता हूं। तो पांचवां है effective financial and civil Administration अगर हो। आप देखते हैं कि जगह जगह पर corruption भ्रष्टाचार और inefficiency की कितनी मिसालें मिलती हैं। अगर इस administration पर ही अच्छी तरह से control किया जाए तो काफी बचत हो सकती है और इस बजट में कमी आ सकती है। इस तरह इस अभागे province का काफी उद्धार हो सकता है और तरक्की हो सकती है। लेकिन उसको control कौन करे? इस में vested interest आ जाते हैं और रिशतेदारियां आ जाती हैं जो पेश नहीं चलने देतीं। आज तक देखा गया है कि अगर किसी अफसर के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो फौरन किसी मिनिस्टर के साथ कोई न कोई सम्बन्ध निकल आता है या बन जाता है और उस का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। मैं कहता हूं कि corruption या दूसरी ऐसी चीज़ें जो होती हैं वह सारी top से शुरू होती हैं। अगर हमारे सूबे का मुख्य मंत्री ईमान्दार है efficient है तो कोई वजह नहीं कि सारी state में ईमानदारी न आए और corruption का नामो-निशान न रहे। इसी तरह से अगर दूसरे वुज़रा साहिबान भी उसी नकशे कदम पर चलें तो कोई कारण नहीं कि दूसरे अफसरान ठीक काम न करें। फिर अगर बाकी Heads of Departments नेकनीति से काम करें तो कोई वजह नहीं कि नीचे के subordinates मेहनत से काम न करें। इस लिए मैं कहूंगा कि जितनी corruption होती है वह पहले शुरू ऊपर से ही होती है और फिर दरजा बदरजा नीचे तक चली जाती है। मैं यह बातें ऐसे नहीं कर रहा बल्कि इस के facts और सबूत भी देता हूं। अभी चंद दिन ही हुए हैं कि यहां पर पंत जी आए थे तो उन के पास एक deputation गया और वह deputation कोई opposition की तरफ से नहीं था बल्कि आपकी तरफ से कांग्रेसी benches की तरफ से था जो उनको मिला और इस मौजूदा Ministery के खिलाफ इतने corruption के charges लगाए कि अगर उनकी ही तहकीकात की जाए तो वही काफी है और सारा शीशा देखने के लिए जनता के सामने आए (आवाज़ें ग़लत, ग़लत) आपको कैसे ठीक लगेगा। आपको तो गल्त ही मालूम होगा मगर दुनिया सब कुछ जानती है। मैं आपके सामने जो चीज़ बता रहा था वह यह है कि why so much

[चौधरी बारू राम]

increase in expenditure ? इस का कारण यह है कि हर जगह आप देखते हैं कि duplication and unnecessary multiplication of governmental agencies चल रही है और यही वजह है कि यह हालात हो रहे हैं। आगे जो छटी बात है वह बड़ी अहम है और वह है incidence of democracy । आप जानते हैं कि democracy में बहुत सी पार्टियां होती हैं और हरेक पार्टी इकतदार हासिल करने के लिए एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाती है। फिर जब ताकत हाथ में आ जाती है तो उस ताकत को हाथ में रखने के लिए जो जो ज़राए इस्तेमाल करने पड़ते हैं वह सब से बड़ा factor होते हैं जो कि किसी देश या सूबे की expenditure को बढ़ाते हैं। आपके सामने कामरेड राम चन्द्र ने रूट परमिट्स की मिसाल रखी कि किस तरह बन्दर बांट की जा रही है और किस तरह से सूबे के बजट को खराब किया जा रहा है। यह चीज़ जो होती है पार्टी के supporters को खुश करने के लिए ऐसे कारनामे किए जाते हैं। ऐसी मिसालें एक नहीं हज़ारों और लाखों मिल सकती हैं लेकिन मैं समझता हूं कि अगर एक वज़ारत अच्छे कैरेक्टर की हो तो वह supporters की भी परवाह नहीं करती हुई अपने काम को honesty के साथ चला सकती है और इस तरह से जो सूबे का heavy expenditure हो जाता है वह बहुत कुछ कम हो सकता है। मैं ने यह causes आप के सामने रखे जिन की वजह से सूबे का expenditure बढ़ता जा रहा है। अब मैं आप के सामने जो हमारा इतना expenditure बढ़ता जा रहा है और उन्हें पूरा करने के लिए जो टैक्सेशन की पालिसी हमारी सरकार ने इख्तियार की हुई है थोड़ा बहुत उस के बारे में अर्ज़ कर देना चाहता हूं। यह हमारे इस सूबे की सब से बड़ी बदकिस्मती है कि आज एक गरीब की दाल और रोटी पर भी टैक्स लगाया गया है और मुझे मजबूर हो कर कहना पड़ता है :—

It is the last straw which breaks the camel's back.

जब एक गवर्नमेंट दाल और रोटी पर भी टैक्स लगाने पर उतर आए तो इस से ज़्यादा और क्या हो सकता है। रोज़ाना जब हम अपने इलाके में इधर उधर जाते हैं तो हम देखते हैं हर कोई कराह रहा है और मैं साफ़ लफ्ज़ों में कह देना चाहता हूं कि एक बग़ावत सी खड़ी होने वाली है जिस की हमारी सरकार टक्कर लेने के काबिल नहीं। इस लिए मैं अर्ज़ करूंगा कि यह taxation की पालिसी सरकार को बदलनी पड़ेगी अगर यह कुछ दिन अपनी ज़िन्दगी चाहती है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जिस वक्त महात्मा गान्धी ने 1930 में नमक के बारे में सत्याग्रह करने का विचार किया था तो उस वक्त वायसराए को महात्मा जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और उस सत्याग्रह के बारे में और भी बहुत से causes देते हुए उन में से एक cause यह भी दिया था कि मैं कैसे सबर से बैठ सकता हूं जबकि मेरे किसान के ऊपर अंग्रेज़ सरकार ने इतना ज़बरदस्त मालिया लगा दिया है।

आज हमारे कुछ भाई रोज़ाना बापू बापू चिल्लाते हैं लेकिन जो बापू के दिल की आवाज़ थी उस पर अमल नहीं करते। 1930 में उन्होंने वायदा किया था कि जब देश आज़ाद होगा तो किसान के ऊपर टैक्स कम कर दिए जाएंगे लेकिन आज उन की हालत क्या है। रोज़ाना उन की कमर पर बोझ डाला जा रहा है। (घंटी)

स्पीकर साहिब, आप मुझे माफ़ फरमाएंगे। मैं तीन-चार मिनट और लूंगा। तो मैं ने आप के सामने अर्ज़ किया कि महात्मा गान्धी की नज़रों में किसान के लिए कितनी हमदर्दी थी लेकिन आज आप देखते हैं कि किसान के ऊपर मालिया ही नहीं सरचार्ज है, लोकल रेट है, बैटरमेंट चार्जिज़ हैं, स्पेशल चार्जिज़ हैं और पता नहीं क्या क्या बीमारियां उस के ऊपर डाली गई हैं और फिर यह सरकार जो है यह काश्तकारों की नुमायंदा कहलाने में फख्र करती है। जिस वक्त हिन्दी आन्दोलन चला तो यह कहा गया कि यह कुछ महाजनों ने कुछ ग़ैर-ज़मींदारों ने यह आन्दोलन उठा रखा है और जाट कैबिनेट को यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्हें फिर्काप्रस्त बताया जाता है। रोहतक में कुछ और कहते हैं और हिसार में कुछ और। हिसार में कहते हैं कि रोहतक वाले आप को बर्दाश्त नहीं कर सकते और रोहतक में कोई और स्टेटमेंट देते हैं। कहने का मतलब यह है कि इन में sincerity of purpose नहीं जोकि हरेक चीज़ में ज़रूरी है और यही कारण है कि प्रान्त उधोगति की ओर जा रहा है। मैटीरियलिज्म में हम चाहे कितनी भी तरक्की कर जाएं लेकिन जो हमारी सभ्यता है उस में हम विशेष तरक्की नहीं कर सके। हमारे यहां कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। अगर कल्चरल प्रोग्राम को ही तरक्की का रास्ता कहते हैं तो मेरे लिए सिवाए हैरानी के और कोई मकाम नहीं रह जाता। (घंटी)

अध्यक्ष महोदय : आप काफी टाइम ले चुके हैं, आप को इस से ज्यादा नहीं मिल सकता। (The hon. Member has taken sufficient time. He cannot be given any more time.)

चौधरी बारू राम : मैं एक मिनट में बहुत ज़रूरी बात कहना चाहता हूं। Efficiency के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। हमारे यहां केवल तहसील में एक एम. डी. ओ. महोदय हैं। उन की efficiency का मैं जिक्र करूं तो आप हैरान होंगे। उन्होंने जून 1957 में चार्ज लिया और कोई साठ के करीब रैविन्यू केसिज़ उन को मिले और उस के बाद 150 के करीब fresh institution हुई। लेकिन आज तक on merits एक भी केस का फैसला नहीं किया गया और इस तरह के केसिज़ आज उस अदालत में मौजूद हैं जिन की जुलाई के महीने में arguments सुनी गईं और आज तक उन का फैसला लिखने में नहीं आया। और यहां पर बजट स्पीच में और गवर्नर साहिब की स्पीच में यह हालत है कि ऐंटीकुरप्शन डीपार्टमेंट और फ्लाइंग सुक्वैड का नाम फख्र से लिया जाता है और कहा जाता है कि साइकोलाजीकल असर होता है इस लिए उस का नाम असेसमेंट सुक्वैड रख दिया है। लेकिन inefficiency की हालत यह है कि इसकी मिसाल मैं ने आप को दी है जिस में गवर्नमेंट की खास तवज्जोह की

[चौधरी बारू राम]

ज़रूरत है। जब तक ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी उस वक्त तक हमारी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह नहीं चल सकती।

इन शब्दों के साथ स्पीकर साहिब, आप ने जो तहम्मल मिज़ाजी दिखाई है उस का मैं शुक्रिया अदा करता हूं।

श्रीमती ओम प्रभा जैन (कैथल) : माननीय स्पीकर साहिब, तीन-चार दिन हुए हाऊस में बजट पेश किया गया और उस पर काफ़ी लम्बी चौड़ी तकरीरें अपोज़ीशन और treasury benches के मेम्बरों ने कीं। काफ़ी मेम्बरों के caustic remarks में गवर्नमेंट की पालिसी और उन के ला एंड आर्डर को criticise किया और बजट एस्टीमेट्स को भी criticise किया और यह कहा कि इस बजट में कोई 'टाइटनैस' नहीं है। मुझे अफ़सोस है कि मैं उन की बातों के साथ ज़्यादा agree नहीं करूंगी बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर साहिब को इस बात में मुबारिकबाद दूंगी कि इस साल के बजट में उन्होंने कोई deficiency नहीं दिखाई। खुदा करे कोई supplementary demand की ज़रूरत न पड़े और पंजाब के जज़बाती लोगों की तरफ़ से फिर कोई बखेड़ा न शुरू हो जिस से गवर्नमेंट को फिर कोई फ़िज़ूलखर्ची की डिमांड लाने की ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन जो यह हमारा बजट है उस से मालूम होता है कि मिनिस्टर साहिब ने इन चीज़ों को इस तरह manipulate किया है कि लोगों पर बोझ भी न पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आमदन हो सके। इस बजट को बनाने के लिए मिनिस्टर साहिब को कई रातें बिना सोए काटनी पड़ी होंगी। इजाज़त दें तो स्पीकर साहिब मैं इस बजट की simile इस तरह दूंगी।

5.00 p.m.

This budget seems to have been cooked by a house-wife who under the fear of her mistress, has hesitatingly and shiveringly during the cold nights stretched her limbs and fulfilled her duties to please everyone.

मालूम पड़ता है कि बजट बनाते समय मिनिस्टर साहिब के ऊपर तो पंच-वर्षीय योजना का डंडा 207 और नीचे उन गरीब लोगों की गुरबत और sentiments का भी उन्हें ख्याल था कि उनके ऊपर कहीं टैक्सों का ज़्यादा बोझ न पड़ जाए। मैं पंच-वर्षीय योजना को तो discuss नहीं कर सकती और नही उसे criticise कर सकती हूं क्योंकि यह हमारे लीडरों की आवाज़ है कि हर cost पर पंच-वर्षीय योजना को सफल बनाना है लेकिन मैं यह ज़रूर महसूस करती हूं कि हमारी पंच-वर्षीय योजना में कई ऐसी चीज़ें रख दी गई हैं जिन को पूरा करने के लिये हमारी गवर्नमेंट committed है और इन चीज़ों को पूरा करने के लिये काफ़ी तकलीफ और finances बरदाश्त करने पड़ते हैं। हमारी planning और execution में इसीलिए proper co-ordination नहीं है, यह मैं महसूस करती हूं। Government of India ने अपने बजट में लाखों और करोड़ों रुपये इसीलिए मंजूर किये कि यहां पर हरिजनों की तरक्की हो, यहां पर industrial development हो, यहां पर National Extension Service Blocks

बनें। हमारी सरकार इस बात पर committed है कि free education दी जाये लेकिन पांच साल का अरसा थोड़ा है और पैसे की कमी है। इस के बावजूद finances मंज़ूर किये गये अपने अरमानों को पूरा करने के लिये। इन हालात में ज़रूरी था कि हमारी economy पर बुरा और नाकाबिले बरदाश्त असर पड़ता। Second Five-Year Plan में provision है कि पूरे पंजाब में इस Plan के end तक National Extension Service Blocks खुल जाएँ। सरकार इस वादे के मुताबिक जहां blocks नही हैं वहां शुरू करती है और कोशिश की जाती है कि consolidation पूरी हो जाये और blocks खोले जा सकें। कोशिश करने पर Blocks खुल भी जाते लेकिन 6 या 8 महीने गुज़र जाते हैं कि वहां B. D. O. भी नहीं पहुंच पाता। इसी तरह से Industries के लिये loans को हालत है। Finance minister साहिब को डर लगा रहता है कि कहीं money lapse न हो जाये। Applications पहुंच नहीं पातीं लोग इन loans की utility नहीं समझते और इस facility का फायदा नहीं उठाते। गवर्नमेंट बेशक कोशिश करती है कि सब को loans दिये जायें लेकिन लोगों की applications वक्त पर नहीं पहुंच पातीं और यदि पहुँचती भी हैं तो या तो ज़्यादा deserving लोगों की नहीं होतीं और या कोई irregularities हो जातीं हैं और वह इस फ़ायदे से महरूम रह जाते हैं। इसी तरह से Second Five-Year Plan में Central Government ने बहुत funds रखे हैं जिन से Local development works को काफ़ी मदद दी जा सकती है। Deputy Commissioners डरते रहते हैं कि कहीं यह funds lapse न हो जाएं, क्योंकि लोग उन की utility को नहीं समझते और अपने हिस्से के contribution के लिए नहीं तैयार होते। यही हाल technical institution का है। Engineering कालिज है, गवर्नमेंट के और प्राइवेट भी, जहां सरकार aid देती है। Institutions खुल गए पर वहां apparatus नहीं, वहां staff नहीं है। Students ज़्यादा ले लिए जाते हैं पर accommodation नहीं होती, apparatus मांगने की कोशिश भी की जाए, तो वह मिलना तो शुरू हो जाता, लेकिन उन में efficiency नहीं आ पाती।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है हमारी सरकार की कोशिश है कि शिक्षा को मुफ्त करें। कांगड़ा ज़िले में, महेन्द्रगढ़ में Middle तक education free कर दी है लेकिन बहुत से private schools ऐसे रह गए हैं, जिन की दशा बहुत खराब है। अगर private schools को गवर्नमेंट अपने control में ले ले, इस बात के भी मैं हक में नहीं। लेकिन गवर्नमेंट की इस policy मे जो discrimination पैदा होगी, वह मैं ज़रूर महसूस करती हूं कि एक ही शहर में रहने वाला एक बच्चा जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है उसे तो proper facilities मिलती हैं, लेकिन वहीं का दूसरा बच्चा जो private school में पढ़ता है इन से deprive हो जाता है। इसलिए

[श्रीमती ग्रोम प्रभा जैन]

मैं यह ज़रूर कहूँगी कि जब तक Five-Year Plan के targets को कम नहीं किया जाता हम असल सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे पास पैसा भी है अवसर भी हैं लेकिन उन्हें properly utilise नहीं किया जा सकता बहुत सा पैसा ज़ाया हो जाता है और खास कर जो नई सकीमें चली हैं और experimental stage में हैं उन के सम्बन्ध में गवर्नमेंट को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। देखा जाये तो इस में गवर्नमेंट का भी कोई कसूर नहीं किसी भी expanding economy में ऐसी wastage हो जानी स्वाभाविक बात है। हमारी गवर्नमेंट बड़े २ experiment कर रही है unemployment दूर करने के लिये। शहरों में फैक्टरियां खोली जा रही हैं, small scale industries भी स्थापित की गई हैं लेकिन इस का substantial फ़ायदा पब्लिक को नहीं पहुंचा। Small scale industries की चीज़ों के लिये market नहीं क्योंकि लोग मशीनों की बनी हुई चीज़ों को पसंद करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह हमारी सरकार की कमज़ोरी नहीं यह सब economic backwardness की वजह से जिन के बाइस हमारा मुल्क इतने साल से दबा हुआ है।

इस के अलावा मैं स्पीकर साहिब अर्ज़ करना चाहती थी कि opposition के एक मैम्बर साहिब ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हमारी State heavily taxed है। इस तरह ज़्यादा टैक्स नहीं लगने चाहियें। उन्होंने mercilessly criticise कर दिया और कहा कि राजभवन बनाने की क्या ज़रूरत है, Legislative Assembly Hall बनाने की क्या ज़रूरत है। Moti Palace खरीदने की क्या ज़रूरत थी। और उन चीज़ों के बहाने वे लोग टैक्सों पर नुक्ताचीनी करते हैं। यह बात हमारे sentiments को ज़रूर hurt करती है कि दाल रोटी पर टैक्स लगे। मगर देखा जाये तो यह कितना indirect tax है। अगर 100 रुपये की चीज़ पर 75 नए पैसे टैक्स लग जाता है तो चिल्लाने की कोई बात नहीं। यह कोई इतना लम्बा-चौड़ा टैक्स भी नहीं कि जिस पर यह कहने की ज़रूरत पड़ जाए कि पंजाब की जनता पर चाहे वह मज़दूर हों, चाहे गरीब हों, चाहे शहरी हों, चाहे देहाती हों, एक बड़ा भारी सितम आ पड़ा बल्कि हमें चाहिए कि हम लोगों को समझाएं, अपने voters को जाकर बताएँ कि हम टैक्स ज़रूर लगाते हैं पर इस पैसे से उन के बच्चों की शिक्षा मुफ़त होगी उन के tubewells को बिजली मिलेगी। अब तक जिस के लिए 23 नए पैसे per unit देते थे अब उन्हें 12 नए पैसे per unit ही लगेंगे। उन के लिए सड़कें बनाई जायेंगी तो यह जान कर के वे महसूस नहीं करेंगे। जब हम लोग, खुद यह एतराज़ उठाते हैं कि मिनिस्टर साहिबान सरकारी कारों का नाजायज़ फायदा उठाते हैं, अफसर नाजायज़ खर्च करते हैं तो हम क्यों नहीं अपने travelling allowance में भी कमी कर देते। हम खुद क्यों नहीं first class या second class की बजाए Third class में सफर कर लेते। Economy का असूल हमें खुद अपनाना चाहिए क्योंकि Let cherity begin at home.

इस के अलावा, स्पीकर साहिब, मैं services के मुतअल्लिक कुछ ज़िक्र करना चाहती हूं। अंग्रेज़ों के वक्त दफतरों में काम आसानी से हो जाता था पर अब नहीं हो पाता। यह चीज मैं कोई उन्हें defend करने के ख्याल से नहीं कर रही। मैं सिर्फ़ यह बताना चाहती हूं कि अगर आजकल Secretariat में काम देखें तो पता चलेगा कि अफसर और क्लर्क files के नीचे दबे रहते हैं सुबह से शाम तक काम करने के बावजूद भी बेशुमार files बांध कर घर लाते हैं और उन्हें घर पर dispose of करते हैं। सारा दिन भी काम करते हैं लेकिन काम खत्म होने में नहीं आता। काम की इतनी multiplicity की ज़िम्मेदारी किस पर है--मैं कहूंगी लोगों पर। यदि एक काम की अरज़ी देनी है तो एक application मिनिस्टर को आती है, एक Secretariat में एक Head of the Department को, एक डिप्टी कमिश्नर को और एक S.D.O. को। फिर भी दरखास्त देने वाले की तसल्ली नहीं होती। अगर हम ऐसे लोगों को समझा सकें कि इतनी दरखास्तें दे कर खाहमखाह अपने पैसे ज़ाया न करो तो इस तरह से हालत बेहतर हो सकती है। और काम भी ठीक तरीके से चल सकता है।

इस के अलावा स्पीकर साहिब, यह एतराज़ किया गया है कि उन political sufferers को जिन के पास काफी ज़मीनें हैं relief दी गई है। यह मैम्बर साहिबान की duty है कि वह ऐसे specific cases गवर्नमेंट के नोटिस में लाएं ताकि मुनासिब कार्रवाई की जा सके (आवाज़ : कौन सुनता है) अब मैं दूसरे point पर आती हूं (Signal of red light)

अध्यक्ष महोदय : आप के point कितने हैं (How many points you have still to submit?)

श्रीमती ओम प्रभा जैन : Points तो बहुत हैं लेकिन आप time ही नहीं देते। Finance Minister ने अपनी speech में कहा है कि--

A small beginning has been made in the direction of family planning.

इस के लिए मुझे खास तौर पर कहना है। इस direction में Government को काफी intensive efforts करने चाहिएं क्योंकि हमारे देश की increasing population है। हमारे देश में जब तक land से population का बोझ दूर नहीं होगा और हम अपनी population को इस तरफ़ से कम नहीं करेंगे अपनी मुसीबत को हल नहीं कर सकते, आने वाले ज़माने में लोगों की आमदनी इतनी नहीं हो सकेगी कि वे एक बड़ी family का गुज़ारा कर सकें; आजकल इतनी गरीबी है......... (घंटी)।

अध्यक्ष महोदय : अब जाने दीजिये। (Now the hon. lady member should resume her seat.)

श्रीमती ओम प्रभा जैन : मैं Governor साहिब के Address पर भी नहीं बोली थी ।

अध्यक्ष महोदय : जैन साहिबा देखिए । (The hon. lady member should listen to me.)

श्रीमती ओम प्रभा जैन : पांच मिनट और ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं । (No.)

श्रीमती ओम प्रभा जैन : दो मिनट (हंसी) ।

अध्यक्ष महोदय : यह बात नहीं चलेगी । (This cannot be allowed.)

श्रीमती ओम प्रभा जैन : मैं थोड़ा सा कहना चाहती हूं । Government of India ने Second Five-Year Plan में sweepers की colonies बनाने के लिये हज़ारों लाखों रुपये रखे हैं । लेकिन sweepers के या हरिजनों के जो मकान बने हुए हैं वे बहुत inadequate हैं । मैं Government से गुज़ारिश करूंगी कि अगर उनके मकानों में जा कर देखा जाए तो वे बहुत सड़े गले दिखाई देंगे । या तो Municipalities को कहा जाए यह sweepers की colonies बनाने के लिए, या तो उन लोगों को finance करे या ज़मीन दे ताकि वे रहने के लिये अच्छी जगह बना सकें । मुहल्लों और आस-पास की गंदगी को दूर करने के लिए Central Government ने 20 करोड़ रुपया रखा है । इसमें से Punjab Government को भी मिला होगा । (घंटी)

अध्यक्ष महोदय : बात यह है कि दोनों तरफ़ से बड़ी लम्बी लिस्ट है उन की जो साहिबान हिस्सा नहीं ले सके । वक्त बहुत थोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि आप सब चाहते हैं कि सब को वक्त मिले । आप घंटी का ख्याल रखा करें । पहली दफा घंटी बजने पर अपनी तकरीर wind up करना शुरू कर दिया करें और जब दूसरी दफा बजे तो इसे खत्म करके तशरीफ रखें । (The thing is that a long list of the members from both sides of the House is with me. The time limit for speech will have to be curtailed because all the members want to be given some time. They should be careful about the bell. At the first ring they should begin to wind up their speeches and at the second ring they should finish off and resume their seats.)

श्री मोहन लाल (पटौदी) : स्पीकर साहिब, आपके सामने दो रोज़ से मतवातर Opposition के मेम्बर साहिबान और कांग्रेस की तरफ से Budget के ऊपर speeches हो रही हैं । इस में कोई शक नहीं कि जहां तक तरक्कियात का तअल्लुक है, Agriculture में भी बहुत अच्छी तरक्की हुई है, Electricity वगैरह ऐसी कई मद्दें हैं जिन में कि काफ़ी अच्छी तरक्की हुई । लेकिन अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो जो जनता ने इन मद्दों में contribute किया है, उसका किस कदर

benefit लोगों को मिला है तो आप अंदाजा लगाएंगे कि contribution के मुकाबले में benefit बहुत कम है। पिछले साल के बजट में 2,80,00,000 रुपए का घाटा दिखाया गया था। लेकिन जब इस साल का बजट पेश किया गया तो मालूम हुआ वह 280 लाख का घाटा 174 लाख के मुनाफे में तबदील हो गया है। उसकी वजह यह बताई गई है कि कुछ रुपया Central Government ने दिया, central Excise Duties का और कुछ और taxes से आया, Railway fares वगैरह से। जो share Central Taxes में State का बनता था उसमें कुछ इज़ाफा कर दिया इस तरह वह घाटा नफे में तबदील हो गया। कुछ स्कीमें नामुकम्मल रहीं, Government ने न बनाईं, उसकी वजह से बचत हो गई। तो जो बजट अब पेश किया गया है इसमें 208 लाख का घाटा दिखाया है। New taxes propose किये गये हैं। वजह बताई गई है कि क्योंकि यह घाटे का बजट है। उसमें Finance Minister साहिब ने फरमाया है कि कुछ allowances कर किये गए थे वे restore कर दिये गए हैं, कुछ Education Department की वजह से, Local Bodies के स्कूल Government ने अपना लिए उसकी वजह से खर्चा ज़्यादा हो गया। एक वजह यह बतलाई गई है कि Plan का खर्च बढ़ गया है। स्पीकर साहिब, इसमें कोई शक नहीं कि लोगों ने Plan से फ़ायदा उठाया है। लेकिन देखने की बात यह है कि लोगों के अंदर, जो स्कीम Plan में consent कर ली है उसको enforce करना है, चाहे कितने भी taxes लगाए जाएं, मैं समझता हूं यह मुनासिब नहीं। मैं समझता हूं यह लोगों के दिल की तर्जमानी नहीं है। आपने देखा होगा कि यह Plan जो है— it exists for the benefit of the people, people do not exist for it. अगर अपनी Government इस बात का ख्याल रखे कि जो भी Plan बनाई जाती है लोगों के भले के लिए बनाई जाती है। यह नहीं कि Plan ज़रूर बनानी है, चाहे लोग दबें या मरें। मैं जनाब से अर्ज़ कर रहा था कि जहां तक taxes का तअल्लुक है, इस वक्त taxes पहले ही इस कदर ज़्यादा थे कि लोग निढाल थे, परेशान थे, लोगों के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। लोग समझते थे कि कोई ऐसा भी tax रह गया है जो न लगा हो। गिरानी की वजह से बाज़ार की सब चीज़ें गिरां हो गईं। लोग गुज़ारा नहीं कर सकते थे। वे उम्मीद करते थे कि इस वक्त थोड़ी २ अगर किसी को हंसी आए तो शायद हमारी Government हंसी पर भी tax लगाने का प्रयत्न करे। जब यह बजट आया तो इसमें लोगों की दाल पर tax लगाया गया। चाहे वह गरीब है, चाहे भिखारी है, अगर वह दाल खाएगा तो उसे tax देना पड़ेगा। अपनी Government ने ज़रा भी ख्याल नहीं किया कि क्या किसी की आमदनी है, किस तरह से लोग अपना गुज़ारा करते हैं। मिस्र की पिछली Government ने एक दफा ख्याल किया कि pyramids जैसी इमारतें बनानी हैं। लोगों ने समझा कि इमारतें बनेंगी तो लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा।

[श्री मोहन लाल]
Pyramids की इमारतें बढ़ती गई, और खर्च ज्यादा आता गया और taxes बढ़ते गये। यहां तक कि जो मज़दूरों को मेहनत मिलती, जो मज़दूरों को मज़दूरी मिलती वे taxes उससे भी ज्यादा हो गए। तो उन्होंने pyramids को तोड़ डाला। मैं कहता हूं कि Plans ज़रूर बनाएं। लेकिन वहां तक बनाएं, जहां तक लोगों की अपनी आमदनी और खर्च का मुकाबला करके यह देख सकें कि उसमें लोगों का फ़ायदा है। उसे systematic तरीके पर लिया जाए। जब वे उम्मीद करते हैं कि taxes पूरे देने हैं, तो और कोई taxes न लगाए। सारी दुनियां में हिन्दुस्तान में हद से ज्यादा taxes हैं। इसके अलावा अगर State Government की तरफ़ से भी यह taxes बढ़ते गए, तो मैं समझता हूं, इस तरह की Government चलने वाली नहीं। जहां तक Opposition का तअल्लुक है वे तो कहते ही हैं। जैसी भी वे speeches सुनी हैं; अगर उसका अंदाजा लगाया जाए जो कांग्रेस Benches से बोले हैं उनकी भी majority इसके खिलाफ है। इस बात में कोई शक नहीं कि discipline के लिहाज़ से हम लोग राय देंगे और यह बजट पास होगा और जरूर होगा। लेकिन, स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ कर रहा हूं कि क्या यह democratic चीज़ है, क्या यह जमहूरियत की चीज़ कहलाएगी ? इस में कोई शक नहीं, जहां Opposition के Benches मुखालिफत करते हैं वहां कांग्रेस Benches भी मुखालिफत करते हैं। अगर Government यह समझे कि जहां तक Members खिलाफ हैं, जनता के नुमायंदों ने इसकी मुखालिफत की है और करते हैं तो वह इस चीज़ पर ध्यान दें। मैं मुखालिफत के लिहाज़ से नहीं कह रहा। हमारी Government के जो चलाने वाले हैं, कम-अज़-कम जनता और जनता के नुमाइंदों का ख्याल रखें। अगर कोई दो-चार आदमी आ कर ऐसा बोलते हैं, जो लोगों के contact में नहीं हैं तो आप उन लोगों की बात नहीं सुनते तो न सही। पर Government को इस तरह से तो नहीं करना चाहिए कि लोगों के नुमाइंदों की बात भी न सुने।

जहां तक expenditure का तअल्लुक है, मैं अर्ज़ करता हूँ कि इसके अन्दर इतना discrimination होता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। जितना खर्च किया जाता है वह सिर्फ़ जालन्धर डिविज़न पर ही किया जाता है। यहां एक जगह बटाला है—इस को project area करार दिया हुआ है। यहां पर शीनरी, होज़री, agricultural implements और न जाने क्या क्या manufacture करने की सहूलियतें सरकार की तरफ़ से मुहैया की गई हैं। यहां पर $3\frac{1}{2}$ करोड़ रुपए का सिर्फ़ एक ही शहर के लिए provision किया गया है। इसके अलावा ऐसी ऐसी स्कीमें हैं जिन का हरियाना वालों को पता तक नहीं जो कि सिर्फ़ गुरदासपुर और अमृतसर के ज़िलों के लिए ही बनती हैं। जहां तक education का तअल्लुक है; ज्यादा तफ़सील में तो मैं उस वक्त जाऊँगा जब कि Education की Demand पर discussion होगी लेकिन

मुझे बड़े रंज के साथ यह कहना पड़ता है कि उन इलाकों को बिल्कुल नज़र अन्दाज़ करके जो सही तौर पर facilities के मुस्तहक हैं, अमृतसर और गुरदासपुर के कुछ areas को इसलिए backward करार दिया गया क्योंकि वहां higher standard तक education free करनी थी। इस के बरअक्स आप देखें— really backward areas पर, जो सचमुच deserve करते हैं कोई खास पैसा खर्च नहीं किया गया। गुड़गांव में canal Project का न जाने कितने सालों से चर्चा चल रहा है। पिछले साल भी 23 लाख का provision इस Project के लिए बजट में किया गया था। लोग बहुत खुश हुए कि आखिर हमारी बात भी सुनी गई। लेकिन हुआ क्या? आप सुनकर हैरान होंगे, स्पीकर साहिब, कि पिछले साल में इस मद पर सिर्फ 783 रुपए खर्च हुए—783 रुपए!! और अब इस के लिए 7½ लाख का और provision किया गया है। लोगों को तो यही मालूम है कि—और कागज़ों में भी यही है कि पिछले साल 23 लाख खर्च था और अब 7½ लाख का और खर्च होने वाला है लेकिन असल में, जैसा कि मैंने अभी बताया सिर्फ 783 रुपए खर्च हुए। मैं पूछता हूँ कि क्या हरियाना वालों को figures से ही खुश करना है? क्या उन का ख्याल सचमुच आप भुला बैठे हैं? मैं कोई criticism या opposition करने की भावना से नहीं कह रहा। मैं आप को सच्चाई बतला रहा हूँ। यह है व्यवहार जो कि जालन्धर Division के मुकाबला में गरीब हरियाना वालों के साथ किया जा रहा है। इस के अलावा 6 लाख रुपए का एक और provision गुड़गांव-रोहतक development के लिए रखा गया। इस साल भी 2½ लाख की मज़ीद रकम रखी है। इसका मतलब यह है कि 6 लाख तो खर्च किया जा चुका है और 2½ लाख रुपया और खर्च करना बाकी है....... जहां तक खर्चों का तअल्लुक है सभी खर्च, सभी बड़े २ खर्च अमृतसर और गुरदासपुर पर ही हो रहे हैं। पता नहीं कि इन के दिल में क्या ख्याल काम कर रहा है? पार्टीशन से पहले की गवर्नमेंट सारी बड़ी २ स्कीमें West Punjab के ज़िलों के लिए ही बनाया करती थी, East Punjab को बिल्कुल ignore किया गया था। पार्टीशन के बाद सारे उपजाऊ और सनअती इलाके पाकिस्तान के हिस्से में आ गए। अब भी शायद इन का partition का कोई ख्याल हो और शायद इसीलिए इन ज़िलों पर ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, ज़्यादा develop किया जा रहा है कि ये उस तरफ़ चले जाने हों। मैं ज़्यादा बातों में न जाकर यही अर्ज़ करूँगा कि गवर्नमेंट को यह बात शोभा नहीं देती कि इस तरह से एक इलाके को दूसरे इलाके से discriminate किया जाए। जो अलाका backward है—जो आगे भी पिछड़ा रहा है—हरियाने का इलाका उस को हर सूरत में दूसरे इलाकों से तरजीह दी जानी चाहिए। आप बजट को पढ़ें। आप को पता लगेगा कि 90 नई स्कीमें हमारी गवर्नमेंट ने इस साल के अर्से में पूरी करने की योजना बनाई है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि Finance Minister साहिब एक भी

[श्री मोहन लाल]

स्कीम इनमें से ऐसी नहीं बता सकेंगे जोकि गुड़गांव के लिए बनाई गई हो। मैं आप की वसातत से गवर्नमेंट से मांग करता हूँ कि वह state के expenditure की distribution करते वक्त इन्साफ से काम लें। आप की यह declared policy है कि जो इस वक्त backward इलाके हैं हमने उन्हीं को ऊपर उठाने के मामले को Top priority देनी है। जब ऐसी बात है तो क्यों अमल में इन पसमान्दा इलाकों के साथ सौतेली मां वाला स्लूक किया जा रहा है? क्यों इन को नज़र अन्दाज़ किया जा रहा है? मैं ज़्यादा मुकाबले में नहीं जाता। जितनी भी communal agitation है वह इन्हीं जालन्धर डिविज़न के ज़िलों में होती हैं। जो गड़बड़ या smuggling है इन्हीं ज़िलों के अन्दर होती है। लेकिन बावजूद इन बातों के इखराजात का सब से ज्यादा हिस्सा इन्हीं पर किया जाता है। जो न रोते हैं, न चिल्लाते हैं, न शोर मचाते हैं—अमन से अपनी जिन्दगी बसर करते हैं—गवर्नमेंट के लिए कोई problems खड़ी नहीं करते उन का ज़रा भी ख्याल नहीं किया जाता। मैं हैरान हूँ, समझ नहीं आती कि जब टैक्स हम से बराबर के लिए जाते हैं तो हमारे साथ क्यों नहीं खर्च के मामले में बराबरी का सलूक किया जाता? जो फसाद करते हैं उन पर और ज्यादा रुपया खर्च किया जाता है ताकि वह मस्त होकर और फसाद करें। लेकिन जो आगे ही backward हैं उन की गवर्नमेंट परवाह ही नहीं करती। ऐसी चीज़ हमेशा के लिए नहीं चल सकती। इसलिए मैं अर्ज़ करूंगा कि इस ज्यादती को दूर किया जाए और backward इलाकों के interests को इस तरह से ignore न किया जाए।

ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ (ਊਨਾ) : ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੰਡਿਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ 1958-59 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚ 2 ਕਰੋੜ 44 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਹਰ ਇਕ ਹਕੂਮਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੌਰਮਿੰਟ ਚਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਪਿਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬਜਟ ਦਾ ਸਹੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਟੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇ ਟੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੇ। (*At this stage Mr. Deputy Speaker occupied the chair*) ਪਰ ਜੇ ਉਲਟੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਉਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, anti-people ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ 44 ਲਖ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਰਖੇ ਨੇ; ਇਸ ਦੀ ਬਾਬਤ

ਪਹਿਲੇ ਕਹੇ ਦੋ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ anti-people ਨੇ। ਜੇ ਇਸ 2 ਕਰੋੜ 44 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 15 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ item ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ tax ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ "Land Revenue Special Surcharge". ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਟੈਕਸ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੇ ਹਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ arms license ਬਾਰੇ ਹੈ। ਅਸਲਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਰਖਦੇ ਨੇ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਡੇ ੨ landlord ਨੇ, ਵਡੇ ਵਡੇ ਧਨੀ ਨੇ—ਇਹ ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ tax ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਹਨ, ਲੈਂਸ ਨਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਹਵਾਲਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਨੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਣਾ ਗਰੀਬਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਕਰੋੜ 44 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 18 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ 26 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਟੈਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਉਪਰ ਬੋਝ ਹੈ ਉਸ ਜਨਤਾ ਉਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਗੇ ਹੀ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦਬੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਗਣਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਪਾਹ ਉਪਰ, ਖੱਲਾਂ ਉਪਰ ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਉਪਰ, ਦਾਲਾਂ ਉਪਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਟੈਕਸ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਟੈਕਸ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਜਨਤਾ ਉਧਰ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਚਮੜੇ ਉਪਰ, ਖੱਲਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥਕਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਅਵੇ ਬਨ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਚਮੜਾ ਯੂ. ਪੀ., ਕਾਨਪੁਰ ਵਗ਼ੈਰਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖਰਾਬ । ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਜੁਤੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਲਾਹੌਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਗ਼ੈਰਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਕਸੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਯੂ. ਪੀ. ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਚੋਂ ਚਮੜਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੁਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਚਮੜਾ ਰੰਗਣ ਲਈ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਸਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਮਨ ਸੀ, ਹੁਣ 7 ਰੁਪਏ ਮਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਉਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ!! ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਪਾਹ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਪੜਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੋਟੀ ਉਤੇ, ਅਨਾਜ ਉਤੇ। ਦਾਲ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤ੍ਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਲ ਦਿਵਾਉਣਾ

[ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ]

ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। Commercial Crops ਉਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਗੇ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਐਨੀ agitation ਹੋਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਅਖੋਂ ਓਝਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ 'ਦਾਲ ਰੋਟੀ' ਉਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਸ tax ਦਾ ਬਿਲ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਧਰਮਸਾਲਾ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 200 ਕਾਲਿਜ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ tax ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ Socialist pattern of society ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅ੍ਵਾ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਥੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ socialist ਮੁਮਾਲਕ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਥੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ free ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰੂਸ ਵਿਚ ਜਿਥੇ socialist ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਫਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ socialism ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅ੍ਵਾ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ tax ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫਿਰ ਕਿਸੇ tax ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਸੌਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ tax ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਉਸ tax ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ industrial ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੂਜੀ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁਲ 166 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ 12.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ industries ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ industries ਤੇ ਜੋ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ 197 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਮੱਦ ਹੇਠ 182 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ 3.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ 12.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਜੇਕਰ ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਅਗਰ ਉਹ industry ਵਿਚ backward ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ

ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ production ਘਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਮਹਿੰਗ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ back-ward ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਸੂਬਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਲੀਮ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਲੀਮ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਤਾਲੀਮ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਅਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ policy ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 135 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਮੱਦ ਹੇਠ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਚੋਂ ਬਚੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਚੋਂ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤੱਨਜ਼ਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 135 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ policy ਦਾ ਅਕਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ local bodies.... (वित्त मंत्री : यह figures आप ने कहां से ले लिये हैं?) ਇਹ ਬਜਟ ਦੇ memorandum ਵਿਚੋਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਆਪ memorandum ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ multipurposes ਲਈ 84 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। (वित्त मंत्री :आप उसे दोबारा पढ़ें, यह उस में नहीं है) ਜੇਕਰ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ। ਐਵੇਂ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਉ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਵ੍ਹਾ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਆਮਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੱਦ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਆਮਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਚਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਔਰ ਨਰਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਜਨਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ trained ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ trained ਨਰਸਾਂ ਲਈ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ trained ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਲਈ ਰੁਪਏ ਖੋਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਭੇਜਦੇ ? ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, private ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਥੇ ਤਕ ਮਵੇਸ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਬਧ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ trained ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ trained ਡਾਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣ ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ training

[ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ]

ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਖਰੀਦਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਵਡੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿਚ ਐਸ਼ ਮਾਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਰੁਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਭੁਪੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੰਤ੍ਰੀ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਿਆ ਸਲਾਨਾ aid ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 300 ਰੁਪਿਆ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ 300 ਰੁਪਿਆ ਸਲਾਨਾ ਉਸ ਨੂੰ District Board ਵਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ 2100 ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 1200 ਰੁਪਿਆ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਸੋ ਰੁਪਏ ਖਾਕਰੋਬ ਤੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ 600 ਰੁਪਿਆ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਬਚਦਾ ਹੈ। 32 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਉਹ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਫੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਿਸੇ ਤਿੰਨ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ socialist ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ socialism ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। Socialism ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਲੁਆਜ਼ਮਾਤ ਹਨ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ।

ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦਾਵ੍ਹਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ landlords ਦੀਆਂ surplus lands ਹਨ ਉਹ ਬੇਦਖਲ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬੱਚਤ ਦੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਦਖਲ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ surplus lands ਤੇ ਵਸਾਉਣ ਲਈ loans ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ rehabilitate ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। 12 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਉੜ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਥੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਉ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਿ Memorandum ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਖਰਚ ਕਿਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? Industry ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸਾਉਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਫੇਰ ਖਰਚ ਕਿਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? 31 ਲਖ ਪੁਲਿਸ ਤੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਆਪ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਕੇ। (ਘੰਟੀ) ਮੈਂ criticism ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਡਟ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 32 ਦੰਦਾ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ organise ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੜਾਵਾਂਗੇ। (ਵਿਘਨ)।

(ਵਿਤ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ।)

ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਪ ਵਰਗੇ ਲਦ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਦ ਜਾਣਾ ਹੈ। (ਹਾਸਾ ਤੇ ਵਿਘਨ)।

Mr. Deputy Speaker : Order please, no interruption.

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ ਸਨਅਤ ਬਣੇ, ਤਾਲੀਮ ਫੈਲੇ । ਮੈਂ Communist Party ਵਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਬੇਕਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਰੁਪਿਆ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇ? ਜਨਾਬੇ ਆਲੀ ਮੈਂ ਇਕ ਇਕ resource ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਅਮਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ (ਹਾਸਾ) । ਮੇਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹਨ (1) ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, surcharge ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਮਾਇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਾਂ, ਬਾਗਾਂ, private ਬੰਗਲਾਂ ਤੇ tax ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ । (2) ਵਡੇ ਵਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਮਾਇਦਾਰਾਂ ਤੇ tax ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ । (ਵਿਘਨ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ tax ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ । (3) ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦਰਜੇ ਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮਰਲਾ tax ਦੀ ਦਰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । (4) ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਜਬਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ State ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ । (5) ਸੀਮੈਂਟ, ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ public sector ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ । (6) ਆਈਨ ਨੂੰ amend ਕਰਕੇ Upper house ਨੂੰ ਤੋੜੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 4,13,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇ । ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਅਸੈਂਬਲੀ chamber ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਸੇ chamber ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਨ ਕਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ chamber ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਖ ਨਾ ਰਹੇ । (7) ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਅਜ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਜਦ ਜ਼ਮੀਨ acquire ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੋ, ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ Nangal Fertilizer Factory ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਦੇਖੋ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ, 5 ਸਾਲਾ ਮਨਸੂਬਾ । ਮਨਸੂਬਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ? ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ 1955 ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ acquire ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ 1,360 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਤਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ senior sub-Judge ਦੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜਿਹੀ acquired ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤਕ award ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਮਗਰ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ । ਜੋ

[ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ]

ਬੀਜੀ ਤਾਂ tractor ਫਿਰਾਕੇ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ? ਐ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇਵਤਾਉ ! ਮੈਨੂੰ ਦਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਢਿਡ ਕਿਥੋਂ ਭਰੇ। ਕੀ ਇਹੀ plan ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਸੂਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ? ਫਿਰ ਜਿਹੇ ਇਸ House ਅੰਦਰ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ House ਵਿਚ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬੰਨ੍ਹੇ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਊ, ਦਸਵੀਂ ਤਕ ਤਾਲੀਮ ਮੁਫਤ ਦਿਤੀ ਜਾਊ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਖੈਰ, ਮੈਨੂੰ Chief Minister ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਮਾਹਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਪਰ House ਅਗੇ appeal ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਵਾਉ।

ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਸੀਲ ਊਨਾ ਕਾਂਗੜੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਹੀ backward area ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ resolution ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਅਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਮੁਫਤ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਉਹ ਊਨੇ ਨੂੰ ਨਹਾਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਉਥੇ 28 high schools ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਭ privately managed ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਫਿਰਕਾਪਰਸਤੀ ਤਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ private ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਦਿਆਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀ ਜਾਂ ਹੋਰ communalist ਨਾ ਬਣਾਉ। (ਘੰਟੀ)। ਇਕ ਮਿਨਟ ਹੋਰ ਦਿਉ। (ਵਿਘਨ) ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰਕਾਪਰਸਤੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰਕਾਪਰਸਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਲੂਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਜ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਬਹੁ ਅਕਬਰਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਲੰਧਰ ਕਾਂਡ ਤੇ ਮੁਕਿਆ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਸਲਾ report ਸ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ (ਵਿਘਨ) ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੀਲੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ruling party ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਫਲਾਨੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਲਾ ਵਿਚ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਕਿਸ ਨੇ ਸੁਟੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 100 ਆਦਮੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਪਰ ਇਥੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲੱਖ ਦੇ ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਸਮਝਣ ਲਗ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕੇ। (ਤਾੜੀਆਂ)।

वित्त मंत्री (श्री मोहन लाल) : डिप्टी स्पीकर साहिब, मेरे दोस्त काफ़ी गर्म थे और इन्होंने बहुत कुछ कहा लेकिन मैं इनकी एक information को

correct करना चाहता हूं वह यह है कि जो इन्होंने 1 करोड़ 35 लाख की figure बताई है। वह inaccurate है।

श्री राम कुमार (भिवानी) : डिप्टी स्पीकर साहिब, हमारे सामने जो बजट ज़ेरेगौर है...............

Mr. Deputy Speaker : Or 'er ple se. Please speak from your seat.

श्री राम कुमार: डिप्टी स्पीकर साहिब, हमारे सामने जो बजट ज़ेरेगौर है उस में कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन पर हमारे फिनांस मिनिस्टर साहिब को दोबारा ग़ौर करना चाहिए। हमारे प्रांत में बहुत सी विकास की योजनाएँ चल रही हैं और उन पर खर्च किया जा रहा है और इस तरह का खर्च किसी भी सरकार के लिए बाइसेफख्र हो सकता है। हमारी सरकार ने इस इलाके को, इस उजड़े हुए पंजाब को पिछले 10 सालों के अन्दर अपने पांव पर खड़ा कर दिया है। इतना कुछ करने के बावजूद भी हमारे कुछ भाई कुछ इस तरह की नुक्ताचीनी करते हैं जो मुनासिब नहीं हैं। जिस तरीके से हमारा सूबा तरक्की कर रहा है उसको यहां मैं समझता हूं उस को दोहराने की यहां कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जो कमियां और खामियां इस में हैं उनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है और इन्हें दूर कर के ही हम अपने सूबे को तरक्की के राह पर आगे ले जा सकते हैं।

इस बजट में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें रास्ते पर खड़ा इन्सान, मामूली इन्सान देखता है और महसूस करता है। मसलन यह जो नए टैक्स लगाए जा रहे हैं इन्हें आम लोग गैर-मुनासिब समझते हैं। इन नए टैक्सों को लगाने से पहले अगर यह देख लिया जाता कि वह इखराजात जिनके लिए यह टैक्स वसूल किए जाने हैं फजूल खर्ची तो नहीं है, और क्या इन खर्चों को कम किया जा सकता है। जबकि हमारा सूबा एक निर्धन सूबा है तो इस को सामने रखते हुए क्या यह ज़रूरी है कि गरीब की रोटी पर tax लगाया जाए। अगर हम पहले अपने घर में अपने खर्चों को कम न करेंगे तो कोई भी इस को अच्छी नज़र से नहीं देखेगा। जिस घर में कमी आ जाती है, टोटा आ जाता है तो वह लोग अपने इखराजात को कम करते हैं लेकिन हमें यह देख कर आज अफसोस होता है कि गरीब की रोटी और दाल पर टैक्स लगाया जा रहा है और गवर्नर साहिब और मिनिस्टरों के इखराजात में किसी तरह की भी कमी नहीं की गई है।

हमारे सूबे के गवर्नर साहिब के अखराजात पर आप नज़र डालें तो आप को पता चलेगा कि उनके tour पर कितना रुपया खर्च किया जा रहा है। इस बजट में 17 हज़ार रुपए की रकम तो उनकी saloon को maintain करने के लिए खर्च की जाएगी। जहां सूबे में इस कदर कंगाली हो और लोगों की दाल-रोटी पर टैक्स लगाया जा रहा हो वहां 17 हज़ार saloon की maintenance पर खर्च किया जाएगा पिछले साल के इसी मद्द पर 18 हज़ार लिखे हुए हैं। यह

[श्री राम कुमार]
ठीक है कि 17 हज़ार की रक्म इतने बड़े बजट में बहुत बड़ी नहीं लेकिन रास्ते पर खड़ा इन्सान इसे किस तरह से सोचता है अपनी गवर्नमेंट को इस बात को महसूस करना ज़रूरी है ।

अब आप मिनिस्टरों की बात को लीजिए । आप सब जानते ही हैं कि यहां कांग्रेस पार्टी की गवर्ननमेंट है और उसी कांग्रेस पार्टी के प्रधान श्री धेबर जी जब सौराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे तो वह अपने लिए सरकार की तरफ से कितना खर्च करते थे यह वही लोग जानते हैं जो वहां उनके पास रहे हैं। जिन लोगों ने उन्हें वहां देखा है वह बताते हैं कि वह सरकारी कार का उस वक्त इस्तेमाल करते थे जब उन्हें सरकारी काम के लिए अशद ज़रूरत होती थी। कई बार वह साइकल पर ही जाया करते थे लेकिन इस तरफ़ उनके पैरोकार और उन्हें अपना सरदार मानने वाले आप देख लें किस तरह ठाठ बाठ में रहते हैं। धेबर साहिब के बारे में कहा जाता है कि उनके घर में दफ्तर जो था वह बेहद सादा था; एक चटाई पड़ी रहती थी और दो कुर्सियां पड़ी रहती थीं ताकि कोई पतलून पहने आ जाए तो बैठ सके। लेकिन आज हमारे मिनिस्टर साहिबान ने इस तरह की कोई मिसाल पेश नहीं की । इनके tour programmes पर जितना खर्च किया जा रहा है वह सब जानते हैं । लाखों रुपया गाड़ियों पर खर्च किया जा रहा है। $2\frac{1}{2}$ लाख रुपय का provision इस मद के लिए रखा गया है और यह रुपया गरीब लोगों की दाल रोटी पर टैक्स लगा कर वसूल किया जा रहा है । नई गाड़ियों की खरीद और पुरानी की maintenance के लिए जो खर्च किया जा रहा है यह अच्छी चीज़ नहीं है। इस लिए मेरी दरखास्त है कि नए टैक्स लगाने से पहले हमें इन सब खर्चों को कम करना होगा। अगर हमारे वज़ीर साहिबान अपने इखराजात को कम करके यह मिसाल कायम करेंगे तो कोई वजह नहीं कि उनकी मिसाल पर ऊंचे से ऊंचा अफ़सर और नीचे से नीचा कर्मचारी पैरवी न करे । इस तरह के खर्चों को घटा कर हम अपने महान् नेता महात्मा गांधी जी की, जिनका चित्र हमारे सामने इस सदन में है, जो हमारे लिए व्यवहार का एक कोड (code) छोड़ गए हैं, पैरवी करेंगे। उनकी मन्त्रियों के जीवन के बारे में कोड (code) यह थी कि सादा रहो । अगर हम इसी तरह अपने इखराजात को कम नहीं करेंगे और बड़ी बड़ी तनखाहें लेंगे और आए दिन नए टैक्स लगाते जाएंगे तो हमारे इस तरह के टैक्स लोग बरदाशत करने को तैयार न होंगे।

तीसरी बात डिप्टी स्पीकर साहिब, यह है कि जो खर्च कुछ नई योजनाओं पर किए जा रहे हैं वह भी सब तरह ही मुनासिब ढंग से नहीं मालूम होते। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि अगर किसी काम पर एक रुपया खर्च किया जा सकता है तो वहां सरकार दो रुपए खर्च कर देती है । ऐसे खर्चों के बारे में एक नहीं कई मिसालें हैं। मेरे पास वक्त कम है केवल एक ही मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं कि किस तरह एक रुपया की जगह दो रुपए खर्च किए जाते हैं।

Erstwhile Pepsu की सरकार की तरफ़ से एक सड़क दादरी से भिवानी तक बनाने का फैसला किया गया। क्योंकि उस वक्त Pepsu अलग था इस लिए सड़क को केवल Pepsu के ही इलाके में से गुज़ारना था लेकिन आज जबकि Pepsu और पंजाब integrate हो गए हैं इस सड़क को पंजाब के इलाके से गुज़ार कर खर्च को कम किया जा सकता था। इसी सड़क पर हलवास और भिवानी के हिस्से को जो अभी मौजूद हैं, पक्का किया जा सकता था। इस से सड़क सीधी बन जाती और लोगों को अधिक फ़ायदा होता। मैं इस department के वज़ीर साहिब से भी मिला था और अर्ज़ की थी कि अब Pepsu और पंजाब मिल गए हैं इस लिए बजाए इस के कि आप नई ज़मीन acquire करें, लोगों को मुआवज़ा दें और फिर सड़क को चार मील दूर जंगल में जाकर मिला दें बेहतर होगा कि भिवानी हलवास वाले हिस्से को पक्का कर दिया जाए। इस तरह करने से न तो लोगों की ज़रई ज़मीन सड़क के नीचे आएगी और न ही उन्हें मुआवज़ा देने की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह रास्ता भी छोटा हो जाएगा और शहर से मिल जाएगा लेकिन मेरी इस बात पर कोई ग़ौर नहीं किया गया। मेरी समझ में नहीं आता कि इस में क्या खास राज़ है कि सड़क को जंगल में जाकर छोड़ देना अच्छा है और लोगों को मुआवज़ा देना बेहतर है लेकिन सड़क को शहर से मिलाना ठीक नहीं। तो डिप्टी स्पीकर साहिब, इस तरह के खर्चे ठीक नहीं और इन फज़ूल खर्चों को बन्द किया जा सकता है। और रुपया बचा कर और ज़रूरी कामों पर खर्च किया जा सकता है।

चन्द एक और बातें हैं जिनका ज़िक्र मैं यहां पर करना चाहता हूँ वह यह हैं कि सीमेंट पब्लिक को black market में मिलता है। इस पर कोई रोक थाम नहीं की गई। सीमेंट खरीद होता है tax payer से रुपया बसूल करके और कहा जाता है कि हम इस का प्रयोग productive स्कीमों पर कर रहे हैं परन्तु इसे black market में खुले बन्दों बेचा जा रहा है और उन स्कीमों पर खर्च नहीं किया जा रहा अगर कोई आज इस बात से इनकार करता है तो चले मेरे साथ, मैं उसे दिखा सकता हूँ कि किस तरह सीमेंट की black marketing की जा रही है। इस तरह की बातें अगर हम अब भी बन्द नहीं कर सकते तो फिर यह tax हमारी public किस तरह बर्दाश्त करेगी और उन को कैसे जायज़ करार देगी। बहुत से अखराजात ऐसे हैं जिन के लिए हमारे Opposition के भाई ज़िम्मेवार हैं। मसलन आज से कुछ अर्सा पहले पंजाब में एक तूफाने बदतमीज़ी चला हुआ था जिस को हिन्दी आन्दोलन के नाम से कहा जाता था। यह लोग हैं कौन यह वह लोग हैं जो घर में पंजाबी बोलते हैं और खुद उर्दू की अखबारात चलाते हैं लेकिन कांग्रेस Government के खिलाफ़ हिन्दी भाषा का नारा लगाते हैं और हिन्दी आन्दोलन चलाते हैं?

6-00 p. m.

चौधरी धर्म सिंह राठी : क्या यह बजट पर बहस हो रही है?

[श्री राम कुमार]

इस आन्दोलन पर जो लाखों रुपया खर्च हुआ उस के वह लोग ज़िम्मेवार हैं जो हिन्दी भाषा के नाम पर मगरमछ के आंसू बहाते थे। यह democracy है अगर वह ऐसे रास्ते इख्तियार करेंगे तो उन का ही रुपया, public का रुपया खर्च होगा। वह इस तरह public का रुपया बरबाद करते हैं।

Chaudhri Dharam Singh Rathi : Sir, he is attributing motives.

Mr. Deputy Speaker : No interruption please. अगर आप कहते हैं तो वह भी कुछ कहेंगे। (No interruption please. If the hon'ble Member attributes motives, then others will also do so.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : मगरमच्छ के आंसू इन के हैं जिन का permit ले कर भी पेट नहीं भरता।

श्री राम कुमार : जब हमारे भाइयों को उन की ही बात कही जाती है तो उन को दुःख होता है। लेकिन यह हम जानते हैं कि उन की हरकात की वजह से public का कितना रुपया जाया हुआ। और इस का कितने आदमियों को नुक्सान पहुंचा। इस के इलावा इस आन्दोलन से कई अफसरों को बेगुनाह लोगों पर ज़्यादतियां करने का मौका मिला। जैसा बहू अकबरपुर के लिए कहा जाता है मैं कहता हूं कि इस की बाकायदा enquiry करवाई जाये। यदि लोग इस के ज़िम्मेवार हों उन को सज़ा दी जाये और अगर कोई सरकारी अफसर अनजान कार्रवाई में शामिल हों उन को भी सख्त से सख्त सज़ा दी जाये।

ਭਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦਾਸ ਹੰਸ (ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਰਿਜ਼ਰਵਡ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਜਟ ਤੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਇਆ ਹੀ ਪਲਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਏਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਿਲਾ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਕਢੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਥੇ ਇਕ ਖਾਦ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਏਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ignore ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਬੜਾ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਗਰ ਅਜ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਆਂ ਦਾ ਬਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਗ਼ਾਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਕ ਮੀਲ ਤੇ ਇਕ ਇਕ ਦੋ ਦੋ ਚੋ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ

ਹੈ ਕਿ ਨਸਰਾਲਾ ਚੋ ਲਈ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ । ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਯਾ ਤਾਂ M.L.As ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੀ ਢਿਲੇ ਹਨ ਯਾ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਵੱਡੇ, ਵੱਡੇ ਪੁਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਨਸਰਾਲਾ ਚੋ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ੨-੩ ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ । ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ Government ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਖਾਹ ਮਖਾਹ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਛੜੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਰੱਕੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ । ਮਗਰ ਜਿਸ ਨੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕਲ ਇਕ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹਰੀਜਨ M.L.A. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਵੱਲ ਤਕਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਹਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤ ਆ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਮਾਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਅੱਜ ਤਾਲੀਮ ਉਤੇ ਬੜਾ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 10—20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਚੇ ਘਰਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈ, ਛੀਂਬੇ ਅਤੇ ਝਿਊਰ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸਨ । ਅਜ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਉਚਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਅਗੋਂ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁਕਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਖਦੀ ਹੈ ।

ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮੁਤਅੱਲਿਕ ਮੈਂ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਮੁਫਤ ਦਿਤੀ ਜਾਏ ।

ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕੰਡੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ । ਇਹ ਕੰਡੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਰਜੋੜੀ

[ਭਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦਾਸ ਹੰਸ]

ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੂਹੇ ਤਹਿਸੀਲ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇ ਆਬਾਦ ਪਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹਦ ਤੱਕ ਏਥੋਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ । ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਫ਼ੈਲੀ ਹੈ । ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਸਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ।

ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਹ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਕਲ ਮੈਂ ਇਕ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ 50/- ਰੁਪਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਰੁਪੈ ਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ । ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉ ਕਿ ਇਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਕਾਰ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਜ਼ੀ, ਜੁਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ । ਜੇ ਉਹ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਦਾ 200 ਰੁਪਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਇਥੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗਿਰਾਜ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਜਦ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕਣ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ! ਇਥੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੈਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਣ ਪਰ ਇਥੇ ਵੈਦ ਸਿਰਫ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਗਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵੈਦਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਵੈਸੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉਪਮਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਕਾਫੀ ਬਰਾਬਰੀ ਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਪੜਾਸੀ ਤਕ flush system ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 1/- ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕੀ ਟੱਟੀ ਉਠਵਾਉਂਦੇ ਸਨ । ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਤੱਰਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । (ਘੰਟੀ)

ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਨਹਿਰ ਨਿਕਾਲੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲੂਮ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਹਾ ਹਾ ਕਾਰ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਥੇ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਤੇ ਇਕ head ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਕ ਗੱਲ floods ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਮਹਨਵਾਲ ਤੋਂ ਵਿਆਸ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਤਕ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ 22 ਪਿੰਡ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਘੰਟੀ)

ਬਸ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਇਮ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਜਿਥੇ ਚਾਉਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਇਕ ਨਹਿਰ ਨਿਕਾਲੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ head ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੰਜੀ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਸੀਆਂ। ਉਥੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਸਾ ਤੇ ਇਕ head ਬਣਾਵੇ।

ਇਕ ਗੱਲ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸਤਜੁਗ ਵਿਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ...

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ?

ਭਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦਾਸ ਹੰਸ : ਜਦ ਰਾਜਾ ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ ਇਕ ਹਰੀਜਨ ਦੇ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ ਆਪਣੇ ਪੁਤਰ ਦਾ ਦਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਸਤਜੁਗ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਸਕਣ।

Mr. Deputy Speaker : Order, order. (ਘੰਟੀ)

ਭਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦਾਸ ਹੰਸ : ਸਾਡੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ health ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕੀ health ਰਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 40 ਜਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ health ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

कामरेड मुनी लाल (शिमला) : डिप्टी स्पीकर साहिब, बजट हमारे सामने है और इसके आखिरी पैरे में हमारे वित्तमंत्री महोदय ने Opposition से खासतौर पर यह अपील की है कि एक सांझा मोर्चा बना कर उनके काम में मदद की जाए।

मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि एक साल के अन्दर वह कौन से कारनामे किये हैं जिनसे ऐसे हालात पैदा हुए हैं कि Opposition से भी यह अपील करने की जरूरत महसूस हुई।

Law and Order की बात पर बहुत बहस हो चुकी है। अगर Opposition को छोड़ कर Treasury Benches के मैम्बरों की बातों को ध्यान में रखा जाए तो पता चलता है कि एक majority members की इस बात के खलाफ है कि पंजाब में और टैक्सिज़ लगाए जायें क्योंकि यहां के अवाम पहिले से ही taxes से कुचले हुए हैं। उनमें अशांति है, बेचैनी है। आज हम देखते हैं कि पंजाब में फिरकादारी हमारे सिरों पर नाच रही है और अवाम की बेचैनी को exploit किया जा रहा है। इसके कारण तमाम पंजाब का अमनो-अमान खतरे में आ जाता है।

हमारी सरकार ने मरकज़ी सरकार से कर्ज लिया और कर्जा लेकर दूसरों को कर्जा तकसीम करने की दलाली भी की पर मैं यह कहना चाहता हूं कि मरकज़ी कर्ज़े का एक पहलू यह है कि हम 2 अरब रुपये के करीब मकरूज़ हैं। इसकी असली अदायगी की बात तो छोड़िये, सूद की रकम ही 822 लाख के लगभग बनती है, वही अदा नहीं हो सकती। इस पर भी खूबी यह कि सूद दर सूद बढ़ता जाता है जिसका नतीजा यह होता है कि टैक्सों की भरमार होती जाती है। मैं इस सिलसिले में सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूँ कि मरकजी सरकार को यह कहा जाता कि हमारी रकम पर सिर्फ सूद ही लगाया जाता। अगर सूद दर सूद न लगाया जाता तो काफी फायदा हो सकता था। अब भी सरकार इस बात की कोशिश कर सकती है।

कुछ रुपया मरकज़ी सरकार से लेकर लोगों को दिया लेकिन सरकार की नाअहलियत का यह एक खुला सबूत है कि 1947-48 में जो कर्जे तकसीम हुए थे उन में से एक बहुत बड़ी रकम आज तक वसूल नहीं हो सकी। मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि वह कर्जे अपने रिश्तेदारों को दिए गए थे या आम जनता को दिए गए थे। अगर Government का मकसद लोगों को फायदा पहुंचाने का था तो वह रकमें वसूल कर के और लोगों को दी जानी चाहिएं थीं ताकि उस से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचता। इस के बाद स्पीकर साहिब, मैं taxes के मुतअल्लिक कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैं इस बात को मानता हूं कि सरकार अगर यह समझती है कि हमारा मर्कज़ी खज़ाने में हिस्सा है तो finance commission ने जो recommendations की हैं उस को मानना चाहिए। मगर मैं यह बात पूछना चाहता हूं कि जब local bodies को मदद देने का सवाल आए

या पंचायतों को मदद देने का सवाल आए तो government खामोशी क्यों अख्तियार कर लेती है। जब रुपया वसूल करने का सवाल हो तो कहते हैं हमें ऐसा करने का हक है और लोगों पर tax लगाए जाते हैं लेकिन जब local bodies को मदद देने का सवाल आए तो government आंखें बंद कर बैठती है। मैं इस बात को मानता हूं कि local bodies के स्कूलों की हालत अच्छी नहीं थी और teachers ने भी एक बहुत बड़ा शोर मचा रखा था कि हमारी तनखाहें कम हैं, increments कम मिलती हैं इन को Government Grades के बराबर करना चाहिए। लेकिन, स्पीकर साहिब, हमारी सरकार ने बजाय उन local bodies की माली मदद करने के, बजाय उन की हालत को बेहतर बनाने के उन के स्कूलों को ही अपने कबज़े में ले लिया है। इस तरह से हमारी Government, centralisation of power कर रही है जबकि जमहूरी सरकार में होना यह चाहिए कि decentralisation of power की जाए। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि decentralisation of power होनी चाहिए। मगर उन की वह बात आज नज़रअंदाज़ की जा रही है। local bodies की सड़कें और हस्पताल जो हैं उन की हालत भी अच्छी नहीं है। कल को अगर Government उन को इस बहाने से भी अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगी तो मैं समझूंगा कि वह तमाम ताकत अपने हाथ में लेना चाहती है और decentralisation का नारा महज़ लोगों को गुमराह करने के लिए ही है। पंचायतों के बारे में Planning Commission ने यह बात कही थी कि उन को Land revenue में से बहुत बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए ताकि वह अपने अपने हल्के में development कर सकें। पिछली दफा जब revenue की figure 2 करोड़ आठ लाख थी तो Government ने पंचायतों को उस में से 10 प्रतिशत हिस्सा दिया था मगर इस दफा revenue की figure पहले से ज्यादा हो गई है लेकिन पंचायतों को उस में से 26 लाख रुपए मिले हैं। यह रकम 10 प्रतिशत से कम है। फिर इस में से भी बहुत बड़ा हिस्सा Secretaries की तनखाहों पर खर्च हो जाता है। इस के इलावा यह कहा गया है कि elections का खर्च भी पंचायतों पर ही डाला जाएगा। इस का मतलब यह हुआ कि जो थोड़ा बहुत रुपया बाकी होगा वह भी खर्च हो जाएगा, फिर देहातों की development कैसे होगी।

अब मैं budget की दूसरी खसूसियत के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं जो कि heavy taxation के मुतअल्लिक है। 1947 से ले कर आज तक पंजाब मे हर साल नए taxes लगाए जा रहे हैं और हर मरतबा यहां पर यह बात कही गई है कि हमारे खज़ाने में पैसे की कमी है। मैं मानता हूँ कि हमारा पंजाब पिछड़ा हुआ था और partition की वजह से जो नुक्सान हुआ था उस को भी पूरा करना था। इसलिए यह ज़रूरी बात है कि जो पिछड़ा

[कामरेड मुनी लाल]
हुआ सूबा हो वहां लोगों पर ज़्यादा taxes लगने चाहिएं लेकिन वह tax किस तरह के होने चाहिएं यह चीज़ काबले गौर है । अगर सरकार luxury goods पर tax लगा दे तो कोई हरज वाली बात नहीं । मगर हमारी सरकार ने तो कमाल ही कर दिया है । एक तरफ तो इन्होंने Central Government से मदद ली है दूसरी तरफ दाल और रोटी पर tax लगा दिया है ताकि गरीब लोग जिन को पहले ही पेट भर कर खाना नहीं मिलता अब भूके मरें । इस का मतलब यह है कि आज सरकार दीवालिया हो चुकी है, बिक चुकी है और यह चाहती है कि लोगों के मुंह से नवाला छीन लिया जाए । जनाब स्पीकर साहिब, जो सरकार इस तरह की बातें करने पर उतर आवे उस पर लोगों को कैसे एतमाद हो सकता है और वह उसे tax कैसे दे सकते हैं । स्पीकर साहिब, जो आमदनी के ज़रिये हैं, जिन से अच्छी आमदनी हो सकती है सरकार उन को जान-बूझ कर नज़र अंदाज़ करती है क्योंकि उस में कुछ vested interest काम करते हैं । मैं यहां पर कुछ इस सम्बन्ध में तजावीज़ पेश करना चाहता हूं और मैं अपने Finance Minister साहिब से request करूंगा कि जब वह Opposition से Co-operation चाहते हैं तो वह हमारी suggestions की तरफ भी ध्यान दें ।

मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आज हमारे resources of income जो हैं उन को बढ़ाया जा सकता है । पहले मैं Transport Department की बात करता हूं । Pepsu ने merger से थोड़े दिन पहले अपनी transport को nationalise किया और Transport Corporation बनाई । हम ने पिछली दफा अपनी सरकार को कहा कि पंजाब में भी आप Transport Corporation बना दें ताकि जो आमदनी का ज़रिया है वह बढ़े और जो Transport Department की administration है उस में वज़ीर साहिब daily दखल न दे सकें । हमारी Government खुद इस बात को मानती है कि पैप्सू Transport Corporation 4.4 लाख रुपया लगा कर 2.4 लाख रुपया इसी साल कमा लेगी । इस लिए आप अंदाज़ा लगाएं कि इतना ज़्यादा मुनाफा और कहां से मिल सकता है । मैं कहता हूं कि सरकार यह चीज़ इस लिए नहीं करना चाहती क्योंकि फिर कुनबापरवरी नहीं हो सकेगी । मैं कालका शिमला route का ज़िक्र करना चाहता हूं । उस route की हालत यह है कि अभी वहां पर एक पुराना ट्रक 56 हज़ार रुपये का बिका है । स्पीकर साहिब, किसी पुराने truck की कीमत 56 हज़ार रुपये नहीं हो सकती । यह 56 हज़ार रुपये पुराने truck की कीमत इस लिए पड़ती है क्योंकि उस के साथ route permit है । आज हरेक आदमी यह जानता है और कहता है कि Kalka-Simla route के एक truck के route permit की कीमत 40 हज़ार रुपये तक पहुंच गई है । स्पीकर साहिब, अगर इस किस्म के इलज़ामात महज़ Opposition

ही लगाती तो शायद यह कहा जा सकता था कि हम criticism करने के लिए ऐसी बातें कहते हैं मगर Government Benches पर जो मैम्बरान बैठे हुए हैं उन्होंने भी यह बात कही है कि route permits में बहुत black market और कुनबापरवरी हो रही है । इस लिए मैं दरखास्त करूंगा कि यह चीज भी मुंधरा केस से किसी तरह कम नहीं है, यहां पर एक Independent Enquiry Commission बना कर Transport Department में जितनी अंधेर-गर्दी हो रही है उस की enquiry करवाई जाए । मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर इस Department को ठीक तरह से सम्भाल लिया जाता तो दो, तीन करोड़ रुपये का मुनाफा हो सकता था और फिर लोगों को दाल रोटी पर टैक्स लगाने तक नौबत नहीं आ सकती थी । कुछ तजवीजें और भी हैं जिन के बारे में मैं फिर किसी वक्त अर्ज़ करूंगा । इस वक्त मैं आप का सारा time इन बातों के लिए नहीं लेना चाहता । अब मैं Electricity Board की बात करता हूं । Electricity Board बना कर हमारी government ने एक अच्छा काम किया है जिस के लिए मैं उस को बधाई देता हूं । लेकिन इस के साथ ही मैं अपनी सरकार की तवज्जुह कुछ और तजारती महकमों की तरफ भी दिलाना चाहता हूं जहां से आमदनी बढ़ सकती है । मिसाल के तौर पर text-books का मामला है । सरकार खुद इस बात को मानती है कि text-books की छपाई पर बहुत कम खर्च आता है लेकिन उन की जो कीमत वसूल की जाती है वह बहुत ज्यादा होती है जिस का फायदा publishers उठाते हैं । मैं अर्ज़ करूंगा कि text-books की भी एक corporation बना देनी चाहिए ताकि उस से आमदनी हो सके ।

The Sabha then adjourned till 2 p.m. on Wednesday the 12th March 1958.

769 PVS—344—27-5-59—C.P. and S., Pb., Chandigarh.

Punjab Vidhan Sabha Debates

12th March, 1958

VOL. I—NO. 17

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Wednesday, 12*th March*, 1958

CHANDIGARH :
Printed by the Controller, Printing and Stationery, Punjab
1959

Price : Rs: 4:00 NP

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATE VOL. I, NO. 17,
DATED THE 12TH MARCH, 1958.

Read	for	on page	line
ਬਾਰੇ	ਸਾਰੇ	(17)5	7
ਮਾਲਿਕ	ਮ ਲਿਕ	(17)21	9th from below.
हमें	हम	(17)37	17
Delete the figures '25लाख' after '8.22 करोड़'		(17)37	19
लेकिन	लेफिन	(17)47	22
छिपे	छियें	(17)47	25
Speech	Speach	(17)49	last
ਮੇਰੀ	ੇਰੀ	(17)53	3
ਏਥੇ	ਏਥ	(17)54	18
3	13	(17)54	18
ਵਰਤਦੇ	ਵਹਤਦੇ	(17)56	23
'ਵਿਚ' a fter the word 'ਪੰਜਾਬ'		(17)57	4
is	s	(17)59	last
अच्छी	अक्छो	(17)63	7th from below.
3500	3100	(17)65	24
' की ' after the word 'जब'		(17)66	5
ਉਣਤਾਈਆਂ	ਉਣਤਈਆਂ	(17)89	1
ਪੁਲਿਸ	ਲਿਸ	(17)89	22
ਇਲਾਕੇ	ਕਿਲਾਕੇ	(17)91	11
ਫਜ਼ੂਲ	ਫਜਲ	(17)93	2nd from below.
ਦੇਖਿਆ	ਦੇਖਿਖਾ	(17)96	10
pension	penssion	(17)99	4

PUNJAB VIDHAN SABHA

Wednesday, 12th March, 1958

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh Capital at 2 p. m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

MEMBERS OF PANCHAYATS

***1403. Shri Rup Singh Phul :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the district-wise number of Members of Panchayats as in (i) March, 1957 and (ii) at present ?

Sardar Gian Singh Rarewala : Sir, I have applied for extension.

TUBEWELLS IN CHUNHI ZAIL, TEHSIL KHARAR, DISTRICT AMBALA

***1727. Sardar Niranjan Singh Talib :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether any tube-wells have been sunk by Government in Chunhi Zail (tehsil Kharar), district Ambala, for irrigation purposes, if so, whether they are in use, if not, the reasons therefor ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (i) Yes, only one tube-well.

(ii) Yes.

BUND ON THE BANK OF RIVER JAMUNA

***1761. Shri Ram Piara :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether any bund was constructed on the bank of river Jamuna near Kunjpura in district Karnal, during the years, 1956-57 and 1957-58, if so, the amount spent thereon ;

(b) whether he is aware of the fact that river Jamuna has, since the construction of the bund, changed its course at the bund point ; if so, the measures, if any, adopted by Government to check any further change in the course of the river ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) Yes. Amount spent is about Rs 97,000.

(b) Yes, the main current of the river has shifted towards the Punjab side and is flowing by the side of the bund. Proposals have been framed for constructing a spur in order to deflect the current of the river.

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि जो 97 हज़ार रुपये का खर्च बतलाया गया है वह 1956-57 का है या 1957-58 का है ?

मंत्री : यह दरियाफ्त तलब बात है । गालबन 1956-57 का होगा ।

श्री राम प्यारा : जनाब स्पीकर साहिब, पूछा ही यह गया था कि 1956-57 का है या 1957-58 का ?

मंत्री : यकीन से तो नहीं कहा जा सकता गालबन 1956-57 का खर्च होगा ।

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब यह बतलाएंगे कि दरिया का रुख बदलने से बन्द को नुकसान पहुंचा है और क्या effect पड़ा है ?

मंत्री : जवाब पता करके ही बता सकता हूं ।

पण्डित श्री राम शर्मा : मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि दरिया ने रुख बदला है तो इसका बन्द के साथ क्या सम्बन्ध है क्या बन्द को नुकसान हुआ है ?

मंत्री : दरिया का रुख spurs से बदला जा सकता है बन्द से नहीं ।

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, it has been stated by the Irrigation and Power Minister that the main current of the River has changed and is flowing by the side of the bund. I would like to know whether the River has changed its current near the bund point on account of the natural causes or it is due to the wrong alignment of the bund.

Chief Minister : It is due more to natural causes.

डाक्टर परमानन्द : क्या मैं जान सकता हूं कि दरियाए जमुना के किनारे District Karnal में कुछ ऐसे गांव हैं जो बान्ध के टूट जाने की वजह से दरिया की नज़र हो गए ?

अध्यक्ष महोदय : इस से सवाल पैदा नहीं होता [This question does not arise out of it].

श्री रूप सिंह फूल : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि बान्ध 1956-57 में टूटा या 1957-58 में ?

मंत्री : मैं इस के बारे में off hand नहीं कह सकता ।

ELECTRIFICATION OF TEHSIL KHARAR, DISTRICT AMBALA

***1725. Sardar Niranjan Singh Talib:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether there is any proposal under consideration of Government to supply electricity to villages situated within a radius of one mile of the main road (where already main electric lines exist) from Kurali, to Banur and Kharar to Chanidagarh (tehsil Kharar, district Ambala) if so the time by which these villages are likely to be electrified ?

Sardar Gian Singh Rarewala : Yes. Load data for the electrification of six villages near about Kharar has bean collected and the Project estimate is under preparation. The work on the electrification of these villages will be taken in hand after the sanction of the Project Estimate.

ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਬ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਪਿੰਡ Ghruan ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ?

Minister: Village Ghruan is not in Kharar tehsil.

Mr. Speaker: Next question please.

Sardar Dhanna Singh Gulshan: On his behalf, Sir. Question No. 1740.

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ written authority ਹੈ? ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਏ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕਿਸ ਵਲੋਂ ਪੁਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । (Has the hon. Member got a written authority from the member concerned ; if so, the same may please be sent to me well in time so that I may see on whose behalf the question is being asked.)

SUPPLY OF ELECTRIC ENERGY TO BARETA, DISTRICT BHATINDA

***1740. Sardar Kirpal Singh 'Shant'** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether Government have finalised any scheme for the supply of electric energy to Bareta, district Bhitinda; if so, the steps if any, so far taken in this connection ?

Sardar Gian Singh Rarewala : A subsidiary project estimate amounting to Rs 6,07,500 for the electrification of Bareta from Lehragage and four other villages enroute has recently been sanctioned by Government. The work is being taken in hand very shortly by the Superintending Engineer, Patiala Circle.

ਸਰਦਾਰ ਪਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋਕੇ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਾਓਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ?

मंत्री : बिजली का sub-station लहड़ा गागा है और 11 मील का area है । मुझे गांव के नाम तो इस वक्त पता नहीं लेकिन चार गांव को बिजली ज़रूर दी जा रही है ।

FREE EDUCATION UPTO MIDDLE STANDARD

***1379. Sardar Rajinder Singh** : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state whether there are any places in the State where free educational facilities have been provided by Government to the children of the middle classes; if so, their names ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : Education up to Middle standard has been made free in all Government Schools of Kangra and Mohindergarh District s. In addition in Government Schools in the areas lying between the Dhussi and the Ravi, Sakki and Ravi and the Daulat Chak, this facility has been granted up to Matriculation stage.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ free-educational facilities ਦੇਣ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

अध्यक्ष महोदय : यही तो आप ने सवाल में पूछा था । (This was what the hon. Member had originally enquired of in his question.)

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि जिस तरह मजमूई तौर पर लोगों की तालीम में पसमांदा होने की इस इलाके में हालत है वैसी ही हालत सूबे में और जगह भी है तो वहां पर free-educational facilities न देने की क्या वजह है ?

उपमंत्री : जहां तक मुझे याद है मेम्बर साहिब ने कल भी एक इसी तरह के hypothetical सवाल पर एतराज़ किया था ।

पण्डित श्री राम शर्मा : मैं अब अपने सवाल को दुरुस्त कर देता हूं । मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन इलाकों की backwardness बिलकुल उतनी ही है जितनी कि इन इलाकों की उन्हें क्यों free-educational facilities नहीं दी गईं ?

मुख्य मंत्री : उनकी economic हालत अच्छी होगी ।

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या कोई ऐसे इलाके इस सूबे में और नहीं हैं जहां कि इतनी ही backwardness हो ?

मुख्य मंत्री : मेरे ख्याल में नहीं ।

श्री राम प्यारा : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि सूबे में जो flood-affected इलाके हैं वह कितने backward हैं इसे जानने के लिए इन concessions को देने से पहले कोई clarification करवाई गई थी ?

मुख्य मंत्री : जी हां करवाई गई थी ।

पण्डित श्री राम शर्मा : इन concessions को देने से पहले क्या तमाम state के अन्दर पड़ताल की गई थी कि कौन कौन से इलाके backward हैं ?

मुख्य मंत्री : मैं यहां ही पैदा हुआ हूं क्या मुझे भी नहीं पता कि कौनसा इलाका backward है ?

पण्डित श्री राम शर्मा : पैदा तो मैं भी यहीं हुआ हूं लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि कांगड़ा और महेन्द्रगढ़ के इलाकों को concession देने से पहले इस बात की पड़ताल कर ली गई थी कि कोई और ज़िले इस से कम area वाले backward हैं या नहीं ?

मुख्य मंत्री : सारी चीज़ को देख कर ही यह concessions दिए गए हैं ।

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗੜੇ ਨੂੰ backward area ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਜੇ ਕੁਛ Financial ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਖਿਆਲ ਕਰਾਂਗੇ । ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ।

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब यह बतायेंगे कि यह किस तरह से अन्दाज़ा लगाया गया कि वह इलाका backward है ?

मुख्य मंत्री : Government ने इस बात का फैसला करते वक्त सब बातों का ख्याल रखा था ।

पंडित श्री राम शर्मा : मेरा कहने का मतलब यह है कि क्या तहकीकात करने के बाद सारे facts and figures Government के पास आ गए थे जिन की बिना पर Government ने यह फैसला किया ।

मुख्य मंत्री : तहकीकात की बात नहीं है हम जानते हैं कि फलां फलां इलाका backward है ।

श्री बलराम दास टंडन : क्या वज़ीर साहिब यह बतायेंगे कि जहां सरकार ने Government Schools में free-education देने का फैसला किया है, क्या यह Non-Government Schools पर भी लागू होगा ?

मुख्य मंत्री : इस का अभी फैसला नहीं किया ।

सरदार उमराओ सिंह : क्या इन इलाकों के इलावा Government ने जो और इलाके backward करार दिये हैं वहां भी free-education दी जाएगी ?

मुख्य मंत्री : आहिस्ता आहिस्ता हम यह concession सभी इलाकों में कर देंगे—backward area का हमें पहले इसलिए ख्याल है क्योंकि वहां की हालत खराब है ।

श्री मनी राम गोदाड़ा : जिस तरह और इलाकों के backward area के होने की वजह से वहां eduction free की गई है, क्या गोहाना के इलाके को भी इसी तरह backward area में शामिल किया जायेगा ?

मुख्य मंत्री : उस की माली हालत अभी अच्छी है । वह इलाका backward तो नहीं है, फिर भी इस को backward area में शामिल करने के लिए ग़ौर किया जायेगा ।

श्री रला राम : क्या मैं जान सकता हूं कि तहसील दसूहा, को जो कि एक flood affected area है, इस backward area में शामिल किया गया है ? अगर नहीं किया गया तो इस को नज़र अंदाज़ करने की क्या वजह है ?

मुख्य मंत्री : बहुत सारे flood affected areas है जिन पर सरकार ग़ौर कर रही है ।

श्री रूप सिंह फूल : मुख्य मंत्री साहिब ने फरमाया है कि private schools में free-education का अभी फैसला नहीं हुआ ; मैं पूछना चाहता हूं कि यह फैसला कब तक हो जायेगा ?

मुख्य मंत्री : मेरा ख्याल है कि देर से ही फैसला करेंगे (हंसी) ।

पण्डित श्री राम शर्मा : जैसा कि मुख्य मन्त्री ने फरमाया है कि जो इलाके backward हैं वहां की हालत खराब है । क्या मैं पूछ सकता हूं कि पंजाब के और इलाकों में भी education की हालत इसी तरह खराब है ?

मुख्य मंत्री : Hon. Member मेरी बात को समझे नहीं । मेरा मतलब educational हालत से नहीं economic हालत से था ।

पण्डित श्री राम शर्मा : मजमूई तौर पर जो backward areas हैं क्या दूसरे इलाकों की निस्बत उनकी education की हालत अच्छी नहीं है ? इस के बारे में आपका क्या ख्याल है ?

Mr. Speaker : This is asking for an opinion. This question does not arise.

चौधरी चन्द्रभान : लोहारू का इलाका भी education में बड़ा backward है । इस के मुताल्लिक आपका क्या ख्याल है ?

Mr. Speaker : This is no Supplementary. This is again asking for an opinion.

ਬਾਵਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ flood affected areas ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ......

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ ; ਬਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ (Bawa Sahib, this has already been decided.)

श्री अभय सिंह : क्या वज़ीर साहिब यह बतायेंगे कि backwardness को जांचने के लिये कौनसा तरीका इस्तेमाल किया गया है ?

मुख्य मंत्री : यह तो जब से backwardness शुरू हुई है उस वक्त से आपको पता है ।

ਭਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦਾਸ ਹੰਸ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੰਡੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ backward ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

Mr. Speaker : This is no Supplementary question.

HINDI AND PUNJABI LANGUAGES

***1380. Sardar Rajinder Singh** : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state whether any steps are being taken by Government to popularise Hindi and Punjabi languages in the State, if so, what ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : Yes. A statement giving the required information is laid on the table.

STATEMENT

The steps which are being taken by Government to popularise Hindi and Punjabi languages in the State are noted below :—

(1) Grants to the Punjabi Sahitya Akademi, Ludhiana.

(2) Grants to the Punjabi Hindi Sahitya Samelan, Ambala Cantt.

(3) Grants to Hindi Sahitya Akademi, Jullundur City.

(4) Promotion of Hindi particularly in non-Hindi speaking areas. Under this scheme training class for the Hindi teachers has been started at Jullundur.

(5) Promotion of Punjabi particularly in non-Punjabi speaking areas,. Under this scheme training class for the Punjabi teachers is being started at Karnal.

(6) Grant-in-aid to the extent of Rs 50,000 to institutions imparting instruction in Hindi, Punjabi and Sanskrit.

(7) Translation of Scientific Books into Hindi and Punjabi (8) Creation of patronage of literature fund ..	Provided in the Second Five-Year Plan . Not yet implemented.
(9) Development of National Language (10) Development of Regional Language	The State Language Department is implementing these Schemes.

(11) The establishment of Kurukshetra University which is expected to provide encouragement for a Scientific study of Hindi, Punjabi, etc.

(12) M. I. L. Training classes started at Chandigarh providing training facilities for Hindi, Punjabi and Sanskrit teachers.

(13) Language Department set up to facilitate the introduction of Hindi and Punjabi in Government Offices and to translate Acts, Codes and Rules, etc.

(14) Provision for the awards of Rs 300 each to those Government servants who pass the Prabhakar or the Giani Examinations of the Punjab University with at least 75 per cent of marks.

[Deputy Minister]

Serial No.	Sub-Head of the Scheme	Expenditure Recurring	involved Non-recurring	Total	REMARKS
1	2	3	4	5	6
		Rs	Rs	Rs	
1	Editing and annotating of manuscripts . 400 pages will be got edited and annotated on remuneration basis at Rs 5 per page (including revision charges) ..	2,000	..	2,000	
2	Writers Seminar. A Punjabi Seminar, on the levels of Hindi Seminar, extending over three days will be held where at 3 papers will be read, Fifteen writers will be invited	1,425	..	1,425	
3	Post Graduate Research Scholarship valuing Rs 200 p. m. will be awarded to a student of the State securing first position in his M. A. in Punjabi as also 75 per cent marks in the one scholarship was arwarded during the year, 1956-57 ..	2,400	..	..	
		4,800	..	4,800	
4	Merit Scholarships, Three merit scholarships for B. A. Inter and Matric examination of the value of Rs 75 , 50 and 30 respectively will be awarded each tenable for two years as in Hindi ..	1,860	..	1,860	
5	Prizes to the best Published Punjabi literature of the year. Two prizes of Rs 500 and Rs 250 to be awarded to the best published books on general and childrens literature respectively ..	750	..	750	
6	Common Readers Section. A section of 40 pages of common readers interest will be added to the Department's Punjabi monthly magazine	2,500	..	2,500	
7	Award of Prizes to the Best Translation and the original works of literature. Two prizes of Rs 1,000 each will be awarded to the best translation and original literary work ..	2,000	..	2,000	

Serial No.	Sub-Head of the Scheme	Expenditure Recurring	involved Non-recurring	Total	REMARKS
1	2	3	4	5	6
		Rs	Rs	Rs	
8	History of Regional literature (Punjabi) 2 volumes covering 500 pages will be got written at Rs 10 per page including remuneration for the revisors ..	5,000	..		
	Books to be purchased for the above ..	2,405	..	..	
		7,405	..	7,405	
9	Financial aid to the private Organisation engaged in the task of promotion of Punjabi Language and literature in the State. These bodies will be required to get their programme approved by the Government ..	10,000	..	10,000	
		..	..	32,740	
1	Literary Contests—				
1	Debates. At all the district headquarters.	Recurring	Non-recurring	Total Rs	
	(a) Prizes for 18 districts, i.e., two cash prizes of Rs 50 and Rs 30 to the two best speakers of each district ..	1,440	..	1,440	
	(b) Cost of 13 running shields at Rs 100 each. Five shields have already been purchased under the First Five Year Plan ..	..	1,300	1,300	
	(c) A running shield for the State debate costing Rs 250 has already been purchased under the 1st Five Year Plan ..	..	..	..	
	Total ..	1,615	1,300	2,915	
II	Kavi Sammelans —				
	(a) Prizes for 18 districts. Two prizes of Rs 50 and Rs 30 to the two best poets of each district ..	1,440	..	1,440	

[Deputy Minister]

Serial No.	Sub-Head of the Scheme	Expenditure Recurring	involved Non-recurring	Total	REMARKS
1	2	3	4	5	6
	(b) Two prizes of Rs 100 and Rs 75 each for the two poets at divisional level ..	175	..	175	
	Total ..	..	..	1,615	
III	Dramatics—				
	(a) Cost of prizes for 18 districts two of Rs 50 and Rs 30 to the two best actors of each district ..	1,440	..	1,440	
	(b) Cost of two prizes of Rs 100 and Rs 75 each for the actors at Divisional level ..	175	..	175	
	(c) Cost of running shields for the winning team of the Dramatics at Divisional level at Rs 250 each ..	..	500	500	
		1,615	500	2,115	
	Total for "Literary contests" ..	4,845	800	6,645	
2	*Editing and annotating of Hindi manuscripts.*—400 pages of Hindi literature produces in this region but lying in manuscripts form at Rs 5 per page including the revision charges ..	2,000	..	2,000	
3	Hindi writers seminar extending over three days will be organised. 15 writers will be invited to attend the seminar in which three papers will be read. Rs 750 will be spent on T. A. board and lodging of the writers and paper readers will be paid Rs 225 each including T. A. and D. A. ..	1,425	..	1,425	
4	*Post Graduate Research Scholarships in Hindi.*—A post-graduate Research Scholarship of the value of Rs 200 p. m. tenable for two years will be awarded to a students securing the first position in M. A. (Hindi) from the Punjab University ..	2,400	..	2,400	
6	*Merit Scholarships.*—Three merit scholarships of the value of Rs 75 50 and Rs 30 p. m. each tenable for two years will be awarded to the students standing first with Hindi as their elective subject and securing 75 per cent marks in their B.A. Inter and Matric Examination respectively of the Punjab University and continue their studies for the next higher examination ..	1,860	..	1,860	

Serial No.	Sub-Head of the Scheme	Expenditure Recurring	involved Non-recurring	Total	REMARKS
1	2	3	4	5	6
7	Prizes for the Best published literature of the year. Two prizes of Rs 500 and Rs 250 will be awarded to the last published books of the year on the general and childrens literature ..	750	..	750	
8	*Common Readers Section.*—A common readers section of 40 pages will be added to the Departments Hindi monthly at the cost of Rs 2,500 p. m. as remuneration to the contributors ...	2,500	..	2,500	
9	*Financial Aid to the Private Organisations.*—Will be awarded to various private Organisations engaged in the task of promotion of Hindi in the State. These bodies will be required to get their programme approved by the Government ..	10,000	..	10,000	
10	Organisation (staff for 8 months, as four months have already passed) An organiser on a fixed salary of Rs 150 ..	1,200	..	1,200	
	Clerk-cum-typist at a fixed salary of Rs 60 p. m. ..	480			
	Peon at a fixed salary of Rs 27 p.m.	220	..	..	
	T. A. .	600	..	..	
	D. A. ..	880	..	..	
	Yearly Allowances ..	160	..	..	
	Miscellaneous Honoraria, etc. ..	120	..	..	
		3,660	..	3,660	
	Contingency, etc. ..	2,020	..	2,020	
11	Besides arrangements exist for the teaching of Hindi and Punjabi to Government employees throughout the State	..	..	..	
12	Various kinds of dictionaries are being compiled ..	..	..	..	

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ language department ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ bifurcate ਕਰਕੇ ਦੋ departments ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ?

ਉਪ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ scope ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਕੋਈ Separate Punjabi Department ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕ ਅੱਡ ਅੱਡ section ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ section ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ department ਸਮਝ ਲਉ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਡ ਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ Regional farmula ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ Department ਇਕ ਵਖਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਉਸ ਨੂੰ Department ਕਹਿ ਲਓ ਯਾ Department ਦੀ ਇਕ section ਕਹਿ ਲਓ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਆਦਮੀ Department ਦਾ Head ਹੋਵੇ । ਇਸ idea ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ।

पण्डित श्री राम शर्मा : Regional Formula की section 12 में यह दर्ज है कि Hindi and Punjabi दो separate Departments कायम किए जाएंगे । मैं पुछना चाहता हूं कि क्या Government ने इस शर्त को पुरा किया है ?

मुख्य मंत्री : Hindi और Punjabi की section अलग अलग करके हम उन की co-ordination करके साथ साथ चलाना चाहते हैं । अगर इस में ज़्यादा काम हो जायेगा तो इस section को हम और बढ़ा देंगे । मगर यह बात कि इसी वक्त हिंदी और पंजाबी के separate Departments हों और उन का किसी खास आदमी को Head बना दिया जाये, नहीं होगी ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मुख्य मंत्री साहिब मेहरबानी करके बतायेंगे कि section 12 में लिखे गए लफ़ज़ "two separate Departments for Hindi and Punjabi" का मतलब क्या है ?

मुख्य मंत्री : मैं इस का मतलब यह समझा हूं कि जो महकमा ज़रा छोटा हो उसे section कह लेते हैं और जो इस section से बड़ा हो उसे Department कह देते हैं ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मुख्य मंत्री साहिब यह जानते हैं कि जो मौजूदा Language Department है उस में staff वगैरह का काम हर लिहाज़ से यक्सां चल रहा है । इस का जवाब अपने ख्याल से नहीं बल्कि आप कागज़ों की spirit से दें ।

मुख्य मंत्री ; मेरा ख्याल कई दफा कागज़ों से अच्छा होता है (हंसी) यह ख्याल ही नहीं बल्कि इस को चलाने के लिये 14-15 तरीके अख्तियार किये गये हैं जिस से Hindi और पंजाबी के staff का काम बराबर चल रहा है । मुझे "कन्ना घोड़ा" करने की आदत नहीं है ।

श्री बलराम दास टंडन : यह कन्ना घोड़ा क्या होता है।

मुख्य मंत्री : यह पंजाबी जबान में एक term है।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मुख्य मंत्री साहिब को पता है कि Language Department में हिन्दी का जो काम हो रहा है वह पंजाबी के 1/8th के बराबर भी नहीं है।

मुख्य मंत्री : मेरा ख्याल है कि दोनों languages का काम बराबर चल रहा है।

Mr. Speaker : Please, need not answer this question.

पंडित श्री राम शर्मा : स्पीकर साहिब, यह ग़लत है। वहां बराबर का काम नहीं हो रहा है। मैं जानता हूं कि पंजाबी के मुकाबले में वहां हिंदी का बहुत ही कम staff है। वह पंजाबी के मुकाबले में 1/8 या 1/10 के बराबर भी नहीं है। मुख्य मंत्री साहिब किसी तहरीर की बिना पर बात नहीं कर रहे हैं। मैं challenge करता हूं कि अगर enquiry की जाए तो इन का ख्याल ग़लत निकलेगा।

Minister for Planning and Community Projects. The Leader of the Opposition has, in fact no information. He is talking on hearsay only and how does he conclude.

पण्डित श्री राम शर्मा : यह अटकलपच्चू जवाब दे रहे हैं, वहां पर पंजाबी के मुकाबले में हिन्दी का काम दसवां हिस्सा भी नहीं हो रहा है।

योजना मंत्री : अनरेबल लीडर आफ दी आपोज़ीशन को इत्तलाह नहीं है वह तो सुनी सुनवाई बात कह रहे हैं।

पण्डित श्री राम शर्मा : सुनी सुनाई बात नहीं है, मेरे पास इतना पुलन्दा है कि अगर देखेंगे तो पता चल जाएगा।

योजना मंत्री : आप ग़लत कह रहे हैं।

पण्डित श्री राम शर्मा : अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप देख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे भी इस में शामिल कर लीजिये। मै भी बैठा हूं। (हंसी) (The hon. Member should include me also. I am also sitting here.)

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ Central Government ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨੀ grant ਮਿਲਦੀ ਹੈ ?

Mr. Speaker : This question does not arise.

RATE OF BUS-FARE ON PATIALA TO BANUR ETC. ROUTES

*1245. **Sardar Atma Singh :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the distance, in mileage, from Patiala to Banur, Banur to Chandigarh, Patiala to Sunam and Patiala to Ambala with the rate of bus fare on each of the said routes;

(b) the usual rate, per mile, being charged on pacca road by the Punjab Roadways and Pepsu Road Transport Corporation?

Chaudhri Suraj Mal : (a) A statement is laid on the table of the House.

(b) The fare being charged on pucca roads by the Punjab Roadways and Pepsu Road Transport Corporation is within the maximum of 7 pies per mile per passenger and minimum of 5 pies per mile per passenger as fixed by the Punjab Government.

FREE CONVEYANCE TO POOR STUDENTS

*1378. **Sardar Rajinder Singh :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether it is a fact that Government have recently decided to provide free transport in State owned buses daily to poor children to enable them to reach their schools;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative the manner in which children for the said concession would be selected?

Chaudhri Suraj Mal : (a) Yes. The free lift has been provided not in State-owned buses but also in the private transport services.

(b) Free lifts have been allowed to the poor children below the age of 12 years subject to the production of a certificate by the Head Master/Head Mistress concerned to the effect that the student is financially weak and is unable to afford payment of the fare.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜੇ Transport Companies ਇਹ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕੋਈ action ਲਏਗੀ?

स्वास्थ्य मंत्री : उनके खिलाफ मुनासिब action लिया जाएगा ।

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, is it not a fact that the private owned buses had started this practice earlier and the Gornment followed it only soon ?

Mr. Speaker : This is not a supplementary question.

ROUTE PERMITS FOR BUSES

*1695. **Sardar Dhanna Singh Gulshan :** Will the Minister for Public Works be pleased to state the total number of route permits for buses issued in the State, during the year 1957 and the number among them issued to Harijans, separately, district-wise?

Chaudhri Suraj Mal : 309. No permit has been issued to any Harijan.

CONSTRUCTION OF ROADS FROM CHANDIGARH TO BAGOMAJRA AND FROM KURALI TO VILLAGE SAILMAJRA, TEHSIL KHARAR, AMBALA

***1726. Sardar Niranjan Singh Talib** : Will the Minister for Public Works be pleased to state whether it is a fact that a sum of Rs 50,000 was allotted during the year 1956-57 for the construction of a pucca road from Chandigarh to Bhagomajra *via* village Sohana and a similar amount for the construction of road from Kurali to village Sailba in tehsil Kharar, district Ambala, if so, whether these amounts have since been expended; if not, the reasons therefor?

Chaudhri Suraj Mal : **Bhagomajra Sohana Kumbra, Benailon to Rupar-Chandigarh Road**—Yes. The amount was not spent as in view of the reduced allotment of funds some roads, including the road in question, were dropped from the Plan of 1956-57.

Kurali-Sailba-Siswan Road

No. Reply to the other part does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਬ : ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 50,000 ਮੰਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਧਰ ਗਿਆ ?

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ 50,000 ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ?

ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਬ : ਹੈ ਜੀ।

Minister for Consolidation and Health : Road No. (1) was provided in the Budget of 1956-57 with a budget provision of Rs 50,000 for it. Originally funds to the extent of Rs 32.32 lakhs were earmarked for the new Plan Schemes to be taken up in 1956-57, but subsequently the grant was curtailed by Government to Rs 20 lakhs and in view of this reduction certain roads including the road in question was deleted from the revised list of roads to be taken up in 1956-57. The road in question was, therefore, omitted in the post-integration period. The question of spending the grant for 1956-57 therefor did not arise.

CONSTRUCTION OF BUDHLADA-JAKHAL ROAD VIA BARETA.

***1739. Sardar Kirpal Singh 'Shant'** : Will the Minister for Public Works be pleased to state whether the construction of Budhlada-Jakhal road in district Hissar *via* Bareta has been sanctioned by Government, if so, whether the work on the said road has been started, if not, the reasons therefor?

Chaudhri Suraj Mal Yes. The work has not started as necessary formalities regarding acquisition of land are being completed.

श्री मनी राम गोदाड़ा : क्या स्कीम बनाते वक्त यह ख्याल नहीं रखा जाता कि जो ज़मीन उस सड़क पर आएगी उसको उसी वक्त requisition कराना है ?

अध्यक्ष महोदय : आपने तो मश्विरा दिया है, सवाल तो बनता नहीं। (The hon. Member has given a suggestion. The question does not arise.)

स्वास्थ्य मंत्री : इस किस्म के ख्याल तो आते हैं लेकिन कई दफा अड़चनें पैदा हो जाती हैं।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या गवर्नमैंट को इस मामले में ख्याल आया था ?

स्वास्थ्य मंत्री : हां सरकार, आया था (हंसी)।

पंडित श्री राम शर्मा : तो क्या उस पर अमल हुआ था ?

स्वास्थ्य मन्त्री : उस पर यह अमल हुआ कि कुछ ऐसे भले आदमी आ गए जिन्हों ने अड़चनें डाल दीं।

पण्डित श्री राम शर्मा : वह भले आदमी कौन थे ?

स्वास्थ्य मन्त्री : इस के लिये नोटिस चाहिये (हंसी)।

पण्डित श्री राम शर्मा : बगैर नोटिस के भले आदमियों का अन्दाज़ा कैसे लगाया ?

अध्यक्ष महोदय : आप दोनों ही भले आदमी हैं, बैठ जाइये।

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੌਂਦਿਆਂ ਵਕਤ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਵਕਤ ?

अध्यक्ष महोदय : सोते वक्त सपना आता है।

RESERVATION OF LAND FOR HARIJANS AND LANDLESS POOR DURING CONSOLIDATION OPERATIONS

***1521. Dr. Bhag Singh :** Will the Minister for Consolidation and Health be pleased to state—

(a) the instructions issued by Government for the reservation of land for Harijans for constructing houses and for the landless poor during the consolidation operations in the State.

(b) the steps which Government have taken to check up whether the instructions referred to in part (a) above have been followed?

Chaudhri Suraj Mal : (a) Under rule 16 (1) of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of fragmention) Rules, 1949, land is reserved for the extension of abadi of those non-proprietors (including Harijans) only who are working as agrarian labourers and are in need of a site for houses. This land is allotted to them without payment of any compensation and they are deemed to be full owners

of the allotted plots. The area is reserved according to requirements. However in villages which are close to towns and where most of the non-proprietors have no concern with agricultural operations and earn their livlihood by doing labour in the adjoining towns, the maximum area to be set apart for non-proprietors who depend upon agriculture is given in the schedule a copy of which has been laid on the table.

(b) Instructions have been issued by Government from time to time to implement the orders and during consolidation operations it is duly checked by the officers of the Consolidation Department, that these orders are duly complied with. One Harijan member is also taken on each Consolidation Advisory Committee Schedule referred to in the reply to Assembly Question No. 1521 (Starred) asked by Dr. Bhag Singh, M. L. A., regarding reservation of land for Harijans and landless poor during consolidation operations.

Serial No.	Category of villages	MAXIMUM AREA TO BE SET APART FOR EXTENSION OF ABADI OF HARIJANS AND OTHER NON-PROPRIETORS IN VILLAGES CLOSE TO THE TOWNS	
		In districts of Jullundur Division	In districts of Ambala and Patiala Divisions
1	Villages with less than 150 acres of land	1 Kanal ..	1½ Kanals
2	Villages 150 to 300 acres of land	2 Kanals ..	3 Kanals
3	Villages with land exceeding 300 acres but not exceeding 500 acres of land	4 Kanals ..	6 Kanals
4	Villages with land exceeding 500 acres of land but not exceeding 1,000 acres	6 Kanals ..	9 Kanals
5	Villages with land exceeding 1,000 acres but not exceeding 2,000 acres	1 Acres ..	1½ Acres
6	Villages with land exceeding 2,000 acres	2 acres ..	3 acres

अध्यक्ष महोदय : यह जवाब लम्बा है अगर टेबल पर रख दें तो अच्छा हो।
(This is a lengthy reply, it would be better if the hon. Minister places it on the Table of the House.)

मंत्री : हमें जैसा हुक्म हो।

पंडित राम किशन भड़ोलियां : हमें supplementaries का मौका मिल जायेगा, आप सुना दें।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत लम्बा है। (This reply is very lengthy).

पण्डित श्री राम शर्मा : जी हिदायतें गवर्नमैंट ने दी हैं क्या उसके लिये यह ज़रुरी है कि गांव वालों की रज़ामंदी हो ?

मुख्य मंत्री : इस किस्म की कोई हिदायत नहीं।

अध्यक्ष महोदय : जिन का सवाल है उनको तो मौका दो।

(The hon. Member should give an opportunity for interpretation to the hon. Member who has put this question.)

पंडित राम किशन भड़ोलियां : क्या सरकार के पास कोई शिकायत आई है।

मंत्री : शिकायतें आती रहती हैं और उनकी देख-भाल होती रहती है।

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि गवर्नमैंट बगैर गाव वालों की रज़ामंदी के भी दे सकती है ?

मुख्य मंत्री : कोशिश यह की जाती है कि रज़ामन्दो हो तो दिये जाएं।

पण्डित श्री राम शर्मा : मैं पूछना चाहता हूं कि अगर लोगों की रज़ामंदी न हो तो Government किस कायदे वा कानून के मुताबिक उस को देखती है ?

मुख्य मंत्री : Consolidation Act के तहत देखती है।

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या मैं दरियाफ़्त कर सकता हूं कि Consolidation Act के अंदर यह चीज़ मौजूद है कि बगैर ज़मीदारों की रज़ामंदी से उन की ज़मीन दे दी जाए।

मुख्य मंत्री : सब लोग रज़ामंदी दे ही देते हैं। अगर कोई न रज़ामंद हो तो हम उस को मना लेते हैं।

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ as a class ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ certain professions ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ as a class ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗਾਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਕੋਈ ਐਸੇ rules ਹਨ, ਜਾਂ consolidation officers ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ instructions ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਜਗਾਹ ਨੂੰ sufficient ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਿਤਨੀ ਜਗਾਹ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ consolidation operations ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ appeal ਕਰਨ ਦਾ ਹਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ?

Mr. Speaker : This question does not arise.

पण्डित श्री राम शर्मा : मैं पूछना चाहता हूं कि Government ने जो हिदायत Consolidation Officers को दी हुई हैं उन में यह भी एक हिदायत है कि अगर गांव वाले रज़ामंदी न दें तो तब भी हरिजनों को ज़मीन दी जाए ?

मुख्य मंत्री : शर्मा साहिब हम उन को रज़ामंद करवा लेते हैं। हम उन को realise करवाते हैं कि भाई इस में गांव का भला है, हरिजनों ने भी तुम्हारे साथ ही रहना है। इस तरह से वह लोग मान जाते है।

श्री रूप सिंह फूल : क्या Government के पास कोई ऐसा case आया है जहां पर अफसरान ने हिदायत के मुताबिक अमल न किया हो ?

मुख्य मन्त्री : ऐसे तो शिकायतें आती ही रहती हैं और उन की पड़ताल कर ली जाती है।

श्री रूप सिंह फूल : अगर किसी गांव के हरिजन aggrieved feel करें तो क्या वे आप के पास appeal कर सकते हैं ?

मुख्य मन्त्री : क्यों नहीं।

श्री कर्म चन्द सिंधू : सरकार ने हरिजनों को special रियायत देने के लिए जो चिट्ठी लिखी है उस के मुतल्लिक जब Consolidation Officers को पूछा जाता है तो वह कहते हैं कि इस का अभी notification जारी नहीं हुआ और जब तक notification न हो उतनी देर तक action नहीं लिया जा सकता। क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि इस का क्या मतलब है ?

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ। ਤੁਸੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ।

पण्डित श्री राम शर्मा : मुख्य मंत्री जी ने बताया था कि वह किसी न किसी तरीके से लोगों की रज़ामंदी हासल कर लेते हैं। क्या वह बताएंगे कि अगर किसी न किसी तरीके से गांव की रज़ामंदी न हो तो उस सूरत में क्या हिदायत है।

मुख्य मन्त्री : अगर कोई ऐसा गांव होगा तो वहां हम ज़मीन acquire कर सकते हैं।

पण्डित श्री राम शर्मा : अरे यह तो आप बताएं कि किसी जगह ज़मीन acquire की भी है।

अध्यक्ष महोदय : आप को "अरे अरे" के साथ Chief Minister साहिब को नहीं बुलाना चाहिए ।

(The hon. Member should not use the words like "अरे अरे" for the Chief Minister.)

पण्डित श्री राम शर्मा : मैं जनाब यह दरियाफ्त करना चाहता हूं कि जहां पर गांव की रज़ामंदी न हो तो वहां पर अफ्सरान को क्या हिदायत है कि वह क्या करें ?

मुख्य मन्त्री : अभी तक हम ने कोई ऐसा समय नहीं आने दिया जहां पर गांव वालों ने अपनी रज़ामंदी न दी हो और आगे को भी नहीं आने देंगे ।

चौधरी सुंदर सिंह : क्या चीफ मनिस्टर साहिब बताएंगे कि जिन जिन इलाकों में consolidation हो गई है वहां पर जिन हरिजनों को मकानों की extension के लिए जगह नहीं दी गई अगर वह cases इन के notice में लाए जाएं तो उन के grievances को redress किया जाएगा ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਚੋਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ rule ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ੨ consolidation ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਉਥੇ ਅਸੀਂ ਬੇਬਸ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਥੇ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਜਗਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਹਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ deserving cases ਵਿਚ ਜਗਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ।

चौधरी सुंदर सिंह : अगर Chief Minister साहिब को convince किया जाए कि बहुत से गांव को ignore किया गया है तो आयंदा के लिए वह Consolidation Department को कोई circular हिदायतों के तौर पर जारी करने के लिए तैयार होंगे ।

मुख्य मंत्री : मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिन गांव की आप list देंगे उन में पहले ही ज़मीन दी जा चुकी होगी ।

श्री मनी राम गोदाड़ा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि Government की जो हरिजनों को ज़मीन देने की policy है वह शहरों में भी है ?

Mr. Speaker : This question does not arise.

श्री राम प्रकाश : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि Government की तरफ से कोई ऐसी चिट्ठी जारी हुई है जिस में यह लिखा हो कि सिर्फ Agricultural landless labourers को ही ज़मीन दी जाएगी ?

मुख्य मंत्री : यह रियायत सब landless poor हरिजनों के लिए है ।

श्री राम प्यारा : क्या मुख्य मंत्री साहिब बतलाएंगे कि हरिजनों को घरों के लिए जो ज़मीन दी जा रही है वह concession के तौर पर दी जा रही है या उन का human right तसलीम कर लिया गया है ?

मुख्य मंत्री : यह उस बरादरी को मदद करने के ख्याल से सब कुछ किया जा रहा है । इस में human rights का सवाल पैदा नहीं होता ।

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ consolidation operations ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

Mr. Speaker : This is a hypothetical question. It does not arise.

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. जनाब स्पीकर साहिब, मेरा यह फर्ज है कि मैं आप की तरफ देखता रहूं लेकिन आप अगर मेरी तरफ न देखें तो मैं क्या करूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप तो मुझे अकेले को देखते हैं लेकिन मुझे बहुत से members को देखना पड़ता है । (The hon. Member is seeing only myself but I have to keep an eye on so many members.)

पंडित श्री राम शर्मा : मुख्य मंत्री साहिब ने फरमाया था कि हिदायतें जारी होने से पहले जो हो गया वह हो गया । मैं पूछना चाहता हूं कि हिदायतें जारी होने के बाद जिन गांव में लोगों ने ज़मीन देने के लिए रज़ामंदी न दी गई हो और वहां पर consolidation हो गई हो तो उस सूरत मे क्या किया जाएगा ?

मुख्य मंत्री : अगर कोई ऐसा case हो, तो उस गांव की consolidation को cancel करना पड़ता है और नए सिरे से सारा खर्च और काम करना पड़ता है ।

ਸ੍ਰੀ ਕਰਮ ਚੰਦ ਸਿਧੂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ.......

Chief Minister : The hon. Member seems to be ill informed,

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਸਣਗੇ ਕਿ consolidation operations ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ......

Mr. Speaker : This is a hypothetical question.

ALLEGATION AGAINST S. O. (CONSOLIDATION)

*1587. **Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Consolidation and Health be pleased to state:—

(a) whether he received any letter from one Shri Shri Ram Bansal of village Harigarh, District Sangrur, containing some allegations against the settlement officer (Consolidation); if so, when;

[Pandit Ram Kishan Bharolian]

(b) the main allegations mentioned in the letter referred to in part (a) above;

(c) whether any enquiry has been held in the matter; if so, with what result; if not, what other action has been taken ?

Chaudhri Suraj Mal : (a) First part—Yes.

Second part—Middle of January, 1958.

(b) Corruption.

(c) The letter is receiving the attention of Government.

CONSOLIDATION OPERATIONS IN BHOLATH CIRCLE OF DISTRICT KAPURTHALA

***1767. Bawa Harnam Singh :** Will the Minister for Consolidation and Health be pleased to state:—

(a) the date when work connected with the consolidation of holdings commenced in the Bholath circle of district Kapurthala together with the date when it is likely to be finalised;

(b) the number and the names of the villages brought under the consolidation operations referred to above ;

(c) the names and the number of villages where the work in connection with consolidation of holdings has been finalised in the circle referred to in part (a) above ;

(d) the total amount of the expenses incurred and of the consolidation fees, if any, realised from the villages referred to in part (b) above;

(e) whether the consolidation work in the villages of Bakarpore, Maqsud pore, Raipur Pir Bux, Bassi, Awan, in the circle mentioned in part (a) above has already begun; if so, the date, when the work started in each case;

(f) whether the consolidation work has also started in tahsil Sultanpur district Kapurthala; if so, when ?

Chaudhri Suraj Mal : (a) First part—In November, 1954.

Second part—Not possible to give exact date.

(b) A list has been laid on the table.

(c) A list has been laid on the table.

(d) First part—The budget is not sanctioned circle-wise. Hence it is not possible to furnish information regarding expenditure incurred exclusively for Bholath circle.

Second part—Consolidation fee realised is Rs 1,30,291/4/0.

(e) First part—Yes.

Second part—The date of starting work in each village is given below:—

1. Bakarpur .. 11th January, 1955
2. Maqsudpur .. 1st January, 1955
3. Raipur Pir Bux .. Ditto
4. Bassi .. 24th January, 1955
5. Awan .. 1st January, 1955.

(f) First part—Yes.

Second part—In November, 1957

List showing the names and number of villages where consolidation work has been finalised in Circle Bholath referred to in reply to part (c) of Assembly Question 1767* asked by Bawa Harnam Singh, M. L. A., regarding Consolidation operations in Bholath circle of district Kapurthala.

1. Bhatnura Kalan.
2. Jhal Bajaj
3. Akala
4. Sidhwan
5. Mitla Kherabad.
6. Salamatpur
7. Kamrai.
8. Surk.
9. Shadipur.
10. Mahamadpur.
11. Singhwala.
12. Miran Pur.
13. Moosa Khel.
14. Rajpur.
15 Nihalgarh.
16. Jag.
17. Bahlolpur.
18. Mand Islampur.
19. Mand Gurdaspur.
20. Mand Miani Bhagupurian.
21 . Mandi Road.
22' Rawan.
23. Mand Rawan.
24. Dhakran.
25. Mand Dhakran.
26. Mand Kamalpur.
27. Kamalpur.
28. Habibwal.
29. Nadali.
30. Awan.
31. Kaluwal.
32. Isab Bucha.
33' Innowal.
34. Jabowal.
35. Sarupwal.
36. Feroze Sangowal.
37. Chak Purana.
38. Daulowal.
39. Chak Deon.
40. Akbarpur.
41. Mand Kulla.
42. Mandi Mand Kulla.
43. Bakarpur.
44. Saitpur.
45. Bulewal.
46 Dhabulian.
47. Talwara.
48. Mand Hussainpur.
49. Ghazi Gudana.
50. Mangwal.
51. Shah Pur Piran.
52 Mughal Chak.
53. Jai Ram Pur.
54. Mansoorwal.
55. Tajpur.
56. Kotli.
57. Sangrai.
58. Ghuliwal.
59. Muzaffarpur.
60. Sangowal.
61. Gudani.
62. Pakhuwal.
63. Hassuwal.
64. Talwandi Kuka.
65. Mand Talwandi Kuka.
66. Bil Pur.
67. Chak Shak Akala.
68. Chak Shah Alladina
69. Haibatpur.

[Minister for Consolidation and Health]

List showing the names and number of villages where Consolidation of Holdings Work in Bholath Circle is in progress mentioned in reply to part (b) of Assembly question No.1767* asked by Bawa Harnam Singh M.L.A., regarding consolidation operations in Bholath Circle of district Kapurthala.

1. Jaid.
2. Bassi.
3. Lamman.
4. Bhatnura. Kalan
5. Bhatnura Khurd.
6. Bholath Gharbi.
7. Bholath Sharqi.
8. Melta Kherabad.
9. Kamrai.
10. Salamat Pur.
11. Rajpur.
12. Ramgarh.
13. Sidhwan.
14. Akala.
15. Bagwan Pur.
16. Karnail Ganj.
17. Jhal Bajaj.
18. Lit.
19. Shadipur.
20. Surk.
21. Mehmadpur.
22. Musa Khel.
23. Khassan.
24. Meeranpur.
25. Sher Singhwala.
26. Chak Chaha Kala.
27. Mand Rawan.
28. Pakhuwal.
29. Chak Shah Alladin.
30. Hassuwal.
31. Mand Dhakran.
32. Rawan.
33. Mand Gurdaspur.
34. Jag.
35. Behlolpur.
36. Bill pur.
37. Talwandi Kuka.
38. Mand Talwandi Kuka.
39. Nihal Garh.
40. Mand Miani Bhagupurian.
41. Mand Aslam Pur.
42. Mudowal.
43. Bamowal.
44. Mirsapur.
45. Daudpur.
46. Mand Talwandi Kuka.
47. Nadala.
48. Ibrahimwal. Tarf Arshad Khan.
49. Ibrahimwal Tarf Ghulam Nabi Khan
50. Chugawan.
51. Habibwal.
52. Raifrur Raian.
53. Mand Raipur Raian.
54. Mand Ibrahimwal Tarf Arshad an
55. Mand Ibrahimwal Tarf Ghulam Nabi Khan.
56. Dhakran.
57. Mand Kamal Pur.
58. Maqsoodpur.
59. Raipur Pir Bax Wala.
60. Nangal Lubana.
61. Mand Nangal Lubana.
62. Mandi Road.
63. Begowal.
64. hadas.
65. Nadali.
66. Kaluwal.
67. Isab-Bucha.
68. Jabowal.
69. Awan.
70. Naurangpur.
71. Innowal.
72. Sarupwal.
73. Akbarpur.
74. Chak Dome.
75. Mubarik Pur.
76. Feroze Sangowal.
77. Balo Chak.
78. Chak Some.
79. Mand Hussainpur.
80. Mandi Mand Kulla.
81. Mand Kulla.
82. Hussainpur.
83. Fatehgarh Sikri.
84. Chak Purana.
85. Dauluwal.
86. Talwara.
87. Sait Pur.
88. Talwandi Purdal.
89. Bulewal.
90. Dhabulian.
91. Bakarpur.
92. Ghazi Gudana.
93. Mangwal.
94. Shah Pur Piran.
95. Mughal Chak.
96. Jai Ram Pur.
97. Mansoorwal.
98. Tajpur.
99. Kotli.
100. Sangrai.
101. Kuluwal.
102. Haibatpur.
103. Muzaffarpur.
104. Sangowal.
105. Chakoki.
106. Gudani.
107. Mand Dhilwan.
108. Ramidi.
109. Lakhan Ke Padde.
110. Dhilwan.
111. Mand Chakoki.

ਬਾਵਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ consolidation ਹੋ. ਜਾਵੇਗੀ?

चक बंदी तथा स्वास्थ्य मंत्री : जी हां इस का अन्दाजा भी लगाया ही जाता है ।

GRANT OF LOAN TO RAMGARHIA SPORTS INDUSTRIAL CO-OPERATIVE SOCIETY, LTD., BARIDPUR, DISTRICT KAPURTHALA

***1247. Sardar Atma Singh :** Will the Minister for Consolidation and Health be pleased to state:—

(a) whether any loan was advanced to the Ramgarhia Sports Industrial Co-operative Society, Ltd., Baridpur, District Kapurthala ; if so, when and the amount thereof;

(b) whether any recovery has been made according to the terms of the loan, if not, the reasons therefor and the steps, if any, now being taken for its recovery?

Chaudhri Suraj Mal : (a) Yes. A loan of Rs 2,000 was advanced by Kapurthala Central Co-operative Bank Ltd., Kapurthala on 30th September, 1954.

(b) Yes. Rs 298 have so far been recovered. Steps are being taken by the Bank for starting recovery proceedings against the Society.

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਜ ਤਕ due ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ instalment ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ?

मंत्री : मैं ने अभी बता तो दिया है कि 2 हज़ार रुपया था और उस में से 298 रुपए वसूल हो चुके हैं । बाकी हिसाब अब आप लगा लें कि कितना बाकी रहता है ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि क्या इस society का दीवाला निकल चुका है जो अब recovery proceedings तक नौबत आ गई है ? (हंसी)

मंत्री : इस के लिए notice की ज़रूरत है पंडित जी । (हंसी)

COMPLAINT BY NAGAR PANCHAYAT OF VILLAGE BHAI RUPA, DISTRICT BHATINDA

***1588. Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Consolidation and Health be pleased to state whether Government received any complaint from the Nagar Panchayat village Bhai Roopa (Bhatinda District against the Compounder in the local Hospital? If so, the action, if any, taken or proposed to be taken thereon ?

Chaudhri Suraj Mal : No.

VACCINATORS

***1763. Shri Ram Piara:** Will the Minister for Consolidation and Health be pleased to state:—

(a) the total number of vaccinators in the state together with their scales of pay;

[Shri Ram Piara]

(b) the minimum qualifications required for employment as a vaccinators?

Chaudhri Suraj Mal : (a) The total number of vaccinators in Government Service in the State is 116. This, however, does not include the number of vaccinators in the employment of Local Bodies.

Their pay scale is Rs 47½—2—67½ besides fixed Travelling Allowance Rs 10 per mensem in plains and Rs 15 per mensem in hilly areas and Mohindergarh District.

(b) Matriculate with three months training as vaccinators at the Hygeine and Vaccination Institute, Amritsar.

RE-ARREST OF SAVE HINDI MOVEMENT SATYAGRAHIS AFTER THEIR RELEASE

***1656. Pandit Shri Ram Sharma.** Will the Chief Minister be pleased to state whether any save Hindi Movement Satyagrahis were re-arrested in the state after they had been released (i) on the recommendations of the advisory Board (ii) under the ruling of the Supreme Court; (iii) on appeal (iv) in the first court of Law; if so, their names together with their addresses?

Sardar Partap Singh Kairon : Yes. A statement is laid on the table.

Statement showing number of H.R.S. agitators re-arrested unber the substantive law after they had been released (i) from detention on the recommendation of the Advisory Board (ii) under the ruling of the Supreme Court, (iii) on appeal or (iv) in the first court of law

(i) Released from detention on the recommendation of the Advisory Board and re-arrested under other provisions of law for commiting substantive offences.—

1. Shri Kok Chand Shastri, son of Shri Rishi Ram, Hissar.
2. Shri Sita Ram Bedhanak, Chela Swami Atmanand, Hissar.
3. Shri Parkash Chand, son of Shri Shankar Lal, Hissar.
4. Shri Hukam Chand, son of Shri Sadhu Ram, Hissar.
5. Shri Arjan Dev, son of Shri Ladha Ram, Hissar.
6. Shri Multan Singh, son of Jaibir Singh, Hansi.
7. Shri Ram Dhari Gaur of Gohana.
8. Prof. N. D. Grover of D. A. V. College, Ambala.
9. Shri Sohan Lal Chutani, son of Wadhawa Ram, Ambala Cantt.
10. Shri Birbal, son ot Jagan Nath of Kachha Bazar, Ambala Cantt.
11. Shri Suresh Kumar, son of Shri Atma Ram of Ludhiana City.
12. Shri Sudarshan Kumar, son of Shri Banarsi Dass of Ludhiana City.
13. Shri Kishori Lal, son of Shri Tulsi Ram of Ludhiana City.
14. Shri Ram Saran Das, son of Shri Tulsi Ram of Ludhiana City.
15. Shri Dharam Singh, son of Shri Ramji Lal of Diwana, police station Samalkha.
16. Shri Ram Gopal, son of Shugan Chand of Panipat.
17. Shri Yogeshwar Chander, son of Shri Kalka Parshad of Panipat.
18. Shri Ram Lal, son of Shri Ganesh Das of Qalander Gate, Karnal.
19. Shri Ratti Ram, son of Shri Ramji Lal, Sarafa Bazar, Karnal.
20. Shri Vijay Singh, son of Shri Dalip Singh, Mithan Mohalla, Karnal.
21. Shri Baru Ram, son of Shri Hirdey Ram of Kathana, police station, Rajaund.
22. Principal Mela Ram, son of Shri Tulsi Dass of Model Town, Karnal.
23. Shri Jagdish Mitter, son of Shri Vas Deo of Nurwala, police station Panipat.
24. Swami Bhisham Chela Swami Rameshwaranand of Gharaunda.

25. Shri Balbir Singh, son of Nawal Singh of Poosgarh, police station Sadar, Karnal
26. Shri Arjan Das, son of Shri Ladha Ram, Sarafa Bazar, Karnal.
27. Shri Mam Chand, son of Shri Kanshi Ram, Nai Anaj Mandi, Karnal.

(*ii*) *Released under the ruling of Supreme Court.—Nil.*

(*iii*) *Released on appeal.—Nil.*

(*iv*) *Released in the first court of law and re-arrested for committing substantive offences.—*

1. Shri Ram Parkash Bedi, son of Shri Juma Ram, Hissar.
2. Shri Phul Chand, son of Shri Faqir Chand, Bhiwani.
3. Shri Tek Chand, son of Shri Dhalu Ram, Bhiwani.
4. Shri Abhimannue, son of Shri Terimakroo, Dhariwai, (Bombay).
5. Shri Shambhu Dayal, son of Shri Bhiwani Parshad of Kishangarh Balawas, police station Sadar Rewari.
6. Shri Shiv Dutt, son of Shri Bhola Ram of Khalilpur, police station Jatusana.
7. Shri Dharampal, son of Shri Gulzari Lal of Nawangarh, police station Pataudi.
8. Shri Mool Chand, son of Shri Ram Lall of Modipur, police station Jatusana.
9. Shri Bharat Singh, son of Shri Budh Ram of Buria Kamalpur, police station Rewari.
10. Shri Baldauwaker Hans, son of Shri Amar Nath of Hodal.
11. Kumari Jagtawali, daughter of Thakar Dass , Hoshiarpur City.
12. Smt. Subhadra Devi, w/o Shri Ram Dass, Jullundur City.
13. Smt. Kamla Devi, w/o Shri Lall Chand of Jammu City.
14. Smt. Bhati Devi, w/o Shri Bhagat Ram of Jammu City.
15. Smt. Vidya Wati, w/o Barkat Ram of Jammu City.
16. Smt. Ram Piari, w/o Shri Ram Bheja.
17. Smt. Parbati, w/o Tulsi Ram.
18. Smt. Cham Devi, w/o Shri Kirpa Ram of Jammu City.
19. Smt. Maya Devi, w/o D. N. Tewari of Hoshiarpur City.
20. Kumari Shanti Devi, daughter of Shri Amar Nath of Hoshiarpur City.
21. Shri Romesh Kumar, son of Shri Chiman Lall of Jullundur City.
22. Shri Narinder Kumar, son of Shri Gurdas Ram of Jullundur City.
23. Shri Suresh Chander. son of Shri Hardwari Lall, Bombay.
24. Shri Madan Lall, son of Shri Jagat Ram of Jullundur City.
25. Shri Mahender Singh, son of Shri Ranjit Singh of Badana, district Hissar.
26. Shri Sat Dev, son of Shri Bhim Singh of Nari, police station Rai, district Rohtak
27. Shri Prem Nath, son of Shri Multan Ram of Jullundur City.
28. Shri Bhagat Ram, son of Shri Brij Lal of Amb, district Hoshiarpur.
29. Shri Om Parkash, son of Shri Lall Chand of Jullundur City.
30. Shri Des Raj, son of Shri Hukam Chand of Jullundur City.
31. Shri Nanak Chand, son of Shri Labhu Ram of Kartarpur , district Jullundur.
32. Shri Prem Nath, son of Shri Hukam Chand of Delhi.
33. Shri Raj Kumar, son of Shri Karam Chand of Ludhiana.
34. Shri Sham Lal, son of Shri Hans Raj of Jullundur City.
35. Shri Fateh Singh, son of Shri Man Singh of Badana, District Hissar.
36. Shri Dharam Singh, son of Shri Chajju Ram of Hissar.
37. Shri Dhup Singh, son of Shri Diwan Singh of Badana, district Hissar.
38. Shri Bharat Singh, son of Shri Munshi Ram of Badana, district Hissar.
39. Shri Duni Chand, son of Shri Chajju Ram of Harpur, district Gurgaon.
40. Smt. Ram Kali, w/o Shri Tirlok Chand.
41. Shri Mohinder Partap, son of Shiv Narain of Kharakpur, district Madnapur, West Bengal.
42. Shri Balbir Singh, son of Shri Tulsi Singh Murna, police station Nurpur, distric Bijnaur.
43. Shri Dal Chand, son of Shri Ram Singh of Pasia, police station Matoo, district Bijnaur.
44. Shri Budh Singh, son of Shri Niadar Singh of Sheikhupur Turk, police station Nagina, district Bijnaur.
45. Shri Parvin Kumar, son of Shri Misri Singh of Matora, police station Dhampur, district Bijnaur.
46. Shri Ram Saran, son of Mukhtiar of Kishanpur Brar, police station Chapproti, district Meerut.
47. Shri Lekh Raj, son of Shri Lehna Ram of Lyallpur Basti, Thanesar.

[Chief Minister]

48. Shri Babu Lal, son of Shri Prag Dass of Mangoli, district Goona (Madhya Pradesh).
49. Swami Sarupa Nand Chela Swami Brahma Nand of Badaion (Uttar Pradesh).
50. Shri Kishan Chander, son of Shri Gulzari Lal of Jahanabad, district Phillibhit (Uttar Pradesh).
51. Shri Sohan Lal, son of Shri Harbhajan of Amn-khera, police station Nan-Jheel district Mathura.
52. Shri Nawal Kishore, son of Shri Chittar Mal of Magora. district Mathura.
53. Shri Badan Singh, son of Het Ram of Maloko, police station Schopa, district Mathura.
54 Shri Nand Lal, son of Jesa Ram of Biana, district Bharatpur.
55. Shri Dharam Dev, son of Shri Sher Singh of Hardewa Ganj, district Aligarh.
56. Swami Satya Nand, Chela Swami Atma Nand of Ballabgarh. district Bharatpur.
57. Brahamchari Om Dutt, Chela Swami Satyanand of Ballabgarh, district Bharatpur
58. Shri Bhajna Nand, Chela Swami Bertanand of Nithar, district Bharatpur.
59. Shri Dev Dutt, son of Shri Nihal Chand of Gharaunda, district Karnal.
60. Shri Bhura Ram, son of Shri Baru Ram of Songal, police station Poundari, district Karnal.
61. Shri Mohan Singh, son of Shri Singh Ram of Gogsina, police station Gharaunda district Karnal.
62. Shri Kehar Singh, son of Shri Hakam of Ladpur Kanjola, police station Nangoli (Delhi).

पंडित श्री राम शर्मा : इन के Advisory Board ने जो 27 आदमी छोड़े उन में से हिन्दी रिजन के 23 आदमी दुबारा पकड़ लिए गए और बाकी के चार पंजाबी रिजन के पकड़े और अकेले करनाल ज़िला से 13 आदमी पकड़े गए तो यह जो इस तरह की odd figures उन्हों ने दी हैं क्या इनकी वजूहात बताई जा सकती हैं ?

मुख्य मंत्री : हिन्दी रिजन के जो हैं उन्होंने कोई substantial कसूर किया होगा इस लिए पकड़े गए। पंजाबी रिजन वाले भी अगर करते तो उनको भी पकड़ लेते ।

पंडित श्री राम शर्मा : तो क्या इस तमाम movement का अन्दाज़ा यह रहा है कि इसी proportion से हिन्दी और पंजाबी रिजनज़ में यह movement चली है ?

मुख्य मंत्री : यह तो आप खुद ही समझ सकते हैं । (हंसी)

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं मुख्य मंत्री जी से दरियाफत कर सकता हूं कि करनाल ज़िला से जो एकदम 13 आदमी पकड़े गए तो यह किस सिलसिले में पकड़े गए और किस दफा के तहत पकड़े गए ?

मुख्य मंत्री : इस के लिए notice चाहिए फिर आपको दफा भी बताएंगे कि कैसे पकड़े गए ।

POLICE OFFICIALS INJURED DURING SAVE HINDI MOVEMENT

***1736. Sardar Dhanna Singh Gulshan :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any police officials received injuries at the hands of persons connected with the 'Hindi Raksha Samiti' agitation in the State, if so, where ;

(b) the total expenditure incurred by Government in connection with the aforesaid agitation ;

(c) the number of 'Satyagrahis' of the said Movement who on tendering apologies where released ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Yes. Rohtak/62, Karnal/1, Ambala-Chandigarh/53, Ferozepore/3, Amritsar/3 Jullundur/1. Total 123

(b) Rs 228854-34 by the Police Department and Rs 569079 by the Jails—Department.

(c) 1041

श्री राम प्यारा : On a point of order, Sir, क्या किसी मैंम्बर साहिब को इस हाउस में सोने की इजाज़त है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या बात है ? (What is the matter ?)

एक आवाज़ : जनाब चौधरी सुमेर सिंह मज़े से हाउस में सो रहे हैं। (हंसी)

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, snoring is not permissible but so long as the sleep does not disturb the proceedings of the House it is all right.............(noise).

पंडित श्री राम शर्मा : यहां 'C' part में जो figures दी गई है मैं उनके बारे पूछना चाहता हूं कि क्या यह सब magistrate के सामने पेश हो कर release हुए और उसके बाद figures लीं या इस के इलावा और भी हैं ?

मुख्य मंत्री : यह पूछ कर बतला सकते हैं इस वक्त नहीं।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ police officers ਨੂੰ ਚੋਟਾਂ ਲਗੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ compensation ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਸਵਾਲ ਅਲਗ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

पंडित श्री राम शर्मा : जो पब्लिक के आदमियों को चोटें लगीं क्या उन को भी यह compensation मिलेगी ?

मुख्य मंत्री : वह भी देख लें गे।

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या माननीय मुख्य मन्त्री बताएंगे कि क्या ऐसे केसिज़ भी हैं जिन में सजा नहीं हुई और अभी मामला चल रहा है ?

Chief Minister : Yes.

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या बतलाया जा सकता है कितने हैं ?

मुख्य मंत्री : अलग सवाल करें। जरूर बतलाया जायेगा।

DESECRATION OF GURDWARAS

*1738. **Sardar Dhanna Singh Gulshan :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any cases of alleged desecration of holy Gurdawaras and Guru Granth Sahib in the State have been traced out by the Police ; if so, their number together with the number of persons convicted and the nature of punishment awarded in each case ?

Sardar Partap Singh Kairon :, Yes. One case. One accused was sentenced to 4 months Rigorous Imprisonment.

Shri Rup Singh Phul : I request the hon. Speaker to direct that answer to question No. *1449 be given.

अध्यक्ष महोदय : क्या आप duly authorise किए गए हैं ? (Are you duly authorised?)

पण्डित श्री राम शर्मा : On a point of order. रूल्ज़ में जब यह provide कर दिया है कि question करते वक्त दूसरे मेम्बर 'on his behalf' कर सकते हैं, जब तक रूल्ज़ बाकायदा तौर पर नहीं बदलते तब तक इस की इजाज़त होनी चाहिए ।

Shri Rup Singh Phul : I have not been authorised. But it is my right. Any Member can request the hon. Speaker to direct that answer to a question which has not been put be given. In this connection I invite your attention to Rule 52(3) which says that if on a question being called it is not put or the Member in whose name it stands is absent and no one has been authorised by him to put it, the Speaker at the request of any Member may direct that the answer to it be given. So, the hon. Speaker has got discretionary powers. He can direct that answer to a question, not put by the Member in whose name it stands, be given if any other Member makes a request to that effect.

अध्यक्ष महोदय : कवायद तो बने हुए हैं, strictly अमल नहीं होता था। (The rules have been duly framed but these are not strictly observed.)

This is my interpretation. We follow the practice which is obtaining in the Lok Sabha. The reply is, however, laid on the Table.

Reply laid on the Table.

PROSECUTION OF EDITORS OF NEWS PAPERS

*1449. **Shri Ram Chandra Comrade :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any fresh prosecution of any Newspaper Editor in the State has been ordered after the withdrawal of the Hindi Satyagrah Movement in the State ?

Sardar Partap Singh Kairon : No fresh prosecution has been ordered in connection with the movement after its suspension.

DECLARATION OF 'RIVER BET AREA' IN TEHSIL DASUYA, DISTRICT HOSHIARPUR, AS BACKWARD AREA

*1771. **Bawa Harnam Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of State Government to declare 'River Bet Area' in ehsil dasuya, district Hoshiarpur as a backward area if so, the time by which it is likely to be declared as such.?

Sardar Partap Singh Kairon : No. The bet areas of Sutlej in the district of Hoshiarpur have, already been declared as backward areas in the State.

INTEGRATION OF SERVICES IN THE EDUCATION DEPARTMENT

*1775. **Sardar Ram Dayal Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the composition of the Integration Council established for the integration of the erstwhile Punjab and Pepsu Services ;

(b) the changes, if any, made in its personnel from time to time ;

(c) the number of meetings held by the said Council in 1957 to consider matters arising out of the integration of the services of the Education Department ;

(d) whether the representatives of various associations connected with educational services consulted before arriving at any decision in regard to the integration of the Educational Services ;

(e) whether it is a fact that the last meeting of the Integration Council for integration of the College Cadres was held on 5th September, 1957 and that the Chairman of the said Council announced that he would give his decision within a week ;

(f) if the answer to part (e) above be in the affirmative whether any decision has been taken ; if so, what ;

(g) whether the decision referred to in part (f) above has been communicated to the Head of Education Department and implemented ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) The Chief Minister, Punjab.

The Planning and Community Minister (Dr. Gopi Chand Bhargawa).

The Irrigation and Power Minister. (S. Gian Singh Rarewala).

The Consolidation and Health Minister . (Ch. Suraj Mal).

In addition Shri Brish Bhan also participates in the meetings of the Integration Council.

(b) The composition of the Integration Council has been as follows—

(i) From 9th May, 1956 to 31st October, 1956.
The Chief Minister , Punjab and
The Chief Minister, Pepsu,

[Chief Minister]

(ii) From 1st November, 1956 to 8th April, 1957.—

The Chief Minister, Punjab and

The Planning and Community Minister (Shri Brish Bhan).

(iii) From 9th April, 1957 to 10th October, 1957.—

The Chief Minister, Punjab.

(iv) From 11th October, 1957 as at (a) above.

(c) Eight.

(d) Yes.

(e) Yes. The decision was taken the same day.

(f) The Joint Seniority List of P. E. S. II and III (College Cadre) was finalised.

(g) No. Some further points have since arisen, which are under consideration.

पण्डित श्री राम शर्मा : मिनिस्टर साहिब ने जो जवाब दिया है उसके पार्ट (ई) में लिखा है The decision within a week. यह किस बात के मुताल्लिक decision है।

Chief Minister : The decision was taken the same day.

पण्डित श्री राम शर्मा : यह decision किस बात के बारे में है?

Chief Minister : It is regarding the seniority list of Officers belonging to the Punjab Educational Service, Class II and Class III.

OPENING OF NEW BLOCKS IN THE STATE

***1405. Shri Rup Singh Phul** : Will the Minister for Planning and Community Projects be pleased to state—

(a) the tehsil-wise number of new Blocks expected to be opened in the State during the period from April, 1958 to october, 1958 ;

(b) whether Government have decided to select any Block Development Officers for appointment as Headquarters-cum- District Development Officers in the grade and rank of Extra Assistant Commissioners, if so the criteria, if any, fixed for such selection?

Dr. Gopi Chand Bhargawa : (a) The selection of blocks to be started during the year 1958-59 has been not made so far. It is therefore, not possible to give tehsilwise detail of the blocks to be started ;

(b) No such decision has yet been taken by Government.

श्री रूप सिंह फूल : जहां तक पार्ट (b) का ताल्लुक है यह कब तक decision हो जायगा।

Minister : As early as possible.

Shri Rup Singh Phul : May I know whether that will be done within the two months ?

Minister : As early as possible.

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या as early as possible में एक साल भी हो सकता है ?

मंत्री : मैं, ने आनरेबल लीडर को बताया है कि पहली अप्रैल से शुरु होना है तो इस के मायने यह हैं कि उस से पहले सिलेक्शन हो जायगा।

Sardar Bhupinder Singh Mann : May I know what are the criteria for selecting he areas for opening new blocks ?

Mr. Speaker : This question has been answered a number of times in this House.

N. E. S. BLOCKS

*1770. **Bawa Harnam Singh** : Will the Minister for Planning and Community Projects be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to open any National Extension Service Block in the State during the year 1958, if so, their number ;

(b) whether Dasuya in District Hoshiarpur is also one of the places proposed to be selected for the purpose ?

Dr. Gopi Chand Bhargawa : Yes. The State Government propose to open a number of new N. E, S. Blocks during the year 1958. The number of blocks to be actually allotted to the State is still under the consideration of the Government of India and is not known.

(b) Yes.

पंडित राम किशन भड़ोलियां : जिस वक्त एक बलाक की मियाद खत्म हो जाती है और पहला बलाक खत्म हो जाता है तो क्या पहले का प्रोजैक्टर दूसरे में चला जाता है या वहीं रह जाता है।

श्री राम प्यारा : वजीर साहिब ने 1415 के जवाब म फरमाया है कि अभी फैसला नहीं हुआ। अब पार्ट बी में बताया है कि खोला जायगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह पहली बात ठीक है या दूसरी ?

Mr. Speaker : That was about Block Development Officer.

Sardar Bhupinder Singh Mann : May I know whether there are any tentative areas under the consideration of the Government for the opening of N. E. S. Blocks ?

मंत्री : मैं ने अर्ज किया कि जिस वक्त proposal आयेगा उस वक्त देख लेंगे। अभी मेरे पास proposal नहीं आई।

Sardar Bhupinder Singh Mann : The proposal is regarding the number of N. E. S. Blocks to be opened. I want to know whether there are any tentative areas under the consideration of the Government for the opening of N. E. S. Blocks.

मंत्री : कुल 228 खुलने हैं जिन में से 120 खुल चुके हैं 108 बाकी हैं। जिस area को बेहतर समझा जायगा उसमें खोलेंगे।

Mr. Speaker : The question Hour is over now.

3-0 p.m.

SUSPENSION OF RULE 30

TRANSACTION OF GOVERNMENT BUSINESS ON THURSDAY, THE 13TH MARCH, 1958

Minister for Finance (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move—

> That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly be suspended and Government business transacted on Thursday the 13th March, 1958.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly be suspended and Government business transacted on Thursday the 13th March, 1958.

पण्डित श्री राम शर्मा (सोनीपत) : स्पीकर साहिब, मैं इस की मुखालिफत करता हूं महज इस बिना पर कि non-official day को official बनाने में opposition को बिल्कुल consult नहीं किया गया। इस तरह की conventions को गवर्नमेंट को नहीं तोड़ना चाहिये क्योंकि non-official Bills इसी रोज पेश किये जा सकते हैं।

मुख्य मंत्री : मैं opposition को यकीन दिलाता हूं कि आयंदा जरूर पूछ लिया जायगा। Opposition के लीडर मौजूद नहीं थे इसलिये न पूछा गया। आयंदा जरूर पूछ लिया जायेगा।

Mr. Speaker : Question is—

> That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly be suspended and Government business transacted on Thursday the 13th March, 1958.

The motion was carried.

RESUMPTION OF GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET

अध्यक्ष महोदय : आप से अर्ज करना चाहता हूं कि budget discussion के दो दिन बाकी रह गये हैं इसलिये वक्त की पाबन्दी का ख्याल रखना मेरे लिये

जरूरी होगा। इन हालात में बेहतर होगा कि party leaders मुझे ऐसे मैम्बरों की list दे दिया करें जो बोलना चाहते हैं। जब मैम्बर साहिबान Congress Benches की तरफ से और opposition की तरफ से खड़े हो जाते हैं तो मेरे लिए हाऊस का काम चलाने में मुश्किल पेश आ जाती है। मैं चीफ मिनिस्टर साहिब का मश्कूर हूं कि उन्होंने list भेजने के मुतअल्लिक agree कर लिया है। आप भी विचार करें जैसा कि adjournment motion का नोटिस बैठक शुरु होने से 1½ घंटा पहले आना जरूरी होता है। इसी तरह से amendments होते हैं short notice questions का rush होता है जो कि मैंने study करने होते हैं तो बहुत मुश्किल दरपेश आती है।

दूसरी बात यह है कि मैम्बर साहिबान में Speaker's Gallery के इस्तेमाल के मुतअल्लिक कुछ गलत फहमी पाई जाती है। मैं उन्हें वजिह कर देना चाहता हूं कि Speaker's Gallery आम पब्लिक के लिए नहीं और न ही मैम्बर साहिबान का कोई हक है। दूसरी States से जो guests आते हैं उन्हें इस Gallery में accommodate किया जाता है। क्योंकि इस Gallery में जगह कम होती है इस लिये मुझे मैम्बर साहिबान के guest को accommodate करना बाज औकात मुश्किल हो जाता है। इस लिये मैं मैम्बर साहिबान से request करूंगा कि वह अपने guests के लिये visitors Gallery के card issue कराया करें और कोशिश करें कि वह एक आदमी से ज्यादा न हों। वह लोक सभा की policy को strictly observe करें कि ऐसी दरखास्त एक रोज पहले दफ्तर में आ जाएं। कई दफा जब मैं हाऊस में enter होने लगता हूं तो पीछे पीछे मैम्बर साहिबान Speaker's Gallery के passes के लिये मुझे परेशान कर देते हैं। इसलिये मैं गुजारिश करूंगा कि जिन साहिबान ने अपने महमान Speaker's Gallery में बिठाने हों उन्हें काफी अरसा पहले मेरे Private Secretary को नोटिस देना चाहिये क्योंकि इस तरह से मेरे काम में बहुत मदाखलत होती है।

(I would like to submit that only two days more are left for the general discussion of the Budget and therefore, it wo ld be necessary for me to see that strict punctuality of time is observed. In these circumstances it would be better if the party leaders furnish me with the list of such members who wish to speak. When the members of the Congress Party as well as of the opposition rise at a time, it becomes difficult for me to conduct the business of the House. I am thankful to the Chief Minister that he has agreed to supply me a list of such members. It would be better if the Leader of the Opposition also considers over this matter. Just as notices of Adjournment Motions are required to be given one and a half hour before the commencement of the sitting similarly there are number of amendments and short notice questions which I have to study and thus difficulty is naturally experienced in this connection.

Secondly, I find that there is some misunderstanding in the minds of the hon. Members over the use of Speaker's Gallery. I may make it clear to them that the Speaker's Gallery is not meant for the use of general public nor have the hon. Members any right to use it. It is primarily meant to accommodate the guests coming from other States. As the accommodation

[Mr. Speaker]
in this Gallery is very limited it sometime becomes difficult for me to accommodate the guests of the hon. Members. I would, therefore, request the hon. Members to get Visitors' Gallery Cards issued for their guests and they should try that it is not for more then one person. They should strictly follow the policy obtaining in Lok Sabha and see that such an application is sent to the office at least one day earlier. Sometime it so happens that when I am about to enter the House some members follow me and put me in an awkward position by asking for the Speaker's Gallery passes. I would therefore request that those hon. Members who wish to accommodate their guests in the Speaker's Gallery may send intimation to my Private Secretary well in advance because the present practice interferes with my work considerably.)

पंडित राम किशन भड़ोलियां : स्पीकर साहिब, मैं आप से गुज़ारिश करूंगा कि अगर Treasury Benches के एक मैम्बर को बोलने का मौका मिलता है तो फिर इधर के मैम्बर को भी तकरीर करने का मौका दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। (No, no.)

कामरेड मुनी लाल (शिमला) : स्पीकर साहिब, मैं कल अर्ज़ कर रहा था कि इस सूबे की development के लिये सरकार को बहुत रुपये की ज़रूरत है। यह काम पूरा करने के लिये सरकार को चाहिए कि गरीबों पर टैक्स लगाने की बजाए income के sources को बढ़ाया जाये और फजूल खर्ची को कम करने की कोशिश की जाये। मैं इस सिलसिले में text-books की बात कर रहा था। Text-books की छपाई में 10/12 लाख रुपये की आमदन इस साल हुई है। मौजूदा हालात के मुताबिक अगर उस का इंतज़ाम ठीक ढंग से किया जाये तो वह आमदनी 50 लाख तक हो सकती है। इसे कारोबारी lines पर चलाने के लिये corporation और board का बनाना ज़रूरी है।

अब मैं Irrigation Department के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं। Irrigation Department एक आमदनी का महकमा है। जिस तरह मरकज़ी सरकार ने Railway Board बनाया है और Railway का working का एक separate budget पास होता है उसी तरह से Irrigation Department में Irrigation Board बानया जाये। सारे पंजाब में 2,79,00,000 एकड़ ज़मीन काबिले काश्त है। Second Five Year Plan के खातमे तक 1¼ करोड़ एकड़ ज़मीन को पानी लग जायेगा। यह महकमा आमदनी का ज़रिया बन सकता है अगर इसे business line पर चलाने की कोशिश की जाए। इस के अलावा वज़ीर साहिबान की दखल अंदाज़ी बंद हो जाएगी और State को फायदा पहुंचेगा। सरकार को इस तरह की आमदनियों को बढ़ाने की तरफ ध्यान देना चाहिये क्योंकि मैं देख रहा हूं कि सरकार के आमदनी के ज़राए कम होते जा रहे हैं। Excise की आमदनी पिछले साल 92 लाख थी अब इस साल 30 लाख रह गई है। लिहाज़ा मैं ने कहा था कि आमदनी के sources tap किये जाएं। एक तरफ तो हमारा सूबा मरकज़ी कर्ज़े से बुरी तरह जकड़ा हुआ है और दूसरी तरफ

public money को बेदर्दी से जाया किया जा रहा है । मिनिस्टर साहिबान की कोठियों पर बिजली और पानी के खर्च का तखमीना निकाला था जिस से साफ जाहिर है कि बड़ी बेदर्दी से public funds को जाया करते हैं । इस बजट में एक item है कि सात motor cars 22,000 रुपये फी motor car के हिसाब से खरीदना चाहते हैं दलील यह दी गई है कि हर एक car 75,000 मील सफर कर चुकी है ।

अध्यक्ष महोदय : आप ने इस demand को Supplementary Estimates में पास कर दिया है । इस item का इस बजट में कोई जिक नहीं । (The hon. Members have already passed this demand in the Supplementary Estimates. I think this item is not mentioned in this budget.

कामरेड मुनी लाल : इस में सात कारों का provision किया गया है । दूसरे राजधानी में बड़ी बेदर्दी से झील पर रुपया जाया किया जा रहा है । बेहतर होता कि लोगों के सर छुपाने के लिये मकान दिए जाते मगर सरकार इस राजधानी में एक करोड़ रुपये के लग भग झील पर खर्च कर चुकी है । तो मैं समझता हूं इसी तरह से मोती बाग की खरीद अभी कुछ अरसा के लिये रोकी जा सकती थी । लेकिन क्या मैं सरकार से यह पूछूं कि हम इस बात का ध्यान बिल्कुल नहीं रहा कि हम ने मर्कज़ी सरकार को दो अरब रुपया देना है जिसका 8·22 करोड़ 25 लाख रुपया तो सूद पड़ता है । वह नहीं दे सके । यह शानदार ठाठ है । यह बातें इस तरह की हैं जैसे हमारी सरकार अमरीका में है, जैसे हमारे वुज़रा साहिबान अमरीका में हुकूमत कर रहे हों । इस तरह की ठाठ बांध कर यह काम किये जा रहे हैं ।

माली संकट को कम करने के लिये बचत करने की कोशिश की गई थी । इस के लिए मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूं । पिछले साल हम ने एक करोड़ रुपए के करीब बचत की । लेकिन इस साल उस असूल को जारी रखने की बजाए बिल्कुल नज़रअंदाज़ कर दिया गया है । अगर उसे जारी रखा जाता तो ग़रीब लोगों पर एक करोड़ के taxes न लगते । जब लोग टैक्सों की वजह से बेचैन हो कर आवाज़ उठाते हैं तो यह कहा जाता है कि opposition के मैम्बर उन को exploit करते हैं । जब उनको अच्छी administration न मिले तो यह ज़रूरी बात है कि वे आवाज उठाएं । आज थोड़े से काम को करवाने के लिए, जो district level पर होना है, उन्हें यहां चंडीगढ़ आना पड़ता है । Assembly के बाहर ज्यादा तर मजमा उन लोगों का है, जिन के छोटे २ काम सिफारिश के बगैर नहीं हो सकते । और उन को यहां आना पड़ता है । Administration की यह हालत है । पिछले साल Budget Session के दौरान में मैंने कहा था कि मेरे हलका में छावशा में एक school की building गिर रही है । एक साल हुआ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया । वह building गिर कर बरबाद हो गई । (घंटी)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले बोल चुके हैं। (The hon. member has already spoken about it.)

कामरेड मुनी लाल : Administration की यह हालत है कि एक एक काम काफी अरसा तक नहीं होता। स्पीकर साहिब, बाकी बातें छोड़ कर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से opposition के members के हलकों को जान बूझ कर ignore किया जाता है। यही नहीं। कल Treasury Benches के एक hon. member कहते थे कि जो मैम्बर Chief Minister साहिब की हां में हां न मिलाएं तो उन के लिए कुछ नहीं हो सकता। मैं hon. Health Minister के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस floor of the House पर गलत बयानी की गई, यह बात ठीक नहीं। Minister साहिब ने कहा था कि पटियाला के हस्पताल में एक आदमी की मौत इस लिए हुई कि दर्जा चहारम के एक मुलाज़म ने oxygen का सैलेंडर लाने में देर की। यह गलत है। एक इश्तिहार निकाल कर इस बात को challenge किया गया है। अगर यह बात गलत है तो खुली inquiry हो, यह इश्तिहार उन्हों ने निकाला। अगर हमारे वुज़रा साहिबान गलत बयानी से सरकार के मान को reduce करने के लिए इस तरह के ओछे हथियार उठाएं तो हमारे लिए शर्म की बात है। इन हालात में मैं सरकार से कहता हूं कि जहां तुम अवाम और opposition की मदद के लिए खाहिश करते हो वहां तुम्हें उन के अन्दर विश्वास पैदा करना होगा।

Shri Dev Dutt Puri (Sadhaura) : Mr. Speaker, Sir, to assess the estimates for the year that is starting in a few days I shall crave indulgence to briefly review the revised estimates in respect of the financial year that is coming to a close at the end of this month.

When the Finance Minister delivered his Budget Speech in May, last year, he proposed a tax on the export of chillies, a cess on some commercial crops, a toll on bridges and an increase in duty on motor spirit. I wish to recall, Sir, very briefly that some constitutional difficulties were pointed out in respect of the tax on export of chillies and some of us expressed ourselves very strongly in respect of the cess on some of the commercial crops and also on some of the other taxes. I am very glad, Sir, and I congratulate the Finance Minister for the responsiveness that he showed to the views expressed during the course of the general discussion on the Budget. The only tax that did find its way on the Statute Book though in a slightly modified form was the tax on the plying of mechanical vehicles on certain bridges. I will not deal with it in any detail. On the expenditure side also some of us expressed ourselves against the proposal to build a new Raj Bhawan and also to build a new Chamber of the Vidhan Sabha. I am very glad, Sir, that the proposal for the construction of Raj Bhawan has been abandoned and the proposed expenditure on the Chamber for the Vidhan Sabha has been considerably curtailed. As I said, we back benchers are most grateful to the Finance Minister. It is the true essence of the democracy that the views expressed on the floor of this House should receive the consideration at the hands of the Finance Minister.

Then as I move from the revised estimates on to the estimates for the new financial year, I shall briefly make an observation in regard to the appropriations that we made a few days ago and I allude particularly to the Moti Bagh Palace. I shall not go into this matter in great detail. A great deal has been said in respect of this deal from all sections of the House but purely from a financial stand-point I venture to suggest that it is a bad deal and I would like the Finance Minister to take the House into confidence and tell us what further financial implications this deal involves. There is the question of equipping this museum and then there is the question of furnishing some other parts of the building. I would also like the Finance Minister to tell us as to what, according to his estimate, is likely to be the annual legacy by way of repairs, depreciation and interest charges on the amount that is going to be invested. Besides the financial objection, if I may say so, I have some ethical objections against this deal. There is a talk today of the small-owner being deprived of his property in excess of one residential unit on almost expropriatary terms. We shall have a detailed submission to make when we reach there but in the context of all this it seems somewhat extraordinary that His Highness the Maharaja of Patiala should be paid Rs 30 lakhs for one of his palaces. I wish to submit that I have no grouse at all against the rehabilitation of Patiala, against expending money on building up the prestige of Patiala and its importance but I venture to suggest, Sir.

Mr. Speaker : The estimate has already been passed by the House.

Shri Dev Dutt Puri : The only suggestion that I am making is this. By all means the Government may spend Rs 30 lakhs or more for the rehabilitation of Patiala. It may start any industry, any small industry, there. We have the Khadi programme and we have the Sarvodaya programme. But I am sure the purchase of the Palace is not the way in which we can restore the importance of Patiala.

As we move on from the last year's revised estimates, we find that another feature is a very welcome addition to the State revenues made as a result of the acceptance of the recommendations of the Finance Commission by the Government of India. We are now to receive almost a crore of rupees annually more from the Central Government than we were receiving before. I do venture to express, Sir, the gratitude of this House to the Finance Commission for their having recognised our needs and we are also grateful to the Government of India for their having accepted the proposal of the Finance Commission and I also congratulate the Punjab Government for having put the case of the State so ably and effectively as to bring about the results that have been achieved.

Sir, in view of the satisfactory financial results of the past year and also this welcome addition to our revenue from the centre, one should have imagined that the tax-payer would be given some kind of respite from fresh burden of taxation. Sir, it is easy to imagine our distress and dismay when we heard the Finance Minister read paragraph 28 of the Budget Speech announcing fresh taxation to the extent of Rs 229 lakhs after absorbing the windfall that we have received from the Centre for the first time.

A great deal has been said about the tax on foodgrains with which I agree. I shall not dwell upon this at any length because the time at my disposal is very short. I wish, however, to focus the attention of the House on this new *ad-valorem* levy of Sales Tax at the rate of 2 per cent on all industrial raw materials

[Shri Dev Dutt Puri]
used by the factories in the State. Sir, we all recognise that industry alone can relieve the present almost unbearable pressure on land. We also agree that no balanced progress of the State or of the country is possible without improving the industrial production. Sir, I would very briefly enumerate the difficulties that the industry in this State is confronted with. I would like to draw your attention to the fact that the industry draws almost all the raw materials right from the other end of the country. Even coal and iron come from distant States of Bengal and Bihar. As a result of partition, we find ourselves a border State with the result that whatever we produce here in excess of the consumption of the State has to travel back east or south in order to compete with the production of such goods whose raw materials were initially procured at a lower cost than that paid by the industry of the Punjab State.

Now in this Budget there is a special levy on electricity. The levy is even stiffer in respect of industrial consumers. Besides that, there is two per cent levy on all the raw materials that the industry uses. I believe, Sir, it may actually prove to be the last straw. I seriously urge the Finance Minister with all the the emphasis at my command to drop this tax on the raw materials and, if possible, to reduce somewhat the rigour of the increased electricity charges.

Then coming to the expenditure side, the one single item that has swallowed up the increased grant-in-aid from the Centre and changed the entire budgetary outlook of the State is the provincialization of the schools which were being run hitherto by local bodies—Municipal Committees and District Boards. Providing free education is an extremely laudable objective. It is embodied in the Directive Principles of our Constitution and it would be idle to find any fault with it. But, Sir, we have to pace our progress with the resources available to the State. Even this morning I was reading the papers that the Educational Advisory Committee of the Government of India are laying down the provision of free elementary education by the end of the third plan. Education , I concede, is extremely important but I beg to submit that food and clothing and employment are even more important. Give the grower an opportunity to increase his income; give the industry an opportunity to provide a wider and solid field of employment and I do venture to suggest that the people of this State will certainly be able to solve the problem of illiteracy and they will be able to solve it with a very much lesser cost to the Exchequer than is being proposed under the present programme. As I presently said, Sir, they have taken over the schools which were being run by the local bodies. The immediate question that arises is what is going to happen to the private schools. On the one hand, there will be Government schools in which no fee will be charged upto the 6th class and on the other hand, side by side, there will be private schools which cannot be run with the income derived from the fees. The inevitable result will be that the private schools will be closed down and in any case there will immediately develop a big pressure for admission into the Government Schools which may result in the creation of an artificial black-market for admission in to these schools. If any harm comes to the private schools at this juncture, then the problem that we are seeking to solve will become even more difficult to solve unless the Government prepare themselves for taking over the private schools also. I would respectfully submit, Sir, that the Government might have taken this House into their confidence and told us what the financial implications of taking over the private schools would be and in any case what their intentions are in regard to these schools in the immediate future. Even in regrad to the implementation of the scheme for

the provincialization of the schools of the local bodies, I have to say a few words more. I have some thing to do in a small way with one of the Municipal Committees in the State. That Municipal Committee received no intimation whatever that they were to make any provision in their budget or that the amount they were spending on the schools previously would have to be paid to the State Government. It was stated on the floor of this House some time back that that money would be collected by means of a Bill that may be brought here.

There are other demands on the Municipal Committees and I do not think that any one will expect them to keep funds unspent in the absence of any directive from the State Government.

These are complex problems. They cast some gloom on the financial future of the State. But I do venture to suggest that it is not beyond our capacity to solve. Sir, I have faith in the future of this country. I have faith in the future of the State. I have faith in the tiller of the soil who has done a magnificent job in solving the food problem of the State, and of the country. I have faith also, Sir, in the Punjabi enterpriser in the industrial field. Subdued by difficulties created by Partition he has forged ahead and made his organizing ability felt all over the country. Last but not the least, Sir, I reaffirm faith in the present leadership of the State. The Leader of the House has been surrounded by difficulties, by the agitations-communal and others almost from the moment he took over. In spite of this it would be idle to suggest that the Punjab has not moved forward. It has improved food production and industrial production. It has contributed substantially to keeping the food situation of the country under control.

Sir, I have been somewhat pained to hear some petty things said here and there. How happy I would have been if instead of saying all these things, my hon. Friends had made constructive suggestions and helped the Leader to carry his burdens better. In spite of all this, Sir, I affirm my faith in this Punjab of ours and in the leadership of Sardar Partap Singh (Cheers).

चौधरी श्री चन्द (बहादुर गढ़) : साहिबे सदर, मैं आप से पहले एक प्रार्थना करना चाहता हूं। वह यह कि मैं आंयदा बजट सेशन में आप को तकलीफ नहीं दूंगा लेकिन आज मैं यह चाहता हूं कि मुझे time कुछ ज़्यादा दिया जाये।

सहिबे सदर, मैं दो दिनों से बजट पर speeches सुन रहा हूं। मैं अपने लायक दोस्त के साथ जो मुझ से पहले बोले हैं बिल्कुल इतफाक करता हूं कि बजाए इस के कि हम कोई constructive suggestions दें; यहां पर दर असल जो बहस है वह दो बातों पर चल रही है। पहली तो यह है कि जो भी अपनी स्पीच शुरु करता है वह यह कहता ह कि साहिब ! यहां पर कालेज होना चाहिए तालीम होनी चाहिए, स्कूल खोला जाना चाहिए, हाई स्कूल खोला जाना चाहिए, मिडल स्कूल होना चाहिए, गांव के अन्दर technical education जारी होनी चाहिए, water logging बन्द होनी चाहिए, भाखड़ा बनाया जाय, नहरें खोलीं जाएं, सड़कें नहीं हैं--सड़कें बनाई जाएं, यह किया जाय, वह किया जाय। मेरे हलके में यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ। दुरुस्त है, यह सब कुछ होना चाहिए। लेकिन इस के साथ साथ जो उन की speeches का दूसरा हिस्सा होता है उसमें

[चौधरी श्री चन्द]

यह वकालत की जाती है कि सूबे में कोई टैक्स नहीं लगाए जाने चाहिएं । साहिबे सदर, आप सोचें अन्दाजा लगाएं कि कैसे मुमकिन हो सकता है कि ये काम भी सारे हो जाएं और टैक्स भी न लगें ? फिर भी, इस मौके पर मैं गवर्नमैन्ट से यह दरखास्त ज़रूर करूंगा कि इस वक्त administration पर जो खर्च है, उसको कम किया जाना चाहिए । बाहर के, सारे पंजाब के हालात को तो एक ही जगह पर बैठ कर नहीं देखा जा सकता लेकिन यहां secretariat में जिस तरह से खर्च बढ़ता जा रहा है उस का अन्दाज़ा तो आसानी से लगाया जा सकता है । जहां चार साल पहले एक Secretary था वहां अब पांच Secretaries हैं जहां पहले दो Under-Secretaries थे वहां अब आठ Under-Secretaries लगे हुए हैं । गर्ज़ कि अगर गौर से देखा जाए तो पिछले चार पांच साल के अरसे में अगर ज्यादा नहीं, और अगर मैं मुबालगा नहीं करता तो Secretariat के अन्दर अफसरान की तादाद तीन गुना ज़रूर बढ़ी है । जब कि इसके मुकाबले में काम कोई इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है । इसलिए मैं निहायत वसूक के साथ कह सकता हूं कि अगर ज्यादा नहीं तो इस खर्च को आधा ज़रूर किया जा सकता है । मैं हैरान हूं कि यहां पर कुछ इस तरह की दरिया दिली से काम चलता है कि आज एक नई post create की जाती है, कल दूसरी, परसों तीसरी कोई justification नहीं पूछता । काम उतने का उतना ही है लेकिन खामखाह administration पर दिन ब दिन इतना खर्चा बढ़ाया जा रहा है । इस खर्च को ज़रूर कम किया जाना चाहिए ।

साहिबे सदर, अगर Opposition की तरफ से हुई स्पीचों का निचोड़ निकाला जाए तो सिर्फ़ तीन चार बातें ही ऐसी मिलती हैं जिन को कि बार बार repeat किया गया है। उन की बातों को सुन कर, साहिबे सदर, मुझे एक वाक्या याद आ गया है। मेरे साथ मेरा एक दोस्त पढ़ा करता था । एक रोज़ हम बाग में बैठे पढ़ रहे थे । वह दो फिकरों को बार बार दुहराए जा रहा था—"Akbar was a king, Akbar was a king" और "Akbar was born . . . ., Akbar was born. . . . " जब वह दो दो चार चार बार उसी एक फिकरे को दुहराता जा रहा था तो मैंने कहा कि भाई किस को पता नहीं कि "Akbar was a king, and Akbar was born?" इसी तरह से यहां बहुअकबरपुर, फिरोज़पुर जेल, जालन्धर incidence . . .(interruptions) इसके अलावा और दूसरी बात ही उन्हें नहीं सूझती । हां, अगर है तो वह एक ड्रामे वाली बात है । हमने एक ड्रामा देखा था—गूंगी का ड्रामा उसे कहा करते थे । उसके ऐक्टर तो निहायत ही बेहूदा थे, उन को पता ही नहीं होता था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है । लेकिन पर्दे के पीछे एक लड़की जिस की शकल सूरत कुछ अच्छी ही थी, पाउडर सुरखी लगा कर बिठा रखी थी । हर दस मिनट के बाद पर्दा उठा दिया जाता था और उस लड़की की शकल देख कर लोग

बैठे रहते थे । इसी तरह जब Opposition के भाइयों के पास बोलने के लिए मसाला खत्म हो जाता है तो हमारे एक दोस्त हैं श्री मंगल सेन उन को सामने ले आते हैं और कहते हैं कि साहिब, यह देखिए आप की पुलिस ने इन को पकड़ कर थाने में ले जाकर यह किया, वह किया—बिल्कुल गूंगी बाई की तरह उन को सामने बैठा कर कहे जाते हैं कि उन को पुलिस वाले पकड़ कर थाने में ले गए, हवालात में ले गए । शायद मेरे दोस्तों का ख्याल यह था कि उन को पं० नेहरू की मोटर में बैठा कर अशोक होटल देहली में ले जाते । (हंसी) । आप सोचें, गौर करें कि एक आदमी पकड़े जाने के लिए तैयार है, वह कहता है कि मुझे हवालात में ले जाओ तो फिर ऐसा बावेला भला क्यों ? इन सारी बातों का निहायत तसल्ली बख्श जवाब हमारे चीफ़ मनिस्टर साहिब ने दिया था लेकिन उसके बावजूद फिर एक बार नहीं, बार बार उन्हीं बातों को repeat किया जा रहा है । असल वाक्या क्या है ? उन्होंने आखिर क्या किया जिस के नतीजे के तौर पर उन के खिलाफ पुलिस को action लेना पड़ा ? जनाब मैं आप को बताता हूं कि सौ सवा सौ आदमियों को लेकर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के बंगला पर हमला किया । उनसे पूछो कि यह कोई हिन्दी agitation का प्रोग्राम था जो D. C. के पास गए ? लेकिन यह एक fact है कि वह सौ सवा सौ आदमियों को ले कर D.C. की कोठी पर चढ़ गए । D.C. तो दौरे पर गया हुआ था, बीवी उसकी थी नहीं, छोटे २ बच्चे थे—दो लड़कियां थी, वे बच्चे रो रहे थे और यह बहादुर दीवारों पर चढ़ कर शीशे तोड़ रहे थे । मैं हैरान हूं कि क्यों आपोज़ीशन के लोग यहां पर उन की वकालत कर रहे हैं जब कि वह यहां पर खुद मौजूद हैं । क्यों नहीं वह खड़े हो कर कहते कि मेरे साथ यह हुआ है, मेरे साथ वह हुआ है ? क्यों नहीं बताते कि मेरे साथ यह जुल्म हुआ है ? क्या उन की ज़बान नहीं है ? क्या वह गूंगी बाई है जो खड़े होकर यह नहीं कहते कि साहिब मेरे साथ यह हुआ है ।

इस के अलावा Opposition की तरफ से बार बार यह कहा जाता है कि साहिब, पुलिस बहुत खराब है, बहुत अत्याचार करती है, ज़्यादतियां करती है । इस सिलसिले में मैं आप को एक छोटी सी बात बताता हूं । मेरे पास एक आदमी आया । कहने लगा कि साहिब ! आप के थाना में—साम्पला में पुलिस वालों ने ३ आदमियों को पकड़ कर उन के साथ बहुत बुरा भला किया है । मैंने पता किया कि क्या बात है । थानेदार ने बताया कि इन्होंने चोरी की है, यह किया था वह किया था । उस ने कहा कि यह बहुत सख्ती की गई है, यह नहीं होना चाहिए । लेकिन साहिबे सदर, इत्तफाक से उसी आदमी के घर चोरी हो गई । मैंने तो पहले ही थानेदार को उस के कहने पर कहा था कि भाई, इतनी सख्ती न करा करो । खैर, उस आदमी ने थाने में रिपोर्ट कर दी । थानेदार ने पूछा कि क्या तुम को किसी पर शुबह है ? उस ने बताया कि मुझे तीन आदमियों पर शक है । थानेदार ने कहा कि बहुत अच्छा । थानेदार वहां चला गया । चौपाल में बैठ गया । अपने

[चौधरी श्री चन्द]

सिपाहियों को उसने कहा कि फलां फलां आदमियों को बुला लाओ । वह साहिबान आ गए । शिकायत करने वाला आदमी भी पास ही बैठा था जिस की चोरी हुई थी । थानेदार ने उसी के सामने उन तीनों को बड़े आदर के साथ बुलाया और कहा, "महाशय जी, यहां बैठिए, तशरीफ रखिए ।" वह बैठ गए । उन्होंने पूछा कि हमको क्यों बुलाया गया है ? थानेदार ने बताया कि इस साहिब के घर में चोरी हो गई है और इन को आप पर शक है । आप बताएं कि क्या आप ने चोरी की है ? उन्होंने कहा कि जनाब, हमने बिल्कुल कोई चोरी नहीं की है । यह बकवास करता है । झूठ बोलता है । थानेदार ने कहा कि अच्छा, यह बात है--आप ने चोरी नहीं की है ? तो मुआफ कीजिए, आप को यूं ही तकलीफ दी । उसके बाद वह आदमी फिर मेरे पास आ गया । कहने लगा कि साहिब, देखिए गज़ब है, पुलिस वालों ने उन चोरों को कुछ नहीं कहा, वह ऐसे थोड़े ही चोरी को मान लेते ? मैं ने जवाब दिया कि भाई तुम ही तो कहते थे कि पुलिस वाले लोगों को बुरी तरह तंग करते हैं । तुम्हारे ही कहने पर मैं ने थानेदार को कह दिया था । इसलिए उसने उन पर ज्यादती न की होगी । तो हमारे दोस्त भी दो तरह की बातें करते हैं । एक तो कहते हैं कि गुरद्वारों में सिगरेट फैंके जाते हैं । तो ऐसी हालत में पुलिस वाले क्या करें । तो क्या आप उमीद करते हैं कि सिगरेट फैंकने वाले खुद आएंगे और कहेंगे कि जनाब हम ने सिगरेट फैंके ? जो आदमी चोरी करता है उस से आप यह चाहेंगे कि रात को वह चोरी करे तो दिन में वह पुलिस स्टेशन में आकर अपना माल रख दे और कहे कि यह लो यह माल मैं ने रात को चोरी किया था । किसी ने डाका मारा हो तो वह आप के पास आकर खुद ही बताए कि मैंने डाका मारा था या कत्ल किया हो तो वह कत्ल किए हुए आदमी को अपने कन्धों पर उठा कर पुलिस स्टेशन में चला आए । मुझे समझ नहीं आती कि मेरे यह दोस्त ऐसी बातें किस मुंह से कर जाते हैं ।

आखिर काम जिस तरह से चलता है उसी तरह से चलता है । साहिबे सदर, मैं इन की बातें बताऊं । कल यहां एक साहिब बोले थे जिन का नाम है कामरेड राम चन्द्र । मैं उन की बड़ी इज्ज़त करता हूं । उन्हों ने कल यहां सच्चाई का नंगा नाच किया और कहा कि साहिब वज़ीर साहिब के अपने आदमियों को transport के permit मिले हैं और कहा कि जब वह R. T. A. के मैम्बर थे तो .....मैं कहता हूं कि अगर वह एक बार R. T. A. के मैम्बर बन गये तो क्या सारी ज़िन्दगी के लिये मोहर लग गई । उन्हों ने कहा कि दो permit चीफ़ मिनिस्टर साहिब के political P. A. के रिश्तेदारों को दिये गये हैं, एक permit उन के Private Secretary के रिश्तेदार को दिया गया है और एक उन के अपने किसी रिश्तेदार को दिया गया है और उन के driver को दिया गया है । तो मैं उन से पूछता हूं कि जब वह qualified हैं permit लेने के लिये तो उन को permit क्यों

न दिये जायें । जब पांच हज़ार permit बाकी लोगों को दिये गये हैं तो इस में क्या बड़ी बात हो गई अगर चीफ़ मिनिस्टर साहिब के पास रहने वालों को पांच permit मिल गये । इस के लिये कामरेड साहिब को क्यों दर्द होता है अगर हज़ारों दूसरे आदमियों के साथ चीफ मिनिस्टर के पास रहने वालों को भी फायदा होता है जब वह उस के लिये qualified भी होते हैं । क्या यह बता सकते हैं कि किसी disqualified को कोई permit दिया गया है ? यह ऐसा नहीं बता सकते ।

इस के इलावा दूसरा एतराज़ यह किया गया है कि साहिब permits तो दे दिये और हुक्म अम्बाला भेजा गया और Commissioner साहिब ने इनकार कर दिया । इस में क्या हुआ । उन्हें permit मिले और वह वहां से दिला दिये गये । मैं इन्हें बतलाता हूं कि दफ़ा 44 Motor Vehicle Act, के तहत Commissioner को अख्तियारात हासल हैं कि वह permit दे और यह अख्तियारात R. T. A. को नहीं है । इस के लिये बाकायदा notification हुआ, गवर्नमेंट gazette जारी हुआ और तब उन्हें यह permit दिये गये । क्योंकि यहां staff काफी नहीं था इसलिये यह उन्हें भेज दिया गया कि तुम issue करो । उन से गलती हुई, जब Secretariat में Commissioner साहिब का हुक्म हुआ था तो उन्हें यह खुद जारी करने चाहियें थे लेकिन staff कम होने की वजह से वह R.T.A. के पास issue करने के लिये भेज दिये । मगर इन को इस चीज़ का पता ही नहीं । साहिबे सदर जो interested पार्टियां होती हैं वह इन को आ कर बेवकूफ बना देती है । इन को पता तो होता नहीं और जैसा इन को interested आदमी आ कर कह देते हैं वैसा ही यह यहां आ कर कह देते हैं कि साहिब यह हो गया, वह हो गया ।

अगला इतराज़ जो इन्हों ने किया वह यह है कि जो शिमला—कालका के 5 permit थे वह इन्हों ने अपने आदमियों को issue कर दिये हैं । आप को history का तो पता नहीं, इस की background तो मालूम नहीं और यहां यह एतराज़ कर दिया है । बात दरअसल यह थी कि पहले वह पांच permits Ambala Road ways के थे । यह quota पहले उन के पास रहा लेकिन अब उन्हों ने यह permit submit कर दिये कि यह हम से नहीं चलते इसलिये हम यह वापस करते हैं। इस के बाद मसूरी में Central Government के मिनिस्टर की सदारत में एक meeting हुई जिस में तमाम सूबों के Transport Ministers भी मौजूद थे । उस में यह कहा गया कि क्योंकि railway पर बहुत बोझ पड़ रहा है इसलिये आप liberally permit issue करें । उधर शिमला वाले रो रहे थे कि हमारे आलू सड़ रहे हैं हमें transport नहीं मिलती । इन का इन्तज़ाम किया जाये । तो इस पर यह पांच permit issue करने पड़े और वह temporary issue किये गये । लेकिन यह कहते हैं कि यह permit

[चौधरी श्री चन्द]

तो temporary issue किये गये हैं और इन से जो tax charge किया गया है वह regular permits का किया गया है । मैं बताता हूं कि इन temporary permits के लिये regular permits का tax इसलिये लिया गया था क्योंकि उन की गवर्नमेंट को ज़रूरत थी और फिर यह tax इसी तरीके से सब से ही लिया गया है और सिर्फ इन पांच permits वालों से ही नहीं लिया गया । लेकिन इन्हें बताने वालों ने आ कर यह चीज़ बता दी और इन्हों ने यहां यह चीज़ कह दी । मैं कहता हूं कि यह लोग कितना कमीना हमला करते हैं जो इन्हों ने कहा है कि बड़े वज़ीर साहिब की बीवी और लड़का Indian Motor Transport Company, Karnal और पटियाला बस सर्विस की हिमायत करते हैं । मैं कहता हूं कि जब वज़ीर साहिब खुद उन की हिमायत करते हैं तो उन की बीवी और लड़के को हिमायत करने की क्या ज़रूरत पड़ी । और फिर यह कहा गया है कि उन को गाड़ी भी दी गई और इस में उन की बीवी और लड़के का नाम लिया गया है । मैं बताता हूं कि Indian Motor Transport Company, Karnal का कोई case आज तक यहां पर आया भी नहीं और उन का कोई case यहां पर deal भी नहीं हुआ । यह कहना कि उन की हिमायत की गई है—This is absolutely wrong. दूसरी जो पटियाला बस सर्विस है उस के दो case R. T. A. के पास पड़े हुए हैं । एक case यहां पर आया था, वह उस के खिलाफ हुआ था और उसकी अब High Court में appeal की गई है । (Chaudhri Inder Singh: Are you a party to the deal ?) मैं पार्टी नहीं हूं । पार्टी तो वह थे जो कल यहां बोल रहे थे । आप को असल facts का तो पता ही नहीं होता और जो किसी ने कह दिया वह इन्हों ने यहां आ कर कह दिया । मैं बता रहा था कि कैसे उन्हें वह temporary permits issue किये गये । लोगों के deputation आ रहे थे कि हमारे आलू खराब हो रहे हैं उन की transport का इन्तज़ाम किया जाये । तब यह permits दिये गये थे । कुल 31 permits थे । कुछ हिमाचल वालों को दिये हुए थे और बाकी के कुल्लू valley वालों को दिये गये थे । जिन लोगों को यह permits दिये गये थे उन में से चार ने तो truck भी नहीं लिये । जब वहां से लोगों के deputation आने लगे तो चीफ मिनिस्टर साहिब वहां गये और उन लोगों के कहने पर दो महीने के लिये यह temporary permits दिये गये । फिर कहते हैं कि वह 40, 40 हज़ार रुपये कमाते है, यह करते हैं वह करते हैं । मैं कहता हूं कि कल इन्हों ने जितनी भी बातें कीं उन में से किसी में भी तत्व नहीं । ऐसे ही यह एतराज़ करने लग जाते हैं कि इस तरह से हुआ और उस तरह से हुआ । (श्री इन्द्र सिंह—आसार खराब हैं) मैं कहता हूं कि अगर कोई शिकायत हो तो गवर्नमेंट से पूछें और देखें कि Transport Department वाले क्या कहते हैं । बगैर उन से पूछे यहां यह

कहने लग जाते हैं । फिर कामरेड साहिब की भी पार्टि है । वह किसी वजह से सरदार साहिब से नाराज़ हैं और जब से वह उन से नाराज़ हैं तब से उन्हों ने सिर पर टोपी पहननी छोड़ दी है। क्योंकि उन्हें कैरों साहिब ने R. T. A. का President नहीं बनाया तब से वह उन से नाराज़ हैं (घंटी की आवाज़) ।

मैं ने दरअसल जो बात कहनी है वह तो मैं ने शुरू ही नहीं की ।

साहिबे सदर, बहुत दिन हुए मैं ने एक ड्रामा देखा था । उस में एक पार्ट राजा बहादुर का था । वह राजा बहुत बहादुर था । उस ने एक गाना गाया था वह मुझे याद है । उसके दो फिकरे मैं आप को सुनाता हूं । बिल्ली मियाओं करती है तो हमारे प्राण निकलते हैं जब चूहे फुदकने लगते हैं तो हम फुदक धकड़ करते हैं। इसी तरह से हमारे यह पांच बहादुर थे जो जालंधर में जलूस निकालने गये थे अब वे सब मूंह में उन्गलियां दिये बैठे हैं और कोई बोलता नहीं क्योंकि उन्हें पता है कि हाई कोर्ट के जज साहिब ने उन के बारे क्या लिखा है । (*Interruption by Shri Balram Dass Tandon*).

Mr. Speaker : Order, please.

चौधरी श्री चन्द : उन्हों ने उस रिपोर्ट में फरमाया है कि यह लोग ऐसे हैं जो अपने बचाव के लिए मौके पर हाज़र हुआ भी बयान नहीं करते कि कब firing हुई और firing से पहले बात क्या थी । इस में यह भी दिया हुआ है कि इन्हों ने बयान दिये कि ठाकुर फ़तह सिंह ने लाला जगत नारायण को तो बताया ही नहीं कि firing कैसे हुआ और प्रोफैसर शेर सिंह को उस ने कहा कि बस यह हो गया है अब क्या हो सकता है । लेकिन जब firing हुई तो हम वहां मौजूद नहीं थे। श्री सभरवाल साहिब तो दुकानों में छिपते फिरते थे कभी एक दुकान में और कभी दूसरी दुकान में और चौधरी शेर सिंह साहिब—नाम के तो यह डबल शेर हैं लेकिन जब वहां firing हुई तो यह श्री घणशाम सिंह गुप्त को छोड़ किसी मकान में जा बैठे और firing की आवाज़ को सुनते रहे और जब firing खत्म हुई तो बाहिर निकले (हंसी) और इन के तीसरे साथी लाला जगत नारायण का तो पता ही नहीं था कि वह कहां छिपे रहे। उन्हों ने लिखा है कि अगर यह जो अपने आप को लीडर कहलाते हैं मौके पर हो कर लोगों को समझाते तो यह कीमती जानें ज़ाया न होतीं और न यह फसाद खड़ा होता। यह लीडर तो बन गये हैं । इन की हालत तो उस आदमी जैसी ह जिस ने कुछ बकरियां पाल रखी थीं । रात को रोज़ एक भेड़िया आ कर उस की चार पांच बकरियां ले जाता था । उस से किसी ने पूछा कि क्या तुम इन बकरियों के खस्म नहीं हो जो तुम्हारे होते हुए रोज़ भेड़िया बकरियां ले जाता है तो उस ने कहा कि मैं तो रही हुई बकरियों का खस्म हूं । (ज़ोर की हंसी)। तो यह तो हैं हमारे लीडर साहिबान । उस वक्त तो छिपते फिरें । फिर शेर सिंह कहते हैं कि जो फायरिंग इतनी देर होती रही और दूसरे कहते हैं कि हां आवाज़

[चौधरी श्री चंद]

आती रही लेकिन यह छिपे हुए बैठे रहे और जब फायरिंग हो ली तो बिलों से निकल आए और कहने लगे कि साहिब यह क्या हो रहा है । तो यह लोग ऐसे बहादुर हैं, राजा बहादुर हैं । चल पड़े घर से प्रोसैशन निकालने लेकिन जब फायरिंग हुई तो बिलों में घुस गए और जब फायरिंग हो चुकी तो फिर पाजामा बदल कर वहां आ गए । (ज़ोर की हंसी) तो साहिबे सदर मैं यह अर्ज़ करता हूं कि इस ऐनक्वायरी से यह पता चलता है कि पंजाब में यह लोग क्या करना चाहते हैं । इन का पेट अभी 1947 के हालात देखकर नहीं भरा आज भी हज़ारों लड़कियां पाकिस्तान में बैठी इन को दुआ दे रही हैं । यही लोग थे जिन्हों ने यह माहौल पैदा किया जिस की वजह से महात्मा गांधी का कत्ल हुआ उ । देवता का क़त्ल हुआ । यह फिर वही हालात पैदा करना चाहते हैं । (विघ्न) फिर देखिए हाईकोर्ट का जज लिखता है कि यह लोग झूठ बोलते हैं । मैं इन की बातों पर यकीन नहीं करता । यह पहले कुछ बयान देते हैं और बाद में कुछ और बयान देते हैं । यह ऐम. ऐल. ए. हैं, इज़्ज़त वाले आदमी हैं, लीडर हैं मगर इन के काम लीडरों वाले नहीं हैं । अगर यह गैरतमंद हैं तो जवाब दें । चले आए यहां पर लीडर बनने के लिए । (हंसी) इन चीज़ों को जब सारा हिंदुस्तान पढ़ेगा, जब बाहर वाले मुल्कों के लोग पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे कि ऐसे हैं वहां के लीडर और ऐम. ऐल. एज़. । ऐसी बातें करते हैं । वहां लाठी चार्ज नहीं हुआ और आप ने स्टेटमैंट दी कि वहां लाठी चार्ज हुआ । फिर डाक्टर कहता है कि दोनों आदमी गिरधारी लाल और सोम नाथ दोनों गोली से मरे लेकिन इन की स्टेटमैंट निकली है कि जब एक आदमी पत्थर से मर गया तो गोली चली । अरे भई उस वक्त गोली चलाने की क्या ज़रूरत थी । तो मैं अर्ज़ करता हूं कि इन लोगों को इजाज़त नहीं होनी चाहिए ऐसी बातें करने की । अब पता चला है ......

चौधरी बारु राम : आन ए प्वांएट आफ आर्डर सर । आप दूसरों को आध घंटा दे सकते हैं तो ....

चौधरी श्री चन्द : मैं ने तो नई बात छेड़ दी इस लिए मुझे टाइम मिला है । (विघ्न) (हंसी)

अध्यक्ष महोदय : आर्डर प्लीज़ ।

चौधरी श्री चन्द : तो स्पीकर साहिब, इस एन्क्वायरी से यह पता चलता है कि असल किस्सा क्या है । यह लोग क्या चाहते हैं । यह चाहते हैं कि पंजाब में फिर आग लग जाए और जिन लोगों के पास वहां रहने के लिए मकान नहीं हैं वह कोठियां ले लें । दूसरों को लड़ा कर खुद फायदा उठाना चाहते हैं । हाईकोर्ट के जज ने लिखा है कि यह वहां मौजूद थे मगर प्रैस में इन की तरफ से कुछ और आया है । यह वाकयात को गलत बता रहे हैं । मैं कहता हूं कि पंजाब गवर्नमेंट को यह हक है और मैं इन से दरखास्त करता हूं कि

इन पर केस चलाया जाए। कोई वजह नहीं कि झूठ बोलने वाले पर केस न चलाया जाए। हाइकोर्ट का जज करार देता है कि यह झूठे हैं तो कोई वजह नहीं कि इन पर केस ना चलाया जाए। मेहरबानी करने की ज़रूरत नहीं मगर सांप को एक दफा छोड़ दिया जाय तो वह फिर डसेगा। अब इस (वंटी) इन्क्वायरी से पता चल गया है कि यहां हालात किस तरह चल रहे हैं और यह लोग क्या चाहते हैं। सो मैं दरख्वास्त करूंगा कि इन पर केस चलाया जाए।
(तालियां)

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ (ਅਜਨਾਲਾ) : ਪਰਧਾਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਕ humourous speech ਕੀਤੀ ਹੈ (चौधरी धरम सिंह राठी) चौधरी सिरी चंद जी सुन के जाना अब मैं बोलूंगा)

अध्यक्ष महोदय : Order please ऐसी बातें न कहें आप ने जब बोलना हो तो तब बोल लें (The hon. Member may not please utter such thing. He may have his say when he so desires)

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦ opposition ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ministry ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ opposition ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ .,... (ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾੜੀਆਂ) ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਉ ਬਹਿਸ ਕਰੀਏ। ਤੂੰ peace ਤੇ ਬੋਲੀਂ ਕਿ peace ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ war ਤੇ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ peace ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ war ਤੇ ਬੋਲੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਧਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਰਖ ਲਿਆ ਹੈ (opposition ਵਲੋਂ ਤਾੜੀਆਂ)

ਹੁਣ ਮੈਂ Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਦੀ speech ਵਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ economy ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ industry ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, agriculture ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ economy ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Budget surplus ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਰੇਲਾ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ budget deficit ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ deficit ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਰੇਲਾ ਨੇ surplus ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੇਰਾ ਫ਼ੇਰੀ ਨਾਲ deficit ਨੂੰ surplus ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਰ ਦੋਵੇਂ ਬਜਟ surplus ਹਨ ਪਰ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਰੇਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ tax ਲਾਏ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਥੇ communist ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪਰ ਉਥੇ Communists ਨੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੇ taxes ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ Budget speach

[ਸਰਦਾਰ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ]

ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੇ tax ਤਦ ਲਾਏ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬ peasant ਦਾ ਮਾਮਲਾ 8/-/- ਰੁਪਏ ਫੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘਟਾ 2/-/- ਰੁਪਏ ਫੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 30,000/-/ ਰੁਪਏ income ਵਾਲੇ ਤੇ -/11/- ਫੀ ਰੁਪਿਆ tax ਲਾ ਕੇ budget ਨੂੰ surplus ਕੀਤਾ । ਇਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ tax ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਨਵਾਂ tax ਵੀ ਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਤੇ ਵੀ tax ਲਿਆ ਜਾਵੇ ।

ਇਹ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ । ਖੱਲਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਖਲ ਤੇ ਟੈਕਸ । ਇਹ ਖਲ ਅਸੀਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਟੈਕਸ ਉਸ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਪਲਸ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਰੇਲਾ ਦਾ ਵੀ ਸਰਪਲਸ ਬਜਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਦਾ ਵੀ ਪਰ ਫਰਕ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ।

4 p. m.

(ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ : ਨੀਮ ਚੜ੍ਹਾ) ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰੇਲਾ ਦੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦਸਿਆ ਸੀ । ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਬੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ । ਇਸ ਬਜਟ ਅਤੇ ਕਰੇਲਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਡਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਦਾਲ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਰਪਲਸ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਰਪਲਸ ਕਰਨ ਦੇ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਉਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਖਿਆ ਜੇ ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਜੋ ਰਕਮ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਖਤ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵੇਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਨਿਰਾ ਰਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਇਨਡਸਟਰੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵੇਰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਇਕ ਸੀਮੇਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਹੈਵੀ ਇਨਡਸਟਰੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਮੇਰੇ ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਦੂਰੋਂ ਮੰਗਵਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਰਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਅਮੁਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ । ਕਿਨੇ

ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗਲ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੀਰਾ ਮਿਲ ਨੂੰ ਚਲਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਚਲ ਸਕੀ। ਜੋ ਕੰਮ ਇਸ ਪਖ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਖ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਛੇ ਸਾਲ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗੋਂ ਪੰਜ ਛੇ ਸਾਲ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਾਦ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ । ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਅਜ਼ਿਜ਼ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸਲਾਹਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਕਾਨੋਮੀ ਨਾਲ ਕੀ relation ਹੈ । ਉਹ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ relation ਹੈ ਖੁਸ਼ ਹਸੀਤੀ ਟੈਕਸ ਜੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿੰਦਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਖਰਚਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿੰਦਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਸਟੀਮੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ੧੦, ੧੦ ਸਾਲ ਤਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ । ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਉ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ੭੫ ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ । ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ੧੦੦ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ੧੨੫ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ੧੫੦ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ੨੦੦ ਕਰੋੜ ਤਕ ਲੈ ਜਾਣਗੇ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ । ਕਲ ਸਾਡੇ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਠ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਛੀਨਾ ਤਾਂ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦਾ ਸੀ । ਭਾਖੜਾ ਜਿਸ ਰੁਖ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਰਿਆਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁਛੋ । ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ । ਲੋਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਸੀਤੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ । ਮੈਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਸੀਤੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣਾ । ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜ ਕਲ ਇਹਧਰ ਆ ਗਏ ਹਨ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਲਉ ਜ. ਛੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਸੀਤੀ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ । ਖੁਸ਼ ਹਸੀਤੀ ਟੈਕਸ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਉਸ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ

[ਸਰਦਾਰ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ]

ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਖਰਚ ਪੂਰਾ ਕਿਥੋਂ ਕਰਨ। ਇਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਸੀਤੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ੪੦, ੫੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਣ। ਆਬੀਆਨਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਅਸਲ ਮਾਲੀਆਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹਸੀਤੀ ਟੈਕਸ ਜਦੋਂ ਉਗਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ।

(ਇਕ ਮੈਂਬਰ: ਕੀ ਆਪ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੋਗੇ ?)

ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛਡੋਗੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ।

(ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਕੀ ਫਿਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਗੇ?)

ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ। (ਵਿਘਨ.)

Mr. Speaker : No disturbance please.

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ: ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹਟਾਣ ਲਈ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਗਲ ਮੈਂ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਟੇਟ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੂਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਥੇ ਕਈ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਟਨ ਮਿਲ ਲਗਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕੇਸ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਧਾਗਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਨਰਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਲਗ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਧਾਗਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਦਰਾਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ ਕਾਟਨ ਮਿਲ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਉਜਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸਚੋਂ

ਕਿ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵੇਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਿਰੋ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਥੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਖ ਵਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਧੇ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਦਿਲੀ ਮਨਿਸਟਰੀਆਂ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅਧੇ ਮੁੜ ਦਸਖਤ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਲਗ ਜਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਸਖਤ ਕਰਾਕੇ ਦਿਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਛਡੋ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਆਉ ਰਲ ਕੇ ਇਕ ਜਾਇੰਟ ਐਫਰਟ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਿਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਗਿਆਂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਸਣ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈਵੀ ਇਨਡਸਟਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੀਮੇਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਿਆ ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਪੁਰ ਦੀ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਧਕਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਕੀ ਇਸੇ ਲਈ ਇਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। (ਵਿਘਨ) ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰਲ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਹੈਵੀ ਇਨਡਸਟਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜੋ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰੀ ਬਦਲ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬਦਲ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਪਵੋ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੇਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਸੋਚੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਥੇ ਇਹ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਯਤਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਭੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੈਵੀ ਇਨਡਸਟਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਵੇਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੀਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਜੋ ਅਜ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਥੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੀਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪਾਸਾ ਬਦਲਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਚੌਧਰੀ ਸਿਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਉ। (ਇਕ ਮੈਂਬਰ: ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹਨ) ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਕਈ ਵੇਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਚਰਚਲ ਸਟੀਲ ਫਰੇਮ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੀਲ ਫਰੇਮ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਕਤ

[ਸਰਦਾਰ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ]

ਸੀ । ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ. ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਹਨ ਫਰਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ । ਸਟੀਲ ਫਰੇਮ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਟੀਲ ਫਰੇਮ ਦਾ ਮੁਖ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਤਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸੀਕਯੂਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਆਮ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਏਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀਸਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਉਸ ਤੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਦਸਖਤ ਹੋਣੇ ਸਨ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ technical ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਪਰ ਜੇ ਰੁਟੀਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਅਜ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲੇ ਗਏ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ । ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚਲਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਲਰਕ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਲੈਕੇ ਜਾਏ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਲਿਆਵੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚਲਦਾ ਹੈ । ਫੇਰ ਏਥ ਇਤਨੀ heavy administration ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ 13 commissioner ਹਨ । ਕਿਥੇ ਇਕਠੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ commissioner ਇਕ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ rank ਦਿਓ । ਇਹ ਜਿਹੜਾ top heavy machinery ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਖਰਚ ਘਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਨੰਬੂਦਰੀਪਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ top heavy administration ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ fundamentally ਗ਼ਲਤ ਹੈ । ਕੇਰਾਲਾ ਦੇ Chief Minister ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਕਢਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਇਕ ਅਮਲੀ work ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ Government ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ fundamentally adopt ਕਰਨ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ steel frame ਨੂੰ Britishers ਛਡ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਪਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ agrarian reforms ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਤਕ rule ਹੀ frame ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ । ਅਜ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ Minister ਨੂੰ ਜਾਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ rule ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਦਾ ਫੇਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ।

ਫੇਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ Local Bodies ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। Government ਤੋਂ ਕਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ local bodies ਦੀ policy ਤਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਹੁਣੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ policy ਹੀ ਤੈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ chairman, communist party ਦਾ chairman ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ D. C. ਦੀਆਂ powers ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ Magistrate ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ tax ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ Magistrate ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਡੀਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ Magistrate ਦੀ enquiry ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ Magistrate ਹੀ prejudice ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਥੇ democracy ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Civil liberties ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਡਰਾਮਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਫਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ultra vires ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। Government ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਘੰਟੀ)

ਦੋ ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਂ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਪਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ।

Mr. Speaker: No please.

(ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ)

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ (ਨਕੋਦਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਬਜਟ Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ Tax ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਕ Tax ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 25% electric charges ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ Education Cess ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ agricultural purposes ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ duty ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਕ ਨਵਾਂ tarriff rate ਵੀ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ agricultural purposes ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 6 ਪੈਸੇ per unit charge ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ 9.38 ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 25% duty ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 11.72 ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੋਈ 2 ਆਨੇ ਪਰ unit ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਤਨੇ

[ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ]

tube-wells ਲਗਾਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ rate ਸਰਕਾਰ ਨੇ -/4/- ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਰਖਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਐਨਾ ਪਾਣੀ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਰੇਟ -/2/- ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਲਗਾ ਕੇ tube-wells ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ -/2/- per unit charge ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚ ਕੇ tube-well ਲਗਾਵਾਉਂਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ -/2/- per unit ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਇਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿ 6 ਪੈਸਾ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ rental charges ਤੇ minimum consumption guarantee pay ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਹ domestic ਤੇ agricultural purposes ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ 25% cess ਫੇ ਹੋਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ ਹੀ ਨਾਵਾਜਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਸ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਾਟ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ education cess ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫੇਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ agricultural purposes ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਫੇਰ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ education ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ । ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕੋਦਰ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 6 ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹਨ ਉਥੋਂ ਦੀ population 2 ਲੱਖ ਹੈ । ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਜ਼ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ higher studies ਦੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ education cess ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਦੋਂ 100—150/—ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬਿਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ tube-wells ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ । ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ arms licence fee ਦੇ ਬਾਰੇ Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਨਾ ਕਰਨ ਦੇ licence ਹੀ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ quota ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

Arms licence fee 5/—ordinary 15/—ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਰਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 20/—ਸਾਲ ਦੀ fee ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਦੂਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਬਰਡਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ । ਅੱਜ arms licence ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ applications ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ignore ਕਰ

ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ licence ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਤਵੱਜੁਹ sports ਵੱਲ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਪੰਜਾਬ sports ਲਈ ਅਜਿਹਾ stuff ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ utilize ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ world beaters ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਮਹਿਕਮਾ social welfare ਦੇ ਥਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਕ Association ਦੇ President ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ funds ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਕਮੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੜੀ limited activities ਹਨ ।

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ stadium ਨਹੀਂ ਹਨ; ਜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ । ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ swimming pools ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਬਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ opportunity ਮਿਲਸਕੇ । ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ competition ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਸਹੀ stuff ਅੱਗੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ represent ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ ।

ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ open competition ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ਖਰ ਹੈ ਕਿ 70% ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਦ India ਵਲੋਂ Hockey ਦੀ ਟੀਮ Melbourn ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਬੰਬਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਸ ਟੀਮ ਨੂੰ dinner ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ! ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ 18 ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਖਿਲਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ । ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਖਿਲਾੜੀ produce ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।

ਕਲ੍ਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ incident ਦੀ inquiry ਰਿਪੋਰਟ publish ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੇ । ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ clearly ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ mob ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ processions ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ respect ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਗ ਲਗਾਓਣ ਦੀ । ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਕ High Court ਦੇ Judge ਨੇ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਇਹ clear ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

[ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ]

ਕੁਝ ਚਿਰ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ shield ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇ ਗੁਨਾਹ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ shield ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ shelter ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਤੇਅਲੁਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ shield ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਖੁਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਇਸ incident ਵਿਚ ਦੋ ਸੱਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਆਦਮੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਘਾਇਲ ਹੋਏ ; fire brigade ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁਟੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਉਥੇ provocative slogans ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਾਸਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਫੇਰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ।

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : स्पीकर साहिब, मैं आज बिल्कुल नहीं बोलना चाहता था लेकिन चौधरी श्री चन्द की तकरीर के बाद ....

अध्यक्ष महोदय : आप का नाम तो मेरे पास आया था । (The hon. Member's name was sent up to me.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : उनकी तकरीर के बाद मुझे बोलना पड़ा । मैं यह बताना चाहता हूं कि जो हालात श्री चन्द पैदा करते रहे हैं या जो काम करते रहे हैं वह काम दुनियां में कोई नहीं कर सकता । मुझे एक कहानी याद आ गई ।

एक कुम्हार के पास 113 गधे थे । दिन में वह चरने छोड़ देता था और रात को बन्द करता था । तो उस के पास इतनी रस्सियां नहीं थीं कि वह सब को बांध सकता इस लिये वह कुछ गधों के टखने को हाथ लगा देता था जिस से कि गधे यह समझें कि हमें भी बांध दिया गया है । तो जिस वक्त चौधरी श्री चन्द बोल रहे थे तो मैं समझ रहा था कि सरदार प्रताप सिंह कैरों ने उस कुमहार की तरह चौधरी श्री चन्द के टखने को भी हाथ लगा रखा है । वह समझते हैं कि वज़ीर बन जाएंगे या और कुछ बन जाएंगे । यह जालंधर की बातें करते हैं, इनकी दिलेरी का मुझे पता है । मैं बतलाता हूं कि जिस वक्त जालंधर की इन्कवारी हो रही थी तो सरदार प्रताप सिंह ने चौधरी श्री चन्द जी को 500/- पर सरकार की तरफ से पैरवी करने को मुकर्रर किया था लेकिन चौधरी श्री चन्द की इतनी हिम्मत न हुई कि जालंधर चले जायें इस डर से कि जब रोहतक में जाएंगे तो उन्हें कोई घुसने नहीं देगा । (*interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : आप एक ज़ाती हमला कर रहे हैं या कि बजट पर बोल रहे हैं। (Is the hon. Member making a personal attack or speaking on the Budget.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैं जालंधर के वाक्यात पर बोल रहा हूं। चौधरी श्री चन्द को बतौर एक tutor मुकर्रर किया गया था लेकिन वह वहां नहीं गए। तो उनका क्या conduct है वह क्यों नहीं गए यही तो बतला रहा हूं और जिस का मुझे पूरा अख्तियार है।

इन्हों ने एक 1957 में बयान दिया कि हरियाना हिन्दी नहीं पढ़ेगा और हमें भी कहते रहे कि तुम आन्दोलन करो ...(*interruptions*)

एक आवाज़ : क्या कह रहे हैं आप ? हरियाना तो हिन्दी ही पढ़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : आप तो चौधरी श्री चन्द के साथ personal controversy में पड़ गए है (The hon. Member has entered into a personal controversy with Chaudhri Sri Chand.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : जनाब स्पीकर साहिब, मैं यह बता रहा हूं कि वह क्या करते रहे हैं। अब मैं budget पर आ रहा हूं। मैं Hindi agitation पर और administration पर बोल रहा हूं। मैं यह बता रहा हूं कि चौधरी श्री चन्द साहिब ने क्या किया। मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि जब Hindi अंदोलन चल रहा था उस वक्त चौधरी श्री चन्द उस में हिस्सा तो ले रहे थे लेकिन उन की लड़ाई उस नाई जैसी थी जो कि फौज में भरती हो गया था।

वित्त मंत्री : आप को नाई और कुम्हार ही याद आते हैं।

चौधरी धर्म सिंह राठी : हां जी इस लिए याद आते हैं क्योंकि आप ऐसे ही तो हैं। मैं बता रहा था कि एक नाई भरती हो गया और उस को लड़ाई में ले गए। उसे तलवार तो चलानी आती नहीं थी। इस लिए वह एक झाड़ी के पिछे पीछे गया। वहां पर इस के पास दुश्मन की फौज का एक ज़ख्मी सिपाही पहुंच गया। उस ने नाई से पूछा कि भाई तुम यहां पर क्या कर रहे हो। नाई ने जवाब दिया कि मैं वैसे ही बैठा हूं और तुम्हारे पांव दबा सकता हूं। चुनांचि उस ने दुश्मन के ज़ख्मी सिपाही के पांव दबाने शुरू कर दिए। उस के बाद जब लड़ाई खत्म हो गई तो वह नाई वापिस अपने camp में पहुंचा।

Sardar Ajmer Singh : On a point of Order, Sir. The time of the House s valuable and should not be wasted like this. We are discussing the Budget.

अध्यक्ष महोदय : मुझे समझ नहीं आई कि यह गधे और नाई कहां से budget discussion में ले आए हैं। (I fail to understand how the hon. Member has brought donkeys and barbers in the debate.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : स्पीकर साहिब, अगर आप ने चौधरी श्री चन्द को उस वक्त यह रोक दिया होता तो मुझे इस वक्त सब कुछ कहने की ज़रूरत न पड़ती ।

अध्यक्ष महोदय : इस में रोकने न रोकने की बात नहीं है। चौधरी श्री चन्द साहिब ने तो judicial report में से एक quotation दी है और आप ने उसे ज़ाती हमला समझ लिया है। उस को ज़ाती हमला समझ कर आप ने गधे और नाई लाने शुरू कर दिये हैं जो कि दूसरे member पर reflection है। This is not good. आप को debate का standard maintain करना चाहिए। (There was no question of checking or not checking Chaudhri Sri Chand. He simply gave a quotation from the judicial report which the hon. Member has considered it as a personal attack on himself. As such he has started to give examples of donkeys and barbers which is a reflection upon the other hon. Member. This is not good. He should maintain the standard of debate.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : जनाब स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब वह नाई camp में आया तो उसे पूछा गया कि तुम ने किसी का सिर काटा है। (शोर)

Mr. Speaker : This is most irrelevant.

चौधरी धर्म सिंह राठी : स्पीकर साहिब, उन को ज़रा सुन लेने दें। यह इतनी ही अच्छी बात है जितनी कि चौधरी श्री चन्द जी ने कही थी। मैं बता रहा था कि जब वह नाई camp में पहुंचा तो उसे पूछा गया कि भाई बता किसी का सिर काटा है। इस पर वह नाई कहने लगा कि सिर तो वहां पर किसी का था ही नहीं इस लिए मैं तो हाथ और पैर ही काटता रहा हूं। ठीक वही हिसाब हमारे चौधरी श्री चन्द का है और इन्हों ने वैसी ही बहादुरी दिखाई है जैसी कि उस नाई ने दिखाई थी (शोर)। मैं यहां बता रहा हूं कि यह लोग खामखाह की वकालत करते हैं उस Government की जो कि गरीबों की दाल रोटी पर tax लगा रही है। ऐसी निकम्मी Government को चौधरी श्री चन्द जैसे आदमी support करते हैं जो कि पहले हाउस में यह बात कहा करते थे कि गरीब लोगों पर tax नहीं लगने चाहिएं। लेकिन आज मुझे हैरानी हुई है कि उन्हों ने taxes को defend करने की कोशिश की है। उन को इस बात का अब कोई ख्याल नहीं आया कि यह tax गरीबों पर लगाए

जा रहे हैं । जो कुछ वह पहले कहा करते थे आज उन्हों ने उस के खिलाफ कहा है । जहां तक जालंधर का ताल्लुक है उस के बारे में मैं ने बताया है कि वह छिपते रहते थे और उन की हिम्मत नहीं पड़ी कि वहां तक चले जाएं ।

अध्यक्ष महोदय : Report में तो उन के छिपने का कहीं जिक्र आया ही नहीं । (There is no mention in the Report about the slipping away of the hon. Member Chaudhri Siri Chand.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैं बता रहा हूं कि उन्हें वह case conduct करना चाहिए था मगर वह डरते हुए वहां पर नहीं गए । इस के इलावा सरदार उमराओ सिंह जी ने Jullundur की Report के बारे में कई बातें कहीं हैं । उन्हों ने यह नहीं देखा कि अगर जलूस जा रहा हो तो उस पर पत्थर फैंकने कहां की इनसानियत और शराफत है । मैं कहूंगा कि जिन आदमिओं ने जलूस के ऊपर पत्थर फैंके थे उन के खिलाफ सख्त action लेना चाहिए । बाकी जिस तरह से यह report लिखी गई है और जिस तरह से यह सारा काम हुआ है उस के मुताल्लिक मैं हाउस को बताना चाहता हूं । (*noise*)

Mr. Speaker : You cannot reflect on the judicial findings of an hon. Judge of a High Court. You are a lawyer and you should know this. Try to be relevant.

चौधरी धर्म सिंह राठी : जनाब स्पीकर साहिब, मैं बिल्कुल सारी position जानता हूं । वह वहां बतौर Judge काम करने के लिए नहीं गए थे बल्कि बतौर एक Commission के काम कर रहे थे ।

Rao Gajraj Singh : This must be expunged.

(*Voices : Order, order.*)

Mr. Speaker : I will not allow such remarks to be made.

Rao Gajraj Singh : He was a Judicial Officer.

(*Voices : Order, order. At this stage there was a loud noise in the House*)

चौधरी धर्म सिंह राठी : स्पीकर साहिब आप को याद होगा कि Parliament में छागला कमिशन के conduct को भी discuss किया गया था । इस लिए मैं भी यहां पर इस Report पर discussion कर सकता हूं ।

* * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * *

*Expunged by order of the Hon. Speaker.

Rao Gajraj Singh : On a point of Order, Sir, He was a Judicial Officer invested with powers for taking statements on oath. He was a Judicial Officer. Therefore, it cannot be said that his report was like this or that * * *
* * * * * * * * * * * * * * *
This should be expunged and should not be allowed to remain on record.

Mr. Speaker : This will be expunged . No such remark will be allowed.

चौधरी धर्म सिंह राठी : स्पीकर साहिब, आप expunge करें या न करें यह आप की मर्ज़ी है मगर इस Commission की Report को हम legally discuss कर सकते हैं । Parliament में छागला Commission के conduct को discuss किया गया था । इस लिए इस पर भी discussion होनी चाहिए । मैं आप को असली बात बताऊंगा कि किस तरह से यह Report लिखी गई है ।

Mr. Speaker : No please . I will not allow it. His conduct was not at all discussed in the Parliament. Only interpretation of some of his findings was allowed. I will not allow any reference to that. You are not within your rights to do that.

चौधरी धर्म सिंह राठी : स्पीकर साहिब, जहां तक इस के conduct पर discussion करने का ताल्लुक है वह बात तो मैं आपकी मानता हूं मगर यह Report जिस तरह से लिखी गई है और कैसे लिखी गई है यह बात मैं discuss कर सकता हूं ।

Sardar Ajmer Singh : On a point of Order, Sir. If the hon. Member is not abiding by the ruling of the Speaker, then he should be asked to sit down. He should not be allowed to speak.

Mr. Speaker : I have asked him that he should try to be relevant. I will not allow him to make such references.

चौधरी धर्म सिंह राठी : स्पीकर साहिब, मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि यहां कई भाइयों ने जिन में हमारे चौधरी श्री चंद भी पेश २ थे बल्कि सब से आगे थे उन्हों ने truck permits देने के बारे में गवर्नमेंट को defend करने की कोशिश की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह लोग इनको इस मामले में defend कर रहे हैं जो खुद इस चीज़ में और इस लूट में शामिल हैं और उनको भी यह permits दिए गए हैं । उन को ही नहीं उनके रिशतेदारों को भी दिए गए हैं और इसी लिए यह इसे defend करने के लिए कोशिश कर रहे हैं । मुझे चौधरी श्री चंद जी के बारे में खूब इल्म है कि उनके लड़के को permit दिया गया है, उनके तीन sons-in-law हैं उनको permits दिए गए हैं और फिर कई रिश्तेदार भी हैं जिनको यह permits दिए गए हैं । अगर वह अब इस चीज़ को defend नहीं करेंगे तो और कौन करेगा । इन हालात में इस गवर्नमेंट की इतनी भारी जो corruption है,

*Expunged by order of the Hon. Speaker.

बेइमानियां हैं, खराबियां हैं और lawlessness है अगर यह मैम्बर defend नहीं करेंगे तो और कौन करेगा । फिर इस गवर्नमैंट को वकील कौन मिला जो खुद इन की इन बातों में शामिल है । जैसी गवर्नमैंट वैसा वकील । मैं कहता हूं कि अगर defend कराना ही था तो कम से कम ऐसे आदमियों से defend कराना था जो इन चीज़ों के अन्दर शामिल न होते । मगर defend वह लोग कर रहे हैं जो खुद इस लूट में शामिल हैं । मैं अर्ज़ करूंगा कि जो आदमी शीशे के महल में रहता हो वह दूसरों पर पत्थर नहीं फैंक सकता । मगर चौधरी श्री चंद जी की हालत यह है कि खुद शीशे के महल में रहते हैं और फिर दूसरों पर पत्थर फैंकते हैं । चौधरी साहिब का बड़ा अदब करता हूं और बड़ी कद्र करता हूं मगर मुझे इस बात की हैरानी हुई कि वह उस गवर्नमैंट को defend करने के लिए खड़े हुए जो corrupt है । आज उन्हों ने इस गवर्नमैंट की ग़लत बातों को और इस की corruption को defend करने की कोशिश की । मुझे पता है कि उन्हों ने इसी हाउस में लाला जगत नारायण पर इलज़ामात लगाए थे और फिर बाद में उनके पीछे पीछे भागते फिरते रहे और मैं ने उनको उनके पांव पकड़ते देखा है (*interruptions and loud noise.*)

अध्यक्ष महोदय : कुछ तो debate का standard रखें । (The hon. Member should, at least, maintain some standard of the debate.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैं तो अभी सिर्फ सात मिनट ही बोला हूं मगर चौधरी सिरी चंद 20 मिनट बोल चुके हैं और सरदार अच्छर सिंह छीना भी..

अध्यक्ष महोदय ; अगर आप relevant होंगे तो 20 मिनट ही बोल लेना अगर irrelevant बोलेंगे तो एक मिनट नहीं बोलने दूंगा । (I would allow the hon. Member also to speak for twenty minutes if he is relevant but if he is irrelevant I would not give him even one minute.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैं relevant बात ही करूंगा । तो स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ करता हूं कि मैं ने यह बजट अच्छी तरह देखा है और इसके अन्दर....

अध्यक्ष महोदय ; मगर मुझे मालूम होता है कि आप ने यह नहीं देखा है । (हंसी) (But I feel as if the hon. Member has not seen the Budget) (*Laughter.*)

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैं ने देखा है और इसी तरफ आ रहा हूं मगर पहले चौधरी सिरी चंद की बातों का जवाब देना भी ज़रूरी था ।

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

तो स्पीकर साहिब मुझे इस बजट के अन्दर देख कर बड़ी हैरानी हुई कि यह गवर्नमैंट अब किस किस्म के काम करने चली है। यह जो पांच, छः taxes लोगों पर लगाए हैं उन से ज़ाहर होता है कि यह गवर्नमैंट इस किस्म की बातें करने चली है जो लोग बरदाश्त नहीं कर सकते हैं और ऐसा बोझ डालने चली है जिस से गरीबों की कमर टूट जाए। Agricultural produce पर sales tax लगा दिया है। दूसरे taxes भी लगे हैं जैसे electricity पर लगा है raw materials पर लगा है और जहां तक कि ग़रीब की दाल रोटी पर भी लगा है। मैं Finance Minister से कहना चाहता हूं कि उनको इन taxes की proposal वापस ले लेनी चाहिए क्यों कि यह जो पांच चार taxes हैं यह सिर्फ गरीबों पर लगे हैं और common man पर लगे हैं जो पहले ही दबे पड़े हैं। आपने सरमायेदारों को छोड़ दिया, जो बड़े बड़े mill owners थे उनको छोड़ दिया और ग़रीबों को मारने जा रहे हो। । मैं ने देखा है कि इस बजट के अन्दर कोई public finances का principle नज़र नहीं आता जो इन taxes को justify कर सके। इस लिए मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इनको यह proposal वापस ले लेनी चाहिए और अगर यह वापस नहीं लेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब में पहले ही betterment taxes और दूसरे ऐसे taxes की वजह से काफी बेचैनी है इस लिए एक ऐसा तूफान पंजाब में उठेगा जिसे यह हकूमत तो क्या और भी कोई नहीं दबा सकेगा और उस पर काबू नहीं पा सकेगा। इस के इलावा, स्पीकर साहिब, मैं ने इस बजट के अन्दर हरियाणा के बारे में कुछ भी नहीं देखा है। सड़कों के बारे में कुछ ज़िक्र है। सो मैं ने इन सारी सड़कों की schemes को देखा है और सारे नकशे का मुझे पता है। इस बजट में उन सारी सड़कों को फिर से दोहरा दिया गया जो पिछले साल भी शामिल थीं मगर पूरी नहीं की थीं। इस में नई बात कोई भी नहीं है। जो पिछली स्कीमें थीं उन सब को फिर से दोहरा दिया है। तो मैं कहूंगा कि इस बजट में। हरियाणा के लिये सड़कों के बारे में कुछ नहीं है और न electricity के बारे में education के बारे में, schools के बारे में कुछ है। जहां तक services का ताल्लुक है वह तो बहुत ही बुरा हाल है। पिछले साल इस Secretariat के अन्दर हरियाणा के दो heads of departments थे मगर आज एक भी नहीं है। यही हाल डिप्टी कमिश्नरों, पुलिस कप्तानों, S. D. Os., और दूसरी posts का है। कोई post हो चाहे Public Service Commission के तहत हो चाहे Subordinate Services Board के जेर हो हरियाणा वालों को कोई नहीं पूछता। जब हमारे यह चीफ मिनिस्टर साहिब सोनीपत जाते हैं तो कहते

हैं कि देखो भाइयों आपको 60 फी सदी देंगे मगर जब अमली तौर पर देने का सवाल आता है तो यह समझा जाता है कि हरियाणा पंजाब के नक्शे में ही नहीं है और हरियाणा के ज़िलों के लोग जो पंजाब में रहते हैं वह गुलाम हैं । है भी ठीक उन की ज़िन्दगी गुलामों जैसी है ।

स्पीकर साहिब, इस बजट के अन्दर मैं किस चीज़ की हिमायत करुं और किस तरह से इस administration की हिमायत करूं जिस में इतनी corruption है । मैं ने पिछली दफा भी एक वाक्या बताया था कि पानीपत में एक contractor है और उस का नाम सरदार अर्जुन सिंह सोढी है और उसका contract cancel किया गया था । चीफ मिनिस्टर साहिब ने भी यहां एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि सरदार अर्जुन सिंह सोढी को black list कर दिया है । लेकिन अभी 20 फरवरी को चीफ मिनिस्टर साहिब पानीपत गए और उनके यहां चाए पी आए और उनको इजाज़त दे दी कि उनको अब ठेका मिलेगा (एक आवाज़ : गलत) गलत क्यों अभी अभी यह 20 फरवरी को वहां चाए पी कर आए हैं और इजाज़त हो गई है कि सरदार अर्जुन सिंह सोढी ठेके ले सकते हैं । यह वह आदमी है जिसे black list किया गया था और उनका सारा material सड़कों पर जब्त कर लिया था । यह हाल है ।

अब मैं दूसरी बात बताता हूं उसे भी सुन लें । एक Swarn Singh son of Gujjar Singh हैं जो अमृतसर के रहने वाले हैं और हमारे इन चीफ मिनिस्टर साहिब के खास दोस्त हैं । उन को दो साल की सज़ा हुई थी और 3,500 रुपए जुर्माना हुआ था । तो चीफ मिनिस्टर साहिब ने समझा कि यह तो बहुत बुरी बात हुई । जब वह चीफ मिनिस्टर बने तो पहला काम उन्हों ने यह किया कि चीफ मिनिस्टर बनने के 10 दिन बाद उसको release कर दिया हालांकि उस पर 3100 रुपए जुर्माना था और वह आज तक realise नहीं हुआ है । सज़ा भी उसे नहीं भुगतनी पड़ी है । तीसरी बात यह है कि एक कशमीरा सिंह हैं और अमृतसर के ही हैं । उनका दो जुर्म 320 I. P. C. और 19/11/78 I. P. C. में चालान हुआ और एक में सजा भी हुई । 302 का case जो था वह pending रहा और दूसरे में सज़ा हुई । उस वक्त यह चीफ मिनिस्टर साहिब मिनिस्टर incharge उस महकमा के थे । उन्हों ने जो 302 के वारंट थे वह cancel करा दिए और उसे जालंधर जेल से अमृतसर जेल को transfer करवा दिया । फिर उसकी 19/11/78 की ज़मानत करा कर छोड़ दिया गया । दफा 320 का जो case था उस में भी उसे जेल नहीं रखा गया और छोड़ दिया गया । तो यह हालत है हमारे इस administration की । मैं गवर्नमैंट से कहना चाहता हूं........

अध्यक्ष महोदय : यह तो judicial cases हैं और आप कहते भी हैं कि pending हैं । (These are judicial cases and he says that these are pending also.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : नहीं जनाब अब pending नहीं है उस वक्त pending थे जब मैं बात कर रहा हूं । उनको छोड़ दिया गया। जमानत नहीं हुई abscond हो गए । अगर वह 302 I. P. C. का मुलज़म......(*interrpution and noise*.)

अध्यक्ष महोदय : यह तो judicial बातें हैं इन को आप कैसे यहां connect कर रहे हैं ? (But these are judicial matters. How is the hon. Member connecting them with the general discussion of the Budget.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैं आप को बता रहा हूं कि यह judiciary के अन्दर interference है । उसे चीफ मिनिस्टर के कहने पर छोड़ दिया गया । 302 दफा के जो warrant थे उनको cancel करा दिया गया और उस आदमी को फिर बरी करा दिया गया.........

अध्यक्ष महोदय : आप judicial authority पर reflect कर रहे हैं । (The hon. Member is reflecting on the judicial authority.) (*noise*)

चौधरी धर्म सिंह राठी : मुझे अब चौधरी सूरज मल जी बड़े बेताब नजर आ रहे हैं । उनकी भी सुन लो । (हंसी) एक जीवन सिंह हैं जो कि पहले 60 रुपये के मुलाज़िम थे......

अध्यक्ष महोदय : यह बजट में कहां है ? (हंसी) (How does this come in the Budget ?) (Laughter)

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैं स्पीकर साहिब उसी तरफ ही आ रहा हूं । तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि आप पहले Central Co-operative Bank में 60 रुपये के नौकर थे । वह साहिब चूंकि चौधरी सूर्ज मल जी के खास मन्जूरे नज़र हैं इस लिए स्पीकर साहिब उस आदमी को अब A.R. बना दिया है हालांकि Central Co-operative Bank वालों ने उनके बारे में लिखा था कि वह corrupt हैं और inefficient हैं......

अध्यक्ष महोदय : यह बातें आप administrative officers की कर रहे हैं who are not present in the House to defend themselves. (The hon. Member is talking about those administrative officers who are not present in this House to defend themselves.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैं अर्ज़ कर रहा था कि यह आसामी पब्लिक सर्विस कमिशन के ज़रिये से पुर की जानी चाहिए थी लेकिन इस आदमी को favour करने के लिए इन्हों ने तीन महीने के लिए इस की appointment कर दी और जीवन सिंह के बाप भरत सिंह को भी पर्मिट दे दिया. . . .

अध्यक्ष महोदय : सिवाय इन दोनों की निगरानी करने के आप को कोई और काम भी है । (I think you have no other business except supervising them).

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਇਹ irrelevant ਗਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਉ ।

अध्यक्ष महोदय : अब तो आप का वक्त चौधरी सिरी चन्द के बराबर हो गया है अब आप बैठ जाएं । (Now The hon. Member has taken time equal to Chaudhri Sri Chand. He should resume his seat now.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : स्पीकर साहब अभी मेरा वक्त दो मिनट बाकी है ।

इस के इलावा स्पीकर साहब पानीपत के अन्दर कोआप्रेटिव शूगर मिल है । उस के बारे में लोगों ने दरखास्तें दी थीं कि उस का बड़ा खराब इन्तज़ाम है और कोई चीज़ उस में ऐसी नहीं जिस में गड़बड़ न हो । इस के बारे में दरखास्तों पर दरखास्तें दी गईं और कहा गया कि कम से कम डायरेक्टरों की इलेक्शन ही करा लें । पंजाब कोआप्रेटिव यूनियन ने रेज़ोल्यूशन पास किया कि शूगर मिल्ज़ के डायरेक्टर इलेकशन से लिए जाएं लेकिन हुकूमत की हिम्मत नहीं कि उन्हें इलेकशन से लें । इन के 'बाई लाज़' हैं कि एक साल में एक मीटिंग ज़रूर होना चाहिए जिस में उसका बजट approve होना चाहिए लेकिन चौधरी सूरज मल जी में इतनी हिम्मत कहां । (घंटी)

पंजाब में यह बातें हो रही हैं, कुरपशन हो रही है, गड़बड़ हो रही है, lawlessness हो रही है लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, ज़्यादतियां की जाती हैं । हाउस के मेम्बरान को पीटा जाता है । इन हालात में मैं यह कहता हूं कि 15 जुलाई 1957 को मैं जब करनाल से चण्डीगढ़ आया तो मुझे भी लारी में रोक लिया । तीन घण्टे तक रोके रखा और इसी तरह 25,30 और सवारियों को रोके रखा और कहते हैं कि पंजाब में अमन है । लोगों पर गोलियां चलाई गईं, लाठियों से पीटा गया, बहू बेटियों की बेइज्ज़ती की गई और ऐसी ऐसी बातें हुईं जो किसी जगह सुनने में नहीं आ सकतीं ।

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

अखीर में स्पीकर साहब, मैं एक शेर कहकर बैठ जाता हूं ।

बेगुनाहों के खून की बारिश में

Sardar Ajmer Singh (Samrala) : Mr. Speaker, what my friend, Chaudhri Dharam Singh Rathi, has spoken, I feel, is a reflection on our profession. As a lawyer, he is expected to know something about relevancy and respect for the judiciary and the courts. As a Member, he should have some respect for this House. He has indulged in such things, which, I feel, should not have been talked about here.

स्पीकर साहब, मैं अर्ज करूं कि जब आप राठी साहब को बोलने के लिये कहेंगे तो मैं कहूंगा कि लाठी साहब बोलते हैं । मैं कहूंगा कि Lathi has got no brain. Lathi has got no tongue but here we find lathi has got a long tongue.

चौधरी धर्म सिंह राठी : आप नहीं बोल रहे खरमेर सिंह बोल रहा है । आप नहीं बोल रहे आप की वज़ारत बोल रही है ।

अध्यक्ष महोदय : यह जाने दें। (Please leave it.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : आप को उन के बारे में भी पता होना चाहिए ।

सरदार अजमेर सिंह : लाठी दोस्त और दुश्मन में तमीज़ नहीं रखती । इस लिए यहां भी नहीं ।

चौधरी धर्म सिंह राठी : मुझे तो आप कहते थे अब....

अध्यक्ष महोदय : आप ने जो बजट जारी किया था वही चीज़ चल रही है । (It is the same type of discussion of the budget which was started by him.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैं ने नहीं, चौधरी सिरी चन्द ने ।

अध्यक्ष महोदय : अजमेर सिंह जी आप ही छोड़ दीजिए । (I would ask Sardar Ajmer Singh to please leave this topic.)

सरदार अजमेर सिंह : स्पीकर साहब, मैं तो बड़े खूबसूरत तरीके से कह रहा था कि Lathi has got all the violence about it.

चौधरी धर्म सिंह राठी : खरमेर सिंह ।

अध्यक्ष महोदय : पर्सनल बातें नहीं कही जानी चाहिएं । (The hon. Member should not be personal.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬਜਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀਆਂ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੋਸਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਕਤ ਸਿਰ ਆ ਗਈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰੋ ਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲੱਕ ਲੋਗਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਸਾਫ ਤਸਵੀਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਲੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ mass mentality ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ਔਰ ਅਜ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ :

That they were criminals. They have been trying to defend the criminals afterwards.

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਿਸ ਗਵਾਹ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਨਾ ਵੀ respectable ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ reliance ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਗੋਰਮਿੰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਂਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ morality ਇਨ੍ਹਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।

A lawyer is expected to defend the criminal but he should have the decency to say whatever he wants to say. He should do so gracefully.

5 p.m.

ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਿਸਮਤ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਅਸਾਂ ਮਨਿਸਟਰੀ ਅਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ constructive criticism ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ Administration ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬਧ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ Ministers ਤੇ officers responsible ਹਨ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। After all ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ Administration ਨੂੰ improve ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀਆਂ communities ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਏ, ਅਗੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ finances ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹਟਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰੋ, ਫੇਰ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਸੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ condemn ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ local ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ concentrated population ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰ ਚੌਧਰੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]

ਭਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਥੇ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ adminisration ਦਾ ਬੋਝ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ।

ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਅਸਾਂ Central Govt. ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਅਸਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕੁਝ ਰੁਪਿਆ ਤਾਂ betterment fees ਦੁਆਰਾ ਇਕਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ । ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਭਾਖੜਾ electricity ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ । ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਲੀ ਤਕ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ proportion ਵੇਖੀ ਜਾਏ ਤੇ ਰੁਪਿਆ ਸਮੁਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸੂਲ ਕਰ ਕੇ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਹੋਵੇ । ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਹਨ, ਸੂਦ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਹੋਵੇ । ਇਕ ਗਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ industry ਵਲ ਸੂਹਣੀ ਨਿਗਾਹ ਰਖੀਏ, raw material ਮਿਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ safety ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ Tribunal ਹੋਵੇ । Agriculture ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਸਕੀਮ ਬੜੀ ਮਹਤੱਤਾ ਰਖਦੀ ਹੈ । ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ Betterment fee, surcharge ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਟੈਕਸ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਉਹ ਐਨੇ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ assurance ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਓਹਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ minimum price ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਾ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਐਨੀ return ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ । ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ minimum price ਵਧਣ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ price ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ minimum price of the production of agriculture must be guaranteed. ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ crops ਦੀ insurance ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨਰਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ provision ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ crops ਦੀ insurance ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ loss ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ । ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ investment ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ income assured ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੇਬਰ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਡਸ ਜਾਵੇ, ਕੱਕਰ ਵਿਚ ਰਾਤੀਂ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ compensation ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਉਸਦੀ insurance ਪਰਬੰਧ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਿਨੇ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਫੇਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੇਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ

ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਫੇਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ Elections ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਏਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੇ rates ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੇਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, stray cattle ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਐਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਬੇਟ ਦੇ ਅਲਾਕੇ ਵਿਚ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ । ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਮੁਤਲੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਜੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ production ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਮ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਬੰਧ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਡੀ nuisance ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਤੇ subsidy ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਨ੍ਹ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ । ਇਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਨ । ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਘਟੋ ਘਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਬਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਠੇ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਨ । Cattle are meant for men ਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ।

ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ unemployment ਤੋਂ ਡਰੋ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ unemployment ਤੋਂ ਡਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ anti-social element ਹੈ, ਫਲਾਨਾ element ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ 30 ਏਕੜ ਤਕ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਲਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਲ੍ਹਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਹੁਣਾ । ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਚਲਦੇ ਸੀ ਜਾਂ tube-wells ਚਲਦੇ ਸੀ । ਵਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਕੱਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ 50% scheduled caste ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ 50% ਦੂਜੇ । ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਰਖਣੀ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤੇ ਕੱਦ ਵੀ ਘੱਟ । ਮੈਂ grudge ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਜਿਥੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਓ । ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]

ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਰੂ ਪਾਣਗੇ, Communists ਬਨਣਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਲਦ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ। ਅਗਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਿਖਣੀ ਹੈ, ਸਿਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿਛੇ ਜਾਣਗੇ ? ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ unemployment ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ unemployment ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ unemployment ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਥੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ (ਘੰਟੀ) ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਉ। Unemployment ਦਾ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲ਼ੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ provide ਕਰੋ। ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਥਾਂ ਹੈ। ਫੌਜ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਥਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਗੇ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਥੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ extension blocks ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਇਹ ਉਥੇ ਬਨਾਉਣੇ ਨੇ। ਛੋਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਤਵਜੁਹ ਦਿਉ। (ਘੰਟੀ)

ਸਿਰਫ ਦੋ ਅਖਰ ਹੋਰ ਕਹਿਣੇ ਨੇ। Estimates ਬਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਕਲਮ ਬਹੁਤ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਜੱਜਜ਼ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਕ ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਇਕਲੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਇਤਨਾ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮਕਾਨ, ਜੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਨਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਪਿਆ ਲਾਉਣਗੇ ? ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਅਰਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਕ ਆਈਟਮ ਲਭਾ ਹੈ। 87,700 ਰੁਪਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਬਨਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਰੁਪਿਆ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਸਮਾਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਣਾ ਦਿਉ (ਘੰਟੀ) Thank you, Mr. Speaker.

अध्यक्ष महोदय : आप कितना वक्त लेंगें चौधरी सूरज मल जी ?
(How much time will you take, Chaudhri Suraj Mal ?)

चकबन्दी तथा स्वास्थ्य मन्त्री (चौधरी सूरज मल) : आधा घंटा ।

अध्यक्ष महोदय : इतना नहीं । (Not so much please.)

श्री बलराम दास टण्डन : On a point of order, Sir. आपने ruling दिया था कि उनको time दिया जाएगा जो Governor साहिब के Address पर नहीं बोले हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आपको तो apply नहीं करता । आप ने जो लिस्टें दी हैं, उनके मुताबिक चलना है । (This does not apply to him. The hon. Members are to speak according to the lists given to me by them.)

श्री बलराम दास टण्डन : स्पीकर साहिब, मैं अपनी या ज़ाती बात नहीं कह रहा; मैं तो सब के लिए कह रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यह आप को कैसे पता है कि ऐसा होगा ? (How has the hon. member guessed that it will happen like that ?)

श्री बलराम दास टण्डन : Opposition के बारे में ऐसी ही बात है । आप ने कहा था कि जो members Governor's Address पर नहीं बोले हैं उनको preference दी जाएगी ।

अध्यक्ष महोदय : आप बात सुनिये, बैठिये । (The hon. Member should resume his seat and listen to me.

Shri Ram Piara : On a point of order, Sir.

Mr. Speaker : No point of order when I am standing please. जो बात आपने Governor साहिब के Address के बारे में कही है वह तो ठीक है; आप ज़रा आगे सुनिये । आप ने सुबह मुझे lists दीं कि यह order है जिसमें members ने बोलना है । (No point of order when I am standing please. Whatever the hon. Member has said about the hon. Members who had spoken on the Governor's Address is correct. Please listen to me further. The hon. Members give me lists in the forenoon showing the order in which they had to deliver their speeches.)

ਕੰਵਰਾਣੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ : ਇਸ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਨਾਉਂ ਵੀ ਹੈ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास तो नहीं है । (It is not included in the list given to me.)

एक माननीय सदस्य : क्या जो Governor साहिब के Address पर बोल चुके हैं उनकी बारी नहीं आ रही ?

चकबन्दी तथा स्वास्थ्य मंत्री : मैं ने पांच सात बातों का जवाब देना है जो मेरे मुतल्लिक कही गई हैं । I have a right to speak.

अध्यक्ष महोदय : अगर आप आधा घंटा लेना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं ; आप अपने मेम्बरों का time कम करेंगे । आप शुरु कीजिए । (If the hon. Minister wants to have half an hour , I have no objection but he will do so at the cost of other members' time. However, let him start his speech.)

चकबन्दी तथा स्वास्थ्य मंत्री (चौधरी सूरज मल) : साहिबे सदर, मैं इस वक्त कोई ज्यादा बहस में हिस्सा नहीं लूंगा, सिर्फ दो चार बातें आप के ज़रिये House के सामने रखना चाहता हूं । जिस वक्त Opposition की तरफ से एक Leader मुंतखिब हुए तो मेरा ख्याल था कि वह पुराने तजरुबाकार Leader हैं उनकी रहनुमाई में उनकी opposition बड़े वाज़ह तौर से और अच्छी तरह से काम करेगी । लेकिन आज इस रवैये को देख कर मुझे बड़ा भारी दुःख हुआ ; अफसोस हुआ इस बात को देख कर कि हम आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह से सलूक करते हैं । यह वाकई हमारे House के लिए कोई शान की बात नहीं ।

(At this stage Mr. Deputy Speaker occupied the Chair.

साहिबे सदर, एक दो बातें Public Health के बारे में कही गई हैं । उन के बारे में तो मैं बाद में जवाब दूंगा । लेकिन एक दो बातें एक दो साथियों ने इस तरह से कही हैं जो बिल्कुल गलत हैं । उनके बारे में मैं पहले जवाब दूंगा ।

एक साहिब ने जो शिमला से ताल्लुक रखते हैं, कहा है कि वहां पर गलत बयानी की । मैं अब भी यह कहता हूं कि एक आदमी बीमार था मरने वाला था । उस वक्त एक आदमी को कहा था, एक नौकर को, एक worker को कहा गया कि आप जाकर oxygen gas का वह सामान ले आओ । उसके आने में देर हुई । उस आदमी को तकलीफ हुई । मरने वाला लिखा था, इन्हों ने कहा कि वह मर चुका है । इतनी गलत बयानी की बात नहीं करनी चाहिये । वह जिम्मेदार आदमी हैं, देख कर बात किया करें । दूसरे भाई चौधरी धर्म सिंह साहिब हैं जो इस वक्त उठ गए हैं । उन्हों ने कुछ बात कर दी । एक तरफ तो हरियाणा के वास्ते शोर मचाते हैं कि हरियाणा को कुछ नहीं मिला । अगर किसी बात से किसी तरह से हरियाना के हक हकूक रखने की कोशिश की जाती है तो दूसरी तरफ चिल्लाते हैं कि एक आदमी 60 रुपए

की नौकरी लेता था, उसको उठा कर Assistant Registrar बना दिया । वह आदमी वहां सवा दो सौ रु० की नौकरी करता था । अगर उसे ढाई सौ रुपये की नौकरी दे दी तो क्या गज़ब हुआ । वह fully qualified है । अब वह case Public Service Commission के पास जाएगा । अगर वह आदमी Public Service Commission को ठीक न लगा तो उसे उस जगह से हटा दिया जाएगा । अगर बह उसे approve कर देंगे तो वह उसी जगह पर रखा जाएगा । जिस भाई ने इतना कुछ कहा कि मैं ने कुछ बात कर दी है, इतनी favouritism की है, ऐसी कोई बात नहीं । वह आदमी मेरे जिले का रहने वाला है, हमारे गांव के पड़ौस का रहने वाला है । अगर कोई आदमी मुस्तहिक हो तो उसे क्यों न लगाया जाए । (चौधरी धर्म सिंह राठी : वह मुस्तहिक नहीं है ।) वह मुस्तहिक है । मैं challenge करता हूं, अगर कोई ऐसा गैर मुस्तहिक आदमी करार दे दे तो मैं मानने को तैयार हूं । यह गलत बात करते हैं । कई लोगों को कहने की आदत पड़ गई है कि वे विश्वास से किये हुए कामों को और दयानतदारी से किये कामों को बुरा कहते हैं । उसके ऊपर कोई आदमी यह साबत कर के दिखलाए कि यह काम मैं ने इस किस्म का किया है । मैं ने इस सारे समय में 10,11 महीने के अर्से में जो कुछ किया है एक आदमी भी खड़ा हो कर नहीं कह सकता कि कोई बददयानती या कोई favouritism का काम किया है । यह बात मैं challenge के साथ कहने को तैयार हूं ।

इस किस्म की बातें करना और यह कहना कि यह काम किसी और मकसद से किये हैं यह गलत बात है । इस के साथ मैं कुछ बातें हैल्थ के महकमे के बारे में कहना चाहता हूं । मैं मानता हूं कि इस वक्त हमारे पास डाक्टरों की कमी है और मैं यह जानता हूं कि यह कमी इस लिये है कि हमारा कौमी कैरैक्टर ऊंचा नहीं है । मैं यह नहीं कहता कि मैं बड़ा तीस मारखां हूं बल्कि मैं यह बात बहैसियत एक हिन्दुस्तानी होने के कहता हूं कि देहात में हमारे डाक्टर लोग नहीं जाना चाहते । अगर किसी तरह से किसी डाक्टर को देहात में भेजने की कोशिश की जाती है तो उस की दस सिफारिशें आ जाती हैं कि यह आदमी मर जाएगा, इस के बच्चे पढ़ते हैं, बीवी बीमार रहती है । मेरे दिल में दिहातियों का बड़ा दर्द है और खास तौर पर कांगड़े के लिये मेरे दिल में बड़ा दर्द है और शायद इतना दर्द उन के अपने दिल में भी न हो । लेकिन मुश्किल यह है कि वहां पर शहरी आदमी जाना नहीं चाहते । जब किसी की ट्रांसफर होती है तो वह आ कर कहता है कि साहिब मैं नहीं जाना चाहता । दूसरे मुल्कों के लोग तो चार चार हज़ार मील से आ आ कर यहां पर काम करते हैं, गरीबों की खिदमत करते हैं, मुफलिसों की मदद करते हैं । लेकिन यहां पर कुछ ऐसा माया का युग बना हुआ है कि लोग बगैर पैसे के

[चकबन्दी तथा स्वास्थ्य मन्त्री]

कोई काम नहीं करना चाहते । हम ने डाक्टर साहिब से दरखास्त कर ली, उन को कहा कि पैसे भी ज्यादा दे देंगे आप बराए मेहरबानी वहां जा कर काम करें लेकिन चूंकि वहां पर वह सहूलतें नहीं हैं जो कि शहरों के अन्दर होती हैं इस लिये वे वहां नहीं जाते । इस में गवर्नमैंट का आबजैक्टिव बिल्कुल साफ है । हम चाहते हैं कि दिहात वालों के साथ इन्साफ हो उन की मदद की जाए । हर तरीके से कोशिश हो रही है, वहां पर बिजली पहुंचाने की कोशिश हो रही है, ऐजूकेशन दिलाने की कोशिश की जा रही है । पंजाब के हर ज़िले में जब से कांग्रेस पार्टी की हकूमत हुई है तब से अस्पतालों के बनाने में, सड़कों के बनाने में और स्कूलों के बनाने में गरज़े कि हर तरह से डिवेल्प करने की कोशिश की जा रही है । आप किसी जगह जाओ तो आप यह काम हुए देख सकते हैं । जो लोग नुक्ता चीनी करते हैं वह एक डिसइन्ट्रैस्टड आदमी के तौर पर खड़े होकर देखें कि पिछले दस सालों में कितनी तरक्की हुई है । पहले अगर दिल्ली से डमवाली जाते थे तो रास्ते में सिर्फ पांच या सात पुलियां मिलती थीं । अगर आज आप दिल्ली से डमवाली जाएं तो रास्ते में आप को तकरीबन साठ सत्तर पुलियां मिलेंगी । नहरों का जाल बिछ चुका है और लोगों की तकलीफात दूर हो चुकी हैं । आप जिस जगह भी जाएं आप नहरों की तादाद ज्यादा देखेंगे, सड़कों की गिनती ज्यादा देखेंगे, आप को कई हस्पताल दिखाई देंगे और कई मदरसे बनते दिखाई देंगे । अगर आप निष्पक्ष हो कर देखें तो आप को यह ज़रूर मालूम होगा कि काम बहुत हो रहा है ; यह ठीक है कि इतनी जल्दी नहीं काम हो रहा जितनी जल्दी कि होना चाहिये । लेकिन इस में हमारी अपनी खामी है । हम इंगलैंड से आदमी नहीं ला सकते । जब तक हम सारे के सारे खुद निगरानी नहीं करते उस वक्त तक यह काम नहीं हो सकता । मेरा भतीजा फौज के अन्दर था । लड़ाई के वक्त जापानियों ने पकड़ लिया । उस ने मुझे बताया कि वे बहां पर सिर्फ चार घंटे काम करते थे लेकिन निगरानी की ज़रूरत नही होती थी । वे खुद तो एक तरफ आराम से बैठे रहते थे और देखते रहते थे और आदमी काम करते रहते थे । लेकिन यहां बात दूसरी है । जब तक सख्त निगरानी न की जाए सिर पर खड़ा न हुआ जाए, कोई आदमी काम नहीं करता । मैं खुद सरप्राइज़ विज़िट करता हूं । जा कर लोगों के काम को देखता हूं । उन को पकड़ता हूं और इस तरह से कोशिश करता हूं कि किसी तरह से ठीक काम हो । लेकिन अभी तक हम कौमी कैरेक्टर को ऊंचा नहीं कर सके । हम किसी के लिये काम नहीं करते । हमारे अन्दर इतना इंडिविजुअलिज़म है कि हर एक आदमी अपने फायदे के बारे में सोचता है; अपने ही काम के लिये सोचता है । तमाम देश या कौम को फायदा पहुंचाने के लिये नहीं सोचता है । जब तक यह नहीं हो जाता तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता......

चौधरी धर्म सिंह राठी : डिप्टी स्पीकर साहिब मैं ने सुना है मिनिस्टर साहिब ने सब बातें मोटे दिमाग की की हैं ।

Mr. Deputy Speaker : Order please, order.

चकबंदी तथा स्वास्थ्य मंत्री : अगर आप ने लड़ाई करनी है तो बाहर चलिये ।

चौधरी धर्म सिंह राठी : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर । एक मिनिस्टर साहिब की तरफ से यह कहा जाना कि लड़ाई करनी है तो बाहर आ जाओ जाहिर करता है कि उन का दिमाग मोटा है । वह मोटे दिमाग के आदमी हैं ।

Mr. Deputy Speaker : Order please.

चौधरी धर्म सिंह राठी : यह मोटे दिमाग के आदमी हैं, मोटे दिमाग की बातें करते हैं ।

चकबंदी तथा स्वास्थ्य मंत्री : आप बेहतर दिमाग के आदमी हैं और हम मोटे दिमाग के आदमी हैं ।

साहिबे सदर, मैं ज़िक्र कर रहा था कि इस वक्त जो सेहत आमा हमारे सूबे के अन्दर है उस का नक्शा यह है कि इस वक्त आप देखेंगे कि हमारी सूबे में से मोटी मोटी सब बीमारियां खत्म हो चुकी हैं, कालरा की, प्लेग की और स्माल पाक्स की भी.....

श्री जगत नारायण चोपड़ा : वह तो आप के आने से पहले भी खत्म हो चुकी थीं ।

चकबंदी तथा स्वास्थ्य मंत्री : ठीक है, जिस वक्त लाला जी थे उस वक्त सब ठीक था और अब सब गल्त है।

(राठी साहिब की तरफ से विघ्न)

Mr. Deputy Speaker: Order please.

चकबन्दी तथा स्वास्थ्य मंत्री : आठ दस साल की मुसलसल कोशिशों का नतीजा आप के सामने रख रहा हूं । मैं नहीं कहता कि अला दीन का चिराग जला कर हम ने सब कुछ ठीक कर दिया है । मैं आप को अपनी गवर्नमैंट का काम बताना चाहता हूं । जहां 1948 में जहां इनफेंट मोरटेलिटी की परसेंटेज 130 थी वहां अब वह परसेंटेज 105 रह गई है । इसी तरह से औरतों

[चकबन्दी तथा स्वास्थ्य मन्त्री]

की मोरटेलिटी भी काफी घट गई है। मलेरिया से भी अमवात की तादाद बहुत कम हो गई है। अगर आप इन तमाम चीज़ों को देखें तो आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि इन पर काफी काबू पा लिया गया है। इस वक्त नौ ऐंटी मलेरिया यूनिट काम कर रहे हैं। साठ लाख की आबादी में काम कर रहे हैं। नतीजा के तौर पर मलेरिया के केसज़ बहुत कम हो गए हैं। जब मैं यह कहता हूं तो मेरा यह मतलब नहीं है कि इन सब चीज़ों का क्रेडिट मैं ही लेना चाहता हूं, मैं श्री जगत नारायण जी का क्रेडिट नहीं छीनना चाहता बल्कि मैं गवर्नमैंट का काम बताना चाहता हूं। आप अंदाज़ा लगाइये कि किन हालात के मातेहत यह काम किया गया। देश का विभाजन हुआ तो न तो उस वक्त काफी स्कूल थे, यह हिस्सा सूबे का डिवेल्प्ड नहीं था। हर एक बात की बहुत कमी थी। हर तरह के माकूल इन्स्टीट्यूशन की ज़रूरत थी। आप यह जान कर खुश होंगे कि इस वक्त तीन माकूल और मुकम्मलल मेडिकल कालेज सूबे के अन्दर काम कर रहे हैं। पटियाले के मेडिकल कालेज में से भी इस साल 67 डाक्टर पास कर के निकलेंगे।

इसी तरह हमारे अमृतसर का Medical College है—लुधियाना में भी है; वहां से भी काफ़ी लड़के निकलेंगे। इस तरह से जो हमारे पास इस वक्त lady doctors और male doctors की कमी है; उस को पूरा किया जाएगा। हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि जो देहातों में जाना चाहें उन को ज़्यादा तनखाह दी जाए ताकि वे वहां पर लोगों की सेवा कर सकें। इन बातों को आप के सामने रख कर मैं आप की वसातत से मेम्बर साहिबान को वाज़ेह तौर पर बता देना चाहता हूं कि आप की गवर्नमेण्ट इन चीज़ों की तरफ से बिल्कुल आंख मीचे हुए नहीं है। बल्कि जिस लगन के साथ आप नुकताचीनी करते हैं, उसी लगन के साथ हम काम करने की कोशिश करते हैं बशर्ते कि आप चीज़ों को उन की सही शकल में देखने की कोशिश करें। मैं खुद काफ़ी अरसे तक Opposition में रहा हूं। Opposition के लिए ज़रुरी है कि वह हुकूमत के कामों की नुकताचीनी करे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जिस चीज़ को आप के सामने लाया जाए बिना उसको देखे भाले आप उस को गलत कह दें। जिस चीज़ को आप की conscience गलत कहती है, जिस चीज़ को आप की आत्मा गलत कहती है उसे आप बेशक गलत कहें। कौन कहता है कि आप गलत न कहें? लेकिन अगर आप की आत्मा यह कहती है कि फलां चीज ठीक ही है और आप अपनी आत्मा की आवाज़ के खिलाफ़ उसको गलत ठहराते हैं तो कहना पड़ेगा कि ऐसी नुकताचीनी महज़ नुकताचीनी की खातिर ही होती है। और अगर आप इसी नज़रिए से बहस करें तो इस में कोई शक नहीं कि इस तरह से जम्हूरी हकूमत के अन्दर Opposition का जो असर होना चाहिए उसको आप खुद खत्म करते हैं।

जहां तक consolidation का ताल्लुक है, जितनी जल्दी और जितना ज़्यादा काम हम कर सकते हैं वह कर रहे हैं। लेकिन consolidation का मामला ऐसा है जो ज़मीन के साथ ताल्लुक रखता है। ज़मीन के मामले में ज़मींदार बहुत कंजूस होता है। उसकी किसी हालत में तसल्ली नहीं होती। आप उस को High Court या Supreme Court तक ले जाएं उसकी तसल्ली नहीं हो सकती। लेकिन जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है वह निहायत नेक नीयती के साथ, दयानतदारी के साथ और पूरी मेहनत से देहातियों की तसल्ली करने की कोशिश में लगी हुई है। आखिर हम भी तो इनसान हैं, देवता तो है नहीं जो सर्व कला सम्पूर्ण हों। हम काम करते हैं—लेकिन उसमें गलतियां भी हो सकती हैं। Co-operation से बहुत सी बातें ठीक हो सकती हैं। मगर अकसर देखने में यह आता है कि हमारे अन्दर, हमारे लोगों के अन्दर मिलकर काम करने की अहलियत नहीं है। तो इस में गवर्नमेंट का कसूर क्या है? हम ने, आप देखें कि co-operative spirit को सूबे के अन्दर लाने के लिए co-operative societies बनाई हुई हैं—co-operative societies का जाल हमने बिछा दिया है लेकिन जब एक दूसरे पर एतबार करने की, मिलकर काम करन की अहलियत ही न हो तो क्या हो सकता है? इस के लिए सब की co-operation की ज़रूरत है। तभी काम तरक्की के रास्ते पर आगे चल सकता है।

Sugar Factory के बारे में ज़िक्र किया गया। यह एतराज़ किया गया है कि क्यों गवर्नमेंट ने nominations की हैं। भाई! आप ने खुद ही जो bye-laws बनाए उन में साफ तौर पर provision किया हुआ है कि तीन साल तक government nominations कर सकती है। यह उसी कमेटी के बने हुए हैं जिस की वह meeting call करना चाहते थे। उस में लिखा है कि तीन साल तक गवर्नमेंट nominations से काम ले। हो भी क्यों न? गवर्नमेंट की इस में 80 लाख रुपए की investment है; आप लोगों ने तो सिर्फ बीस-तीस लाख रुपये के ही shares इकट्ठे किए थे। जब गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा रुपया लगाया है तो क्यों न गवर्नमेंट उस की working पर आंख रखे। क्या आप चाहते हैं कि उस co-operative मिल का रुपया इसी तरह खुर्दबुर्द हो जाए और गवर्नमेंट उस पर ज़रा भी आंख न रखे? यह कभी नहीं हो सकता। गवर्नमेंट का यह फ़र्ज़ हो जाता है कि वह इस बात को देखे कि लोग आपस में मिलकर कोई बेईमानी तो नहीं कर रहे—गवर्नमेंट का रुपया जो उसने invest किया है वह महफ़ूज़ भी है या नहीं! गवर्नमेंट ने देखना है कि जब तक वह society sound footing पर नहीं होती उसको completely elected body के सुपुर्द न किया जाए।

अब बहुत ज़्यादा न कहता हुआ मैं सिर्फ यही अर्ज़ करके बैठ जाऊंगा कि अगर हम यह चाहते हैं कि State की administration अच्छी तरह से चले तो पहले हम सब को खुद सोच समझकर बातें करनी चाहिएं। हो सकता है कि किसी वक्त कोई कमी भी रह जाती हो। इनसान गलती का पुतला है। लेकिन जो बातें यहां

[चकबन्दी तथा स्वास्थ्य मन्त्री]

आम तौर पर कही गई हैं वह उन कहने वाले मेम्बर साहिबान को ज़ेब नहीं देतीं। चौधरी सिरी चन्द जी की तरफ इशारा करके कहा गया कि उन्होंने motive attach किए। वह इस वक्त यहां हैं नहीं; वह खुद इसका जवाब देंगे लेकिन मैं आप को बता दूं कि यह बात गलत है। इस तरह से एक दूसरे को कहना ठीक बात नहीं है; नामुनासिब है। इस तरह से एक दूसरे की शान खराब होती है आप की शान भी खराब होती है और दूसरों की शान भी खराब होती है।

श्री बलराम दास टण्डन (अमृतसर नगर पश्चिम): स्पीकर साहिब, इस सदन के अन्दर पिछले तीन दिनों से नए साल के बजट पर बहस हो रही है। बजट के सम्बन्ध में वित्त मन्त्री महोदय की जो तकरीर छपी हुई सब लोगों के दरमियान बांटी गई है और जिस तरीके से अखबारों के अन्दर छपी है अगर उसको बाहर का कोई व्यक्ति, जो कि पंजाब की वास्तविक हालत से परिचित न हो, जो ठीक तरह से यह न जानता हो कि यहां के अन्दरुनी हालात क्या हैं—इसको पढ़े तो शायद वह यही समझेगा कि पंजाब की धरती के ऊपर स्वर्ग उतर आया हो। हर बात के बारे में..(At this stage the Minister for Finance entered the Chamber) खुशी की बात है कि Finance Minister भी अब House में आ गए हैं और शायद वह इन बातों की तरफ ध्यान देकर अपनी जवाबी तकरीर में इन बातों को दरुसत करने का प्रयत्न करेंगे।

स्पीकर साहिब, अगर इस बजट के आंकड़ों को गौर से देखा जाए तो ऐसा मालूम होता है और हैरानगी होती है कि उन के अन्दर किस तरीके से झूठ का पुलन्दा इकट्ठा करने की कोशिश की गई है। आप Sewing Machines की item को लीजिए। यह बताया गया है कि Sewing Machines की production में पिछले साल 400 फीसदी का इज़ाफ़ा हुआ है। कितनी हैरानगी की बात है—और मैं नहीं जानता कि Finance Minister साहिब ने ये आंकड़े कहां से इकट्ठे किए हैं—हो सकता है कि उन के पास कोई ऐसी चक्की चल रही हो जो वह बताती हो कि एक सौ से लेकर चार सौ तक इज़ाफ़ा हुआ है और अब 500 तक होने वाला है। लेकिन असल में पंजाब के सम्बन्ध में जो आंकड़े मिलते हैं उन से यही मालूम होता है कि पहले यहां पर लगभग 20,000 के करीब Sewing Machines पैदा होती थीं और पिछले साल 1½ या दो हज़ार का और इज़ाफ़ा हुआ है। लेकिन हैरानगी की बात है कि ये कैसे अजीब आंकड़े—पता नहीं कहां से इकट्ठे करके लाए हैं—पेश करते हैं कि यहां पर 20,000 से बढ़कर पिछले साल में एक लाख मशीनें पैदा की गई हैं। जो २ figures यहाँ पर दी गई हैं उन सब की details को बताना तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारे पास इतनी machinery ही नहीं कि उन को इकट्ठा कर सकें और Finance Minister साहिब के आगे रख सकें लेकिन जो कुछ मुझे इतने थोड़े से अरसा

में पता लग सका है उसके मुताबिक मैं समझता हूं कि जितनी भी बातों के सम्बन्ध में आंकड़े यहां पर पेश किए गए हैं उन में उतने ही मुबालगे से काम लिया गया है जितना कि मशीनों के figures को quote करने में।

बाकी जो हालत हमारे सामने है, जिस तरीका से सूबे के अन्दर corruption दिन ब दिन बढ़ रही है और जिस तरीका के हालात हमारे बड़े २ सरकारी अफसरान के बारे में हैं, उन को अगर देखा जाए तो मैं बिला किसी हिचकिचाहट के कह सकता हूं कि अंगरेजों के दो सौ साल के शासन में इतनी लूट मार नहीं हुई होगी जितनी कि मौजूदा गवर्नमैंट के दस साल के राज में हो चुकी है और हो रही। जनता के धन को बुरी तरह से लूट कर कुछ एक आदमियों की जेबों में भरा जा रहा है। जिन लोगों से टैकसों का रुपया वसूल किया जाता है उन की development का कोई कदम नहीं उठाया जाता। हैरानगी की बात है कि जो पार्टीशन से पहले की हालत थी आज उस से भी भिन्न हो गई है। उस जमाने में क्या होता था? ठीक है कि अफसर, Engineer, चीफ इंजीनियर वगैरह सब दौरे पर जाया करते थे। लेकिन कितनी बार? महीने में एक आध बार—सिर्फ एकाध दिन के लिए उन को T. A. और D. A. वगैरह मिलता था। इस के विपरीत आज हालत क्या? मैं एक आध मिसाल देकर ही इस मामले को खत्म करता हूं। जैसा हमारा अमृतसर circle है। वहां के Incharge Engineer ए. ऐस. कल्ला हैं। एक एक महीने में अमृतसर के लिए आठ आठ, दस दस दिन का दौरा रखते हैं क्योंकि अमृतसर के साथ उनका ताल्लुक है, उन के नातीदार हैं, उन के सम्बंधी हैं। आगे यह होता था कि जो भी छोटे से छोटा कलर्क होता था या बड़े से बड़ा अफसर—वह जिस जगह का हुआ करता था उसको अपने इलाके में post नहीं किया जाता था। लेकिन इस राज्य में इसके बिल्कुल उलट किया जा रहा है। जो अफसर जहां का रहने वाला है, जहां उस के रिश्तेदार, नातेदार या मिलने जुलने वाले होते हैं, उसको वहीं पर लगाया जाता है। मिसाल के तौर पर आप और cases को लें। Executive Engineer, Mr. Kalsi हैं। वह गुरदासपुर में posted हैं। वह भी वहीं के रहने वाले हैं। ऐसे ही श्री रामधाड़िया है। इस तरह वहां पर धान्धली मची हुई है। जनता के रुपए को निहायत बुरी तरह से लूटा जा रहा है। डेरा बाबा नानक का बांध बनना था। आप को सुनकर हैरानगी होगी, डिप्टी स्पीकर साहिब, वहां पर चूंकि water level 5 फुट नीचे था उसको ठीक करने के लिए 10,000 रुपए की रकम sanction हुई थी। उस के बाद फिर रुपया मांगा गया उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन वह जो पहले water level को adjust करने के लिए रुपया sanction हुआ था उस का कोई हिसाब नहीं दिखाया गया। दुबारा नीचे की सतह से लेकर ऊपर तक के लिए रकम sanction की गई। ऐसी एक बात नहीं, अनेकों बातें हैं जो यहां पर चल रही हैं। चूंकि सरकार इस बात की anxiety दिखा रही है कि water

[श्री बलराम दास टंडन]
logging को खत्म करना है, drains बनानी है वहां मैं आप को बताना चाहता हूं कि किस तरह रुपया खुर्दबुर्द होता है, किस प्रकार की धांधली मची हुई है। दिखाने को तो चाहे दिखा दिया जाता है कि एक करोड़ रुपया खर्च हो गया। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो एक करोड़ रुपया के खर्च के लिए साल में कम से कम छ: महीने जरूर काम करना पड़ता है, उस के लिए लगभग 25, 30 हजार के करीब मजदूर चाहिएं। लेकिन अगर आप देखें तो वहां पर मुश्किल से हजार, बारह सौ आदमी काम पर लगे होते हैं। जिस बुरे तरीके से रुपया waste किया जा रहा है उसके बारे में अगर आप Accounts Committee की रिपोर्ट को देखें तो आप को हैरानगी होगी। इस को देख कर यह कहना पड़ता है कि पंजाब के अन्दर ऐसा दिखाई देता है कि जितना रुपया जनता की जेबों से टैक्सों के रूप में निकाला जाता है, जितना धन जनता की जेबों में से निकाला जाता है अफसर लोग उस को खर्च करने में निहायत गैर जिम्मेदारी का काम करते हैं। वह ऐसा समझते हैं कि जैसे बहता हुआ पानी आ रहा है, वह समझते हैं जैसे दरख्तों से पत्ते गिर रहे हैं--क्यों इस का ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए! और जो खर्च किया जाता है वह इस गड़बड़ के साथ कि कोई पूछने वाला भी नहीं है।

वैसे तो भाखड़ा डैम के बारे में हम लग भग पौने दो सौ करोड़ रुपये के करीब खर्च कर रहे हैं। यह जनता का रुपया है और यह लोगों की खून पसीने की कमाई है। मैं ने अब जो अर्ज करना है वह इस रिपोर्ट में पैरा 14 पर दी हुई है। Finance Minister साहिब को चाहिये कि वह इस की तरफ अपना ध्यान दें। डिप्टी स्पीकर साहिब इस में लिखा है:

> Although the Project was started in 1945, no project estimate has been sanctioned so far and complete financial stock-taking of the project has also not been conducted for a period of about 13 years now.

Shri Nihal Singh : On a point of order, Sir. I would like to know whether the Report of the Public Accounts Committee can be discussed on the Floor of the House.

Shri Balram Dass Tandon : Sir, I am not discussing the Report. I am only quoting from this Report.

जरा Finance Minister साहिब इसे ध्यान से सुनने कि कृपा करें। फिर आप यह कहते हैं कि हम constructive criticism करें लेकिन अब आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे। आप इस की तरफ ध्यान दें। इस में कहा हुआ है:

During the course of the oral examination, the Chief Engineers informed us that the first financial stock-taking of the Project had been conducted recently and the results thereof were under check with the Chief Accounts Officer of the Project. We were not satisfied with the reasons for this inordinate delay for sanctioning of the project estimates and conducting the financial stock-taking. Absence of both these things, we feel, leaves no financial control by the Legislature over the affairs of the Project. The previous Public Accounts Committees also pointed out the imperative need for these imporant items of work but we regret to point out that things have continued to move at a snail's pace.

इस के बाद फिर वह लिखते हैं ।

The oral examination revealed that in spite of the fact that more than 12 years have elapsed no action has been taken against any officer responsible for the neglect of these important items of work.

Finance Minister साहिब चाहेंगे कि जो धन जनता का वहां बरबाद हो रहा है उसकी तरफ यह ध्यान देने की कोशिश करें । जो Engineer यहां पर काम कर के अपने देश अमरीका वापस चला गया है उस ने वहां जा कर एक article लिखा जो इस में qoute किया गया है और यह Times of India के readers column में छपा था । उस में लिखा है कि बड़ी हैरानी की बात है हिन्दुस्तान के Engineers कैसे काम करते हैं और करवाते हैं । Clerical कामों के लिये जहां दो सौ आदमी चाहियें, हैरानी की बात है कि वहां यह काम दो सौ से नहीं चलता, तीन सौ से नहीं चलता बल्कि उस clerical काम को हज़ारों आदमियों से करवाया जाता है । ऐसा मालूम होता है कि सिवाये इस के उन आदमियों को रोटी के लिये काम देना होता और कुछ नहीं । वैसे तो इतने आदमियों के करने का वह काम ही नहीं होता ।

अगर आप इस को गौर से पढ़ें तो इस के अन्दर जो जो बातें लिखी गई हैं वे आप ठीक प्रकार से समझ सकेंगे । Item No. 19 के अन्दर लिखा हुआ है

This is a case in which a Contractor tendered certain rates for burning bricks and tiles but failed to fulfil his contract within the specified period. When the Executive Engineer cancelled his contract and invited fresh tenders the lowest rate then tendered was lesser than the rates of the previous contractor In spite of this the work was ordered to be reallotted to the original contractor at the higher rates as quoted by him previously. Audit Department has pointed out that this resulted in an avoidable payment of Rs 23,190 to the original contractor.

इतना ही नहीं ऐसी यदि एक बात हो तो मैं बताऊं यह सारी की सारी किताब ही इन बातों से भरी हुई है । आगे इस में लिखा है कि कुछ ट्रक खरीदे गये और वह truck गवर्नमेंट of India के Store Purchase Department से खरीदे गये और वह truck जब वहां पर पहुंचे तो वहां Engineers की तरफ से यह कहा गया कि यह truck तब तक use में नहीं लाये जा सकते जब तक इन की repairs नहीं हो जातीं और इन्हें तब तक काम में नहीं लाया जा सकता जब तक इन की repairs पर 72 हज़ार रुपया नहीं लगाया जाता । इस के साथ ही यह भी इस में लिखा है कि वह truck पहले कलकत्ता

[श्री बलराम दास टण्डन]

में ले जाये गये और वह एक साल तक कलकत्ते में रहे । उस के बाद एक साल के लिये वह कहीं और रहे जिस का पता भी नहीं लगता कि वह कहां रहे और उसके बाद फिर यह कहा गया कि जब तक इन पर 72 हज़ार रुपया नहीं लग जाता तब तक यह काम में नहीं लाये जा सकते । इतना ही बस नहीं मैं आप को बताना चाहता हूं कि किस तरीका के साथ इस प्रान्त की जनता के ऊपर क्या २ tax लगाने की कोशिश की जा रही है जैसे कि कोई पराया माल मिल गया हो और उस को लेने के लिये कोशिश की जा रही हो । मैं कहता हूं कि ऐसा मालूम होता है कि पंजाब के अन्दर धान्धली मची हुई है । यह 21 वां point है । Finance Minister इस तरफ ध्यान देने कि कोशिश करें । इस में दिया है :

> The Audit Report has pointed out payment of large sums of money on account of interest to the land owners due to delay in payment of compensation for land acquired. During the course of examination, we were informed that the amount of interest paid so far is now over Rs 23,40,000.

23,40,000 रुपये interest के देने हैं जो इन लोगों की गलती के कारण जो उन को compensation दी जानी थी और वह नहीं दी गई यह रकम उस पर interest के देने पड़ने हैं । यह बड़ी हैरानी की बात है कि एक तरफ तो यह सरकार लोगों को दाल रोटी पर tax लगा रही है और उन की दाल रोटी पर tax लगा कर रुपया इकट्ठा कर रही है और दूसरी ओर यह इस रुपये को इस तरह से ज़ाया कर रही है । फिर यह बिजली पर tax लगा रही है जिस से मिलें चलती हैं और लोगों के दूसरे धन्धे चलते हैं । जिस से tube-wells हम ने चलाने हैं और दूसरे कूएं चलाने हैं और उन को चला कर हम पंजाब के खेतों को हरा भरा करना चाहते हैं उस बिजली पर भी यह सरकार tax लगा रही है हालांकि यह गावों के लोगों को बिजली दे कर enlighten करना चाहते हैं । इस के साथ ही लोगों की दाल रोटी के एक एक लुक्मे पर टैक्स लगाया जा रहा है जिस का नतीजा यह होगा कि जब रोटी का एक लुक्मा उन के अन्दर जायेगा तो वह महसूस करेंगे कि हम पर एक तरफ तो इतने टैक्स लगाये जा रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह से लाखों करोड़ों रुपये बरबाद किये जा रहे हैं । यह सारी मुंह बोलती तस्वीर है :

> In this case a sum of Rs 25,800 was irregularly advanced by the Executive Engineer to a firm for supply of 516 tons of M. S. bars in April and May, 1951.

जनाब एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि करोड़ों रुपये का बजट हम ने पण्डित मोहन लाल के हाथों में दिया हुआ है और यह उन को उन पर विश्वास कर के दिया हुआ है कि वह इसका एक पैसा भी ज़ाया नहीं होने

देंगे । हम जब एक पैसे का भी मुनीम रखते हैं या एक सौ रुपये का मुनीम रखते हैं तो हम उस से यह चाहते हैं कि वह एक पैसे की हेरा फेरी भी नहीं करेगा । मैं इस लिये पण्डित जी से बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि अगर पंजाब का एक पैसा भी ज़ाया होता है तो यह पण्डित जी को शोभा नहीं देता कि उस के ज़ाया होते हुए आप इस गद्दी पर बैठे रहें उस हालत में आप के लिये बेहतर होगा कि आप resign कर के अपने घर को चले जायें । इतना ही नहीं ऐसी अगर एक बात हो तो मैं इन के सामने रखूं । हैरानी की बात यह है कि हमारी सरकार जो कानून अपने मातहतों के लिये बनाती है तो यह खुद आप इन के मुताबिक क्यों नहीं चलने की कोशिश करती । जब इस ने यह कानून बनाया हुआ है कि प्रान्त की जो Municipal Committees हैं उन के पास जब उन के हिसाब किताब की audit report आती है तो वह उन objections को एक तरफ लिख कर दूसरी तरफ उन के annotated replies जो हों वह बताने की कोशिश करें । उन के जो यह annotated replies हों उन में यह भी दिया जाये कि उन objections पर क्या action लिया गया है । लेकिन इस report में लिखा है कि जिन चीज़ों पर objections किये गये थे उन का पता भी नहीं लगा कि वह कहां गये हैं । दो साल से उन पर कोई action ही नहीं लिया गया । इन की तरफ से यह..........(वित्त मंत्री आप procedure को समझने की कोशिश करें) मैं आप की बात आप के सामने रख रहा हूं ।

(घंटी) मुझे कुछ बातें कहनी हैं । मुझे अफसोस से यह कहना है कि मुझे पहले भी समय नहीं मिला था । अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं कुछ कह लूंगा नहीं तो बैठ जाऊंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप दो मिनट और ले लें । (The hon. Member may take two minutes more.)

श्री बलराम दास टंडन : कुछ बातें बड़ी ज़रूरी हैं । मैं ने 5, 10 irregularities जो accounts के अन्दर हैं बताई हैं....

उपाध्यक्ष महोदय : आप ने पढ़ने में time लगा दिया (The hon. Member spent much of his time in citing quotations.)

श्री बलराम दास टंडन : इस Democratic ढांचे के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं और गवर्नर साहिब के Address के समय भी कही गई थीं । लेकिन हैरानी की बात है कि हमारे सभी मैम्बरों और Ministers वगैरह को जो भी इस सभा के अन्दर आते हैं 'मैं इस constitution के मुताबिक चलते हुए या इस की रक्षा करते हुए काम करूंगा' ऐसी एक प्रकार की सौगन्ध लेनी पड़ती है मगर हैरानगी की बात है कि जिन पर इस सूबे में इस constitution

[श्री बलराम दास टंडन]
को चलाने की ज़िम्मेदारी हैं, जिन्होंने हरेक को पाबन्द करने का इन्तज़ाम करना होता है वही लोग आज इस विधान की मिट्टी पलीद करने पर तुले हुए हैं। They themselves have become the killers of the constitution. मगर हैरानगी की बात है कि उन के खिलाफ कोई action नहीं लिया जाता। इस असैम्बली ने जो कानून पास किए हैं उन को लागू करने की ज़िम्मेदारी सरकार की है। कानून बना हुआ है कि Municipalities की elections तीन साल के बाद होंगी। क्या यह कानून पंजाब में लागू है? आप देखिए कहीं पर चार साल, कहीं 5 साल, कहीं 15, कहीं 20 और ऐसी भी कमेटी हैं जहां 21 साल से elections नहीं हुए। यह कैसी विधान की रक्षा है। मगर सुनने वाला कोई नहीं। यहां पर महात्मा गांधी जी का नाम लिया जाता है और उन का फोटो भी है। परन्तु यहां पर तानाशाही है, democracy नहीं जिस की दुहाई दी जाती है। Democracy के अन्दर हाकिम कानून के अन्दर चलता है परन्त तानाशाही में Dictator का लफ्ज़ ही कानून होता है। यहां पर यही हालत है। पता नहीं कब किस के जी में आ जाए कि District Boards नहीं चाहिए, अच्छा तोड़ दो; फिर पता नहीं किस को राय को ख्याल आ जाए यह न तोड़े जाएं तो वैसा ही होगा। फिर रोज़ महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, पंडित जवाहर लाल जी का नाम लेते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी सरकार के होते हुए, इस हाल के अन्दर महात्मा गांधी का फोटो नहीं चाहिए बल्कि किसी स्टालिन, मसोलोनी हिटलर का फोटो चाहिए। (Opposition की तरफ से तालियां)

महात्मा गांधी और Democracy के नाम पर इन्हें यह बातें शोभा नहीं देतीं। फिर इन्साफ का अशोक चक्र हमारे झंडे में लगा हुआ है। मैं समझता हूं कि ऐसे महापुरुष का प्रतीक, जिस ने न केवल हिन्दुस्तान को ही बल्कि सारी दुनियां को एक सन्देश दिया, आज हमारे झंडे में लगा हुआ है। मगर ऐसी पंजाब सरकार के होते हुए जिन्हों ने तानाशाही को अपना सर्वस्व समझ रखा है, इस विधान सभा में अशोक चक्र नहीं बल्कि हलाकू और चन्गेज़ खां का जो निशान हो उस को लगा के रखना चाहिए। (विघ्न)

Mr. Deputy Speaker : Order please.

श्री बलराम दास टंडन : कैरों राज के अन्दर ऐसा हो सकता है जहां तानाशाही का राज है।

दूसरी बात मैं smuggling के बारे में कहना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में यहां पर बहुत सी बातें चलीं। आशा यह थी कि सरकार इस पर कुछ action लेगी, कोई कदम उठायेगी। मगर हैरानगी की बात यह है कि एक माननीय मैम्बर द्वारा सरकार के नोटिस में यह बात लाने के बावजूद कि इस के अफसरान ही यह

बात करवाने वाले हैं, उन के खिलाफ किसी किस्म का action लेने को तैयार नहीं। शायद वह, इन के नजदीकी रिश्तेदार होंगे, या करीबी बन्दे होंगे (घंटी) जिन को बचाने के लिए कई हथकंडे बरतने पड़ते हैं। अमृतसर जिले में border का थाना लोपोकी है। वहां के थानेदार मूल सिंह के खिलाफ एक बार नहीं कई बार बयान दिए जा चुके हैं, 1682 नम्बर constable ने दिए, एक hon. Member ने दिए, सरपंच ने बताया कि किस तरह असली smugglers को छोड़ दिया जाता है लेकिन इस के बावजूद S.S.P. के कान पर जूं न रींगी, S.P. Border उस की हिमायत करता है। कोई सुनने वाला नहीं। यह शायद इस लिए ऐसा है कि उन के जरिए भाई बाजी है और बांट बड़े २ लोगों तक पहुंचती है। Smuggling खत्म होने की बजाए बढ़ती है और innocent लोगों को पकड़ लिया जाता है। जैसे और भेड़िए वाली कहानी है कि तू नहीं होगा तो तेरा बाप होगा। एक आदमी को पकड़ लिया कि फलां दिन तुम ने smuggling की। उस ने कहा कि मैं तो उस दिन हिन्दी agitation के सिलसिले में जेल में था तो कहने लगे तो तुम्हारा लड़का होगा। 15 दिन के बाद Session Court में कह दिया कि इस पर वह मुकदमा नहीं है, इस पर तो मुकदमा सिगरिटों के बारे में है और इस तरह उस को withdraw करा लिया। कितनी अजीब धांधली है। बात २ में धांधली चल रही है। और पंजाब सरकार को कैरों शाही की बजाए अगर scandal शाही कहा जाए तो गलत बात न होगी। ढेर के ढेर हैं scandals के—कोई route permits में, कहीं political sufferers में, कहीं brick kilns के बारे में, Honorary Sub-Registrars के सिलसिले में, जिस का जिक्र पंडित जी ने किया कि एक को दो कर दिया है अमृतसर शहर और तहसील के लिए अलग २। पहले जो एक था वह B.Sc., L.L.B. था, 5 साल का उस का experience था और 243 रुपए माहवार उस को मिलते थे। अब दो कर दिए हैं और हरेक को 416 रुपए माहवार देते हैं। इस तरह 7,056 रुपए का सालाना बोझ पंजाब पर और डाल दिया गया है। और अमृतसर जिले के अन्दर जो लोग लगे हुए हैं उन पर 24,980 रुपए और ज्यादा खर्च होता है। वह तो था B.Sc., LL.B. और 5 साल का experience भी था मगर अब अनपढ़ लगाए हैं— कोई चौथी पास, कोई चौथी फेल, एक Matric पास तो एक Matric fail, फिर कहा जाता है कि खूब छान बीन कर के लगाए हैं। Health Minister ने कहा कि सब व्यक्तियों के बारे में पता किया गया है। हम चाहते हैं कि enquiry हो जाए। जिन बातों का मैं ने जिक्र किया है, Route permits, political sufferers, brick kiln permits, Publicity Officers और B.D.O.s की appointments इन सब बातों की enquiry कराई जाए। Health Minister साहिब ने पटियाला Medical College में किसी को Assistant Professor, किसी को Professor और किसी को Principal लगा दिया है। और I.M.A. के rules क्या कहते हैं।

[श्री बलराम दास टंडन]
जिस का पढ़ाने का तीन साल का तजरुबा हो वह Assistant Professor बनाया जाए, उस के बाद 5 साल का तजरुबा हो तो Professor और Principal का सवाल तो बाद में आएगा । लेकिन वहां इतने सालों का तो क्या इतने दिनों का भी तजरुबा वह लोग नहीं रखते । अगर इन सारी बातों की enquiry हो जाए तो यह जो सारी वज़ारत बैठी है पंजाब को इस नाअहल वज़ारत से छुटकारा मिल जाए । जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन पंजाब के लोग दीप माला करेंगे ।

ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ (ਨੂਰਮਹਲ) : Deputy Speaker ਸਾਹਿਬ, Budget ਤੇ general discussion ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਜਣਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬਜਟ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੋਵੇ ਜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Budget ਤੇ discussion ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਦੋ aspects ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਤਕਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਉਹ ਹਨ agriculture ਅਤੇ industry ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ 24 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ provision ਕੀਤਾ ਹੈ । ਫਿਰ taxes ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ । ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੇ tax ਲਾਏ ਹਨ । ਪੁਛਦੇ ਹਨ ਉਸਦੀ justification ਕੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ taxes ਦੀ justification ਹੈ ਉਹ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ beneficiary departments ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖਰਚ ਹਨ । ਇਹ ਖਰਚ tax ਦੀ justification ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹਿਬੂਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

6 P.M.

1¼ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ administration ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਇਸਤੇ ਕਈ ਸਜਣ ਉਠ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕਿਉਂ administration ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਹ ਨੁਕਸ ਲਭਦੇ ਹਨ ਇਸ ਖਰਚ ਵਿਚ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ administration ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ । ਨੁਕਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ । ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਖਰਚ ਘਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ administration ਤੇ ਵੀ ਘਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਜ ਕਲ ਜੋ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਜ ਇਕ ਗਲ ਲਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲ ਦੂਜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਆਖਰ ਵਿਚ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ united ਫਰੰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਇਹ united front ਇਕ ਮੁਠ ਹੋਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਨਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ । ਇਹ ਫਰੰਟ ਕਿਸ ਲਈ;

ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਲਭੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ point out ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਨੁਕਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕੋਈ constructive criticism ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ-ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਚਲਦੀਆਂ ਆਉਣ। ਆਪ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਧਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਿਰਕਾ ਦਾਰਾਨਾ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਿਚ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਸਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ restraint ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਤ ਬਰਤਾਵ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਮੈਂ ਇਥੇ ਜਲੰਧਰ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਂ ਬਾਹੂ ਅਕਬਰ ਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਭ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਅਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਰਕਾ ਦਾਰਾਨਾ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। Communalism ਦੀ ਅਗ ਨੂੰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ਿਰਕਾਦਾਰੀ ਦੀ ਅਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਨੂੰ justify ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਨੂੰ justify ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ constructive criticism ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਵਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਣ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੁਕਸ ਲਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਅਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ united ਫਰੰਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰ ਸਕੀਏ।

ਅਜ ਅਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ economic programme ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਜ development ਦੀ age ਹੈ। Communalism ਦੀ age ਨਹੀਂ। Progressive age ਹੈ ਅਸੀਂ economy of state ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ

[ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ]
ਹੈ ਅਤੇ social evils ਜੋ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਮੋੜੀਏ । ਅਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ development ਵਾਸਤੇ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ agricultural ਉਨਤੀ ਲਈ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ । Floods ਨੂੰ control ਕਰਨ ਲਈ drainage ਕਢਣ ਲਈ ਰਕਮ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ । ਅਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦਾ deficit ਹੈ । ਅਨਾਜ ਘਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜੋ agricultural production ਦੇ ਟੀਚੇ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ 21.40 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਰ ਵਧਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਦੀ production ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਅਜ ਖੜੇ ਹਾਂ ਉਥੋਂ 30 per cent ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ development ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ agricultural produce ਵਧ ਸਕੇ ਸਾਡੀਆਂ problems economic ਹਨ, communal ਨਹੀਂ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, agricultural production ਨੂੰ ਵਧਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ । ਇਹ ਅਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸ ਅਨਾਜ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ exchange ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਫਾਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ foreign exchange ਦਾ load agriculture ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਲ ਤਾਂ ਹੀ shift ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ exchange ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਉਹ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ agricultural production ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਜੋ ਟੋਟਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਲਾਗਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ । ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ agriculture ਅਤੇ ਇਨਡਸਟਰੀ ਦੀ development ਲਈ ਰਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਖਰਚ ਹੈ ਇਸ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦੋਹਾਂ ਪਖਾਂ ਵਿਚ development ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਜਦੋਂ self-sufficiency agriculture production ਵਿਚ ਕਰ ਲਏ ਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬਚਾ ਸਕਾਂ ਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਐਸ ਵੇਲੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ bare necessities of life ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ agricultural state ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । Industry ਵਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸਾਡੇ ਪਾਸ raw material ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਥੇ

ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ raw material ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਇੰਡਸਟਰੀ install ਕਰ ਸਕੀਏ ।

ਇਥੇ ਲੇਬਰ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਲਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਹਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ agricultural production ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਬਚਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ industry ਵਲ ਲਗਾ ਸਕੀਏ । ਅਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਫੋਰ ਲੈਂਡ ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜੋ land laws ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨੁਕਸ ਹੈ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ conventions attend ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ attend ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਗੈਰ ਮਰੂਸੀ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਥੇ ਤੀਹ ਤੀਹ ਪੈਂਤੀ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੀਲਿੰਗ ਵੀ ਮੁਕਰਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ । ਇਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੀਲਿੰਗ ਮੁਕਰਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੋ ਆਨੇ ਦੇ ਰਾ ਜਾਮਨ ਲਏ ਜਦ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਲਾ ਭੂੰਡ ਵੀ ਸੀ । ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸ ਭੂੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਹ ਪਾ ਲਿਆ ਜਦ ਉਹ ਚੀਕਣ ਲਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਹਾ ਚੀਂ ਕਰ ਪੀਂ ਕਰ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਛਡਾਂਗਾ । ਅਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਾਤਰੀ ਹਰਿਕ ਤੇ ਚਲਣੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ landlord ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ (ਤਾੜੀਆਂ) ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਜਮਾਤ ਜਿਸ ਦੀ ਅਜ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲੇਸੀ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ agriculture ਵਿਚ ਰੀਫਾਰਮ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ । ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਦ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਹਦ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ development ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਾਂਗੇ (ਤਾੜੀਆਂ)

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ surplus land ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ejected tenants ਹਨ ਜਾਂ landless ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਸਕਣ ।

ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਈ ਵੀਰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਨ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ

[ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ]

ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮੁਨਾਸਬ ਗੱਲ ਨਹੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ agriculture development ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਲਗਿਆਂ ਪੂਰੀ assessment ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ landless ਦੀ problem ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਦਸਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਝਟ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਵਿਚ ਸਚੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ smell ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ defer ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਉਹ ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ yield ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਜਿਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਥੇ yield ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਹਨਤ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮਿਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਥੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੋ constructive ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜੋ provision ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ surcharge ਦੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Hoard ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਲਕਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧੰਦਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ lake ਦੀ decoration ਤੇ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ decoration ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਝੀਲ ਦੀ decoration ਲਈ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ defer ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਪਿਆ productive ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ s ore purchase system ਨੂੰ revise ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰੁਪਿਆ appropriate ਕਰਾਕੇ ਰਖ ਛਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਯਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ store purchase ਵਾਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਖਦੇ ਹਨ ।

Houses ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ Capital Project ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਫਤਰ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ employees ਲਈ houses ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਥੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿਕਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਹ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੋ ਰਕਮ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਪੈਚਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜੋ provide ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਣਗੇ । ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ department budget ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਦ ਤੱਕ surplus budget ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛੋਂ surrender ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਕਿਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਮੇਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ notice ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ token demand ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ actually ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ surplus budget ਮੌਜੂਦ ਹੈ । Surplus Budget ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ surplus budget ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

Opposition ਵਲੋਂ ਕਈ ਸਜਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ socialistic pattern ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਅੱਜ ਕੋਈ Land Lordism ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ Socialistic Pattern ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ development ਵਾਸਤੇ ਰਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਕ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ personal ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਦੂਸਰੇ

[ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ]

ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੈ । ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਜਟ ਤੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਰਚ ਨੂੰ justify ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ । ਪਰ ਏਥੇ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

ਮੈਂ ਏਥੇ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਈ communist ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ tax ਲਾਏ ਜਾਣ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਏ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ । ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਾਲਾ ਵਿਚ ਘੱਟ tax ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ । 1 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ $\frac{3}{4}$ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ tax ਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ tax ਵੀ ਅਨਾਜ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹਨ, ਕਿ ਇਹ ਘਟ ਹਨ । ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਰਾਲਾ ਵਿਚ ਘਟ ਹਨ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ?

ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ : ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ । Tax ਲਾਉਣੇ ਕਈ ਦਫਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਕੇਰਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ Tax ਲਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ । ਲੇਕਿਨ tax ਲਾਉਣ ਲਈ slab system ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਟ ਆਮਦਨੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟ tax ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਧ ਆਮਦਨੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੇ ਵੱਧ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । Agriculturist ਤੇ income tax ਦੇ basis ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਏਥ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਲਿਤਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ tax ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ slab system ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਐਸੇ problems ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ bridges ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 5—7 ਮੀਲ ਤੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 6—7 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ consolidation ਉਸ ਦੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ ? Consolidation ਲਈ 20 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 9 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਦਾ difference 1968 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ bridges ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ । Bridges ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ provision ਨਹੀਂ । ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ provide ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹਰਜ਼ ਸੀ ਤਾਕਿ ਉਹ ਇਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5—7 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ means of conveyance ਨਹੀਂ ਹੈ ।

Transport ਦੇ ਮੁਤਅਲਕ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ Government ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ 50-50 ਦੇ basis ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾਏ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Government ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 11½ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਲਮੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੇ ਸਿਰਫ 3½ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਤੇ Government ਦਿਆਂ ਬਸਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਗਰ ਇਹ ਸਕੀਮ 50—50 ਦੇ basis ਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2¾ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ Transport ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮਿਲਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਰਾਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । Socialistic pattern ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । Taxes ਦਾ ਬਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ income ਵਧ ਹੈ । ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਤਾਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਅੱਜ ਏਥੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫ਼ਿਰਕੇ ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਦਰ-ਜਨਰਲ): Deputy Speaker ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੁਣੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ socialism ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ceiling ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਹ ਬਜਟ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਰਾਏ ਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖਰਚ ਜੋ ਵਿਖਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ tax ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ socialistic pattern ਦੇ ਹਨ ਨਾ ਹੀ tax ਲਾਉਣ ਲਗਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ socialism ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਛਡਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ socialism ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਛਡਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ।

ਉਹ ਵਕਤ ਸਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਲੋਕੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਲੋਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰਚਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਣੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਭੈੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ foodgrains ਤੇ Sales Tax. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਹਰ ਛੋਟੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

[ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ]

ਇਹ ਗਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲੂਮ ਹੈ ਕਿ ਜੱਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਮਕ ਤੇ ਕਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਹੀ ਟੈਕਸ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਹਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਸ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ order of reference ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਦੀ, ਦੂਜਾ, ਰੋਟੀ, ਤੀਜਾ ਕਪੜਾ ਚੌਥਾ ਮਕਾਨ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਨੰਬਰ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜਿਸਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਉਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਸਾ ਕੋਝਾ ਟੈਕਸ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਾਹਮੁਖਾਹ ਬਦਨਾਮੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ? ਉਹ ਹੈ 40 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਨਾਮੀ ਲਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ 27 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ Central ਸਰਕਾਰ ਦਾ 28 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। Central ਬਜਟ ਵਿਚ State ਡਿਊਟੀ ਦੀ limits ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ reduce ਕਰਕੇ ਪਚਾਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਂਜ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ Estate Duty ਤੋਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3.9% ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵਧਾਕੇ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ 4.52% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਵੀਂ ਲਗੀ Gift Duty ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦਿਆਂ ਸਾਡੇ Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਇਸ foodgrain ਤੇ sales tax ਵਾਲੇ ਬਦਨਾਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਜੇ ਛਡ ਸਕਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਜਟ ਦੇ ਸਫਾ 48 ਪਰ ਇਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ omission ਹੈ। ਉਹ omission ਹੈ local bodies ਦੇ accounts ਨੂੰ audit ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ staff ਰਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਪਾਸੋਂ ਵਸੂਲੀ ਬਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 48 ਸਫੇ ਪਰ ਉਹ recovery ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਜੇ

ਉਹ recovery ਉਥੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਿਹ ਜਿਹੜਾ ਆਟੇ ਦਾਲ ਪਰ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਛਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ omission ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ defective budgeting ਹੈ।

ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ socialistic pattern ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ consumption ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਜ ਪਹਿਲੇ 15 ਯੂਨਟਾਂ ਤੇ 5 ਆਨੇ ਫੀ unit ਦੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 15 ਤੋਂ 40 ਤਕ ਦੋ ਆਨੇ ਅਤੇ 40 ਤੋਂ ਉਪਰ ਇਕ ਆਨਾ ਫੀ unit। ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤੋਂ 15 ਯੂਨਟ ਤਕ rate ਵਿਚ 10% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ 15 unit ਤੋਂ ਵਧ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੂਲਰ, ਹੀਟਰ, ਫੈਨ ਬਗੈਰਾ ਲਗਾਏ ਹਨ ਉਸਤੇ rate ਵਿਚ 25% increase ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਛੋਟੇ consumer ਤੇ 10% ਨਾਲ ਵੀ 2 ਪੈਸੇ ਫੀ unit ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਡੇ consumer ਤੇ 25% ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਦੋ ਪੈਸੇ ਫੀ unit ਵਧੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਕੀ ਹੋਈ ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਿਆਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 15 ਯੂਨਟ ਤਕ ਗਰੀਬ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਗਰੀਬ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਭਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ consumption 15 unit ਤੋਂ ਵਧ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿਚ ਜੇ 100% ਇਜ਼ਾਫਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ।

ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ Development ਮਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ high rates ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ agree ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੌਰ ਤਲਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਭੁਲ ਗਏ ਜਦ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ socialistic pattern ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ? ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 25% ਟੈਕਸ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ sales tax ਲਗਾਂਦਿਆਂ ਕੁਝ items ਛੱਡ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ ਮਸਲਨ ਕਪਾਹ, ਖਲਾਂ, ਵੜੇਵੇਂ, ਖਲੀ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਲਈ ਛਡ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ sales tax ਲਾਉਣਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ। ਜੇ tax ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਰੁਪਿਆ ਵਸੂਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ evasion ਰੋਕੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ items ਪਹਿਲੇ ਛੱਡੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਛਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ. ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਇਹ education ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ।

[ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ]

ਬੜੇ ਮਾਰਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿ ਏਲਾਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ education free ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕ ਜਮਾਤ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਤਦ ਜਦ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਤਰਫ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਤਾਦ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ ਕਿਨ੍ਹੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਇਕ ਗੱਲ ਬੜੀ important ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਤਲੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਤਵਜੁਹ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਸਫਾ 221 ਅਤੇ 223 ਤੇ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਫਾ 221 ਅਤੇ 223 ਤੇ education ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ primary education ਦੇ ਥਲੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ provision ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Recurring expenditure ਹੈ। 1,56,12,920 non-recurring ਹੈ 72,08,810, Pay of Establishment 37,10,780 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Travelling Allowance non-recurring 1270, recurring 60,000 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ other allowances and Honoraria ਦੇ ਥੱਲੇ dearness allowance : non recurring & recurring 11,71,860 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ compensatory allowance and temporary allowance ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ items ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਔਰ ਅਨੋਖੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਨ lump sum provision for other allowances and honoraria ਜਿਸ ਵਿਚ recurring amount ਹੈ 88,07,640 non-recurring 24,10,000 ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾ 221 ਪਰ Secondary Education ਦੇ ਥਲੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਲਾਉਂਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ lump sum provision for other allowances ਹੈ ਜੋ recurring 54 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਹੈ ਅਤੇ non-recurring 15,31,000, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ secretary ਦੇ memorandum ਵੱਲ ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਮਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਰੋੜ provision ਦਾ ਕੋਈ explanation ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ allowances ਰਖ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਸ lump sum ਦੀ ਕਰੋੜਹਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕਰੀਬਨ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ education ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਅਟੇ ਸਟੇ ਰਖ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ (*Interruptions from Opposition Benches*)

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਏ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ provident ਫੰਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਸਾ ਪਾਣ ਲਈ 14,70,000 ਦੀ ਰਕਮ ਦੋਹਾ primary ਅਤੇ secondary ਤਾਲੀਮ ਵਾਸਤੇ ਰਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। Provident fund ਦੇਣਾ ਹੈ ਯਾ penssion ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਕਮ supplementary demands ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਖਰਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਨਰੇਰੀ Sub Registrars ਰਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਜੋ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ——

(*Sardar Waryam Singh was still on his legs when the House adjourned.*)

The Sabha then adjourned till 2-00 *P. M. on Thursday, the* 13*th March*, 1958.

669PVS—344—24-2-59—CP and S., Punjab Chandigarh

Punjab Vidhan Sabha Debates

13th March, 1958

Volume I—No. 18

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Thursday, 13th March, 1958

CHANDIGARH :
Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab,
1959

Price : 4.05 nP.

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATE, VOL. I, NO. 18.

DATED THE 13TH MARCH, 1958.

Read	*for*	*on page*	*line*
ਸਾਹਿਬ	ਸਾਰਿਬ	(18)3	1
ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ	ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲਆਂ	(18) 7	1
Servants	Servanst	(18)7	11th from below.
away	aways	(18)7	2nd from below.
distinctive	disetinctive	(18)39	13-14
which	wh h	(18)39	18
belonging	linging	(18)39	19
delete 'reference' after 'then'		(18)42	14
interruption	interrupion	(18)49	1
upon	pon	(18)49	19
course	caurse	(18)50	13th from below
ओ	स्त्रो	(18)51	4
that is	thatsi	(18)51	9
साहिब	हाहिब	(18)55	1
ਜਦ	ਗਦ	(18)55	5th from below.
देने	ने	(18)64	11
देश	`श	(18)64	15
आगे	अ`	(18)64	15
अछूतों	अछ्तों	(18)64	28
बारे	बा`	(18)64	29
दूसरे	दूसे	(18) 65	1
अमीरों	अमी ों	(18) 65	1
अछूत	अछत	(18)65	24
लिये	लि`	(18)65	6th from below.
पटवारी	पटवा ी	(18)65	last line
ਘਟ	ਘਟ	(18)69	19

ਜ਼ਮੀਨ	ਡਮੀਨ	(18)69	3rd from below
दी	ी	(18)73	11th from below
गुरदासपुर	ुरदासपुर	(18)76	4th from below
कंवरानी	कंवररानी	(18)77	12
चौधरी	चौधी	(18)80	16th from below
Chaudhri	Chaudhr	(18)81	1
Minister	Mihister	(18)81	1
Churchil	Chaudhri	(18)81	8
देखे	ेखे	(18)81	28
देखी	ेखी	(18)81	8th from below
डिवैलपमेंट	डि ैलपमेंट	(18)82	15
जिम्मेदारी	जिम्मेदाी	(18)82	3rd from below
खरीदा	खी दा	(18)83	10
पीने	पी े	(18)84	6
देरी	ेरी	(18)85	21, 24, 28
देने	ने	(18)86	5th from below
sales	sa es	(18)91	24

PUNJAB VIDHAN SABHA

Thursday, 13th March, 1958

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh Capital, at 2 p. m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

REPORT OF THE COMMITTEE CONSTITUTED FOR STUDY OF COMMUNITY PROJECTS

*1819. **Sardar Bhag Singh** : Will the Minister for Planning and Community Projects be pleased to state—

(a) whether Government has received a copy of the report of Shri Balwant Rai Mehta Committee constituted by the Central Government for the study of Community Projects and National Extension Service Blocks ; if so, whether it has been considered ;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, whether any of the recommendations of the said committee have been or are proposed to be implemented ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (a) Yes. The Government have received a copy of the report of the Balwant Rai Mehta Study Team on National Extension Service and Community Development. The report is to be considered in the first instance by the Government of India and only thereafter by the State Government.

(b) It is not possible to give this information as the report is yet to be considered by the State Government.

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ Central Government ਦੀਆਂ ਕੀ recommendations ਸਨ ?

मंत्री : Central Government अभी उस को consider कर रही है ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब यह बतायेंगे कि क्या कोई हिदायात Central Government ने हमारी सरकार को दी हैं और अगर दी हैं तो क्या Government उन पर ग़ौर करने का विचार रखती है या कर रही है ?

मंत्री : बलवंत राए महता कमेटी Central Government ने बनाई थी । उस की जो report है वह अभी Central Government consider कर रही है । इस के बाद ही किसी बात का फैसला होगा ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ Government ਨੇ Central ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ ? ਜੇ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬਾਤ ਚੀਤ ਹੋਈ ?

मंत्री : जिस वक्त Committee की रिपोर्ट यहां आएगी तो बात चीत होगी।

GRANT OF LOAN FOR PROPOSED TEXTILE COLONY, LUDHIANA

***1751. Shri Lajpat Rai** : Will the Minister for Finance be pleased to state whether any loans have been sanctioned by Government to different parties in the proposed Textile Colony at Ludhiana during the years 1956-57 and 1957-58 ; if so, the amount thereof and the purpose for which the loans were advanced ?

Shri Mohan Lal : Yes. The following loans were sanctioned :—

Year	Amount	Purpose
	Rs	
1956-57	8,92,500	Purchase of land and construction of factory buildings thereon
1957-58	5,000	Ditto

Sardar Bhupinder Singh Mann : What is the policy of the Government in regard to the advancement of loans to the new-comers in the industry?

Minister : New comers are also considered on merits and, of course, loans are advanced to deserving cases. There is absolutely no restriction on advancement of loans to the new industries. They are rather welcomed.

DISPARITIES IN THE SALARIES OF GOVERNMENT SERVANTS

***1777. Sardar Ramdyal Singh** : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the number of persons in the employment of Government getting over Rs. 2,000, over Rs. 1,000, and less than Rs. 100 per month as salary, respectively ;

(b) the steps so far taken by Government to remove the disparities in the salaries of different categories of personnel in Government service in the State ?

Shri Mohan Lal : Sir, I have applied for extension.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ ਇਹ information ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ figures Government ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਹਨ ; ਇਸ ਵਿਚ postpone ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ Rules of Procedure ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ । (The hon. Member should see the Rules of Procedure first.)

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ session ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਹਰ ਇਕ department ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜਵਾਬ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ information ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ ।

ARREARS OF LAND REVENUE FOR 'KHARIF', 1957-58

***1526. Dr. Bhag Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether it is a fact that Government reduced the rate of Land Revenue in respect of 'Kharif' Crop, 1957-58 ; if so, whether all the land revenue has been paid up ; if not, the amount of arrears outstanding and the reasons therefor ?

Giani Kartar Singh : (1) No.

(2) Does not arise.

ARREARS OF LAND REVENUE FROM EX-RULER OF NALAGARH

***1584. Comrade Jangir Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether any arrears of land revenue in respect of land of Bir Kauli are due from the Ex-Ruler of Nalagarh ; if so, the amount thereof and the steps, if any, taken for its recovery?

Giani Kartar Singh : (a) No.

(b) Question does not arise.

POSTPONEMENT OF RECOVERY UNDER THE PUNJAB BETTERMENT CHARGES AND ACREAGE RATES ACT, 1952

***1655. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to postpone the realisation of Betterment fees indefinitely under the Punjab Betterment Charges and Acreage Rates Act, 1952; if so, the reasons therefor ?

Sardar Gian Singh Rarewala : No.

पंडित श्री राम शर्मा : यह बात ठीक है कि इस का जवाब no में है क्योंकि Government ने postponement of Government fee का विचार नहीं किया । मगर मैं वज़ीर साहिब से यह पूछना चाहता हूं कि अब तक देरी की क्या वजह है ?

सिंचाई मंत्री : कानून के मुताबिक जो Schedule तैयार करना था उस में देर लग गई है ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं वज़ीर साहिब से पूछ सकता हूं कि यह जो Schedule तैयार होना है इस में कितनी देरी लगेगी ?

मंत्री : यह Schedule तैयार हो गया है । इस में कुछ objections थे जो कि दूर किये जा रहे हैं ।

पंडित श्री राम शर्मा : यह ऐक्ट 1952 में पास हुआ था लेकिन 1958 तक इस का Schedule ही तैयार नहीं हुआ, इस की क्या वजह है ?

मंत्री : Early ना बनने की और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं ।

पंडित श्री राम शर्मा : मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि यह Act 1952 में पास हुआ लेकिन Schedule को ही 6 साल का अर्सा लग गया । इस का क्या वजह है ? यह जल्दी क्यों work out नहीं हो सका ?

मंत्री : इस के लिये आप separate नोटिस दें । इस में rules बनाने का, Schedule बनाने का, यह work out करने का एक बड़ा tedious सवाल है ।

पंडित श्री राम शर्मा : मैं कहता हूं कि वज़ीर साहिब को तो पेप्सू का भी तजरबा है वह बतायें कि 6 साल में Government इस को तैयार क्यों नहीं कर सकी ?

Sardar Bhupinder Singh Mann : May I know whether the Government is aware of the fact that the Schedules prepared for the Pepsu areas are far more unfavourable than those for the Punjab areas ? If so, what steps are being taken to rationalize these Schedules ?

Minister : The laws of the two erstwhile States differ from each other. Schedules for the erstwhile Pepsu area are based on the law prevalent there.

Sardar Bhupinder Singh Mann : May I know whether the Government contemplate taking any steps to bring the two laws on the same level so that we may not be unfavourably taxed ?

Minister : Yes.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਗੁਰਅਨਾਦ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ betterment charges ਉਥੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਕਿ ਭਾਖੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਥੇ ਭਾਖੜੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ commanded area ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ betterment charges ਨੂੰ ਹੁਣ postpone ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁਕਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ no.

चौधरी लहरी सिंह : क्या वजीर साहिब बतायेंगे कि betterment charges के मुतअल्लिक Punjab Government ने Government of India को कोई undertaking दी है कि हकूमत ऐसा कर रही है ?

मंत्री : अभी तो betterment charges levy ही नहीं किये गये ।

चौधरी लहरी सिंह : मैं तो पूछता हूं कि क्या पंजाब Government ने Central Government को कोई undertaking दी है ?

वित्त मंत्री : यह तो आपको ज्यादा पता होगा। इन से क्या पूछते हैं।

योजना मंत्री : मैं जवाब दे सकता हूं कि जिस वक्त भाखड़ा डैम के बनाने का सवाल आया तब तीनों स्टेटों से पंजाब, पेप्सू और राजस्थान से यह understanding ली थी कि वह betterment fee लगाएंगे। चुनांचे उस के लिये रूल्ज बनाये गये। लेकिन betterment हो जब नहीं हुई तो realize क्या की जाए? एक वक्त ऐसा भी आया था कि एक मिनिस्टर ने रूल्ज बनाये बगैर ही यह announce कर दिया कि इतनी इतनी betterment fees होंगी लेकिन वह खिलाफ कानून था इसलिये वह betterment fees लागू नहीं हुईं।

चौधरी लहरी सिंह : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पंजाब गवर्नमेंट ने Central गवर्नमेंट को यह undertaking दी है कि फलां साल से रुपया realize करके देंगे?

योजना मंत्री : Date कोई मुकर्रर नहीं है।

ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ : ਕੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ betterment charges ਨੂੰ ਉਗਰਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਚੁਕਿਆ ਹੈ?

ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤ੍ਰੀ : Objections from the irrigators call ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

पंडित श्री राम शर्मा : वह मंत्री महोदय कौन थे जिन्होंने गलत एलान किया था?

योजना मंत्री : मैं पब्लिक interest में यह नाम बतलाने को तैयार नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इशारा कर दिया है (हंसी) (The hon. Minister has nodded to him) (*Laughter*).

पंडित श्री राम शर्मा : क्या इसकी जिम्मेदारी पंजाब गवर्नमेंट लेती है?

योजना मंत्री : मैं नहीं कह सकता कि उस वक्त की गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी लेनी है या नहीं।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या गवर्नमेंट अगली और पिछली continuity में नहीं रहती; अगर वजीर खत्म हो जाये तो उसी के साथ खत्म हो जाती है जिम्मेदारी?

योजना मंत्री : Leader of the Opposition यह बात जानते हैं। क्या वह अपने किये हुए पुराने कामों की जिम्मेदारी लेंगे?

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਥੇ commanded area ਹੈ ਉਥੇ betterment fee ਲਗੇਗੀ। ਕੀ urban area commanded area ਵਿਚ ਹੈ?

ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਿਤਨੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ betterment fee ਲਗੇਗੀ।

श्री इन्दर सिंह : जब rates मुकर्रर कर के भेजे तो थे क्या उन को तसल्ली कर ली थी कि जिन areas में वह लग रहे हैं वह commanded area हैं या नहीं?

मंत्री : यह तो rules के मुताबिक भेजे जाते हैं । अगर कोई area commanded नहीं तो गौर किया जायेगा ।

श्री मनी राम : Objection करने वालों को जो तकलीफात दरपेश आएंगी उन के लिये कुछ सोचा है ?

अध्यक्ष महोदय : यह hypothetical question है । (This is a hypothetical question.)

PERCENTAGE FOR SCHEDULED CASTES FOR THE POSTS OF PATWARIES

***1824. Sardar Bhag Singh** : Will the Minister for Revenue be pleased to state whether any percentage has been fixed by Government for members of the Scheduled Castes for appointments as candidate Patwaries in the State, if so, what ?

Chaudhri Suraj Mal : (a) A percentage was fixed for members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes for the period 20th August, 1955 to 19th August, 1957.

(b) Fifty per cent vacancies were reserved amongst patwaries for members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes for a period of two years in the first instance. The period of this concession expired on 20th August, 1957. The matter regarding the extension of this period is under consideration.

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਜਿਹੜੀ percentage ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਿਚ ਕੀ qualification ਦੀ ਵੀ concession ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

मंत्री : No.

श्री राम प्यारा : हरिजनों में से पटवारी कितनी percentage में लिये गये ?

Mr. Speaker : This question does not arise. The percentage fixed and not the percentage achieved has been enquired in the main question.

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਜਿੰਨੀ percentage fix ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ strictly observe ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

Minister : Yes, but as regards the number I will ask my friend to give a fresh notice.

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਤਨੀ percentage ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल इसमें नहीं आता । (This question does not arise out of it.)

ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲਿਆਂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਜਨ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ reservation ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ?

मंत्री : यह hypothetical question है, इसका कोई जवाब नहीं ।

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਮੁਹੱਲਕਾ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ percentage ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ?

(*Chaudhri Lehri Singh rose in his seat.*)

अध्यक्ष महोदय : क्या आपका ख्याल है कि उनका जवाब नहीं देना चाहिये? (हंसी) (Does the hon. Member think that his supplementary need not be replied to ?) (*Laughter*)

मंत्री : बड़ा कदम उठाएंगे लम्बा चौड़ा । (हंसी)

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕਿਹੜਾ ਕਦਮ ਉਠਾਣਗੇ ਕਿ percentage ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ ? (ਹਾਸਾ)

चौधरी लहरी सिंह : अब बहुत सारे पटवारी बरखास्त हो गये हैं तो क्या Government ने Deputy Commissioners को हिदायत की है कि अब हरिजनों की percentage पूरी की जाये ?

मंत्री : ऐसी हिदायतें हैं कि जिन की परसैंटेज है उन का ख्याल रखा जाए ।

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, the Minister has replied that they were required to vacate their seats. May I know whether they tendered their resignations or they were removed ?

EXEMPTION FROM PAYMENT OF PROFESSIONAL TAX LEVIED BY DISTRICT BOARD, KANGRA

***1406. Shri Rup Singh Phul :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether the Government intend to exempt the (i) P.W.D. Beldars and Mates, (ii) Agricultural Beldars, and (iii) Class IV Government Servanst from the payment of Professional Tax levied by the District Board, Kangra?

Dr. Gopi Chand Bhargava : No such proposal is under consideration at present.

श्री रूप सिंह फूल : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई कांगड़ा के class IV servants की representation Government के पास आई है ?

मंत्री : मैं ने उस का जवाब दे दिया था । अगर आप को और information चाहिए तो आप notice दे दीजिए ।

Mr. Speaker : This question does not arise.

Note.—The Minister for Revenue being away the Minister for Planning replied to the questions standing in the name of the former.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि किसी दर्जे के सरकारी मलाज़मों को Professional Tax से exemption दी गई है ?

Mr. Speaker : This supplementary question does not arise. Next question please.

REMOVAL OF MUNICIPAL COMMISSIONERS

***1524. Dr. Bhag Singh** : Will the Minister for Revenue be pleased to state whether any elected members of the Municipal Committees in the State have been removed in connection with the Hindi Samiti Agitation; if so, their number ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : Twenty-three members of Municipal Committees were required to vacate their seats because their activities disturbed the communal harmony and caused breaches of peace and disturbance public tranquillity and were thus affecting public interests. No action against them was taken for merely taking part in Hindi Agitation.

श्री बलराम दास टंडन : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि जिन Municipal Commissioners को remove किया जाता है उन को show cause notice भी दिया जाता है और Hindi Agitation के सिलसिले में जिन Municipal Commissioners को remove किया गया है उन को पहले show cause notice दिया गया था ?

मंत्री : इस के लिये notice की ज़रूरत है ।

पंडित राम किशन भड़ोलियां : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि जिस वक्त अकाली तहरीक चल रही थी तो कोई अकाली Municipal Commissioner भी remove किया गया था ?

ਸਰਦਾਰ ਹਰਗੁਰਅਨਾਦ ਸਿੰਘ : ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ remove ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

पंडित राम किशन भड़ोलियां : On a point of order, Sir. जनाब स्पीकर साहिब, क्या कोई दूसरा मेम्बर वज़ीर साहिब की जगह supplementary सवाल का जवाब दे सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : आप का supplementary question arise ही नहीं होता । (The hon. Member's supplementary question does not arise.)

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं पूछ सकता हूं कि जिन Municipal Commissioners को remove किया गया था अब उन को बहाल क्यों नहीं किया गया जब कि Hindi agitation खत्म हो चुकी है और उस तहरीक में जो अक़ाली ख़ राबी करने वाले थ उन को छोड़ दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : आप का यह सवाल पैदा नहीं होता । (This question put by the hon. Member does not arise.)

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ Municipal Commissioner ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ Hindi agitation ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬਹਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ?

मंत्री : उन की बहाली का सवाल पैदा नहीं होता। They were required to vacate their seats under the Municipal Act.

Sardar Bhupinder Singh Mann : Twenty-three members of Municipal Committees were required to vacate their seats. The words used are "required to vacate". I want to know whether they resigned in conformity with that requirement or they were removed.

Minister for Finance : That means "removal".

चौधरी लहरी सिंह : मैं पूछना चाहता हूं कि जो Municipal Commissioner हटाए गए हैं उन में से कितने arrest या detain किये गये थे ?

अध्यक्ष महोदय : चौधरी साहिब, यह सवाल पैदा नहीं होता। Chaudhri Sahib, this question does not arise.)

श्री इन्दर सिंह : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि जिन Municipal Commissioners को हटाया गया है उन्हें हटाने से पहले जो उन के खिलाफ़ charges थे उन की तसल्ली कर ली गई थी ?

मंत्री : हां जी तसल्ली करने के बाद ही उन्हें हटाया गया था ।

श्री इन्दर सिंह : उन पर जो charges लगाए गए थे जब आप को उन की तसल्ली हो गई थी तो फिर क्या उन के खिलाफ़ कोई मुकदमा चलाया गया था ?

मंत्री : नहीं चलाया गया।

श्री हरभगवान मुदगिल : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि Government उन के खिलाफ़ मुकदमा चलाने का इरादा रखती है ?

मंत्री : इरादा रखने या न रखने का इस में सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री बलराम दास टंडन : स्पीकर साहिब, जो Municipal Commissioners इस बिना पर हटाए गए हैं कि उन के Committees में रहने से अमन भंग होने का खतरा था वह इस विधान सभा के भी सदस्य हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब विधान सभा में उन के खिलाफ़ कोई ऐसी चीज़ नहीं की गई तो फिर उन्हें Municipal Committees की membership से कैसे निकाला गया है ?

Mr. Speaker : This question does not arise. They cannot interfere in the Vidhan Sabha affairs.

श्री बलराम दास टंडन : स्पीकर साहिब, विधान सभा में वे सदस्य 50/60 हज़ार voters को represent करते हैं और जब यहां उन के खिलाफ़ कोई बात नहीं हुई, तो फिर क्या वजह है कि उन को Municipal Committees से remove किया गया है ?

Mr. Speaker : This question does not arise.

श्री राम प्यारा : स्पीकर साहिब, वज़ीर साहिब ने part (c) के जवाब में बताया है कि कोई arrear बकाया नहीं है । यह उन्होंने wrong statement दी है । मैं कहता हूं कि arrears अभी बाकी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल नहीं बनता । (This question is not relevant.)

श्री राम प्यारा : अगर Government के notice में यह चीज़ लाई जाए कि arrears अभी बकाया हैं तो क्या वह enquiry कराने के लिए तैयार होंगे ?

Mr. Speaker : This is not a supplementary question.

VACCINATORS UNDER THE DISTRICT BOARD, KARNAL

***1764. Shri Ram Piara** : Will the Minister for Revenue be pleased to state the total number of vaccinators employed by the District Board, Karnal, at present and their names ;

(b) the date when each one of the said vaccinators received his last T.A.;

(c) whether any T. A. bills of the said vaccinators are pending with the District Board; if so, since when and the amount in each case ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (a) A list has been placed on the Table.

(b) The 10th February, 1958.

(c) No.

Statement showing names of Vaccinators employed by the District Board, Karnal

Serial No.	Name of Vaccinator
1.	Shri Kewal Ram
2.	Shri Gurcharan Singh II
3.	Shri Karta Ram
4.	Shri Ram Niwas
5.	Shri Vishan Dass
6.	Shri Chattar Bhuj
7.	Shri Kishen Lal
8.	Shri Rup Singh
9.	Shri Sis Ram
10.	Shri Gurcharan Singh I

Serial No.	Name of Vaccinator
11.	Shri Jessa Ram
12.	Shri Kasturi Lal
13.	Shri Sita Ram
14.	Shri Mangat Ram
15.	Shri Madho Ram
16.	Shri Harbans Lal
17.	Shri Harnam Singh
18.	Shri Vas Dev
19.	Shri Chattar Singh
20.	Shri Zila Singh

SUPERSESSION OF MUNICIPAL COMMITTEES

***1818. Shri Balram Dass Tandon :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total number of Municipal Committees so far superseded in the State and the date of supersession in each case ;

(b) the year in which the elections to each of the Municipal Committees were held last in the State ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : The required statement has been laid on the Table of the House.

Statement showing the names of the superseded Municipal Committees in the Punjab

Name of the Municipal Committee	Date of supersession	Date of elections last held
Rohtak ..	29th July, 1952 ..	July, 1953
Patiala ..	13th June, 1953 ..	August, 1951
Sohna Gurgaon) ..	20th December, 1955 ..	May, 1953
Jhajjar (Rohtak) ..	24th April, 1956 ..	May, 1953
Pataudi (Gurgaon) ..	2nd June, 1956 ..	May, 1953
Shahabad (Karnal) ..	1st July, 1956 ..	May, 1953

[Minister for Planning and Community Projects]

Name of the Municipal Committee	Date of supersession	Date of elections last held
Dharamkot (Ferozepore) ..	2nd July, 1956 ..	May, 1953
Bawal (Gurgaon) ..	27th July, 1956 ..	May, 1953 (Wards Nos. 1, 2 and 3) and Wards Nos. (5, 6 and 7 in June, 1953)
Kaniana (Mohindergarh) ..	28th July, 1956 ..	25th June, 1953
Jaitu (Bhatinda) ..	14th August, 1956 ..	Elections not held
Hissar ..	31st August, 1956 ..	1937
Sultanpur (Kapurthala) ..	25th October, 1956 ..	21st December, 1955
Sonepat (Rohtak) ..	12th November, 1956 ..	In 1937
Guruharsahai (Ferozepore) ..	29th November, 1956 ..	May, 1953
Chhachhrauli (Ambala) ..	17th December, 1956 ..	Ditto
Bhuchomandi (Ferozepore) ..	8th February, 1957 ..	Ditto
Dera Baba Nanak (Gurdaspur) ..	15th February, 1957 ..	Ditto
Simla ..	9th April, 1957 ..	Ditto
Faridkot (Bhatinda) ..	4th May, 1957 ..	29th January, 1954
Raman (Bhatinda) ..	14th June, 1957 ..	20th July, 1955
Kangra ..	5th July, 1957 ..	May, 1953
Bhiwani (Hissar) ..	23rd July, 1957 ..	Ditto
Hoshiarpur ..	9th August, 1957 ..	June, 1953
Faridabad (Gurgaon) ..	18th August. 1957 ..	Ditto
Bhadaur (Sangrur) ..	20th September, 1957 ..	22nd April, 1955
Ahmedgarh (Sangrur) ..	27th September, 1957 ...	6th December, 1955
Nagrota Bhagwan (Kangra) ..	11th October, 1957 ..	May, 1953
Gohana (Rohtak) ..	15th November, 1957 ..	May, 1953

श्री बलराम दास टंडन : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि जिन Municipal Committees को supersede किया जाता है उन्हें पहले show cause notice दिया जाता है ?

मंत्री : यह तो rules की बात है। इस के लिये आप notice दे दें मैं enquire करके बता दूंगा।

श्री बलराम दास टंडन: जिन कमेटियों को पांच साल से ज्यादा समय हो गया है और उन के दोबारा elections नहीं हुए उन के मुतअल्लिक आप क्या कर रहे हैं ?

Mr. Speaker : The question does not arise. You are asking a question ...t a particular period. How does it arise out of the main question ?

श्री बलराम दास टंडन : यह जो सारा data दिया गया है इस के अंदर ऐसी ...unicipal Committees भी हैं जिन के 21, 21 साल से election नहीं ...वाए गए । मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कितनी Municipal Committees ...जिन के 21, 21 सालों से elections नहीं करवाए गए और आइंदा के लिये ...मेंट क्या कर रही है ?

Mr. Speaker : This is a separate question. The hon. Member may ... a separate notice for it.

श्री इन्दर सिंह : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि कितने सालों तक इन com-...ittees को supersede रखे जाने का इरादा रखते हैं ?

मंत्री : मैं इस की बाबत कुछ नहीं कह सकता ।

श्री इन्दर सिंह : जनाब स्पीकर साहिब, इन्होंने Municipal Com-...ittees supersede की हैं इस लिये वज़ीर साहिब को बताना चाहिए कि वह कब तक ...न को रखेंगे ।

श्री बलराम दास टंडन : On a point of order, Sir. क्या वज़ीर साहिब ...ो यह अधिकार है कि वह कहें कि यह सवाल arise होता है या नहीं होता है ?

अध्यक्ष महोदय : वह Chair को suggest कर सकते हैं । (He can ...uggest it to the Chair.)

Minister : Sir, may I say that I have got every right to ... suggestion for the consideration of the hon. Speaker ? I am not re... the hon. Member. I am addressing the hon. Speaker.

SHIFTING OF MARKET AT BAJWARA (CHANDIGARH)

***1728. Sardar Niranjan Singh Talib :** Will the Minister f... ...e pleased to state whether there is any proposal under the co... ...overnment to shift the market at Bajwara (Chandigarh) to a... ...e Capital area ; if so, the time by which and the manner in whic... ...o be shifted ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : Government are working... ...ive alternative sites, at reasonable rates, in the commercia... ...ectors of Chandigarh to such of the occupants of temporar... ...arket as are duly authorised and regular lessees of su... ...ime-limit for the finalization and full implementation ... ...iven at this early stage, though immediate action is bein...

ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ Bajwara Grain Market Capital Project ਦੇ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ unauthorised ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ?

Mr. Speaker : It does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਕਿ alternative site ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਲਾਰੇ ਲਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ? (ਹਾਸਾ)

वित्त मंत्री : लारे नहीं लगते रहेंगे । Government means business.

ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ : ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ Capital ਦੇ incharge ਤਿੰਨ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ deputations receive ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ . . . . .

Mr. Speaker : No please. It does not arise out of it.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि इस Capital areas के अन्दर इन दूकानदारों को कारोबार करने के लिये grain market के नाम से कोई जगह दी जा चुकी है ?

योजना मंत्री : यह supplementary तो arise नहीं होता है ।

पंडित श्री राम शर्मा : सवाल में पूछा गया है कि whether there is any proposal under the consideration of the Government to shift the market at Bajwara to another site . . . . तो इस से सवाल arise होता है और मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह अमर वाक्या नहीं है कि Capital areas के अन्दर एक जगह grain market के नाम से लोगों को दी जा चुकी है या दी जा रही है ?

Minister : I thank the hon. Member for giving that information or at least an inkling of that. I shall enquire into the matter.

LOANS ADVANCED TO REFUGEES IN THE STATE

*1394. **Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the amount of loans advanced by the State Government to refugees year-wise during the period from 1947 to 1958 ;

(b) the amounts of loans referred to in part (a) above recovered, outstanding and declared unrecoverable, separately ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (a) and (b) A statement showing the necessary information is placed on the Table.

[Minister for Planning and Community Projects]

ANNEXURE TO STARRED ASSEMBLY

—	1947-48	1948-49	1949-50	1950-51	1951-52
(a)	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs
Small Urban Loan	5,82,000	1,04,16,747	80,04,101	63,33,313	14,06,059
House-building Loan	..	..	35,06,977	11,26,775	28,04,925
Educational Loan	18,850	16,68,379	7,30,380	72,563	21,948
Rural Loan	72,60,075	1,42,90,920	57,52,031	1,14,51,619	30,34,068
Total	78,60,925	2,63,76,046	1,79,93,489	1,89,84,270	72,67,000

		Amount of loan granted	Amount recovered up to 30th November, 1957
(b)		Rs	Rs
Small Urban Loan	..	2,98,55,967	1,51,38,163
House-building Loan	..	2,13,13,726	50,04,063
Educational Loan	..	25,22,215	509,817
Rural Loan	..	4,76,71,460	1,89,22,605
Total	..	10,13,63,368	3,95,74,648

QUESTION NO. 1394

1952-53	1953-54	1954-55	1955-56	1956-57	1957-58	Total
Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs
7,47,995	7,58,882	3,49,190	8,43,830	4,13,850	..	2,98,55,967
28,88,542	2,84,500	71,19,152	34,00,855	1,82,000	..	2,13,13,726
10,095	..	..	..	..	..	25,22,215
18,70,768	33,33,404	6,78,575	..	..	..	4,76,71,460
55,17,400	43,76,786	81,46,917	42,44,685	5,95,850	..	10,13,63,368

Amount written off	Balance outstanding
Rs	Rs
32,060 Besides interest	1,46,85,744
378	1,63,09,285
1,366	20,11,032
35,382	2,87,13,473
69,186	6,17,19,534

REFUGEE CAMP NO. 2 IN PANIPAT TOWN

***1807. Dr. Parma Nand :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether he is aware of the fact that Refugee Camp No. 2 in Panipat Town is located in a water logged area ;

(b) whether the Government intends to shift it to some other place, if so, where and by what time ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (a) Yes. Mud-hut Colony No. 2 is in the water logged area.

(b) All mud-huts constructed therein have since long been permanently transferred to their occupants and the price thereof recovered from them. The question of shifting the Colony to some other place at this stage does not arise.

DAM ON RIVER BEAS

***1248. Sardar Atma Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether it is a fact that a survey is being carried out for a dam site on river Beas; if so, the place selected for this purpose and the details of the scheme ;

(b) the benefit expected to be derived from the said Project and the date when the work on it is likely to begin ;

(c) the total amount to be spent on the said Project and the target year of its completion ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) (i) Yes.

(ii) Pong.

(iii) Details of the Scheme are being worked out.

(b) (i) The benefits include improving the capacity factors on the existing canals taking off from Harike and Ferozepur as also to make water available for the Sirhind Feeder and the Rajasthan Canal as well as to firm up more power from the Bhakra Reservoir. It will also serve as a flood relief measure.

(ii) Date of commencement cannot be given at this stage.

(c) (i) Rough estimated cost is Rs. 50 crores.

(ii) Target year of completion cannot be given at this stage.

HARIKE BARRAGE

***1249. Sardar Atma Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the total amount spent so far on the construction etc., of the Harike Barrage;

(b) whether the Harike Pond area is being enlarged; if so, the reasons therefor and the amount provided for this purpose ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) Rs. 4,45,47,750.

(b) Yes. The necessity for this was felt for the first time during the course of heading up at Harike Barrage in 1956. A sum of Rs. 12,63,354 lacs has been provided for acquisition and compensation for the land to be acquired in Amristsar, Kapurthala and Ferozepur Districts during the current year.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ Harike Barrage ਉਪਰ Rs. 4,45,47,750 ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ Rs. 12,63,354 land acquire ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਖਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ?

मंत्री : इस estimate के बाद जो ज़मीन acquire हुई है वह तो इस में शामिल नहीं होगी ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ Harike Barrage plan ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ acquire ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ?

मंत्री: मैं ने अर्ज़ की है कि जब 1956 में canal को feed करने के लिये heading up हुआ तो इस की ज़रूरत महसूस हुई । मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि जब 1955 और 1956 में floods आए तो पानी का level ऊपर चढ़ा और नुकसान हुआ तो उन लोगों ने खुद इस के लिये representation की, इसी लिये अब ज़मीन acquire की गई है और compensation देने का भी फैसला किया है ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦਾ bed ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰੁਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ..............

Mr. Speaker : No. It does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ acquire ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜੋ ਲੋਹੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਇਸ ਡੈਮ ਨਾਲ effect ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ?

Mr. Speaker : It does not arise.

COMPENSATION FOR THE LAND ACQUIRED FOR SIRHIND CANAL IN FARIDKOT AREA

***1589. Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the total area of land acquired by Government for the Sirhind Canal in the Faridkot area ;

[Pandit Ram Kishan Bharolian]

(b) whether compensation for the land referred to in part (a) above has been paid ; if not, the amount so far paid and the period within which the balance is expected to be paid ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) 723.39 acres in Tehsil Faridkot.

(b) Not completely—

(i) The amount so far paid is Rs. 9,51,859.

(ii) Balance of Rs. 1,36,328 is expected to be paid by 30th June, 1958.

ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ acquire ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਮੁਆਵਿਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ?

अध्यक्ष महोदय : आप ने जो सवाल पूछा है उस का जवाब दे दिया है । यह इस से arise नहीं होता है । इस के लिए separate notice दें । (The question asked by the hon. Member has been replied to. This supplementary does not arise out of it. He may please give separate notice for it.)

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਆਈਆਂ ਹਨ ?

Mr. Speaker : No please. It does not arise.

ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਰਕਮ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੂਦ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

मंत्री : सूद तो अदा होता है लेकिन मैं ने तो definite date दी है कि उस तक अदायगी हो जाएगी ।

ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਸੂਦ ਕਿਤਨਾ ਮੁੱਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

मंत्री : मैं off hand नही कह सकता ।

DIFFERENCE IN THE PAYS OF 'MATE', ETC., POSTED IN THE IRRIGATION DEPARTMENT AT MALERKOTLA AND BHATINDA

***1640. Comrade Jangir Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the basic pay of the Mate and the Beldar working at Malerkotla in the Irrigation Department is Rs. 57 and Rs. 51 per mensem, respectively ;

(b) whether it is also a fact that the basic pay of the 'Mate' working at Bhatinda in the said Department is Rs. 67-8-0 and that of the Beldar Rs. 57-4-0 per mensem ;

(c) if the replies to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the reasons for the difference ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) No.

(b) No.

(c) Does not arise.

REPRESENTATION AGAINST THE INCREASE OF CANAL WATER IN BET AREA OF TEHSIL ZIRA, DISTRICT FEROZEPORE

*1853. **Sardar Gurwaryam Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether Government received any representation from the Zamindars of the Bet area in tehsil Zira, district Ferozepur, irrigated by the Grey Canal when they were asked to pay Betterment Charges to the effect that as the said area was already affected by water-logging, the quantity of canal water should not be increased ; if so, the action, if any, taken thereon ?

Sardar Gian Singh Rarewala : Yes. Several representations have been received from the Zamindars of Bet area, tehsil Zira, and are under consideration of the Betterment Board.

According to rules framed under the Punjab Betterment Act, the landowners have been allowed to file their representations against the levy of betterment charges within sixty days of the publication of the draft schedules in the Government Gazette of their publication in the villages concerned, whichever is later. The Betterment Board after expiry of these sixty days would consider such objections and submit their report to the Government for orders and final issue of the Betterment Schedules.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਹ ਰਕਬਾ ਸੇਮਜ਼ਦਾ ਹੈ ?

अध्यक्ष महोदय : इस का जवाब दे दिया गया है। (Reply to this question has already been given.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ representation ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸੇਮਜ਼ਦਾ ਹੈ ?

अध्यक्ष महोदय : आप ने सवाल तो यह किया है कि whether Government rcceived any representation from the Zamindars of the Bet area in tehsil Zira, district Ferozepur. सवाल तो betterment charges का पूछ रहे हैं तो इस में सेमज़दा इलाका कहां से ले आए। (The hon. Member has put this question, whether

[अध्यक्ष महोदय]
Government received any representation from the zamindars of the Bet area in Tehsil Zira, District Ferozpur. The question relates to betterment charges. How has the hon. Member brought in waterlogged area?)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ : ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ representation ਹੋਈ ਉਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸੇਮਜ਼ਦਾ ਹੈ........

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल इस से पैदा नहीं होता । (This question does not arise out of it.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ : ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ consider ਹੋਵੇਗਾ ?

ਮੰਤਰੀ : Objections call ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । 60 ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ।

PANCHAYATS AND CIRCLE SECRETARIES IN DISTRICT SANGRUR

*1383. **Sardar Rajinder Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the total number of Panchayats in district Sangrur and the number of Circle Secretaries ?

Sardar Gian Singh Rarewala : The required information is as under :—

Nagar Panchayats	..	510
Panchayati Adalats	..	119
Circle Secretaries	..	67

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਜਿਥੇ Circle Secretary ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ ਉਥੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ hypothetical question ਹੈ । ਜਿਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਲੇਕਿਨ ਇਕ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਦੋਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ serve ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

DISTRICT AND TEHSIL PANCHAYAT OFFICERS

*1404. **Shri Rup Singh Phul** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the total number of (i) District Panchayat Officers, and (ii) Tehsil Panchayat Officers in the State at present together with the number of Harijans and those belonging to Backward Classes amongst them ;

(b) whether any further appointments are expected to be made ; if so, the date fixed for interview for the selection of candidates for the said posts ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a)—

Total number		*Number of Harijans and those belonging to Backward Classes*
(i) 17	..	1
(ii) 135	..	14

(b) (i) The case regarding further appointment is under consideration.

(ii) Does not arise.

श्री रूप सिंह फूल : हरिजनों के लिये 19 फी सदी reservation है। क्या कारण है कि इस reservation के मुताबिक हरिजन मुकर्रर नहीं किये गये ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ recruitment ਹੋਈ । ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ qualified ਆਦਮੀ ਆਏ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ ।

PANCHES AND SARPANCHES CHALLANED FOR VARIOUS OFFENCES UNDER THE CRIMINAL PROCEDURE CODE

*1792. **Chaudhri Sunder Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether any Panches and Sarpanches of various Panchayats have been challaned by the Police for various offences under the I.P.C. or Criminal Procedure Code during the period from January, 1956 to date ; if so, their names together with their addresses districtwise in the State ?

Sardar Gian Singh Rarewala : The required information has been laid on the Table of the House.

STATEMENT SHOWING NAMES OF PANCHES AND SARPANCHES CHALLANED FOR VARIOUS OFFENCES UNDER I.P.C. OR CR. P.C. FROM JANUARY, 1956 TO 15TH FEBRUARY, 1958

Serial No.	Name of district	Name and address of Panch or Sarpanch challaned	Section under which challaned
1	2	3	4
1.	Hissar ..	*Nil*	
2.	Rohtak ..	1. Shri Bakhtawar Singh, Panch, Gram Panchayat Diplapur, Tehsil Sonepat	457, I.P.C.
		2. Shri Siri Chand, Panch, Gram Panchayat Jamalpur, Tehsil Jhajjar	107/51, Cr. P.C.
		3. Shri Dhaju Ram, Sarpanch, Gram Panchayat Rewari, Tehsil Gohana	Ditto
		4. Shri Naiyi Ram, Sarpanch Gram Panchayat Sanghi, Tehsil Rohtak	Under section 3/4, Gambling Act

[Minister for Irrigation and Power]

Serial No.	Name of district		Name and address of Panch or Sarpanch challaned	Section under which challaned
1	2		3	4
2—	Rohtak—*concld*	5.	Shri Tarif Singh, Sarpanch, Gram Panchayat, Tulao, Tehsil Jhajjar	143, I.P.C.
		6.	Shri Khushi Ram, Sarpanch, Gram Panchayat, Assudha, Tehsil Jhajjar	332, 147/148, I.P.C.
		7.	Shri Ram Kalan Panch of Gram Panchayat Dubaldhan Bidhan, Tehsil Jhajjar	107/151, Cr. P.C.
		8.	Shri Phula, Panch of Gram Panchayat Chhara, Tehsil Jhajjar	Ditto
		9.	Shri Shib Lal, Sarpanch, Gram Panchayat, Chimni, Tehsil Jhajjar	Ditto
		10.	Shri Khem Ram, Panch, Gram Panchayat Gandhra, Tehsil Rohtak	Ditto
3 ·	Gurgaon	1.	Shri Ram Phal, Panch, Village Panchayat Ghagot, Tehsil Palwal	Alleged to have been arrested under section 380, I.P.C.
		2.	Shri Sher Singh, Panch, Village Panchayat Guraora, Tehsil Rewari	406, I.P.C.
		3.	Shri Balbir Singh, Panch, Village Panchayat Bharawas, Tehsil Rewari	302/376/201, I.P.C.
		4.	Shri Kali Ram, Sarpanch, Village Panchayat Gharauli Khurd, Tehsil Gurgaon	354, I.P.C.
4.	Karnal	1.	Shri Ram Parkash, Sarpanch, Gram Panchayat Gumton, Tehsil Karnal	363/366, I.P.C.
		2.	Shri Jai Ram, Sarpanch, Gram Panchayat Hatwala, Tehsil Panipat	447/354, I.P.C.
		3.	Shri Tek Chand Panch, Gram Panchayat Mahoti, Tehsil Panipat	305, I.P.C.
5.	Ambala	1.	Shri Hazara Singh, Panch, Gram Panchayat Bajwara, Tehsil Kharar	302, I.P.C.
		2.	Shri Arjan Singh and Shri Mehar Singh, Panches of Panchayat Sambhalki, Tehsil Kharar	409, I.P.C.
		3.	Shri Dasondha Singh, Sarpanch, Gram Panchayat, Kumbra, Tehsil Kharar	Ditto
		4.	Shri Anant Ram alias Antu, Sarpanch, Salarheri P.S. Mullana, district Ambala	161, I.P.C.
		5.	Shri Sarwan Singh, Sarpanch, Gram Panchayat Chhuhar Majra, Tehsil Rupar	409, I.P.C.

Serial No.	Name of district	Name and address of Panch or Sarpanch challaned	Section under which challaned
1	2	3	4
6	Kangra	1. Shri Onkar Singh, Panch, Gram Panchayat Malergat, Tehsil Nurpur	452/149, I.P.C. 452/149, I.P.C.
		2. Shri Udham Singh, Panch, Gram Panchayat Sawahaul, Tehsil Hamirpur	457, I.P.C.
		3. Shri Ramditta, Panch, Gram Panchayat Darhyar, Tehsil Hamirpur	376/450, I.P.C.
7.	Hoshiarpur	1. Shri Mit Singh, Panch, Gram Panchayat Mirsapur, Tehsil Hoshiarpur	326/307, I.P.C.
		2. Shri Burbux Singh, Sarpanch, Panchayat, Thakar, Tehsil Dasuya	326, I.P.C.
		3. Shri Mehar Singh, Sarpanch, Panchayat Man, Tehsil Hoshiarpur	420, I.P.C.
		4. Shri Kanshi Ram, Panch, Panchayat Ishpur, Tehsil Una	Convicted under Excise Act
		5. Shri Amar Singh, Sarpanch, Panchayat Bhatian Jattan, Tehsil Dasuya	366, I.P.C.
		6. Shri Mast Ram, Sarpanch, Panchayat Bahadur Bahian, Tehsil Hoshiarpur	304/143/149, I.P.C.
		7. Shri Hardev Ram, Sarpanch, Panchayat Panjawar, Tehsil Una	409/477/466, I.P.C.
8.	Jullundur	1. Shri Bachan Singh, Panch, Panchayat Bawapur, Tehsil Phillaur	302/148/149, I.P.C.
		2. Shri Udham Singh, son of Basant Singh, Panch, Panchayat Powadra, Tehsil Phillaur	304, I.P.C.
		3. Shri Harbans Singh, Sarpanch, Panchayat Pharwala, Tehsil Phillaur	467/471, I.P.C.
		4. Shri Ishar Dass, Panch, Panchayat Pharwala, Tehsil Phillaur	Ditto
		5. Shri Ajit Singh, Sarpanch, Panchayat Nangal, Tehsil Nakodar	302, I.P.C.
		6. Shri Nand Singh, Panch, Panchayat Pharala, Tehsil Nawanshahr	406, I.P.C.
		7. Sarvshri (i) Kishan Singh, (ii) Rajmal, (iii) Sant Ram, Panches of Gram Panchayat, Kang	366/368/376, I.P.C.
		8. Shri Sundar Dass, Sarpanch, Panchayat Hiun, Tehsil Nawanshahr	325, I.P.C.
		9. Shri Qabul Singh, Panch, Panchayat Muna, Tehsil Nawanshahr	409, I.P.C.

[Minister for Irrigation and Power]

Serial No.	Name of district	Name and address of Panch or Sarpanch challaned	Section under which challaned
1	2	3	4
9.	Ludhiana ..	1. Shri Harchand Singh, Panch, Panchayat Jallampur, Tehsil Samrala	409, I .P .C.
		2. Shri Udham Singh, Sarpanch, Panchayat Hambran, Tehsil Jagraon	304, I.P.C.
10.	Ferozepur ..	1. Shri Mangal Singh, Panch, Panchayat Ghudduwala, Tehsil Zira	376/511, I.P.C.
		2. Shri Thakur Singh, Sarpanch, Panchayat Talwandi Nipalan, Tehsil Zira	380, I.P.C.
		3. Shri Dewan Singh, Sarpanch, Panchayat Mambeke, Tehsil Fazilka	366/376, I.P.C.
		4. Shri Niranjab Singh, Sarpanch, Panchayat Kaliawala, Tehsil Ferozepur	409, I.P.C.
11.	Amritsar ..	1. Shri Gurbux Singh, Sarpanch, Panchayat Usman, Tehsil Amritsar	302, I.P.C.
		2. Shri Bachan Singh, Panch, Panchayat Ram Dewali Hinduan, Tehsil Amritsar	354, I.P.C.
		3. Shri Sadhu Singh, Sarpanch, Panchayat Mandhiala, Tehsil Amritsar	409, I.P.C.
		4. Shri Ajaib Singh, Gram Panchayat Bhure Gill, Tehsil Ajnala	409, I.P.C.
		5. Shri Rehmat Masih, Sarpanch, Panchayat Panjgrain, Tehsil Ajnala	409, I.P.C.
		6. Shri Hardi Singh, Sarpanch, Panchayat None, Tehsil Tarn Taran	409, I.P.C.
		7. Shri Bachan Singh, Panch, Gram Panchayat Bopa Rai, Tehsil Patti	411/326/148/149, I.P.C.
		8. Shri Bhan Singh, Panch, Panchayat Varpal, Tehsil Amritsar	409, I.P.C.
		9. Shri Kishan Singh, Sarpanch, Panchayat Thatha, Tehsil Taran Taran	409, I.P.C.
		10. Shri Dasondha Singh, Panch, Panchachayat Malowal, Tehsil Amritsar	409, I.P.C.
		11. Shri Buta Singh, Panch, Panchayat Sabhrai, Tehsil Patti	366/380, I.P.C.
		12. Shri Shangara Singh, Sarpanch, Panchayat Mohleke, Tehsil Ajnala	307/326, I.P.C.
		13. Shri Sohan Singh, Sarpanch, Panchayat Kasel Tehsil Tarn Taran	302/307/148/149, I.P.C.
		14. Shri Durga Dass, Sarpanch, Panchayat Miranpur Kalan, Tehsil Amritsar	376/366, I.P.C.

Serial No.	Name of district	Name and address of Panch or Sarpanch challaned	Section under which challaned
1	2	3	4
		15. Shri Ravi Sher Singh, Sarpanch, Panchayat Fatehabad, Tehsil Tarn Taran	307/148/149, I.P.C.
		16. Shri Hardit Singh, Sarpanch, Panchayat Khalra, Tehsil Patti	414, I.P.C.
12.	Gurdaspur ..	1. Shri Khushi Ram, Panch, Panchayat Kazi Chak, Tehsil Gurdaspur	326/34, I.P.C.
		2. Shri Teja Singh, Sarpanch, Panchayat Kot Santokh Rai, Tehsil Gurdaspur	354/351/342/147/, I.P.C.
		3. Shri Hari Singh, Sarpanch, Panchayat Haibat Pindi, Tehsil Pathankot	420, I.P.C.
13.	Patiala ..	Nil	
14.	Sangrur ..	Nil	
15.	Bhatinda ..	Nil	
16.	Kapurthala..	1. Shri Sohan Singh, Panch, Nagar Panchayat Bidhipur, Tehsil and District Kapurthala	420, I P.C.
		2. Shri Dalip Singh, Sarpanch, Nagar Panchayat Dham, Tehsil Kapurthala	456, I.P.C.

चौधरी सुन्दर सिंह : यह जो लिस्ट दी गई हैं । इस में सब से ज़्यादा सरपंच ज़िला अमृतसर के हैं जिन के चालान हुए हैं। 302, 353, 405 में मुख्तलिफ गांव में चालान हुए हैं। मैं पूछता हूं कि वहां इन्तज़ाम कैसे हो रहा है ?

Mr. Speaker : You have started making a speech.

ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਲਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ percentage ਕਿੰਨੀ ਹੈ ? (*Laughter*)

पंडित श्री राम शर्मा : जिन सरपंचों के चालान हुए हैं वे अमृतसर ज़िला के ज़्यादा थे । क्या यह बात ज़िला अमृतसर के मिनिस्टरों पर भी आयद होती है ?

LAYING OF NEW ELECTRIC LINES IN THE STATE

***1396. Maulvi Abdul Ghani Dar** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the total length of new electric lines laid, district-wise, in the State during the year 1957-58 and the expenditure incurred thereon in each district?

Sardar Gian Singh Rarewala : A statement is laid on the Table of the House.

[Minister for Irrigation and Power]

STATEMENT SHOWING THE NEW ELECTRIC LINES LAID IN THE STATE DURING THE YEAR 1957-58

Serial No.	Name of District		Length of lines in Miles	Expenditure incurred
1	2		3	4
				Rs.
1.	Ludhiana	..	103.370	10,88,016
2.	Jullundur	..	245.00	21,37,384
3.	Kapurthala	..	9.00	10,000
4.	Hoshiarpur	..	83.00	9,46,944
5.	Amritsar	..	165.689	27,03,651
6.	Gurdaspur	..	87.25	8,86,667
7.	Kangra	..	90.50	12,32,819
8.	Ferozepore	..	117.779	4,60,289
9.	Hissar	..	79.00	12,07,327
10.	Ambala	..	68.00	9,35,363
11.	Karnal	..	31.00	5,05,761
12.	Gurgaon	..	70.00	2,72,706
13.	Rohtak	..	68.00	5,81,300
14.	Mohindergarh	..	13.00	35,941
15.	Patiala	..	45.00	6,63,547
16.	Bhatinda	..	44.00	4,40,000
17.	Sangrur	..	43.00	4,30,000

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੌ ਮੀਲ ਲਾਈਨ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ । (*Laughter*)

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜਿਸ ratio ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸੇ ratio ਨਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ?

ਮੰਤਰੀ : Ratio ਕੋਈ ਮੁੱਕਰਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

TEMPORARY CONNECTIONS OF ELECTRICITY AT CHANDIGARH

***1729. Sardar Niranjan Singh Talib :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether it is a fact that temporary connections of electricity are given for residential buildings in Chandigarh at present; if so, the reasons therefor ;

(b) the time by which these connections are likely to be made permanent ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) No.

(b) The connections already given on temporary basis are being converted into permanent ones and this work is expected to be completed in a year or so.

ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ : ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ 'No' ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ connections ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖੰਬੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਰਫ਼ ਡੰਡੇ ਹੀ ਗੱਡ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Mr. Speaker : It is not a supplementary question. Need not answer please.

ELECTRIC CONNECTIONS TO INDUSTRIAL UNDERTAKINGS AT CHANDIGARH

***1730. Sardar Niranjan Singh Talib :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether he is aware of the fact that electric connections to the industrial undertakings in the Industrial Area of Chandigarh Capital have not been given for a long time; if so, the time by which the needful is likely to be done ?

Sardar Gian Singh Rarewala : As far as I am aware, no connections to the industrial undertakings in the Industrial Area of Chandigarh are being delayed and the same are being given according to the procedure prescribed by Government for sanctioning new industrial connections.

ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ : ਨਵੇਂ connections ਵਾਸਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਗਦੀ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਹਰ ਇਕ ਕੇਸ ਤੇ depend ਕਰਦਾ ਹੈ। Different ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ applications ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ Industry Department ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਟਾਈਮ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ : ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ connection ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ?

Mr. Speaker : This question does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ : ਕੀ ਕਿਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤਾਲਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ? (*Laughter*)

पंडित श्री राम शर्मा : अगर ज्ञान हो जाय तो बता सकता हूं। (*Laughter*)

GROWTH OF PUNJABI LANGUAGE

***1381. Sardar Rajinder Singh :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to establish a separate department for the growth of the Punjabi Language in the State ; if so, the time by which it is likely to be established ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : In the Language Department already two sections for the development of Hindi and Punjabi are functioning. But in order that both the departments should co-ordinate their efforts and function in a co-operative spirit and should be able to assist each other, they are placed under a single language director who co-ordinates the activities of both these departments. There is further scope for reorganisation of these departments, and this question is receiving close attention.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : Regional Formula ਵਿਚ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਵਖਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ assurance ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ?

Mr. Speaker: This question has already been answered.

श्री इन्दर सिंह : क्या पंजाबी language के लिए कोई separate department कायम करने की कोई तजवीज़ ज़ेरेग़ौर है ?

अध्यक्ष महोदय : इस किस्म के question का जवाब पहले इस हाऊस में दिया जा चुका है। (This type of question has already been answered in this House.)

Shri Inder Singh : On a point of order, Sir. The Regional Formula is an imperative part of the enactment and the Government is bound to abide by that enactment.

Mr. Speaker : You can speak on this in the course of your speech on the Budget discussion.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਗੁਰਅਨਾਦ ਸਿੰਘ : ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਤੱਰਕੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤੱਰਕੀ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਅਲਹਿਦਾ Directorate ਨਾ ਰਖਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹਨ ?

Mr. Speaker : It is not a supplementary question.

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : Regional Formula ਵਿਚ ਇਹ assurance ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਅਲਹਿਦਾ Department ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ?

Mr. Speaker : This question has already been put and answered.

पंडित श्री राम शर्मा: क्या पंजाबी का इस स्टेट में कोई separate department मौजूद है या नहीं ?

योजना मंत्री : एक ही department है।

PUNJABI UNIVERSITY

***1525. Dr. Bhag Singh :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government for setting up a Punjabi University in the State; if so, the details thereof ;

(b) whether any correspondence on the subject referred to above has taken place between the State Government and the Union Government; if so, with what result ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : (a) No.

(b) Does not arise, in view as above.

B.T. GRADE TO TEACHERS OF ERSTWHILE PEPSU STATE

***1754. Shri Muni Lal :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state whether he is aware of the fact that about one hundred B.T. teachers of the erstwhile Pepsu State have not so far been given the scale of pay sanctioned by Government for teachers of these qualifications; if so, the reasons therefor ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : Yes. These teachers were employed by the erstwhile Pepsu against the posts of junior teachers, and they are getting the emoluments of the posts against which they have been appointed. They have since improved their qualifications by passing B.T. or B.Ed. examination. Appointments to the posts of B.T. masters are made on the recommendations of the Subordinate Services Selection Board, Punjab. These teachers are at liberty to compete on merit with other applicants when posts of masters are advertised by the Board. It is not possible to fill up vacancies of B.T. masters departmentally.

EDUCATIONAL CONFERENCE AT MOGA, DISTRICT FEROZEPORE

***1794. Sardar Gurdit Singh :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the District Inspector of Schools, Ferozepur, organised an Educational Conference at Moga on the 2nd and 3rd February, 1958 ;

(b) whether it is a fact that national flags were sold to the children in the schools at the rate of one anna per flag to raise funds for the said Conference ;

(c) whether it is also a fact that a delegation fee of annas eight was charged from every Government teacher ;

(d) whether the Conference referred to in part (a) above was official or non-official; if the former, the income and expend iture statement of the conference referred to in part (a) above be laid on the Table ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : "We have received certain complaints of this nature that are being examined by the Department." Till these were thoroughly examined nothing positive could be stated.

पंडित श्री राम शर्मा : National flags के बेचे जाने के बाद जब गवर्नमैण्ट को पता लगा है तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह कार्रवाई गवर्नमैण्ट की पालिसी के मुताबिक है ?

उप मंत्री : इस सिलसिले में शिकायत आई है और उस शिकायत पर ग़ौर हो रहा है जब तक मुकम्मल enquiry नहीं हो जाती इस के मुतअल्लिक कुछ नहीं कहा जा सकता ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह बताया जा सकता है कि कब शिकायत आई क्योंकि ग़ौर होते हुए काफी देर हो गई है ?

उप मंत्री : शिकायत की तारीख याद नहीं । ग़ौर हो रहा है और फैसला हो जायेगा ।

HIGHER RATES OF LABOUR CONTRACT IN HARIJAN COLONY, MANSURWAL, DISTRICT KAPURTHALA

***1250. Sardar Atma Singh** : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) whether Government received any representation regarding the higher rates of labour contract and the misuse of Government fund in the construction of the Harijan Colony at Mansoorwal, district Kapurthala; if so, when, from whom and the contents thereof together with the action taken in this respect ;

(b) the rate of labour contract per quarter in Shakupura and Mansoorwal Harijan Colonies in Kapurthala District together with the reasons for difference, if any, in the two cases ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) Yes. The member himself in a letter, dated the 8th December, 1957, reported that Government funds were misused in connection with the construction of Harijan Colony at Mansoorwal, district Kapurthala, as no tenders were invited. The complaint made was looked into by the Deputy Commissioner, Kapurthala, through the District Harijan Welfare Officer, Jullundur. The enquiry revealed that Government sanctioned a subsidy of Rs. 600 per quarter, consisting of one room of 15′×10′, one verandah (front) 8′×8′ and a kitchen 8′×7′ for 14 houses at Mansoorwal. However, the skilled labour was to be provided by the beneficiary and additional expenditure in the construction, if any, was to be borne by him. The Welfare Department advanced Rs. 600 to each individual. The beneficiaries deposited the grants in the Central Co-operative Bank, Kapurthala, in the name of the Co-operative Farming Society, Mansoorwal. Government imposed a condition that no amount could be withdrawn from the Bank without verification by the Assistant Welfare Officer, Kapurthala. This restriction was placed with the object that the Society did not spend the amount for any other purpose except for that it was sanctioned. The Assistant Welfare Officer satisfied himself that suitable houses had been constructed with the money sanctioned by Government. The question of misuse of Government money does not, therefore, arise.

(b) No labour contract for the construction of quarters in Mansoorwal Harijan Colony in district Kapurthala was given by Government. The Society in order to get better houses, resolved to contribute Rs. 150 per house and gave the work on contract for Rs. 750 per quarter to contractors. The Society formed by the beneficiaries themselves got the houses constructed. The houses built at Mansoorwal were pucca with Kail wood used and roofs made of tiles, whereas those at Shiekhupura were Kacha with mango wood used except the front walls which were pucca with Sirkee roofing.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 600 ਰੁਪਿਆ Society ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 150 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਸ ਲਈ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ?

उप शिक्षा मंत्री : 600 रुपय पर अच्छा मकान नहीं बनता। जिन लोगों को सरकार ने 600 रुपए मदद दी है उन्हें 150 रुपय और दिए गए हैं ताकि वह अच्छे मकान बना सकें।

ਭਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦਾਸ : ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 600 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਬਣਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ 150 ਰੁਪਏ ਪਾ ਕੇ ਮਕਾਨ ਅੱਛਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

Mr. Speaker : This is not a supplementary question. It is only an opinion.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕੂਪੁਰਾ ਤੇ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਹਰੀਜਨ colonies ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੋ ਹੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ?

Mr. Speaker : It is giving information.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ Shakupura ਤੇ Mansurwal colonies ਦੇ labour contract ਦੇ ਪੈਸੇ ਘਟ ਤੇ ਦੂਜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਧ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ?

Mr. Speaker : It is giving an information.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

CONSTRUCTION OF DRAINS IN FLOOD AND WATER LOGGED AREAS OF KAPURTHALA DISTRICT

897. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether Government have received any representation regarding the construction of drains in the flood-affected and waterlogged areas of Bholath and Sultanpur Circles of Kapurthala District ; if so, the action, if any, taken thereupon ?

Sardar Gian Singh Rarewala : Yes. The waterlogging in areas of Bholath and Sultanpur Circles of Kapurthala District will be arrested on the completion of the flood embankment along the left bank of the river Beas; the construction of the same is already in hand.

In addition a separate scheme for making drains in the Sultanpur area is also under preparation.

GRAIN MARKETS IN TAHSIL NABHA, DISTRICT PATIALA

898. Sardar Balwant Singh : Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state the number of grain markets in tahsil Nabha, District Patiala, at present ?

Sardar Gurbanta Singh : One at Nabha in tahsil Nabha.

CART-BRIDGES ON THE BHAKRA CANAL

900. Sardar Balwant Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether any cart-bridges on the Bhakra Canal from Sirtala Bhuratala Bridge to Rohti bridge (district Patiala) have been constructed; if so, their number together with the names of places where they have been constructed ?

Sardar Gian Singh Rarewala : Sirtala Bhurtala Bridge and Rohti Bridge do not lie on Bhakra Canal but on an old canal, namely, 2nd Patiala Feeder. There are nine bridges in all between these two bridges including three cart-bridges. Their location is as under :—

(1) Head Regulator and Bridge (R.D 79,514).

(2) Cart Bridge (Bhagwanpura), R.D. 95,940

(3) Foot Bridge (Mohalgwara), R.D. 105,984

(4) Foot Bridge (Chanawala), R.D. 116,800

(5) Cart Bridge (Bhorey), R.D. 121,190.

(6) Girder Cart Bridge (Bhorey), R.D. 124,500.

(7) V. Road Bridge (Kothi) R.D. 140,624.

(8) Foot Bridge (Bhojo-majra), R.D. 147,140.

(9) Head Regulator and Bridge, R.D. 156,080.

Mr. Speaker : The question hour is over now.

300- p.m.

OBSERVATIONS BY THE SPEAKER REGARDING DISPLAY OF THE DISC WITH THE STATE EMBLEM ON HIS CAR

श्री गोरखनाथ (बटाला) : स्पीकर साहिब, आज हिंद समाचार में एक चीज़ छपी है जो सीधी स्पीकर साहिब के नाम पर है और वह आप पर reflect करती है। अगर वह दरुस्त हो तो......विघ्न

अध्यक्ष महोदय : उस के बारे में मैं खुद ही reference कर रहा हूं।

मैम्बर साहिबान, जैसा कि पंडित गोरख नाथ जी ने कहा है यह हिन्द समाचार में खबर छपी है जो कि उन्होंने "पंजाब असेम्बली के स्पीकर की कार" के अनवान के नीचे छापी है। जो साहिबान बाकायदा अखबार पढते हैं उन को मालूम होगा कि पिछले दिनों ब्लिट्ज़ अखबार ने भी "टारगेट आफ दी डे—स्पीकर" लिखा था कि स्पीकर की कार के नीचे सिर्फ स्पीकर ही लिखा हुआ है जो कि पम्प और शो की निशानी है। फिर कार की रिजिस्ट्रेशन भी कहीं नहीं हुई, इस कार के लिये टैक्स भी नहीं अदा किये गये और ऐसा करने का स्पीकर को कैसे अख्तियार है? आज वैसी ही खबर हिन्द समाचार में भी निकली है। ब्लिट्ज़ वालों ने यह खबर 21 सितम्बर, 1957 के अपने परचे में छापी थी और पंडित श्री राम जी शर्मा इस चीज़ को मेरे नोटिस में लाये थे। उन्होंने बहुत ही अच्छा किया कि यह बात मुझ से पूछ ली। मैं ने उन्हें समझा दिया था कि इस बात में कोई सत्य नहीं था। अब जिस अखबार में यह खबर छपी है उस को लाला जगत नारायण जी के साहबज़ादे चला रहे हैं। उस में यह ज़िक्र किया गया है कि स्टेट एम्बलेम के नीचे आफिशियल डिस्क पर जो स्पीकर लिखा हुआ है वह एक शो है, सिनेमा जैसा शो है। उन्होंने यह भी लिखा है कि आया स्पीकर को रिजिस्ट्रेशन कराने से मुबर्रा करार दिया गया है। उस में इस तरह की बातें लिखी गई हैं।

मैं आप से यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि ब्लिट्ज़ को तो मैं ने लिख कर जवाब भेज दिया है। मैं ने आपोज़ीशन के लीडर पंडित श्री राम शर्मा को बताया था कि बाज़ दफा ऐसी ग़लतफहमियां पैदा की जाती हैं या हो जाती हैं। मुझे ब्लिट्ज़ अखबार की बड़ी कदर है। कन्स्ट्रकटिव क्रिटिसिज़्म कर के उन्होंने बड़ी सरविस की है। इस वीकली का हैडक्वार्टर बम्बई में है। उन के कारिसपांडेंट ने यहां से लिख भेजा और उन्होंने पब्लिश कर दिया। लेकिन हिन्द समाचार के ऐडीटर यहां से मुझ से आसानी से दरियाफत कर सकते थे। इस सम्बन्ध में मैं पूरा विवरण हाऊस के सामने रखना चाहता हूं।

वारंट आफ प्रेसीडेंट के अनुसार चेयरमैन, स्पीकर और चीफ जस्टिस चीफ मिनिस्टर के बाद आते हैं और मिनिस्टर साहिबान उन के बाद आते हैं। इसी के मुताबिक सरदार कपूर सिंह जी को जो कि उस समय स्पीकर थे नम्बर २ दिया गया। उन के बाद के और मुझ से पहले के स्पीकर डाक्टर सत्य पाल जी के पास कार नहीं थी। उस के बाद जब मैं स्पीकर बना तो मैं ने कार रखी। स्पीकर बनने से पहले भी मेरे पास कार थी। बाहर से बहुत से बड़े आदमी और डिगनेटरीज़ हमारी स्टेट में फंक्शन्ज़ अटेंड करने के लिये आते हैं। उन को एक जगह पर रिसीव करना होता है और फिर हमें बहुत जल्द दूसरी जगह पर पहुंचना होता है। चूंकि मेरी कार पर न तो स्टेट ऐम्बलम की डिस्क थी और न ही कोई आफिशियल नम्बर था इस लिये इस को आम कारों में शामिल किया जाता था। इस कारण से मैं ने लाला जगत नारायण जी को जो कि उस समय ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर थे यह पत्र लिखा :

[Mr. Speaker]

'You will appreciate that the conditions which necessitate the assignment of distinctive registration marks in the case of Ministers' cars equally hold good in the case of Speaker's car and there are apparently no reasons for treating him differently in this respect. I might add that even though I have a flag flying in the front of my car I have often been mistaken as some dignitary or Minister from some other State. It is only the State Emblem in back and front which would establish, while I am travelling in my car, my identity as some one belonging to this State.

I do not think that it makes any difference whether the car is one privately owned or an official one. Such special registration marks were used in the past by the Ministers and the Speaker even when they had cars of their own.

I shall be grateful if you direct your department to assign a special registration mark for my car like those assigned to Ministers according to the Warrant of Precedence. . I would not mind if some alternative number is assigned to me such as 2-A or Legislature 1 or 2.'

जैसा कि मैं ने पहले अर्ज़ किया है, डाक्टर सत्य पाल जी के प्रेड्रोसेअर को नम्बर दो और स्टेट ऐम्बलेम दिया गया था। हर एक मिनिस्टर की कार में स्टेट ऐम्बलेम है और उस के नीचे स्टेट का नम्बर है। उन का रिजिस्ट्रेशन नम्बर अलहदा होता है।

13 सितम्बर, 1954 को मेरी चिट्ठी को अकनौलेज करते हुए लाला जी ने लिखा कि उन्होंने उस पत्र को चीफ मिनिस्टर श्री भीम सेन सच्चर को पुट अप कर दिया है। बादअज़ां, उन के सेक्रेटरी ने इत्तलाह दी कि क्योंकि मुझ को गवर्नमेंट नम्बर 'दो' नहीं अलाट कर सकती थीं वे ऐसा कर सकते हैं कि उस नम्बर की जगह पर डिस्क के नीचे शब्द स्पीकर लिख देंगे। ताहम मैं ने यह एतराज़ किया कि नम्बर दो तो मेरी कार के लिये था वह डिप्टी लीडर या डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर को क्यों दिया गया था, और ठीक नम्बर मुझ को क्यों नहीं दिया गया था ?

आसाम और बिहार जैसी दूसरी स्टेटों में शब्द स्पीकर डिस्क के नीचे लिखा हुआ होता है। वहां यह प्रेकटिस थी कि मिनिस्टरों की कारों पर जो डिस्क होती थी उस के नीचे शब्द मिनिस्टर लिखा होता था। चुनांचि मैं ने कहा कि अगर कोई ऐसा प्रेसीडेंट मौजूद है तो मुझे उस तजवीज़ पर कोई एतराज़ नहीं है। फिर मेरे सेक्रेटरी डाक्टर बेदी ने अपनी चिट्ठी मवर्खा 30 मई, 1955 में सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को लिखा :

I have consulted the Speaker who agrees that the disc may have the word 'Speaker' written in place of the figure '2' as in the sample enclosed.

यह केस डेढ़ साल तक मेरे और चेयरमन के दरमियान डिस्कस करने के लिये पैंडिंग रखा रहा। उस के बाद श्री बुधवार, प्रोविंशियल ट्रांसपोट कंट्रोलर की तरफ से 3 जनवरी 1956 को एक पत्र आया, जिस में लिखा था :

The suggestion made therein for the display of crest has been approved by Government.

Necessary arrangements for the display of the same may kindly be made.

मेरी हिदायात के मुताबिक एक और चिट्ठी 9 जनवरी 1956 को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को लिखी गई जिस के साथ डिस्क का एक रफ सकैच भेजा गया जो कि उस से कुछ मुखतलिफ था जिस को कि मिनिस्टर साहिबान इस्तेमाल किया करते थे। उस रफ सकैच के बेसिस पर डिस्क तैयार की गई। मैं अर्ज़ कर दूं कि दूसरी स्टेट्स में भी यह प्रैकटिस रायज है।

दूसरी चीज़ यह थी कि चीफ जस्टिस को भी उन की पोज़ीशन के मुताबिक नम्बर अलाट नहीं किया गया था। इस लिये चीफ जस्टिस शब्द उन की कार की प्लेट के नीचे लिखा हुआ है। और इसी तरह शब्द चेयरमैन भी चेयरमैन साहिब की कार की डिस्क के नीचे लिखा हुआ है।

चुनांचि मैं ने इस को रीज़नेबल समझ कर और चूंकि यह सिर्फ डिस्क की फिक्सिंग का ही सवाल था, यह तजवीज़ मन्ज़ूर कर ली। मझे हैरानी है कि इस पोज़ीशन को क्यों एक्सप्लायट किया गया है। आखिर चीफ जस्टिस के पास कार है और चेयरमैन साहिब के पास भी कार है। लेकिन किसी आदमी की जुरअत नहीं हुई कि वह उन की कारों के सम्बन्ध में ऐसी नुक्ताचीनी करें। केवल अखबार ने मुझे ही नुक्ताचीनी का निशाना बनाया है और वह भी बिना केस की बैकग्रांउड में गये हुए।

इस के अलावा, स्पीकर चुने जाने से पहले भी तो मेरे पास कार थी। उस की रिजिस्ट्रेशन अमृतसर में हुई थी। स्पीकर बनने के बाद भी मेरे पास एक कार थी। उस की भी अमृतसर में रिजिस्ट्रेशन हुई थी। यह देखिये उस का रिजिस्ट्रेशन सरटिफिकेट है। फिर यह जो पौम्प ऐंड शो है यह सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों का परसनल कपैसिटी में नहीं है। यह तो इस 'आगस्ट हाऊस के प्रिज़ाइडिंग आफिसर की डिगनिटी को बहाल रखने के लिये इस डिस्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब ब्लिट्ज़ का कैपशन मेरे नोटिस में आया तो मैं ने ख्याल किया कि नुमाइंदे की गलती की वजह से अखबार के ऐडीटर को कोई ग़लत-फहमी हो गई होगी। लेकिन ऐसा ना खुशगवार वाक्या यहां पर नहीं दोहराया जाना चाहिये था जब कि अखबार के मालिक के पिता इस हाऊस के मेंबर हैं। उन के साहिबज़ादे मुझ से असलियत मालूम कर सकते थे। उन के अपने पिता ने खुद मुझे वह डिस्क अलाट की थी जब कि वे ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर थे। उन्होंने खुद ही इस बात का फ़ैसला किया था कि स्पीकर को यह डिस्क अपनी कार पर लगानी चाहिये। इन हालात में यह कमेंट करना कि यह पम्प और शो है, कार की रिजिस्ट्रेशन नहीं हुई और यह कि इस के लिये टैक्स नहीं अदा किया गया किसी सूरत में भी ग़लत बयानी से कम नहीं है। मैं इस मौके पर यह क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब कि जिस दिन मैं रिजिस्ट्रेशन फीस वग़ैरा अदा नहीं करूंगा तो मैं अपने आप को इस जगह पर बैठने के काबिल नहीं समझूंगा और इस कुर्सी को छोड़ दूंगा। और अगर उन की इच्छा हो तो मैं इस अखबार के दफतर में छः महीने तक फ्री सरविस करने के लिये तैयार हूं।

मैं तो कार भी खुद चलाता हूं। स्पीकर बनने से पहले भी मैं खुद कार चलाता था। अब अगर मेरे खुद कार चलाने पर नुक्ताचीनी की जाए और अगर यह दलील दी जाए कि स्पीकर अपनी कार खुद क्यों ड्राईव करता है जब कि कोई दूसरा स्पीकर या मिनिस्टर कभी अपनी कार खुद चलाता हुआ नहीं देखा गया, तो यह नुक्ताचीनी या दलील बिलकुल नावाजिब, ग़लत और बेहूदा सी है। अगर कल को अख़बार में यह खबर छाप दी जाए कि स्पीकर बगैर लाइसेंस के अपनी कार ड्राईव करता है, तो आप ख्याल कीजिए कि यह

[अध्यक्ष महोदय]

कितनी भद्दी बात होगी। कितना फजूल और बुरा लगता है अगर इस किस्म की नुक्ताचीनी स्पीकर पर की जाए। हां, अगर आप इस किस्म का कोई कानून बता सकते हैं जिस के मातहत स्पीकर अपनी कार नहीं ड्राईव कर सकता तो मैं ड्राईव करना बन्द कर दूंगा। जैसा मैं ने पहले कहा मैं स्पीकर बनने से पहले भी खुद ही ड्राईव करता रहा हूं। अब भी कई बार ऐसा करता हूं और आगे के लिये भी करूंगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस में रुकावट पैदा करे। लेकिन मुझे इस से दुख हुआ है और मैं चाहता हूं कि आइंदा ऐसी बुरी बातें नहीं होनी चाहियें। मैं ने वही तरीका अख्तियार किया है जो कि चीफ जस्टिस, दूसरे डिगनेटरीज़ और दूसरी स्टेट्स के प्रिज़ाइडिंग आफिसरों ने अख्तियार कर रखा है। ताहम अगर सरकार मुझे कोई आफिशियल नम्बर दे तो मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा। मुश्किल सिर्फ़ यही होगी कि जब कभी मुझे किसी फंकशन में हिस्सा लेने के लिये जाना पड़ेगा तो डिसटिंकटिव मार्क की ग़ैर मौजूदगी में मुझे अपनी कार को बाहर ही खड़ा करना पड़ेगा और मैं वहां अपनी कार नहीं ले जा सकूंगा जहां कि दूसरी डिगनेटरीज़ की कारें खड़ी होंगी। इस प्रकार जहां पहुंचना होगा देर से पहुंचा करूंगा और अगर एक फंकशन के खत्म होने के फौरन ही बाद किसी दूसरी जगह किसी को रिसीव करने का प्रोग्राम होगा तो वहां लेट पहुंचूंगा या ग़ैर हाज़िर ही हो जाऊंगा। मुझे आश्चर्य है कि क्यों ऐसी फजूल और बदमज़ा बातें की गई हैं। आखिर चीफ जस्टिस और स्पीकर का आफिस कोई पोलिटिकल आफिस तो नहीं है। यह तो आप की और हाऊस की डिगनिटी का सवाल है। यह गुरदयाल सिंह ढिल्लों का ज़ाती मामला नहीं है। यह तो स्पीकर की प्रेस्टीज का सवाल है।

(Hon. Members, as pointed out by Pandit Gorakh Nath Ji, there has appeared a news item in the "Hind Samachar" under the caption "Punjab Assembly Speaker's Car". Those who regularly read the newspapers might know that the "Blitz" also published such an item under the caption "Target of the day—Speaker" stating that on the official disc of the Speaker's car only the word "Speaker" is written at the bottom which smacks of pomp and show; the car has not been registered and the taxes in respect of this car have not been paid and what authority has the Speaker got to do that ? To-day a similar news item has appeared in the "Hind Samachar." The "Blitz" published that news item in its issue dated the 21st September, 1957 and Pandit Shri Ram Sharma brought it to my notice. He did well in enquiring from me about it. I told him that there was no truth in it. Now the newspaper in which this news item has appeared this time is being published by Lala Jagat Narain's son. Therein it is mentioned that the word "Speaker" written below the State emblem on the official disc of the car is a show, just a cinema show.

He has further written whether the Speaker has been exempted from the provision regarding the registration of the cars. Such like other things are also mentioned in it.

One thing I would like to point out. I sent a written reply to the "Blitz." I told Pandit Shri Ram Sharma, the Leader of the Opposition, that sometimes misunderstandings like this do occur or are created. I have a great regard for the "Blitz" newspaper. By making constructive criticism this newspaper has done a great service. The headquarters of this weekly is located at Bombay. Their correspondent sent a certain material from here and they published it. But the editor of the "Hind Samachar" could easily make an enquiry about it from me. In this connection, I wish to place the full facts before the House.

In the Warrant of Precedence the Chairman, the Speaker and the Chief Justice come next to the Chief Minister and after that come Ministers. Accordingly, Sardar Kapur Singh, who was the Speaker was allotted No. 2. Dr. Satya Pal, his successor and my predecessor, did not own a car. After that when I took over as Speaker, I had a car. I had a car even before I, became Speaker.

Many eminent persons and dignitaries come from outside to visit the State and attend State functions. They are to be received at one place and then we have to rush to another place. On my car since there was neither a disc with the State Emblem nor any official number and,therefore it was included in ordinary cars. Therefore, I wrote a letter to Lala Jagat Narain, then Transport Minister, to the following effect—

> "You will appreciate that the conditions which necessitate the assignment of dise tinctive registration marks in the case of Ministers' cars equally hold good in the case of Speaker's car and there are apparently no reasons for treating him differently in this respect. I might add that even though I have a flag flying in the front of my car I have often been mistaken as some dignitary or Minister from some other State. It is only the State Emblem in back and front wh h would establish, while I am travelling in my car, my identity as some one ·c longing to this State.
>
> I do not think that it makes any difference whether the car is one privately owned or an official one. Such special registration marks were used in the past by the Ministers and the Speaker even when they had cars of their own. I shall be grateful if you direct your department to assign a special registration mark for my car like those assigned to Ministers according to the Warrant of Precedence. I would not mind if some alternative number is assigned to me such as 2-A or Legislature 1 or 2...."

As I have already stated Dr. Satya Pal's predecessor was given No. 2 and the State Emblem. Every Minister's car has a disc with the State Emblem and State number at its bottom. They have got their separate registration numbers.

While acknowledging this letter on the 13th September, 1954, Lalaji informed me that he had put it up to the Chief Minister, Shri Bhim Sen Sachar, for his consideration. Afterwards, his Secretary informed that while No. 2 could not be allotted by the Government to me, they would be prepared to substitute the word "Speaker" in place of that number at the bottom of the disc. I, however, raised an objection saying that No. 2 was meant for me, why it had been assigned to the Deputy Leader or the Deputy Chief Minister and further why the correct number had not been given to me.

In other states like Assam and Bihar the word "Speaker" is written at the bottom of the disc. The practice there was that the word "Minister" was written at the bottom of the disc displayed on the Ministers' cars. I said that if there was precedent, I had no objection to the proposal made by the Government. Then my Secretary, Dr. Bedi, informed the Secretary Transport Department,—*vide* his letter, dated the 30th May, 1955, that :—

> "I have consulted the Speaker who agrees that the disc may have the word 'Speaker' written in place of the figure '2' as in the sample enclosed."

This case was kept pending for a year and a half for discussion between the Chairman and myself. After that a letter dated the 3rd January, 1956, was received from Shri Budhwar, Provincial Transport Controller, saying :—

> "The suggestion made therein for the display of crest has been approved by Government. Necessary arrangements for the display of the same may kindly be made."

[Mr. Speaker]

Another letter was sent to the Transport Department under my instructions on the 9th January, 1956, forwarding a rough sketch of the disc which was somewhat different from that used by the Ministers. The discs on the basis of that rough sketch were got prepared. I may point out that this practice is also prevalent in other States.

The second thing was that the Chief Justice was also not allotted the number according to his position in the Warrant of Precedence. The word "Chief Justice" is therefore written at the bottom of the plate displayed on his car. Similarly, the word "Chairman" is written at the bottom of the official disc of the Chairman.

So considering it to be quite reasonable and since it was simply a question of fixing the disc, I accepted this proposal. I wonder why this position has been exploited ? After all, the Chief Justice owns a car and so does the Chairman of the Legislative Council. But nobody has dared to level such criticism in respect of their cars. Only I have been made the target of criticism by the paper and that too without its having gone into the background of the case.

Apart from this, I have had a car of my own since before my election as Speaker. It has been registered at Amritsar. Even after assuming this office, I have owned a car which has been duly registered at Amritsar. Here is its Registration Certificate. Morever, the pomp and show is not of Sardar Gurdial Singh Dhillon in his personal capacity. It is with a view to maintaining the dignity of the Presiding Officer of this august House that this disc is being used. When the caption appearing in the "Blitz" came to my notice, I thought that it might have been some error of the representative of that paper that created the misunderstanding in the mind of its editor. But such an unhappy thing should not have been repeated in a case in which the father of the proprietor of the paper was a Member of this House. His son could have verified the facts from me. It was his own father who in his capacity as the Minister for Transport allotted this disc to me. It was he who took the decision that the Speaker should display this disc on his car. In such circumstances, to comment that this is pomp and show, the car has not been registered and that the tax in respect of it has not been paid is nothing short of perversion of facts. I take this opportunity to make it clear to you, hon. Members, that the day I do not pay the registration fee, etc., I will not consider myself fit to hold this office and I will vacate this Chair (*Cheers*) and if they want, I will be willing to serve in the office of this newspaper for six months without getting any remuneration from it.

I drive the car myself. I used to drive it when I was not the Speaker. And now I am criticised for driving my own car, if it is argued why does the Speaker drive his car when no Minister or other Speaker has ever been seen doing so such criticism or argument on the face of it is highly unreasonable, frivolous and senseless. If tomorrow, a story like this is published in the papers that the Speaker drives his car without a licence, you can imagine how ridiculous it would look. How ridiculous and malicious does it look if criticism of this type of the Speaker is made. Well, if you can quote any law which prevents the Speaker from driving it personally, then of course, I will be prepared to abandon this practice. I had been driving, as I have stated earlier, my car before even taking over as Speaker. I drive sometimes even now and will be doing so even in future. There is nothing which prevents me from doing

so. But I am pained at this and wish that such ugly things should not be repeated in future. I have followed the practice adopted by the Chief Justice, other dignitaries and the Presiding Officers of other States. I will, however, have no objection if the Government gives me an official number. The only difficulty would be that in the absence of any distinctive mark, whenever I would be required to participate in any function, I might not be able to take my car to a place reserved for parking of cars of dignitaries and would have to keep it outside.

In this way, I might reach late on such occasions and if immediately after the conclusion of one function I have to be present at another place to receive some dignitary I might be late or perhaps might also remain absent. I wonder why such ridiculous and unsavoury comments have been made. After all, the Chief Justice and the Speaker do not hold any political office. This is the question of your dignity, the dignity and prestige of the House. It is not a personal affair of Gurdial Singh Dhillon. It is a matter of the prestige of the Speaker.)

श्री गोरख नाथ : क्या इस अखबार को इस ज्यादती के लिये ज़िम्मेदार भी ठहराया जाएगा या नहीं ?

Shri Prabodh Chandra : On a point of order, Sir. Can there by any comment in the House on a subject which has not been the subject-matter of the discussion. Sir, is it relevant to comment on Motor-cars and Cycles when these subjects are not under discussion ?

पंडित श्री राम शर्मा (सोनीपत) : स्पीकर साहब, इस मामले के मुतअल्लिक, जो कि एक आनरेबल मेंबर ने उठाया और आप ने जो कुछ फरमाया उस को सुनने के बाद Opposition को वाकई अफसोस है कि अखबारों में ऐसी चीजें निकलती हैं जो स्पीकर की dignity और उस के ज़रिए House की dignity पर असर अन्दाज़ होती हों। आपने तमाम वाकयात को बयान करते हुए एक आनरेबल मेम्बर का भी ज़िक्र किया है जिन का कि Opposition के साथ तअल्लुक है। जहां तक इस मेम्बर का ताल्लुक है उन का इस के publication में कोई हाथ नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, कोई इल्म नहीं है । लेकिन जो अखबारें—चाह वह इस House के किसी मेंबर से ताल्लुक रखती हों या न रखती हों—ऐसा रवैया अख्तियार करती हों तो हम आपोज़ीशन वाले तमाम मेम्बरान इस बात में एक हैं कि स्पीकर की शान House की शान है और किसी को उन के खिलाफ कोई चीज़ नहीं कहनी चाहिए और अगर कोई अखबार इस तरह की बात करता है तो उस के लिये अगर House मुनासिब समझे तो एक मुनासिब action लिया जाए। (*cheers*)

अध्यक्ष महोदय : मैं आप का बहुत मशकूर हूं—बल्कि मैं तो आप का उसी दिन से मशकूर हूं जब कि आप Blitz के caption को मेरे notice में लाये। इस वक्त आप ने बतौर Leader of the Opposition के एक निहायत ही बुलन्द मिसाल और convention कायम की है। जहां तक दूसरे आनरेबल मेम्बर साहब को refer करने का सवाल है वह तो बतौर एक अखबार के साथ वाबस्ता होने के है—उन की ज़ात से मुझे कोई रंजश नहीं है। यह तो इत्तफाक से है कि वह दोनों तरफ़ connected

[अध्यक्ष महोदय]

हूँ । उस वक्त तो, जैसा मैंने पहले भी कहा है, Transport Minister भी वही थे और नम्बर देने वाले भी वही थे और इत्तफाक से Editor concerned के वह वालद बुजुर्गवार हैं। अगर उन्होंने इस को personal समझा हो तो मैं बता दूं कि मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं ।

(I am indeed grateful to the Leader of the Opposition for his observations. I am rather grateful to him from the very day he brought the caption appearing in the "Blitz" to my notice. On this occasion, he as Leader of the Opposition, has set up a very sound and healthy convention. So far as the question of reference to another hon. Member is concerned that is simply with regard to his association with this paper. I have nothing to complain against his person. This is sheer coincidence that he happens to be connected with both the sides. At that time, as I have already stated, he happened to be the Minister for Transport and also the person issuing the number of the disc and now by chance he happens to be the father of the Editor of the newspaper concerned. If he has taken it as a reflection on his person, then reference I want to make it clear that I did not mean anything of that sort.)

योजना मंत्री (डा० गोपी चन्द भार्गव) : स्पीकर साहब, मेरे दोस्त पंडित श्री राम शर्मा ने इस मामले की बाबत, जिस का आपने जिक्र किया है, जो कुछ कहा है मैं उस की ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं उससे भी थोड़ा आगे जाता हूं। जो कुछ किसी से भी हुआ, आप की शान के खिलाफ लिखा गया, मैं इस वक्त हाऊस में responsible होने के आप से माफी चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी । स्पीकर सब बातों से ऊंचा होता है और House की शान इसी में है कि Speaker की इज्जत को बनाए रखे। जब House की शान इसी में है तो तमाम जनता को ही इस बात में मदद करनी चाहिए। अगर उन को कुछ कहना हो तो मिनिस्टर्ज के खिलाफ़ जो मर्जी आए कहें। क्योंकि जब कोई स्पीकर चुन लिया जाता है तो वह उन सब के ऊपर हो जाता है । इस लिये लाजमी है कि उन की शान के खिलाफ़ ऐसी कोई बात न हो गई। इस लिये मैं हाउस की तरफ से आप से इस बात के लिये माफ़ी चाहता हूं । (*cheers*)

RESUMPTION OF GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET

Mr. Speaker : Yesterday when the House adjourned, Sardar Waryam Singh was in possession of the House. He may resume his speech.

ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕਲ੍ਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਰੇਰੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਲਈ 3,12,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ allowance ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਨਰੇਰੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਕਤੱਈ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ 52 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਲਈ 52 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੋਰ ਰਖ ਲਏ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 120 ਰੁਪਏ

ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ 52×120×12=(74,880) ਸਾਲ ਵਿਚ
ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੋਰ
development ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ੇਦ ਹਾਥੀ
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ—ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ,
ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ । ਉਂਞ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰੇਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ
ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸੌ, ਛੇ ਛੇ ਸੌ, ਸਤ ਸਤ ਸੌ ਰੁਪਿਆ
ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ P.C.S. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ
ਹਾਂ । ਇਕ ਬੰਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਵਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਤਨੀ ਹੀ ਤਨਖਾਹ
S. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ । ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ qualifications
ਨ੍ਹਾਂ ਦੀ qualifications ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ
ਹੋਵੋਗੇ । ਇਥੇ ਇਸੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ
ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ matric ਪਾਸ ਹਨ, ਕਈ under-matric ਹਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈਆਂ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ qualification ਹੈ, ਉਹ P.P.M.F.
ਜਾਨੀ ਪਰਾਇਮਰੀ ਪਾਸ ਪਰ middle ਫੇਲ (ਹਾਸਾ) । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ
ਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਖਰਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ
ਰ ਉਹ ਹੈ Sub-Treasury Officers ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।
18 Sub-Treasury Officers ਰਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ
ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ
ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ
Sub-Treasuries ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ entries ਹੀ
ਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ
ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ department ਹੇਠ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ depar
nt ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚ ਤੇ control ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ
ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Civil Secretariat ਦੇ Fina
partment ਦੀ Treasury and Accounts Branch ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ
ਵਧਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ।

1954–55 ਵਿਚ ਇਸ ਤੇ ਖਰਚ 9,333 ਸੀ ।
1955–56 ਵਿਚ 26,760
1956–57 ਵਿਚ 65,100
1957–58 ਵਿਚ 1,34,000
ਤੇ ਹੁਣ 1958–59 ਵਿਚ 1,53,930 ਹੋਣਾ ਹੈ ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ District Treasuries ਦੀ figures
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਹਰ ਸਾਲ ਬਧਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

[ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ]

1952-53 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਸੀ	1,93,981,
1953-54 ਵਿਚ ਇਹ ਸੀ	4,66,049,
1954-55 ਵਿਚ ਇਹ ਸੀ	4,66,011,
1955-56 ਵਿਚ ਇਹ ਸੀ	5,65,740,
1956-57 ਵਿਚ ਇਹ ਸੀ	6,72,560,
1957-58 ਵਿਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ	13,18,910.

ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ 1958-59 ਲਈ ਇਹ 14,68,480 ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਤਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਇਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪੁਤਰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਕ ਵਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ 9 ਜਾਂ ਦਸ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ Sub-Treasury Officers, Divisional Accountants ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹਾਂ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਕ ਭਰਾ, ਇਕ ਆਪਣੀ ਸਾਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਕ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਕ ਭੈਣ ਦਾ ਜਵਾਈ, ਇਕ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ, ਜਵਾਈ ਦਾ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਜਵਾਈ, ਇਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਤੀਸਰਾ ਜਵਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। (ਇਕ ਅਵਾਜ਼—ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਉਂ ਕੀ ਹਨ)। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਸਾਂਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਫਸਰ ਉਹ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਜਟ speech ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਹਿਰੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ convention ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਫਸਰ B. N. Chopra ਦੀ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ Budget Speech ਵਿਚ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ as a whole ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਰੀਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ head ਦੀ ਯਾਨੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ Mr. S. R. Verma, Finance Secretary to Government ਦੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ junior ਅਫਸਰ ਦੀ ਤਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ senior ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਔਰ Head of the Department ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਇਕ junior ਅਫਸਰ ਦੀ ਤਰੀਫ ਕਰਨਾ, ਉਸ Head of the Department ਤੇ reflection ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ

Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਤਰੀਫ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Head of the Department ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਇਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਭਾਵ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ extension ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ re-employ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ re-employ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਂ extenison ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਹ ਹਨ—

1. ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੋਪੜਾ .. ਪੁਤਰ
2. ਸ਼੍ਰੀ ਰਘੂ ਨਾਥ ਸਹਾਏ ਚੋਪੜਾ .. ਭਰਾ
3. ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ .. ਸਾਲੀ ਦਾ ਪੁਤੱਰ
4. ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ. ਐਲ. ਖੋਸਲਾ .. ਭੈਣ ਦਾ ਜਵਾਈ
5. ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਤ੍ਰ .. ਜਵਾਈ
6. ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ .. ਭਾਣਜਾ
7. ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਸਹਿਗਲ .. ਭੈਣ ਦਾ ਪੁਤੱਰ।

Mr. Speaker : You can only explain their designation and not names.

ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਅਛਾ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ Treasury Organisation ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, Accounts ਅਫਸਰ, Divisional Accountants, Local Auditor ਵਗੈਰਾ, ਵਗੈਰਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਿਉ। (The hon. Member may leave it now.)

ਸਰਦਾਰ ਵੀਰਿਆਮ ਸਿੰਘ : ਬਸ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ Sub-Treasury Officers, ਜਾਂ Accounts Officers ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ notice ਵਿਚ ਹੋਰ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ Finance Minister ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮੇ Industries ਬਾਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ Industries ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ hand-loom rebate scandal ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਵਧ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ-ਖੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੁਦੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸੇ ਸੁਦੇਸ਼ੀ movement ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ

[ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ]

ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਥ ਖੱਡੀ ਤੇ ਸੂਤੀ ਕਪੜਾ ਬੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਇਸ Industries Department ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ । ਪਰ ਮੈਨੂੰ Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਬੇਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਘੋਲ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ । ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ Leader of the Opposition ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ । ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਦੇਸ਼ੀ movement ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੁਦੇਸ਼ੀ movement ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बस करें। (Please finish up.)

ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਜਿਹੜੀ scandal ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਵੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਦਸ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਥ ਖੱਡੀ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ Cess Fund Scheme ਰਾਹੀਂ Centre ਵਿਚ ਖਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ All-India Handloom Board ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ weavers ਹਨ ਜਾਂ weavers ਦੀਆਂ co-operatives ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦੀ ਬੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਤੀ ਮਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ sale ਲਈ ਇਥੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ 14 sale depot ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ sale ਉਤੇ ਛੇ ਆਨਾ ਇਕ ਰੁਪਏ ਪਿਛੇ rebate ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

अध्यक्ष महोदय : कल सरदार वरियाम सिंह भागोवाले ने बोलना था लेकिन डिप्टी स्पीकर साहिब ने ग़लती से आप को बोलने के लिए कह दिया था । इसलिए अब आप बस करें। (Yesterday, Sardar Waryam Singh Bhaguwala had to speak but the Deputy Speaker, by mistake, allowed the hon. Member to speak. Therefore, he should now finish his speech.)

ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਗੋਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਜਨਵਰੀ, 1956 ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਉਸੇ 1956 ਦੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ Handloom Week ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ Handloom Week ਵਿਚ ਕੇਸਰੀ ਬਾਗ ਵਿਚ ਇਕ ਮੇਜ਼ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਰਖ ਕੇ ਇਕ ਦਫਤਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਨੂੰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਥੇ ਪੂਰੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਥ ਖਡੀ ਤੇ ਬੁਣੇ, ਸੂਤੀ ਕਪੜੇ ਦੀ sale ਹੋਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ rebate ਬਣੀ 93,750 ਰੁਪਏ । ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਰਕਮ ਸਾਰੀ rebate

ਲਈ ਸੀ 3,29,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2,25,750 ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡਨ ਲਈ ਉਹ Handloom week ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿਤ੍ਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਖਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਸਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ sale ਹੋਈ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 2 ਲਖ ਦੀ sale ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਉਸ rebate ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਕ weaver co-operator ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ Director of Industries ਦੇ notice ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ, Finance Minister ਅਤੇ Industries Minister ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਨੇ Co-operative Societies ਦੇ Registrar ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਦੁਹਾਈ ਪਈ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਇਕ ਡੇਢ ਸਾਲ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਲਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਫੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈਂ, ਤੇਰੀ Society deregister ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ (shame, shame from opposition benches) ਜਦ ਨੌਬਤ ਇਥੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪੰਡਤ ਪੰਤ ਜੀ ਨੂੰ......

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਲੀ ਤੋਂ ਉਰੇ ਉਰੇ ਰਹੋ। (ਹਾਸਾ) (The hon. Member may not rope in Delhi in the debate.) (*Laughter*)

ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ : ਉਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਪੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ :

> "A regular racket usurping the rights and privileges of the poor, handloom weavers of this State is working unchecked under the care and protection of Government Officials."

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Mr. Speaker : The hon. Member should wind up his speech within two minutes.

ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ—

> "I, however, believe in God's will and if a reformist is to face death in the process of compelling attention of the authorities to the injustice meted out to the poor and weak, he should accept it gladly."

ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਤਨਾ ਵਡਾ scandal ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਉਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ risk ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ ਉਪਰ ਨੋਟਸ ਵਿਚ ਆਈ। ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ (ਵਿਘਨ) ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ 14 ਲਖ ਦੀ sale ਹੋਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈਗਿਆ ਤਾਂ 1957 ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਜਦ ਇਹੋ Handloom week ਫਿਰ ਮਨਾਇਆ

[ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ]

ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 10,000 ਦੀ sale ਹੋਈ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸਾਰੀ sale bogus ਸੀ। ਸਿਰਫ rebate ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਜਟ ਦੇ ਸਫਾ 363 ਤੇ 2 ਲਖ ਦੀ ਰਕਮ rebate ਦੇਣ ਲਈ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਜਟ ਦੇ ਸਫਾ 554 ਤੇ 18 ਲਖ ਰੁਪਿਆ handlooms ਨੂੰ Powerlooms ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ Centre ਨੇ 500 handlooms ਨੂੰ powerlooms ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 800 ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਛੋਹਰਟੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੇ ਮਿਲਾਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲਾਂ ਸੂਤੀ ਕਪੜਾ ਨਹੀਂ ਬੁਣਦੀਆਂ staple ਅਤੇ silk ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬੇਚਾਰੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਦੋ ਲਖ ਦੀ rebate ਦਾ ਅਤੇ powerlooms ਲਈ ਦਿਤੇ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ misuse ਨਹੀਂ ? ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ enquiry ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ Anti-Corruption Department ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ? (ਘੰਟੀ) ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ Department ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਖਰਚ ਲਈ ਲਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। (ਜ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ)

श्री जगत नारायण चोपड़ा (जालन्धर शहर, दक्षिण पश्चिम) : स्पीकर साहिब, बजट पर चार दिनों से बहस जारी है। इसी दौरान में जालन्धर गोली कांड के सिलसिला में जो Enquiry Commission ने Report तैयार की वह मेज़ पर रखी गई। उस पर जो तकरीरें हुईं, उन में Opposition के उन तीन मैम्बरों पर बहुत कुछ इलज़ामात लगाए गए जो कि उस वक्त उस जलूस में शामिल थे। स्पीकर साहिब, आप को यह अच्छी तरह से इल्म है कि अगर किसी को फांसी की सज़ा मिल जाए तो उस के लिये High Court में appeal हो सकती है, High Court के बाद Supreme Court में appeal हो सकती है, उस के बाद Chief Minister और उस के भी बाद हिन्दुस्तान के प्रधान के पास अपील हो सकती है। मगर इस Enquiry Commission की Report के खिलाफ़ कहीं भी appeal नहीं हो सकती। तो भी स्पीकर साहिब हमारी जो appeal है आप के सामने है या आप की विसातत से इस House के सामने है या फिर जनता के सामने है। जैसे कल यहां पर गन्दगी फैंकी गई, आप को मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं कोई भी ऐसा मौका नहीं दूंगा किसी के भी मुतअल्लिक न जज साहिब के मुतऊल्लिक न किसी मैम्बर के मुतअल्लिक मगर एक बात अर्ज़ करना चाहता हूं। हमें यहां पर criminal कहा गया मुजरिम, बुज़दिल और डरपोक कहा गया यहां तक कि हमारी integrity पर भी शक किया गया...... (ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ : Report ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।) आप interrupt न करें।

अध्यक्ष महोदय : No interrupion please. अगर आप interrupt करेंगे तो मैं serious view लूंगा। I will not tolerate this. (No interruption please. I will take a serious view if the hon. Member make s any interruption. I will not tolerate this.)

श्री जगत नारायण चोपड़ा : तो स्पीकर साहिब, आप को इल्म है कि अगर session Judge किसी आदमी को फांसी दे देता है तो high court में उस को बरी कर दिया जाता है; High Court में अगर सजा हो जाए तो Supreme Court में उस को बरी कर दिया जाता है। बाकी यह तो आप जानते हैं कि गलती हर आदमी से हो सकती है। मैं नाम न लेते हुए, न मुकदमे का, न जिस पर यह मुकदमा था, न जज साहिब का आप की तवज्जुह इस तरफ दिलाना चाहता हूं। डेढ़ महीना हुआ है High court में एक case पेश हुआ contempt का। इस case में एक बेवा औरत ने जज के पास अर्जी दी कि मेरा पति मारा गया, रिश्तेदार मारे गए और कहा कि Court की contempt की गई है। स्पीकर साहिब, वाक्या यह है कि जब तक अर्जी देने वालों का affidavit न हो, जिन्हों ने कि वाक्यात को देखा हो, तब तक अर्जी पर गौर नहीं हो सकता। मगर जज साहिब ने एक बड़े आदमी के नाम नोटिस जारी कर दिया कि आप बताएं कि आप के खिलाफ़ contempt का case क्यों न चलाया जाए, Chief Justice और जज के सामने पेश हो और बयान दो। मैं जनाब को यकीन दिलाता हूं कि मैं नाम नहीं लूंगा। तो Chief Justice ने लिखा :—

> pon the filing of this petition my learned brother issued a notice to the Chief Minister to appear before this Court and to show cause why he should not be adjudged to be guilty of contempt for interfering with the course of justice.

उस पर वकीलों की तरफ से बहस जारी हुई। इस बहस को सुनने के बाद Chief Justice साहिब ने एक case का हवाला दिया....

> "The rule to show cause appears to have been made without affidavit. This is a fatal objection. All parties charged, otherwise than by the oath of the grand jury...."

Minister for Planning : On a point of order, Sir. Is he not discussing the conduct of a High Court Judge ?

अध्यक्ष महोदय : लाला जी, आप यह किस बात के लिये कह रहे हैं ? (What does the hon. Member want to drive at by saying all this ?)

श्री जगत नारायण चोपड़ा : मैं यह साबत करना चाहता हूं कि जज भी गलती कर सकता है और fatal mistake कर सकता है।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन आप ने तो कहा था कि मैं जज के बारे में भी नहीं कहूंगा। (But the hon. Member stated that he would not say anything about the Judge even.)

श्री जगत नारायण चोपड़ा : मैं ने नाम नहीं लिया। मगर जज भी गलती कर सकता है। अगर Sessions Judge किसी को फांसी दे दे तो High Court उसे बरी कर सकता है......

अध्यक्ष महोदय : यह नहीं इस में आएगा कि बरी कर सकता या नहीं कर सकता। अगर आप और कहेंगे तो मैं यह भी expunge करवा दूंगा। जहां तक जज की बात का ताल्लुक है आप इस पर आएं ही न। (This matter of quashing sentences shall not be brought under discussion. If the hon. Member persists in saying anything more about this, then I will get all this expunged from the debate. It would be better if he leaves aside the matter pertaining to the Judge.)

श्री जगत नारायण चोपड़ा : मैं यह बता रहा हूं कि जज भी ग़लती कर सकता है।

अध्यक्ष महोदय : आप reflect क्यों करते हैं। (Why does the hon. Member cast a reflection on the Judge?)

श्री जगत नारायण चोपड़ा : मैं reflect नहीं करता मैं तो यह बता.....

राव गजराज सिंह : On a point of order, Sir. यहां पर जो कानून पेश किया जा रहा है कल को अपील होने पर फैसले को पलट सकता है। Contempt of Court Act में यह procedure है कि affidavit के बिना कहीं पेश नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : लाला जी आप छोड़िए इस बात को। (The hon. Member may leave this matter.)

श्री जगत नारायण चोपड़ा : स्पीकर साहिब यहां पर इस हाऊस के अन्दर यह कहा गया है कि हम डरपोक हैं हम ने बुज़दिली दिखाई। Enquiry Commission ने लिखा कि हम मौका पर नहीं थे आगे रहे पीछे रहे तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जब मैं witness-box में था........

Minister for Finance : May I rise on a point of o der, Sir ?

Pandit Shri Ram Sharma: Let us know what is your point of Order.

Minister for Finance : My point of order is that today general discussion is taking place on the Budget and not on the conduct of an individual Member of the House. The hon. Member cannot during the caurse of this discussion argue to justify his own conduct, which has been criticised in the Report.

पंडित श्री राम शर्मा : यह फिनांस मिनिस्टर साहिब को मुगालता है अगर किसी hon. Member के conduct को इस हाऊस के अन्दर discuss किया जाए वह personal explanation पर खड़ा हो सकता है उस को यह special right है। यहां इन की तरफ कल हाऊस में इशारा किया गया और कुछ बातें कही गईं।

अध्यक्ष महोदय : आप तशरीफ रखिए। कल खोसला कमिशन से जो quote किया गया था उस में चौधरी सिरी चन्द ने अपनी तरफ से कोई नई चीज़ add नहीं की थी। आप छोड़िए इन बातों को और बजट पर discussion करें। (Let the hon. Member resume his seat. Chaudhri Sri Chand did not add any thing while refering to the Khosla Report yesterday. I would request the hon. Member to leave this topic and discuss the Budget only.)

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. किसी enquiry ने और गवर्नमेंट पार्टी के किसी मेम्बर ने अगर इस हाऊस के अन्दर किसी दूसरे मेम्बर पर reflection किया हो तो उसे हक्क है कि वह अपनी position वाजह करे। कल चौधरी स्री चन्द ने न सिर्फ reflection ही किया है बल्कि चटखारे ले ले कर मज़ाकिया अन्दाज़ में बातें कहीं हैं तो क्या मेम्बर को right नहीं कि वह अपने बारे में कुछ कह सके।

अध्यक्ष महोदय : Relevancy की बहुत बारीक सी line है। आप judicial findings पर reflect न करें। (The line of relevancy is very thin. I would request the hon. Member not to cast reflection on the judicial findings.)

श्री जगत नारायण चोपड़ा : स्पीकर साहिब आप मेरी बात सुनिये मैं Civil Code Manual में से Central Act, 1952, से कुछ हिस्सा पढ़ कर सुनाता हूं।

> "The Commission shall have the power of a Civil Court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908), in respect of the following matters, viz., summoning and forcing the attendance of any person and examining him on oath...."

Mr. Speaker : The hon. Member is discussing the judicial finding and the matters connected with that. I have already asked him not to discuss these things.

श्री जगत नारायण चोपड़ा : जनाब स्पीकर साहिब मैं किसी जज पर कोई reflection नहीं कर रहा।

अध्यक्ष महोदय : आप उस आदमी पर reflect नहीं करते उस के कामों पर करते हैं? (Then does the hon. Member mean to reflect on the deeds of a person and not the person himself ?)

पंडित श्री राम शर्मा : जब लोक सभा में छागला कमिशन की Report पेश हुई तो इस पर पूरी तरह discussion की गई तो जब ऐसी report लोक सभा में discuss हो सकती है तो यहां भी हो सकती है।

Mr. Speaker : I have also seen that. No body allowed any discussion on the merits of the case or any matter connected with the merits of the case. Only such things as "This has happened." "The Government ought to have avoided in this way or that way" were allowed to be discussed.

Minister for Finance : My submission, Sir, is that a copy of the Report was laid on the Table of the House and if the Members of the Opposition Party are keen to have it they can apply for discussion of the Report. Thatsi the proper procedure.

Pandit Shri Ram Sharma : You will never agree. I will apply for it just now but you won't agree.

श्री जगत नारायण चोपड़ा : कल यहां पर कहा गया कि पाजामा बदल कर आ गए तो मैं बताना चाहता हूं कि जब गोली चली उस के पांच मिनट बाद 6 बजे मैं वहां पहुंचा और इस हाऊस के एक और मेम्बर भी वहां पहुंचे। उन पर एक नौजवान हाथ डालने लगा तो मैं ने उस नौजवान को परे हटाया था तो आज कहा जा रहा है कि मैं वहां मौजूद नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : जो बात judgement में नहीं आती आप उस के बारे में जो कुछ चाहें कहें मैं नहीं रोकूंगा। (I will not object to any reference to a matter by the hon. Member, if it does not form part of that judgement.)

श्री जगत नारायण चोपड़ा : यहां पर स्पीकर साहिब, हमारी integrity पर शक किया गया इस के बारे में मैं अर्ज़ करूं कि हमें कहा गया कि हम डरपोक हैं। मुझे खुशी हुई है कि डाक्टर साहिब हमारे पुराने साथी हैं और यहां बैठे हुए हैं। अभी बहुत देर नहीं हुई कि हमने एक साथ काम किया और अगर मुखालफित करनी पड़ी तो डट कर की। इन्होंने हमें कैद कर दिया। हमारी अख्बार पर वार किए हमारे मुख्य मन्त्री यहां पर बैठे नहीं हैं हम जब उन के दोसत थे पूरी तरह दोस्ती निभाई उन का साथ दिया और जब मुखालफित पर आए तो डट कर की। आज मेरे लड़के पर चार मुकद्दमें बनाए हुए हैं। और हर तरह से मुखालफित करते हैं, तो ठीक है, करें। अगर मैं और चीफ मिनिस्टर दोस्त थे तो दोस्ती निभाई और अब मुखालिफ हैं तो डट कर मुखालफित कर रहे हैं। इस लिये जो आदमी चीफ मिनिस्टर की बिना किसी डर के और दलेरी से मुखालफित कर सकता है उस के बारे में कहना कि पाजामा बदल कर आ गये हैं या यह कि डरपोक हैं बुज़दिल हैं ज़ेब नहीं देता। शाम को छे बजे जब firing खत्म हुई तो मैं भी वहां पर पहुंचा और किरतीं साहिब भी और वहां मैंने एक नौजवान को जो इन पर हाथ उठाने वाला था, परे हटाया। (*Interruptions*.)

Mr. Speaker : No interruptions please.

श्री जगत नारायण चोपड़ा : Report में कहा गया है कि...

अध्यक्ष महोदय : फिर आ गए report पर (The hon. Member has again come to the report.)

श्री जगत नारायण चोपड़ा : स्पीकर साहिब हमारे वित्त मन्त्री ने जो बजट पेश किया है......

अध्यक्ष महोदय: शुक्र है आप बजट पर आए। (Thank God the hon. Member has adverted to the Budget.)

श्री जगत नारायण चोपड़ा : माननीय वित्त मन्त्री ने जो बजट पेश किया है इस में जैसा कि आप को पता है दाल रोटी पर टैक्स लगा दिया गया है। सब मेम्बर साहिबान ने, जो इस पर बोले हैं, इस टैक्स को refer किया है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि टैक्स जान बूझ कर लगाए गए हैं इस लिये कि हमारे........

Shri Harbhagwan Maudgil : On a point of order, Sir. क्या कोई ऐसा टैक्स भी होता है जो जान बूझ कर न लगाया जाए ?

श्री जगत नारायण चोपड़ा : स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो टैक्स लगाए गए हैं अगर वित्त मंत्री महोदय कोशिश करते तो मुझे यकीन है कि बगैर टैक्स लगाए के बजट को खसारे का नहीं मुनाफे का बनाया जा सकता था।

पिछले साल जो एक करोड़ रुपया इन्होंने contingencies पर लगाया हुआ था इस साल इन्होंने कहा है कि हम इस बात के लिये यह रकम लेना नहीं चाहते। मैं जनाब

यह पूछना चाहता हूं कि आखिर यह क्या बात है जिस की वजह से यह रक्म पिछले साल ली गई थी मगर आज नहीं ली गई यह ऐसी कौन सी बात है। क्या अब मुलाज़मों की तनखाहों में कमी हो गई है। वह भी आज वहीं के वहीं हैं जहां कि पहले थे।

इस के ऊलावा इस साल इन को transport में 58 लाख का profit हुआ है। क्योंकि इस साल इन की buses की income 1,55,20,000 है और इस के मुकाबला में अम्बाला जालन्धर वगैरह इन के bus stands का खर्च 13,49,660 होता है। इस लिहाज़ से इन को यहां से 51,70,340 बच जाते हैं। इस के अलावा इन को Pepsu Roadways की 7 लाख रुपये की बचत हुई है। इस तरह इन को कुल 58,70,340 रुपये की बच्चतें हुई हैं। एक दो साल से जैसा कि मेरे भाई सरदार दरबारा सिंह जी ने भी कहा था कि 50—50 के basis पर Government मोटरों को nationalise करना चाहती है। मगर इस के मुताल्लिक मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं Transport Minister था यही मामला cabinet में भी आया था तो उस वक्त हमारे मुख्य मंत्री ने इस तजवीज़ की मुखालफित की थी। मगर मैं देखता हूं कि यह तजवीज़ अगर ज़ेरे गौर भी है तो इतने अर्सा से इन को ज़मीन ही नहीं मिल रही। अगर यह तजवीज़ implement हो जाती है तो इन को इस तरह से 180 लाख रुपये की आमदन हो सकती है। इस वक्त इन की 300 buses चलती है और private operators की 1,300 buses चलती हैं अगर 400 buses और nationalise कर दी जायें तो ऐसा करने से हमें 80 लाख के करीब बच्चत होती है।

हमारे मुख्य मंत्री ने एक और jugglery की है। वह कहते हैं कि बोर्ड के कायम हो जाने से उहल नदी योजना को 18 लाख की आमदनी बंद हो जायेगी। अपनी बजट तकरीर में Finance Minister साहिब लिखते हैं कि:—

"अनुमान है कि साल 1957-58 के आखीर तक उहल नदी योजना और नंगल बिजली प्राजैक्ट पर क्रमशः 13—14 लाख रुपए और 35—57 लाख रुपए की कुल पूंजी लगाई जा चुकी होगी। यह रकम बोर्ड के ज़िम्मे कर्ज़े के रूप में समझी जाएगी और इस कर्ज़े पर बोर्ड को इस तरह के कर्ज़े के लिये निश्चित दरों पर सूद देना पड़ेगा। अनुमान है कि सूद के मौजूदा दरों के आधार पर बोर्ड को उहल नदी योजना पर लगी पूंजी के लिए 48 लाख रुपये और नंगल बिजली प्राजैक्ट पर लगी पूंजी के लिये 178 लाख रुपए हर ससाल सूद के तौर पर देने होंगे।"

यह कोई 2,26 लाख रुपया बनता है और इस के मुकाबले में 66 लाख रुपये उहल नदी योजना को और 111 लाख रुपये नंगल बिजली प्राजैक्ट की आमदनी बंद हो जायगी। इस तरह से 49 लाख का घाटा पड़ता है, मगर कहा यह जा रहा है कि सिर्फ 18 लाख रुपये का घाटा रहेगा।

इस के अलावा यह 66 लाख रुपये का नया Assembly Chamber बनाने की मैं कोई ज़रूरत नहीं समझता। इस के लिये कोई जरूरी नहीं है कि इतना ही खर्च किया जाए यह कम भी किया जा सकता है और 25—30 लाख रुपये खर्च करके इस में से 36 लाख की saving की जा सकती है।

[श्री जगत नारायण चोपड़ा]

एक और अर्ज़ मैं ने आप की खिदमत में करनी है वह यह है कि इस सरकार ने कोई 30 हज़ार बीघे ज़मीन की bogus allotment करा ली है। इन्होंने Centre से एक चिठी मंगाई कि छोड आबाद रियासत बहावल पुर में इन के 400-500 गांव हैं क्योंकि गांवों के मुताल्लिक Centre से काफ़ी लिखा पढ़ी होती रही और Government of India को गलत इतलाह मिलती रही, इस तरह यह bogus allotment करवाई गई है। अगर आज इस की पड़ताल करवाई जाये तो यह allotment किसी तरह भी जायज़ नहीं कही जा सकेगी। इस बात की इतलाह मुझे एक नायब-तहसीलदार से मिली है। यह किसी खास शख्स की रियायत की जा रही है। इस रकबा में कोई 3 लाख standard acres की ज़मीन है अगर आज इस को Government अपने हाथ में ले ले तो इस से Government का 30 लाख रुपया बचता है। अगर इस ढंग से हम बच्चत करनी चाहें तो की जा सकती है। और कोई 2,34,00,000 की saving की जा सकती है। आम जनता को इस से बचाया जा सकता है और यह जो दाल रोटी पर tax लगाये जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि यह tax शहरियों पर है मैं कहता हूं कि यह भी दिहातियों पर ही एक तरह के tax हैं। यह शहरियों पर नहीं हैं। हमारे मुख्य मंत्री की तो यही policy रही है कि लोगों को आपस में लड़ाया जाये पहले हिन्दू और सिख के नाम से लोगों को लड़ाते रहे आज जाट और non-Jat के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है। कहीं शहरियों और दिहातियों के नाम से लड़ाइयां कराई जा रही हैं और शहरियों को यह कहा जा रहा है कि अब आप का यहां रहना मुशिकल हो जायेगा।

स्पीकर साहिब, अब आप की खिदमत में मैं Planning and Jails Minister साहिब के काम के बारे में कुछ कहना चाहता हूं जो कि हाऊस में तशरीफ भी रखते हैं। आप जेल खानाजात में जाते हैं आप वहां देखते हैं कि जेलों में garden लगे हुए हैं और वहां सबज़ियां लगाई जाती हैं और हर साल इस पर 1,200 रुपये खर्च आता है। वहां पर पांच पांच बैल रखे हुए हैं और फी बैल पर 2 रुपये तक खर्च आता है। उन की खली और बनौलों के लिये 2,600 रुपया रखा जाये और दूसरे खर्च के लिये तकरीबन 1,080 रुपये फी बैल हो सकते हैं। मगर इस तरह से 16,512 रुपये बनते हैं। आज यहां पर 26,000 रुपये provide किया जाता है। मैं स्पीकर साहिब यह अर्ज़ कर रहा था कि यहां पर अंधेर गरदी मची हुई है।

स्पीकर साहिब, मैं एक बात और Public Relation पर भी अर्ज़ करना चाहता हूं। वहां एक officer है जिसे तीन महीने पहले तबदील कर दिया जाता है वह officer वहां पर 4½ साल से काम करता चला आ रहा है और बगैर किसी कसूर के तबदील किया जाता है। इस की जगह एक नया officer लगाया जाता है। क्योंकि यहां पर किसी अपने आदमी को लगाना था इस लिये ऐसा किया गया। अब वही post उस के लिये advertise हो गई है। यह जो कुछ चाहते हैं वही होता है। तकरीरें कर के तो मगरमच्छ के आंसू बहाये जाते हैं। इस महकमे में जो कुछ हुआ है इस के मुताल्लिक मेरे भाई वरियाम सिंह ने कुछ आंकड़े पेश किये हैं।

यहां पर स्पीकर साहिब मैं एक बात और कहूं कि हमारे मुख्य मंत्री साहिब डेरा बाबा नानक गये वहां पर उन्होंने कहा:—

> The Chief Minister said that he was not wealthy and had no access to funds by which he could found newspapers to start false propaganda. He hoped that his place among the masses would not be snatched away by these things.

एक बात मैं और कहूं कि अगर सरकार को अखबारात के जरिये से कोई publicity करानी हो तो इस को बड़ी मुशकिल से 10 साल लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे मगर आज सपीकर साहिब हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब के हाथ में 21 लाख रुपये publicity के लिये हैं। आज उन्होंने rural publicity officers के नाम पर post create की है और उस पर अपने आदमी को लगाने के लिये उस post के लिये नामज़द किया गया है। कहा यह जाता है कि हम ने rural publicity का काम करना है, स्पीकर साहिब rural publicity के लिये 1 लाख रुपया रखा गया है: लेकिन इस रुपये का इस्तेमाल देखिए।

> The post of Deputy Director (Production) in the grade of Rs 500—25—800 is required to improve and push up the production of literature consisting of posters, pamphlets and brochures, etc.

श्री जगत नारायण चोपड़ा : अब आप बतायें कि क्या यह rural publicity का काम हैं। फिर देखिये

> To cover the press at Delhi, a post of Press Liaison Officer at Delhi has been provided in the grade of Rs 500—25—650/30—800.

यह शख्स 300 रुपये में काम चला सकता था क्योंकि इस का दिमाग इतना मोटा है वह Public Service Commission का इम्तहान नही पास कर सकता था इस लिये इस को नोमीनेट किया गया और 500—25—650/30—800 का grade दिया गया।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ (ਮਾਨਸਾ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਜਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਵਿੱਤ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਫਾਇਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

4 p.m.

ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ Centre ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਇੰਨਾ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫੇਰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਤੇ ਔਰ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ।

ਅੱਜ ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੀ policy socialistic pattern of society ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਹੀ society ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨੀ ਹੋਵੇ ਉਥੋਂ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਰੁਪਿਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

[ਸਰਦਾਰ ਹਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ]

ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਜੇ Transport nationalize ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬੜੀ ਸੁਸਤੀ ਤੇ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ vested interests ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਬ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਹਰ ਇਕ ਸੀਗੇ ਵਿਚ ਉੱਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇਕ ਨਾਹਰਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੱਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਇਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ agrarian reforms ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜੈਸਾ ਕਿ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਾਰਮਜ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ Economics ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ production ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ election ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਾਇਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਇਦੇ ਬਣਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਜੇ ਉਸੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਨੋਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਤਾਏ ਹੋਵੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਥੇ ਵਖੋ ਵੱਖ ਢੰਗ ਹਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ। ਸਾਡੇ High Command ਨੇ ਬਜਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਢੰਗ ਵੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ Erstwhile Pepsu ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਲ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ area ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਦੂਜੇ area ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕਿ ਇਕ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ agrarian reforms ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਆਫ਼ ਦੀ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ implement ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ agrarian reforms ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਦਮ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਚੁਕਣਗੇ।

ਇਕ ਗੱਲ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਮਝ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ Socialist Pattern of Society ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਅਸੂਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ....

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਹ ਆਮ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਉਤੇ ਓਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਲੀਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (ਘੰਟੀ)

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲਹਿਦਾ ਅਲਹਿਦਾ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਪਿਆ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਮਰਜਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ (understanding) ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਪਲੈਨ ਲਈ ਜੋ ਰੁਪਿਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ (understanding) ਦੇ ਉਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਥੇ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਕੁਛ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੈਪਸੂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਜਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ (assurance) ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ

[ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ]

ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਾਈਟਿੰਗ (writing) ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਆਈ ਸੀ । ਮਗਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਰੀਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਨਸਾਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ । ਕਨਸਾਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚ ਬੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋਬਾਰਾ ਕੰਮ ਦੇ ਉਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ । ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਏਥੋਂ ਦੇ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਦ ਕਰਕੇ ਪਰੈਸਟੀਜ (prestige) ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਇਹ ਗਲ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਰੈਸਟੀਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ੪੦ ਲਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਭੱਤੇ ਵਗੈਰਾ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੁਪਿਆ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ । ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੀਟ੍ਰੈਂਚਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ (retrenchment committee) ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰੁਪਿਆ ਬਚਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਅੱਗੇ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਸੱਟ ਵਜਦੀ ਹੈ ।

योजना मंत्री (डा० गोपी चन्द भार्गव) : जनाब स्पीकर साहिब, मैं सब से पहले Ferozepur Jail के बारे में जिस के मुताल्लिक इतने सवाल होते रहे हैं और criticism किया जाता रहा है कुछ अर्ज करना चाहता हूं । यह हमारी बदकिस्मती है कि आज भी सरकारी मुलाजिमों में कुछ ऐसा element है जो ऐसे काम करता है जोकि नहीं करने चाहिए क्योंकि उन वजह से लोगों के नुमायदों को जो

Government run करते हैं बदनामी आती है। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि वह लोग भी हम में से ही हैं और मेरा ख्याल है कि हमारी पंजाब की administration में गैर-पंजाबी बहुत ही थोड़े होंगे। इस लिये उन में भी वही नकायस मौजूद हैं जो कि हमारी society में as a whole मौजूद हैं। आज हम बाहिर जो वायुमंडल देखते हैं वह सब लड़ाई का ही नज़र आता है। हम जब एक दूसरे के साथ बोलते हैं तो उस बोलने में वह प्रेम नज़र नहीं आता जिस से हम दूसरे के दिल को खींच सकें। इस तरीके से आज सब काम हो रहे हैं। जिन भाइयों ने Ferozepur Jail में यह काम किया, उस काम को करके उन्होंने तमाम Government को बदनाम किया है। इस को देख कर दूसरे सूबों वाले भी कहते होंगे कि पंजाब प्रान्त में जेलों में भी ऐसी चीजें हो रही हैं। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है। मैं Ferozepur Jail के कर्मचारियों की ज़िम्मेदारी के मुताल्लिक ज़्यादा बातें कहना नहीं चाहता क्योंकि उन में से बहुत से अफसरान को जिन्हें कपूर Report में ज़िम्मेवार ठहराया गया था charge sheet किया गया था और उन का जवाब भी अब department को आ गया है। हम ने श्री स्वरूप कृष्ण I.C.S. को उन की enquiry करने के लिये appoint किया है। वह बहुत काबल अफसर हैं और भाखड़े की भी वही enquiry कर रहे हैं। तमाम कागज़ात उन के पास पहुंच गए हैं और उमीद की जाती है कि वह बहुत जल्दी enquiry शुरू कर देंगे। जो Assistant Superintendent से नीचे नीचे warders वगैरह थे उन के खिलाफ I.G.P. साहिब कार्यवाही कर रहे हैं और उन का फैसला बहुत जल्दी हो जाएगा। हाऊस के अंदर यह बात कही गई है कि हम ने इस सिलसिले में कार्यवाही करने में काफी देर लगाई है। मैं उन साहिबान को जिन्होंने यह शिकायत की है यहां बताना चाहता हूं कि Government Servants Conduct Rules के मुताबिक अगर किसी Government servant के खिलाफ कोई कार्यवाही करनी हो तो ज़रूरी होता है कि उस को पहले charge-sheet दे कर उस का explanation लिया जाए। फिर उस के बाद enquiry होती है और हमें departmental action लेने का हक होता है। इस लिए हमें उस कायदे के मुताबिक चलना ही पड़ता है। यह नहीं हो सकता कि rules के मुताबिक जो उस को अपने आप को defend करने का हक है हम उस को छीन लें। इस लिये हमें उन को मौका देना ही पड़ता है। यही वजह है कि इस case में भी देर हुई है। हमारा हरगिज़ यह इरादा नहीं था कि जो कसूरवार साबत हों उन्हें बख्श दिया जाए।

इस के बाद जिन भाइयों को वहां पर चोटें आई थीं उन का सवाल आता है। मैं वहां पर वाक्यात के 8, 10 दिन बाद पहुंच गया था और मैं जिन भाइयों को चोटें आई थीं मिला था। जाने से पहले मेरे दिल में यह ख्याल था कि उन के दिलों में बहुत गुस्सा होगा मगर उन्होंने गुस्से की बजाये बड़े प्रेम के साथ मुझ से बात चीत की। मुझे उन का यह रवैया देख कर बड़ी खुशी हुई। वहां पर जो Civil Surgeon साहिब थे उन्होंने दूसरे Doctors को अपने साथ ले कर उन ज़खमियों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सकती थी वह की। बाकी यह बात तो आप सब जानते हैं कि जेलों में तकलीफ तो हुआ ही करती है। एक दम किसी जेल में या किसी District के Hospital में,

[योजना मंत्री]
बड़ा हो तो अलहदा बात है, इतना इंतजाम नहीं होता कि बहुत सारे जखमियों का X-Ray किया जा सके और अदवियात दी जा सकें। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि वहां पर इतना ज्यादा इंतजाम न होने के बावजूद भी Civil Surgeon ने सब को attend किया और medicines बाहर से मंगवा कर उन की मरहम पट्टी की। अब सवाल यह पैदा होता है कि जिन आदमियों को चोटें लगीं थीं उन को कुछ न कुछ compensation मिलना चाहिए और वह इस बात के लिये नहीं, इस ख्याल से नहीं कि उन को चोटें लगीं हैं बल्कि उस गलती के खमयाजे में compensation दिया जाए जो वहां के कर्मचारियों ने की। जब उन को नाजायज तरीके से तकलीफ पहुंचाई गई तो हमारा फर्ज बनता है कि उन को कुछ न कुछ दिया जाए। चुनांचि इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम ने सुमेर सिंह के माता और पिता के पास तीन हजार रुपया भेज दिया है क्योंकि उन का यह लड़का मारा गया था। इस के अलावा हम ने 19 सौ रुपया दूसरे जखमियों के लिये मन्जूर किया है और वह बहुत जल्दी उन लोगों के पास पहुंच जाएगा।

श्री शेर सिंह : सिर्फ 19 सौ रुपया ही मन्जूर किया है या कुछ और भी।

योजना मंत्री : सारा 19 सौ रुपया मन्जूर किया है। उन में से कुछ ऐसे भाई हैं जिन में deformity रह गई है। यह 19 सौ रुपया उन को compensation देने के लिये दिया गया है। बाकी जो भाई ठीक हो गए हैं उन के लिये compensation नहीं है। स्पीकर साहिब, अगर मेम्बर साहिबान यह समझते हैं कि दरअसल उस में देरी हुई है जिस में कि हमारा बस नहीं था तो मैं मुआफी चाहूंगा। मैं उन की खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारा कतअन ऐसा मुद्दा नहीं था कि उस चीज को prolong करें या बन्द कर दें। हम चाहते थे कि जितनी जल्दी वह enquiry हो सके उस को पूरा कर के जिन की गलती थी उन को सजा दी जाए।

इस के अलावा जो भाई दूसरी जेलों में कैद हुए थे उन की शिकायतें भी मेरे पास आई थीं। मैं जातियात में नहीं जाऊंगा। यह बात मैं general तौर पर कहता हूं। मैं खुद जेलों में गया था। मैं पटियाला जेल में गया था। जब मैं वहां पटियाला जेल में गया तो वहां जो detenues थे उन में बुजर्ग भी थे, साथी भी थे और मेरे अजीज भी थे जिन के साथ मैं ने काम किया है और आगे भी मुझे उन के साथ काम करने का फखर मिलेगा—उन को मैं मिला और बात चीत की और उन की तकलीफात पूछीं। वैसे तो जेलों में तकलीफ होती है और उस को कोई दूर नहीं कर सकता। आखिर जेल जो हुई। खैर एक तकलीफ उन्होंने मुझे बताई थी कि सरदियों का मौसम आ रहा था मगर उन कोठड़ियों में जिन में वह रहते थे light नहीं थी। चुनांचि मैं ने यहां चंडीगढ़ आ कर I.G. को वहां पर temporary light का इन्तजाम करने के लिये कहा और वह चीज हो गई। बाकी जो थोड़ी बहुत तकलीफ होती है वह तो होती ही है और उस की मैं कोई apology भी नहीं पेश कर सकता क्योंकि आखिर जेल है और तरीका ऐसा बना है कि उस को एकदम दूर कर देना और उस में तरक्की कर देना मुमकिन नहीं है। वैसे कोशिश तो हम कर रहे हैं। फिर मैं जालन्धर जेल में भी गया था और वहां पर सब

जगह फिरा । सब को मैं ने पूछा । उन्होंने कहा कि कोट देखो । वैसे तो ठीक था खैर मैंने Superintendent Jail को पकड़ा और कहा । उन्होंने कहा कि कोट दूसरा दिया जा चुका है और अब शिकायत नहीं रही है । मैं ने उन से भी पूछा । उन्होंने भी जवाब में यही कहा । फिर वह कहने लगे कि जहां तक jail manual का ताल्लुक है और उस में जो लिखा है उस के बारे में हमें कोई शिकायत jail अफसरान के खिलाफ नहीं है । मैं यहां पर इतना बतला दूं कि वहां पर जो Superintendent Jail हैं वह सरदार हरबंस सिंह है जो कि सिख ही हैं । बदकिस्मती से मेरे तक अखबारों के ज़रिए भी और भी दूसरी तरह से ऐसी शिकायत भी पहुंची कि जो एक community के जेल अफसरान हैं वह दूसरी community वालों के साथ बुरा सलूक करते हैं । मगर मैं ने जिस जगह भी जा कर देखा कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई (एक आवाज : फिरोज़पुर में भी देखा ?) जहां मुझे मालूम भी हुआ हो तो उस की तहकीकात करा कर सज़ा दे दी और उन को तबदील भी किसी दूसरी जगह कर दिया । तो मैं बता रहा था कि वहां पर सरदार हरबंस सिंह Superintendent Jail थे । उन्होंने सब ने मिल कर कहा कि हमें कोई शिकायत उन से नहीं । मुझे इस बात का अफसोस है कि मुझे यहां एक अफसर का नाम लेना पड़ा और मैं नाम नहीं लिया करता लेकिन इस point को बतलाने के लिये ऐसा किया है । फिर उन्होंने यह भी ज़रूर कहा कि 1948 में जब हम गिरफ्तार किये गये थे तो घी भी मिलता था लकड़ी भी मिलती थी और भी चीजें मिलती थीं मगर अब वह सलूक नहीं होता है । मैं ने कहा कि 1948 में जो कायदा बना हुआ था उसी के मुताबिक हम काम करेंगे और कर रहे हैं । उस में कोई तबदीली नहीं हुई । मैं जानता हूं कि वह भूलते थे कि 1948 में वह detenues थे और convicts नहीं थे । Detenues के लिये आज भी वही कायदा बना हुआ है जो पहले बना था और detenue भाइयों के साथ उसी तरीके से सलूक हुआ ।

इस के बाद और भी taxes के बारे में बहुत सी बातें कहीं गईं । उन में से sales tax के साथ मेरा ताल्लुक है । उस के सम्बन्ध में एक ही बात बड़े ज़ोर से कही जाती है । बहुत कहा गया कि दाल रोटी पर भी tax लग गया । मैं मानता हूं कि जितना भी sales tax लगता है वह सारा consumers पर ही लगता है । जब भी consumer कोई चीज़ खरीदता है तो उसका पहला काम यह होता है कि वह पहले रोटी पर खर्च करता है । अगर रोटी से पैसा बचे तो फिर दूसरी चीज़ें खरीदता है और उन पर खर्च करता है । तो जितना भी sales tax एक consumer देता है वह रोटी से ही बचा कर देता है । मैं यह भी मानता हूं कि taxes में देखा जाता है कि tax उस पर लगे जो बरदाशत कर सके । मगर यह जो sales tax की बात कही गई है वह कितना है जो लगेगा ? यह १२ आने एक सौ रुपये के ऊपर लगेगा । अगर कोई 100 रुपये का अनाज खरीद करे तो उस पर 12 आने sales tax लगेगा । फिर कितना अनाज बिकेगा और कितना tax वसूल होगा ? मुझे urban population का ही पता है और वह भी पंजाब की का, पैप्सू को भी नहीं जानता और अब तो यह दोनों इकट्ठे हैं । खैर मुझे वही urban population कुछ याद है कि

[योजना मंत्री]

24 लाख है। उस 24 लाख से साल भर में 40 लाख रुपए tax के वसूल होंगे । जिस के मायने हैं कि यह Rs 1-10-6 per head पड़ेगा तो इस तरह से आप हिसाब लगाएं कि कितना थोड़ा बैठता है । यह भी माना कि ग़रीब आदमी के लिये थोड़ा भी ज्यादा है लेकिन फिर यह भी देखना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं वह काम हरेक आदमी की आमदनी बढ़ाने के लिये और तरक्की के लिये कर रहे हैं। गरीब हमेशा महसूस करता है कि उसे हर काम में हिस्सा डालना चाहिए। मैं जब डाक्ट्री करता था तब की जानता हूं और मैं ने देखा है कि अगर कोई ग़रीब आदमी है दवाई और फीस के लिये पैसे नहीं दे सकता था तो उस को यह कोशिश होती थी और वह किसी न किसी तरह kind में या service में repay करता था । जो चीज़ किसी ग़रीब आदमी के लिये की जाती है वह हमेशा उसे repay करता है । जो आदमी अपने हाथ से काम करता है और मेहनत करता है उसे अगर देश की सेवा के लिये कुछ देना पड़े तो वह कभी बुरा महसूस नहीं करता। मैं एक incident और बताता हूं जब कि मैं इन कई कामों के सिलसिले में पैसे मांगने जाता था। एक दफा में एक आदमी के पास पैसे मांगने गया जो कि छाबड़ी वाला था। मक्की के भुट्टे उबाल कर, रेत में भून कर बेचता था। क्या हो सकता था उस के पास? यही दो तीन रुपए उस के मटके में होंगे। मैं ने उसे कहा कि मैं इस काम के लिये पैसे मांगने आया हूं। क्योंकि वह रोज़ी मेहनत से कमाता था उस ने फौरन एक रुपया निकाल कर दे दिया । जब हम इसी तरह अमीर आदमियों के पास गए तो वह एक दो रुपए से शुरु हुए । तो इसी तरीके से जब हम गरीब से कहते हैं कि यह चीज़ देश के लिये चाहिए वह grudge नहीं करता और वह देखता है कि जो काम हम कर रहे हैं वह हरेक की तरक्की और आमदनी बढ़ाने के लिये कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि मेरे कई भाइयों ने कल या परसों कहा था कि हम को tax राजाओं और जागीरदारों पर लगाने चाहिएं और हमें मिलें खोल देनी चाहिएं जिस से employment हो जाए और un-employment दूर हो जाए। मैं ने अपने इन communist के मुंह से सुना है कि मिलें आएंगी तो employment आएगी। हालांकि वह जानते हैं कि मिल से employment नहीं मिलती है बल्कि un-employment बढ़ती है (*interruptions*), Textile mills को आप देखें। जहां बताया गया था कि साल भर में उन में 6 करोड़ 83 लाख गज़ कपड़ा तैयार हुआ है। लेकिन आदमी वहां पर लगे थे......

Sardar Achhar Singh Chhina : On a point of information, Sir . . .

Minister for Planning : I won't give way......

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : On a point of order, Sir. ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਜ ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ mills ਤੇ industrialisation ਨਾਲ unemployment ਵਧਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ unemployment ਮਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬਲਕਿ capitalists ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ . . .

Mr. Speaker: Is this a point of order ? (*Laughter*)

योजना मंत्री : वहां 6 करोड़ 83 लाख गज़ कपड़ा तैयार हुआ और आदमी सिर्फ 7½ हज़ार काम कर रहे हैं। उधर खादी का कपड़ा एक करोड़ चार लाख गज तयार हुआ मगर वहां पर कम से कम 15,400 weavers काम कर रहे हैं (**ਇਕ ਅਵਾਜ਼ : ਤੁਸੀਂ ਖਾਦੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗਲਾਂ ਕਰੋ**) इस लिये यहां जो village industries में काम किया जाता है उस से सीधा ग़रीबों को फायदा होता है । तो यहां पर यह काम किया जा रहा है कि जिस से rural development हो, village industries बढ़ें और इस तरह ग़रीबों की मदद करें । उधर यह भी किया जाता है कि जो दे सकते हैं वह थोड़ा बहुत दें भी। यहां पर मैं काफी speeches सुन चुका हूं मगर किसी भाई नें अब तक development department का ज़िकर नहीं किया इस का मतलब है कि उन को कोई एतराज़ नहीं। उन को अगर एतराज़ है तो पुलिस के काम से है। जो कुछ अपने इख्तलाफात की बातें हैं या दूसरों के इख्तलाफात चलते हैं या ऐसी दूसरी बातें होती हैं उन का ज़िक्र किया जाता है । Development का कोई फिक्र नहीं । फिर इख्तलाफात का ज़िक्र किस तरह किया जाता है ? वही चीज़ की जाती है जो इख्तलाफात को कम न करके बढ़ाती है और जो दुशमनी फैलाती है। या तो यह बात हो कि कोई कम करने के लिए ज़िक्र होता हो मगर ऐसा नहीं। शहरी और दिहाती का सवाल उठाया जाता है हिन्दू और सिख का सवाल उठाया जाता है। मैं कहता हूं कि हमारे अन्दिर से religious tolerance निकल गई है जो होनी चाहिए। आज बिल्कुल नहीं रही । हमें चाहिए कि हम वह बात करें जो हमें नज़दीक लाए एक दूसरे के और इख्तलाफात को कम करे । जो चीज़ें उन्होंने बताईं कि खराब हैं तो उन को अगर दूर करना हो तो एक ही तरीका है और वह यह कि हम आपस में मिल जुल कर रहें और प्रेम से हर काम करें जिस से हरेक को फायदा हो। यह आपसी गरुप बन्दी की बातें और दूसरे इख्तलाफात खाह political हों या और उन का ज़िक्र करने से फायदा नहीं होता है। अगर मैं भी उसी तरीके से बोलने लगूं तो मैं भी उसी तरह उन बातों का जवाब दे सकता हूं लेकिन उस से किसी को फायदा नहीं है—न हाऊस के फायदे की बात है और न प्रान्त के फायदे की। पुलिस की बाबत बहुत कुछ कहा जाता है। मैं ने जैसे पहले कहा कि आखिर वह हम में से ही निकल कर आते हैं। अगर हम में नुक्स है और हम ही सूर दास हैं तो वह भी होंगे ही। अगर कोई सूर दास हो आंखों में दिखाई न देता हो तो अगर उसे अंधा कह कर बुलाया जाए तो उस का दिल दुखता है। इस लिये बात ऐसी करनी चाहिए जिस से किसी को चोट न लगे और बात खत्म हो, आगे न बढ़े। जो Government servants यहां मौजूद नहीं हैं उन का नाम ले ले कर अगर हम उन की बाबत कुछ कहते हैं तो वह उस का जवाब नहीं दे सकते। अगर हम उन से अच्छे तरीके से काम लेना चाहते हैं तो भाई चारे से काम लीजिए, समझा कर काम लीजिए और अगर फिर ग़ल्ती भी हो तो सजा दीजिए । उन को गालियां देने से कुछ बनने वाला नहीं है। एक तरफ तो बाहिर यह कहते हैं कि इस की रियायत करो, इस को रख लो और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि यह काम खराब होता है। पुलिस में इतना तो हमें मानना ही पड़ेगा कि उन्होंने अपने अफसरों के हुक्म को माना। पुलिस वालों ने अपने अफसरान के हुक्म को माना। जब तक कोई मुलाज़म नौकरी में होता है तो उसे अपने अफसरान का हुक्म मानना पड़ता है चाहे वह हुक्म ग़लत हो या

[योजना मंत्री]

ठीक हो। तभी discipline रह सकता है। वह नौकरी छोड़ कर चला जाय तो बात अलग है लेकिन अगर वक्त पर नौकरी छोड़ जाय तो काम नहीं चल सकता। डिसिप्लिन को कायम रखने के लिये अफसरान का हुक्म मानना पड़ता है। जालन्धर में खोसला साहब ने रिपोर्ट दी कि पुलिस अफसर अगर कार्रवाई न करते तो ना मालूम क्या हो जाता। एक तरफ पुलिस को गालियां देते हैं और दूसरी तरफ उन की खुशामद करते हैं। ऐसी बातें हों तो बड़ी मुशकिल हो जाती है। कई दफा ऐसा होता है कि रिश्वत लेने पर किसी को सज़ा दी जाती है तो लोग आकर कहते हैं कि सस्पेन्शन हो गई, काफी हो गया, बाल बच्चे दार हैं छोड़ दो। अगर ईमानदारी का ही सवाल है तो recruitment के वक्त क्यों interfere किया जाता है कि यह फलां जिले का है, फलां community से ताल्लुक रखते हैं। अगर ईमानदारी की ही बात है तो qualifications देखनी चाहिएं। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ गालियां देने से काम नहीं बनता।

हमें एक दूसरे के साथ मिल कर रहने के लिये religious tolerance की जरूरत है। हम मज़हबों के साथ ही नहीं दूसरे मज़हब के लोगों के साथ भी मिल कर रहने की जरूरत है। आपस में लड़ते भिड़ते रहने की बजाय अगर एक दूसरे के मज़हब का इहतराम करें तो देश की तरक्की भी कर सकेंगे और अपना काम भी आगे बढ़ेगा।

श्रीमती सरला देवी शर्मा : स्पीकर साहिब, मैं एक बेनती करना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम है वह कौन सी बेनती है। (I know what her request is.)

श्रीमती सरला देवी शर्मा : भाइयों को तो पहले ही काफी वक्त मिल गया है। बहनों को भी वक्त मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप भाइयों को बिठा दें आप की बारी भी आ जायगी। (She may persuade the hon. Members to sit down and then her turn will also come.)

चौधरी कर्म चन्द सिद्धू (होशियारपुर, रिज़र्व) : स्पीकर साहिब, मैं आप का मशकूर हूं कि आप ने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। 1958-59 में करोड़ों रुपये खर्च करने हैं। वह बजट जनाब के रू बरू पेश है। स्पीकर साहिब, मैं आप के द्वारा यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि बहुत से एम. एल. ए. साहबान इस बजट के ऊपर तकरीरें कर चुके हैं। मगर मैं अफसोस से कहना चाहता हूं कि पंजाब में रहने वाले 35 लाख अछूतों के बारे में सिवाय सरदार वरियाम सिंह के और किसी ने economic up lift and betterment of Harijans का जिक्र तक नहीं किया। मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि जिन अछूतों के बच्चों के, कांग्रेसी इलेक्शन के दिनों में नाक साफ करते हैं और उन के पांव चूमते हैं, मुख्तलिफ किस्म के वायदे उन के साथ करते हैं कि हुकूमत बनने के बाद आप के लिये यह कर देंगे वह कर देंगे, आज उन की दाल और रोटी पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। स्पीकर साहब अछूतों पर चमड़े के काम पर भी टैक्स लगा दिया गया है और खड्डी का काम भी उन के हाथ से निकल रहा है और यह काम को-आप्रेटिव सोसायटियों

के हाथ जो सवरण जाति की हैं मसलन छहेरटा की मिल और दूसे बड़े बड़े अमी रों और कारखानेदारों के हाथ में जा रहा है और इस तरह से हरिजनों में बेरोजगारी बढ़ रही है। दूसरा उन का काम चमड़े का था उस पर भी एक नया टैक्स लगा दिया गया है और उन के रोज़गार का सवाल खत्म किया गया है। स्पीकर साहिब, इस चमड़े के टैक्स के पीछे एक खास बात है। वह यह कि जालन्धर के नज़दीक एक बूटा मंडी है। वहां पर चमड़े का काम बहुत अच्छा होता है। उन लोगों ने जो हरिजन हैं इलेक्शन के दिनों में कांग्रेस को वोट नहीं दिया उस का revenge लेने के लिये मास्टर गुरबन्ता सिंह, हरिजन मिनिस्टर, ने हकूमत के साथ मिल कर साज़श की है और यह टैक्स उस के कहने पर लगा दिया है।

स्पीकर साहिब, मैं एक और अर्ज़ करना चाहता हूं। वह यह है कि इस कांग्रेस हुकूमत में बड़े सरमायादार, वह बड़े ज़मींदार कारखानेदार, जागीरदार और फिरका प्रस्त बैठे हुए हैं। उन के हाथ से कभी हरिजनों का भला नहीं हो सकता और न ही होने की तवक्को है। मैं आगे चल कर बताऊंगा कि लैंड रिफार्म्ज़ के नाम पर अछूतों के साथ धोका किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग़रीब अछूतों को ज़मीन देने के लिये 16 लाख रुपये की रकम में से बड़ा हिस्सा मन्ज़ूर किया है। उस के लिये एक कमेटी हर ज़िले में बनाई गई जिस में पंजाब सरकार के हुक्म के मुताबिक उस कमेटी में उस ज़िले के तमाम हरिजन एम० एल० एज़० को उस कमेटी में लेने की प्रोवीज़न दी गई थी। लेकिन आज उस में क्या हो रहा है, Opposition Scheduled Castes M.L.As. को इस कमेटी में ना लेकर अछूतों के साथ बलैक मेल किया जा रहा है। जिन लोगों ने इलेकशन में कांग्रेस की मुखालफ़त की थी उन्हें ज़मीनें नहीं मिल रही हैं।

सीलिंग की बात ले लें। इस सिलसिले में मैं तो यह कहूंगा कि जब तक ज्ञानी करतार सिंह Revenue Minister वज़ारत में हैं वह कभी भी जल्दी सीलिंग मुकर्रर नहीं करेंगे। बल्कि बड़े बड़े ज़मींदारों को मौका दिया जा रहा है कि वे अपनी ज़मीनें खुर्द बुर्द कर लें जिन के वह रहनमा हैं। स्पीकर साहिब 16 लाख रुपया से इन्होंने 320 अछूत खानदानों को ज़मीन देनी है। अगर इस रफ्तार से अछूतों को ज़मीनें देने की स्कीम है तो मैं समझता हूं उन्हें आठ सौ सालों में भी ज़मीनें नहीं मिलेंगी। मैं समझता हूं कि यह एक बहाना है और मेरी जनता की आवाज़ है कि अगर हुकूमत ने ज़मीन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविज़न न की तो अछूतों के अन्दर एक ज्वाला जल रही है कि वह ज़मीन के बग़ैर ज़िन्दा नहीं रह सकते। और अगर उन की हालत यही रही तो उन्हें कोई आन्दोलन शुरु करना पड़ेगा। (घंटी)

स्पीकर साहिब, नौकरियों के मुताल्लिक जो percentage हरिजनों के लिए मुकर्रर की गई है वह पूरी नहीं की जा रही। मैं हुकूमत को चैलेंज करता हूं कि अगर उन की वाकई अछूतों के साथ हमदर्दी है तो वे बताएं कि 21 प्रतिशत के मुताबिक कितने मुलाज़म हरिजनों के सेशन जज, डिप्टी कमिश्नर हैं। एस. डी. ओ. हैं, फारेस्ट आफ़ीसर और पुलिस कपतान हैं। पटवारियों के मुताल्लिक इन्होंने कहा है कि हरिजन पटवारियों की 50 प्रतिशत भरती की मियाद खत्म है। क्योंकि strike की वजह से बहुत से पटवारी निकाले गये हैं इसलिए अगर उन को reservation 50 प्रतिशत आगे बढ़ा

[चौधरी कर्म चन्द सिद्धू]
दो गई तो बहुत से हरिजनों को नौकरियां मिल जायेंगी जिन को वह देना नहीं चाहते। बाकी 21 percent दूसरी नौकरियों की इस तरह हालत है। मैं हुकूमत से request करूंगा कि Services Selection Board के ज़रीए नौकरियां अछूतों को नहीं मिल रहीं। मैं समझता हूं कि उस बोर्ड में हमारा नुमायंदा होना ज़रूरी है ताकि Harijans की reservation पूरी हो सके। मैं गवर्नमेंट से दरखास्त करूंगा कि एक कमेटी या commission मुकर्रर किया जाये जो हमारी reservation मुकर्रर-शुदा percentage के मुताबिक पूरी करा सके।

अब मैं कुछ शब्द Law and Order के सिलसिले में कहूंगा। हमारे सूबे में Law and Order की यह हालत है कि साल में 365 दिन होते हैं और अछूतों की 362 लड़कियां साल 1957 में अग़वा की गईं। यह हमारे सूबे के ला एण्ड आर्डर की हालत है। दूसरे लुधियाने के रहने वाले एक Foot Constable No. 644 ने एक ऐसे मुलज़िम को गिरफ्तार किया जिस ने 30 कत्ल की वारदातें की हुई थीं। उस को सरकार की तरफ से सिर्फ दो फीते और 75 रुपये इनाम के तौर पर दिये गये हैं और उसे Head Constable बना दिया गया है। आम तौर पर देखा गया है कि 5/7 कत्ल करने वाले मुलज़म को पकड़ने वाले को दस हज़ार रुपये का इनाम मिलता है लेकिन इस को मामूली सी रकम अदा की गई है। मैं इस सिलसिले में Superintendent of Police, लुधियाना, और D.I.G., पुलिस, जालन्धर, को मिला और उन्हें बताया कि f.c. 644 ने खतरनाक मुलज़िम पकड़ा है तो उसे कम से कम Sub-Inspector Police, बना दीजिए और दस हज़ार रुपे की रकम इनाम के तौर पर उस को मिलनी चाहिये। (घंटी की आवाज़) स्पीकर साहिब मैं थोड़ा समय ही और लूंगा। Opposition और कांग्रेस मैम्बरों की तरफ से पुलिस की मुखालफित की जाती है।

अध्यक्ष महोदय : Police की Demand अलहदा आयेगी। (Demand in respect of Police will be discussed separately.)

चौधरी कर्म चन्द सिद्धू : मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि आठ हज़ार P.A.P. के जवान हैं। पहले Vulnerable points पर उन को families रखने की रियायत थी। अब बड़े ज़ुल्म की बात है कि मर्द को औरत से और औरत को मरद से हमेशा के लिये जुदा किया जाये। वह अपने बाल बचों की देख भाल नहीं कर सकते।

Mr. Speaker : Order please.

चौधरी कर्म चन्द सिद्धू : मैं हकूमत से request करूंगा कि वह इस बात का खास तौर पर ख्याल रखें (घंटी की आवाज़) स्पीकर साहिब, एक मिनिट दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : एक मिनिट भी नहीं मिलेगा। आप बैठ जाईए। आप ने मेरी courtesy को exploit किया है। (Not even a minute will be allowed. He may please resume his seat. He has exploited my courtesy.)

ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮ (ਰਾਜਪੁਰਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ achievements ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ alround progress ਹੋਈ ਹੈ । ਆਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, industrial ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਜੇ ਅੱਜ ਕਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ 1947-48 ਸਾਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ controlled ਸਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਜਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ self-sufficient ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਨਾਜ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਹਿਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਸੰਬਧੀ ਜਿਨੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਭਾਖੜੇ ਗਿਆ ਸਾਂ । ਉਹ ਡੈਮ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦਮੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਸ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇਤਾ ਦੇ ਫੂਲ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਛਪਾ ਲਏ ਸਨ । ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਕਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖੋਹੀ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਫੂਲ ਲੁਕਾਏ ਸਨ ਚੀਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। (ਆਵਾਜ਼ਾਂ: ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ) । ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ (*Interruptions*) ਮੇਰੇ Communist ਭਰਾ ਸ਼ੋਰ ਪਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ । Constructive ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੀ ਈਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਕ Communist ਭਾਈ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੀ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਢੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ (ਆਵਾਜ਼ਾਂ: ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੁਮਲਾ ਮੋਹਤਰਿਜ਼ਾ ਸੀ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰ ਜੋ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ level ਬੜਾ ਉਚਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ । ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੀਲ ਤੇ Narwana Branch ਲੰਘਦੀ ਹੈ । ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਨਹਿਰ ਹੇਠ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ compensation ਵੀ ਹਾਲੇ ਤਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਸ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ । ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਈ । ਇਹ ਜਿਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ

[ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮ]
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਕ ਸੜ ਰਹਿਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ । ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ tube-well ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ tube-well ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ । Narwana Branch ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ floods ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਗੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਗਰ ਦਰਿਆ ਤੇ Dam ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਕ ਅਰਜ਼ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਅਸੂਲਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ elect ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ duty ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰਕੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ tax-minded ਬਣਾਉਣ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਨ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ । ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ luxury goods ਤੇ ਟੈਕਸ enhance ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ । ਟੈਕਸ luxuries ਤੇ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾਂਕਿ common man ਦੀ necessities ਤੇ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਲਗਿਆਂ ਜਿਥੇ ੨ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੁਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ । ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਰ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਾਂ । ਲੇਕਿਨ ਕੈਪੀਟਲ ਪਰਾਜੈਕਟ (Capital Project ਵਿਚ ਵਰਕ ਲੋਡ ੩ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਉਹ ਸਵਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਤੇ ਜੇ ਸਵਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ without hardship to anybody staff ਵਿਚ ਐਸੀ adjustment ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਪਿਆ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮੋਤੀ ਬਾਗ਼ ਪੈਲਿਸ ਵਿਚ ਉਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ (museum) ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਚ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ (museum) ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ (museum) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਕੁਆਪਰੇਟਿਵ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਜ਼ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ । ਅਗਰ ਉਥੇ ਐਕਸਪਰਟ ਐਕਸ਼ਨ (expert action) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਓਥੋਂ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਏਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਡਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਰੀਟਰੈਂਚਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ

ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੇ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸ ਕੌਡਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਤੇ ਰਿਟਰੈਂਚਮੇਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੋਣੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਿਸੀਪੇਟ (anticipate) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਸੀਪੇਟ (anticipate) ਕਰ ਕੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲੇਕ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੇਕ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਏਸ ਤੇ ਖਾਸਾ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਸਟੈਰਿਟੀ (austerity) ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਏਸ ਤੇ ਹੋਰ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਦਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਏਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਕੂੜਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ electric cremation ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਏਥੋਂ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਰਾਇਮਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ (primary industry) ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਉਠ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਲਾ ਚਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਂ ਕਪੜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਦਿਆਂ ਮੈਂ ਏਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਦ ਤਕ ਖੇਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਚਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (land reforms) ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਸਟ ਫਾਈਵ-ਯੀਅਰ ਪਲੈਣ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਫਾਈਵ ਯੀਅਰ ਪਲੈਨ ਵਿਚ land reforms ਬਾਰੇ ਰੈਡੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ (radical policy) ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪਲੈਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਰੈਡੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ (radical policy) ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਰੈਡੀਕਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ (radical implementation) ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਵਸੂਕ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (land reforms) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 60 ਏਕੜ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਗ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ 80 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਤਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ 80 ਏਕੜ ਯਾ ਏਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਉਹ ਆਦਮੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ

[ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮ]
ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਵੱਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਆਦਮੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ । ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਰਾਵੋ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਗਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸੇ ਬਗੈਰ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਏਥੇ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰੋਡੱਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਲਈ ਜਾਏ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰੋਡੱਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਨਿਰਾ ਪਰੋਡੱਕਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ । ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰੋਡੱਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ development ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾ ਏਥੇ ਡਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ । ਜਿਤਨੀ ਤਰੱਕੀ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ । ਚੀਨ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਘਰ ਤੋਂ ਇਕ ਇਕ ਆਦਮੀ ਲਿਆ ਗਿਆ (ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ) ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ । ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਨਾ ਹੈ । ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਕੱਲੀ ਪਰੋਡੱਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਸਾਨੂੰ ਪਰੋਡੱਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੇਈਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਫਸਲ ਕੱਟਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਗਾਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾ ਦੇ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਪਰੋਡੱਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ । ਜਦ ਇਕ....(ਵਿਘਨ)

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ (Point of order, Sir.) ਕੀ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਉਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੇ ਬਗ਼ੈਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਫਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ । ਉਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਬਾਬਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ? ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ । ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚੀਹੀਦਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮ : ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਛੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ point of order ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ society ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ goal ਹੈ ਉਹ socialism ਹੈ socialistic pattern of society ਹੈ । ਸਾਡਾ goal ਨਿਰੀ production ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ socialism ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਹਰੀਜਨ ਸੀਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ । ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ socialism ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ । ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ

ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ Address ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ anxiety ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਔਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਬੜੀ anxiety ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ anxiety ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ transfers ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਉਹ ਸਭ illegal ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲਣਗੇ । ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਉਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂਉਂ । (ਘੰਟੀ) ਸਰਕਾਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਬਾਰੇ anxiety ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲਾਂ ਕਦੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ । ਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਨੁਸਾਰ "ਹਮਨੇ ਮਾਨਾ ਕਿ ਤੁਗ਼ਾਫ਼ਲ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਲੇਕਿਨ ਖ਼ਾਕ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ ਹਮ ਤੁਮ ਕੋ ਖ਼ਬਰ ਹੋਨੇ ਤਕ" । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ (ਘੰਟੀ) Administration ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿੰਦੀ ਰਖਸ਼ਾ ਸਮਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਰਖਸ਼ਾ ਸੰਮਤੀ ਦੀ agitation ਨਾਲ deal ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਔਰ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਦੋ unfortunate ਵਾਕਿਆਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਨੇ; ਲੇਕਿਨ ਏਸ ਵਿਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ; ਅਗਰਚਿ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ।

Mr. Speaker : One minute more please.

Sardar Prem Singh Prem: Sir, this is my first speech. I will beg for five minutes more.

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ time ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣਾ? (Does the hon. Member know the time which he has taken?)

ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮ : ਜੀ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਖੜਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ—(ਵਿਘਨ) ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰਕਾਪਰਸਤੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਟਿਮਟਿਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅਲਾ ਭੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸ਼ਿਅਰ ਹੈ:—

"ਮਰੀਜ਼ੇ ਇਸ਼ਕ ਪੇ ਰਹਿਮਤ ਖ਼ੁਦਾ ਕੀ, ਮਰਜ਼ ਬੜ੍ਹਤਾ ਗਿਆ ਜੂੰ ਜੂੰ ਦਵਾ ਕੀ।"

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ regional formula ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ settle ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ settled matters ਨੂੰ unsettle ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਪੰਡਿਤ ਪੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ regional formula ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ । ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ agitation ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ deal ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ deal ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ

[ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮ]
ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ । Counter-demonstrations ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕੋਈ prejudice ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਨ, ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Minister ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਲ੍ਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ Congress ਵਿਚ adjust ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ । (*Interruptions*) (*Packed interruptions*)

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : On a point of order, Sir. ਪੰਜਾਂ ਸੱਤਾਂ Political Parties ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਕੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ politics discuss ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं करना चाहिये । (That should not be done.)

ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ 'ਪ੍ਰੇਮ' : ਮੈਂ politics discuss ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ general ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ (*Interruptions*) I have not referred to any one in the House.

Mr. Speaker : Order, please.

ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ?

Mr. Speaker : No.

ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ 'ਪ੍ਰੇਮ' : ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ construction ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ Scientists ਤੇ Engineers ਦਾ ਖਾਸ ਹਥ ਹੋਵੇਗਾ । Engineers ਸਾਡਾ pride ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ Engineers ਦੀ encouragement ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । Engineers ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ Engineers ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ National Government ਦੇ Engineers ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਜਨਾਬ, ਆਏ ਸਾਲ 400 ਨਵੇਂ Engineers ਬਣਿਆ ਕਰਨਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ accommodate ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ suggestion ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ Government Contractors ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ Engineer ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਖਣ ਤਾਂ ਜੋ construction ਦਾ ਕੰਮ ਤਸੱਲੀ-ਬਖ਼ਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ । ਮੈਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਮੁਤੱਅਲਕ ਇਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।

ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਜਦੋਂ Railway Minister ਸਨ ਉਹ ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ level crossing bridge ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਪਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਥੇ level crossing bridge ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ move ਕੀਤੀ । ਉਸ bridge ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ level crossing bridge ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਅਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਤਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਐਨਾਂ ਰੁਪਿਆ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਐਨਾ ਰੁਪਿਆ ਦੇਵੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਥੇ level crossing bridge ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਪੁਲ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ।

5.00 p.m.

श्री राम प्यारा (करनाल) : स्पीकर साहिब, फाइनेंस मिनिस्टर साहिब ने लगभग पच्चास करोड़ रुपये का बजट पेश किया है और कुछ आमदनी भी दिखाई है । इस खर्च को देख कर मालूम होता है कि हमारे सूबे में काफी तरक्की हो रही है। वैसे भी हम किसी जगह जाएं तो सड़कें देखने को मिलती हैं, नहरें मिलती हैं, ड्रेन्ज़ देखने को मिलती हैं और जगह जगह पर पुल बन रहे हैं। इस तरह से दिल को तसल्ली होती है कि हमा मुल्क की तरक्की हो रही है। हम पच्चास करोड़ रुपये में से चालीस करोड़ रुपये के लगभग यह दिखाया गया है कि यह हमारा कुमिटिड एक्सपेनसेज़ है और दस करोड़ रुपये का न्यू प्लैन्ड एक्सपैंडीचर ज़ाहिर किया गया है। अगर हम ग़ौर से देखें तो मालूम होगा कि तालीम के महकमे में एक आईटिम रिआर्गेनाईज़ेशन आफ इन्स्पैक्टोरेट की है उस में चार लाख रुपये का खर्चा रखा गया है। मैं समझता हूं कि यह सिर्फ बड़ी बड़ी नौकरियों के प्रोवाईड करने के लिये रखा गया है। इसी तरह से इरेडीकेशन आफ इनडिस्पिलन अमंग्स्ट ी स्टूडैंट्स के लिये एक लाख रुपया रखा गया है। मेरे अन्दाज़े के मुताबिक इस खर्चे में पांच सौ रुपये तनखाह लेने वाले ज़्यादा ज़्यादा से दस बारह मुलाज़म हो सकते हैं। मैं कहता हूं कि जब हम करोड़ों रुपए खर्च कर के विद्यार्थियों में से इनडिस्पिलन को नहीं दूर कर सकते तो क्या थोड़ा सा रुपया खर्च कर के और दस बारह अफसर मुकर्रर कर के इनडिस्पिलन को हटा सकेंगे। इन चीज़ों को खने से यह अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि गवर्नमेंट का ध्यान केवल बड़ी बड़ी नौकरियों को क्रीएट करने की तरफ जा रहा है। अगर हम नए सेक्रेटेरियट की तरफ देखते हैं तो डाय क्टर ही डायरेक्टर नज़र आते हैं और पुराने सेक्रेटेरियट में जाते हैं तो वहां सेक्रेटरीज़, डिप्टी सेक्रेटरीज़ और अंडर-सेक्रेटरीज़ ही नज़र आते हैं। इन चीज़ों को देख कर मेरे मन पर थोड़ा सा बोझ पड़ गया है। जब यह चालीस करोड़ रुपये की कुमिटिड आईटिम है और दस करोड़ रुपये की आईटिम बहुत सारी नौकरियों को प्रोवाईड करने के लिये रखा

[श्री राम प्यारा]

जा रहा है तो मैं सोचता हूं कि दाल और आटे जैसी छोटी छोटी आईटिमों पर इस साल तो टैक्स लग गये हैं और अगले साल कोई आईटिम टैक्स लगाने के लिये रहेगी कि नहीं। और टैक्स लगा कर कुछ आमदनी बढ़ा भी ली गई और चालीस करोड़ की जगह 43 करोड़ रुपया का कुमिटिड खर्च आ गया तो इस में कमी होने के चान्सेज़ नज़र नहीं आते। मेरे मन में जो यह वहम पैदा होता है कि जो 206 करोड़ रुपये का कर्ज़ा हम ने सेन्ट्रल गवर्नमैंट को देना है वह कहां से देंगे? अभी तक तो सात करोड़ ही वापस किया है। अब जो कुमिटिड पर नहीं है अगले साल वह कुमिटिड पर आ जायेंगे। दो साल के बाद बड़ी बड़ी किस्तें गवर्नमेंट को वापस करनी हैं। अगर टैक्स लगा कर कुछ आमदनी बढ़ा भी ली गई तो वह कुमिटिड में चली जाएगी। मुझे डर लगता है कि बड़ी बड़ी तनखाहें लेने वाले जो बजट बनाते हैं और जिसे असैम्बली के मैम्बर पास करते हैं...... स्पीकर साहिब की ज़ेरे सदारत पास होता है वह सारा बड़ी बड़ी तनखाह लेने वालों पर ही न खर्च किया जाए। बहुत सारी बड़ी बड़ी तनखाह वाली असामियां क्रीएट की जा रही हैं। सौ रुपये से ऊपर तनखाह लेने वालों की तनखाह में बहुत थोड़ा इज़ाफा हुआ है लेकिन सौ से कम तनखाह लेने वालों की तरफ सरकार ने बहुत कम ध्यान दिया है। मुझे ऐसा अनुभव होता है कि शायद सेक्रेटरीज़ ने बता दिया है कि सौ रुपया तनखाह लेने वालों की रोटी अच्छी चलती है। इस लिये उन की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से लेबर ट्रीब्यूनल और लेबर कोर्ट आफ अवार्ड में भी काफी रिफार्म्ज़ हुई हैं लेकिन उन की इम्पलीमैंटेशन नहीं हो रही है। इस लिये लोगों में बेचैनी है। अगर हम ट्रांस्पोर्ट को देखते हैं तो उस में भी लेबर की कोई रिप्रेज़ंटेशन नहीं मिलती जिस के नतीजे के तौर पर लेबर को बहुत परेशानी होती है। आर. टी. ए. में लेबर की नुमायंदगी होना ज़रूरी है।

Sugarcane, textiles और दूसरी important industries के सिलसिले में जो Tribunals बनी हैं उन सब में labour के नुमाइन्दे लिये गए हैं। इस लिये इस बारे में भी मैं गवर्नमेंट से चाहूंगा कि यहां भी tribunals के अन्दर उन के representatives को लाज़मी तौर पर लिया जाना चाहिए।

अब मैं Finance Minister साहिब का ध्यान कुछ उन चीज़ों की तरफ़ दिलाना चाहता हूं जहां पर मैं समझता हूं काफ़ी नुक्सान हो रहा है। हरिजनों के लिये और agricultural farms के लिये जो ज़मीनें खरीदी जा रही हैं, उन के लिये जितना रुपया खर्च किया जाना चाहिए था, उस से कई गुना ज़्यादा कीमत दी जा रही है। मेरे पास, स्पीकर साहब, एक चिट्ठी पहुंची है जिस में बताया गया है कि असल में ज़मीन की कीमत बहुत कम थी पर उस के लिये बहुत ज़्यादा रुपया दिया गया है। इसी तरह agricultural production को बढ़ाने के लिये सरकार fertilizers का काफ़ी इन्तज़ाम कर रही है। बाकी ज़िलों के मुतअल्लिक तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे ज़िला करनाल में खाद की distribution ने एक scandal की सूरत अख्तियार की हुई है। अगर enquiry की जाए तो करोड़ों रुपया जो खाद के लिये बांटा गया उस मकसद के लिये खर्च नहीं किया गया जिस के लिये वह दिया गया था।

कुछ एक cases पुलिस के नोटिस में लाए भी गए हैं। मैं गवर्नमेंट से निवेदन करूंगा कि इस तरफ़ तवज्जुह देकर रुपया को ज़ाया होने से बचाया जाए। इसी तरह Co-operative Societies हैं । Co-operative Societies के अन्दर गवर्नमेंट बहुत सा रुपया provide करती है उन लोगों के लिये जिन के पास business शुरु करने के लिये पैसा न हो ताकि लोग Co-operative तौर पर कारोबार चला सकें। लेकिन असल में हो क्या रहा है? अगर enquiry करवाई जाए तो मालूम होगा कि यह रुपया उन लोगों की जेबों में जा रहा है जिन के पास पहले ही बैंकों में काफ़ी रुपया जमा है। जिन की माली हालत काफ़ी अच्छी है । वह लोग यहां से रुपया लेकर बजाए इस के कि जिस business के लिए वह लिया गया है उसी पर लगाएं ; कोई दूसरे ही कामों पर सरफ़ कर रहे हैं। मैं आप को एक ही केस की मिसाल देता हूं। एक सोसाइटी है। 40,000 रुपया उन्होंने कर्ज़े पर लिया था । लेकिन बजाए उस को उसी business पर लगाने के एक रुपया सैंकड़ा सूद पर दिया हुआ है। इन हालात में मैं समझता हूं कि जो रुपया ग़रीब आदमी के uplift के लिये खर्च किया जाना चाहिए था, मुफ्त में बेकार और ग़लत तौर पर ज़ाया किया जा रहा है। (घंटी) स्पीकर साहिब, मैं दो चार मिन्ट में खत्म करता हूं। Community Projects के बारे में अर्ज़ करूं कि पिछले साल मैं ने एक सवाल भेजा था। नीलोखेड़ी के community project के मुतअल्लिक। बताया था कि 43 हज़ार रुपया तो सारी disbursement के लिए मखसूस था जिस में से 24 हजार रुपया establishment, T.A. वग़ैरा पर खर्च आया। इसके अलावा एक और item है जिस के बारे में मैंने शुरु में भी अर्ज़ किया। अब मैं उस से भी कुछ आगे जाता हूं यह बताने के लिये कि हकीकत में हो क्या रहा है। यहां पर Co-operative Society की तरफ़ से माल बेचने के लिये एक नुमायश लगती है। उस Co-operative Society के पास सिर्फ़ पांच हज़ार रुपया का खादी है। सारे साल में उसने पांच, सात, दस. हज़ार से ज्यादा काम नहीं किया--इस से ज्यादा का माल तैयार नहीं किया। लेकिन आप हैरान होंगे कि वही Co-operative Society एक ही हफ्ते के अन्दर 50,000 का माल बेच लेती है। मैं हैरान हूं कि जिस society ने सारे साल के अन्दर पांच सात हज़ार का कपड़ा मुश्किल से तैयार किया हो, उस के पास एक ही हफ्ते में 50,000 का कपड़ा कैसे आ गया ! वह रुपया rebate की शक्ल में दिया जाता है। ठीक है कि इस के लिये enquiry हुई और एक Sales man को dismiss भी कर दिया गया लेकिन जो हकीकत है वह यह है कि ग़रीबों के लिए हुए पैसे का बहुत सारा रुपया ज़ाया हो रहा है। (घंटी) स्पीकर साहिब, [illegible] बातें और कहनी हैं। इसी तरह आप headquarters को जा कर देखें। वहां पर [illegible] की sanctions भेजी जाती हैं, वह साल के close होने के करीब जनवरी, फरवरी के महीनों में भेजी जाती हैं और इस डर से कि रुपया lapse न हो जाए वहां के officers उस रुपया को जल्दी से जल्दी बिना proper planning के खर्च करने की कोशिश करते हैं। इस तरह करने से इस रुपये का बहुत सा हिस्सा भी ज़ाया चला जाता है। जो सड़कें, मकान और buildings जल्दी में बनाई

[श्री राम प्यारा]
जाती हैं उन की हालत छः महीनों के अन्दर ऐसी हो जाती है कि उन को repair कराना लाज़मी हो जाता है। मैं समझता हूं कि अगर यही रुपया वक्त पर भेजा जाए तो उस का काफी सा हिस्सा अच्छे कामों पर सर्फ़ किया जा सकता है। (घंटी) स्पीकर साहिब, एक item और है......

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी परेशानी को भी देखें। मेरे पास बहुत से मेम्बरों के नाम पड़े हैं जो अभी भी बोलना चाहते हैं। (Please realise my anxiety also. I have still with me the names of so many hon. Members who are desirous of speaking.)

श्री राम प्यारा : जनाब मैं ज़ाती तौर पर.....

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात भी सुनियें। 15 आदमियों के नाम तो आप की party के whip ने भेजे हैं। 30 के करीब मेम्बर मुझे मेरे Chamber में मिले हैं। चौधरी सुन्दर सिंह भी बार बार request करते हैं। इस लिये आप को यह बात याद दिलाने के लिये कि अब आप मेहरबानी करके बैठ जाएं, मैं ने दो तीन बार घंटी भी बजाई है। आखिर House के अन्दर कोई discipline भी तो होना चाहिए। (The hon. Member may please listen to me also. The whip of his party has sent me names of 15 hon. Members. Almost 30 members have met me in my Chamber. Besides Chaudhri Sunder Singh is also requesting again and again. Therefore, in order to remind the hon. Member to resume his seat, I have rung the bell a number of times. After all there should be some discipline in the House.)

श्री राम प्यारा : जनाब मैं दो मिनट में खत्म करता हूं। ज़ाती तौर पर मैं taxes के खिलाफ नहीं हूं क्योंकि जब टैक्सों के ज़रिये रुपया नहीं आएगा तो development का काम कैसे हो सकेगा। लेकिन एक चीज़ मेरी नज़र में काबले एतराज़ ज़रूर है। जब टैक्स लगते हैं तो हर ग़रीब अमीर पर लगते हैं। Education के मामले में कुछ इलाकों में गवर्नमेंट ने फीस माफ़ कर दी है। लेकिन इस में एक बात जो काबले एतराज़ मालूम होती है वह यह कि जहां ग़रीब आदमियों के बच्चों की फीस माफ की गई है वहां अमीर लोगों के बच्चों की भी फीस माफ़ कर दी गई है। कुछ अमीर आगे दुगनी फीस दिया करते थे। जो income-tax देते हैं उन का दुगना हिस्सा फीस का हटा कर एक हिस्सा रख दिया था। अब उन की फीस माफ की जा रही है। मैं समझता हूं कि यह concession सिर्फ ग़रीब आदमियों को ही देनी मखसूस थी। लेकिन इस के साथ अमीरों को भी दी जा रही है। इस से refrain करना चाहिए।

इसी तरह अमृतसर और गुरदासपुर में जो flood affected areas हैं, वहां भी बच्चों की फीसें माफ की गई हैं। जब मैं करनाल गया तो मेरे एक दोस्त ने मज़ाक से मुझे पूछा कि कामरेड साहब ये मारकंडा और यमुना का पानी भी क्या उधर ही भेजा जाना है? क्या यहां पर इस पानी के ज़रिए जो तबाही होती है; यहां के लोगों की हालत

क्या वहां से अच्छी है जो उन की फीसें माफ हो जाएं और यहां से वैसे ही वसूल की जाएं ? यह एक निहायत बड़ी discrimination है जिसे मैं समझता हूं कि encourage नहीं किया जाना चाहिए। इस के लिये मैं सुझाव देता हूं कि taxes पर regional control किया जाए। इस तरह से expenditure को rationalise करने से, जो रुपया ज़ाया होता है उसे ज़ाया होने से बचाया जा सकता है। बड़े अफसरों की तनखाहों को कम करके छोटे ग़रीब मुलाज़मों की तनख़ाहें बढ़ाने के सवाल को. .... (घंटी)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं और वक्त नहीं दे सकता। आप मेहरबानी करके बैठ जाएं। दूसरों ने भी बोलना है। (I can give no more time to the hon. Member now. He should please resume his seat, others have also to speak.) (*Addressing to Kanwarani Jagdish Kaur*) कंवर रानी साहिबा, मैं आपके साथ committed हूं। अगर आप वक्त लेना चाहें तो ले सकती हैं। (I stand committed to give her time. If she wants time to speak, she can have it.)

ਕੰਵਰਾਣੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ : ਮਿਸਟਰ ਸਪੀਕਰ, ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੋਲ ਲਵਾਂਗੀ ; ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ time ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। (*Interruptions*)

ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ Address ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਤਕ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। (*Interruptions*)

[*At this stage Mr. Speaker called upon Sant Sadhu Singh to speak but a number of hon. Members rose in their seats to catch the eye of the Speaker.*]

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मैं आप को एक तरीका बताता हूं उसमें सभी accommodate हो सकेंगे। ऐसा करें कि प्रैस वालों को तो बाहर भेज देते ह और उसके बाद आप सब साहिबान इकट्ठे बोल लें। ऐसा करने से दस मिनट में ही सब बोल सकेंगे जैसा कि अब आप कर रहे हैं। (Well, I suggest a way out in which every body can be accommodated. We would send away the pressmen and then all the Members may speak at one and the same time. In this way every hon. Member will have his say within ten minutes. It will be just as is being done now.]

ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ (ਰੋਪੜ, ਜਨਰਲ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਸ ਬਜਟ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਜ ਛੇਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ । ਬਜਟ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਿਹਾਇਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ items ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਅਛੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ items ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਬਹੁਤ ਹੈ । ਇਸ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ 47 ਕਰੋੜ 81 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਤੇ 49 ਕਰੋੜ 89 ਲਖ ਦਾ expenditure ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚ 2 ਕਰੋੜ ਅੋਰ 8 ਲਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ deficit ਹੈ ਇਹ deficit ਉਸ top heavy expenditure ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ deficit ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ Finance Minister ਨੇ ਹੋਰ taxes ਲਗਾਏ ਹਨ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ taxes ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਉਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ—ਜੋ Sales Tax ਸੀ—ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਹ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਾਵੇਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਅਗਰ ਸਭ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਪੜੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ cotton ਤੇ ਵੀ tax ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ items ਤੇ ਯਾਨੀ food grains ਤੇ, cotton ਤੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਆਟੇ ਤੇ tax ਲਗਾਉਣ ਦੀ items ਤੇ ਫਿਰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਅੋਰ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਹੋ ਸਕੇ unnecessary expenditure ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ hon. Members ਨੇ ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । I don't want to repeat those items here again but they can be safely postponed for the present.

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਨ੍ਹਾਂ unnecessary expenditures ਨੂੰ cut ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ tax ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਪੜੇ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਗਾਉਣ । ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ taxes ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੋਰ 2nd Five-Year Plan ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੋਰ Second Five-Year Plan ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਮੈਂ ਦਾਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਉਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਪਿਛੇ 33 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਖਰਚ ਤੇ control ਕਰੋ । ਅਗਰ ਇਸ ਖਰਚ ਉਤੇ control ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ Anti-Corruption staff ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ

staff ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਏ । ਇਹ tax ਜਦ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ "ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ" ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ "ਭਾਖੜਾ ਡੈਣ" ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ tax ਲਗਾਏ ਤੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ taxes ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਲਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Central Government ਨੇ ਇਤਨੇ tax ਲਗਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ tax ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ Wealth Tax, Expenditure Tax, Estate Duty ਅਤੇ Gift Tax ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕ ਨਵਾਂ tax ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ । ਭਾਵੇਂ tax ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹੋ ਜੇਹੇ ਹੀ tax ਲਗਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ । ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜਿਤਨੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਉਤਨੇ ਹੋਰ tax ਲਗਾ ਲਏ ਜਾਣ । ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਤੇ 12 ਆਨੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪਿਛੇ ਜਿਹੜਾ tax ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਹੈ । ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ । ਇਕ ਬੁੱਢੀ ਸੀ । ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਲੜਕਾ ਸੀ । ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਊਠ ਵੇਚਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ । ਉਹ ਦੌੜਿਆ ਦੌੜਿਆ ਮਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਮਾਂ, ਮਾਂ ਦੋ ਪੈਸੇ ਦੇ । ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਬੱਚਾ ਦੋ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ? ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਪੈਸੇ ਦਾ ਊਠ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੈ । ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਊਠ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ । ਬੱਚਾ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਕੀ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਊਠ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ । ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਦੋ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਗ਼ਰੀਬ ਪਾਸ 12 ਆਨੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਹ tax ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗਾ । ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜੇ tax ਲਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ tax ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ expenditure ਨੂੰ ਇਤਨਾ cut-short ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ taxes ਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਏ । ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ Second Five-Year Plan ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਮੈਂ ਮਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ 33 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ Community Project ਵਿਚ B.D.O's ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕਸ ਵਿਚ ਇਕ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦੋ ਪਿੰਡ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਥੇ ਜਲਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ । ਉਥੇ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਤਨਾ show ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਖੁਸ਼ ਹੋ

[ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ]
ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਥੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ । ਇਹ B.D.O. ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। (ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼) ਦੋ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਜੀ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਥੇ ਆਪੋ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਚਲਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਿਹਾ । ਇਥੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੇ attack ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਕਰੇ ਛੇਂਕਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ । ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ public ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ public ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰੇ ਨਹੀਂ ਛੇਂਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ criticise ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ healthy criticism ਕਰੀਏ ।

अध्यक्ष महोदय : कल अगर आप इजाज़त दें तो question hour को dispense with कर दिया जाये क्योंकि इस तरह से time निकल आयेगा और बोलने के लिये इस्तेमाल किया जा सकेगा । (आवाज़ें : जी हां, बेशक कर दें) मैं आप से एक और अर्ज़ करूंगा कि अगर आप को यहां बोलने का मौका न मिले तो आप अपने points, अपने suggestions या जो आप की constituencies की तकलीफें हों लिख कर दे दें मैं उन्हें इस debate में print करवा दूंगा। (चौधरी लहरी सिंह : वह हम party meeting में बोल देंगे) अगर आप की तसल्ली party meeting में बोल लेने से हो सकती हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। (चौधरी लहरी सिंह : मिनिस्टर भी वहां होंगे) 50 मैम्बर साहिबान अब तक बोल चुके हैं और यह बड़ी credit की बात है कि काफी मैम्बर बोल चुके हैं और गवर्नर साहिब के Address पर भी काफी मैम्बर बोले थे । वैसे तो Houses का यह रिवाज होता है कि चन्द मैम्बर बोलने वाले होते हैं और बाकी के चुपचाप बैठते हैं लेकिन यहां सारे मैम्बर बोलना चाहते हैं । House of Commons में Mr. Churchil जब मिनिस्टर नहीं थे तो वह वहां दो साल बाद एक बार बोले थे । अब हमारे पास इस के सिवाए और कोई तरीका नहीं है कि जिन मैम्बर साहिबान को मौका ना मिले उन के points ले कर इस में print करवा दिये जायें ।

(If the hon. Members all agree, the Question hour may be dispensed with tomorrow as in this way some time will be become available for use of the hon. Members who wish to speak. (Voices—Yes, it may be done.) I will make another submission that if any hon. Member does not get any opportunity to speak, he should give a brief note containing suggestions and other difficulties of his constituents and I will get them included in the debate. (Chaudhri Lahri Singh—We will place those points in the party meeting.) If they can be satisfied by placing such points in the party meeting then I will not have the

slightest objection to it. (ChaudhrLahri Singh—The Mihister incharge will also be there.) Fifty hon. Members have so far taken part in the debate and it is a matter of great credit that a fairly large number of Members have got an opportunity to speak. The number of those hon. Members, who had taken part in the discussion on Governor's Address was also fairly large. Ordinarily, the convention in the Legislatures is that a few members do the major speaking while the rest keep sitting quietly. In the House of Commons, when Mr. Chaudhri was not a Minister, he spoke there only once after a period of two years. Now, I have no other recourse but to accept brief notes from those hon. Members who did not get time to speak and get them printed in the debate.)

श्री निहाल सिंह (महेन्द्रगढ़) : जनाब स्पीकर साहिब, इस बजट को मैं एक बड़े लीडर के नज़रिये से नहीं देखता क्योंकि उन्होंने तो बकरे, गधे और पाजामे और इस किस्म की बातों के नज़रिये से इस बजट पर बहस की है और मैं तो एक ऐसे इलाके के नुमायंदे की हैसियत से बहस करता हूं जो under-developed areas हैं और जिन का ज़िक्र इस बजट में कम आता है और मैं यह बताऊंगा कि इस बजट के अन्दर उस इलाके के लोगों के लिये क्या किया गया है। पंजाब की तरक्की की मौजूदा रफ्तार को देख कर हमारे महेंद्रगढ़ जैसे under-developed areas के लोगों में एक तश्वीश पैदा होती है और वह यह कि सारा पंजाब जब इस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और इस में इतनी तरक्की हो रही है और ऐसे इलाकों के लिये कोई खास तरक्की की स्कीमें इस बजट के अन्दर नहीं रखी गईं। Planning करते वक्त और स्कीमें बनाते वक्त यह यहां नहीं देखा जाता कि किस इलाके को किस बात की ज़रूरत हैं और किस तरह की वहां के लिये स्कीमें होनी चाहियें। (*Mr. Deputy Speaker occupied the chair, 5-30 p.m.*) इन का जो बजटिंग का तरीका है, जो स्कीमिंग का तरीका है वह बड़ा अजीब है। मैं एक मिसाल देता हूं। जब पम्पिंग सैट्स के लिये या दूसरे कामों के लिये गांवों को पैसा दिया जाता है तो सब जगह के लिये बराबर दिया जाता है चाहे कहीं पानी सौ हाथ हो या दस हाथ पर। इसी तरह जो बलाक्स की एलाटमेंट की जाती है वह जरूरत को बिना देखे ही दे दी जाती है। जहां जरूरत कम हो वहां भी उतने ही दिये जाते हैं और जहां ज़रूरत ज़्यादा हो वहां भी उतने ही दिये जाते हैं। यह वैसी ही बात है जैसे कि एक इन्स्पैक्टर एक स्कूल की इन्स्पैक्शन के लिये गया और उस ने लड़कों से कहा कि dog पर ऐस्से लिखो। उस के आने से पहले मास्टर जी ने लड़कों से कह दिया था कि जैसे यह हुश्यार लड़का लिखे वैसे तुम सब ने इस की नकल कर लेना। इन्स्पैक्टर ने जब लड़कों की कापियां देखीं तो सब लड़कों ने एक से ही फिकरे लिखे हुए थे। तो उस ने मास्टर जी से इस की वजह पूछी तो मास्टर जी ने जवाब दिया कि Sir, these boys wrote essay on the same dog. (हंसी) इस में सिफात वही हैं इस लिये सब ने वही बात लिखी। इसी तरह से आज हमारे हां प्लैनिंग का भी तरीका है। यह बात नहीं देखी जाती कि कहां ज़रूरत है। पहले सर्वे नहीं कराई जाती लोगों की ज़रूरियात की। इसी तरह की बात इस दफा की गई है। मैं ने बजट तो नहीं पढ़ा और वह इस लिये नहीं पढ़ा कि इस में जो प्रोवियन किये गये हैं वह मेरे पिछड़े हुए इलाके के लिये तो हैं नहीं इस लिये जब लोग पूछेंगे कि आप की गवर्नमेंट की अन्डर डिवैलप्ड एरियाज़ के

[श्री निहाल सिंह]
बारे में क्या पालिसी है तो यह जवाब देने की बजाए कि इस म कुछ प्रोवियन नहीं किया गया है यही ठीक होगा कि मैं ने इस को पढ़ा नहीं है। मगर मैं ने पंडित जी की स्पीच सुनी है जिस से मालूम हुआ कि इन इलाकों के लोगों के लिये बहुत कम प्रोवियन किया गया है। (चौधरी लहरी सिंह : कम क्या बिल्कुल नहीं किया गया) (वित्त मंत्री : आप ने भी नहीं पढ़ा) मैं ने इस की वजह मालूम करनी चाही और ढूंडने पर जो कारण मिला वह यह है कि वह एरियाज़ जो डिवैलप्ड हैं, जहां इन्डस्ट्रियल पैदावार ज्यादा है, जहां ऐग्रीकल्चर की पैदावार भी ज्यादा है उसी इलाके में, मुझे नज़र आया कि वज़ीर भी ज्यादा पैदा होते हैं। जहां दूसरी चीज़ें ज्यादा पैदा होती हैं (विघ्न) (हियर, हियर) तो मुझे महसूस हुआ कि शायद कैबिनट को डर है कि अगर कभी हमने ज़िला महेंद्रगढ़ में ज़्यादा पैदावार शुरू कर दी तो कहीं कोई मिनिस्टर ही न पैदा हो जाए। (हंसी) लेकिन जनाब मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि हमें मिनिस्टर की ज़रूरत नहीं है, हमारे हां तो ऐडमिनि-स्ट्रेशन अच्छी कीजिए, डिवैलपमैंट कीजिए। हमें दस साल तक किसी मिनिस्टर की जरूरत नहीं। (एक आवाज़ : आप का क्या एतबार।) आज जो डायरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज़ हैं मिस्टर थडानी, जो हमारे हां डिप्टी कमिश्नर थे, उन को वहां डिप्टी कमिश्नर लगा कर भेज दिया जाए और डि`लपमैंट का इन्चार्ज लगा दिया जाए। (विघ्न) हम गवर्नमेंट से कोई भी बात कहनी छोड़ देंगे। फिर यहां यह कहा जाता है कि हम बैकवर्ड एरियाज़ को ऊपर उठाने के लिये डिपार्टमेंट-वाइज़ स्कीम्ज़ बनाते हैं। मैं ने किसी भी डिपार्टमैंट की ऐसी कोई स्कीम नहीं देखी कि जिस से अन्दाज़ा हो कि वह डिपार्टमैंट सही प्लैनिंग करता है। ऐन. ई. ऐस. ब्लाक्स और कम्यूनिटी प्राजैक्ट्स को ले लीजिए। उन के बा` में यह बात कर रखी है कि जहां कनसालीडेशन हो चुकी है वहां ही यह खोले जायेंगे। हमारे हां कनसालीडेशन नहीं हुई तो इस का मतलब तो यह हुआ कि वह जो बैकवर्ड और अनडवैलप्ड एरिया है वहां उन लोगों को कोई ब्लाक भी नहीं मिलेगा। इसी तरह का हाल इलैक्ट्रिसटी के बारे भी है। आज तो इस महकमे के इन्चार्ज हमारे पैप्सु के ही रहने वाले सरदार साहिब हैं और वह मिनिस्टर फार पावर हैं। मगर अब इलैक्ट्रिसटी बोर्ड बन रहा है। उस का नतीजा होगा कि जब हम पावर मिनिस्टर साहिब से जा कर कुछ कहेंगे तो वह कहेंगे बोर्ड बन गया है अब मैं तो पावरलैस हो गया हूं। (हंसी) सब अख्तियारात बोर्ड को ही हैं। जब वह खुद ऐसा महसूस करेंगे तो हम बोर्ड से क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो मैं अर्ज़ करूंगा कि उन एरियाज़ के लिये स्कीम्ज़ बनाई जाएं जिन को इलैक्ट्रिसिटी की जरूरत है उन को प्रैफरैंशल ट्रीटमैंट दिया जाए।

ऐजुकेशन के बारे में जनाब स्पीकर साहिब......स्पीकर साहिब तो हैं नहीं (हंसी और विघ्न) हमारे हां नारनौल में पैप्सू गवर्नमेंट ने एक कालिज कायम किया था। यह उस वक्त हुआ था जब कि हमारे हां के वहां स्पीकर थे और यह उन की कोशिश से ही कालिज बना था, उन्होंने बनवाया था। अब यह स्पीकर साहिब की जिम्मेदा`ी है कि.........(विघ्न)

Mr. Deputy Speaker: No interruption please.

श्री निहाल सिंह : अब यह जिम्मेदारी हम स्पीकर साहिब पर डालना चाहते हैं कि जो काम एक स्पीकर ने चलाया था उस को यह फलता फूलता देखें, उस को दूसरा स्पीकर आगे बढ़ाए । वहां जो कालिज है उस में फरनीचर नहीं । लड़के ज़मीन पर बैठते हैं । दूसरे ज़िलों के लोग तो शिकायत करते हैं कि हमारे प्राइमरी और मिडल स्कूलों के लड़के ज़मीन पर बैठते हैं मगर महेंद्रगढ़ में गवर्नमेंट कालिज के लड़के ज़मीन पर बैठते हैं, दरख्तों की छांव में बैठते हैं । फिर लड़कों की तादाद को देखते हुए क्लास रूम्ज़ की तादाद कम है । फिर practicals करने के लिये वहां कोई laboratory नहीं है । लड़कों को practicals करने के लिये रेवाड़ी जाना पड़ता है । इसी तरह library का भी वहां पर इन्तज़ाम नहीं है और न ही बजट में इस के लिये कोई प्रोविज़न है । अभी इस साल में कुछ रुपया है 6,000 कि furniture वगैरह खरीदा जाए । फिर वहां पर पीने के पानी का इन्तज़ाम नहीं है । जब हमारे Education Minister वहां पर गये और इस कालिज का मुआइना किया तो उन्होंने कहा कि इस किस्म के कालिज को तो कालिज न रखना ही अच्छा है ।

अब मैं Health Department के बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं । पिछला जो बजट है उस में provision है कि हमारे हां District Headquarter नारनौल में एक T.B. Clinic बनाया जाएगा । और उस के लिये 1,30,000 रुपये का प्रोविज़न है । इस चालू साल के अन्दर यह सारा रुपया खर्च होना चाहिए मगर अभी तक तो इस के लिये जगह भी तलाश नहीं की गई कि कहां बनेगा । इस लिये वह सारा पैसा lapse हो जाएगा और इस साल नए बजट में यह provision repeat नहीं किया गया मगर 15,000 रुपया T.B. Clinic में और सामान वगैरह मुहैया करने के लिये दिया गया है । मगर वहां तो clinic ही नहीं बना, तो यह खर्च कहां होगा । उस की तो अभी जगह ही तलाश नहीं हुई । इस लिए यह 15,000 रुपया अगले साल lapse हो जाएगा ।

फिर मैं Roads के बारे में भी कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं । जितना रुपया हमारे हां roads पर खर्च होना था उस में से बेशतर हिस्सा इस साल lapse हो रहा है । जिन सड़कों पर दो लाख खर्च होना था, एक आध सड़क को छोड़ कर, सब जगह 20,000 या 30,000 ही खर्च हुआ है । या तो बजट में provision नहीं होता या अगर provision होता है तो अव्वल दर्जा उस इलाके को दिया जाता है जहां ज़्यादा से ज़्यादा रुपया lapse हो । Transport Minister साहिब ने कई दफा कहा है कि हरेक District बल्कि तहसील हैडक्वार्टर को गवर्नमैंट transport चला कर चंडीगढ़ से मिला दिया जाएगा । अकेले महेन्द्रगढ़ को छोड़ कर बाकी कोई ऐसा ज़िला नहीं जिस का चन्डीगढ़ से connection न हो । (विघ्न)

Mr. Deputy Speaker : Order please.

श्री निहाल सिंह : इसी तरह से जनाब वहां पर ऐसे काफी गांव हैं जिन में पीने के पानी की दिक्कत है। नहरों का पानी तो क्या या दूसरी चीजें एक तरफ वहां तो पी के पानी की भी दिक्कत है। फिर भी इस मामले में भी उन्हें पहला नम्बर नहीं मिलता। (घंटी)

डिप्टी स्पीकर साहिब, हम अपने इलाके की तरक्की के लिये, अपने इलाके की खुशहाली के लिये ो तरफ देखते हैं। एक परमात्मा की तरफ और दूसरे अपनी मेहनत और गवर्नमेंट की तरफ। लेकिन अब कुछ बात ऐसी नज़र आती है कि परमात्मा को भी ऊंचा सुनाई देने लग पड़ा है और हमारी गवर्नमेंट भी कुछ ऊंचा सुनने लग पड़ी है। परमात्मा जो ऊंचा सुनने लग गया है उस के लिये हम ने अपने इलाके के सब मन्दिरों और गुरुदवारों में loud speaker fit करवा दि हैं ताकि उसे हमारी हालत के बारे में हमारी फरयाद कुछ सुनाई दे सके। और जब हमारे मिनिस्टर साहिबान वहां जाते हैं और जलसे होते हैं तो भी हम loud speaker fit करते हैं और अपनी सब दिक्कतें इन्हें सुनाते हैं लेकिन बावजूद इन सब कोशिशों के हमारे इलाके की तरक्की के लिये कोई स्कीम नहीं बनाई गई। तो मैं आप के द्वारा, डिप्टी स्पीकर साहिब, यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो ऐसा इलाका हो उस के लिये गवर्नमेंट की definite पालिसी होनी चाहिए कि वह इस के साथ special treatment क।

अब मैं दो एक बातें erstwhile Pepsu की services के बारे में कहना चाहता हूं। Pepsu की services के साथ integration के बाद अच्छा सलूक नहीं किया गया। यहां आ कर Pepsu services के 10 Gazetted rank के अफसरों को जिन में lecturers और दूसरे अफसर शामिल थे degazette कर दिया गया। जब कि वह Pepsu में Gazetted Officers थे और फिर ऐसा करने की कोई justification नहीं दी गई।

इस के बाद, डिप्टी स्पीकर साहिब, पंजाब में कुछ ऐसे case हैं जो matric और stenos थे उन्हें I. A. S. के लिये recommend कर दिया गया है। लेकिन हमारे Bhatinda ज़िला के Deputy Commissioner को जिन्हें वहां के लोग अच्छे कामों के लिये याद करते हैं, I.A.S. के लिये recommend नहीं किया गया। इतने काबिल officers को छोड़ दिया गया और matric और stenographers के नाम recommend कर दि गये।

एक बात मैं taxes के बारे में कहना चाहता हूं कि दाल रोटी पर जो टैक्स लगाया जा रहा है इस पर एतराज़ किया गया है इस के बारे में मैं समझता हूं कि पंजाब में law and order की हालत बहुत खराब थी और सरकार ने सोचा कि इस किस्म की दाल रोटी इन्हें हज़म नहीं होती हर रोज़ झगड़े और agitation ही करते रहते हैं और शायद ऐसे हालात में सूबे में law and order कामयाब न हो सके तो उन्होंने कहा कि इनकी रोटी और दाल कम कर दो ताकि इन्हें हज़म हो सके और law and order को maintain किया जा सके। (हंसी) इस लिये मैं, डिप्टी स्पीकर साहिब, अर्ज़ करूंगा कि हमारा जो इलाका है इस की तरफ गवर्नमेंट को खास तौर पर

ध्यान देना चाहिए। यह बजट जो पंडित जी ने पेश किया है मैं इस की support करता हूं क्योंकि पंडित जी हमारे इलाके पर बहुत मेहरबान हैं।

श्री रला राम (मुकेरियां) : उपाध्यक्ष महोदय, आम जनता, जब आज़ादी का फल निकलता है, तो उस से अन्दाज़ा लगाती है कि कहां तक किसी मुल्क ने तरक्की की है। यह ठीक है कि भाखड़ा डैम और दूसरी जो विकास की स्कीमें देश में जुटाई जा रही हैं उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इन तरक्की की स्कीमों को ध्यान में रखते हुए देश की तरक्की और अपनी तरक्की का अंदाज़ा लगाते हुए जनता के सामने एक criteria और test होता है और वह यह देखते हैं कि सरकारी दफतरों में या सूबे में जो अफसर हैं उन से जो जो वास्ता पड़ता है वह कहां तक जनता को सहूलतें देते हैं। इस का सम्बन्ध जनता के रोज़मर्रा के जीवन के साथ है। तो इस लिये हमने इस का अन्दाज़ा इस बात से लगाना है कि जनता की शिकायात को दूर करने में उन्हें रफा करने में गवर्नमैंट कहां तक सहूलतें देती है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस test का प्रश्न है मैं आप के द्वारा यह जो पंजाब सरकार है यह जो मंत्री महोदय यहां पर बैठे हुए हैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं जनता की राय को इन के सामने रखना चाहता हूं। उनकी राय यह है कि दफतरों से अपना काम करवाने और कचहरियों में इन्साफ हासल करने में जो सहूलतें उन्हें आज एक आज़ाद मुल्क में मिलनी चाहिएं नहीं मिल रही हैं। यह एक ऐसी बात है जिस का प्रभाव सब पर पड़ता है हम पर भी और सरकार पर भी। जब हम बतौर M.L.A. के अपनी constituency में जाते हैं तो वहां लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि वहां हस्पताल नहीं हैं सकूल नहीं हैं वहां वह इस बात की ज़ोरदार शिकायत करते हैं कि एक एक अर्ज़ी का आठ आठ साल तक जवाब नहीं आता और दफ्तरों में बेहद देरी लग जाती है। इस ेरी का जो दफतरी अमले की तरफ से या सरकार की तरफ से होती है इस का जनता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है इस लिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा मन्त्री महोदय तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस ेरी को, जो चाहे लाल फीते की वजह से होती है, या inefficiency की वजह से है या corruption की वजह से होती है इसे बहुत जल्द दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये। यह ठीक है कि गवर्ननर महोदय ने अपने Address में इस बात का ज़िक्र किया है कि दफतरी देरी को दूर करने के लिये assessment units बना दी गई हैं परन्तु देखना यह है कि उन का क्या प्रभाव पड़ा है। यह ेर कहां तक नजर आ रही है और लोगों की शिकायतें कहां तक दूर हुई हैं। मुझे यह बताने में खेद होता है कि अभी तक लोगों की शिकायतों का दसवां हिस्सा भी tackle नहीं किया जा सका। Red tapism की वजह से inefficiency की वजह से, corruption और भ्रष्टाचार की वजह से अभी तक दफतरी देरी की शिकायत दूर नहीं की जा सकी। इसलिये मैं अपनी सरकार से निवेदन करूंगा कि यदि वह नेकनामी हासल करना चाहती है, जैसा कि इस का इरादा है, तो इस दफतरी देरी को दूर करने के प्रयत्न करने चाहिएं। क्योंकि जो कदम सरकार की ओर से इस पक्ष में उठाए गए हैं उन का कोई प्रभाव देखने में नहीं आता।

[श्री रला राम]

उपाध्यक्ष महोदय, जो नए टैक्स इस बजट के द्वारा लगाए जा रहे हैं इन के बारे में बजट को पेश करते समय हमारे वित्त मन्त्री जी ने कहा है कि यह घाटे का बजट है इस घाटे को पूरा करने के लिये टैक्स लगाए जा रहे हैं। घाटा अवश्य दूर होना चाहिए परन्तु जो टैक्सों की तजवीजें इस के सम्बन्ध में इस सदन में पेश की गई हैं खास करके वह टैक्स जो गरीब की रोटी और दाल पर लगाया जा रहा है एक ऐसा टैक्स है जिस की सराहना नहीं की जा सकती। यह ठीक है कि यह टैक्स कोई भारी टैक्स नहीं है परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, इस किस्म का टैक्स असूलन नाजायज़ है और नावाजिब है। मैं आप के द्वारा वित्त मन्त्री महोदय तक जनता की यह आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि दाल रोटी पर टैक्स लगाने से बहुत सी रकम सरकारी खज़ाने में नहीं आ सकेगी। और इस से एक गलत असूल कायम हो जायगा इस लिये इस को रोकने के लिये यह अवश्य दूर होना चाहिए और बीसियों तरीके हैं जिन के द्वारा वित्त मन्त्री महोदय अपने कोष के घाटे को पूरा कर सकते हैं।

घाटे को पूरा करने के लिये transport है। इस की nationalisation को बढ़ाने से खासी रकम सरकारी कोष में आ सकती है। परन्तु बदकिस्मती इस बात की है कि ट्रांसपोर्ट की nationalisation के काम को इस ढंग से हल करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं कि जिस से nationalisation या nationalism को तकवियत नहीं मिलती। इस सवाल को फिरकादाराना level से ऊंचा उठ कर हल किया जाए तो मैं समझता हूं कि बहुत सा रुपया सरकार के खज़ाने में आ सकता है ग़रीब की दाल रोटी पर टैक्स लगाने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने Education Tax लगाया है। यदि इस देश के अन्दर Education को मुफ्त देना चाहते हैं तो इस के लिये सरकार को अवश्य रुपए की ज़रूरत है और Education tax के सिद्धांत को स्वीकार करके मैं यह समझता हूं कि वित्त मन्त्री जी ने एक कदम आगे उठाया है जिस की सराहना होनी चाहिए। इस में एक बात और है जो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा अपने मंत्री मंडल तक पहुंचाना चाहता हूं। वह यह है कि Education tax अगर सरकार लगाना चाहती है वह ज़रूर लगाये। मगर इस का फायदा सभी को होना चाहिये और यकसां होना चाहिये। लेकिन इस tax का लाभ सभी को नहीं पहुंचता। अगर खुश किस्मती से वहां पर Government स्कूल मौजूद हैं तो वह इस का फायदा उठा सकते हैं मगर अगर बदकिस्मती से वह privately-managed schools हैं तो उन को मुफ्त शिक्षा की कोई सुविधा नहीं है। अगर शिक्षा को ने के लिये एक असूल पर कोई प्रयत्न न किया गया तो यह education cess के लगाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। मेरा जो हलका है यह अध्यक्ष महोदय 25 हज़ार voters का है और इस में $2\frac{1}{2}$ लाख की आबादी है। इतना बड़ा हलका होने के बावजूद भी इस में तीन Government Schools हैं जिन में कि मुफत शिक्षा दी जा सकती है। बाकी जो 20-25 schools हैं वह privately-managed schools हैं।

इस लिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा यह बात मंत्री महोदय तक पहुंचाना चाहता हूं कि education cess उन लोगों पर ही लगानी चाहिये जो इस से फायदा उठायें और यह भी कहूंगा कि इस का फायदा आम जनता को भी मिलना चाहिये जिस दृष्टि से कि इस असूल को माना गया है। Education का जो हम पर प्रभाव पड़ रहा है वह हम बहुत कुछ आज देख रहे हैं। April में जब कोई नया Session शुरू होगा फिर पता लगेगा कि इस की कितनी मुखालिफत होती है। जो रही सही अब तालीम जारी है वह भी खराब हो जायेगी। यह तो एक ऐसा step है जो बड़ा समझ सोच कर उठाना चाहिये। यह बड़े शोक की बात है कि education की planning जायज़ तौर पर नहीं हुई। Education का जो हमारा पिछला ढांचा है इस को ही सुधारना चाहिये इस तरीके से मुझे डर है कि फायदे की बजाय कोई नुकसान न पहुंचाया जाये बल्कि इस को सुधार कर बेहतर बनाया जाये। इस वक्त, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सूबे में 540 High School हैं जिन में से 180 Government के हैं—बाकी privately managed school हैं। अब अगर सरकारी स्कूलों में मुफत तालीम हो जाती है तो मुफ्त शिक्षा देने का जो भाव है वह पूरा नहीं होता और यह तरीका हम सब के लिये लाभदायक नहीं हो सकता। बजाय इस के कि मुफत शिक्षा तमाम सूबे के सरकारी स्कूलों में कर दी जाये मैं यह कहूंगा कि अभी पहले यह कदम उठाया जाये कि free education अभी पांचवीं जमात तक तमाम स्कूलों में कर दी जाये। और यह तालीम 4 year की बजाय primary तक 5 year कर दी जाये। जहां हम ने इस education cess के अच्छे तरीका को अपनाया है वहां हमें इस को सब की भलाई की दृष्टि से देखना चाहिये।

इस के अलावा होशियारपुर का एक मसला और है जो कि चोज़ का है। यह मसला हमारे लिये जिन्दगी और मौत का है। आज मैं ने Budget देखा है कि इस बजट में 63,000 रुपये का provision, rural survey के लिये रखा है। यह ठीक है कि survey होना चाहिये मगर यह कहा नहीं जा सकता कि और कितना वक्त इस survey में लग जायेगा। इस तरह लोगों की समस्या हल नहीं हो सकती। मैं ने supplementary grants को देखा है इस में इस चीज़ के लिये 2 लाख रुपये की provision है मगर यहां नोट दे दिया गया है कि यह सवाल October, November में सदन के सामने पेश किया जायेगा इस का मतलब यह है कि असली मुद्दा जो इस को हल करने का है वह पूरा नहीं होता। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसी चीज़ है, हम चाहे किसी भी हलके के मैम्बर हों हमें इस किस्म के कामों की तरफ हमदर्दी show करनी चाहिये। आज बड़े बड़े काम हो रहे हैं, भाखड़ा का काम हो रहा है। यह चोज़ की एक मामूली सी बात है। यह तो सिर्फ 63,000 रुपये का काम है जो पड़ा नहीं रहना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में एक ही नहर है जिस को शाह नहर कहते हैं। इस के लिये 90,000 रुपये की बजट के अंदर provision की गई है जो बहुत ही थोड़ी है। इस से हमारी समस्या हल नहीं हो सकती। इस लिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के notice में यह बात लाना चाहता हूं कि कई दफा इस नहर के अंदर पानी नहीं पहुंचता

[श्री रला राम]
जिस के नतीजा के तौर पर पिछले साल 2 लाख मन चावलों का नुकसान हो गया है। इस लिये Government को बाकायदा तौर पर कोई regular इंतज़ाम करना चाहिये। एक बात और मैं उपाध्यक्ष महोदय, आप की खिदमत में अर्ज़ करनी चाहता हूं कि विश्वेश्वरानन्द वैदिक research institute है जिस के लिये सिर्फ 20,000 रुपया रखा गया है। यह institute ऐसा है जो कि न केवल भारत के लिये गौरव की चीज़ है बल्कि संसार में एक international प्रसिद्ध institute है जो वेदों के बारे में research करता है। अब क्योंकि time थोड़ा है मैं इस के बारे में details में नहीं जाना चाहता सिर्फ इतना ही कहूंगा कि scholarships और research के लिये और ज़्यादा रकम बढ़ा दी जानी चाहिये ताकि यह काम बड़ी scale पर जारी रहे।

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ (ਧੂਰੀ, ਰਿਜ਼ਰਵ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਜਟ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਤਵੱਜੁਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

6-00 p.m.

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੀਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮੁਹਲਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਲੁਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਛੁਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਧੂਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਰੇੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਇਤਨੀ ਤੰਗੀ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਕਣਗੇ? ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ!

ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਟੱਬਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ; ਔਰ ਜੇ ਪੰਜ ਜੀ ਟੱਬਰ ਦੇ ਆਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 2 ਮਣ ਆਟਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ 24 ਮਣ ਆਟਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 2.70 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਪੜੇ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ 14 ਗਜ਼ ਕਪੜਾ ਫੀ ਜੀ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਘਰ ਵਿਚ 5 ਜੀਆਂ ਲਈ 70 ਗਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਰਚ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਉਣ ਪੈਸੇ ; ਕੋਈ ਚਰੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ।

ਅੱਜ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੇ ਚਾਹ 10 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, ਸਾਲ ਵਿਚ 120 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ 4.80 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਫੇਰ ਇਕ ਗੱਲ ਕਿਕਰ ਦੇ ਰੰਗ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਗ਼ਰੀਬ ਜੋੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਚੰਮ ਰੰਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਮੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਵਿਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਜੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 60 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰੰਗ ਕਿਕਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ 7 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋੜੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਟੈਕਸ 2·40 ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਕਿਥੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਹੁਣ ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਤੇਲ, ਘੀ, ਸਾਬਣ, ਦਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 120 ਰੁਪਏ ਤੇ ਟੈਕਸ 4·80 ਰੁਪਏ ਲਗਾਂਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਬੋਝ ਨਾਲ ਦਬੇ ਪਏ ਹਨ।

ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਰਾਹੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ 2 ਕਰੋੜ 2 ਲਖ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਾਕੇ 2 ਕਰੋੜ 50 ਲਖ ਉਗਰੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੇਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸੇਮ ਹੈ, 75 ਮੀਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਗਿਲਾ ਹੈ : 1 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਲੀਆ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਾਵੀਆਂ ਦਿਤਿਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਤਕਾਵੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਢੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਕਾਵੀਆਂ ਦੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਡੂਢੀਆਂ ਸਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ Treasury Benches ਤੇ ਮਨਿਸਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Mr. Deputy Speaker : Deputy Minister is the Member of the Council of Ministers.

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ : ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਹੈ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ Government ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ 18 ਸੌ ਹਰੀਜਨ families ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਡੇ ਵਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ । (*At this stage there was a loud noise in the House.*) ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਤ੍ਰ ਹਨ । ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਵਿਚ ਮਾਘੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੈਤਾ ਰਾਮ ਢੋਸੀਆਂ, ਚਿਤ ਰਾਮ ਗਾਖੜੀ ਰੁੜਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਦਾਸ ਰਾਮ ਚੱਡਾ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ deserve ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਰੀ 12 ਲੱਖ ਖੇਤ—ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਕਮਾ ਕੇ ਝੋਲੀ ਭੁਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ । ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 30 ਏਕੜ ਦੀ ceiling ਲਗਾ ਕੇ Government ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤ—ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ।

श्री सुमेर सिंह (हसनपुर) : डिप्टीस्पीकर साहिब, यह जो बजट पेश किया गया है मैं इस की तारीफ इस लिये नहीं करना चाहता क्योंकि यह ग़रीबों के भले का बजट नहीं है बल्कि यह अमीरों का, राजाओं महाराजाओं का और अपने पिठ्ठू पैदा करने वाला बजट है। अगर ग़ौर से इस को देखा जाए तो इन की चालाकी का फौरन पता चल जाता है। इन्होंने जो Honorary Assistant Registrars की posts बनाई हैं वह अपने पिठ्ठू पैदा करने के लिये बनाई हैं और यह ग़रीबों की सहायता करने के लिये नहीं हैं। इस ढंग से वह अपने दोस्तों को फायदा पहुंचायेंगे। नाकारा आदमियों को इन posts पर लगाया जाएगा जो कि लोगों को तंग करेंगे और रिश्वतें लेंगे। वह ग़रीबों की किसी तरह

से भी सहायता नहीं कर सकेंगे। इस लिये इन असामियों का देश को बिल्कुल फायदा नहीं है। वह महज़ अपने आदमियों को फायदा पहुंचाने की खातिर Honorary Assistant Registrars की पोस्टें बना रहे हैं।

अब डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं आप की मारफत यह कहना चाहता हूं कि यह जो tax लगाया गया है यह बिल्कुल नाजायज़ है। आज budget को scrutiny करने के लिये अगर तीन आदमियों की Committee बना दी जाए तो दो करोड़ रुपया Education के budget में से निकल सकता है और फिर ग़रीबों पर tax लगाने की ज़रूरत नहीं रहती और Government का मसला हल हो सकता है। यह रुपया किस तरह बच सकता है यह मैं आप को बताता हूं। Education Department का जो Budget है वह bogus बनाया गया है। उस में 88 लाख, 22 लाख और 56 लाख रुपये की कलील रकमें उन्होंने lump sum के नाम से ली हैं। इन रकमों को वह बाद में token demand ला कर खर्च करेंगे। इस वक्त उन्होंने budget में कहीं पर यह explain नहीं किया कि इन रकमों को किस तरीके से और कहां पर खर्च करना है। इस लिये मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल bogus budget बनाया गया है और इतनी बड़ी रकमें जो lump sum के नाम पर ली गई हैं जिन को खर्च करने का explanation नहीं दिया गया बचाई जा सकती हैं। मैं कहता हूं कि budget जो है यह साफ होना चाहिए और उस में in detail बताया जाना चाहिए कि कौन सी रकम किस काम के लिये वा कैसे खर्च की जाएगी। डिप्टी स्पीकर साहिब, लोग tax देने की खिलाफ नहीं हैं मगर उस सूरत में जब वे जायज़ हों। अगर अमीरों को छोड़ कर ग़रीबों पर नाजायज़ tax लगाए जाएं तो लोग उन को हरगिज़ बरदाश्त करने के लिये तैयार नहीं हैं।

अब मैं अपने ज़िले के बारे में बताना चाहता हूं। हमारे गुड़गांव ज़िले की सीमा देहली, राजस्थान और यू० पी० के साथ लगती है। हमारी पंजाब सरकार ने वहां सरसों पर sales tax लगा दिया है। लेकिन यह tax देहली, राजस्थान और U. P. में नहीं है। इस लिये इस का असर यह होगा कि गुड़गांव का business तबाह हो जाएगा और वहां का सारा व्यापार U. P., Delhi और राजस्थान के हाथों में चला जाएगा। इस से व्योपारी लोग भी तबाह हो जायेंगे। गुड़गांव को छोड़ कर growers साथ वाले सूबों में चले जायेंगे और वहां पर बसेंगे। इस लिये मैं हकूमत से यह प्रार्थना करूंगा कि सरसों पर जो tax बढ़ाया जा रहा है उस से गुड़गांव में लोगों का बहुत नुक्सान होगा। इस को हटा देना चाहिए। अगर Government इस को हटाना नहीं चाहती तो मैं इतनी request करूंगा कि हमारे गुड़गांव के ज़िले को इस से exemption दे देनी चाहिए क्योंकि वह पहले ही बहुत पसमांदा है और वहां के लोगों को ऊपर उठाने की ज़रूरत है। इस के अलावा, डिप्टी स्पीकर साहिब, जो बिजली पर tax लगाया गया है उस के मुतअल्लिक मैं अर्ज़ करना चाहता हूं। बिजली का टैक्स हमारे Finance Minister साहिब ने बड़ी होशियारी के साथ लगाया है। उन्होंने कहा है कि हम first slab में domestic और commercial purpose के लिये जो

[श्री सुमेर सिंह]

बिजली खर्च की जाएगी उस पर 10 प्रतिशत tax लगा रहे हैं । Domestic use के लिये जो बिजली दी जाती है उस का rate पांच आने फी unit है। इस पर जब tax लगेगा तो वह $5\frac{1}{2}$ आने फी unit के हिसाब से पड़ेगी यानी दो पुराने पैसे फी unit tax लगेगा । आगे उन्होंने लिखा है कि जो second slab होगा उस पर 25 percent electric duty लगेगी । लेकिन second slab में एक unit की price 2 आने है । इस पर 25 percent duty लगा कर अढ़ाई आने होते हैं । अब देखने की बात यह है कि जिन पर 10 percent tax लगाते हैं उन को तो साढ़े पांच आने फी unit देने पड़ते हैं और जिन के लिये यह 25 प्रतिशत tax लगा रहे हैं उन्हें अढ़ाई आने unit के हिसाब से बिजली मिलती है दो पैसे पुराने 10 प्रतिशत के हिसाब से first slab के लिये बनते हैं और दो पुराने पैसे उन के बनते हैं जिन के लिये यह कहते हैं कि हम 25 percent tax लगा रहे हैं । इस लिये मैं उन से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने गरीबों को क्या रियायत दी है । यह तो उन्होंने लोगों की आंखों में धूल डालने वाली बात की है । इस लिये मैं अपनी सरकार को पुर ज़ोर अल्फाज़ में कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो first slab के लिये tax लगाया है वह नहीं होना चाहिए । इस की बजाय उन को second slab पर tax ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए क्योंकि उस में बिजली का rate सिर्फ दो आने है जब कि domestic use के लिये first slab में 5 आने फी unit charge किये जाते हैं।

इस के अलावा, जनाब डिप्टी स्पीकर साहिब, जो Government के tube-wells हैं उन के लिये बिजली का rate पहले 23 नए पैसे था । अब उस को घटा कर 12 नए पैसे कर दिया है । इस की वजह यह बताई गई है कि यह tube-well पहले high rate होने की वजह से कामयाब नहीं हो रहे थे इस लिये experimental basis पर Government ने उस के लिये बिजली के rate को 23 नए पैसे से घटा कर 12 नए पैसे कर दिया है। अब मैं यह बताता हूं कि जिन लोगों ने private tube-wells लगाए हैं उन को जो बिजली दी जाती है उस का rate फी unit 9.38 नए पैसे है और 1500 unit तक यह rate लगेगा । इस पर Government ने 25 प्रतिशत electricity duty लगाई है जो कि 2.35 नए पैसे बनते हैं । इस का मतलब यह है कि private tube-wells को जो बिजली दी जाएगी उस का rate 11.73 नए पैसे per unit है। अब अगर Government के tube-wells के बिजली के rate को private tube-wells के बिजली के rates के साथ compare कर के देखा जाए तो सिर्फ़ 27 पैसे private tube-wells वाले लोगों को देने पड़ते हैं । इस लिये यह Government ने private tube-wells वालों को क्या रियायत की है । यह तो मैं कहूंगा लोगों को धोका देने की कोशिश की गई है। मैं अर्ज़ करूंगा कि लोगों ने अपने पैसे खर्च कर के या loan लेकर अपने tube-wells लगाए हुए हैं उन को बिजली tax से exempti on देनी चाहिये ।

डिप्टी स्पीकर साहिब, Government की तरफ से हमें एक statement भेजी गई है जिस में यह दिखाया गया है कि जिन लोगों ने irrigation के लिये अपने personal tube-wells लगाए हैं उन से 1,500 unit तक 9.38 नए पैसे per unit charge किया जायगा और उस पर 2.35 नए पैसे duty लगा कर 11.73 नए पैसे फी unit वसूल किये जायेंगे । जो Government के tube-wells हैं उन से 12 नए पैसे per unit लिये जाएंगे। इस लिये मैं पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने private tube-wells पर investment की है उन को आप ने क्या concession दिया है ।

गवर्नमेंट ने अपने tube wells के लिये जो बिजली का rate रखा है वह 12 नए पैसे है और जो private tube wells हैं लोगों के उनका rate 11.73 नए पैसे के करीब बनता है । तो इस तरह से Government और private tube-wells में जो बिजली के rates का फर्क है वह 27 नए पैसे के करीब है। यह rates देख कर बड़ी हैरानी हुई है । कि जो rate गवर्नमैंट देगी उसी rate से ज़मींदारों से भी पैसे वसूल करेगी। एक ज़मींदार 10, 12 हज़ार रुपया लगा कर tube-wells लगाता है और मेहनत करता है उस को भी वही rate है और गवर्नमैंट को भी वही । तो मैं अर्ज़ करूंगा कि इस तरह ज़मींदारों को कोई relief नहीं मिलता है । जो लोग इतना रुपया invest करते हैं उन को कोई फायदा नहीं होता है । इस लिये ऐसा नहीं होना चाहिए और यह rate कम होना चाहिए ।

इस के अलावा मैं अर्ज़ करूंगा कि जहां तक services का सवाल है यह हरियाणा वालों को और हरिजनों को कुछ भी नहीं देना चाहते हैं। मैं आप को बताना चाहता हूं कि चार B.D.O's. हैं जिन को यह बाहर भेज रहे हैं। उन में से 2 B.D.O's. ऐसे हैं जिन को training के लिये U.S.A. भेज रहे हैं। इन में से कोई भी हरियाणा का नहीं है हालांकि इन से कई senior बैठे हुए हैं । इन से senior एक हरिजन है उस को भी ignore किया जा रहा है। इन में से एक ऐसा है जिसे Public Service Commission ने तीन दफा reject किया था । इन बातों के बावजूद कि यह काफ़ी junior भी हैं इन को ही पढ़ाई के लिये बाहर U.S.A. भेजा जा रहा है और दूसरों के हक को मारा जा रहा है। फिर कहते हैं कि हम इन्साफ़ करते हैं और हरियाणा वालों को बराबर हक दे रहे हैं। फिर 2 B.D.O's. को Assistant Directors की posts पर नेपाल भेजा जा रहा है। यह भी दोनों काफी junior आदमी हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि इन में न कोई हरियाणा वाला है और न कोई हरिजन है और चारों की चारों जगहें जालन्धर Division वालों को दी जा रही हैं । यह चारों के चारों supersede किये जा रहे हैं। क्या यह इन्साफ़ की बात है, ? इस से साफ़ ज़ाहर होता है कि यह हरियाणा वालों और हरिजनों को कोई भी आसामी खुशी से नहीं देना चाहते हैं मजबूरन तो देते होंगे ।

[श्री सुमेर सिंह]

अब मैं, डिप्टी स्पीकर साहिब, पंचायतों के बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं। मैं आपकी मारफत गवर्नमैंट के notice में यह बात लाना चाहता हूं कि 1952 में जब ग्राम पंचायत ऐक्ट पास हुआ था तो उस से पहले सरकार पंचायतों को 50 फीसदी के हिसाब से इमदाद देती थी। मतलब यह कि जितना रुपया एक ग्राम पंचायत टैक्स वगैरह से इकट्ठा करती थी उतना ही रुपया गवर्नमैंट उसे अपने पास से देती थी और इस तरह से पंचायतों का काम चलता था। लेकिन 1952 के बाद जब सरदार उज्जल सिंह, Finance Minister बने तो उन्होंने उसे घटा कर मालगुज़ारी का 10 फीसदी कर दिया। इस तरह करने से development के कामों में दिहात वालों को बहुत नुकसान पहुंचा है। यह बड़ी भारी बेइन्साफी है। जितना टैक्स वह वसूल करती हैं गवर्नमैंट को चाहिए कि उतना ही वह अपने पास से दे जैसा कि पहले हुआ करता था ताकि पंचायतों का काम ठीक तरीके से हो सके और ग्राम सुधार हो।

Transport के मुतअल्लिक मेरी अर्ज़ यह है कि ज़िला गुड़गांव में transport जो है वह डाकुओं के हाथ में है जो हमारा खून चूस रहे हैं। मैं अर्ज़ करता हूं कि पलवल से देहली तक कुल 36 मील का फासला है। वहां पर जो Private Capital Bus Company है वह सात पाई maximum rate जो है उस हिसाब से किराया वसूल करती है। Capital Bus Company का उस 36 मील के फासले का फी टिकट किराया Rs 1-7-6 है। मगर U.P. Roadways वाले उसी का Rs 1-2-6 किराया फी टिकट वसूल करते हैं। गोया पांच आने फी सवारी से ज़्यादा वसूल किया जाता है। आप देखें कि इतना मुनाफा वह कमा रहे हैं। वह जो private operators हैं उन्होंने इस तरह अंधेर मचा रखा है। वह अफसरान की खूब खातिर करते हैं और उन्होंने ऐसा किराया मुकर्रर कर रखा है कि जिस से private transporters को भारी मुनाफा हो। इतना मुनाफा होता है तभी तो यह लोग transport को nationalise नहीं होने देते....

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाएं। (The Hon. Member should resume his seat now.)

चौधरी छज्जू राम (गोहाना, रिज़र्व) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहिब, सब से पहले मैं आप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं जनाब इस बजट के बारे में जो यहां पर पेश किया गया है दो तीन बातें आप की विसातत से अर्ज़ करना चाहता हूं। गवर्नमैण्ट ने कई टैक्स ग़रीबों पर लगाए हैं लेकिन जहां तक ग़रीब लोगों के आटे और दाल पर tax लगाने का ताल्लुक है मेरा ख्याल है कि इस गवर्नमैंट ने यह बहुत अच्छा कदम उठाया है और मैं इसे वधाई देता हूं। आटा दाल जो है वह ज़्यादा तर ग़रीब लोग ही खाते हैं अमीर लोग तो सब्ज़ियां, फल फरूट और दूसरी अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं। लेकिन दाल जो है वह गरीबों और मज़दूरों को ही खाने के लिये मिलती है। इस लिये इस हकूमत ने उन ग़रीबों की दाल रोटी पर tax लगा कर बहुत ही अच्छा काम किया है। इस से साबत होता है कि यह अमीरों की हकूमत अब ग़रीबों को दाल रोटी भी नहीं खाने देना चाहती है। बड़े बड़े लोगों और अमीर लोगों के लिये

और दूसरी चीजें भी खाने के लिये हैं। वह route permits लेते हैं और खाते हैं और फिर लोहे और सीमिंट के कोटे ले कर खाते हैं । आज कल की गवर्नमेंट की यह पसन्दीदा खुराक है मगर मजदूर और ग़रीब लोग जो मेहनत की कमाई खाते हैं उन की दाल रोटी पर भी टैक्स लगाया गया है।

दूसरी बात यह है कि यह हकूमत एक तरफ़ तो लोगों को कहती है कि ज्यादा से ज्यादा दस्तकारियां चलाओ और अपने हाथ से दस्तकारी का काम करने की कोशिश करो लेकिन दूसरी तरफ़ गरीब हरिजन जो अपने हाथ से काम करते हैं और कच्चा चमड़ा रंगने का काम करते हैं उन पर भी यह Government tax लगा रही है। चमड़ा रंगने का काम इतना मलीन और गंदा होता है कि आज के जमाना को देखते हुए कोई भी आदमी इस काम को करना पसंद नहीं करता है। फिर चमड़ा रंगने का जो मसाला होता है वह पहले ही काफी महंगा मिलता है। लेकिन यह गवर्नमैण्ट उन ग़रीब हरिजनों के ऊपर भी यह tax लगा रही है जिन को यह कहती है कि इन को ऊपर उठाना है और Socialistic Pattern of Society लाना है। मैं समझता हूं कि उन हरिजनों के साथ जो बिचारे गरीब हैं और कच्चा चमड़ा रंगते हैं यह tax लगा कर बड़ी तबाही का काम किया है और यह बड़े एहसान की बात की है। फिर यह दावा करते हैं कि हम हरिजनों को industrial loan देते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि अगर किसी को एक हज़ार की जरूरत पड़ती है तो उसे बड़ी दौड़ धूप के बाद मुश्किल से तीन चार सौ रुपये मिलते हैं। जब वह loan लेने जाता है तो उस को जवाब मिलता है कि अगर जल्दी loan लेना है तो पच्चास रुपये पहले मुझे दे दो। अगर मिनिस्टर साहिब चाहते हैं तो मैं इन को मिसालें भी बता सकता हूं। एक मिसाल मैं रोहतक की ही बता सकता हूं कि Anti-Corruption वालों ने एक आदमी को पच्चास रुपए इस तरह लेने पर गिरफ्तार किया था। आज हरिजनों की हालत बहुत बुरी होती जा रही है। जो भाई कांग्रेस की तरफ़ बैठ कर कहते हैं कि हरिजनों की हालत अच्छी हो गई है वह चाहते हैं कि हमें भी हकूमत में हिस्सा मिले।

(Chaudhri Chhajju Ram was still on his legs when the House adjourned.)

Mr. Deputy Speaker : The house stands adjourned till the 14th March, 1958.

(The Sabha then adjourned till 2.00 p.m. on Friday, the 14th March, 1958.)

795 P.V.S.—344—5-6-59—C.,P., & S., Pb., Chandigarh

Punjab Vidhan Sabha Debates

14th March, 1958

Vol. I—No. 19

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Friday, 14*th March*, 1958

CHANDIGARH :
Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab.
1959

Price Rs. 3.55nP.

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATE, VOL. I, NO. 19,
DATED THE 14TH MARCH, 1958

Read	*for*	*on page*	*line*
objections	objctions	(19)3	6th from below
obstructing	in obs'ructing	(19)3	3rd from below
Rules	Rule	(19)10	21
कायदे	काय	(19)11	13
वे	व	(19)11	19
examine	examing	(19)12	7
राये	रा`	(19)12	21
मारे	मा`	(19)12	24 and 30
procedural	procedure	(19)13	5
लाने	ला`	(19)13	9
'से' after the word 'manner'		(19)13	10
देने	``	(19)13	11
कान्सटीटयूशनल	कान्स्टीटयूशन	(19)13	8th/9th from below
imputing	mputing	(19)14	29
thoroughly	taroughly	(19)14	30
for	of	(19)14	31
unconstitutional act	Constitutional Act	(19)15	15
ਕੋਈ ਥੋੜੀ	ਕੇਏ ੜੀ	(19)18	last line
ਜ਼ਿਆਦਤੀ	ਸਿਆਦਤੀ	(19)20	last line
safeguards	safe gaurds	(19)21	4th from below
specific	spec c	(19)23	6th from below
constitute	cloubt	(19)29	3
ਜ਼ਮੀਨ	ਮੀਨ	(19)38	2nd from below
ਲੋਕ	ਲਕ	(19)43	19
cess	assess	(19)46	1

Read	*for*	*on page*	*line*
गुस्से	गस्से	(19)48	11th from below
वाज़ह	परवाजह	(19)54	13
सामने	साम	(19)54	15
देख	`ख	(19)54	30
देश	श	(19)55	8
दे दे	`	(19)56	27
लगाने	लगा`	(19)60	11
की शकल	कीश कल	(19)68	24
मियारे	मिया	(19)71	29
देनी	`नी	(19)72	6
आने	आ`	(19)72	27
एज़ादी	एज़ा ी	(19)72	last line
मालगुज़ार	मालज़ार	(19)73	20
गुना	ुना	(19)73	8th from below
मुज़ारे	मुज़ा`	(19)73	7th from below
देश	`श	(19)73	last line
खरीदने	खरीद`	(19)74	2
of	o	(19)76	14
others	otherf	(19)76	15
as	a	(19)76	38

PUNJAB VIDHAN SABHA

Friday, 14th March, 1958

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh Capital, at 9.00. a.m. of the clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

QUESTION HOUR (DISPENSED WITH)

अध्यक्ष महोदय : Question Hour dispense with किया जाता है (The question hour is dispensed with)

SUBSTANTIVE MOTION BY S. BHUPINDER SINGH MANN

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, I beg to ask for leave to move the following motion :—

That a committee of the following Members of this House—

अध्यक्ष महोदय : आप की पहिले भी एक Privilege Motion* है। (There is already a Privilege Motion given notice of by the hon. Member.)

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, I beg to move for leave to withdraw the earlier motion which was reserved for your ruling and on which the ruling is being awaited. I also beg to ask for leave to move a substantive motion so that the House may be able to decide this matter of vital importance. The matter is of an unprecedented nature but we cannot allow it to pass unnoticed. Therefore, Sir, I wish to withdraw my earlier motion and beg to ask for leave to move instead a substantive motion.

अध्यक्ष महोदय : आप की earlier motion को हाउस के सामने पुट कर दूं ? (Should the earlier motion of the hon. Member be put before the House ?)

पंडित श्री राम शर्मा : वह क्या थी ?

अध्यक्ष महोदय : यही कि गवर्नर के Address के वक्त मैम्बरों का जो conduct था उस को consider किया जाए। (This is that the conduct of certain Members at the time of Governor's Address be considered.)

पंडित श्री राम शर्मा : वह मामला तो ज़ेरे गौर है।

**Note*:—The notice of this Privilege Motion was given by S. Bhupinder Singh Mann on 11-2-58. For reference please see the debate date 11-2-58.

अध्यक्ष महोदय : वह उस को वापिस ले रहे हैं before I have given any ruling. (The hon. member is withdrawing it before I have given any ruling.)

पंडित श्री राम शर्मा : जो मामला स्पीकर की cognizance में आ गया है और यह कहा गया हो कि वह consider कर रहे हैं तो क्या वह मामला withdraw किया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : हां, वह किसी वक्त भी हो सकता है। मैं ने उन को यह कहा था कि वह इस के बारे में मुझ से discuss कर लें । (Yes, any time that can be withdrawn. I had told him that he might discuss it with me.)

पंडित श्री राम शर्मा : आपने फर्माया था कि Ruling देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने रूलिंग नहीं दी, उस से पहिले वह withdraw कर रहे हैं (I have not yet given any ruling. He is withdrawing the motion before that.)

श्री बलराम दास टंडन : उस दिन आपने फरमाया था कि मैं गौर कर रहा हूं और जो कुछ राय बनेगी वह हाऊस के सामने रखूंगा। लेकिन क्या वह उस से पहिले withdraw कर सकते है ? आपने क्या इजाज़त दी ?

अध्यक्ष महोदय : मैं ने रूलिंग नहीं दी, (He says that he would like to substitute his privilege motion by another motion.) (I have not given any ruling as yet. He says that he would like to substitute his privilege motion by another motion.)

श्री बलराम दास टंडन : स्पीकर साहिब, दरखास्त यह है कि जिस के बारे आप ने यह observe किया था कि मैं विचार करके हाउस को बताऊंगा.......

अध्यक्ष महोदय : मैं ने जब उन को यह कहा कि क्या आप substitute करना चाहते हैं तो he said that he wanted to substitute that privilege motion which I allowed. (When I enquired from him whether he wanted to substitute this motion, he replied in the affirmative and I allowed it.)

पंडित श्री राम शर्मा : वह आप के नोटिस में लाए और आप ने कहा कि गौर करेंगे। तो क्या उस से पहिले ही withdraw कर सकते हैं ?

Mr. speaker : Any Member has got the right to withdraws his previous motion and move another instead.

पंडित श्री राम शर्मा : आप पर भी तो कोई binding नहीं है कि आप रूलिंग न दें।

Mr. Speaker : He is substituting his motion.

श्री जगत नारायण चोपड़ा : पहिले तो रूलिंग आना चाहिये कि आया वह वापिस ले सकते हैं या नहीं।

मुख्य मंत्री : वह तो हाउस ने इजाज़त देनी है।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ : ਕੀ ਇਹ ਹਰ ਇਕ ਮੇਂਬਰ ਦਾ ਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਰੂਲਿੰਗ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ motion ਵਾਪਸ ਹੋਵੇ।

अध्यक्ष महोदय : जब यह वापस ले रहे हैं तो रुलिंग देने की ज़रुरत पैदा नहीं होती है। (When he is withdrawing it the necessity of giving any ruling does not arise.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ : ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਉ :

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह मैं ने नहीं कहा बल्कि उन्हों ने खुद अपनी privilege motion वापस लेने की इजाज़त मांगी है। (No, I did not say that, rather he has himself requested that he be permitted to withdraw his privilege motion.)

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : Sir, it is a privilege of the House to grant such permissions.

Mr. Speaker : I put it to the House. Is it the pleasure of the House that the Hon. Member be allowed to withdraw his previous motion ?

(*Voices*: *Yes, yes*).

श्री बलराम दास टंडन : (सामने बैठे मैम्बर साहिबान से) आपने तो सिर्फ yes ही कहा। this may not be pleasure of the House.

अध्यक्ष महोदय : Pleasure of the House का मतलब तो यही होता है। (The pleasure of the House means this).

Mr. Speaker : It is a vital matter. Since an hon. Member has raised an objection, I put it again to the House. Is the hon. Member allowed to withdraw his Privilege Motion ?

After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. Speaker said "I think Ayes have it". This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speaker after calling upon those Members who challenged the decision and supported the claim for a division, to rise in their places declared that the division was unnecessarily claimed.

The leave was granted to withdraw the Privilege Motion.

Sardar Bhupinder Singh Mann (Samana 'G') : Sir, I have heard certain objections that the hon. Members particularly from the Opposition side really want that a ruling should be given on a situation which arose on 10th February, 1958, when the Governor came to deliver his address to both the Houses assembled together. Sir, I am not, in any way, in obstructing the ruling but instead am giving an opportunity to the hon. Members and to the House as a whole to know once and for all the correct procedure and

[Sardar Bhupinder Singh Mann]
the correct constitutional position. It is with this object in view that I am asking for leave to move this substantive motion. I am, Sir, projecting the issue in a proper way in order to allay the fears of the Members of the Opposition. Sir, I beg leave to move this substantive motion to deal with the situation. I will read the whole motion.

Sir, I beg to ask for leave to move the following motion :—

That a Committee of the following members of this House be appointed to examine the conduct of certain members who on 10th February, 1958, when the members of both the Houses were assembled together just before the Governor rose to address them in pursuance of the Constitutional obligation devolving on him under Article 176(1), created a rowdy scene and made an effort to prevent him from speaking, and thereby committed an unconstitutional act, and report what action, if any, should be taken against them, by the 31st March, 1958 :—

(1) S. Gurdial Singh Dhillon, Speaker.,

(2) S. Ajmer Singh, M.L.A.,

(3) Shri Harbhagwan Maudgil, M.L.A.,

(4) Rao Gajraj Singh, M.L.A.,

(5) Pt. Shri Ram Sharma, M.L.A.,

(6) Shri Nihal Singh, M.L.A., and

(7) S. Bhupinder Singh Mann.

Mr. Speaker: Sir, we are a developing democracy. Before this such a procedure was not contemplated in this House, previous Houses or elsewhere. This practice that the Governor should come and deliver a policy statement at the commencement of the First Session of each year is enjoined upon him by the Constitution. Before it, there was no such practice. Therefore, if we simply restrict ourselves to searching for constitutional precedents on this subject, we may not find any. However, our Constitution enjoins upon us to follow the constitutional precedents and practices of the House of Commons. In regard to the House of Commons I have not read a single instance where the King or the Queen in the British Parliament was given an affront or thwarted or rowdy scenes were created at the time of the Address.

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ।

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, in the case of the British Parliament when the King or the Queen comes, to deliver the Address in the House to Lords, the Commoners come and listen to it. Such an unconstitutional and undesirable attitude, as was adopted here on that day is not recorded anywhere in the annals of the House of Commons. But here Sir, such a situation was created on 10th February, 1958, when the Governor in pursuance of Article 176(1) of the Constitution came to address both the Houses assembled together that I have felt the necessity of bringing forward this motion.

Sir, walk-out is quite different from obstruction and rowdy scenes. There have been instances of walk-outs but not of obstruction and rowdy scenes.

Mr. Speaker, Sir, we have to decide whether the Governor is a part of the Legislature and whether he is competent enough to come and deliver his address here unhampered. There are Articles in our Constitution which will make the position clear. Article 168(1) of the Constitution reads as under :—

> "For every State there shall be a Legislature which shall consist of the Governor and two Houses."

Therefore, the Governor when he came to address the Legislature, formed part of the Legislature.

Secondly, Sir, the Governor, under the Constitution has the right to summon both the Houses assembled together under Article 176(1) of the Constitution which says :—

> "At the commencement of the first session after each general election to the Legislative Assembly and at the commencement of the first session of each year the Governor shall address the Legislative Assembly or in the case of the State having a Legislative Council, both Houses assembled together and inform the Legislature of the causes of its summons."

Therefore, the Governor comes to discharge the constitutional obligation to deliver an address which is enjoined upon him.

Then, Sir, there is a provision in the Constitution that a House of the Legislature of a State may make rules to regulate its procedure and the conduct of its business.

Accordingly, Sir, in the case of our own Assembly, rules have been framed so that the debate is regulated, decorum of the House is maintained and the Constitutional proprieties are followed properly. Sir, the Assembly rules have been made in pursuance of that constitutional direction. Rule 17 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly reads as under :—

> "No member shall raise any point of order, debate or discussion immediately preceding, during or immediately following the Governor's special Address under Article 176(1) of the Constitution".

Sir, there seems to be no ambiguity at all. There seems to be no doubt at all. It is only an obstinacy on the part of a Member if he says that the Governor would not be allowed to proceed to perform his constitutional functions. This situation arose when both the Houses were assembled together and I am afraid that if it is allowed to go unnoticed or allowed to pass without taking due notice, it might be repeated causing embarrassment to the constitutional Head of the State. Therefore, Sir, I plead that this motion may be taken up to decide this vital and important matter once and for all so that no ambiguity or doubt may arise in future. With these words, Sir, I commend this motion to the House for acceptance.

Mr. Speaker : Motion moved by Sardar Bhupinder Singh Mann is that leave be granted to move the following motion :—

That a committee of the following members of this House be appointed to examine the conduct of certain members who on 10th February, 1958, when the members of both the Houses were assembled together just before the Governor rose to address them in pursuance of the constitutional obligation devolving on him under Article 176(1), created a rowdy scene and made an effort to 'prevent him from speaking, and thereby committed an unconstitutional act, and report what action, if any, should be taken against them, by the 31st March, 1958:—

(1) S. Gurdial Singh Dhillon, Speaker.,

(2) S. Ajmer Singh, M.L.A.,

(3) Shri Harbhagwan Maudgil, M.L.A.,

(4) Rao Gajraj Singh, M.L.A.,

(5) Pt. Shri Ram Sharma, M.L.A., ..

(6) Shri Nihal Singh, M.L.A., and

(7) S. Bhupinder Singh Mann, M.L.A.

Hon. Members, as you are aware, on the previous motion of the subject which Sardar Bhupinder Singh Mann sought to move, it was the Speaker who was to give his ruling on it. But I was rather hesitant to do so because the matter referred to therein was of great constitutional importance. So I requested the mover that he should leave it to the House to express its opinion as after all this was a vital and important constitutional issue, and I wanted to be sure about the exact constitutional practices and conventions in the House of Commons, in other State Legislatures and in the Lok Sabha.

I discussed this matter with the Speaker and the Secretary to the Lok Sabha on the telephone and they invited me to Delhi to discuss in greater detail such trends in the democratic institutions of the country which are, as a matter of fact, passing through transitional stages and are in the process of development. Accordingly, I went to Delhi and discussed this matter with them in detail.

The Governor symbolizes the Constitutional authority of the State and he comes here in this House as a part of this House to perform those duties.

He has to discharge his duties under the Constitution and an affront to the Governor is an affront to the Constitution because when a Member swears he swears that he will abide by the Constitution.

Another matter has been raised by the Hon. Mover of the motion that walk-outs by Members may be permissible. I beg to differ in this respect. The question of walk-outs was discussed at the Presiding Officers Conference in detail. It was decided that walk-outs were not proper and were, as a matter of fact, unconstitutional. The Governor is the Constitutional Head of the State and does not belong to any party. He comes here to perform his Constitutional duty. If the hon. Members have any grievances to ventilate, they can do so when the Governor is performing his executive duties outside the Legislature. When he comes in the Legislature, he comes as a part of the Legislature to perform his constitutional duty.

After the Committee has finalized its report, I will try to present it to the House at its earliest sitting for discussion and the hon. Members will have an ample opportunity to express their opinions on the report. In view of this, I have no objection to the question being looked into by a Special Committee of the House.

Shri Prabodh Chandra : On a point of order, Sir. The House is already seized of this matter and the substantive motion moved by Sardar Bhupinder Singh Mann is out of order.

Mr. Speaker : The privilege motion has already been withdrawn by leave of the House.

पंडित श्री राम शर्मा (सोनीपत) : स्पीकर साहिब, काफी ग़ौर करने के बाद और कुछ इज्ज़त के साथ मैं इस motion को oppose करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो कुछ mover साहिब ने फरमाया और स्पीकर साहिब ने भी जो observations कीं उन के सामने रखते हुए मेरी अपनी राए यही है कि इस तरह से इस motion को यहां हाउस में लाना एक तरह से Chair की disrespect है क्योंकि यह मामला पहले ही privilege motion की शक्ल में उठाया गया और स्पीकर से कहा कि इस पर ruling दे और स्पीकर साहिब ने भी फरमाया और assurance दी कि इस पर गौर करके ruling दिया जाएगा। तो अब उस motion के दरमियान में ही जो कि पहले हाउस में पेश हो चुकी है और स्पीकर साहिब की भी assurance है कि ग़ौर करके ruling का एलान करेंगे। यह साहिब कहते हैं कि अब स्पीकर के गौर और उन के ruling की जरूरत नहीं रही है क्योंकि अब उन्होंने दुबारा इस बात पर गौर कर लिया और अब आप अपना गौर बीच में ही बन्द कर लीजिए। अब mover साहिब यह दूसरी motion ले आए हैं जब कि इस पर पहले ही गौर हो रहा था। तो मैं समझता हूं और इन तमाम चीजों पर गौर करने के बाद मेरी अपनी राए तो यही है कि इस तरीके से act करना और इस तरह की यह कार्यवाही एक तरह मे Chair की disrespect है। बेशक Chair की अपनी राए यह हो कि कोई disrespect नहीं हो रही है लेकिन मैं यह feel करता हूं कि है और मुझे यह महसूस करने में कोई रुकावट महसूस नहीं होती है।

दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं और जो बहुत जरूरी है वह यह है कि पहली दफा हाउस में यह चीज़ आई है और शायद हिन्दुस्तान में भी यह पहली ही हो। इस तरह यह एक मोशन है जिस के अन्दर मेम्बरान के नाम तो नहीं लेकिन उस में लिखा है 'certain members' जिन के मुताल्लिक पता नहीं वे कितने हैं, कौन हैं, यह वह कमेटी देखेगी। इस में लिखा है "prevent him from speaking" मैं कहता हूं कि यह सरासर ग़लत बात है। किसी मेम्बर ने गवर्नर साहब को बोलने से obstruct नहीं किया और न ही किसी की ऐसी intention थी कि गवर्नर साहब को बोलने से prevent किया जाय। मैं समझता हूं कि बाहर की बातों से फैसला कर लिया गया है और मूवर ने कह दिया है "to prevent him from speaking" मैं कहता हूं कि वे अभी बोलने के लिये खड़े नहीं हुए थे और उन को बोलने से रोकने की बात सरासर

[पंडित श्री राम शर्मा]
ग़लत है वरना उन के दिल से और इरादे से यह बात बाजेह नहीं होती, साबत नहीं होती, महज़ बाहर की बातों से यह अखज कर लिया गया है कि वह कोई रुकावट डालना चाहते थे। दूसरे certain members की ग्रिफ्त में तो एक सिरे से ले कर दूसरे सिरे तक सब मेम्बर आ सकते हैं। अब इस को यह शक्ल देना कि "prevent him from speaking" यह बात किसी तरह से मुनासब नहीं। वाक आउट से यह अखज़ कर लेना कि obstruct करना चाहते थे ठीक नहीं। जहां तक पार्लीमेंट्री बातों का ताल्लुक है मेरा एक अर्सा से इन के साथ सम्बन्ध रहा है और मेरा जो तजर्बा इस में रहा है उस की बिना पर मैं यह कह सकता हूं कि पहले पहल कांग्रेसी मेम्बरों ने यह तरीका अख्तियार किया कि वे शुरू से, जिस रोज़ वायसराय एड्रेस करें, जाते ही नहीं थे। उस के बाद वे जाने तो लगे। लेकिन गए, जा कर बैठ गए और उस वक्त लार्ड वैलिंगडन गवर्नर जनरल थे, जब देखा कि गवर्नर जनरल साहब तशरीफ़ ले आए हैं, अपोज़ीशन के मेम्बर उठे और उठ कर चले गए। उस के बाद यह होने लगा कि जो बाहर जाने वाले होते थे, आम तौर पर कांग्रेसी ही होते थे, उन का लीडर खड़े हो कर कह देता था कि हम इस वजह से वाक आउट करते हैं और चले जाते थे। पंजाब के बाहर तो मुझे वाक आउट्स देखने का इत्तफाक नहीं हुआ लेकिन यहां पंजाब में मैं ने इस को gradually बढ़ते हुए देखा है, उस वक्त भी जब मैं अपोज़ीशन में था और उस के बाद भी जब कांग्रेस पार्टी इन पावर रही स्पीकर साहब या चेयरमैन साहब उठ कर कह देते थे कि यह रूल है, कायदा है कि आप नहीं बोल सकते। मैं ने यह भी देखा है—पंजाब में और दूसरी असेम्बलियों में—कि मेम्बरान गवर्नर साहब के आने पर उठ कर बोलते भी रहे और बोलते हुए बीच में से क्रास करके जाते रहे और ऐसे जाने वालों में से काफी से ज्यादा ऐसे मेम्बर हैं जो Treasury Benches पर बैठते हैं और ministerial benches पर बैठते हैं और बड़े तमतराक से demonstration करके जाते थे। पंजाब में यह चीज़ gradually होती रही और अब भी हो रही है। मैं नहीं कहता कि यह ठीक है। ज़ाती तौर पर अपोज़ीशन में होने के बावजूद भी मैं ने वाक आउट नहीं किया। लेकिन मैं समझता हूं कि इन तमाम चीज़ों को भूला नहीं जा सकता कि यह बड़ा extraordinary और drastic action है। अगर आप ने अमरीका की Constitution को आगे रखना है तो आप को कौन रोकता है। आप भी बड़े शौक से कानून बना कर और मेम्बरों के खिलाफ drastic action लीजिए। जो चाहे करिये आप को कौन रोकता है? अगर आप ने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को आगे रखना है तो उस के मुताबक हरेक बात conventions के मुताबक होती है। उस सूरत में आप इस तरह की चीज़ छोड़ दें। फिर आप देखें कि पार्टी-इन-पावर के लोगों के अन्दर ज़िम्मेदारी का इहसास होना चाहिए और इस बात का ख्याल होना चाहिए कि दूसरे मेम्बर provoke न हों और अपोज़ीशन को भी ज़िम्मेदारी के साथ और responsibility के साथ काम करना चाहिए। स्पीकर साहब हाउस का अदब भी एक है और dignity भी एक है। स्पीकर साहब, indirect तरीके से काम नहीं करना चाहिए। मुझे पता है कि बाज़ लोगों की move है कि इस तरीका से अपोज़ीशन के मेम्बर्ज़ को मेम्बरी

से खाली कराया जा सकता है। मैं definitely तो नहीं कह सकता लेकिन मुझे पता चला है कि ऐसा कहा जा रहा है कि अपोज़ीशन के दो मेम्बरों को कतई तौर पर मेम्बरी से निकाल दिया जायगा। मैं ने आज तक कोई ऐसा कायदा या कानून नहीं देखा कि इस तरह से मेम्बरों को बरखास्त कर दिया जाये। ऐसी बात दुनिया के किसी भी democratic मुल्क में नहीं होती। आज अगर एक आदमी को निकाला जा सकता है तो 36 को भी निकाला जा सकता है। आज इधर के आदमियों को निकाला जायगा तो ऐसी सूरत भी पैदा हो सकती है कि उधर के मेम्बरों को जो आज मेजारिटी में हैं बरखास्त किया जाय। लेकिन यह democracy का तरीका नहीं।

अब मैं 'prevent him' वाली बात पर आता हूं। स्पीकर साहब, आप तो उस वक्त मौजूद थे और आप को मालूम है कि एक भी मेम्बर ने उन को prevent करने की कोशिश नहीं की। स्पीकर साहब, बाज़ औकात ऐसा भी हो जाता है कि अनजाने में मेम्बर साहिबान रूल्ज़ को observe नहीं कर सकते और अक्सर ऐसा हो जाता है कि मेम्बर साहिबान floor cross कर जाते हैं। कई बार मिनिस्टर भी ऐसा कर जाते हैं तो नए मेम्बरों के लिये माफी का रिवाज होना चाहिए। इस तरह की चीजें conventions से या रिवाज से अपने आप ठीक हो जाती हैं, डंडे के साथ ठीक करने की ज़रूरत नहीं। यह कहना कि एक कमेटी बिठाएंगे जो इस पर गौर करेगी ठीक नहीं। जिस कमेटी में पांच आदमी एक तरफ के हों और दो दूसरी तरफ के तो उस में क्या फैसला हो सकता है उस का पता आप को पहले ही लग जायगा।

एक माननीय सदस्य: आपोज़ीशन का एक और add कर सकते हैं।

पंडित श्री राम शर्मा : यह बात तो बाद की है। एक add करने का सवाल नहीं, अगर करने ही हैं तो चार कर दीजिए। अगर नहीं कर सकते तो एक और तीन की पोज़ीशन वैसी ही है।

अध्यक्ष महोदय : (पंडित श्री राम शर्मा को मुखातिब करके) मुझे तो आप अपने साथ शामिल करते हैं न? (Addressing Pandit Shri Ram Sharma). (I think the hon. Member considers me to be on his side.)

पंडित श्री राम शर्मा: हां जी, हम आप को तो कतई तौर पर अपने साथ समझते हैं।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ : On a point of order, Sir. ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਦੋ Houses ਦੀ ਇਕਠੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਤਾਈਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

अध्यक्ष महोदय : यह कमेटी तो इस हाउस की होगी। (This Committee will be of this House.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ: ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤਕ both houses ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ।

(voices : आप की रूलिंग क्या है ?)

Sardar Gurbachan Singh : What is your ruling, Sir ?

अध्यक्ष महोदय : यह मोशन इस हाउस का है। (This motion has been taken up in this House.)

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : Sir, the motion is out of order.

Shri Balram Dass Tondon : Sir, a specific point of order has been raised and the House requests for the ruling of the Speaker on it.

Mr. Speaker : My ruling is that this is a specific motion. The whole position will be reviewed and discussed in this Committee and decision taken.

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : Sir, I object that the motion is out of order.

पंडित श्री राम शर्मा: स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारी Constitution अंग्रेज़ी democratic तरीकों पर based है।

श्री बलराम दास टंडन : On a point of order, Sir. बात यह है कि यह जो privilege motion का मामला हमारे सामने आया है यह हमारे Rules of Procedure के Rule 17 को खिलाफवर्ज़ी है।

Mr. Speaker : When something against that Rule has been done......

श्री बलराम दास टंडन : जहां तक Rule 17 का ताल्लुक है जब आप time ेंगे, हम discuss करेंगे। यह एक सीधी सी बात है।

अध्यक्ष महोदय : आप interrupt न करें। (*Please don't interrupt.*)

Shri Balram Das Tandon: Sir, my point of order has not been heard.

अध्यक्ष महोदय : मैं ने ruling दे दी है। (I have given my ruling.)

Shri Prabodh Chandra : On a point of order, Sir. Rule 17 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Assembly relates to the sitting of this House and not to both the Houses assembled together. There is no such thing in this Rule as joint sitting of both the Houses.

Mr. Speaker : Have you seen the Rule ?

Shri Prabodh Chandra : Sir, Rule 17 relates to the sitting of the Lower House and not to that of both Houses assembled together.

Mr. Speaker : The hon. Member has not read the Rule.

श्री जगत नारायण चोपड़ा : On a point of order, Sir. क्या आप Upper House के मुतअल्लिक ruling दे सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस House के मैम्बरों के मुतअल्लिक दे सकता हूं Upper House के मैम्बरों के बारे में नहीं दे सकता। (I can give my ruling in regard to the members of this House and not about the members of the Upper House.)

पंडित श्री राम शर्मा : आपका ruling मानते हुए मैं यह गुज़ारिश करना चाहता हूं कि आपको भी इस बात पर दुबारा ग़ौर करना होगा कि वह हाउस जिस में यह कार-

वाई हुई कि certain members made an effort to prevent him from speaking उन certain members में से कुछ Upper House के भी मैम्बर हो सकते हैं। लेकिन हमारे rules जो हैं वह ऐसे मौके के लिए हैं जब कि हमारे हाउस की Sitting हो और यह rules मेरे ख्याल में ऐसे मौके पर applicable नहीं हो सकते जब कि दोनों हाउस की joint sitting हो। इस लिये मैं यह चाहता हूं कि आप इस बात पर भी जरूर गौर करें कि जब both the Houses का सवाल हो तो यह जानने की जरूरत है कि कौन criticise कर रहा था जब कि उस बैठक में दो इसहाब यानी चेयरमैन और स्पीकर jointly preside कर रहे थे। यह तो साफ बात है कि जिस हाउस में गवर्नर साहिब तकरीर कर रहे थे वह इस हाउस से या कौन्सिल के हाउस से कतई मुख्तलिफ है जहां स्पीकर और चेयरमैन ruling authority होती है। जिस हाउस का ज़िक्र आया है वहां तो चेयरमैन और स्पीकर दोनों मौजूद थे। जहां तक उन की authority का ताल्लुक है अगर उस वक्त कोई चेयरमैन के मन में बात आ गई तो खड़े हो कर किसी कायदे का हवाला दे दिया या स्पीकर साहिब ने दे दिया। उस वक्त कभी असैम्बली का मैम्बर बोल रहा होगा या कौन्सिल का मैम्बर बोल रहा होगा। यह बात वाकई ऐसी है जिस में जल्द ruling की जरूरत नहीं। लेकिन यह कि आया वहां की कार्रवाई हू बहू इस rule के तहत में आ सकती है या नहीं यह गौर तलब मामला है।

इस के अलावा, स्पीकर साहिब, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे लायक दोस्त ने इंग्लिस्तान की मिसाल दी है वहां की पार्लियामैंट में जो conventions बनती हैं व बेहतरीन और आला दर्जे की होती हैं। मेरे दोस्त को पता होगा कि जब यह चीजें वहां शुरु हुईं तो यहां तक नौबत आई कि दो स्पीकरों को मार डाला गया। ऐसी ऐसी बातें सुनने में आई हैं। House में बाज़ औकात बड़े rowdy scene create हो जाते हैं।

ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮ: ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, rule 271 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ—

If leave under Rule 271 is granted the question shall be referred to a Committee of Privileges on a motion made either by the Member who has raised the question of privilege or by any other Member.

ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ motion move ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਪ ਆਪਣੀ ruling ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ discussion out of order ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Mr. Speaker : The position is that the original motion has been withdrawn. I did not agree to refer it to the Privileges Committee. Now the motion before the House is for the creation of a Special Committee. It is a substantive motion and, therefore, I have allowed discussion on it.

Sardar Prem Singh Prem : I will submit to the ruling ofthe Speaker. But, in my view, the discussion is not admissible at the moment. The discussion can take place after the presentation of the report.

Mr. Speaker : It is a regular motion before the House.

पंडित श्री राम शर्मा : आप की राये निहायत मुबारिक है लेकिन क्या किया जाये.....

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि special procedure adopt किया गया है इस लिये Leader of the Opposition को सुन लेंगे और बाद में फैसला दे ंगे । (Because a special procedure has been a adopted the Leader of the Opposition will be given a hearing and the decision will be taken.)

Shri Prabodh Chandra : On a point of order, Sir. A Committee appointed by the House cannot examing the Conduct of the Members of the Upper House.

Mr. Speaker : But that Committee can examine the conduct of the Members of this House.

Shri Prabodh Chandra : The Members responsible for preventing the Governor from speaking on that day belong not only to this House but to the Upper House also.

अध्यक्ष महोदय : पंडित जी की speech comprehensive है और कोई point नहीं छोड़ा गया (Pandit Ji's speech is comprehensive and no point has been left.)

पंडित श्री राम शर्मा : मैं महसूस कर रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा इलज़ाम यह आता है कि कुछ मैम्बरों ने rowdy scene create किया लेकिन मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि इंग्लिस्तान की पार्लियामैण्ट में भी इस तरह के वाक्यात होते रहते हैं । जब कोई ऐसी unfortunate बात हो जाये तो इस की दो सजाएं हो सकती हैं । अगर मामला आप की रा` में शोरो शर का है तो आप उस मैम्बर को कह सकते हैं कि उस दिन के लिये वह बाहर तशरीफ ले जायें । अगर scene persistently rowdy है और मैम्बर मानता नहीं है तो मेरे ख्याल में rules इस बात की इज़ाज़त देते हैं कि उस मैम्बर को सा` Session के लिये फारिग़ कर दिया जाये । इस लिये मैं अर्ज़ करूंगा कि कितना ही rowdy scene क्यों न हो इस से ज्यादा कारंवाई किसी मैम्बर के ख़िलाफ नहीं की जा सकती । जहां तक हाउस के अंदर rowdy act as alleged का ताल्लुक है मैं तो नहीं मानता कि शोरो शर से इस कारंवाई में ख़लल पड़ सकता है । अगर वह मैम्बर बोलना चाहे तो उसे बोलने की इजाज़त न दी जाये या इस की मुकर्रर सज़ा—काला पानी या फांसी—वह यह हो सकती है कि उसे उस दिन के लिये हाउस से निकाल दिया जाये या सा` सैशन के लिये उसे Chamber में दाखिल न होने दिया जाये । मगर मुझे मालूम होता है mover साहिब की नीयत क्या है और शायद बर सरे इक्तदार जो हैं उन की तरफ से शायद ऐसी सज़ा तजवीज़ की जाए कि वे members ही खारिज किए जा सकें या ऐसे तरीके की सज़ा दी जा सके । अगर उन का यह एतराज़ न होता तो मैं कहता हूं आप ruling दे सकते हैं कि इस को इस तरह किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : आप सुनिए । यह ठीक बात है, बहुत से points आए हैं । आप को किसी तरह यह गलती लग गई है कि यह चीज़ जो आई है शायद यह किसी individual मेम्बर के खिलाफ है । या किसी को तंग करने की गर्ज़ से लाई गई है । जहां तक मेरा as Speaker

Presiding Officer अपने हाउस के मेम्बर साहिबान के साथ day to day matters में डील करने का सवाल है इस के मुतअल्लिक हमारे रूल्ज़ में एक procedure laid down है। इस बारे में जो बात उठाई गई है और जो development इसी सिलसिले में हो रही है इस में बहुत सी constitutional और प्रोसीजरल इशूज़ इनवाल्व्ड procedure issues involved हैं जिन पर गौर करने और उन को हल करने की ज़रूरत है। इस में Constitutional Lacuna की भी बात आई है और इस बारे में गौर करना ज़रूरी है कि इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है। आप को ख्याल पैदा हुआ है कि शायद यह किसी individual member के खिलाफ है। जब तक मैं बतौर स्पीकर इस में हूं तो आप यकीन रखें कि मैं किसी ऐसी चीज़ को ला की इजाज़त नहीं दूंगा जो बदला लेने की भावना या किसी शख्स को clandestine manner सज़ा की गर्ज़ से लाई गई हो।

पंडित श्री राम शर्मा : आप का तो नहीं, उन का तो सब कुछ हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : सरदार भूपेन्द्र सिंह मान ने एक बड़ा अहम कान्स्टीटयूशनल प्वांयट रेज़ किया है। मैं समझता हूं कि इस हाउस के पिछले पांच चार साल के वक्त में, इतना इम्पारटेंट कान्स्टीटयूशनल प्वांयट नहीं आया। आप इस पर औपीनियन एक्सप्रेस करें। उस के बाद हाऊस अपना फैसला देगा। आप किसी के बारे में इस तरह के मोटिव्ज़ रखने की बात न कहें। जो ऐड हाक कमेटी बनाई जा रही है वह इस बारे में सारे प्रोसीजरल और कान्स्टीटयूशनल ऐसपेक्ट्स की अच्छी तरह जांच पड़ताल करेगी। आप भी उस कमेटी के मैम्बर होंगे।

मैं मूवर साहिब को कहूंगा कि उन्होंने रिपोर्ट करने की तारीख 31 मार्च रखी है। इस को वह कम अज़ कम आठ या दस महीने तक रखें। इस की तारीख 1 जनवरी, 1959 रखें। (पंडित श्री राम शर्मा की तरफ से विघ्न: फार्म बदल लें। (इस में फार्म वगैरह सब चीज़ें देखेंगे। इस में हम सब बातें देख लेंगे, प्वांयट्स डिस्कस होंगे। आप भी कमेटी के मैम्बर होंगे। और आप ने जो बात कही है इस पर हार्ड ऐंड फास्ट रूल्ज़ हैं। मैं खुद इस राए का हूं। जब पंडित जी मुझे कल मिले तो कहा कि कुछ मेम्बर साहिबान ने कहा कि ऐसा काम किया जाता है तो मैं ने कहा ऐसा तो नहीं होता है। हमारी नई डिमाक्रेसी है। हमारे तो नौ दस वर्ष से ही यह चीज़ें चली हैं। मैं ने इंग्लैंड की पिछले छः सौ वर्ष की कान्स्टीटयूशन हिस्ट्री पढ़ी है। वहां स्पीकर को बड़ी मुश्किल होती थी। एक तरफ वह किंग के मातहत था और एक तरफ हाउस आफ कामन्ज़ के मातहत। अगर वह किंग की न मानता तो वह उस को जेल में डाल देता था और अगर वह हाउस की नहीं मानता था तो वह उसे टावर में फैंक देते थे। इस तरह स्पीकर बड़ी मुश्किल में होता था कि आखिर वह किस का कहा माने। एक स्पीकर ने किंग का कहा ना माना तो किंग ने उस का गला कटवा दिया।

यह मानना पड़ेगा कि कोई रूल परफैक्ट या फूल प्रूफ नहीं बनाए जा सकते। खाह आप उस को कितनी मेहनत और एहतियात से बनाएं उस में कोई न कोई खामी रह जाएगी। इस लिये खामियों को दूर करने के लिये कनवेंशन्ज़ बनानी पड़ेंगी। स्पीकर्ज़ कान्फ्रेंस ने

[अध्यक्ष महोदय]
फैसला किया है कि मैम्बर्ज़ को पार्लियामेंटरी काम में ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वे अपनी कान्स्टीटयूशनल और डिमाक्रेटिक तकलीफों को समझ सकें और उन्हें हल कर सकें। अगर उस की डिबेट देखना चाहें तो मैं दिखाने को तैयार हूं।

उन्होंने बहुत अच्छा किया कि इस मोशन में किसी इंडिविजुअल मैम्बर का नाम नहीं लिखा। सब से पहले कान्स्टीटयूशनल इशू सैटल होना चाहिए। उस के बाद देखा जाए कि आया किसी मैम्बर के कोई अनकान्स्टीटयूशनल या आबजेक्शनेबल बात की है। अगर की है तो उस के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाए। इस में आप की राए लेंगे, पूछेंगे और यह कोई बुरी बात नहीं है।

Please listen to me also. It is correct that a number of points has been raised in this connection and the Leader of the Opposition has somehow entertained a misunderstanding that this motion is directed against some individual member or it is meant to harass some one. So far as I, as Speaker or Presiding Officer of this House, am concerned, I have to deal with its members in the day to day matters in accordance with the Rules of Procedure. The development which has taken place and the question which has been raised in this connection involve many constitutional and procedural issues which require to be gone into and settled. There is a constitutional lacuna which has been brought to your notice and it is to be seen as to what can be done in this behalf.

The leader of the Opposition has felt that it is perhaps against some individual member. I can assure the member that so long as I am Speaker, I will not permit any motion to be moved which is based on vindictiveness or which intends to inflict any punishment on any person in a clandestine manner.

Sardar Bhupinder Singh Mann has raised a very important constitutional issue and I think such an important point has not come up before the Assembly during the last four or five years. The hon. Members may express their opinion on it and the House will thereafter give its verdict. There should be no talk of mputing motives to any one. The *Ad Hoc* Committee which is going to be constituted would study all the procedural and constitutional aspects throughly. He will also be in that Committee. The date fixed of the submission of the report is 31st March. I would request the Mover to extend it by about eight or ten months at least. Or let it be 1st January, 1959. (*Interruption by Pt. Shri Ram Sharma: Please change the form*). Everything including form, etc., will be examined. We will go into all the details and discuss the points. He will also be a member of the Committee. There are hard and fast rules on the point raised by him. I am myself of the same opinion. When Pandit Ji met me yesterday, he told me that some hon. members had said that such a thing was being done, but I told him that it was not so.

Ours is an infant democracy. We have been working this democratic system for the last nine or ten years only. I have studied the constitutional history of England of the last 600 years. There the Speaker had to face very hard and difficult times. On the one side, he was answerable to the King while on the other to the House of Commons. If he did not comply with the wishes of the King he was sent to the jail and if he did not obey the Commands of the House, he was sent to the Tower. So the Speaker there was in a predicament as to whose orders he should obey. One Speaker disobeyed the King and he was beheaded.

It will be admitted that it is not possible to frame perfect or fool-proof rules. Howsoever diligently and attentively they might draft them, one lacuna or the other will be left in them. Therefore, conventions will have to be set up and loopholes plugged. A decision has been taken at the Presiding Officers Conference that the Members should be given training in the parliamentary work so that they may be able to understand, appreciate and solve the constitutional and democratic difficulties. If they want to see the relevant proceedings, I am prepared to show them.

The mover has done well in not referring to the conduct of any individual Member in the motion. First of all, the constitutional issue should be settled and thereafter it would be seen whether any Member had done anything unconstitutional or objectionable, and if so, what action should be taken against him. He will be consulted in this behalf and there is nothing wrong in it.)

पंडित श्री राम शर्मा : मैं मुख्तसर तौर पर यह कहना चाहता हूं कि अगर इस रेज़ोल्यूशन की नीयत यह है कि आयंदा के लिये कोई अच्छी कन्वेनशन या कोई कायदा तजवीज़ किया जाए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन अगर इस की इनटेनशन यही है कि पहले कोई बात हो एक दम प्रोसीडिंग्ज़ में लाने की जैसी कोई सज़ा देनी हो, कोई घर भेजना हो और उस के साथ, मैम्बरों के साथ ऐसा करना हो इस को हम कतई नहीं मानेंगे। इस रैज़ोल्यूशन को आपोजीशन किस तरह मान सकती है? मानने के साथ यह होगा कि हम सब आपोज़ीशन के मैम्बरान को बोलने से प्रीवेंट करना चाहते हैं। दूसरी बात यह कि उस वक्त पंजाब असैम्बली में बाकायदा आपोज़ीशन नहीं थी। आपोज़ीशन ग्रुप थे और इन्डीविजुअल मैम्बर्ज़ थे। उस वक्त भी एक सबस्टांशल नम्बर ऐसे मेम्बरान का था जिन्होंने walk-out नहीं किया। अगर यह development करने की spirit से लाया गया है तो देख लें।

अध्यक्ष महोदय : एक बात मैं mover को suggest करने लगा हूं। अगर वह जो third line है नीचे से ऊपर को Constitutional Act and report जो लिखा है, 'and report what action, if any' की बजाए 'examine all its constitutional and procedural issues and report, if necessary, कर दें तो अच्छा (I would liketo sug gest one thing to the mover of the motion. It would be better if in line three, from below for the words "and report what action if any" occuring after the word "act" the words "examine all its constitutional and procedural issues and report, if necessary what action" are substituted.)

मुख्य मंत्री (सरदार प्रताप सिंह कैरों) : मेरी request यह है कि Opposition के Leader साहिब ने बैठते २ निहायत aspersions की हैं। इस का जो मतलब है मैं उस का जवाब नहीं देना चाहता था, क्योंकि मैं एक convention बनाना चाहता था कि Opposition के Leader को जरा धैर्य से सुन लिया जाए, खाह वह सारी बातें गलत कहते जाएं। जब उस को सुना जाएगा तो शायद वह गलत बातें कहने से भी रुकेंगे। जो उन्होंने motives impute करने की बात कही है इस side पर कि यह उन को यहां से निकालना चाहते हैं, यह करना चाहते हैं, वह करना चाहते हैं;

[मुख्य मंत्री]

यह सारी बातें गलत हैं। यह ठीक है कि इस motion के लाने का ज़िक्र सरदार भूपिंद्र सिंह मान जी ने मेरे साथ भी किया था। इस मसले को पूरी तरह सोच लेना चाहिये कि यह है क्या और इस के सारे पहलू सोच लेने चाहियें। मैं कहता हूं कि जब आप action का लफज़ निकाल दें तो इस से क्या होता है ? Action का मतलब गोली मारना तो नहीं होता। Action का मतलब नर्म से नर्म कार्रवाई हो सकता है। (श्री बलराम दास टंडन : Business like लाठी charge हो सकता है।) (Laughter) आप को ऐसे घबराना नहीं चाहिये; जैसे आप बाहर चलते हैं वह सारी चीज़ ध्यान में है। House अपने आप को इस हालत में put करे और इस सारी चीज़ को सोचे कि हमारी democracy अभी उग रही है, उठ रही है। देखना यह है कि हम ने इस को कैसे चलाना है। इस लिये मैं किसी चीज़ का जवाब न देते हुए सिर्फ यही record कराता हूं कि हमारा कोई ऐसा ख्याल नहीं है। इस सारी sense को जो यह एक constitutional चीज़ है, जो Legislature और Legislature के जुज़ Governor से तअल्लुक रखती है हम यह चाहते हैं कि इन सब को इस तरीके से चलाएं कि हमारी Constitution पर पूरी तरह से अमल हो। इशारे किये गये हैं rumours की बिना पर बातें कही गई हैं। मैं अर्ज़ करता हूं कि बदबख़्ती है जो मेरे देश में, मेरे सूबे में यह rumours मानी जाती हैं, जो unauthoritative होती हैं। Rumours घड़ी गईं जब कि कोई चीज़ नहीं। अगर इस के मुतअल्लिक कोई rumour mongering हो रही थी तो he should have asked me or he should have asked the mover of the Resolution or he could have taken you into confidence, Sir.

तो मैं अर्ज़ करता हूं कि यह इस तरह की सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगतीं। मैं खड़ा हुआ हूं। अगर motive impute करना चाहूं तो उन से better कर सकता हूं क्योंकि मेरी information ज़्यादा होती है; लेकिन नहीं करना चाहता।

इस लिये नहीं करना चाहता क्योंकि इन्फरमेशन, इन्फरमेशन ही होती है। मैं अर्ज़ करता हूं कि डिमोक्रेसी का यह तरीका है कि कान्स्टीटयूशन के हर पहलू को सोच कर चलाया जाए और जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर इस वक्त है उस को बहुत खूबी के साथ निभाया जाए। Mover साहिब ने इस रेज़ोल्यूशन की वर्डिंग बड़ी खूबी के साथ की है। किसी का नाम भी नहीं लिया और कहा है कि certain जानते हुए भी ignore कर के उन्होंने certain कहा है। तो इस के बावजूद इस बात को खूबी मानने की बजाए उन्होंने lacuna माना है, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। मैं अर्ज़ करता हूं कि इस का और कुछ मतलब नहीं है सिवाए इस के कि सारे पहलुओं को देखें कि क्या करना चाहिये। हमें किसी मेंम्बर को निकाल कर खुशी नहीं होगी इस से हाउस की इज्ज़त नहीं बढ़ेगी। और अगर कोई जाएगा तो वह मसला भी आप के सामने आ जाएगा।........(आवाज़ें : आ जाएगा, आ जाएगा।) यहां किसी को शूट कर के चले जाओ......(विघ्न, फिर विघ्न......आवाज़ें..... विघ्न के कारण कुछ सुनाई नहीं देता था।)

10 a. m.

श्री जगत नारायण चोपड़ा : हम जानते हैं। (विघ्न) (आवाज़ें)

मुख्य मंत्री : मैं जानता हूं आप की ज़हनियत को.......स्पीकर साहिब, मुझे खुशी है कि लाला जगत नारायण ने कहा है कि हम जानते हैं। मैं कहता हूं कि छज्ज तो बोले छाननी भी बोले ! वे जानते हैं कि खोसला रिपोर्ट में उन का नाम आया है।

(श्री जगत नारायण की तरफ से विघ्न और आवाज़ें)

मुख्य मंत्री : इर्रेलेवेंट मसले को लेकर कितनी गरमा गरमी पैदा हो गई है। ......(टंडन साहिब की तरफ से प्वायंट आफ आर्डर की आवाजें)

श्री बल राम दास टंडन : स्पीकर साहिब, एक तो यह हैरानगी की बात है कि अगर किसी का प्वांयट आफ आर्डर भी हो फिर भी चीफ मिनिस्टर किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते। दूसरी बात यह है कि जब एक डेफिनेट मोशन हम हाऊस में डिस्कस करते हैं तो उस वक्त दूसरी बातों को लेकर यहां खड़े हो जाना और सिर्फ इस लिये कि किसी दूसरे मैम्बर को जो कि सामने बैठा हुआ है और कोई बात करना चाहता है उस को डाऊन करने के लिये हाउस में इर्रेलेवेंट बातों का ज़िक्र करना.........

अध्यक्ष महोदय : देखिये जब वह बोल रहे थे तो आप की तरफ से कहा गया "हां होशियारपुर की तरह" फिर आप की तरफ से कहा गया "हां उसी तरह बिसनेस लाईक। lathi charge" आया यह बातें करना ठीक हैं जब कि वे बोल रहे हों ? (Well, when the Chief Minister was speaking it was said from your side "yes like Hoshiarpur." and again it was said "Business like lathi charge". I want to know whether such interruptions and such remarks are proper when the Chief Minister is in the possession of the House ?)

मुख्य मंत्री : मैं मानता हूं कि हमारा प्वाइंट इर्रेलेवेंट था लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब आप बोलेंगे तो मुझे भी बोलना पड़ेगा।

Shri Balram Das Tandon : The Member who uttered those words was not in possession of the House.

Mr. Speaker : No interruptions please.

मुख्य मंत्री : हम चाहते हैं कि इस के लिये नावें महीने की तारीख डाल दें। अगर चाहेंगे तो डाल देंगे। मैं समझता हूं कि सितम्बर के महीने का जो सेशन आना है उस के एक दिन पहले इस की तारीख रख दें।

अध्यक्ष महोदय : पन्द्रह सितम्बर रख दें। (Let it be 15th September, 1958.)

(चीफ मिनिस्टर बोलने के लिये उठे (विघ्न))

अध्यक्ष महोदय : आर्डर।

मुख्य मंत्री : मेरी अर्ज सिर्फ इतनी है कि हमारा कुछ और मतलब नहीं है सिवाए इस के कि हम हाउस को अच्छी तरह चलाने के लिये Constitution का एहतराम करते हुए legislature के various wings को पूरी सहूलतें दें।

[मुख्य मंत्री]

इस के लिये हम देखना चाहते हैं कि इस तरह का जो attitude लिया गया उस को किस ढंग से हम tackle करें और उस के सारे aspects को देखें ताकि हम अपने सारे काम को अच्छी तरह से चला सकें।

पंडित श्री राम शर्मा : स्पीकर साहिब, मेरी अर्ज़ है कि मैं तो आप के खड़े होने पर बैठा था क्योंकि आप जो कुछ हुक्म करें उस को सुनना मेरा फर्ज़ है लेकिन मेरी तकरीर खत्म होने से पहले ही लीडर आफ दी हाउस ने अपनी स्पीच शुरू कर दी। मैं तो अभी बोलना चाहता था।

अध्यक्ष महोदय : आप ने तो अपनी स्पीच खत्म कर दी थी। (The hon. Member had finished his speech.)

पंडित श्री राम शर्मा : नहीं जी, मैं तो स्पीच कर रहा था। तो मैं यह गुज़ारिश करता हूं कि जैसा कि चीफ मिनिस्टर साहिब ने कहा है कि उन की नीयत यह है, गर्ज़ यह है कि हाउस के काम को अच्छी तरह से चलाया जाए तो उस के लिये मैं suggest करता हूं कि इस मोशन को वापिस लिया जाए। क्योंकि यह बड़ा अहम मामला है और ऐसा छोटा सा मामला नहीं है जो कि एक दिन में बैठ कर शाम तक खत्म कर दिया जाए इस मोशन को इस की मौजूदा शक्ल में नहीं मन्ज़ूर किया जा सकता। एक बात और मैं कहना चाहता हूं। यह कायदा ठीक नहीं है कि अपनी अकसरियत के बल बूते पर जो चाहा कर लिया और आपोज़ीशन चाहे कितनी ही अच्छी बात कहे उस को न माना जाए और न ही उस पर ग़ौर किया जाए। जहां तक parliamentary democracy का सम्बन्ध है उस में सब काम आपोज़ीशन के साथ conciliation और understanding से होता है। बाहमी understanding से चलने का नाम ही democratic Government है। अगर इस स्पिरिट से लीडर आफ दी हाऊस चलें तो मैं उन के साथ co-operate करने के लिये तैयार हूं। इस लिये मैं निवेदन करूंगा कि इस मोशन को वापस लें और अगर नहीं लेंगे तो हमें मजबूरन as a protest walk out करना पड़ेगा।

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ (ਅਜਨਾਲਾ) : ਪਰਧਾਨ ਜੀ ਅਜ ਹਾਊਸ ਅਗੇ ਇਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ resolution ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ parliamentary history ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਕ resolution ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹੀ convention ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਜ ਤਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ lightly ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ resolution original wordings ਦਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ interpret ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼, date ਜਾਂ ਹੋਰ changes ਕਰਨਾ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ resolution ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। House ਵਿਚ ਆਪਦੇ ਬੜੇ ਇਖਤਿਆਰ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। Mover ਦੀ intention ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਛੀ

intention ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਔਰ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਚ wordings ਦੀ date ਵਗੈਰਾ ਦੀ change ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ intention work ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ interpret ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ । ਮੈਂ mover ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨੂੰ discuss ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ original wording ਨਾਲ resolution ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ resolution ਹੈ । ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ resolution ਦੀ ਬਾਬਤ ਦਸਦਾ ਹਾਂ । ਭਾਵੇਂ ਉਸ incident ਨਾਲ ਸਾਡਾ communist party ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਉਸ ਦਿਨ walk out ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ walk out ਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਇਸੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ precedents ਹਨ ਔਰ ਅਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਫਾ ਜਦੋਂ constitutional head ਏਥੇ address ਕਰਨ ਆਇਆ ਤਾਂ walk out ਕੀਤਾ ।

Chief Minister : That should have been staged in a decent way.

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ । ਪਰ ਉਹ ਸਨ ਬੜੇ decent way ਵਿਚ । ਅਸੀਂ ਬੜੇ decent way ਵਿਚ ਉਠ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ boycott ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ walk out ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਉਹ ਇਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਸੀ । ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ constitution ਖੁਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ constitutional way ਜੋ ਚਾਹੋ protest ਕਰੋ । ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ Constitutional Head ਅਗੇ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜਿਸ constitution ਦੀ ਤੁਸਾਂ ਰਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੌਰਮਿੰਟ ਖੁਦ break ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ? ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਖੁਦ constitution ਨੂੰ violate ਕੀਤਾ । ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੈਦ ਵਿਚ ਰਖਿਆ । ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ constitution violate ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ Constitutional Head ਅਗੇ protest ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ ।

ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਕ ਬੜੇ ਭਾਰੀ constitutionalist ਹਨ, ਇਕ resolution ਲੈ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਐਸਾ conduct ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਉਤੇ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾੜਾ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ resolution ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਹਾਊਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਢ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਹ resolution ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਬੜਾ ਵਡਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿਚ ਹੈ ਇਕ Committee of Privileges ਆਪ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ action ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਸ committee ਅਗੇ put ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ report ਦੀਆਂ findings ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ house discuss ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਇਸ

[ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ]

resolution ਨੂੰ move ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ procedure introduce ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ action ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ । ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ conduct ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਬ ਆਇਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ resolution ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਤਾ—ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ । ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਔਰ ਉਸ ਵਿਚ ਉਹ ਉਹ ਨਾਮ ਰਖੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ views ਦੇ ਆਦਮੀ ਹਨ। Constitution ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਉਠ ਕੇ ਇਕ resolution ਲੈ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ conduct ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ action ਲਿਆ ਜਾਵੇ—ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ resolution ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਉਹ constitution ਦੀ spirit ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗਾ । House ਦੀ ਇਹ ਆਪਣੀ authority ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ member ਦੇ conduct ਨੂੰ ਸੋਚੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ । ਪਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਉਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਹੋਣ, propose ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ action ਲੈਣਾ ਹੈ ? ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ । House ਨੇ ਅਗੇ ਹੀ ਇਹ Committee of Privileges ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਹ case ਵੀ refer ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਾਰੇ procedure ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਡੇ constitutionalist ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੀ resolution ਲੈ ਆਏ ਹਨ । ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ history ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । walk-outs ਬੇਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ । ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਟੁਟੀਆਂ, ਸਿਰ ਪਾਟੇ (ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਰ ਪਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ?) .... ਨਹੀਂ ; ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ constitutional way ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਇਹ ਵੀ ਇਕ constitutional propriety ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ; ਉਸ ਉਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ protest ਜਾਇਜ਼ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ House ਵਿਚ ਇਕ member ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ power ਹੈ । ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵੀ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਹ ਜਬਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ meetings ਨੂੰ attend ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਵਿਖਾਏ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਣ ਹੀ ਨ ਦੇਵੇ । ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ protest ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ । ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ protest democracy ਦੀ history ਵਿਚ ਚਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ । ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਖਾਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ

ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ walk-out ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ (*Cheers from treasury benches*) ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ protest ਦਾ notice ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ walk-out ਕਰ ਜਾਣ । ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ conduct ਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ notice ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, Committee of Privileges ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀ action ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ recommendations ਕਰਨਾ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ।

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ , un-constitutional ਹੈ । ਇਹ ਗ਼ਲਤ procedure ਹੈ । ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਉਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ substantive motion ਲੈ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ protest ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਹੀ rules apply ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ rules of procedure ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ resolution ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

अध्यक्ष महोदय : आप ने तो अब इसी motion पर discussion शुरू कर दी । बजट की discussion के मुतअल्लिक क्या होगा ? (The House has started a discussion on this motion. What about the discussion on the budget ?)

Voices : यह भी एक बड़ा important मामला है (*Interruptions*)

(*Interruptions and loud noise*)

अध्यक्ष महोदय : Order please. आप सब कैसे बोल रहे हैं । इस तरह कैसे किसी को समझा जा सकता है ? (Order please. Why are all the hon. Members speaking. How can anybody understand an other in this way.)

श्री इन्द्र सिंह (जीन्द) : मोहतरिम स्पीकर साहिब, जैसा कि कामरेड अच्छर सिंह छीना ने इस हाउस के सामने यह बात कही है कि यह न सिर्फ हिन्दुस्तान में बल्कि तमाम दुनिया की parliamentary history में पहली दफा rules बनाने के लिये और rules frame करने के लिये एक substantive motion आई है और मैं भी समझता हूं कि constitution के safe gaurds के लिये और Constitutional Head of the State की respect के लिये rules बनाना बजाते खुद उस की तौहीन है । अगर constitutional Head की respect होती है तो वह conventions से और precedents से होती है

[श्री इन्द्र सिंह]

न कि किसी rules से। तो मैं गुज़ारिश करूंगा कि अगर कोई substantive motion इस के लिये लानी भी हो तो वह इस तरह की नहीं होनी चाहिये क्योंकि इस substantive motion में revengeful spirit की बू आती है और चीफ़ मिनिस्टर साहिब का यह कहना कि हम किसी के खिलाफ कोई action लेने के लिये यह motion नहीं लाये और mover की भी यह intention नहीं है, ठीक नहीं मालूम देता जब कि इस motion में एक definite तारीख यानी 10-2-1958 का ज़िक्र है और इस motion में certain members का ज़िक्र है और rowdy scene का ज़िक्र है और 'made an effort to prevent him from speaking का ज़िक्र है और यह बात कि and report what action, if any, should be taken against them' भी इस में आई है। अगर महज़ Constitutional Head की respect के लिये कोई rules बनाने हों तो इस किस्म की सब चीज़ों की demand इस motion में नहीं आनी चाहिये थी। मैं समझता हूं कि अगर यह motion in general Constitutional Head को respect के लिये आतीं और उस पर discussion होती और उस के लिये कोई rule बनाये जाते तो ठीक था लेकिन ऐसी बात इस में नहीं है। इस में एक definite मांग की गई है और इस लिए मेरे ख्याल में इस तरह की motion का लाया जाना जिस की ऐसी intention हो एक बड़ी खतरनाक चीज़ है। We are in the transitional stage of democracy. हम सिर्फ दस साल से democracy को चला रहे हैं और जब हम 10 साल से इस को चला रहे हैं तो मैं समझता हूं कि वह कोई rowdy scene नहीं था बल्कि वह तो सिर्फ अपने grievances का इज़हार करने के लिये किया गया था। जो काम Government ने in preventing the member from approaching the Constitutional Head क्या वह ठीक नहीं। अगर वे अपने grievances, Law and Order के बारे में गवर्नर साहिब को बताना चाहते थे तो उस में कोई पाबन्दी नहीं थी, कोई Constitutional breach नहीं था। अगर ऐसी सूरत में उन की presence का फायदा उठा लिया जाये तो क्या फर्क पड़ सकता है और मैं इस में यह भी महसूस करता हूं कि जब after the lapse of more than one month it has come in a regular substantive motion यह एक planned तरीके से आई है और यह इस लिये किया गया कि because the opposition is very thin and they want to disarm the opposition of every legal and legislative measure.

दूसरी चीज़ जो मैं कहता हूं वह यह है कि in general यह motion vague है चुंकि जब इस में कहा गया है कि action लिया जाना चाहिये उन आदमियों के खिलाफ लेकिन इस में उन के नाम नहीं हैं। या तो महज़ इस House की dignity और decorum और Constitutional Head of the State की respect के लिये कोई चीज़ लाई जाती तब तो....

अध्यक्ष महोदय : आप वक्त बहुत ले रहे हैं । (The hon. Member is taking too much time.)

श्री इन्द्र सिंह : दूसरी चीज मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि एक तरफ तो यह बात कही जाती है कि this House is a part of the Contitution और गवर्नर साहिब as Constitutional Head यहां as a part of the Legislature आ कर Address पेश करते हैं और दूसरी तरफ अगर कोई अपने constitutional Head के सामने grievances रखता है तो उस को disrespect कहा जाता है, यह ठीक नहीं । अगर यह motion कोई rule frame करने के लिये लाई जाती तो मैं समझता हूं कि वह लाई जा सकती थी । लेकिन इस तरह की substantive motion का लाया जाना मैं समझता हूं कि मैम्बरज़ के democratic rights को curb करने के सिवा और कुछ नहीं ।

Shri Harbhagwan Maudgil : Sir, I beg to move—

That the question be now put.

Mr. Speaker : After Chaudhry Balbir Singh has spoken, I will put the question to the vote of the House.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ motion ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ Treasury Benches ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਬੋਲੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ walk-out ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਸ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ view point ਕੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ view point ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ walk-out ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

Mr. speaker : Order, order. Question is -

That the question be now put .

Shri Balram Das Tandon : On a point of order Sir, Rules of Procedure के chapter 21, Section 270 का part तो यह कहता है—

अध्यक्ष महोदय : Rule क्या है ? (What is the rule ?)

Shri Balram Das Tandon : Rule यह है—

"The question shall be restriced to a spec c matter of recent occurrence".

लेकिन इस वाक्या को तो एक महीने से ज़्यादा हो चुका है ।

Mr. Speaker : It is not a privilege motion. It is a substantive motion.

श्री बल राम दास टंडन : यह motion जो हमें circulate की गई है, यह आई तो एक privilege motion की शक्ल में है ।

Mr. Speaker : It is for me to determine whether it is a privilege motion or a substantive motion.

Mr. Speaker : Question is —

That the question be now put.

The House then divided —

Ayes.—79
Noes.—27

The motion was declared carried.

AYES

1. Abdul Ghaffar Khan, Khan.
2. Abdul Ghani Dar, Maulvi.
3. Amar Nath Sharma, Shri.
4. Baloo Ram, Shri.
5. Balwant Rai Tayal, Shri.
6. Balwant Singh, Sardar
7. Benarsi Das Gupta, Shri.
8. Bhag Singh, Sardar (Ludhiana).
9. Bhagirth Lall Shastri, Pandit.
10. Bakhtawar Singh Rai, Gyani.
11. Bhupinder Singh, Mann Sardar.
12. Chambel Singh, Chaudhri.
13. Dalbir Singh, Shri.
14. Darbara Singh, Sardar.
15. Dasondha Singh, Chaudhri.
16. Dev Raj Anand, Shri.
17. Gajraj Singh Rao.
18. Gian Singh Rarewala, Sardar.
19. Gorakh Nath, Shri.
20. Gurbachan Singh Bajwa, Sardar.
21. Gurbanta Singh, Sardar
22. Harbans Lal, Shri.
23. Harbhagwan Maudgil, Shri.
24. Harchand Singh, Sardar.
25. Harcharan Singh, Sardar.
26. Harguranad Singh, Sardar.
27. Harnam Singh, Sardar.
28. Harparkash Kaur, Bibi.
29. Jagat Ram, Shri.
30. Jagdish Chand, Shri.
31. Jagir Singh 'Dard', Sardar.
32. Jasdev Singh Sandhu, Sardar.
33. Jit Ram, Shri.
34. Karam Singh "Kirti", Sardar.
35. Kartar Singh Dewana, Sardar.
36. Kesara Ram, Shri.
37. Kirpal Singh, Giani.
38. Kundan Lal, 'Shant', Shri.
39. Mani Ram, Shri.
40. Mehar Singh, Sardar.
41. Mehar Singh, Thakur.
42. Mihan Singh, Sardar.
43. Nanhu Ram, Shri.
44. Narinjan Singh, Sardar.
45. Niranjan Singh Talib. Sardar.
46. Nihal Singh, Shri.
47. Om Prabha Jain, Shrimati.
48. Parkash Singh, Sardar.
49. Parma Nand, Dr.
50. Partap Singh, Bakshi.
51. Partap Singh, Master.
52. Partap Singh, Kairon, Sardar.
53. Paul Singh, Sardar.
54. Prabodh Chandra, Shri.
55. Prem Singh "Prem", Sardar.
56. Pritam Singh Sahoke, Sardar.
57. Raghuvir Singh, Rai.
58. Rajinder Singh, Sardar.
59. Rala Ram, Shri.
60. Ram Chandra, Comrade.
61. Ram Dyal Singh, Sardar.
62. Ram Kumar Bidhat, Shri.
63. Ram Piara, Shri.
64. Ram Parkash, Shri.
65. Ran Singh, Shri.
66. Roshan Lal, Shri.
67. Sant Ram Shri.
68. Sarla Devi Sharma, Shrimati.
69. Sarup Singh, Chaudhri,

70. Sohan Singh, Sardar.
71. Sohan Singh, Jalal-Usman, Jathedar.
72. Sri Chand, Chaudhri.
73. Sumitra Devi, Shrimati.
74. Sunder Singh, Chaudhri.
75. Suraj Mal, Chaudhry.
76. Udham Singh, Sardar.
77. Umrao Singh, Shri.
78. Waryam Singh, Sardar.
79. Waryam Singh, Sardar (Bhagowal)

NOES

1. Achhar Singh Chhina, Sardar.
2. Attar Singh, Shri.
3. Balbir Singh, Chaudhri.
4. Balram Das Tandon, Shri.
5. Baru Ram, Chaudhri.
6. Bhag Singh, Chaudhri.
7. Bhag Singh, Dr.
8. Bhala Ram, Shri.
9. Bharat Singh, Shri.
10. Chander Bhan, Chaudhri.
11. Chhaju Ram, Chaudhri.
12. Hukam Singh, Shri.
13. Inder Singh, Shri.
14. Jagat Narain Chopra, Shri.
15. Jagdish Kaur, Shrimati.
16. Jangir Singh, Com.
17. Lajpat Rai, Shri.
18. Mangal Sein, Shri.
19. Muni Lal, Shri.
20. Phul Singh "Kataria", Shri.
21. Ramdyal Vaid, Shri.
22. Ram Kishan Bharolian, Pandit.
23. Sahi Ram Bishnoi, Chaudhri.
24. Sher Singh, Prof.
25. Shri Ram Sharma, Pandit.
26. Sis Ram, Shri.
27. Suraj Bhan, Shri.

Sardar Bhupinder Singh Mann (Samana, 'General') : Sir, in this respect before the motion is referred to the Committee, I may remove certain fears and misconceptions which have been expressed, particularly by he Leader of the Opposition. Sir, firstly, I did not mean any disrespect to the Chair, as he has alleged, and I assure him that my intention in moving this motion was not based on vindictiveness and I have no particular person in view. In fact, the discussion which has taken place has led me to believe that a situation has arisen which calls for an authentic expression of opinion. A doubt has arisen as to whether the meeting of the two Houses was a joint meeting and whether the existing rules are enough to deal with the situation. A lacuna is there. There are constitutional loopholes and my intention is to plug those constitutional loopholes.

The Leader of the Opposition, Sir, has referred to the constitutional history, the slow development of the constitutional history in England where, he said, a king had been beheaded and Speakers disrespected. I might say that we must learn from other people's experience but there are others who refuse to learn. Sir, I would not like that that bloody history be repeated in this House and, therefore, my desire is that instead of breaking chairs and heads, constitutional propriety and dignity be established in this House. There is no tinge of vindictiveness in this motion. Sir, the Leader of Opposition knows it fairly well that before moving this motion or including his name in it, I consulted him and had his views. I did not mean any mischief about him. I had even the concurrence of the Leader of the Opposition. The motion is meant to establish constitutional propriety and dignity. Sir, I have no intention to force the issue. I, however, agree that this motion may be modified in the manner acceptable to you and to the House. Thank you, Sir.

पंडित श्री राम शर्मा : जनाब स्पीकर साहिब, अगर यह motion वापस लेकर किसी और मुनासिब form में पेश करें तो हम देख लेंगे। नहीं तो हम सब opposition वाले इस की मुखालफित करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप इस में Privilege Committee के members को जो पहले ही more than half इस कमेटी पर हैं, शामल कर लें ताकि वह भी आ जाए।

(The hon. Member may include all the members of the Committee on Privileges in this Committee, though more than half of them are already represented on it, so that they may also get an opportunity to express their views.)

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, I agree. After all, the Leader of the Opposition has suggested certain improvements and these should be accepted.

अध्यक्ष महोदय : आप '7' के आगे यह add कर दें—"And the remaining Members of the Privilege Committee". (I would suggest to the mover that after item No. 7 the following may be added—"And the remaining Members of the Privilege Committee.")

Sardar Bhupinder Singh Mann : In fact, Sir, in accordance with their wishes and to accommodate the Opposition Members, I accept the addition of the words "in all its procedural aspects" after the word 'examine' in line 4. Sir, there is one thing more which I want to make clear and it is this: I owe a duty to the Leader of the Opposition to explain that I have had no proper consultation with the Leader of the House. It was my own initiative. Sir, there is no conspiracy, as has been alleged by some hon. Members.

Mr. Speaker : Question is —

That Committee of the following members of this House be appointed to examine in all its procedural aspects the conduct of certain members who on 10th February, 1958, when the members of both the Houses were assembled together just before the Governor rose to address them in pursuance of the Constitutional obligation devolving on him under Article 176 (1), created a rowdy scene and made an effort to prevent him from speaking, and there by committed an unconstitutional act, and report what action, if any, should be taken against them, by the 15th September, 1958 :—

(1) S. Gurdial Singh Dhillon, Speaker,

(2) S. Ajmer Singh, M.L.A.,

(3) Shri Harbhagwan Maudgil, M.L.A.,

(4) Rao Gajraj Singh, M.L.A.,

(5) Pt. Shri Ram Sharma, M.L.A.,

(6) Shri Nihal Singh, M.L.A.,

(7) S. Bhupinder Singh Mann, M.L.A., and

the remaining members of the Privileges Committee,

After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. Speaker said, "I think the Ayes have it". This opinion was challenged and division was claimed. The division bells were then rung. At this stage, members sitting in the Opposition Benches staged a walk-out. Mr. Speaker again put the motion to the House and declared the motion carried.

The motion was declared carried.

RESUMPTION OF GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET

Mr. Speaker : Shri Chhaju Ram was in possession of the House.

चौधरी छज्जू राम (गोहाना 'R') : स्पीकर साहिब, मैं एक बात और आप की मारफत मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं । वह यह है कि जहां पर इस महकमा के अन्दर ग़रीब लोगों को कर्ज़े दिये जाते हैं, वहां इतनी अंधेर गर्दी मची हुई है कि इन की तरफ से किसी भी ग़रीब आदमी को कोई भी फायदा नहीं पहुंच रहा । वह चाहे बीमार हो या उस को कितना भी ज़रूरी काम हो उस को कहा जाता है कि अगर तुम ने रकम लेनी है तो तहसील पहुंचो । उस के साथ कोई हमदर्दी नहीं की जाती । वहां जब यह पहुंचते हैं तो कोई बहाना बना दिया जाता है कि आज नहीं; फिर आओ । इस का नतीजा यह हुआ है कि हमारे हलका की 5 हज़ार दरखास्तें थी मगर आज तक किसी को कुछ नहीं मिला । इन लोगों को खाह मखाह खर्च कर के जाना पड़ता है लेकिन वहां से कोई फायदा नहीं पहुंचता । स्पीकर साहिब, मैं आप के ज़रिये Minister साहिब को यह बतलाना चाहता हूं कि इस महकमे में हरिजनों के लिये कोई एसी रकम नहीं है उन की इमदाद के लिये फौरन दे दी जाये जिस से उन के रोजाना आने जाने की तकलीफ दूर हो जाये । मैं अर्ज़ करूं कि हलका गोहाना आज तक नजर अंदाज़ किया जाता रहा है । ना इस के अंदर बिजली पहुंची है, ना इस के अंदर सड़कें हैं और ना ही इस के अंदर अच्छी तरह से consolidation ही हुई है । गोहाना के इलाका में बहुत सारी जमीन हालांकि खराब हो गई है मगर जमींदारों पर Surcharge Tax और भी बहुत ज्यादा लगाया जा रहा है । स्पीकर साहिब, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि ज़मीदारों की ज़मीने सेम की वजह से खराब होती जा रही हैं—कोई पैदावार नही होती । सरकार को इस तरफ जरूर ही ध्यान देना चाहिये ।

दूसरी बात मैं reservation, के बारे में कहनी चाहता हूं । वह यह है, कि अगर सरकार चाहती कि reservations जो हरीजनों के लिये रखी गई है पूरी हों तो यह बड़ी आसानी से इस 10 साल के अर्सा में पूरी कर सकती थी । मगर आज हम देखते हैं कि reservation में हमारा पूरा ख्याल नहीं रखा जाता ।

एक बात और जो मैं वज़ीर साहिब के ध्यान में लाना चाहता हूं, वह यह है कि जो भी गरीब आदमी चमड़ा रंगने का काम करते हैं, उन पर टैक्स लगाये गये हैं । यह तो मज़दूरी कर के अपना पेट पालते हैं । यह तो एक किस्म की छोटी Industry है जिस की सरकार को इमदाद करनी चाहियें । इस लिये मैं अर्ज़ करूंगा कि चमारों के ऊपर सरकार को इस किस्म का Tax नहीं लगाना चाहिये, अगर यह लगाया जायेगा तो यह लोग तरक्की नहीं कर सकेंगे और दस्तकारी में दूसरे मुल्कों के मुकाबले में नहीं आयेंगे ।

[चौधरी छज्जू राम]

इस किस्म की एक और बात जो कहनी है वह यह है कि जो ज़मीनें हरिजनों को दी जाती हैं, वह छोटे छोटे टुकड़ों में कई जगह दी गई हैं। वह इस तरह किया जाता है कि Minister साहिब कहते हैं कि फलां हमारा खास आदमी है, इस को ज़मीन दी जाये। इस लिये उस से अपील करवाई जाती है और दोबारा allot कर दी जाती है। यह वह लोग करवाते हैं जो उन के साथ रहते हैं। यह बिल्कुल ही नाजायज़ किया जा रहा है और यह एक hon. Member से मिल कर करवाया जाता है। Welfare Officer राये देते हैं कि अगर सच सच कहोगे तो यह काम नहीं हो सकेगा। इस किस्म की नाजायज़ कार्रवाइयां नहीं होनी चाहियें। और Consolidation के अंदर हरिजनों को ठीक किसम की जमीनें दी जाती हैं (घंटी की आवाज़) स्पीकर साहिब, मैं तो कल सिर्फ दो मिंट बोला था, आज काफी वक्त मिलना चाहिये। जो ज़मीन दी भी जाती है, वह ठीक तरीके से नहीं दी जाती। जब वह इधर उधर दौड़ते हैं तो कहा जाता है कि तुम परवाह ना करो, हम तुम्हें ज़मीन दिलायेंगे। दूसरी तरफ़ कहा जाता है कि तुम जिस तरह भी करो ठीक है.........

अध्यक्ष महोदय : आप 5 मिनट तक कल बोले थे, यह वहां पर लिखा हुआ है।

(The hon. Member spoke for 5 minutes yesterday. This is on record here.)

चौधरी छज्जू राम : बहुत अच्छा जी, मैं एक मिनट में खत्म करता हूं। इस लिये मेरी गुज़ारिश यह है कि इस कानून को इस तरह से बनाया जाये जिस से उन की यह जो तकलीफ है वह दूर हो जाये। गरीब आदमियों की सहायता की जाये। मुझे एक बात याद आई है कि Sir Chottu Ram जब वकालत करते थे तो किसी आदमी ने उन को कहा कि मैं गरीब आदमी हूं, मेरी सहायता की जाये, मगर उस को श्री छोटू राम ने जवाब दिया कि यह मुझे यकीन है कि आप गरीब आदमी हैं लेकिन आप ऐसे कानून बनवायें जिस से कि मैं गरीब आदमियों की मदद कर सकूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप ऐसे कानून बनायें जिस से गरीबों का भला हो सके। इस लिये, स्पीकर साहिब, मैं यह अर्ज़ करूंगा कि मनिस्टर साहिब को इस तरफ ध्यान देना चाहिये कि वह कम अज़ कम ऐसे कानून बनायें जिस से गरीब आदमियों को कोई तकलीफ न हो।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਜਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਟਰੇਜ਼ਰੀ ਬੈਂਚਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਰਮਿਟ, ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਕੋਟੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ

ਤੇ ਹੈ । ਅੱਜ ਏਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਤ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ Committee enquiry cloubt ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮਦਾਖਲਤ ਕਰੇ । ਅੱਜ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨ੍ਹਾਰੇ ਲਾਏ । ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਨ੍ਹਾਰੇ ਲਾਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਲੰਧਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਕ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ੨੬ ਆਦਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਸਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

[*At this stage Mr. Deputy Speaker occupied the chair*]

ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਫਸਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਓਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਸਾਦ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ੧੮ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ? (ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ) ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਢੋਲੇ ਹੀ ਗਾਏ ਹਨ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ । ਜੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੇਂਹ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ, ੩੦੦-੩੫੦ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਵਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ ਕੈਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਣ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਭਤੀਜਾ ਜੇਲ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੈ (ਆਰਡਰ, ਆਰਡਰ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ੇ) ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप ने इस किस्म के allegations किसी Minister के खिलाफ लगाने हैं तो substantive motion ला सकते हैं ।

(The hon. Member can bring a substantive motion if he wishes to level allegations of this kind against any Minister.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ ਮੈਂ allegations ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ।

चौधरी धर्म सिंह राठी : On a point of order, Sir, जनाब मेरा point of order यह है जो बात hon. Member कह रहे हैं वह Justified है, वह general discussion पर कह सकते हैं ।(Order, Order). On a point of order, Sir, hon. Member बिलकुल justified हैं ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ Smuggling ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਡਕੈਤੀ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ . .

11.00 a.m.

Mr. Deputy Speaker : Order, Order, Order!

(*Interruptions*)

Mr. Deputy Speaker : No allegations please, I will not allow these allegations.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਚੰਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇਕ ਸਟੇਟ ਸੀ। ਉਥੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਰਾਜਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਰਾਜਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਅਕਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਬਾਗ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਕਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਓ, ਇਧਰ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਓ ਕਲ ਨੂੰ ਇਧਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। Central Government ਨੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਦਿਤੀ, ਉਹ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਜਦ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਚਿਆਂਗ ਕਾਈਸ਼ੇਕ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਫਾਰਮੂਸਾ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਉਥੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Mr. Deputy Speaker : Order please.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿਚ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ taxation ਦੀ ਪਾਲੀਸੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ frame ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ taxation ਦੀ ਇਕ haphazard policy ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। Property tax, House tax ਅਤੇ Marla tax ਨੂੰ realise ਕਰਨ ਲਈ ਵਖੋਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਰੁਪਿਆ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਯਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ establishment ਰਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹੀ ਰੁਪਿਆ waste ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਿਨੋਈ ਉਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਚੂੰਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ; ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ position ਕੀ ਹੈ? ੧੪ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ furniture ਸੱਤਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾ ਗਏ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਥਾਂ furniture ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ceiling ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ੩੦ standard acres ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੇ 30 standard acres ਦੀ ceiling ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਥੇ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ceiling ਲਗਾਉ ... (interruptions from the treasury Benches.)

Mr. Deputy Speaker : Order please, no interruptions.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ceiling ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਕ ਤਰਫ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ceiling ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 14,000 ਰੁਪਏ ਦਾ furniture 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ....

Mr. Deputy Speaker : No repetition please .

Kanwrani Jagdish Kaur : On a point of order, Sir. When there is so much interruption in the House from the Treasury Benches, naturally the hon. Member speaking has to repeat the things over and over again I would request the Chair to control the Treasury Benches.

Sardar Bhag Singh : When the hon. Member who is speaking is mis-stating the facts, there are bound to be interruptions.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮਲੂਮ ਹੈ । ਜਦ ਕੰਜਰੀ ਸਾਧਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਟਦੀ ਹੈ । ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਣ ਗਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੈ । "ਹਮ ਆਪਕੀ ਕਦਰ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਤੋ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈਂ ਬਦਨਾਮ" । ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ taxation ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ।

ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਬਲਿਕ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਫਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨ । ਮਹਿਤਆਨੇ ਤੋਂ ਇਕ ਨਹਿਰ ਆਦਮਪੁਰ ਤਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਥੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿਚ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਬੋਰੀਆਂ ਪੱਥਰ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ।

ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੇਲਥ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ action ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ waste ਦਾ ਕੌਣ Executive Engineer ਜਾਂ S.D.O. ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮਪੁਰ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਲਦਾਰੀਆਂ ਗਲ ਗਈਆਂ । ਇਹ national waste ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ । ਇਹ criminal negligence ਹੈ, ਲੋਕੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ।

ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ favouritism ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ । B.D.O. ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਇਕ ਆਦਮੀ application ਦਿੰਦਾ ਹੈ, Interview ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Development Commissioner ਨੇ ਲਿਖਿਆ—

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

"The boy is not fit for the job he is holding. I was not only reluctant but hesitant to call this man. But it was only on the special request of the Chief Minister that I called this man for interview.

(*Voices of shame, shame from the opposition Benches*).

It will be a slur on the Government if the boy is appointed and it will be Government's own responsibility."

ਜਿਥੇ ਉਸ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ Development Commissioner ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ :—

"I know the boy personally. He is a bit shy but otherwise fit for the post of Block Development Officer''.

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ candidate B. D.O. ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ qualifications ਜਿਹੜੀਆਂ unfit ਸਨ ਉਹ ਵੀ fit ਹੋ ਗਈਆਂ । ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ favouritism ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਜੇ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਦਿਓ । Smuggling ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ Union Home Minister ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ Photos ਖਿਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ smuggling ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ।

ਮੈਂ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Union Home Minister ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ unsocial element—ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ invite ਕੀਤਾ ? ਕੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ ਜਾਂ ਕੀ ਲਗਦੇ ਸਨ ? ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਗਲ ਹੈ (*shame, shame*) ਉਹ ਫੋਟੋ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ । ਅੱਜ ਲੁਟ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ।

ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪੈਲਿਸ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਗਰ enquiry ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ "ਮੁੰਦਰਾ ਸਕੈਂਡਲ" ਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਚੀਬੀਆਂ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫਸਣ ਗੇ । ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੋਤੀ ਪੈਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ੧੪ ਜਾਂ ੧੫ ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹ ਸੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ੧੫/੧੬ ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਪਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਟੈਕਸ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਔਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ । ਅਜ ਸਾਡੇ ਖਜਾਨੇ ਦੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਫੌਹੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੂੰਜ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । (ਘੰਟੀ) ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ । ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਅੱਜ

ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ । ਅਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਿਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਅੱਲੁਕ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਤਕਾਵੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ deserving cases ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, "ਬਰਕ ਗਿਰਤੀ ਹੈ ਤੋ ਬੇਚਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਪੇ"। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਅੱਲੁਕ ਰਖਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਅੱਲੁਕ ਰਖਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਾਵੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਇਸ ਦੇ ਬਰਅਕਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਤਕਾਵੀਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਗਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਭਾਖੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਡਾਕਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਔਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਹਨ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਏਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ੧੨੦੦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿਊਬਵੈਲ ਬਣਾਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦ ਪਏ ਰਹੇ । ਦੋ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ।

ਅਗਰ ਇਹ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਦੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੁਲਕ ਦੀ food problem ਹਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ । ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਦ ਵੀ ਸਿਰਫ 12 ਸੌ ਦੇ ਵਿਚੋਂ 800 ਟਿਊਬਵੈਲ ਚਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ । 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜ ਵੀ ਐਸੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਾਰ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ । ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਥੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਬੋਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਏਥੇ ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿਆ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਡੂੰਘੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜਕੇ ਨਿਕਲ ਨਾ ਸਕੋ ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿਚ ਡੁਬੋ ਫੇਰ ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਉਹ ਖੂਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ । ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿਉਗੇ ਤਾਂ ਉਪਰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ । ਜਨਾਬ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਗਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ—

"ਐ ਜਾਨੇ ਜਹਾਂ ਪਾਜ਼ੇਬ ਤੇਰੀ
ਬੇਰਬਤ ਸੇ ਨਗ਼ਮੇ ਗਾਤੀ ਹੈ,
ਯੇਹ ਰੰਗ ਰਹਾ ਇਸ ਮਹਿਫ਼ਲ ਕਾ
ਨਾ ਜਾਨੇ ਕਿਆ ਅੰਜਾਮ ਹੋਗਾ" ।

ਜੇ ਇਹ ਐਸੇ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਰੇਡ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸੁਟ ਰਹੀ ਹੈ । ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੇਡ ਵਧਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੇਡ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੇ । ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ defend ਕਰਦੇ ਸਨ । ਦਰਅਸਲ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਚੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਗਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ।

Mr. Deputy Speaker : Please wind up.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ touch ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, consolidation ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ touch ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।

Mr. Deputy Speaker : Wind up please.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿਚ ਬਰੋਜ਼ਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀ । ਮਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ । ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤਿਆਂ ਔਰ ਉਥੋਂ ਚਾਰ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਨ । ਅਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ । ਗੌਰਮਿੰਟ ਓਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਏਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਥੇ ਕਈ ਲਖ ਚੀਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ੧੨ ਆਨੇ

ਫੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਕ ਪਿੰਡ ਨੇ ੧ ਰੁਪਿਆ ੧੨ ਆਨੇ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਮਨਿਸਟਰ ਇਨਚਾਰਜ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਗਏ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਚੀਲ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ੧੨ ਆਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ sale ਦਾ unholy alliance ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ contract ਦੀ ਨਕਲ ਦਿਉ ਤਾਕਿ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ consult ਕਰਕੇ ਉਸ alliance ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਉਸ agreement ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ।

ਜ਼ਰਾਇਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤ੍ਰੀ: ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਨਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਗਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ: ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤਕ ਉਹ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਥੇ ਇਹ ਗਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਗਲਤ ਬਆਨੀਆਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਕਲਾਸ (੪) ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ strike ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਅਲਕ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹੈਲਥ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਪੜਾਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈਲਥ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਉਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ faith ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸਵੀਂ ਤਕ ਤਾਲੀਮ free ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਗਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਤਕ ਹੀ free education ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤਨੀ ਕ ਦੇਰ ਤਕ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ): ਜਨਾਬ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਬਜਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਾਇਤ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਾਂ ਏਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗਰੋਹ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ

[ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ]

ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਰੰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਕੁਝ ਮਹਿਕਮੇਂ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੇਰੇ ਸਪੁਰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿਚ ਰਕਮਾਂ ਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਉਦਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਣਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਖਰਚ ਹੋਣੇ ਹਨ।

Capital Project ਜਿਸ ਉਪਰ ਕੁਲ ਕੋਈ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਉਪਰ ਹੁਣ ਤਕ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। 1953 ਵਿਚ ਹਿੰਦ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ 8500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਸ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ Capital Project ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹਿਤ ਜੋ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਣ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਘਰਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤਕ ਦਾ ਨਕਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕਮਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੇ। ਇਸ ਚੰਡੀ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ 12,300 ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 10,500 ਲਗ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 1,043 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਰ ਪਲਾਟ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1469 commercial plots ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1,023 ਲਗ ਚੁਕੇ ਸਨ। Industrial area ਵਿਚ 155 ਪਲਾਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 117 ਪਲਾਟ ਲਗ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ, educational ਤੇ cultural ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਿਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਾਮ ਲਈ ਗੁਰਦਵਾਰੇ, ਸਰਾਵਾਂ, ਮੰਦਰ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਟ ਲਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੇਰ ਹੁਣ ਤਕ ਵਸੱਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 1,21,92,250 ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਦਿਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 40 ਲਖ ਰੁਪਏ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ। Capital Project ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵਡੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਖਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਤਲੱਕ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭੂਮੀਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿਚ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ

ਦੀ ਗਲ । ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸਵਾਏ ਇਕ ਦੇ ਜੋ surplus ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ assess ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ utilization ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ । ਫ਼ਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਹਦ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਰਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਤਨੀ ਫਾਲਤੂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉਪਰ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਫ਼ਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ security ਲਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਈ insecurity ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ejectment (*Mr. Speaker occupied the Chair—11.25 a.m.*) ਬੰਦ ਹੈ ਸਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਦੂਜੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਇਕ ਆਵਾਜ਼—ਕਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ cases ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ notice ਵਿਚ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਉਸ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ case ਮੇਰੇ notice ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਉਪਰ action ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਹ action ਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਮੁਤਅਲਕ, ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਅਲਕ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਤਲਾਹ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਇਥੇ ਜੋ ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ insecurity ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਗਲ ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਗਲਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਸ ਵੇਲੇ figures ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਮੰਗਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਕੁਲ ਕਿਤਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਤਨੇ ਬੇਦਖਲ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਹਨੇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਦਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਤਾਦਾਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਬੇਦਖਲ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਢੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਹਿਨ ਕਰ ਲੈ ।" ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿਨ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਫੇਰ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ

[ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਰਿਹਾ । ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਰਹਿਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾ ਲਈ। ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋ ਗਿਆ । ਫੇਰ ਜ਼ਮੀਦਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਤੇ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਭਤੀਜੇ ਕੋਲੋਂ ਹਕ ਸ਼ੁਫ਼ੇ ਦਾ ਦਾਵ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੇਦਖਲ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਗਿਆ. . . .

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਉਹ ਅਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਵੀ ਦਸ ਦਿਉ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੇਦਖਲ ਹੋਏ ਹਨ ।

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਉਹ ਅਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇ ਸਕਾਂਗਾ ਤਾਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲਵਾਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸਿਆਸੀ agitations ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਵਿਚ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦਖਲ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਦਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ notice ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਲ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ mortgage ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਰਹਿਣ ਛੁਡਾ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਕ ਸ਼ੁਫਾ ਮੰਜ਼ੂਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ provision ਰਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਹਕ ਬਤੌਰ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ summary restoration ਰਾਹੀਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । (*cheers*) ਇਸੇ session ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸੇ session ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । (*cheers*)

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ transfer ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜੋ surplus ਜ਼ਮੀਨ ਕਢਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ । ਜਿਥੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਟ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਐਕਟ ਵਿਚ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿਸਾਬ ਲਾਕੇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ transfers ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੈ ਇਹ void ਹੋ ਜਾਏਗੀ ।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆ : ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਦ ਤਕ ਮੀਨ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ ਦੀ ਗਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ transfer ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਈਰਾਨ, ਜਰਮਨੀ ਜਾਂ ਜਾਪਾਨ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ । (*Laughter*)

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸੂਖੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅਜ ਤਕ ਜਿਨੀਆਂ transfers ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸੂਖੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਕੁਝ transfers ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਉਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਪਿਛੇ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ transfers ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ । ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹ ਬਿਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮੈਂ ਪਿਛੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਜੋ transfers ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੀ provision ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਇਕ ਗਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਧਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿਖ ਆਲਾ ਮਾਲਕ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰੂਸੀ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜਿਥੇ ਤਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰੂਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ evacuee property ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ Custodian ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੈ ਮਾਰੂਸੀ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹਕ ਦੇਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਅਰਸਾ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹੀ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਕੋ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੇ ਹਿੰਦ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਤੋਂ ਲੇ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੇ ਹਿੰਦ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ । ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੇ ਹਿੰਦ ਪਾਸ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ Custodian ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ Custodian ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ । ਉਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ Custodian ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੂਸੀ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ । ਆਲਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ

[ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਉਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਹੈ ।

ਇਸ ਵਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ surplus ਨੂੰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਜੋ ਮੁਖਤਲਫ਼ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਤਰਮੀਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ up-to-date rules ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਰੂਲਜ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ rules issue ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ staff ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ strengthen ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਰਸਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ rules ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਬਦਲਣ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ surplus ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ । ਜਦ ਤਕ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਇਆ ਅਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਗੇ ਕਦਮ ਚੁਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ । ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਈਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਲੇ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ । ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ । ਕਾਬਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ । ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹਦ ਤਕ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ । ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਲਮ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਥੇ ਤਕ ਜਮੀਨ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਜਟ ਕੰਬੋ, ਖਤਰੀ, ਬਾਹਮਣ ਜਾਂ ਹਰੀਜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕੋ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ । ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜੋ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ।

ਕਿਸੇ ਇਕ ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਕਦਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਮਹਿਰੂਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ Harijan ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੀਆਂ Village Common Lands ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ

ਵਖਰੇ ਵਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ । ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ । ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਇਸੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਹੀ introduce ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ । ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿ ਫਾਲਤੂ ਕਾਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿਤੀ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜ ਏਕੜ ਨਹਿਰੀ ਤੇ 10 ਏਕੜ ਬਾਰਾਨੀ ਤੋਂ ਘਟ ਹੈ । ਇਸ ਹਦ ਤੋਂ ਵਧੇਰੀ ਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ । ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਥੋਹੜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਮੋਟੀਆਂ ਗਲਾਂ ਹਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ । (ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ।

Mr. Speaker : It means that I will be allowing time to you at the cost of others.

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਕਫੀਅਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਹਕ ਸ਼ੁਫੇ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਜੇ ਹਕ ਸ਼ੁਫਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਕ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ ।

खान अब्दुल गफ्फार : On a point of order, Sir. मैं जनाब की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं । जनाब की तरफ से हमें हुक्म दिया जाता है कि item वार बोल लिया करें लेकिन जब मंत्रिमंडल के वज़ीर साहिबान उठते हैं वे जिस stage पर चाहें, जितना अरसा के लिये चाहें, बोलना शुरू कर देते हैं । मेरे ख्याल में आप के हुक्म की तामील इन साहिबान को भी करनी चाहिये और उन्हें भी आइटम-वार बोलना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : खां साहिब, आप तशरीफ रखिए । यह बजट की जनरल discussion है, किसी specific demand पर नहीं । (Khan Sahib, may please resume his seat. It is a general discussion on the Budget and not a discussion on some specific demand.)

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ items ਉਪਰ ਜਾਂ Demands ਉਪਰ discussion ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ Demand ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ time ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ।

ਫੇਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲਾ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਅਸਾਂ ਉਚੇਚਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ । ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ 25 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਅਫਸਰ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੇ ਗਏ । Settlement office ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਤੇ Financial Commissioner, Revenue Minister ਤੇ Finance Department ਦੇ level ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਹਾਲੇ ਦੇ rate ਦਾ ਇਲਾਨ

[ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਕਰ ਸਕੀਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ relief ਮਿਲੇਗੀ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੁਝ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਮਜ਼ੀਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ।

(ਆਵਾਜ਼ਾਂ : ਕੀ ਨਵੇਂ rates ਪੰਜਾਬ ਦੇ rates ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣਗੇ)

ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ rates ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ cess, ਪੰਜਾਬ ਦੇ local rates, ਹਾਲਾ, ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪੈਪਸੂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਅਲਗ ਹਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ rate ਦਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਲਾਨ ਹੋ ਜਾਇਗਾ । ਇਸ rate ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਮੈਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਧ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਫੇਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, Local Bodies ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । Local Bodies ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਦੇਰ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ । ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਸਾਲ 1953 ਵਿਚ 113 ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ । ਦੇਰ ਇਸ ਲਈ ਲਗੀ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਦੋਹਾਂ states ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਸੀ । ਉਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਦ ਤਕ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਰਹੀ ਕਿ Pepsu ਦੀ merger ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ । ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਦੇਰ ਲਗ ਗਈ । ਦੇਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ 1951 ਵਿਚ ਹੋਈ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਨੂੰ 1953 ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਕੇ ਜੋ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਠੀਕ ਹਲਕੇ ਨਹੀਂ ਇਸਲਈ ਨਵੀਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਟਾਫ ਲਾ ਕੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

13 ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ Ambala Division ਵਿਚ

18 ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ Jullundur Division

8 ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ Patiala Division

ਬਲਕਿ Ambala Division ਵਿਚ 13 ਦੀ ਬਜਾਏ 15 ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਲਈ nomination papers June ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ phased programme ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੂੰ ਜੂੰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚੋਣਾ ਦਾ ਏਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗਾ । ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਖਾਸੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਾਲ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦਿਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖਾਸੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਗੀ ।

ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਰ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਹਿਦ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੰਗ ਆਈ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ । ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਰਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ । ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਜਨਰਲ ਅਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਮਰਜਰ ਹੋ ਗਿਆ । ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨ । ਇਹ ਮੁਨਾਸਬ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕਠੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰਾਈ ਜਾਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲਕਾ-ਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਵੀ ਲਈ । ਇਸ ਵੇਲੇ Community Project ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਬੋਰਡ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ । ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ । ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮਰੱਤਬ ਕੀਤੀ । ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ । ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਹਾਤ ਦੀ ਤੱਰਕੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ organisations ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਸਟਾਫ ਵੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਾਏ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਓਵਰ ਲੈਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਔਰ energy, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ rural development ਲਈ ਇਕੋ ਹੀ co-ordinated agency ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਕੀ pattern ਬਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਮੌਸੂਲ ਹੋਈ । ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ elections ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨਵੇਂ pattern ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੇ ਤਿੰਨ ਯਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਹੁਣ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਦ ਫੇਰ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਕਨਵੈਸਿੰਗ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਐਵੇਂ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਸ ਵਿਚ ਧੜੇ ਬਣਨਗੇ......

ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : On a point of order, Sir. ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਡੀਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ । ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਦ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੇ discussion ਹੋਣੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ Clarify ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ । ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿਤੀਆਂ । ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ । ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਚੁਕੇ ਹੋ । (There is no question of permission. The hon. Member got enough opportunities to speak. Whatever he wanted to say he has said and the hon. Minister is giving reply to that. The hon. Member has already spoken.)

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਬੋਰਡਜ਼ ਮੌਜੂਦਾ pattern ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਣ ਯਾ ਨਵੇਂ pattern ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ । ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਬਹੁਤ ਬਣਨ ਔਰ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, 1 ਅਪਰੈਲ, 1958 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਏਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਰਿਆਇਤ ਇਹ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਅੱਗੇ 60 ਰੁਪਏ annual rental value ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਏਸ ਤੋਂ ਬਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਏਸ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 120 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । (ਵਿਘਨ)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : Order please. ਗਿਆਨੀ ਜੀ, 12 ਬਜੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਫਿਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ । (Order please. Giani Ji, the Finance Minister is to speak at 12. 0' noon. He has to give reply to the debate. There are only five minutes left and he (Giani ji) can avail of this time.)

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਜਿਹੜੀ Municipality 600 ਰੁਪਏ professional tax ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ 600 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਗੌਰ ਹੈ । (Rao Gajraj Singh : What about the urban Security of Tenure Act if you are able to fit in ?) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਨੇ ਔਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਐਕਟਿਵ consideration ਵਿਚ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਮੀਨਾਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ । (ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ) ਇਤਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

(*Some hon. Members rose to speak*).

अध्यक्ष महोदय : अब चार मिनट रह गए हैं, अब आप क्या बोलेंगे ? (विघ्न) । (Oin)

four minutes are left. What the hon. Members will speak now ?) (*Interruption*).

(*Shri Ram Parkash and Shri Inder Singh rose in their seats.*)

अध्यक्ष महोदय : दो तीन मिनट आप ले लें। दो तीन मिनट आप ले लें, चौधरी साहिब। मेम्बर साहिबान के लिये 12 बजे तक time limit रखा हुआ है। (The hon. Members may take two or three minutes each. The time limit for speeches by the members has been fixed up to 12 o'clock'.)

श्री इन्द्र सिंह : इतना थोड़ा time नहीं जी।

अध्यक्ष महोदय : डेढ़ घंटे में तो Finance Minister ने सारी discussion का जवाब देना है। तो श्री राम प्रकाश जी, मैं आप को किसी और जगह, Appropriation Bill पर accommodate कर लूंगा। (The Finance Minister requires an hour and a half to reply to the whole debate. I will accommodate the hon. Member, Shri Ram Parkash, on some other occassion, e.g. the Appropriation Bill.)

श्री इन्द्र सिंह : पहले Finance Minister के time का ख्याल नहीं रखा जाता। वे आधा आधा, पौना पौना घंटा ले लेते हैं। यह मुनासिब नहीं।

चौधरी सुन्दर सिंह : मुझे बोलने का मौका नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें बोलने दीजिये दो चार मिनट। (Please let the hon. Member speak for three or four minutes.)

श्री राम प्रकाश (जगाधरी, रिजर्वड) : स्पीकर साहिब, मैं अपने Finance Minister साहिब को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस बजट को बड़ी मेहनत से तैयार किया और इस House के सामने रखा। House के सारे मेम्बरों ने टैक्सों के मुताल्लिक नुक्ताचीनी की। Raw material, जो हमारा कच्चा माल है उस के ऊपर भी टैक्स लगाया गया है। मैं Government के सामने एक तजवीज़ पेश करना चाहता हूं जिस से Government को काफी आमदनी हो सकती है। हमारी State में कई sugar factories हैं और उन sugar factories पर एक आना फी मन के हिसाब से cess लगता है। आज से चार पांच साल पहले हुकूमत ने गन्ने पर 3 आने मन के हिसाब से cess लगाया था। लेकिन उस के बाद कुछ एक वजूहात से वह मामला drop कर दिया गया। पंजाब में तकरीबन 2 करोड़ मन गन्ना factories में crush होता है। अगर हुकूमत ने आज से 4 साल पहले जो फैसला किया था, 3 आने मन के हिसाब से cess लगाने का, वह लगाया जाए, तो 2 करोड़ मन पर इस हिसाब से, 3 आने मन के हिसाब से 40 लाख रुपये की आमदनी होती है। उस के साथ २ मैं आप के द्वारा हाउस की सेवा में निवेदन करूंगा कि जो हमारी sugar factories U.P. से गन्ना खरीदती हैं, वे उन को 3 आने मन के हिसाब से cess देती हैं। तो हमारे पंजाब में

[श्री राम प्रकाश]
3 आने मन का assess क्यों न हो ? हम कहते हैं कि गरीबों की दाल रोटी पर क्यों tax लगाया जाता है ? अगर यह cess लगाया जाए तो Government को 40 लाख रुपये की आमदनी होती है ।

उस के साथ २ मैं थोड़ा सा निवेदन आप के द्वारा हाउस की सेवा में ज़रूर करूंगा । इस बजट में, मुझे उम्मीद थी कि ज़िला अम्बाला की development के लिये काफी रुपया रखा जाएगा । इस बजट को पढ़ कर और अपने Finance Minister की speech में भी पढ़ कर देखा, तो पता लगा कि ज़िला अम्बाला के लिये कोई रुपया नहीं । वहां पर tube-wells नहीं हैं । अगर tube-wells बने भी हैं तो उस जगह पर जहां उन की ज़रूरत नहीं । यह उन के महकमे की बेइमानी है कि जहां पर सही मानों में tube-wells की ज़रूरत पड़ती है, वहां पर tube-wells नहीं लगाए जाते, जहां tubewells पर थोड़ा खर्च होता है, वहां पर लगाये जाते हैं । जो लगे हैं उन को बिजली नहीं मिलती । Time थोड़ा है । एक सड़क जगाधरी से अम्बाला छावनी तक बनाने की तजवीज़ है और यह तजवीज़ मतवातर आठ साल से चली आ रही है लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं किया गया । इस के बाद में थोड़ी सी बात हरिजनों के मुताल्लिक अर्ज़ करना चाहता हूं । ज्ञानी जी की मेहरबानी है कि उन्होंने मुज़ारों के मामले पर ग़ौर किया है लेकिन मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर इस में थोड़ा सा भी lacuna रह गया तो इस स्टेट के अन्दर surplus area बिलकुल नहीं बचेगा । इस लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार ने मुज़ारों और हरिजनों को security देनी है तो जितनी भी ज़मीन आज तक अम्बाले ज़िले में और दूसरी जगहों पर लोगों को नाजायज़ बेची गई है, उस को वापस ले लिया जाए । उस को illegal करार दिया जाना चाहिये । तब ही इन ग़रीब लोगों को फायदा पहुंच सकता है, वरना उन के बसने की कोई उम्मीद नहीं है । बराबर पांच साल से ऐसे ऐक्ट हाउस में पास हो रहे हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हुआ । जब तक उन पर अमल नहीं किया जाता तब तक कानून पास करने का क्या फायदा है ? इस सम्बन्ध में मैं एक मिसाल आप के सामने पेश करता हूं । अगर आप एक घड़े को पानी से भर दें और उस में थोड़ा सा छेद भी कर दें तो उस में से सारे का सारा पानी बह जाएगा । यही हाल कानून का होता है । जब उस में कोई थोड़ा सा भी lacuna आ जाता है तो उस का सारा असली मकसद फौत हो जाता है । अगर आप ने सूबे के मुज़ारों को और गरीबों को protection दी है तो थोड़े से lacuna के कारण उस का कुछ भी फायदा नहीं रहता । पिछले साल हाउस में फाइनेंस मिनिस्टर साहिब ने एलान किया था कि एक एक हज़ार रुपये तक गरीब दस्तकारों को personal bond पर लोन दिया जाएगा लेकिन मैं पूछता हूं कि कितना रुपया उन्होंने गरीब दस्तकारों को अपना काम करने के लिये दिया है ? कितना रुपया हरिजनों को दिया है ? पंजाब के अन्दर जिन लोगों के पास पहले ही पैसा है उन लोगों को ही loan मिलता है और गरीब और deserving लोग वैसे ही रह जाते हैं । इस वक्त हमारे सूबे में बेकारी हद से ज्यादा फैली हुई है । और यह रोग दिन बदिन भयानक रूप अख्तियार किये जा रहा है । अगर

12 Noon

सरकार सही मानों में इस रोग को सूबे में से दूर करना चाहती है और वह चाहती है कि सूबा तरक्की करे तो गरीब हरिजनों को और दूसरे landless काश्तकारों को ज़मीन दे और गरीब दस्तकारों को कर्ज़ा दे । जब ज़मीन और कर्ज़ों का मसला हल हो जाएगा तो बेकारी खुद-ब-खुद दूर हो जाएगी । (घंटी की आवाज़) स्पीकर साहिब, आपने घंटी बजा दी है, इस लिये मैं अपनी स्पीच खत्म करता हूं लेकिन निवेदन करूंगा कि आप मेहरबानी कर के मुझे दूसरी बार फिर टाइम दें ।

(चौधरी इन्द्र सिंह और दीवाना साहिब बोलने के लिये टाइम मांग रहे थे ।)

अध्यक्ष महोदय : चौधरी इन्द्र सिंह की स्पीच बड़ी constructive होती है । वह स्पीच नहीं कर सके, मुझे इस का बड़ा अफसोस है । (Chaudhri Inder Singh makes a very constructive speech. I am very sorry that he has not got an opportunity to make a speech.)

वित्त मंत्री (श्री मोहन लाल) : स्पीकर साहिब, आज इस डिबेट का पांचवां रोज़ है और जैसा कि आप जानते हैं मैम्बर साहिबान ने बजट की डिस्कशन में काफ़ी दिलचस्पी ली है । उन मैम्बर साहिबान की तादाद, जिन्होंने कि बहस में हिस्सा लिया, कुल हाउस की तादाद का एक तिहाई है । पचास से ज़ायद मैम्बर साहिबान ने हिस्सा लिया है । यह एक बहुत बड़ी तादाद है एक ही डिस्कशन के सिलसिले में और इस लिये जितनी दिलचस्पी ली गई है, वह काफ़ी है । बहुत से मैम्बर साहिबान काफ़ी तादाद में ऐसे थे जिन्होंने कि बजट में डिस्कशन करते हुए constructive suggestions दी हैं, नुक्ताचीनी की है और कुछ अपने इलाके की और दूसरी जनता की मांगें रखी हैं । बजट के सिलसिले में जो नुक्स उन को दिखाई दिये, उन के मुताल्लिक भी गवर्नमेंट को तवज्जुह दिलाई है । मुझे इस से खुशी हुई है, कोई खेद किसी तरह का नहीं है । परन्तु जो भी नुक्ताचीनी हुई हमें उस की कदर है । हम इस बात को जानते हैं कि आपोज़ीशन की तरफ से या treasury benches की तरफ से जो कन्स्ट्रक्टिव नुक्ताचीनी होती है हमारा फर्ज़ है कि उस पर ध्यान दें । जहां तक भी हो सके उस पर अमल करने के लिये और चीज़ों को सुधारने के लिये यत्न करें । इस के अलावा कुछ ऐसी भी, नुक्ताचीनी तो मैं नहीं कहता, बातें हुई जिन के करने वालों में से काफी तादाद कुछ ऐसे मैम्बर साहिबान की थी जिन्होंने वह बातें करते वक्त कुछ जातियात को अपने ध्यान में रखा । आपोज़ीशन की तरफ़ से भी और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ़ से भी कुछ ऐसे भाई थे जिन्होंने अपनी जात को आगे रखा या किसी और की जात को किसी ढंग से अपने सामने रखा । यह कोई बहुत मुनासिब चीज़ नहीं है । न ही ऐसे अहम मौके पर जब कि आप बजट पर डिस्कशन करते हों, जब स्टेट के सारे ढांचे को, सरकार की सारी पालिसी को, उस की economic जो कुछ growth है, उस को देखना हो, उस के सारे structure को देखना हो और उस पर नुक्ताचीनी करनी हो, नये साल के लिये अपनी पालिसी का फैसला करना हो और पिछले गुज़रे हुए साल के काम में नुक्स निकालने हों, उस वक्त जातियात को सामने रखना, ख्वाह अपनी या दूसरे की, कुछ बहुत मुनासिब मालूम नहीं होता । मैं सिर्फ़ आपोज़ीशन की ही बात नहीं करता—मुझे कदर है उन भाइयों की जो कि आपोज़ीशन में हैं और

[वित्त मंत्री]
जिन्होंने बहुत कन्स्ट्रक्टिव बातें की हैं। लेकिन आपोज़ीशन के कुछ हिस्से ने कुछ ऐसे नज़रिये से नुक्ताचीनी की या बातें की हैं, उन की तो समझ आ सकती है चूंकि उन का कोई खास नज़रिया है, कोई भी बात हो, उन्होंने तोड़ मरोड़ कर बयान करनी है ताकि वह ज़ाहिर कर सकें कि जो treasury benches हैं, सरकार है, वह ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी बातें करती है जो कि उन के ख्याल के मुताबिक शायद अच्छी भी हों लेकिन वह ज़ाहिर कर सकें कि वह बुरी हैं। उन्होंने कुछ अपना ढंग रखा हुआ है कि यहां हो, वहां हो, किसी जगह भी हो, अपने आप के लिये, ताकत हासिल करने के लिये या दूसरे को बुरा कहने की नीयत से कुछ ऐसी बातें गलत तौर पर भी कह लें। उन से तो मुझे गिला नहीं है लेकिन मैं उन भाइयों से गिला ज़रूर करूंगा जो कि हमारे treasury benches से हैं और उन्होंने अपने आप की ज़ात या किसी और की ज़ात को सामने रखा। सिर्फ इस गर्ज़ से गिला करूंगा क्योंकि मुझे यह जताने की ज़रूरत महसूस हुई कि यह बहुत महत्वपूर्ण occasion होता है जब कि बजट डिस्कस हो। तो उस वक्त इस हाउस को अपने ज़ाती ख्यालात और ज़ाती अग़राज़ के लिये किसी ढंग से forum बनाया जाए, यह हमारी democratic conventions के बिलकुल खिलाफ है। हो सकता है कि किसी पार्टी से हमारे इख्तलाफ़ात हों, हो सकता है कि किसी भी भाई के अपने विचार हों, उन की अपनी expectations हों जो कि पार्टी के अन्दर पूरी न हो सकती हों, क्योंकि ऐसे मौके होते आए हैं और होते रहेंगे। हो सकता है कि उन को अपने मकसद में कामयाबी न हुई हो लेकिन इस का मतलब यह नहीं है कि अपनी पार्टी की बातें, अपनी ज़ाती बातें, हाऊस में डिस्कस की जाएं। हो सकता है कि किसी भाई को किसी और की पोज़ीशन अच्छी न लगती हो, हो सकता है कि वह अपनी पोज़ीशन को बढ़ाना चाहता हो और उस में वह कामयाब न होता हो, हो सकता है कि उस के कारण उस के मन में frustration आई हो लेकिन इस के बावजूद भी यह हाउस इस काम के लिये फोरम नहीं है कि अपने ज़ाती ख्यालात को इस ढंग से यहां पर ज़ाहिर करें या किसी तरीके से अपने गुस्से को यहां पर निकाले।

Shri Muni Lal : On a point of order, Sir...

अध्यक्ष महोदय : आप के प्वाइंट आफ आर्डर का जवाब यह है कि आप तशरीफ रखिए। (In reply to the point of order raised by the hon. Member, I would ask him to please resume his seat.)

वित्त मंत्री : मैं तो मैम्बर साहिबान की स्पीच का जो नज़रिया है उस के मुताल्लिक कह रहा हूं। आप को भी उस पर अमल करना चाहिये घबराना नहीं चाहिये। तो मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि यह किसी भी ढंग से मुनासिब मालूम नहीं देता कि हम इस august occasion पर किसी भी तरीके से, किसी भी ढंग से, ज़ाती बातों को, ज़ाती ख्वाहिशात को या जो किसी को किसी के खिलाफ ज़ाती तौर पर नफरत हो, वह यहां पर लाएं। यहां पर जो इस तरह की डिस्कशन हुई है, उस को सुनने के बाद यह मैं इसलिए कह रहा

कि हम अभी democracy के experiment में अथवा parliamentary democracy की transitional stage से गुज़र रहे हैं। हम ने काफी अच्छी अच्छी conventions कायम करनी हैं। ठीक है कि parliamentary democracy की दूसरे मुल्कों की conventions और मिसालें हमारे सामने हैं लेकिन यहां पर अपने मुल्क के हालात के मुताबिक ही हम ने healthy conventions कायम करनी हैं। वह इस लिए कि यहां पर जो कुछ भी हम कहते हैं या करते हैं उस का असर होता है। हमारे ऊपर ही नहीं, बाहर की जनता के ऊपर ही नहीं; बल्कि भविष्य के ऊपर भी उस का असर होता है। आज अगर हम कुछ ऐसी बातें करें जो कि बिल्कुल unfortunate हों, यहां बजट की असली discussion को भूल कर, सिर्फ चर्चा के लिए ही, बाहर नुमायश करने के लिये ही इस तरह के ढंग से बातें करें तो किसी तरह से भी यह कोई अच्छी convention नहीं कही जा सकती। इस लिये, स्पीकर साहिब, मैं बड़ी संजीदगी के साथ आप के ज़रिए चन्द भाइयों से—खासकर आपोज़ीशन के एक सैक्शन से यह कहना चाहता हूं कि हमें बड़ी संजीदगी से सोचना चाहिए कि हमारी बाबत पब्लिक या कोई और authorities जिन की राए की कदर होती है क्या सोचती हैं। मैं यह बात कोई point score करने की गर्ज़ से नहीं कहना चाहता लेकिन पूरी संजीदगी से महसूस करता हूं और इस लिये अर्ज़ करता हूं कि आज एक हाई कोर्ट के जज को—एक eminent जज को भी हमारी पब्लिक life के मुताल्लिक कुछ कहने की ज़रूरत महसूस हुई। मैं दोबारा यह अर्ज़ करना चाहता हूं, क्योंकि कहीं मुझे गलत न समझ लिया जाए, कि मैं कोई point score करने की गर्ज़ से नहीं कह रहा हूं। लेकिन यह बहुत विचार करने वाली बात है कि Judiciary के एक बहुत बड़े जज ने भी यह कहना महसूस किया कि वह हमको बताएं कि हमारी पब्लिक leadership क्या है, लोग हम से क्या expect करते हैं और हमारा public conduct क्या होना चाहिए। इस बात को उन्होंने अपनी रिपोर्ट में details के साथ deal किया। जो हमारी लीडरशिप है, वह वाकई कदर की मुस्तहक है, जो भी बातें वह करते हैं, उन की कदर होनी चाहिए, जो भी काम वह करते हैं, उन की कदर होनी चाहिए। वह काम चाहे किसी के सामने हों—पब्लिक के सामने हों, जुडीशरी के सामने हों। लेकिन इस चीज़ के बावजूद वह eminent जज यह बात कहने पर मजबूर हुए कि जहां तक उन पब्लिक लीडर्ज़ का ताल्लुक है जो कि उन के सामने पेश हुए, उन्होंने उस मौका पर इस बात का कोई अच्छा सबूत नहीं दिया—अपने public conduct का अच्छा सबूत नहीं दिया। तो इस चीज़ पर हमें बड़ी संजीदगी के साथ विचार करना होगा। वह इस लिए कि जिन की निस्बत उस जज ने यह कुछ कहा उन की पब्लिक में इस वक्त काफी ऊंची पोज़ीशन है, उन की बातों का पब्लिक की opinion पर काफी अच्छा खासा असर होता है, और उन की इस वक्त following भी काफी है। अगर leadership ऐसी हो जिस leadership से पब्लिक को कोई फायदा न पहुंचे, पंजाब को कोई फायदा न पहुंचे, बल्कि फायदे की बजाए नुक्सान हो तो हमें विचार करना होगा कि इस वक्त जो हमारा पब्लिक conduct है, उस में अभी सुधार की काफी गुंजायश है।

मैं यह इसलिए भी कहता हूं कि आप ने यहां इस हाउस के अन्दर भी देखा होगा कि कितने ऐसे मौके आए हैं जहां पर कि शायद उन्हीं भाइयों ने जिन की बाबत काबिल

[वित्त मंत्री]
जज ने अपने विचार प्रकट किए, अपने आप को इस तरह से conduct किया जिसे कि मुनासिब नहीं करार दिया जा सकता या जिस से कि इस August House की शान बढ़ी हो या जिस से कि यहां पर कोई बड़ी अच्छी convention कायम हुई हो। इसी सिलसिले में मैं अर्ज़ करता हूं कि जहां तक बजट पर discussion का ताल्लुक है, मुझे अपोज़ीशन के एक सैक्शन से खास तौर पर मायूसी हुई है। वह यह कि उन्होंने मज़ाक उड़ाया मेरी उस अपील का, जोकि मैं ने उन से अपनी बजट स्पीच के आखिर में की थी जोकि मैंने पूरी नेकनीयती से, खुले तौर पर और बिल्कुल sincerely की थी। मैं ने उन से यह अपील की थी कि आज जब कि हम संकट के समय से गुज़र रहे हैं, हमारी आर्थिक अवस्था ऐसी है कि हम मिलजुल कर ही काम करके इसे सुधार सकते हैं, आर्थिक उन्नति कर सकते हैं और सूबे को उन्नति के रास्ते पर आगे ले जा सकते हैं, हमारे लिए ज़रूरी है कि मिलजुल कर पंजाब को आगे ले जाएं। लेकिन मुझे निहायत अफसोस से यह कहना पड़ता है कि उन भाइयों ने इस चीज़ पर नुक्ताचीनी करते वक्त अपने आप को मुनासिब level पर नहीं रखा—उस level पर नहीं रखा कि जिस पर मैं उन से आशा रखता था। उस अपील के लिए जिस कदर कि मैं तवक्को रखता था वह उन की तरफ से नहीं हुई। लेकिन आज फिर मैं अपनी उस अपील को दोहराता हूं कि जहां तक हमारे पंजाब की तरक्की और development का ताल्लुक है, यह तभी मुमकिन हो सकती है अगर हम सब बिला किसी पार्टी के लिहाज़ से मिल कर काम करें। ठीक है कि हमारे आपस में political differences हैं—यह हुआ करते हैं और हमेशा कायम भी रहेंगे। लेकिन जहां तक differences का ताल्लुक है, उन को सामने रखते हुए भी, अपने हाथ में ताकत हासिल करने के लिए जायज़ तौर पर कोशिश बेशक करें। लेकिन इस का यह मतलब नहीं कि यहां हाउस के अन्दर हो या बाहिर, एक ही बात को सामने रखें कि किसी ढंग से भी हो दूसरों को बदनाम ही करना है या यह कि दूसरों के रास्ते में रुकावट ही डालनी है। यह बात गलत है, नाजायज़ है और जम्हूरियत के असूल के बरखिलाफ़ है। इसलिए मुख्तसिर तौर पर अर्ज़ करता हुआ फिर इस वक्त अपनी उस अपील को दोहराता हुआ आशा करता हूं कि सारा हाउस पंजाब की सामूहिक तरक्की के उद्देश्य को पूरा करने में अपना सहयोग देगा।

अब मैं अपने असली मकसद की तरफ आता हूं। इससे पहले कि मैं और बातों का जवाब दूं, मैम्बर साहिबान मुझ से आशा रखते होंगे कि जो taxation का सब से important मामला है, उसी पर सब से पहले कुछ अर्ज़ करूं। इस से पहले कि इस पर भी मैं कुछ रौशनी डालूं, मैं ने फिर यह ज़रूरत महसूस की है कि मेम्बर साहिबान का ध्यान और तवज्जुह इस तरफ दिलाऊं कि इस वक्त जो अपने देश की, अपने सूबे की economy है, वह planned economy है। मैं ने उस वक्त यह लफ्ज़ इस्तेमाल किए, जानबूझ कर, क्योंकि इन की ज़रूरत महसूस हुई। वह इसलिए महसूस हुई ताकि जब हम अपनी दूसरी पांच साला योजना के तीसरे साल में दाखिल

हो रहे हैं तो बजट पर या demands पर बहस करते वक्त मेम्बर साहिबान इस बात को खास तौर पर अपने सामने रखेंगे कि हमारी economy एक planned economy है और वह जो भी बहस करेंगे उस में इस बात को नज़र अन्दाज़ नहीं करेंगे। मैं यह भी समझता हूं कि मेम्बर साहिबान को इस बात की भी वाकफियत ज़रूर होनी चाहिए कि हमारे Plan के जो original targets थे, वह 163 करोड़ के करीब थे जो कि अब बढ़ कर 166 करोड़ हो चुके हैं। इस बात की भी हमें वाकफियत होनी चाहिए कि आज हमारे देश की तरक्की, हमारे पंजाब की तरक्की का दारोमदार इसी बात पर है कि हमारी प्लैन पूरे तौर पर कामयाब हो जिस के लिए हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। जो मेरे दोस्त planned economy के मुताल्लिक जानते हैं, वह जानते होंगे कि जहां पर planned economy होती है उस देश की तरक्की की कामयाबी पर प्लैन का फेल होना या कामयाब होना कितना असर रखता है। इसलिए मैं इस बात को दोहरा कर भी अर्ज़ करूं कि हमारी तरक्की का बहुत सा दारोमदार इस बात पर है कि हमारी यह पांच साला प्लैन मुकम्मल तौर पर कामयाब हो। मैं यह बात इसलिए भी कहने पर मजबूर हुआ हूं कि यहां पर चन्द एक मैम्बर साहिबान ने यह भी कहा है कि यहां पर इस प्लैन को कोई religious sanctity attached नहीं है--यह हमारे ऊपर कोई मज़हबी पाबन्दी आयद नहीं हुई कि प्लैन के अन्दर एक बार जो व्यवस्था की जा चुकी है उसी के मुताबिक ही चला जाए, इस को cut न किया जाए, या इस के targets को curtail न किया जाए और जो taxes propose किए गए हैं, उन को लगाया जाए। मैं अर्ज़ करता हूं कि उन का यह विचार गलत विचार है। हमें यह सोचना भी नहीं चाहिए कि हम अपने प्लैन के targets को कम करें या अपनी तरक्की की स्कीमों को किसी खास इलाके या नज़रिए से देख कर prejudiced महसूस करें। मैं उन से अर्ज़ करूंगा कि उन्हें किसी भी सूरत में इस तरह का attitutde अख्तियार नहीं करना चाहिए। 166 करोड़ का यह प्लैन है, इस में हमारा जो Revenue Account है, उस में ही 46 करोड़ का expenditure होना है और इस के अलावा 120 करोड़ रुपया Capital Account में से इस पर खर्च होने वाला है। इस बारे में मैं ने पहले ही मैम्बर साहिबान को अर्ज़ किया था और आज फिर दोहराता हूं कि हम ने अपने revenue के resources को raise करने की हद 46 करोड़ रुपये तक मुकर्रर की हुई है। हम ने Plan बनाते वक्त यह फैसला किया था कि हम ने अपने revenue resources को 46 करोड़ रुपये तक raise करना है। इस के लिए हम 46 करोड़ रुपये के करीब additional sources से, additional taxes से additional revenue raise करेंगे। यह बात हमें वाज़ेह तौर पर ध्यान में रखनी चाहिए कि Planning Commission को हम ने यह undertaking दी हुई है कि हम अपने resources इस हद तक raise करेंगे। जब तक हम यह undertaking पूरी नहीं कर

[वित्त मंत्री]

लेते तब तक हमारी Plan पूरी कामयाब नहीं हो सकती। हम ने Planning Commission के पास अपनी contribution देने के लिए पूरी ज़िम्मेदारी ली हुई है। अगर हम उस को पूरा करने के लिये यत्न न करें और यह आशा रखें कि हम Centre से ज़्यादा मदद ले कर या और किसी ढंग से अपनी plan को कामयाब कर सकेंगे तो ऐसी बात नहीं हो सकती। मैं यह बात फिर साफ कर देना चाहता हूं कि हम ने जहां अपनी Plan को पूरा करने के लिए 46 करोड़ रुपये के करीब अपने resources से raise करने हैं, वहां 120 करोड़ रुपये ऐसे हैं जो हम ने Planning Commission के ज़रिये Central Government से ले कर खर्च करने हैं। मेरा ख्याल है कि मैम्बर साहिबान अब बड़ी आसानी से यह बात समझ सकेंगे कि हमारी Planning का दारोमदार, उस की तरक्की इसी बात पर मबनी है कि जो commitment हम ने Planning Commission को दी हुई है, उस को हम पूरा करें और अगर हम उस को पूरा नहीं करते तो जो हमारी plan पर खर्च का हिस्सा हमें Centre से मिलना है, 120 करोड़ रुपये के करीब का, वह हमें नहीं मिल सकेगा। तो उस 120 करोड़ रुपये का मिलना हमारे अपने ऊपर निर्भर है। इसी लिये हमें अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करने के लिए सारे ऐसे revenue raise करने के लिये यह tax लगाने पड़े हैं। इसलिए जब हम taxes लगाने पर नुक्ताचीनी करते हैं तो यह ज़िम्मेदारी अदा करने वाली बात नहीं। इन tax के खिलाफ शिकायत करते वक्त हमें यह भी सोच लेना चाहिये कि अगर हम taxes नहीं लगाते तो इस का असर क्या होता है। आज तक जितने tax लगाये गये हैं 1956-57 में और 1957-58 में, उन से हम अपनी आमदनी में 7-8 करोड़ रुपये का अज़ाफा कर सके हैं और इस साल हम 2.44 करोड़ रुपये के tax और लगा रहे हैं। इस तरह से हमारी आमदनी 15 करोड़ रुपये additional taxes से हो जायेगी। इस लिए मैं आप से अर्ज़ करूंगा कि हम ने जो taxation से आमदनी बढ़ाई है उस की ज़िम्मेदारी हम ने अपने ऊपर इस प्लान के targets मुकर्रर करते समय से ली हुई है।

यह भी कहा गया है कि taxes की बजाये और ज़राये हमें सोच लेने चाहियें जिन से हम अपने plan को finance कर सकते हों। वह ज़राये क्या हो सकते हैं? एक ज़रिया तो यह हो सकता है कि हम और कर्ज़ उठायें और additional revenue taxes के ज़रिये raise न करें। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि Government of India जो हमारी इस वक्त grants and aid की शक्ल में मदद कर रही है, उसे हम ज़्यादा करने के लिये कहें। तीसरा तरीका deficit financing

का हो सकता है कि deficit financing की तरफ हम अपना रूहजान करें। इस के अलावा एक तरीका यह हो सकता है कि expenditure जो है, जहां २ मुमकिन हो सके उस में कमी की जाये।

तो इन के मुतअल्लिक मैं खास तौर पर अर्ज़ करना चाहता हूं कि कोई भी मैम्बर यह suggest नहीं करेगा कि हम और कर्ज़ लेकर, अपने जो कर्ज़े की रकम है उस को बढ़ाते जायें और इस से जो हमारा Plan है उस को finance करने का यत्न करें। यह तो कोई sound economy की बात नहीं हो सकती और कोई भी भाई जोकि यह चीज़ जानते हैं, इस में दिलचस्पी रखतें हैं, इस चीज़ को अच्छी तरह समझते होंगे कि कर्ज़ लेकर कोई भी सूबा अपनी economy को कायम नहीं रख सकता। इस के साथ ही हम देखते हैं कि जब तक हम अपने resources को raise न करें, अपनी contribution को raise न करें, उस वक्त तक Government of India हमें कोई ज़्यादा मदद देने वाली नहीं। मैं आगे चल कर बताऊंगा कि उस की अपनी दिक्कतें हैं। अब रही deficit financing की बात--मैं अर्ज़ करता हूं कि इस में भी कोई मैम्बर यह suggest नहीं कर सकता कि हमें deficit financing पर resort करना चाहिए क्योंकि इस से inflationary tendencies बढ़ती ह। पहले भी deficit finances की वजह से यहां inflationary tendencies रही हैं और उन की अपनी दिक्कतें रहीं जिन को बड़ी मुश्किल से हम कुछ check कर पाये हैं। इन inflationary tendencies का main कारण deficit financing होता है जिस की तरफ कोई भी गवर्नमेंट चाहे वह Central हो चाहे सुबाई हो अपने आप को इस में राग़ब नहीं कर सकती। तो इसी सिलसिले में ही मैं अर्ज़ करूंगा कि जहां तक Government of India का ताल्लुक है उस से हम आज तक जिस मदद की आशा रखते थे उस में भी कमी ही हुई है। पिछले साल, मैम्बर साहिबान को पता होगा कि जहां तक हमारी Plan का ताल्लुक था 35 करोड़ रुपये में से 26 करोड़ रुपये के करीब Government of India की तरफ से दिया गया था और 9 करोड़ रुपये के करीब हम ने अपने resources से खर्च करना था। यह current year की बात है। यह मैं चालू साल की बात कर रहा हूं लेकिन इस साल Plan पर खर्च के लिये जो हमारे बजट की figures हैं वह 33.79 करोड़ रुपये की हैं और इस साल Plan के खर्च में से Government of India की तरफ से सिर्फ 16 करोड़ रुपये की मदद मिलेगी यानी पिछले साल की 26 करोड़ रुपये की मदद के मुकाबले में इस साल यह हमें सिर्फ 16 करोड़ रुपये मिलेगी। हमें जब पिछले साल इस पर सिर्फ 9 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ा था वहां इस साल हमें तकरीबन 18 करोड़ रुपये के करीब खर्च करना पड़ेगा। यह विचार करने की बात है कि Government of India के सामने कुछ ऐसे factors हैं जिन की वजह से वह भी हमारी मदद नहीं कर सकती। Government of India की Finance Commission की report से जिस की recommendations को अभी अभी उस ने accept

[वित्त मंत्री]

किया है, उस पर तकरीबन 55 करोड़ रुपये की और ज़िम्मेवारी बढ़ गई है जो उस ने तमाम States को grants and aids की शक्ल में देनी है। इस के अलावा कुछ international factors भी हैं जिन की वजह से Government of India की इतनी strong position नहीं है कि वह हर State को grant-in-aid दे। एक पंजाब की ही तो बात नहीं, अगर आप सारी States की Plans को देखें तो आप को पता लगेगा कि सारी States की Plans में कमी हुई है, हर State को Centre से जो aid मिलती थी वह कम हुई है। मेरे पास कुछ दूसरी States की भी figures हैं। लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझता कि उन के बताने के लिये मैं आप का ज्यादा वक्त लूं। लेकिन इस सिलसिले में यहां पर वाज़ेह तौर पर criticism हुआ था और कुछ Press में भी इस की publicity हुई थी कि पंजाब की Plan को इस दफा इतना cut कर दिया गया है कि 43.38 करोड़ रुपये से इसे कम कर के 33.79 रुपये तक कर दिया गया है। इसका कारण साफ और परवाज़ह है कि कुछ factors ऐसे हैं जिन की वजह से Government of India की अपनी ऐसी ही position है। कुछ inflationary trend को सामने रखते हुए और कुछ दीगर बातों को सामने रखते हुए, कुछ resources की कमी को सामने रखते हुए, उन्हों ने जो हरेक State को aid देनी थी, में कमी की है। इस बारे में यहां डाक्टर भाग सिंह ने शक का इज़हार किया था, कि यह जो हमारे सूबे के Plan में 10 करोड़ रुपये की कमी इस साल हुई है, उस का हमारे सूबे की Plan पर क्या असर होगा उन्होंने पूछा कि क्या Planning Commission ने खुद बखुद हमारी important स्कीमों को काट दिया है? कौन सा ढंग उन्होंने इस के काटने में इस्तेमाल किया है? क्या उन स्कीमों को बिल्कुल छोड़ दिया गया है? यह उन का बड़ा important सवाल था और मैं समझता हूं कि इस का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। तो उन की वाकफियत के लिए मैं यह अर्ज़ करूं कि जहां तक स्टेट प्लैन को curtail करने का सवाल है उस में कोई भी important development स्कीम नहीं है जोकि काटी गई हो। जितनी भी हमारी important schemes हैं खाह भाखड़ा नंगल की हो खाह कैपिटल प्राजक्ट से ताल्लुक रखती हो, इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती हो या minor irrigation की स्कीम हो उन में कोई ऐसी स्कीम नहीं है जोकि काटी गई हो। हां यह तो आप को पता ही है कि हमारी consultation के साथ इन स्कीमज़ की scrutiny होती है और funds या स्कीम की ज़रूरत वगैरह को देख कर यह काटी जाती है। जितनी भी स्कीम्ज़ काटी गईं वह नई स्कीम्ज़ थीं। लेकिन इस का यह मतलब नहीं कि वह हमेशा के लिए पंजाब के प्लैन से काटी गईं। मैं अर्ज़ करूंगा कि प्लैन का target तो वही रहेगा और जो खर्च करना है 166 करोड़ का वह कम नहीं हुआ, कोई स्कीम मुस्तकिल तौर पर नहीं काटी गई। स्कीम को हमने implement करना है। हां यह ठीक है कि वह स्कीमें इस साल

जारी नहीं हो सकतीं मगर प्लैन के अभी दो साल बकाया पड़े हुए हैं जिन में वह स्कीम्ज़ चालू की जाएंगी और उन पर खर्च किया जायगा।

तो मैं जैसे पहले अर्ज़ कर रहा था कि हमारे लिए यह मुनासिब नहीं कि हम deficit financing की तरफ जाएं। एक बात इस के बारे में और भी है जोकि हमें अपने ध्यान में रखनी चाहिए। आप सब को पता है कि प्लैनिंग कमिशन, गवर्नमेंट आफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर खुद इस बात पर कितना ज़ोर देते हैं कि स्टेट्स अपना balanced बजट पेश करें। और हम deficit बजट पेश करके अपने आप को और देश को पेचीदगी में न डालें। इस बारे में वह बड़ा strongly महसूस करते हैं और जो इल्फाज़ उन्होंने पिछले साल कहे थे वह शायद मेम्बर साहिबान ने गौर से देखे होंगे। इस लिए अगर हम यह सोचें कि हम deficit बजट पेश करके अपने आप को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकेंगे तो यह गलत बात है। मैं ने अपनी बजट स्पीच में इस बात का हवाला दिया है कि मदद देने के लिए फाइनेंस कमिशन ने इस बात पर काफी ज़ोर दिया है। बल्कि मदद देने के लिए यह एक important term है कि यानी कि

"the requirements of the Second Five Year Plan and the efforts made by those States to raise additional revenue from the sources available to them..'

यानी कि फाइनेंस कमिशन ने एक बहुत ज़रूरी बात अपने सामने रखी कि किस ढंग से उन्होंने स्टेट्स को मदद देनी है। इस बात पर काफी ज़ोर दिया कि हर एक individual स्टेट अपने resources को tap करे और उन्होंने इस बात को ग्रांट-इन-एड और दूसरी किस्म की मदद देने के वक्त ध्यान में रखा। न सिर्फ यह बल्कि और भी जगहों पर उन्होंने ग्रांट-इन-एड देने की शरायत रखी थीं और उन की जो recommendations हैं उन में कुछ हवाला दिया हुआ है—

"The gap between the ordinary revenue of a State and its normal inescapable expenditure should as far as possible be met by sharing of taxes."

और भी कई जगहें हैं जहां पंजाब का खास तौर पर ज़िक्र किया गया है। पंजाब को अगर आज मदद मिली है, फाइनेंस कमिशन की recommendations की वजह से, तो उस का कारण यही है कि हम ने अपने resources को tap किया है। पैरा 70 में इस तरह दर्ज है कि

"The relatively comfortable position of Bombay, Punjab and Uttar Pradesh was due to their tax efforts. These three States raised Rs. 24 crores, Rs. 4.5 crores and Rs. 11 crores, respectively, during the period"

कि यह पिछले प्लैन period की बात है। इस लिए यह मुनासिब है कि हम इस बात को सामने रखें। अगर इस के बाद भी कोई दूसरा फाइनेंस कमिशन मुकर्रर हुआ तो भी यही बात होगी कि हम ने target की attainment में additional resources tap करने के लिए अपनी तरफ से क्या effort की है। यह बहुत ज़रूरी और ध्यान में रखने वाली बात है, इस लिए मैं इसे दोबारा दुहरा कर अर्ज़ करता हूं:

We cannot over-emphasize the paramount importance of States balancing their revenue budgets. We have framed our scheme of devolution so as to enable them to do so. With a massive development plan

[वित्त मंत्री]
under implementation there is a grave risk of the budgetary deficits of the States endangering the country's economy by adding to the inflationary potential. Now that all expenditure creating permanent assets are being treated as capital outlay....

इसलिए, मैं समझता हूं कि हमें अपने ध्यान में यह बात स्पष्ट रखनी चाहिए कि हमारा बजट balanced हो। इस सिलसिले में बहुत से भाइयों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हमें additional resources raise करने के बजाए अपने expenditure में बचत करनी चाहिए। (विघ्न) इस के मुतअल्लिक मैं अर्ज़ करूं कि जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है वह इस असूल को मानती है। हमें हर वह बचत करनी चाहिए कि जहां भी efficiency को affect न करते हुए हम कर सकें। इसी असूल को सामने रखते हुए पिछले साल हमने दो कमेटियां मुकर्रर कीं एक Resources and Retrenchment Committee और दूसरी Cadre Committee। हमें खुशी है कि यह दोनों कमेटियां इस वक्त बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं। जहां तक Resources and Retrenchment Committee का ताल्लुक है इस के चेयरमैन और मैम्बर साहिबान बड़ी दिलचस्पी से काम कर रहे हैं और उन्होंने बड़ी लेबर की है और हम आशा करते हैं कि वह जल्दी ही अपना काम खत्म कर लेंगे। उन्होंने कुछ interim recommendations की हैं और उन में से एक दो को हमने taxes की सूरत में मंज़ूर भी कर लिया है। गो जो दूसरी recommendations हैं वह गवर्नमेंट के under examination हैं और हम आशा करते हैं और उन से अपील करते हैं कि वह अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके जल्दी दें। उन्होंने काफी मेहनत की है और पांच छः recommendations की भी हैं और हम ने उन से request की है कि वह जून तक अपनी रिपोर्ट पेश कर दें तब इस से काफी फायदा हो सकता है और हम उस की मुनासिब scrutiny करके अगले बजट पेश करने के वक्त तक देख सकते हैं कि इस की क्या implementation कर सकते हैं। इसी तरह से Cadre Committee का काम भी जारी है और उस के मुतअल्लिक भी फैसला किया था कि वह छः महीनों के अन्दर अपनी रिपोर्ट ``। तो जहां तक expenditure को curtail करने का ताल्लुक है यह असूल हम मानते हैं और पिछले साल कुछ कमी की भी है। मैम्बर साहिबान को पता ही है कि हम ने contingencies के खर्च में 15 परसैंट का कट लगाया था और टी. ए. वगैरह में भी कट लगाया था और दूसरे खर्च भी कम किए थे। और इस तरह एक करोड़ की रकम बचाई थी।

एक आवाज़ : यह कट जारी रहना चाहिए।

मुख्य मंत्री : यह जारी रह नहीं सकता।

वित्त मंत्री : मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि कट को permanent शकल में कायम नहीं रखा जा सकता। इस के साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम contingency के खर्च में permanent शकल में कट कर देंगे तो हमारी efficiency पर असर पड़ेगा (हेअर हेअर) मान लीजिए कि

हम आज स्टेशनरी के खर्च में 10 फीसदी की कमी कर देते हैं तो हम इसे हमेशा के लिए कायम नहीं रख सकते क्योंकि जब हमारी स्टेशनरी में कमी हो जाएगी तो उस वक्त ज़रूरी है कि हमारी efficiency पर असर पड़ेगा।

इसी तरह यहां पर टी. ए. के बारे में ज़िक्र किया गया है। यह ठीक है कि जहां तक इस पर control किया जा सके, अच्छा होगा, लेकिन इस में मुशकिल इस बात की पेश आती है कि अगर tour न किए जाएं तो सरकारी काम को अच्छी तरह से नहीं किया जा सकता। हमें इस के बारे में इस बात को सामने रखने की ज़रूरत है कि कई जगहों पर जाने की सरकारी कर्मचारियों को ज़रूरत पड़ती है और यह उस इलाके की भलाई के लिए और फायदे के लिए भी ज़रूरी हो जाता है। इस लिए travel-ling पर पाबन्दी नहीं लगाई जा सकती।

फिर यहां पर transport और सरकारी vehicles के बारे में कहा गया। यह ठीक है कि इस मद में खर्च ज़्यादा है और हम भी चाहते हैं कि इस में कमी की जाए। जहां तक रैस्ट हाऊसों का ताल्लुक है और दूसरे इस तरह के अखराजात हैं, उन में कमी की जाए—हम भी यह चाहते हैं लेकिन efficiency की cost पर हम इस को कट नहीं कर सकते। और आप सब मेरे साथ इत्तफाक करेंगे जब मैं यह कहूं कि कुछ अखराजात ऐसे होते हैं जिन को कम करने से काम की efficiency पर असर पड़ता है। अगर हम खर्च को कम कर देंगे तो काम में inefficiency बढ़ जाएगी और लाज़मी तौर पर डिले होगी और फिर हमारे मेम्बर साहिबान यह आलोचना करेंगे कि हमारी चिट्ठी की acknowledgement नहीं आई, तो यह सारी चीज़ें हैं जिन को किसी कट लगाने से पहले ध्यान में रखना पड़ता है।

एक बात और है जिस का ज़िक्र मैं यहां पर करना चाहता हूं और वह यह है कि स्माल सेविंग स्कीम के ज़रिए हम रुपया इकट्ठा करते हैं। इस की तरफ भी इशारा किया गया है लेकिन यह भी एक ज़रिया है अपने resources को raise करने का। मैं इस की तफसील में नहीं जाना चाहता लेकिन इतना ज़रूर कह देना चाहता हूं कि इस स्माल सेविंग स्कीम के ज़रिए इस प्लान में 12 करोड़ रुपए रेज़ करने के लिए रखे गए हैं। इस स्कीम का फायदा कितना है, मैं इस की तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन यह एक ऐसी चीज़ है जिस के ज़रिए दो फायदे हैं। एक तो यह कि सूबे के लिये resources raise किए जा सकते हैं और दूसरे यह कि यह inflationary trend को रोकने में मदद होती है। लोगों में जो फालतू रकम बचाने की भावना है, उसको इस स्कीम के ज़रिए मुल्क के विकास की स्कीमों की तरफ लगाया जा सकता है। इस लिए मैं नहीं समझता कि ऐसी स्कीमों पर किसी को एतराज़ हो सकता है। इस लिए मैं इस हाउस के सब मेम्बर साहिबान को अर्ज़ करूंगा कि वह इस स्कीम को आगे ले जाने में सरकार की मदद करें।

[वित्त मंत्री]

जहां तक हमारे balances के खर्च करने का सवाल है, जिस की तरफ डा० भाग-सिंह जी ने इशारा किया है कि हम पंजाब के balances को खा रहे हैं, यह ठीक है कि हम ने पंजाब के balances को खर्च किया है और यह अच्छी बात नहीं है और हम मानते हैं कि पिछले साल इस balances में से 9 करोड़ खर्च किया गया था और 17 करोड़ इस साल खर्च किया गया। लेकिन यह खर्च जो करना पड़ा वह मजबूरी की हालत में था। Resources की कमी की वजह से ऐसा करना पड़ा। जो हालात यहां थे उन्हीं हालात में इस तरह के खर्च हरेक स्टेट गवर्नमेंट को करने पड़ते हैं। मैं शायद इस वक्त इसकी तफसील में न जा सकूं लेकिन जिन मेम्बर साहिबान ने इस पर एतराज किया है उनकी information के लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि जहां तक balances की खपत का ताल्लुक है यह हर स्टेट में किए जाते हैं। यहां पर कैरल स्टेट का ज़िक्र किया गया है। इस स्टेट के पिछले और इस साल के बजट proposals मेरे सामने हैं। यह मैं इस लिए यहां नहीं लाया कि मेरा इरादा किसी दूसरी स्टेट की इकानौमी पर नुक्ताचीनी करने का नहीं था। लेकिन क्योंकि इस स्टेट का ज़िक्र खासतौर पर मेरे कम्यूनिस्ट भाइयों ने किया है, इस लिए अर्ज़ करना चाहता हूं कि वहां भी इसी तरह मजबूरी की हाल में किया गया है। उस स्टेट ने न सिर्फ तीन करोड़ रुपया पब्लिक लोन की शकल में रेज़ किया बल्कि अगर आप वहां के फिनांस मिनिस्टर साहिब की बजट स्पीच को देखें तो आप को मालूम होगा कि वहां पर 220 लाख यानी दो करोड़ बीस लाख की अपनी securities को sale करने की जरूरत महसूस हुई ताकि इस सूबे के ज़रूरी अखराजात को मीट किया जा सके। (आवाज़ : आप किस की बात कर रहे हैं।) मैं कैरल की बात करता हूं जिस की बावत इशारा किया गया था। उनकी बजट proposals को आप देखें कि तीन करोड़ का public loan रेज़ किया गया और फिर भी 220 लाख की सरकारी securities को उन्हें liquidate करना पड़ा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हरेक स्टेट को अपने हालात के मुताबिक इस तरह करने की जरूरत महसूस होती है।

इस से पहले कि मैं टैक्सों की individual proposals के बारे में जो एतराज किए गए हैं कुछ कहूं, मैं एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं कुछ आंकड़े कैरल सरकार के taxation proposals के बारे में आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे कम्युनिस्ट भाइयों ने इस के बारे में ज़िक्र किया था। वहां के पिछले साल की फिनांस मिनिस्टर साहिब की स्पीच को अगर आप देखें तो पता चलेगा कि वहां 232 .57 लाख के नए टैक्स लगाए गए। दो करोड़ 32 लाख के टैक्स पिछले साल लगाए थे।

(**डाक्टर भाग सिंह** : किन पर ?)

यह टैक्स वहां के लोगों पर लगाए गए। यह तो थे पिछले साल के टैक्स। इस साल भी केरल वालों ने 76.78 लाख के नए टैक्स लगाए हैं। मेरे लिए यह

बहुत मुनासिब नहीं कि मैं उनकी taxation proposal की हरेक individual मद बताऊं कि किस पर यह टैक्स लगाए गए हैं। यह अच्छा नहीं कि एक स्टेट दूसरी स्टेट की बजट proposals के मुतअल्लिक कुछ कहे। आप खुद ही देख कर अन्दाज़ा लगा सकते हैं। मैं इन पर कुछ comments नहीं करूंगा। अगर आप, स्पीकर साहिब, मुझे इजाज़त दें तो मैं उनकी taxation proposals को पढ़ कर सुना दूं ताकि मेरे भाई जो इतराज़ करते हैं, वह खुद ही अन्दाज़ा लगा लें। उसमें है कि—

"An increase in the rate of tax on urban immovable property; a stamp duty on forward transactions in pepper and coconut oil; a single-point tax at purchase point on timber instead of the present multi-point sales tax, a surcharge of 10 per cent on passenger fares in the State transport services, increase in the electricity duty........."

मुझे इस लिए यह जताने की ज़रूरत पड़ी कि पिछले साल भी जब taxes को increase किया गया था तो मेरे कुछ साथियों ने महसूस किया था और केरल का हवाला दिया था।

(Chaudhri Inder Singh : But you begin from below.)

हम तो अभी टैक्स लगा रहे हैं। उन्होंने पिछले साल ही इतने टैक्स लगा दिए थे। आप खुद उनकी बजट proposals देख सकते हैं।

अब मैं अपने बजट की individual taxation proposals पर आने से पहले एक और चीज़ पर आपके दो-तीन मिनट लेने ज़रूरी समझता हूं। वह यह है कि हमारे बजट पर comments करते हुए एक responsible newspaper ने अपने विचार दिए हैं। मेरा इशारा Hindustan Times की तरफ से दिए गए comments पर है। Hindustan Times ने हरेक स्टेट के बजट पर अपने comments निकाले थे। पंजाब के मुतअल्लिक भी उन्होंने comments निकाले हैं। उन्होंने लिखा है :—

"Punjab's budget for 1958-59 has two praiseworthy features. It has decided not to leave uncovered a revenue deficit of Rs 2.08 crores possibly rising to Rs 2.34 crores at existing levels of taxation and, secondly, it has sought to fill the gap by raising additional revenue through measures which seem to be on the whole reasonable in their context."

फिर कहा है :

"In the circumstances, attempts at balancing budgets are to be preferred to light-hearted deficit budgeting and Punjab's record in this respect has been better than that of certain other States."

फिर आगे चल कर लिखा है कि :

"For additional revenue Punjab's Finance Minister has drawn mainly on the sales-tax, extending its coverage by withdrawing exemptions enjoyed by certain agricultural and primary produce and raising its general rate. There may be a protest against the decision to tax sales of foodgrains, but the rate has been kept specially low at 75 nP. per 100 rupees and it is, therefore, unlikely to be onerous especially as foodgrain prices have lately tended to be some what easier and the consumer may not, therefore, be particularly sensitive to this small charge.

[वित्त मंत्री]

..but it is only fair to the Punjab Government to take note of the fact that its decision to make education free in Government Schools up to the sixth standard and to provincialize local body schools must cost money and that this money has to be secured from the public which stands to benefit from these two educational policies. Incidentally in considering the incidence of the new tasxation on the mass of the people it is but proper that the reliefs proposed for such vulnerable sections of the population as school teachers and low-paid Government employees should be allowed credit."

मैं इन quotations पर आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा।

डाक्टर भाग सिंह : आप Tribune भी quote कर दें।

मंत्री : इस के मुतअल्लिक भी मैं बता दूंगा। अभी मेरे पास इतना टाईम नहीं। (*interruptions*) Let me finish please. I have very little time at my disposal.

मैं Hindustan Times की comments को quote कर रहा था। नये Taxes के बारे में ज़रा इस अखबार के विचार सुनिये।

"New taxes will not prove a great burden on the Punjab people. Duty on electricity is not much. Nobody will mind the small cess on foodgrains Nobody will object to license fee on arms being doubled in a countrry which believes in Ahinsa. A little increase of one naya Paisa in the general sales-tax can be tolerated."

अब मैं जो नये Taxes हैं इन के मुतअल्लिक कुछ briefly अर्ज़ करूंगा।

डाक्टर भाग सिंह : आप Tribune भी quote करें।

मुख्य मंत्री: यह मैं बतला दूंगा।

वित्त मंत्री : यह जो Tax है Electric duty का इस के मुतअल्लिक मैं कुछ points अर्ज कर देना चाहता हूं कि यह कोई नया Tax नहीं है। 1932 में यह बम्बई में लगा। फिर यह Madras, Bihar, Bengal, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh और Kerala में भी लगा। Taxation Enquiry Commission ने भी यह Tax लगाने की सिफारिश की थी। और यह मेरे पास Finance Commission की Report है। इस के page 31 पर यह लिखा हुआ है कि Electricity duty, State को अपने resources कायम रखने के लिये लगानी चाहिये। इसी तरह से जून 1956 में State Finance Advisory Committee ने भी यह Tax लगाने की report, resources को कायम रखने के लिये, की और सिफारिश की कि यह Tax लगाना चाहिये। इस के साथ ही मैं ने बजट स्पीच में यह भी जाहिर किया है कि Electricity Board के बन जाने से हमें 18 लाख रुपये का घाटा होगा। इसलिये Finances Commission की Report के मुताबिक भी हम हक बजानब हैं कि Tax लगायें। जहां तक इस के rates का सम्बन्ध है, हम ने इन को reasonable basis पर लगाने की कोशिश की है। Domestic and Commercial use के लिए हमने इस duty का rate 10 प्रतिशत रखा है। 80 प्रतिशत

consumption domestic purposes के लिए होती है । तो जो कोई 15 unit तक इस का इस्तेमाल करता है, उस पर यह नया टैक्स 45 nP. तक पड़ेगा। यानी यह तकरीबन -/7/6 के हिसाब से होगा जोकि बहुत ही मामूली है । इसलिए यह किसी तरह से भी नामुनासिब नहीं है ।

अब मैं बताता हूं कि इस का Small Scale Industry पर क्या असर पड़ेगा। पुरी साहिब अब यहां नहीं हैं। मैं चाहता था कि इस के बारे में वह भी सुनते । Small Scale Industry पर जो average excess payment की जाती है वह 9 nP. से लेकर 11 nP. तक है । इस के अलावा 25 प्रतिशत पर duty जो होगी वह $2\frac{1}{2}$ nP. और शामिल कर के 11.5 से लेकर 13.5 nP. तक फी यूनिट Small Scale Industry पर देना पड़ेगा, जोकि बहुत ही मामूली है। अगर हम इस का मुकाबला दूसरी States के साथ करें तो हमें पता लगेगा कि यह rate दूसरी States में हमारी निसबत ज्यादा है । यह rate Bombay में Small Scale Industry पर 14 nP. है, New-Delhi में 13 nP. है और Andhra में भी 13 nP. है। Uttar Pradesh में 12 nP. है, Madhya Pardesh में यह 12 nP. है और Rajasthan में 12.18 nP. है। इस का मतलब यह है कि दूसरी States में हमारी State की निसबत ज्यादा है । अब Small Scale Industry के बाद मैं Medium Industry की बात लेता हूं । इस वक्त इन को 6.9 nP. के ऊपर $1\frac{1}{2}$ से 2 nP. तक लगेगा । और यह 75 से लेकर ऊपर तक 10 nP. होगा । अगर दूसरे सूबों से इस का मुकाबला किया जाये तो यह बहुत कम है। यह Rajasthan में 11.16 nP. है, Bombay में 15 nP. है Uttar Pradesh में 12 nP. है, Madhya Pardesh में 12 nP. है। Andhara में 12 nP. है और यह New Delhi में 10 nP. है। जहां तक Large Scale Industry का ताल्लुक है electricity charges 6 nP. per unit पड़ती है और यह duty फी unit $1\frac{1}{2}$ nP. शामिल होकर $7\frac{1}{2}$ nP. तक बनेंगे । दूसरी States की मेरे पास figures नहीं हैं वरना उन का भी मैं मुकाबला करता। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि Industry पर इसका ज्यादा असर होने वाला नहीं है । इस के मुतअल्लिक Taxation Enquiry Commission ने सिफारिश की हुई है उस पर विचार किया और हम इस नतीजा पर पहुंचे हैं कि जब बिजली की cost केवल 20 प्रतिशत है कुल cost of production से तो इस duty का cost of production पर कोई खास असर नहीं पड़ता । इसलिए आज हम जो बढ़ौतरी कर रहे हैं इसका कोई खास असर होने वाला नहीं है और दूसरी States के मुकाबले में यह excess अब भी favourable है इस तरह से हमारे पास दूसरे भी rates

[वित मंत्री]

हैं लेकिन में आपका ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता।

जो Tax हम ने manufacturers पर लगाया है इस के मुतअल्लिक भी अगर पुरी साहिब यहां होते तो समझते कि यह भी कोई ज़्यादा नहीं है। अगर manufactured goods की manufacturer sale करता है तो उस पर Sales-Tax लगता है मगर यह raw material पर नहीं लगता। हम चाहते हैं कि जहां यह manufactured goods पर लगे वहां यह raw material पर भी लगे। क्योंकि जब raw material की manufactured goods market में sale होती हैं तो उन पर भी लगना चाहिए। तो इसलिए यह मुनासिब है कि जब हम दूसरे सब articles पर सेल्स टैक्स लेते हैं तो जो manufacturing के लिए raw material है उस पर भी हम लें, यह नई बात नहीं। इस तरह का टैक्स और स्टेट्स में भी है। मसलन मद्रास में है, आंध्र में भी है, बाम्बे में है और उत्तर प्रदेश में भी है। यही नहीं वहां तो Multi-points Sales-Tax है जोकि ज़्यादा हाथों में जा कर बढ़ जाता है और आप देखें कि हमारे यहां जो टैक्स है वह Single-point Sales-Tax है। इसमें और multi-points Sales-Tax में भारी फर्क है। मल्टी प्वाइंट सेल्स टैक्स हर प्वाइंट पर चार्ज किया जाता है। और सिंगल प्वाइंट सेल्स टैक्स सिर्फ एक प्वाइंट पर चार्ज किया जाता है। इस तरह से हमारे यहां का टैक्स favourable है। यह सिंगल प्वाइंट टैक्स बिहार और उड़ीसा में भी है लेकिन वहां normal rates 2 रुपया 3 आना सैंकड़ा के हिसाब से है जबकि हम सिर्फ दो रुपए के हिसाब से लगा रहे हैं। इसके लिए टैक्सेशन इनक्वायरी कमिशन ने भी सिफारिश की है कि स्टेट को यह टैक्स भी लगाना चाहिए। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। इसलिए सारी पढ़ता नहीं। जिस को भी देखना हो वह कमिशन की रिपोर्ट के नं० 21 और सफा 59 को पढ़ने का कष्ट करे।

1 p.m.

एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि इस का consumer पर कोई ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। Abnormal हालात में इसकी आशा की जा सकती है कि जो manufacturers हैं उनके profit में से इसकी adjustment होगी। बहर हाल अगर फर्क हुआ भी तो बहुत मामूली होगा।

दूसरा टैक्स जो है वह काटन, काटन सीडज़, रा हाइडस और स्किन पर है। इन पर पहिले टैक्स नहीं था। यह चीज़ बजा तौर पर समझने की ज़रूरत है और जहां तक इंटर स्टेट सेल्स टैक्स का ताल्लुक है उसमें यह है कि जिस article पर आपकी स्टेट में टैक्स नहीं होगा उस पर इंटर स्टेट सेल्ज टैक्स चार्ज नहीं हो सकता। अगर आज काटन, काटन सीडस, रा हाइड्स पर स्टेट में टैक्स न हो और अगर यह किसी शक्ल में एक्सपोर्ट हो कर जाए तो उस पर सेल्स टैक्स नहीं चार्ज हो सकता।

यह इंटर स्टेट सेल्स टैक्स में provision है। इसलिए हमें यह सोचना होगा। आप जानते हैं कि हमारी स्टेट की काटन का बहुत सा हिस्सा ऐसा होता है जोकि हमारी स्टेट से एक्सपोर्ट होकर दूसरी स्टेट को जाता है। हमारा अंदाज़ा है कि 35 करोड़ रुपए की काटन हमारे सूबे में पैदा होती है और इस 35 करोड़ में से 31 करोड़ से ज़्यादा की काटन दूसरी स्टेट्स को जाती है। इसका मतलब यह कि जो 31 करोड़ का transaction हो कर बाहर जाता है उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है। इससे स्टेट को कितना घाटा पड़ता है आप अंदाज़ा लगा लें। इसी तरह रा हाइड्स वगैरह का हाल है। हमारी स्टेट में एक करोड़ आठ लाख रुपए की हाइड्स और skins होती है, जिसमें से 90 लाख रुपए की बाहर export होकर जाती है जिस पर कोई टैक्स नहीं मिलता। कितना नुकसान है स्टेट का? इतना heavy export हो और उस पर कोई टैक्स न लगे? आप यह देखिए कि क्या यह टैक्स manufacturers पर ही अकेला लगाया जाए और जो producers हैं उन पर न लगाया जाए? यह कितनी बेइंसाफी होगी। यह items सेल्ज टैक्स में शामिल करने बहुत ज़रूरी थे। हमारी स्टेट में जिस raw material की खपत होती है वह बहुत थोड़ी है, इसलिए यह मुनासिब नहीं कि हम distinction करें और कानूनी तौर पर यह हो भी नहीं सकता इसलिए अपनी स्टेट के फायदे के लिए यह बहुत ज़रूरी टैक्स था जोकि लगाया गया। इस से काफी आमदन की उम्मीद है।

एक बात और है जो गौर करने के काबिल है। और वह यह है कि दवाईयां, कपड़ा वगैरह जो है उन पर तो सेल्स टैक्स लगे और यह इतना important raw material जो बाहर भेजा जाता है उस पर न लगे। आखिर क्यों? मैं तो यही समझता हूं कि यह मुनासिब बात नहीं थी। इसलिए यह सेल्स टैक्स लगाया गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो declared goods पर लग सकता है उसी के हिसाब से दो per cent टैक्स लगाया गया।

Foodgrains पर जो टैक्स लगाया गया है अब उसकी बाबत में position वाज़ेह करना चाहता हूं। इसमें भी लोगों को गलतफहमी है। यह तो आप जानते हैं कि हम food में surplus हैं और उसका काफी हिस्सा हम export करते हैं लेकिन उस पर चूंकि टैक्स नहीं है इसलिए इंटर स्टेट सेल्स टैक्स नहीं लग सकता। अगर आप figures देखें तो मालूम होगा कि 10 लाख टन के करीब foodgrains export होता है। चावल की पोज़ीशन ले लीजिए। पौने तीन लाख टन के करीब चावल हमारे प्रांत में पैदा होता है जिसमें से पौने दो लाख के करीब बाहर जाता है और चूंकि यह हमारा staple food नहीं है इसलिए सिर्फ 1 लाख टन के करीब ही यहां पर खपत होती है। उस पर हम इंटर स्टेट सेल्ज़ टैक्स नहीं लगा सकते। इसी तरह से आप गंदम के मुताल्लिक देखिए। दो-तीन लाख टन बाहर जाता है और यह 10 परसेंट से ले कर 15 परसेंट के करीब ऐक्सपोर्ट होता है

[वित्त मंत्री]
उस पर हम टैक्स नहीं लगा सकते हालांकि यह मुनासिब है कि हम जब कोई भी commodity बाहर भेजें तो उस पर इंटर स्टेट्ज़ टैक्स ले सकें। एक बात यह है जो समझाने वाली है कि यह टैक्स कैसे चार्ज होगा। अगर एक producer अपनी commodity को किसी गांव में बेचे तो उस पर टैक्स नहीं लग सकता। Producer से जो आदमी खरीद करेगा उस पर कोई tax नहीं लग सकता। जो unregistered dealers हैं उन से अगर कोई consumer खरीद करेगा उन पर भी यह sales tax नहीं लग सकता। यह sales tax उस वक्त लगेगा जब किसी registered dealer से कोई चीज़ किसी के पास बेची जाएगी। इस में यही बात समझने की है। इस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी 80 प्रतिशत या उससे भी जो ज्यादा देहाती आबादी है उस पर इस tax का असर नहीं हो सकता। इस tax का असर उन चंद लोगों पर पड़ेगा जो registered dealers हैं। आप flour mills को ले लीजिए। वह manufacturer की definition में आती हैं। जब यह चीजें उन से फरोख्त होंगी तो उन पर यह tax लगेगा। मैं समझता हूं कि आप भी चाहेंगे कि Flour Mills से जो sale होती है उस पर tax लगना चाहिए। इस लिए tax के लगने का जो सवाल है उस का effect बहुत थोड़ी percentage पर होगा और जो होगा वह भी बहुत थोड़ा। आप हिसाब कर के देख लीजिए कि अगर पांच मेम्बरों की एक average family हो जैसे कि आम तौर पर होती है तो उन की average खपत गंदम की दो मन के करीब per month होती है और ज्यादा से ज्यादा वह 10 सेर महीने में दाल खा सकते हैं। उन पर सिर्फ़ पांच आने महीने का tax लगेगा। यह कोई इतना ज्यादा बोझ नहीं है जोकि वह बरदाश्त नहीं कर सकेंगे। इस के बरअक्स हम education की important scheme को implement कर रहे हैं। आप सब साहिबान जानते हैं कि local bodies के schools को take up करने से और education को free करने से State Government पर 25 करोड़ रुपये की gross liability पड़ गई है। तो इन हालात में अगर हम पांच आने माहवार किसी consumer से मांग करें तो यह बहुत बड़ी बात नहीं है।

एक बात मैं इस के सिलसिले में और कहूंगा। वह यह है कि मेम्बर साहिबान इस पर नुक्ताचीनी करते हुए इस हद तक पहुंच गए हैं कि आज तक दुनिया की History में यह टैक्स न किसी जगह पर लगा है और न सुना है और उन्होंने कहा है कि पंजाब की History में यह एक नई बात की गई है। मैं उन से अर्ज़ करता हूं कि दुनिया की history को जानने के लिए तो बहुत मेहनत की जरूरत होती है। कोई बात कहने से पहले हर मेम्बर के लिए यह ज़रूरी होता है कि वह उस की thorough study करे और बाद में उस बात को कहे। दुनिया की history तो बहुत लम्बी चौड़ी है मैं आप को हिन्दुस्तान की history म ही यह चीज़ जिन States में हुई है, आज से कई साल पहले हुई है उन की

मिसाल देता हूं । हमारे हिन्दुस्तान की तीन States में, मद्रास, बिहार और उत्तर प्रदेश में यह tax पहले से ही है । यह मेरे पास Madras की पिछले साल की budget speech है । उस में से मैं आप को relevant extract पढ़ कर सुनाता हूं । वहां पर यह tax तो पहले से ही लगा हुआ था । मगर पिछले साल उस में एक amendment की गई थी ।

"It is now proposed to fix the rate at 2 per cent in the case of commodities other than foodgrains and to reduce the rate to one per cent in the case of food grains (paddy, rice, wheat and millets)."

मद्रास में यह tax 1 प्रतिशत है । इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी इस किस्म का tax है । उन्होंने भी पिछले साल से यह tax लगाया है । उन की budget speech भी मेरे पास मौजूद है । इसी तरह बिहार में यह tax 1949 से है । मेरे पास Taxation Enquiry Commission की Report है । उस में 20 page पर बिहार के taxes का ज़िक्र है । यह मैं आप को पढ़ कर सुनाता हूं ।

"In April, 1949, foodgrains were made liable to sales-tax at 3 pies."

इन तीनों states में हमारी state के मुकाबले में tax की शरह ज्यादा है । इस लिए मैं अर्ज़ करूंगा कि जहां तक foodgrains पर taxes का ताल्लुक है उस में जज़बाती होने की बात नहीं है । इस में एक तो यह बात है कि हमारा जो surplus foodgrain बाहर export होता है उस पर tax लगाना ज़रूरी था । दूसरी बात यह है कि हम ने tax का rate बहुत low रखा है, तीसरी बात यह है कि हम ने जो tax लगाया है यह बहुत थोड़ी population पर effect करता है । चौथी बात यह है कि हम ने यह tax cess के तौर पर रखा है और इस से बहुत सारी population को फ़ायदा पहुंचता है । आप ज़रा गौर से देखें कि अगर एक family के दो बच्चे पढ़ते हों तो उन को एक साल मे 70/80 रुपये फीसों के देने पड़ते हैं । हम ने उन को free education की facility दी है । अगर हम उन को इतनी facility दे कर पांच आने महीने में tax के ले लें तो कोई बड़ी बात नहीं है । इस के अलावा आप हमारे इस साल के budget को देखें तो आप को पता लगेगा कि हम beneficent activities पर बहुत खर्च कर रहे हैं । 1957-58 के budget के मुकाबले में इस साल के budget को देखें । इस में हम पिछले साल से 9 करोड़ रुपया ज़्यादा खर्च कर रहे हैं । उस की सारी तफ़सील मेरे पास मौजूद है लेकिन मेरे पास वक्त इतना नहीं कि मैं उस में जा सकूं । आप खुद देख सकते हैं कि हम beneficent departments पर इस साल 9 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं और उस के मुकाबले में जो हम ने tax लगाए हैं वह सिर्फ दो करोड़ रुपये के तजवीज़ किए हैं । हम ने जो beneficent departments पर और खर्च करना है, उस में 25 प्रतिशत की taxation proposal दी हैं । इस को देख कर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम लोगों को जितना फ़ायदा पहुंचा रहे हैं उस के मुकाबले में हम ने जो उन से मांग की है वह बहुत बड़ी नहीं है ।

[वित्त मंत्री]

इस के अलावा एक बात यहां पर यह कही गई थी कि हम ने bad budgeting की है । मैं आप को अर्ज़ करूंगा कि जितनी हमारी आमदनी में बढ़ौतरी हुई है उस का हवाला Secretary के memorandum में दिया हुआ है और जो खर्च हुआ है उस का भी उस में in detail हवाला दिया हुआ है। उस को देख कर वाज़ेह हो जाता है कि उस वक्त हालात कुछ ऐसे ही थे। Finance Commission से जो पैसे मिले थे उस का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था और पैसे क्योंकि पहले नहीं मिले थे इस लिए खर्च का भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। Top Heavy administration के मुताल्लिक भी यहां पर बहुत कुछ कहा गया है। इस सिलसिले में मैं आप के सामने figures रखना चाहता हूं : उन से आप को पता लगेगा कि beneficent departments का जो खर्च है उस की percentage increase हो रही है ।

1955-56 में हमारा यह खर्च 26.2 प्रतिशत था। 1956-57 में 27.2 प्रतिशत हुआ। 1957-58 में 32.7 प्रतिशत हुआ और आयंदा साल के लिए 35.4 प्रतिशत होगा । पिछले तीनों सालों के मुकाबले में आयंदा साल में beneficent departments पर खर्च होना है उस में 10 प्रतिशत की increase हुई है। दूसरी तरफ हमारा जो civil administration का खर्च है उस की percentage बहुत कम हुई है।

Civil Administration का 1951-52 का खर्च 34.2 प्रतिशत था, 52-53 का 33.6 प्रतिशत था । 1956-57 का 19.5 प्रतिशत था, 57-58 का 19.1 प्रतिशत था और आयंदा साल में जो खर्च करना है वह 17.9 प्रतिशत है। 1951-52 से ले कर इस वक्त तक हम ने 50 प्रतिशत उस खर्च को कम किया है। इस लिए बिना facts को देखे यह बात कह देना कि खर्च ज़्यादा हो रहा है ठीक नहीं होती । पहले कोई वक्त था जब पंजाब का budget 15/16 करोड़ हुआ करता था लेकिन आज हमारा budget 50 करोड़ तक पहुंच गया है । इस budget का बहुत सा हिस्सा development के कामों पर खर्च हो रहा है। यह बात हमें इस नतीजे पर पहुंचाती है कि हमारी top heavy administration नहीं है ।

यहां पर एक बात यह भी कही गई थी कि sanctions जो होती हैं वह Finance Department से बहुत लेट होती है और इस तरह हमारी development की जो बहुत सी schemes हैं वह मुकम्मल नहीं हो सकतीं और अधूरी रह जाती हैं । अगर इस सिलसिले में सारी चीज़ें explain करूं तो बहुत वक्त लग जाएगा। लेकिन मैं उस भाई से जिन्होंने यह एतराज़ उठाया था अर्ज़ करूंगा कि जो schemes sanction होने का procedure है वह अब पहले से काफ़ी बदल चुका है। पहले यह बात ठीक थी कि Planning Commission से मंज़ूरी हासिल करने के लिए और उसके बाद Finance Department, Government of India से मंज़ूरी में कुछ दिक्कतें हुआ करतीं

थीं । इस बात पर हम ने Finance Ministers' Conference जो नवम्बर में हुई थी उस में विचार किया था और यह बात Government of India से take up की थी । तो अब उस में यह procedure काफी simplify हो चुका है । अब के procedure के मुताबिक हर माहवारी और सेह-माहवारी allocations जो हैं वह Government of India से मिलेंगी और Finance Department से भी जो schemes हैं उनका जल्दी से जल्दी examination हो कर रकम मिलती जाएगी । इस सिलसिले में मैं यह भी अर्ज़ कर दूं कि पहले ही हर state की बहुत सी schemes implementation के लिए Government of India के Finance Department ने मानी हुई हैं । तो उस conference में यह बाकायदा फैसला हुआ था कि हर एक state को यह नई schemes ज़्यादा नहीं लानी चाहिएं और इसी तरह हमारी जो taxation की commitments हैं उन को भी पूरा करना चाहिए ।

फिर, जनाब, यहां पर Supplementary Demands के मुताल्लिक भी बहुत कुछ कहा गया है कि यह बहुत unplanned होती हैं, हमारी anticipations ठीक नहीं और ऐसा नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह । मालूम होता है कि शायद वह भाई इस बात को नहीं जानते कि Supplementary Demands एक constitutional provision है । यह Centre में भी आती हैं और हर state में आती हैं । यह Demands उस सिलसिले में होती हैं जो कि budgeting के वक्त कई दफा तसव्वर नहीं की जा सकतीं । मेरे पास उत्तर प्रदेश की figures हैं और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि वहां पर 12 करोड़ की Supplementary Demands पेश हुई हैं । मगर हमारे हां तो कुल चार पांच करोड़ की ही थीं........... (ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ? ਉਹ state ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ।) अगर वह state बड़ी है तो यह 12 करोड़ की figure भी बड़ी ही है । तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इन Demands का आना एक normal feature है । इसी तरह कुछ irregularities Public Accounts Committee की report में point out हुई थीं जो Audit Report के सिलसिले में थी । एक भाई ने इस के बारे में बहुत बातें कीं । उन्होंने 1952-53 के जो Accounts थे और उन की जो Audit Report थी उस के basis पर जो Public Accounts Committee के comments थे उन का सहारा लेकर कहा कि कितनी धांधली मची हुई है, यह हुआ है, वह हुआ है । देखो 1952-53 की बातें अब तक चल रही हैं और आज हमें पता चला है कि कितना अंधेर हो रहा है, वगैरा वगैरा । वह भाई इस वक्त यहां पर बैठे नहीं हैं । अगर होते तो उनको बतलाता कि इस सारे सिलसिले में procedure क्या होता है । उनको procedure का पता नहीं था । इसी लिए यह सारी बातें की मालूम होती हैं । उनको पता होना

[वित्त मंत्री]

चाहिए कि Audit Report जो होती है उस की Public Accounts Committee में बाकायदा Scrutiny होनी है । उसके बाद फिर Committee की report गवर्नमेंट के पास जाती है, departments के पास जाती है और Finance Department के पास जाती है। उस पर बाकायदा Government level पर गौर किया जाता है । जहां implementation की जरूरत होती है वहां action भी लिया जाता है । फिर उस action की report और दूसरे comments Public Accounts Committee के पास भेजे जाते हैं। इसी तरह यह काम चलता रहता है । यह तो एक normal feature है । इस में धांधली की कोई बात नहीं ह । जहां इतने भारी Accounts हों वहां ऐसा तो नहीं हो सकता कि कभी भी accounting में कोई irregularity न हो। जहां यह पाई जाती है वहां, जैसा कि मैं ने अभी बताया, action भी लिया जाता है । तो यह accounting का एक normal feature है ।

फिर एक और बात है । अपोज़ीशन के एक भाई—ग़ालबन डाक्टर भाग सिंह ने कहा था कि हम Government of India से क्यों नहीं इस बात का इसरार करते कि rehabilitation loans वगैरह पर जो interest हैं उस में सहूलियत दी जाए । हम ने इस बारे में अपना case Finance Commission के सामने पेश किया था कि rehabilitation loans और दूसरे loans के सिलसिले में भी हमें यह सहूलियत मिलनी चाहिए । मुझे इस बात के बताने में बड़ी खुशी है कि Finance Commission ने हमारी बातें मुनासिब हद तक मान लीं और जो उसकी recommendations थीं वह अब Government of India ने भी मंज़ूर कर ली हैं । (*Cheers*) उसके basis पर rehabilitations loans जो भी हैं उन पर जो सूद के सम्बन्ध में हमें मुनासिब सहूलतें मिलनी चाहिए थीं वह मिल जाएंगी । इस के अलावा जो दूसरे loans हैं, electricity की schemes हैं, Power Projects हैं और दूसरी ऐसी schemes हैं उन पर भी हमें interest कीश कल में सहूलियतें मिल जाएंगी । फिर rehabilitation loans के सिलसिले में उन्होंने यह फैसला भी कर दिया है कि 1st April, 1957 से जो कुछ भी हमारी actual realisations capital और interest की होंगी हम उस की payment करने के ज़िम्मेदार होंगे (*Cheers*) ।

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਇਤਨਾ huge debt ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ repay ਕਰੋਗੇ ?

वित्त मंत्री : मैं अर्ज़ करूंगा कि जो Finance Secretary का memorandum है उस में इन सारे debts की तफसील दी हुई है । यह सफा 14 से लेकर सफा 29 तक है । उस में आप देखेंगे कि हर item जो debt का है वह सारे का सारा development works और schemes से ताल्लुक रखता है । आप देखेंगे कि कोई item भी कर्ज़ का ऐसा नहीं है जो non-developmental activities के लिए उठाया गया हो । मैं मानता हूं और यह ठीक है कि कर्ज़ बहुत भारी

मालूम होता है मगर वास्तव में बात यह है कि यह सारा तरक्की के लिए और State की development के लिए लिया गया है। बातें तो और भी बहुत सी हैं मगर अब वक्त नहीं रहा है इस लिए उन्हें अब touch नहीं कर सकूंगा। इस के लिए मैं माफी चाहूंगा। अगर Appropriation Bill के वक्त मौका मिला तो उनके बारे में भी अर्ज़ करूंगा।

आखिर में मैं यही अर्ज़ करना चाहता हूं कि हम इस वक्त तरक्की के रास्ते पर चल रहे हैं। इस बात को हर मैम्बर साहिब ने भी माना है और इस से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है कि जहां तक हमारी State का ताल्लुक है उस में काफी development हुई है और हम development की राह पर बराबर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब मैं आप से आशा रखूंगा कि यह जो बजट पेश किया है इस को unanimously मंज़ूर करेंगे। इस के अलावा मैं अर्ज़ करूंगा कि इन सारी ज़िम्मेदारियों को अपने सामने रखते हुए जोकि State की development के सिलसिले में हैं हम सब को आपस में मिल कर काम करना होगा। हमें तरक्की के लिए ऐसा वायुमण्डल पैदा करना होगा जिस में कि सूबे के सब के सब भाई बहिन मिल कर काम कर सकें। हमें इन बातों को भी ध्यान में रखना होगा कि हम अपनी और जनता की ताकत कुछ ऐसे कामों में ज़ाया न करें जिन के करने का कि अकसर प्रयत्न किया जाता है और फिर ऐसे सवाल पैदा न करें जिन से कि भाई भाई में नफरत पैदा हो और जिन से एक फिरके की दूसरे फिरके के साथ नफरत फैलती हो बल्कि ऐसा वायुमण्डल पैदा करें कि जिस से State की development हो। तो इतनी अपील करके मैं आप से आशा रखूंगा कि आप इस बजट को unanimouly स्वीकार करेंगे। (*Loud cheers*).

(*The Sabha then adjourned till 2 p.m. on Monday, the 17th March, 1958.*)

APPENDIX

*WRITTEN SPEECHES SUBMITTED BY CERTAIN MEMBERS ON THE GENERAL DISCUSSION OF THE BUDGET FOR THE YEAR 1958-59, UNDER ORDERS OF THE SPEAKER, DATED 13TH MARCH, 1958.

श्री रन सिंह (थानेसर, रिज़र्वड) : स्पीकर साहिब, फाइनेंस मिनिस्टर साहिब ने 27 फरवरी को हाउस में जो बजट स्पीच दी थी मैं महसूस करता हूं कि उस के दो पहलू हैं जो कि इस तरह हैं—

(1) पंजाब की as a whole तरक्की की तरफ ध्यान और

(2) पंजाब में रहने वाले गरीब मज़दूरों, पिछड़े हुए इलाकों और गरीब हरिजनों की तरक्की और बहबूदी का ख्याल।

*Note. On 13th March, 1958, the hon. Speaker observed on the floor of the House that Members who had not got the opportunity to speak during the debate on the General Discussion on the Budget might give in brief notes mentioning difficulties of their constituents and suggestions to be included in the debates of the Punjab Vidhan Sabha.

[श्री रन सिंह]

जहां तक पहले पहलू का ताल्लुक है, मैं महसूस करता हूं कि इस में कोई शक नहीं कि हमारी गवर्नमेंट ने पिछले सालों में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और आने वाले साल के बजट में भी कई बड़े बड़े काम करने के लिए provision है। सूबा के देहात में बिजली मुहैया करना और गांव वालों के मकानों को बिजली के तारों से बुनने का काम जो हमारी गवर्नमेंट न किया है और कर रही है कोई छोटा सा काम नहीं है। इस के इलावा ज़िला हिसार और महेन्द्रगढ़ जसे रेगिस्तानो इलाकों को जहां कभी रेत उड़ा करती थी भाखड़ा नहर के पानी से सैराब कर के बागों की शक्ल में बदल देना खास अहमियत रखता है। आज़ादी से पहले के पंजाब में ऐसी ज़मीन का रकबा जोकि ज़ेरे काश्त थी सिर्फ़ 39 लाख एकड़ था जबकि आज हमारे सूबा में ऐसी ज़मीन 92 लाख एकड़ से ज़्यादा है।

इसी तरह से हर साल सैंकड़ों मील लम्बी पक्की सड़कें बनाना और बच्चों के लिए मुफ्त तालीम मुहैया करना वगैरह जो काम हम कर रहे हैं यह सब काबले तारीफ हैं।

मगर जहां तक दूसरे पहलू का ताल्लुक है इस पर मैं अपने फाइनैंस मिनिस्टर साहिब को मुबारकबाद नहीं दे सकता। मैं समझता हूं कि फाइनैंस मिनिस्टर साहिब की बजट स्पीच का दूसरा पहलू पहले की निस्बत ज़्यादा ज़रूरी है और इस की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए था।

स्पीकर साहिब, मैं ज़िला करनाल के ही नहीं बल्कि पंजाब के निहायत ही बैक-वर्ड इलाका तहसील थानेसर से कामयाब हो कर आया हूं। यह वह इलाका है जहां कि लोगों के लिए आमदोरफत के रास्ते बिल्कुल दुश्वार हैं और यहां के दहाती लोग शहरों की तहज़ीब से बिल्कुल बेबहरा हैं। मौसम बरसात में तो इस इलाका की अजीब हालत होती है। यह सारा का सारा इलाका एक झील की शक्ल अख्तियार कर लेता है और यहां के सारे बाशिन्दे कीचड़ में धन्स कर खड़े हो जाते हैं। इस तरह से साल में चार महीने के लिए लोगों के काम बिल्कुल रुक जाते हैं और इस मौसम में यहां लोगों की ज़िन्दगी काबले रहम होती है। सारे इलाका म आफत का पहाड़ टूटा हुआ होता है। तो ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि सड़कें बनान क सिलसिला में इस इलाका की तरफ सब से पहले तवज्जुह दी जानी चाहिए थी और सुना भी जाता था कि पंजाब के दूसर प्लान में तहसील थानेसर के बैकवर्ड इलाका में दो सड़कें—पहली करनाल से शाहाबाद बरास्ता लाडवा और दूसरी रादौर से जठलाना—बनाई जानी थीं। मगर अफसोस कि इन सड़कों के बनाने का काम जोकि निहायत ज़रूरी था अब मुल्तवी कर दिया जा चुका है।

अपने इलैक्शन प्रापेगेंडा के दौरान में मैं अपने एक लाख वोटरान को यकीन दिलाया करता था कि आप के इलाका में कम अज़ कम यह दो सड़कें तो ज़रूरी

तौर से दूसरे पांच साला प्लान में बनवा दी जावेंगी। लेकिन मौजूदा हालात में अब मेरे लिए उस इलाका में शक्ल दिखानी मुश्किल हो गई है।

बजट स्पीच के पैरा 21 में यह ज़िक्र किया गया है कि गवर्नमेंट हरिजनों को ज़मीन खरीदने के लिए माली इमदाद दे रही है और 9 लाख रुपया अब तक इस सिलसिला में खर्च किया जा चुका है। इस में कोई शक नहीं है कि यह स्कीम निहायत अच्छी है और हरिजनों के लिए बहुत मुफीद है। मगर मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि कैसे हरिजनों को यह मदद दी जाती है और कैसे उन के लिए ज़मीन खरीदी जाती है। मैंने पंजाब भर में यह देखा है कि हर ज़िला में हरिजनों के लिए बीस पच्चीस कुनबों के लिए 4,500 रुपया फी कुनबा के हिसाब से ज़मीन खरीदी जाती है और जिस ज़मीन पर गवर्नमेंट यह रकम खर्चती है वह बिल्कुल नाकस होती है जिस में कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी अच्छी पैदावार नहीं की जा सकती और हरिजन लोग इस रकम में से आधी रकम जोकि कर्ज़ा की शक्ल में होती है वापस नहीं दे सकते। कई हालतों में हरिजनों को अच्छी ज़मीन भी दी जाती है। मगर यह ज़मीन बड़े बड़े मालकों की होती है और यह पहले ही हरिजन मुज़ारईन के पास ज़ेरे काश्त होती है। इसलिए खरीदने से पहले उन हरिजन मुज़ारईन को जो इसे काश्त करते हों बेदखल किया जाता है और फिर खरीद कर दूसरे हरिजन को दी जाती है। इस से तो मैं समझता हूं कि उलटा नुक्सान ही होता है। हम कितने ही हरिजन मुज़ारईन की रोटी छीन लेते हैं और दूसरों पर कर्ज़ा अदा करने का बोझ डाल देते हैं। मैं यह समझता हूं कि यह स्कीम हरिजनों के लिए तब ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती है जब कि उन्हें यह 4,500 रुपया या 5,000 रुपया ग्रांट नकद अदा किया जावे और उन की मर्ज़ी पर छोड़ दिया जावे कि जहां चाहें ज़मीन खरीद लें और यह ग्रांट सिर्फ ज़मीन खरीदने के लिए ही मखसूस होनी चाहिए। यह ऐसे हो सकता है कि तहसीलवार हर साल दस बारह कुनबे चुन लिए जाएं और उन को अपनी तहसील में ज़मीन खरीद कर दी जाए। मगर यह ज़मीन हरिजन मुजारों को बेदखल कर के हासिल न करनी चाहिए।

एक बात मैं Socialistic Pattern of Society के मुताल्लिक करना चाहता हूं। हम कहते हैं कि हम हरिजनों और छोटे लोगों का मियारे ज़िन्दगी ऊंचा करके उन्हें दूसरे लोगों के बराबर लाना चाहते हैं। मगर क्या गरीब हरिजनों की रोटी पर टैक्स लगा कर उन का मियारे ज़िन्दगी ऊंचा किया जा सकता है? एक तरफ तो हम उन गरीब हरिजनों पर चमड़ा रंगने और खालें उतारने पर टैक्स लगाते हैं जो मुश्किल से सारा दिन मुशक्कत करके रोटी हासिल करते हैं और दूसरी तरफ हम उन लोगों को जिनके बड़े बड़े कारखाने और ट्यूबवैल चलते हैं 23 नए पैसे की बजाए 12 नए पैसे फी यूनिट के हिसाब से बिजली मुहैया करते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि आप इन गरीब लोगों पर इस तरह टैक्स लगा कर कै इन की ज़िन्दगी का मियार ऊंचा कर सकेंगे।

श्री केसरा राम (सिरसा, रिज़र्वड) : श्रीमान स्पीकर साहिब, मैं वज़ीरे खज़ाना साहिब के इस साल के बजट के बारे में जनाब की विसातत से कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं ।

1. इस बजट में पैरा नम्बर 21 में हरिजनों को ज़मीन खरीद कर देने का ज़िक्र है। यह स्कीम वाकई हमदर्दी से वाबस्ता है लेकिन इसका जो तरीका है वह मुस्तहक की पूरी इमदाद नहीं कर सकता जिसका कारण यह है कि सा` ज़िला में एक जगह ज़मीन इकट्ठो करके तकरीबन पच्चीस तीस घरानों को `नी है जिस में सब से पहले एक रुकावट यह है कि पच्चीस तीस घरानों को एक जगह इतना बड़ा कित्ता ज़मीन मिलना हो बड़ा मुश्किल है। अगर किसी बड़े मालगुज़ार से ज़मीन हासिल कर ली जावे तो वह मालिक ज़मीन साबका ग़रीब मुज़ारों को ज़मीन से उजाड़ कर रकबा पूरा करता है और कीमत अराज़ी मुंह मांगी वसूल करता है। इस तरीका से एक को उजाड़ कर एक को बसाना कोई काबले तारीफ़ काम नहीं । इस लिए मेरी यह दरखास्त है कि जहां मुस्तहक अराज़ी मतलूबा आबाद हो वहां किसी मालिक ज़मीन से ज़मीन खरीद कर दी जाए ताकि कोई भी मुश्किल पेश न आए। थोड़ा रकबा मिलना भी आसान है।

2. इस बजट में पैरा नम्बर 16 में सड़कों का ज़िक्र किया गया है और इस साल तकरीबन 300 मील लम्बी पुख्ता सड़क बनाई जाएगी जिसके लिए 2·84 करोड़ रुपया सड़कों पर खर्च करना मंज़ूर किया जाना है। लेकिन तहसील सिरसा की किसी सड़क का ज़िक्र नहीं किया गया। तहसील सिरसा एक बड़ी तहसील है जिसका एरिया 50 × 50 मुरब्बा मील है। मगर इस साल के अन्दर इस में कोई ऐसी सड़क नहीं बनाई गई जिस से आमदोरफ्त और किसान की पैदावार को मंडियों में ले जाने की सहूलत हो। एक दो सड़कें बनाई गई हैं वह तहसील के बार्डर पर बनाई गई हैं जिस से दरमियानी इलाका को कोई फायदा नहीं। स्पीकर साहिब, मेरा गांव मुन्दरजा मंडियों से 20, 25 मील की दूरी पर है मसलन डबवाली मंडी, कालांवाली, एलानाबाद सिरसा से 25 मील दूर हैं। कच्चा रास्ता और 20, 25 मील की दूरी की वजह से किसान की पैदावार मंडी में ले जाने के लिए पैदावार का पांचवां हिस्सा किराया में ही खत्म हो जाता है। सिरसा मंडी देहली से 158 मील की दूरी पर है । मगर किराया पक्की सड़क का होने की वजह से आठ आ` फी मन लगता है । `खिए, स्पीकर साहिब, किसानों को किराया देने में कितना नुक्सान होता है । हमारी सरकार को चाहिए कि सब से पहले सड़कों की ज़रूरियात को पूरा किया जाए जिस से किसान को माली इमदाद में फायदा हो।

3. स्पीकर साहिब, अब मैं तहफ्फ़ुज़ मुज़ारयान ऐक्ट के बा` में अर्ज़ करना चाहता हूं। यह ऐक्ट मुकम्मल तौर पर सन् 53 में अमल में आया जो कि तहफ्फ़ुज़ मुज़ारयान के नाम से मौसूम है। लेकिन इस में कई एक खामियां रह गईं जिन से यह ऐक्ट कातल मुज़ारयान ऐक्ट साबत हुआ है। जैसा कि वह मालिक जो पुश्तों से ज़मीन काश्तकारी का काम नहीं करता मगर एज़ा ी रकबा से कम ज़मीन का मालिक है वह

बेचारे मुज़ारा को जो सौ साल से ज़मीन को काश्त करता आया है सरसरी तौर पर बेदखल कर देता है । इस ऐक्ट की मेहरबानी से हज़ारों मुज़ारे बेदखल हो कर बेरोज़गारी का शिकार हो गये हैं। दूसरी बात यह है कि मुज़ारा बाज़द रसीद बटाई दे जिसकी तफसील यह है कि हज़ारों साल की गुलामी और एहसास कमतरी में परवरिश होने वाला मुज़ारा मालिकान ज़मीन से रसीद मांगने से माज़ूर है। मालिकान ज़मीन मुज़ारों पर हावी हो चुके हैं । मालिक रसीद देने में लीतोलाल करता है और आखिर रसीद देने से इनकार कर देता है जिसका नतीजा यह होता है कि मालगुज़ार अफसरान मुतअल्लिका से मिलकर मुजारियान को अदालतों में घसीटते हैं और दुबारा बटाई वसूल करते हैं। इस पर भी इक्तफा नहीं करते । आखिर ज़मीन से भी बेदखल कर देते हैं। जो बड़े मालिक ज़मीन का मुज़ारा 6 साल से मतवातर काश्त करता है वह किश्तों पर ज़मीन खरीद सकता है लेकिन मालिकान ने अपनी मलकियत को बज़रिया पटा बै मलकियत के बनाने से छोटा मालिक बनने की कोशिश की है--अपने रिश्तेदारों के नाम करवा के जो अपनी ज़िन्दगी में काश्तकारी का काम नहीं करते । दूसरे, पटवारी मालगुज़ार की साज़िश से गिरदावरी की हेराफेरी करके मुज़ारों की हकतलफ़ी की जाती है और जो मुज़ारा अपनी काश्त ज़मीन मालिक से खरीदता है तो उस पर मालिक ज़मीन अपने लड़के, औरत, भाई से हक शुबा करा कर गरीब मुज़ारा को ज़मीन से निकाल देता है। इस तरह मालिकान ज़मीन ने बिज़नैस शुरू कर रखा है।

4. स्पीकर साहिब, जो कनकूत सिस्टम कभी रजवाड़ेशाही में था वह अब आज़ाद देश में रायज हुआ है । निहायत शर्मनाक चीज़ है। मालगुज़ार बवक्त फसल कटाई कनकूत करवाता है जो कि अफसरान मुताल्लिका से मिल कर अपनी मनमानी कनकूत मंज़ूर करवा लेता है और बेचारे मुज़ारा को खबर तक नहीं होती । जो पैदावार खेत में होती है उस से दुगनी तक कनकूत कर ली जाती है और मुज़ारा अपील भी करे तो शुनवाई नहीं होती जिसकी हज़ारों मिसालें सिरसा की तहसील में मौजूद हैं। बाद अज़ां अदालत में दावा करके मुज़ारा से नाजायज़ कनकूत वसूल की जाती है और इस तरह मज़ारा को अपनी पैदावार का तीसरा हिस्सा मिलता है हालांकि कानून की रू से मालिक तीसरे हिस्से का हकदार है। इसलिए, स्पीकर साहिब, मेरी आप की विसातत से सरकार से गुज़ारिश है कि जिनसी लगान की बजाए नकदी लगान कर दिया जाए जिसकी शराह छः गुना मालिया से ज़ायद न हो।

5. अब मैं मतरूका अराज़ी मालिकान के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं। जो मालिकान अपनी ज़मीन फ़रोख्त करना चाहें पहला हक खरीद उस मुज़ारे का हो जो उस ज़मीन को काश्त करता है चाहे मालिक ज़मीन छोटा हो, बड़ा हो, शरणार्थी हो, लोकल हो--जो मालिक ज़मीन शहरों में दुकानदारी व मुलाज़मत या और कोई बिज़नैस करते हैं वह किसी भी सूरत में मुज़ारा को बेदखल न कर सकें। मेरी तहसील सिरसा में हज़ारों बेदखलियां और हकशुबा के मुकदमात चल रहे हैं जिन से गरीब मुज़ारों की तबाही ही नहीं बल्कि इस ऐक्ट की मदद से देश में बेकारों की

[श्री केसरा राम]

फौज तैयार हो रही है। स्पीकर साहिब, मेरी आपके जरिए सरकार से दरखास्त है कि बेदखली को कतई तौर पर बन्द किया जावे। दूसरे, काश्त अराज़ी खरीद पर मुज़ारा पर किसी भी मालिक को हकशुबा करने का हक न हो। हमारी सरकार सोशलिस्ट निज़ाम कायम करना चाहती है तो मेरी मुन्दर्जा बाला फर्याद पर गौर फरमा कर अमल करने की मेहरबानी करें और अगर यही हालत रही तो यह सोशलिज़्म का नारा बेइमानी साबत होगा जो मेरी इस कांग्रेसी सरकार की शान के शायां नहीं है।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਮੀਤ' (ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, ਜਨਰਲ) : ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਦ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਭ ਨਕਸ਼ੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕੇਵਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਭੀ ਨਕਸ਼ੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਇਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਾਬਲ ਇੰਜਨੀਅਰ 3,300/- ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭੀ ਬੜੇ ਲਾਇਕ ਅਫਸਰ ਸਨ ਤਾਂ ਜਦ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਕੇਵਲ ਸਜਾਵਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਬੂਜ਼ਰ ਫਰੰਗੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ 30,000 ਰੁਪਿਆ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ extend ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ?

ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫਤਾਰੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਕੰਮ ਤੇ ਕੇਸ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ pending ਪਏ ਹਨ। ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੇਹਲਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਹਤ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ?

ਜਿਥੇ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਇਤਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ ਇਤਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪੈਸਾ ਭੀ ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸੈਲਾਬਜ਼ਦਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਸੈਲਾਬ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ? ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ?

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਰੀ ਢਿਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, ਨਿਹਾਲੇਵਾਲ, ਧੱਧਨੀ, ਹਿੰਮਤ ਪੁਰਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਅਬੋਹਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਢਿਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵੱਧਨੀ ਦੀ ਸੇਮ ਨਾਲੀ ਹਾਲੇ ਭੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਲੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਟੋਟੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨਾਮੁਕੰਮਲ ਪਏ ਹਨ । ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਵੱਧਨੀ ਖਾਸ ਦੀ link seepage drain ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ।

ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦਾ field staff ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਸਟਾਫ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਇਨਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈ ਹੈ । ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਟਿੱਡੀਦਲ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧ ਖਰਚ ਤੇ ਦਵਾਈ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀਆਂ power ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ।

Chaudhri Hari Ram (Dharamsala) : Mr. Speaker, I stand herewith to offer my heartiest congratulations to the Hon'ble Finance Minister for having brought before the House the Budget for the year 1958-59. Generally speaking under the circumstances nothing could be done better. In this budget a deficit of Rs. 208 lakhs has been shown by him. It is but natural. The State is advancing towards development at such a rapid pace that expenditure mentioned therein could not be met by any other way except some new taxation. The Government has provincialized recently all the local bodies schools and has exempted the students from payment of schools fees from the 6th class upward to Eight and Tenth Class, thus creating a very heavy liability which had to be met by new measures of taxation. There has been a lot of criticism from the Opposition Benches. On the whole this criticism was not well intentioned and wholesome as it ought to have been, it should be constructive and suggestive.

New taxation.—The opinion of the public which I have gathered is highly and very keenly against taxation on food-stuffs. So much so that on the 1st and 2nd of March, 1958 the students of the local college about 150 in number alongwith some members of the staff of the college took out processions as a protest against the taxation on food-stuffs. They met the Deputy Commissioner in this connection. This was mainly result of the present taxation on food-stuffs that all the hotels in Dharamsala increased their charges (monthly) from Rs. 20 to Rs. 28.

Other tax which has been mostly unwelcomed especially in the Kangra district is regarding the gun licences. At present a man applying for a gun licence has to pay Rs. 20.00 NP. and Rs. 17.50 NP. every year as the renewal fees. The people of this District are unable to pay even the existing amount of fees. This is why many of them have already surrendered their guns and gun licences to the Government. Now the rate of fee has been doubled ; which means that a man applying for the gun licence will have to pay Rs. 40.00 NP. and Rs. 35.00 NP. every year for getting the licence renewed. I think that out of the thousands of people only a few will be able to bear this burden and all others will have to surrender their guns and licences. Kangra district abounds in jungles and forests. The area is already infested with wild beasts such as leopards, bears and pigs. It is rather very difficult for the people to live as a lot of damage and loss is done to their persons, animals, and crops. If this taxation is forced on the people of this district, nearly all the gun licences would be surrendered by the people with the result that they as well as their cattle will not be able to go out for fear of wild beasts.

[Chaudhri Hari Ram]

I would, therefore, suggest that a tax may be levied on the transporters for diesel oil because as a result of the use of diesel oil the cost of running the vehicles has been reduced to more than one-half. Besides, tax can be easily levied on the articles of luxury.

It has always been said on the floor of this House and outside that Kangra District is very backward and poor but nothing substantial has so far been done by the Government to remove its poverty. Excepting Lahaul and Spiti the name of Kangra District is mentioned in the budget rarely.

The greatest trouble and the greatest need in this district is of the means of communication. No proper attention has so far been paid by the Government, towards this aspect. This being an hilly district has got so many streams due to which many of the villages are cut off for more than 9 months in a year from other villages and in some o. the villages even one portion of the Abadi is cut off from the otherf In such circumstances the people feel great difficulty in sending their children to School, which is situated on the other side of the stream in the same village. There have been so many cases of drowning, for instance in the villages of Darini, Kareri, Boh, Passu and Maned, etc. In such places a small amount of Rs. 2 to 5 thousands is needed to put up pedestrian bridges for the convenience of the people.

The greatest difficulty is being felt on account of the non-existence of a bridge over Khad Gaj in village Chari near Dharamsala. This bridge was the only mean of communication between Dharamsala—the Headquarter of the District and about 50 villages on the other side of this rivulet known as Guj. This bridge was washed away by the torrent about 12 years back and people are facing great difficulty in reaching the headquarters, because they have to cover more than 20 miles instead of 5 miles for coming to Dharamsala. If this bridge is constructed it will shorten the distance for coming from Pathankot to Dharamsala by more than 5 miles and for going from Pathankot to Yol via Dharamsala by at least 9 miles. This is a clear saving of about 14 miles for the traffic from Pathankot to Dharamsala and Yol Camp. I have calculated that there will be a saving of Rs. 3,000 daily to the nation as more than 100 buses, Military trucks and goods trucks daily go to Dharamsala and Yol Camp from Pathankot. Moreover, this construction should have been given priority over all other new constructions in the District a it has caused a great inconvenience and loss of the trade here. I have put up this matter before the Government particularly the Chief Minister and the Finance Minister several times but nothing has so far been done.

Education.—There is only one college in the District, and that too is not a full-fledged. There are no M. A. or M. Sc. Classes. This is a genuine demand of the people of this backward area that they must have at least one full-fledged college. The Government has recently started Geology Classes in this college only up to B.Sc. standard. Last year the students who passed their B.Sc. had to undergo great inconvenience for further studies as there is no other college in the province where this subject is taught. The Chief Minister with great difficulty, got only 6 students admitted in the Jammu College. This year about 25 students are appearing in the B.Sc. examination. What would be the fate—their

future career—when they will not find admission any where in the State? It is said that Jammu College authorities have refused further admission to outsiders. The parents of such students and the students in the College are feeling greatly perturbed. How will they be able to save a very valuable year of the students' career? I will strongly urge that some sort of arrangement either by the Government or by the Punjab University should be made immediately in the interest of the students of this backward area.

Security of Land Tenure Act.—At present there are three Acts operating in the State :—

(1) Punjab Tenancy Act No. 16 of 1887,

(2) Punjab Security of Land Tenure Act with so many amendments, and

(3) the Pepsu Tenancy Act.

I feel that there should be one consolidated legislation regardin land reforms in the State. According to the recent amendments of section 16 and addition of section 14(a) in the Security of Land Tenure Act a great hardship has been done to the tenants. A great number of them has been ejected.

Backward Classes.—Dhogaries, Harijan community and untouchables have not been included in the list of Scheduled Castes. The people of these classes are illiterate. Economically and socially they are worse than other scheduled castes. The same is the case with Gaddis. The other communities to be included in the Backward Classes are Lohar, Tarkhan Gaddies and Ghumars. Two per cent concession should be increased as the number of Backward Classes has increased.

I will try to bring to the notice of the Government, through you, other items on some other occasion. But before concluding my speech I would like to draw the attention of the Government that the development of Industries—especially that of resin and cement in this area needs special attention.

———

856 PVS—344 -9-6-59—C.P. and S., Pb., Chandigarh

Punjab Vidhan Sabha Debates

17th March, 1958

VOL. I--NO. 20

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Monday, 17th March, 1958

CHANDIGARH
Printed by the Controller, Printing and Stationery, Punjab
1959

Price : Rs: 5:75 NP

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATE VOL. I, No. 20

DATED 17 MARCH, 1958

Read	*for*	*on page*	*line*
Doraha	Deraha	(20)4	28
Cockrel	cocker	(20)9	5th from below.
suggestion	suggetion	(20)18	12
फुरस्ते	फुस्ते	(20)70	17
impeached	mpeached	(20)79	18
आर्य	आ ं	(20)98	12
बुरे	बु े	(20)100	9
तमतराक	तमराक	(20)100	20
दूंगा	ूगा	(20)100	23
मेरे	मे े	(20)100	23
ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ	ਗੁਰਬਚਨ ਂਸਘ	(20)102	3
ਅਕਾਲੀ	ਅਗਲੀ	(20)114	14
ਸੂਬੇ	ਸਬੇ	(20)115	last
ਦੇਰ	ਦਰ	(20)118	5th from below.

......

PUNJAB VIDHAN SABHA

Monday 17th March, 1958

ɜ Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh Capital at 2 p.m. of the clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

QUESTION HOUR

मौलवी अब्दुल गनी डार : स्पीकर साहिब, आज अगर Question Hour ो dispense with कर दिया जाए तो बेहतर रहेगा क्योंकि जिन members ो बोलने का time बाद में नहीं मिलता वह मिल सके ।

Mr. Speaker : What is the sense of the House?

कुछ माननीय मेम्बर : कर दिया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं जी, Question Hour चलेगा । (No please, the ،Question Hour shall continue.)

Shri Prabodh Chandra : Sir, there is a convention that the Question ›ur is dispensed with on the day when the demand relating to General ministration is discussed. I remember that it was dispensed with quite number of times in the past.

श्री राम चन्द्र कामरेड : जनाब स्पीकर साहिब, हम सब चाहते हैं कि Question ·Iour को dispense with किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : पर सब agree नहीं करते । (But all the hon. Members do not agree to this proposal).

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

CLOSURE OF PUNJAB CLOTH MILLS, BHIWANI, DISTRICT HISSAR

***1639. Comrade Jangir Singh :** Will the Minister for Education and ·bour be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Punjab Cloth Mill, Bhiwani, District Hissar, has closed down ; if so, when ;

(b) the total number of labourers thrown out of employment as a result of the closing down of the said Mill ;

(c) whether Government have taken any steps to get the said Mill re-started, or to provide employment to the labourers rendered unemployed ; if so, the details thereof ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : (a) *First part.*—Yes.

Second part.—On 5th October, 1957.

(b) 1,500 workmen approximately.

[Minister for Education and Labour]

(c) Efforts were made by the Government to persuade the employers to re-start the factory immediately and the question whether the lay-off was justified or not was referred to the Industrial Tribunal, Punjab, for adjudication. The Spinning Section of the Mills has re-started working since 11th January, 1958, and Weaving Section too has started functioning with effect from 1st February, 1958. The Government of India on the request of Punjab Government have already appointed a Committee for the purpose of making a full and complete investigation into the circumstances of the case under section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਮਿਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ?

श्रम मंत्री : मिल वालों ने तो यह वजह बताई थी कि हमारे पास capital नहीं है और हमारा नुक्सान हो रहा है । लेकिन Industries and Labour Disputes Act के तहत Government of India ने इस की investigation करने के लिए एक committee मुकर्रर की थी । जब उस की Report आ जाएगी तो मैं definite reasons बता सकूंगा ।

CONSTRUCTION OF LABOUR COLONY AT PANIPAT

***1808. Dr. Parma Nand :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to construct a Labour Colony in Panipat Town ; if so, the time by which the construction work on the said colony is expected to be started and completed ?

Rao Birendar Singh : Yes ; the construction work will start soon after the approval of the scheme by the Government of India to whom the proposal will be referred shortly. The work will be completed in due course.

डाक्टर परमा नन्द : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि यह कब तक शुरू हो जाएगी ?

Labour Minister : In due course.

डाक्टर परमा नन्द : स्पीकर साहिब, पिछले साल एक question आया था तो उस के जवाब में वज़ीर साहिब ने कहा था कि वहां पर काम शुरू हो गया है । लेकिन अभी तक वहां पर काम शुरू नहीं हुआ । इस लिए मैं पूछना चाहता हूं कि अब वह कोई date या month बता दें जब वहां पर काम शुरू हो जाएगा ।

मंत्री : जो मकान पानीपत में बनाए जाने हैं वह पहले चंडीगढ़ में बनाए जाने थे । लेकिन यहां पर कुछ मकान बन जाने के बाद सोचा गया कि इन मकानों की यहां पर ज़रूरत नहीं । उस के बाद 400 में से जो 88 मकान अभी रहते थे उन को पानीपत में बनाने का इरादा किया गया था । उस के लिए हम ने Government of India को लिखा लेकिन उन्होंने हमें ऐसा करने की इजाजत न दी और कहा कि उस के लिए अलहदा scheme भेजी जाए । इस वजह से देर हुई थी ।

डाक्टर परमा नन्द : क्या पंजाब गवर्नमेंट ने Central Government की हिदायत के मुताबिक scheme बना ली है ?

मंत्री : बहुत जल्दी Proposal बना कर भेजी जा रही है।

LABOUR DISPUTES IN GOVERNMENT OR SEMI-GOVERNMENT INSTITUTIONS

***1825. Sardar Jasdev Singh Sandhu :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state the names of Government or semi-Government Institutions in the State, if any, in which labour disputes arose during the year 1957, together with the number of such disputes referred to the Labour Tribunal ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : *First part*—

(1) P.W.D., Irrigation Branch, Patiala.

(2) Fruit Specialist, Punjab Government, Patiala.

(3) Municipal Committee, Patiala.

(4) Executive Engineer, Rajpura Colony Workshop.

(5) Bhupendra State Press, Patiala.

(6) Executive Engineer, Irrigation Branch, Devigarh Division, Patiala.

(7) Pepsu Road Transport Corporation, Patiala.

(8) Nangal-Bhakra Project.

(9) Mental Hospital, Amritsar.

(10) Cantonment Boards.

(11) Municipal Committee, Ambala.

(12) Government Finishing Centre, Panipat.

(13) Municipal Committee, Faridabad.

(14) Punjab Roadways, Ambala Cantt.

(15) Municipal Committee, Karnal.

(16) Government Work Centre, Panipat.

(17) Government Livestock Farm, Hissar.

(18) Municipal Committee, Bhiwani.

(19) P.W.D., Buildings and Roads.

[Minister for Education and Labour]

(20) Government Press, Simla.

(21) Cantt. Board, Dagshai.

(22) Revenue Department.

(23) Superintending Engineer, Public Health Division, Chandigarh.

Second part—Only one dispute in the Cantt. Board, Ambala, was referred for adjudication to the Industrial Tribunal, Punjab, Jullundur.

AWARD OF PRIZES FOR BEST ANIMALS

***1591. Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state—

(a) the total number of the Kisans, who participated in the competition for keeping good animals held at Muktsar on the Maghi Mela ;

(b) the names of persons whose animals were adjudged the best and who were given prizes ;

(c) the name of the authority or person who acted as the Judge on the said occasion and the criteria adopted by him for making the selections ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) About 400.

(b) and (c) Statements are laid on the Table.

STATEMENT

(b) LIST OF PRIZE-WINNERS IN THE STATE CATTLE SHOW, MUKTSAR

HARIANA BREED

I. Bulls above three years

(1) Satiguru Maharaj Partap Singh Ji.
(2) Panchayat Bedan, District Patiala.
(3) Panchayat Phul, District Bhatinda.
(4) Panchayat Raman Albeil Singh.
(5) A.I. Centres, Deraha, District Patiala.

II. Young Bulls below three years

(1) A.I. Centre, Nabha.
(2) Satguru Maharaj Partap Singh Ji.
(3) S. Harcharan Singh of Serai Nanga.
(4) Panchayat Kanhwala.

III. Pairs of bullocks

(1) Jarnail Singh.
(2) Kehr Singh.
(3) Dalip Singh.
(4) Ramdev.
(5) Ajmer Singh.
(6) Pritam Singh.

IV. Hariana Cows with calves at heels

(1) Mohan Lal.
(2) S. Harcharan Singh.
(3) Satguru Maharaj Partap Singh Ji.
(4) Satguru Maharaj Partap Singh Ji.

V. Hariana Cows-in-calf

(1) Sardar Harcharan Singh.
(2) Sukhdev Singh.
(3) Gurcharan Singh.

VI. Hariana heifers

(1) Hari Singh.
(2) Government Livestock Farm, Hissar.
(3) Sukhdev Singh.

VII. Best Animal of Hariana Breed

Mohan Lal.

HISSAR BREED

I. Bulls (above three years)

(i) Panchayat Bhaju Bander.
(ii) Panchayat Banga Mastwana.
(iii) Panchayat Sikhianwala.
(iv) Panchayat Wara Daroka.
(v) Panchayat Kisanwala.
(vi) Panchayat Ghanianwala.

II. Young Bulls (below three years)

(i) Panchayat, Jit Gil.
(ii) Government Livestock Farm, Hissar.
(iii) Panchayat, Chand Baja.
(iv) Artificial Insemination Centre, Nabha.
(v) Artificial Insemination Centre, Muktsar.
(vi) Artificial Insemination Centre, Muktsar.

III. Pairs of Bullocks

(i) Jora Singh.
(ii) Yoginder Singh.
(iii) Nazer Singh.
(iv) Baldev Singh.
(v) Sohan Singh.
(vi) Nahr Singh.
(vii) Bhagta.
(viii) Surjit Singh.

IV. Hissar Cows

(i) S. Harcharan Singh.
(ii) Superintendent, Government Livestock Farm, Hissar.
(iii) Chowdry Manga Ram.
(iv) S. Kehr Singh.
(v) S. Mastan Singh.
(vi) S. Ajmer Singh.
(vii) S. Pritam Singh.

V. Hissar Hiefers

(i) Munshi Ram.
(ii) Jemeat Singh.
(iii) Dalip Singh.
(iv) Sardara Singh.
(v) Roshan, Tehsil Faridkot.
(vi) Jernail Singh.

[Minister for Agriculture and Forests]

VI. Best Animal of Hissar Breed

S. Harcharan Singh.

SAHIWAL BREED

I. Sahiwal Bulls (above three years)

(1) Satguru Partap Singh Ji.
(2) Dairy Farm, Patiala.
(3) Government Livestock Farm, Hissar.
(4) Veterinary Hospital, Faridkot.

II. Cows with calves at heels

(1) Satguru Partap Singh Ji
(2) Satguru Partap Singh Ji.

III. Cows-in-calves

(i) Satguru Partap Singh Ji.
(ii) S. Gurdeep Singh.
(iii) Satguru Partap Singh Ji.
(iv) S. Darvinder Singh.
(v) Satguru Partap Singh Ji.
(vi) Shri Uggar Sain.

IV. Sahiwal Heifers

(1) Satguru Partap Singh Ji.
(2) Talib Singh.
(3) Government Livestock Farm, Hissar.
(4) Government Livestock Farm, Hissar.
(5) S. Jang Singh of Rupana.
(6) S. Gurdeep Singh.

V. Best Animal of Sahiwal Breed

Satguru Partap Singh Ji (Kukmi Cow).

I. Bulls over three years

(i) Satguru Partap Singh Ji.
(ii) A.I. Centre, Nabha.
(iii) Panchayat, Kesar Singh wala.
(iv) A.I. Centre, Bhatinda.

II. Murrah Buffalo Bulls (under three years)

(i) A.I. Centre, Rohtak.
(ii) Arjan Singh.

III. Murrah Buffalo-cows with calves at heels

(1) Parbhu.
(2) Gurbax Singh.
(3) Kapur Singh.
(4) Mukthar Singh.

IV. Murrah Buffalo Cows-in-calves

(1) Kanwar Manjit Inder Singh of Faridkot.
(2) S. Mukthar Singh.
(3) Hakam Singh.
(4) Chanan Singh.
(5) Arjan Singh.
(6) Jagir Singh.

V. Murrah Hiefers

(1) Satguru Partap Singh Ji.
(2) Kanwar Manjit Inder Singh of Faridkot.
(3) S. Harcharan Singh.
(4) Jajjur Singh.
(5) Gurbachan Singh.
(6) Arjan Singh.

VI. Best Animal of Murrah Breed

(1) A.I. Centre, Rohtak.
(2) Satguru Maharaj Partap Singh Ji (Heifer).

BUFFALO BREED

I. Bulls above three years

(1) Satguru Maharaj Partap Singh Ji.
(2) A.I. Centre, Sahnewal, District Ludhiana.
(3) Panchayat Sikhanwala, District Bhatinda.
(4) Harinder Singh.

II. Young Bulls below three years

(1) S. Harcharan Singh of Serai Nanga.
(2) Village Panchayat, Sandwan.
(3) A.I. Centre, Kotkapura.
(4) S. Atma Singh.

III. Nili Buffalo-Cows with calves at heels

(1) S. Harcharan Singh.
(2) S. Gurcharan Singh.
(3) K. Dashmeshinder Singh.
(4) Gurcharan Singh.
(5) Atma Singh.
(6) Teja Singh, Mandiala, District Bhatinda.
(7) Teja Singh, Mandiala, District Bhatinda.
(8) Harkishen Singh.
(9) Balwant Singh.
(10) S. Gurdip Singh.

IV. Nili Buffalo-Cow-in-calves

(1) S. Harcharan Singh of Sarai Nanga.
(2) Dashmesh Inder Singh of Faridkot.
(3) S. Bachittar Singh.
(4) Karam Singh.
(5) Arjan Singh.
(6) Shri Des Raj.
(7) Ajmer Singh.
(8) Gurdial Singh.
(9) Harbans Singh.
(10) Chandhu Lal.
(11) Anup Singh.
(12) Shri Bhagirath Ram.

V. Nili Heifers

(1) S. Gurcharan Singh.
(2) Gurdip Singh.
(3) Gurdial Singh.
(4) Joginder Singh.
(5) Nan Hari.
(6) Teja Singh.
(7) Ran Singh.
(8) Darshan Singh.
(9) Joginder.
(10) Atma Singh.

[Minister for Agriculture and Forests]

VI. Best Animal of Nili Breed

Sa. lar Harcharan Singh (Buffalo cow).

MILK YIELD COMPETITION

Cows		*Average Yield*
		Seers
(1) Kehr Singh	..	15
(2) Mohan Lal	..	13½

II. Buffaloes

(1) Sucha Singh	..	21
(2) Gurdip Singh	..	20½
(3) Gurbux Singh	..	16¾
(4) Thama Singh	..	16

SUPREME CHAMPIONSHIP COMPETITION

Best Animal in the Show

Shri Satguru Maharaj Partap Singh Ji (Sahiwal 1 Cow Hukm).

Satguru Partap Singh's Shield and rupees fifty only to owner of best Hariana cow-in-calf having land less than 10 acres

(1) Shri Sukhdev Singh.

I. Pregnant Mares

(1) S. Sher Singh.
(2) Gurdit Singh.
(3) Gurcharan Singh.

II. Mares with foal at foot

(1) Mohinder Singh.
(2) Mahant Sher Singh.
(3) Partap Singh.

III. Fillies

(1) S. Mukhtiar Singh.
(2) S. Harcharan Singh.

IV. Riding Mares

(1) Gurcharan Singh.
(2) S. Prem Singh.
(3) S. Gurdev Singh.
(4) S. Harcharan Singh.

V. Stallion

(1) Major Singh.
(2) Sewan Singh.
(3) Jetha Singh.
(4) Rachhpal Singh.

I. Riding Camels

(1) Tara Singh.
(2) Jagir Singh.
(3) Kaka Singh.
(4) Mukhtiar Singh.
(5) Ratna Ram.
(6) Chand Singh.

II. Stud Camels

(1) Ratna Ram.
(2) Bagira Singh.
(3) Daswant Singh.
(4) Hans Ram.
(5) Ram Rakha.
(6) Mehr Singh.
(7) Mehr Singh.

III. She-Camels

(1) Bhag Singh.
(2) Chanan Ram.
(3) Lekh Ram.
(4) Jamiat Singh.
(5) Lachhman Singh.
(6) Mada Singh.

I. Sheep and Goats—Rams

(1) Hardev Singh.
(2) Ratu Ram.
(3) Kala Singh.
(4) Khaderoo.
(5) Nathu Ram.
(6) Kattoo.
(7) Lal Singh.

II. Ewes

(1) Hardev Singh.
(2) Kattoo.
(3) Mala Singh.
(4) Kesar Singh.
(5) Lal Singh.
(6) Kala Singh.
(7) Ratto Ram.
(8) Fauja Singh.

III. Goats

(1) Jamiat Singh.
(2) Harnaik Singh.
(3) Bachan Singh.
(4) Gurdit Singh.
(5) Mohinder Singh.
(6) Mithhoo Singh.

IV. Bucks

(1) Chhotu.
(2) Vir Singh.

POULTRY

I. White Leg horn.

Male—

(a) Cockerel .. I. Jarnail Singh
(b) Cock .. II. Grewal Poultry Farm, Ludhiana.

Female—

(a) Hen .. I. S. Harcharan Singh
(b) Pullet .. II. S. Harcharan Singh

[Minister for Agriculture and Forests]

II. Rhode Island Red

Cockerel (Male)—

(1) Grewal Poultry Farm, Ludhiana.

(Female)—

(1) Pullet.—Grewal Poultry Farm, Ludhiana.
Grewal Poultry Farm, Ludhiana.

III. Plymouth rock.

(1) Government Poultry Farm, Gurdaspur.

Female.—

(1) Government Poultry Farm, Gurdaspur

IV. New Hemushire

Male—

(1) Government Poultry Farm, Gurdaspur
(2) National Poultry Farm, Bhatinda.

Female—

(1) Government Poultry Farm, Gurdaspur

V. Carnish

Male—

(1) National Poultry Farm, Bhatinda

LIST OF PRIZE-WINNERS IN THE STATE CATTLE SHOW, HISSAR

PLOUGHING COMPETITION

1. Bachittar Singh.
2. Pal Singh.
3. Gurnam Singh
4. Kehar Singh.
5. Atma Singh.
6. Bhagara Singh.
7. Jasmal.

PRIZES FOR GOVERNMENT BULL ATTENDANTS

1. Bull Attendant, A.I. Centre, Nabha.
2. Bull Attendant, Government Livestock Farm, Hissar.
3. Bull Attendant, Government Livestock Farm, Hissar.
4. Bull Attendant, Government Livestock Farm, Hissar.
5. Bull Attendant, Dairy Farm, Patiala.
6. Bull Attendant, A.I. Centre, Nabha.
7. Bull Attendant, A.I. Centre, Sahnewal.
8. Bull Attendant, A.I. Centre, Rohtak.

LIST OF PRIZE-WINNERS IN THE STATE CATTLE SHOW, MUKTSAR

CAMEL RACE

1. Rattna Ram.
2. Geja Singh.
3. Kaur Singh.

(c) **List of Judges and Classes**

Name of Breed	Names of Judges	Classes
Hissar Breed ..	1. Sardar Dalip Singh, P.V.S.I., Deputy Director, Animal Husbandry, Jullundur Division, Ferozepur.	Cows Heifers
	2. Sardar Gurbachan Singh, P.V.S.I, Rinderpest Eradication Officer, Rohtak.	Bulls over three years.
	3. Chaudhri Raghunath Singh, P.V.S. II, Gaushala Development Officer, Simla.	Bulls under three years.
	4. Bawa Bir Singh.	Pair of Bullocks.
Sahiwal Breed ..	1. Kanwar Manjit Inder Singh 2. Dewan Kundan Lal, P.V.S.I., Deputy Director, Animal Husbandry, Ambala Division, Ambala City.	Cows Pregnant, Cows with calf, at foot.
	3. Sardar Hari Singh, P.V.S. II, Cattle Development Officer, Patiala.	Heifers up to three years. Bulls over three years. Bulls under three years.
Mares ..	1. Sardar Jagnandan Singh, P.V.S. I, Superintendent, Government Livestock Farm, Hissar. 2. Bawa Bir Singh. 3. Kanwar Manjit Inder Singh 4. Sardar Gurcharan Singh, P.V.S.II, District Animal Husbandry Officer, Hoshiarpur. 1. Harbhajan Singh, P.V.S.II, Poultry Development Officer, Punjab Gurdaspur. 2. Gurcharan Singh, P.V.S. II, District Animal Husbandry Officer, Hoshiarpur.	Pregnant mares. Mares with foal at foot.
Murrah ..	1. Sardar Harcharan Singh Brar.	Buffaloes cows pregnant.
	2. Sardar Mohinder Singh, P.V.S.II, Planning Officer, Simla.	
	3. Shri Chander Parkash, P.V.S. II, District Animal Husbandry, Ferozepur Cantt.	Buffaloes-cows with calves at foot. Buffalo heifers up to three years. Bulls over three years. Bulls under three years.
Sheep and Goat ..	1. Sardar Gurbax Singh, P.V.S. II, Sheep Research Officer, Hissar.	..
	2. Chaudhri Raghunath Singh, P.V.S. II, Gaushala Development Officer, Simla.	
	3. Dr. Ram Chand, Instructor, Animal Husbandry and Veterinary Science Extension Training Centre, Batala.	

[Minister for Agriculture and Forests]

Name of Breed	Name of Judges	Classes
Hariana	1. K. Manjitinder Singh 2. Sardar Gurbachan Singh, P.V.S. I, Rinderpest Eradication Officer, Rohtak. 3. Chaudhri Raghunath Singh, P.V.S.II, Gaushala Development Officer, Simla.	Cows pregnant. Cows with calf at foot. Bulls over three years. Bulls under three years. Pair of bullocks.
Nili	1. Sardar Jagnandan Singh, P.V.S., I Superintendent, Government Livestock Farm, Hissar. 2. Dalip Singh, P.V.S., Deputy Director, Animal Husbandry, Jullundur Division. 3. Shri J.N. Nagar, District Animal Husbandry Officer, Jullundur.	Cows pregnant. Cows with Half at foot. Heifers upto three years. Bulls over three years. Bulls under three years. Pair of Bullocks.
Camels	1. Dewan Kundan Lal, P.V.S. I, Deputy Director, Animal Husbandry, Ambala Division, Ambala. 2. Shri Siri Krishen, P.V.S. II, District Animal Husbandry Officer, Rohtak. 3. Shri Chander Parkash, P.V.S. II, District Animal Husbandry Officer, Ferozepur Cantt. 4. Shri Shanti Lal, P.V.S. II, District Animal Husbandry Officer, Ludhiana. 5. Shri Harkishan Singh Brar.	Riding camels Stallion. She-Camel fit for breeding.
Best animal of the show	1. Sardar Mohan Singh Malhi, P.V.S. I, Director, Animal Husbandry, Punjab, Simla. 2. K. Manjit Inder Singh. 3. Sardar Jagnandan Singh, P.V.S. I, Superintendent, Government Livestock Farm, Hissar. 4. Sardar Pritam Singh Brar, P.V.S. I, Deputy Director, Animal Husbandry, Patiala Range, Patiala.	..
Plough Competition	1. Sardar Jagnandan Singh, P.V.S.I, Superintendent, Government Livestock Farm, Hissar. 2. Dewan Kundan Lal, P.V.S. I, Deputy Director, Animal Husbandry, Ambala Division, Ambala. 3. District Agricultural Officer, (Bajwa). 4. Sardar Harcharan Singh 5. Chaudhri Raghunath Singh, P.V.S.II, Gaushala Development Officer, Simla.	..
Camel Race ..	Ditto	..
Milk Yield Competition	1. Sardar Jagnandan Singh, P.V.S. I, Superintendent, Government Livestock Farm, Hissar. 2. Shri J.N. Nagar , P.V.S. II, District Animal Husbandry Officer, Jullundur. 3. Shri Shanti Lal (to arrange).	..

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ Table ਤੇ ਰਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਵੈਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਨਾਗਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਰਾਏ ਨਾਗਾ ਦੀ climate ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਅੱਛੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡੰਗਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ favouritism ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਡੰਗਰ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਨਾਗਾ ਵਾਲੇ ਹਨ ਔਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ।

श्री रूप सिंह फूल : क्या सारी State के अच्छे मवैशियों का मुकाबला होता है या ज़िलेवार का होता है ?

मंत्री : सारी State के मवैशियों का मुकाबला होता है ।

OVER-TIME ALLOWANCE TO CHOWKIDARS OF THE HORTICULTURE DEPARTMENT AT PATIALA

***1749. Shri Muni Lal** : Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state —

(a) the number of posts of Chowkidars sanctioned for the Horticultural Department at Patiala ;

(b) whether it is a fact that about eighteen Chowkidars are required to remain on duty from 5 p.m. to 8 a.m. ; if so, whether they are paid any overtime allowance for duty performed in excess of 8 hours a day ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) Three.

(b) No. In order to provide watch and ward of the Government gardens and nurseries at Patiala, there are twelve contingent-paid persons who do this work at night only like other chowkidars.

LOSS TO CROPS BY 'JASSID'

***1776. Sardar Ramdayal Singh** : Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state—

(a) whether Government is aware of the fact that over half of the Narma crop this year has been damaged by 'Jassid' in the State ; if so, the estimated loss caused to the crop ;

(b) whether it is a fact that the growers of cotton crop approached the Government to arrange a remedy for the said disease ;

(c) if answer to part (b) above be in the affirmative, the action, if any, taken by Government to check the disease together with the extent of success, if any, achieved by them in this connection ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) Yes. 50 to 75 per cent in the affected area.

(b) Yes.

(c) Timely warning of the impending attack of "Jassid" and other cotton pests was given to cotton-growers through a press note. Control measures for the pests were given wide publicity. Cotton-growers who approached the Agriculture Department individually were supplied insecticides at cost price and spraying equipment on loan, free of any charge. 55,000 acres of infected American cotton were sprayed by the Agriculture Department during July—September, 1957. 30 to 60 per cent of the crop in the area treated against the pest was saved.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ growers ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕੀ ਉਹ ਨਾਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ?

Mr. Speaker : This supplementary question does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 50% ਤੋਂ 75% Crops ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ?

Mr. Speaker : This question does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ growers ਨੂੰ ਦਵਾਈ supply ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੀ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ charge ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਪਹਿਲੇ ਬਗੈਰ ਨਫ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 75% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਇਕ press note ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ । ਕੀ ਉਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ press note ਕਿਸ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ?

Mr. Speaker : It does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ press note ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਗ਼ੈਰਾ ਵੀ ਉਥੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ ?

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसी information off hand न पूछा करें । (The hon. Member should not please seek such information off hand.)

श्री रूप सिंह फूल : यह जो लोगों की हज़ारों रुपए की फसलें तबाह हो गई हैं तो क्या यह बात भी गवर्नमेंट के under consideration है कि उनका मालिया मुआफ़ कर दिया जाए ?

Mr. Speaker : It does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ cotton growers ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਕੀ ਇਹ fact ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ spraying apparatus ਮੰਗੇ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਗੱਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ press note ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Public Relations Department ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ publicity ਕੀਤੀ ਸੀ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਕਾਫ਼ੀ publicity ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ Agricultural Inspectors ਹਨ, Sub-Inspectors ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ?

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਤਾਂ Public Relations Department ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ।

Chief Minister : This does not relate to that Department.

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि जिन लोगों ने दवाइयां और apparatus मांगे थे, क्या उन सब को यह दिए गए थे या कुछ को इन्कार भी किया गया है ?

ਮੰਤਰੀ : ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

CONSTRUCTION OF A MODEL TOWN AT VILLAGE ALIKE IN DISTRICT SANGRUR

***1590. Pandit Ram Kishan Bharolian** : Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Government after the floods in the State in 1955 decided to build a Model Town in village Alike in district Sangrur ;

(b) whether it is also a fact that Government aid was given to 20 or 25 families of the said village for the said purpose ;

(c) if the answers to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the stage at which the scheme to build the said Model Town rests at present ?

Rao Birendar Singh : (a) Yes.

(b) Yes. Government aid was given to 42 families of the said village for the said purpose.

(c) A loan of Rs 67,250 was advanced to the Co-operative House building Society Ltd., Alike, for construction of houses. After approval of the plan, etc., the society started construction of houses in 1957. Two houses were almost complete, but due to some dispute in the village, the owner of the land did not allow further construction.

UNTRAINED WORK-CHARGE MISTRIES IN THE P.W.D., BUILDINGS AND ROADS BRANCH

***1827. Sardar Jasdev Singh Sandhu :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether the fact that most of the work-charge mistries in the P.W.D. (Buildings and Roads), Patiala, were untrained came to the notice of the Chief Engineer; if so, the action, if any, taken in the matter ;

(b) whether the Department proposes to give the said mistries a test; if not, the reasons therefor ?

Rao Birendar Singh : (a) Yes. The erstwhile Pepsu Government had issued instructions that no further appointment of untrained Mistries should be made and that a practical test should be held to judge the capacity of those already in employment.

(b) Yes.

COMPLAINT FROM DISTRICT TRANSPORT WORKERS' UNION, PATIALA

***1826. Sardar Jasdev Singh Sandhu :** Will the Minister for Public Works be pleased to state whether the Secretary, Regional Transport Authority, Patiala, received any complaint from the District Transport Workers' Union, Patiala, in 1957; if so, the details thereof together with the action, if any, taken thereon ?

Rao Birendar Singh : *Part I.*—Yes.

Part II.—A statement containing details of the complaint and action taken thereon, is laid on the Table of the House.

Statement containing the details of the complaint and action taken thereon

(i) That the Green Bus Service, National Transport and Engineering Company, and many other companies have got passed some 30-seater buses but are plying 42 and above seater buses with consequential loss to the State Exchequer ;

On verification it was found that the Companies had small and big buses entered on their route permits. The taxes of all the buses had been paid according to the seating capacity and no action was considered necessary. The General Secretary, District Transport Workers Union, was apprised of the correct position by the Secretary, R.T.A., Patiala.

(ii) That the National Transport and Engineering Company, Limited, was not plying their kacha routes up to the destination ;

The routes about which complaint was made are kacha and become unmotorable during rainy season resulting in discontinuance of services on portions, which become unmotorable. The manager of the National Transport and Engineering Company was, however, called by the Secretary, R.T.A., Patiala, and was ordered to operate regularly and properly on the routes.

(iii) That the Company do not have the buses equal to the number of permits held by them ;

On verification it was found to be incorrect.

(iv) That the Company do not keep adequate number of drivers and conductors ;

Enquiries made by the Secretary, R.T.A., Patiala revealed that the Company had employed enough staff to operate the daily services regularly and efficiently. As all the buses owned by the Company do not operate daily and some of them are kept in reserve, it is not necessary to keep drivers and conductors equal to the number of buses. The position was fully explained to the General Secretary by the Secretary, R.T.A., Patiala.

CASES OF EMBEZZLEMENT IN CO-OPERATIVE SOCIETIES DEPARTMENT AT DISTRICT SANGRUR

***1382. Sardar Rajinder Singh :** Will the Minister for Consolidation and Health be pleased to state—

(a) the number of Co-operative Societies registered and cancelled during the year 1956-57 in district Sangrur, tehsil-wise ;

(b) whether any Co-operative Banks were started during the year 1956-57 in the said district ; if so, the number thereof ;

(c) whether any cases of embezzlement in the Co-operative Societies Department in district Sangrur came to the notice of Government during the period referred to in part (a) above ; if so, how many together with the amount involved in these cases ?

Chaudhri Suraj Mal : (a), (b) and (c) A statement is laid on the Table.

Statement

(a) Number of Co-operative Societies registered and cancelled during the year 1956-57 in Sangrur District is as under:—

Name of Tehsil		*Societies registered*	*Societies cancelled*
Barnala	..	34	5
Sangrur	..	105	22
Malerkotla	..	33	23
Narwana	..	36	Nil
Jind	..	51	1
Total	..	259	51

(b) Eight Co-operative Rural Banks (Large-sized Credit and Thrift Societies) were started in Sangrur District during the year 1956-57.

(c) In one case it was alleged that a sum of Rs 7,800 had been defalcated by the Managing Committee of a Multipurpose Society in the purchase of a bus. During enquiry the bus was sold off for full amount which was paid into the society. The allegation of defalcations is still under consideration.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਜੋ cases ਪਕੜੇ ਗਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ inquiry ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਰਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਤਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ?

मंत्री : जी हां, inquiry हो रही है और इस की report अभी हमारे पास नहीं आई है ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ inquiry ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦ ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ?

मंत्री : इस के लिए तो notice चाहिए ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ authority ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ inquiry ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?

मन्त्री : उसी department के अफ़सरान यह enquiry कर रहे हैं, गालबन Deputy Director कर रहे हैं ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ inquiry ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ inquiry ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ ਤੇ ਇਤਨੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ report ਦਿਉ ?

मन्त्री : यह तो seggestion है इस पर ग़ौर कर लेंगे ?

Mr. Speaker : No, he is asking a definite question whether or not you issue these instructions.

मन्त्री : इस के मुतअल्लिक कोई ख़ास वक्त मुकर्रर करने के लिए हिदायत नहीं है ।

RESOURCES AND RETRENCHMENT COMMITTEE

***1252. Sardar Atma Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of meetings held by the Resources and Retrenchment Committee during the current year to date and the total amount of T.A. and D.A. drawn by each member of the Committee ;

(b) whether any recommendations have been made by the said committee, if so, the details thereof together with the recommendations which have been implemented ?

Shri Mohan Lal : (a) (i) Six.

(ii) Rs 109·75 by Chairman only.

(b) The Committee have made certain interim recommendations which are under consideration of Government.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ । ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ part (b) ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ "whether any recommendations have been made by the said Committee, if so, the details thereof............" ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ details Supply ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।

Mr. Speaker : The Committee have made interim recommendations and they are under consideration.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ?

मंत्री : आशा तो यही है लेकिन depend इस बात पर करता है कि वह अपनी report दे दे । गवर्नमेंट की खाहिश है और इस ने request भी की है कि वह जून से पहले पहले report दे दे ताकि विचार करके अगले साल के बजट में जो कुछ implement हो सकती हो वह की जाए लेकिन यह depend करता है उन के report देने पर ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਲੋਂ ਜੋ interim report ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਤਨਾ expenditure ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ recommendation ਕੀਤੀ ਹੈ ?

मंत्री : Interim recommendations जो हैं, उन पर अभी विचार हो रहा है । सारा कितना sum involved है, वह तो अभी मैं नहीं बता सकता ।

TOURS BY MINISTERS AND DEPUTY MINISTERS

***1397. Maulvi Abdul Ghani Dar** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total mileage covered by each Minister and Deputy Minister while on tour, during the year 1957-58 to date, and the expenditure incurred on the journeys undertaken by each Minister and Deputy Minister ;

(b) the amount of allowance received by each Minister and Deputy Minister, respectively, during the period referred to in part (a) above ?

Sardar Partap Singh Kairon : A statement containing the requisite information is laid on the Table.

Statement showing the total mileage covered by each Minister and Deputy Minister while on tour during the year 1957-58 to date, expenditure incurred on journeys and the amount of allowance received.

Name of the Minister/Deputy Minister	Total mileage covered during 1957-58 up to date	Expenditure incurred in journeys	Amount of Allowance received
1	2	3	4
		Rs	Rs
S. Partap Singh Kairon, Chief Minister	33,252	9,651·00	2,166·87
Shri Gopi Chand Bhargava, Planning and Community Project Minister	8,951	He is using his own car	74,22·19

[Chief Minister]

Name of the Minister/Deputy Minister	Total mileage covered during 1957-58 up to date	Expenditure incurred in journeys	Amount of Allowance received
1	2	3	4
Shri Mohan Lal, Finance Minister ..	25,007	8,467·00	2,637·25
Giani Kartar Singh, Revenue Minister	35,007	10,002·00	3,011·25 (up to 15th January, 1958)
Sardar Gian Singh Rarewala, Irrigation and Power Minister	20,841	9,170·00	2,595·00 (up to 20th January, 1958)
Shri Amar Nath Vidyalankar, Education and Labour Minister	22,108	8,670·00	2,591·68
Sardar Gurbanta Singh, Agriculture and Forest Minister	30,339	8,425·00	2,471·25
Rao Birendra Singh, Public Works Minister	22,372	6,960·00	1,732·75
Chaudhri Suraj Mal, Consolidation and Health Minister	26,375	7,280·00	2,160·00
Deputy Ministers			
Shri Yashwant Rai, Deputy Minister, Local Government	23,380	10,177·00	1,390·00
Bibi Parkash Kaur, Deputy Minister for Social Welfare and Health	30,962	11,192·00	1,850·00
Shri Dalbir Singh, Deputy Minister for Community Projects	24,059	6,315·00	1,290·00
Shri Banarsi Dass, Deputy Minister for Jails	23,540	6,207·00	1,302·50
Shri Partap Singh, Deputy Minister for Forests	20,356	8,187·00	1,432·50
Shri Harbans Lal, Deputy Minister for Education	7,376	2,382·00	270·00

EXPENDITURE ON MAINTENANCE OF BUNGALOWS OF MINISTERS

***1398. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Chief Minister be pleased to state the amount spent on the maintenance of bungalows of each Minister and Deputy Minister in the State during the year 1957-58 to date ?

Sardar Partap Singh Kairon : The amount spent on the maintenance of bungalows, during the year 1957-58, i.e., April, 1957 to January, 1958 of—

(a) a Minister (including Chief Minister),— Rs 1,106·00.

(b) a Deputy Minister,— Rs 234·00.

MEETING WITH M.L.A.S FROM KANGRA

***1452. Shri Ram Chandra Comrade :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that he recently called a meeting of the Members of the Assembly representing Kangra District to discuss with them matters relating to the development of each constituency in the district ; if so, details of the decisions taken ?

Sardar Partap Singh Kairon : Yes, a meeting of the Members of Legislative Assembly from Kangra District and the senior officers of the Departments concerned was convened on the 27th August, 1957. Several matters relating to the development of Kangra District in the fields of Education, Health, Industries, Roads and Road Transport were raised and discussed in the meeting. The suggestions made were noted and their implementation is under consideration.

श्री राम चन्द्र कामरेड : मुख्य मंत्री जी ने बताया है कि meeting हुई थी, उस में कुछ suggestions दी गई थीं और उन पर ग़ौर किया जा रहा है। मैं ने जो सवाल किया है उस में यह भी पूछा गया है, "if so, the details of the decisions taken." मगर मुझे वह नहीं बताई गई हैं। इसलिए मुझे यह भी बता दिया जाए कि जो बातें उनके साथ मुख्तलिफ departments के बारे में हुई उनके क्या decisions किए गए थे ?

मुख्य मंत्री : मैं ने बता तो दिया है कि suggestions were noted and their implementation is under consideration.

श्री राम चन्द्र कामरेड : आपने फरमाया है कि कुछ बातें हुई थीं और वह note की गई थीं, मगर मैं ने यह भी पूछा है the details of the decisions taken मगर उसका जवाब मुझे नहीं मिला है। आखिरकार जो बातें हुईं उन का पता तो लगे कि क्या decisions हुए ?

मंत्री : Decisions कैसे ? आप बताते रहे और हम note करते रहे और अब ग़ौर हो रहा है। मैं ने बता दिया है कि वह बातें Education, Health, Industries, Roads and Road Transport के बारे में थीं।

श्री राम चन्द्र कामरेड : इन के बारे में तफ़सील बतायें और बतायें कि पूर्ण फ़ैसले कब तक होंगे ?

मुख्य मंत्री : तीन-चार साल तक धीरे २ इनको implement किया जा सकेगा।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਗੁਰਅਨਾਦ ਸਿੰਘ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ meeting ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ committee meeting ਬੁਲਾਉਣਗੇ ?

मुख्य मंत्री : अरे भाई कांगडा backward area है, इन से हसद न किया करो। (हंसी)

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਸਣਗੇ ਕਿ State ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ backward ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

Mr. Speaker: The question is in connection with Kangra.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਗੁਰਅਨਾਦ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋ forward ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜੋ backward areas ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬੁਲਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ?

Mr. Speaker : No. It does not arise.

श्री शेर सिंह : मुख्य मंत्री महोदय ने फरमाया था कि उन्होंने suggestions दी थीं। मैं पूछना चाहता हूं कि उनकी implementation कब होगी ?

Shri Rup Singh Phul : May I know if it is a fact that I, too, represent district Kangra but I was not at all invited to that meeting.

Mr. Speaker : This is not a question but a suggestion.

Shri Sher Singh : It is not a suggestion. He says that he was not asked to attend that meeting.

Chief Minister : Not bound.

Shri Rup Singh Phul : May I know, Sir, whether all the M.L.A.s representing the Kangra District were invited to that meeting ?

श्री शेर सिंह : इस का मतलब यह है कि क्या जितनी suggestions दी गई हैं उन को कबूल कर लिया जाये।

मुख्य मंत्री : Implementation का लफ्ज़ इस में है इस का मतलब यह नहीं कि ज़रूर किया जायेगा। जो suggestions अच्छी समझी गईं, उन्हें ज़रूर implement किया जायेगा।

श्री शेर सिंह : यह नयी definition है।

मुख्य मंत्री : इतना तो याद नहीं। मेरा ख्याल है ज़रूर बुलाना चाहिए।

पंडित राम किशन भड़ोलियां : तहसील ऊना backward इलाका है, क्या उस में भी कोई ऐसी कमेटी बनाई जायेगी ?

Mr. Speaker : Does not arise.

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या वजह थी कि कांगड़ा के opposition के मेम्बर को नहीं बुलाया गया ?

मुख्य मंत्री : मुझे याद नहीं। बुलाना चाहिये था।

पंडित राम किशन भड़ोलियां : इस में हैल्थ, ट्रांस्पोर्ट, इरीगेशन, रोड्ज़ कई बातों का ज़िक्र आया है। यह बड़ा vague है।

मुख्य मंत्री : Vague ही होना चाहिए था। चार-पांच साल तक पूरा करते ही रहना है।

MISUSE OF GRAM DONATED BY PRISONERS AT JULLUNDUR

***1527. Dr. Bhag Singh :** Will the Minister for Planning and Community Projects be pleased to state—

(a) whether it is a fact that gram was donated by the prisoners in the District Jail, Jullundur, in the year 1956, for the Development Schemes of the Government ; if so, the quantity thereof ;

(b) whether any complaint to the effect that the said donation was misused by the Jail Officials was received by the Chief Minister, Punjab, and the Inspector-General of Prisons, Punjab; if so, the action, if any, taken thereon ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (a) No Sir.

(b) A complaint was received. This has been referred to the Anti-Corruption Department for investigation.

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਇਸ enquiry ਦੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

मंत्री : अभी कोई नहीं । Anti-Corruption Department investigation कर रहा है । उस की रिपोर्ट आने पर पता चलेगा ।

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਰਿਪੋਰਟ ਕਦ ਤਕ ਆ ਜਾਏਗੀ ?

मन्त्री : जब investigation complete कर लेंगे ।

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1956 ਦਾ ਹੈ । ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਕਦ ਤਕ ਆਏਗੀ ?

मन्त्री : डिपार्टमेंटल रिपोर्ट कहती है कि कोई donation नहीं आई लेकिन फिर भी शिकयात आई । इसलिए Anti-Corruption Department को भेज दी गई ।

श्री प्रबोध चन्द्र : जिन अफ़सरों के खिलाफ़ enquiry हो रही थी क्या उन्हें वहां से transfer किया गया है या वे वहीं हैं ?

मंत्री : डिपार्टमेंटल इनक्वायरी में तो यह है कि ऐसा हुआ ही नहीं । इसलिए transfer का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

Shri Prabodh Chandra : Is it the policy of the Government to transfer the officers when their cases are referred to the Anti-Corruption Department ?

Minister : Sir, it is an academic question.

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਇਹ ਕੇਸ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ?

मन्त्री : Date नहीं कह सकता ।

ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੋਈ ਅਟਾ-ਸਟਾ ?

DONATION OF PRICE OF FIREWOOD BY PRISONERS AT JULLUNDUR

***1528. Dr. Bhag Singh :** Will the Minister for Planning and Community Projects be pleased to state—

(a) whether he is aware of the fact that the prisoners in the District Jail, Jullundur, by reducing the use of firewood saved the price of ten maunds which they donated ;

(b) whether he is further aware of the fact that the jail officials concerned charged the Government the price of the wood referred to above, also ;

(c) if the answer to parts (a) and (b) be in the affirmative, the action, if any, taken by Government in the matter ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (a) No Sir. No donation from prisoners was, however, received.

(b) No Sir.

(c) Does not arise.

CLASH IN SUB-JAIL, GURGAON, ON 25TH JANUARY, 1957

***1660. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Minister for Planning an Community Projects be pleased to state—

(a) whether it is a fact that there was a clash between the prisoners and the Jail authorities on 25th January, 1957, in the Sub-Jail at Gurgaon ; if so, the details of the incident and of injuries sustained by the prisoners, if any ;

(b) the names of the Jail officials who were inside the Jail at the time of the said clash according to the Entry Register ;

(c) whether the Inspector-General of Prisons, Punjab, visited the said Sub-Jail after the incident referred to in part (a) above; if so, whether he met the prisoners, including one Ramji, an undertrial, who were injured in the clash, and whether any statements were given to him by the prisoners concerned ;

(d) whether it is a fact that the said Ramji was sent to the judicial Lock-up at Palwal, and brought back to Gurgaon when the Inspector-General, Prisons, went to Gurgaon; if so, the reasons therefor ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (a) It is correct that there was a clash between the prisoners and the jail warder guard on 25th January, 1957, in Sub-Jail, Gurgaon. A note containing the details of the incident and of the injuries received by the prisoners is laid on the Table.

(b) A statement showing the names of the officials who were on duty inside the jail at the time of alarm and who entered the jail at the time of alarm, according to the Entry Register, is laid on the Table.

(c) The Inspector-General of Prisons, Punjab, visited the jail after the incident and met the injured prisoners, excluding Shri Ramji. The statements given already by the prisoners were admitted by them before him to be correct.

(d) Shri Ramji was transferred to Palwal and was not brought back to Gurgaon when the Inspector-General of Prisons went to Gurgaon. Shri Ramji was transferred to Palwal at his own request.

NOTE

Containing the details of the incident in Sub-Jail, Gurgaon, on the 25th January, 1957, and of the injuries received by prisoners.

The trouble occurred on the 25th January, 1957, in the cook-house at the time of and in connection with the distribution of oil for purposes of cooking and parching gram. On the 24th January, 1957, the prisoners had placed certain grievances before the Superintendent, Jail, and the main grievance was regarding the rations issued out of the jail store for use of the undertrials. Thereupon, it was ordered by the Superintendent that in future all rations should be issued in the presence of at least two members of the prisoners' panchayat. Previously only one member of the panchayat was required to be present at the time of issue of rations. On the day of the incident, Shri Ramji, an undertrial prisoner, took the ration including oil for purposes of cooking and parching gram. It is alleged that he gave a greater quantity of oil to the gram parcher which was objected to by the cooks, who told him that they would not allow this to be done and that he (Shri Ramji) should wait for Lambardar of the cook-house to come. It is alleged that on this Shri Ramji started abusing the cooks who retorted. This developed into a scuffle and the other undertrials ran into the kitchen to side with Shri Ramji. Seeing that there was danger of serious fight, the Warder on duty raised an alarm on which the guard went inside the jail and tried to control the situation. The guard ordered the undertrials to go into the Ghatta (enclosed courtyard of sleeping barracks) but they did not comply and as such were pushed inside the Ghatta. On receipt of report about the incident from the jail clerk, the Assistant Superintendent being absent from duty on ground of sudden illness of his wife, the Superintendent visited the Jail. The prisoners complained to the Superintendent that they had been beaten deliberately on account of their complaints on the previous day and to overawe and stop them from making further complaints. The guard stated that they did not give any beating. The Superintendent rejected the version of the guard as he found some broken pieces of lathis inside the Ghatta and also injuries on a number of undertrials. After detailed enquiry, Sarvshri Pokhar Dass, Officiating Head Warder, and Des Raj, Warder, were held responsible and their increments stopped for 3 and 2 years, respectively.

2. Fourteen undertrials received injuries, including one Hari Singh whose arm was fractured. There is no record about the details of the injuries received by three of the undertrials, but it is noted that their injuries required minor treatment in the jail hospital. The details of the injuries received by the remaining eleven undertrials are given below:—

(1) Karam Chand son of Khushi Ram—

(1) A contusion wound superficial ¼″×¼″ on back right ring finger at the foreinter-phalingial joint. The down right hand is swollen.

(2) A certifical Lathi mark 6″×¾″ on thigh in front.

(3) A Lathi mark, transvision 2″×1″ on left knee.

All are simple except No. 1 which required X-Ray.

Weapon blunt.

Identity.—A scar ¼″×¼″ just above right knee joint.

(2) Hukam Chand son of Dhanni—

(1) A swelling on right elbow region externally.

Simple. Blunt.

Duration—Few hours.

[Minister for Planning and Community Projects]

Identity.—A scar 1″×¼″ on the left corner of fore-head.

(3) Bhagwan son of Bhule—

(1) Swelling of right thenar of right hand.

(2) Swelling on right side of the head.

(3) A Lathi mark 1″×1″ on the right buttock.

All simple by blunt weapon.

Duration—Few hours.

Identity.—A scar ½″×½″ on the right fore-arm near elbow.

(4) Gobinda son of Leela—

(1) A vertical contusion 3″×1/4″ on the back of left fore-arm.

Simple—by blunt weapon.

Duration—Few hours.

Identity.— A scar 2″×¾″ on the right fore-arm near elbow.

(5) Ram Pershad son of Kunja Singh—

(1) A transverse lathi mark on back and upper part of left upper arm.

Duration—Few hours.

Simple. Weapon blunt.

(6) Om Parkash son of Amar Singh.—

(1) A contusion ¼″×¼″ on upper lip.

(2) Swelling on lower portion of left arm.

(3) A lathi mark—transition Lathi mark—2″×1″ on back of left thigh in middle.

(4) A transverse Lathi mark 1½″ × 1″ on back of middle of right thigh.

Injuries	..	Simple
Weapon	..	Blunt.
Duration	..	Few hours.

Identity.—A scar 1″×¼″ on back of right fore-arm in middle.

(7) Mohan Lal son of Charanji Lal—

(1) A Lathi mark transvision 2″×1″ on middle of back of left thigh.

(2) A Lathi mark 2″×1″ on the right side of the back.

Simple.

Blunt weapon.

Duration—Few hours.

A vertical scar 1″×¼″ on left eyebrow.

(8) Sumer Singh son of Mirchi—

(1) A combined wound ¼″×¼″ skin deep on back side of the head near occupils.

(2) Swelling on right side of upper back near neck region.

Injuries—	.. Simple.
Weapon—	.. Blunt.
Duration—	.. Few hours.
Identity—	.. Small-pox marks on face.

(9) Badle son of Sohan—

(1) A superficial contused wound 1/6″× 1/6″ with swelling around it on back of right fore-arm in middle.

(2) A lathi mark 2″× 1″ on back of left knee.

(3) A transverse lathi mark 3″× ¾″ on the right side of back at the level of the 9th rib about 2″ from spine.

All the injuries are simple and caused by blunt weapon.

Duration—Few hours.

A back mole on left jaw behind.

(10) Battu son of Sarupa—

An oblique superficial contusion wound 1½″× ½″ on the right knee.

(2) A contusion 1″× ¼″ on root of left foot.

(3) A faint swelling on left side of back in Scapolar region.

Identity.—A round scar 3/4″ in diameter on left wrist.

Injuries	.. Simple.
Weapon	.. Blunt.
Duration	.. Few hours.

(11) Hari Singh son of Bhura—

There is evidence of fracture of both bones of left fore-arm about 4″ above wrist-joint. There is faint redness over the injury across the fore-arm.

(2) 2 Reddish transverse contusion 3″× 1″ about 2″ apart on upper part of right side of back in scaperan region.

(3) A contusion 2″× 1½″ on the left side of hip.

Result.—The injury No. 1 is grievious in nature and caused by a blunt weapon. Others are simple in nature caused by blunt weapon.

Duration—Few hours.

The following inmates had their minor treatment in the Jail Hospital :—

(1) Bishan Singh, Undertrial.
(2) Parma Nand, Undertrial.
(3) Ramji Dass, Undertrial.

STATEMENT

1. Officials on duty inside Sub-Jail, Gurgaon, at the time of alarm, according to entry register.

(1) Shri Pokhar Dass, Officiating Head Warder.

(2) Shri Manohar Lal, Warder.

(3) Shri Gurdev Singh, Temporary Warder.

(4) Shri Parmal Singh, Temporary Warder.

(5) Shrimati Sham Piari, Matron.

[Minister for Planning and Community Projects]

II. Officials who entered the Jail at the time of alarm, according to Entry Register.

(1) Shri B. L. Mittal, Superintendent, Jail.

(2) Shri Ganga Ram, Clerk.

(3) Shri Kundan Lal, Warder.

(4) Shri Jee Ram, Selection Grade Warder.

(5) Shri Ganga Parshad, Warder.

(6) Shri Des Raj, Warder.

(7) Shri Sis Ram, Temporary Warder.

(8) Shri Jai Narain, Temporary Warder.

(9) Shri Matia Ram, Warder.

(10) Shri Shiba Ram, Temporary Warder.

Note.—According to the register, the Superintendent, Jail, also entered the Jail at the time of alarm. The fact, however, is that he went into the jail after the incident was over. None of the prisoners even officials (dealt with departmentally) alleged that the Superintendent was present. The entry showing him to have entered at the time of alarm appears to have been made by someone mischievously and the matter is being enquired into.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਇਸ clash ਵਿਚ ਆਏ ਕੈਦੀ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਾਰਡਰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ?

मन्त्री : मेरे ख्याल में सिर्फ़ prisoners ही जख्मी हुए।

श्री जगत नारायण चोपड़ा : जिस वक्त यह झगड़ा हुआ था क्या उस वक्त Superintendent जेल वहां मौजूद था ?

मंत्री : रजिस्टर में Superintendent की entry थी लेकिन यह ग़लत है। उस के खिलाफ़ जान-बूझ कर entry की गई थी।

श्री जगत नारायण चोपड़ा : क्या यह दुरुस्त है कि 16 नम्बर के रजिस्टर पर पहले नम्बर पर Superintendent का नाम दर्ज है ?

Mr. Speaker : This question does not arise.

श्री राम प्यारा : जिस मुलाज़म ने जान-बूझ कर नाम लिखा था क्या उस के खिलाफ़ कोई एक्शन लिया गया ?

मंत्री : Investigation हो रही है।

चौधरी बलबीर सिंह : जानबूझ कर वाली बात का कैसे पता चला ?

मंत्री : Inspector-General के examination से।

श्री जगत नारायण चोपड़ा : क्या जेल के किसी कैदी की दरखास्त पर उस को ज्यूडीशल लाक-अप में तबदील किया जा सकता है ?

मंत्री : यह तो legal सवाल है।

Mr. Speaker : It does not arise.

मंत्री : किया जा सकता होगा तभी किया होगा।

GOVERNMENT SHARES IN DALMIA DADRI CEMENT COMPANY

*1659. **Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Minister for Finance be pleased to state whether it is a fact that the State Government holds some shares in the Dalmia Dadri Cement Ltd., a public joint stock company; if so, the amount invested and the present value of the shares?

Shri Mohan Lal : The State Government do not hold any shares in the Dalmia Dadri Cement Ltd.

अध्यक्ष महोदय : जो साहिबान अथारिटी (authority) के बग़ैर आए हैं, मैं उन को supplementary questions करने की इजाज़त नहीं दूंगा । (I shall not allow those hon. Members to ask supplementaries on the questions who are without authority.)

श्री जगत नारायण चोपड़ा : इजाज़त मिलनी चाहिए ।

एक सदस्य : जनाब पहले प्रेसीडेंट कायम हैं ।

Mr. Speaker : Then, I think I shall have to be strict in the matter of written authority.

एक सदस्य : पहले आप इजाज़त देते रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : किसी और सवाल पर, मैं इस के बारे में रूलिंग भी दे चुका हूं । (I have already given my ruling in this connection on some other question as well.)

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ erstwhile Pepsu ਦੇ shares ਇਸ ਵਿਚ ਸਨ ?

ਮੰਤਰੀ : ਹਾਂ ਸਨ ।

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕਿੰਨੇ ਸਨ ?

ਮੰਤਰੀ : 4,80,00,000 ਦੇ ।

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਿਚ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ?

(No reply was given.)

ख़ान अब्दुल ग़फ्फार ख़ां : On a point of order, Sir. जनाब ने इरशाद फरमाया है कि आप लोक सभा की convention को follow कर रहे हैं । क्या आप उस convention को खत्म करना चाहते हैं जो इस हाऊस ने पहले कायम की हुई है ?

अध्यक्ष महोदय : हमने इस बारे में Rules में प्रबन्ध कर दिया हुआ है लेकिन इस पर अमल करना अभी शुरू किया है । (We have already made a provision in this regard in the Rules of Procedure but this is being rigidly enforced since recently.)

Khan Abdul Ghaffar Khan : It has been the convention that any Member may get up and ask a question on behalf of the Member who is not present in whose name it stands. I have been seeing this since 1952.

अध्यक्ष महोदय : यह convention ठीक नहीं थी और अब हम ने procedure change कर लिया है। (This convention was not right and so we have now changed the procedure.)

Minister for Planning : I think the hon. Member is not within his rights to put such a question to the hon. Speaker.

मौलवी अब्दुल गनी डार : इस सवाल में पूछा गया था कि Present value of the shares क्या है, लेकिन इस के मुतअल्लिक वज़ीर साहिब ने कुछ नहीं बतलाया ?

वित्त मंत्री : मैं ने तो अर्ज़ किया है कि shares हैं ही नहीं। value का सवाल ही पैदा नहीं होता।

GOVERNMENT WOOL SPINNING AND WEAVING DEMONSTRATION PARTY

***1783. Shri Rup Singh Phul :** Will the Minister for Finance be pleased to state —

(a) whether any Government Wool Spinning and Weaving Demonstration Centre has been set up for district Kangra; if so, the date when it was set up;

(b) the number of members of the staff of the said centre both temporary and permanent along with their designations?

Shri Mohan Lal : (a) The Government Wool Spinning and Weaving Demonstration Party was set up in July, 1937, in the district of Kangra.

(b) (i) A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

(ii) All the staff is temporary as the party is sanctioned on year to year basis.

Statement showing the number of the members of the staff of the Government Wool Spinning and Weaving Demonstration Party in Kangra District

(i) Demonstrator	..	1
(ii) Weaving Master	..	1
(iii) Assistant Weaver	..	1
(iv) Sizing Assistant	..	1
(v) Expert Dyer	..	1
(vi) Basket Teacher	..	1
(vii) Clerk	..	1
(viii) Peon	..	1
(ix) Chawkidar	..	1
(x) Waterman	..	1

श्री रूप सिंह फूल : क्या कोई ऐसी तजवीज़ गवर्नमेंट के ज़ेरे ग़ौर है कि temporary staff को permanent किया जाये ?

मंत्री : जी हां, यह तजवीज़ ज़ेरे-ग़ौर है।

श्री रूप सिंह फूल : यह मामला कब तक finalize हो जायेगा ?

मंत्री : कोई definite date तो बतानी मुश्किल है लेकिन इस तजवीज़ पर ग़ौर किया जा रहा है।

श्री रूप सिंह फूल : क्या इस का फ़ैसला साले रवां में हो जायेगा ?

Mr. Speaker : This question does not arise.

RECOVERY OF LOAN FOR INDUSTRIES IN PANIPAT, DISTRICT KARNAL

***1811. Dr. Parma Nand :** Will the Minister for Finance be pleased to state —

(a) whether any industries in Panipat Town, District Karnal, have been advanced loan by Government during the years 1951-52, 1952-53, 1953-54, 1954-55 and 1955-56; if so, the amounts thereof in each case;

(b) whether the said loan has been recovered; if not, the amount of loan which is still outstanding;

(c) whether there are any persons who have not repaid their due instalments of the loan referred to in part (a) above; if so, their number together with the amount of loan outstanding against each on this account and the steps taken to recover it;

(d) whether he is aware of the fact that a sum of Rs. 50,000 was advanced as loan to an individual in Kaithal Town; if so, the security against which this loan was advanced; if no security was taken, the action taken against the person responsible for advancing the loan?

Shri Mohan Lal : (a) Yes. A sum of Rs. 1,35,625 was advanced as loan to 56 parties. The details are given in the statement which is laid on the Table of the House.

(b) Yes; but not in full. The outstanding amount is Rs. 10,525.

(c) Yes. There are persons who have not repaid their due instalments. The number of such persons is 14. Action is being taken against the defaulters under sections 23, 24 and 35 of the Punjab State Aid to Industries Act for effecting recovery. The details are given in the statement which is laid upon the Table of the House.

(d) Yes. A sum of Rs. 50,000 was advanced as loan to an individual in Kaithal Town against a security of Rs 96,000 (building valued at Rs. 50,000 and machinery Rs. 46,000) and all other assets of the concern existing or which were to be created with the loan advanced. The question of taking action against the person responsible for advancing the loan does not arise.

[Minister for Finance]

STATEMENT SHOWING THE FULL PARTICULARS OF LOAN ADVANCED IN PANIPAT TOWN IN THE YEARS 1951-52, 1952-53, 1953-54, 1954-55, and 1955-56.

Serial No.	Name of the party	Industry	Amount advanced	Amount due up to 31st December, 1957	Amount recovered	Balance due
1	2	3	4	5	6	7
			Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
	1951-52					
1	Shri Prem Nath Kapur ..	Dairy ..	5,000	3,750	500	3,250
	1952-53	*Nil*				
	1953-54					
1	Shri Gopal Singh ..	Handloom ..	800	275	275	..
	1954-55					
1	Shri Geila Ram ..	Handloom ..	2,000	800	800	..
2	Shri Hakumat Rai ..	Dairy ..	6,000	2,200	..	2,200
3	Shri Som Nath ..	Handloom ..	1,725	700	400	300
4	Shri Sardari Lal ..	Plastic ..	2,000	700	400	300
5	Shri Rachpal Singh ..	Handloom ..	1,000	200	100	100
6	Shri Jai Dayal ..	Do	2,000	300	300	..
7	Shri Wazir Chand ..	Furniture ..	2,000	300	300	..
8	Shri Mohinder Singh ..	Confectionery	2,000	400	*Nil*	400
9	Shri Annop Singh ..	Artificial Silk weaving	5,000	1,000	500	500
10	Shri Narain Dass Dhameja ..	Soap Manf.	2,000	600	600	..
11	Shri Kidar Nath, son of Ghanesham Dass ..	Kheses ..	5,000	1,000	..	1,000
12	Shri Mangal Dass ..	Handloom ..	5,000	1,000	500	500
13	Shri Madan Lal ..	Do	2,000	400	400	..
14	Shri Daulat Ram Manocha ..	Do	600	150	75	7 5
	Total ..	..	37,325	9,750	4,375	5,475

1955-56							
1	Shri Sri Ram Mehta	Piggery	5,000	1,000	700	300
2	Shri Kundan Lal Lamba	Oil Crushing	5,000	1,000	..	1,000
3	Shri Piara Lal	Dairy	5,000	1,600	1,600	..
4	Shri Chaman Lal 197/9	Atta Chaki	2,000	400	400	..
5	Shri Bansi Lal	Glue	1,500	150	150	..
6	Shri Raghbir Chand Chawla	Piggery	5,000	400	..	400
7	Shri Lila Dhar	Toy-making	2,500	200	200	..
8	Shri Amar Nath	Saw Mill	5,000	..	..	..
9	Shri Daulat Ram	Atta Chaki	4,000	..	..	..
10	Shri Ram Saran Dass	Leather goods	1,000	500	500	..
11	Shri Gian Singh, Mehar Chand, etc.	Furniture	1,500	..	..	..
12	Shri Banarsi Lal	Handloom accessories	2,000	200	200	..
13	Shri Surrinder Paul	Brass	2,000	..	..	..
14	Shri Chaman Lal Ahuja	Engg.	2,000	200	..	200
15	Shri Lachhman Dass	Shoe-making	1,500	..	..	..
16	Shri Madan Lal	Furniture	1,000	..	..	..
17	M/s Banarsi Dass-Subhash Chander	Woollen	2,000	..	..	..
18	Shri Mangal Dass	Thread	1,500	..	..	..
19	Shri Kidar Nath	Atta Chaki	2,000	..	..	..

[Minister for Finance]

Serial No.	Name the of party	Industry	Amount advanced	Amount due up to 31st December, 1957	Amount recovered	Balance due
1	2	3	4	5	6	7
		1955-56—*concld*				
			Rs	Rs	Rs	Rs
20	Shri Kundan Lal ..	Atta Chaki	2,000	..	..	..
21	Shri Kishan Lal ..	Dairy	2,000	..	..	..
22	Shri Parkash Nieter ..	Atta Chaki	2,000	..	..	..
23	Shri Devi Ditta Mal ..	Dairy	2,000	..	..	..
24	Shri Dhanpat Rai ..	Fruit Pre-servation	1,000	300	300	..
25	Shri Jagdish Chander ..	Welding	2,000	..	..	..
26	Shri Darayi Lal ..	Dairy	2,000	..	..	..
27	Shri Raj Pal Singh ..	Do	2,000	..	..	..
28	Shri Suraj Bhan ..	Soap	2,000	..	..	..
29	Shri Chaman Lal ..	Threadball	2,000	..	..	..
30	Shri Atma Ram ..	Piggery	2,000	..	..	..
31	Shri Chaman Lal, son of Raj Kishan ..	Dairy	2,000	..	..	..
32	Shri Sher Chand ..	Do	2,000	..	..	..

33	Shri Sudershan Lal ..	Handloom accessories	2,000	..	..	..
34	Shri Sada Nand ..	Dairy	2,000	..	..	..
35	Shri Kesho Nath ..	Do	2,000	..	..	..
36	Shri Harbans Lal ..	Do	2,000	..	..	..
37	Shri Chuni Lal Narang ..	Piggery	2,000	..	..	..
38	Shri Jagdish Rai ..	Threadball	2,000	..	..	..
39	Shri Lekh Raj ..	Dairy	2,000	..	..	..
40	Shri Nathu Shah ..	Atta Chaki	2,000	..	..	..
	Total ..		92,500	5,950	4,050	1,90 0

Grand Total—

Parties to whom loan sanctioned during 1951-52 to 1955-56	..	56 Nos.
		Rs
Amount advanced	..	1,35,625
Amount of instalments due	..	19,725
Amount recovered	..	9,200
Amount outstanding	..	10,525

[Minister for Finance]

Statement showing the names of persons who have not paid their due instalments along with the action taken against the defaulters.

Serial No.	Name of the party	Balance due	Action taken for the recovery of balance amount
1	2	3	4
		Rs.	
1	Shri Prem Nath Kapur	3,250	It has been ordered to recover the amount as arrears of land revenue. The case is pending with the Collector, Karnal.
2	Shri Hakumat Rai ..	2,200	Ditto
3	Shri Som Nath ..	300	Since the amount was due on 1st December, 1957, Demand Notice has been issued.
4	Shri Sardari Lal ..	300	Ditto
5	Shri Rachhpal Singh ..	100	Rs. 50 have been paid after 31st December, 1957 and regarding balance of Rs. 50 party has promised to pay within 15 days.
6	Shri Mohinder Singh ..	400	It has been ordered to recover the amount as arrears of land revenue. The case is pending with the Collector, Karnal.
7	Shri Anup Singh ..	500	Since the party has failed to deposit an instalment of Rs. 500, a notice under section 23 has been served to the party.
8	Shri Kidar Nath ..	1,000	The party has requested for extension and the matter is under consideration with the Industries Department.
9	Shri Mangal Das ..	500	Since the party has failed to deposit the instalment of Rs. 500, a notice under section 23 has been served to the party.
10	Shri Daulat Ram Manocha	75	Since the party has failed to deposit the instalment of Rs 75, a notice under section 23 has been served to the party.
11	Shri Siri Ram Mehta ..	300	Since the party has failed to deposit the instalment of Rs. 300, a notice under section 23 has been served to the party.
12	Shri Kundan Lal Lamba	1,000	The party requested for extension which has been rejected recently. The party has been requested to repay the amount due.
13	Shri Raghbir Chand Chawla	400	Since the party has failed to deposit the amount of instalment of Rs 400, a notice under section 23 and declaration under section 24 has been served to the party.
14	Shri Chaman Lal Ahoya	200	Since the instalment was due on 1st December, 1957, the party has been issued Demand Notice for repayment of amount due.

श्री राम प्यारा : वज़ीर साहिब ने बताया है कि कई loans recover नहीं हो रहे तो मैं दरियाफ्त करना चाहता हूं कि कोई ऐसा आदमी भी है जिसे loan advance किया गया हो और वह untraceable हो ?

मंत्री : इस के लिये separate notice चाहिये ।

LABOUR COLONY AT CHANDIGARH

***1731. Sardar Niranjan Singh Talib :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to establish a 'Labour Colony' in the Chandigarh Capital; if so, when?

Giani Kartar Singh : Yes. It will take time to finalize the scheme. The required period cannot be visualized at present. Hence no date can be given.

ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ : ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

Mr. Speaker : This is quite a different question from the original one.

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ Labour quarters ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ Union ਵਲੋਂ ਕੋਈ demand ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਜ਼ੀਦ ਇਤਲਾਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ।

CONSTITUTION OF NON-OFFICIAL ADVISORY COMMITTEE FOR CAPITAL PROJECT

***1755. Sardar Niranjan Singh Talib :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether any non-official Advisory Committee for the Capital Project, Chandigarh, has been constituted recently ; if so, the details of its composition and the mode of nomination of the members of the said Committee ?

Giani Kartar Singh : Yes, the non-official Advisory Committee for Chandigarh Town has been recently re-constituted. A list of members of the Committee is laid on the Table of the House.

While nominating members to the said Committee, Government have made an attempt to give representations to various classes of citizens, e.g., Bar Association, Contractors, Legislators, private plot-holders, shopkeepers, Registered Surveyors, etc.

LIST OF MEMBERS OF THE CHANDIGARH ADVISORY COMMITTEE

1. Chief Administrator, (*Chairman*).
2. Estate Officer, (*Secretary*).
3. Resident Magistrate, (*Ex officio* Member).
4. Giani Gurdit Singh, M.L.C.

[Minister for Revenue]

5. Dewan Atma Ram, President, Bar Association.
6. Shri Lakhpat Rai Jain, Bajwara Welfare Association.
7. Dr. Madan Mohan Chopra, President, Nagrik Sabha.
8. Dewan Shanti Swaroop, Kiln Contractor.
9. Shri Dalip Singh, Advocate (Private plot-holders).
10. Jathedar Gurbachan Singh, Mandal Congress Committee.
11. Shri P. C. Loomba, Registered Surveyor.
12. Sardar Dara Singh, Advocate.
13. Sardar Tirlochan Singh, Proprietor, Aroma Hotel.

ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਕੀ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ fresh notice ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ list ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ Welfare Association ਤੇ Nagrik Association ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ enquiry ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ membership ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ satisfactory ਨਹੀਂ ਸੀ ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ municipal committee ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਜ਼ੇਰੇਗੌਰ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜ਼ੇਰੇਗੌਰ ਨਹੀਂ ।

***1809. Dr. Parma Nand :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether he is aware of the fact that Panipat Town is surrounded by rubbish and by khadans where water stagnates ; if so, the steps proposed to be taken by Government to safeguard the health of the inhabitants of the said town ?

Giani Kartar Singh : Yes. The Municipal Committee, Panipat, has already dug compost pits for depositing rubbish there. For eliminating the nuisance of stagnating water permanently, a scheme is being got prepared by the P.W.D. Public Health.

डाक्टर परमा नन्द : यह स्कीम कब तक शुरू हो जाएगी ?

ਮੰਤਰੀ : ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਕੀਮ ਬਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

SHAMILAT DEH IN VILLAGE LEHRA GAGGA, TEHSIL SUNAM

***1592. Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Revenue be pleased to state —

(a) the total area of 'Shamilat Deh in village Lehra Gagga, tehsil Sunam, at present ;

(b) the area of the said Shamilat Deh in possession of the Gram Sudhar Sabha and of private individuals, separately ;

(c) the name of the authority under whose orders private individuals referred to in part (b) above took possession of the said land ?

Giani Kartar Singh : (a) 319 bighas and 16 biswas Kham.

(b) (i) Area in possession of Gram Sudhar Sabha .. *Nil*

(ii) Area in possession of private individuals .. 3 bighas and 2 biswas

(c) Private individuals have been in unauthorized possession of land for a very long time.

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦਾ area private individuals ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ Gram Sudhar Sabha ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅਲਗ ਨੋਟਸ ਦੇਣ ।

श्री इन्द्र सिंह : क्या सरकार उन individuals के खिलाफ कोई चारा-जोई करने का विचार रखती है जिन्हों ने शामलात पर नाजायज़ तौर पर कबज़ा किया हुआ है ?

ਮੰਤਰੀ : ਚਾਰਾ ਜੋਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ degree ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਕਤ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਇਹ degree ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ unauthorized possession ਵਿਚ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ । ਜੇ ਉਹ ਬਿਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਕਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਗੇਗਾ ।

ACQUISITION OF LAND IN VILLAGES HALWARA, ETC.

***1778. Sardar Ram Dayal Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state —

(a) whether it is a fact that about 800 acres of land of villages Halwara, Aitiana, Akalgarh, Sidhar, Rattowal of district Ludhiana was acquired by the Union Government about 13 years ago ;

(b) whether it is also a fact that no compensation in respect of the land referred to in part (a) above has so far been paid ;

[Sardar Ram Dyal Singh]

(c) whether any representations from the owners of the said land have been received by Government for moving the Union Government to make the long delayed payment of this compensation to them;

(d) if the answers to parts (a), (b) and (c) above be in the affirmative, the action taken by Government in this regard ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Yes, 710·75 acres as per details given below :—

Particulars of the defence scheme	Village	Area in acres	Date of possession by Military authorities
(i) Permanent domestic accommodation at Halwara	Akalgarh Halwara	86.23 1.39	5-5-56
(ii) Extension of Runways at Halwara Airfield	Halwara Sidhar Aitiana Akalgarh	57.86 16.52 148.10 73.00	16-2-57
(iii) Unauthorized possession by Military authorities	Halwara	111.65	1950-51
(iv) Runways Taxi Trucus and Hard Standings at Halwara Airfield	Halwara Akalgarh Sidhar Aitiana Ratowal	160 36 1 12 7	1944

(b) In the first two cases awards were announced on the 28th of August, 1957 and 24th September, 1957, respectively, but the compensation amount has not so far been placed at the disposal of the Collector by the Military authorities for payment to the landowners. In the third case the landowners claimed rent in July, 1957, and the payment of the rent is still awaited from the Military authorities. In the fourth case the payment of rent up to 1954-55 has already been made to the landowners. Now the area is being acquired on a permanent basis and as such the payment of the rest of the compensation amount can be made after the announcement of the award.

(c) No, but applications from the landowners have been received off and on by the Collector, Ludhiana, and the matter was brought to the notice of the Military authorities by him.

(d) The military authorities have been reminded at regular intervals by the Collector, Ludhiana.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਆਇਆ ਉਹ ਲੈਂਡ-ਓਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਜੋ ਲੈਂਡ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਲੈਂਡ-ਓਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਏਰੀਅਰ ਪੈ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਜੋ compensation ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ । ਕੀ ਉਹ ਦਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਥੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਗਿਆ ਸੀ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਨਾ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਦਸ ਸਕਦਾ । ਇਹ separate ਪੁਛੋ ।

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ compensation ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਪਰ ਇਹ ਏਸ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ । ਏਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ।

LAND BEING CULTIVATED BY THE OWNERS AND THE TENANTS IN PATIALA DISTRICT

***1804. Shri Muni Lal :** Will the Minister for Revenue be pleased to state —

(a) the area of land in Patiala District at present being cultivated by the owners themselves and the tenants, separately ;

(b) the area of 'banjar land' in the said district at present ?

Giani Kartar Singh :

		Acres
(a) (i) Area of land cultivated by owners	..	75,004
(ii) Area of land cultivated by tenants	..	327,702

(b) 245,509 acres.

M/s ALCOCK AND MOHATTA (PRIVATE) LTD., PATIALA

***1828. Sardar Jasdev Singh Sandhu :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether M/s Alcock and Mohatta (Private) Ltd., Patiala, have got licences for the sale of machinery which is being bought from them for the reclamation of land in the State ; if not, the reasons therefor?

Sardar Gurbanta Singh : Neither any machinery has been purchased by the State Government from M/s Alcock and Mohatta Limited, Patiala, for reclamation purposes nor any licence is required for its sale by any firm

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਗ਼ੌਰ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : On a point of order, Sir. How long the House be kept waiting for the Minister to reply ?

Mr. Speaker : It is due to unavoidable circumstances. (*Laughter.*)

श्री इंदर सिंह : क्या वज़ीर साहिब के ज्ञान में यह बात है कि जो State में बंजर ज़मीन है उस के नौतोड़ करने के लिए इस की services ली गई थीं ?

ਮੰਤਰੀ : ਹਾਂ, ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ।

श्री इंदर सिंह : उसके लिए क्या शरायत हैं ? (विघ्न) On a point of order, Sir. क्योंकि जनाब, उन शरायत के मातहत उस machinery के देने के लिए licence मिला है ।

ਮੰਤਰੀ : ਵੱਖਰਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿਉ ਜੀ ।

WATER-LOGGED AREA IN TEHSIL RAJPURA, DISTRICT PATIALA

***1251. Sardar Atma Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) the total area of water-logged land in tehsil Rajpura, district Patiala, with the names of the villages in which it is situated ;

(b) the steps taken so far for removing water-logging in the said area together with the amount sanctioned for the purpose ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) This information is not readily available for Rajpura Tehsil.

(b) At present no drainage scheme is contemplated to remove water-logging in the area in question.

DIFFERENT WATER-RATES ON DIFFERENT CANALS

***1779. Sardar Ram Dayal Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) whether there exists any difference in the water-rates of the different canals in the State or of the same canal at different outlets ;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, the reason for this difference ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) The statement showing water-rates on different canals is laid on the Table. There is no difference in rates on different outlets of the same canal.

(b) The water-rates levied depend upon number of factors such as source of supply, period of supply, the unit of area and mode of irrigation.

STATEMENT SHOWING TARIFF OF WATER RATES APPLICABLE ON THE AREA SERVED BY (PUNJAB CHANNEL)

Nature of Crops	*W. J. C. and S. C.C.* Flow rates per crop per acre	*Bhakra Canals* Flow rates per crop per acre	*U. B. D. C.* Flow rates per crop per acre at half year	*Eastern Canal* Flow rates per crop per acre	*Shah Nahar* Flow rates per crop per acre	*Grey Cane* Flow rates per crop per acre
	Rs. As. Ps.	Rs. As. Ps.	Rs. As. Ps.	Rs. As. Ps.	Rs. As. Ps.	Rs. As. Ps.
WESTERN JUMNA CANAL INCLUDING SIRSA BRANCH						
Sugarcane (except on Kharif Channels) ..	16 8 0	..	16 10 0	..	..	..
Sugarcane on Kharif Channels ..	13 8 0	13 8 0	13 9 0	13 8 0	13 11 8	5 7 1
Waternuts ..	11 4 0	11 4 0	11 5 6	11 4 0	11 8 5½	5 7 1
Rice ..	9 12 0	9 12 0	9 13 3	9 12 0	9 14 1	7 4 2
Indigo and other dyes, tobacoo, poppy, species and drugs ..	8 4 0	8 4 0	8 5 1½	9 6 0	8 3 8½	5 7 1
Cotton ..	6 12 0	6 12 0	6 12 10½	7 14 0	6 9 4½	5 7 1
Gardens and orchards and vegetables except turnips ..	8 4 0	8 4 0	8 5 1½	8 4 0	8 3 5½	5 7 1
Barley and oats (except on Kharif Channels) ..	6 5 0	..	6 6 10½	..	..	3 10 1
Wheat (except on Kharif Channels) ..	6 6 0	..	6 6 10½	..	..	..
	5 13 0		5 14 3⅝			
Melons, Fibres (other than cotton) and crops not otherwise specified ..	7 8 0	7 8 0	6 12 9	7 8 0	6 9 4½	3 10 1
Maize ..	6 6 0	6 6 0	5 10 9	6 6 0	5 7 10	3 10 1
Oil seeds (except Rabi oilseeds on Kharif Channels)	6 6 0	6 6 0	6 6 10½	6 6 0	6 9 4½	3 10 1
All Rabi crops (except wheat and gram on Kharif channels including gardens, orchards, vegetables and fodders) ..	3 0 0	3 0 0	3 0 6	3 0 0	3 4 8	3 0 5
Wheat and gram on Kharif channels ..	3 0 0	2 12 0	3 0 6	3 0 0	3 4 8	3 10 1
	2 12 0		2 12 5½	2 12 0	3 0 3½	
Bajra, Masur and pulses ..	4 14 0	4 14 0	4 14 7½	3 12 0	4 15 0	3 10 1
Grams ..	4 7 6	4 7 6	4 8 7/8	..	..	3 10 1

[Minister for Irrigation and Power]

Name of Crops	W. J. C. and S.C.C.	Bhakra Canals	U.B.D.C.	Eastern Canal	Shah Nahar	Grey Cane
	Flow rates per crop per acre	Flow rates per crop per acre	Flow rates per crop per acre at half year	Flow rates per crop per acre	Flow rates per crop per acre	Flow rates per crop per acre
	Rs, As. Ps.	Rs. As. Ps.	Rs As. Ps	Rs, As. Ps	Rs. As. Ps.	Rs. As. Ps.
Jawar, Jhoon, Grass which has received two or more waterings and all fodder crop including turnips ..	3 12 0	3 12 0	3 12 6 8 4 0 (Paddock areas)	3 0 0	3 4 8	3 0 5
a) Watering for ploughing not followed by a crop in the same or succeeding harvest ..	1 8 0	1 8 0	1 8 3	..	1 10 4	..
(b) village and District Board Plantations ..	1 8 0	1 8 0	1 8 3		1 10 4	
(i) Any number of waterings in Kharif ..	1 8 0	1 8 0	1 8 3	1 8 0	1 10 4	1 3 4
(ii) One watering in Rabi,(iii)Two or more watering in Rabs ..	3 0 0	3 0 6	3 0 5		3 4 8	
(iv) Grass single watering in Kharif or Rabi ..	1 8 0	1 8 0	1 8 3	1 8 0	1 10 4	..
Grass given two or more waterings fall under Class VI		..	..	..	..	1 3 4
Hemp, indingo, Gwara, Jartar and Arhar ploughed in as grass manure before 15th September are not assessed to water ..	..	..	..	..	..	0 9 8

Notes.—1. The above water-rates are in force with effect from 1950-51 with the exception of wheat and gram crops. Wadh waterland irrigated after 15th October in Rabi crops wherefor water-rates were decreased by 25 per cent of the 50 per cent increase ordered from Rabi, 1949-50. The revised rates in respect of these two crops are shown in the denomination.

2. The above rates are applicable to areas served by pre-merger Punjab Canals. Rates relating to erstwhile Pepsu Canals is not available.

3. Water lifted at Zamindars expenses is charged at the rate ½ of the flow rates mentioned above and that lifted at Government expenses is charged at double the flow rates mentioned above.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 'Statement is laid on the Table.' ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : 25 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ । ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ? (It was sent on the 25th of last month. Is there any other Sardar Ram Dayal Singh in this House ?)

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੇ ਅਗੇ permanent ਮੋਘਾ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ temporary ਮੋਘਾ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ temporary ਮੋਘੇ ਦੇ water rates ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ permanent ਮੋਘੇ ਨਾਲੋਂ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ specific case ਦੱਸ ਕੇ ਸਵਾਲ ਦਿਉ ।

अध्यक्ष महोदय : आप का सवाल है different rates पर, अब आप water-rates पर चले गए । (The original question of the hon. Member is regarding different rates. Now he is asking for water-rates.)

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਐਸੇ ਮੋਘੇ ਵੀ ਨੇ ।

PAYMENT OF THE SHARE OF LAND-REVENUE TO VILLAGES OF MALLAUD AREA OF DISTRICT LUDHIANA

***1780. Sardar Ram dayal Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether it is a fact that panchayats of about 35 villages of Mallaud area in district Ludhiana are not being paid their 10 per cent share of the land-revenue ; if so, the reasons therefor together with the steps, if any, Government have taken or propose to take to arrange for its payment ?

Sardar Gian Singh Rarewala : No. The Panchayats are being duly paid 10 per cent of land revenue credited into Government Treasury but they lose a portion of their share on account of Jagirs and Muafis in the area. This loss is partly compensated by payment of special grants each year.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 35 ਪਿੰਡ ਨੇ ਏਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਰੈਵਿਨਿਊ ਦਾ 10% ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਕਿ 10% ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ?

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਅਜੇ ਜਾਗੀਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਮਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ 10% ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਯਾ ਇਹ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ?

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਲੀਆ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਲੀਆਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਲੈ ਗਏ ਉਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 10 % ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਏਗੀ ?

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ । ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਹੁਣ ਜਦ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ ।

B.T. TEACHERS OF ERSTWHILE PEPSU STATE

***1253. Sardar Atma Singh :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) whether there are any B.T. teachers of erstwhile Pepsu State who are working on a fixed salary of Rs 50 per mensem in Government Schools in the State ; if so, their number ;

(b) whether any steps have been taken by Government for placing them against regular and permanent posts in the grade of Rs. 110/250 ;

(c) whether it is a fact that the Finance Department have agreed to the B.A., B.T. and B. Ed., teachers being placed in category 'A' in the said grade; if so, the reasons for not placing the teachers referred to in part (a) above in this category ;

(d) whether Government have received any representation in this connection from teachers referred to in part (a) above; if so, when and the action, if any, taken thereon ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : (a) No trained graduate is working at Rs. 50 per mensem fixed.

There are, however, certain Masters working in the grade of Rs 60—120, who have improved their qualifications by passing B.T. or B.Ed. examinations. The exact number of such teachers is being ascertained.

(b) The matter is under consideration.

(c) While revising scales of pay of low-paid Government servants, the teachers in Education Department have been divided into two broad categories 'A' and B' according to their qualifications. Category 'A' consists of B.A./ B.Sc. /B. Com./B.Sc. (Agriculture) and B.T./Diploma in Physical Education/

Diploma in Senior Basic Training, for which the grade of Rs 110—8—190/10—250 has been prescribed. Vernacular teachers working in lower grades who have acquired higher qualifications of B.T. or B.Ed., are not entitled to this grade, as putting them in Rs. 110/250 grade would mean transfer from Vernacular cadre to Anglo-Vernacular cadre and this requires selection by the Subordinate Services Selection Board. It has, therefore, been decided that all Vernacular teachers who have acquired higher qualifications may apply for appointment as Masters to the said Board as and when posts suiting their qualifications are advertised. Finance Department have merely indicated that B.A., B.T.s or B.A., B.Ed.s are eligible to be put in category 'A'. This pre-supposes the observance of necessary formalities for recruitment in this category of posts.

(d) Several representations have been received in this connection sinc May, 1957, and the demands are being examined in detail.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ in detail examine ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਲਗੇਗਾ ?

उप-मंत्री : हम ने Divisional Inspector से इत्तलाह मांगी है। उस information के आ जाने पर हम फैसला करेंगे।

श्री शेर सिंह : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि पैप्सू में जो इस किस्म के teacher थे उन को B.A., B.Ts की जगह खाली होने पर commission के सामने दूसरों के साथ compete करने के लिये बुलाया जाता था ?

उप-मंत्री : पैप्सू में पहले कोई Board नहीं था। Departmental recommendations होती थीं।

श्री शेर सिंह : मेरा मतलब यह है कि selection होने से पहले अगर कोई जगह खाली होती थीं तो क्या vernacular teachers को भी जो पहले लगे हुए थे नए आदमियों के साथ compete करने का मौका दिया जाता था ?

शिक्षा मंत्री : आप merger के पहले की बात करते हैं या अब की ?

श्री शेर सिंह : Merger से पहले की।

शिक्षा मंत्री : उस वक्त पैप्सू में Board ही नहीं था, इसलिये उस के सामने compete करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री शेर सिंह : Department के सामने तो हो सकता था।

उप-मंत्री : Pepsu में Department के सामने इजाज़त थी।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਉਸ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਉਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਉਂ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ?

शिक्षा मंत्री : सवाल के कई पहलुओं पर ग़ौर करना होता है। कई बातों के बारे में हम ने निश्चय कर लिया है। बाकी के बारे में हम सोच रहे हैं, कुछ concessions ऐसे हैं वह दिये जाने चाहियें कि नहीं दिये जाने चाहिये, उन

[शिक्षा मंत्री]

पर ग़ौर हो रहा है । जहां तक उन की direct recruitment का सवाल है हम ने फ़ैसला कर लिया है कि उन को Board के ज़रिए ही आना पड़ेगा । Direct recruitment नहीं होगी ।

PAYMENT OF SALARIES TO THE TEACHERS OF THE SCHOOLS FORMERLY RUN BY DISTRICT BOARDS

***1642. Comrade Jangir Singh :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Punjabi/Hindi teachers and the peons of the schools formerly run by the District Boards in the State have not been paid their salaries since the Government took them over; if so, the reasons therefor together with the steps being taken by Government in this regard ;

(b) whether it is also a fact that the teachers who were working before 1st April, 1957, in the schools formerly run by the District Boards have been re-appointed by Government; if so, the reasons therefor ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) **:** (a) No, except those teachers whose services could not be provincialized in the first instance on account of lack of information from the sub-offices. However, the sanction regarding the payment of their salaries is under issue.

(b) Since the teachers in question were in service on or before the 1st April, 1957, the question of their re-employment does not arise as they are continuing.

SUPPLY OF MILK TO THE RESIDENTS OF CHANDIGARH CAPITAL

***1732. Sardar Niranjan Singh Talib :** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state whether Government propose to take any steps for making arrangements for the supply of milk to the residents of the Chandigarh Capital; if so, what ?

Sardar Gurbanta Singh : Yes. A scheme for a Milk Supply Union at Chandigarh as included in the State Second Five-Year Plan has been sanctioned. It is being implemented by the Animal Husbandry Department, Punjab.

ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ : ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭੀ ਕੋਈ Co-operative Society ਬਣ ਚੁਕੀ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਨਹੀਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ : ਕੀ ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ?

ਮੰਤਰੀ : ਨਹੀਂ ।

Mr. Speaker : It is not a supplementary question.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या इस सिलसिले में चालीस हज़ार रुपया जमा है ?

ਮੰਤਰੀ : ਪੌਣੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : मैं ने पूछा है कि पब्लिक का कुछ रुपया जमा है, गवर्नमेंट का रुपया मैं ने नहीं पूछा । गवर्नमेंट के पास बहुत रुपया है ।

ਮੰਤਰੀ : ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

TUBE-WELL IRRIGATION IN BET AREA OF KAPURTHALA DISTRICT

902. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) the steps, if any, that are being taken by Government to provide tube-well irrigation in the Bet area of Kapurthala District, where no tube-wells have so far been provided ;

(b) whether any survey has been made in this respect and any scheme finalized; if not, the steps now being taken for making the survey and within how much time?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) A scheme is under investigation.

(b) Contour survey sheets exist. Further investigation is in hand and is expected to be finalized in 6 months.

REGISTERED FACTORIES

903. Pandit Ram Kishan Bharolian : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state —

(a) the number of registered factories in the State, year-wise during the period from 1947 to 1957 ;

(b) the number of workers in each of the said factories, year-wise with the number of men, women and children working in them, separately, during the period referred to in part (a) above ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : As in the enclosed statement.

[Minister for Education and Labour]

Year	Total No. of Factories	Total No. of working Factories	Total No. of working Factories submitting returns	Men	Women	Adolescent	Children
1	2	3	4	5	6	7	8
1947 ..	600	547	340	3,471	1,872	490	408
1948 ..	715	594	410	34,399	1,745	290	272
1949 ..	820	744	498	36,954	1,808	236	366
1950 ..	1,270	1,191	1,071	47,031	2,376	414	592
1951 ..	1,486	1,336	1,019	44,976	2,551	278	370
1952 ..	1,688	1,385	1,148	50,370	2,452	338	247
1953 ..	2,587	1,916	1,077	49,855	2,430	145	266
1954 ..	2,739	1,778	1,383	57,587	3,007	66	281
1955 ..	2,943	2,402	1,609	66,048	2,781	258	188
1956 ..	3,053	2,165	1,813	76,641	4,291	236	155

Notes.—Figures from the year 1953 onwards are in respect of the Punjab State including erstwhile State of Pepsu while those prior to the year 1953 are in respect of Punjab as it was before integration.

(b) Figures for the year 1957 are not available at the moment as necessary statistics are being compiled.

(c) Information is based on the returns received from the various factories during the particular year.

WORKERS IN FACTORIES

904. Pandit Ram Kishan Bharolian : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state the number of factories in the State having between (i) 10—19, (ii) 20—49, (iii) 50—99, (iv) 100—499, (v) 500—999, (vi) 1,000—4,999, (vii) over 5,000 workers on their rolls during each of the years from 1947 to 1957 ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : As in the enclosed statement.

[Minister for Education and Labour]

DISTRIBUTION OF FACTORIES ACCORDING TO WORKING STRENGTH

Year	Total No. of Factories	Total No. of working Factories submitting return	10—19	20—49	50—99	100—499	500—999	1,000—4,999	Over 5000
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10
1947 ..	600	340	..	246	63	28	3	..	..
1948 ..	715	410	..	294	76	32	5	3	
1949 ..	820	498	..	386	70	34	3	5	
1950 ..	1,270	1,071	517	355	139	46	7	7	..
1951 ..	1,486	1,019	494	341	112	59	7	6	..
1952 ..	1,688	1,148	625	341	107	61	7	7	..
1953 ..	2,587	1,077	568	306	124	65	6	8	..
1954 ..	2,739	1,383	794	374	130	69	7	8	1
1955 ..	2,943	1,609	906	476	128	83	7	9	..
1956 ..	3,053	1,814	977	568	151	102	7	9	..

Notes.—Figures from the year 1953 onwards are in respect of the Punjab State including erstwhile State of Pepsu, while those prior to the year 1953 are in respect of Punjab as it was before integration.

(b) Figures for the year 1957 are not available at the moment as necessary statistics are being compiled.

(c) Information is based on the returns received from the various factories during the particular year.

INDUSTRIAL DISPUTES IN THE STATE

'905. **Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) the total number of industrial disputes referred to the Industrial Tribunal in the State during each of the years 1947 to 1957 and the results thereof ;

(b) the number of disputes out of those referred to in part (a) above resolved with the help of the conciliation officers through direct negotiation of the parties concerned or by mediation by Labour Officers separately year-wise during the said period ;

(c) the number of cases in which the award of the Tribunal accepted by Government ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : The information is being collected and will be supplied to the Member shortly.

TRADE UNIONS

906. '**Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state the number of registered Trade Unions and their membership during each of the years from 1947 to 1957 ?

Shri Amar Nath Vidyalankar :

Year	No. of Unions	No. of Unions which submitted annual returns	Membership according to col. 3
1947 to 1949	Information not available		
1950-51 (Financial Year)	84	59	11,490
1951-52 Ditto	114	77	16,414
1952-53 Ditto	153	55	21,782
1953-54 Ditto	186	105	19,082
1954-55 Ditto	249	111	23,862
1955-56 Ditto	311	145	34,460
1956-57 Ditto	379	146	38,540

HEALTH INSURANCE SCHEMES

907. '**Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state the total number of workers benefited by the Provident Fund and Health Insurance Schemes in the State up to 31st December, 1957 ?

Shri Amar Nath Vidyalankar :

(i) Number of workers benefited by Provident Fund Scheme in unexempted factories ..	22,000
(ii) Number of workers benefited by Provident Fund Scheme in exempted factories ..	10,009
(iii) Number of workers benefited by the Employees State Insurance Scheme ..	35,000

DEMOTION OF HEAD CONSTABLES IN BHATINDA DISTRICT

908. Pandit Ram Kishan Bharolian : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the number of Head Constables in Bhatinda District, if any, demoted since 1st April, 1957, and the reasons therefor ;

(b) whether any of the persons referred to in part (a) above went on hunger-strike ; if so, their number ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) 30. Of these, three Head Constables who were junior most, were reverted in order to absorb 30 officiating Assistant Sub-Inspectors, who were reverted to their substantive rank of Head Constables on being sent to undergo Inter Class Training at the P.T.S., Phillaur, five for not having passed the prescribed training course, six due to reduction in force, nine for having been awarded major punishments, six due to complaints and for not having shown any improvement in their work, and one as a result of a departmental enquiry.

(b) Yes. Two of the reverted Head Constables went on partial hunger-strike for a few days.

ROAD FROM MANSA TO BHATINDA

909. Pandit Ram Kishan Bharolian ; Will the Minister for Public Works be pleased to state —

(a) whether it is a fact that a road was sanctioned from Mansa to Bhatinda under the 1st Five-Year Plan ;

(b) whether it is also a fact that the scheme to construct the said road has been dropped; if so, why ?

Rao Birendar Singh : (a) No.

(b) Question does not arise.

PERSONS EMPLOYED THROUGH EMPLOYMENT EXCHANGES

911. Pandit Ram Kishan Bharolian : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state the total number of persons who secured jobs through the Employment Exchanges in the State during the year 1957 ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : 20,712 persons.

STUDENTS QUALIFIED FROM ARTS AND CRAFTS INSTITUTIONS

912. **Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the total number of students who qualified from the Government Institutions of Arts and Crafts during the years 1956 and 1957 ;

(b) the number of those referred to in part (a) above who have received employment in the State Educational Institutions ?

Shri Mohan Lal :

		1956	*1957*
(a)	..	23	36
(b)	..	5	11

GOVERNMENT DEMANDS FOR GRANTS

29—POLICE AND 25—GENERAL ADMINISTRATION

Minister for Finance (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move—

That a sum not exceeding Rs. 4,90,26,100 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1958-59, in respect of charges under head 29—Police.

Minister for Finance : Sir, I also beg to move—

That a sum not exceeding Rs. 3,17,30,300 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1958-59, in respect of charges under head 25—General Administration.

Mr Speaker : Motions moved—

That a sum not exceeding Rs. 4,90,26,100 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1958-59, in respect of charges under head 29—Police.

That a sum not exceeding Rs. 3,17,30,300 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment under head 25—General Administration.

All the following cut motions are deemed to have been read and moved.

(*Voices : yes, yes.*)

DEMAND NO. 13

(29—*Police*)

1. **Sardar Achhar Singh Chhina :**

2. **Shri Inder Singh :**

3. **Pandit Ram Kishan Bharolian :**

[Mr. Speaker]

4. **Com. Hukam Singh :**
5. **Shri Bhala Ram :**
6. **Shri Phul Singh Kataria :**
7. **Com. Jangir Singh :**
8. **Dr. Bhag Singh :**

That the demand be reduced by Rs. 50,00,000.

9. **Sardar Achhar Singh Chhina :**
10. **Shri Inder Singh :**
11. **Pandit Ram Kishan Bharolian :**
12. **Com. Hukam Singh :**
13. **Shri Bhala Ram :**
14. **Shri Phul Singh Kataria :**
15. **Com. Jangir Singh :**
16. **Dr. Bhag Singh :**

That the demand be reduced by Rs. 100.

17. **Sardar Achhar Singh Chhina :**
18. **Shri Inder Singh :**
19. **Pandit Ram Kishan Bharolian :**
20. **Com. Hukam Singh :**
21. **Shri Bhala Ram :**
22. **Shri Phul Singh Kataria :**
23. **Com. Jangir Singh :**
24. **Dr. Bhag Singh :**

That the demand be reduced by Rs. 100.

25. **Sardar Achhar Singh Chhina :**
26. **Shri Inder Singh :**
27. **Pandit Ram Kishan Bharolian :**
28. **Com. Hukam Singh :**
29. **Shri Bhala Ram :**
30. **Shri Phul Singh Kataria :**
31. **Com. Jangir Singh :**
32. **Dr. Bhag Singh :**

That the demand be reduced by Rs. 100.

33. **Shri Sumer Singh :**
34. **Shri Abhai Singh :**
35. **Shri Mohan Lal :**

That the demand be reduced by Rs. 10.

36. **Rao Gajraj Singh :**

That the demand be reduced by Rs. 10.

37. **S. Ram Dayal Singh :**

That the demand be reduced by Re. 1.

38. **S. Bhag Singh :**

That the demand be reduced by Re. 1.

39. **Ch. Balbir Singh :**

That the demand be reduced by Re. 1.

40. Shri Rup Singh Phul :

That the demand be reduced by Re. 1.

41. S. Atma Singh :

That the demand be reduced by five Naye Paise.

42. Shri Ram Parkash :

That the demand be reduced by one Naya Paisa.

43. Shri Hari Ram :

that the demand be reduced by Re. 1.

DEMAND No. 10

(25—*General Administration*)

1. Sardar Achhar Singh Chhina :
2. Com. Hukam Singh :
3. Shri Inder Singh :
4. Pandit Ram Kishan Bharolian :
5. Shri Bhala Ram :
6. Shri Phul Singh Kataria :
7. Com. Jangir Singh :
8. Dr. Bhag Singh :

That item of Rs. 23,65,200 on account of U-2—Welfare Officer be reduced by Rs. 23,65,199.

9. Sardar Achhar Singh Chhina :
10. Shri Inder Singh :
11. Pandit Ram Kishan Bharolian :
12. Com. Hukam Singh :
13. Shri Bhala Ram :
14. Shri Phul Singh Kataria :
15. Com. Jangir Singh :
16. Dr. Bhag Singh :

That the demand be reduced by Rs. 4,43,739.

17. Sardar Achhar Singh Chhina :
18. Shri Inder Singh :
19. Pandit Ram Kishan Bharolian :
20. Com. Hukam Singh :
21. Shri Bhala Ram :
22. Shri Phul Singh Kataria :
23. Com. Jangir Singh :
24. Dr. Bhag Singh :

That the demand be reduced by Rs. 100.

25. Sardar Achhar Singh Chhina :
26. Shri Inder Singh :
27. Pandit Ram Kishan Bharolian :
28. Com. Hukam Singh :
29. Shri Bhala Ram :
30. Shri Phul Singh Kataria :
31. Com. Jangir Singh :
32. Dr. Bhag Singh :

That the demand be reduced by Rs. 100.

[Mr. Speaker]

33. Shri Harbhagwan Maudgil :

That the demand be reduced by Re. 1.

34. Shri Rala Ram :

That the demand be reduced by Re. 1.

35. Ch. Sumer Singh :
36. Rao Abhai Singh :
37. Shri Mohan Lal :

That the demand be reduced by one Naya Paisa.

38. Shri Mehar Singh Thakur :

That item of Rs. 23,65,200 on account of U-2—Welfare Officer be reduced by Rs. 23,65,199.

39. Shri Ram Piara :

That item of Rs. 23,65,200 on account of U-2—Welfare Officer be reduced by Rs. 100.

40. Shri Ram Piara :

That item of Rs. 4,43,740 on account of E—Commissioners be reduced by Rs. 100.

41. Shri Ram Parkash :

That the demand be reduced by Rs. 100.

42. Shri Inder Singh :
43. Dr. Bhag Singh :
44. Pandit Ram Kishan Bharolian :
45. Shri Phul Singh Kataria :
46. Shri Bhala Ram :
47. Com. Jangir Singh :

That the demand be reduced by Rs. 100.

48. Shri Inder Singh :
49. Dr. Bhag Singh :
50. Pandit Ram Kishan Bharolian :
51. Shri Phul Singh Kataria :
52. Shri Bhala Ram :
53. Com. Jangir Singh :

That the demand be reduced by Rs. 100.

54. Raja Raghubir Singh :

That the demand be reduced by Rs. 2.

55. Shri Rup Singh Phul :

That the demand be reduced by Re. 1.

56. Ch. Balbir Singh :

That the demand be reduced by Re. 1.

57. S. Bhag Singh :
58. S. Ram Dayal Singh :

That the demand be reduced by Re. 1.

59. Rao Gajraj Singh :

That the demand be reduced by Re. 1.

60. S. Atma Singh :

That the demand be reduced by one Naya Paisa.

61. S. Mihan Singh Gill :

That the demand be reduced by Rs. 100.

62. Shri Hari Ram

That the demand be reduced by Re. 1.

63. Shri Sadhu Ram :

That the demand be reduced by Rs. 100.

Minister for Planning and Community Projects (Doctor Gopi Chand Bhargave) : Sir, I think there should be discussion on general policy of administration of the Department and not on any sub-heads.

Mr. Speaker : We need not suggest. I hope there shall be no such references during the discussion.

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : On a point of order, Sir. ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ cut motion ਹੈ । ਜਿਹੜਾ order ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ priority ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹਕ ਹੈ ।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रबोध चन्द्र की तरफ से यह चिट आई है कि उन्होंने जल्दी चले जाना है । इसलिए पहले उन को वक्त दिया जाएगा । (I have received a chit from Shri Prabodh Chandra that he intends to go early. Therefore, he will be allowed to speak first.)

Dr. Bhag Singh: It is all right.

श्री प्रबोध चन्द्र (गुरदासपुर, 'जी'): स्पीकर साहिब, मैं आप का मशकूर हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आप के जरिए चन्द बातें गवर्नमेंट के सामने रखूं । जहां तक बजट का सवाल है एक बहुत बड़ी रकम General Administration के नाम पर इस House से मांगी जा रही है । इस सिलसिले में मैं चन्द बातें अपनी गवर्नमेंट और खासतौर से चीफ मिनिस्टर साहिब के नोटिस में लाना चाहता हूं । आज जितना नीचा General Administration का मियार हमारे सूबा में है उतना शायद हिन्दुस्तान के किसी सूबा में नहीं है । कल मुझे एक बच्चे से बात करने का मौका मिला । उस से बातें हुईं । जब मैंने कहा कि We live in the age of sputniks, the boy retorted that we live in the age of scandals. The time is gone when the letter 'M' was used for 'Mahatmas'. Now the letter 'M' is used for 'Mundhras'. मुझे इस बात को सुनकर निहायत

[श्री प्रबोध चन्द्र]

शर्म महसूस हुई कि एक बच्चा भी अपने दिल के अन्दर यह ख्यालात रखता है कि पंजाब आज जिस दौर में से गुज़र रहा है that is an era of scandals। इस सिलसिले में चन्द मिसालें अपनी गवर्नमेंट के सामने रखता हूं। मैं उन से यह आशा रखूंगा कि वह बातें इस बिना पर रद्द न कर दी जाएं या यह कह कर रद्द न की जाएं कि they are from frustrated individual या जैसा कि कल Transport Minister साहिब ने फरमाया कि permits के बारे में जो ज़िक्र किया गया उन लोगों की तरफ़ किया गया जिन को permit मिले नहीं। मैं अपने उस वज़ीर को challenge करता हूं कि जिन्हों ने अपनी कोताहियों को छिपाने के लिए इस तरह के इलज़ाम को घड़ा है। आप बताएं कि मैं कितनी बार उनके दरे-दौलत पर हाज़र हुआ? आप बताएं कि इस पिछले एक साल के अरसा में मैं कितनी बार उन के पास आया या किसी की सिफ़ारिश की कि वह फलां फलां को permit दें?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह Demand No. 10 पर discussion है या personal explanation है? (Is it a discussion on demand No. 10 or a personal explanation?)

श्री प्रबोध चन्द्र : मैं Anti-corruption Department को discuss करने वाला हूं।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन ख्याल रखें कि General Administration में खास खास बातें ही हो सकती हैं. (But he should bear in mind that only specific things can be discussed in the demand of General Administration.)

श्री प्रबोध चन्द्र : Sir, the Anti-corruption Department is also a part of the General Anministration. तो मैं corruption के सिलसिले में यह अर्ज़ करूं कि यह कह कर न टाल दिया जाए कि ये बातें इसलिए की जाती हैं क्योंकि किसी को हटा दिया गया, किसी को कुछ कर दिया गया। यह तो Chief Minister साहिब खुद भी जानते हैं कि frustrated individuals हम हैं या वह खुद हैं। (*Interruptions*) बहर हाल, मैं यह अर्ज़ करता हूं कि जो कुछ अब मैं कहूंगा वह एक अच्छी नीयत से कहूंगा—इस ख्याल से कहूंगा क्योंकि मेरे दिल में दर्द है—कांग्रेस के लिए और इस हुकूमत के लिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन चीज़ों को यूं ही टालमटोल करके न टाल दिया जाए।

सब से पहले मैं Bank of Patiala को लेता हूं which is owned by Punjab Government. इस का 8 और 9 करोड़ रुपए का सरमाया है। इस सिलसिले में चन्द एक बातें आप के notice में लाता हूं.....

अध्यक्ष महोदय : इसका anti-corruption से क्या वास्ता है ? आप इस demand को discuss करते वक्त सिर्फ Anti-corruption Department की working को discuss कर सकते हैं—बैंक की working या इसी तरह की और चीज़ों को नहीं ला सकते । (How is it connected with the anti-corruption ? While discussing this Demand, the hon. Member can discuss the working of the Anti-corruption Department and not the working of the Bank and similar other matters.)

Shri Prabodh Chandra : Sir, it is one of the functions of the Anti-corruption Department.

Mr. Speaker : No please. You can discuss only the working of the Anti-corruption Department.

Shri Prabodh Chandra : Sir, I am discussing the working and functioning of the Anti-corruption Department.

Mr. Speaker : But there should be no mention of all those things which have got no connection with the running of the institutions.......

Shri Prabodh Chandra : Sir..........

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : On a point of order, Sir. Some amount has been demanded to run a certain Department and certainly, Sir, all those things which that Department does , can come here.

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले भी कहा है कि आप Anti-corruption Department की working या functioning के बारे में कह सकते हैं। Working में किसी तरह के defects हों तो वह भी Government के notice में ला सकते हैं । (I have already ruled that he can discuss the working and the functioning of the Anti-corruption Department. He can, of course, bring to the notice of the Government any defects in its working.)

Shri Prabodh Chandra : Sir, I respectfully submit that a part of the grant is for the maintenance of the Anti-corruption Department. I am within my rights to point out that the Anti-corruption Department has failed in its duty to check corruption in the State. Sir, I am bringing out certain instances. इन्हा ने अपना जो balance-sheet निकाला है उसको मैंने पढ़ा है । उसमें 41 लाख ....

Minister for Finance : On a point of order, Sir. The Bank of Patiala is an autonomous body. It is not at all within the administration of the Government. It is not relevant for discussion here.

अध्यक्ष महोदय : I have already pointed it out to him. अगर आप यह कहें तो relevant नहीं है। (I have already pointed it out to him. He is not relevant to say like that.)

श्री प्रबोध चन्द्र : जनाब, मेरे पास document है जोकि Government's publication है।

Mr. Speaker : No, it has got no connection with Demand No. 10.

श्री प्रबोध चन्द्र : मैं यह अर्ज़ करता हूं कि Life Insurance Corporation भी तो एक autonomous body है लेकिन उस के affairs को Parliament ने discuss किया था। वह इसलिए कि that is owned by the Government. इसी तरह यह जो document है जो कि Government की तरफ़ से छपी है इसके अन्दर लिखा है कि "it is owned by the Government" चाहे यह autonomous है लेकिन Finance Secretary इसके Chairman हैं।

Mr. Speaker : How is it relevant with this Demand please ?

Shri Prabodh Chandra : Sir, Anti-corruption Department has failed to do its duty in checking corruption in the State.

अध्यक्ष महोदय : इस तरह तो आप हर एक demand पर हर बात को कह लेंगे। वह चीज़ें इस तरह under discussion नहीं लाई जा सकतीं। आप relevancy के बाहर नहीं जा सकते। (In this way he will try to introduce every thing in each of the Demands. Those things cannot be brought under discussion like this. He cannot cross the limits of relevancy.)

Shri Prabodh Chandra : Sir, Anti-corruption Department has departed to probe into them.

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : Certainly, Sir.

Mr. Speaker : It should have some connection, some relevance with the Demand, under discussion.

Shri Prabodh Chandra : Sir, I would submit that I may be given some latitude even if there is some digression.

Mr. Speaker : Yes, if there is misappropriation of accounts in the Anti-corruption Department.

Shri Prabodh Chandra : Representations have been made to Anti-corruption Department and no action has been taken on those representations and this is why I am repeating again and again.

तो जनाबे आली, इस की 41,57,718-8-11 रुपये की रकम बगैर securities के advance की गई।

Mr. Speaker : I shall not allow this discussion unless I am satisfied that some case is pending.

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : Sir, if the case is pending, that is *Sub-Judice*.

Mr. Speaker : How is it connected with this Demand ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : I would respectfully submit.........

अध्यक्ष महोदय : आप बतायें कि किस तरह से आप का point of order इस से connected है ? (How is the point of order raised by the hon. Member connected with this demand ?)

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : Whatever is not before any Court and he is pointing out to some such thing about which Anti-corruption Department is concerned, Sir, that is relevant.

Mr. Speaker : No please, it is not relevant.

Minister for Finance : May I submit, Sir, that how can the internal things of the Bank be relevant ?

Mr. Speaker : It is not a part of the General Administration. Banking accounts are not a part of the General Administration.

श्री प्रबोध चन्द्र : यह banking accounts नहीं, यह तो Anti-corruption Department से ताल्लुक रखता है । अगर आप देखें तो 8 march, 1957, को वहां के employees की union ने......

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे बतायें कि कौन से head के नीचे आप इसको लायेंगे ? (Let the hon. Member tell me under which head he wants to bring it under discussion ?)

Shri Prabodh Chandra : Anti-corruption Department.

Mr. Speaker : It is not connected with the Anti-corruption Department.

श्री प्रबोध चन्द्र : जनावे-आली, अगर case pending होता तो sub-judice बन जाता ।

Mr. Speaker : The Anti-corruption Department is not a court.

Shri Prabodh Chandra : Yes, Sir.

Mr. Speaker : I wanted to say that there is no case before the Anti-corruption Department.

मौलवी अब्दुल गनी डार : On a point of order, Sir. यह रुपये का मामला है और जब इस demand में हम Finance Secretary और Anti-corruption Department की तनखाहें मन्ज़ूर कर रहे हों और जिनकी तनखाहें General Administration में included हों और जब 41 लाख रुपया हमारी State ने बरदाश्त करना हो तो क्या......

अध्यक्ष महोदय : इस में यह नहीं आता, मौलवी साहिब । (Maulvi Sahib, this has nothing to do with this demand.)

श्री प्रबोध चन्द्र : जब 8 मार्च, 1957, को वहां की employees union ने पंजाब गवर्नमेंट को लिखा कि यहां हेरा-फेरी हो रही है तो क्यों इसकी तफ़तीश नहीं हो रही। Because of the failure of the Punjab Government to have any enquiry made into the allegations यह चीज़ discussion में लाई जा सकती है। यह 8 मार्च, 1957 की Tribune में है और अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसे यहां पढ़ कर सुना दूं।

अध्यक्ष महोदय : आप की बात इस में आती नहीं। इसको आप जबरदस्ती इसके नीचे discussion के लिये घुसेड़ रहे हैं। अगर इसमें किसी मिनिस्टर के conduct का सवाल है तो यह substantive motion पर ही यहां discuss की जा सकती है। (This thing has nothing to do with this demand, which the hon. Member is trying to forcibly bring in. This can be discussed by means of a substantive motion only, if it relates to the conduct of a Minister.)

Shri Prabodh Chandra : Sir, it is a failure of the Anti-corruption Department which is a part of the General Administration.

Mr. Speaker : I will not allow this.

श्री प्रबोध चन्द्र : बहुत बेहतर जनाब, मैं . . . . . .

श्री जगत नारायण चोपड़ा : On a point of order, Sir. यह जो Anti-corruption Department बनाया गया है यह इस लिये बनाया गया है कि उसके पास दरखास्तें आयें। आप सोचें कि banking के मामले के मुतअल्लिक जब दरखास्तें भेजी गईं तो . . . . . .

Mr. Speaker : This is not a point of order.

श्री जगत नारायण चोपड़ा : मगर जनाब . . . . .

अध्यक्ष महोदय : आप Anti-corruption Department की working को जितना मर्ज़ी आये discussion में ला सकते हैं। I will allow it but I will not allow any other discussion. (The hon. Member can discuss the Anti-corruption Department as much as he likes. I will allow it, but I will not allow any other discussion.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : On a point of order, Sir. जब लाला जी अपना point of order उठा रहे थे तो उस वक्त चौधरी सूरज मल ने कहा था कि यह point of order नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस बात का फैसला देना इनके अख्तियार में है या कि आप के अख्तियार में है ?

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। (Please resume your seat.)

Shri Prabodh Chandra : Sir, I submit to the ruling of the Chair तो Anti-corruption Department को वहां के employees की union, जो कि एक registered body है ने कहा कि वहां पर दो करोड़ रुपये की हेरा फेरी हुई है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे समझें । यह बड़ी सीधी बात है । आप अगर कुछ बात किसी banking की institution के सिलसिले में लाते हैं तो आप यह तो कह सकते हैं कि Anti-Corruption Department को यह चीज़ दी गई थी कि वह उसकी कोताही को देखें । आप यहां यह नहीं कर सकते कि एक banking institution की बात को लेकर उस की working की details में जायें । मैं आपको उसकी details में नहीं जाने दूंगा । (The hon. Member may try to understand me. It is a simple matter. If the hon. Member refers to any banking institution then he can say that the matter was referred to the Anti-corruption Department to point out its shortcomings, but if under the pretext of a name of a banking institution, he begins to discuss its working and the details, that I will not allow him to do.)

श्री प्रबोध चन्द्र : जनाबे आली, मैं इस तरह से बतलाने की कोशिश करूंगा । इस bank के सिलसिले में यह दो करोड़ रुपये की बात Anti-corruption Department के नोटिस में लाई गई कि इस bank ने दो या तीन करोड़ रुपया दिल्ली के United Commercial Bank में invest किया है, और यह रुपया इस ने 4-6-0 रुपये के rate of interest के हिसाब से उस बैंक को दिया है जब कि इस bank ने और जगह दस दस हज़ार रुपये की रकमें 4-12-0 रुपये और 5 रुपये के rate पर दी हुई हैं । इस के अलावा एक और चीज Anti-corruption Department के नोटिस में लाई गई और वह यह थी कि इस Bank ने दिल्ली के एक bank में दो-तीन करोड़ रुपया 4-6-0 रुपये के rate पर invest किया है जब कि यह खुद State Bank of India से 4-8-0 रुपये के rate of interest से कर्ज़ लेता है जिस की बिना पर इस bank को लाखों रुपये का घाटा पड़ा है । यह चीज़ Anti-corruption Department के नोटिस में लाई गई । इस चीज़ में Anti-corruption Department has failed to do its duty. एक और चीज़ जनाबे आली corruption के बारे में है । This is not a corruption of money.

इसलिये मैं अब services की corruption के बारे में अर्ज़ करूंगा कि किस तरह से जितनी भी appointments services में गवर्नमेंट करती है उन में किस तरह से corrupt practices चलती हैं । मैं आपके सामने honorary sub-registrars की list रखता हूं जो कि यहां एक सवाल के जवाब में बताई गई थी । उस में बताया गया था कि यह तमाम appointments Deputy Commissioners की recommendations पर की गई हैं । डिप्टी कमिश्नरों की recommendations के सिलसिले में मैं कुछ मिसालें यहां

[श्री प्रबोध चन्द्र]

पेश करता हूं कि किस तरह से उन पर अमल किया गया है। रोपड़ के लिये एक सरदार अमर सिंह को रखा गया है जिसका नाम Deputy Commissioners की recommendation में तीसरे number पर था, इसी तरह से खरड़ के लिये सरदार सरवन सिंह को रखा गया है जिसका नाम भी डिप्टी कमिश्नर की recommendation में बहुत पीछे आता था। इसी तरह अमरीक सिंह को ज़ीरा के लिये रखा गया है जिस का नाम तीसरे दर्जे पर था। करनाल के लिये सरदार गुरबखश सिंह को रखा गया है जिसका नाम भी D.C. की recommendations में बहुत पीछे था। फिर ज़िला अमृतसर के लिये जहां की चीफ मिनिस्टर साहिब को अच्छी वाकफियत है, वहां इन्हों ने डिप्टी कमिश्नर की recommendations को तो देखा ही नहीं और उन्हों ने अजनाला के लिये सरदार उत्तम सिंह को लगाया है और अमृतसर तहसील के लिये एक सरदार वज़ीर सिंह को लगाया है और अमृतसर सिटी के लिये एक सरदार हरचरण सिंह को लगाया है जिन के नाम डिप्टी कमिश्नर की recommendations में थे ही नहीं। तो इस तरह से appointments में corruption होती है जिस की वजह से services का morale गिर जाता है और इससे बड़े बड़े अफसरान का morale भी गिर जाता है। मैं बड़े वसूक से कह सकता हूं कि मेरी इस सिलसिले में एक Deputy Commissioner के साथ बातचीत भी हुई थी जिस में उन्होंने बताया कि जिन हालात में यह काम हो रहे हैं उन में वह क्या कर सकते हैं। हमारी recommendations को सुना ही कहां जाता है और उनकी परवाह ही क्या की जाती है। तीन cases में अमृतसर से जो नाम भेजे गये उन में से कोई भी आदमी लिया नहीं गया। जहां तक इस ज़िले का ताल्लुक है उस के लिये हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब ने वहां के डिप्टी कमिश्नर की सिफारशों की तरफ इशारा ही नहीं किया। मैं चाहता हूं कि गांधी जी का नाम लेने वाली हकूमत और इस एवान में उनकी तस्वीर के नीचे बैठ कर काम करने वाली हकूमत को ऐसे काम नहीं करने चाहियें। मैं ने कुछ मिसालें दी हैं हालांकि इस list में 31 ऐसे आदमियों के नाम हैं जिन की appointments के लिये अव्वल तो Deputy Commissioners ने recommendations ही नहीं कीं और अगर की भी हैं तो इन के नाम बहुत पीछे रखे हुए थे। लेकिन उन्हें ले लिया गया है। इसी तरह से जनाबे आली coal depots की allotment में किया गया है। चीफ़ मिनिस्टर साहिब ने यह कहा कि ज़िला के अफसरान ने यह recommendations दी हैं तो मैं इनको challenge करता हूं।

Mr. Speaker : How do you connect it with this Demand ?

Shri Prabodh Chandra : Sir, this is a corruption of the Government.

Mr. Speaker : No please.

जहां पर गवर्नमेंट की corruption का सवाल आता हो वह इस तरीके से यहां discussion में नहीं लाई जा सकती। यह तो substantive motion पर ही

यहां discuss की जा सकती है । (No please. Any charge of corruption against the Government cannot be brought under discussion in this manner. This can only be done on a substantive motion.)

When the conduct of any Minister is in question, that can be discussed only through a substantive motion.

श्री प्रबोध चन्द्र : और जनाब मैं अर्ज करूंगा कि यह जो B.D.O.s लिये गए हैं, इनको इस तरह लिया गया है . . . . . .

अध्यक्ष महोदय : इस में B.D.O.s कहां से आ गए ? (How do the B.D.O.s come under this Demand?)

श्री प्रबोध चन्द्र : जहां जहां corruption की गई है . . . .

अध्यक्ष महोदय : इस तरह तो सारा बजट ही इस में आ जाएगा फिर अलग अलग demands रखने का क्या फायदा है ? (In this way the whole Budget could be brought under this head. Then what is the use of putting the demands separately.)

श्री प्रबोध चन्द्र : सरदार सोहन सिंह एक Ranger है माधोपुर में, उसने Anti-corruption Committee को report की । उस ने गवर्नमेंट को बताया कि 25,000 रुपये की लकड़ी गलत तौर पर उठा दी गई । यह मामला Anti-corruption Committee में आया तो वहां पर noting है कि Minister is involved । अब यह जिस तरह भी समझा जाए । बजाय इसके कि सोहन सिंह की सिफारिश की जाती, उसकी इमानदारी के लिए कि यह चीज़ वह गवर्नमेंट के नोटिस में लाया, उसको उलटा transfer कर दिया गया । फिर उसको बुला कर कहा जाता है कि तुम नहीं जानते कि इस में बड़े बड़े आदमी हैं, तुम अपनी report वापस लो । उस के ऐसा न करने पर उसको निकाल दिया जाता है और आज वह 11 महीने से दरबदर मारा मारा फिर रहा है, उसकी कोई शुनवाई नहीं हो रही । और जनाब एक सब से ज़्यादा serious बात है । अमृतसर में cold storage है । 20,000 रुपये की लकड़ी . . . . .

अध्यक्ष महोदय : मुझे बताएं, cold storage कहां है इस में ? (The hon. Member may let me know where is the cold storage mentioned in this demand ?)

श्री प्रबोध चन्द्र : मैं कह रहा हूं कि Anti-corruption Committee को एक report दी गई । उस में कहा गया कि 20,000 रुपये की लकड़ी . . . .

Mr. Speaker : There are two Demands under discussion jointly, General Administration and Police. Under General Administration, there are separate heads and under those heads there are certain items. Your references are not connected with any of them. If you try to make me understand, I will be glad to allow you.

श्री प्रबोध चन्द्र : मैं cold storage का ज़िक्र नहीं करता । Anti-corruption Department को एक report की गई . . . .

अध्यक्ष महोदय : इसमें Anti-corruption का नाम ले लो और सब कुछ कह लो । (This means that one should mention the name of anti-corruption and say everything under it.)

Shri Prabodh Chandra : Anti-Corruption Department is a part of the General Administration.

अध्यक्ष महोदय : यह तो ठीक नहीं है । (This is not proper.)

श्री प्रबोध चन्द्र : मैं नाम नहीं लेता । 20,000 रुपये की लकड़ी अमृतसर की एक firm के लिए . . . .

अध्यक्ष महोदय : क्या यह case Anti-corruption Committee के सामने है ? (Is this case before the Anti-corruption Committee ?)

श्री प्रबोध चन्द्र : जी हां । इसकी एक बड़ी लम्बी-चौड़ी file बनी हुई है । आप noting देखें . . . .

अध्यक्ष महोदय : आप कहां से देख आए ? (Where did the hon. Member see this ?)

श्री प्रबोध चन्द्र : Noting में कहा गया है . . . .

Mr. Speaker : What is your source, please ?

Shri Prabodh Chandra : Sir, I have got some source.

Mr. Speaker : May I know the source of your information ?

Shri Prabodh Chandra : I am sorry.

Mr. Speaker : I must know it.

Shri Prabodh Chandra : I am sorry.

Mr. Speaker : I must know your source of information.

Shri Prabodh Chandra : Sir, I take fullest responsibility for what I say in the House.

Mr. Speaker : But I must know the source of your information because it is an official document.

Shri Prabodh Chandra : I am sorry, I can't. तो जनाब अगर इजाज़त हो, आप थोड़ा वक्त दें मुझे थोड़े से corruption के cases बताने हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : आप घड़ी देख लें। अगर यह इजाज़त देती है तो ले लें। (The hon. Member may have look at the watch, if it permits he may continue.)

श्री प्रबोध चन्द्र : Corruption के cases हैं ....

अध्यक्ष महोदय : Cold storage से अब पता नहीं आप ने कहां जाना है। (No body knows what the hon. Member will now refer to after mentioning the cold storage.)

श्री प्रबोध चन्द्र : अगर यह पाबन्दी है कि मैं corruption का कोई न करूं तो मैं बैठ जाता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप relevant हों तो करें मगर जब आप इर्द गिर्द घूमते हैं तो मेरी यह unpleasant duty हो जाती है कि आप को रोकूं। (The hon. Member may continue if he is relevant; but when he is not relevant and he simply beats about the bush then it becomes my unpleasant duty to check him.)

Shri Prabodh Chandra : Sir, I will not give that occasion to perform that unpleasant duty. आया corruption के cases का ज़िक्र करना मेरा right है या नहीं, जो cases Anti-corruption Committee को report किये गये हैं उनका ज़िक्र करना मेरा right है।

Mr. Speaker : Only the working of the Anti-corruption Department and not corruption itself.

श्री प्रबोध चन्द्र : मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह case Anti-corruption Committee को दिया गया। वहां इन चीज़ों की enquiry की गई। मगर बदकिस्मती से यह मालूम हुआ कि इस में high-ups interested हैं तो Anti-corruption Committee की file को ठप करा दिया गया और बजाय इस के कि corruption करने-वालों के खिलाफ action लेते, जिस ने यह चीज सरकार के नोटिस में लाने की जुर्रत की उस को 11 महीने हुए निकाल दिया गया और कई बार बुला कर धमकाया गया कि अगर वह इस case को वापस नहीं लेगा तो उस के खिलाफ action लिया जाएगा। एक और चीज़ इस में है..... (विघ्न)। कुछ corruption के cases अमृतसर municipality के बारे में Anti-corruption Department को दिए गए मगर political pressure के तहत उन पर कोई action नहीं लिया गया। यह गवर्नमेंट officers की report है, अगर इजाज़त हो तो पढ़ कर सुना दूं........

अध्यक्ष महोदय : यह बताएं कि यह कहां से आई है। (Let me know its source, please.)

श्री प्रबोध चन्द्र : यह छपी हुई है, गवर्नमेंट की report है...... (एक आवाज़ : Audit report है।)

A perusal of these (certain resolutions) is necessary to realize the trend of favouritism in the day-to-day working of the municipal administration and tendency to act in a manner prejudicial to public interest. Grades have been revised, advance increments given, warnings once given deleted, pays withheld as punishments restored, incompetent candidates appointed in preference to qualified candidates, discriminate grants to private bodies sanctioned, mandatory provision of the Accounts Code pleaded and relief measures in taxation improperly granted.... (घंटी)

यह एक और report है...........

अध्यक्ष महोदय : बस आप का time हो गया। 5 मिनट मेरी interruptions के थे। (That will do; the hon. Member's time is up. I have given him five minutes in compensation of my interruptions.)

श्री प्रबोध चन्द्र : मेरा तो सारा वक्त ही interruptions में गुज़र गया।

'फुर्स्ते गुनाह मिली वह भी चार दिन'।

अध्यक्ष महोदय : इत्तफाक की बात है, आप इधर-उधर घूमते रहे, जहां पहुंचना था वहां पहुंचे नहीं और वक्त खत्म हो गया। (It was only a coincidence that the hon. Member continued beating about the bush and he could not say what he wanted to say and his time thus passed.)

श्री अत्तर सिंह (दादरी) : स्पीकर साहिब, कोई भी बात जो इस House में मैं कहूँ या कोई party कहे, वह ऐसी नहीं कहनी चाहिए कि हम Opposition में हैं और हमारे लिये यह ज़रूरी है कि हम गवर्नमेंट की हर item को oppose करें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन के बारे में हम bound हो जाते हैं कि हम उन को oppose करें। मसलन जहां तक Administration का सवाल है 15 मार्च के 'Tribune' में एक खबर छपी है जिस की गवर्नमेंट की तरफ से कोई तरदीद नहीं की गई। वह खबर यह है :—

"MURDER CASE WITHDRAWN"

STRICTURES AGAINST POLICE

(From Our Correspondent)

Ferozepore : For the first time in the history of judiciary of this district, a murder case has been withdrawn from the Sessions Court on a prayer being made by the Public Prosecutor on the plea that 'the accused have been found to be innocent'.

Mr. H. S. Bhandari, Additional Sessions Judge, while allowing the withdrawal of the case from his court against Karnail Singh and Nar Singh of village Jammuana who were charged with the murder of one Bachitter Singh remarked in his order : 'The whole matter, however, reflects very adversely on the investigation of this case........".

Mr. Speaker : How is this relevant, please ?

श्री ग्रतर सिंह : जनाब, यह चीज़ पुलिस ग्रौर Law and Order के तहत ग्राती है ।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक ह, इसे oppose करें लेकिन जहां तक reliance का ताल्लुक है उस के लिए ग्रखबार पेश नहीं हो सकती, ग्राप reference दें, quote करें। (The hon. Member may oppose it but a newspaper cannot be presented for putting reliance on it. He may, however, refer to it or quote from it.)

श्री ग्रतर सिंह : इस में Sessions Judge के पुलिस के खिलाफ remarks हैं ।

अध्यक्ष महोदय : It is all right.

श्री ग्रतर सिंह : इस में दिया है —

"The services of Baldev Singh, approver, were secured to make a false statement and he was an approver to implicate both the accused who have been found to be innocent."

जनाब, इस केस के ऊपर गवर्नमेण्ट को चाहिए था कि उन ग्रफसरों को जिन्होंने इस केस की enquiry की थी उन्हें suspend करती ग्रौर पूरी तरह जांच पड़ताल करवाती । लेकिन मुझे ग्रफसोस से कहना पड़ता है कि इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया गया ।

जनाब, लोक-सभा में भाषण देते हुए एक मेम्बर ने रेलवे के बारे में कहा था कि रेलवे विभाग के मन्त्री श्री जगजीवन राम जी हैं। जब कोई रेल में सफर करने के लिए जाता है तो जग को बाहर छोड़ जाता है ग्रौर जीवन को उस वक्त छोड़ देता है जब वह रेल में सफर शुरू कर देता है ग्रौर वहां बाकी राम नाम ही रह जाता है। खैर वह तो रेलवे की बात थी जिस में by accident किसी की जान चली जाती है लेकिन यहां पर तो deliberately ऐसा किया जाता है ग्रौर फिर किसी किस्म की पड़ताल नहीं की जाती।

पिछले बजट session में मैं ने खास तौर पर एक corruption के केस का नाम लिया था ग्रौर वह corruption एक ग्रलहदा किस्म की थी जिस का सम्बन्ध खासतौर पर Development, Education ग्रौर Health Departments से है । ग्रौर वह लड़कियों की postings के बारे में है । मैं ने पिछली दफा भी बजट पर बोलते हुए यह कहा था कि लड़कियों को जो कंवारी हैं खासतौर पर उन जगहों पर appoint करना ज़रूरी है जहां कि उनके मां-बाप रहते हों या उनके नज़दीक रहते हों।

Mr. Speaker : Demand No. 10 is under discussion.

Shri Sher Singh : On a point of order, Sir. May I submit one thing ? In the Memorandum explanatory of the Budget of the Punjab Government for the year 1958-59, the Secretary has submitted —

"It does not include the staff employed in the service of the beneficent department as, for example, Education, Agriculture, and the like ; but it is undoubtedly true that many and great services are performed for these departments by Government servants from Tahsildars and Naib-Tahsildars.. .. . .

अध्यक्ष महोदय : यह कहां demand No. 10 के नीचे आता है ? वह तो general suggestions दे रहे हैं। (How does this come under Demand No. 10? The hon. Member is giving general suggestions.)

श्री शेर सिंह : यह आ जाता है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो Education की demand के नीचे आता है। उस पर यह वक्त लेकर बोल सकते हैं। (The matter, which has been referred to by the hon. Member (Ch. Attar Singh), relates to the Education Department. He can discuss this matter while speaking on the demand for Education.)

श्री शेर सिंह : यह तो, स्पीकर साहिब, उन्होंने explain करते हुए कहा है और यह scope के अन्दर आता है।

Mr. Speaker : No. The discussion is strictly limited to the items mentioned in the two demands.

श्री अतर सिंह : जनाब आपकी इजाज़त से मैं यह बताना चाहता हूं कि आज हमारे treasury benches पर जो लोग बैठे हैं और जो अपने आप को democracy में विश्वास रखने वाले मानते हैं, पंजाब में जो हालत है, मैं उन्हें आपके सामने बताना चाहता हूं। जहां तक district boards का सवाल है पंजाब में 1938 में elections हुए थे और फिर उस के बाद आज तक नहीं हुए।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री शेर सिंह के point of order का जवाब देना चाहता हूं। इस में तो लिखा हुआ है— 'It does not include.' (I want to inform Shri Sher Singh with regard to the point of order raised by him that the words 'It does not include.' are written under demand No. 10.)

> The head "General Administration" comprises of the cost of the administration of Government which is not debitable to other heads. It does not include the staff employed in the service of the beneficent departments, as for example, Education, Agriculture ....

Shri Sher Singh : Please, read the next sentence.

Mr. Speaker : But it is undoubtedly true that many and great services are performed for these Departments by Government servants.....It is clearly stated that it does not include the cost of those Government servants.

Shri Sher Singh : But because the services are performed by the Commissioners, Deputy Commissioners...........

Mr. Speaker : I am sorry, I cannot allow the hon. Member (Shri Attar Singh) to speak on that point.

श्री अतर सिंह : मैं तो, स्पीकर साहिब, सोचता था कि General-Administration में हरेक चीज़ कही जा सकती है लेकिन यहां पर सब बातें कहने की इजाज़त ही नहीं, इसलिए मैं अपनी सीट पर बैठता हूं।

श्री जगत नारायण चोपड़ा : जनाब, पहले तो General Administration पर बहस करते समय हर चीज की इजाजत होती थी।

अध्यक्ष महोदय : कहां पर ? (Where ?)

श्री शेर सिंह : आप पुरानी debates को निकाल कर देख लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी पिछले छ: सात साल से इस हाऊस को चलाता आ रहा हूं। (I have also been conducting the business of this House for the last six or seven years.)

श्री शेर सिंह : यह सारी चीज General Administration में आ जाती है, इसी वजह से यह इसे discuss करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपकी तसल्ली नहीं हुई, पांच दिन general discussion होती रही। (The hon. Members are not satisfied even though the general discussion of the Budget continued for full five days.)

श्री शेर सिंह : Administration में तो यह बातें आ जाती हैं। (*Interruptions.*)

अध्यक्ष महोदय : Kanwarani Sahiba, order please. यह तो लड़के लड़कियों को post करने के बारे में कह रहे थे जो Education की demand के अन्दर आता है। (Kanwarani Sahiba, order please. But the hon. Member was referring to the matter of posting of boys and girls which comes under the demand of Education.)

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ (ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਰਕਮ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ general administration ਲਈ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੇਕਰ 1956-57, 1957-58 ਤੇ 1958-59 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਲ ਖਰਚ civil administration ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਖਰਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਵੀ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ protection of the life and property of the people ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ law and order ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਜੋ ਖਰਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ trained ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ

[ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ]

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨਾਲ training ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ training ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਕਰਨ ਲਗਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਜ ਪਬਲਿਕ ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਨਾਲਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ? ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਨਵੇਂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਵਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਨਹੀਂ ਬਨ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਫ਼ਰੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਨਰਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ graduate ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। Polite ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਸਨੇ ਇਖਲਾਕ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੁਅੱਲਕ ਹੈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਦੋ ਵਾਕਿਆਤ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 13 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਹ ਇਕ ਤਾਰ ਮੌਸੂਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਇਰਨ ਤੇ ਸਟੀਲ ਵਰਕਸ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਲੁਧਿਆਨੇ ਵਿਚ ਢੋਲੇਵਾਲ ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਸਿੰਗ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਰ ਇਕ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਅੱਖਰ ਮੈਂ ਏਥੇ quote ਕਰਦਾ ਹਾਂ :—

> "Iron and Steel Workers Union, Ludhiana, meeting held at Dholewal railway crossing on 13th instant. Disturbed and attacked by armed goondas....."

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਕ Hon'ble Member ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਏਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਏਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ —

> "hired by the owner of the Rita Sewing Machine.........."

> "Crackers thrown. Repeated requests to Police for intervention ignored. Workers agitated."

ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੀਟਿੰਗ hold ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁੰਡੇ crackers ਸੁਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾ ਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਖੜ੍ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਦੋਂ workers ਇਕ ਪੁਰ ਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ agitation ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਆਮਲੇ ਵਿਚ intervene ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾ ਗਰਦੀ create ਕਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰੂਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ protection ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ demand ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰ-

ਅਮਨ ਤਰੀਕਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕ । ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਸਾ ਰਵੱਈਆ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ democracy ਦਾ ਹੱਕ ਤਲਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੁਪ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦੂਸਰਾ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਕ ਇਮਾਰਤ ਹੈ । ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਫਤਰ ਹੈ । ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਫਸ ਸੈਕਟਰੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸੱਜਣ ਹਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਰਾਏ ਰਖਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੈਂਸਰ । ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ lock-up ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਛ ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ।

ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ law and order ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਥੇ ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ landlords ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਨਵਾਈ ਨਹੀਂ । ਸਰਾਏ ਨਾਗਾ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੈ । ਉਥੋਂ ਦੇ ਇਕ Hon'b'e Member ਵੀ ਹਨ । ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ । ਉਥੋਂ ਦੇ ਇਕ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਏਦਾ ਇਕ Hon'ble Member ਦਾ ਇਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁਖਾਲਿਫ਼ ਸੀ । ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੇ ਉਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਮੁਖਾਲਿਫ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਾਵਾਂ .ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ influence ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ untraced ਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਵਲੋਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਤੱਕ trace ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ । ਇਹ ਇਕ serious crime ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੇਸ ਅਜੇ ਤੱਕ untraced ਹੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਜ਼ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਤੇ

[ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ]
ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਤਨਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ।

ਕੁੰਡਾ ਹਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸ਼ਖਸ ਸਰਦਾਰੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ landlord ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਓਥੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰੇ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਵਿਰੁਧ 307 ਦਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ । ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜਕੇ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ law and order ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ।

ਮੌਜ਼ਾ ਆਸਾ ਬੁਟਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ । ਓਥੇ ਬੁਗਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ । ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਿਆ । ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ untraced ਹੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੌਜ਼ਾ ਹਰਾਜ ਹੈ । ਓਥੋਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜਕੀ ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ । ਮੌਜ਼ਾ ਥਾਂਦੇਵਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ untraced ਹੀ ਹੈ ।

ਮੌਜ਼ਾ ਮਹਾਂ ਵਿਧਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹਰੀਜਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਛ ਗਿਛ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ law and order ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ । ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਗਰੀਬ ਉਥੇ ਵਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਥਾਣਾ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਦਰ ਦੇ ਇਕ ਮੀਲ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਪੁਲਸ ਹਾਕੀ ਦਾ ਖਿਲਾੜੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭਾਈ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਤੀਜਾ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਚੌਥਾ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ । ਇਕ ਬਸਤੀ ਗੁਵਿੰਦ ਨਗਰ 'ਵਿਚ ਠਾਕੁਰ ਦਾਸ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ।

ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਉਸ ਕੋਸ਼ਸ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਲੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਮੇਘ ਤਾਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬਮਏ ਬੰਦੂਕ ਤੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਫੜ ਲਏ ਗਏ । ਉਹ ਲੋਕ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਦਰ ਬਦਰ ਫਿਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਣਵਾਈ ਕਰੇ । ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਕ senior police ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਥਾਣੇਦਾਰ

ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬੰਦੂਕ ਸਮੇਤ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦਸੱਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸੂਰਵਾਰ ਤਾਂ ਸੀ ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਦਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਹੋ। ਇਹ, ਜਨਾਬ, ਇਕ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹੋ ਰਵੱਈਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ shield ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਦਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿਚ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਦਬਾਉ ਪਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਤਾਲਬਾ ਹੈ ਇਸ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਨੌਈਅਤ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਬਾਹਮਣੀ ਵਾਲਾ ਨਿਰਵਾਨਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਅੰਦਰਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ C. M. ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, A I. G. ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ D. S. P. ਨੂੰ ਵੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਕਰੌਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਥੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ......

(*Interruption from the Treasury Benches*)

ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ interrupt ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਉ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜ਼ੇਰੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਆਦਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉਤੇ ਗਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਸੀ ਇਕ ਰਾਜਗੀਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾਰਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ A.S.I. ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਰਤਾਰਾ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਡਿਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ civil hospital ਵਿਚ expire ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਧੌਣ ਦਾ ਮਣਕਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ......

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਦ ਮਣਕਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : Yes, Sir, ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ........

He was taken to the Mahalpur Hospital. There he was injected.

[ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ]

ਉਹ ਕਰਤਾਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ Civil Hospital ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਸਦਾ ਮਣਕਾ ਨਹੀਂ ਟੁਟਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮਣਕੇ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਦੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ? ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਪ ਚਲ ਕੇ ਆਏ। I am very thankful to him. ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਇਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਡਿਗ ਪਿਆ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ hospital ਵਿੱਚ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਜੱਦ ਮੈਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਗ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ—C. M. ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੁਣ ਲੈਣ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ—ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਨੂੰ C. M. ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸਮਤੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੜੇ ਖੜੋਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੱਦ ਉਸਦੀ ਬੇਵਾ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ ਲੈ ਲੈ। ਇਹ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਮਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੀਵੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗੇ ਪਿਛੇ ਨਾ ਜਾਉ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ C. M. ਸਾਹਿਬ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ civilized country ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ C. M. ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? (ਘੰਟੀ) ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿਚ civil liberty ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 16 ਮਾਰਚ ਦੇ Tribune ਵਿਚ ਛਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, quote ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

"EXCESSES BY PUNJAB POLICE

Civil Liberties Council Demands Inquiry.

This meeting deplores that in carrying out their functions, the police, in general, especially in the subordinate ranks, employ highly objectionable and unlawful methods in the investigation of crime, such as use of outrageous and inhuman methods for extracting the confessions from suspected persons, abuse of powers, violating the fundamental liberties and rights of the citizens, etc. Such behaviour results in untold sufferings to the people and thus brings the Government into disrepute.

The Council, therefore, urges the Punjab Government to appoint an independent commission of inquiry to examine the present activities of the police in the State and devise ways and means of reforming the administration."

This is my request also. ਇਹ ਸਾਡੀ request ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ independent ਕਮੀਸ਼ਨ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਸਿਫਟਿੰਗ

ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Civil Liberty Meeting ਦੀ report ਵਿਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਜਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Enquiry Commission ਮੁਕੱਰਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਘੰਟੀ)

Sardar Sarup Singh (Amritsar City, Civil Lines) : Mr. Speaker, there are many difficult problems facing the State to-day and I think the greatest one is the increasingly difficult position of the public servants in this State. I feel, Sir, that his position is getting almost untenable. One of the worst things that came to our notice was a very uncharitable and deplorable attack made a few days back on the person of Mr. G. D. Khosla, who was heading the Khosla Enquiry Committee with regard to the Jullundur incident and my regret is all the greater when I have to own that a Member of this House tried to throw mud on him. You, Sir, in your capacity as the Presiding Officer of this House tried to prevent him from doing so and that was even reported very contentiously in the Indian language papers.

4 p.m.

Dr. Baldev Parkash : Is he relevant?

Sardar Sarup Singh : If a public servant of his status and calibre and of the position of a Judge of a High Court, (*Voice : Is he relevant?*) who can be impeached, if his conduct is found to be objectionable, according to the special procedure laid down in the Constitution, is subjected to such scurrilous attacks, no one is at all safe while discharging his duties in the State.

I think I voice the opinion of the vast majority of the members of the District Bars in the State and of the members of the High Court Bar when I say that almost all the members of the Bar hold Mr. Khosla in the highest esteem with regard to his independence, his integrity, his honesty, his intelligence and his unbiased views and opinions. Mr. Speaker, this, I think, is the epitome of what has been happening in the State for the last six months or so. When my friends of the Hindi Raksha Samiti started agitation in the State they spared no person, no community and no organization in their attacks and their attacks were not confined merely to verbal abuses. Many of the public servants were man-handled by them. I would request the Chief Minister to tell us as to how many cases were registered for use of violence against the public servants and then later on withdrawn. I think, Sir, this withdrawal of prosecutions of cases in which violence was used against the person of the public servants has given a widespread impression that the public servants can be attacked with impunity. I think leniency has its own place but leniency, when it extends to compromise with use of violence against public servants will produce dire results which would not be for the good of the State or, for the good of the people of the State. I think it is in the highest interest of every one that the public servant should be able to stick to the cardinal principles of his service and discharge his duties without fear or favour. If he is either actuated by fear or motivated by favour, then I think that will be the beginning of the end of the law and order in this State. I would also request my friends of the Hindi Raksha Samiti to please ponder over what they are doing. It is their legitimate function to try to displace the Government in power. It is their privilege to work and to propagate so that they may displace the Congress in the State. But what would happen if the fabric on which the Government and the law and order of this State is based is destroyed ? What will they inherit ? They will inherit shambles ; they will inherit chaos and disorders and they will gain nothing good in this way. Therefore, I request them with all humility and with all the goodwill that I possess that they should pursue their functions of displacing the Government in such a manner that they do not destroy the fabric of the State.

[Sardar Sarup Singh]

My learned friend from Jullundur, Shri Sabharwal, while discussing the Governor's Address the other day, said that it is the agent provocateurs who were creating this trouble. I would for his benefit refer him to the names of some distinguished persons of the Samiti, to which he belongs, against whom many persons in the State have their legitimate grievance for their hurling abuses against communities and against individuals and they are—

(1) Shri Dharam Pal, Municipal Commissioner ;

(2) Shri Bansi Lal ;

(3) Shri Sohan Lal, Propaganda Secretary, Hindi Raksha Samiti ;

(4) Swami Santoshanand ;

(5) Shri Durga Dass ;

(6) Shri Sham Lal Tewari of Jamna Nagar ;

(7) Swami Rameshwaranand ;

(8) Acharya Bhikhshu ;

(9) Mahasha Zorawaranand.

I would ask him whether these persons, very eminent persons, of the Samiti are agent provocateurs or not ? If they are, then I think the Samiti better look into its own house and see if it is in order or it is infested with persons who are out to damage its good name. I would request them to please reconsider their attitude and not try to do something which they might later repent.

Secondly, Sir, I would like to know from the Chief Minister whether, or not, he considers that the Official Secrets Act has now become more or less superfluous. I wonder if there are any official secrets left which are not in the street or which are not on everybody's lips and one instance which I wish to give him is the written articles of Mahasha Krishan in his paper after his release from the detention in which he said that he knew of his arrest at least 24 hours before it took place and that he was prepared for it and he had collected his things and was ready to accompany the Police. Some of those persons whose duty it was to arrest him conveyed this information to Mahasha Krishan and if such is the standard of secrecy maintained by this Government, they might as well bring forth legislation here declaring that the Official Secrets Act has been repealed.

Another thing, Sir, which I wish to point out with regard to the Administration is complete lack of devolution of authority. I know many members of this House will say that this Administration is getting top heavy. It is getting top heavy but I do not think the officers at the top are sitting idle. I, however, feel that they should deal with important and policy cases and not with tremendous trifles. Most of the trifles go from the tehsil headquarters right up to the Chief Secretary or officers below him and they just countersign various files. I wish some radical changes are made in the rules and petty matters and trifles which can be dealt with low-down should be dealt with low-down and

this would save much time and money and ease the situation and will leave the top ranking personnel of the Government to deal with matters which are more urgent and more important requiring time and leisure to deal with them.

You may, Mr. Speaker, point out that I am not very relevant but since the time given is so tight I wish to point out one or two policy matters in my speech today and one relates to Education. I think the Government expenditure on this item has risen..........

Mr. Speaker : I am sorry, I will have to check you........

Sardar Sarup Singh : Your Honour, sometimes time is not given and the demand..........

Mr. Speaker : If gentlemen like you discuss such points.............

Sardar Sarup Singh : Sir, I am only discussing the policy ....

Mr. Speaker : If gentlemen like you go beyond the scope of the demands under discussion at present, then I am sorry. You should try to be relevant.

Sardar Sarup Singh : Strictly speaking, I am not but keeping in view the trend of your ruling...........

Mr. Speaker : You must confine your speech to the demands under discussion at present.

Sardar Sarup Singh : Sir, this provincialization of schools by Government is going to land it into a big muddle and already the Budget notes given to us contain items which show that increasing administrative costs would have to be borne to implement that scheme of provincialization. It would mean an increase of Rs. 3½ crores in expenditure. I think, Sir, the Government should be well advised to avoid this muddle.

Mr. Speaker : I am sorry, I will have to stop the Member from discussing this point because it is beyond the scope of these two demands.

Sardar Sarup Singh : The next thing which I wish to point out is the Government policy............

Mr. Speaker : Order, please.

Sardar Sarup Singh : I am not referring to that any more.

Mr. Speaker : You are not referring to that any more ?

Sardar Sarup Singh : Yes.

Mr. Speaker : What matter are you going to refer to and under what head does it fall ?

Sardar Sarup Singh : Sir, I will deal with the General Administration.

I also wish to point out that certain Government policies........

Mr. Speaker : General Administration does not lead to general discussion.

Sardar Sarup Singh : Sir, I am only discussing policies. I am not discussing any individual.

Mr. Speaker : Policies of which department ?

Sardar Sarup Singh : Policies which the Administration is pursuing.

Mr. Speaker : This matter needs to be thrashed out whether the hon. Members can speak on policy matters.

Sardar Sarup Singh : The gentlemen coming under this demand deal with these matters and, therefore, I am relevant.

Mr. Speaker : I am sorry, I did not hear you.

Sardar Sarup Singh : We are sanctioning pays of certain officers and the Ministers who deal with these matters. I am not discussing their person, Sir.

Mr. Speaker : You should not stretch things too far. Try to be relevant. I am sorry, I cannot allow you to speak on anything which is not relevant to these demands.

Sardar Sarup Singh : Certain policies of the Government are inimical to capital formation and I think they are not only inimical but they are in certain cases fatal. For example, this State has a wealth of agricultural talent, but I am afraid the Government policies do not allow the Punjab peasant, who is one of the best peasants in the world, today a...........

Mr. Speaker : You are not relevant.

Sardar Sarup Singh : ......full play with regard to his talent and he is circumscribed.................

Mr. Speaker : You should try to be relevant, otherwise I will have to ask you to resume your seat.

Sardar Sarup Singh : I am trying my best to be relevant and because I feel I am relevant I am saying these things.

Mr. Speaker : You should be relevant.

Sardar Sarup Singh : Sir, this policy with regard to urban property is likely to dry up all the capital which would have been used in augmenting the schemes for which the State has no resources.

With these words and because, Sir, you are insisting that I cannot discuss them any further, I resume my seat.

राजा रघुबीर सिंह (कुल्लू, जनरल) : अध्यक्ष महोदय, General Administration की demand पर बोलते हुए मैं आपके द्वारा सब से पहले पंजाब

सरकार की तवज्जुह एक important मसले की तरफ दिलाना चाहता हूं। यह ठीक है कि Punjab Ministry ने थोड़ा ही अर्सा हुआ Kulu Sub-Division को district level का Sub-Division बनाने का प्रयत्न किया है और इस में शक नहीं कि चंद दिन पहले या गालबन दो-चार महीने पहले एक अच्छे और नौजवान अफसर को वहां पर भेजा है। सरकार ने इस बात में भी तेज़ी दिखाई थी कि वहां पर District Panchayat Officer भी रखा जाए और इसी तरह से District Agricultural Officer भी वहां पर रखा जाए ताकि Kulu Sub-Division के दूर-दराज़ के इलाकों के जिन लोगों को पहले वहां से बहुत दूर धर्मसाला में relief हासिल करने के लिए जाना पड़ता था उनको वहां पर ही district level की सहूलतें मिल सकें। अध्यक्ष महोदय, कुल्लू एक खास अहमियत का इलाका है। इस में कोई शक नहीं कि वहां की आबादी थोड़ी है लेकिन वहां के लोग बड़ी हिम्मत वाले हैं। मगर गुरबत उनकी पेश नहीं चलने देती है। आप को पता होगा और history हमें बताती है कि यह वह इलाका है जहां के बाशिंदगान तिब्बत से व्यापार करते थे, चीन के संकियांग province से व्यापार करते थे और तुरकिस्तान, यारकंद, ताशकंद के इलाकों में जा कर व्यापार करते थे। अंग्रेज़ों के ज़माना में भी वहां उस इलाका की जो administration थी वह एक senior और seasoned I. C. S. अफसर द्वारा चलाई जाती थी क्योंकि वहां के दूर-दराज के व्यापारी कुल्लू में आया करते थे और कुल्लू के लोग वहां जाते थे और इस तरह यह इलाका international trade का centre बना हुआ था। आज भी उस की अहमियत घटी नहीं है गो तुरकिस्तान संकियाग के red हो जाने की वजह से और व्यापार की वह सहूलियतें न मिलने की वजह से वैसा नहीं हो रहा है लेकिन तिब्बत के साथ अभी भी व्यापार हो रहा है। तो मैं सरकार की तवज्जुह इस चीज़ की तरफ दिलाना चाहता हूं कि अब भी वहां का काम चलाने के लिए वहां एक senior I. A. S. अफसर की जरूरत है और एक trained और seasoned अफसर द्वारा ही वहां ठीक ढंग से काम चल सकता है। वह इलाका बहुत ही backward है और अगर वहां के मसायल को हिकमत अमली से सुलझाने का प्रयत्न न किया गया तो उसके नतायज बहुत खराब निकल सकते हैं। इस वक्त एक lady officer वहां पर लगी हुई है। इस सिलसिले में मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कुल्लू का इलाका बहुत लम्बा-चौड़ा है और यह 6400 square मील का Sub-Division है। इस में खासकर लाहौल और स्पिति का वह snow covered backward area भी है जिसे scheduled tribal area भी कहते हैं। वहां पर जाने के लिए बर्फ़ से ढके हुए $14\frac{1}{2}$ हज़ार फुट की बुलंदी के पहाड़ों को पार करके जाना पड़ता है। कुदरत की तरफ से जो मुश्किलात वहां जाने के लिए पेश आती हैं उनको भूला नहीं जा सकता। उस इलाके के उद्धार के लिए Centre की तरफ से खास रकम मिलती है जोकि वहां पर खर्च होती है। उस खर्च को देखने के लिए कि वह किस ढंग से होता है और

[राजा रघुबीर सिंह]
कि वहां का administration इस से भी बेहतर ढंग से कैसे चलाया जा सकता है, वहां पर वहां के बड़े अफसर को गाहे-बगाहे ज़रूर जाना चाहिए । सरकार के लिये ऐसा करना ज़रूरी है। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब के साथ कहता हूं कि यह बात नहीं कि मेरे मन में fair sex के बारे में यह जज़बा है कि वह काम के नाअहल हैं लेकिन यह एक सही बात है कि fair sex के लिए इतने दूर-दराज़ के लम्बे-चौड़े इलाके में काम करना और लोगों से deal करना एक मुश्किल की वजह बन सकता है । आप देखें कि लाहौल और स्पिति के अलावा Outer Seraj के काफी लम्बे-चौडे इलाके में जाने के लिए 10 हज़ार फुट की height पार करके जाना पड़ता है । दूर-दराज़ का इलाका है और फिर न कोई सड़क है और न transport का कोई खातर-खाह इन्तज़ाम है। तो एक lady से वहां के उस दूर-दराज़ के इलाके में कैसे पैदल जाया जा सकता है। नतीजा यह होगा कि वहां का दौरा नहीं हो सकेगा और administration को suffer करना होगा। अगर वहां पर किसी किस्म की गड़-बड़ हो जाए तो वहां कैसे इन्तज़ाम किया जा सकता है ? इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा पंजाब सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वहां एक senior male I. A. S. अफसर भेजा जाए जोकि वहां के मसायल को घूम फिर कर हल कर सके । वहां के मसले इस तरह के नहीं हैं कि वहां कोई Hindi agitation की बात हो या वहां कोई मोरचे लगते हों । ऐसी बात वहां पर नहीं है । वहां पर डाके और कत्ल और खून भी नहीं होते । वहां का मसला जो है वह ग़रीबी का मसला है । इस वक्त हमारे देश की कांग्रेस सरकार ने यह मोरचा लगाया हुआ है कि हम ने ग़ुरबत के खिलाफ जंग लड़नी है और administration को घर २ तक पहुंचाना है। जब यह हमारी गवर्नमेंट का मकसद हो तो ऐसे backward area के लिए एक senior male I. A. S. अफसर का वहां पर भेजना ज़रूरी हो जाता है।

दूसरी एक बात और मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा पंजाब सरकार के notice में लाना चाहता हूं । इस में शक नहीं है कि लाहौल और स्पिति के लिए Centre से निहायत फराख दिली से रुपया दिया जा रहा है लेकिन उस रुपए को खर्च करने के लिए अकसर औकात चूक जाते हैं । वह कैसे चूक जाते हैं इस की मैं ठोस मिसालें दे सकता हूं । अगर वहां पर कोई स्कूल चालू करना है और उसके लिए staff भेजना है तो मिनिस्ट्री से तो order हो जाते हैं लेकिन Head of the Department के through जिस आदमी को वह जाने होते हैं उस को वक्त पर नहीं पहुंचते । Orders उस वक्त पहुंचते हैं जबकि वहां पर जाने के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं और वह वहां जा नहीं सकते । इस लिए मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि लाहौल और स्पिति के जो development programmes हैं या दूसरे administration के programmes हैं

उन को emergency के तौर पर पूरा किया जाए । वैसे तो, अध्यक्ष महोदय, कुल्लू का सारा इलाका backward है और वह बुरी हालत में है। जब तक वहां के administration को emergency के तौर पर चलाने के लिए नहीं सोचा जाएगा तब तक वहां के हालात में सही तौर पर तबदीली नहीं आ सकती । लेकिन लाहौल और स्पिति का जो इलाका है उस की खास अहमियत है। वह लोग ऐसे हैं जिनकी भाषा न इस इलाके में समझी जा सकती है और न यहां की वह समझते हैं । इसलिए मैं समझता हूं कि वहां services में उसी इलाके के लोगों को तरजीह दी जानी चाहिए । इस में शक नहीं कि सरकार उनको तरजीह तो देती है मगर जिस ढंग से यह किया जा रहा है उस से वहां के लोगों की तसल्ली नहीं हुई है । अभी थोड़े ही दिन हुए हैं यहां एक deputation आया था और चीफ़ मिनिस्टर साहिब के पास पेश किया गया था । वह अपनी Scheduled Tribes Advisory Council की नुमाइंदगी बढ़ाना चाहते थे। यह नुमाइंदगी वैधानिक तौर पर बढ़ाई जा सकती है । तो मैं आपके द्वारा अर्ज़ करूंगा कि उस संस्था की तादाद 10 से बढ़ा कर कम से कम 14 तक ज़रूर कर देनी चाहिए। उस में जो नामीनेटिड अन्सर है उसे भी बढ़ा देना चाहिए क्योंकि वे अभी तक इतने advanced नहीं हैं कि वोट दे कर अपनी सही नुमाइंदगी लें। एक लिहाज़ से वे advanced भी हैं क्योंकि उन के व्यापार की सीमा जहां एक तरफ कालिम्पौंग से कलकत्ता तक जाती है वहां दूसरी तरफ तिब्बत तक जाती है। समझ तो उन्हें बहुत है लेकिन उन आदमियों को ज़रूर लाना चाहिए । वहां एक चीज़ कावले गौर है कि अमीर आदमी भी मिलते हैं लेकिन ग़ुरबत भी इन्तहा दर्जे की है और ग़रीब और अमीर में जितनी खलीज वहां पर है उतनी चौड़ी खलीज पंजाब में कहीं ढूंढे से नहीं मिलती। इसलिए मैं गुज़ारिश करूंगा कि उन ग़रीब लोगों को भी नुमाइंदगी देनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, बातें तो मैं ने और भी बहुत सी कहनी थीं लेकिन बदकिस्मती से मुझे पहले वक्त नहीं मिला इसलिए मैं इस direction में एक चीज़ आप के नोटिस में लाना चाहता हूं कि welfare के प्रोग्राम के मुतअल्लिक सेंटर में भी डीबेट की गई और पंजाब सरकार ने भी इस के लिए तजवीज़ें दी हैं। लेकिन हमारी पंजाब सरकार भूल जाती है कि पंजाब का पहाड़ी इलाका इन्तहाई backward है। उस के मुतअल्लिक वह सोचती नहीं और उसे एक ही pattern से चला रही है । उस के ऊपर जब कुल्लू में दौरा करते हैं उस वक्त तो ज़रूर सोचा जाता है लेकिन जिस वक्त चण्डीगढ़ में पहुंचते हैं तो यह सारी बातें भूल जाते हैं। यह ठीक है कि यहां पर बहुत सी पोलीटिकल उलझनें हैं लेकिन पोलीटिकल कशमकश में उलझ कर इस backward area की तकलीफात को भूलना नहीं चाहिए । जिस backward area का ज़िक्र हो रहा है, जिस की नुमाइंदगी मैं आपके सामने कर रहा हूं, मैं खास तौर पर इस चीज़ पर तवज्जुह दिलाना चाहता हूं कि पोलीटिकल कशमकश में पड़ कर backward areas और backward classes जोकि sufferers हैं, development के प्रोग्राम से बहुत दूर जा

[राजा रघुबीर सिंह]

रही हैं। वरना मैं समझता हूं कि जो जालन्धर में एजीटेशन पर खर्च हुआ है क्या ही अच्छा होता अगर यह रुपया देश की development पर खर्च होता। पहाड़ी इलाकों के लोग ग़रीब ज़रूर हैं लेकिन कुदरती तौर पर वे इस ढंग के बने हैं कि एक फैमिली अपने आप में मुकम्मल है। वह दूसरों पर किसी चीज़ के लिए निर्भर नहीं करते। उसी घर में जुलाहे मिलते हैं, मज़दूर मिलते हैं, लकड़ी चीरने वाले मिलते हैं। फारेस्ट की डिमांड नहीं रखी गई वरना मैं यह बताना चाहता था कि यह वहां लोगों का अहम मसला है। वहां चीफ़ मिनिस्टर साहिब ने एक कमेटी बनाई थी जिसने वहां के लोगों से पूछा कि तुम्हारे क्या हकूक हैं। चीफ कंज़रवेटर साहिब इस कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने वहां के लोगों को इकट्ठा किया और पूछा कि आप के क्या हकूक हैं। वह रिपोर्ट लिखी गई। इस बात को आज छः महीने हो चुके हैं लेकिन मालूम नहीं कि वह किस टेबल पर कीड़े का शिकार हो रही है। महकमा जंगलात वहां के जंगलात को कटाता है। इतनी आमदन गवर्नमेंट को उस से होती है लेकिन उस इलाका के लोगों की तकलीफ़ों को दूर नहीं किया जाता। अध्यक्ष महोदय, एक किसान खेत को बोता है, इतनी मेहनत उस पर करता है लेकिन उसे कह दिया जाये कि यह ले लो दस रुपये जो तुम्हारी मेहनत है और खेत पर तुम्हारा कोई हक नहीं यह सरकार की चीज़ है, उसी तरह इस इलाका के लोगों को कहा जाता है कि जंगलात पर तुम्हारा कोई हक नहीं, जंगलात उन के हैं जो मैदान में रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप लाहौल स्पित्ती से चल कर जंगलात पर कैसे आ गए। (How has the hon. Member come to forests while discussing Lahaul and Spiti.)

राजा रघबीर सिंह : यह जेनरल एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है। इस के मातहत एक कमेटी बनाई गई जिस का चेयरमैन चीफ कंज़रवेटर था। उस का फैसला अभी तक नहीं बताया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो वहां के रहने वाले हैं उन्हें यह कहा जाता है कि यह दरख्त तेरे नहीं हैं, मैदान वालों के हैं और नतीजा यह होता है कि वे लोग starve करते हैं। इसलिए मैं यह अर्ज़ करता हूं कि यह फारेस्ट का काम कमर्शल बेसिज़ पर नहीं चाहिए बल्कि इस बात का भी ख्याल होना चाहिए कि उन लोगों का welfare भी हो सके।

आखिर में, अध्यक्ष महोदय, मैं welfare के मुतअल्लिक.......... (*Bell*)

Mr. Speaker : You should also keep in mind the 'Bell fare'. (*Laughter*)

राजा रघबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज़ कर रहा था कि कुल्लू के लोगों की स्पैशल भाषा है। लोगों में अपने देश से, अपनी मातृभूमि से ज़्यादा से ज़्यादा प्यार पैदा करने के लिए उन की कलचर में सहायता करने के लिए उन के रस्मो-रिवाज और उन की folklore पर भी ध्यान देना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि ड्रामा पार्टियां एक ही इलाके की कलचर का ध्यान करें। आज हम क्या

देखते हैं कि जालन्धर के अन्दर एक ड्रामा पार्टी ड्रामा करती है। रंगीन पर्दों को देख कर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन अगर सही तौर पर देखा जाए तो यह बेकार की चीजें हैं। मैं आप के द्वारा सरकार को अर्ज़ करूं कि इन बातों से कोई विशेष लाभ नहीं होता। इन से लोगों को कोई प्राप्ति नहीं होती।

अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ़ से जो ड्रामा पार्टियां देहात में जाती हैं वह कांगड़ा की कलचर और आर्ट की तरफ भी तवज्जुह दें। वहां की भाषा में बहुत अच्छी शायरी चलती है। पुस्तकें लिखी गई हैं, बड़े अच्छे अच्छे चित्र मिलते हैं। कांगड़ा स्कूल आफ आर्ट दुनियां में अपना नाम पैदा कर चुका है और सारी दुनिया को अपनी तरफ़ खींचता है लेकिन यहां की भाषा का, यहां की कलचर का, रहन-सहन के तरीके को तबदील कैसे करना है इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मैं समझता हूं कि इस के लिए कोई non-official आदमी मुकर्रर कर दिया जाए जो इस पर विचार करे जिस के बारे में मैं ने पहले भी अर्ज़ किया था। पिछड़े हुए इलाके में तबदीली पैदा करने के लिये हंगामी कदम उठाने की ज़रूरत है। यह नहीं कि haphazard तरीके से किसी स्कीम पर ग़ौर किया और बाद में उसे इल्तवा में डाल दिया। हमें अच्छी तरह से सोच-विचार कर के planned तरीके से इस पिछड़े हुए इलाके की economy को improve करने की कोशिश करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि आप का वक्त खत्म हो चुका है। (I may tell the hon. Member that his time is over.)

राजा रघबीर सिंह : मैं ने तो जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत सी बातें कहनी थीं लेकिन मेरे notes धरे के धरे रह गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप को ज़रूर फिर मौका मिलेगा। (He will certainly get another opportunity.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश (अमृतसर शहर, पूर्व) : स्पीकर साहिब, पुलिस और General Administration पर जो रुपया खर्च हो रहा है उस के मुतअल्लिक demand पेश की गई है जो इस वक्त ज़ेरे बहस है। जहां तक इस सूबे का सवाल है अगर मैं यह कहूं कि पिछले दो-तीन सालों में यहां पर dictatorship कायम हो चुकी है और जमहूरियत का नामो-निशां नहीं तो यह कहना अत्युक्ति न होगी। मुझ से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य जिन को, स्पीकर साहिब, आप ने बोलने का वक्त न दिया वह जिस बात को हाउस के सामने रखना चाहते थे वह बहुत अहम थी। इस से पहले भी बहुत दफा मैम्बरों की तरफ से ऐसी बातें कही गई हैं लेकिन मुख्य मन्त्री महोदय की तरफ से जिन से यह महकमा सम्बन्धित है कभी भी ठीक ढंग से जवाब नहीं दिया गया। पिछले दो सालों से सूबे के हालात सुधरे नहीं, दिन-ब-दिन खराब होते जा रहे हैं। जहां तक जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि पुलिस के सम्बन्ध में

[डा० बलदेव प्रकाश]

Sessions Judge ने यह remarks दिये कि पुलिस का काम यह है कि झूठे मुकदमे बना कर, झूठी गवाहियां देने के लिये आदमी तैयार करना और इस तरह से innocent आदमियों को झूठे मुकदमों में फंसाना। यह ख्यालात Opposition के नहीं बल्कि एक Sessions Judge के हैं जिस से पता चल सकता है कि पुलिस का काम किस तरह से चल रहा है। इस किस्म की सैंकड़ों मिसालें पहले भी हाउस में दी गई हैं लेकिन इन पर गवर्नमेंट ने कभी ठीक ढंग से विचार नहीं किया। क्या यह dictatorship नहीं कि अगर किसी आदमी के गवर्नमेंट पार्टी से विचार नहीं मिलते, उन का विरोधी है, तो उसे बुला कर cell में बंद कर दिया या गोली से उड़ा दिया ? यह जहनियत बिल्कुल ऐसी है कि एक आदमी को बुलाया और उसके खिलाफ अपने दो touts को गवाहियां देने पर मजबूर किया और जो सज़ा देनी चाही वह दिलवा दी। इस ढंग से पंजाब के अंदर पुलिस की कार्रवाई चल रही है। मैं, स्पीकर साहिब, आप के द्वारा हाउस का ध्यान तीन-चार महीनों की वारदातों की तरफ दिलाना चाहता हूं। हमारे मुख्य मन्त्री General Administration और law and order के बारे में कहा करते हैं कि जहां कहीं भी अनियमित रूप से कोई कार्रवाई हो, irregularity हो मैं उड़ कर वहां पहुंचता हूं और उसे दूर करने की कोशिश करता हूं। अभी वह दिन पंजाब की जनता को भूला नहीं जब हाल ही में पुलिस की कार्रवाइयों और पंजाब की lawlessness का जनाज़ा Supreme Court के सामने निकल रहा था। कुछ अर्सा के लिये कुछ आदमियों को धोखा में रखा जा सकता है, बहुत अर्सा के लिये शायद धोखे में रखा जा सकता लेकिन हमेशा के लिए सारी जनता को बुद्धू नहीं बनाया जा सकता। आज पंजाब की जनता सही मायनों में समझ चुकी है कि पंजाब के अंदर law and order का नामोनिशां नहीं और महकमा पुलिस में चारों तरफ अराजकता फैली हुई दिखाई देती है। पहले मैं ने Sessions Judge के remarks का हवाला दिया अब मैं अमृतसर के तीन-चार दिन पहले के वाकयात हाउस के सामने रखना चाहता हूं। पुलिस ने वहां एक आदमी संत कुमार को गिरफ्तार किया इस इलज़ाम में कि उस ने गुरद्वारे में cigarette फैंका है। चार दिन उसे पुलिस torture करती रही। उस ने कहा कि मेरा नाम बेशक संत कुमार है लेकिन धर्म की दृष्टी से मैं सिख धर्म को मानने वाला हूं, अगरचि केशधारी नहीं हूं लेकिन आप घर पर जा कर देखें तो मैं ने गुरू ग्रंथ साहिब रखा हुआ है और मेरा सारा परिवार सिख धर्म का अनुयायी है। चार दिन के बाद उस का केस withdraw हो गया और उस बेचारे को चार दिन खामखाह पुलिस की torture को बरदाश्त करना पड़ा। पुलिस अपना कर्तव्य छोड़ चुकी है और गवर्नमेंट अपने political opponents के खिलाफ, जिन्होंने कांग्रेस को अपना vote नहीं दिया; अपनी अदावत निकालने के लिये पुलिस की मार्फत इस ढंग से case खड़े कर देती है। इस तरह से

एक dictatorship सूबे के अंदर कायम हो गई है। पिछले दिनों अखबारों में इस बात का ज़ोर शोर से चर्चा किया गया कि वर्याम चन्द कादियां वाले और राजेन्द्र जिज्ञासु पर पुलिस ने बहुत से अत्याचार किये। सरकार को, जो न्याय के ढोल बजाती है, चाहिये था कि जनता में विश्वास पैदा करने के लिए और इस मामले की जांच के लिए D. I. G., Police से enquiry करवाती लेकिन कितनी शर्म की बात है कि बावजूद लोगों की चीखो-पुकार के हमारे चीफ़ मिनिस्टर के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी और 300 मील दूर बैठी हुई केन्द्रीय सरकार को अपना प्रतिनिधि भेज कर इस बात की enquiry करानी पड़ी। जब इस सूबे में इस प्रकार की घटनाएं हों तो इस सूबे के citizen होने के नाते या इस हाउस का मैम्बर होने के नाते मैं समझता हूं कि जमहूरियत नाम की चीज़ इस पंजाब के अंदर नहीं रही। जमहूरियत का यह मतलब है कि हर आदमी के दिल में विश्वास हो पर यहां जमहूरियत की बजाए dictatorship का दौर दौरा है।

मैं, स्पीकर साहिब, आप की विसातत से एक-दो और बातें पुलिस के सम्बन्ध में हाउस में रखना चाहता हूं। जिन दिनों मैं फिरोज़पुर जेल में था तो हकूमत Hindi Agitation के सिलसिले में नये-नये आदमियों को पकड़ कर लाती थी और उन पर फर्द जुर्म लगा कर उन्हें मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करती थी। मैजिस्ट्रेट की अदालत एक तमाशा बना हुआ था, पुलिस दुकानों पर बैठे हुए आदमियों को बुला कर मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करती थी। उस मैजिस्ट्रेट के remarks मैं हाउस को बताना चाहता हूं जिन्होंने कहा कि अंग्रेज़ की सरकार जैसा आप लोगों से सलूक करती थी वैसे ही आप लोगों की सरकार आप से सलूक कर रही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद भी हम लोग ऐडमिनिस्ट्रेशन में परिवर्तन लाने में कामयाब नहीं हुए। हमें पुलिस की ज़हनियत को बदलना चाहिये, उन्हें ठीक ढंग से काम करने की प्रेरणा करनी चाहिये लेकिन हम देखते हैं कि इतनी भारी रकम पुलिस पर व्यर्थ खर्च की जा रही है। पुलिस पर यह किया गया खर्च व्यर्थ न जाए। हम ने उन्हें अधिकार दिये हैं। स्वतंत्रता की रीति से सोचने और विचारने का अधिकार दिया है। हमारी नागरिकता का और जनता का संरक्षण करने वाली General Administration और Police है। अगर यह नहीं है तो 8, 10 करोड़ रुपया जो हम General Administration और Police पर खर्च कर रहे हैं यह अपव्यय किया जा रहा है। असल हालत तो यह है। अभी इन्हीं benches पर से एक आदमी ने कहा कि reports नहीं लिखी जातीं। आम शहरों में यह हालत है कि अगर किसी आदमी ने report लिखवानी हो तो वह सीधा थाने में नहीं जाता। पहले वह किसी कांग्रेसी के घर जाता है, सिफारिश ढूंढता है। सिफारिश लेकर वह कोतवाली को जाता है। जब तक सिफारिश न होगी Police का थानेदार बात ही नहीं करेगा, report लिखनी तो दरकिनार रही। ऐसी व्यवस्था है कि किसी वक्त भी थाने में पहुंच जाएं या कोतवाली में जाएं वहां दो-चार कांग्रेसी workers बैठे मिलेंगे।

[डा० बलदेव प्रकाश]

पुलिस की यह व्यवस्था बनी हुई है। पुलिस को कुछ खास हाथों की कठपुतली बना दिया गया है और वह उनके इशारों पर चलती है । क्या यह असमानता नहीं है ? किस ढंग से यह काम चलाना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जाता ।

स्पीकर साहिब, पुलिस के बारे में दो-चार बातें आपके सामने रखने से पहले मैं एक-दो बातें और रखना चाहता हूं । वे यह हैं कि सरकारी services के अंदर आज इस प्रकार की मनोवृत्ति बन चुकी है कि जो अफसरान सरकार के साथ या Ministers के साथ या हमारे मुख्य मंत्री महोदय के साथ सहमत हो कर चल सकते हैं उनका तो गुजारा हो सकता है अन्यथा मैं समझता हूं कि सरकारी services के अंदर जो appointments होती हैं, transfers होती हैं, actions लिए जाते हैं वे सारे के सारे इस ढंग से होते हैं जिस से कि administration और राज्य सत्ता बदनाम हो। मैं आपको administration की एक बात बताता हूं। मुझे यहां चंडीगढ़ में गिरफ्तार किया गया । उसके बाद Magistrate के सामने पेश किया गया। उसने मुझे अगली तारीख दे दी। वह मुझे जानता था कि मैं M.L.A. हूं । Qualification के लिहाज़ से भी मैं better class लेने का हकदार था । मैंने डाक्टरी पास की हुई है। मैंने उन्हें better class देने के लिए कहा । उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने उन्हें कहा कि अगर आप मुझे better class दे दें तो सरदार प्रताप सिंह आपको निकाल नहीं देंगे । इस पर Prosecuting Inspector ने भी उन्हें कहा कि आप better class दे सकते हैं, आपको अधिकार है । लेकिन उस व्यक्ति ने यह चीज़ नहीं मानी क्योंकि वह चाहता था कि मैं मुख्य मंत्री की better books में रहूंगा । उसने वहां मुझ पर फर्द जुर्म लगा कर मुझे वैसे का वैसा फिरोज़पुर जेल में भेज दिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह बिल्कुल असाधारण सी बात है कि जिन services का morale यहां तक गिर चुका हो कि मुख्य मंत्री के इशारे जिस तरह से दिये जाते हों उसी तरह से वे काम किये जाते हों और हर एक कार्यवाही उनकी मर्ज़ी के मुताबिक की जाती हो । मैं यह तो नहीं कहता कि यह कार्यवाही communal तौर पर की जाती है; लेकिन, स्पीकर साहिब, आप अंदाज़ा लगाएं कि इस तरह ऐसे हालात में इस सूबे में General Administration का क्या स्वरूप हो सकता है ।

मैं आपको appointments के बारे में बतलाता हूं कि पटियाला Medical College में appointments हुईं । सारी की सारी ऐसी appointments हुईं। वहां ऐसे आदमी प्रोफैसर बनाए गए जिन का एक दिन का भी teaching experience नहीं हालांकि 5 साल का experience होना चाहिए । अपनी मर्ज़ी से बनाए गए..... (विघ्न) (चकबंदी तथा स्वास्थ्य मंत्री : यह गलत बात है ।) (स्वास्थ्य उपमन्त्री : यह गलत है ।) यह गलत नहीं है, ठीक है । Indian Medical Council ने

अभी तक उस को approve नहीं किया और वे appointments अभी तक regularize नहीं हुई । स्पीकर साहिब, अब मैं आपके सामने एक बात और रखना चाहता हूं कि अमृतसर में इन्होंने Assistant Professor of Psychiatry रखा है । Minister साहिब यहां बैठे हैं, यही बताएं कि क्या उस आदमी का एक दिन का भी experience है ?

अध्यक्ष महोदय : थोड़ा सा फर्क रखें । (Please differentiate a little.)

चकबंदी तथा स्वास्थ्य मंत्री : अभी तो Medical की demand पर बहस नहीं हो रही ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : मैं तो General Administration की बात कर रहा हूं । तो, स्पीकर साहिब, हमारे सूबे के अंदर इस तरह की व्यवस्था है। इस वक्त सारे के सारे महकमों के अंदर इस तरह की irregularities चल रही हैं कि जिसकी कोई सिफारिश है, जो अपने काम से मुख्य मंत्री को खुश कर सकते हैं उनके लिए तो सब कुछ ठीक है, उनके लिए तो जगह है। अगर कोई इस तरह से नहीं कर सकता उसके लिए कोई जगह नहीं। जो खुश कर सकता है उसकी तो 24 घंटे से पहले २ wireless message से ही transfer भी हो जाएगी, बदली भी हो जाएगी, और भी कहीं जगह दिला दी जाएगी। इसके अंदर मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रांत की general administration को हम ठीक चलाना चाहते हैं तो हमें इन चीज़ों से ऊपर उठकर चलना पड़ेगा और हकूमत इस तरह से चलानी पड़ेगी जिस से कि हमारी services का morale ठीक हो । अगर किसी के साथ injustice हुआ है, अगर किसी की juniority या seniority ठीक ढंग से निश्चित नहीं की गई तो उसे ठीक करना चाहिए। एक नहीं ऐसे सैंकड़ों cases मुख्य मन्त्री के पास भेजे गए हैं । अगर House के पास वक्त हो तो मैं कह सकता हूं कि जो junior थे उन्हें senior बनाया गया है और senior को junior बनाया गया है। इस सूबे के अंदर इस ढंग की बातें चलती हैं । फिरकाप्रस्ती की बात तो मैं नहीं कहना चाहता कि यहां लोगों को कैसे लगाया गया है। फिरकाप्रस्ती, देहाती या शहरी की तमीज़ यह बातें तो हम छोड़ दें। मगर होता इसके बिल्कुल उल्ट है । फिरकाप्रस्ती के आधार पर key position दी जाती है। यहां पर यह बातें चल रही हैं। अभी अभी बहुत से मेम्बरान ने खोसला report की बात करने को कहा। मैं समझता हूं कि हम उस report पर कोई भी remark नहीं देना चाहते । हम चाहते हैं कि इस देश में कोई न कोई sanctity बनी रहे इस लिये हमें Supreme Court और High Court पर वह sanctity प्रदान करनी चाहिए । केवल यही खोसला report ही नहीं, पिछले 2 साल का समय जो है उसका इतिहास inquiries का ही इतिहास है । इन दो सालों के अंदर श्रीमन्नारायण inquiry हुई, फालशा inquiry हुई, Justice कपूर

[डाक्टर बलदेव प्रकाश]

inquiry हुई और फिर यह inquiry खोसला साहिब ने की । इन inquiries को सामने रख कर हमें सोचना पड़ेगा । यह नहीं कि अगर कपूर inquiry आ गई तो हम खुश हो गए और अगर खोसला inquiry आ गई तो Treasury Benches वाले खुश हो गए कि बहुत अच्छा काम है जो हो गया । लेकिन मैं उसे अच्छा नहीं समझता । Government जनता के साथ मुकाबले में लाखों रुपया बहा सकती है । Government अच्छे से अच्छे आदमी अपने लिए बुला सकती है, जैसा कि खोसला report के अंदर हुआ । अगर Government चाहती थी कि ठीक ढंग से न्याय हो, ठीक ढंग से inquiry हो तो एक छोटे से छोटे आदमी को बुला कर उस से काम चलाया जा सकता था । लेकिन मैं उसकी गहराई में न जाता हुआ सिर्फ इतना ही कहूंगा कि खोसला साहिब ने अपनी report में यह बात लिखी है और साफ शब्दों में लिखी है कि Police ने जो miscreants थे उन्हें कई दफा अंदर धकेला ; वे कई दफा बाहर आए इस ने उन्हें फिर अंदर धकेला । मैं House के सामने यह कहना चाहता हूं कि अगर यह police पहले से ही efficient होती तो यह व्यवस्था रोकी जा सकती थी । खोसला साहिब ने लिखा है कि यह दो आदमियों का मरना रोका जा सकता था; हालात ऐसे हो गए थे। यह ठीक है कि गोली चलानी ज़रूरी हो गई थी । उस से पहले Police प्रबंध कर सकती थी । Police के अफसरान इसका प्रबन्ध कर सकते थे; बजाए इसके कि वे ऐसा करने से वंचित रहे । इस सूबे के अंदर जब ऐसी व्यवस्था हुई तो Police का फर्ज़ था कि जो miscreants अंदर से आते उन्हें बाहर धकेलती । इस प्रकार के साथ रहती तो आगे की जो व्यवस्था पैदा हुई जबकि Police को मजबूर हो कर गोली चलानी पड़ी, वह न आती । इसका मतलब यह है कि Police होशियारी और सावधानी से काम नहीं ले रही । अफसरान के ऊपर 25, 30 हज़ार रुपया खर्च करके उन्हें बचा लिया गया है । इस में कोई सफलता नहीं है । उस से यह बात नहीं हो सकती । इसलिए जितनी भी inquiries हुई हैं वे हमारे सामने हैं । इन सारी इन्क्वायारीज़ से हम एक अन्दाज़े पर पहुंच सकते हैं कि पिछले दो साल के अन्दर इस सूबे के अन्दर क्या कुछ होता रहा है । किस प्रकार धार्मिक और साम्प्रदायिक भावनाएं उत्तेजित होती रही हैं। और हम किस प्रकार इन चीज़ों को रोक सकते हैं, हम किस प्रकार पुलिस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इस चीज़ को रोक सकते हैं। यह सारी चीज़ आज हम ने सोचनी है । एक बात मैं और कहना चाहता हूं जैसा मैं ने पहले यह कहा कि जमहूरियत के अन्दर सब से मुख्य बात यह है कि जनता के अन्दर हम यह विश्वास पैदा कर सकें कि यह सरकार उन की अपनी है, जनता की सरकार है और जनता की भलाई के लिए है । सरकार जनता की है, जनता के अधिकारों की रक्षा के लिये है, और जो अधिकार विधान ने जनता को दिये हैं उन को ठीक

ढंग से जनता अपने पास रख सके इस बात के लिये हकूमत कायम की गई है। होता क्या है? आज की अवस्था इस के बिल्कुल उलट है, हमारी सरकार हमारे अधिकारों की रक्षा के लिये नहीं है। आज कोई भी इन्सान, कोई भी नागरिक इस सूबे का अपने आप को पूर्णतः सुरक्षित नहीं समझता। वह यह नहीं समझता कि वह एक आदर्श और अच्छे ढंग की जमहूरियत के अन्दर रह रहा है। इस चीज़ की ज़िम्मेदारी किस पर है? इस चीज की जिम्मेदारी हमारी सरकार के ऊपर है। बिल्कुल सीधे तरीके से इस की जिम्मेदारी हमारे मुख्य मन्त्री के ऊपर आती है क्योंकि वही इन डिपार्टमेंट्स के इन्चार्ज हैं। अपने भाषण को समाप्त करता हुआ मैं यह कहूंगा कि पिछले दो सालों से जो जिम्मेदारी हमारे मुख्य मन्त्री ने अपने ऊपर ली थी उस को निभाने में बिल्कुल असफल रहे हैं। हालात यहां तक बिगड़ चुके हैं कि आज ज़रूरत है कि दोबारा जनता को विश्वास दिलाया जाए कि यह सरकार ठीक ढंग की सरकार है और इस में भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, जमहूरियत की सरकार है, इस में अपने ही रिश्तेदारों को परमिट नहीं मिलते बल्कि दूसरों को भी लेने का अधिकार है, इस में झूठे मुकदमे नहीं बनाए जा सकते, इस प्रकार का विश्वास दोबारा जनता के अन्दर पैदा करने की ज़रूरत है। जब हम दस करोड़ के करीब रुपया पुलिस के ऊपर खर्च कर रहे हैं तो यह विश्वास जनता के हृदय में फिर से कायम करना पड़ेगा। पिछले साल हमारे मुख्य मंत्री ने कहा था कि यह सरकार जनता की सेवा के लिये ही बनी है, मैं ने बड़ी सेवाएं की हैं और सेवा के लिए मेरा शरीर बना है। मैं समझता हूं कि आज सूबे की जनता के धैर्य का बान्ध टूट गया है, उन का पेट इन की सेवाओं से भर चुका है। यदि वह फिर से जनता के मन में सेवाओं का विश्वास पैदा करना चाहते हैं, यह ज़ाहिर करना चाहते हैं कि यह सरकार जमहूरियत के ढंग से काम करेगी तो मैं समझता हूं कि आज वह मुख्य मन्त्री का स्थान छोड़ कर किसी और को दे दें। तभी यह विश्वास जनता के मन में पैदा हो सकता है।

ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੀ (ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਏਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਆਈਟਮਜ਼ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਨਰਲ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੇਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰਲ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਿਛਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਜੇ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਅਗੇ ਹਥ ਜੋੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਪੜੇ ਪੜਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਨਤਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਭੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਲੰਧਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਕ ਲਫਜ਼ ਇਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ

[ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੀ]

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਟੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਆਕੇ ਹਥਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਤਾਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਣ । ਅਸਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੇਖੀ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਦਮੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਦੀ ਦਾ ਕਪੜਾ ਪਾਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ੀਰੀ ਪੁਲੀਸ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ administration ਸੀ ਹੁਣ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ administration ਉਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਜੇ ਚੰਗੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਜੇ ਚੰਗੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ improvements ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਲਾਮ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ । ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ administration ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ administration ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਦਰਜੇ ਪਿਛੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਹਨ । ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ convince ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ case ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਰਨ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਐਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Chief Minister ਤੱਕ ਭੌਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਜੂੰ ਜੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਉਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਤੂੰ man concerned ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਭੌਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਆਖਰ ਵਿਚ ਇਕ ਥਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਥੇ ਗਏ । ਲੋਕ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿਚ ਫੇਰੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ । ਉਹ ਆਪਣੇ remarks ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਇਹੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੇਸ ਹੇਠਾਂ refer ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ । ਸਾਡੀ administration ਬੜੀ heavy ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਹੈ । ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ । ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਆਦਮੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਆਇਆ । ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਲਈ licence ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ S. P. ਨੂੰ application ਦਿੱਤੀ । S. P. ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਭਲਾਮਾਨਸ ਹੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ licence ਨਹੀਂ renew ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ Inspector ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ । ਉਹ ਆਦਮੀ Inspector ਕੋਲ ਗਿਆ । ਪਰ Inspector ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ

ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ licence ਨਹੀਂ renew ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਾਗਜ਼ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੋਲ ਗਏ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਦਮੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈਂ ਪਰ ਮੀਰ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੀਰ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿ S. P. ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਭਲਾਮਾਨਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ licence renew ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Inspector ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਗਲੇ ਤੇ ਸੁਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਮੀਰ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ Secretary ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਚੇ ਜਾਉ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਰੀਬ clerk ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ avoid ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਗਜ਼ ਇਕ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਪਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਦੂਸਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਖੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ administration ਵਲ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ

5 p. m.

ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੀ administration ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਬੜੀ weak ਹੈ—irresponsible administration ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ attention ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ responsible ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਉੱਚੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹਨ ਉਥੇ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਥੇ ਆਇਆ ਪਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਡਰ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ implement ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੈਂ D. C. ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਗਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ; Public Relations Committee ਵਿਚ raise ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੀ implementation ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ D. C. ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ Orders ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਖਾਈ ਪਰ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ implementation ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Orders ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ comply ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ administration ਦੀ ਹਾਲਤ improve ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ—ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ

[ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੀ]
ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰ improvement ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ; ਇਸ ਨੂੰ improve ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਵਿਚ all round improvement ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार (नूह) : स्पीकर साहिब, आज जो रुपया हम मंज़ूर करने जा रहे हैं वह मिनिस्टरों के लिए भी हैं, वह सैक्रेटरियों के लिए भी—बड़े बड़े सैक्रेटरियों के लिए, वह पुलिस के लिए भी है।

एक आवाज़ : और वह आप के लिए भी है।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : उस में हमारे लिए भी है और, स्पीकर साहिब, जनाब के लिए भी रुपया है। अच्छी बात है। बहरहाल मैं आप की ख्वाहिश के मुताबिक़ उसी के अन्दर रह कर कुछ अर्ज़ करूंगा। अगर्चे जो सैक्रेटरी साहिबान हैं वह असल गवर्नमैंट हैं। मिनिस्टर साहिबान का हुकम होता है और वह उस को carry out करते हैं । मिनिस्टर साहिबान पालिसी chalk out करते हैं और वह उस को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए अगर किसी सैक्रेटरी की बाबत शक हो कि उस ने अपने महकमा को ठीक नहीं रखा तो उस के बारे में आप की यह राय है कि चूंकि वह directly इस तसवीर में नहीं आता, इस बजट की तसवीर में नहीं आता इसलिए उस का बजट के साथ, इस की बहस के साथ ताल्लुक नहीं जोड़ा जा सकता । लेकिन मैं तो यह अर्ज़ करूं कि हमारा हक है कि हम उन secretaries के खिलाफ़, आप की सरकार की पालिसी के खिलाफ़, आप के Socialistic Pattern of Society का जो मक़सद है, मंज़िल है उस की तरफ न जाकर, Directors, Joint Directors, Assistant Directors और इसी तरह की बीसियों नौकरियां, services यानी आसामियां पैदा करके गवर्नमैंट के रास्ता में रुकावटें पैदा करते हैं । हमारा यह अधिकार है, हक है कि उन के कामों पर नज़र रख कर आप के ज़रिये गवर्नमैंट को कहें कि उन के ये तरीके, उन के ये काम गलत हैं, इन को discourage किया जाना चाहिए । क्यों ? वह इसलिए कि वही असल में इस गवर्नमैंट को चलाने के ज़िम्मेदार हैं ।

बहर हाल, स्पीकर साहिब, मुझे रंज है, इस बात का कि जहां आप यह तवक्को करते हैं कि यहां पर मेम्बर साहिबान इस हाऊस का पूरा पूरा एहतराम करें, अपने स्पीकर का पूरा पूरा एहतराम करें, वहां मैं यह भी तवक्को करता हूं कि जब हम उन के लिए लाखों रुपया मंज़ूर करते हैं—न सिर्फ उन की तन्ख़ाहों के लिए, उन की कारों के लिए, उन के बंगलों के लिए, उन के हाली मव्वालियों के लिए, तो हम यह भी उम्मीद करते हैं कि वह इस हाऊस के साथ किसी तरह से बेइन्साफ़ी न करें ।

ग्रभी कल ही हम ने देखा कि पार्लियामेंट के ग्रन्दर पंडित जवाहर लाल जी ने जिन पर दुनिया फख्र करती है, जिन के ऊपर हम फख्र करते हैं, जिन के ऊपर हमारे वज़ीर साहिबान फख्र करते हैं ग्रौर जिन की बदौलत ग्राज हम यहां पर पर बैठे हुए हैं, उन्होंने ग्रपने दामाद महबूब मिस्टर फिरोज़ गान्धी के यह एतराज़ करने पर कि "मुंधरा डील" में एक बड़ा भारी स्कैंडल हुग्रा है, बजाए इस के कि उस पर किसी तरह से नाराज़गी जाहिर की उन के साथ किसी तरह से खफ़ा होते, वह उस केस की जांच-पड़ताल करते हैं ग्रौर जांच पड़ताल करके ऐसे हालात में जब कि international तौर पर मिस्टर टी.टी. कृष्णमाचारी की मुल्क को शायद ग्रशद ज़रूरत थी इस बात का ख्याल न करते हुए सिर्फ़ इस बात का ख्याल करते हुए कि जिस राह पर मैं जा रहा हूं उस से मुल्क की वाहिद जमायत कांग्रेस की इज़्ज़त बढ़ती है, उसकी इज़्ज़त बचती है, देश की इज़्ज़त बचती है ग्रौर administration को पाक ग्रौर साफ रखने की खातिर administration को encourage करने के लिए उन्होंने ग्रपने बड़े से बड़े साथी Finance Minister को Cabinet से ग्रलग कर दिया। न सिर्फ उन्हीं को ग्रलग कर दिया बल्कि जो ग्रौर सैक्रेटरी साहिबान उन के ग्रलावा भी उस deal में involved थे उन को भी ग्रलग करने के लिए कार्यवाही की जा रही है, उन के खिलाफ़ मुक़दमे बनाए जा रहे हैं, उन के खिलाफ़ action लिया जा रहा है, उन के cases Anti-Corruption Staff को enquiry कराने के लिए दिए जा रहे हैं। लेकिन इस के बरखिलाफ इधर यह हालत है कि जब हमारे एक मुग्रज़िज़ साथी ने खड़े हो कर यह ग्रर्ज़ की कि कालका-शिमला के परमिट जो दिए गए हैं उन के ग्रन्दर भी एक स्कैंडल छिपा है, जब उन्होंने कहा कि परमिट न मालूम किस को दिए गए, किस को नहीं दिए गए—करतार सिंह है, राम लाल है, फलां है फलां है—जिन का एड्रैस भी नहीं दिया गया। इस तरह का जब उन्होंने चर्चा किया तो बजाए इस के कि हमारी सरकार उन की बातों की तरफ कोई ध्यान देती कि एक मुग्रज़िज़ मैम्बर साहिब ने definitely एक बात कही है जिस से Corruption की बू ही नहीं ग्राती बल्कि साफ़ तौर पर नज़र ग्राती है तो उस पर कोई ऐक्शन लिया जाए, उस का serious notice लिया जाए, कल मैंने ग्रखबार में पढ़ा कि मिनिस्टर साहिब ने फ़रमाया कि "किसी बेवकूफ़ के कहने पर मैं enquiry कराने के लिए तैयार नहीं। यह तो कुछ बात नहीं, यह तो मामूली बात है"। यह बात नहीं है। ग्रगर यह मामूली बात होती तो क्यों यहां पर इतना वावेला होता ? ग्रक्सर परमिटों में स्कैंडल हुग्रा है। क्यों एक ग्रादमी को जो कि पहले भी यह काम करता था दोबारा परमिट न दिया गया? क्यों दूसरों को परमिट दिए गए जिन को इस काम का पहले बिल्कुल इल्म नहीं? क्या ग्रजीब बात है कि जब यह सवाल उठाया गया तो उन्होंने जवाब में यह फ़रमाया कि इन्होंने इसलिए यह एतराज़ किये हैं क्योंकि इन्होंने परमिट मांगे थे ग्रौर उन को न दिए गए। इसलिए यह इस तरह की बातें करते हैं। स्पीकर साहिब, मुझे इस

[मौलवी अब्दुल गनी डार]
बात का अज़हद रंज हुआ है कि जिन मिनिस्टरों की हम इतनी इज्ज़त करते हैं, जिन मिनिस्टरों के लिए स्टेट के खर्च पर इतना शानदार इन्तज़ाम करते हैं, जिन की शान को कायम करने के लिए हम बड़े-बड़े बंगले बनवाते हैं, उन की कारों का इन्तज़ाम करते हैं—चाहे वह लाखों मील सफ़र करें, हज़ारों मील सफर करें, हम खुश आमदीद कहते हैं, वहां अगर अपने साथियों के लिये बेवकूफ़ का लफ़्ज़ इस्तेमाल करें तो उन्हें अपने कहे पर अफ़सोस होना चाहिए। मैं अब भी कहता हूं कि अगर enquiry कराई जाए तो चाहे ट्रांस्पोर्ट के परमिट हों, कोल डिपो के परमिट हों, स्टील के परमिट हों, इम्पोर्ट के हों और चाहे ऐक्सपोर्ट के हों, मैं दावे से कह सकता हूं कि उन में से बहुत सी बातों के राज़ फाश होने का इमकान है और साबित हो जाएगा कि पचास फ़ी सदी से ज़्यादा ब्लैक मार्किट में गए।

मैं पुलिस बेचारी को क्या कहूं? पुलिस अच्छी है या बुरी, पुलिस ज़्यादा है या कम, इस के मुतअल्लिक तो जो मेरे भाई आर्य समाज के लीडर हैं या जन संघ के नेता हैं वही बता सकते हैं कि क्यों उन्होंने democratic methods को छोड़ कर दूसरे तरीके अख्तियार किए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए। वह और ढंगों से अपनी आवाज़ उठा सकते थे, ऐसे तरीकों से आवाज़ उठा सकते थे कि जिन के नतीजा के तौर पर पुलिस की फोर्स को न बढ़ाना पड़ता या इतना ज़्यादा खर्च न करना पड़ता। उन्होंने क्यों ऐसा रास्ता निकाला जिस से पुलिस पर अखराजात बढ़ें इस पर मैं क्या अर्ज़ कर सकता हूं? यह तो वही जानते हैं और वही बतला सकते हैं। मैं क्या जानूं? लेकिन, स्पीकर साहिब, जो चीज़ मैं कहना चाहता हूं और जिस को मैं आगे भी बार बार कहता आया हूं वह यह है कि जो एक कांस्टेबल और आई. जी. के अलाऊंस में फर्क है, उस को देख कर तो बड़े रंज के साथ यही कहा जा सकता है कि जिस रास्ता पर—जिस Socialistic pattern of society के रास्ते पर जाने का हम दावा करते हैं और कर रहे हैं वह उस से नज़र नहीं आता। इस में मुझे यह दिखाई नहीं पड़ा कि उन लोगों के लिए जो सिपाही हैं कुछ कदम उठाये गये हैं। तो, स्पीकर साहिब, मैं यह कह रहा था कि कैरों साहिब से मुझे बिल्कुल इत्तफ़ाक़ है कि आज की पुलिस और पहले की पुलिस में बड़ा फर्क है। मुझे इस बात से भी इत्तफ़ाक़ है कि अफसर भी पहले की तरह अब नहीं करते। वे अब अर्ज़ियां फैंक नहीं देते हैं। लेकिन जहां वह लोगों के साथ politely पेश आते हैं, बड़ी मुहब्बत से पेश आते हैं वहां वह उन अर्ज़ियों को जल्दी से deal नहीं करते और अब भी अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं। Red tapism बल्कि पहले से ज़्यादा हो रही है। स्पीकर साहिब, मैं यह कह रहा था कि पुलिस बड़ी अच्छी है और वह अपने ढंग से enquiry करती है और वह हर जगह इस तरह से करती है और सिर्फ़ हमारे पंजाब की पुलिस ही ऐसा नहीं करती। आखिर बीसियों case बनते हैं और वह निकालती भी है। लेकिन अगर एक case

होता है और उस में 6 मुजरिम होते हैं और वह पांच को पकड़ सकती है और छटा भाग जाता है । पुलिस उस के लिये उस के खिलाफ दफ़ा 88 और 87 में कार्यवाही करती है लेकिन यहां से हुक्म चीफ़ मिनिस्टर साहिब का चला जाता है कि उस के खिलाफ़ कार्यवाही मत करो । इस तरह से पुलिस क्या कार्यवाही कर सकती है ? वह कुछ नहीं कर सकती । District गुड़गांव में District Engineer के खिलाफ District Authorities कार्यवाही के कुछ इलज़ाम लगा कर case करना चाहती है और P. W. D. के एक Executive Engineer ने कहा था कि उस ने जितना मसाला वहां लगवाना था उस का चौथा हिस्सा भी वहां नहीं लगाया। गया उस report पर District Authorities ने कहा कि कार्यवाही करनी चाहिये । लेकिन उस के लिये यहां चण्डीगढ़ से हुक्म चला जाता है कि कार्यवाही मत करो । इसी तरह से एक सरपंच के खिलाफ़ यह इलज़ाम आता है कि उस ने पंचायत का कुछ रुपया इधर-उधर कर दिया है, हो सकता है कि वह इलज़ाम ठीक हो और यह भी हो सकता है कि वह ग़लत हो । यह तो अदालत का काम है और local authorities का काम है कि वह उस को देखे कि वह ठीक है या ग़लत है । लेकिन, स्पीकर साहिब, होता क्या है ? यहां से हुक्म चला जाता है कि उस के खिलाफ कोई कार्यवाही न की जाये इनसाफ़ और अदालती कार्यवाही में दखल देने के लिये बहाना यह बनाया जाता है कि उस के लिये C.I.D. से enquiry करवाई है और यह कह दिया जाता है कि इलज़ाम ठीक नहीं है । यह अजीब बात है कि इस मामले में C.I.D. ने enquiry की है इस लिये वह इलज़ाम ठीक नहीं है हालांकि जिस की enquiry S.P. ज़िला कर चुके हैं और उस के हुक्म से case बनाया गया लेकिन एक S.P. और C.I.D. की इनक्वाइरियां ठीक नहीं थीं । मैं पूछता हूं कि क्या इस तरह से services का morale कायम रह सकता है ? इस तरह से पुलिस को बिल्कुल बेकार कर दिया जाये और अदालतें बेकार कर दी जायें, ठीक नहीं होगा और चीफ़ मिनिस्टर को खुद ही या मुनासिब दखल देकर ऐसा नहीं करना चाहिए । मैं आप से कहता हूं कि अगर हमारे चीफ़ मिनिस्टर साहिब के खिलाफ कोई writ हो जाये तो चीफ़ जस्टिस अपने पास रखते हैं—क्यों न रखें दोनों चीफ़ हैं हम इसी ख्याल से कहते हैं कि सूबे की administration ठीक नहीं चल रही । अगर श्री फिरोज़ गांधी Parliament में कह सकते हैं तो अब्दुल ग़नी यहां कह सकता है और छोटे से छोटा आदमी हरेक अपनी ज़बान से कह सकता है कि चीफ़ मिनिस्टर अदालतों में दखल न दें और इनसाफ मिलने में रुकावट न बनें। बड़े आदमियों की हर चीज़ बड़े आदमियों के पास जानी चाहिये । पुलिस कैसे काम कर सकती है ? जब वह अफसर जिन के खिलाफ Smuggling का इलज़ाम हो जिन के वक्त बहुत बड़ी smuggling होती रही हो, बहुत लूट मार हुई हो, और वह, स्पीकर साहिब, हमारे ही सूबे के साथ अन्याय नहीं बल्कि सारे देश के साथ अन्याय हुआ है । वह लोग देशद्रोही हैं जिन्होंने

[मौलवी अब्दुल ग़नी डार]

smuggling की है या करवाई है। और जिन के अहद में Smuggling हुई उन्हें तरक्की मिलती है। यह तरक्की नेक अफसरों को चुभती है। एक चोर दूसरे चोर को कहने लग जाये कि वह चोर गया वह चोर गया और कोई उसे पकड़े भी न। फिर स्पीकर साहिब, असल मुजरमों को न पकड़ा जाये और बहुत से दूसरे बेगुनाह आदमियों को पकड़ लिया जाय यह ज़ाहर करने के लिये कि हम चाहते हैं कि Smuggling बिल्कुल बन्द हो जाये। लेकिन स्पीकर-साहिब, हम देखते हैं कि Smuggling बढ़ रही है और इस बात की बहुत चर्चा है। पुलिस कप्तानों ने उन लोगों से मुआफी नामे लिखवाये हैं कि वह बुराई नहीं करेंगे। उन बु` आदमियों को जो दफा दस अल्लफ और दस बे में रखे जाते हैं उन्होंने आखिर मुआफी मांगी है। और उस में कहते हैं कि बड़े-बड़े Smuggling करने वालों को इस तरह से मुआफी मंगवा कर छोड़ दिया गया है। यह तो अब बिल्कुल साबत है यानी सोचा यह है—

जो न रिन्दों से भी हरगिज़ हो सकीं
वह खतायें पारसा करते रहे।

अगर कोई बात सामने आती है तो उसे मैं यहां कहता हूं। यह मैं इस लिये नहीं कहता कि इस तरह से मेरी सरकार का नाम बदनाम हो या मेरी पार्टी को धक्का लगे बल्कि मैं इस लिये कहता हूं कि इस की बदनामी न हो। ऐसे case जैसे गुड़गांव District Engineer के case में मदाखलत की गई, शादीपुर पुलिस case में मदाखलत की गई यह गलत है। Permit अपने रिश्तेदारों के नाम पर दिये गये और बड़े तमराक से कहा गया कि इस में मिनिस्टरों का और उन के रिश्तेदारों या उन के दोसतों के नाम पर कोई भी नहीं। (घंटी की आवाज़)।

स्पीकर साहिब, मैं आप का हुक्म मानूंगा और चन्द मिनटों में अपनी यह बात ख़त्म कर ूंगा कि मे` एक दोस्त ने खाण्ड का permit दिलाने के लिये फीस ली थी और उसे election के लिये ticket नहीं मिल सका था।

अध्यक्ष महोदय : अब आप कहां जा रहे हैं? (The hon. Member is going off the point.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : स्पीकर साहिब, मैं बिल्कुल पुलिस और General Administration पर बोल रहा हूं और एक इंच भी इधर नहीं हो रहा और अगर जरा भी इधर हुआ तो कान पकड़ कर मुआफी मांग लूंगा। दरअसल बात यह है कि एक साहिब जो M.L.A. थे उन्होंने चीनी का permit .....

अध्यक्ष महोदय : चीनी का permit General Administration की demand में नहीं आता। (The issuing of a sugar permit does not come under the demand for General Administration.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : मैं जो बात कहना चाहता हूं वह यह है कि इस का..

अध्यक्ष महोदय : मुझे बतायें कि किस तरह से यह इस में आता है ? (Will the hon. Member please let me know how this matter comes under this demand ?)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : जब मिनिस्टर किसी को कहे कि किसी बेवाकूफ़ के कहने पर enquiry नहीं कराई जा सकती (एक आवाज़ : इस में transport का ज़िक्र नहीं किया गया)

अध्यक्ष महोदय : जब यह subject under discussion होगा तो उस वक्त इस पर कुछ कह लेना । (The hon. Member may refer to this subject when the demand for this Department comes before the House.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : मैं ने transport को बिल्कुल discuss नहीं किया । मैं ने किसी और चीज़ को भी discuss नहीं किया । इस demand में वज़ीर आते हैं, बड़े २ Secretaries आते हैं और पुलिस अफ़सरान भी आते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप ने किसी मिनिस्टर के Conduct को discuss करना हो तो उस के लिये आप को एक regular motion लानी पड़ेगी । (If the hon. Member wants to discuss the conduct of a Minister then he will have to bring in a regular substantive motion.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : मैं तो एक hon. Member की बात करना चाहता हूं जिन की सारी ज़िन्दगी वतन की सेवा में गुज़री है और जिन्होंने दस वर्ष या 20 वर्ष जेल में बिताये है। जितनी देर के लिये उन्होंने कैद काटी है उतनी देर के लिये सिवाये एक आध Communist मैम्बर के शायद और किसी ने भी कैद न काटी हो.........

अध्यक्ष महोदय : आप ने जो बात कहनी होती है वह किसी न किसी तरीके से कह ही लेते हैं । (Whatever the hon. Member wants to say, he says that somehow or other.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : स्पीकर साहिब, मैं बहुत एहतियात से कहता हूं । पुलिस बेचारी इन हालात में क्या कर सकती है ? सरदार गुरबचन सिंह बाजवा एक हमारे hon. मैम्बर हैं.............

सरदार गुरबचन सिंह बाजवा : आप मुझे बहस में न लायें। (एक आवाज़ : वह कह रहे हैं कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ) ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार: मैं आप के लिए नहीं कह रहा । मैं तो पुलिस को refer कर रहा हूं । आप के लिये तो मैं यह कह रहा हूं कि आप को हर

[मौलवी अब्दुल ग़नी डार]
मिनिस्ट्री में लिया जाता रहा है और आप की शराफत की इतनी चर्चा है फिर भी आप को परेशान किया गया और सिर्फ इसी बिना पर कि...............

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ : ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਉ ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : मैं कह रहा था कि ऐसे बजुर्ग का भी पुलिस ने ख्याल नहीं किया । (एक आवाज़—क्या उन को गाली दी गई है?) चीफ मिनिस्टर से पूछिये—पंत जी से राम्रो गजराज सिंह ने शिकायत की कि अब्दुल गनी ने परमिट लिये हैं । यह बहुतान है । मैंने बिल्कुल कोई truck permit नहीं हासिल किया । हां मेरे भाई मुहम्मद यासीन खां, M.L.A., के बेटे को दो permit दिये गये हैं और यह किस वजह से उसे दिये गये यह देने वालों को बेहतर मालूम होगा, साथ रखने के लिये या किसी और वजह से........

अध्यक्ष महोदय : चलो काफी है । (That will do.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : स्पीकर साहिब, बजट की discussion पर मुझे यह चीज़ें कहने का मौका नहीं मिल सका था । मैंने सोचा था कि चलो General Administration की demand पर यह चीज़ें कहने का मौका मिल जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : चलो दो-तीन मिनटों में आप अपनी स्पीच को wind up कर लें (All right. Let the hon. Member wind up his speech in two, three minutes.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : मैं बिल्कुल wind up करूंगा । आज General Administration का क्या हाल है ? जब इस के कामों में इस तरह से मदाखलत की जा रही है तो यकीनी तौर पर इस में demoralization ही आनी है । Public Service Commission के ज़िम्मे यह काम था कि वह appointments करे लेकिन political workers का नाम लेकर कुछ appointments सरकार ने अपने पास रख ली हैं । लेकिन जो लगाए गए हैं, स्पीकर साहिब, मैं आपके सामने यह बात अपना सीना खोलकर कह रहा हूं कि वह नहीं लगाए गए जो पोलीटिकल सफरर्ज़ हैं बल्कि वह लगाए गए हैं जो मेरी तरह लौढ़ूवाल तक पढ़े हुए हैं, लुध्याना तक भी नहीं पढ़े (हंसी) जिनकी न सर्विस है न तजरुबा, जिनको यह नहीं पता कि डिवैलपमैंट किस बला का नाम है । और तरक्कियां दी गई हैं ऐसे लोगों को जिनके तहत समगलिंग हुई । मुझे इल्म है कि मेरे यह बातें कहने पर कुछ भाई गुस्से हो जाएंगे, मिनिस्टर साहिब भी गुस्से में आ जाएंगे और शायद चर्चा भी करें मगर मैं कहता हूं कि अगर मुझे वक्त दिया जाए तो मैं तीन दिन तक आपके सामने खड़ा हो कर इसी तरह की सीरियस नेचर की शिकायतें कह सकता हूं । मैं क्या कहूं ? मैंने उस दिन कहना चाहा था मगर आप ने इजाज़त न दी । पुलिस से काम क्या लिया जाता है ? सी. आई. डी. का महकमा बड़ा आनरेबल महकमा है । उन का पेशा है मुल्क की हिफाज़त करें, फौज को देखें, पुलिस को भी देखें और अफसरों को देखें ताकि कोई गलत बात न हो ।

मगर उन से काम क्या लिया जाता है ? अगर आप कभी घूम कर देखें तो आपको पता चलेगा कि उन की ड्यूटीज़ कहां २ लगी हुई हैं । मैं यह नहीं कहता कि किसी मिनिस्टर की कोठी में चार आदमी लगाने गलत बात है मगर यह क्यों कि कहीं पर तो चार २ सी० आई० डी० के आदमी खड़े हों और कहीं एक भी न हो । अगर खड़े हों तो सब के हों । फिर अगर मैम्बर साहिबान की हिफाज़त मतलूब है तो जहां होस्टल में रहने वालों की हो तो उनकी भी हिफाज़त होनी चाहिए जो मिनिस्टर साहिबान की कोठियों में रहते हैं। यह क्या काम लिया जाता है सी० आई० डी० से ? नैया ही गलत रास्ते पर जा रही है । (घंटी) बहरहाल मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और बैठते हुए यह बात कह दूं कि पुलिस एक सिविल सर्जन के पास जाती है और उस से जाली सर्टीफिकेट लेती है कि किसी को डबल नमोनिया है........

अध्यक्ष महोदय : यह बैठते २ ही कह रहे हैं। (Even while resuming his seat the hon. Member is referring to such things.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : और जिसके लिये वह सर्टीफिकेट लेती है वह है चीफ मिनिस्टर का लड़का.........

अध्यक्ष महोदय : तशरीफ़ रखिए । (The hon. Member may please resume his seat.)

श्री शेर सिंह (झज्जर) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो बोलने के लिए सीमायें निर्धारित की हैं चूंकि वह आप का हुक्म है इसलिए मैं उन सीमाओं के अन्दर ही डीमांड नम्बर 10 पर बोलूंगा । हमारे इस बजट के सम्बन्ध में और जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर बोलते हुए हमारे योजना मन्त्री ने जो भावनाएं व्यक्त कीं मैं उन का हृदय से आदर करता हूं, स्वागत करता हूं। उन्होंने इस बात को तसलीम किया और पिछले दिनों हमारे मुख्य मन्त्री ने भी इस बात को तसलीम किया हालांकि वह पहले इस बात को तसलीम नहीं करते थे कि फिरोज़पुर में जो कुछ हुआ वह बहुत बुरा था और वह किसी भी सरकार के लिए शोभा वाली बात नहीं है, बदनाम और कलंकित करने वाली बात है और उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों की जान गई या हाथ पांव और दूसरे अंग टूटे उन्हें मुआवज़ा दिया जायेगा । उन्होंने बताया कि उस आदमी के परिवार को तीन हज़ार रुपया मुआवज़ा दिया जायेगा जिसको 62 लाठियां लगीं और जो जेल के अन्दर मारा गया। और 1,600 रुपया उन सब लोगों को दिया जायेगा जिन के हाथ पांव टूटे । क्या यह उपहास की बात नहीं है और उनके साथ हंसी नहीं और मज़ाक नहीं ? जिन लोगों पर इतनी ज़्यादतियां हुईं उन के लिये सिर्फ़ 1,600 रुपया मंज़ूर किया गया है । लेकिन तो भी मैं उस स्पिरिट की कदर करता हूं जो इस मंज़ूरी के पीछे है, जो उन्होंने इस चीज़ को तसलीम किया कि गवर्नमेंट का कसूर था और उन बेगुनाह लोगों पर ज़ुल्म था जो जेल के अन्दर रहते हुए 18 फुट दीवार से घिरे हुए सरकार की जिम्मेदारी में होते हुए पीटे गए। तो यह सरकार ने महसूस किया कि यह उसका कसूर था, इस की जिम्मेदारी थी

[श्री शेर सिंह]

इसलिए इन लोगों को मुआवज़ा मिलना चाहिए जो जीवित हैं या उन के माता-पिता को जो मर गए हैं। मगर इस सिलसिले में एक मज़ेदार बात यह है कि आज इस देश के कोने २ में वीर सुमेर सिंह का नाम गूंजता है। पिछले पांच छः महीनों में जगह २ भाषण हुए, समाचारपत्रों में भी यह सारी चीज़ें आईं और हमारी सी० आई० डी० खुद काम करती रही और उस के गांव में D.I.G तक गये। (विघ्न) और वह लोग जो इस काम पर लगे रहे हमारी पुलिस के, उन की ऐफ़ीशैंसी की यह हालत है कि बावजूद इस बात के कि यह सारी बातें समाचार-पत्रों में आती रहीं, भाषण होते रहे और बार बार यह ज़िक्र आता रहा कि सुमेर सिंह एक 25 साला नौजवान था जिस की शादी भी नहीं हुई थी और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हुए उस को 62 लाठियां मारी गईं जिन से वह मर गया, बावजूद बार २ इन चीज़ों के दोहराए जाने के पुलिस और सरकार को पता नहीं कि वह अविवाहित था। हमारी सरकार ने जो मुआवज़ा दिया है वह दो हज़ार तो दिया उस की धर्मपत्नि को और एक हज़ार उस के माता-पिता को। यह बड़े उपहास की बात है कि गवर्नमेंट के आफिसर्ज़ जब उस वीर की लाश उस के गांव में लाए तो उस गांव के अन्दर चार-पांच दिन तक रहे। इन सब बातों के बावजूद हमारी पुलिस को यह पता नहीं चला कि जिस सुमेर सिंह का आज सारे देश में चर्चा हो रहा है, भाषण हुए, समाचार-पत्रों में आता रहा उस की शादी भी नहीं हुई थी और यहां सरकार ने दो हज़ार रुपये उस की धर्मपत्नि के लिए मंजूर किए हैं। यह है हमारी सी० आई० डी० की काबलियत ....

मुख्य मंत्री : फैमिली (family) का ज़िक्र होगा।

श्री शेर सिंह : धर्मपत्नि का नाम था.........

मुख्य मंत्री : वह आप जैसे किसी अंग्रेज़ी पढ़े ने लिख दिया होगा......

श्री शेर सिंह : सरदार जी, इस मामले में मैं आप से अच्छा अनुवाद कर सकता हूं। मैं कोई डिसरिस्पैक्ट नहीं करना चाहता लेकिन आप से अच्छा भाषा का अनुवाद करना जानता हूं और भाषा के किस शब्द का क्या अर्थ है यह खूब समझता हूं। खैर मैं यह बता रहा हूं कि पुलिस की ऐफ़ीशैंसी की यह हालत है। इस के बाद इस ने जिस ढंग से फंक्शन किया है वह सब आप के सामने है। जितने 112 भाई जेल के अन्दर डैटेन्यू रहे कोई दो महीने, चार महीने या पांच महीने अगर आप उन के खिलाफ जो इलज़ाम लगाए गए हैं वह सुनें तो आप हैरान हो जायेंगे। जो इलज़ाम थे वह पुलिस से और एस० ऐच० ओज़० से लिखा २ कर मंगाए गए। मेरे ऊपर इलज़ाम थे कि मैं ने लोगों को कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, 1947 में तो हिन्दुओं के पास असले की कमी शायद थी लेकिन आज मेरे पास इतने हथियार हैं कि जितने हथियार तुम चाहोगे उतने दूंगा, सरकार का मुकाबला करो और लोगों को मारो। फिर कहा कि मैंने मीटिंग्ज़ बुलाईं। यह वह मीटिंग्ज़ हैं जिन की कोई ऐग्ज़िस्टैंस नहीं। मगर यह कहते हैं कि मैंने नौ आदमियों की एक मीटिंग

बुला कर यह कहा कि मेरे पास सारा असला मौजूद है, बम्ब हैं और दूसरे भी हथियार हैं। फिर जो जो उस मीटिंग की तारीखें दी गईं उनसे दो महीने बाद मुझे गिरफ्तार किया गया। और वह सारी चीज़ें बम्ब, बन्दूकें वगैरह आज तक वसूल नहीं की गईं, न मेरे से और न ही मेरे किसी आदमी से। हमारी पुलिस दो महीने तक सोई रही? जब मैंने 9 आदमियों की एक मीटिंग बुलाकर उन के सामने भाषण दिया कि मेरे पास सारे हथियार मौजूद हैं तो आज तक क्यों कोई चीज़ बरामद नहीं की गई—न तोप, न बन्दूक और न ही कोई दूसरा हथियार। तो यह अवस्था पुलिस की रही। इस तरह के इलज़ाम मेरे पर ही नहीं, बाकी के 112 आदमियों पर भी लगाए गए। जिस समय इस प्रांत के अन्दर आन्दोलन समाप्त हुआ तो हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने कहा था कि हम सद्भावना का जवाब सद्भावना के साथ देंगे। All concomitants of goodwill will now follow.

लेकिन आज इस का नतीजा जो पंजाब के अन्दर है आप देख सकते हैं। जिन आदमियों के ऊपर पुलिस ने झूठे इलज़ाम लगाए थे आज उन्हें detain न कर के उन के खिलाफ Security of State Act की section 9 के तहत कार्रवाई की जा रही है क्योंकि उन आदमियों के खिलाफ इन्हें कोई चीज़ ऐसी नहीं मिल सकी जिसके द्वारा उन्हें कोई सज़ा दी जा सके। तो आज उनके विरुद्ध Security of State Act की धारा 9 के अधीन कार्रवाई शुरू की जा रही है। जो इलज़ाम उन पर लगाए गए थे वह पुलिस की तरफ से दी गई झूठी रिपोर्टों पर आधारित थे। हमने इस सम्बन्ध में अफसरान मुताल्लिका से चर्चा की कि आप इन reports की सदाकत तो देखिए तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो जो कागज़ पर लिख कर नीचे से आ गया है हम तो उसी के पाबन्द हैं।

अध्यक्ष महोदय, पहले तो यह secret meetings की बात करते थे कि मैंने secret meetings में लोगों को भड़काया परन्तु आज यह public meetings और पब्लिक जलसों के बारे में ज़िक्र करने लग पड़े हैं और आज लोगों पर यह इलज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने पब्लिक जलसे के अन्दर यह कहा कि उनके पास बम्ब मौजूद हैं और कि वे 1947 के हालात को फिर दोहराना चाहते हैं। यह इलज़ाम ज़िम्मेदार आदमियों पर लगाए जा रहे हैं जिन पर पहले किसी किस्म के केस न बन सके क्योंकि उनमें सदाकत न थी। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह इस किस्म की बातें पब्लिक जलसे में कही जा सकती हैं। This is unthinkable. तो इस प्रकार की reports तैयार की जाती हैं। मैं इसी सम्बन्ध में ज़िला रोहतक के जूआं गांव का ज़िक्र करना चाहता हूं कि किस तरह सरकार की ओर से गलत और झूठी reports तैयार की जाती हैं। मैं सब अफसरान को दोष नहीं देता क्योंकि कुछ अफसरान तो अपनी duty और फरायज़ सरअन्जाम देते हैं और अपने कर्तव्य से इधर उधर नहीं होते परन्तु कुछ ऐसे भी अफसरान हैं जो अपने अधिकारों का नाजायज़ इस्तेमाल करते

[श्री शेर सिंह]

हैं। यह किन अफसरों की ओर से किया जाता है ? वह जो अफसर निकम्मे हैं, बददयानत हैं और सरकार को खुश करने के लिए ऐसा करते हैं। मैंने इस गांव के अन्दर कहा था कि जो लोग अपने अधिकारों को छोड़ कर, अपने कर्तव्यों को छोड़ कर, उनसे अलग होकर काम करते हैं ऐसे अफसर इस बात का सबूत पेश करते हैं कि वे ईमानदार नहीं हैं। ऊपर से ऐसे इशारे होते हैं और वे झूठी खुशामद कर के अपनी बुराई ढकने के लिये ऐसे नाजायज़ काम करते हैं।

तो मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन कर रहा था कि पुलिस के अफसरान उस गांव में पहुंचे और वहां के सरपंच, चौकीदार तथा गांव के अन्य लोगों को चौपाल में इकट्ठा किया और कहा कि गांव का कोई आदमी हिन्दी रक्षा समिति के जलसे में न जाये। लोगों ने उनकी बात का बहुत डर नहीं माना और जलसे में गये। उस पर मैं ने सुना है कि उन्होंने झूठी रिपोर्ट लिख कर कागज़ी कार्रवाई मुकम्मल करके वक्ताओं को section 9 के तहत फांसने का यत्न किया है। इस ढंग से लोगों को फंसाया जा रहा है। यह है हमारी पुलिस की कार्रवाई और General Administration की हालत इस प्रांत के अन्दर। मैं ऐसी कार्रवाइयां की जाने पर पुलिस अफसरों को कसूरवार नहीं ठहराता क्योंकि उन्हें जो ऊपर से हिदायात आती हैं उनके मुताबिक कार्रवाई उन्हें करनी पड़ती है। अगर सबूत नहीं हैं और गवाहियां नहीं हैं तो हिदायत के मुताबिक तैयार की जाती हैं, नहीं तो थोड़ी सी commonsense रखने वाला आदमी भी जान सकता है कि आज एक पब्लिक जलसे के अन्दर कौन यह कह सकता है कि मैं 1947 के हालात पैदा करना चाहता हूं और मेरे पास बम्ब मौजूद हैं और हर किस्म के हथियार मेरे पास हैं। लेकिन आज यह चीज़ क्यों की जा रही है ? इसलिए कि हिन्दी रक्षा समिति के नेताओं को किसी तरह फंसाने की कोशिश की जाए। (**ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਕੇਸ ਚਲਿਆ ਹੀ ਹੈ**) अगर मैं यह भी बता दूं तो केस *sub judice* हो जाएगा और शायद मुझे यहां पर इस तरफ reference करने की, अध्यक्ष महोदय, आप इजाज़त न दें। परन्तु मैं यह बता दूं कि लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है और notice दिए जा रहे हैं। लोगों के arms के licence ज़ब्त किए जा रहे हैं। इस तरह के कदम लेने शुरू कर दिए गए हैं और मामला आगे बढ़ने वाला है। इसलिए मेरा फर्ज़ था कि मैं इस मामले को चीफ़ मिनिस्टर साहिब के नोटिस में लाऊं। मुझे आशा है कि यह मामला उनके नोटिस में पहले से ही होगा क्योंकि आखिर यह सब चीज़ें यहां से ही चलती हैं तो भी......

Chief Minister : Don't level such false allegations please.

श्री शेर सिंह : स्पीकर साहिब, मैं आपके द्वारा यह चीज़ आम जनता के सामने भेजना चाहता हूं ताकि उनको जानकारी हो जाए कि पंजाब में इस समय तरह

की अवस्था मौजूद है । यदि चीफ़ मिनिस्टर साहिब यह समझते हैं कि उनकी तरफ से इस तरह की चीज़ें अनजाने में हो गई हैं तो मैं यह अनुभव करता हूं कि उन का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे खुद जा कर देखें और पूरी तरह जांच करवाएं, क्योंकि General Administration की ज़िम्मेदारी उनकी है । इसलिये वह देखें कि उनके नीचे क्यों कोई गलत कार्रवाई हो रही है । मैं वसूक के साथ नहीं कह सकता कि चीफ़ मिनिस्टर साहिब ने ऐसी कार्रवाई करने के लिए खुद कहा हो और ऐसी बात कही हो, न ही मेरे पास कोई सबूत मौजूद हैं इस के सम्बन्ध में, लेकिन लोग यह कहते हैं कि उनका हाथ है और यदि उनका हाथ नहीं तो उन्हें इन्तज़ाम करना चाहिए और इस बात को रोकना चाहिए कि किस तरह कानून की मिट्टी पलीद इस प्रांत के अन्दर की जा रही है । इस सारी चीज़ के बारे में प्रबन्ध करना उनका कर्त्तव्य है ।

यहां पर, अध्यक्ष महोदय, बाहूअकबरपुर के मामले में मुख्य मन्त्री महोदय ने अपना version दिया है और इस मामले पर भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि अगर मैं गीता पर हाथ रखकर कह दूं तो वह मान जाएंगे । अध्यक्ष महोदय, मेरा विश्वास नहीं कि इस तरह की बातों में धर्म ग्रन्थों को बीच में लाया जाए। मैं वैसे भी सही बात कह सकता हूं और मेरे कहने पर चीफ़ मिनिस्टर साहिब को विश्वास न आए तो अगर वह बगैर किसी reservation के direct enquiry कराएं तो उन्हें सही हालात का पता लग सकता है और मेरी बातों पर यकीन आ सकता है । चीफ़ मिनिस्टर साहिब जानते हैं कि किसान ईमानदार होते हैं। वह अगर अपने भाईचारे के तौर पर उन से पूछें तो वह ठीक बात उनको कह देंगे । फिर एक बात उन्होंने अपनी तकरीर में कही कि सत्याग्रहियों को ले जाने वाली लारी जब इस गांव में पहुंची तो गांव के लोगों ने आवाज़ दी कि इस लारी में जितने सिख भाई हैं नीचे उतर आएं और बाकी के बैठे रहें। इसके बारे में मैं ने न केवल देहात वालों से बल्कि लारी में सफर करने वाले सत्याग्रहियों से भी अपने तौर पर पूछा है लेकिन किसी ने भी इसे ठीक नहीं बताया और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। इसलिए मैं सरदार साहिब को कहूंगा कि वह मेरे साथ चलें । मैं उन्हें आज यहां दावत देता हूं, वह मेरे साथ गांव में चलें गरीब किसानों से पूछें । भेस बदल कर बेशक चलें और लोगों से बात करें, उन्हें वहां इस भेस में लोग जानेंगे नहीं और उनसे सही हालात का पता करें, नहीं तो इस तरह की बातें कह कर प्रांत की फिज़ा को खराब किया जा रहा है इसे रोकें । ऐसी बातों से स्टेट के अन्दर खतरनाक हालात पैदा हो गए हैं । वैसे नाम तो चाहे किसी का धर लो, ज़िम्मेदारी तो इन्हीं की है । पंजाब में ऐसी बातें करने से लोगों के दिल दूर हो गए हैं जोकि न होने चाहिए थे। हां, अगर कोई तफतीश की गई हो और उसकी findings इस तरह की हों तो अलग बात है । काफी बातें इधर से और उधर से बाहूअकबरपुर के बारे में कही गई हैं । दोनों तरफ से versions आए हैं । एक version पब्लिक की तरफ से आया है और एक

[श्री शेर सिंह]

गवर्नमेंट का version है तो इसकी सदाकत तक पहुंचने के लिए और यह देखने के लिए कि कहां तक कोई version सही है कोई judicial enquiry कराई जाए। अगर judicial enquiry न भी करवाना चाहें तो सरकारी version को साबत किया जाये ताकि वसूक से कहा जा सके कि सरकार की ओर से दिया गया version सही है, क्योंकि इस से हालात खराब हो गए हैं और जो बात कही गई है उसकी ज़िम्मेदारी आप पर ही है। आप जा कर लोगों से इस मामले की छानबीन करायें और यह कराने के बाद अगर यह गलत साबत हो तो जो कुछ बाहूअकबरपुर के बारे में अखबारों में छपता रहा है उसकी तरदीद जारी की जानी चाहिए और अगर सही है तो इस मामले के बारे में सरकार की ओर से ज़रूरी इन्तज़ाम होने चाहिएं। यह मामला ढीला छोड़ने वाला नहीं क्योंकि इस तरह के हालात पैदा हो जाने खतरनाक हैं। पूरी तरह तफतीश करवाने के बाद इस ऐवान में इसके बारे में सरकार की ओर से बताया जाना ज़रूरी है। और कोई enquiry न कराये तो मुख्य मंत्री मेरे साथ चलें तो उनकी तसल्ली हो जायेगी कि वहां पर बहुत ज़बरदस्ती हुई है।

अध्यक्ष महोदय, हिन्दी रक्षा समिति के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वह आप सब जानते हैं। समिति की मांगों को मनवाने के बारे में एक भाई की तरफ से यह भी कहा गया कि यह आन्दोलन सरकार को बदलने के लिए किया गया और कई बातें कही गईं। यदि मैं विशेष रूप से इस के सम्बन्ध में कुछ कहूं तो मैं समझता हूं कि मैं अपनी सीमाओं के अन्दर हूं। यह जो आन्दोलन हमारे पंजाब के अन्दर चला इसको सही ढंग से सोचने और समझने की ज़रूरत है। भाषा के सम्बन्ध में जो फैसला पंजाब सरकार की ओर से किया गया वह गलत था। (एक आवाज़: आपने भी इस फैसले को माना था) इसके सम्बन्ध में चीफ मिनिस्टर साहिब ने भी समाचार पत्रों में बयान दिया था। परन्तु मैंने कहा था कि मैं केवल तब ही इस Formula पर हस्ताक्षर करूंगा अगर यह कांग्रेस working committee के resolution के अनुकूल होगा। सच्चर फारमूला पर 1 October, 1949 के हमारे चार भाइयों ने दस्तखत किए। इस से पहले 13 September को हमारे पास भी एक भाई पहुंचे ताकि हस्ताक्षर करवाए जाएं परन्तु इससे पहले पांच अगस्त को कांग्रेस working committee ने language के बारे में resolution पास कर दिया था जिस में यह निश्चय किया गया था कि हरेक बच्चे को अपनी मातृभाषा की शिक्षा दी जाए और यह शिक्षा primary से शुरू की जाए। इसके बाद secondary stage पर जो All-India State Language निर्धारित हो उस को लाज़मी तौर पर पढ़ाया जाए। यह निश्चय 5 August, 1949 को किया गया था।

Congress Working Committee के प्रस्ताव में और किसी भाषा की पढ़ाई का जबर नहीं है । 13 सितम्बर को जब मैं ने एक कागज़ पर लिख कर दिया तब सच्चर फार्मूला बनाया जा रहा था, बना नहीं था । यह 2-3 दिन तक कोशिश भी होती रही है कि आप इस को support कर दें, अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं ने कहा कि मैं मानने को तैयार हूं अगर यह Congress Working Committee के Resolution के अनुकूल तैयार किया जाये और यही मैंने लिख कर दिया ।

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : On a point of order, Sir. Is the Hon'ble Member relevant? ਜਨਾਬ, ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਡੀਮਾਂਡ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

Mr. Speaker Yes, he is relevant. Hon'ble Member has not seen the demand.

Sardar Bhag Singh : This is a personal matter, Sir.

Mr. Speaker : No interruption please.

श्री शेर सिंह : आप ने जो सवाल किया है मैं उसी का ही जवाब दे रहा हूं। तो मैं कह रहा था कि एक तरफ तो हम Sachar Formula को मानते हैं और दूसरी तरफ हम Congress Working Committee के Resolution को स्वीकार करते हैं। आप दोनो को पढ़ें तो आप देखेंगे कि यह दोनों बिल्कुल एक दूसरे के मुखालिफ हैं। Sachar formula के अंदर एक दूसरी भाषा के पढ़ने की compulsion रखी गई है जो All-India State Language नहीं है। लेकिन जो Congress Working Committee का प्रस्ताव है वह इस के बिल्कुल खिलाफ है।

दूसरी चीज़ जो है वह यह है कि हमारे देश के कुल 14 सूबे हैं और इन में स दो प्रांत हमारे ऐसे हैं जहां कि दो भाषाएं बोली जाती हैं मगर इन दो सूबों म भी यकसां तरीके का प्रयोग नहीं किया गया। जिस तरह कि हमारा प्रांत दो भाषी प्रांत है उसी तरह से Bombay भी दो-भाषी प्रांत है। वहां पर कुछ हिस्से में तो मराठी बोली जाती है और कुछ में गुजराती । मैं दावे से कहता हूं कि जिस तरह से हमारे हां Sachar formula के द्वारा हिन्दी region में दूसरे रिजन की भाषा अनिवार्य रूप से पढ़ाई जा रही है इसी प्रकार अगर वहां पर कोई इस किस्म का formula पास करा दें कि जहां पर मराठी बोली जाती है वहां के लोग अपनी मातृभाषा के साथ साथ गुजराती भाषा भी अनिवार्य रूप से पढ़ें और जहां गुजराती बोली जाती है वहां भी इसी तरह से मराठी अनिवार्य रूप से ; आप अगर वहां पर कोई इस किस्म का formula पास करा दें तो मैं Sachar formula को भी मान लूंगा कि कम अज़ कम दो सूबों में तो एक सार काम हो ही रहा है । मगर ऐसा करने का साहस कोई नहीं कर सकता। मैं ने एक बड़े नेता के साथ बात करते हुए यह कहा था कि बम्बई में ऐसा फार्मूला

[श्री शेर सिंह]
बना दें और फिर उस प्रान्त में घुस कर दिखा दें। अगर बम्बई में ऐसा नहीं हो सकता तो फिर यह कैसे हो सकता है कि 65 लाख की आबादी को तो यह कहा जाये कि वह अपनी मातृभाषा के साथ साथ दूसरे region की भी भाषा अनिवार्य रूप में पढ़ें। मगर यह बाकी की जो 37 करोड़ जनता है उस पर यह अमल में न लाया जाये। मैं समझता हूं कि यह तरीका किसी खास हिस्सा के लिए जारी रखना ठीक नहीं। सब से यकसां सलूक होना चाहिए। सारे देश से निराला सलूक ६५ लाख हिन्दी बोलने वाली जनता के साथ सच्चर फार्मूले के द्वारा हुआ इसी लिए यह आन्दोलन चला। इस ढंग के दुर्व्यवहार को कोई भी आत्मसम्मान की भावना रखने वाला व्यक्ति कैसे बर्दाश्त कर सकता था? हमारे देश के अंदर यह भी एक बहुत बुरा रिवाज है कि अगर किसी चीज़ का जवाब दलील से, तर्क से नहीं दे सकते, तो फिर उस को बदनाम करने के लिये उस पर फिर्काप्रस्ती की मोहर लगा दी जाती है। मैं कहता हूं कि जब देश के अंदर इस तरह के दो प्रांत हैं तो दोनो में यकसां तरीकों का इस्तेमाल होना चाहिये। दोनों की एक policy होनी चाहिये। लेकिन इस देश में पंजाब सरकार की और policy है और Bombay सरकार की और policy है। जहां वहां पर दूसरे region की भाषा की शिक्षा प्राप्त करने के लिये जबर नहीं है वहां हमारे हां एक region की भाषा दूसरे पर ठोसी गई है। मैं यह नहीं समझ पाया कि इस पक्षपातपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध आवाज़ उठाना फिरकाप्रस्ती कैसे हो गई। इस के इलावा एक बात और मैं अर्ज़ कर दूं कि 1949 में शिक्षा मंत्रियों की Conference हुई इस में हमारे सूबे के शिक्षा मंत्री डाक्टर गोपी चंद भार्गव भी शामिल हुए ....

Minister for Consolidation and Health (Chaudhri Suraj Mal) : May I, Sir, put a question to him through you, if he gives way?

मैं यहां पर एक बात जनाब Hon'ble Member से पूछना चाहता हूं कि इस Sachar Formula को बने हुए आज 7-8 साल हो गये हैं, मगर अब इस बात का ज्ञान इन को इस किस्म की बातों का 6 महीने के अंदर कैसे हो गया ?

श्री शेर सिंह : मैं, स्पीकर साहिब, सभी बातें बता दूंगा, आप मुझे ज़रा बोलने का मौका दें तो ज़रूर सारी बातों का जवाब दूंगा। तो, स्पीकर साहिब, मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि 1949 में शिक्षा मंत्रियों की दिल्ली में Conference हुई जिस का नाम Central Board of Education रखा गया। इस Board ने एक निश्चय किया जिस का उद्धरण Secondary Education Commission ने अपनी एक report में किया है। इस में इन्होंने लिखा है कि अगर कोई आदमी अपनी मातृभाषा से दूसरी भाषा बोलने वाले region के अंदर रहता है तो शुरू में वह मातृभाषा द्वारा शिक्षा प्राप्त करे

ग्रौर उस के बाद क्षेत्रीय (Regional) भाषा तीसरी या चौथी जमात से उसे पढ़नी पड़ेगी। यह फ़ैसला शिक्षा मंत्रियों की Conference में जो Central Board of Education ने 1947 के पश्चात् जब से हम ग्राज़ाद हुए हैं भाषा समस्या पर विचार करने के लिये Secondary Education Commission के ग्रलावा भारत सरकार ने Official Language Commission भी मुकर्रर किया उस ने पिछले वर्ष ग्रपनी रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के पृष्ठ 80 पर यह लिखा है कि जिन की मातृभाषा हिन्दी है उन को दूसरी कोई ग्रौर regional भाषा पढ़ने के लिये प्रोत्साहन तो दिया जाये, लेकिन किसी को बाध्य न किया जाये। मैं कहता हूं कि Official Language Commission की report है ग्रौर Secondary Education Commission की भी रिपोर्ट हैं, Central Board of Education जिस में सभी प्रान्तों के शिक्षा मंत्री थे, उन का भी फैसला है ग्रौर इस के बाद Congress Working Committee का भी resolution है। यह सब एक तरफ़ हैं ग्रौर दूसरी तरफ़ यह सच्चर formula है। All India level पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त ग्रायोगों ग्रौर शिक्षा मन्त्रियों के निश्चयों के विरुद्ध पंजाब का सच्चर फार्मूला खड़ा है ग्रौर उस की कोई वैधानिक मान्यता भी नहीं है। 1935 से ले कर 1950 तक executive order से भाषा के सम्बन्ध में पंजाब सरकार निश्चय कर सकती थी परन्तु डा० गोपीचन्द जी ने भी माना है कि 1950 में संविधान बनाने के पश्चात् यह ग्रधिकार पंजाब सरकार को नहीं रहा। पंजाब विधान सभा का है। पंजाब विधान सभा ने ग्रभी तक भी कोई निश्चय भाषा सम्बन्धी नहीं किया है, इस लिये भाषा के सम्बन्ध में किया गया कोई भी निश्चय ग्रवैध है, उस को चलाना सरकार की ज़बरदस्ती है ग्रौर यह उस के ग्रधिकार से बाहर की बात है। इस बात को 1955 में सच्चर साहिब, जो उस समय पंजाब के मुख्य मंत्री थे, उन्होंने भी माना। ग्रगस्त 1955 में D.P.I. ने जालंधर में एक बयान इस सच्चर formula के सिलसिले में दिया। इस पर लोगों ने सवाल उठाया कि D.P.I. के statement के मुतग्रल्लिक सरकार कोई रोशनी डाले। इस पर सच्चर साहिब ने एक press conference बुलाई। सरदार प्रताप सिंह जी भी उस में शामल थे। उन्होंने कहा कि यह मसला पहले Legislative Assembly के ग्रंदर लाया जायेगा। ग्रभी कुछ information collect की जा रही है। परन्तु ग्रभी भी Legislature के सामने ग्राया नहीं। जब Outlines of Regional Formula पर Parliament में बहस होनी थी तब मैंने 33 हिन्दी क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से गृह मन्त्री के नाम एक ज्ञापन भिजवाया ग्रौर पं० ठाकुर दास भार्गव ने हमारा सुझाव, कि भाषा की clause उस फार्मूले में से निकाल दी जाये, लोक सभा में रखा। यह 1956 की बात

[श्री शेर सिंह]

है, जब मैं मंत्री था । छः महीने में कुछ बदला नहीं। इस के बाद Regional Formula का सवाल था................ (घंटी की आवाज़)

Mr. Speaker : Order, order please. This is not a lecture on Linguists Formula. You have taken enough time.

श्री शेर सिंह : स्पीकर साहिब, यह बड़ा ज़रूरी मसला है। और जब मुझे बोलने के लिये वक्त मिल गया है तो मैं इस पर दो दिन तक भी बोल सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको जितना बोलने का अधिकार था वह आप बोल चुके हैं। (The Hon. Member has taken as much time as he was allowed.)

श्री शेर सिंह : आपको तो अख्तियार है लेकिन मेरा भी तो अधिकार है कि जो arguments इस के बारे में मैं देना चाहता हूं, वह दूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको ज्यादा से ज्यादा एक आध minute इसको wind up करने के लिये और दे सकता हूं। आप तो लैकचर बाज़ी में पड़ गये हैं। (I can allow a minute or so more to the hon. Member to wind up his speech. I cannot allow more than this as he has begun a long speech.)

श्री शेर सिंह : जनाब, जो सवालात मेरे पर किये गये हैं मैं उनके जवाब दे रहा हूं।

चौधरी लहरी सिंह : जनाब, सवालात के जवाब तो दो minute में दिये जा सकते हैं।

श्री शेर सिंह : अगर मैं Regional Formula की तफ़सील में जाऊँ जिसके लिये कि समय की पाबन्दी है तो मैं कहूँगा कि Parliament में Outline of Regional Formula आया। उस की वैधानिक मान्यता नहीं। उस सिलसिले में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि वे अपना आदेश निकालें। राष्ट्रपति ने स्वयं देखा, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं कि जो ग़लत फ़ैसला था, भाषा के सम्बन्ध में, उसको उन्होंने नहीं माना और भाषा सम्बन्धी धाराओं को अपने आदेश में जो Regional Committees के बारे में उन्होंने दिया, उस में उन धाराओं को नहीं रखा। वह clause No. 9 और clause No. 10 थी, जो इस Regional Formula के अन्दर थीं, वे राष्ट्रपति ने जो आदेश निकाला है, क्षेत्रीय समितियों के सम्बन्ध में, उसमें नहीं है क्योंकि उन्होंने यह महसूस किया कि वह ग़लत चीज़ थी, जिसे ठीक करना लाज़िमी था। और उन्होंने उसको ठीक किया।

अगर आप इजाज़त दें तो मैं wind up करते हुए यह कह लूं कि हरियाना के मैम्बरों ने एक अपील की थी और वह अपील यह थी कि हम सबको अपने दिलों से साम्प्रादायिकता निकालना चाहिये और समस्याओं को सुचारु रूप से हल करना चाहिये। और ऐसे फ़ैसले जो ग़लत तौर पर किये गये और 65 लाख की आबादी के साथ एक पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया, ऐसे फ़ैसलों को सही करना चाहिये। जैसा कि राष्ट्रपति ने महसूस किया और ग़लत फ़ैसले को जिसमें कोई legal value नहीं थी, constitutionally ग़लत था,

उसको वापिस ले लिया । Outline of Regional Formula जो लोक सभा में 1956 में मेज़ पर रखा गया, उसको कोई कानूनी और वैधानिक मान्यता हासिल नहीं थी । राष्ट्रपति ने Regional Committees के लिये जो order प्रकाशित किया है वही एक legal और constitutional document है। सच्चर फार्मूला भी अवैध है और यदि उसे कोर्ट में चैलेंज किया जाये तो वहां भी वह टिक नहीं सकता । सन् 1950 के बाद उसकी कानूनी हैसियत समाप्त हो चुकी है । राष्ट्रपति के आदेश से 1956 में की गई ग़लती का सुधार हो गया । Regional Formula में जो झगड़े की बात थी वह उसमें से निकल गई । इसलिए dispassionately बैठ कर सोचना चाहिये और Legislative Assembly के अन्दर पेश करके उचित न्यायपूर्ण और सब पक्षों को स्वीकृत हो सके, ऐसा विधेयक भाषा के सम्बन्ध में पास करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : Professor साहिब, अब आप तशरीफ़ रखिये । (The hon. Member may please resume his seat.)

श्री शेर सिंह : मैं तो wind up कर रहा हूँ ।

Mr. Speaker : Somehow or other you are taking it to be a public meeting.

श्री शेर सिंह : मैंने सदन के सब नियमों और परम्पराओं का पूर्ण रूप से पालन किया है । मैं अन्तिम शब्द कह रहा हूँ । अब ऐसा वातावरण उत्पन्न हो चुका है . . .

Chief Minister : Sir, he is not speaking from his seat.

श्री शेर सिंह : मैं आपके द्वारा, मिस्टर स्पीकर, यह अपील करना चाहता हूँ कि अब ऐसा वातावरण उत्पन्न हो चुका है कि हम सभी समस्याओं पर dispassionately विचार कर सकें और मज़हबी अथवा साम्प्रदायिक चीज़ों को अपने दिलों से निकाल दें और देश को आगे ले जाने के लिये, सब के लिये उचित और न्यायपूर्ण निर्णय हम करें । राष्ट्रपति ने जो बुद्धिमत्ता पूर्ण आदेश निकाला है और विवाद उत्पन्न करने वाली बातों को Regional Committees के order में नहीं रखा है, उसका लाभ उठा कर हमें पंजाब में ठीक निर्णय भाषा समस्या के सम्बन्ध में करना चाहिये, जिस से प्रदेश का नाम ऊँचा हो सके ।

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ (ਰਾਇਕੋਟ, ਰਿਜ਼ਰਵਡ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਜਦ ਬਜਟ ਤੇ ਜਨਰਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ general administration ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਕਤ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ । ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਦੇ programme ਨੂੰ ਚਾਕ ਆਊਟ ਕਰਦਿਆਂ ਟਾਇਮ ਮੁਕੱਰਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਮੈਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ law and order ਦੀ situation ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤਮਾਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ law and order ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸਦੀ

[ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ]

ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ situation create ਕੀਤੀ । ਹੁਣ ਇਹ public ਤੇ depend ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ।

ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ elements ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਰ categories ਹਨ ।

(1) ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ;
(2) Popular movement ;
(3) Political mischief mongers; ਅਤੇ
(4) Ordinary criminals.

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ treatment ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ordinary criminals ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ treatment ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ criminals ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਬਲਕ ਮੂਵਮੈਂਟਸ (Public movements) ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਲੂਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਅਗਲੀ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਸਮਤੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਹ ਢੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਇਹ ਵਰਤਦੀ ਸੀ । ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਦੇ ਵਕਤ ਹੋਏ ਸਲੂਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਆਦ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦਸ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਪੂਲਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਣੇ ਕਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ; ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਗਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ prestige ਤੇ ਧੱਬਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਚੁਪਚਾਪ ਖੜੀ ਰਹੇ । ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ lenient ਬਰਤਾਉ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ administration ਦੋਵੇਂ demoralize ਹੋਏ ਹਨ । ਔਰ ਉਹ ਇਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ mischief mongers ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ check ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ।

ਖੋਸਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੀ light ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੇ । ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੋਸਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਗੋਂ, ਅੱਜ ਤਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ਾਇਆ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ element ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਯੂਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਮਜ਼੍ਹਬ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ element ਨੂੰ condemn ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਅਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹਨ ।

ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ remarks ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕੀਂ ਮਾਰਕ ਐਂਥਨੀ (Mark Anthony) ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ unleashers of mischief ਹਨ । ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮੀ ਦਾ ਬਰਤਾਉ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ । (*interruptions*)

ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ public movement ਨਾਲ lenient view ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ political mischief mongers ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ordinary criminals ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ।

ਮੈਂ ਛੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ interruption ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਵਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ । ਹੁਣ ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ Chief Minister ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ political mischief mongers ਨਾਲ ordinary criminals ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ordinary criminals ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਕੈਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ political mischief mongers ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

Kanwarani Jagdish Kaur : What about smugglers ?

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : Smugglers ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ । ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲਡ (shield) ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹਨ ਮਗਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਸਮਗਲਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕਾਪਰਸਤੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੈ ਇਹ 1947 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 1948, 49, 50, 51 ਔਰ 1952 ਤਕ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਚਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਨ ਸੰਘੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਮਗਲਰਜ਼ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗੜਬੜ ਸੀ । ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੰਗ ਸੀ । ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪਰਾਂਤ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਈ ਸੱਜਣ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ । ਇਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਲਭਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਨੌਰਮਲ (normal) ਹੋ ਗਏ । ਹਾਲਾਤ ਨੌਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੰਦ ਐਸੇ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਥੇ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕਾਪਰਸਤੀ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਝੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ

[ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ]

ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ । ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਢੰਗਾ ਹੱਲ ਲਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ criticise ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਅਤੇ ਘਟੀਆਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਸੌ ਡੇਢ ਸੌ ਸਾਲ ਇਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਰਚਲਤ ਰੱਖੀ । ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਥੇ ਸੌ ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਟੰਗ (mother tongue) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨ ਠੋਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਣਪੜ੍ਹ ਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ । ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕ ਐਸੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 15 ਜਾਂ 20 ਦਿਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਸਾਂ ਜਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਉਤਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਦਰਾਂ ਵੀਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅਸੀਂ ਉਤਨੀ ਜਲਦੀ ਸਕਾਲਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜਿਤਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਕਰਕੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਏਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਜਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਚੀਨ ਔਰ ਜਪਾਨ ਦਾ ਪਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਥੇ 95 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਏਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫਖ਼ਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਣਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਜੋ ਕੁਝ ਰਿਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲੇ, ਏਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਨਕੱਰੇਜ (encourage) ਕਰੇ ਤਾਂ ਏਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਜ਼ਰਾ ਆਹਿਸਤਾ ਬੋਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਉਗੇ । (The hon. Member should speak slowly otherwise he will get tired.)

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਨਾਬ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਸਨ । ਹੁਣ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿਚ 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੁਪਿਆ ਜਨਰਲ ਐਡਮਨਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ

ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਉਹ ਬਜਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਅੱਲੁਕ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਜਨਰਲ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਖ਼ਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ-ਪਸੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਆਂਗੇ । ਜੇਕਰ ਜਨਰਲ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਰਜ਼-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਤੇ ਰੀਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ । ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਪਰੋਡਕਟਿਵ ਕੰਮ ਹਨ, ਮਸਲਨ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਖੋਦਣ ਦੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਰੁਪਿਆ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ । ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਗਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਹੈਡਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਏ. ਐਸ. ਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਫ਼ਸਰ ਇਕ ਦੇ ਉਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉਤੇ ਤੀਸਰਾ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਉਤੇ ਚੌਥਾ ਵਧਾਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ-ਪਸੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਰਖ ਲਈਆਂ ਜਾਣ । ਇਕ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਖ ਲਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਖ ਲਈ ਜਾਵੇ । ਐਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਇਕ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਾਈਂਡ ਐਪਲਾਈ (mind apply) ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ !

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰਿਜ਼ਰਵਡ) : ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ, ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਡੀਮਾਂਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਆਲਾਤ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਾਂਗਾ ਔਰ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ । ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੀਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਹਨ । ਮੈਂ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਰੀਜਨ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ

[ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ]

ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ । ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਿਸਮਿੱਲਾ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ । ਮੈਂ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਅੱਦਬਾਨਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊ ਰੈਪਰੀਜ਼ੈਨਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਸਾਡੇ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਬਰੌਡ ਮਾਈਂਡਿਡ (broad minded) ਹਨ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਬਿਹਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੀਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਕ ਹਰੀਜਨ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫ਼ੀਸ਼ੈਂਸੀ (deficiency) ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਸੀਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਰਵਿਊ ਵਿਚੋਂ ਕਢੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2026 ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ।

> "Will the Minister for Revenue be pleased to state the total strength of the work charged establishment such as Tube well (1) Drivers, (2) Mechanics (3) Supervisors (4) Key men (5) Fitters (6) Work Mistries (7) Work Munshis...."

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Subordinate Services Selection Board ਦੇ purview ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ posts ਕਢ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ tube-wells drivers 35 ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੀ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ, drivers 43 ਹਨ, ਸਾਡਾ nil ਹੈ, mechanics 6 ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡਾ nil ਹੈ, ਫੇਰ Supervisors 17 ਹਨ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾ nil ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ fitters 17 ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਿਸੇ 2, 3 ਹੀ ਆਏ ਹਨ । ਇਹ ਜੋ list ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ । ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ transport ਦਾ ਜੋ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ... ...

अध्यक्ष महोदय : क्या आप ने यह आज फैसला कर लिया है कि यह बातें ज़रूर कहनी हैं । (हंसी) (Is the hon. Member determined to tell all these things to-day.) (*Laughter*)

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪੋਸਟਾਂ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਗ਼ੈਰਾ ਦੀਆਂ Services Board ਦੀ purview ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ transport ਦਾ ਜੋ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਬੜੀ ਦਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਕੋਈ ਅਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਪੰਜ, ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਵੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਹੈ । ਇਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ... ... ...

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ? (About which department is the hon. member talking ?)

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਜਨਾਬ, transport ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ services ਇਸ Subordinate Services Selection Board ਦੇ purview ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਬਾਕੀ ਜੋ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੌਰਮਿੰਟ permits ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ 30 permits ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ permits ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ 30 permits ਮਿਲੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । (Loud laughter and noise.)

अध्यक्ष महोदय : क्या आपकी नहीं है ? (हंसी) (Isn't it his also ?) (*Laughter*)

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਵਾਂਗਾ । ਜੇਕਰ ਗੌਰਮਿੰਟ 21 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ services ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Subordinate Services Selection Board ਦੇ purview ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ Public Service Commission ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਸਾਡੇ ਨਾਲ ....

अध्यक्ष महोदय : जब आप फिर दो मिनट के बाद Public Service Commission की बात कर देते हैं तो मुझे भी तसल्ली हो जाती है कि आप अब relevant हो गए हैं । (जोर की हंसी) (When after a couple of minutes the hon. Member again begins to talk about the Public Service Commission, I, too, feel satisfied, that after all he is getting relevant now.) (*Loud laughter.*)

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ irrelevant ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ । ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ Social Welfare Department ਲਈ ਕੁਲ ਇਕ ਲਖ ਤੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

[ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ]

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਵਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਹਰੀਜਨ Welfare Department ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਵਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ recommend ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ recommendation ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵਡਾ ਭਾਰੀ favouritism ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Favouritism ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ at the cost of Government ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ moral ਉਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। Favouritism ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ moral ਗਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ welfare ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ favouritism ਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ development ਲਈ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹਿਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ at the cost of Government ਆਪਣਿਆਂ ਹੀ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉ ਸੂਬੇ ਦੀ development ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ Socialist party ਵੀ ਅਗੇ ਆਵੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ favouritism ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਾਦ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਥੇ favouritism ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ moral ਉਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ demoralise ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਗੌਰਮਿੰਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਹੀ ਚੰਦ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ favour ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਲਕਿ justice ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। (*Interruptions and loud noise.*) ਜਿਥੇ justice ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ moral ਗਿਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਲੋ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਹਥਾਂ ਵਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਤਨਾ ਤਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ corruption ਦਾ scope ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ Nobody can kill Gandhi. Only Gandhi kill Gandhi.

ਜੋ at the cost of government administration ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ favouritism ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹਕ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਿਚ favouritism ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਸਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ at the cost of government administration ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ । ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ B.D.Os. ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ Public Service Commission ਦੇ purview ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪ ਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ moral ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿਚ cooperate ਕਰਨਗੇ । ਮੈਂ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ Opposition ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ criticise ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ criticise ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਆਪ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਬਲਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲਣ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੋ criticise ਕਰਨ ਦਾ action ਹੈ ਇਹ ਇਕ good action ਹੈ ।

Any action which makes us to go godward is a good action and is our duty. Any action which makes us to go downward is evil and is not our duty.

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨੁਕਸ ਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਰ ਕਰੋ । ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਦਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਛੁਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ । ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ opposition ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦਸ ਸਕੇ । ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨੁਕਸ ਪੈਣ ਅਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ । ਇਹ ਨੁਕਸ ਅਸੀਂ ਹੀ ਦਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਥੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । Opposition ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਸੇਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਸ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ Opposition ਬੇਜਾਨ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਹਰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਬਹਾਦੁਰ ਆਦਮੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ (*noise and interruptions*) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ moral ਵਧੇਗਾ ।

ਫੇਰ, ਜਨਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ (*cheers*) ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਸਮਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ

[ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ]
ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦਸਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਾ 107 ਲਗਾ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹੱਫ਼ਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਤਹੱਫ਼ਜ਼ ਖਸੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । (*Loud laughter and noise.*) ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Consolidation ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਰਫਤ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਦਰਖਾਸਤ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ.......(*Loud noise and interruptions.*)

अध्यक्ष महोदय : Order, order. यह consolidation की बात फिर कर लेना, अब आप बैठ जाएं । (The hon. Member may have his say about the Consolidation Department on some other occasion. Now he should resume his seat.)

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਭਲਾਮਾਨਸ ਹਾਂ (*Loud laughter*) ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਚੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ . . . .

अध्यक्ष महोदय : अगर भले मानस हैं तो भले मानसों की तरह ही अब बैठ जाएं । (हंसी) (If he is a gentleman then he should now resume his seat like a gentleman.) (*Laughter*)

लोक कार्य मंत्री (राओ बीरेन्द्र सिंह) : स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज पुलिस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बहस हो रही है लेकिन मेरे कुछ दोस्तों की तरफ से उस के बीच में ट्रांसपोर्ट का सवाल पैदा कर दिया गया है । मालूम ऐसा होता है कि चन्द साथियों को ख़ाह बहस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर चल रही हो, ख़ाह बजट की जनरल डिस्कशन हो, अपने सामने ट्रांस्पोर्ट के परमिट और कोयले के परमिट ही नज़र आते हैं । मालूम होता है ख़ाब भी उन्हें इन्हीं चीज़ों के आते हैं । (हंसी)

स्पीकर साहिब, नुक्ताचीनी आपोज़ीशन की तरफ से भी हुई और Treasury Benches के साथियों की तरफ से भी हुई, लेकिन मुझे यह कहते हुए ख़ुशी महसूस होती है कि आपोज़ीशन की तरफ से जो नुक्ताचीनी होती है वह आम तौर पर और किसी हद तक हकीकत पर मबनी होती है लेकिन चन्द एक हमारे साथी जब ज़ाती जलन या bitterness को अपने ज़हन में रख कर बातें करते हैं तो निहायत अफसोस होता है । मैं इस मौका पर ट्रांस्पोर्ट के मुतअल्लिक ख़ुद कुछ नहीं कहूंगा और न ही, स्पीकर साहिब, मैं किसी का नाम लूंगा । कामरेड राम चन्द्र ने ट्रांसपोर्ट के मुतअल्लिक फरमाया । मैं इशारतन . . . .

श्री राम चन्द्र कामरेड : On a point of order, स्पीकर साहिब, क्या किसी को कोई बात इशारतन कहने की इजाज़त दी जा सकती है ? मैं चैलेंज करता हूँ कि मैंने किसी रिश्तेदार का नाम . . . . .

लोक कार्य मंत्री : स्पीकर साहिब, आज ट्रांसपोर्ट के मुतअल्लिक मुख्तसर तौर पर कुछ अर्ज़ करने की ज़रूरत मुझे इस लिये पड़ी क्योंकि बाज़ साथियों की तरफ से यह सवाल पैदा किया गया। इसलिये आप मेरे साथ इत्तफाक करेंगे कि मैं मजबूर था। इस से पेश्तर भी हाऊस में कितनी बार यह सवाल उठाया गया और इस के लिए यह मांग की गई कि enquiry की जाये और यह कि स्कैंडल है लेकिन, स्पीकर साहिब, मैं आप के सामने अर्ज़ करूंगा कि जब मौका दिया गया इस बात का और पूछा गया कि किस किस डिमांड पर बहस की जाये तो ट्रांसपोर्ट के मुतअल्लिक किसी ने भी डिस्कशन को मन्ज़ूर नहीं किया। यह एक ऐसी चीज़ है जिस से साफ़ ज़ाहर होता है कि ये सारी बातें फर्ज़ी हैं। लीडर आफ दी हाऊस की तरफ से लीडर आफ दी आपोज़ीशन को ट्रांसपोर्ट की डिमांड के बारे में पूछा गया। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें इस पर discussion के लिये समय नहीं चाहिये। पुलिस और जेनरल एडमिनिस्ट्रेशन के मुतअल्लिक चन्द साथियों की तरफ से जो बातें हुई हैं वे आज कोई नई नहीं, इस से पहले भी वही कुछ गिनी चुनी बातें होती रही हैं और इन आईटमों पर हाऊस में वे हमेशा यही बातें कहा करते हैं। मैं अपनी तरफ से चन्द साहिबान की तरफ इशारा करूंगा। ऐसा मालूम होता है कि जहां ला एंड आर्डर और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है तो यह समझ बैठते हैं कि वह इस हाऊस के मेम्बर नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी के मेम्बर नहीं हैं बल्कि वे एक मीटर हैं जैसे उनके साथ कोई आला लगा हुआ हो जिस से वे administration के बनने या बिगड़ने को महसूस कर सकते हों। अजीब बात यह है कि जब वे वज़ारत की कुर्सी पर होते हैं तो law and order की situation ठीक हो जाती है लेकिन जब वे बाहर हो जाते हैं तो वे तकरीरें करते हैं और उन्हें law and order बिगड़ा हुआ नज़र आता है।

Shri Prabodh Chandra : On a point of order, Sir. I submit that the Minister for Public Works becomes very personal and we resent this.

अध्यक्ष महोदय : यहां जो बातें पहले कही गई हैं, क्या उस वक्त वे पर्सनल नहीं होतीं? (Were the things already said by some hon. Members impersonal?)

Shri Prabodh Chandra : The same can be said about the Chief Minister.

क्या यह कहना कि मिनिस्ट्री की कुर्सी से बाहर चले जाते हैं तो यह कहते हैं कि Law and Order की पोज़ीशन ठीक नहीं और जब वज़ारत में होते हैं तो इन्हें पोज़ीशन ठीक नज़र आती है motive नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : जो बातें इस हाऊस में कही जाएं उनका जवाब तो देना ही पड़ता है। (After all the things said in this House have to be replied to.)

लोक कार्य मंत्री : मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया न ही किसी तरफ इशारा किया है यह तो दाढ़ी में तिनके वाली बात है। (हंसी) स्पीकर साहिब, मैं ने किसी खास

[लोक-कार्य मन्त्री]
साथी का नाम नहीं लिया। आज कई साथी इधर से उधर बैठ गए हैं या कई इस कोशिश में रहे हैं कि मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर बनने का चांस हो जायेगा लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं हुई . . . . .

Shri Prabodh Chandra : Sir, we rather refused to be there. I would ask the Chief Minister to come out with the names. I would submit, Sir, that the Public Works Minister is making irresponsible statements.

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों रुकावट डालते हैं ? (Why do you interrupt.)

(आवाजें : नाम बताएं)

लोक कार्य मंत्री : नाम बता दूंगा लाबी में।

श्री प्रबोध चन्द्र : यह अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश है।

Mr. Speaker : Please resume your seat.

कामरेड राम चन्द्र : उन्हीं से पूछिए। उन्होंने मेरा नाम propose किया था। मैं ने कभी नहीं कहा . . . .

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜੋ ਹੀ ਨਾ।

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूँ कि नाम न आएं या किसी तरह की जाती बातें न आएं। (I want that no names should be mentioned nor there should be any personal references in the debate.)

श्री प्रबोध चन्द्र : एक दफा पता तो लगे कौन है।

Mr. Speaker : He is not yielding. Why are you interrupting please ?

Shri Prabodh Chandra : Sir, I ask the names of the persons.

Mr. Speaker : Order please. No interruptions.

Shri Prabodh Chandra : On a point of order, Sir. .. .. ..

Mr. Speaker : I say sit down please.

Shri Prabodh Chandra : On a point of order, Sir. Is it permissible to impute motives to the Members.

Mr. Speaker : All of you have been imputing motives. The Minister has got the right to reply.

Shri Prabodh Chandra : Sir, we have been imputing motives to the Government.

Mr. Speaker : It was the Minister for Transport to whose person you were referring.

Shri Prabodh Chandra : Sir .. ..

Mr. Speaker : Order please. Resume your seat.

राम्रो अभय सिंह : On a point of order, यह जो discuss कर रहे क्या यह जेनरल एडमिनिस्ट्रेशन के मुतअल्लिक है ?

अध्यक्ष महोदय : यह पता चलेगा। (You will know that.)

लोक कार्य मंत्री : स्पीकर साहिब, मेरे दोस्त श्री प्रबोध चन्द्र जी खाह मखाह नाराज हो गए। उनकी तरफ तो शायद मेरा इशारा ही नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : यह ऐसा इशारा है जिस से कई नाराज़ होंगे। आप न करें। (Please do not make this reference. This will offend so many hon. Members.)

लोक कार्य मंत्री : लेकिन स्पीकर साहिब, यह हकीकत है।

Shri Prabodh Chandra : On a point of order, Sir.

Mr. Speaker : I will not listen to your point of order.

Shri Prabodh Chandra : Sir, I have a right to raise a point of order.

Mr. Speaker : No please. I will not permit. You are interrupting the proceedings.

Shri Prabodh Chandra : Sir, it is my right.

Mr. Speaker : No please. I will not permit.

Shri Prabodh Chandra : Sir, I have a right to raise hundred points of order.

Mr. Speaker : You are interrupting the proceedings. I will not permit.

Shri Prabodh Chandra : Sir, I will have to go to the extreme. Mr. Speaker, I say that I have a right to raise a point of order.

Mr. Speaker : No. I will not allow.

Shri Prabodh Chandra : I have my right.

Mr. Speaker : Order please. If you will continue to interrupt the proceedings, I am afraid.. .. ..

Shri Prabodh Chandra : Sir, I have a right to raise a point of order.

Mr. Speaker : Every time you are raising a point of order to interrupt the proceedings. No question of point of order.

चौधरी धर्म सिंह राठी : On a point of order. क्या एक मेम्बर को under the rules इख्तियार नहीं है कि वह point of order पर बोल सकें ?

Mr. Speaker : He has got a right to raise a point of order, but he goes to the extent of interrupting the proceedings. I will not allow that.

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 2.00 p.m., to-morrow.

(*The Sabha then, adjourned till* 2.00 *p.m., on Tuesday, the* 18*th March,* 1958.)

670 PVS—344—19-2-59—CP and S., Pb., Chandigarh

Punjab Vidhan Sabha Debates

18th March, 1958

VOL. I—NO. 21

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Tuesday, 18th March, 1958

CHANDIGARH :

Printed by the Controller, of Printing and Stationery, Punjab
1959

Price : Rs 1.35 nP.

ERRATA.

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATE, VOL. I, No. 21, DATED THE 18TH MARCH, 1958

Read	*for*	*on page*	*line*
laid	d	(21)1	24
Giani	iani	(21)26	16
Hamirpur	Harmirpur	(21)39	16th from below.
relevant	relevent	(21)64	7
ख़तरा	खातरा	(21)66	1
अछूत	अछत	(21)77	2nd from below.
साढ़े	सा-	(21)81	9
ਜਾਨ	ਜਾਣ	(21)88	9
ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ	ਮਰਾ ਇਕੱਲ	(21)92	16
High Court	H gh Court	(21)100	12
ਗੁਰਦੁਆਰੇ	ਗੁਰਦਵਾਰ	(21)102	3
Delete the word 'this' after the word 'it'		(21)105	8
I	It	(21)111	8

PUNJAB VIDHAN SABHA

Tuesday, 18th March, 1958

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, *Chandigarh Capital, at* 2 *p.m. of the clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.*

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Recommendation of the Garbett Commission

***1784. Shri Rup Singh Phul :** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state—

(a) whether it is a fact that a Commission known as the 'Garbet Commission" was appointed by the Government of the United Punjab to examine the working of the Forests Department in Kangra District;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, whether the recommendations of the said Commission have been implemented; if not, the reasons therefor ?

Chaudhri Suraj Mal : Sir, extension has already been applied.

Motorable roads in Kangra District

***1785. Shri Rup Singh Phul :** Will the Minister for Public Works be pleased to state the number and names of the new motorable roads together with the mileage thereof in each case constructed in the Kangra District during the period from 1st October, 1952, up to date ?

Rao Birendar Singh : A statement giving the required information is d on the Table of the House.

LIST OF ROADS IMPROVED OR CONSTRUCTED IN THE KANGRA DISTRICT DURING THE PERIOD FROM 1ST OCTOBER, 1952 TO DATE

Serial No.	Name of Road	Mileage	Remarks
1	2	3	4
	I By District Board.		
1	Haripur-Bankhandi ..	5	Improved to a motorable condition
2	Jawali-Narhiana ..	15	
3	Indora to Nurpur via Gangath ..	18	
4	Talwara-Gopipur	24	
5	Nadaun-Dhaneta	9	
6	Barsar-Talai	9	

[Minister for Public Works]

Serial No.	Name of Road	Mileage	REMARKS
1	2	3	4
7	Narhiana to Kalu di Bar ..	12	Constructed to a motorable condition
8	Raja Talab Road ..	29	
9	Jalari-Bijri ..	30	
10	Sujanpur-Patlandar ..	10	
11	Sujanpur-Rangus ..	10	
12	Hamirpur-Toni Devi-Awah Devi	15	
13	Dada-Dhaliara ..	8	
14	Baijnath-Chobu ..	6	Improved to a motorable condition
15	Churrur-Chowkimanier ..	10	Ditto
16	Jawaliji Marhun up to Khundian	8	Ditto
17	Mundkher-Bherir ..	4	Ditto
18	Lathiana-Pir Suluhi ..	18	Constructed to a motorable condition
19	Dera-Jawali	24	Improved to a motorable condition
20	Samloti-Baroh ..	15	Constructed to a motorable condition
21	Yol-Dadh ..	4	Improved to a motorable condition
22	Lambagaun to Harsi ..	5	Ditto
23	Gagal-Lunj-Nagrota-Surian ..	20	Constructed to a motorable condition
24	Holta-Chadiar ..	20	Ditto
25	Nurpur-Suliali Road ..	6	Ditto
	Total ..	334	
	II. By P.W.D., B. and R. Branch		
26	Mandi-Kulu Road ..	22	Out of 43 miles 22 have been metalled and work on the remaining is in progress
27	Ranital Jawal-Mukhi Road ..	12	Katcha road metalled
28	Link to Dera Town ..	0.75	6 furlongs have been metalled
29	Approaches on either side of the proposed bridge at Dera Gopipur	4	4 miles completed and work in about one mile is in progress.
	Total ..	38.75	
	GRAND TOTAL ..	372.75	

Shri Rup Singh Phul : Sir, may I know the reasons why motor service is not plied on the motorable roads ?

Minister : Action is being taken.

Shri Rup Singh Phul : Sir, may I know when this action will be finalized and motor vehicles will be plied on these roads ?

Minister : Action will be finalized as early as possible.

Shri Rup Singh Phul : Will the Minister for Public Works be pleased to state the target date by which the motor services will be available on these roads ?

Minister : It is not possible to fix any target date.

श्री राम प्यारा : क्या उन सड़कों पर मोटरें ply करने के लिए और route permits मांगने के लिए गवर्नमैंट के पास दरखास्तें आ चुकी हैं ?

मन्त्री : ऐसे routes के लिए कोई ऐसी दरखास्तें गवर्नमैंट के पास नहीं आती हैं ।

श्री रूप सिंह फूल : क्या वजीर साहिब बताएंगे कि district कांगड़ा में जितनी भी roads बनी हैं उन सब पर मोटरें चलाने के लिए scheme ज़ेरे ग़ौर है या चन्द एक पर ?

मंत्री : अभी यह भी सवाल सोचा जा रहा है कि सब के लिए एक साथ permits की दरखास्तें मांगी जाएं या आहिस्ता २ routes release किए जाएं ।

Sardar Bhupinder Singh Mann : On a point of order, Sir. Question No. 1785 relates to motorable roads and not route permits.

Mr. Speaker : The question has been arisen and the answer has been given by the hon. Minister.

QUARTERS TAKEN OVER BY THE PUBLIC WORKS DEPARTMENT IN MODEL TOWN, PANIPAT

***1810. Dr. Parma Nand :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether any quarters in Model Town, Panipat, have recently been taken over by the P.W.D., if so, their number ;

(b) whether rent is being charged regularly from the occupants of the quarters referred to above ;

(c) whether there are any occupants who have not yet paid any rent; if so, their names and the total amount of rent due from them ?

Rao Birendar Singh ; (a) None.

(b) In view of (a) above, question does not arise.

[Minister for Public works]

(c) Yes. Defaulter occupents number 319. The rent in arrears in respect of them for the period 1949-50 and 1950-51 is Rs 1,19,998. These occupants were given houses on rent and their verified claims have to be adjusted against these liabilities. List of the names of the defaulters is attached.

Name of the occupant		Arrear Rs
1. Shri Wasti Ram	..	83.94
2. Shri Suraj Parkash	..	153.75
3. Shri Karam Chand	..	284.44
4. Shri Karam Chand	..	62.44
5. Shri Suraj Parkash	..	20.81
6. Shri Avtar Singh	..	20.81
7. Shri Permashri Lal	..	62.44
8. Shri R. M. Choudhri	..	0.31
9. Shri Vishan Dass	..	55.06
10. Shri Ajit Singh	..	43.37
11. Shri Kirsa Singh	..	20.81
12. Shri Nanak Chand	..	41.62
13. Shri Ram Dayal	..	104.75
14. Shri Harbans Lal	..	10.44
15. Shri Total Ram	..	43.62
16. Shri Piara Lal	..	104.06
17. Shri Ram Chander	..	202.19
18. Shri Kaka Ram	..	43.62
19. Shri Bodh Raj-Roshan Lal	..	77.75
20. Shri Mangat Ram	..	33.56
21. Shri D. Verma	..	62.44
22. Shri Ganga Ram	..	83.26
23. Shri Khem Chand	..	615.50
24. Shri Tilak Raj	..	124.62
25. Shri Dhian Singh	..	56.00
26. Shri Kishan Kumar	..	343.06
27. Shri Lekh Raj	..	98.62
28. Shri Dhiram Vir	..	211.56
29. Shri Amar Nath	..	30.06
30. Shri Ram Saran Dass	..	62.44
31. Shri Arjan Singh	..	34.87
32. Shri Jagdish Lal	..	55.06
33. Shri Amar Nath	..	152.12
34. Shri Lakshmi Narain	..	109.00
35. Shri Dhelu Ram	..	296.69
36. Shri Dharam Singh	..	167.19
37. Shri Rattan Chand	..	50.37
38. Shri Ramesh Chander	..	180.75
39. Shri Sohan Lal	..	114.81
40. Shri Shahzad Chand	..	114.56
41. Shri Buta Ram	..	57.75
42. Shri Bhagat Ram	..	41.62
43. Shri Hari Dass	..	115.69
44. Shri Tara Singh	..	107.56
45. Shri Sewa Singh	..	10.37
46. Shri Dhanwant Singh	..	50.37
47. Shri Pari Ram		374.62
48. Shri Mala Ram	..	55.06
49. Shri Iqbal Krishan	..	110.31
50. Shri Gobind Ram	..	71.19
51. Shri Ram Saran Dass	..	10.44
52. Shri Manohar Lal	..	64.44
53. Shri Divinder Singh	..	244.31
54. Shri Khem Chand	..	212.81
55. Shri Laxshaman Dass	..	365.00
56. Shri Mohan Lal	..	147.69
57. Shri Sohan Singh	..	116.44

Name of the occupant		Arrear Rs
58. Shri Sunder Lal	..	218.62
59. Shri Jetha Nand	..	538.50
60. Shri R. N. Beil	..	203.12
61. Shri Puran Singh	..	47.86
62. Shri Jai Gopal	..	47.87
63. Shri Nirmal Chand	..	167.19
64. Shri Jagan Nath	..	69.87
65. Shri Ram Kishan	..	69.87
66. Shri Dilbagh Rai	..	55.06
67. Shri Bahadur Singh	..	12.44
68. Shri Kartar Singh	..	41.62
69. Shri Ram Singh	..	129.75
70. Shri Dewan Chand	..	676.12
71. Shri Bhagwan Dass	..	676.06
72. Shri Nehal Chand	..	1,348.06
73. Shri Ganesh Dass	..	51.06
74. Shri Bhagwan Dass	..	96.69
75. Shri Machi Ram	..	62.44
76. Shri Narajan Singh	..	62.44
77. Shri Chanan Chand	..	20.81
78. Shri Lal Chand	..	62.44
79. Shri Girdhari Lal	..	41.62
80. Shri Sant Ram	..	55.06
81. Shri Narain Dass	..	62.44
82. Shri Mohan Singh	..	55.06
83. Shri Mohan Parkash	..	198.62
84. Shri Parabh Dyal	..	41.62
85. Shri Gotam Lal	..	11.19
86. Sub-Divisional Officer, Line Construction Division	..	402.25
87. Shri Gurmukh Singh	..	21.81
88. Shri Kishan Chand	..	349.00
89. Shri Girdhari Lal	..	41.62
90. Shri M. S. Bhatia	..	44.62
91. Shri Hans Raj	..	29.87
92. Shri Jagadish Mittar	..	11.62
93. Central Excise Range	..	66.94
94. Shri Shri Ram	..	91.44
95. Shri Lajpat Rai	..	15.81
96. Shri Daulat Ram	..	147.94
97. Shri Des Raj	..	11.56
98. Shri Narain Dass	..	312.19
99. District Board Primary School	..	208.12
100. Club	..	228.94
101. Shri Ram Lal Khanna	..	41.62
102. Shri J. C. Ghandhi	..	20·81
103. Shri Amolak Singh	..	20.81
104. Shri Raksha Ram	..	21.50
105. Shri Madan Lal	..	153.75
106. Shri Jai Chand	..	5.44
107. Shri Khushi Ram	..	504.19
108. Shri G. V. Singh		99.19
109. Shri Kartar Singh	..	.6
110. Shri Narain Dass	..	432.50
111. Shri Ram Rakha Mal	..	12.25
112. Shri Khem Raj	..	222.00
113. Shri Kulbhushan Singh	..	645.19
114. Shri Pritam Singh	..	27.06
115. Shri Kartar Singh	..	27.06
116. Shri Som Nath	..	20.94
117. Shri Gurdev Singh	..	2.06
118. Shri Kanaya Lal	..	52.19
119. Shri Ram Parkash	..	31.50
120. Shri Parja Ram	..	131.12
121. Shri Avtar Singh	..	41.75
122. Shri Arjan Lal	..	20.87
123. Shri Shiv Charan Dass	..	18.81
124. Shri Sat Parkash	..	76.37

[Minister for Public Works]

Name of the occupant		Arrear Rs
125. Shri Radha Sham	..	79.37
126. Shri Chandi Ram	..	79.37
127. Shri Gopal Dass	..	27.87
128. Inspector, W. M.	..	124.87
129. Shri Kirpa Ram	..	16.62
130. Shri Kirpal Singh	..	24.62
131. Shri Harbans Lal	..	215.87
132. Shri Surrinder Kumar	..	11.19
133. Shri Ram Kishan	..	10.44
134. Shri Chitranjan Makin	..	99.19
135. Mrs. Gillani	..	93.94
136. Shri Kirpa Ram	..	27.25
137. Shri Dewan Chand	..	105.75
138. Shri Devi Chand	..	20.87
139. Shri Ajmer Singh	..	17.50
140. Shri Swaran Chand	..	221.62
141. Shri Dina Nath	..	41.62
142. Shri Ram Lal	..	10.44
143. Shri Om Parkash	..	193.12
144. Shri Shri Ram	..	60.25
145. Shri Dev Raj	..	113.81
146. Shri Suraj Bhan	..	20.94
147. Shri Sobu Ram	..	229.62
148. Shri Kundan Lal	..	333.00
149. Shri Ram Lal	..	245.06
150. Shri Raj Kishan	..	122.00
151. Shri Ragbir Lal	..	161.31
152. Shri Mukand Lal	..	362.56
153. Shri Yudhishther Dev	..	467.69
154. Shri Sarv Mittar	..	0.43
155. Shri Bhagwan Dass	..	315.15
156. Shri Bhagwan Dass	..	109.56
157. Shri Shri Ahuja	..	334.69
158. Shri Ram Dhari	..	104.37
159. S.D.O., L/C Sub-Division	..	56.19
160. S.D.O., Survey Sub-Division	..	433.00
161. Shri Chet Ram	..	231.25
162. Shri Ajit Singh	..	320.00
163. S.D.O., Survey Sub-Division	..	154.00
164. Shri Radha Sham	..	188.25
165. Xen, Electricity	..	17.81
166. S.D.O., T.C.A., E/Branch	..	216.00
167. Shri Sham Sunder	..	135.69
168. Shri Randhir Singh	..	167.00
169. Shri Mohan Lal	..	29.94
170. Shri Karnel Singh	..	106.19
171. Shri Har Bhagwan	..	23.75
172. Shri Kundan Lal	..	2,972.85
173. Shri Bhagwant Singh	..	146.12
174. Shri Shiv Ram	..	332.99
175. Shri Hans Raj	..	1,092.68
176. Agricultural Inspector	..	280.62
177. Shri Kanshi Ram	..	721.49
178. Shri Charan Dass	..	1,301.36
179. Shri Bhagwan Dass	..	1,165.49
180. Shri Niwas Chopra	..	3,121.85
181. Inspector, Plant Protection	..	126.12
182. Shri Charan Jit Lal	..	187.75
183. Shri Arjan Dass	..	957.37
184. Shri Jiwan Dass	..	1,167.99
185. Shri Sita Ram	..	969.87
186. Shri Har Charan Singh	..	217.78
187. Shri Laxshmi Narain	..	1,609.27
188. Shri Sohan Lal-Mohan Lal	..	2,665.18
189. Shri Om Parkash	..	647.69

Name of the occupant		Arrear Rs
190.	Shri Saib Ditta Mal	679.01
191.	Shri Hukam Chand	1,479.67
192.	Shri Sant Lal	1,149.12
193.	Shri Raj Kishan	165.62
194.	Shri Nanak Chand	633.37
195.	Shri Jai Gopal	3,187.10
196.	Shri Satnam Rai	1,042.54
197.	Shri Jagdish Chander	147.75
198.	Shri Kishan Chand	430.00
199.	Shri Raghu Nath Dass	1937.62
200.	Shri Brij Lal	970.62
201.	Shri Annant Ram	117.40
202.	Shri Nand Lal	111.55
203.	Shri Nand Lal	3,329.54
204.	Shri Tikai Ram	688.81
205.	Shri Sardari Lal	536.12
206.	Shri Dina Nath	1,025.19
207.	Shri Amar Nath	54.75
208.	Shri Dev Raj	160.75
209.	Shri Sardari Lal	174.37
210.	Shri Pancham	174.37
211.	Shri Khem Chand	193.12
212.	Shri Sarwan Singh	15.62
213.	Shri Joginder Pal	167.37
214.	Shri Dhiram Vir	223.12
215.	Shri J. L. Batra	310.25
216.	Shri Sant Ram	157.44
217.	Shri Balwant Singh	146.12
218.	Shri Ram Dass	1,382.37
219.	Shri Kishan Chand	670.17
220.	Shri Girdhari Lal	249.74
221.	Shri Har Bhagwan	23.74
222.	Shri Ram Saroop	1,188.44
223.	S.D.O., Tube-well	201.94
224.	Shri Bhola Nath	11.94
225.	T.P.O., Panipat	407.20
226.	Shri Sat Pal-Harbans Lal	1,564.92
227.	Shri Perma Nand	110.25
228.	Shri Har Kishan Lal	198.31
229.	Shri Dhanwant Singh	290.89
230.	Shri Hira Nand	853.36
231.	Shri Remash Chander	135.57
232.	Shri Tara Singh	271.37
233.	Shri Des Raj	736.42
234.	Shri Khushi Ram	145.68
235.	Shri Shanti Saroop	222.32
236.	Shri Raghbir Chand	3,131.25
237.	Shri Mohinder Partap Singh	270.25
238.	Shri Jagan Nath	334.00
239.	Shri Bal Krishan	427.94
240.	Shri Hakam Rai	1,932.80
241.	Shri Lekh Raj	478.74
242.	Shri Jai Dayal	1,486.42
243.	Shri Pran Kishan	166.67
244.	Shri Sant Singh Durlabh	2,730.42
245.	Shri Ram Lal	260.95
246.	Shri Ajit Singh	231.06
247.	Shri Ram Kishan	145.68
248.	Shri Dyal Dass	939.05
249.	Shri Ram Rung	1,479.67
250.	Horticultural Inspector	437.05
251.	Shri Sant Singh	264.50
252.	Shri Shankar Lal	302.70
253.	Shri Ragbir Lal	359.75
254.	Shri Ram Chand	125.26
255.	Shri Topan Dass	340.05
256.	Sub-Inspector, Reh.	41.75

[Minister for Public Works]

Name of the occnpant		Arrear Rs
257. Shri Gobind Ram	..	1,478.36
258. Shri Kishan Chand	..	88.50
259. Shri Mul Raj	..	359.19
260. E.T.O., Karnal	..	735.37
261. E.E., E/Change, Karnal	..	20.75
262. S.D.O., E/Br., Panipat	..	68.75
263. C.I.A. Staff	..	188.98
264. Shri Roshan Lal	..	261.75
265. Shri Amrit Lal Batra	..	1,991.07
266. Inspector, Co-op. Societies	..	187.94
267. Shri Nanak Chand	..	137.44
268. Shri Giani Ram	..	323.57
269. Secretary, Panipat, L/C Societies	..	365.95
270. Shri Dewan Chand	..	1,532.74
271. Shri Jamna Dass	..	638.23
272. Shri Devi Dass	..	114.81
273. Shri Thana Ram	..	198.11
274. Shri Ziladar Naraina	..	73.06
275. Shri Ram Chand	..	73.06
276. Shri Sardari Lal	..	73.06
277. Shri Dalip Singh	..	62.44
278. Shri Kartar Singh	..	141.44
279. Shri Bansi Lal	..	219.20
280. Shri Bansi Lal	..	51.31
281. Shri Ram Chand	..	146.12
282. Shri Karnel Singh	..	105.19
283. Shri Ram Saran Dass	..	655.61
284. Shri Duryai Lal	..	3,179.79
285. Shri Jagdish Chander	..	414.44
286. Shri Tilak Raj	..	229.75
287. Shri Daljit Singh	..	414.42
288. Shri Roshan Lal	..	259.62
289. Shri Dharam Vir	..	53.27
290. Shri Sansar Chand	..	306.67
291. Shri Mohan Singh	..	867.66
292. Shri Annat Saroop	..	234.50
293. Shri Madho Lal	..	267.74
294. Shri Ishawar Dass	..	1,439.81
295. Shri Hari Kirpal	..	588.92
296. Shri Sant Singh	..	1,643.30
297. Shri Harish Chander	..	382.06
298. Shri Sobu Ram	..	379.38
299. Shri Harbans Lal	..	2,989.85
300. Shri Ram Raj	..	250.06
301. Shri Om Krishan	..	263.19
302. Shri Roshan Lal	..	301.24
303. Shri Bansi Lal	..	1,643.18
304. Shri Pokhar Dass	..	334.69
305. Shri Ishwar Singh	..	606.00
306. Shri R. M. Gandhi	..	26.06
307. Shri Jagdish Lal	..	712.37
308. Shri Jai Kishan	..	117.75
309. Shri Kulbir Bakshi	..	1,092.37
310. Shri V. P. Verma	..	270.62
311. B.D.O.	..	1,082.49
312. E/Exchange	..	20.76
313. Shri Piara Singh		240.07
314. Shri Sohan Singh	..	235.32
315. Malaria Organisation	..	228.01
316. S.D.O., Operations	..	1,278.04
317. Shri Khazan Singh	..	291.37
318. Shri J. Franiz	..	894.94
319. Shri Jagir Singh	..	167.67
Total Rs	..	1,19,998.00

श्री राम प्यारा : जिन नामों के सामने यह किराया show किया गया है क्या वह सारे इन मकानों के purchasers हैं ? क्या उन सारों ने मकान खरीद रखे हैं ?

मंत्री : यह जरूरी नहीं कि उन्होंने मकान खरीदे हुए हों । Claims में में किराया adjust किया जा रहा है ।

DIRECT BUS SERVICE BETWEEN SANGRUR AND CHANDIGARH

***1471. Sardar Rajinder Singh :** Will the Minister for Public Works be pleased to state with reference to reply to Starred Question No. 996 included in the list of questions for 30th October, 1957, whether Government has decided to start a direct bus service between Sangrur and Chandigarh ; if so, the date by which it is expected to start ?

Rao Birendra Singh : Yes. Will be started shortly.

BOOKING OF GOODS IN PASSENGER BUSES

***1829. Sardar Jasdev Singh Sandhu :** Will the Minister for Public Works be pleased to state whether buses run by the Government carry any goods without the owner of the goods travelling as a passenger ; if so, the rule under which this is done together with the party responsible for the safe transport of the goods ?

Rao Birendra Singh : No. Luggage or goods are not ordinarily accepted for booking without the owner in the buses run by Government. With special arrangements, however, newspaper packets, postal dak, perishable articles and household effects not exceeding 10 maunds are carried at owner's risk. This is covered under section 48, sub section 3, clause XI of the Amended Motor Vehicles Act, and rule 4.18(1) read with 4.17(7) of the Motor Vehicles Rules, 1940.

PROVIDING RESIDENTIAL QUARTERS TO LABOURERS IN THE TRANSPORT DEPARTMENT

***1830. Sardar Jasdev Singh Sandhu :** Will the Minister of Public Works be pleased to state whether the labourers working in the Government Transport services are provided with quarters or allowed an allowance in lieu thereof like other employees ; if not, the reasons therefor ?

Rao Birendra Singh : The labourers in Government Transport Services are not provided with rent free quarters nor are they allowed an allowance in lieu thereof as their service conditions do not permit this concession.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ regular employees, conductors, drivers ਵਗੈਰਾ ਹਨ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ quarters ਜਾਂ quarter allowance ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

अध्यक्ष महोदय : इस से यह पैदा नहीं होता है । (This question does not arise out of it.)

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ regularised employees ਹਨ ..

Mr. Speaker : Labourers working in the Government Transport Services include Conductors and Drivers.

PERSONS CHALLANED UNDER PURE FOOD ACT IN SANGRUR DISTRICT

***1472. Sardar Rajinder Singh :** Will the Minister for Consolidation and Health be pleased to state the total number of persons challaned under the Pure Food Act in Sangrur District during the year 1957 and the number of those who were convicted, tehsilwise ?

Chaudhri Suraj Mal : A Statement is laid on the Table.

Name of Tehsil in Sangrur District	Number of persons challaned under Pure Food Act, 1954	Number of persons convicted
1. Sangrur ..	17	16
2. Dhuri ..	6	4 Two cases are still pending in the court
3. Sunam ..	4	3
4. Malerkotla	7	2
5. Barnala ..	1	1
6. Jind ..	1	..
Total ..	36	26

A sum of Rs 743 was realised as fine.

CONSOLIDATION WORK IN VILLAGE MAUR KALAN, DISTRICT BHATINDA

***1618. Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Consolidation and Health be pleased to state—

(a) whether the consolidation of village Maur Kalan, District Bhatinda, has been completed ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, whether any land has been reserved for the Harijans of the said village for abadi, for baras, etc ; if so, the area thereof ; if not, the reasons thereof ?

Chaudhri Suraj Mal : (a) Not yet.

(b) *First part.*—Yes.

	Kanals	Marlas
Second part.—Extension of abadi	23	14
Manure pits ..	10	14

FACILITIES FOR BET ILLAQA IN HOSHIARPUR DISTRICT

***1531. Dr. Bhag Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Bet Illaqa in Hoshiarpur District has been declared as a Backward Area ;

(b) if the answer to (a) above be in affirmative, the details of facilities, if any, given to the people of the said area so far ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) The Bet areas of Sutlej in the Hoshiarpur District have been declared as Backward areas in the State.

(b) It has been decided that in addition to the normal quota fixed for admissions in Government Colleges and institutions 10 per cent of the seats should be reserved for students permanently residing in the Backward areas, who are not able to secure admission on merit, but are otherwise in possession of necessary qualifications for admission.

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਜੋ ਕੋਟਾ fix ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਜੋ engineering Colleges ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ institutions ਹਨ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੀ ਹਾਂ।

APPEALS FROM OFFICERS/OFFICIALS AFTER THE INTEGRATION OF SERVICES

***1858. Sardar Dhanna Singh Gulshan :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of appeals preferred by officers and officials against any decision taken regarding their seniority as a result of the integration of services after the merger of the erstwhile Punjab and Pepsu States ;

(b) the number of appeals referred to above which have been decided, together with the names, designations and addresses of the persons concerned ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Thirty-seven appeals have so far been received.

(b) Nil. The Advisory Committees set up by the Government of India to consider appeals have not yet started their work.

DESECRATION OF HOLY TANKS AND GURDWARAS

***1254. Sardar Atma Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any cases regarding the desecration of the Holy Granth and Holy places have been registered along with the names of holy tanks (Sarovars) where such acts took place by throwing of the alleged cigarette tins in such tanks during the current financial year ?

Sardar Partap Singh Kairon : Yes. A statement is laid on the Table.

List of incidents, in which there was disrespect of Sikh religion or desecration of Sikh religious places or scriptures

S. No.	District	Date of occurrence	Brief facts	F.I.R. No.	REMARKS
1	Amritsar	17-7-57	(i) Tins of cigarettes were found in the Holy Tank of Shri Darbar Sahib, Amritsar	136, dated 17th July, 1957, under section 295, I.P.C., P.S. Kotwali, Amritsar	Case under investigation
		29-7-57	(ii) One empty packet of cigarettes recovered from Holy Tank.		
		30-7-57	(iii) Loose gutka leaves of Sukhmani Sahib found in Chowk Lachhman Sar and Adda Lorries, Chatiwind Gate, out of which few were torn		
		16-8-57	(iv) Two used cigarette stumps recovered from Parkarma of Santokh Sar		
		19-8-57	(v) Five empty cigarette packets found lying in premises of Santokh Sar Sarovar		
2	Do ..	30/31-7-57	On the night between 30th and 31st July, Jura of a Sikh boy of 12 years was cut by his friend (15/16) while the former was sleeping in the street	145, dated 31st July, 1957, under section 295, I.P.C., P.S. Kot., Amritsar	Case under investigation
3	Patiala ..	16-8-57	Pieces of cigarettes were found in Gurdwara Sewak Jatha	195, dated 16th August, 1957 under section 295, I.P.C., P.S. City Patiala	Ditto
4	Amritsar	17-8-57	Four half burnt 'Biris' packed in small tin of military pattern were found in Holy Tank of Kaulsar	65, dated 17th August, 1957, under section 295, I.P.C., P.S. 'C' Division, Amritsar	Ditto

S. No.	District	Date of occurrence	Brief facts	F.I.R. No.	REMARKS
5	Chandigarh (Ambala District)	..	Hair (Keshas) of Phuman Singh, 14 years, employed as servant with a Hotelwala were cut on persuasion of employer	235, dated 19th August, 1957 295, I.P.C., P.S. Chandigarh	Case under investigation
6	Amritsar	22-8-57	Some cigarettes were found in the Sarowar	194, dated 22nd August, 1957, under section 295, I.P.C., P.S. City Tarn Taran	Accused convicted to 4 months' R.I.
7	Gurdaspur	23-8-57	8/9 empty cigarette packets were found on the roof of Khalsa Girls School in the precincts of Singh Sabha Gurdwara, Dhariwal	112, dated 24th August, 1957, under section 295, I.P.C., P.S. Dhariwal	The case has been cancelled
8	Karnal ..	22-8-57	Volume of Guru Granth Sahib with torn pages was alleged to be found lying on the floor in Gurdwara in village Nalvi	57, dated 24th August, 1957, under section 295, I.P.C., P.S. Shahbad	Under investigation
9	Rohtak	2-9-57	Pages of Guru Granth Sahib were alleged to be mutilated in Gurdwara Bansi	53, dated 2nd September, 1957, P.S. Meham, under section 295/152, I.P.C.	Ditto
10	Ambala ..	3-9-57	Small quantity of tobacco wrapped in a piece of paper was found in Gurdwara, Ambala Cantt.	225, dated 3rd September, 1957, under section 295 I.P.C., P.S. Ambala Cantt	Ditto
11	Jullundur	12/13-8-57	Some unknown persons cut the hair of a Sikh youth who was sleeping on the roof of his shop on the night between 12th and 13th	523, dated 13th August, 1957, under section 295, I.P.C., P.S. Jullundur City	Ditto
12	Railway Signal Mansa	13-9-57	Leaflets of Gurbani (Asa Di War) Anand Sahib and Sukhmani were found torn to pieces and were seen scattered near Railway Signal at Mansa	..	..
13	Baba Bakala, (Amritsar)	14-10-57	Two pieces of cigarettes recovered from the Parkarma of Gurdwara Baba Bakala	137, dated 14th October, 1957 under section 295, I.P.C., P. S. Beas	Case under investigation

[Chief Minister]

S. No.	District	Date of occurrence	Brief facts	F.I.R. No.	REMARKS
14	Amritsar	25-10-57	Faeces wrapped in paper were found in Gurdwara Guru Ke Mehal, Guru Bazar, Amritsar	227, dated 25th October, 1957, under section 295, I.P.C., P. S. Kotwali, Amritsar	Ditto
15	Chandigarh (Ambala District)	25-10-57	A. P. Shot exploded in Gurdwara	332, dated 25th October, 1957, P. S. Chandigarh	Ditto
16	Batala (Gurdaspur	9-11-57	Some one set fire to the Holy Granth Sahib kept in a mosque used as Gurdwara	136, dated 9th November, 1957, under section 295, I.P.C., P. S. City Batala	Ditto
17	Bhatinda	1-12-57	Some leaves from the Holy Granth Sahib were torn and Rs 3 were removed after breaking the cash box in the Gurdwara by some one	160, dated 1st December, 1957, under section 295, I.P.C., P. S. Bhatinda	Ditto
18	Bhatinda	21-12-57	Burning cigarette was placed by a Hindu tonga driver on the turban of Makhan Singh another tonga driver	179, dated 21st December, 1957, under section 295 I. P. C., P.S. Kotwali, Bhatinda	Under investigation
19	Amritsar	24-12-57	Two tins of cigarettes and 2 copies of printed Urdu posters captioned 'Master Tara Singhio Cigarette Peena Hi Parega' were found floating in the Holy Tank of Darbar Sahib	307, dated 24th December, 1957, under section 295, I. P. C., P. S. Kotwali Amritsar	Ditto
20	Bhatinda	27-12-57	Hair (Keshas) of Sawan Singh, a board-lifter in the Jagjit Theatre, Bhatinda, were cut on persuasion of Karam Chand, another employee of the Theatre	183, dated 29th December, 1957, under section 295, I.P.C., P.S. Kotwali Bhatinda	Ditto
21	Ludhiana	27-12-57	Poster captioned 'Master Tara Singhio Cigarette Peena Hi Parega' found in the letter-box of Sikh Students Federation Office, Chaura Bazar, Ludhiana	379, dated 27th December, 1957, under section 295/305, I. P. C., P. S. Kotwali, Ludhiana	Ditto

S. No.	District	Date of occurrence	Brief facts	F.I.R. No.	REMARKS
22	Amritsar	31-12-57	Glass jar containing water suspected to be besmeared with tobacco as well as torn leaves of Gutka and a tin of cigarettes found placed inside the courtyard of M. Tara Singh Banglow in Missionary College	321, dated 31st December, 1957, under section 295, I.P.C., P. S. Sadr, Amritsar	Under investigation
23	Jagadhri (Ambala)	11-1-58	Sardara, a Christian, was found in possession of packet of cigarettes in his pocket in Gurdwara Singh Sabha, Ward No. 2, Jagadhri	11, dated 11th January, 1958, under section 295, I. P. C., P. S. Jagadhri	Ditto
24	Amritsar	13-1-58	A few small children of Ram Sarup Shopkeeper's family while playing with empty cigarettte packets in a three-storeyed house just on the bank of Sarovar of Gurdwara Santokh Sar, Amritsar, alleged to have thrown down 5/6 empty cigarette packets including a few torn pieces thereof in Sarovar	..	Case under enquiry
25	Jullundur	13-1-58	Two cigarettes and a few biddi pieces were found lying in a 'Chandwa' (Canopy) of Guru Granth Sahib, when it was received back from Surinderpal Bhatia, Laundrywala, in Basti Shiekh, after dry-cleaning.	48, dated 13th January, 1958, under section 295, I. P. C., P.S. Basti Sheikh	Under nivestigation
26	Karnal	18-1-58	Cloth covering the Holy Granth Sahib was found burnt at some places on 18th morning in the house of Hira Singh, refugee, son of Buta Singh, residing in Model Town, while the Holy Granth was kept by him in a wooden box in separate room of his lodge	11, dated 20th January, 1958, under section 295, I. P. C., P. S. Sadar, Karnal	
27	Amritsar	21-1-58	Two Hindu boys found in the Parkarma with empty cigarette packets in their pockets	..	Under enquiry
28	Ludhiana	21-1-58	200 pages of Guru Granth Sahib found missing	..	Ditto

[Chief Minister]

S. No.	District	Date of occurrence	Brief facts	F.I.R. N>.	REMARKS
29	Gurgaon	2-2-58	Romala Sahib was torn in pieces in a zig-zag manner and pages of Holy Granth in Gurdwara Mohalla Jaikabpura, Gurgaon, found torn	22, dated 2nd February, 1958 under section 295, I. P. C., P. S. Sadar, Gurgaon	Under investigation
30	Ludhiana	1-2-58	Huqa water was thrown by Puran Chand, Harijan of Jawahar Nagar Camp, Ludhiana, on Angithi of Narain Singh	Puran Chand arrested under section 55/107, Cr.P.C.	
31	Amritsar	7-2-58	Amrit Lal, shopkeeper, got Makhan Singh's (his servant) hair bobbed by Karam Chand, Barber, without consent of Makhan Singh's father	28, dated 7th February, 1958, under section 295, I. P. C., P. S. Kotwali	Under investigation

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀ desecration ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਜੋ 31 ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਤਨਿਆਂ ਦਾ ਚਾਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਦਸ ਸਕਦਾ । ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਔਖ ਬੜੀ ਹੈ । ਇਤਨੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਤਨੀਆਂ ਫੜਨ ਨੂੰ ਤੇ crime ਕਢਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਕਿਸੇ case ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਣ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਕਿਸੇ ਮੁਕਦਮੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੁਛੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ । ਇਕ ਇਕ case ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ : ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਣ ਨੂੰ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਕੀ ਉਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ support ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ? ਉਹ ਤਾਂ defence ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਛੁਡਾਣ ਲਈ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਬਿਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ? ਕੀ ਉਹ defence ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ means ਨਾਲ approach ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਜੇਕਰ ਜ਼ਰਾ ਕਰੜਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਰਖੀਏ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੌਰਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ medical examination ਕਰਾ ਦਿਉ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਗੁਰਅਨਾਦ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਹਿਦਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ।

चौधरी बलबीर सिंह : जो झूठी सच्ची गवाहियां अदालत में दी जा रही हैं उसके खिलाफ़ क्या कोई कारवाई नहीं की जा सकती ?

मुख्य मंत्री : कोई नहीं ।

CONFIRMATION OF ASSISTANT SUB-INSPECTORS

***1645. Comrade Jangir Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that Assistant Sub-Inspectors who passed the Inter Course from Phillaur in 1949-50 have not so far been confirmed ;

(b) whether it is a lso a fact that Assistant Sub-Inspectors who passed the said course after the year 1950 have since been confirmed; if so, the reasons therefor ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Yes ; some of the Assistant Sub-Inspectors, who passed the Intermediate Course from Phillaur in 1949-50, have not been confirmed so far.

(b) Yes ; some of the Assistant Sub-Inspectors, who passed the Intermediate Course after 1950 have been confirmed. Confirmations in the Police Department are made on the basis of selection tempered by seniority. The mere fact of passing the Intermediate Course does not entitle a person to confirmation in the rank of Assistant Sub-Inspector.

श्री राम प्यारा : इस की क्या वजह है कि जिन की क्लीन स्लेट है वे confirm नहीं हुए और जिन की नहीं है उन्हें confirm कर दिया गया है ?

मुख्य मंत्री : मुझे मालूम नहीं। हो सकता है जिन की आप क्लीन स्लेट समझते हो उन की सब से खराब हो। यह तो मैं ही बता सकता हूँ।

Mr. Speaker : This is a hypothetical question.

श्री राम प्यारा : जिस को adverse entries न हों इस के बावजूद भी अगर किसी को confirm न किया जाय तो इस की क्या वजह है?

Mr. Speaker : This is a hypothetical question.

मुख्य मंत्री : मैंने reasons दी हैं।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਸ ਵਿਚ Seniority ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਜ਼ਰੂਰ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ARRESTS IN CONNECTION WITH HINDI RAKSHA SAMITI AGITATION AT ROHTAK

*1662. **Pandit Shri Ram Sharma** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of persons arrested at Rohtak in connection with the Hindi Raksha Samiti Agitation together with the number amongst them of those convicted and detained separately ;

(b) whether any clash took place between the police and the volunteers of the said agitation at Rohtak ;

(c) whether any persons sustained injuries in the clash referred to in part (b) above ; if so, their names ?

Sardar Partap Singh Kairon :

(a) Number of persons arrested	..	2,436
(b) Number of persons convicted	..	1,572
Number of persons detained	..	10

(b) Hindi Samiti volunteers clashed with the Police at Rohtak on five occasions.

(c) In all the five clashes referred to in part (b) above, 61 Police Officers and 21 Publicmen received injuries. A statement showing names of persons arrested is laid on the Table.

List of police officers and publicmen, who received injuries in various cases, registered in connection with the Hindi Raksha Samiti Agitation, Rohtak District

Case, F.I.R. No. and date	Police Officers	Publicmen
83, dated 30th July, 1957, under sections 147/447, 451/455, 506/332, 156/149, P. S. City, Rohtak	(1) S. Gurbachan Singh, D.S.P., Rohtak. (2) Shri. Amar Singh, A.S.I., City Rohtak (3) Shri. Khazan Singh, H.C., Rohtak (4) Shri Om Parkash, Inspector, C.I.D., Rohtak (5) Shri Ajit Singh, S. I., District Hissar (6) Shri Amar Jit, H. C., 4702, District Mahendragarh (7) Shri Modan Singh, S. I., District Sangrur (8) Shri Kishori Lal, 327, District Hissar (9) Shri Ram Parkash, 370, District Hissar (10) Shri Sunder Singh, 788, District Hissar	(1) Shri Mam Chand, son of Shri Chandu Lal, Jat, resident of village Godipur, P.S. Dadri, district Mahendragarh
84, dated 5th August, 1957, under sections 147/224/225/332/440/120 B/149, I.P.C., P.S. City, Rohtak	(1) S. Gurbachan Singh, D.S.P., Rohtak (2) S. Dhanna Singh, 121, District Ludhiana (3) Shri Ujagar Singh, 139, District Ambala (4) Shri Naurang Singh, 1507, District Ambala (5) Shri Gurmaj Singh, 357, District Ludhiana (6) Shri Veer Singh, 476, District Ludhiana (7) Shri Tirlok Singh, 346, District Ludhiana (8) Shri Mehar Singh, 615, District Ludhiana (9) Shri Banarsi Dass, 77, District Ludhiana (10) Shri Niranjan Singh, 523, District Ludhiana	(1) Shri Mangal Sain, son of Sain Ditta Mal, M.L.A., Arora of Rohtak (2) Shri Ram Lal, son of Ghanisham Dass, Mohalla Babra, Rohtak. (3) Shri Attar Chand, son of Gobind Ram Arora, New Colony, Rohtak (House No. 1382). (4) Shri Dalip Chand, son of Chandgi Bairagi of Indhana, P.S. Jind, now Moh. Sukhpura, Rohtak (5) Shri Veer Bhan, son of Jaissa Ram Arora, Moh. Partap, Ward No. 6, House No. 725, Rohtak (6) Shri Madan Lal, son of Dina Nath, Khatri of Rana Kheri, P.S. Baroda, now India Motor Works near Gurcharanpura, Rohtak

[Chief Minister]

Case, F.I.R. No. and date	Police Officers	Publicmen
	(11) Shri Siri Ram, 434, District Rohtak	(7) Shri Chiman Lal, son of Wadhan Ram Gulati, of Moh. Kalalan, Rohtak
	(12) Shri Pirthi Chand, 631, District Ludhiana	(8) Shri Hoshnak Ram, son of Lachhman Das, Arora of Moh. Salara, Rohtak
	(13) Shri Pritam Singh, 1464, District Ambala	
	(14) Shri Ram Nath, 256, District Ludhiana	(9) Shri Bani Singh, son of Richpal Singh of Baniani P. S. Kalanaur
	(15) Shri Hari Singh, 1352, District Ambala	(10) Shri Chiman Lal, son of Jindo alias Ram Arora of Delhi Darwaja, Rohtak
	(16) Shri Gurnam Singh, 1497, District Ambala	(11) Shri Radha Sham, son of Bahadur Chand, Khatri of Moh. Para, House No. 279, Rohtak
	(17) Shri Surat Singh, 751, District Hissar	(12) Shri Hans Raj, son of Karam Chand, Arora of Sabzi Mandi, Rohtak
	(18) Shri Ganpat Rai, 552, District Ludhiana	(13) Shri Ganesh Dass, son of Ram Arora of Moh. Para, Rohtak
	(19) Shri Harbans Lal, 606, District Ludhiana	
	(20) Shri Tara Chand, 333, District Ludhiana	
	(21) Shri Ram Pat, 624, District Rohtak	
	(22) Shri Sher Dal Singh, 1510, District Ambala	
	(23) Shri Om Parkash, Inspector, C.I.D., Rohtak	
	(24) Shri Mahinder Singh, H.C., 3333, P.A.P., Jullundur	
	(25) Shri Gurdial Singh, 2593, District Sangrur	
	(26) Shri Shambhu Parshad, 1849, P.A.P., Jullundur	
	(27) Shri Gurmal Singh, 4798, P.A.P., Jullundur	

Case, F.I.R. No. and date	Police Officers	Publicmen
	(28) Shri Tirlok Singh, 1344, District Ambala	
	(29) Shri Tirath Singh, 1373, District Ambala	
	(30) Shri Harnam Dass, 4703, P.A.P., Jullundur	
	(31) Shri Pyara Singh, 1354, District Ambala	
	(32) Shri Gahna Singh, 690, P.A.P., Jullundur	
85, dated 6th August, 1957, under sections 120 B/147/186/149/332/149 I.P.C., P. S. City, Rohtak	(1) Shri Hamir Singh, 3150, District Sangrur	(1) Shri Naurang Khati, son of Shri Ram Khati, of Kath Mandi, Rohtak
	(2) Shri Usaf Khan, 3272, District Sangrur	(2) Shri Jhangi Ram, son of Shri Ram Ditta, of Moh. Salra, Rohtak (Shopkeeper, New Sabzi Mandi, Rohtak)
	(3) Shri Piare Lal, 588, District Rohtak	
	(4) Shri Hukam Chand, 3139, P.A.P., Jullundur	
	(5) Shri Sardara Singh, 507, District Jullundur	
	(6) Shri Harbhajan Dev, 216, District Simla	
	(7) Shri Chanan Singh, 1643, P.A.P., Jullundur	
	(8) Shri Atwari Lal, 231, District Simla	
	(9) Shri Shiv Nath, 145, District Ludhiana	
	(10) Shri Saroop Singh, 3366, District Sangrur	
	(11) Shri Saroop Chand, 2770, District Sangrur	
	(12) Shri Ram Chand, 226, District Rohtak	
	(13) Shri Palu Ram, 3045, District Sangrur	
87, dated 13th August, 1957, under sections 332, 147/149, I.P.C., P. S. City, Rohtak	(1) Shri Kirpal Singh, A.S-I., Rohtak	(1) Shri Khushi Ram, son of Abhe Ram, Jat of Asodha, P. S. B. Garh, District Rohtak
	(2) Shri Jarnal Singh, 177, District Ludhiana	(2) Shri Bharat Singh, son of Sheo Nath, Jat of Golla, P. S. Bahadurgarh, District Rohtak
	(3) Shri Sardar Ram, 4720, District Mahendragarh	

[Chief Minister]

Case, F.I.R. No. and date	Police Officers	Publicmen
		(3) Shri Inder, son of Amar Singh, Jat of Chhara, P.S. B. Garh, District Rohtak (4) Shri Khem Chand, son of Rirkha Ram, Jat of Mahammudpur,) P. S. Narela (Delhi) (5) Shri Kanwal Singh, son of Kale Ram, Jat of Sultanpur, P. S. Narela (Delhi)
130, dated 27th September, 1957, under sections 332/147/149, I. P. C., P. S. City Rohtak	(1) Shri Jagan Nath, S.-I., Rohtak (2) Shri Jagir Singh, 1604, P.A.P., Jullundur (3) Shri Sardara Singh, 507, P.A.P., Jullundur	..

BLOCK DEVELOPMENT OFFICERS

***1802. Sardar Gurdit Singh** : Will the Minister for Planning and Community Projects be pleased to state—

(a) the number of Block Development Officers serving the State as on 31st January, 1958 ;

(b) the number of Block Development Officers together with their qualifications districtwise recruited through the Punjab Public Service Commission and departmentally, separately, during the period referred to in part (a) above ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (a) 117.

(b) The period for which information is required is not clearly stated. However, no Block Development Officer was recruited on 31st January, 1958.

NATIONAL EXTENSION SERVICE BLOCK, PANIPAT, DISTRICT KARNAL

***1812. Dr. Parma Nand** : Will the Minister for Planning and Community Projects be pleased to state—

(a) the total amount spent on the payment of salaries, Travelling Allowance, Dearness Allowance, etc., to the establishment employed in the National Extension Service Block, Panipat, district Karnal, during the years 1955-56 and 1956-57, respectively;

(b) the total amount sanctioned and expended separately for the development works in the said Block during the period referred to in part (a) above ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (a) Rs. 38,648 and Rs 35,639 were spent during the year 1955-56 and 1956-57 respectively, on the payment of salaries, travelling allowance, dearness allowance, etc., to the establishment employed in the Panipat Block.

(b) The total amounts sanctioned and spent for development works during the years 1955-56 and 1956-57 are detailed below :—

1955-56		Rs
Amount sanctioned	..	89,060
Amount spent	..	88,764
1956-57		Rs
Amount sanctioned	..	63,930
Amount spent	..	60,260

RELEASE OF PRISONERS UNDERGONE LIFE IMPRISONMENT

***1860. Sardar Dhanna Singh Gulshan :** Will the Minister for Planning and Community Projects be pleased to state—

(a) whether there are any prisoners in any jails in the State who have already undergone their full terms of imprisonment but who are unable to give cash securities worth Rs 10,000 each to secure their release ; if so, their number ;

(b) whether any prisoners secured their release after depositing Rs 10,000 as security during the year 1956-57 ; if so, their names ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (a) No, Sir.

(b) One prisoner.—Chuni Ram, son of Jot Ram, resident of Jhajjar, District Rohtak.

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, may I know if there are prisoners who are due to be released, but they cannot secure their release because they have failed to furnish Rs 10,000 as cash securities.

मंत्री : इस में इस वक्त कैश सिक्योरिटी किसी से नहीं मांगी जाती । उन की अपनी अपनी पोज़ीशन के मुताबिक उन से ज़मानत ली जाती है ।

DEVELOPMENT OF INDUSTRIES AT CHANDIGARH

***1758. Sardar Niranjan Singh Talib :** Will the Minister for Finance be pleased to state the steps, if any, taken by Government to promote the development of Industries at Chandigarh

Shri Mohan Lal : Yes. The following steps have been taken :—

(i) An Industrial Area has been set up at Chandigarh wherein 154 plots have been planned. These plots are generally sold by auction, but a small number has been reserved to be sold by negotiations.

(ii) All necessary facilities are given to the purchasers of plots for the supply of construction materials, viz, Iron and Steel, Cement etc.

(iii) The allottees of plots in Industrial Area, Chandigarh, are eligible for being considered for a loan up to Rs 50,000 under the State Aid to Industries Act, as in other Industrial Areas in the Punjab, for construction of factory building and machinery.

(iv) The foundries set up in Chandigarh are given additional quota of pig iron and hard coke for effecting supplies against the orders placed by any Government Department in the State.

(v) Twenty-five per cent additional quota of iron and steel is given to such quota-holders who transfer their factories to Industrial Area, Chandigarh, within 6 months of the purchase of the plot.

(vi) Industrialists of Chandigarh are given a concession whereby they are offered the option to supply half the total required quantity of supplies for which tenders are called by the Stores Purchase Department at the price quoted by the lowest tenderer.

(vii) Under the Industrial Housing Scheme 420 labour quarters are to be constructed for Industrial labour, out of which 300 have already been completed.

ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ : ਏਨੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ industry ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ?

मन्त्री : 110 के करीब प्लाटस् बेच दिए गए हैं लेकिन 9 industrial units establish हुये हैं । सम्भावना है कि और भी set up हो जायेंगे ।

LOANS TAKEN BY STATE GOVERNMENT FROM THE GOVERNMENT OF INDIA

***1859. Sardar Dhanna Singh Gulshan** : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the total amount of loan taken by the State Government from the Government of India from 1950 to 1957 ;

(b) the details of welfare works in the State on which the said loan was spent yearwise ;

(c) the amount out of the said loan which has so far been repaid, together with the amount still outstanding ?

Shri Mohan Lal : (a) The total amount of loan taken by the State Government from the Government of India from the financial year 1950-51 to the end of the year, 1956-57, i.e., upto 31st March, 1957 was about Rs.178 crores.

(b) It is not clear what exactly the Hon'ble Member intends by the term "welfare works" in the State. In a broader sense, all the loans obtained from the Government of India are utilised for undertaking development works for the welfare of the State. The major items of works on which loan money was spent are :—

(1) Bhakra-Nangal Project.

(2) Chandigarh Project.

(3) Harike Project.

(4) Rehabilitation Works.

(5) Low Income Group Housing Scheme.

(6) Grow-More-Food Scheme.

Year-wise figures of amounts spent on these schemes are contained in the statement placed on the Table of the House.

(c) (i) Amount repaid Rs. 3.70 crores.

(ii) Amount outstanding about Rs. 174 crores.

Statement showing expenditure incurred out of loan from the Government of India on important schemes during the years 1950-51 *to end of* 1956-57

(In lakhs)

	1950-51	1951-52	1952-53	1953-54	1954-55	1955-56	1956-57	Total
1. Bhakra-Nangal	13,65	15,12	26,05	27,19	17,16	9,76	8,57	1,17,50
2. Chandigarh	1,00	1,00	1,00	..	..	..	..	3,00
3. Harike ..	1,55	..	1,78	1,11	..	60	..	5,04
4. Rehabilitation	2,10	1,19	55	26	10	32	6	4,58
5. L.I.G.H.	..	..	..	..	20	3,11	95	4,26
6. G.M.F. ..	1,68	24	96	1,16	2,04	1,90	2,65	10,63
Total ..	19,98	17,55	30,34	29,72	19,50	15,69	12,23	1,45,01

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ off hand ਨਹੀਂ ਦਸ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ loans ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ।

Mr. Speaker : This is mentioned in the Budget also.

TRANSFER OF RIGHTS UNDER THE PUNJAB OCCUPANCY TENANTS (VESTING OF PROPRIETARY RIGHTS) ACT, 1952

***1788. Shri Rup Singh Phul** : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the number of the occupancy tenants who have so far been given proprietary rights in land in the Kangra District, tehsil-wise, under the Punjab Occupancy Tenants (Vesting of Proprietary Rights) Act, 1952 ;

(b) the amount of compensation, if any, so far assessed and paid separately for the land referred to in part (a) tehsil-wise ?

ia ni Kartar Singh : (a) 29,449, tehsil-wise figures are as under :

Tehsil		*Number of tenants*
Kangra	..	1,462
Seraj (Sub-Tehsil)	..	3,504
Palampur	..	1,703
Hamirpur	..	7,580
Dehra	..	1,524
Nurpur	..	2,613
Kulu	..	11,063
Total	..	29,449

(b) The amount of compensation so far assessed is as under :—

		Rs.
Kangra	..	1,83,650.45
Seraj (Sub-Tehsil)	..	1,57,369.35
Palampur	..	15,238.09
Hamirpur	..	1,49,504.18
Dehra	..	71,519.97
Nurpur	..	64,564.75
Kulu	..	6,87,598.84
Total	..	13,29,445.63

The figures with regard to the amounts paid are not available.

श्री रूप सिंह फूल : क्या यह बात वज़ीर साहिब के इल्म में है कि तहसील हमीरपुर में किसी landlord को अभी तक compensation नहीं मिला ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ।

श्री रूप सिंह फूल : क्या कोई ऐसी proposal गवर्नमेंट के ज़ेरगौर है कि मालिकान अराज़ी को compensation जल्दी से जल्दी दिलाया जाये ?

ਮੰਤਰੀ : Assess ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ realise ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਰਕਮ usual course ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ । ਆਮ ਕਾਇਦੇ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਛੇਤੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ।

श्री रूप सिंह फूल : यह assessment कब तक मुकम्मल हो जायेगी ।

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ।

श्री रूप सिंह फूल : क्या कोई target date मुकर्रर की गई है कि उस वक्त तक assessment का काम खत्म कर दिया जायेगा ?

ਮੰਤਰੀ : target date ਮੁਕੱਰਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਇਹ proprietary rights ਕਿਸ ਮੰਨ ਵਿਚ vest ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

COMPLAINTS AGAINST EXECUTIVE OFFICER, MUNICIPAL COMMITTEE, SANGRUR

***1473. Sardar Rajinder Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether Government has received any complaints of corruption against the Executive Officer, Municipal Committee, Sangrur ; if so, the action, if any, taken thereon ?

Giani Kartar Singh : *Part* (1).—Yes.

Part (2).—An enquiry into the complaints was held and the enquiry report is under the consideration of Government.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ enquiry report ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਤਕ ਕਰੇਗੀ ?

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਮੁਕੱਰਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ।

MUNICIPAL COMMITTEE, TARN TARAN, DISTRICT AMRITSAR

***1620. Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total strength of the Municipal Committee, Tarn Taran, district Amritsar, together with the number of its members at present ;

[Pandit Ram Kishn Bharolian]

(b) whether it is fact that 6 members of the said Committee have resigned ; if so, for what reasons ?

Giani Kartar Singh : (a) Ten and four respectively.

(b) Only four members resigned.

Shri Ranjit Singh resigned on his selection to the P.C.S. (Judicial Branch) and Shri Manohar Singh resigned as he had taken up a Government job.

Sarvshri Kartar Singh and Sohan Singh had resigned from the membership of the Committee under protest.

ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ protes ਕੀਤੀ ਸੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਗਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ resign ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ elections ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : Bye-elections general Elections ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ।

ARREARS OF AMOUNT OF WATER-CHARGES FROM EX-RULER OF PATIALA

***1668. Comrade Jangir Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether any arrears are due from the Ex-Ruler of Patiala on account of water-charges in respect of the Moti Bagh Palace ; if so, the amount thereof ?

Rao Birendar Singh : *First part.*—No, the Ex-Ruler had his own tube-wells and reservoir.

Second part.—Does not arise.

SUPERSESSION OF MUNICIPAL COMMITTEE, DHARAMKOT, DISTRICT FEROZEPUR

***1800. Sardar Gurdit Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether Municipal Committee, Dharamkot, District Ferozepur, has been superseded ; if so, the time by which election to the said Committee is expected to be held ?

Giani Kartar Singh : (i) Yes.

(ii) No decision in regard to the date of elections has been taken.

FERRY CONTRACT OF RIVER JAMUNA

***1814. Dr. Parma Nand** : Will the Minister for Revenue be pleased to state whether it is a fact that the ferry contract of River Jamuna was given by the District Board, Karnal, in 1955-56 and 1956-57 on the condition that the contractors will maintain serviceable boat bridges at different Ghats when the water level falls ; if so, the number of such bridges constructed by the contractors and at what places ?

Giani Kartar Singh : Yes, but no bridge was constructed by the contractors. It is reported by the District Board that the defaulting contractors were prosecuted and fined for this.

RECONDITIONING OF BEIN NADI

***1255. Sardar Atma Singh** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the distance between Kapurthala and Sultanpur by road and by the bank of the Bein Nadi passing through this area separately ;

(b) whether the Government received any proposal for the training and reconditioning of Bein Nadi ; if so, from whom, on what date and the action, if any, taken thereon ;

(c) whether the survey of the said area has been completed ; if so, the time by which the said scheme is expected to be finalized and implemented ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) The distance between Kapurthala and Sultanpur by road is 17 miles and that along the Bein Nadi has not been ascertained by field surveys so far.

(b) A proposal for training and reconditioning the Bein Nadi in the Kapurthala District was made by the Hon'ble Member in his letter, dated 24th March, 1957, to the Chief Engineer, Irrigation Works, Punjab. The Survey of the Bein Nadi is in hand.

(c) The survey work is in hand and is likely to be completed shortly.

Already there is a scheme, under construction, for making a bund along the left bank of River Beas from village Tahli to village Talwandi Chaudhrian. After this is completed it will prevent the water of river Beas from spilling into the Bein Nadi and it is expected that it will considerably ease the flood problem in this area.

SEPARATION OF REVENUE AND ENGINEERING STAFF

***1256. Sardar Atma Singh** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether he received any representation in September, 1957, from the Zilladars in the State to the effect that the Revenue Staff and the Engineering Staff be separated ; if so, the reasons advanced by them in this connection and the action, if any, taken thereon ?

Sardar Gian Singh Rarewala : Yes.

In the representation the reasons advanced are :—

"To relieve Engineers from revenue work, to enable the Zilladars to discharge their duties independent of the Engineers, influence, to end the step-motherly treatment meted out to Revenue establishment at the hands of the Engineers, to create new Class I posts for Revenue establishment affording better prospects."

The representation is under examination.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ Revenue ਅਤੇ engineering ਦੇ Staff ਨੂੰ separate ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ target date ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਕੋਈ target date ਮੁਕੱਰਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

GOVERNMENT GIRLS HIGH SCHOOL, DHURI

***1644. Comrade Jangir Singh** : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) whether Government have received any complaint to the effect that ill-treatment is meted out to girls coming from villages in the Government Girls High School, Dhuri, and that they are made to sit on the ground while the girls coming from urban areas are given benches ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the action proposed to be taken to remove the said discrimination ?

Shri Harbans Lal. : (a) No.

(b) Does not arise.

GOVERNMENT GIRLS SCHOOL, MALLAUD IN DISTRICT LUDHIANA

***1781. Sardar Ramdayal Singh** : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) whether he is aware of the fact that the building of the Government Girls School, Mallaud in district Ludhiana, is in a dilapidated state and that about half of the rooms in it are without roofs ;

(b) whether any representation have been received by Government from the residents of the said illaqa for effecting repairs to the building of the said school, if so, the action, if any, taken or proposed to be taken thereon?

Shri Amar Nath Vidyalankar : Sir, I have applied for extension for this.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੁਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ । ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪੁਛਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀ । ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਕਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ avoid ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਸ ਇਤਲਾਹ ਨੂੰ ਇਕਠਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ । To ask for extension in this case is not justified. (The collection of information to give reply to this question did not require much time. The notice for this question was received one month ago. To ask for extension in this case is not justified.)

GRANT-IN-AID TO PRIVATE COLLEGES IN THE STATE

***1782. Sardar Ramdayal Singh :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state the total amount of grant-in-aid that is being given by Government to the privately-managed colleges in the State ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : A sum of Rs. 4 (four) lakhs is being paid to the Non-Government Affiliated Colleges in the State.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : Deputy Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ privately managed institutions ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ grant ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਆਇਆ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਸਾਰੇ institutions ਵਿਚ equally divide ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

ਉਪ-ਮੰਤਰੀ : ਇਹ grant rules ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਥੇ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ deficit ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਆ privately managed institutions ਦੀਆਂ managements ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ collectively ਕੋਈ approach ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ professors ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ grade ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ grant ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ?

Mr. Speaker : This question does not arise out of the main question.

श्री राम प्यारा : फरमाया गया है कि deficit के मुताबक grant दी जाती है ; क्या मैं पूछ सकता हूँ कितने का deficit है ?

Mr. Speaker : You please give a separate notice. If you want a specifi information, please give a separate notice.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : Grant-in-aid ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ੨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

शिक्षा तथा श्रम मन्त्री : Grant-in-aid देने के लिए rules publish हुए हुए हैं । Member साहिबान उनको देख सकते हैं । सरकारी funds हैं ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਉਸ ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੀਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ grant-in-aid ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ account render ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਜਿਸ purpose ਵਾਸਤੇ ਰੁਪਿਆ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ purpose ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਗੁਰਅਨਾਦ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ ਕਿ ਐਨੀ grant ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

Mr. Speaker : This is not a supplementary question.

श्रीमती स्नेह लता : क्या Minister साहिब बताएंगे कि अलग २ colleges को कितनी २ grant-in-aid दी गई है ?

मंत्री : इसके लिए notice देंगे तो आपको उसकी list दे दी जाएगी ।

राओ अभय सिंह : यह private institutions जो इस वक्त हैं उनको कैसे grant-in-aid दी जाती है ?

मंत्री : Grant-in-aid के जो rules हैं, जब उनको पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा ।

COMPLAINTS AGAINST LABOUR OFFICER, TEXTILE MILLS, HISSAR

***1619. Pandit Ram Kishan Bharolian** : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state whether Government has recently received any complaints from the labourers against the Labour Officer of the Textile Mills Hissar ; if so, the major complaints and the action, if any, taken thereon ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : *1st Part.*—No.

2nd Part.— } Does not arise.
3rd Part.— }

STRAY CATTLE IN DISTRICT HOSHIARPUR

***1530. Dr. Bhag Singh** : Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state whether any complaints about stray cows and other cattle in the district of Hoshiarpur have recently been received by Government ; if so, the steps, if any, taken to check this menace ?

Sardar Gurbanta Singh : Yes.

Gosadans have been opened at various places in the State, where stray cattle are kept on natural grazing till they die their natural death.

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਿਲਾਕਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੀਨੇਸ ਵਾਈਡ ਸਪਰੇਡ (menace wide spread) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸਿਰਫ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ । ਜਿਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਟਲ ਹੋਣ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਗਊ ਸਦਨ ਵਿਚ ਛੱਡ ਆਉਣ ।

ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ : ਅਜਿਹੇ ਗਊ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਤਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਲ੍ਹ ਚੁਕੇ ਨੇ । ਦੋ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ : ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਊ ਸਦਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੇ ਮਵੇਸ਼ੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੈਪੇਸਿਟੀ (capacity) ਹੈ ?

(ਮੰਤ੍ਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ।)

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਅਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ । ਚੰਗਾ ਦੇ ਦਿਉ ਜਵਾਬ ਇਸ ਦਾ । (This question does not arise. Anyhow, let the hon. Minister reply.)

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਕ ਕੈਟਲ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ : ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਗਊ ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਦੋ ਇਸ ਸਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕੈਪੇਸਿਟੀ (total capacity) ਕਿਤਨੀ ਹੈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿਉ ਜੀ ।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗਊ ਸਦਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ੨ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ ?

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਜਾਣ ਦਿਉ । ਉਹ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਹਨ । (The hon. Member may please leave it. The Minister has replied to it.)

ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਕਿਤਨੇ ਸਟਰੇ ਕੈਟਲ (Stray Cattle) ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨੇ ਗਊ ਸਦਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿਉ, ਜੀ।

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਜੋ ਕੋਈ ਗਊਸਦਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਥੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ? ਜੇ ਅਜੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਥੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਅਜੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ।

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕੈਟਲ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਆਦਮੀ ਪਿਛੇ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ?

Mr. Speaker : This question does not arise.

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਗੰਗਰੇਟੇ ਦਾ ਮੇਲਾ ਉਇਲ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਡੰਗਰ ਹਨ। ਕੀ ਉਥੇ ਕੋਈ ਗਊ ਸਦਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ?

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੋ ਗਊਸਦਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ (relevant) ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਬੈਠੇ। (This is not relevant ; the hon. Minister has said so off hand.)

श्री रूप सिंह फूल : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि ज़िला कांगड़ा में जो stray cattle की बड़ी दिक्कत होती है उसके लिए क्या कार्रवाई की जा रही है ?

मुख्य मन्त्री : उसी तरह जिस तरह हमीरपुर में होती है ।

ख़ान अब्दुल गफ़ार ख़ां : वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि फी डंगर 2 एकड़ ज़मीन मुहैया की जाएगी । तो क्या यह मेहरबानी करके फरमाएंगे कि क्या landless आदमियों को डंगरों में शामिल करेंगे ? (हंसी)

Mr. Speaker : This is not a supplementary question. It is a suggestion.

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ private ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਗਊਸਦਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਹਾਂ, ਜੀ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : The question does not arise. ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ. ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ । (The question does not arise. The hon. Minister is answering without caring whether it is a supplementary or not.)

ਸ੍ਰੀ ਕਰਮ ਚੰਦ ਸਿੱਧੂ : ਕਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 120 ਬੈਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗਊ ਸਦਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ?

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਬਿੱਲੂਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ।

Sardar Bhag Singh : Sir, it has been asked in the main question, the steps, if any, taken to check this menace. There are three Gosadans at present and two are proposed to be opened this year. Does the hon. Minister for Agriculture and Forests hope that this menace can be checked by so little a number of Gosadans ?

Mr. Speaker : This is a question of opinion and it does not arise.

DISTRICT SPORTS OFFICER, SANGRUR

***1475. Sardar Rajinder Singh** : Will the Minister for Public Works be pleased to state whether he is aware of the fact that the District Sports Officer at Sangrur was without any office for more than six months in the year 1957 ; f so, the detail of work done by him during this period ?

Rao Birendar Singh : The District Sports Officer, Sangrur, is not working under the control of the State Sports Department but is an employee of the Punjab Olympic Association which is one of the aided institutions of the State Government. An enquiry made from the Punjab Olympic Association has, however, revealed that this officer though has not yet been allotted any office accommodation yet he has been given some office facilities by the Deputy Commissioner, Sangrur, in his own office to enable him to carry out his activities. The programmes of this Officer are reported to have not suffered in any way for want of a regular office accommodation. The important sports programmes undertaken by the District Sports Officer, Sangrur, during the period in question are holding of a Sports Mela on the occasion of Cattle Fair at Dhanaula, Organisation of Children Sports Mela at Mahelkalan, holding of sports tournament at Barnala and staging of an open Hot Weather Football/Basketball Tournament at Sangrur and other Sports Tournaments in all the five tehsils of this district.

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਆਇਆ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਥਲੇ ਕੋਈ Sports Officers ਰਖਣ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖਦੀ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੀ ਹਾਂ, proposal ਹੈ ।

Sardar Bhupinder Singh Mann : May I know, Sir, that apart from holding the tournaments, the District Sports Officer is assigned other duties ?

मंत्री : मैंने पहले ही अर्ज किया है कि वह directly Government के under काम नहीं करते । Olympic Association से आप पूछ लें । हां, अगर आप ने इसके लिए notice दिया होता तो हम उन से पता करके आपको बता सकते थे ।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਜਿਹੜੇ Sports Officers Punjab Olympic Association ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਖ ਲਵੇਗੀ ?

मंत्री : जिस वक्त गवर्नमेण्ट Sports Officers appoint करेगी तो उन की दरखास्तों पर विचार किया जाएगा ।

CONSTRUCTION OF A REST HOUSE IN BET AREA OF TEHSIL GARHSHANKAR, DISTRICT HOSHIARPUR

***1532. Dr. Bhag Singh** : Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Government has decided to construct a Rest-house in village Garhi Mansowal in the Bet area of Tehsil Garhshankar, district Hoshiarpur ;

(b) whether the village referred to in part (a) above is situated on any road or not ;

(c) whether any representation from the local public has been received by Government that the rest-house referred to above be built in some centrally located place in the illaqa ; if so, the action, if any, taken thereon ?

Rao Birendra Singh : (a) No.

(b) The village is not situated on any metalled road.

(c) In view of reply to (a) and (b) above question does not arise.

ROAD BETWEEN SAPROON AND GOURAH (SIMLA HILLS)

***1757. Sardar Niranjan Singh Talib** : Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether any road between Saproon and Gourah (Simla Hills) has been constructed by Government ; if so, at what cost ;

(b) whether the above road is in use ; if not, the reasons therefor ?

Rao Birendar Singh : (a) Yes, at Rs. 3,82,315.

(b) Yes.

ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਬ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ distance ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ parallel ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਲਗ ਨੋਟਿਸ ਦਿਉ ।

ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ : ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ distance ਤੇ ਇਕ parallel ਸੜਕ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸੀ ?

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਦਸ ਲੈਣਾ । (He may talk to him over this matter in his office.)

BUS ROUTES IN KANGRA DISTRICT

***1786. Shri Rup Singh 'Phul'** : Will the Minister for Public Works be pleased to state the names of the roads together with their length in each case in Kangra District on which bus services are operating ?

Rao Birendar Singh : A statement is laid on the Table of the House.

	Name of the route	Length
		Miles
1.	Hoshiarpur-Pragpur ..	40
2.	Dharamsala-Nadaun-Hamirpur ..	58
3.	Kangra-Jawalamukhi-Chamba ..	30
4.	Jawalamukhi Road-Nadaun ..	20
5.	Kangra Railway Station-Dharamsala ..	20
6.	Kangra City-Dharamsala ..	12
7.	Nadaun-Hamirpur ..	16
8.	Hoshiarpur-Dharamsala ..	76
9.	Hoshiarpur-Hamirpur ..	59
10.	Hoshiarpur-Garli ..	36
11.	Hoshiarpur-Nadaun-Kangoo-Galoor ..	56
12.	Jawalamukhi-Nadaun-Dhaneta ..	30
13.	Hoshiarpur-Una-Pringha-Bhota-Jahu ..	68
14.	Hoshiarpur-Una-Hamirpur-Sujanpur ..	77
15.	Hoshiarpur-Bharori ..	73
16	Hoshiarpur-Basdera ..	29
17	Dharamsala-Alampur via Kangra-Palampur ..	63
18.	Dharamsala-Alampura-Lamba Gaon via Kangra and Palampur-Jaisinghpura ..	69
19.	Dharamsala-Baijnath via Kangra ..	54

[Minister for Public Works]

No permit was issued to any Harijan.

(b) and (c) Question does not arise.

श्री रूप सिंह फूल : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि क्या वजह है कि ज़िला कांगड़ा वालों को एक भी परमिट नहीं मिला ?

मंत्री : जितने routes खाली होते हैं उन्हीं के मुताबिक permits दिए जाते हैं। यहां पर किसी ज़िले को कम या ज़्यादा देने का सवाल नहीं।

श्री रूप सिंह फूल : क्या कारण है कि वहां पर किसी भी हरिजन को permit नहीं दिया गया ?

Sardar Bhupinder Singh Mann : Is any reservation made for the Harijans under the Motor Vehicles Act ?

Minister : No.

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹਰੀਜਨ ਨੇ permit ਲਈ apply ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ?

अध्यक्ष महोदय : इस से यह कैसे निकल आया ? (हंसी) (How does it arise out of this ?) (*Laughter*)

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਰੀਜਨ ਨੂੰ route permit ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ apply ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

मंत्री : कुल permits की तादाद 318 बताई है। इन में 286 permits तो State Transport Service को issued हैं। और बाकी के ऐसी दूसरी कम्पनियों को मिले हुए हैं जो displaced हो गईं State Transport Service के आने की वजह से। उन को compensate किया गया। जहां तक मेरा ख्याल है किसी नए आदमी को कोई permit नहीं मिला। इसलिए हरिजनों को permit देने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸੌ ਤੋਂ ਉਪਰ route permits ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲੇਵਾਰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਥੇ ਸੌ ਤੋਂ ਉਪਰ route permits ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ?

मंत्री : अमृतसर के जिले में सड़कों के ऊपर ज़्यादा State Transport Services run की गई हु इस लिये ज़्यादा permit दिये गए।

SPEED OF GOVERNMENT BUSES AND PREPARATION OF TIME TABLES

*1831. **Sardar Jasdev Singh Sandhu** : Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether the drivers of the Punjab Roadways are allowed to drive their vehicles at a speed of more than 30 miles per hour ;

(b) if the reply to the part (a) above be in the negative whether the time-tables on the different routes have been prepared after surveying all the routes according to the aforesaid speed ?

Rao Birendar Singh : (a) No.

(b) Yes.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 30 ਮੀਲ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

मंत्री : 30 मील की रफतार Motor Vehicles Act के मुताबिक है जो एक Central Act है।

श्रीमती सरला देवी शर्मा : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि यह जो पंजाब गवर्नमेंट की बसें चलती हैं इन पर भी यह नियम लागू होता है ?

मंत्री : यह सब के लिए है।

श्रीमती सरला देवी शर्मा : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि उन के नोटिस में कोई ऐसी बात आई हो कि private बसों के पुलिस ने ज्यादा स्पीड पर चलाने के लिए चालान किए हों . . . . . .

मंत्री : नोटिस दें तो बता सकता हूँ।

श्री इन्दर सिंह : क्या वज़ीर साहिब फरमाएंगे कि यह speed-limit fix करने के बाद अगर वह अपने scheduled time table के मुताबिक अपने मुकामात पर न पहुँचे तो क्या कोई action लिया जाता है ?

मंत्री : ठीक वक्त पर पहुंचने की कोशिश की जाती है।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਕੀ private bus companies ਨੇ ਇਸ spead ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ representation ਕੀਤੀ ਹੈ ?

Mr. Speaker : It does not arise out of this question.

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ, ਇਸ 30 ਮੀਲ ਦੀ spead ਬਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ relevant ਹੈ?(But how is it relevant to this question here ?)

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ 30 ਮੀਲ ਦੀ speed ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ time table ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਇਸੇ speed limit ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ?

मंत्री : यह 30 मील की speed अब मुकर्रर नहीं हुई बहुत देर पहले की है ।

INCOME FROM GOVERNMENT TRANSPORT SERVICE

***1832. Sardar Jasdev Singh Sandhu** : Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the total profit that accrued to Government from its Transport Services during each of the years 1950 to 1957 ;

(b) whether Government have made any changes in the service conditions of transport labourers; if so, what ?

Rao Birendar Singh : (a) Profits earned by the three Government Transport Services :—

		Rs.
1950-51	..	5,72,036
1951-52	..	8,10,008
1952-53	..	2,82,938
1953-54	..	9,95,170
1954-55	..	19,45,064
1955-56	..	29,46,620
1956-57	..	38,46,114
Total	..	1,13,97,950

(b) Yes, they have been admitted to the Contributory Provident Fund with effect from 1st November, 1955.

SUSPENSION OF RAM MURTI SHARMA, CLERK, CIVIL SURGEON'S OFFICE, SANGRUR

***1474. Sardar Rajinder Singh** : Will the Minister for Consolidation and Health be pleased to state—

(a) whether he is aware of the fact that Shri Ram Murti Sharma, Clerk, Civil Surgeon's Office, Sangrur, has been under suspension for the last five years and ten months ;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, the time by which the case of the said Shri Ram Murti Sharma is expected to be finalized ?

Chaudhri Suraj Mal : (a) Yes. Shri Ram Murti, Clerk, Civil Surgeon's Office, Kapurthala, and not Sangrur, is under suspension for the last 5 years and 10 months.

(b) Shortly.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਢੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ suspend ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੀ limit ਕੀ ਹੈ ?

Minister for Health : Orders have since been issued on 20th February, 1958 to the Director of Health Services that Government have no objection to reinstating of Shri Sharma and to the holding of a departmental enquiry against him.

SUPPLY OF POTABLE WATER IN SAPROON VALLEY (SIMLA HILLS)

***1756. Sardar Niranjan Singh Talib** : Will the Minister for Consolidation and Health be pleased to state—

(a) whether any arrangement for the supply of potable water has been made in Saproon Valley (Simla Hills) ; if so, whether water supplied is filtered ;

(b) the rates being charged for the water mentioned in part (a) above ?

Chaudhri Suraj Mal : (a) Yes. The supply is from a protected spring and hence the water supplied is not filtered.

(b) Rupee one and annas eight per thousand gallons.

ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ : ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ filter ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਉਹ filter ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਉਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

मंत्री : वह तो पानी देने के लिये charge किया जाता है ।

ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ : ਕੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਉਥੇ ਕੋਈ reservoir ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ rate charge ਕਰਦੀ ਹੈ ?

मंत्री : जी हां, वहां spring है जिस से पानी दिया जाता है ।

ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ : ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ?

मंत्री : सारी कुदरती चीज़ें होती हैं जिन के लिये मालिया charge किया जाता है ।

CONSOLIDATION WORK IN VILLAGE BIJALPUR, DISTRICT SANGRUR

***1621. Pandit Ram Kishan Bharolian** : Will the Minister for Consolidation and Health be pleased to state—

(a) the date when consolidation operations in village Bijalpur, district Sangrur, were started ;

[Pandit Ram Kishan Bharolian]

(b) whether the said operations have since been completed ; if not the reasons therefor ?

Chaudhri Suraj Mal : (a) 4th January, 1955.

(b) *First part.*—Yes.

Second part.—Does not arise.

EXPENDITURE ON BORDER POLICE IN THE STATE

***1542. Dr. Bhag Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the expenditure incurred on the Border Police in the State during each year since 1947-48 ;

(b) whether Government have carried on any correspondence with the Union Government to bear the entire or a part of the financial responsibility for the Border Police in the State ; if so, with what result ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) It is not in the public interest to give this information. If, however, the hon. Member is keen, he may come to me and I will show him the figures regarding expenditure year-wise.

(b) Yes, the State Government did take up the matter with Government of India, who have agreed to give additional aid to this Government, on account of the expense this State has to incur in connection with Border liabilities.

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਬਜਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

REFUND OF PUNITIVE FINES IMPOSED DURING BRITISH REGIME

***1734. Comrade Jangir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether Government have received any applications for the refund of fines from the residents of certain villages in the State where punitive police was posted during the British regime and fines were imposed ; if so; the total number of such villages ;

(b) the number of villages referred to in part (a) above in respect of which orders for the refund of fines have been passed ;

(c) whether villagers are required to fulfil certain conditions for the refund of such fines ; if so, the details thereof ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Yes.

Number of villages—39.

(b) Six.

(c) The conditions required to be fulfilled are that (i) the punitive fines are proved to have been paid. (ii) Refund is allowed to the extent of payment to the Village Panchayats, and not to individuals, for use on objects of common benefit to the village as a whole.

REVERSION OF CONSTABLES AND HEAD CONSTABLES IN PATIALA RANGE

***1856. Sardar Mihan Singh Gill :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any selection grade Constables and Head Constables of the Patiala Range were reverted during the period from 6th June, 1957 to 30th July, 1957; if so, the details thereof district-wise in the said range ;

(b) whether any of the reverted employees referred to in part (a) above were repromoted during the period referred to above; if so, their district-wise number together with the time within which they were so promoted after their reversion. ?

Sardar Partap Singh Kairon : A statement is placed on the Table.

STATEMENT

(a) Yes. Eight selection grade Constables and 18 Head Constables of the Patiala Range were reverted during the period from 6th June, 1957 to 30th July, 1957. Their particulars, district-wise, are given below :—

Kapurthala District	..	Constable Mast Ram, No. 5477.
Sangrur District	..	(1) H. C. Inderjit Singh, No. 2658.
		(2) H. C. Uttam Singh, No. 3339.
		(3) H. C. Jai Raghu Nandan, No. 2923.
		(4) H. C. Pritam Singh, No. 2679.
Mohindergarh District	..	(1) Constable Jagmal Singh, No. 5005.
		(2) Constable Kundan Lal, No. 4853.
Patiala District	..	(1) H. C. Basta Singh, No. 147.
		(2) H. C. Gurnam Singh, No. 1452.
		(3) Constable Kashmira Singh, No. 343.
		(4) Constable Inder Singh, No. 133.
		(5) Constable Harnath Singh, No. 604.
		(6) Constable Puran Chand, No. 1029.
		(7) Constable Ajit Singh, No. 561.

[Chief Minister]

Bhatinda District	.. (1) H. C. Mastan Singh, No. 3840.
	(2) H. C. Kartar Singh, No. 3798.
	(3) H. C. Birkishan Singh, No. 4105.
	(4) H. C. Ajit Singh, No. 4236.
	(5) H. C. Gurbachan Singh, No. 4147.
	(6) H. C. Dalbir Singh, No. 4084.
	(7) H. C. Gumdoor Singh, No. 3909.
	(8) H. C. Gurdial Singh, No. 3868.
	(9) H. C. Gurdev Singh, No. 3795.
	(10) H. C. Satwant Singh, No. 3795.
	(11) H. C. Hardev Singh, No. 3930.
	(12) H. C. Harsajjan Singh. No. 3895.

(b) Yes. The following reverted employees were repromoted within the period shown against their names :—

Mahindergarh district

1. S. G. Constable Jagmal Singh, No. 5005	.. One day after his reversion
2. S. G. Constable Kundan Lal, No. 4862	.. Ditto

Patiala District

1. H. C. Basta Singh, No. 147	.. One day after his reversion
2. H. C. Gurnam Singh, No. 1452	.. Ditto

Bhatinda District

1. H. C. Hardev Singh, No. 3930	.. One day after his reversion
2. H. C. Harsajjan Singh. No. 3895	.. Ditto

ACTION AGAINST OFFICERS CONNECTED WITH SAVE HINDI AGITATION

***1878. Shri Rala Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any action was taken by Government against any officers in the State on suspicion of his being connected with the 'Save Hindi Agitation' ; if so, whether the same has been revoked ?

Sardar Partap Singh Kairon : No.

DELAY DUE TO OFFICIAL RED-TAPISM

***1880. Shri Rala Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state the steps taken or the machinery set up, if any, to reduce the delays in the disposal of cases in the State ?

Sardar Partap Singh Kairon : The Punjab Government have already set up an Organisation and Methods Committee consisting of all Administrative Secretaries with the Chief Secretary to Government, Punjab, as its Chairman. It is the job of this Committee to consider problems in connection with the maintenance and operation of Government machinery and to devise sound and comprehensive schemes for changes in it, if required, so as to avoid any delay in the disposal of work. The Committee has since made many decisions which have already been implemented.

The Punjab State Government has also since set up three Flying Squads (now known as Assessment Units) with the main object of eliminating delays in Government offices. The institution of these squads has helped Government greatly in checking delays in Government offices throughout the Punjab.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ circular ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ issue ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਜਿਹੜੇ cases ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ pending ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ dead line ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ action ਲੈ ਸਕੀਏ । ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ case ਐਸਾ pending ਨਾ ਰਹੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ High Court ਵਿਚ ਕਈ cases ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ pending ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਛੇਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ steps Punjab Government ਨੇ ਉਠਾਏ ਹਨ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੀ ਹਾਂ, ਚਾਰ ਹੋਰ ਜੱਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ ।

श्री राम प्यारा : क्या मुख्य मन्त्री साहिब बताएंगे कि क्या गवर्नमैंट ने इस machinery के set-up करने के बाद यह महसूस किया है कि सरकारी दफ़तर में cases में delays कम होनी शुरू हो गई हैं ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਹਾਂ, delays ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ।

RESUMPTION OF DISCUSSION ON DEMANDS FOR GRANTS RE. POLICE AND GENERAL ADMINISTRATION

Mr. Speaker : When the House adjourned yesterday, the hon. Minister for Public Works was still on his legs. He may resume his speech.

लोक कार्य मंत्री : (राग्रो बीरेन्द्र सिंह) : स्पीकर साहिब, कल इस हाऊस में जब पुलिस डिमांड पर और जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड पर बहस शुरू हुई तो मेरे चन्द मेहरबान साथियों ने किसी न किसी बहाने से उस के बीच में फिर से ट्रांस्पोर्ट को फंसा दिया और जब गवर्नमेंट की तरफ़ से जवाब दिया जाने लगा तो उन्होंने पसन्द न किया और इंट्रप्शंज़ शुरू कर दीं। आज बहुत कनवीनिएन्टली मेरे वह दोस्त इस हाऊस से गैरहाज़िर हैं। स्पीकर साहिब, मैं यह इस लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप को पूरे तौर पर इल्म हो जाए कि जो इल्ज़ामात रिपीटिडली इस हाऊस में तराशे गए वह गलत और बेबुनियाद हैं। जब वह मांग करते हैं डिस्कशन की और जवाबों की तो आज सुनने के लिए यहां मौजूद क्यों न हो सके ? (विघ्न) स्पीकर साहिब, इस बहस के दौरान . . . . .

3 p. m.

चौधरी लहरी सिंह : ग्रान ए प्वाइंट ग्राफ ग्रार्डर, सर। सुनने वाले तो बहुत हैं यहां पर।

लोक कार्य मंत्री : तो आप सुन लीजिए उन की तरफ से, तसल्ली से तो बैठिए।

चौधरी लहरी सिंह : मेरा प्वाइंट ग्राफ ग्रार्डर यह है . . . .

अध्यक्ष महोदय : और मेरा प्वायंट ग्राफ़ ग्रार्डर यह है कि सुनने वाले को शांति से सुनना चाहिए। आप गर्मी में आ जाते हैं बैठे २। (And my point of order is that the hon. Members should listen calmly. The hon. Member gets excited while sitting.)

लोक कार्य मंत्री : बड़े तैश में आ गए। मुझे इल्म नहीं था कि चौधरी साहिब उन की नुमाइंदगी कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप देखें वह भी सुन रहे हैं। (Please see, others are also listening.)

लोक कार्य मंत्री : एंटी कुरप्शन के महकमे, पुलिस और जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन को बीच में लेकर जिस तरीके से मेरे इन मुअज़िज़ दोस्तों ने गवर्नमेंट पर कुरप्शन और खेशपरवरी के इल्ज़ाम लगाए मैं उन में तफ़सील से तो जाना नहीं चाहता मगर मैं यह अपना फर्ज़ समझता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ़ से इस सिलसिले में कुछ न कुछ कहा जाए। यह बात तो मुनासिब मालूम नहीं होती कि किसी का नाम लेकर यह इशारा कर कर के कहने लगूं मगर जब कोई प्रोपराइटी की हद से गुज़र जाता है तो ऐसी बातें बाज़औकात मुंह से निकल जाती हैं जिनको कि आदमी खुद मुनासब नहीं समझता। इस लिए मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं वह सब बातें न कहूं जो मैं कल कहना चाहता था क्योंकि मुझे अपनी स्पीच के वकफ़े में रात को पूरे पूरे तौर पर सोचने का मौका मिल गया है। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय : अगर और वकफ़ा लेना चाहें तो और ले लें। (हंसी) (If he wants to have more time, he can have that.) (laughter)

लोक कार्य मंत्री : नहीं जनाब आज का ही मौका काफी है । (विघ्न) इस मौके के बाद आप को तकलीफ नहीं होगी ।

कल मेरे एक दोस्त ने इब्तदा ही इस हाऊस में एक कहानी से की । उन्होंने कहा कि पहले बच्चे एम से महात्मा बनाया करते थे और अब एम से मुंधरा बनाते हैं । स्पीकर साहिब, मेरे दोस्त ने जो कहानी सुनाई वह ऐसी थी कि जिस पर किसी को यकीन न आए । ऐसी बातों के लिए कहानी इस्तेमाल की जाया करती है लेकिन हमें यह ख्याल भी रखना चाहिए कि उस का पब्लिक को यकीन भी आए, हाऊस के मैम्बरान को यकीन भी आए । स्पीकर साहिब, यह तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा सयाना होनहार और सयासी बेदारी वाला बच्चा किस शख्स का हो सकता है । वह इन का अपना ही बच्चा होगा और इन्होंने उस की बात भी सुनी होगी । मगर यह बात समझ में नहीं आई कि इन का मकसद उस कहानी से कैसे निकला कि पंजाब में खेशपरवरी और कुरप्शन है यह इन्होंने इस कहानी से कैसे साबित किया मैं समझता हूं कि वह कहानी के जोश में यह भूल गए कि वह खाली पंजाब की बात कर रहे हैं बल्कि उन्होंने गवर्नमेंट आफ इंडिया, कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी के ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाए । खैर, मैं इस चीज़ की बहस में नहीं पड़ना चाहता । हो सकता है कि अगर जोश में इन्होंने इस किस्म की बातें कीं तो शायद इधर से नाउम्मीद हो कर यह समझा हो कि यहां अब कोई सहारा नहीं तो शायद जो दूसरी तरफ शैडो कैबिनट बन रही है उस में किसी न किसी बहाने जा कर शामिल हो जाएं । लेकिन मैं इन से दरख्वासत करूंगा, सलाह दूंगा कि पेशतर इस के कि वह ऐसा इरादा बनाएं और इस चीज़ के लिए बहाने तलाश करें, पहले उन्हें अपने आपोज़ीशन के दोस्तों से यह पूछ लेना चाहिए कि उस कैबिनट में ऐक्स्पैनशन की गुंजायश भी है कि नहीं । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय : राओ साहिब, ऐसी बातें न कहें । (The hon. Minister may please leave such topics.)

लोक कार्य मंत्री : जनाब, मैं जवाब दे रहा हूं । (विघ्न)

Chaudhri Lahri Singh : On a point of order, Sir. Does it behove a Minister to pass such remarks ?

लोक कार्य मंत्री: डैकोरम का मेरे दोस्त चौधरी साहिब को ज़्यादा पता है, मैं इन से सीख लूंगा । जैसा वह मेनटेन करते रहे हैं वह सब को मालूम है ।

स्पीकर साहिब, मैं यह अर्ज़ कर रहा था जब कि कोई मुअज़िज़ साथी इस हाऊस की डिबेट में हिस्सा ले तो सोच लिया करें कि कोई बात कहनी मुनासिब है या नहीं । मगर चौधरी लहरी सिंह इस को भी बुरा मान लेते हैं, (चौधरी लहरी सिंह : मैं तो आप के लिए कह रहा हूं कि एक मिनिस्टर तो शांति वाला होना चाहिए और उसको जवाब सब्र से देना चाहिए) । (विघ्न)

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्ट्री से हट कर उन्हें उतनी ही शांति रखनी चाहिए जितनी कि चौधरी साहिब में है । (They should be as calm as Chaudhri Sahib after quitting the Ministry.)

लोक कार्य मंत्री : स्पीकर साहिब, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक गरीब मिनिस्टर के फरायज़ में यह भी फर्ज़ शामिल है कि वह सब कुछ सुने और ज़बान से कुछ न कहे लेकिन जितना इस असूल पर हमने अमल किया है देखने में यह आया है कि उस का गलत ही असर हुआ है। जो आज डैकोरम कायम रखने की तलकीन करते हैं वह ज़रा अपने दामन में मूंह डाल कर देखें . . . (विघ्न) मेरा इशारा उन दो तीन मैम्बरों की तरफ है जो बोलते हुए कैरों साहिब पर कैरों मिनिस्टरी पर और कांग्रेस गवर्नमेंट पर इल्ज़ामात लगाते हैं और जो आज यह कहते हैं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुकी है और इस में यह कमी है वगैरह २। मगर मैं उन से पूछता हूं कि क्या यह वही कैरों साहिब नहीं जिन के पीछे चंद माह पेशतर यह लोग घूमते फिरते थे और जिस की वज़ारत में शामिल होना यह फख्र समझते थे। उस वक्त तो कभी न कहा कि यह खराब हैं, इन की पुलिस खराब है या ऐडमिनिस्ट्रेशन खराब है। तो अगर आज मैं इन दो तीन साथियों को वैदर कौक कहूं तो क्या गलत होगा। जो जब वज़ारत की कुर्सी पर थे तो इन को दुम सिधी थी और जब इन की उस कुर्सी पर से बाहर निकाल दिया गया तो जिस तरह वैधर कौक तूफान में चक्कर काटने लगता है उसी तरह यह मेरे दोस्त भी चक्कर में पड़े हुए हैं। जिस तरह वैदर कौक चक्कर में पड़ कर बेकार हो जाता है उसी तरह यह मेरे दोस्त भी उसी हालत में हैं। हाऊस ने इन के रवैये से देखा होगा कि........ (विघ्न)

अध्यक्ष महोदय : राओ साहबि अब आपने काफी कुछ कह लिया है अब इस सिलसिले में कोई बात भी बताएं। (The hon. Minister has said enough in this behalf ; now he should say something on the matter under consideration.)

लोक कार्य मंत्री : अब मैं उन बातों की तरफ भी आने लगा हूं और अगर आप मुनासिब ख्याल करेंगे तो बहुत कुछ बता दूंगा। स्पीकर साहिब, कल यहां पर गवर्नमट के खिलाफ खेश परवरी और corruption का ज़िक्र किया गया। बार बार गवर्नमेंट को challenge फैंका गया कि permits के बारे में इस तरह की बातें यहां पर हुई हैं। मैं अब आपकी इजाज़त से इसके बारे में कुछ facts हाऊस के सामने रखना चाहता हूं। आज पंजाब के एक leading अखबार में और leading article में भी इन्हीं permits के बारे में ज़िक्र करते हुए कहा गया है कि सरकार की तरफ से कोई यकीन नहीं दिलाया गया और जो motives impute किए गए हैं उन्हें allay नहीं किया गया। तो मैं इस लिए उन दो-तीन मेम्बर साहिबान को जिन्होंने नुकताचीनी की है खास तौर पर और हाऊस को आम तौर पर बताना चाहता हूं............. (*Interruptions*)

Mr. Speaker : No interruptions please.

लोक कार्य मंत्री : मेरे जिन दोस्तों ने challenge फैंके थे उन्हीं के हाथ की लिखी हुई दरखास्तें यह देखिए मेरे पास मौजूद हैं। यही मेम्बर साहिबान कल हाऊस में कहते थे कि हमने कहां permits के लिए apply किया है

या permits मांगे हैं और फिर यहीं तक नहीं दूसरों की तरफ से फर्ज़ी दस्तख्त भी किए गए हैं। यह सब record पर मौजूद हैं। (*Interruptions*)

चौधरी धर्म सिंह राठी : यह ऐसा दिखाई देता है कि मिनिस्टर साहिब खुद ऐसी चीज़ें बना कर लाए हैं।

Mr. Speaker : Order please. आप राओ साहिब श्री धर्म सिंह से दस्तख्त attest करवा लिया करें। श्री धर्म सिंह अब hand expert भी हो गए हैं। (Order please. I would ask the hon. Minister to get such applications attested from Chaudhri Dharam Singh Rathi. Chaudhri Dharam Singh has become hand writing expert now as well.) (*Interruptions*) Order please.

लोक कार्य मंत्री : स्पीकर साहिब, आपके कहने के मुताबिक मैं फिर शुरू कर दूं इन दोस्तों की बातें जिन्होंने कल सरकार पर इलज़ामात लगाए और बार बार कहूं कुछ अच्छा नहीं लगता लेकिन जो कुछ इन्होंने कहा उसका मुनासिब जवाब देना ज़रूरी मालूम होता है। Permits के लिए खुद दरखास्तें देते हैं और ऊपर से गवर्नमेंट को बदनाम करते हैं इस लिए कि वह permit लेने से महरूम रह गए। हमने तो कहा था कि अगर उनको कोई genuine शिकायात हैं तो वह हमें बताएं हम उसकी पड़ताल करें और मुनासिब action लें लेकिन इस ईवान में सरकार पर challenge पर challenge फेंका जाता है।

फिर एक और साथी देखिए, स्पीकर साहिब, जो उंगली उठा कर कहते थे कि किस तरह permits देने में सरकार की ओर से खेश-परवरी की गई। मेरे लिए उनका नाम लेना कोई मुनासिब मालूम नहीं देता। लेकिन मैं आपकी इजाज़त से यह बताना चाहता हूं कि जब वह खुद Regional Transport Authority के Chairman थे तो किस तरीके से उन्होंने अपने सालों को route permits दिए। पठानकोट कांगड़ा transport company बनाई गई जिस में उनके सालों का हिस्सा है और इस company को hill route दिया गया। यहां पर ही बस नहीं।

चौधरी धर्म सिंह राठी : इस हमाम में सारे नंगे दिखाई देते हैं।

Mr. Speaker : Order please.

लोक कार्य मंत्री : तो, स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि यह वही कुल्लू मनाली का route है जिस पर कहा गया और बार बार कहा गया कि 70 हज़ार रुपया कमाया गया है। यह वही permit route है और यह उस वक्त issue किया गया जब माननीय मेम्बर खुद R.T.O. के चेयरमैन थे। यहां पर ही बस नहीं। एक दूसरा permit भी उसी कम्पनी को दिया गया

[लोक कार्य मंत्री]

फिर एक central permit के लिए सिफारिश भी की गई । यह तो हैं इन की बातें जो हाथ उठा २ कर इस जगह सरकार पर खेशपरवरी के इलज़ाम लगाते थे ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : On a point of order, Sir. ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ transport ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ General Administration ਦੀ Demand ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

अध्यक्ष महोदय : कल बात यह हुई कि कुछ मेम्बर साहिबान ने transport के महकमा को Anti-corruption के साथ जोड़ दिया और कहा कि यह नहीं किया गया और वह नहीं किया गया । फिर transport permits के बारे में definite allegations लगाए तो मैं ने इस लिए मुताल्लिका मिनिस्टर को इजाज़त दी है कि वह अपनी position clear कर दें । (It so happened yesterday that some of the hon. Members tagged the Transport Department with the Anti-Corruption Department and alleged that this or that had not been done. Then some definite allegations were made in connection with the issue of transport permits. I have, therefore, allowed the hon. Minister for transport to clarify his position.)

लोक कार्य मंत्री : इसी तरह एक और मेम्बर कल चराग़ पा थे । कहने को जी तो नहीं चाहता लेकिन मजबूर होकर कहना पड़ता है । फिर कहूं भी क्या । यही कि उन्होंने बटाला में एक evacuee foundry अपने नाम से allot करवा रखी है । वह 1948 से उनकी बीवी के नाम से चलती आ रही है । और आज इस ख्याल से कि कहीं गवर्नमेंट enquiry न करवा ले वह मेम्बर सरकार को गालियां देनी शुरू कर दें ! यह है वह मेम्बर जो कल सरकार को बदनाम कर रहे थे । (**ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ** : enquiry ਕਰਾਓ) फिर, स्पीकर साहिब, यह माननीय मेम्बर एतराज़ करते हैं इस सरकार पर क्या इस लिए कि उन्होंने अपने किसी आदमी के लिए किताबों की agency अलाट करवा ली ?

अध्यक्ष महोदय : जो बातें आपके मुताल्लिक हैं वह कर लीजिए; बाकी रहने दें । (The hon. Minister should touch only those points which relate to his department and leave the rest.)

लोक कार्य मंत्री : जनाब स्पीकर साहिब, इन्होंने गवर्नमेंट पर इलज़ामात लगाए हैं कि सरकार ने इस तरह किया है और मैं तो जवाब दे रहा हूं । आप चीफ मिनिस्टर साहिब के टाईम से काट कर मुझे कुछ वक्त और दे दीजिए ।

मैं तो यह बातें आपकी इत्तलाह के लिए अर्ज़ करना चाहता हूं । कल यहां एक माननीय मेम्बर ऊपर नीचे होते रहे और उठ बैठ करते रहे । मैं उनके

बारे में बताना चाहता हूं कि उन्होंने पंचशील co-operative society बना रखी है। पंच शील का लफज जरूर लगा दिया है इस के साथ। यह बड़े मोमन हैं और मेरे मोहतरिम बुजुर्ग हैं और ज्यादा न कहता हुआ इतना ही कह देना काफी होगा कि उस co-operative society में जो इन्होंने बना रखी है केवल दो ही मेम्बर हैं एक आप खुद और एक इनके दोस्त।

अध्यक्ष महोदय : जाने दीजिए। (Please leave it.)

लोक कार्य मंत्री : स्पीकर साहिब, मैं तो केवल जवाब दे रहा हूं उन motives का जो सरकार को attribute किए गए कि सरकार ने इस तरह की कार्रवाइयां कीं और आप इजाजत नहीं देते। जनाब, यह तो relevant है।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक Transport के महकमे का सवाल था मैं ने इजाजत दे दी। अब vengeance का सवाल आ गया है इस लिए आप छोड़िए इस बात को। (I allowed the hon. Minister to clear the position so far as the question of Transport Department was concerned, but now that the question of vengeance has crept in, I would request him to leave this matter.)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਜਾਣ ਦਿਉ ਹੁਣ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ : ਅਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦਿਓ।

लोक कार्य मंत्री : वह साहिब अगर मुझे पूछते कि उनका motive क्या था तो मैं उन्हें बता देता कि उनका कौनसा motive है। उनका motive पंच-शील co-operative society बनाने का यह था कि एक co-operative society बना कर एक Engineering Works Centre अलाट करवा लिया जाए जोकि पानीपत में अलाट करवा लिया गया और कई लाख का फायदा उठाया गया। फिर उन्होंने आकर कहा कि जो rates उस Centre के goods के मुकर्रर होने थे उनके rates में इजाफा कर दिया जाए। अगर सरकार rates में इजाफा कर दे तो सरकार अच्छी है और अगर सरकार उनकी इस मांग को पूरा न कर सके तो सरकार से उनकी दुश्मनी है और सरकार को कोसा जाता है। फिर यहां पर ही बस नहीं। इसी co-operative society ने फरीदाबाद में एक और वर्क्स लगाने की इजाजत ले ली ताकि लाखों रुपया का कर्जा इन्हें दे दिया जाए। अगर उन्हें लाखों रुपया का कर्जा दिया जाए तो सरकार अच्छी और अगर उनके इस motive को गवर्नमेंट पूरा न कर सके और इनको मुंह मांगा कर्जा न दे सके तो गवर्नमेंट बुरी। शायद आप मेरी इन बातों को पसंद न कर रहे हों लेकिन हाऊस को इन साहिबान के बारे में बताना ज़रूरी था जोकि सरकार पर motive attribute करते रहे।

[लोक कार्य मंत्री]

अब, स्पीकर साहिब, मैं चंद अलफाज़ पुलिस के बारे में कहना चाहता हूं। पिछले 1½ साल से मुझे पुलिस की working से ज्यादा वाबस्ता होना पड़ा है। (*Interruptions*)

Mr. Speaker : No interruptions please.

लोक कार्य मंत्री : मेरे ज़िम्मे गवर्नमेंण्ट की तरफ़ से यह काम लगाया गया था कि पुलिस के मुताल्लिक जितनी भी शिकायत आती हैं उनमें से कुछ pick out करके उनकी खुफ़िया तौर पर enquiry की जाए और enpuiry मैं बज़ातेखुद करूं। इसके बारे में मैं अर्ज़ करूं कि शुरू शुरू में हमारे पास जितनी भी पुलिस के खिलाफ़ शिकायात आईं हमारे दोस्तों की तरफ़ से, कोई किसी के बारे में, किसी पुलिस अफ़सर के बारे में, उनमें से कोई 40-50 प्रतिशत pick-up की गईं। किसी की शिकायत थी कि किसी के वारण्ट गिरफ्तारी थे, वह मफरूर हो गया, किसी का सामान इस लिए नीलाम किया गया कि वह मफ़रूर रहे। फिर यह कि पुलिस की तरफ़ से झूठे मुक़द्दमें बनाए गए और यह कि मुकद्दमें सच्चे दर्ज नहीं किए जाते। गर्ज़ेकि इस क़िसम की कई शिकायात मौसूल हुईं। तो इन में से हमने 40-50 प्रतिशत के क़रीब enquiry के लिए छांट लीं। फिर उनमें से चीफ़ मिनिस्टर साहिब ने 10 प्रतिशत छांट लीं। यह इसलिए भी किया गया कि बाद में ऐसी दरखास्तों की तादाद बहुत बढ़ गई थी। चुनांचि जो दरखास्तें छांटी गईं उनमें से मुझे यह बताते हुए कोई हिचक्चाहट नहीं होती कि 50 प्रतिशत के करीब शिकायात दुरुस्त साबत हुईं और मुताल्लिका अफसरों के खिलाफ action लिया गया और उन्हें सज़ा दी गई। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह भी बता दूं कि बाद में जो दरखास्तें आईं उनमें से 5-10 प्रतिशत भी सच्ची नहीं थीं। आपको यह जान कर बड़ी खुशी होगी कि पिछले 6 महीनों से एक भी ऐसी शिकायात नहीं आई जिस से यह साबित हो सके कि police ने कोई झूठा मुक़दमा बनाया है। मगर बजाये इस के कि police की यहां कोई तारीफ़ होनी चाहिये यह पुलिस को बदनाम करना चाहते हैं। कल, स्पीकर साहिब, मेरे एक मुहतरिम मैम्बर ने कहा था कि पुलिस खुद मिल कर झूठी बातें बनाती है और लोगों पर मुक़दमे चलाती है। इस साथी की शिकायत पर Government ने एक बार enquiry भी की और वज़ीर साहिब खुद उनकी दरखास्त पर पहुंचे और hon. Member ने जो शिकायत की थी वह सच्ची निकली और उनकी शिकायत पर police अफसर को सज़ा दी गई। उस वक्त तो वह खामोश रहे और उनकी ज़बान से एक शब्द भी तारीफ का उस वकत नहीं निकला। जब उन्होंने police पर इस तरह से अपना रोब डाल लिया। इस तरह से enquiry करवा कर जो इन्होंने police पर अपना रोब जमाना शुरू किया और police से मिल कर सियासी हरीफ के रिशतेदारों को और अपने इस हरीफ को नीचा दिखाने के लिए एक मुक़दमा में फंसा दिया उन्होंने शिकायत की कि इस case की enquiry की जाये। जब C.I.D. के अफ़सरों ने पड़ताल की तो यह बनाया

हुआ मुकदमा झूठा निकला और यह साबित हो गया कि यह मुक़दमा झूठा बनाया गया है और उन को ग़लत फंसाया गया है। उस के बाद अब चाहे कोई भी मीटिंग हो, public meeting हो, कोई party meeting हो या Assembly का कोई session हो, हमेशा यही रट लगाई जाती है कि जो भी मुक़दमें बनाये जाते हैं वह सब झूठे होते हैं। इस बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि हमेशा कसूरवार को ही पकड़ा जाता है, चाहे वह किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो। यह नहीं देखते कि चीफ मिनिस्टर ने police की मार्फ़त कितने कसूरवारों को पकड़ा है और कितनी झूठी शिकायात की पड़ताल की है; इस काम को पूरा करने के लिए पुलिस ने कितनी सख्त मेहनत की है। इस लिये, स्पीकर साहिब, Police और General Administration के बारे में जो कुछ इस House के अंदर कहा गया है उस के कुछ एक points का मैं ने जवाब दिया है। बाकी detailed जवाब तो Leader of the House ही देंगे।

श्री बलवंत राए तायल: क्यो आपका भी स्यासी हरीफ पकड़ा गया है ?

लोक कार्य मंत्री: अगर आप को पता है तो बतायें मैं जवाब दूंगा। मैं कहता हूं कि जो बातें चंद दिनों से यहां हो रही हैं उन का जवाब देना, स्पीकर साहिब, बड़ा ज़रूरी था। अगर मेरी तरफ से कोई ऐसी बात कही गई हो जो House के decorum के खिलाफ हो या किसी मैम्बर साहिबान की शान में मैं ने कुछ कहा हो तो मैं उस के लिये मुआफी चाहता हूं। मगर मैं इतना ज़रूर कहूंगा कि जो मैम्बर साहिबान सियासी बिना पर ऐसी बातें करते हैं, ऐसी नुकताचीनी करते हैं, उन को ज़रा सोच समझ कर कहना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: अब 3-30 बजे हैं और 5 बजे Chief Minister साहिब बोलेंगे। $1\frac{1}{2}$ घंटा तक मैम्बर साहिबान बोल सकते हैं। क्योंकि राओ वीरेंद्र-सिंह जी ने कुछ ज्यादा वक़्त ही लगा लिया है इस लिये मैं कहूंगा कि Chief Minister साहिब $1\frac{1}{2}$ घंटा की बजाये $1\frac{1}{4}$ घंटा ही लें। जो बोलने वालों की list आई है वह ज़रा लम्बी है। इस लिये मैं कहूंगा कि जितनी लम्बी list होती जायेगी उसके मुताबिक ही मैं time दूंगा। (It is now 3-30 p.m. The Chief Minister will reply at 5 p.m. The hon. Members can speak for $1\frac{1}{2}$ hours. I would however request the Chief Minister to take $1\frac{1}{4}$ hours instead of $1\frac{1}{2}$ hours as Rao Virendar Singh has taken a little longer in finishing his speech. The list of speakers rceived is a little longer. I would, therefore, submit that time would be given in proportion to the number of names given in the list.)

श्री इन्दर सिंह (जींद जनरल) : मुहतरिम स्पीकर साहिब, कल से police और General Administration पर बहस हो रही है । यह जो 8 करोड़ की demand House के सामने रखी गई है, मुझे यहां की बातें सुन कर, स्पीकर साहिब, यह कहना पड़ेगा कि "इस घर को आग लग गई घर के चराग़ से ।" कल जो मेरे कांग्रेसी भाई इस बात का दावा कर रहे थे कि हम Law and Order के जिम्मेदार हैं, इस House की बातें देख कर इनकार नहीं किया जा सकता कि आज इन की बातों पर कोई यकीन नहीं कर सकता कि एक problem सूबा पर इंतज़ाम करने के लिये हम लायक भी हैं या नहीं । उन को दोहराना एक खाम-ख्याली है ।

लोक कार्य मंत्री : आप अपनी बात कहिये ।

श्री इन्दर सिंह : आप सुनिये तो सही । मैं आप के ऊपर इलज़ाम नहीं लगा रहा । मैं तो congress की बात कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप Congress की बजाये लफ्ज़ Treasury Benches कहें तो किसी को भी कोई एतराज़ नहीं हो सकता । (No body can object to the hon. Member if he uses the words 'Treasury Benches' instead of 'Congress'.)

श्री इन्दर सिंह : मैं (Congress) इस लिए कह रहा हूं क्योंकि यह उन की नुमायंदगी करते हैं। अगर यह उस का पीछा छोड़ दें तो मैं कुछ और कहने लगूंगा । तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब यह मैम्बर्ज़ आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे पर इलज़ाम लगाते हैं, उस का असर बाहर के लोगों पर क्या पड़ता होगा। यह ज़रा ग़ौर करने की बात है । इस से ज़ाहिर होता है कि न आज इनका कोई discipline है और न ही इन में कोई policy की बात है । यह अपनी अपनी बातें लेकर खड़े हो जाते हैं । यह ज़ाहिर ही है कि सारे सूबे की जो General Administration है और सारे सूबे को जिस ढंग से चलाया जा रहा है, इस में न कोई सूबे का मुफाद है और न ही कोई ठोस प्रोग्राम है। इस चीज़ का मुज़ाहरा हम हर रोज़ इस हाऊस के सामने देखते हैं । यह, स्पीकर साहिब, मैं ने वही अर्ज़ किया है जोकि मैं ने देखा है। बहरहाल मैं यह कहूंगा कि Police और General Administration का ढांचा जो हमारे सूबे के अंदर है वह हमें अंगरेज़ों से विरसा में मिला है। और मैं यह कहे बग़ैर नहीं रह सकता कि हमारी economic दशा जो है वह बड़ी बोसीदा है । और इस की background में, जो हमें सामराज शाही से विरसा में मिली, नौकर शाही है, उस की हालत कितनी खराब है। आज रोज़गार के मसला को दूर करने के लिये हमारे सामने बड़ी सकीमें हैं। नौकर शाही हमें विरसा में मिली हुई है। उन की हालत में अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर इस administration को ग़ौर से देखा जाये तो हमें इस के 2 हिस्से मिलेंगे ।

उसके लिये सब से पहिला कदम यह है कि सादा ज़िन्दगी और utmost economy के लिए हमें यह नारा देना चाहिये कि उसके रोकने के लिये यह ज़रूरी है कि top heavy administration के खर्च को कम किया जाए और इसके लिये जो Civil Secretariat में Deputy Secretaries, Additional Secretaries, Assistant Secretaries, Under Secretaries and there are so many Secretaries, इन पर कोई तीन लाख से लेकर सवा तीन लाख रुपया खर्च किया जा रहा है, उसको कम किया जाए। और अगर हम गांधी जी के असूल पर चलते हुए सादा ज़िन्दगी की तलकीन करें तो सब से पहिली जो कार्रवाई हमें करनी चाहिये वह यह कि जितने I. A. S. के अफसरान हैं उनको हिन्द सरकार के पास भिजवा दें या उनके लिये सिफारिश करें कि उनकी तनख्वाहें कम होनी चाहियें और जो निचले set-up की services हैं उनकी तनखाहें ज्यादा होनी चाहियें ताकि जो गैप है between low paid employees and sahib वह पूरा हो जाए। आज ऊपर की और नीचे की services में बहुत बड़ा गैप है। एक चपड़ासी है, उसको 22 सैक्टर से पैदल चलकर दफ्तर में आना पड़ता है। लेकिन जो अफसरान हैं वह 16 सैक्टर में हैं और जिनको घर वाले मोटर में बिठा के दफ्तर छोड़ जाते हैं और ले जाते हैं। हमें नये सिरे से यह set-up कायम करना पड़ेगा।

एक बात और है जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं। 8 करोड़ रुपये की मांग हमारे सामने रखी गई है। मैं Civil Secretariat का अंदाज़ा आप के सामने रखना चाहता हूँ। उसकी रकम 19 लाख 98 हज़ार 2 सौ रुपये हो गयी है। Travelling Allowance है 16 लाख 72 हज़ार 890 रुपया। इस में recurring और non-recurring शामिल है। Temporary Allowance में recurring और non-recurring शामिल है। हाऊसिंग Allowances, recurring, non-recurring और Local Compensatory Allowances जिसमें recurring, non-recurring और इसी तरह से 16,72,900 रुपया T. A. वगैरह के बनते हैं। इसके बाद Director, Food and Civil Supplies जिनकी तनखाह 153 हज़ार और T. A. वगैरह 126 हज़ार। यह हमारे हिन्दुस्तान के एक खास सूबे की बदकिस्मती है। खर्च इतना होता है और दूसरी तरफ यह नारा लगाते हैं कि हम Development करने के लिये taxation लगाना चाहते हैं। Taxation के सम्बन्ध में Finance Secretary के Memorandum में बताया गया है कि taxation लगाने की एक हद होती है। उस हद को महसूस करते हुए जिस तरीके से हमारा taxation का ढांचा होना चाहिये उस पर ग़ौर नहीं हो रहा।

इसके बाद Anti-corruption Department है जिसका ढोल पीटा जाता है। उनका खर्च 7 लाख है जिसमें T. A. वगैरह भी शामिल

[श्री इन्दर सिंह]
है। इसके लिये फाइनेंस मिनिस्टर साहिब ने अपनी बजट स्पीच में anti-corruption का व्यौरा दिया है, और 23 पैरा के अन्दर 14 लाख के लिये इस प्रकार कारगुज़ारी दी है।:—

'and both investigations and inquiries against corrupt officials are being pushed rapidly ahead.'

कोई ज़िक्र नहीं इस बात को justify करने के लिये कि उसने कितनों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किये और कितनों को पकड़ा । एक गोलमोल बात कही गई कि एक enquiry हो रही है, मैं अर्ज़ करूंगा Still the Government has to keep vigilance over the Anti-Corruption Department so that the Police soldiers may not join hands with the thieves.

हमारी यह हालत है। और ऐसी हालत में कहा जाता है कि corruption बन्द कर रहे हैं । लेकिन हकीकत स्पीकर साहिब, यह है कि अगर हम ठंडे दिल से सोचें तो पता चलता है कि corruption बजाए बन्द होने के तेज़ी के साथ बढ़ रही है । चाहे District Level पर हो, चाहे तहसील level पर हो या State level पर हो बग़ैर सिफारिश के, बग़ैर रिश्वत के कोई काम नहीं होता । यहाँ तक कि Judicial Courts में भी इस हद तक corruption आ गई है कि वहाँ भी गरीब आदमियों को सही फैसला नहीं मिलता ।

अब मैं वज़ीरों की बात कहना चाहता हूं । Ministers के T. A. 1957-58 में, 40,823 रुपए और Petrol 12,385 रुपए का और फर्नीचर 12,000 रुपए से 14,000 रुपए तक और एक वज़ीर साहिब के यहाँ तो 9,000 का फर्नीचर है। 500 electricity consumption, 500 Housing Rents और कारों के ऊपर खर्च है 3,74,800 । यह हालत है इन साहिबान की। जब इन का ही पेट नहीं भरता तो Administration को क्या दुरुस्त करेंगे । Charity begins at home. यहाँ तो वही बात है कि "अँधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा।" स्पीकर साहिब, अगर इसी रफ्तार से काम किया गया तो next Five year Plan blank होगी । सिर्फ development के नाम पर बातें करने से तरक्की नहीं हो सकती। अगर तरक्की हो सकती है तो तभी जब हम utmost economy को अपनाएँ और सेवा भाव से अपनाएँ।

मैं पुलिस के बारे में, जनाब, अर्ज़ कर दूं जिसकी बाबत कहा गया है कि हमारा law and order ठीक है । अगर law and order ठीक है तो

पुलिस को घटाना चाहिये। लेकिन जो figures हैं उनसे पता चलता है कि पुलिस पर हर साल रुपया बढ़ाया ही गया है।

सन 1951-52 में 268 लाख खर्चा
„ 1952-53 „ 277 „ „
„ 1953-54 „ 294 „ „
„ 1954-55 „ 305 „ „
„ 1955-56 „ 345 „ „
„ 1956-57 „ 437 „ „
„ 1957-58 „ 451 „ „

8 साल में तकरीबन दो करोड़ के करीब रुपया खर्च में बढ़ चुका है।

अगर ला एंड आर्डर इतना अच्छा है तो पुलिस पर कटौती की जाए।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : Law and order ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰੋ।

ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि All India Taxation Inquiry Commission ने अपनी रिपोर्ट के सफा 41 के ऊपर यह बताया है कि हमारे हिन्दुस्तान में पंजाब एक ऐसा सूबा है जो पुलिस और Civil Administration पर सब से ज्यादा खर्च करता है।

All India Civil Administration की average है 20.5 प्रतिशत लेकिन हमार पंजाब की है 22 प्रतिशत और पुलिस की All India average है 9.8 प्रतिशत खर्च और सिर्फ पंजाब का है 12.8 प्रतिशत, हमारे पंजाब के अन्दर पुलिस के ऊपर जो खर्च हो रहा है वह per capita 2.8 से लेकर 2.13 तक है। यह हालत है हमारे पंजाब पुलिस के खर्चे की। आज इतनी बड़ी रक़म फिर मांगी जा रही है उसके लिये। अगर उस सरकार के हवाला यह रुपया कर दें जिस सरकार को यह पता नहीं कि पुलिस पर खर्चा ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है, तो मैं इसको मुनासिब बात नहीं समझता। एक बात और ....

Mr. Speaker : Please wind up your speech.

श्री इन्दर सिंह : बहुत बेहतर जनाब। इसके अन्दर कई महकमें हैं जिनका जिक्र करना था, पर मैं एक का ही जिक्र करता हूं और वह Commissionaries का महकमा है। इनके बारे में जो साबिक फाइनेंशल कमिश्नर कौल साहिब थे उन्होंने Estimates Committee के सामने कोई वजह नहीं बताई कि कमिश्नरियों को रखा जाए। उन्होंने यह कहा कि अगर आप हटाना चाहते

[श्री इन्दर सिंह]
हैं तो हटा दें लेकिन जो कमिश्नर लगायें वह ऐसे लगाएँ जिनकी सर्विसिज़ बारह बारह साल की हो।

अंगरेज़ों के राज में, यह जो आज सामने बैठे हुए हैं, इस बात के खिलाफ नारा लगाते थे कि Commissioners को बहुत बड़ी तनखाहें दी जा रही हैं और खुद कहते थे कि उन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आजकल जब वही बात हम कहते हैं तो जवाब देते हैं कि नहीं साहिब उनकी बड़ी ज़रूरत है। जनाब स्पीकर साहिब, 4 लाख रुपया सालाना Commissioners पर खर्च होता है जिन की कि कोई ज़रूरत नहीं है। आज हमारे सूबे को पैसे पैसे की ज़रूरत है। इस लिए Government को इस रुपये को बचाना चाहिए।

अब मैं हरिजन welfare का ज़िक्र करता हूं। स्पीकर साहिब, करोड़ों रुपया इस साल हरिजन welfare के नाम पर आता है। जनाब स्पीकर साहिब, जिस वक्त Pepsu और पंजाब की integration हुई तो State level पर जो advisory council थी वह तोड़ दी गई। 1956-57 में जो Backward Classes Commission ने Report पेश की तो उन्होंने यह कहा था कि अगर हरिजनों को सहूलतें देने का प्रबन्ध करना है, उन को घर वगैरह बनाने के लिए अगर ज़मीनें देनी हैं और उन को कारोबार में अगर मदद देनी है तो ज़रूरी है कि Government इस काम में public को अपने साथ ले। लेकिन इन्होंने उस recommendation पर अमल करने की बजाए सब public councils को तोड़ दिया है। इन public councils को तोड़ने की वजह जो मैं समझता हूं वह यह है कि Government, nepotism और favouritism करना चाहती है। इस लिए, स्पीकर साहिब, मैं यहां गुज़ारिश करूंगा कि हरिजनों के लिए जो रुपया खर्च करना है उस के लिए तमाम parties की, तहसील level पर, District level पर और State level पर Committees बनानी चाहिएं। So that those Committees may see that the funds are properly utilised for the actual interest of the Harijan Community. इस लिए मैं यह बात कहूंगा, हकूमत को आने वाले हालात को देखना चाहिए। अगर यह इसी तरह रुपया बरबाद करेंगे तो सूबे का नुकसान होगा और उस के साथ ही Government अपना भी नुकसान करेगी क्योंकि उन के अपने घर में ही इत्तफाक नहीं है। उस का result यह होगा कि एक दिन सब के सामने उन का जनाज़ा निकलेगा। इसलिये मैं दरखास्त करूंगा कि उन्हें रुपये को बरबाद नहीं करना चाहिए।

राओ गजराज सिंह (गुड़गांव) : जनाब स्पीकर साहिब, मेरे दोस्त ने अभी अभी कहा है कि इस "घर को आग लग गई घर के चिराग़ से" मैं तो उन्हें अर्ज़ करता

हूं कि आप दूसरी तरह का मिसरा पढ़ें "घर में आग लगी जमालो दूर खड़ी।" कुछ दोस्तों ने 1947 की तरह यहां पर ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की है और अपनी लीडरी को कायम रखने के लिए पंजाब में Communalism की ज़हर को फैला कर यहां पर भाई भाई को आपस में लड़ाने की कोशिश की। वह चाहते हैं कि यहां पर अबतरी फैली रहे और यहां पर दोबारा फिर वही चीज़ repeat हो जोकि 1947 में जब Pakistan बना था उस वक्त पंजाब में हुई थी। अगर आप Justice Khosla की Report का मुलाहज़ा फरमाएं तो आप को इन की तखरीबी कार्यवाहियों का पता चल सकता है। Khosla Report के बाद हिन्दुस्तान के एक एक संजीदा अखबार ने लिखा है कि पंजाब को अपनी पगड़ी सम्भालनी चाहिए। इस किस्म की चीज़ें एक border state को आगे नहीं ले जा सकतीं। पंजाब के अंदर अपने सूबे को और हिन्दुस्तान को मज़बूत करने के लिए सब को under restraint काम करना चाहिए। लेकिन ऐसा करने की बजाए यह जो Hindi agitation में हिस्सा लेने वाले मेरे भाई बैठे हैं इन्होंने यहां पर 1947 से भी बदतरीन हालात पैदा करने की कोशिश की है। इन्होंने Communalism का जो पंजाब के अंदर ज़हर फैलाया उस को सब जानते हैं। इन्होंने जो यहां पर फिज़ा पैदा की थी उस पर हमारी Government ने अच्छे तरीके से काबू पाया है। Justice Khosla ने जो Report दी वह आईने की तरह हमारे सामने है। मेरे दोस्त चौधरी सिरी चंद जी ने उस के बारे में बहुत कुछ कहा है इस लिए मैं उस में ज्यादा नहीं जाऊंगा।

मैं, स्पीकर साहिब, कहता हूं कि अगर Opposition की तरफ से किसी तामीरी काम पर नुक्ताचीनी की जाए तो हकूमत को उसे खुशी से मन्ज़ूर करना चाहिए और उस पर ग़ौर करना चाहिए क्योंकि उस से democratic country में देश को फायदा पहुंचता है। इस लिए मैं अपने दोस्तों से निहायत संजीदगी के साथ request करूंगा कि वे अपनी तखरीबी कार्यवाहियों को छोड़ें। हर रोज़ उन्हें यह बात शोभा नहीं देती कि वह एक ही चीज़ को पकड़ कर उस पर बोलते रहें। हम को पुरानी बातों को छोड़ कर कोई नई बात करनी चाहिए जिस से हमारा सूबा आगे बढ़े। मैं तो यह कहता हूं कि अगर unfortunately कुछ ऐसी घटनाएं हो भी गई हैं तो उन को हमें भूल जाना चाहिए। Communalism की चीज़ हिन्दुस्तान में अब पुरानी हो चुकी है। जो लोग इस पर अपनी लीडरी कायम रखना चाहते हैं उनका वजूद कायम रहना अब बहुत मुश्किल है। मैं, जनाब स्पीकर साहिब, अपने दोस्तों से संजीदगी के साथ मुअदबाना गुज़ारिश करूंगा कि उन्हें Communal बातों को ज्यादा हवा नहीं देनी चाहिए। हमारे ऊपर आज तमाम हिन्दुस्तान की जिम्मेदारी है क्योंकि हम border state में रहते हैं। अगर इस House में बैठ कर भी

[राम्रो गजराज सिंह]

ग्राप ऐसी ही चीजों को हवा देंगे तो उस के लिए ग्राप ग्रपने गिरेबां में मुंह डाल कर देखें ।

चौधरी धर्म सिंह राठी : ग्राप के Leader साहिब यहां पर क्या कहते हैं ।

राम्रो गजराज सिंह : मैं ग्रर्ज़ करने लगा था कि इन की वह बात है "घर में ग्राग लगी जमालो दूर खड़ी ।" जो लोग मुज़ाहरे करते थे ग्राज उन को भी पता लग गया है कि ग्रसली हालात क्या थे । उन बहादरों ने जो कुछ किया है उस की नंगी तसवीर सब के सामने ग्रा गई है । इन को नई नई agitations सूझती हैं । इन को बहादुरी का तमग़ा मिलना चाहिए । वह फिकर न करें । मैं चीफ-मिनिस्टर साहिब से कह दूंगा कि वह इन बहादुरों को तमग़े देने के लिए भी 10/20 रुपये का provision रख दें । (*At this stage there was loud noise in the House*).

चौधरी धर्म सिंह राठी : स्पीकर साहिब , उन को इस किस्म के remarks पास करने का क्या हक है । वह जिन के पिट्ठू हैं वह खुद Communal हैं ।

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्राप को 'जमालो' तो नहीं कहा उन्होंने । (हंसी) । (He did not call the hon. Member 'Jamalo') (*Laughter*)

राम्रो गजराज सिंह : हमारी जो police है वह भी इसी सूबे की है । ग्रगर हमारे भाई जो इतने समझदार भी हैं ग्रौर इस हाऊस के मेम्बरान हैं ग्रगर वे Communalism फैलाते हैं तो ज़रूरी है कि services पर भी उस का effect होता है । वह भी हमारे जैसे ही इनसान हैं । इस लिए वह भी demoralise हो सकते हैं । इस लिए मैं यहां कहूंगा कि services को criticise करने से पहले हमें ग्रपने ग्राप को पाक बनाना चाहिए । ग्रगर मेरे भाई ग्रपनी लीडरी कायम रखने की खातर खुद Communalism का प्रचार करें ग्रौर इलज़ाम लगाएं services पर तो मैं उस को ठीक नहीं समझता । हमारी जो services हैं वह भी हमारे जैसे ही इनसान हैं । जो कुछ हम करेंगे उसी चीज़ का उन पर भी लाज़मी तौर पर ग्रसर होगा ।

तो, स्पीकर साहिब, मैं इसी पर इक्तफा करूंगा कि मैं ने किसी गुस्से, रंज या vindictiveness की spirit से कोई बात नहीं की है । मैं बड़ी ग्राजज़ी के साथ ग्रर्ज़ करूंगा कि इन मुग्रज्ज़ लीडरान से कि ग्राप इस फज़ा को, जो पैदा कर रहे हैं, बंद करें । दूसरी कोई constructive फिज़ा पैदा करें । Constructive फिज़ा में ग्राप चाहे कोई सख्त से सख्त नुकताचीनी करें ग्रौर बताएं कि कहां खामी है ग्रौर फिर ग्रगर हकूमत न माने तो कहने की बात है । तो मैं ग्रर्ज़ कर रहा था कि मेरे कुछ इन दोस्तों ने जैसे कोई कचहरी में hostile witness हो जाता है

उसी तरह बातें करनी शुरू कर दीं और उन्हीं एक-दो बातों पर अपना दारोमदार बना लिया है। कुछ भाइयों ने एक ही बात को लेकर बार बार दोहराया और रट लगाते रहे हालांकि उस बात के जवाब में मिनिस्टर साहिब ने भी फरमा दिया है कि यह बात है और सब जानते हैं कि किस नीयत से वह यह बात कर रहे हैं और कह रहे हैं। सब जानते हैं कि यह क्यों हर दफा in season and out of season goose की तरह crackle crackle करते रहते हैं। यह जो इनकी कर कर होती है cracle और crackling होती है इस की बाबत तो कोई physician ही कह सकता है कि कैसे बंद हो सकती है। Agriculture के expert दीवाना साहिब आज यहां बैठे नहीं हैं। वह जानते हैं कि goose crackle crackle कैसे करती है और क्यों करती है। वैसे ही इन के पेट में दरद कुछ और है और बातें कुछ और की जा रही हैं। कहा गया कि rehabilitation क्या होती है। मिनिस्टरों की rehabilitation होती है ? तो इन में कुछ वजारत के खाहां हैं और कुछ वजारत में रहे हैं और यही 24 घंटे goose की तरह crackle crackle करते रहते हैं। यह crackling किस वक्त और कैसे बंद हो सकती है ? यह तो कोई expert ही बता सकता है कि कैसे बंद हो सकती है। उन्होंने तो समझ लिया है कि इसी चीज़ पर अपनी सारी बातों का दारोमदार रख लिया जाए। सब जानते हैं कि सब जगह पार्टियों में कुछ disgruntled element होता है। वह समझते हैं कि अगर वह नहीं है तो बाकी सारी कार्यवाही गल्त हो गई है। उनके बगैर कोई काम सही तौर पर नहीं हो सकता है। हमारे दो तीन भाइयों ने यह बातें कहने का ठेका लिया हुआ है कि चूंकि वह नहीं है इस वास्ते गवर्नमेंट के तमाम काम खराब हो गए। तो, जनाब, यह ऐसी दलीलें . . . . . (घंटी) मैं, जनाब, सिर्फ दो चार मिनट ही और लूंगा . .

अध्यक्ष महोदय : मैं देख रहा हूं कि आप कहते क्या हैं ? (I am trying to find out as to what the hon. member is driving at ?)

राओ गजराज सिंह : तो इस चीज़ को अर्ज़ करने के बाद मैं कुछ अब constructive बातें अर्ज करता हूं। मैं, जनाब, ज़िला गुड़गांव के backward इलाके से ताल्लुक रखता हूं। मैं इस बारे में यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की इन backward areas के सिलसिले में कोई खास definite policy होनी चाहिए कि इन की बहबूही किस तरीके से करनी है। मैं समझता हूं कि वह policy यह होनी चाहिए कि आप अपनी तरफ से एक officials and non-officials की committee मुकर्रर करें जो देखे कि किसी ज़िला की priority मांग क्या है और किस तरह से लोगों का फायदा हो सकता है। एक या दो भाइयों के ज़ाती मुफाद की बात नहीं करता

[राओ गजराज सिंह]

बल्कि आम जनता की भलाई किस तरीके से हो सकती है और वही measures adopt करने चाहिएं । मैं चीफ मिनिस्टर साहिब का मशकूर हूं कि हम जिस गुड़गांव tunnel की बाबत पिछले 20, 25 साल से शोर करते रहे हैं और demand करते आये थे अब की दफा उन्होंने खास मेहरबानी कर के हमारी उस बात को मान लिया है । हमारे ज़िला के 9 M.L.As और M.L.Cs. को हमारे राड़ेवाला साहिब ने यकीन दिलाया है कि हम वह कदम उठाएंगे और उठा रहे हैं . . . .

Mr. Speaker : Please try to be relevent.

राओ गजराज सिंह : मैं, स्पीकर साहिब, backward areas के बारे में अर्ज़ कर रहा हूं कि उनके बारे में गवर्नमेंट की क्या पालिसी होनी चाहिए और उनकी तरक्की के लिए क्या करना चाहिए तो इस सिलसिले में मैं ने अर्ज़ किया है कि हमारे backward area की जो बात पिछले 20,25 साल से किसी गवर्नमेंट ने नहीं सुनी थी वह आज इस गवर्नमेंट के वक्त में सुनी गई है और उसके लिए उसने यह कदम उठाया है ।

दूसरी बात मैं वहां के बांधों के मुताल्लिक ज़िक्र करता हूं जिसका ज़िक्र कि इस बजट के 169 सफा पर है । गुड़गांव ज़िले में बांध जो हैं वह उनकी ज़िन्दगी और मौत का सवाल है । आज से 20, 25 साल पहले वहां के लिए २ लाख रुपया मिलता था मगर अब की दफा वहां मिनिस्टर साहिब जा कर तमाम हालात का नकशा देख आए तो उन्होंने चार लाख कर दिया है । राड़ेवाला साहिब वहां गए थे और उनको मैं ने दिखाया था कि लोगों ने खुद बड़ी मेहनत करके लाखों एकड़ ज़मीन reclaim की है और बांध खुद बनाया था । Irrigation वालों ने तो सिर्फ पक्का ही किया था । जिस वक्त यह रकम दो लाख मिलती थी उस वक्त से अब खर्च कम से कम 20 गुना बढ़ गया है । तो इस चार लाख की रकम से वह नया बांध बनने का कोई इमकान नहीं है । यह खुद देख आए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जो आप कह रहे हैं इसका इस में कहां ज़िक्र आता है ? (Where is all this mentioned, which the hon. Member is referring to.)

राओ गजराज सिंह : बांध जो हैं वह इस General Administration की demand में शामिल है और गुड़गांव Bunds का हवाला इस बजट के 169 सफा के last में है । यह item हम ने खुद Irrigation Department से कह कर निकलवा लिया था और General Administration में शामिल करवाया था क्योंकि estimates आते नहीं थे और हर साल रकम lapse हो जाती थी । तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि राड़ेवाला साहिब ने खुद जा कर वह 50,60 मील का area देख लिया है कि कैसी position है । इस लिए वह खुद जितनी रकम की justification समझें उतनी काफी रकम वह दें । इस backward Gurgaon ज़िला के लोग इनके मशकूर होंगे अगर वह ज़्यादा और काफी रकम देंगे (घंटी) ।

अध्यक्ष महोदय : जब घंटी होती है तो आप को खुद ही अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि वक्त खत्म है । (When the bell is sounded, the hon. Member should himself realise that his time is over.)

राओ गजराज सिंह : मैं, जनाब, सिर्फ एक बात और कह कर बैठ जाता हूं । Constitution भी इसबात से मुतफिक है कि prosecuting staff जो है वह पुलिस से बाहर रखा जाना चाहिए और इस हाऊस में भी पहले कई दफा यह बात उठाई जा चुकी है और इस की approval भी हो चुकी है । मैं कहता हूं कि Justice के लिए यह ज़रूरी है कि separation of judiciary from the executive होनी चाहिए । इस वक्त prosecuting Inspectors और Sub-Inspectors जो हैं पुलिस के मातहत हैं और इस से जो लोग इन्साफ लेने जाते हैं उनको बड़ा फर्क पड़ता है (घंटी) । तो आखिर में मैं यह कहूंगा कि यह जो prosecuting staff है इस को L.R. के मातहत कर दिया जाए ताकि इनसाफ हो सके ।

श्री हंस राज शर्मा (फगवाड़ा) : स्पीकर साहिब, यह जो General Administration और पुलिस की demands कल से ज़ेरे बहस हैं, इस पर काफी नुक्ताचीनी हुई है । कुछ दोस्तों की तरफ से तो नुकताचीनी जो हुई वह तामीरी थी लेकिन कुछ दोस्तों की तरफ से वही नुक्ताचीनी थी जो बातें वह गुज़शता एक साल से किसी न किसी बहाने से करते आए हैं । मैं समझता हूं कि जहां तक law and order का ताल्लुक है इस साल जो figures हमारे सामने robberies, dacoities और thefts वगैरह की हैं उनसे साफ ज़ाहर होता है कि वह पिछले साल से बहुत कम हो गई हैं । फिर भी जहां कुछ दोस्तों ने यह कहना ज़रूरी समझ रखा है कि law and order बहुत खराब है । स्पीकर साहिब, मैं आप की मारफत इस हाऊस की तवज्जुह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि वाकई ठीक है कि law and order की position खराब है लेकिन robberies, dacoities और thefts वगैरह की तरफ से खराब नहीं बल्कि political criminals जो हैं और state में जो political मुजरिम हैं उनकी तरफ से law and order की हालत खराब है । तो इस तरह से बाजवा साहिब भी ज़रा तकलीफ में हैं (हंसी) । मैं ज़रा माफी चाहता हूं उन से और अर्ज़ करता हूं, स्पीकर साहिब, इस तरह की democracy में जब किसी गवर्नमेंट को बदलना हो तो कायदा यह है कि उसे जैनरल इलेक्शन में बदलिये या अगर जैनरल इलेक्शन में न बदलना हो तो असेम्बली में बदलिये लेकिन यहां जैनरल इलेक्शन को हुए अभी एक साल हुआ है लेकिन कुछ दोस्तों की speeches आज भी इलेक्शन स्पीचिज़ हैं जो कि parliamentary function करने का जो तरीका है उस से दूर हैं । इस का नतीजा यह है कि हमारी स्टेट के अन्दर अमन में खलल पैदा होता है । हमारी स्टेट के लिए अमन की ज़रूरत बहुत हद तक लाज़म है क्योंकि हमारी बार्डर स्टेट है, काश्मीर का झगड़ा है, पाकिस्तान का झगड़ा है और

4-00 p.m.

[श्री हंस राज शर्मा]
किसी वक्त भी हमारे मुल्क में खातरा आसकता है और हमें सारे देश की हिफाज़त करनी है लेकिन इस स्टेट में पुलिटीकल झगड़े, कम्युनल स्लोगन्ज़, सैक्टेरियन स्लोगन्ज़ इस हद तक लगाए जा रहे हैं कि अमन कायम नहीं रह सकता और मुल्क के लिए खतरा पैदा हो गया है।

इसके साथ ही मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि अभी खोसला रिपोर्ट हमारे सामने आई। खोसला रिपोर्ट में एक बात साफ ज़ाहर है और उन्होंने साफ कहा है कि पंजाब को फिर्कापरस्ती से खतरा है और उन्होंने पहली दफा एक प्वायंटर दिया कि दोनों किस्म के फिर्कापरस्तों से इस स्टेट को खतरा है और हमें इस से बचना चाहिए। कुछ फिर्कापरस्ती ज़बान की शकल में आती है। इस एजीटेशन का मकसद सारी पुलिटीकल है। दूसरी एजीटेशन किसी और शकल में है लेकिन मकसद स्यासी है। मैं, स्पीकर साहिब, ऐसा महसूस करता हूं कि जिस तरह से इन एजीटेशनों को deal किया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट की हौसला अफ़ज़ाई की गई और जो strong stand हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने लिया इस के लिए मैं पंजाब सरकार को और सरदार प्रताप सिंह कैरों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने strong hand से Communalism को deal किया और मैं समझता हूं कि अगर इसे इस तरह deal न किया जाता तो हमारी स्टेट खतरे में होती ––ऐसा मेरा विचार है।

चौधरी धर्म सिंह राठी : समझ उलटी है।

श्री हंस राज शर्मा : इस के बाद दूसरी चीज़ यह कही गई कि पैसा बड़ा फ़जूल खर्च किया जाता है। इस सिलसिले में मैं समझता हूं बहुत हद तक economy हो सकती है और बचत की गुंजायश है। स्टेट गवर्नमेंट ने Resources and Retrenchment Committee बनाई। उस की रिपोर्ट अभी नहीं आई। लेकिन पिछले साल economy के idea से cut लगाई थी जिस में allowances वगैरह cut किए थे जिस से कुछ रुपये का फायदा हुआ लेकिन वह cut हमने restore की। Resources and Retrenchment Committee की रिपोर्ट हमें नहीं मिली। मैं गवर्नमेंट से दरखास्त करना चाहता हूं कि Resources and Retrenchment Committee और Cadre Committee की reports जल्दी से जल्दी पेश की जाएं और उन पर अमल किया जाय जिस से रुपया बचाया जा सके।

दूसरे एक suggestion और है। वह delegation of powers के बारे में है। cases में बहुत delay होती है। अगर offices में powers delegate कर दी जाएं और दस हाथों में से केस गुज़रने की बजाए उस पर कम नोटस लिखें जाएं तो उस से केस expedite हो जायगा। दूसरे इस से district level पर भी केसिज़ का फैसला कमिश्नर के द्वारा हो सकता है। उसे Secretariat level पर आने की ज़रूरत नहीं रहती। Democracy में centralization delay करती है और कुरप्शन का मूजब होती है इस लिए भी decentralisation बहुत ज़रूरी है। यहां मेरे दोस्तों की तरफ से R.T.A. का ज़िक्र आया। मैं समझता हूं कि R.T. As.

को कानून में जितनी powers उन के लिए हैं पूरी देनी चाहिएं ताकि roads वग़ैरह के जितने cases हैं वे deal कर सकें और जो झगड़े हमारे सर पर पड़ते हैं वे न पड़ें ।

इस के साथ, स्पीकर साहिब, मैं हाऊस की तवज्जुह एक और चीज़ की तरफ दिलाना चाहता हूं । वह यह है कि मैंने पिछले साल भी अर्ज़ किया था कि Applebee Report पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने विचार किया, ऐक्शन भी लिया । पिछले साल फाईनेंस मिनिस्टर साहिब ने कहा था कि उस को कंसिडर कर रहे हैं । उस से हम जो administrative reforms कर सकते हैं ज़रूर किए जाए ताकि administrative machinery में जो नुक्स हों वे दूर हो जाएं, economically cases expedite हो सकें और जिन अफसरान को, सेक्रेट्रीज़ या अडंर सेक्रेट्रीज करें, eliminate करना हो, कर सकें । इस लिए मैं अर्ज़ करूंगा कि उस रिपोर्ट पर ज़रूर अमल किया जाय ।

Kanwarani Jagdish Kaur (Jaitu) : ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ । Mr. Speaker, the Demands for Police and General Administration are under discussion in this House to-day. I rise to speak on these Demands. As far as Law and Order is concerned, there prevails lawlessness in the State and nothing has been done to control the deteriorating position of Law and Order in the State of Punjab. Mr. Speaker, I can give you an instance of village called Qila Nau in Faridkot Constituency. Two newly-married girls while sleeping at night at their homes were robbed of their ornaments. The thieves came and took to heels with the ornaments of the girls. The foot-prints of the thieves were shown to the Police and the matter was also reported to the Police. Sardar Sant Singh was the Deputy Superintendent of Police incharge at that time. Nothing so far has been done to trace out the culprits. The people of the village Qila Nau came to me to represent their case and requested me to hear their complaints against the Police. They told me that the dishonour of the girls was the dishonour of the whole village and that they would die for the honour of those girls. I also reported the matter to the Police, but nothing has been done in this connection.

I once went to that village and a Hindu brother came and requested me to give him a patient hearing. I asked him what his troubles and complaints were? He told me that the ornaments of the two newly-married girls had been taken away and the matter was reported to the Police. The villagers of Qila Nau only said Sat Sri Akal to the Deputy Superintendent of the Police. They then told the Deputy Superintendent of Police that they had come from village Qila Nau in Faridkot ilaqa. The Deputy Superintendent of Police said, "Don't worry. The culprits have been released". Mr. Speaker, this shows that there is no law and order in the State but instead there is lawlessness in the State.

Then the 'Muklawa' of the girls had to be given by the parents. But they could not do it without going in for new ornaments. The hardship to which the poor parents were subjected in getting the new ornaments for the girls can better be imagined than described here. You know, Mr. Speaker, the economy of our country is not so good. So when ladies are looted and no protection is given to them and when nothing is done to trace out the culprits, if this is not nepotism and favouritism, what else is this ? There are no Telegraph Offices, Telephone arrangements in the villages and, therefore, the villagers of Qila Nau went to the Police Station, reported the matter to the

[Kanwarani Jagdish Kaur]
Police, showed the foot-prints of the culprits, but in spite of all this, nothing has been done in this connection. To-day, Mr. Speaker, ornaments have been taken away from the body of the girls while they were sleeping and to-morrow it is possible that murders may take place. So the people must be more alert and wideawake.

Mr. Speaker, much has been said from the Treasury Benches and the Ministers about the walk-out staged by the Opposition when the Governor came to Address both the Houses assembled together on 10th February, 1958. A lot of hue and cry has been raised from the Treasury Benches. It has been said that the Opposition Members belong to 'Save Hindi' Agitation. Mr. Speaker, I want to bring it to the notice of the Government that some of the Members belonging to Opposition do not belong to this agitation. Members sitting on the Treasury Benches should clear their eyes and see that all the Opposition Members do not belong to this agitation. Hon'ble Member Chaudhri Balbir Singh remarked the other day that the Opposition Members do not get time to speak. One of the Members from the Opposition said that they were staging walk-out because there is so much lawlessness going in the State of Punjab.

Mr. Speaker : Please do not make any reference to that.

Kanwarani Jagdish Kaur : Mr. Speaker, we are being disrespected The holy Gurdwaras and the holy tanks (sarovers) are being desecrated A bomb was exploded in the Gurdwara in the Capital City of Chandigarh. Tins of cigarettes have been thrown in the holy tanks of Durbar Sahib and Dukh Niwaran Sahib Gurdwara Patiala. Mr. Speaker, nothing has been done in this respect and the Government is responsible for all this. The Government has not been able to control the situation. Mr. Speaker, these were my two reasons for staging a walk-out on 10th February, 1958.

Mr. Speaker, I have been to the Raj Bhavan to see the Governor. saw the Military Secretary to the Governor and told him that I wanted to see the Governor. I was kept waiting for 45 minutes and even then I was not allowed to see the Governor. Mr. Speaker, is this democracy that even 5 minutes are not given to the members belonging to the Opposition to see the Governor.

Mr. Speaker : The Governor's conduct cannot be discussed.

Kanwarani Jagdish Kaur : After all, he is not God. We respect the Governor so long as there is law and order in the State and common man gets justice.

Mr. Speaker : Governor cannot be the subject of discussion.

Kanwarani Jagdish Kaur : Mr. Speaker, I cite another instance of the deteriorating condition of law and order in the State. On the 5th of February, 1958, at 5.30 a.m. in the main Bazar of Bhatinda two or three persons entered a shop and strangled the shopkeeper—Chet Ram— and murdered him. They threw his body in one of the inner rooms under 25 bags of sugar. They locked the shop and ran away with money, etc., from the safe of the shopkeeper. It was after three days that the people came to know about the murder of Chet Ram. This, Mr. Speaker, goes to show that the law and order situation in the State is going from bad to worse.

Mr. Speaker, there are some people who work very conscientiously in the Police also. I do not want to say that all the Police Officers have not done good things. Hazara Singh, a notorious dacoit of Amritsar District, has been the subject of discussion in this House as also in the Press. Partap Singh Kairon, the Chief Minister, in order to favour the dacoit telephoned to the Superintendent of Police, Karnal, asking him to do something for Hazara Singh as his life was in danger. The Superintendent of Police, Karnal, did not carry out the orders because he was conscious that Hazara Singh was a notorious dacoit and he was shot.

(*Voices of shame, shame from Opposition Benches*).

Mr. Speaker, the Superintendent of Police and the Deputy Superintendent of Police concerned were degraded and transferred to the border side. This also proves that the law and order position in the State is not good. Instead of being rewarded, they were punished for doing good, by degradation.

Mr. Speaker, if there is justice and the General Administration is good in the State, all the smugglers should be punished. The Chief Minister Partap Singh Kairon's son, should also be punished.

Mr. Speaker : This matter is sub-judice and should not be discussed.

Kanwarani Jagdish Kaur : Mr. Speaker, I received a registered letter from my constituency some time back. I opened it and found that the letter was addressed to the Chief Minister. I accordingly forwarded the letter to the Chief Minister and I have got a postal receipt dated 3rd March, 1958. I would like to know if the kidnapped woman has been restored or anything has been done to recover the lady. Is this law and order and good general administration ? People are made fools here. Some hon. Members are unnecessarily laughing.

Sardar Bhupinder Singh Mann : On a point of order, Sir. The hon. Member has remarked that we are made fools. Sir, so far as I am concerned, I am not one of them.

Kanwarani Jagdish Kaur : Mr. Speaker, a social worker from Jaitu wrote on 17th February, 1958 to the Superintendent of Police, Bhatinda, to stop *darra* as the Police was involved in doing corruption in this matter from their agency of Khaiwals. The Superintendent of Police ordered the Deputy Superintendent of Police S. Sant Singh to make an immediate enquiry into the matter. The social worker also informed the Deputy Superintendent of Police (S. Sant Singh) that the Police is involved in doing corruption through their agency of Khaiwals.

The Police have got an agency called Khaiwals. The hard-earned income of 7 or 8 thousand poor people is put daily into the pocket of Khaiwals and even the Harijan women are made the '*shikar*' of this thing. I would request the Government to stop this thing immediately.

Then I wish to bring another thing to your notice. There is one relative of Sardar Jagdish Singh, Director of Health Services, Punjab.

Mr. Speaker : But Health is not covered by these Demands.

Kanwarani Jagdish Kaur : Sardar Pritam Singh, the brother-in-law of Sardar Jagdish Singh, Director of Health Services, is working as a doctor in the Jaitu Hospital. The whole *illaqa* is fed up with him.

Mr. Speaker : Order please, references to individuals cannot be made.

Kanwarani Jagdish Kaur : He is the most corrupt man. When one Officer went to that place, the local people went to him and requested him to transfer this person, he said "I have been sent to this place to hush up the case. I cannot have him transferred."

I hope the Minister concerned will take notice of this complaint and try to remove it.

Mr. Speaker : I would request you to please speak on the Demands.

Kanwarani Jagdish Kaur : Sir, I am just bringing to your notice how much corruption is going on ; how much favouritism is going on. I am sorry to say that no notice of these serious things is being taken. A corrupt person is working in Jaitu. In fact, he should not be in the Government service at all. (*Interruptions*).

Mr. Speaker : Order please.

Kanwarani Jagdish Kaur : Sir, I hear from the public all over the State and even from the Members that people are fed up with this Government because it has miserably failed in discharging its duties. We want peace and order in this State. We want law and order in this State. So, I pray to you, Mr. Speaker, that you may kindly send my message to the Government that it should set matters right. If it proves unequal to the task and is unable to set things right, then it certainly needs more overhauling than a car of a Minister which though has not done even a lakh of miles yet he wants to overhaul it. Just after 50 thousand miles run the Ministers have a new car. If the Congress Government does not mend its ways and does not keep the public interest in view then surely there will be a change and the people will replace it by a new and better Government.

(*Some hon. Members rose to speak.*)

अध्यक्ष महोदय : बस जी, अब दो दो, तीन तीन मिनट ही मिलेंगे ; time थोड़ा है । (विघ्न) खान साहिब, मैंने तो आपको यहां बुलाना है । (Now the hon. Members will get two or three minutes each to speak as the time at our disposal is short.) (*Interruption.*) (Khan Sahib, I have to ask you to come here to occupy the chair.)

खान अब्दुल गफ्फार खां : पहले यहां बुला लें, फिर वहां बुला लें ।

श्रीमती सरला देवी शर्मा : On a point of order, Sir. मैं अर्ज़ करना चाहती हूं कि जैसे आपने एक भाई को इधर से time दिया था और एक भाई को उधर से अब अगर Opposition की बहन को time दिया है तो इधर से भी एक बहन को time दें ।

अध्यक्ष महोदय : यह rules में नहीं है । इस में कौन सा point involve है (It is not provided in the rules. What point is involved in it ?)

ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ (ਪੱਕਾ ਕਲਾਂ—ਰਿਜ਼ਰਵਡ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ । ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਪਰਬੰਧ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ । ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਇਹੋ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਹੋ ਕੇ ਚਲਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੂਬਾ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਉੱਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਦਨ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਹਨ— ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਲਈ ਸੌਗੰਧ ਚੁਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ । ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਏਥੇ ਇਹ ਕਸਮ ਚੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਯਾ ਅਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।

ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ । ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ । ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਉੱਨਤੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਹੈ, ਹਰ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਪਰਬੰਧ ਚੰਗਾ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਏਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਵੇਖੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਏਥੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮਨ ਨੂੰ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਹਦ ਉਤੇ ਵਸ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । (ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਕਹਿ ਲਿਉ ।) ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । (ਵਿਘਨ) (Mr. Speaker : Order please.) ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵੇ । ਜਿਤਨੀ ਰਕਮ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਉਹ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਪਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਨਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਲਓ । (The time allotted by me may also be utilised properly by the hon. Member.)

ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ : ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ । ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਆਪ ਨੇ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਏਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ । (ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ : ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ।) ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜ ਪਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਨੁਕਸ ਹਨ । ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ । ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਈ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ । ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬੜਾ ਬੜਾ ਰੁਪਿਆ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ । ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਨਾ 25 ਕਲਾਜ਼ 79 ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਫਰਮ ਨੂੰ 7,19,037 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ । ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਭੱਠੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ । ਇਕ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਏਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਏਸ ਰਕਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਕਈ ਦਫਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰੀ, ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਓਹ ਠੀਕ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ....

ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਵਸ ਰਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਏਧਰੋਂ ਉਧਰ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਏਧਰ ਮਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1,100 ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਪਰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵੀ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਸੀ । ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ P.A.P ਦੇ ਕੁਝ ਥਾਣੇਦਾਰ, Head Constables, Constables ਔਰ A.S.I. ਅਤੇ ਕੁਝ C.I.D. ਦੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਂਦਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਤੇ ਉੱਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ services ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਮਿਲਵਰਤਣ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖੁਦ services ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । (ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼) ਸਪੀਕਰ

ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਫ਼ਿਗਰਾਂ (figures) ਪੁੱਛੀਆਂ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ drivers, ਚੌਕੀਦਾਰ, conductors ਵਗੈਰਾ ਰਖੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰੀਜਨ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਲਈ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ—ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ। ਫਿਰਕਾਦਾਰੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਅਮਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ crimes ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇਥੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮੇਰੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਕ case ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਉਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ proceedings ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ਼ ਐਸੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ conduct ਨੂੰ reflect ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ defend ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ associate ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਰਾਓ ਬੀਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ—ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਨ ਔਰ ਹੁਣ ਮਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬਣੇ ਨਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ—ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ administration ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ permits ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ permits ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਨਾਲ ਆਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਤਜਰਬੇਕਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ precedents quote ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਪਰਮਿਟ ਵੰਡੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ action ਨਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਮਰਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ]

ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਫਜ਼ੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਐਨੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ? ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਇਸ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ, ਡਾਕਟਰ ਗੋਪੀਚੰਦ ਭਾਰਗਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇਸ Congress Party ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ majority ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਪਾਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਦਸਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ High Command ਕੋਲ ਜਾ ਜਾ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ? ਸੱਚਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ deputations ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਭਜਦੇ ਦੌੜਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ? ਦਰਅਸਲ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ loud-speakers ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕੰਨੀਂ ਅਵਾਜ਼ ਪੈ ਸਕੇ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਥੇ ਕੋਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਵੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਥੇ motives impute ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਾਫ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਸੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ (pointing towards Ministers) "ਰਤਨ" ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਲਾਇਕ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਲਾਇਕ ਹੋਰ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ! ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਤਨਾ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਲਿਆਕਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਲਿਆਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ—ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ? ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ enquiries ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ enquiries ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਰੱਖੀਆਂ—ਸਾਨੂੰ ਦਸੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ

ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ public ਦੀ ਇਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ leadership ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ Judicial enquiries ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ suggestions ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ । ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ serious ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਪ ਚਪੀਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ cases ਵਿਚ enquiry ਕਰਵਾਈ । ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ enquiries ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ । ਇਹ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ enquiries ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਦੀਆਂ ਕਿ law and order ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਖਰਾਬ ਅਸਰ services ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਓਝਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜੁੱਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ action ਲੈ ਸਕੇ । ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ duty ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ । ਉਹ ਆਪਣੇ initiative ਤੇ ਕੋਈ action ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ । ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ D.C. ਦੇ ਆਰਡਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ action ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਅਜ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮੁਨਾਸਬ action ਲੈ ਲਵੇ। ਕਿਉਂ ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਔਕੜ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ services ਵਿਚ ਕਿਤਨੀ demoralization ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ demoralization ਦਾ administration ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬੀ ਹੋਈ administration ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਵੀ ਬੜਾ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ । ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ Super I.G. Police ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ I.G. Police ਔਰ Police Department ਉਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ? ਜੇ I.G. Police ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ Police ਵਿਚ responsibility ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ deteriorate ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ? ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ? ਜਦੋਂ ਇਕ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਭੈ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ department ਉਤੇ ਕੀ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕੇਗਾ । ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ]

ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ—ਪੁਲਿਸ department ਨੂੰ ਇਕ ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਉਤੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ? ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ Super I.G. Police ਨੂੰ refer ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਾਬਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, Criminal Procedure Code ਹੈ ; Police Rules ਵੀ ਹਨ । ਜਦ I.G. Police ਦੇ actions ਨੂੰ supervise ਕਰਨ ਲਈ ਇਥ ਇਕ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ department ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ । ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ interference ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰੀ day-to-day administration ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ safe ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ । ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਹਨ । ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਅਜ ਮੈਂ ਦਾਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਕੇਸ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ।

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਸ cases ਐਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਰਾਉ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਥੇ ਹਨ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁਟ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਲਬੱਤਾ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ administration ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ । ਜਨਤਾ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਮੰਗਦੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਵਲ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ।

ਫਿਰ ਰਾਉ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ barometer ਕਿਹੜੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ barometer ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਏਗਾ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਚੋਂ ਸੋ ਵੋਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹ ਅੱਪਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ । ਅਲਬੱਤਾ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਪਰ ਹੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਅਸਲ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ administration ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਰਖਦੀ ਹੈ । (ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼) ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਸਤ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਉ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਹਨ ।

अध्यक्ष महोदय : फिर किसी वक्त सही । (Let it be on some other occasion.)

(*At this Mr. Speaker asked Chaudhri Karam Chand Sidhu to speak.*) **अध्यक्ष महोदय** : अब party-wise lists चल रही हैं । (Now I am following the lists party-wise.)

चौधरी कर्म चन्द सिधू (होशियारपुर, रिज़र्वड) : स्पीकर साहिब, इस बजट में पुलिस की administration पर तकरीबन पांच करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं मगर इस पंजाब में जो 35 लाख अछूत बसते हैं जिन के लिए हमारे विधान में भी 21 per cent services में reservation की हुई है, उन के लिये इस में कोई ज़िक्र नहीं किया गया । तो मैं, स्पीकर साहिब, आप के द्वारा इस गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं कि यह जो अछूतों के लिए 21 per cent reservation services में की गई है क्या यह कांग्रेस की तरफ़ से अछूतों पर कोई एहसान किया गया है ? मैं यह बताना चाहता हूं कि यह कांग्रेस हकूमत की तरफ़ से अछूतों पर कोई एहसान नहीं किया गया । यह तो उन का हक था और अंग्रेज़ के वक्त में अछूत कौम के बहादुर सिपाही और आज़ाद हिन्दुस्तान के रहनुमा डाक्टर अम्बेदकर मरहूम की मेहरबानी से इन को यह reservation मिली थी ।

स्पीकर साहिब, जिस वक्त पंजाब का partition हुआ तो उस वक्त यह यही अछूत ही थे जिन्होंने हज़ारों नहीं बल्कि इस से भी ज्यादा तादाद में अपनी बहू बेटियों की बेइज्ज़ती करवाई और अपने बाल बच्चों को कत्ल करवाया और कांग्रेस हकूमत का साथ दिया । अगर उस वक्त यह अछूत कांग्रेस हकूमत का साथ न देते तो मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि यहां यह चण्डीगढ़ की तामीर न होती, न यह Assembly Hall होता और न पंजाब में भाखड़ा ही बनता और दिल्ली के लाल किला पर पाकिस्तान का झंडा फहराता । लेकिन इस चीज़ के बावजूद भी उन को उन के हक से यह हकूमत जान बूझकर महरूम रख रही है । इसकी मिसालें मैं आप के सामने रखता हूं कि पुलिस में I.G., से ले कर D.I.G., A.I.G., S.Ps., D.S.Ps., Inspectors Police और Sub-Inspectors और Head-Constables तक उन को उन की reservation नहीं दी जा रही । यह कोई नई बात नहीं है । मैंने कई दफा हाउस में इस बारे में कहा भी है मगर इस की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता । स्पीकर साहिब, यह हाल उस मज़लूम और दबी हुई जनता का है जिस के पास कोई रोज़गार नहीं है और जिस के लिये रोटी की भी मुश्किल बनी हुई है और उस की इस हालत में भी आज उस पर इतने टैक्सों का और बोझ डाला जा रहा है जिस को कि वह बरदाश्त भी नहीं कर सकती । मैं चीफ़ मिनिस्टर साहिब से कहूंगा कि वह उन को agitators बनाने की कोशिश न करें क्योंकि यहां पहले जो agitations चलती हैं उन agitations से अछूतों की तरफ़ से जो कोई agitation चलाई गई वह बिलकुल मुख्तलिफ किस्म की agitation होगी और मैं कह सकता हूं कि उस agitation से हमारे सूबे को और हमारे देश को बहुत नुक्सान होगा । इस लिये मैं इन से पूछता हूं कि अछूत जनता को जिन के लिये 21 per cent reservation की provision हमारे विधान

[चौधरी कर्म चन्द सिंधू]

में भी की हुई है, यह उन्हें services में क्यों नहीं दी जा रही ? यह कितना जुल्म है ! तो मैं चीफ़ मिनिस्टर साहिब के नोटिस में लाना चाहता हूं और कहता हूं कि अगर वह वाकई हां यहां socialistic pattern of society कायम करना चाहते हैं और महात्मा गांधी के बताये रास्ते पर चलने वाले हैं तो उन के लिए यह ज़रूरी है कि अगर वह वाहिगुरू को हाजर नाजर रख कर उनको अपना हक देना चाहते हैं तो वह एक Commission मुकर्रर करें जो देखें कि यह जो उनका हक है यह उन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा ।

स्पीकर साहिब, इस सिलसिले में मैं एक और मिसाल आप के सामने पेश करता हूं । पुलिस में इन की reservation तो पूरी हो नहीं रही पर इन के साथ जो सलूक हो रहा है उस की मिसाल मैं यहां देता हूं । चीफ़ मिनिस्टर साहिब उसकी तरफ ध्यान दें । लुधियाने के एक foot constable, जिस का नम्बर 644 है और नाम पीसू राम है, ने एक ऐसे मुलज़म को पकड़ा है जिस ने 30 कत्ल किये हुए थे । मगर मैं complaint नहीं करता, सिर्फ इतना कहता हूं कि उस को नज़र अन्दाज़ करने की कोशिश की गई है । मैं वहां के Superintendent Police को मिला और उस के पश्चात D.I.G. साहिब को भी request की और वह personally वहां गये और इस मामले की तफ़तीश की । और उन्होंने उस Foot Constable को सिर्फ दो फीते इनाम की शक्ल में दिये यानी उसे temporary Head Constable बनाया गया है । मैं कहता हूं कि अगर वह Scheduled caste का न होता और उस की जगह कोई दूसरा आदमी होता और उस ने 30 कत्ल करने वाले मुलज़म को पकड़ने की बजाय किसी दस कत्ल करने वाले मुलज़म को ही पकड़ा होता तो उस को कम से कम पांच हज़ार रुपये की रकम और ज्यादा से ज्यादा ओहदा दिया जाता । इस लिये चीफ़ मिनिस्टर साहिब को इस तरफ ध्यान देना चाहिये । यह कोई टालने वाली बात नहीं है जैसा कि उन की यह आदत सी हो गई है कि जो बात हो वह उस को टालने की कोशिश करते हैं । मैं उन से request करूंगा कि वह इस case को देखने की कोशिश करें और इस बात का सही अन्दाज़ा लगाने की कोशिश करें कि वह कितना खतरनाक मुलज़म होगा जिस ने 30 कत्ल किये हुए थे और उस सिपाही ने कितने खतरे में पड़ कर उस को पकड़ा है ।

इस के बाद, स्पीकर साहिब, मैं एक और बात सदन के सामने रखना चाहता हूं। श्री सत्यपाल भिक्षू एक पंचायत के मेम्बर हैं । वहां के गुण्डों ने उसे मारने कूटने की कोशिश की क्योंकि वह पंचायत की लकड़ी को काटना चाहते थे जो कि श्री सत्य पाल पंचायत के मेम्बर होने की वजह से उन्हें काटने नहीं देते थे । इस लिये उन गुण्डों ने उस को मार मार कर अधमुआ कर दिया है । यह case सात दिनों से अखबारों में चला आ रहा है लेकिन पुलिस उस की report नहीं लिख रही क्योंकि वह मुलज़म सीना ज़ोर है । उस की तरफ चीफ़ मिनिस्टर को ध्यान देना चाहिये ।

स्पीकर साहिब, Law and Order का यह हाल है कि जहां साल के 365 दिन होते हैं, वहां जैसा कि मैं ने उस दिन भी ज़िक्र किया था कि 1957 में 362 अछूत लड़कियों को या तो kidnap किया गया है या forcibly abduct किया गया है । तो मैं पूछता हूं कि क्या यह पंजाब में Law and Order है ?

स्पीकर साहिब, मैं एक और बात यह कहना चाहता हूं कि इन लोगों के केस रजिस्टर नहीं होते। वह इस लिए कि ताज़ीराते हिंद की दफा 498 ऐसी दफ़ा है जिस के लिए कि पुलिस मदाखलत नहीं कर सकती। मैं समझता हूं कि जिस कानून के होते हुए हज़ारों बहू बेटियों की इज्जत लूटी जाए ऐसे कानून को मिट्टी का तेल डाल कर आग लगा देनी चाहिए। मैं यह बात हाउस के नोटिस में लाना चाहता हूं कि आज जो अछूत हैं उन की लड़कियों की इज़्ज़त महफूज़ नहीं है। उस के लिए यह बात निहायत ज़रूरी है कि इस बात का प्रोवीज़न किया जाए कि जो ताज़ीराते हिंद की दफ़ा 498 है उस के तहत दखल देने की पावर पुलिस को होनी चाहिए, यानी इस के मातहत ओफैन्स को कौगनीज़ेबल बनाया जाए और नान-बेलबल बनाया जाए, तब शायद इस चीज़ का इलाज हो सकता है; इस के सिवा और कोई इलाज नहीं है। (घंटी)।

आज चीफ मिनिस्टर साहिब की तरफ से जो ज़िला अफसर हैं, जैसे डी० सी० वगैरह, उन को ऐसे हुक्म होते हैं कि वह सिवाए कांग्रेसियों या उन लोगों के जो चीफ मिनिस्टर साहिब के नज़दीक होते हैं दूसरों के genuine केसिज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारा होश्यारपुर का ज़िला है वहां से पांच मैम्बर ऐसे हैं . . .खैर उस से मुझे कोई मतलब नहीं। मैं चीफ़ मिनिस्टर साहिब से यह दरखास्त करता हूं कि वह ज़िला अफ़सरान को यह हुक्म दें कि चूंकि मैं नान-पार्टीमैन हूं इस लिए मेरा जो भी genuine केस हो उस पर ज़रूर ध्यान दिया जाए। ऐसी इन्स्ट्रक्शन्ज़ जारी की जाएं; चूंकि मैं किसी पार्टी में इंटरेस्टिड नहीं हूं (घंटी)।

जनाब, मैंने एक और बात कहनी है और वह है अनटचेबिलिटी। यह बहुत बुरी बीमारी है और कांग्रेस गवर्नमेंट पर कलंक का धब्बा है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हरिजन बस्तियों में जाकर रहते थे ताकि यह साबित कर सकें कि वह इनसान और इनसान में फर्क नहीं समझते। फिर हम कहते हैं कि हम सोशलिस्टिक पैटर्न आफ़ सोसाइटी कायम करेंगे। मैं पूछता हूं कि क्या इस हकूमत को या किसी M.L.A को ऐसा करने की जुर्रत हुई है? अगर वाकई वह इस धब्बे को धोना चाहते हैं तो क्या उन्होंने जा कर इन बेचारों से कभी sympathy ज़ाहिर की है? मैं कहता हूं कि न किसी Minister ने और न ही किसी M.L.A. ने इन लोगों की बस्तियों में जाकर न तो रहने की कोशिश की है और न ही रहे हैं (घंटी)। मैं request करता हूं कि untouchability को खत्म करने के लिए जो रुपया खर्च हो रहा है, उसको अच्छी तरह खर्च किया जाए और इस के साथ साथ दूसरे साधन भी काम में लाने चाहिएं जिन से untouchability की बीमारी खत्म हो।

खान अब्दुल गफ़ार खां (अम्बाला शहर): मुहतरिम मुकाम जनाब सदर, आज और कल से हमारे सामने ला एंड आर्डर और पुलिस की डिमांड्ज़ पर बहस हो रही है। दोनों तरफ़ से बातें की गई हैं। एक तरफ़ से कहा गया कि यहां के नज़ाम में कोई खामी या कमी नहीं है और दूसरी तरफ़ से कहा गया कि ला एंड आर्डर है ही नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि वह भाई जो मेरी तरफ़ से यह कहते हैं कि कोई कमी नहीं क्या सही बात कहते हैं। और जो मेरे भाई आपोज़ीशन में बैठे हुए हैं उन्हों ने शायद कसम ही खा रखी है कि ऐब ही ऐब बयान करने हैं, हुनर कोई नहीं। जनाब आला, लोगों के लिए कोई न कोई मिसाल कायम होनी चाहिए

[खान अब्दुल ग़फ़ार खां]

और वह पहले इस हाउस के मैम्बरान की तरफ़ से होनी चाहिए। मगर यहां हम क्या देखते हैं ? इस हाउस में कोई डैकोरम या डोसैंसी नहीं दिखाई जाती और लोगों को दावत दी जाती है कि ला एंड आर्डर को तोड़ा जाए, खत्म किया जाए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता और किसी खास आदमी या जमाअत की बाबत नहीं कहना चाहता मगर एक आम बात कहना चाहता हूं कि जब हम इस किस्म की बातें यहां करते हैं तो उन लोगों के सामने जिन्होंने हम को अपने नमाइंदे और प्रतिनिधि बना कर भेजा है एक बदतरीं किस्म की मिसाल पेश करते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि यहां क्या २ होता है ; किस किस्म के मज़ाहरे होते हैं और किस तरह डैकोरम को मलिया मेट करने की कोशिश करते हैं। फिर मेरे भाई बाहर जा कर बबांगेदहुल कहते हैं कि आज यूं कहा, आज यूं खबर ली और इन चीज़ों का अपने लिए क्रैडिट लेने की कोशिश करते हैं। अभी जनाब बाजवा साहिब ने ज़िक्र किया था कि जो कमिशन्ज़ बैठाए जाते हैं यह नहीं होने चाहिएं। ठीक है, खुदा करे कि आयंदा ऐसी नौबत ही न आए, खुदा हमें अक्ल और सलामती बख्शे और हम ऐसी बातें ही न करें कि कमिशन्ज़ बैठाने की नौबत आए और ऐसी ज़रूरत महसूस हो। मगर जब ऐसी बातें होती हैं तो कमिशन भी मुकर्रर करने ही पड़ते हैं। मगर अब तो यह है कि कमिशन मुकर्रर करें तो मुसीबत और न करें तो मुसीबत : अगर कमिशन मुकर्रर किए जाते हैं तो मुसीबत और अगर नहीं किए जाते तो कहा जाता है कि गवर्नमेंट कमिशन मुकर्रर करना नहीं चाहती। इस वक्त तक दो तीन कमिशन मुकर्रर हो चुके हैं। उन्होंने निहायत ईमानदारी के साथ, जजिज़ ने निहायत judicious माइंडिडली अपनी फाइंडिंग्ज़ दीं और सही २ बात कही। मैं इन भाइयों से अर्ज़ करना चाहता हूं कि जब आप पिछले कमिशन की फाइंडिंग्ज़ पर उछल कूद करते थे तो जिस वक्त इस कमिशन की फाइंडिंग्ज़ आपके सामने आईं तो उस वक्त मोटिव्ज़ इम्प्यूट करने की कोशिश क्यों की जाती है। एक जज की ईमानदारी पर शक करना अपने ऊपर शक करना है। (hear, hear) मैं नहीं समझता कि यह कोई अच्छी बात है कि जिस शख्स ने निहायत ईमानदाराना तरीके पर रिपोर्ट की हो उस के खिलाफ इस किस्म के मोटिव्ज़ इम्प्यूट किए जाएं। मैं नहीं जानता कि ऐसी बातें करने वाले साहिबान कहां जा रहे हैं। It is a writing on the wall. उन्होंने बताया कि यह लीडरशिप जिसकी वजह से मुल्क में तमाम फितने फसादात उठते हैं यह लीडरशिप काबले इज्जत तो है मगर काबले एतबार नहीं है। मैं समझता हूं कि एक जज के ऐसे रिमार्क्स के बाद शायद कोई हो इन को काबले एतबार समझता होगा। (चौधरी लहरी सिंह की तरफ से इंट्रप्शन) चौधरी साहिब, मैं बहुत अड़ब सा आदमी हूं, मेरे साथ अगर आप ने कोई बात की तो अच्छा न होगा। Keep quiet. I do not want to be interrupted by you.

Mr. Speaker: Order, please.

खान अब्दुल गफार खां : तो, जनाब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि आप मुलाहज़ा फरमाएं कि उस जज ने बहुत judicious माइंडिडली अपनी रिपोर्ट पेश की है। उस ने न हिंदुओं को छोड़ा है, न सिखों को बख्शा है, न अकालियों को और न जनसंघ वालों को। इस लिए

5-00 p. m. | जो अकाली या जनसंघ के भाई इस रिपोर्ट की तरफ इशारा करते हैं उनसे

मेरी दरखास्त है कि वह अपने गरेबान में मुंह डाल कर देख लें तो उनको महसूस होगा कि रिपोर्ट में कोई नुक्स न था। वह यह भी महसूस करने लग जाएंगे कि उनकी तरफ से इस तरह के वाकियात अगर जारी रहे तो न सिर्फ मुल्क को नुकसान होगा बल्कि हमारे सूबे को भी नुकसान होगा। मैं, जनाब आली, आपकी विसातत से फिरकादार जमातों की खिदमत में अर्ज़ करूंगा कि :

'आग पानी में मेरी जान लगाया न करो'

यह जो आग सूबा के अन्दर फिरकाप्रस्ती की लग गई है इसको बुझाया जा सकता है; लेकिन पानी में आग नहीं लगाई जा सकती। जनाब आली, इस सूबा के अन्दर, इस खूबसूरत सूबा के अन्दर लोग सीधे सादे और नेक हैं। आप उनमें आग लगाना चाहते हैं। ऐसा न होगा और कभी भी न होना चाहिए। और देखना यह है कि यह आग क्यों लगाई जाती है। ताकि अपनी मसनूई लीडरशिप कायम की जा सके और ऊंची शान बनाई जा सके। इस मसनूई शान के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। इस लिए मैं अर्ज़ करता हूं कि......(घंटी की आवाज़)

अध्यक्ष महोदय : आप का वक्त हो चुका है। [The time of the hon. Member is over.]

खान अब्दुल गफार खां : सिर्फ एक या दो मिनट। तो मैं, जनाब आली, अर्ज़ कर रहा था कि हमें इस ईवान में यह अहद करना चाहिए कि अपने सूबे में जो इतना खूबसूरत और प्यारा सूबा है किसी भी हालत में गड़बड़ न होने दें और इस तरह का इखलाक और ज़ब्त कायम करें जो दूसरों के लिए सबक आमोज़ हो। यहां पर मैं एक बात और अर्ज़ कर दूं कि मेरा इस बात पर ईमान है कि जिस वक्त कोई चीज़ मुकम्मल हो जाएगी तो स्टेगनेंट हो जाएगी और उसमें बदबू पैदा हो जाएगी। इस लिए हर बात में तरक्की की गुंजाइश हर वक्त और हर लमहा हो सकती है। इस लिए इस लिहाज़ से नुक्ताचीनी करनी ज़रूरी है और नुक्ताचीनी करनी चाहिए और नुक्ताचीनी से ही तरक्की की तरफ आगे कदम बढ़ाया जा सकता है। अगर इस तरह की बातों को मद्देनज़र रख कर एतराज़ात किए जाएं तो सूबा के लिए और हुकूमत के लिए बाइसे फखर हो।

एक साहिब ने, जनाब आली, फ़रमाया था कि मिनिस्टर मोटरों पर इधर उधर जाते हैं और टी० ए० वसूल करते हैं। मुझे यह सुन कर दुःख हुआ। क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि जब वह खुद मिनिस्टर थे तो क्या वह मोटरों पर सफ़र न करते थे और न ही उन्होंने कभी टी० ए० वसूल किया था बल्कि पक्के महात्मा गांधी के भक्त बने बैठे रहे? तो इस तरह के एतराज़ात करने से हमको परहेज़ करना चाहिए।

जनाब आली, ला एंड आर्डर के मुतअल्लिक कहा गया कि इस में यह कमी है, वह खामी है; लेकिन मैं, जनाब आली, उनको कहना चाहता हूं कि ला एंड आर्डर के नीचे उन्हें खुद रहना ज़रूरी है। अगर वह खुद ही ला एंड आर्डर के नीचे न रहें तो यह कायम कैसे रह सकता है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप भी ला एंड आर्डर के नीचे आ जाइए ; आपने सुनी नहीं घंटी, कितनी देर से बजाई जा रही है । (Now the hon. Member should also obey Law and Order. Has he not heard the sound of the bell ? It is ringing since long.)

खान अब्दुल गफ़ार खां : जनाब आली, मैं घंटी बजने से पहले ही अपनी अर्ज़ को खत्म कर दूंगा । (हंसी)

जनाब, जहां तक एफ़ीशेन्सी का ताल्लुक है मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि सब महकमों में और तमाम अफ़सरों में एफ़ीशेन्सी नहीं है । मैं इसके लिए अर्ज़ करूं कि यह ज़ाहिर किया गया है कि पिछले साल 280 लाख का है डैफिसिट था । फिर लास्ट टाइम यह प्रोपोज़ किया गया कि एक सौ छ: लाख के नए टैक्स लगाए जाएंगे । लेकिन 75 लाख के कम लगाए गए । इसी तरह बिजली पर के खर्च में 180 लाख की कमी कर दी गई । जनाब, इस तरह की बातें हैं और उनकी एफ़ीशेन्सी यह है कि हर चीज़ मन्ज़ूर कर दी, लेकिन 264 लाख का खर्च कम दिया । यह सिर्फ़ एक ही महकमा में नहीं किया गया बल्कि हर महकमा में ऐसा किया गया है । तालीम के महकमा में 65 लाख की कमी, सेहत के महकमा में 25 लाख, ज़रायत के महकमा में 28 लाख की और सनअत में 64 लाख की कमी कर दी गई है । इस लिए हमें अपनी सारी स्कीमों को पूरा करना ज़रूरी है ताकि सूबा की तरक्की हो सके ।

कामरेड हुकम सिंह (राए): स्पीकर साहिब, इस हाउस के सामने साले खां का बजट पेश किया गया है और इस बजट पर काफ़ी दिन तक बहस होती रही है । आज बजट की दो Demands पर बहस हो रही है और आखिर में इन पर voting भी होनी है । इसके बारे में चन्द एक बातें कहना चाहता हूं ।

जब कोई बजट पेश किया जाता है तो वह ruling party के इक्तसादी ढांचे का conception होता है । मैं इसके बारे में कोई general remark पास नहीं करना चाहता बल्कि discussion तक महदूद रहना चाहता हूं ।

स्पीकर साहिब, General Administration की जो हालत आज इस सूबे के अन्दर है उसके बारे में मैं अपनी तरफ़ से कुछ कहना नहीं चाहता । इस तरफ से भी काफी कुछ कहा गया है और Treasury Benches की तरफ़ से जो कुछ कहा गया है उसे सुनता रहा हूं । और उसे सुन कर जनता का दिल और अवाम जानते हैं कि इस सूबे के अन्दर administration गन्दा है, rotten है और अपने आपको कोई भी safe नहीं समझता । आज अगर पंजाब के अन्दर कोई agitation चलती है और कोई तहरीक चलती है तो क्या होता है ? निहत्थे सत्याग्रहियों और agitators पर लाठी चार्ज किया जाता है और गोलियां बरसाई जाती हैं ।

स्पीकर साहिब, मैं आपको इसके बारे में और क्या कहूं । आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि ला एंड आर्डर की क्या हालत है । Administration के बारे में मैं आपको यह बताता हूं कि इसकी हालत क्या है इस सूबे के अन्दर । मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहता जो यहां पर Opposition की तरफ़ से M.L.A.s की तरफ़ से ख्याल दिए गए हैं । मैं तो

High Court के Justice की तरफ़ से दी गई report का ज़िक्र करना चाहता हूं जो report Justice Kapoor की तरफ़ से Ferozepur के बारे में दी गई है। वह इन्साफ़ की report थी। और उस से पता चलता है कि administration कमज़ोर है और इसमें खामियां और कमियां हैं। इसके साथ ही साथ, स्पीकर साहिब, यह भूलना नहीं चाहिए कि सूबा के अन्दर ला एंड आर्डर को कायम रखने और इसके खराब होने के लिए अकेली हकूमत ही ज़िम्मेवार नहीं बल्कि इसमें दूसरे लीडरों का भी हाथ है।

दूसरी report खोसला रिपोर्ट है जो जालन्धर की happenings के बारे में है। अगर इसको खोसड़ा रिपोर्ट कहा जाए तो कोई हर्ज नहीं होगा; इसमें जैसे दो तीन खोंसड़े लगा दिए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट इस report का ज़िक्र कर के अपना सर ऊंचा करना चाहती है।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਗੁਰਅਨਾਦ ਸਿੰਘ: On a point of order, Sir. **ਕੀ ਖੋਸੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ? ਇਹ** withdraw **ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।**

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: **ਇਹ ਮਹਿਨਿਆਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੈ।** (It is simply a shade of difference of meanings.)

कामरेड हुकम सिंह: इस report के माने क्या हैं? यही कि आज पंजाब के अन्दर क्या हालत है और बहुत सी बातें हकूमत की तरफ से कही जाती हैं। कुछ ज़्यादतिएं सरकार की तरफ से की जाती हैं और लोग इस बात को देखते हैं कि हमारी administration क्या है, हमारी पुलिस के क्या कारनामे हैं और लोग इस तरह से हकूमत को उंगली लगा कर देखना चाहते हैं। और देखा जाता है कि इन में कहां तक ताकत है।

स्पीकर साहिब, आज पंजाब के अन्दर फिरकाप्रस्ती के शोले भड़क रहे हैं? इन शोलों से निपटने के लिए यह ज़रूरी है कि हमारी administration ऊंचे दर्जे की हो, लायक administration हो। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि हमारी administration उस level पर नहीं पहुंचती जहां कि आज पंजाब के हालात मांग करते हैं। मौजूदा हालात से निपटने के लिए administration को बदलने की ज़रूरत है।

स्पीकर साहिब, अब मैं language issue की तरफ़ आता हूं। इसी language issue पर इस सूबे के अन्दर कई माह तक agitation चलती रही और जिस के ऊपर इस बजट का काफी रुपया खर्च किया गया। मेरी समझ में नहीं आता कि एक समझदार हकूमत की तरफ से इस issue को इस तरह का रंग दे दिया जाए कि इतना भारी खर्च करना पड़े। एक छोटी सी बात थी कि हरियाना के रहने वाले, Hindi-speaking—area में रहने वाले अगर पंजाबी न पढ़ें तो इसकी कौनसी ज़रूरत थी कि उन्हें पंजाबी बगैर उनकी मर्ज़ी के ज़बरदस्ती पढ़ाई जाए। जब हम एक असूल को मानते हैं कि पंजाब के दो regions हैं, दो हिस्से हैं—एक पंजाबी region और दूसरा हिन्दी speaking region और यह दोनों भाषाओं के आधार पर बनाए गए, तो फिर यह सवाल कैसे पैदा होता है कि एक region में दूसरी भाषा ज़बरदस्ती पढ़ाई जाए। Hindi region पर पंजाबी भाषा

[कामरेड हुकम सिंह]

क्यों ठोंसी जाए ? मैं यह कहना चाहता हूं कि पंजाबी भाषा को हिन्दी region के लोगों पर ठोंसना गलती है। जब हम एक असूल अपना चुके हैं और इसी असूल पर पंजाब को 2 regions में तकसीम कर दिया है तो फिर इस तरह की बात करनी पंजाब को हिलाने वाली बात होगी।

स्पीकर साहिब, जो मेरे पंजाबी region वाले भाई हैं इन को कभी गिला न होता अगर यह कर दिया जाता कि वह हिन्दी पढ़ें या न पढ़ें। इसी तरह से जो हिन्दी region है उस में पंजाबी को optional करार कर दिया जाता, यानी यह ऐसा मज़मून समझा जाये कि जो पंजाबी के पढ़ने वाले हैं उन्हें इमतिहान में फेल न समझा जाये। आज कल की पढ़ाई के बारे जितनी यह agitations चलती हैं या जितनी भी discontentment है इसे कौन नहीं जानता। आज मेरे इलाका हरयाना में और रोहतक में यह कहा जा रहा है कि उन को भी इस तरह से पंजाबी पढ़नी पड़ेगी जिस तरह से कि हिन्दी। इस किस्म की जो बातें हैं इन से हर एक आदमी को safe करना ज़रूरी है। मैं आपका ध्यान जो मौजूदा administration का ढांचा है इस की ओर भी दिलाना चाहता हूं। Administration के ऊपर बहुत से members जो Treasury Benches से उठे हैं, ने इस की तारीफ की है और तारीफ करते ही चले गये हैं। मैं, स्पीकर साहिब, कहना चाहता हूं कि administration में जो खराबी है इस को ठीक करने के लिये क्या क्या यत्न किये जा सकते हैं। Administration के अन्दर जो कमी है वह एक बुनियादी कमी है, और जिस ढंग से इस को ठीक करने की कोशिश की जा रही है यह ठीक नहीं हो सकेगी। आज ज़रूरत इस सारे ढांचे को तबदील करने की है। हमारा फर्ज़ है कि इस ढांचा में कम से कम तबदीली करके लोगों को ऊंचे से ऊंचा उठाया जाये। मैं अपने Chief Minister साहिब से इलतजा करूंगा कि वह administration के ढांचा को इस किस्म का बनायें कि जिस को एक economic किस्म का ढांचा कहा जा सके जो कि हर हालत में हमारी मुल्क की दशा के मतवाज़ी हो। इस सिलसिले में मैं आप को केरेला की मिसाल दूंगा। वहां के Chief Minister Mr. Namboodaripad ने मौजूदा ढांचे को दरुस्त करने के लिये एक committee बनाई है, जो वहां मौजूदा administration के ढांचे को देखेगी और जो उस में खामियां हैं उन को दूर करने के लिये report देगी। इस में तमाम parties के नुमाइंदे लिये गये हैं और सब को satisfy करने की कोशिश की जा रही है। मैं भी अपने चीफ़ मिनिस्टर साहिब से दरखास्त करूंगा कि अगर उन्होंने पंजाब के ढांचे को ठीक करना है तो इस को दरुस्त करने के लिये बिल्कुल तोड़ कर नये सिरे से बनाना होगा। इस के लिये मैं उन से भी मांग करूंगा कि वह भी एक कमेटी बनायें जिस में सब parties के नुमाइंदे लिये जायें ताकि हमारी administration का ढांचा, जिस के खिलाफ़ इतनी हफ़ड़ा दफड़ी मची है, दरुस्त किया जा सके। एक हिस्सा low paid है और दूसरा हिस्सा highly paid है। जो अंग्रेज़ ने हमारे ऊपर इतना राज करके इस किस्म का तबका पैदा किया इस का मकसद यह था कि low-paid और highly paid की एक दूसरे से किसी तरह से रसाई न हो। तो मेरा कहने का मकसद यह था कि जो

यह ढांचा अंग्रेज़ से हमें विरसा में मिला है उस को हमें दरुस्त करना चाहिये। इस की machinery में नया पुर्ज़ा डालने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो नये पुर्ज़ा को डालने से पहले इस सारी machinery के set-up को overhaul करने की ज़रूरत है, ठीक करने की ज़रूरत है।

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਖਾਮਖਾਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੁਕਤਾ-ਚੀਨੀ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਯਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਝ ਵੀਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਾ ਦੇਣ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਮਰੇਡ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਰੇਲਾ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ; ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਗੱਲ ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਏਥੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ।

ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸ੍ਰੀ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ ਏਥੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ Administration ਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ least governed is the best governed। ਪਰ ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਨੁਖ ਪੂਰਨ ਮਨੁਖ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਐਡਮਨਿਸਟ-ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਪਲੀਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ Communist ਕਹਿ ਲਵੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਕਹਿ ਲਵੋ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ Administration ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਡਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਆਈ. ਜੀ. ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਕ ਕਨਸਟੇਬਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਈ. ਜੀ. ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਗਰੀਬ ਮੋਚੀ ਦੀ ਆਮਦਨ

[ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ]
ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ (ਤਾੜੀਆਂ ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅਛੀ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ co-operation ਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਢੰਗ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਇਹ ਇਕ transitional period ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ adjust ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਉ, ਮੈਂ with impunity ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਅਜ ਬੜਾ ਕਝ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਖੋਸਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵਕਤ ਵਿਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ Social milage ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ transitional period ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ transitional period ਵਿਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ੨ ਜੁਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਸਰਤ ਹੀ virile ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਹਦ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਣਖ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ, ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਪੜਾ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੁਕੇ ਜਿਹੇ ਪੇਟ—ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ—ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਾਰੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੜਾਕੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਥੇ ਸਾਡਾ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉ।

ਜੇ P.A.P. ਦਾ ਖਰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਫੀ ਕਸ ਲਈ 2 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਸਲਨ ਮਦਰਾਸ ਵਿਚ $1\frac{3}{4}$ ਰੁਪਿਆ ਫੀ ਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ $1\frac{1}{2}$ ਰੁਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਲਉ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਲਉ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਜਵਾਨ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਸਤ ਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ 2 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਫਿੱਗਰਸ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪੈਪਸੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਵਖੋ ਵਖ ਨਹੀਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਉਸ ਨਾਲ integrate ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।

ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 620 ਕਤਲ 1957-58 ਵਿਚ ਉਥੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਖਰਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ 4 ਕਰੋੜ 51 ਲੱਖ ਮੰਗ ਕੇ 2 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਕਸ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਰੁਪਏ ਇਕ Foot Constable ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ maximum ਵਿਚ ਵੀ 27 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਫੁਟ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਕੇਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 40-1-60 ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ 30-1-45, ਅਸਾਮ ਵਿਚ 35-1-45-2-55, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 30-1-50 ਮਦਰਾਸ ਵਿਚ 30-½-40 ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ realize ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਕ-ਇਕ ਸਿਪਾਹੀ ਪਿਛੇ 15 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਕ Constable ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀ efficient ਹਨ।

ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਰਮ ਚੰਦ ਨੇ ਇਕ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀਆਂ 362 ਲੜਕੀਆਂ abduct ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 284 recover ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ recover ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ matured age ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਭੁਲ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 100 ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬਾਲਗ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ। ਪਰ ਜਿਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ morality ਹੀ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਵਕਤ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਚਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਆਰਥਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਅਸਰ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ efficiency ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਤੱਕ ਲਉ। ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ law and order ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ opposition ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਆਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ State ਦੀ ਹਾਲਤ deteriorate ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤਰੀਕ ਸੀ 23-1-56। ਉਸ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ absconders ਸਨ 365। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1955-56 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ 423, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰ: 498 ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਕਿ Regional Formula ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾ ਗਰਦੀ ਹੋਈ ਜਿਸਨੇ law and order ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

[ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ]
ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ agitations in full swing ਚਲੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੀ figures ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਤਕ ਲਉ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਉ ਉਹ ਹਨ 365 । ਅਤੇ ਵਡੇ dangerous criminals ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ 184 ਦੇ ਉਤੇ ਲੈ ਆਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ law and order ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ absconders ਦਾ ਨੰਬਰ 159 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਿੰਨਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ । ਔਰ ਰੋਬਰੀਜ਼ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ 477 ਮਰਡਰਜ਼ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਅਸੀ 20 ਮਰਡਰਜ਼ ਘਟਾ ਦਿਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ । ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਲ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਮਰਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 477 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 442 ਤੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਕੈਤੀਆਂ 13 ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 9 ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ । ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ 3943 ਕੇਸਿਜ਼ ਬਰਗਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੀ । ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 3400 ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਤੀ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ, ਜਨਾਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ rioting ਦੇ ਕਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰੀ ਖਾਸ ਕਰ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਮਾਮੂਲੀ ਚੋਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸਿਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਧੇ ਹਨ । ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੇ 11 ਕੇਸ ਘਟੇ ਹਨ । ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸਿਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਧੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਜਨਾਬ, ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਸਮਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੌੜੀ ਫਿਰੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਦਾਉ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਚੁਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਕਰਾਈਮ ਘਟਿਆ ਹੈ ਮਗਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ ਮਰਜ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਰਲੇ ਓਥੇ ਅਕਸਰ ਕਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁਛ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ normalcy ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਕਤ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ normalcy ਤੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ । ਕਈ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਥੇ ਕਰਾਈਮ ਨੂੰ ਉੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਹਰ ਵਕਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਊਸਟ (oust) ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਹਾਂ, ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ

ਹੋ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿਚ, ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਡੇਪੂਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜੇ ਗਏ । ਏਥੇ ਆ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਨਾਬ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਪੀਚਾਂ ਕਰਕੇ ਏਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । (*voices of shame, shame.*)

ਖ਼ੈਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । (ਪਰਸੰਸਾ) (ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੋਰ) । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਛਿੱਟਾਂ ਪੈਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਛੇੜਨਾ ਹੋਇਆ ।

चौधरी धर्म सिंह राठी : सरदार साहिब, आपको भी सब जानते हैं । आप जो कुछ कर रहे हैं, वह किसी से भूला हुआ नहीं ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕ ਦੋਸਤ ਆਇਆ । ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਂ, ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੀਂ । ਇਸ ਕਰਕੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ।

ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਾਈਮ (crime) ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ 365 absconders ਸਨ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ 159 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਜਾਂ ਸੱਤ absconders ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਭਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਛੁਪੇ ਹਨ, ਕਈ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਈ ਆਸਾਮ, ਨੇਪਾਲ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾ ਵੜੇ ਹਨ । ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ on the whole ਕਰਾਈਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਲਾਂਭਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਐਂਵੇਂ ਹੀ ਭੰਡੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਮਗਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

(ਚੌਧਰੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ ਨੇ *interrupt* ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ) (*At this stage there was much noise in the House.*)

Mr. Speaker : Order please, I shall not tolerate any interruption.

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਛਪੇ ਕਿ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ । ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ।

Mr. Speaker : I think it is more advisible to have joke with someone who can understand it.

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਏਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਲੈਣ ਦਿਉ ।

ਕੰਵਰਾਣੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ : ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ । ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ exist ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ।

ਕਈ ਹੋਰ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਏਥੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ । ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ । ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੁਆਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਠਹਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਸੱਟ ਨਾ ਮਾਰਦਾ । ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਹਨ । ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ irresponsible ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ । ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਸ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਅੱਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਵੰਬਰ 1956 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰੈਲ 1957 ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ

ਮਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ।

ਇਹ ਆਦਮੀ 1956 ਵਿਚ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੋਈ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਫੇਰ, ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਕਤ 30, 31 ਆਦਮੀ ਹੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ 30, 31 ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਸੀ ? ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪੀੜਤ ਰਖਣੇ ਹਨ, ਰਿਟਾਇਰ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਰੱਖਣੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਨਾ ਹੀ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 30, 31 ਵਿਚੋਂ 8 ਆਦਮੀ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਤੇ recommend ਕੀਤੇ ਸਨ । ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ D.C. ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਆਦਮੀ recommend ਕੀਤਾ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ demoralise ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਫੇਰ, ਜਨਾਬ, 7 ਆਦਮੀ ਉਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਗੇ ਪਿਛੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤਨੀ integrity ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੋ ਆਦਮੀ recommend ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਕੇ ਰਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ elections ਲੜੇ ਹਨ ਤੇ ਲੜਨੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਰਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ integrity ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ । ਮੈਂ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ । ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ standing ਵੀ ਵੇਖੋ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 7 ਆਦਮੀ ਉਹ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਨ, 5 ਆਦਮੀ ਉਹ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 5 ਆਦਮੀ ਉਹ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਸਨ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਦਾ political sufferer ਵੀ ਆਵੇ, ਫ਼ੌਜੀ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦਾ refugee ਵੀ ਆਵੇ ਅਤੇ, ਜਨਾਬ, ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਆਉਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਦੇ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂ । ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ । ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ । ਹਾਂ, ਤੇ 6 ਆਦਮੀ ਉਹ ਰਖੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ recommended ਨਹੀਂ ਸਨ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵਾਂ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ । criteria ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ peasantry ਦੀ ਲੁਟ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ ਖਾਸ integrity ਦੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ । ਪਰ ਇਤਨੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ

[ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ]

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1956 ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਲ, ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ elections ਵੀ ਲੜ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ favouritism ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਈ ਹੈ। ਇਕੋ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਆਦਮੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇਣ। ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ। ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਤਨ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੱਭ ਦਿਉ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵੀ ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਦੱਸ ਦਿਉ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ (*loud cheers*)। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਸਦੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਜਿਥੇ corruption ਚਲਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹੋਰ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ (*Interruptions*)। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਸਮਝੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਾ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਕ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। (*loud cheers*)। ਮੈਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਵਿਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਹਾਂ। ਵਿੱਦਿਆ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਮੈਂ ਇਸ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਆਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਧਾਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਝੱਖੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ question ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਡੇਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਆ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਗੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਕੇ Sachar Formula ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ (*Interruptions and loud noise*)। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਲਏ (*noise*)। ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ........

श्री शेर सिंह: मैं ने कब ऐसा कहा था? मैं ने नहीं कहा। (*loud noise*).

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਉ । ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਸਤਖਤ ਮਜਬੂਰ ਹੋਕੇ ਕੀਤੇ ਸਨ.......(*Interruptions and noise*).

श्री शेर सिंह : मैं फिर कहता हूं कि मैं ने ऐसा नहीं कहा ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਉ । ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ (*noise*) । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਨ ? ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈਂ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਥੀ ਹੈਂ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਇਹ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਧੜੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ ਉਸ ਲਈ ਜੇ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ । (*Loud laughter*) (*interruptions and noise*). ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰਾ ਖੋਸਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਇਸੇ ਆਦਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਈ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈਂ । ਜੋ ਕੁਝ ਖੋਸਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਨਦਾਮਤ ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ (ਹਾਸਾ) । ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕ ਮਨਿਸਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਹਨ ਤੇ mis-statements ਹਨ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨ ਆਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਹੈ । (*Loud cheers*) ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹੋ । ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ election ਲੜਨਾ ਹੈ । ਜਨਾਬ, ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ independent elections ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੰਡਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਏਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਾਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ? ਸੁਆਦ ਤੇ ਤਾਂ ਸੀ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸਿਉਂ resign ਕਰਦੇ ਤੇ ਫੇਰ election ਲੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ....

श्री शेर सिंह : सरदार साहिब, क्या आप भी resign करें गे ? आप करेंगे तो हम भी कर देंगे ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ resign ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ expel ਕੀਤਾ ਸੀ—ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਹੁਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।

[ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ]

ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਫੇਰ election ਲੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਚੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਚੁਪ ਚੁਪੀਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ apologetic letter ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿ I am sorry that I do not want to contest the elections again. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਮੈਨੂੰ, ਜਨਾਬ, ਕੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਇਕੋ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਹੈ। ਜਨਾਬ, ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਕਈ ਫਿਰਕੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ—ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਦ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ ਉਛਾਲਿਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਢੀਆਂ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਰ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਖੋਹ ਲਿਆ? (ਹਾਸਾ) ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਬਰਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚ communalism ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ communalism ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ (*interruptions*)। ਕੀ ਘੁੱਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਬਰਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। (ਹਾਸਾ) ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕਾ ਪਰਸਤੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। (*cheers*)

Shri Sher Singh : Do you say that Punjabi is a language of the Sikhs only?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਫਿਰਕਾਪਰਸਤੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ.......
(*Interruptions and noise*)

श्री शेर सिंह : जनाब, जबान किसी मज़हब की नहीं होती है। पंजाबी सिखों की जबान नहीं है। यह गलत कह रहे हैं और इस से बड़ी फिरका प्रस्ती और क्या हो सकती है कि यह कहते हैं कि पंजाबी सिखों की जबान है . . . . . .

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ . . . .

(*Chaudhari Dharam Singh Rathi made interruptions and wanted to speak*)

अध्यक्ष महोदय : राठी साहिब, आप को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने इस हाऊस में आपके मुंह से ऐसे शब्द सुने हैं जिन्हें दोहराने के लिए मेरा दिल नहीं करता। आप interruptions क्यों करते हैं? यह कोई parliamentary तरीका नहीं है कि कदम कदम पर बोलते आएं।

(The hon. Member Shri Rathi should not behave like that. I have heard him saying such words in this House as I do not want to repeat. Why does he make interruptions in this manner? This is not parliamentarian like to make interruptions at every step.)

ਜਨਾਬ, ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ description ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। (*interruptions*) (*noise*) ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ।

चौधरी धर्म सिंह राठी : आप को समझ ही नहीं है।

Mr. Speaker : Order please.

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਛਿਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ (*Laughter.*)

चौधरी धर्म सिंह राठी : क्या यह लीडर आफ दी हाउस बोल रहे हैं? हमारे चीफ मिनिस्टर को फजूल बातें करने की आदत हो गई है।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਫਿਰ, ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਾਏ ਨਾਗਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਥੇ ਆਦਮੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅੋਰ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੋਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇਖਲਾਕ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਖਲਾਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਇਕ ਮੰਜੀ ਤੇ ਸੁਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਵੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ allegation ਇਸ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ M.L.A. ਨੇ communist candidate ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅੋਰ ਉਸ constituency ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ communists ਦਾ Stalingrad ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ chains of murders commit ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਕ murder ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ murder ਇਕ Communist ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਲੇਕਿਨ Sessions Court ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ chain of murder ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਖੰਡੇਵਾਲ ਚੌਕ ਦੀ ਇਕ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇਕ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਉਥੇ employees ਅਤੇ employers ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡੇ ਹਲ ਲ ਦੀ ਇਕ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਸਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ

[ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ]

ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ । ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬੀਬੀ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ । ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ rape ਦੀ ਗੱਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ।

ਆਸਾ ਬੁਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖਰਾਬੀ ਕੀਤੀ । ਜਨਾਬ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜਨਾਬ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।

ਨਿਜ਼ਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮੈਂ ਜਨਾਬ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਉਹ ਪੰਜ ਛੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ......

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਚੰਗੀ ਵੀ ਹੈ ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ । (Laughter)

A man is known by the company he keeps.

ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਤੈਸ਼ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਂ । ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਹ ਠੰਢੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ Communist ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਉਸ ਲਈ ਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ Ph.D. ਹੈ । ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਖਾਸ ideology ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ideology ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ । ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ allegations ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ । ਮੇਰੇ ਪਾਸ notes ਹਨ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਰੇ allegation ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ employees ਨੇ complaints Anti-Corruption Department ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ । ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਦੱਸੀ ਹੈ । complaints Anti-Corruption Department ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਲਕਿ Finance Department ਪਾਸ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ । Finance Department ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ

ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ statements ਦੇ ਕੇ Anti-Corruption Department ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Forest Ranger ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ service ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਨੇ ਬਗੈਰ verify ਕੀਤਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ intimation ਦੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਦਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ charge sheet ਦੇਈਏ ਅਤੇ rules ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ charge sheet ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਚੌਧਰੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਮਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਫਿਕਰੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ delay ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Delay ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ।

6 p.m.

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਕਦੀ ਪੁਛਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੁਛ ਛਡਿਆ ਕਰੋ। ਅਸਾਂ ਤਿੰਨ Flying Squads ਬਣਾਏ ਹਨ। Patiala Division, Ambala Division ਤੇ Jullundur Division ਵਿਚ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Secretariat ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, I. G. Police ਤੇ D. I. G. Police ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਸ ਨੇ Secretariat ਦਿਆਂ 171 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ।

Censured	11
Warning issued	47
Simple warning	117
Removed from Service	1
debarred from Futher employment	1

ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਪੁਰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ articles ਲਿਖੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ efficiency ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤਿਲਕੇਗਾ। Assessment Circle ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ file ਤਿਲਕਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ file 10 ਦਿਨ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

[ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ]

ਫੇਰ, ਜਨਾਬ; ਦੂਜੇ Squad ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸੁਣ ਲਉ ।

Censured	2
Simple Warning	95
Entries on personal files	12

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ flying Squad ਨੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਤੀਆਂ :--

Censured	13
Personal Warnings	71
Simple Warnings	64

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 388 ਆਦਮੀ ਹੋ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ Anti-Corruption Department ਨੇ ਵੀ ਰਗੜਾ ਲਾਇਆ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ ।

Dismissed, discharged or Services terminated	136
Convicted and Sentenced	9
Retired Compulsorily	9
Removed from the list of Candidates	5
Reverted or degraded	39
Pensions reduced	6
Reduced in Scale of pay	1
Confiscation of pensions and gratuity	2
Fined	5
Stoppage of increments	89
Censure	7
Warned and awarded minor punishments	31

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, Heads of Departments ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ defaulters ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਉਹ ਵਖਰੀਆਂ ਹਨ । Anti-Corruption Department ਤੇ Flying Squads ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ—Rabi ਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਵਿਚ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ net ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ । ਮੈਂ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਂਚਾ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ । ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਂ criticism ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । ਐਨਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਪਾਸਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ।

Transport ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਰਾਓ ਬੀਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰੜੇ ਹਥ ਨਾਲ ਸਬ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ।

ਫੇਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿੱਤ੍ਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਿਆ । ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬੱਚੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਦਿਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ speech ਸੀ ਉਹ ਸਿਵਾਏ ਬਚਪਨੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗ਼ਨੀ ਨੇ ਦੋ cases ਦੱਸੇ ਕਿ C. I. D. ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ C. I. D. ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਰਗੜਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜੇ ਦੋ M. L. As. ਲੜੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ Superintendent of Police ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਗੜਾ ਦੁਆਇਆ । ਅਰਜ਼ੀ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗਾ । ਮੈਂ ਅਸੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਦੋ political parties ਹੋਣ—ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਜਾਂ ਜਨ ਸੰਘ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ Local Police ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ D.I.G., C.I.D. ਜਾਂ Additional I. G. ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ enquiry ਕਰੇ । C.I.D. ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ guilty ਕਰਾਰ ਦਏ ਤਾਂ Challan ਕਰ ਕੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਫੇਰ ਜੋ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰੇ । ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਫੇਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਇਕ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਤੇ 26 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਕ ਸਿਆਣੇ ਤੇ responsible ਆਦਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ murder ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ D. I. G., C. I. D. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ । C. I. D. ਦੇ ਆਦਮੀ ਭੇਜ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਘੂਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਲਭਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਕੰਮ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਹਰਤ stake ਤੇ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ-ਦੇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਰੋਅਬ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ irregularity ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਫਸਰ ਨਾ ਰਹੇ । ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਥੇ nepotism ਤੇ favouritism ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੁੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਵਕਤ ਦੂਰ

[ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਨਹੀਂ ਸਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਭਜਦਾ, ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗੇ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ ।

ਕਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ 8 ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ । ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਬਰ ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਨਾਸਿਬ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ speeches ਕੀਤਾ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ House ਦੀ dignity ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖੋਗੇ ਤਾਂ Services ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ concern ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ House ਦੇ ਲਾਂਭ gallaries ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਊਸ ਦੀ dignity ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ।

ਫੇਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । High Court ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ interested ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ interested ਹੈ । Without Committing my self one way or the other ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਅਰਜ਼ੀ ਆਈ ਪਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲ ਹੈ । ਜਨਾਬ, ਇਹ ਇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ । ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ । ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ dispossess ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮੈਂ D. C. ਨੂੰ ਐਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ dispossess ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । Dispossess ਕਰਨ ਦੀ ਏਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ । ਜਨਾਬ, ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ । ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਯਾ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ । ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ । ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ । ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਵੇ । 'ਜਿੰਨ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ' । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ hon. Member ਨੂੰ ਦੋ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ interested ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਦੱਸਣ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ interested ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਿਚ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ । ਜੋ Court ਕਰ ਦੇਵੇ ਠੀਕ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ । 'ਜਿੰਨ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ' । ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । Case sub-judice ਹੈ । ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲੇ ਤੋਂ case transfer ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ । ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ

ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ dispossess ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ। ਮੈਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ। ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਿਛੋਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਹਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਅਦਾਲਤ ਮੁਕਾ ਦੇਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੁਕਾ ਦੇਵੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ case ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ interested ਹੋਏ, ਇਹ logic ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਦਮੀ ਆਏ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮਿਤ੍ਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਨਾਬ, ਮੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। Already it was thrashed by the Court. Court ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੀ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੁਲੂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। (ਘੰਟੀ) ਮੈਂ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਪਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ law and order ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰੋ ਕੱਢ ਕੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਇਸ House ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਬੋਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਿਆ ਰੜ੍ਹਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਂ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।

Kanwarani Jagdish Kaur : On a point of order, Sir. Can the Chief Minister show his back to the Chair and speak to the other side ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਨੀ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਖਿਆਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਲਾ ਲਉ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮੈਂ action ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ 28 ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਚਾਂ ਨੇ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਏਸ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਤੇ ਏਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਏਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਢਕੀ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਢਕੀ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਖੈਰ, ਜੋ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ fault ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਫਸਰ ਚੰਗੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਐਨੇ ਆਦਮੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰ demoralise ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗੋਂ ਹੀ action ਵੀ ਲੈ

[ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਲਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ action ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜਨਾਬ, ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕਦੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਸਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦੋਸਤ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਛੰਗਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ । ਫਿਰ, ਜਨਾਬ, ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ... (ਘੰਟੀ) ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇਕ ਫਿਕਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂ । ਜਨਾਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ । ਜੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਦਾਅ ਲਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲਵਾਂਗਾ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ public ਵਿਚ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੌਣ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਛਾਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕ ਇਕ ਪੈਸਾ ਬੜੇ ਸੁਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਭੇਦ ਤੇ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਵਾਂਗਾ । (*cheers*)

DEMAND NO. 10

Mr. Speaker : Question is—

That item of Rs 23,65,200 on account of U-2—Welfare Officer be reduced by Rs 23,65,199.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs 4,43,739.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re 1.

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re. 1.

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by one Naya Paisa.

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That item of Rs 23,65,200 on account of U-2—Welfare Officer be reduced by Rs 23,65,199.

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That item of Rs 23,65,200 on account of U-2—Welfare Officer be reduced by Rs 100.

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That item of Rs 4,43,740 on account of E—Commissioners be reduced by Rs 100.

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs 2.

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re. 1.

After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. Speaker said "I think the Noes have it". This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speaker, after calling upon those Members who challenged the decision and supported the claim for a division to rise in their places, declared that the division was unnecessarily claimed.

The motion was declared lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re. 1.

After ascertaining the votes of the House by voices Mr. Speaker said "I think the Noes have it". This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speaker, after calling upon those Members who challenged the decision and supported the claim for a division to rise in their places, declared that the division was unnecessarily claimed.

The motion was declared lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re. 1.

The motion was , by leave, withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re. 1.

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by one Naya Paisa.

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re. 1.

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs. 100.

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs 3,17,30,300 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1958-59 in respect of charges under head "25—GENERAL ADMINISTRATION."

(voices from opposition : हम lobbies में division चाहते हैं । हम lobbies में division चाहते हैं ।)

Mr. Speaker : Order please. It is for me to decide and not for you. जो हक में है वह खड़े हो जाएं (Those who are in favour may please rise in their seats.)

Chaudhari Dharam Singh Rathi : We claim division in the lobbies.

Mr. Speaker : This is being done to interrupt the proceedings. I do not recognise it.

After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. Speaker said "I think the Noes have it his. This opinion was challenged and division was claimed Mr. Speaker, after calling upon those Members who challenged the decision and supported the claim for a division, to rise in their places declared that the division was unnecessarily claimed.

The motion was decared carried.

चौधरी धर्म सिंह राठी : Division तो आप ने करवाई नहीं ।

Mr. Speaker : This is within the discretion of the Chair.

चौधरी धर्म सिंह राठी : यह rules में दर्ज है कि जब हम एक दफा भी "Ayes have it" कहें तो उस motion पर division कराई जाए । हमने "Ayes have it" कहा . . . . .

Voices from Treasury Benches : Noes have it.

चौधरी धर्म सिंह राठी : On a point of order, Sir, मेरा point of order यह है कि rules के मुताबिक जब हम एक दफा भी 'ayes have it' कहें तो जरूरी है कि division कराई जाए । जब इस तरह division मांगी जाए तो किसी को अख्तियार नहीं कि डिवीजन कराने से पहले अपनी findings दे दे ।

Mr. Speaker : Order, please. When the Chair is of the opinion that a demand is being made continuously with the object of interrupting the proceedings, it can ignore that.

चौधरी धर्म सिंह राठी : Rules में कहीं भी नहीं है । अगर है तो पढ़कर सुना दें । Rules के अन्दर कहीं भी Speaker को यह discretion या अख्तियार नहीं है कि 'Ayes have it' कहे जाने पर भी division न कराई जाए ।

Mr. Speaker : There are rulings on it.

चौधरी धर्म सिंह राठी : कहीं नहीं है rules के अन्दर कहीं नहीं है। आप बताएं कि फलां rule है । (*Interruptions*)

Mr. Speaker : Order please.

चौधरी धर्म सिंह राठी : कोई rule नहीं है ।

श्री इन्दर सिंह : On a point of order, Sir. जनाब, मेरा सवाल यह है कि अगर कोई किसी demand के पास किए जाने के खिलाफ हो और division मांगी जाए तो मैं आप से ruling चाहता हूं . . .

Mr. Speaker : If my opinion as to the decision of a question is challenged and I think the division is unnecessarily claimed, I can ask the Members who are for 'Aye' and those for 'No' to rise in their places.

श्री इन्दर सिंह : मेरा point यह है कि क्या हमें हक नहीं है कि हम division claim कर सकें ?

चौधरी धर्म सिंह राठी : इस को challenge किया जा सकता है ।

Shri Sher Singh : Sir, what is your ruling on this point of order ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा अख्तियार है कि मैं motion को put कर सकता हूं और मेम्बरान को खड़ा होने के लिए कह सकता हूं और उस basis पर decision ले सकता हूं (I have a discretion to put the motion to the vote of the house and after asking the members to rise on their seats take a decision on that basis.)

श्री इन्दर सिंह : मैं आप की ruling चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं voice vote ले सकता हूं । अभी इतनी cut motions बाकी पड़ी हुई हैं और आपने थोड़ी सी पर ही इतना वक्त ले लिया है । Time खत्म होने वाला है । आप बार बार divisions कराना चाहते हैं । मेरा ख्याल था कि आप इन को पास कर देंगे । अच्छा, अगर आप आज पास न करेंगे तो कल कुछ मिनट और लग जाएंगे । (I can take voice votes. There are yet so many cut motions and they have taken so much time on a few of them only. The time is about to be over. They appear to claim division again and again. I thought that they would pass them. Well, if they don't pass them a few minutes more will be spent on them tomorrow.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : हम क्या करें, हम मजबूर हैं ।

EXTENSION OF TIME OF SITTING OF THE SABHA

Chief Minister (Sardar Partap Singh Kairon) : Sir, I beg to move.

That the sitting of the Sabha be extended up to 6.50 p.m.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the sitting of the Sabha be extended up to 6.50 p.m.

चौधरी धर्म सिंह राठी: हमें भी इस motion पर कुछ बोलने दें (*interruption*)

श्री शेर सिंह : हां, हां बोलने तो दें ।

चौधरी धर्म सिंह राठी : जनाब, इस के ऊपर मुझे कुछ कहना है । हमें इस को discuss करने का मौका मिलना चाहिए । क्योंकि motion को discuss करने का हक है ।

अध्यक्ष महोदय : आप को मालूम होना चाहिए कि इस motion के अलावा भी मेरी inherent powers हैं कि मैं sitting को extend कर सकता हूं। (The hon. Member ought to know that apart from this motion I have inherent powers to extend the sitting beyond the appointed time.)

Chaudhri Balbir Singh : Then why was that motion moved? (*Interruptions*)

आपोजीशन की तरफ से आवाज़ें : हमारी बातों को भी तो सुन लें (*Interruptions*)

Mr. Speaker : It is not in good taste,

चौधरी धर्म सिंह राठी : आप इस तरह की राए नहीं दे सकते जो कि rules के खिलाफ़ हो। मैं अर्ज़ करता हूं —बड़े अदब से यह बात कहना चाहता हूं कि जो तरीका है, जब उन्होंने motion move की है तो उसके बारे में बोलने का हमारा right है। अगर motion move न करते... तो हम बोलने के लिए खड़े न होते और न यह मामला होता (interruptions) इस से पहले कि मैं कुछ कहूं आपने motion put कर दी। यह कोई तरीका नहीं है (*Interruptions*)

Mr. Speaker : Order please, This is not fair on your part.

चौधरी धर्म सिंह राठी : आप इस motion को वापस लें। अगर वह move करते हैं तो हमें इस के खिलाफ़ बोलने का हक है।

अध्यक्ष महोदय : आप को क्या मजा आएगा। अगर मैं खुद ही कह दूं कि House extended है। (What would the hon. Member gain if I myself say that the sitting of the House stands extended ?)

Shri Sher Singh : On a point of order, Sir........

Mr. Speaker : Order, please.

Shri Sher Singh : On a point of Order, Sir......

अध्यक्ष महोदय : अच्छा आप withdraw कर लें, मैं अपनी discretion इस्तेमाल कर लूंगा। (Well, the Chief minister may withdraw his motion and I will exercise my discretion)

Chief Minister : Sir, I withdraw my motion.

श्री शेर सिंह : On a point of order, Sir....

अध्यक्ष महोदय : आप जितने मर्ज़ी points of order raise करें मैं अपनी मर्ज़ी से sitting को 6.50 तक extend करता हू। (The hon. Member may raise any number of points of order as he likes, I extend the sitting of the House up to 6.50 p.m. at my own discretion.)

(*The sitting was extended upto 6.50 p.m.*)

श्री शेर सिंह : मेरा दूसरा एक point of order है और यह यह है कि साढ़े छः बजे का time तो हो चुका (हाउस की घड़ी की ओर इशारा करते हुए) और इस घड़ी पर सूई एक मिनट आगे जा चुकी है ।

अध्यक्ष महोदय : पर मेरी घड़ी पर अभी नहीं हुआ था (But it was not so by my watch.)

श्री शेर सिंह : उस में हो गया था । तो . . . .

Mr. Speaker : I have got with me a publication entitled "Decisions from the Chair of Lok Sabha, 25th July, 1955 to 1st October, 1955". At page 29 thereof, it is stated—

"It is for the Chair to accept or refuse a demand for division."

चौधरी धर्म सिंह राठी : लेकिन हमारे rules तो clear नहीं हैं ।

Mr. Speaker : We have to follow the rulings of the Lok Sabha and other Legislatures as well.

चौधरी धर्म सिंह राठी : यह उनके rules में होगा; हमारे rules में नहीं है ।

श्री शेर सिंह : मैंने जो point of order raise किया था उस के मुतअल्लिक आप की क्या ruling है ? साढ़े छः के बाद एक मिनट . . .

Mr. Speaker : I had not yet announced that the time was 6.30 p.m. I had not adjourned the House.

श्री शेर सिंह : उस के मुताबक एक मिनट ऊपर हो चुका था । इस लिए मैं आप की definite ruling चाहता हूं ।

Mr. Speaker : If it had been 6.30 p.m., I would have adjourned the Sabha. The time then was not 6.30 p.m.

श्री शेर सिंह : साढ़े छः हो चुके थे ।

चौधरी बलबीर सिंह : On a point of Order, Sir. मेरा point यह है कि अगर स्पीकर $6\frac{1}{2}$ बजे न कहें तो क्या $6\frac{1}{2}$ नहीं बजेंगे (*Laughter*)

DEMAND No. 13

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs 50,00,000.

After ascertaining the votes of the House by voices Mr. Speaker said "I think the Noes have it". This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speaker, after calling upon those Members who challenged the decision and supported the claim for a division to rise in their places, declared that the division was unnecessarily claimed.

The motion was declared lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs 100.

After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. Speaker said "I think the Noes have it". This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speaker after calling upon those Members who challenged the decision and supported the claim for a division to rise in their places declared that the division was unnecessarily claimed.

The motion was declared lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs 100.

After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. Speaker said "I think the Noes have it." This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speaker after calling upon those Members who challenged the decision and supported the claim for a division to rise in their places, declared that the division was unnecessarily claimed.

The motion was declared lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs 100.

After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. Speaker said "I think the Noes have it". This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speaker after calling upon those Members who challenged the dicision and supported the claim for a division to rise in their places, declared that the division was unnecessarily claimed.

The motion was declared lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs 10.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs 10.

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re. 1.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re. 1.

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re. 1.

After ascertaining the votes of the House by voices Mr. Speaker said "I think the Noes have it". This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speaker, after calling upon those Members who challenged the decision and supported the claim for a division to rise in their places, declared that the division was unnecessarily claimed.

The motion was declared lost.

चौधरी बारू राम : On a point of order, Sir. हमारे Rules of Procedure के सफा 25 पर Rule 94 sub-clause 4 है । इस में लिखा है . . .

> "If the opinion of the Speaker as to the decision of a question is challenged and he does not adopt the course provided for in sub-rule (3), he shall order a "Division", to be held."

जब हम कई दफा कह चुके हैं कि हम counting करवाना चाहते हैं तो मैं जनाब की ruling चाहता हूं कि क्यों इसको avoid किया जा रहा है । Sub-rule 3 साफ़ तौर पर कहता है कि claim किए जाने पर division होनी चाहिए । इस में Chair की discretion का कोई सवाल नहीं है । अगर आप इस की कोई और interpretation करें तो . . .

Mr. Speaker : I am following this precedent. लोक सभा में भी यही wording है । और मैं लोक सभा के procedure को ही follow कर रहा हूं (There is a similar wording in the rules of Procedure of the Lok Sabha. I am following the same procedure as adopted there.)

चौधरी बारू राम : मेरी अर्ज़ यह है कि लोक सभा के Rules of Procedure अलग हैं और हमारे यहां के अलग हैं । या तो आप फरमाएं कि यहां के जो Rules हैं वह applicable नहीं हैं । या फिर . . जो rule 94 है . .

अध्यक्ष महोदय : आप ने शायद proviso नहीं पढ़ा (He has, perhaps, not read its proviso.)

चौधरी बारू राम : यह आप की library की ही किताब है । पता नहीं शायद इस में ग़लत लिखा हो ।

Mr. Speaker: I would refer the hon. Member to Rule 94(3) which reads like this—

> "If the opinion of the Speaker as to the decision of a question is challenged, he may if he thinks that the division is unnecessarily claimed, ask the Members who are for "Aye" and those for "No" respectively to rise in their places and on a count being taken, he may declare the determination of the Assembly."

Chaudhri Baru Ram : Kindly read rule 94(4) also.

If we claim a count and a count of the standing Members takes place and that is challenged....

Mr. Speaker : Rule 94(4) clearly states that the course suggested therein should be adopted only if the procedure suggested in 94(3) has not been followed.

Chaudhri Dharam Singh Rathi : We want justice. We want that the Rules of Procedure should be followed.

Sardar Bhupinder Singh Mann : May I rise on a point of order, Sir ? We have been rising again and again in our seats for or against the motions put before the House. Let it not be taken as a precedent. It will quote authorities to show that any motion which is of a dilatory, vexatious and obstructive character and which seeks to interrupt the proceedings is not accepted.

Shri Sher Singh : On a point of order, Sir.

Sardar Bhupinder Singh Mann : Let me put the point of Order. It is for the Speaker to determine the majority.

Mr. Speaker : I know that rule but as the time is too short I am rather helpless.

Shri Sher Singh : Sir, may I submit something ? These motions have been accepted here in the House and they are now being put to the vote of the House. Can any one call them vexatious, dilatory and obstructive motions ? All these motions are regular motions. They have been accepted and they are being put to the vote of the House.

Mr. Speaker : He was referring to the demand being made continuously by some Members for division.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re. 1

After ascertaining the votes of the House by voices Mr. Speaker said "I think the Noes have it". This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speaker after calling upon those Members who challenged the decision and supported the claim for a division to rise in their places declared that the division was unnecessarily claimed.

The motion was declared lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by five Naye Paise.

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by one Naya Paisa.

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re. 1

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs 4,90,26,100 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1958-59 in respect of charges under head 29—POLICE.

(*After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. Speaker said "I think the Ayes have it*)".

(Some Members of the Opposition Party : Noes have it) .

Mr. Speaker : I do not approve of it and I tell you I will take a serious view of it. I have noted it down.

आप देखिए आज आप ने बड़ा vexatious behaviour दिखाया है (The hon. Members of the opposition have shown a vexatious behaviour today.) I will take a very serious view of it.

चौधरी धर्म सिंह राठी : On a point of order, Sir. Rules में यह provided है .... (*Interruptions*)

Mr. Speaker : Every thing can be said in a better way. It is not necessary that it should be accompanied by such a behaviour. I will take a very serious view of it.

(*As the opinion of the Speaker, i.e., "I think the Ayes have it" was challenged and division was claimed, Mr. Speaker, after calling upon those Members who challenged the decision and supported the claim for a division to rise in their places, declared that the division was unnecessarily claimed.*)

The motion was declared carried.

(*The Sabha then adjourned till 2 p.m. on Wednesday, the 19th March, 1958.*)

---

721 PVS—344—19-1-59— C. P. and S, Punjab, Chandigarh